



सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

२५

(अगस्त १९२४ - जनवरी १९२५)





उपवासके दिनोमें, शुश्रूषामें डॉ० जीवराज मेहता

# सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

२५

(अगस्त १९२४-जनवरी १९२५)



सत्यमेव जयते

प्रकाशन विभाग  
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय



मार्च १९६८ (चैत्र १८९०)

© नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९६८

साढ़े सात रुपये

कापीराइट  
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे

निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित  
और गान्धिलाल हरजीवन ग्राह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

## भूमिका

इस खण्डमें १६ अगस्त, १९२४ से लेकर १५ जनवरी, १९२५ तककी सामग्री दी गई है। इस अवधिमें गांधीजीने राष्ट्रीय एकता, हिन्दू-मुस्लिम एकता, कांग्रेसकी हृदयक स्वराज्यवादियों और अपरिवर्तनवादियोंके बीच मेल-जोल स्थापित करने तथा कांग्रेस और देशके अन्य राजनीतिक दलोंको एक मंचपर लानेके लिए उत्कट प्रयास किया। यह खण्ड उसी प्रयासका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने असहयोग आन्दोलनके स्थगित कर दिये जानेसे उत्पन्न निराशा और अवसादकी भावनाको विनाशकारी लडाई-झगडों और पारस्परिक कटुताका कारण ठहराया और उस आन्दोलनके प्रणेताकी हेसियतसे देशमें व्याप्त हिंसाके वातावरणको दूर करना अपना कर्त्तव्य माना, और इस कर्त्तव्यको पूरा करनेका प्रयत्न किया — तपश्चर्या और विरोधियोंके सामने स्वेच्छसे आत्मसमर्पण करनेके तरीकेसे। सितम्बर-अक्तूबरका २१ दिनोका उपवास, स्वराज्यवादी नेताओंके साथ नवम्बर महीनेमें कलकत्तामें किया गया समझौता, दम्बडमें (नवम्बरमें) आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन और उन्हींकी अध्यक्षतामें सम्पन्न कांग्रेसका अधिवेशन — इस कालकी ये तमाम घटनाएँ, उस विनय-भावनाकी साक्षी भरती हैं जिसके द्वारा उन्होंने देशमें मेल-जोल स्थापित करनेका प्रयत्न किया।

हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच तनाव चल रहा था और कुछ मास पूर्व गांधीजीने उसके कारणोंका विश्लेषण करते हुए उसका उपचार भी बताया था। (देखिए खण्ड २४)। जब अगस्त १९२४में कई स्थानोंसे मन्दिरोंकी पवित्रता भंग किये जानेके समाचार मिले तो गांधीजीको बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने इस विषयपर अपना रवैया साफ शब्दोंमें पेश करते हुए कहा “मैं मूर्ति-पूजक भी हूँ और मूर्ति-भजक भी, पर उस अर्थमें जिसे मैं इन शब्दोंका सही अर्थ मानता हूँ। मूर्ति-पूजाके पीछे जो भाव है, मैं उसका आदर करता हूँ। मनुष्य-जातिके उत्थानमें उससे बहुत सहायता मिलती है और मैं चाहूँगा कि अपने प्राण देकर भी उन हजारों पवित्र देवाल्योंकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य मुझमें हो, जो हमारी इस जननी-जन्मभूमिको पुनीत कर रहे हैं। मैं मूर्ति-भजक इस मानीमें हूँ कि मैं उस धर्मान्विताके रूपमें छिपी सूक्ष्म मूर्ति-पूजाको खण्डित करता हूँ जो अपनी ईश्वर-पूजाकी विधिके अलावा दूसरे लोगोंकी पूजाविधिमें किसी गुण और अच्छाईको देखनेसे इनकार करती है।” (पृष्ठ ४८-४९)। उन्होंने अज्ञात अपराधियोंको अपने हृदयकी व्यथा सुनाई “ये घटनाएँ मेरे हृदयके टुकड़े-टुकड़े कर रही हैं।” (पृष्ठ ५०)। उन्हें इस सबके पीछे कोई योजनावद्ध प्रयास होनेका आभास हुआ और उन्होंने यह बात सार्वजनिक रूपसे भी कही। उन्होंने हिन्दुओंकी प्रतिशोधकी भावनाके वशीभूत न होनेकी सलाह देते हुए इन कुकृत्योंके लिए जिम्मेदार मुसलमानोंसे कहा “याद रखो, इस्लामकी जाँच तुम्हारी करतूतोंसे हो रही है। बदला भी आखिर एक हृदयक ही लिया जा सकता है। हिन्दू लोग अपने देवाल्योंको जानसे अधिक मानते हैं। हिन्दुओंकी जानको नुकसान पहुँचानेकी बात तो किसी

हृदयक समझमे आ सकती है, पर उनके मन्दिरोको हानि पहुँचानेकी बात समझमे नहीं आ सकती। धर्म जीवनसे बढकर है।” (पृष्ठ ४९-५०)। इस साम्प्रदायिक वैमनस्यकी चरम-परिणति पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तमे कोहाटमे हुई। वहाँ ९ और १० सितम्बरको हिन्दुओपर सामूहिक रूपसे हमले किये गये और समस्त हिन्दू परिवारोको अपना घर-बार छोडकर रावलपिडीमे शरण लेनी पडी।

इस आपसी कलहसे गाधीजीकी आत्मा व्यथित हो उठी। उन्होने सी० एफ० एन्ड्र्यूजको लिखे एक छोटे-से पत्रमे अपनी इस व्यथाको प्रकट करते हुए कहा “किन्तु, अब तो मेरे मनको शीघ्र ही शान्ति मिल जायेगी। मैं अपने कर्त्तव्यका स्पष्ट सकेत पानेके लिए, व्याकुल था। क्या कोई मनुष्य अपना जीवन देनेसे अधिक कुछ कर सकता है ?” (पृष्ठ १६७) उन्होने आत्मशुद्धिके लिए २१ दिनोका उपवास करनेका निश्चय किया था। उन्हें लगा कि इन सारे फसादोकी जिम्मेदारी उनपर है। “क्या जनताकी भारी शक्तको जाग्रत कर देनेके लिए मैं ही जिम्मेवार नहीं था ? अगर यह शक्ति आत्म-विनाशका कारण बन रही है तो मुझे कोई उपचार ढूँढना ही है।” (पृष्ठ २१३)।

गाधीजीके इस उपवासके मर्मको महादेव देसाई-जैसे उनके अन्तरंग सहयोगी भी नहीं समझ पाये। उनकी शकाओका समाधान करते हुए गाधीजीने कहा “आज देखता हूँ कि अहिंसाकी गंधको भी जाने बिना लोग एक-दूसरेके साथ असहयोग करने लगे हैं। इसका कारण क्या है ? इसका कारण सिर्फ यह है कि मैं खुद ही अहिंसक नहीं हूँ। मेरी अहिंसा भी कोई अहिंसा है ? अगर वह पराकाष्ठापर पहुँच जाती तो आज मैं जो हिंसा देख रहा हूँ वह न देखनेको मिलती। इसलिए मेरा उपवास प्रायश्चित्त है, तपश्चर्या है। मैं किसीको दोष नहीं देता। मैं तो अपनेको ही दोष दे रहा हूँ। मेरी शक्ति चली गई है। हार-थककर, अपनी शक्ति खोकर अब मुझे सिर्फ ईश्वरके ही दरवारमे अर्ज करना है।” (पृष्ठ १८८)। निदान तारीख १७को दिल्लीमे मुहम्मद अलीके घर उन्होने उपवास शुरू कर दिया। इसने एकताके पक्षमे वातावरण तैयार किया, जिसका परिणाम प्रकट हुआ ऐक्य सम्मेलनके रूपमे। सम्मेलनने २७ तारीखको एक प्रस्ताव पास करके इस झगडेकी तीव्र निन्दा की ओर साम्प्रदायिक दगोको बर्बर तथा धर्मविरुद्ध व्यवहार बताना कर उनकी भर्त्सना की। इसी प्रस्तावके द्वारा पचोका एक बोर्ड भी नियुक्त किया गया, जिसका काम दोनो सम्प्रदायोके बीचके झगडेका निवटारा करना और अल्पसंख्यकोके अधिकारोकी रक्षाके लिए एक योजना तैयार करना था। सम्मेलनने गाधीजीसे उपवास समाप्त करनेके लिए एक अपील भी जारी की। गाधीजीने इस अनुरोधको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उपवासको वे सीधे अपने और ईश्वरके बीचका मामला मानते थे।

कांग्रेसके भीतर स्वराज्यवादियोकी स्थितिकी समस्या अत्यन्त जटिल थी। अपरिवर्तनवादी लोग चाहते थे कि कांग्रेसके मूल असहयोग कार्यक्रमका पालन निष्ठापूर्वक और कडाईसे किया जाये, लेकिन स्वराज्यवादियोने कौंसिलोमे जाकर वहाँ रोध-अवरोधकी नीतिसे काम लेनेका कार्यक्रम स्वीकारा था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी जून महीनेकी बैठकके बाद इन दोनो पक्षोके बीच कांग्रेसको अपने-अपने नियन्त्रणमे

रगनेके लिए बड़ी गीच-तान धुम् हो गई थी। गाधीजीने इमपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा "देशमें इस समय जो घरेलू झगडा चल रहा है, उससे मैं अब बृहत् परेगान हों गया हूँ।" (पृष्ठ ६९)। उनका निश्चित मत था कि स्वराज्य-वादियोंका कार्यक्रम देशके आन्तरिक विकासके लिए बाधक है, लेकिन अब उसका विरोध करनेकी उनकी कोई उच्छा नहीं रह गयी थी। ६ सितम्बरको च० राज-गोपालाचारीको उन्होंने लिखा "मुझे तो दिनके उजालेकी तरह स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओंमें जो बुराई घर कर गई है, हमें उसका सीधा प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। हमें पूर्णरूपमें सत्ताका परित्याग कर देना चाहिए। अगर अपने उद्देश्यमें हमारे आस्था है, तो हमें मफयता मिलनी ही चाहिए।" (पृष्ठ १०५)। लेकिन जाम परिवर्तनवादी सदस्योंको यह रवैया ठीक नहीं लगा। उन्होंने इसे आत्म-नमर्षण कहा। मगर गाधीजीका उद्देश्य भी तो आत्म-नमर्षण ही था। 'यग इडिया' में अपनी स्थितिपर प्रवाण उलते हुए उन्होंने लिखा "अब मेरे अन्दर सघर्षका भाव विलुप्त नहीं रह गया है। मैं एक जन्मजात लडाका हूँ। मेरे लिए इतना ही कहना बहूत है। मैं अपने नर्वायिक प्रिय जनोत्क में लडा हूँ। पर मैं लडा हूँ प्रेम-भावसे प्रेरित होकर ही। स्वराज्यवादियोंमें भी प्रेम-भावमें प्रेरित होकर ही लडा जा सकता है। पर मैं देखता हूँ कि पहले मुझे अपने प्रेम-भावको सावित करना होगा। मैं नमस्जना था कि मैं उसे सावित कर चुका हूँ। लेकिन देखता हूँ कि नहीं, मैं गलती-पर था। उमील्लिए मैं अपने कदम वापस ले रहा हूँ।" (पृष्ठ १३२)। और फिर "प्रेमका नियम' शीर्षक लेखमें उन्होंने कहा "मुझे हरएकको दिखाना देना चाहिए कि मैं जो कहता हूँ, वही हूँ—अर्थात् मैं हरएकका मित्र और सेवक हूँ।" (पृष्ठ २७९)। जब गाधीजी स्वराज्यवादी दलसे समझौता करनेके उद्देश्यसे मोतीलाल नेहरूसे वार्ता चला रहे थे, तभी बगालमें सरकारी दमनका चक्र जोरोमें चल पडा और बहुतेसे लोग बिना मुकदमा चलाये ही जेलोंमें बन्द कर दिये गये। कांग्रेसके अन्दर एकताकी आवश्यकता आर भी बढ़ गई, क्योंकि अब उमें एक ऐसा अनुशासित सगठन बनाना था जो वक्तके हर तमोजेका सही जवाब दे सके। निदान ६ नवम्बरको कलकत्तामें गाधीजी और स्वराज्यवादी नेताओंके बीच समझौता हो गया। इसके अनुसार तय पाया गया कि स्वराज्यवादी दलको अपना कौंसिल-कार्यक्रम कांग्रेसके नामपर चलानेकी छूट दी जायगी और बदलेमें वह रचनात्मक कार्यक्रम तथा कांग्रेसकी सदस्यताकी योग्यताके रूपमें प्रतिदिन सूत कातनेके नियमको दाखिल करनेका समर्थन करेगा। अन्य दलोंका कांग्रेसके भीतर एक मंचपर लानेके उद्देश्यसे समझौतेमें यह प्रस्ताव भी रखा गया कि असहयोग आन्दोलनके अगके रूपमें जो विभिन्न वहिष्कार आरम्भ किये गये थे, उनमें से विदेशी वस्तुओंके वहिष्कारको छोडकर अन्य सबको स्थगित कर दिया जाये। २३ नवम्बरको बम्बईमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें इस समझौतेको उचित ठहराते हुए गाधीजीने कहा "मैं एक तरहसे यह स्वीकार करता हूँ कि असहयोगकी लडाईका या सविनय अवज्ञा आन्दोलनका नेतृत्व करना मैं तबतक अनम्भव समझता हूँ जबतक हमारे साथ देशका प्रबुद्ध लोगोका एक ऐसा बृहत् वडा समूह न हो, जिसकी महानुभूति हमारे पक्षमें हो और यहाँतक कि वह

सक्रिय रूपसे हमारे साथ सहयोग करे। इसकी अपेक्षा हम तबतक नहीं कर सकते जबतक कि कुछ मामलोमें हम उनकी बात न मानें।” (पृष्ठ ३७४)।

स्वराज्यवादी दलके प्रति समझौतेके इस रवैयेसे अपरिवर्तनवादी लोग बड़ी विपम स्थितिमें पड़ गये। गांधीजी उनकी परेगानीको समझते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें समझाया कि कांग्रेसमें उनकी स्थिति चाहे जैसी रहे, वे उसकी कोई चिन्ता न करते हुए एकाग्रचित्त होकर रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करनेमें जुट जायें। सबसे कट्टर असहयोगी च० राजगोपालाचारीको लिखे अपने १५ सितम्बरके पत्रमें उन्होंने कहा - “मैं जानता हूँ कि मैं आपके और दूसरे लोगोंके लिए अपने-आपको इन आकस्मिक परिवर्तनोंके अनुकूल ढाल लेना कितना मुश्किल होगा। लेकिन मैं कहीं भी तो क्या! मैं जानता हूँ कि मैं अपने साथियोंकी निष्ठा और आस्थापर अनुचित दबाव डाल रहा हूँ।” (पृष्ठ १५८)। उन्होंने असहयोगियोंको इन शब्दोंमें समझाया “अपना उद्देश्य पानेके लिए हमें थोड़ा झुकना है। हम व्यक्तिगत रूपसे असहयोगके छोटेसे-छोटे अंशको भी कायम रखें, किन्तु साथ ही हमें चाहिए कि जो लोग इसमें विश्वास नहीं रखते, हम उनका मार्ग इसके लिए सुगम बनायें कि वे हमें और रचनात्मक प्रयत्नोंमें देशको सहायता दें। क्या यह देख सकना विलकुल आसान नहीं है कि सेवाके लिए न सत्ताकी आवश्यकता है, न पद-प्रतिष्ठाकी? मैं तो चाहता हूँ कि हममें से हर आदमी केवल देशका सेवक बन जायें। मैं चाहूँगा कि अपरिवर्तनवादी लोग ऐसा व्यवहार करें कि स्वराज्यवादी, लिबरल तथा अन्य सब उनकी आवश्यकता महसूस करें।” (पृष्ठ २७८-७९)। अपने सहयोगियोंकी उन्हें कितनी चिन्ता रहती थी, इसका परिचय हमें राजाजीके नाम लिखे उनके पत्रकी इन पंक्तियोंमें मिलता है “मेरी यही कामना है कि यह आपके व्यथित हृदयके लिए मरहमका काम करे। वारडोलीमें मैंने अहिंसाके क्षेत्रमें एक दिशामें सबसे साहसपूर्ण प्रयोग किया था। यह समझौता दूसरी दिशामें सबसे साहसपूर्ण प्रयोग है।” (पृष्ठ ३४५-४६)।

कलकत्ता-समझौतेकी तजवीजके मुताबिक नवम्बरमें २१ और २२ नवम्बरको एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इसका उद्देश्य सरकारके विरुद्ध एक सयुक्त मोर्चा तैयार करना था। सरकारने सम्भवत मुख्य रूपसे स्वराज्यवादी दलको कुचलनेके लिए बंगालमें दमनकी नीति आरम्भ कर दी थी। देशके राष्ट्रवादी तत्त्वोंके आपसी मतभेदों और फूटसे लाभ उठानेकी सरकारी चालको गांधीजी भली-भाँति समझ गये थे। उनके कहनेपर सर्वदलीय सम्मेलनने एक प्रस्ताव पास करके सरकारकी कारगुजारियोंकी तीव्र भर्त्सना की और “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके साथ देशके अन्य राजनीतिक दलोंको फिरसे मिलाने और स्वराज्यकी एक योजना तैयार करनेका सर्वोत्तम रास्ता क्या हो, इसपर विचार करनेके लिए एक समिति नियुक्त की। (पृष्ठ ३६५)। यह कोई सरल काम नहीं था। लिबरलो और इंडिपेंडेंटोंके कांग्रेसमें शामिल होनेके रास्तेमें कुछ अड़चनें थीं। इनमें से एक तो थी स्वराज्यका सिद्धान्त, जिसका अर्थ पूर्ण स्वराज्य भी लगाया जा सकता था। फिर, उन्हें कांग्रेसमें स्वराज्यवादी दलके दर्जे और सदस्यताके लिए प्रतिदिन सूत कातनेकी गर्तपर भी आपत्ति थी। इन सभी प्रश्नोंपर गांधीजीके विचार विलकुल निश्चित थे। फिर भी, उन्होंने दूसरे दलोंको

आश्वस्त करते हुए कहा "यह समिति सभी दलोको एकताके सूत्रमे बाँधनेके लिए जो भी समुचित उपाय करना वाछनीय समझेगी, मैं उसके रास्तेमे हठपूर्वक कोई बाधा नहीं डालूंगा। मैं बहुत वितत्रतापूर्वक उनके दृष्टिकोणको जानने-समझानेका प्रयास कर रहा हूँ। इसमे मेरा अपना कोई निजी उद्देश्य तो है नहीं। तो सभी दल ऐसा रास्ता ढूँढ निकालनेके लिए ईमानदारी और लगनके साथ कोशिश करे। एक सयुक्त मंच खोज निकालनेके लिए वे समितिकी कार्यवाहीके प्रति विश्वास और सकल्पका रवैया अपनाये।" (पृष्ठ ३८८)।

गाधीजीको आगामी कांग्रेसका अध्यक्ष चुना गया। उन्होने ईश्वरका निर्देश पानेके लिए बहुत प्रार्थना और आत्म-चिन्तन करनेके बाद ही इस सम्मानको स्वीकार किया। उन्होने कहा, "मेरे और भारतके समस्त शिक्षित समुदायके बीच भेदकी जबरदस्त खाई दिव्वाई दे रही है और देशका पूरा बौद्धिक वर्ग मेरी विचार-पद्धति और कार्य-विधिके विरुद्ध खड़ा जान पड़ता है।" (पृष्ठ ३८०)। अपने अध्यक्षीय भाषणमे उन्होने राष्ट्रकी स्थितिका, कलकत्तेके समझौतेका और उससे उठनेवाले प्रश्नोका अत्यन्त सम्यक् और आधिकारिक विवरण प्रस्तुत किया। उममे उन्होने स्वराज्यवादी दलके महत्त्वके सम्बन्धमे, असहयोग आन्दोलन स्थगित करनेके बाद राष्ट्रीय शालाओकी भूमिकाके विषयमे और वगालके दमनके वारेमे भी अपने विचार स्पष्ट किये। उन्होने अपनी कल्पनाके स्वराज्यकी एक रूप-रेखा भी प्रस्तुत की और कहा, "मैं साम्राज्यके भीतर स्वराज्य लेनेका उद्योग करना चाहता हूँ, किन्तु यदि ब्रिटेनके दोषके कारण उससे सम्बन्ध तोड़ लेना आवश्यक हुआ तो मैं पूर्णत सम्बन्ध तोड़नेमे भी नहीं झिझकूंगा। यदि ऐसा हो तो मैं ब्रिटेनसे अलग होनेकी जिम्मेदारी अग्रेज लोगपर ही डालूंगा।" (पृष्ठ ५१६)। अपने भाषणके अन्तमे उन्होने असहयोग और सत्याग्रहमे अपनी दृढ आस्था फिरसे व्यक्त करते हुए कहा "एक कांग्रेसीकी हैसियतसे कांग्रेसको ज्योका-त्यो कायम रखनेके लिए मैं असहयोगको मुलतवी रखनेकी सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि राष्ट्र इसके लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन एक व्यक्तिकी हैसियतसे मैं तबतक ऐसा नहीं कर सकता — न करूँगा ही — जबतक कि यह सरकार जैमीकी-तैसी बनी हुई है। असहयोग और सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह नामक एक ही वृक्षकी अलग-अलग शाखाएँ हैं। यह मेरा कल्पद्रुम — जाम-ए-जम — है। इस सत्याग्रहने दक्षिण आफ्रिका, खेडा या चम्पारत्तमे मुझे निराश नहीं किया। मैं ऐसे और भी बहुत-से प्रसंग गिना सकता हूँ जब इसने, इससे जितनी भी आशाएँ की गई थी, सब पूरी की। इसमे किसी किस्मकी हिंसा या घृणा-भावके लिए जगह नहीं है। इसलिए मैं अग्रेजोसे नफरत नहीं कर सकता और न करूँगा। पर साथ ही मैं उनके जुएको भी गवारा नहीं कर सकता।" (पृष्ठ ५२४)

इस खण्डमे समाविष्ट पत्रोमे से कुछ तो अपने सहयोगियोके साथ गाधीजीके व्यक्तिगत सम्बन्धकी सुन्दर झोंकी प्रस्तुत करते हैं। सी० एफ० एन्ड्रयूजको लिखे अपने २५ अगस्तके पत्रमे उन्होने निम्न सलाह दी "क्या तुम कुछ समय सन्तोषके साथ आराम करनेमे नहीं विताना चाहोगे? कर्म प्रार्थना है, पर यह पागलपन भी हो सकता है।" (पृष्ठ ४०)। और पत्रके अन्तमे उन्होने लिखा "अगाध स्नेहके



साथ।” (पृष्ठ ४०)। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरूको लिखे पत्रोंसे प्रकट होता है कि उन्हें पिता-पुत्र दोनोंकी कितनी चिन्ता लगी रहती थी। मोतीलाल नेहरूको अपने २ सितम्बरके पत्रमें उन्होंने लिखा, “पिछले पत्रकी तरह ही यह पत्र भी मैं जवाहरलालकी सिफारिश करनेके लिए ही लिख रहा हूँ। भारतमें बहुत अकेलापन महसूस करनेवाले जिन नौजवानोंसे मिलनेका मुझे मौका मिला है, वह उनमें से एक है। आपके मानसिक रूपसे उसका त्याग कर देनेके खयालसे मुझे बहुत दुःख होता है। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरहसे इस अद्भुत प्रेम-सम्बन्धमें बाधक नहीं बनना चाहता।” (पृष्ठ ६८-६९)। जवाहरलाल नेहरूके एक पत्रके उत्तरमें उन्होंने लिखा “अभी तो पिताजी चिढ़े हुए हैं और मैं विलकुल नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुंझलाहट बढ़नेका जरा भी मौका दे। उन्हें दुःखी देखकर मुझे दुःख होता है। उनकी चिढ़ जानेकी प्रवृत्तिसे साफ जाहिर है कि वे दुःखी हैं।” (पृष्ठ १५७) और फिर रोमाँ रोलाँ को लिखे पत्रमें वे मीराबहनके बारे में कहते हैं “कैसी अमूल्य निधि आपने मुझे सौंपी है। मैं आपके इस अगाध विश्वासके योग्य बननेकी कोशिश करूँगा। मैं कुमारी स्लेडकी हर तरसे सहायता करनेकी कोशिश करूँगा, ताकि वे पूर्व और पश्चिमके बीच एक लघुसेतु बन सकें।” (पृष्ठ ३४१)

इस खण्डमें आपको यत्र-तत्र गांधीजीकी निजी मान्यताओंकी स्वीकृति भी देखनेकी मिलेगी। “मेरे जेलके अनुभव” में यह इतिहास-निर्माता इतिहासके अध्ययनके सम्बन्धमें अपने विचार व्यक्त करते हुए निष्कर्ष-रूपमें कहता है “जो शाश्वत है और इसलिए महत्वपूर्ण है, वह मात्र घटनाओंको दर्ज करनेवाले इतिहासकारकी पकड़में नहीं आता। सत्य इतिहाससे परे है।” (पृष्ठ १३६) धर्म और राजनीतिके प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा “मेरे लिए मानवकी या प्राणि-मात्रकी सेवा धर्म बन गई है और मैं इस धर्म और राजनीतिमें अन्तर नहीं करता।” (पृष्ठ ५५)। मानव-जातिके कल्याणके लिए अपने हृदयकी आकुलता व्यक्त करते हुए एक और स्थलपर उन्होंने लिखा है “आप मुझे महात्मा कहते हैं। इसका कारण न तो मेरा सत्य है और न मेरी अहिंसा-वृत्ति बल्कि इसका कारण दीन दुखियोंके प्रति मेरा अगाध प्रेम है। चाहे कुछ भी हो जाये, पर मैं इन फटेहाल नर-ककालोंको नहीं भूल सकता, नहीं छोड़ सकता।” (पृष्ठ ६३)। लेकिन गांधीजीकी मानवीयताका उत्स उनकी भगवद्भक्ति ही थी। जैसा कि उन्होंने “वोलगेविज्म या आत्मसयम” शीर्षक लेखमें स्वयं कहा है, उनका आन्दोलन नास्तिक नहीं था। “वह ईश्वरको नहीं नकारता। वह तो उसीके नामपर शुरू किया गया है और निरन्तर उसकी प्रार्थना करते हुए चलाया जा रहा है।” (पृष्ठ १९)। उनके सार्वजनिक जीवनमें उनके सामने जब भी कोई विचिकित्साका प्रसंग आता था, वे सही उत्तर पानेके लिए अपनी अन्तरात्माको टटोलते थे, ईश्वरसे प्रार्थना करते थे और जब कुछ कालके लिए उन्हें अन्तरात्मा अथवा ईश्वरसे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता था, वे बहुत परेशान हो उठते थे। ‘फाउस्ट’की मार्गरेटकी दशाके स्मरण करते हुए उन्होंने एक ऐसे ही प्रसंगपर लिखा, “जान पडता है, मैं भी अपने प्रियतमसे हाथ

वो बैठा हूँ, और ऐसा मालुम होता है कि मैं डबड़-डबड़ भटक रहा हूँ। मुझे अनुभव तो ऐसा होता है कि मेरा सखा निरन्तर मेरे आसपास है, पर फिर भी वह मुझसे दूर प्रतीत होता है, क्योंकि वह मुझे ठीक-ठीक राह नहीं दिखा रहा है। बल्कि उलटा, गोपियोंके छलिया नटपट कृष्णकी तरह वह मुझे चिढाता है। कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है, ओर कभी फिर दिखाई दे जाता है।” (पृष्ठ ८३)। वे बार-बार चरखेके पास जाकर बैठते रहे ओर अन्तमे तब जब उन्हें गान्ति-की तलाश नहीं रह गई थी, वह “अनायास ही मिल गई।” उनकी अन्तरात्माने उनसे कहा, “यदि तुम और किसी भी बातकी परवाह न करो, बल्कि केवल जिसे तुम अपना कर्त्तव्य समझते हो उसीका पालन करो तो सबकुछ ठीक होगा।” (पृष्ठ ४८२)। गाधीजीने स्वयं ही पाठकोका ध्यान “नियमित रूपसे कार्य करनेकी उपयोगिता” की ओर दिलाया और बताया कि उनके लिए अनुक्रमणिका तैयार करने-जैसा शुष्क और उवानेवाला काम किस तरह एक दैनिक व्यायाम और व्यक्तिको तन्मय कर देनेवाला काम बन गया। (पृष्ठ १६५)। स्वच्छता और दृढता सही कर्मसे आती है। “किसी बातको अपने आचरणमे उतारना ही उसके पक्षमे दिया गया सबसे अच्छा भाषण है ओर उसके लिए किया गया सबसे अच्छा प्रचार है, यह काम हर व्यक्ति कर सकता है तथा इसमे कोई विघ्न-बाधा भी नहीं डालेगा। दूसरोकी चिन्ता न करना अहरमज्दका तरीका है। अहरमन हमें हमारे विश्वाससे डिगाकर अपने जालमे फँसाता है। ईश्वर कावा या काशीमे नहीं है। वह तो हम सबके भीतर है। इसलिए स्वराज्य भी हमें अपने भीतर खोजनेसे ही मिलेगा। यदि हम दूसरोसे या अपने साथी कार्यकर्त्ताओसे भी यह आशा करे कि वे स्वराज्य लेकर हमें दे देगे, तो हमारी यह आशा व्यर्थ होगी।” (पृष्ठ ४८३)



## आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम सावरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास (सावरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐंड मेमोरियल ट्रस्ट) और सग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदावाद, गांधी स्मारक निधि व सग्रहालय, नई दिल्ली, बम्बई सरकार, सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) बम्बई प्रान्तीय समिति, बम्बई, श्री चन्द्रगुप्त विद्यालकार, नई दिल्ली, श्रीमती राजकुमारी अमृतकोर, नई दिल्ली, श्री छगनलाल गांधी, अहमदावाद, श्री डाह्याभाई मनोहरभाई पटेल, अहमदावाद, श्रीमती गगाबहन वैद्य, वोचासण, श्री घनश्यामदास विडला, कलकत्ता, श्री कपिल ठक्कर, भावनगर, श्री काशीनाथ केलकर, पूना, श्रीमती लक्ष्मीबाई खरे, सावरमती आश्रम, कुमारी मेडेलिन स्लेड (मीराबहन) गाडेन, आस्ट्रिया, श्री महेश पट्टणी, भावनगर, श्री नारणदास गांधी, राजकोट, श्री नारायण देसाई, वारडोली, श्री परशुराम मेहरोत्रा, नई दिल्ली, आर० के० प्रभु, श्रीमती राधाबहन चौबरी, कलकत्ता, श्री शान्तिकुमार मोरारजी, बम्बई, श्रीमती शारदाबहन शाह, वढवान, श्रीमती वसुमती पडित, सूरत, श्री विष्णुदयाल, अजमेर, 'अमृतवाजार पत्रिका', 'आज', 'इंडियन रिव्यू', 'गुणसुन्दरी', 'ट्रिव्यून', 'नवजीवन', 'न्यू इंडिया', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'यग इंडिया', 'हिन्दी नवजीवन', 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'हिन्दू' समाचारपत्रो तथा पत्रिकाओ ओर निम्नलिखित पुस्तकोके प्रकाशकोके आभारी है 'वापुना पत्रो मणिवहन पटेलने', 'वापुना पत्रो-सरदार वल्लभभाई पटेलने', 'वापुनी प्रसादी', 'ए. वृन्च ऑफ ओल्ड लेटर्स', 'गांधीजीकी छत्रछायामे', 'लैटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री', 'लाइफ ऑफ श्रीरामकृष्ण', 'महादेवभाईनी डायरी खण्ड - ७' 'महात्मा-खण्ड - २', 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वे अधिवेशनकी रिपोर्ट', 'द स्टोरी ऑफ माई लाइफ खण्ड - २'।

अनुसधान व सदभर्न सम्बन्धी सुविधाओके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, इंडियन कोसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय अनुसधान ओर सदभर्न विभाग (रिसर्च ऐंड रिकरेस डिविजन), नई दिल्ली, श्री प्यारेलाल नथ्यर हमारे धन्यवादके पात्र है। प्रलेखोकी फोटोनकल तैयार करनेमे मदद देनेके लिए हम सूचना एव प्रसारण मन्त्रालयके फोटो विभाग, नई दिल्लीके आभारी है।

## पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री गाधीजीके स्वाक्षरोमे मिली है उसे अविकल रूपमे दिया गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमे हिज्जोकी स्पष्ट भूलोको सुधार कर दिया गया है।

अग्रेजी ओर गुजरातीसे अनुवाद करनेमे अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। छापेकी स्पष्ट भूले मुधारनेके बाद अनुवाद किया गया है और मूलमे प्रयुक्त शब्दोके सक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। नामोको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणमे सशय था उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमे लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमे दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गाधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अग मूल रूपमे उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमे छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अग उन्होने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमे छापा गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजीके कहे हुए नहीं हैं, विना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमे छापे गये हैं। भाषणो और भेटकी रिपोर्टोके उन अशोमे जो गाधीजीके नहीं हैं कुछ परिवर्तन किया गया है और कही-कही कुछ छोड़ दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहाँ दाये कोनेमे ऊपर दे दी गई है, परन्तु जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोमे की गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमे केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हे आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमे रखा गया है। शीर्षकके अन्तमे साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गाधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

साधन-सूत्रोमे 'एस० एन०' सकेत सावरमती सग्रहालय, अहमदावादमे उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध कागज-पत्रोका ओर 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गाधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाधी) द्वारा सग्रहीत पत्रोका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये हैं। अन्तमे साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालका तारीखवार जीवन-वृत्तान्त दिया गया है।

## विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	५
आभार	१३
पाठकोंको सूचना	१४
चित्र-सूची	२८
१ पत्र वसुमती पण्डितको (१६-८-१९२४)	१
२ पत्र राधा गावीको (१६-८-१९२४)	१
३ मलावार सकट-निवारण (१७-८-१९२४)	२
८ शिक्षक और चरपेकी शिक्षा (१७-८-१९२४)	५
५ टिप्पणियाँ मौलाना शौकत अली काठियावाडमे, तकलीकी उपयोगिता, राष्ट्रीय स्कूलामे दण्ड-नीति, क्या वे राक्षम थे? , अन्त्यजोंके प्रति तिरस्कार, अन्त्यज स्कूलों की कमी, करुणाजनक, सहानुभूतिका अभाव, परदेशी बनाम स्वदेशी खाँड, काठियावाडमे खादी-प्रचार, अमरेली खादी-कार्यालय (१७-९-१९२४)	५
६ गावीजीके लिए या देशके लिए? (१७-८-१९२४)	११
७ क्षमा-प्रार्थना (१७-८-१९२४)	१२
८ पत्र अजमेरके यातायात अवोक्षकको (१८-८-१९२४)	१२
९ तार एन० एच० वेलगांववालाको (१९-८-१९२४ या उसके पश्चात्)	१४
१० टिप्पणियाँ पहली किस्त, अली भाडयोका हिस्सा, आचार्य गिडवानी, मन्दिरोंकी पवित्रताका भंग, नेटालके भारतीय, केनियाका फैसला (२१-८-१९२४)	१४
११ बोलोजेविज्म या आत्म-संयम? (२१-८-१९२४)	१९
१२ शक्तिका अपव्यय? (२१-८-१९२४)	२१
१३ अन्त करणकी आडमे (२१-८-१९२४)	२४
१४ मार्गकी कठिनाइयाँ (२१-८-१९२४)	२६
१५ हृदयियोंकी सहानुभूति (२१-८-१९२४)	२८
१६ पत्र घनज्यामदास विडलाको (२१-८-१९२४)	२९
१७ पत्र घनज्यामदास विडलाको (२२-८-१९२४)	३०
१८ भेंट हिन्दू-मुस्लिम एकतापर (२२-८-१९२४)	३१
१९ पत्र जमनालाल वजाजको (२३-८-१९२४)	३१
२० पत्र भवानी दयालको (२३-८-१९२४)	३२
२१ पत्र अक्बास तैयबजीको (२३-८-१९२४)	३२
२२ भाषण मजदूरोंकी सभा, अहमदाबादमे (२३-८-१९२४)	३३
२३ पहली परीक्षा (२४-८-१९२४)	३३

२४	टिप्पणियाँ वध्या पार्लियामेंट, अन्तरात्माकी पुकार (२४-८-१९२४)	३६
२५	पत्र च० राजगोपालाचारीको (२४-८-१९२४)	३७
२६	पत्र सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (२५-८-१९२४ से पूर्व)	३९
२७	पत्र सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (२५-८-१९२४)	४०
२८	पत्र घनश्यामदास विडलाको (२५-८-१९२४)	४१
२९	भाषण अहमदाबाद नगरपालिकाके अभिनन्दनके उत्तरमे (२६-८-१९२४)	४१
३०	पत्र अब्दुल मजीदको (२७-८-१९२४)	४३
३१	टिप्पणियाँ लॉर्ड लिटनको सफाई, अधीनताका विल्ला, मिलकी खादी, विदेशोमे रहनेवाले भारतीय, ध्यान दीजिए (२८-८-१९२४)	४४
३२	गुलवर्गाका पागलपन (२८-८-१९२४)	४८
३३	आँकडोपर विचार (२८-८-१९२४)	५१
३४	दो पहलू (२८-८-१९२४)	५२
३५	दक्षिण भारतके वाढ-पीडितोको सहायता (२८-८-१९२४)	५५
३६	भाषण बम्बई-निगमके अभिनन्दनके उत्तरमे (२९-८-१९२४)	५५
३७	पत्र मोतीलाल नेहरूको (३०-८-१९२४)	५६
३८	वक्तव्य राष्ट्रीय एकताके वारेमे (३१-८-१९२४)	५८
३९	भाषण एक्सेल्सियर थियेटर, बम्बईमे (३१-८-१९२४)	५९
४०	भाषण बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमे (३१-८-१९२४)	६६
४१	पत्र वाइकोम सत्याग्रह आश्रमके मन्त्रीको (१-९-१९२४)	६७
४२	पत्र शुएव कुरैगीको (१-९-१९२४)	६७
४३	पत्र बम्बईके यातायात महाप्रबन्धकको (१-९-१९२४ या उसके पश्चात्)	६८
४४	पत्र मोतीलाल नेहरूको (२-९-१९२४)	६८
४५	पत्र एक मित्रको (२-९-१९२४)	६९
४६	पत्र कान्ति गाधीको (२-९-१९२४)	७०
४७	भाषण नेशनल मैडिकल कालेज, बम्बईमे (२-९-१९२४)	७०
४८	भाषण कांग्रेस कमेटीकी बैठकमे (२-९-१९२४)	७१
४९	तार मोतीलाल नेहरूको (२-९-१९२४ या उसके पश्चात्)	७१
५०.	पत्र सन्तोका गाधीको (३-९-१९२४)	७२
५१	अविस्मरणीय (४-९-१९२४)	७३
५२	बम्बईका खादी-भण्डार (४-९-१९२४)	७७
५३	वनारसमे कताई (४-९-१९२४)	७७
५४	पतितोके लिए (४-९-१९२४)	७९
५५	टिप्पणियाँ न्यूनतम समान कार्यक्रम, कब खत्म होगी ? , सभापतिके वारेमें ? फिर नागपुर, आन्ध्रमे प्रगति (४-९-१९२४)	८०
५६	कसौटीपर (४-९-१९२४)	८५
५७	जेलके अनुभव - ११ (४-९-१९२४)	८८
५८	भाषण . पूनाकी सार्वजनिक सभामे (४-९-१९२४)	९४

५९ भाषण तिलक महाविद्यालय, पूनाके दीक्षान्त समारोहमे (४-९-१९२४)	९६
६० पूनाके कार्यकर्ताओंके साथ चर्चा (६-९-१९२४)	९७
६१ भाषण सूरतके कांग्रेसी कार्यकर्ताओंके समक्ष (५-९-१९२४)	९९
६२ भाषण सूरतको सार्वजनिक मभामे (५-९-१९२४)	९९
६३ मन्देश 'मांज वर्तमान'को (६-९-१९२४ से पूर्व)	१०१
६४ तार पण्डित मदनमोहन मालवीयको (६-९-१९२४)	१०२
६५ तार मुहम्मद अलीको (६-९-१९२४)	१०२
६६ पत्र गंगाराम दामको (६-९-१९२४)	१०३
६७ पत्र मोतीलाल नेहरूको (६-९-१९२४)	१०३
६८ पत्र जवाहरलाल नेहरूको (६-९-१९२४)	१०४
६९ पत्र चन्द्रती गजगोपालाचार्यको (६-९-१९२४)	१०५
७० पत्र जमनालाल बजाजको (६-९-१९२४)	१०६
७१ टिप्पणी गादी प्रचार (७-९-१९२४)	१०७
७२ नूतनी जांच (७-९-१९२४)	१०८
७३ दादाभाई नौरोजीकी जयन्ती (७-९-१९२४)	१०९
७४ बन्धुकी उदारता (७-९-१९२४)	१११
७५ दो प्राचीन पुस्तके (७-९-१९२४)	११२
७६ पत्र कनिष्कके राजा गहवको (७-९-१९२४)	११३
७७ पत्र मुहम्मद अलीको (८-९-१९२४)	११३
७८ पत्र मतीशचन्द्र मुखर्जीको (८-९-१९२४)	११५
७९ पत्र वसुमती पण्डितकी (८-९-१९२४)	११६
८० पत्र आनन्दानन्दको (८-९-१९२४)	११७
८१ पत्र जमनालाल बजाजको (१०-९-१९२४)	११८
८२ पत्र मथुरादाम त्रिकुमजीकी (१०-९-१९२४)	११८
८३ पत्र तारामती मथुरादासकी (१०-९-१९२४)	११९
८४ टिप्पणियाँ आगामो १५ तारीख, कुछ और आँकड़े, प्रतिनिधियोंके अतिरिक्त, योग्य कार्य, वाडकोम-मत्याग्रह, राष्ट्रीय स्वयमेवक, एक भट्टी तुलना, अमन्तोपजनक उत्तर, अनुकरणीय उदाहरण, कांग्रेसियों द्वारा जालमाजों (११-९-१९२४)	११९
८५ वास्तविकताएँ (११-९-१९२४)	१२७
८६ जेलके अनुभव - ११ [चालू] (११-९-१९२४)	१३३
८७ पत्र एक मित्रको (११-९-१९२४)	१३७
८८ पत्र इन्द्र विद्यावाचस्पतिकी (११-९-१९२४)	१३८
८९ तार कृष्णदामकी (१२-९-१९२४ से पूर्व)	१३९
९०. तार बालमुकुन्द बाजपेयीकी (१२-९-१९२४)	१३९
९१ तार अट्टल वारीकी (१२-९-१९२४)	१३९



## अठारह

९२	पत्र चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (१३-९-१९२४)	१४०
९३	पत्र फूलचन्द शाहको (१३-९-१९२४)	१४०
९४	पत्र राधा गाधीको (१३-९-१९२४)	१४१
९५	पत्र मन्मुखरायको (१३-९-१९२४)	१४२
९६	पत्र शरद् कुमार घोषको (१३-९-१९२४ के पश्चात्)	१४२
९७	हिन्दू-मुस्लिम एकता (१४-९-१९२४)	१४३
९८	असफलताके कारण (१४-९-१९२४)	१४७
९९	टिप्पणियाँ कातनेवालोको निर्देश, काठियावाडियोसे क्षमायाचना, प्रचार कैसे करे?, बुनाईके कामसे कमाई (१४-९-१९२४)	१५२
१००	पत्र एनी बेसेटको (१४-९-१९२४)	१५४
१०१	पत्र आनन्दानन्दको (१४-९-१९२४ या उसके पश्चात्)	१५५
१०२	तार अब्दुल वारीको (१४-९-१९२४ के पश्चात्)	१५६
१०३	टिप्पणी आधी रातका कतैया (१५-९-१९२४')	१५६
१०४	पत्र जवाहरलाल नेहरूको (१५-९-१९२४)	१५७
१०५	पत्र चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (१५-९-१९२४)	१५८
१०६	भाषण 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिल्लीके उद्घाटन-समारोहके अवसरपर (१५-९-१९२४)	१५९
१०७	तार जमनादास द्वारकादास को (१५-९-१९२४ या उसके पश्चात्)	१६०
१०८	सन्देश लाहौरके 'हिन्दू' को (१५-९-१९२४ या उसके पश्चात्)	१६०
१०९	पत्र वल्लभभाई पटेलको (१६-९-१९२४)	१६१
११०	टिप्पणियाँ किसी कांग्रेसीका सम्बन्ध नहीं, किसीके जरिये नहीं (१७-९-१९२४)	१६१
१११	जेलके अनुभव — ११ [चालू] (१७-९-१९२४ से पूर्व)	१६३
११२	पत्र मुहम्मद अलीको (१७-९-१९२४)	१६६
११३	मौन-दिवसकी टीप (१७-९-१९२४)	१६६
११४	पत्र सी० एक० एन्ड्र्यूजको (१७-९-१९२४)	१६७
११५	पत्र मोतीलाल नेहरूको (१७-९-१९२४)	१६८
११६	पत्र मथुरादास त्रिकमजीको (१७-९-१९२४)	१६८
११७	पत्र वसुमती पण्डितको (१७-९-१९२४)	१६९
११८	पत्र रुक्मिणी गाधीको (१७-९-१९२४)	१६९
११९	पत्र सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (१८-९-१९२४ से पूर्व)	१७०
१२०	टिप्पणियाँ डा० एनी बेसेटकी घोषणा, स्थगित किया जा रहा है या रद्द?, हृदयकी एकता, वाइकोम-सत्याग्रह, दक्षिण भारतके लिए महायता, अपने प्रान्तका गर्व (१८-९-१९२४)	१७१
१२१	मवसे बडा प्रश्न (१८-९-१९२४)	१७७
१२२	स्पष्टीकरण (१८-९-१९२४)	१८२
१२३	गाधीजीका खुलासा (१८-९-१९२४)	१८४

१२४	पत्र एनी बेसेटको (१८-९-१९२४)	१८५
१२५	पत्र मी० एफ० एन्ड्र्यूजको (१८-९-१९२४)	१८५
१२६	पत्र राधा गाधीको (१८-९-१९२४)	१८६
१२७	महादेव देमाईके माथ बातचीत (१८-९-१९२४)	१८७
१२८	तार चक्रवर्ती राजगोपालाचारिको (१८-९-१९२४ या उसके पश्चात्)	१८९
१२९	तार (१८-९-१९२४ के पश्चात्)	१८९
१३०	ईश्वर एक है (१९-९-१९२४)	१९०
१३१	पत्र जवाहरलाल नेहरूको (१९-९-१९२४)	१९३
१३२	पत्र लक्ष्मीको (१९-९-१९२४)	१९३
१३३	शोकित अलीसे बातचीत (१९-९-१९२४)	१९४
१३४	तार 'आउट लुक' को (१९-९-१९२४ या उसके पश्चात्)	१९८
१३५	टिप्पणियाँ कताईमे मागिक बढती, मभापतिकी तरफसे इनाम (२०-९-१९२८)	१९८
१३६	पत्र बी० एम० श्रीनिवास शास्त्रीको (२०-९-१९२४)	२००
१३७	पत्र वसुमती पण्डितको (२०-९-१९२४)	२००
१३८	टिप्पणी निराग नही, अमहाय (२१-९-१९२४)	२०१
१३९	आगे घटेका अभ्यास (२१-९-१९२४)	२०२
१४०	उनके प्रति हमारा कर्त्तव्य (२१-९-१९२४)	२०४
१४१	धर्मके लिए "अधर्म" (२१-९-१९२४)	२०६
१४२	'नवजीवन' के पाठकोसे (२१-९-१९२४)	२०७
१४३	श्रद्धाकी परीक्षा (२१-९-१९२४)	२०७
१४४	पत्र हरनाम सिंहको (२१-९-१९२४)	२०९
१४५	पत्र अन्नास तैयवजीको (२१-९-१९२४)	२१०
१४६	पत्र देवदास गाधीको (२१-९-१९२४)	२१०
१४७	पत्र गगावहन वैद्यको (२१-९-१९२४)	२११
१४८	पत्र तुलसी मेहरको (२१-९-१९२४)	२११
१४९	उपवामकी कहानी (२२-९-१९२४)	२१२
१५०	टिप्पणी पाठकोको सूचना (२२-९-१९२४)	२१६
१५१	तार एम० श्रीनिवास आध्यगारको (२२-९-१९२५)	२१७
१५२	पत्र मरलादेवी चौधरानीको (२२-९-१९२४)	२१७
१५३	काम नही तो राग नही (२३-९-१९२४)	२१७
१५४	तार मु० रा० जयकरको (२३-९-१९२४)	२२०
१५५	तार कुम्भकोणम् काग्रेस कमेटीको (२३-९-१९२४)	२२१
१५६	पत्र सतीशचन्द्र मुर्वर्जाको (२३-९-१९२४)	२२१
१५७	पाठकोसे (२४-९-१९२४)	२२२
१५८	पत्र मरलादेवी चौधरानीको (२४-९-१९२४)	२२४

१५९	वक्तव्य समाचारपत्रोको (२४-९-१९२४)	२२४
१६०	टिप्पणियाँ एक मित्रका निवन, अमानुषिक व्यवहार (२५-९-१९२४)	२२५
१६१	तार घनश्यामदास विडलाको (२५-९-१९२४)	२२८
१६२	पत्र मणिवहन पटेलको (२६-९-१९२४)	२२८
१६३	हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी प्रस्तावका मसविदा (२७-९-१९२४)	२२९
१६४	पत्र मोतीलाल नेहरूको (२७-९-१९२४)	२३०
१६५	पत्र नरहरि परीखको (२८-९-१९२४)	२३२
१६६	हृदय-परिवर्तन (२९-९-१९२४)	२३२
१६७	पत्र . श्रीमती हाँजकिन्सनको (३०-९-१९२४)	२३३
१६८	सन्देश 'गुणमुन्दरी' को (अक्तूबर १९२४)	२३३
१६९	सन्देश एनी बेसेटके जन्म-दिवसपर (१-१०-१९२४)	२३४
१७०	बम्बईके महिला-गिण्टमण्डलको उत्तर (१-१०-१९२४)	२३५
१७१	क्या गुजरात हार जायेगा ? (१-१०-१९२४)	२३५
१७२	सन्देश अन्तर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलनको (२-१०-१९२४से पूर्व)	२३६
१७३	भाई परमानन्दके सन्देशका उत्तर (२-१०-१९२४)	२३६
१७४	टिप्पणी मैं मुसलमान क्यों नहीं होता (५-१०-१९२४)	२३७
१७५	पत्र जमनादास गावीको (५-१०-१९२४)	२३८
१७६	मेरा अवलम्ब (६-१०-१९२४)	२३८
१७७	पत्र ना० मो० खरेको (७-१०-१९२४)	२३९
१७८	वक्तव्य उपवास तोडनेके पूर्व (८-१०-१९२४)	२४०
१७९	तपकी महिमा (८-१०-१९२४)	२४१
१८०	तार मथुरादाम त्रिकमजीको (८-१०-१९२४)	२४१
१८१	पत्र मुहम्मद अलीको (८-१०-१९२४)	२४२
१८२	सन्देश 'स्टेट्समैन' को (९-१०-१९२४ से पूर्व)	२४२
१८३	सन्देश अखबारोको (९-१०-१९२४)	२४३
१८४	पत्र शान्तिकुमार मोरारजीको (११-१०-१९२४)	२४३
१८५	पत्र घनश्यामदास विडलाको (१४-१०-१९२४)	२४४
१८६	पत्र स्वामी श्रद्धानन्दको (१४-१०-१९२४)	२४५
१८७	असहयोगीका कर्तव्य (१५-१०-१९२४)	२४५
१८८	पत्र गगावहन वैद्यको (१५-१०-१९२४)	२४६
१८९	एन्ड्र्यूजके साथ वातचीत (१५-१०-१९२४)	२४७
१९०	गगावहन वैद्यके लिए पुस्तकोके सम्बन्धमे टिप्पणी (१५-१०-१९२४के पश्चात्)	२५२
१९१	कताई मदम्यता (१६-१०-१९२४)	२५३
१९२	इलाहाबाद और जबलपुर (१६-१०-१९२४)	२५४
१९३	गुरुकुल काँगड़ी (१६-१०-१९२४)	२५४

इक्कीस

१९४	पत्र वाइसरायके निजी सचिवको (१६-१०-१९२४)	२५४
१९५	गयाजा हगन निजामीके साथ वानचीन (१६-१०-१९२४ के आसपाम)	२५५
१९६	तार मोतीलाल नेहरूको (१७-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२५७
१९७	तार गाहजो जहमद अलीको (१७-१०-१९२५ या उसके पश्चात्)	२५७
१९८	तार डा० बी० एस० मुजेको (१७-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२५८
१९९	पत्र एनी बेसेंटको (१८-१०-१९२४)	२५८
२००	तार मोतीलाल नेहरूको (१९-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२५९
२०१	तार चित्तरजन दामको (१९-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२५९
२०२	एक गान्ता (२०-१०-१९२४)	२५९
२०३	गन्देश ट्रान्ग्मालके भारतीयोंको (२०-१०-१९२४)	२६१
२०४	पत्र नी० एफ० एन्ड्रूजको (२०-१०-१९२४)	२६१
२०५	तार पोलीभीत काग्रेम कमेटीके मन्त्रीको (२०-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२६२
२०६	तार मोतीलाल नेहरूको (२०-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२६२
२०७	तार डा० बी० एस० मुजेको (२१-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२६३
२०८	तार अबुल कलाम आजादको (२१-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२६३
२०९	तार मोतीलाल नेहरूको (२१-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२६३
२१०	तार पोलीभीत काग्रेम कमेटीके मन्त्रीको (२१-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२६४
२११	तार कोण्टा वेकटर्पैयाको (२१-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२६४
२१२	जी० रामचन्द्रनूके साथ वातचीत (२१ व २२-१०-१९२४)	२६४
२१३	पत्र वगुमती पण्डितको (२२-१०-१९२४)	२७४
२१४	पत्र डाह्याभार्ड एम० पटेलको (२२-१०-१९२४)	२७५
२१५	पत्र मयुगदाम त्रिकुमजीको (२२-१०-१९२४)	२७६
२१६	पत्र ना० मो० खरेको (२२-१०-१९२४)	२७६
२१७	तार चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (२२-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२७७
२१८	प्रेमका नियम (२३-१०-१९२४)	२७७
२१९	तार अबुल कलाम आजादको (२३-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२७९
२२०	तार वाइसरायके निजी सचिवको (२४-१०-१९२४)	२८०
२२१	पत्र सी० एफ० एन्ड्रूजको (२५-१०-१९२४)	२८०
२२२	हिन्दू और मुसलमान (२५-१०-१९२४)	२८१
२२३	तार वाइसरायके निजी सचिवका (२७-१०-१९२४)	२८२
२२४	पत्र लाला लाजपतरायको (२७-१०-१९२४)	२८३
२२५	पत्र देवदाम गाधीको (२७-१०-१९२४)	२८४
२२६	तार अबुल कलाम आजादको (२७-१०-१९२४ या उसके पश्चात्)	२८४
२२७	तार वाइसरायके निजी सचिवको (२८-१०-१९२४)	२८५
२२८	पत्र लाला लाजपतरायको (२८-१०-१९२४)	२८६

वाईस

२२९ पत्र वसुमती पण्डितको (२९-१०-१९२४)	२८६
२३० सन्देश सयुक्त प्रान्त राजनीतिक परिपद्, गोरखपुरको (३०-१०-१९२४)	२८७
२३१. पत्र मोतीलाल नेहरूको (३०-१०-१९२४)	२८८
२३२ पत्र गगावहन वैद्यको (३०-१०-१९२४)	२९०
२३३. पत्र . देवदास गाधीको (३०-१०-१९२४)	२९०
२३४ पत्र मणिवहन पटेलको (३०-१०-१९२४)	२९१
२३५. दो दृश्य (३१-१०-१९२४)	२९१
२३६ हितोका संघर्ष (३१-१०-१९२४)	२९३
२३७ सफलताकी कुजी (३१-१०-१९२४)	२९६
२३८ मन्देश गुजराती पत्रकारोको (२-११-१९२४)	२९८
२३९ मेरा असन्तोष (२-११-१९२४)	२९९
२४० टिप्पणी . गुजरात नही हारा (२-११-१९२४)	३००
२४१ तार चित्तरजन दासको (२-११-१९२४)	३०१
२४२. तार धनश्यामदास विडलाको (२-११-१९२४)	३०१
२४३ सन्देश 'वगाली' को	३०२
२४४ पत्र हिन्दी साहित्य सम्मेलनका (३-११-१९२४)	३०२
२४५ तार हिन्दी साहित्य सम्मेलनको (३-११-१९२४के पश्चात्)	३०२
२४६ तार जफर अली खॉको (५-११-१९२४ या उसके पश्चात्)	३०३
२४७ समयकी पावन्दी (६-११-१९२४)	३०३
२४८ टिप्पणी अध्यक्षीय पुरस्कार (६-११-१९२४)	३०४
२४९. केनियाकी गिकायत (६-११-१९२४)	३०५
२५० गाधीजी और स्वराज्यवादियोका सयुक्त वक्तव्य (६-११-१९२४)	३०७
२५१ भाषण : कलकत्ता नगर-निगम द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमे (६-११-१९२४)	३०८
२५२ भाषण कलकत्ताके कताई-प्रदर्शनमे (६-११-१९२४)	३१०
२५३. अपरिवर्तनवादियोके साथ वातचीत (७-११-१९२४)	३१०
२५४ भाषण : हावडा नगरपालिका द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमे (७-११-१९२४)	३१४
२५५ भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसे (७-११-१९२४)	३१५
२५६ समयका मूल्य (९-११-१९२४)	३१६
२५७ पत्र सतीश चन्द्र मुखर्जीको (९-११-१९२४)	३१८
२५८ पत्र कृष्णोदासको (९-११-१९२४)	३१९
२५९ भेट . एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसे (१०-११-१९२४)	३१९
२६० पत्र मुहम्मद अलीको (११-११-१९२४)	३२१
२६१ पत्र फूलचन्द गाहको (११-११-१९२४)	३२२
२६२ पत्र लक्ष्मीको (११-११-१९२४)	३२२
२६३. तार . वी० मुद्रहाण्यमको (११-११-१९२४ के पश्चात्)	३२३

२६४	पत्र वी० एस० श्रीनिवास गास्नीको (१२-११-१९२४)	३२३
२६५	पत्र जवाहरलाल नेहरूको (१२-११-१९२४)	३२४
२६६	पत्र गुएत्र कुरैशीको (१२-११-१९२४)	३२५
२६७	पत्र लाला लाजपतरायको (१२-११-१९२४)	३२६
२६८	पत्र शान्ति कुमार मोरारजीको (१२-११-१९२४)	३२८
२६९	पत्र वसुमती पण्डितको (१२-११-१९२४)	३२८
२७०	तार अबुल कलाम आजादको (१२-११-१९२४ या उसके पश्चात्)	३२९
२७१	समझौता (१३-११-१९२४)	३२९
२७२	नमजोतेपर टिप्पणियाँ (१३-११-१९२४)	३३४
२७३	टिप्पणियाँ राष्ट्र ऋण, राष्ट्रीय शक्ति (१३-१९२४)	३३८
२७४	सम्मति माँडन स्कूलको दर्जाक-पुस्तिकामे (१३-११-१९२४)	३३९
२७५	पत्र कर्नल मेलको (१३-११-१९२४)	३४०
२७६	पत्र रोमां रोलांको (१३-११-१९२४)	३४१
२७७	भाषण गमजम कालेज, दिल्लीमे (१३-११-१९२४)	३४१
२७८	पत्र मगनलाल गाधीको (१३-११-१९२४ के पश्चात्)	३४३
२७९	मन्देश 'वर्ल्ड टुमार्गे' को (१४-११-१९२४)	३४३
२८०	पत्र आर० जर्माको (१४-११-१९२४)	३४४
२८१	पत्र काका कालेलकरको (१४-११-१९२४)	३४५
२८२	पत्र चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (१५-११-१९२४)	३४५
२८३	पत्र जीवतराम वी० कृपलानीको (१५-११-१९२४)	३४६
२८४	पत्र स्वामीजीको (१५-११-१९२४)	३४७
२८५	पत्र जवाहरलाल नेहरूको (१६-११-१९२४)	३४८
२८६	वक्तव्य कोहाटके प्रश्नपर (१६-११-१९२४)	३४८
२८७	मन्देश तमिलनाड परिषद्, तिरुवन्नामलर्डको (१७-११-१९२४ से पूर्व)	३४९
२८८	पत्र सतीशचन्द्र मुखर्जीको (१७-११-१९२४)	३५०
२८९	पत्र लाजपतरायको (१७-११-१९२४)	३५१
२९०	पत्र अमीरचन्द सी० बम्बवालको (१८-११-१९२४ से पूर्व)	३५१
२९१	पत्र कनिकाके राजाको (१८-११-१९२४)	३५३
२९२	टिप्पणियाँ वी-अम्मर्मा, स्वर्गीय पारमी रस्तमजी, अन्वविश्वासपूर्ण रिवाज, आगामी पञ्जाब सम्मेलन (२०-११-१९२४)	३५४
२९३	कमीटीपर (२०-११-१९२४)	३५७
२९४	सन्देश 'बॉम्बे क्रॉनिकल' को (२१-११-१९२४ से पूर्व)	३६०
२९५	भाषण कांग्रेस कार्य समितिकी बैठकमे (२१-११-१९२४)	३६१
२९६	भाषण सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमे (२१-११-१९२४)	३६२
२९७	भाषण सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमे (२१-११-१९२४)	३६४
२९८	भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिविसे, (२१-११-१९२४)	३६४

## चीवीस

२९९	भाषण सर्वदलीय सम्मेलन, वम्बईमे (२२-११-१९२४)	३६५
३००	एककी सो देशकी (२३-११-१९२४)	३६६
३०१	गुजरातका धर्म (२३-११-१९२४)	३६८
३०२	विद्यार्थी क्या करे ? (२३-११-१९२४)	३७०
३०३	भाषण अ० भा० कांग्रेस कमेटी, वम्बईमे (२३-११-१९२४)	३७२
३०४	भाषण शोक सभामे (२३-१२-१९२४)	३७८
३०५	तार ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२४-११-१९२४)	३७९
३०६	पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२४-११-१९२४)	३८०
३०७	ईश्वर हम सबकी सहायता करे ! (२६-११-१९२४)	३८०
३०८	पत्र सतीशचन्द्र मुखर्जीको (२६-११-१९२४)	३८३
३०९	पत्र सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (२६-११-१९२४)	३८३
३१०	पत्र वाबू भगवानदासको (२६-११-१९२४ या उसके पश्चात्)	३८४
३११	क्या हममे एकता होगी ? (२७-११-१९२४)	३८५
३१२	अपरिवर्तनवादियोंकी दशा (२७-११-१९२४)	३८९
३१३	टिप्पणियाँ यदि मैं वाडसराय होता, एक गलतफहमी (२७-११-१९२४)	३९१
३१४	राष्ट्रवादके सम्बन्धमे सचाई (२७-११-१९२४)	३९३
३१५	पत्र छगनलाल गाधीको (२७-११-१९२४ के पश्चात्)	३९४
३१६	तार जवाहरलाल नेहरूको (२८-११-१९२४)	३९५
३१७	तार डा० सत्यपालको (२९-११-१९२४ या उसके पश्चात्)	३९५
३१८	तार अबुल कलाम आजादको (२९-११-१९२४ या उसके पश्चात्)	३९६
३१९	टिप्पणियाँ बी-अम्माँ, पारसी रुस्तमजी (३०-११-१९२४)	३९६
३२०	विगेव्री मित्र (३०-११-१९२४)	४००
३२१	अब क्या करे ? (३०-११-१९२४)	४०२
३२२	विविध विषय (३०-११-१९२४)	४०३
३२३	भाषण -गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठ, अहमदावादमे (३०-११-१९२४)	४०४
३२४	पत्र मगनलाल गाधीको (१-१२-१९२४ से पूर्व)	४०५
३२५	पत्र मगनलाल गाधीको (१-१२-१९२४)	४०६
३२६	पत्र रमावाई पट्टणीको (१-१२-१९२४)	४०७
३२७	पत्र प्रभाशकर पट्टणीको (२-१२-१९२४)	४०८
३२८	पत्र अन्वास तैयबजीको (२-१२-१९२४)	४०८
३२९	टिप्पणियाँ वेलगाँवमे, अड्यारमे हाथ-कताई, विश्वासघात ? , एक बडी चूक, प्रागजी देसाई, दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय, कताई बलब, शिक्षाके बारेमे बडो दादाके विचार (४-१२-१९२४)	४०९
३३०	ध्वजको झुकाया तक नहीं (८-१२-१९२८)	८१४
३३१	स्वगित कर या त्याग द ? (४-१२-१९२८)	८१९
३३२	राजद्रोहात्मक क्रिमे कहे ? (८-१२-१९२४)	४२०

पचीस

३३३	फीजीकी वह रिपोर्ट (४-१२-१९२४)	४२२
३३४	पत्र कर्नल मरेको (४-१२-१९२४ के आसपास)	४२३
३३५	क्या अस्पृश्यताका वचाव हो सकता है? (५-१२-१९२४)	४२३
३३६	केनियাকে हैरी युक् (५-१२-१९२४)	४२४
३३७	पत्र सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (५-१२-१९२४)	४२५
३३८	भाषण अमृतसरके स्वर्ण मन्दिरमे (५-१२-१९२४)	४२६
३३९	भाषण अमृतसरकी सार्वजनिक सभामे (५-१२-१९२४)	४२७
३४०	भाषण अमृतसरके खिलाफत सम्मेलनमे (६-१२-१९२४)	४२९
३४१	दीक्षान्त भाषण पजाव कोमी विद्यापीठमे (६-१२-१९२४)	४३०
३४२	तेरह आदेश (७-१२-१९२४)	४३४
३४३	किस आशासे? (७-१२-१९२४)	४३५
३४४	कपास वचाओ (७-१२-१९२४)	४३७
३४५	अध्यक्षीय भाषण पजाव प्रान्तीय सम्मेलनमे (७-१२-१९२४)	४३८
३४६	भाषण पजाव प्रान्तीय सम्मेलनमे (७-१२-१९२४)	४४१
३४७	भाषण रावलपिंडीमे (९-१२-१९२४)	४४२
३४८	मेरी पजाव यात्रा (११-१२-१९२४)	४४४
३४९	एक चेतावनी (११-१२-१९२४)	४५१
३५०	मेरा पथ (११-१२-१९२४)	४५२
३५१	कला और राष्ट्रीय विकास (११-१२-१९२४)	४५४
३५२	भेट 'ट्रिव्यून' के प्रतिनिधिसे (११-१२-१९२४)	४५५
३५३	प्रस्तावना 'श्री रामकृष्णकी जीवनी' की (१२-१२-१९२४)	४५८
३५४	पाटीदार और अन्त्यज (१४-१२-१९२४)	४५८
३५५	पत्र ए० वरदन्को (१४-१२-१९२४)	४६०
३५६	पत्र प्रभाशकर पट्टणीको (१४-१२-१९२४)	४६०
३५७	पत्र मथुरादास त्रिकमजीको (१४-१२-१९२४)	४६१
३५८	वक्तव्य समाचारपत्रोंको (१४-१२-१९२४)	४६१
३५९	पत्र कुँवरजी विट्ठलभाई मेहताको (१५-१२-१९२४)	४६२
३६०	पत्र प्रभाशकर पट्टणीको (१६-१२-१९२४)	४६२
३६१	पत्र भगवानजी अनूपचन्द मोदीको (१६-१२-१९२४)	४६३
३६२	सन्देश देवचन्द पारेखको (१५-१२-१९२४के पश्चात्)	४६३
३६३	पत्र जी० ए० नटेशनको (१७-१२-१९२४)	४६५
३६४	पत्र डाह्याभाई म० पटेलको (१७-१२-१९२४)	४६५
३६५	पत्र 'फारवर्ड' को (१७-१२-१९२४ के आसपास)	४६६
३६६	टिप्पणियाँ क्या लालाजी भीरु हैं?, हत्या कब उचित है?, फिर अपरिवर्तनवादी, सबको आना चाहिए (१८-१२-१९२४)	४६६
३६७	कोहाटका दुःकाण्ड (१८-१२-१९२४)	४७०



छव्वीस

३६८	देशभक्तिके आवेशमे पागलपन (१८-१२-१९२४)	४७३
३६९	पत्र सी० एफ० एन्ड्रयूजको (१८-१२-१९२४)	४७५
३७०	पत्र वि० ल० फडकेको (१८-१२-१९२४)	४७५
३७१	पत्र प्रभाणकर पट्टणीको (१८-१२-१९२४)	४७६
३७२	असहयोगी विद्यार्थी (२१-१२-१९२४)	४७६
३७३	भाषण अपरिवर्तनवादियोके समक्ष (२१-१२-१९२४)	४७९
३७४	भाषण मानपत्रोके उत्तरमे (२१-१२-१९२४)	४८१
३७५	अहरमज्द और अहरमन (२२-१२-१९२४)	४८२
३७६	भाषण बेलगाँव कांग्रेसकी विषय-समित्तमे (२३-१२-१९२४)	४८४
३७७	वक्तव्य बेलगाँवमे कांग्रेसकी फिजूलखर्चीपर (२५-१२-१९२४)	४८५
३७८	भाषण बेलगाँव कांग्रेसकी विषय समित्तमे (२५-१२-१९२४)	४८६
३७९	तार अनन्तरामको (२६-१२-१९२४ से पूर्व)	४९३
३८०	टिप्पणियाँ नपी-तुली वात, दो मानपत्र, दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय, एक नमूना (२६-१२-१९२४)	४९३
३८१.	उद्घाटन भाषण बेलगाँव कांग्रेसमे (२६-१२-१९२४)	४९७
३८२.	अध्यक्षीय भाषण बेलगाँव कांग्रेसमे (२६-१२-१९२४)	५०४
३८३	भाषण बेलगाँव कांग्रेसमे गोक-प्रस्तावपर (२६-१२-१९२४)	५२५
३८४	प्रस्ताव कलकत्ता-समझौते तथा कताई-सदस्यताके बारेमे (२६-१२-१९२४)	५२६
३८५	भाषण . कलकत्ता समझौतेपर (२६-१२-१९२४)	५२९
३८६.	भाषण अ० भा० छात्र सम्मेलन, बेलगाँवमे (२७-१२-१९२४)	५३२
३८७	भाषण बेलगाँव कांग्रेसमे शोक-प्रस्तावपर (२७-१२-१९२४)	५३२
३८८	प्रस्ताव सरोजिनी नायडूकी सराहनामे (२७-१२-१९२४)	५३३
३८९	भाषण कोहाट और गुलवर्गाके दगोमे सम्बन्धित प्रस्तावपर (२७-१२-१९२४)	५३४
३९०	भाषण अस्पृश्यता-सम्बन्धी प्रस्तावपर (२७-१२-१९२४)	५३५
३९१.	भाषण बेलगाँव कांग्रेसमे (२७-१२-१९२४)	५३६
३९२.	भाषण एनी बेसेटके वक्तव्यपर (२७-१२-१९२४)	५३६
३९३	प्रस्ताव बेलगाँव कांग्रेसमे (२७-१२-१९२४)	५३७
३९४	भाषण पदाधिकारियोसे सम्बन्धित प्रस्तावपर (२७-१२-१९२४)	५३९
३९५	भाषण कताई-प्रतियोगिताके सम्बन्धमे (२७-१२-१९२४)	५४०
३९६	समापन-भाषण बेलगाँव कांग्रेसमे (२७-१२-१९२४)	५४१
३९७	भाषण बेलगाँवकी अस्पृश्यता-परिपद्मे (२७-१२-१९२४)	५४५
३९८	भाषण गोरक्षा-परिपद्मे (२८-१२-१९२४)	५४९
३९९	भाषण अ० भा० देशी रियानत-परिपद्मे (३०-१२-१९२८)	५५५
४००	पत्र कुमारी नैटिगीन स्लेडको (३१-१२-१९२४)	५५७

सत्ताईस

४०१	भाषण अ० भा० मुस्लिम लीग अविवेशनमे (३१-१२-१९२४)	५५७
४०२	बेलगावके सस्मरण [-१] (१-१-१९२५)	५५८
४०३	कैसे करना चाहिए? (१-१-१९२५)	५६२
४०४	टिप्पणियाँ दो वादे, एक इनाम (१-१-१९२५)	५६४
४०५	बोलगेविज्मका अर्थ (१-१-१९२५)	५६५
४०६	पत्र न० चि० केलकरको (२-१-१९२५)	५६६
४०७	भाषण दाहोदकी सार्वजनिक सभामे (२-१-१९२५)	५६६
४०८	भाषण अन्तयज आश्रम गोवरामे (२-१-१९२५)	५६७
४०९	भाषण गोघराकी सार्वजनिक सभामे (२-१-१९२५)	५६९
४१०	काठियावाडियोसे (४-१-१९२५)	५७१
४११	मनमे और वेमनसे (४-१-१९२५)	५७२
४१२	पत्र रेहाना तैयबजीको (५-१-१९२५)	५७३
४१३	पत्र फूलचन्द गाहको (५-१-१९२५)	५७४
४१४	पत्र अवन्तिकावाई गोखलेको (५-१-१९२५)	५७४
४१५	पत्र कपिल ठक्करको (५-१-१९२५)	५७५
४१६	पत्र प्रभाशकर पट्टणीको (५-१-१९२५)	५७५
४१७	पत्र लक्ष्मीनिवास विडलाको (५-१-१९२५)	५७६
४१८	तार प्रभाशकर पट्टणीको (७-१-१९२५)	५७६
४१९	कार्य समिति (८-१-१९२५)	५७७
४२०	बेलगावके सस्मरण [-२] (८-१-१९२५)	५७८
४२१	टिप्पणियाँ प्रान्तीय कमेटियोके लिए, कतेयोसे, पुरस्कार-निबन्ध, गगीवी एक कारण (८-१-१९२५)	५८१
४२२	भाषण विषय समितिकी बैठकमे, (८-१-१९२५)	५८४
४२३	अध्यक्षीय भाषण काठियावाड राजनीतिक परिपद्मे (८-१-१९२५)	५८५
४२४	भाषण काठियावाड राजनीतिक परिपद्, भावनगरमे (८-१-१९२५)	५९९
४२५	समापन भाषण काठियावाड राजनीतिक परिपद्मे (९-१-१९२५)	६०४
४२६	भाषण शामलदास कालेज, भावनगरमे (९-१-१९२५)	६०९
४२७	स्वराज्यके व्यापारी (११-१-१९२५)	६१३
४२८	पत्र मथुरादास त्रिकमजीको (१२-१-१९२५)	६१५
४२९	पत्र देवचन्द पारेखको (१२-१-१९२५)	६१५
४३०	भाषण गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमे (१४-१-१९२५)	६१६
४३१	दीक्षान्त भाषण गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबादमे (१४-१-१९२५)	६१६
४३२	तार सुरेन्द्रनाथ विन्वासको (१५-१-१९२५ या उससे पूर्व)	६२१
४३३	मेरी आस्था (१५-१-१९२५)	६२२
४३४	नोटिस? (१५-१-१९२५)	६२२
४३५	शाबास! (१५-१-१९२५)	६२५

## अट्ठाईस

४३६	काठियावाड राजनीतिक परिपद् (१५-१-१९२५)	६२६
४३७	घूमता चक्र (१५-१-१९२५)	६२८
४३८	अब्राह्मण (१५-१-१९२५)	६२९
४३९	सदस्यताको नई शर्त कार्यान्वित करनेकी विधि (१५-१-१९२५)	६३०
४४०.	'भाषण खेडूत परिषद्मे (१५-१-१९२५)	६३४
परिशिष्ट		
१	वोलशेविज्मपर मानवेन्द्रनाथ रायके विचार	६३९
२	चरखेके सम्बन्धमे च० राजगोपालाचारीकी टिप्पणीका अश	६४४
	सामग्रीके साधन-सूत्र	६४५
	तारीखवार जीवन-वृत्तान्त	६४७
	शीर्षक-साकेतिका	६५२
	साकेतिका	६५७

## चित्र-सूची

उपवासके दिनोमे, बुधूपामे डॉ० जीवराज मेहता	मुखचित्र
"पत्र जवाहरलाल नेहरूको", (१९-९-२४)	पृष्ठ १९२ के सामने
उपवासके दिनोमे इन्दिराके साथ	" १९३ "

## १. पत्र : वसुमती पण्डितको

दिल्ली जाते हुए गाडीमे  
श्रावण बदी २ [ १६ अगस्त, १९२४ ]

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं यह पत्र दिल्ली जाते हुए गाडीमे लिख रहा हूँ। मेरे साथ देवदास, प्यारेलाल, महादेव और मजरअली है। मैं दो-चार दिनमे वापस आऊँगा। तुम अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना।

बापूके आशीर्वाद

चि० वसुमती

मार्फत दौलतराय काशीराम ऐड क०  
[ सूरत ]

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५४) से।  
सौजन्य वसुमती पण्डित

## २. पत्र : राधा गांधीको

शनिवार, श्रावण बदी २ [ १६ अगस्त, १९२४ ]<sup>१</sup>

चि० राधा,

तुम्हारा कार्ड और केशूके साथ भेजे हुए पत्र मिले। मैं यह पत्र गाडीमे लिख रहा हूँ। तुम्हे वह जगह अनुकूल आई है, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अहमदाबादका पानी कब्ज करता है। तुम दोनो बहनें जी भरकर और खुलकर घूमना-फिरना। उम्मीद है, मैं दिल्लीसे शुक्रवारको लौटूँगा। देवदास, प्यारेलाल और महादेव तीनों साथ हैं।

बापूके आशीर्वाद

चि० राधा

मार्फत वीरा शिवलाल करसनजी  
राजकोट शहर

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०२९) से।  
सौजन्य राधाबहन चौधरी

१ डाकखानेकी मुहरसे।

### ३. मलावार संकट-निवारण<sup>१</sup>

इस अपीलका उत्तर अपेक्षासे भी ज्यादा शीघ्रतासे मिला है, यह मुझे मानना पडेगा। ईश्वरका अनुग्रह है कि लोगोके दिलोमे दया-भाव है और यह बात एक बार नही बल्कि अनेक बार सावित हो चुकी है। इसके लिए अनेक सहायता-कोष आरम्भ हुए हैं। जिसको जिसमें देना ठीक जँचे वह उसमे चन्दा दे, किन्तु दे अवश्य, मेरी यही प्रार्थना है। मलावारके कष्टोकी कल्पना ही नही की जा सकती। मरनेकी आशा रखनेवाला मनुष्य जब जीता बच जाता है तब खुशीसे नाच उठता है। जीवित बच गया, यह नशा जबतक उसे रहता है तबतक उसे भूख-प्यास और गर्मी-सर्दीकी सुघ नहीं रहती। यही हालत मलावारके भाई-बहनोकी समझनी चाहिए। जो गये सो तो गये; जो बचे हैं वे जीवित बचनेके नशेमे खुश हैं। किन्तु ज्यो-ज्यो दिन जायेंगे त्यो-त्यो उनके कष्ट बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। हम ईश्वरके आगे पामर प्राणी हैं। अपनी मगरूरीमें चींटीको कुचलनेकी जितनी शक्ति हम अपने भीतर मानते हैं उससे हजारो गुनी शक्ति हमें चींटीकी तरह कुचल डालनेके लिए ईश्वरने अपने पास रखी है और मौका पडनेपर वह उसका उपयोग भी करता है। परन्तु उसकी हिंसा हिंसा नहीं होती, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। वह दयाका सागर है। उसके भेदको हम समझ नहीं सकते। इससे हम उसे कर्त्ता, भर्त्ता और सहर्त्ता मानते हैं। किन्तु वह न तो कर्त्ता है, न भर्त्ता है, न सहर्त्ता है। हम न जाने किस नियमके वशवर्ती होकर जन्मते हैं, जीते हैं और मरते हैं ?

कुछ भी हो, जबतक हम जीवित रहना चाहते हैं तबतक दूसरोके जीनेमें मदद करना हमारा सहज और अनिवार्य धर्म है।

पाठक यह पढकर खुश होंगे कि कुछ भाइयो और वहनोने एक जूनका खाना छोड दिया है, कुछने दूध पीना छोड दिया है और कुछने किसी दूसरी चीजका त्याग कर दिया है और ऐसा करते हुए जो वचत होती है उसे वे इस कोषमे दे देते हैं। बालक भी उसमें अपनी मर्जीसे शरीक हुए हैं। इससे भी अच्छी रकम मिलनेकी सम्भावना है। एक लडकीने तीन पैसे चुराकर रखे थे, वे भी इस कोषमें आये हैं। एक वहनने अपनी ठोस सोनेकी चार चूडियाँ और जजीर दी हैं। एक और वहनने अपनी वजनदार कण्ठी दी है। एक लडकेने अपनी सोनेकी वाली दी हैं। एक वहनने अपने चाँदीके कडे दिये हैं और एकने पैरके अँगूठेके दो छरले दिये हैं। एक अन्त्यज लडकीने अपनी इच्छासे अपने पैरकी तोडियाँ दी हैं। एक नवयुवकने अपने कफोके सोनेके बटन दिये हैं।

१. यह सहायता कोषके सम्बन्धमें पेशी ही एक अपील यंग हँडियामें छपी थी, देखिए खण्ड २४,

आजतक नकद रकम ६,९९४ रु०, १३ आ०, ३ पा०, आये है। (देखें, अन्तिम पृष्ठ)। बम्बईकी शाखामे नीचे लिखे अनुसार रकम आई है

एक सज्जन ५ रु०, डाह्यालाल हरिवल्लभ जोशी १० रु०, विव्वेश्वर मणिलाल १०१ रु०, एक सज्जन १ रु०।

मुझे आशा है कि यह रकम जिस प्रकार आनी शुरू हुई है उसी प्रकार जारी रहेगी।

### कपडे

कपडेके ढेरके-ढेर चले आ रहे हैं। उनकी कीमत लगाना मुश्किल है। ऐसे समय ये तमाम कपडे बहुत काम आयेगे। जब आसमान फट पडा है तब स्वदेशी-विदेशीका खयाल नही रह सकता। इसलिए जो भी कपडे मिल जाये, हमने उनको ले लेनेका विचार किया है। जो लोग, बिना कपडेके मारे-मारे फिरते हैं उन्हें भी विदेशी कपडे मैं अपने हाथो तो नही दूंगा, यह कहनेकी हिम्मत मुझे नही होती। यदि आज भारत स्वादीमय हो गया होता तो मैं जरूर यही आवाज उठाता। जब हम यह शक्ति प्राप्त नही कर पाये है तब तरह-तरहके कपडोसे लदे हुए हम लोग वस्त्र-विहीन लोगोको कपडा पहनाते समय यह भेद कैसे रख सकते है? मैं तो इस सकट-निवारणके लिए सहयोग-असहयोगको भी भूल गया हूँ। मैं सरकारी कर्मचारियोके मातहत भूखोकी सेवा करनेके लिए तैयार हूँ और असहयोगियोको तैयार रहनेकी सलाह देता हूँ। हाँ, इसका अर्थ यह नही है कि हमें सरकारी सभाजोमें भी जाना चाहिए। इस काममे हमें सही अन्दाज नही हो सकता। अत हम तो सिपाहीका काम करेगे। यदि हम चन्दा एकत्र कर सके तो जहाँ उससे सरकारी मददमें बाधा न पडती हो और जहाँ सरकार न जा सके या न जाना चाहे वहाँ हम नम्रतापूर्वक मदद पहुँचायें। सरकार यदि चाहे तो बहुत मदद कर सकती है। फिर भी काम इतना बडा है कि इसमें गैर-सरकारी साहस और दानके लिए बहुत गुजाइश है। अकेला गैर-सरकारी कोई उपक्रम इसका मुकाबला करनेमें असमर्थ है। परन्तु सरकारी मददके अलावा जो-कुछ काम बाकी रह जाये वह तो गैर-सरकारी सहायतासे ही हो सकता है। मैं वल्लभभाईसे इस बातपर सलाह-मशविरा कर रहा हूँ कि इस धनका अच्छेसे-अच्छा उपयोग किस तरह किया जाये। इसका निर्णय तो अधिकाशत चन्देकी रकमकी तादादपर निर्भर होगा।

यदि 'नवजीवन' में किसीकी भेजी रकमकी पहुँच न छपे तो वे मुझे जरूर पत्र लिखें। तमाम रकमोकी पहुँच देनेका सकल्प अवश्य ही कायम है। हमने छोटी-छोटी रकमोको मिलाकर ही छापनेकी तजवीज की है। जो अपना नाम गुप्त रखना चाहे वे सूचित करनेकी कृपा करे।

कपडे भेजनेवाले सज्जन नीचे लिखी हिदायतोपर ध्यान देंगे तो सहूलियत होगी

१. मैले कपडे धुलाकर दे,
- २ फटे कपडे सीकर दें,
- ३ सब कपडोको तह कर उनके बडल बाँधे और उनपर देनेवालेके नामकी और कपडोकी चिटे लगाये ।

ये कपडे हम भिक्षुओको नही भेज रहे है। इनमे हमारी तरह ही अच्छी हालतमें रहनेवाले मध्यमवर्गके हजारो भाई-बहन होंगे। अपने सगे भाई-बहनोको हम जिस स्नेह, सतर्कता और विवेकके साथ कोई चीज भेजते या देते हैं, मैं आपसे उसी प्रेम, विवेक और सतर्कताकी आशा इसमे भी रखता हूँ। सच बात तो यह है कि यदि हम भिक्षुकको भी कुछ दे तो विवेक और सतर्कताके साथ ही दें। मैले कपडोको धोनेमें, फटे कपडोको सीनेमें और उनकी तह बनानेमें बहुत वक्त नही लगता। उसमें केवल प्रेमकी परीक्षा है।

### महाविद्यालयके विद्यार्थी

पाठकोको यह तो मालूम ही है कि महाविद्यालयके विद्यार्थियोने सूत दिया है। परन्तु इसके अलावा उन्होने श्रम भी किया है, जैसा स्वामी श्रद्धानन्दके शिष्योने दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहके समय किया था। विद्यापीठकी जो इमारत बन रही है उसमे कोई पौन सौ विद्यार्थी मजदूरी कर रहे हैं। वे उसमे मिली रकम इस चन्देमे देगे। मैं विद्यार्थियोको धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि वे समय-समयपर ऐसा ही श्रम करेगे। यही उपाजित विद्याका शुद्ध उपयोग है।

### यह सब कहाँ दें ?

यह धन अहमदावादमे प्रान्तीय कमेटीके कार्यालय, 'नवजीवन' कार्यालय या सत्याग्रहाश्रममे दे। वे इसे बम्बईमे प्रान्तीय कमेटीको भेजनेकी व्यवस्था करे अथवा प्रिन्सेस स्ट्रीटमे 'नवजीवन' के शाखा कार्यालयको दे। मेरी सलाह है कि सभी लोग हर जगहसे धन, सूत और कपडोकी रसीद जरूर ले ले।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, १७-८-१९२४

## ४. शिक्षक और चरखेकी शिक्षा

इस विषयपर भाई हरिशंकर त्रिवेदीने निम्नलिखित विचारणीय पत्र लिखा है १

मेरे मनमें तो तनिक भी शंका नहीं है कि यदि शिक्षक कताई और उससे सम्बन्धित सभी अगली और पिछली क्रियाओंको सम्पूर्ण रूपसे सीख ले तथा उनमें उनकी अभिरुचि उत्पन्न हो जाये तो विद्यार्थी भी अवश्य कातना सीखेंगे। किस विद्यार्थीका यह अनुभव नहीं है कि उसकी किसी विषयमे दिलचस्पी उस विषयके कारण नहीं होती, बल्कि शिक्षकोके कारण होती है। मेरा अनुभव तो यह है कि जिस रसायन-शास्त्रको पढाते समय एक शिक्षक मुझे निद्रावश कर देता था उसी विषयको पढाते समय दूसरा शिक्षक मुझे जाग्रत रखता और उसमे मेरे लिए रस उत्पन्न कर देता था। एक शिक्षक गणितका सवाल पढाता है, विद्यार्थीको वह समझमे नहीं आता इसलिए अच्छा नहीं लगता और दूसरा शिक्षक पढाता है तो ऐसा लगता है कि उसका घटा समाप्त ही न हो। सवाल तो वही होता है, विद्यार्थी भी वही, अन्तर सिर्फ यह है कि एकके पढानेका ढंग सरस होता है और दूसरेका नीरस। चरखेमें रसकी गागर भरी है। ऐसा मालूम होता है कि दक्षिणामूर्ति भवनमे इस रसके पारखी शिक्षक है।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, १७-८-१९२४

## ५. टिप्पणियाँ

मौलाना शौकत अली काठियावाडमें

मौलाना शौकत अली दिल्लीसे भेजे अपने तारमे सूचित करते हैं कि वे अपने साथियो सहित काठियावाडकी यात्राके लिए रवाना हो रहे हैं और १८ तारीखको राजकोट पहुँचेंगे। काठियावाडकी खिलाफत समितियो, अजुमनो, जमातो और अन्य ऐसी सस्थाओंको, जो अपने क्षेत्रमे मौलाना साहब और उनके साथियोको आनेका न्यौता देना चाहती हों, चाहिए कि वे समय रहते मौलाना साहबको राजकोटके पतेपर पत्र लिखें, ताकि वे अपना कार्यक्रम तय कर सकें। मुझे उम्मीद है कि काठियावाडमें मौलाना शौकत अली और उनके साथी जहाँ-जहाँ जायेंगे वहाँ-वहाँ हिन्दू और मुसलमान सब उनका स्वागत करेंगे।

१ पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।



## तकलीकी उपयोगिता

यह तो अनेक अनुभवों से मात्र एक अनुभव है। अभी तो तकलीकी प्रारम्भिक अवस्था है। अभी तक इसके द्वारा प्रति घटा ७० गज सूत कातनेकी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। चरखेपर अधिकांश लोग इससे ज्यादा कातते हैं, लेकिन तकलीकी चरखेके साथ यो कोई तुलना नहीं हो सकती। तकली तो पाँच मिनटकी फुरसत मिलनेपर भी इस्तेमाल की जा सकती है। रेलगाडीमें चरखा नहीं चलाया जा सकता इसलिए काग्रेसने सफरमें न कातनेकी छूट दे रखी है। मुझे यदि उस समय तकलीकी उपयोगिताका ज्ञान होता तो सफरका अपवाद स्वीकार न किया जाता। इस तरह विचार करनेपर घूमने-फिरनेवाले मनुष्यको अथवा अन्य कार्योंके बीच सूत कातनेवाले मनुष्यको चरखेकी अपेक्षा तकली अधिक काम दे सकती है। तथापि तकली चरखेकी जगह नहीं, किन्तु चरखेके अलावा कातनेका एक लगभग मुफ्त साधन अवश्य है और यदि वह ठीकरीके टुकड़ेसे बनाई जाये तो बिलकुल मुफ्त पड़ेगी।

## राष्ट्रीय स्कूलोंमें दण्डनीति

एक भाई लिखते हैं कि आपने शिक्षा-परिषद्में कई प्रस्ताव पास करवाये हैं। वे सब प्रस्ताव शिक्षकोंने आपको प्रसन्न करनेके लिए चाहे-अनचाहे पास किये हैं। उनमें से कदाचित् ही किसीपर अमल किया जाये। फिर, आप एक प्रस्ताव पास करना तो बिलकुल ही भूल गये हैं—हमारी राष्ट्रीय शालाओंमें विद्यार्थियोंको जो शारीरिक दण्ड दिया जाता है उसके निषेधका प्रस्ताव।

मुझे उम्मीद है कि शिक्षा-परिषद्के प्रस्ताव मुझे प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे पास नहीं किये गये हैं, वरन् अमलमें लाये जानेके उद्देश्यसे पास किये गये हैं। जैसा अविश्वास इस भाईने व्यक्त किया है वैसा अविश्वास मेरे मनमें नहीं है। राष्ट्रीय स्कूलोंमें दण्डनीति सर्वथा त्याज्य है, ऐसी मेरी मान्यता है। यदि ऐसा न होता तो कोई-न-कोई शिक्षक अवश्य ही इस बातकी चर्चा करता। दूसरा अनुमान यह किया जा सकता है कि सम्भवतः दण्डनीति इतनी अधिक प्रचलित है कि इसमें किसीको आश्चर्य ही नहीं होता। लेकिन मैं यह अनुमान करनेके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस भाईने कुछ ही जगह शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियोंको सजा देते हुए देखा होगा। जो शिक्षक सजा देता है वह शिक्षक नहीं, वह तो जेलका दारोगा हुआ। शिक्षकका धर्म विद्यार्थियोंको रिझाकर प्रेमसे आगे ले जाना है। दण्डसे बालक पढते हैं, यह वहम अब तो दूर हो जाना चाहिए। ससारके सहस्रों शिक्षकोंका यह अनुभव है कि धीरजसे बच्चोंको ज्यादा सिखाया जा सकता है। दण्ड तो शिक्षकोंके अज्ञानका सूचक है। शिक्षकका काम है कि वह प्रत्येक विषयको दिलचस्प बना दे। अच्छा शिक्षक अक-गणित-जैसी चीजको भी दिलचस्प बना सकता है।

१. एक भाईने अपने पत्रमें तकलीका अपना अनुभव लिख भेजा था, वक्त पत्र पढ़ते नहीं दिया गया है।

## क्या वे राक्षस थे ?

एक भाईने रामचन्द्र, युधिष्ठिर तथा नलपर आक्षेप लगाये हैं और मुझसे उनका उत्तर देनेकी माँग की है। रामचन्द्रने सीताको अग्निमें प्रवेश करवाया और उसका त्याग किया, युधिष्ठिरने जुआ खेला और द्रौपदीकी रक्षा करने तककी हिम्मत खो बैठा, नलने अपनी स्त्रीके साथ घोखा किया और उसे अर्ध नगनावस्थामे घोर जगलमें भटकती छोड़ गया। इन तीनोंको मनुष्य कहा जाये कि राक्षस ?

इसका उत्तर तो केवल दो व्यक्ति दे सकते हैं। या तो कवि अथवा वे सती-साध्वी स्त्रियाँ। मैं तो एक सामान्य मनुष्यकी दृष्टिसे देखता हूँ अतः मेरे लिए तो ये तीनों पुरुष वन्दनीय हैं। रामकी बात तो एक ओर रख देनी चाहिए। किन्तु हम क्षण-भरके लिए ऐतिहासिक रामको अन्य दोनोंकी पंक्तिमें रख दें। अगर तीनों सती महिलाएँ इन महापुरुषोंकी अर्धांगिनियाँ न होती तो वे इतिहासमें सतीके रूपमें प्रख्यात न होती। दमयन्ती नलका ही नाम रखती रही, सीताके लिए रामके सिवा इस जगत्में कोई दूसरा पुरुष न था और द्रौपदी धर्मराजपर क्रुद्ध होनेके बावजूद उसका साथ नहीं छोड़ती थी। जब-जब इन तीनों महापुरुषोंने इन सती-साध्वियोंको दुःख दिया तब-तब यदि हम उनकी हृदय-गुहामें पँठ पाते तो वहाँसे झरनेवाली दुःखाग्नि हमें जलाकर भस्म कर देती। रामको जो दुःख हुआ था भवभूतिने उसका चित्रण किया है। द्रौपदीको फूलकी तरह रखनेवाले ये ही पाँच भाई थे और उसके क्रोधसे भरे वचनोंकी सहनेवाले भी वही लोग थे। नलने जो-कुछ किया सो अपनी भ्रान्तावस्थामें किया। नलकी पत्नीपरायणताको तो, जब वह ऋतुपर्णको साथ लेकर चला तब देवता लोग भी आकाशसे झाँक-झाँककर देख रहे थे। इन तीनों स्त्रियोंके प्रमाणपत्र मेरे लिए तो पर्याप्त हैं। हाँ, इतना सच है कि कवियोंने इन तीनों स्त्रियोंको उनके पतियोंकी अपेक्षा अधिक गुणी चित्रित किया है। सीता बिना राम क्या, दमयन्ती बिना नल क्या और द्रौपदी बिना धर्मराज क्या है ? पुरुष स्वभावसे अधीर होते हैं, उनका धर्म भी प्रसंगानुसार बदलता रहता है, उनकी भक्ति “व्यभिचारी” होती है। जबकि इन सतियोंकी भक्ति स्फटिक मणिके समान स्वच्छ है। इन स्त्रियोंकी क्षमाशीलताकी तुलनामें पुरुषकी क्षमाशीलता कुछ भी नहीं और चूँकि क्षमा वीरताका लक्षण है इसलिए ये सती महिलाएँ अवला नहीं बरन् सबला थीं। उनकी वीरताके आगे पुरुषोंकी वीरता पानी भरती है। लेकिन यह दोष हमें गिनना ही हो तो पुरुष-मात्रका गिनना होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि वह नलादिमें ही था। कवियोंने इन स्त्रियोंको सहनशीलताकी मूर्तिके रूपमें चित्रित किया है। मैं इनको, सती स्त्रियोंमें शिरोमणि मानता हूँ, लेकिन मैं उनके पुण्यात्मा पतियोंको राक्षस नहीं मान सकता। उनको राक्षस माननेसे क्या ये सतियाँ भी दोषी नहीं ठहरेगी ? सतीके समीप आसुरी भावना कदापि नहीं रह सकती। पतियोंको इन सतियोंसे भले ही कम माना जाये, परन्तु उनकी जाति तो एक ही है—वे दोनों पूजनीय हैं। मुझे इस मान्यतामें कि “जो-कुछ पुराना है वह सब पवित्र है”, जितना दोष दिखाई देता है उतना ही दोष इस विचारमें भी दिखाई देता है कि “जो-कुछ पुराना है वह सब दूषित है।”

स्त्रियोंके अधिकारोंकी माँग करते हुए हमे स्त्रियोंके धर्मकी बलि नहीं देनी चाहिए। स्त्रियोंके अधिकारोंका समर्थन करते हुए भी मैंने पुरातन कालके पुरुषोंकी निन्दा अथवा भर्त्सना करना आवश्यक नहीं समझा।

### अन्त्यजोंके प्रति तिरस्कार

अन्त्यजोंके प्रति तिरस्कारभावके जितने उदाहरण काठियावाडमें देखनेमें आते हैं उतने गुजरातमें अन्यत्र नहीं। काठियावाडसे आनेवाले अन्त्यज भाई ऐसे समाचार देते हैं और अन्य उनकी सत्यताकी पुष्टि करते हैं। एक सज्जन लिखते हैं कि काठियावाडकी रेलगाड़ियोंमें अन्त्यजोंको अभीतक उतनी ही तकलीफें उठानी पड़ती हैं जितनी पहले उठानी पड़ती थी। उन्हें गाड़ियोंमें बैठने नहीं दिया जाता। अगर वे बैठते हैं तो अन्य सवारियाँ उन्हें दूर बिठाती हैं, उनका तिरस्कार करती हैं और उन्हें गालियाँ देती हैं। यह तिरस्कार भी धर्मका एक अंग माना जाता होगा, क्योंकि ऐसा व्यवहार करनेवालोंमें तिलकधारी भी शामिल होते हैं। यह तिरस्कार उनकी मलिनताको लेकर नहीं किया जाता क्योंकि यदि अन्त्यज भाई तनिक झूठ बोले तो उनका काम निकल जाता है, इतना ही नहीं बल्कि उनका आदर-सम्मान भी किया जाता है। उन्हें बस अपनी जाति ठाकुर, राठौर अथवा ऐसी ही कोई बतानेकी जरूरत होती है। अतएव जो-कुछ तिरस्कार सहना पड़ता है सो सत्यवादीको सहन करना पड़ता है। अन्त्यज भाई झूठ बोलकर क्षणिक सुख प्राप्त नहीं करना चाहते, इसके लिए वे बधाईके पात्र हैं। ऐसा करके वे यह भी सिद्ध करते हैं कि वे अवगणना करनेवाले लोगोंसे अधिक गुणवान हैं। यदि रेलवेके अधिकारी दयावान हो तो वे निरपराध अन्त्यजोंकी रक्षा कर सकते हैं। सारी सवारियाँ ही अन्त्यजोंका तिरस्कार नहीं करती। जो लोग उनका तिरस्कार नहीं करते, उन्हें उनका रक्षक बनना चाहिए। अन्त्यजोंको इस बातका विश्वास हो जाना चाहिए कि जो मनुष्य खादीकी टोपी पहने हुए है वह उनकी रक्षा अवश्य करेगा।

### अन्त्यज स्कूलोंकी कमी

एक सज्जन लिखते हैं

भावनगरके अन्तर्गत गढडा, उमराला, महुवा, तलाजा और शिहोर गाँवोंमें अन्त्यज बालकोंकी संख्या इतनी है कि वहाँ अन्त्यज स्कूल स्थापित किये जा सकते हैं। महुवाके लिए तो बम्बईके एक सज्जन उर्च देनेके लिए भी तैयार हैं; लेकिन कोई स्थानीय सज्जन ऐसी व्यवस्थाके लिए तैयार नहीं है इसी कारण स्कूल खोलनेकी बात मुलतवी कर दी गई है।

क्या महुवा और अन्य गाँवोंमें कोई मनुष्य व्यवस्था करनेके लिए भी तैयार नहीं है? यदि उन गाँवोंमें ऐसे लोग नहीं हैं तो क्या काठियावाडके अन्य भागोंके स्वयंसेवक इसके लिए तैयार न होंगे?

करणजनक

धीलगा तालतुकेसे प्राप्त निम्नलिखित विवरण पढकर पाठकोको दुःख होगा <sup>१</sup>

अच्छे दाम मिलते हैं इन कारण सब कपास अथवा सब अनाज बेच डालना अपने हाथों द्वारा मोल लेना है। मनुष्य उस तरह आये हुए पैसेकी रक्षा भी नहीं कर सकता और इसलिए अन्तमे उसके हाथमें 'मिट्टीकी-मिट्टी' ही रह जाती है। उसे कमसे-कम अपने उपयोगके लिए पर्याप्त कपास और अनाज अवश्य रखना चाहिए।

सहानुभूतिका अभाव

दुःखी तालतुकेकी दशाका एक और चित्रण नीचे दिया जाता है <sup>२</sup>

सारा दुःख 'वहाँसे चला आया' में समाहित है। हम कुटुम्बकी भावनासे अधिक आगे नहीं बढ़े हैं, इसलिए गाँवके स्वार्थमें अपना स्वार्थ नहीं देखते। मला-यारके दुःखमे हम नव दुःखी नहीं होते। सारी जनताके विषयमें कुटुम्बकी भावनाका प्रभाव करनेमें मात्र उपदेश बहुत कम प्रभावकारी होगा। आरम्भ भले ही उपदेशसे किया जाये, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। बीज बोने-भरसे ही वृक्ष तैयार नहीं हो जाता। उसे खाद और पानीकी जरूरत होती है और जबतक वह बड़ा नहीं हो जाता तबतक बाडकी आवश्यकता भी रहती है, नहीं तो सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। ठीक यही बात उपदेशके सम्बन्धमे भी लागू होती है। इसीलिए जब हर गाँवमें बैठकर, प्रत्यक्ष कार्यकी माफत गाँवमें जागृतिका प्रयास किया जायेगा तभी हमें सफलता मिलेगी। यदि हमारा उद्देश्य केवल चन्दा उगाहना है तो अलग बात है। लेकिन जब हम लोगोंके हृदयोंमें प्रवेश करना चाहते हैं, जब उनसे हम नून प्राप्त करना चाहते हैं तब हमें गाँवोंमें जाकर रहना ही पड़ेगा। जनताके विरुद्ध शिकायत करनेकी बजाय यदि हम अपनी कार्य-दक्षताकी चुटुकी देख ले तो प्रगति जल्दी ही।

परदेशी बनाम स्वदेशी खांड

एक मज्जन लिखते हैं कि मैंने इस बारेमे विस्तारसे चर्चा नहीं की है कि "किस खांडको शुद्ध मानना चाहिए, और किस खांडको विदेशी मानना चाहिए?" स्वदेशी खांडको शुद्ध करनेके लिए हड्डियों आदिका इस्तेमाल नहीं किया जाता, यह माननेका कोई कारण नहीं है। हिन्दुस्तान प्रतिवर्ष १८ करोड रुपयेकी खांड विदेशोसे मँगवाता है। मुझे नहीं लगता कि वह अपनी इतनी खांडकी आवश्यकता थोड़े असेंमे खुद ही पूरी कर सकता है। मैं स्वयं तो अधिकतर खांडका उपयोग नहीं करता। जहाँतक पोषणका सवाल है, इसकी जरूरत बहुत कम है। हमें जितने पोषणकी जरूरत है उतना भीठे फलोंसे मिल जाता है। खांडका इस्तेमाल करनेका उत्तम तरीका गन्ना

१. यह पक्ष नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया था कि किसान पैसेके लिए अपनी तमाम पैदावारको बेची तेजीसे बेच रहे हैं

२. यह पक्ष नहीं दिया गया है। लेखकने लिखा था कि लोग अपने लिए पानेके पानीका कुँआ बनानेके बारेमें भी उदासीन हैं, अतः "मैं ऊबकर वहाँसे चला आया"।

चूसना है। जब गन्नेका मौसम न हो तब हमें गुडका उपयोग करना चाहिए। यदि तिसपर भी किसीका काम न चले तो उसे स्वदेशी खांडकी खोज करनी चाहिए किन्तु उसमें दूकानदार द्वारा मिलावट किये जानेकी जोखिम तो उठानी ही होगी।

### काठियावाड़में खादी-प्रचार

श्री एम्हस्टने 'विश्वभारती' में काठियावाड़की शोचनीय दशाका जो वर्णन किया है, उसे मैंने अभी-अभी पढ़ा। उसमें वे कहते हैं कि काठियावाड़के जगलोका नाश होनेकी वजहसे वहाँकी जमीनमें खुशकी बढ़ती जा रही है और अकालका भय भी बढ़ रहा है। चरागाह कम हो रहे हैं, इसलिए जो पशु कभी स्वस्थ दिखाई देते थे उनका भी नाश होता जा रहा है। शहरोमें कारखाने खुलनेके कारण गाँवोंकी आवादी कम होती जा रही है और अन्तमें किसानोंके यहाँ न रहनेसे शहर भी नष्ट हो जायेंगे। ऐसे परिवर्तनोंके कारण काठियावाड़की कला भी श्रीहीन होती जा रही है।

यह लगभग भविष्यवाणी है। यह बात जिस हदतक काठियावाड़पर लागू होती है, उसी हदतक हिन्दुस्तानपर भी लागू होती है। लेकिन काठियावाड़ बहुत छोटा-सा प्रायद्वीप है, इस कारण अभी उसकी रक्षा की जा सकती है। इसीसे श्री एम्हस्ट वर्तमान सक्रान्तिकालमें भूत और भविष्य दोनों स्थितियोंको एक साथ देख सके हैं। मैंने अनेक बार लिखा है कि वर्तमान [यन्त्रोद्योग-प्रधान] प्रवृत्ति उन्ही देशोंमें निभ सकती है जहाँ दूसरे देशोंसे कच्चा माल आता हो। दूसरे शब्दोंमें एक औद्योगिक देश किसी दूसरे देशको नुकसान पहुँचाकर ही समृद्ध हो सकता है। हिन्दुस्तानका निर्वाह दूसरे देशोंसे नहीं होता बल्कि वह स्वयं इंग्लैंड और अन्य देशोंका खाद्य है। अगर हमारे शहर भी इन देशोंका अनुकरण करेंगे तो ग्रामीण किसानोंपर दूना बोझ आ पड़ेगा।

काठियावाड़ कुछ हदतक ऐसी भयकर स्थितिसे बच सकता है। वह घर-घर वृक्ष बोये और उगाये, गोचर-भूमिको बढ़ाये तथा मिलो और फैक्टरियोंकी प्रवृत्तिको कम करे। छोटेसे-छोटे प्रदेशमें मिले और फैक्टरियाँ लोगोंपर असह्य भारस्वरूप हैं, इस बातको तो सामान्य कोटिका गणितज्ञ भी समझ सकता है। यदि राजा लोग और उनके दीवान शान्त चित्त होकर परोपकारकी भावनासे विचार करे तो उन्हें मालूम होगा कि किसानोंके पोषणमें उनका पोषण भी है। किसानोंके पोषणमें केवल दो वस्तुओंकी सावधानी रखनी पड़ती है उनके खेत हरे-भरे रहे और उन्हें खेतीसे बचे समयके लिए उद्योग मिले। यह उद्योग सम्पूर्णतः रुईकी क्रियाओंपर आधारित होनेके कारण किसानोंके घरमें होता है। इसका केन्द्रविन्दु चरवा है। उसको जो पोषित करना है वह प्रजाका पोषण करना है। काठियावाड़में विदेशी अथवा मिलाका कपड़ा आये, यह बात असह्य होनी चाहिए।

### अमरेली खादी-कार्यालय

आज तक नरसेकी प्रवृत्तिका प्रसार करनेके जो प्रयत्न चल रहे हैं उनमें काठियावाड़ भी भाग ले, यह वाञ्छनीय है और मैं उनसे ऐसी आशा भी रखता हूँ। इसलिए

अमरेलीके खादी-कार्यालयने जो पत्रिका प्रकाशित की है उसका मैं स्वागत करता हूँ। जो व्यक्ति कपाससे सम्बन्धित सभी क्रियाओंको सीखना चाहता हो अथवा जो सूत कातकर काग्रेसको चन्दा देना चाहता हो उसके लिए इस पत्रिकामें सारी सुविधाओंकी जानकारी दी गई है। जो चाहे उसके लिए तालीमकी व्यवस्था भी की गई है। मुझे उम्मीद है कि बहुतसे काठियावाड़ी भाई-बहन इन सुविधाओंसे लाभ उठायेगे। इतना याद रखनेकी जरूरत है कि काग्रेसके प्रस्तावका उद्देश्य जनताके मध्यम वर्गसे धार्मिक क्रियाके रूपमें कटाई करवाना है। यदि यह प्रयास फलीभूत हो तो कटाई-धर्मका पालन फिर होने लगे और गरीबोंके पेटमें जो गड्ढा पड गया है वह भी भरे। इस तरह चरखेका घर-घरमें प्रचार तभी होगा जब पहले उसके प्रति लोगोंमें श्रद्धा उत्पन्न कर दी जायेगी। यह श्रद्धा तभी उत्पन्न हो सकती है जब जनताका मध्यम वर्ग उसे धर्मके रूपमें अगीकार करे। जितनी जरूरत चरखेको लोकप्रिय बनानेकी है उतनी ही खादीको भी लोकप्रिय बनानेकी है। हिन्दुस्तानमें जब यह स्थिति आयेगी कि धीके समान खादीको बेचनेमें भी कोई दिक्कत न हो, उसी दिन समझना चाहिए कि हिन्दुस्तानसे भुखमरी चली गई। इस महायज्ञमें काठियावाड़ पूरा-पूरा योगदान दे, ऐसी मेरी कामना है। इस यज्ञकी यह खूबी है कि जो इसे करता है उसे तात्कालिक लाभ मिलता है। यदि छब्बीस लाख काठियावाड़ी प्रति व्यक्तिके हिसाबसे एक रुपयेकी मजदूरी करें तो काठियावाड़ प्रतिवर्ष छब्बीस लाख रुपया बचायेगा।

खादी-कार्यालयके कार्यकर्त्ताओंको मेरी सलाह है कि वे अपने कामके सम्बन्धमें तनिक भी निराश न हो। इस समय देशमें निराशा और अश्रद्धा घर कर गई दिखाई पडती है। ऐसे समयमें यदि थोड़ी-सी भी दृढतासे काम लिया गया तो निराशाके वादलोको छँटते देर नहीं लगेगी।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, १७-८-१९२४

## ६. गांधीजीके लिए या देशके लिए ?

एक मित्र कहते हैं कि आजकल गांधीजीके नामसे विद्यार्थियोंको कातनेके लिए जोर देकर कहनेका एक रिवाज-सा पड गया है। वे पूछते हैं कि क्या यह ठीक है ?

जबतक मैं देशके लिए और देश ही के लिए कार्य करता रहूँ, तबतक इस प्रकारकी अपील खास परिस्थितिमें और कुछ हदतक अनुचित नहीं है। मेरे लिए कातनेकी अपील, देशके लिए कातनेकी अपीलसे अधिक सीधा असर पहुँचा सकती है। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि सबको देशके लिए कातना ही उचित है। अपने लिए उसके आदर्श अर्थमें कातना और भी अच्छा है। क्योंकि हरएक कार्यकर्त्ता जो देशके लिए कार्य करता है, वह अपने लिए भी कार्य करता है। जो सिर्फ अपने लिए काम करता है, वह अपना ही नुकसान करता है। हमारा लाभ देशके लाभके अनुकूल होना चाहिए। वह उससे जुदा न हो जाना चाहिए। जो लोग केवल दिखानेके

लिए कभी-कभी कातते हैं और फिर वन्द कर देते हैं, वे आँखोमे धूल झोकनेका ही प्रयत्न करते हैं।

हिन्दी नवजीवन, १७-८-१९२४

### ७. क्षमा-प्रार्थना

‘हिन्दी नवजीवन’ का तीसरा वर्ष आज पूरा होता है। मुझे कहते हुए रज होता है कि मैं ‘हिन्दी नवजीवन’ के लिए स्वतन्त्र लेख बहुत न लिख सका। पाठक इस बातको माने कि इसका कारण अनिच्छा नहीं, बल्कि समयका अभाव है और इसके लिए वे मुझे क्षमा करे।

‘हिन्दी नवजीवन’ अबतक स्वावलम्बी नहीं हुआ है। मैंने एक समय जाहिर किया है कि किसी अखबारको नुकसान उठाकर चलाना प्रजाकी दृष्टिसे अच्छा नहीं है। ‘हिन्दी नवजीवन’ केवल सेवा-भावसे ही निकलता है। इसीलिए प्रत्येक पाठक उसपर अपना स्वामित्व समझे और उसे स्वावलम्बी बनानेकी कोशिश करे। अब २,७०० प्रतियाँ विकती हैं। स्वावलम्बी बननेके लिए कमसे-कम ३,००० प्रतियाँ विकनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि पाठकगण कोशिश करके इस कमीको दूर करेगे।

हिन्दी नवजीवन, १७-८-१९२४

### ८. पत्र : अजमेरके यातायात अधीक्षकको

पता . आश्रम

सावरमती

१८ अगस्त, १९२४

सेवामे

यातायात अधीक्षक

अजमेर

महोदय,

पिछले गनिवार अर्थात् इसी महीनेकी १६ तारीखको मैंने द्वितीय श्रेणीमे अहमदावादसे दिल्लीकी यात्रा की थी। मेरे साथ तीन परिचारक थे, जिनके पाम तृतीय श्रेणीके टिकट थे। इनमें से एक अहमदावादके उप-स्टेशनमान्टरकी अनुमतिमे तथा मेरे अस्वस्थताके प्रमाणपत्रके आधारपर मेरे साथ मेरे टिकटोंमें ही बैठा सफर कर रहा था। दो वर्ष पूर्व अपने कारावानके पहले मैं आपकी तथा दूसरी भारतीय रेलवे लाइनपर इसी प्रकार यात्रा किया करता था। एक वार जी० आई० पी० के' एक

टिकट निरीक्षकने एतराज किया था। तबतक मैं अपने पास डाक्टरी प्रमाणपत्र नहीं रखता था, क्योंकि मेरा शरीर देखकर ही मेरी अस्वस्थताका पता चल जाता था। परन्तु इस अवसरपर जी० आई० पी०के यातायात अधीक्षकने मेरा ध्यान उस नियमकी ओर आकृष्ट किया जिसके अन्तर्गत उच्च दरजेके बीमार यात्रीके साथ निचले दर्जेके परिचारक यात्रीको चलनेकी अनुमति है और तबसे मैं अपने साथ डाक्टरी प्रमाणपत्र रखने लगा। इसलिए इस बार भी मैंने अहमदाबादके स्टेशन अधिकारियोंके समक्ष प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया — जिसकी प्रतिलिपि यहाँ सलग्न है।

१७ तारीखको जब हम दिल्ली स्टेशनपर उतरे तो एक टिकट कलेक्टरने, जिसको यह बतला दिया गया था कि एक परिचारकने जिसके पास तृतीय श्रेणीका टिकट था मेरे साथ द्वितीय श्रेणीमे यात्रा की है, मय जुमानिके, अतिरिक्त किरायेकी माँग की। मेरे परिचारकने उप-अधीक्षकको उन परिस्थितियोंके बारेमे बतलाया, जिनके कारण उसे मेरे साथ द्वितीय श्रेणीमें यात्रा करनी पडी थी। वह डाक्टरी प्रमाणपत्र दिखलानेके लिए और उस नियमको भी पढकर सुना देनेके लिए तैयार था, जिसके अनुसार ऊँचे दर्जेके यात्रीको अपने साथ उसी डिब्बेमें तृतीय श्रेणीके टिकटपर एक परिचारकको ले जानेका अधिकार प्राप्त है। (कोचिंग टैरिफ, पार्ट १, पैरा ६९ से उसकी एक प्रतिलिपि लेकर उसने अपने पास रख ली थी)। मुझे यह बताया गया है कि उसने उसको देखा तक नहीं। इसके बाद उप-अधीक्षकके द्वारा स्टेशन अधीक्षकसे मिलनेकी कोशिश की गई, पर उसने मेरे परिचारकसे मिलनेसे ही इनकार कर दिया। मैं इस व्यवहारको अत्यन्त अशिष्टतापूर्ण मानता हूँ। झगडेको बचानेके लिए मेरे परिचारकने विरोधके साथ २३ रु० अदा कर दिये। मैं उसकी रसीद यहाँ नत्थी कर रहा हूँ और अब आपसे निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त कारणोंके आधारपर आप इन रुपयोंको लौटा की कृपा करे।

आपका विश्वस्त,  
मो० क० गांधी

सलग्न

१ अस्वस्थताका डाक्टरी प्रमाणपत्र

२ अतिरिक्त किरायेका टिकट न० ए-९०२५७

अग्नेजी पत्र (एस० एन० १०१२०) की फोटो-नकलसे।



## ९. तार : एन० एच० बेलगाँववालाको'

[ १९ अगस्त, १९२४ या उसके पश्चात् ]

कोई समझौता' नहीं। मोतीलालके' साथ हुआ पत्र-व्यवहार भेज रहा हूँ। तेईस तारीखको अहमदाबाद पहुँच रहा हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २३-८-१९२४

## १०. टिप्पणियाँ

पहली किस्त

अ० भा० कांग्रेस कमेटीके कताई सम्बन्धी प्रस्तावके' जवाबमें सूतकी जो पहली किस्त मिली है, उसका विश्लेषण करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि पाठक भी उसमें शरीक हो। अभीतक तो गुजरातके भेजे हुए सूतका हिसाब ही मुझे मिला है, क्योंकि अ० भा० खादी बोर्डका प्रधान कार्यालय अहमदाबादमें है। जिन प्रतिनिधियोंके लिए सूत भेजना लाजिमी है उनकी संख्या ४०८ है। उनमें से सिर्फ १६९ प्रतिनिधियोंने सूत भेजा है अर्थात् फी सैकडा ४२ लोगोंने अपने जिम्मेका सूत भेजा है और ५८ लोगोंने नहीं भेजा। कहा जाता है कि जिन्होंने अपने जिम्मेका सूत नहीं भेजा वे नौसिखिया हैं। किन्तु यह कारण ठीक नहीं है। श्री तैयबजी और श्री वल्लभभाई नौसिखिया होनेपर भी निश्चयपूर्वक काम करनेके कारण ५,००० गजसे भी अधिक सूत भेज सके हैं। इसलिए मुझे आशा है कि दूसरे महीनेमें सब प्रतिनिधि अपना-अपना सूत अवश्य भेज देंगे। जिन व्यक्तियोंने प्रतिनिधि न होनेपर भी सूत भेजा है उनकी संख्या सूत न भेजनेवाले प्रतिनिधियोंकी संख्यासे भी अधिक है, क्योंकि गुजरातमें कुल मिलाकर ६७२ लोगोंने अर्थात् ५०३ गैर-प्रतिनिधियोंने सूत भेजा है। यह संख्या सचमुच उत्साहवर्धक है। थोड़े और सगठनसे और अधिक अच्छा नतीजा दिखाई देगा। सच तो यह है कि यदि त्याग-

१. यह तार बेलगाँववालाके १९ अगस्तके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था :

“मजदूरोंमें बहुत उत्तेजनापूर्ण रूपान। धीमती नामदूको समझौता करनेका अधिकार दिया जा रहा है। भारत-भारतीय मजदूर कांग्रेसमें आपके अलग होनेका अनुमान लगा रहे हैं। अपना दृष्टिकोण तारसे एलित करें।”

२. स्वराज्यवादियोंके साथ।

३. मोतीलाल नेहरू।

४. इतिहास “पहली परीक्षा”, २४-८-१९२४।

भावसे कातनेका यह आन्दोलन फील जाये तो महीने-दर-महीने उसका बड़ा आश्चर्य-कारी फल दिखाई देगा। इनमें से किसी भी व्यक्तित्वने ३,००० गजसे कम सूत नहीं भेजा है। बहुतोने ५,००० गज भेजा है। एक सज्जनने तो ४३,००० गज भेजा है। यह बहुत बड़ा काम है। सूत भी बराबर अच्छा और बटदार है। पाठकोको यह न समझना चाहिए कि सूत कातना उनका पेशा है। उन्हें बहुत थोड़े समयका ही अम्यास है। एक दूसरे सज्जनने १२,००० गज सूत दिया है। उन्होंने २४,००० गज काता था। लेकिन १२,००० गज खुद अपने उपयोगके लिए रख लिया है। एक तीसरे सज्जनने यद्यपि काता तो है २७,००० गज पर भेजा है ११,००० गज ही। ये दोनों कार्य-व्यस्त प्रतिनिधि हैं और बड़ी जिम्मेवारीके पदोपर हैं। हर रोज बगैर तीन घंटे काते वे इतना अधिक सूत नहीं भेज सकते थे। उनका कहना है कि हमारे सुपुर्द जो दूसरा काम है हमने उसको नुकसान पहुँचाकर यह सूत नहीं काता। उनके इतना काम कर सकनेका कारण यह है कि वे सुवह जल्दी उठ बैठते हैं और अपने एक-एक मिनटका हिसाब रखते हैं। एक युवकने ४६,००० गज सूत काता है, किन्तु सिर्फ उतना ही भेजा है जितना कमसे-कम माँगा गया था। वह अधिक नहीं भेज सकता था। मैं यह भी कह देता हूँ कि बहुतोने ३,००० गजसे अधिक सूत काता है लेकिन वे खुद अपने कपडेके लिए भी कातते हैं और इसलिए कमसे-कम जितना माँगा गया उसमें अधिक नहीं भेज सकते। जिलोके हिसाबसे खेड़ा जिलेका नम्बर पहला है और पचमहालका आखिरी।

### अली भाइयोका हिस्सा

बड़े भाईने खूब प्रयत्न किया लेकिन वे सिर्फ एक तोला खराब कता हुआ सूत ही भेज पाये हैं। यदि पाठकोकी तरफसे मुझपर इन भाइयोके प्रति पक्षपात रखनेका दोष लगाये जानेका भय न होता तो मैं यह कहता कि जो हमेशा घूमता-फिरता रहता है और जिसका शरीर कातनेके लिए लगातार बैठे रहने योग्य नहीं, उसके लिए यह कुछ बुरा नहीं। फिर भी मौलाना शौकत अलीने मुझे यह यकीन दिलाया है कि वे अगले महीने अपना हिस्सा पूरा-पूरा भेज देंगे। मौलाना मुहम्मद अलीने कुछ अधिक किया है। उनकी बात उन्हीके मुँहसे सुन लीजिए

मैं, शौकतके साथ कापेसके सभापतिके कातनेकी कोशिशका जो-कुछ भी मामूली-सा नतीजा निकला है, भेज रहा हूँ। मेरे कातनेकी कहानी इस तरह है। मैंने जिन्दगी-भरमें एक बार भी सूत नहीं काता था किन्तु अहमदाबादके बाद मैंने तय किया कि जिस रोजसे मैं दिल्लीमें पक्की तरहसे रहने लगूँगा उसी दिनसे कातना शुरू कर दूँगा। लगातार सफर करनेके बाद मुझे बीमारीने घेर लिया। लेकिन दूसरी अगस्तको बहुत दिनों बाद मैं आखिर कातने बैठ ही गया। दो और तीन अगस्तको जो-कुछ भी काम किया उसका नतीजा है बराबर न फते हुए खराब सूतकी दो आँटियाँ, लेकिन उसमें से कुछ तो मेरी स्त्रीका काता हुआ है जो मुझे कातना सिखा रही थी और फिर कुछ आरिफ

हस्वीका भी। मुझे कताई सिखानेमें कुछ हिस्सा इनका भी है। ४ तारीखको मैंने तीसरी आंटी फाती, लेकिन कितने गज सूत काता यह गिनना ही भूल गया। मेरा खयाल है कि वह ११० गज होगा। ५, ६, ७ तारीखको मैंने ३०० गज काता और उसके बाद मुझे माताजीको देखनेके लिए रामपुर जाना पडा। मुझे बडा अफसोस है कि जानेकी हडवड़ी और जल्ववाजीके कारण मेरा चरखा पीछे रह गया। वहाँसे लौटनेके बाद १५० गजके करीब फिर काता लेकिन हिन्दू-मुस्लिम समझौता कराने, माँकी बीमारी और खुद मेरे पंरकी वजहसे—जिसका एक फोडा अभी अच्छा नहीं हो पाया है कि दूसरा निकल आया है—मैं काममें बडा उलझा रहा। आखिरकी चौथी आंटीमें ४६२ गज सूत है। यह चार दिनका काम है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि खुदाने चाहा तो १५ सितम्बरतक सिर्फ २,००० गज ही न कातूंगा बल्कि अगस्तकी कमीको भी पूरा कर दूंगा। तबतक क्या आप कामके बजाय कामकी इच्छाको ही कबूल कर लेंगे?

जो हमेशा सफरमें रहता है और बीमार रहता है, उसके लिए यह बहुत है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि अपने अनुयायियोंसे काम लेनेकी आशा रखनेके पहले सभापतिको खुद अपने काममें नियमित रहना और उसपर खूब ध्यान देना चाहिए। अली भाई सिर्फ कांग्रेसके ही नहीं, मुसलमानोके भी प्रतिनिधि हैं। सब तरफसे यही आवाज उठती है कि मुसलमान कांग्रेसके कार्यक्रमके प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाते। उनको उनके कर्तव्यके प्रति जागरूक बनानेके लिए बडे प्रयत्नकी आवश्यकता है। कातनेमें यदि मुसलमान हिन्दुओकी बराबरी करने लगे तो उसका असर हिन्दुओपर भी पडेगा। तब विदेशी कपडेका बहिष्कार सफल होगा और उसके फलस्वरूप प्रजाको आर्थिक मुक्ति मिल जायेगी। आर्थिक मुक्तिसे आत्मविश्वास प्रकट होगा और आत्म-विश्वाससे स्वराज्य अवश्य ही प्राप्त होगा।

### आचार्य गिडवानी

ऐसा बताया जाता है कि नाभा जेलमें आचार्य गिडवानीका वजन ३० पौड कम हो गया है और श्रीमती गिडवानीके बार-बार लिखकर पूछनेपर भी कि वे अपने पतिसे कब मिल सकेगी, कोई उत्तर नहीं मिला है। यह उदासीनता हृदयहीन है। राज्यके प्रशासक महोदय कमसे-कम आचार्य गिडवानीके स्वास्थ्यके बारेमें नियमित रूपसे बुलेटिन जारी कर सकते हैं, जिससे जनताको उनकी तन्दुरुस्तीका सही हाल मालूम हो सके। यह समझना भी बडा मुश्किल है कि श्रीमती गिडवानीको जितनी मर्तबा वे चाहे उनके पतिसे क्यों नहीं मुलाकात करने दी जाती। मेरी उनके साथ सहानुभूति है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वे बहादुर पतिकी बहादुर पत्नी हैं। मैं सिर्फ उनको यही सलाह दे सकता हूँ कि वे किसी बातकी भी चिन्ता न करे और विश्वास रखे कि मनुष्यकी अपेक्षा ईश्वर उनके पतिकी सँभाल अधिक अच्छी तरह रख सकता है। उन्हें और हमें यह महसूस करना चाहिए कि सत्याग्रही और असहयोगी होनेके

नाते हम ऐसे ही वरतावकी आशा रख सकते हैं जैसा वरताव उनके और उनके पतिके साथ किया गया है। यदि आचार्य गिडवानी अपने सिद्धान्तको छोड़ दे तो उन्हें आज ही रिहाई मिल सकती है। उन्हें सिर्फ नामाकी सीमामें पँर रखनेके अपने वीरोचित और मानवीय कार्यके लिए माफी माँगनी पडेगी। वस वे छोड़ दिये जायेंगे। किन्तु वे ऐसा न करेंगे। सत्याग्रहियोंका तो धर्म ही है कि अपमानजनक स्वतन्त्र जीवनकी वजाय वे कैद को ही पसन्द करते हैं।

### मन्दिरोकी पवित्रताका भंग

यदि मुरादाबादके जिला मजिस्ट्रेटकी विज्ञप्तिपर विश्वास किया जाये तो उसमें जो समाचार प्रकाशित हुए हैं वे बड़े ही गम्भीर और चिन्ताजनक हैं। कहा जाता है कि दो मन्दिर अपवित्र किये गये और वहाँ एकत्र हिन्दुओको बुरी तरह पीटा गया। मन्दिरोको इस प्रकार महज दुष्टतावश अपवित्र करनेका कोई कारण नहीं बताया गया है। कहा जाता है कि जिला लखनऊमें अमेठी नामक स्थानपर भी ऐसी ही घटना हुई है। कहते हैं वहाँ मजिस्ट्रेटके हुक्मके खिलाफ हिन्दुओने शख फूँके। यदि उन्होंने ऐसा किया तो यह काम मजिस्ट्रेटका था कि वह उन शख वजाने-वालोको सजा देता। किन्तु मुसलमानोका यह काम हरगिज न था कि वे एक बड़ी तादादमें मन्दिरमें घुस जाते और हमला करते और उसे अपवित्र कर देते। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी घटनाओके पीछे कोई सगठित जमात है। यह जमात उन लोगोकी है जो जान-बूझकर हिन्दू-मुसलमानामें मनमुटाव पैदा करते हैं और हिन्दू-मुस्लिम एकतामें बाधा डालते हैं। समझमें नहीं आता कि ऐसे काम करनेसे उस जमातको क्या हासिल होगा। इससे इस्लामकी इज्जत नहीं बढ़ सकती और वह लोकप्रिय नहीं हो सकता। यदि किसी दुनियावी लाभके लिए ऐसे काम किये जाते हैं तो वह भी नहीं मिल सकता। यदि ऐसे उपायोसे इस जमातके सगठनकर्ता सरकारी कृपा पानेकी आशा रखते हो तो उनका यह भ्रम थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जायेगा।

### नेटालके भारतीय

नेटाल सरकारने एक अध्यादेश पास करके वहाँ रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंको नगरपालिकाके चुनावोके मताधिकारसे वंचित कर दिया है। वहाँके हिन्दुस्तानियोने इसके प्रति विरोध प्रकट करते हुए एक करुणाजनक तार भेजा है। इस लडाईकी शुरुआत १८९४में हुई थी। अन्तत इस झगडेका फैसला वहाँ बसनेवाले हिन्दुस्तानियोके हुक्ममें हो गया था। तत्कालीन नेटाल सरकारने इस बातको कबूल किया था कि हिन्दुस्तानी कर-दाताओके नगरपालिका मताधिकारको छीनना अत्यन्त अन्यायपूर्ण होगा। अलवत्ता, वहाँके हिन्दुस्तानियोने राजनैतिक मताधिकारसे वस्तुतः वंचित रहना तो कबूल कर लिया था। परन्तु कोई सरकार जब किसी नीति या सिद्धान्तको बदलना चाहती है तब पिछले वचन या प्रतिज्ञाएँ उसके रास्तेमें बाधक नहीं बनती। दक्षिण आफ्रिकाके हिन्दुस्तानियोके इतिहासमें हमने इसके अनेक उदाहरण देखे हैं। मौका

पडते ही, उन्हें दिया गया प्रायः हर आश्वासन तोड़ा गया है। नेटाल-स्थित हमारे देशभाई इस हुकमसे बड़े पसोपेशमें पड़ गये हैं। उन्होंने हिन्दुस्तानकी जनतासे करुण स्वरमें सहायता माँगी है। पर वे शायद यह नहीं जानते कि उन्हें कोई वास्तविक सहायता देनेकी सामर्थ्य हममें नहीं है। हाँ, हमदर्दी तो है ही। अखबारोंमें लेख भी उनके लिए लिखे जायेंगे, पर मुझे अन्देश है कि इससे अधिक सहायता उन्हें नहीं मिल पायेगी। यदि भारत सरकार, शर्मके कारण उनके सिरपर मँडरानेवाली इस लूट-खसोटसे उन्हें बचानेके लिए कुछ करना चाहे तो सचमुच कारगर कदम उठा सकती है। मैं इसे 'सिरपर मँडरानेवाली' इसलिए कह रहा हूँ कि इस अध्यादेशके लिए दक्षिण आफ्रिका सघके गवर्नर-जनरलकी मजूरी जरूरी होती है। पहले एक बार वे एक ऐसे ही अध्यादेशको नामजूर कर चुके हैं। अगर अपने विशेषाधिकारका प्रयोग करे तो वे इस अध्यादेशसे हिन्दुस्तानियोंका जो अपमान होगा उससे उन्हें बचा सकते हैं। जब श्रीमती सरोजिनी नायडू दक्षिण आफ्रिकामें अपना गौरवशाली कार्य कर रही थी तब जितने पत्र वहाँसे आते थे उनमें मैं अपने देश-भाइयोंको उसपर बड़ी-बड़ी आशाएँ लगाते हुए देखता था। परन्तु दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय जहाँ सम्यतासे व्यवहार कर सकते हैं, वहाँ वे अपने इरादोंको पूरा करनेका निश्चय भी रखते हैं— फिर भले ही वह सरासर अन्याय हो—जैसा कि यह मामला है। जनरल स्मट्सकी देख-रेखमें उन्होंने मीठी-मीठी बातें करके अन्याय करते जानेकी कला सीख ली है। इसका आखिरी इलाज तो खुद हमारे देश-भाइयोंके ही पास है।

### केनियाका फैसला

केनियाके भारतीयोंके वारेमें उपनिवेश-मन्त्रीकी घोषणा बहुत चतुराई भरी है। पढ़नेपर वह विलकुल निर्दोष मालूम होती है लेकिन इस घोषणामें केनियाके हमारे देशवासियोंसे लगभग वह सब छीन लिया है जिसके लिए वे सघर्षकर रहे थे। श्री टामसनने आब्रजन कानूनका विचार त्याग दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कानूनको बनानेकी कोई जल्दी भी नहीं थी। अन्य मुद्दोंपर प्रतिकूल निर्णय होनेके कारण आब्रजन अपने-आप ही कम हो जायेगा। भारतीय लोग पहाड़ी क्षेत्रोंमें भू-सम्पत्ति रखनेके अधिकारको बरकरार रखनेकी माँग कर रहे थे। उनकी माँग सामान्य मताधिकारमें बराबरीके दर्जेके लिए थी। वे न्यायोचित ढंगसे सघर्ष करनेका अधिकार चाहते हैं, दयाकी भीख नहीं चाहते। उक्त घोषणा उन्हें केनियाके सबसे स्वास्थ्यवर्धक भागमें भू-सम्पत्ति रखनेके अधिकारसे वंचित कर देती है। उसमें जातिगत मताधिकार देनेकी व्यवस्था है, जिसका वास्तवमें यह अर्थ है कि हमारे देशवासियोंकी कोई प्रभावकारी राजनीतिक शक्ति नहीं रह जायेगी। यह सघर्ष कई वर्षोंसे चल रहा है। पिछले वर्ष नरमदलीय और अन्य विचारधाराओंके भी सब भारतीय एक हो गये थे। उन्होंने ब्रिटिश मालके वहिष्कारकी भी घोषणा कर दी। लेकिन ब्रिटिश मालके आयातपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और केनियाके भारतीयोंको अपने आन्दोलनसे कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे पास शक्ति नहीं है, बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि हमारे पास जो शक्ति है, हम नहीं जानते कि उसका उपयोग कैसे करे। पाठकोंको

केनिया और नेटालका भेद समझ लेना चाहिए। नेटालको उपनिवेशका दर्जा मिल चुका है पर केनियाको अभीतक नहीं मिला। नेटालका निर्णय स्थानीय विधान-मण्डलका निर्णय है। अतः वहाँ अब भी राहत पानेकी आशा है। केनियामे इस समय जो फैसला हुआ है वह साम्राज्य सरकारका फैसला है, अतः वह लगभग अन्तिम है।

[अग्रेजीसे]

पग इंडिया, २१-८-१९२४

## ११. वोल्शेविज्म या आत्म-संयम ?<sup>१</sup>

दो अमेरिकी मित्रोंने मुझे बड़े भावावेशमे एक पत्र लिखा है। वे कहते हैं कि मैं धर्मके नामपर शायद भारतमें वोल्शेविज्मका प्रचार कर रहा हूँ, जो न तो ईश्वरको मानता है, न नैतिकताको और स्पष्टतः नास्तिक है। वे कहते हैं कि मुसलमानोंकी और आपकी मैत्री एक नापाक मैत्री है और दुनियाके लिए एक खतरा है, क्योंकि वे कहते हैं, आज मुसलमान वोल्शेविक रूसकी सहायतासे पूर्वी देशोंमें अपना प्रभुत्व जमानेकी फिक्रमें हैं। मेरे ऊपर यह आरोप इससे पहले भी लगाया गया है, पर अबतक मैंने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया। पर अब तो जिम्मेवार विदेशी मित्रोंने शुद्ध भावसे यह इलजाम लगाया है, इसलिए मेरी समझमे इसपर विचार करनेका समय अब आ पहुँचा है। सबसे पहले तो मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे पता नहीं वोल्शेविज्मके मानी क्या है ? मैं इतना ही जानता हूँ कि इस मामलेमें दो परस्पर विरोधी दल हैं—एक तो उसका बड़ा भद्रा और काला चित्र खींचा करता है और दूसरा उसे ससारकी तमाम दलित-पतित और पीडित जातियोंके उद्धारका आन्दोलन बताता है। अब मैं नहीं कह सकता किसकी बातपर विश्वास करना चाहिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा आन्दोलन नास्तिक नहीं है। वह ईश्वरको नहीं नकारता। वह तो उसीके नामपर शुरू किया गया है और निरन्तर उसकी प्रार्थना करते हुए चलाया जा रहा है। निस्सन्देह, वह एक जन-आन्दोलन है। परन्तु वह जनतातक उसके हृदयके द्वारा, उसकी धर्मबुद्धिको जगाकर ही पहुँचना चाहता है। यह आन्दोलन है क्या ? यह तो एक प्रकारसे आत्म-संयमकी प्रक्रिया है और यही कारण है कि इसने मेरे कुछ अच्छेसे-अच्छे साथियोंको अधीर बना दिया है।

मुसलमानोंसे अपनी मित्रतापर मुझे गर्व है। इस्लाम ईश्वरको नकारता नहीं वल्कि वह तो केवल एक सर्वशक्तिमान् ईश्वरको कट्टरतासे मानता है। इस्लामके बुरेसे-बुरे टीकाकारने भी इस्लामपर नास्तिकताका दोषारोपण नहीं किया। ऐसी हालतमें यदि वोल्शेविज्म अनीश्वरवाद है तो उसमें और इस्लामके बीच मैत्रीका कोई समान आधार नहीं हो सकता। उस अवस्थामे इन दोनोंके बीच एक मरणातक

१. पृ० ५५० राय द्वारा दिये गये इस लेखके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट १, उत्तरपर गांधीजीकी टिप्पणीके लिए देखिए “वोल्शेविज्मका अर्थ”, १-१-१९२५।

सघर्ष अनिवार्य है। ये दोनों मित्रोकी तरह गले नहीं मिलेंगे बल्कि परस्पर वैरियोकी तरह जूझेंगे। मैंने अमेरिकी मित्रोके पत्रकी भाषाका ही प्रयोग किया है। पर मैं अपने अमेरिकी पाठको तथा औरोको सूचित करता हूँ कि मैं किसी भ्रमका शिकार नहीं हूँ। मेरा दावा तो बहुत ही मामूली-सा है। जो मित्रता है वह तो अली भाइयोके और मेरे बीच है, अर्थात् कुछ बड़े ही सम्माननीय मुसलमान मित्रोके और मेरे बीच है। यदि मैं इसे मेरे नहीं, मुसलमानो और हिन्दुओके बीच मित्रता कह सकूँ तो फिर पूछना ही क्या! पर हिन्दू-मुस्लिम मित्रता तो लगता है दिवा-स्वप्न-जैसी सिद्ध हुई। इसलिए वास्तवमें तो यही कह सकते हैं कि यह मित्रता कुछ मुसलमानो, जिनमें अली भाई भी हैं, और कुछ हिन्दुओके बीच है, जिनमें एक मैं भी हूँ, अब यह हमें कहाँतक आगे ले जायेगी, यह भविष्य ही बता सकता है। इस मित्रतामें कोई बात गोलमोल या अस्पष्ट नहीं है। यह तो ससारमें सबसे अधिक स्वाभाविक चीज है। दुखकी बात तो यह है कि इसपर लोगोको आश्चर्य ही नहीं, आश्चर्य भी है। भारतके हिन्दू और मुसलमान यही जन्मे और यही पले हैं। एक-दूसरेके दुख-सुख, आशा-निराशाके साथी हैं। ऐसी हालतमें इससे बढ़कर स्वाभाविक बात क्या हो सकती है कि दोनों स्थायी तौरपर परस्पर मित्र और भाई, एक ही माताके पुत्र बनकर रहे? ताज्जुब तो इस बातपर होना चाहिए कि दोनोंमें झगडे क्यों होते हैं, इस बातपर नहीं कि दोनोंमें एकता कैसे हो रही है। दोनोंका यह सम्मिलन ससारके लिए एक सकट क्यों माना जाना चाहिए? दुनियाका सबसे बड़ा सकट तो आज वह साम्राज्यवाद है, जो दिनपर-दिन अपने पैर फैलाता जाता है, दुनियाको लूटता जाता है, जिसे अपनी जवाबदारीका भान नहीं है और जो भारतको गुलाम बनाकर उसके द्वारा दुनियाकी तमाम निर्बल जातियोके स्वतन्त्र अस्तित्व और विकासके लिए खतरा उपस्थित कर रहा है। यह साम्राज्यवाद ही ईश्वरको घटा बता रहा है। वह ईश्वरके नामपर उसके आदेशके खिलाफ करतूते करता है। वह अपनी अमानुषिकताओ, डायरशाही और ओ'डायरशाहीको मानवता, न्याय और नेकीके आवरणमें छिपा लेता है और इसमें भी अत्यन्त दुखकी बात यह है कि अधिकांश अंग्रेज नहीं जानते कि इसमें उनके ही नामका दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे भी बढ़कर करुणाजनक बात यह है कि सौम्य और ईश्वर भीरु अंग्रेजोके दिलमें यह जँचा दिया जाता है कि भारतमें तो चैनकी वसी बज रही है—जबकि दर हकीकत यहाँ करुण-क्रन्दन हो रहा है, और आफ्रिकी जातियाँ भी अमन-चैन कर रही हैं, हालाँकि वाकई वे उनके नामपर लूटी और अपमानित की जा रही हैं। यदि जर्मनी और यूरोपके मध्यवर्ती राज्योंकी शिकस्तने जर्मन-रूपी सकटका अन्त किया है, तो मित्र-राष्ट्रोकी विजयने एक नये सकटको जन्म दे दिया है, जो ससारकी शान्तिके लिए उससे कम खतरनाक और घातक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिन्दुओ और मुसलमानोकी यह मित्रता एक स्थायी सत्य बन जाये और उसका आधार दोनोंके प्रबुद्ध हितोकी परस्पर स्वीकृति हो। तब जाकर वह घृणित साम्राज्यवादके लोहेको मानव-धर्मके सोनेमें बदल सकेगी। हम चाहते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम मित्रता भारत और सारे ससारके लिए एक

मगलमय वरदान बने, क्योंकि उसकी कल्पनाके मूलमे सवके लिए शान्ति और सद्भावकी भावना है। उसने भारतमें सत्य और अहिंसाको अनिवार्य रूपसे स्वराज्य प्राप्त करनेका साधन स्वीकार किया है। उसका प्रतीक है चरखा, जो कि सादगी, स्वावलम्बन, आत्म-सयम और करोडो लोगोमे स्वेच्छा प्रेरित सहयोगका प्रतीक है। यदि ऐसी मैत्री ससारके लिए सकट-रूप हो तो समझना चाहिए कि दुनियामे कोई ईश्वर है ही नहीं, भयवा यदि है तो वह कही गहरी नीदमें सो रहा है।

[ अग्रेजीसे ]

यम इंडिया, २१-८-१९२४

## १२. शक्तिका अपव्यय ?

गत मई मासके 'वेलफेयर' नामक अग्रेजी पत्रके एक लेखकी ओर एक मित्रने मेरा ध्यान खींचा है, जो कि श्री एम० एन० रायका लिखा हुआ है और जिसमें उन्होने कोकोनाडाकी सादी प्रदर्शनीके उद्घाटनके अवसरपर दिये गये आचार्य रायके भाषणकी आलोचना की है। मेरे कागज-पत्रोमे उस पत्रिकाकी प्रति कोई दो महीनेसे रखी हुई थी। खेद है कि मैं उसे अवतक पढ न पाया था। पढ चुकनेके बाद ऐसा मालूम हुआ कि आचार्य रायके विचारोका श्री एम० एन० रायने जो खण्डन किया है उसका निरसन इन पृष्ठोमें कई बार किया जा चुका है। पर पाठकोकी स्मृति अल्पजीवी होती है, इसलिए अच्छा होगा कि फिर एक बार यहाँ मैं अपने तर्कोको सिलसिलेवार पेज कर दूँ। आचार्य रायके ये आलोचक महाशय मानते हैं कि चरखेके लिए जो इतना उद्यम किया जा रहा है यह महज 'शक्तिका अपव्यय' है। आचार्य रायकी दलीलोका मुख्य मुद्दा यह है कि चरखा खासकर किसानोके लिए अपना एक सन्देश रखता है और वह यो कि इसके जरिये किसान अपने फुरसतके बक्तका सदुपयोग कर सकते हैं। पर श्री रायका कहना है कि किसानोके पास फुरसतका बक्त होता ही नहीं और जितनी कुछ फुरसत उन्हें मिलती है, उतनी उनके लिए जरूरी है। यदि उन्हें चार महीने फुरसत रहती है तो इसकी वजह यह है कि वे आठ महीनोतक हदसे ज्यादा काम करते हैं और अगर इन फुरसतके चार महीनोमें भी उन्हें चरखेपर काम करना पडे तो उन आठ महीनोमे काम करनेकी उनकी शक्ति हर माल कम होती जायेगी। दूसरे शब्दोमें कहे तो आलोचक महाशयकी रायमें भारतके पास चरखा कातनेका समय नहीं है।

ऐसा जान पडता है कि आलोचक महोदयको भारतके किसानोका बहुत ही कम अनुभव है और न ही वे इस बातका चित्र अपनी आँखोके सामने खडा कर पाये हैं कि चरखा किस तरह काम करेगा — बल्कि आज कर रहा है। किसानोकी

१ प्रसिद्ध विचारक और लेखक, रैडिकल डेमोक्रेटिक दलके सस्थापक।

२. आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय।



चरखेपर गुलामोकी तरह कडी मेहनत करनेकी जरूरत नहीं। बल्कि उसके जरिये कडी मेहनतके बाद किसानोको एक अच्छे किस्मके मनोरजनका मौका मिलता है। हाँ, भारतकी महिलाओको अत्रत्ता यह स्थायी वस्तुके रूपमे भेट किया गया है। जब-जब उनके पास समय होगा वे चरखा कातेगी। यदि अधिकाश मेहनत-मजदूरी अर्थात् शारीरिक श्रम करनेवाले लोग औसतन सिर्फ आधा घटा रोज चरखा काते तो न केवल अपने लिए काफी सूत कात सकेगे बल्कि दूसरोके लिए भी सूत जुटा सकेगे। ऐसा मेहनतकग अपनी आयमे हर साल कमसे-कम १६०, ११ आ० की वृद्धि तो कर ही लेगा, जो कि लगभग भूखो मरते आदमीके लिए कम नहीं है। इस बातको सब लोग मानते हैं कि आज भारतमे हाथ-करघे और जुलाहे तो इतनी तादादमे मौजूद हैं कि वे हमारी जरूरतका तमाम कपडा बुन सकते हैं। ऐसी हालतमे सवाल सिर्फ हाथ-कताईका ही रह जाता है। यदि किसान भाई इसे अपने हाथमे ले ले तो बहुत बडी पूंजी बिना लगाये कपडेके मामलेमे आत्म-निर्भर बननेकी भारतकी समस्या हल हो सकती है। इसके मानी यह होंगे कि कमसे-कम ६० करोड रुपया उन करोडो कर्तैयो, हजारो धुनियो और जुलाहोके बीच धूमता-फिरता रहेगा जो कि अपनी झोपडीमे काम करेगे और उसी हदतक किसानोकी कमाईकी क्षमता भी बढेगी।

तमाम दुनियाका यह अनुभव है कि किसानोको एक ऐसे धन्धेकी जरूरत रहती है, जिससे वे फुरसतके समयमे कुछ कमाई कर सके — अपनी आमदनी बढा सके। इस मौकेपर यह बात हरगिज न भूलनी चाहिए कि बहुत दिनोंकी बात नहीं है जब भारतकी महिलाएँ देशके कपडेकी आवश्यकता-भरका सूत फुरसतके वक्तमे कातकर तैयार करती थीं और चरखेके इस पुनरुत्थानने तो इस बातकी सत्यताको बडी अच्छी तरह प्रदर्शित कर दिया है। यह खयाल करना गलत है कि चरखेका आन्दोलन असफल हुआ है। हाँ, कार्यकर्ता अलवत्ता कुछ अशोमे काम नहीं कर पाये हैं। लेकिन जहाँ कही उन्होंने दिल लगाकर काम किया है वहाँ बराबर चरखेका काम चल रहा है। यह सच है कि अभी उसमे स्थायित्व नहीं आ पाया है। इसका कारण है व्यवस्था और सगठनकी अपूर्णता। एक कारण यह भी है कि कर्तैयोको अभी यह यकीन नहीं हो पाया है कि उनको काम निरन्तर मिलता रहेगा। मैं श्री रायसे प्रार्थना करता हूँ कि वे पजाब, कर्नाटक और आन्ध्र तथा तमिलनाडके कुछ हिस्सोमें स्थितिको खुद देखे-समझे। वे खुद देख लेंगे कि चरखेमे कितनी सम्भावनाएँ हैं।

भारतवर्ष अकालोका देश है। हमारे भाई-बहनोके लिए सडकोपर गिट्टी तोडना अच्छा है या रुई धुनना और सूत कातना? लगातार अकालोसे पीडित रहनेके कारण उडीसाकी जनता कगालीकी हालतमे पहुँच गई है। यहाँतक कि अब उनसे काम कराना भी बहुत मुश्किल हो गया है। वे धीरे-धीरे मौतके मुँहमे जा रहे हैं। उनके लिए अगर जिन्दगीकी कोई आशा है तो वह चरखेका पुनरुत्थान ही है।

श्री राय उन्नत तरीकोसे खेती करनेपर जोर देते हैं। हाँ, इसकी जरूरत है, पर चरखेकी तजवीज कृषि-मुधारके साधनोकी जगह नहीं की जा रही है, बल्कि उलटे यह तो सुधारकी दिशामे पहला कदम है। इस सुधारके रास्तेमे भारी कठिनाइयाँ

हैं। हमें सरकारकी अनिच्छा, पूँजीका अभाव और नये तरीकोके प्रति किसानोका विरोध-भाव, इन तीनों कठिनाइयोको पार करना होगा। परन्तु चरखा-कताईके निस्वत जिन बातोका दावा किया जाता है वे ये हैं

१ चरखेसे उन लोगोको एक सुलभ धवा मिलता है, जिन्हे फुरमत रहती है और दो पैसे ज्यादा कमानेकी जरूरत रहती है,

२ हजारो लोग इससे वाकिफ हैं,

३ इसे आसानीसे सीख सकते हैं,

४ इसके लिए पूँजीकी वस्तुत बिलकुल जरूरत नहीं है,

५ चरखा आसानीसे बहुत कम दाममे बन सकता है। बहुतेरे लोग यह भी नहीं जानते कि किसी मामूली तकलीपर भी सूत काता जा सकता है,

६ लोग उसे हिकारतकी निगाहसे नहीं देखते,

७ अकाल और अभावके दिनोंमे तुरन्त सकट-निवारणका सबसे अच्छा साधन है,

८ विलायती कपडेकी खरीदके रूपमे हिन्दुस्तानके बाहर जानेवाले धनके प्रवाह-को बन्द करनेकी सामर्थ्य अकेले चरखेमे ही है,

९ इस तरह बची हुई रकमको वह करोडो गरीबोके घर पहुँचा देता है,

१० थोड़ी-सी सफलता भी उसी हदतक लोगोको तुरन्त फायदा पहुँचाती है,

११ लोगोके अन्दर सहयोग उत्पन्न करने और फैलानेका सबसे समर्थ साधन है।

इसके रास्तेमे ये कठिनाइयाँ हैं मध्यवर्गके लोगोके, मनमे इसके प्रति श्रद्धाका अभाव है जबकि मध्यम श्रेणीके ही लोगोमे अच्छी तादादमे कार्यकर्त्ता मिल सकते हैं। और भी बड़ी कठिनाई है वारीक और चिकने दिखाई देनेवाले मिलके बने कपडेके वजाय खादी पहननेकी ओर लोगोकी अरुचि और सक्रमण-अवस्थामे खादीका महँगापन। यदि लोग अच्छी तादादमे कताईके प्रस्तावको अपना ले तो खादी मिलके कपडेका मुकाबला कर सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस आन्दोलनकी सफलताके लिए लोगोको कुछ त्याग करनेकी जरूरत है। यदि सरकार हमारी अपनी होती, जो किमानोकी जरूरतोका ध्यान रखती और विदेशी प्रतिद्वन्द्वितासे उनकी रक्षा करनेका निश्चय रखती, तो हमे इस प्रत्यक्ष त्यागकी जरूरत न पडती। पर राष्ट्रीय सरकारके अभावमे वही काम जो राष्ट्रीय सरकार कर सकती है, मध्यवर्गके लोगोके कुछ समयके लिए थोडा-सा त्याग करनेसे हो सकता है।

शक्तिके अपव्ययका तो सवाल ही नहीं है। आचार्य राय पहले गरीब वहनोको मुफ्तमे अन्न बाँटा करते थे। अब वे चरखेके रूपमे उन्हें एक प्रतिष्ठित पेशा देकर कुछ अशोमे या सर्वांशमे स्वावलम्बी बना रहे हैं। क्या यह शक्तिका अपव्यय है? भीख माँगने या भूखो मरनेके अलावा उनके पास दूसरा कोई काम करनेको नहीं था। क्या नवयुवकोका गाँवोमे जाना, उनकी जरूरते मालूम करना, उनके दु खसे दु खी होना और उनकी सहायता करना शक्तिका अपव्यय है? क्या हजारो खाते-पीते नवयुवको और नवयुवतियोका करोडो अध-पेट रहनेवाले दरिद्र लोगोका खयाल रखना और निष्ठापूर्वक उनके लिए आधा घटा चरखा कातना शक्तिका अपव्यय

है? जबकि हाथमें कोई भी काम न हो, किसी पुरुष या स्त्री द्वारा चरखा कातकर कुछ पैसे कमा लेने जितना लाभ तो यह है ही। इसी प्रकार त्यागभावसे किसीका चरखा कातना भी एक लाभ ही है। अगर कोई ऐसा कार्य है जिसमें हर तरह लाभ-ही-लाभ है, हानि कुछ नहीं, तो वह चरखा-कताई ही है।

[अंग्रेजीसे]

यग इंडिया, २१-८-१९२४

### १३. अन्तःकरणकी आड़में

एक भाईने मुझे पत्र लिखा है, जिसका आशय कुछ इस प्रकार है

क्या आप जानते हैं कि आपके बार-बार अन्तःकरणकी दुहाई देनेका परिणाम क्या हुआ है? मैं देखता हूँ, किगोर और वयस्क लोग अन्तःकरणकी आड लेकर किस प्रकार निरी बकवास किया करते हैं। इससे भी बुरी बात तो यह है कि किगोर ढीठ हो गये हैं तथा वयस्क लोगोका कोई दीन-ईमान नहीं रह गया है, क्या आप इस दुर्वृत्तिको रोक नहीं सकते? यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कृपया इस शब्दका प्रयोग न कीजिए और उस बकवासको बन्द कराइए, जो इस शब्दकी आड़में की जा रही है। यह एक पवित्र शब्द है, किन्तु इसका बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। कृपया हमें बताइए कि अन्तःकरण किसके होता है? क्या वह सबके होता है? जब विल्लियाँ चूहेका शिकार करती हैं, तब क्या वे अन्तःकरणकी प्रेरणापर ही वैसा करती हैं?

मैंने पत्र-लेखकका प्रश्न उनके अपने शब्दोंमें नहीं दिया है। मैंने उसका भावार्थ देनेकी कोशिश की है। मैं समझता हूँ, इस कोशिशमें मैंने उनके साथ अन्याय नहीं किया है।

मुझे यह स्वीकार करना होगा कि इस आरोपमें कुछ सार अवश्य है। किन्तु उन्होंने केवल बुरे पहलूको ही पेश किया है। हर अच्छी चीजका दुष्टो द्वारा दुरुपयोग किये जानेका उदाहरण मिलता है। किन्तु हम इस कारण उस अच्छी चीजको छोड़ नहीं देते। हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि उसके दुरुपयोगकी रोक-थामके उपाय करें। जब लोग खुद सोचना छोड़ देते हैं और हर मामलेमें उनके लिए जो-कुछ तय कर दिया जाता है, उसीको अपना दीन मानने लगते हैं, तब कभी-कभी व्यक्तियोंके इस अधिकारपर जोर देना जरूरी हो जाता है कि वे लोकमत, या दूसरे शब्दोंमें कानूनके खिलाफ चल सकते हैं। जब व्यक्ति ऐसा आचरण करते हैं तब उनका दावा होता है कि उन्होंने अपने अन्तःकरणके आदेशका पालन किया है। मैं पत्र-लेखककी इस बातसे सर्वथा सहमत हूँ कि किशोरोको आमतौरपर अपने अन्तःकरणको जाननेका दावा नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा गुण या स्थिति है जो बहुत प्रयास और अभ्याससे प्राप्त होती है। मनमानीको अन्तःकरणकी प्रेरणापर

किया गया आचरण नहीं कहते । वच्चेमें अन्त करण नहीं होता । पत्र-लेखकने जो विल्लीका उदाहरण दिया है, सो वह अपने अन्त करणके आदेशका पालन करनेके लिए चूहेका शिकार नहीं करती । वह तो वैसे अपने स्वभावके कारण करती है । अन्त करण तो कठोरतम साधनाका मीठा फल है । इसलिए गैर-जिम्मेदार किशोरोमें, जो अपनी पशु-वृत्तिकी प्रेरणाके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु या किसी व्यक्तिके आदेशपर चले ही नहीं, अन्त करण नहीं होता । इसी प्रकार सभी वयस्क लोगोमें भी अन्त करणका गुण नहीं होता । उदाहरणके लिए बर्बर जातियोके लोगोमें दरअसल अन्त करणका कोई गुण नहीं होता । अन्त करण तो केवल सवेदनशील हृदयके अन्दर ही रहता है । इसलिए व्यक्तियोके अन्त करणसे भिन्न सार्वजनिक अन्त करण नामकी कोई वस्तु नहीं है । अतः यह कहनेमें कोई हर्ज नहीं कि जब कोई व्यक्ति प्रत्येक बातमें अन्त करणकी दुहाई देता है तब समझ लीजिए वह अन्तकरणसे सर्वथा अपरिचित है । यह लोकोक्ति सत्य ही है कि अन्त करण हमें फूंक-फूंककर कदम रखना सिखाता है । अन्त करणवाला व्यक्ति अपनी बातमें बहुत आग्रही नहीं होता, वह हमेशा नम्र होता है, कभी उग्रतासे काम नहीं लेता, हमेशा समझौता करनेको, दूसरोकी सुननेको तैयार रहता है, वह अपनी भूल स्वीकार करनेके लिए सदैव इच्छुक, यहाँतक कि उत्सुक रहता है ।

पत्र-लेखक महोदय व्यर्थ ही परेशान है । यदि पचास हजार लोग यह कहते हैं कि वे अपने अन्त करणकी खातिर ही अमुक काम कर रहे हैं, या अमुक नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क पडता है ? कोई सचमुच अन्त करणके गुणसे युक्त है या अहंकार अथवा अज्ञानके वशीभूत होकर इस गुणसे विभूषित होनेका झूठा दावा कर रहा है, इन दोनों तथ्योमें भेद करनेमें दुनियाको कोई कठिनाई नहीं होती । ऐसे लोग तो अन्त करणकी आड लिये बिना भी समान परिस्थितियोमें ऐसा ही आचरण करते हैं । यदि सार्वजनिक जीवनमें अन्त करणकी बातको दाखिल करनेसे बहुत कम लोग भी कठिनसे-कठिन परिस्थितिके मुकाबले मानवीय गरिमा और मानवीय अधिकारोके लिए खड़े होना सीख पायें हैं तो इस तरह सार्वजनिक जीवनमें अन्त करणको स्थान देनेपर खुशी होनी चाहिए । ये सत्कार्य सदैव जीवित रहेंगे, जबकि पाखण्डपूर्ण कार्य साधनके शागकी तरह क्षण-भंगुर हैं ।

[ अग्नेजीसे ]

यग इडिया, २१-८-१९२४

## १४. सार्गकी कठिनाइयाँ

दक्षिणके एक कार्यकर्त्ताने पचमोके वारेमे निम्न प्रकार लिखा है

मैं अभी-अभी पचमोकी एक सभासे लौटा हूँ। सभामें जो-कुछ हुआ, बहुत ठीक और उत्साहवर्धक था। लेकिन पचमोके मोहल्लेसे लौटते हुए जब हम बीच गाँवसे गुजरे तो वहाँ जो देखा वह उत्साहवर्धक नहीं था। वहाँ एक बरगदके पेड़के नीचे उस गाँवके अब्राह्मण किसान इकट्ठे थे। दुआ-सलामके लिए जब हम वहाँ रुके तो वे सब खडे हो गये। फिर उनसे जो बातचीत हुई उससे मेरे सारे सपने टूट गये। इस गाँवमें खादी तैयार होती है। लेकिन बातचीतसे स्पष्ट था कि यह काम अब बन्द होने जा रहा है, क्योंकि अस्पृश्यता-निवारणकी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। मुख्य सड़कतक पहुँचनेके लिए हमें कोई बँलगाडी भी नहीं मिली। जैसे-तैसे काफी रात गये हम मुख्य सड़कपर खडी अपनी सोटर गाडीनक पहुँचे। टायर पचर हो जानेके कारण हम रुकते-ठहरते आधी रातको घर वापस आये। मन बहुत उदास था और नींद भी नहीं आ रही थी। खैर, यह कोई ऐसी बात नहीं जिससे हम हारकर बैठ जायें। लेकिन इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण भारतमें अस्पृश्यता-निवारणका काम इतना बड़ा है कि हम सबको अपनी पूरी शक्ति और साधन लगाकर भी इसे पूरा करनेमें वर्षों लग जायेंगे। अभी तो हम इस कामको कांग्रेस कार्यक्रमके एक गौण हिस्सेके रूपमें ही कर रहे हैं। मगर इससे बात बननेवाली नहीं है।

वेशक, इससे बात बननेवाली नहीं है। अस्पृश्यता एक भयानक वास्तविकता है। अस्पृश्य लोग यदि शिकायत कर सकते, तो धर्मके नामपर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके विरुद्ध वे इतनी शिकायत करते कि उसके गोरसे हमारी नींद हराम हो जाती।

अभीतक तो हम इस समस्यासे अपना मन बहलाव ही करते रहे हैं। इस कार्यके लिए हमने, जितना चाहिए उस अनुपातमें न तो अपना आराम छोडा है, न समय ही लगाया और पैसा तो और भी कम खर्च किया है, जबकि परिस्थितिका तकाजा यह है कि हम हिन्दुओको इस ध्येयकी सिद्धिके लिए अपना खून पानीके समान बहाना होगा। हम सुधारक लोगोको तत्काल यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस सवालपर हमारे पक्षके लोगोकी सख्या बहुत ही कम है। मगर मैं सचमुच ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेसने इस सुधार-कार्यको अर्गीकार करके इसे बहुत बल प्रदान किया है। किन्तु फिर भी अभीतक वह इस समस्याका केवल कोर-किनारा ही छू पाई है। हमने इसे सुलझानेका कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया है। हम एक प्रकारकी सरगर्मी पैदा करना चाहते थे। किन्तु अस्पृश्यताके कार्यसे इस प्रकारकी सरगर्मी नहीं

पैदा हो सकती। इसके लिए तो यश-प्रतिष्ठाकी अपेक्षा रखे विना चुपचाप काम करते रहनेकी जरूरत है। एक ओर तो हमें हिंसाके जरिये नहीं बल्कि धैर्यपूर्ण प्रयत्नसे, जो केवल प्रेमकी प्रेरणासे ही सम्भव है, पूर्वग्रहोंकी दीवार ढाहनी है और कट्टरपन्थियोंके साथ धीरज खोनेका मतलब अपना काम विगाडना और अपनी तथा पंचमोंकी स्थितिको और भी खराब कर देना है। हमें दलील देकर उन्हें अपनी बात समझानी है, उनके व्यग, उनके अपमान सहने हैं, यहाँतक कि बदलेके तौरपर अपना हाथ उठाये विना उनकी लाते भी सहनी हैं। तब हम ऐसा वातावरण तैयार कर सकेंगे कि जिसमें कट्टरपन्थियोंके सामने सत्य प्रकट हो जायेगा।

हमें अपने मनमें यह तय कर लेना है कि हम सचमुच क्या चाहते हैं। इस प्रश्नके सम्बन्धमें हमारे विचार जुदा-जुदा नहीं होने चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह अन्तर्जातीय खान-पान या अन्तर्जातीय विवाहका प्रश्न नहीं है। साथ ही इस सवालका सम्बन्ध वर्ण-धर्मके, जिसे मतलबी लोग गलतीसे जाति-प्रथा मान बैठे हैं, उन्मूलनसे भी नहीं है। इसका तो सीधा-सादा सम्बन्ध अस्पृश्यता-निवारणसे, अकारण ही जो एक पंचम वर्ण बना दिया गया है, उसके उन्मूलनसे है। हमारे बीच ऐसे विचारोवाले सुधारकोका भी एक दल है जो वर्णवर्गको सर्वथा मिटा देना चाहता है। यहाँ हमें इस सुधारके गुण-दोषपर विचार नहीं करना है। अस्पृश्यता-आन्दोलनका उद्देश्य तो केवल इस पापपूर्ण अन्वविश्वासको दूर करना है कि किसी खास जातिमें उत्पन्न व्यक्तिके स्पर्शसे कोई इतना अपवित्र नहीं हो जाता कि उसके लिए प्रायश्चित्त करना आवश्यक हो। यह आन्दोलन जितना ज्यादा फैलता जायेगा, इसमें जितनी अधिक तीव्रता आती जायेगी इसकी मर्यादाओंको समझना और उनका सावधानीके साथ पालन करना भी उतना ही जरूरी होता जायेगा। इस प्रकार जहाँ हमें कट्टरपन्थियोंको ललकारना है वहाँ उन्हें यह विश्वास भी दिलाना है कि हम जो कुछ कह रहे हैं उससे अधिक हमारा और कोई मतलब नहीं। उन्हें डम आन्दोलनके प्रयोजनको पूरा-पूरा समझ सकनेका मौका देना है। मुझे हर हफ्ते जो पत्र मिलते हैं, उनसे मालूम होता है कि हम आन्दोलनकी मर्यादाओंको बराबर अपने सामने नहीं रखते। इसलिए कट्टरपन्थी लोग स्वभावतः सशक हो गये हैं। इससे सुधारकोका कार्य जितना चाहिए, उससे कहीं अधिक कठिन हो जाता है।

दूसरी ओर पंचम भाइयोंके साथ भी हमें समान रूपसे धैर्यके साथ काम लेना होगा। वे हमेशा हमारे प्रयत्नोंकी कद्र नहीं करते। वे प्रायः हमपर अविश्वास करते हैं। मैं जानता हूँ, जब अछूत बच्चोंको यह सिखाया जाता है कि स्पृश्योंकी थालीसे जूठा खाना अथ पतन है और अस्वास्थ्यकर भी है तो उनके माता-पिता बुरा मानते हैं। कुछ तो सफाईको भी बुरा समझते हैं। वे अपनी आदतोमें उसी प्रकार बुराग्रहपूर्वक चिपके हुए हैं जिस प्रकार कट्टरपन्थी लोग इस विश्वाससे बँधे हुए हैं कि आदमी आदमीके स्पर्शसे भी अपवित्र हो सकता है।

इसलिए कोई भी साधारण सुधारक जब यह अनुभव करेगा कि उसके सामने कितना भारी काम पडा हुआ है तो उसका निराश हो जाना स्वाभाविक ही है।

गनीमत समझिए, वह यह न सोचने लगे कि अछूतके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, वे उसीके पात्र है, मानो वे जिस परिस्थितिमें पड़े हुए है उसके लिए स्वयं ही जिम्मेदार हो।

अब शायद यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि मैं क्यों कहता हूँ कि इस अभि-शापको दूर कर हिन्दू धर्मको शुद्ध बनानेके लिए हमें अपना रक्त पानीकी तरह बहाना पड़ेगा।

[ अग्नेजीसे ]

यंग इंडिया, २१-८-१९२४

## १५. हृत्शियोंकी सहानुभूति

न्यूयार्कसे प्राप्त निम्नलिखित तारकी प्राप्ति मैं कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ और उसे सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूँ

विश्वके हृत्शी हमारे जरिये आपको अपने देश तथा देशवासियोंकी आजादीके संघर्षके लिए शुभकामनाएँ भेजते हैं। हम आपके साथ हैं। ससार-भरके हृत्शी लोगोका चौथा वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मैरियस गार्नी, अध्यक्ष।

उनका कार्य हमारे कार्यसे शायद ज्यादा कठिन है। किन्तु उनके बीच कुछ अत्यन्त योग्य कार्यकर्ता हैं। इतिहासके बहुतसे अध्येताओका विचार है कि भविष्य उनके साथ है। उनका शारीरिक गठन बहुत अच्छा है। उनकी कल्पनाशक्ति बहुत ऊँची है। वे जितने बहादुर हैं, उतने ही सीधे-सादे भी। श्री एम० फीनोने अपने वैज्ञानिक अनुसन्धानोसे दिखा दिया है कि यह आम खयाल कि उनमें दूसरोकी तुलनामें किसी तरहकी वशानुगत हीनता है, गलत है। आवश्यकता केवल इस बातकी है कि उन्हें अवसर मिले। मेरा विश्वास है कि यदि उन्होंने भारतीय आन्दोलनकी भावनाको समझ लिया है, तो वे निश्चय ही बहुत तेजीसे प्रगति करेंगे।

[ अग्नेजीसे ]

यंग इंडिया, २१-८-१९२४

## १६. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

श्रावण कृष्ण ७ [बृहस्पतिवार, २१ अगस्त, १९२४]

माई श्रीयुत घनश्यामदान,

ईश्वरने मुझको नीति रक्षक दीये है। उन्हीमे से मैं आपको समझता हूँ। मेरे कई बालक भी ऐसे हैं कई बहिन भी हैं और आप, जमनालालजी जैसे प्रीठ भी हैं जो मुझको सम्पूर्ण पुरुष बनाना चाहते हैं। ऐसा समझते हुए आपके पत्रसे मुझे दुःख कैसे हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि हर वक़्त आप ऐसे ही मुझे सावधान बनाते रहें।

आपकी तीन फरीयाद हैं। एक मेरा स्वराज दलको रिश्वतके आरोपसे मुक्त रखना। दूसरा सोहरावर्धीको प्रमाणपत्र देना और तीसरा सरोजिनी देवीको सभापतित्व दिखानेकी कोशिश करना।

प्रथम बात तो यह है कि मनुष्यका धर्म है कि साधनाके पञ्चात जो अपनेको सत्य लगे उन्ही चीज़को कहना भले जगत्को वह भूलमा प्रतीत हो—इसके सिवा मनुष्य निर्भय नहीं बन सकता है। अपना मोक्षके सिवा और किसी चीज़का मैं पक्षपाती नहीं बन सकता हूँ। परन्तु यदि मोक्ष भी मृत्यु और अहिंसाका प्रतीकूल हो तो मुझे मोक्ष भी त्याज्य है। उक्त तीनों बातोंमें मैंने सत्यका हिंसे सेवन किया है। आपने जो कुछ मुझे जुहुमें कहा था मुझे स्मरणमें रखते हुए जो कुछ भी कहा है वह कहा। जब मेरे नजदीक कुछ भी प्रमाण न हो तो मेरा धर्म है कि मैं स्वराज दलको आरोपमें मुक्त समझू। यदि आप मुझको प्रमाण दे देंगे तो मैं अवश्य निरीक्षण करूँगा। और आप उसका उपयोग करने देंगे तो मैं जाहेरमें भी कह दूँगा। वरना मेरे दिलमें समझकर मैं खामोश रहूँगा।

सोहरावर्धीजीको मैंने प्रमाणपत्र उनकी हुगियारीका दीया है। मैं अब भी उनकी हुगियारीका अनुभव कर रहा हूँ।

सरोजिनी देवीके लिये आप खामखा घभराते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उन्हीने भारतवर्षकी अच्छी सेवा की है और कर रही है। उनके सभापतित्वके लिये मैंने कुछ प्रयत्न इस समय नहीं कीया है परन्तु मेरा विश्वास है कि वह उस पदके लिये योग्य है यदि दूसरे जो आजतक हो गये वे योग्य थे तो उसके उत्साहपर सब कोई मुग्ध है। उसकी वीरताका मैं साक्षी हूँ। मैंने उनका चरित्र दोष नहीं देखा है।



इन सब बातोंका आप यह अर्थ न करे कि उनके या किसीके सब कार्योंको मैं पसंद करता हूँ ।

जड-चेतन गुण-दोषमय, विश्व कीन्ह करतार ।  
सत हस गुण गहर्हि पय, परिहरि वारि विकार ।

आपका,  
मोहनदास गांधी

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३०) से ।  
सौजन्य घनश्यामदास बिडला

### १७. पत्र : घनश्यामदास बिडलाको

श्रावण कृष्ण ८ [ २२ अगस्त, १९२४ ]<sup>१</sup>

भाई घनश्यामदासजी,

प० सुदरलालजी मुझको यहाँ मीले हैं और आपके पत्रके बारेमें मुझको पूछते हैं । मैंने कहा आपका पत्र मुझको मीला था और मैंने उत्तर भी दे दीया था । सुदरलालजी कहते हैं आपको हरद्वार जानेतक मेरा उत्तर नहि मीला था [ इसलिए ] और दूसरा चाहते हैं । मैं आपको सहायके बारेमें कुछ लीखना नहि चाहता हूँ । सुदरलालजीको सहाय देना न देना इस बारेमें यदि आप किसीकी सलाह लेना चाहे तो जमनालालकी सलाह ले ले । सुदरलालजी कहते हैं, वह आपकी स्वतंत्र सहाय चाहते हैं और मैं सिर्फ आपको उनके कार्यके बारेमें लिखूँ । मैं अवश्य इतना कह सकता हूँ कि सुदरलालजी देशप्रेमी हैं असहयोगी हैं उत्साही हैं और कार्य करनेकी शक्ति अच्छी रखते हैं । युवक वर्गपर उनका प्रभाव है । स्वभावमें बहोत स्वतंत्र हैं ।

आपको मैंने अमदावाद छोड़नेके समय तार भेज दीया था । मैं आज आश्रम जाता हूँ । अब तक तो कुछ यहाँ नहि हो सका है । दोनों पक्ष मेरी सलाहपर विचार कर रहे हैं ।

आपका,  
मोहनदास गांधी

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३१) से ।  
सौजन्य घनश्यामदास बिडला

## १८. भेंट : हिन्दू-मुस्लिम एकतापर<sup>१</sup>

दिल्ली

२२ अगस्त, १९२४

गांधीजी आज मुवह जटमदावादमे बम्बई जानेके लिए रवाना हुए। भेंटकत्तिके पूछनेपर उन्होंने बताया कि समझौतेके लिए हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच अब भी बानगीन चल रही है और स्थिति पहलेकी तरह ही आशाजनक है।<sup>१</sup> अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ।

यह पूछनेपर कि आप दिल्ली फव लौट रहे हैं, श्री गांधीने कहा कि अगर मुहम्मद अली चाहेंगे कि मैं आऊँ तो अवश्य आऊँगा।

फिर जब उनने यह पूछा गया कि क्या आप कोई ज्यादा आशाजनक बात नहीं कह सकते, तो श्री गांधीने उसका उत्तर प्रश्नके ही रूपमें दिया। उन्होंने कहा, "क्या यह काफी आशाजनक नहीं है?"

विदा होनेसे पहले उन्होंने मुहम्मद अलीसे खूब काम फारनेको कहा। चूँकि वे दिल्लीसे स्थितिसे बिल्कुल स्थिति ही नहीं मानते और चूँकि कहा जाता है कि वे जमे-जमे जोड़-तोड़कर किये गये समझौतेके खिलाफ हैं, इसलिए कहते हैं, इस बातचीतमें ज्यादा समय लगा है और अभी और भी लग सकता है।

[अप्रेजीमें]

दिल्ली, २२-८-१९२४

## १९. पत्र : जमनालाल बजाजको

श्रावण बदी ९ [२३ अगस्त, १९२४]

वि० जमनालाल,

मैं उन बान ड्रेनमें हूँ। दिल्लीमें वापस आश्रम जा रहा हूँ। दिल्लीमें समझौतेकी बातें चल रही हैं। मोतीलालजीका पत्र नहीं आया। तुम्हारे प्रान्तमें शुद्ध रीतिसे जो हो वह होने दो। हम तटस्थ रहकर अपना काम करते रहे, इतना ही जरूरी है।

घनश्यामदान दिल्लीमें नहीं थे। उनकी ओरसे रुपये मिल गये थे। वे रुपये बिना चर्चके फिर तटस्थ भेजे जायें, यह लिखकर पूछनेके लिए छगनलालको कहा था। तबमें महादेव, देवदान और प्यारिलाल हैं।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० एन० २८४९) की फोटो-नकलसे।

१ यह भेंट प्मोमिग्रेड प्रेम ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको दी गई थी।

२ गांधीजी स्वयं शाहदेके स्थानपर गये थे।

## २०. पत्र : भवानीदयालको

ट्रेनमें,

श्रावण कृष्ण ९ [२३ अगस्त, १९२४]

भाईश्री भवानीदयाल,

तुमारे खतका उत्तर आज हि दे सकता हु। क्षमा मागनेकी कुछ आवश्यकता नहि। तुम अब द० आ० की लडतको ज्यादा समझते हो यह बात सन्तोषजनक है। मुझे एक क्षणकी भी फुरसद नहि है। इतना हि लेख भेजता हु। मैं देखता हु की उन्नतिके लीये तपश्चर्यासे अधिक शक्तिप्रद कोई दूसरी चीज नहि है।

मोहनदास गाधी

श्रीयुत भवानीदयाल  
पो० ओ० — जेकोब्स  
नेटाल  
दक्षिण आफ्रिका

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३२) से।  
सौजन्य विष्णुदयाल

## २१. पत्र : अब्बास तैयबजीको

२३ अगस्त, १९२४

भाई साहब,

भुरं ।<sup>२</sup>

आपका पत्र पाकर बडी प्रसन्नता हुई। जब आपको चरखा चलानेकी ज्यादा आदत हो जायेगी तब आपको इतनी दिक्कत नही होगी। आप उस ओर देखे ही नही।

आपने मुस्लिम छात्रावासके लिए बहुत अच्छी रकम जमा की है।

श्रीमती अब्बासको और लडकियोको — सभीको — मेरा बन्देमातरम् अथवा सलाम, जो भी वे चाहे, कहें।

आपका,

मोहनदास गाधी

गुजराती पत्र (एस० एन० ९५४८) की फोटो-नकलसे।

१. डाकनी सुहरसे।

२. गाधीजी और तैयबजी एक-दूसरेका अभिवादन इसी प्रकार क्रिया करते थे।

## २२. भाषण : मजदूरोंकी सभा, अहमदाबादमें

२३ अगस्त, १९२४

लगभग ५,००० मजदूर मो० फ० गांधीको ३,००० रुपयेकी थैली भेंट करनेके लिए २३ अगस्तको अहमदाबाद शहरमें शाहपुर दरवाजेके बाहर नदीके किनारे एकत्र हुए । मजदूर-सघके मन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दाने अहमदाबादके मजदूरोंको समय-समयपर महात्माजी द्वारा वी गई मददका जिक्र किया ।

गांधीजीने मजदूरोंसे पूछा कि क्या आप लोग मेरे सामने कोई शिकायत रखना चाहते हैं । सघकी आन्तरिक आर्थिक स्थितिसे सम्बन्धित अनेक प्रश्न उठाये गये । गांधीजीने उन्हें आत्म-निर्भर बनने तथा अपनी सस्थाओंको अपने नियन्त्रणमें रखनेके लिए कहा । उन्होंने कहा, आप सघके मालिक हैं । आपको ऐसे पदाधिकारी चुनने चाहिए जो आपकी सच्ची सेवा कर सके, चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान । उन्होंने उनसे खाबो पहननेका भी आग्रह किया ।

[ अगेजीने ]

दॉम्बे नीनेट एन्ट्रैक्ट्ग

## २३. पहली परीक्षा

गुजरातके प्रतिनिधि पहली परीक्षामें अनुत्तीर्ण हो गये हैं । ४०८ प्रतिनिधियोंमें से केवल १६९ ने अपना सूतका हिस्सा भेजा है । २३९ नहीं भेज सके हैं । ४२ प्रतिशत सूतका हिस्सा भेजे और ५८ प्रतिशत न भेजे, इसका अर्थ क्या हुआ ? यदि स्वराज्य सूतके तागमें हो तो प्रतिनिधियोंका इतना बड़ा भाग परीक्षामें कैसे अनुत्तीर्ण हो सकता है ? जिन पेढीके हिस्सेदारोंका बड़ा भाग पेढीके नियमोंका अनुसरण नहीं करता उस पेढीका क्या हाल होता है ?

समुद्रमें आग लगे तो उसे कौन बुझा सकता है ? यदि नमक ही अपना खारा-पन छोड़ दे तो उसे खारा कौन बना सकता है ? यदि प्रतिनिधि अपनी प्रतिज्ञाका पालन न करें तो सामान्य जनतासे क्या उम्मीद की जा सकती है ?

गुजरातका प्रस्ताव तो कड़ा है । जिन्होंने सूत नहीं भेजा है उन्हें अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी । जिन प्रतिनिधियोंके पास सूत न कातनेका खास कारण हो वे तो अपने द्वारा निश्चित किये गये दण्डसे बच सकते हैं । किन्तु जिनके पास प्रामाणिक कारण न हो, मुझे तो ठीक रास्ता यही जान पड़ता है कि उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए । त्यागपत्रकी शोभा इसीमें है कि उसे देनेमें दुःख अथवा वैमनस्य न हो । जिनकी चरखेंमें श्रद्धा नहीं उनका त्यागपत्र देना ही उचित है । जिन्होंने आलस्यवश

न काता हो वे त्यागपत्र दे, आलस्य छोड़कर नियमपूर्वक कातनेका अभ्यास करे और तब कांग्रेसमें फिर प्रवेश करे। इस तरह कांग्रेस दिन-प्रतिदिन शुद्ध और शक्तिमान सस्था बनती जायेगी।

लेकिन गुजरातमें जो लोग प्रतिनिधि नहीं हैं उन्होंने काफी मात्रामे सूत भेजकर प्रतिनिधियोंके इस दोषको ढँक दिया है। १५ अगस्ततक सूत भेजनेवालोंकी कुल सख्या ६७२ थी। इसका अर्थ यह है कि प्रतिनिधियोंके अलावा अन्य ५०३ भाइयो और बहनोने अपना सूतका हिस्सा भेजा है। मैं इस स्थितिको आशाजनक मानता हूँ। इतनी सख्यासे मुझे आश्चर्य नहीं होता। कांग्रेसके प्रस्तावका मुद्दा ही यह है कि प्रतिनिधियोंकी देखा-देखी, उनके प्रयाससे लाखों भाई और बहन हमें यज्ञके रूपमें अर्थात् मुफ्त प्रतिदिन अपनी आधे घटेकी मेहनत दे। अतएव मुझे उम्मीद है कि आगामी मासमें ५०३ के वजाय बहुत अधिक भाई और बहन हमें अपने हाथका कता हुआ सूत भेजेगे।

सूत भेजनेवाले प्रतिनिधियोंका विवरण इस तरह है।

	कुल प्रतिनिधि	सूत भेजनेवाले	सूत न भेजनेवाले
अ० भा० का० कमेटी	११	१०	१
प्रान्तीय कमेटी	६८	४६	२२
अहमदाबाद	५२	२३	२९
खेडा	११७	३८	७९
भडौंच	८२	२६	५६
सूरत	७८	२६	५२
पंचमहाल	—	—	—
	४०८	१६९	२३९

फुटकर सूत भेजनेवालोंका विवरण निम्न प्रकार है।

	सूत भेजनेवाले
अहमदाबाद	५३
आश्रम	८४
खेडा —	
बोरसद	९९
पेटलाद	२६
कपडवज	२३
नडियाद	६५
भादरण	१५
वडीदा	५
आनन्द	१८
महमदाबाद	३
खम्भात	२

सूत —

वारडोली	६१
अन्य	२१
भडाच	१२
खादी मडल	१६
कुल	५०३

इन आँकड़ोंसे हमें बहुत-कुछ सीखनेको मिलता है। जहाँ अधिक काम हुआ है वहाँसे हमें अधिक सूत मिला है। खेडा जिलेके लोगोको अधिक सूत कातना आता है इससे खेडाने ज्यादा सूत भेजा है, सो बात नहीं। बल्कि वहाँपर ज्यादा काम हुआ है इसीलिए वहाँके ज्यादा भाइयो और बहनोने सूत भेजा है। पचमहालसे सूतका ढेर मिलना चाहिए था। यह खेदकी बात है कि वहाँके प्रतिनिधियोंके नामोके आगे कुछ भी नहीं मिलता। भडीचके केवल १२ लोग ही सूत काते, इसका क्या अर्थ हो सकता है? काठियावाडका एक भी नाम फुटकर सूत कातनेवालोमें नहीं है, इससे क्या पता चलता है?

पैसा देना आसान था। आधे घंटेकी मेहनत देना मुसीबतकी बात जान पडती है।

कुछ लोग कह सकते हैं कि हम तो अपनी इच्छासे जैसे चाहे वैसे मेहनत करनेके लिए स्वतन्त्र हैं। यदि कोई ऐसा कहता है तो वह सगठनकी कीमत नहीं जानता। वर्षा ऋतुमें बूंदकी कोई कीमत नहीं होती, परन्तु अनेक बूंदें मिलकर अकालको सुकालमें बदल सकती हैं। अनेक होनेके बावजूद यदि ये सारी बूंदें स्वेच्छाचारी बन जायें और एक निश्चित नियमका अनुसरण न करे तो ये सब बूंदें निष्फल हो जायेगी। इसी तरह यदि अनेक स्त्री-पुरुष अपनी इच्छानुसार सेवा करते रहे तो भी वह सेवा व्यर्थ सिद्ध होगी। किन्तु यदि अनेक स्त्री-पुरुष किसी नियमके अधीन होकर कुछ कार्य करे तो वह कार्य चमक उठता है। इसलिए जो सेवा करना चाहते हैं उन्हें एक नियमके अधीन रहकर कार्य करना चाहिए, इसीमें उनकी और देशकी भलाई है।

अतएव गुजरातने फुटकर सख्यामें जो सूत भेजा है वह यद्यपि आशाजनक है, तथापि आश्चर्यजनक नहीं। वह आशाजनक इस तरह है कि प्रत्येक मास सूत भेजनेवालोकी सख्या बढ़ती जायेगी। मुझे उम्मीद है कि जिन ६७२ लोगोंने गुडआत की है वे लोग तो नियमका पालन करते हुए प्रति मास सूत कातकर भेजते रहेंगे।

अभी एक खुशीकी बात लिखनी बाकी है और वह यह कि कुछ लोगोंने बहुत ज्यादा सूत काता है। अब्बास साहब और वल्लभभाई दोनोंमें से प्रत्येकने ५,००० गज सूत भेजा है। एक भाईने ४३,००० गज सूत काता और भेजा है। दूसरेने २७,००० गज काता है और इसमें से ११,००० गज भेजा है। तीसरेने २४,००० गज सूत काता है और उसमें से १२,००० गज भेजा है। अन्तिम दो व्यक्ति तो बहुत ज्यादा कार्य-व्यस्त रहनेके बावजूद इतना कात सके हैं। एक युवकने ४६,००० गज सूत काता है, किन्तु उसने दान केवल ३,००० गजका ही किया है, क्योंकि सारेके-सारे सूतको दानमें देना उनकी शक्तिसे बाहर है। इस तरह अधिक कातनेवाले लोग

मेरी जानकारीमें बहुत है; लेकिन वे अपने काते हुए सूतसे अपना कपडा बनवानेका आग्रह रखनेके कारण अधिक सूत दानमें नहीं दे सकते। लेकिन इन आँकड़ोंसे पता चलता है कि प्रत्येक मास ३,००० गज सूत कातना बहुत ही आसान है किन्तु इतनेपर भी वह जितना आसान है उतना ही महत्त्वपूर्ण भी है।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २४-८-१९२४

## २४. टिप्पणियाँ

### बन्ध्या पार्लियामेन्ट

एक पत्रकारने ये विचार व्यक्त किये हैं '

पार्लियामेन्ट तो सचमुच ही बन्ध्या होगी। मुझे यह भरोसा नहीं कि हिन्दुस्तानमें उसका यह अवगुण बदला जा सकेगा। लेकिन मैंने इतनी आशा अवश्य रखी है कि हमारी पार्लियामेन्ट बन्ध्या ही रहेगी, कपूत तो नहीं जनेगी। मैं व्यावहारिकताके विचारको नहीं छोड़ सकता। रामका राज्य ही एक आदर्श है। लेकिन हम राम कहाँसे लायेंगे? पत्रकार लिखते हैं "प्रजा जिसको माने।" किन्तु प्रजा क्या है? पार्लियामेन्ट जिसे मान्य करे वही पुरुष या स्त्री चरित्रवान् है—ऐसी है हमारी दृष्टि। प्रजाकी आवाज प्रजाकी ही होनी चाहिए, वह आवाज किरायेके मत देनेवाले लोगोंकी न हो। इस हेतुसे मैं बहुतेरी मर्यादाएँ सुझा रहा हूँ और इसी हेतुसे ऐसी युक्तियाँ ढूँढ रहा हूँ कि हम सारी प्रजाकी आवाज सुन सके। जितनी पद्धतियाँ हैं सभी सदोप हैं। आज तो हम ऐसी पद्धति ढूँढ रहे हैं जिससे हिन्दुस्तानको अधिकसे-अधिक लाभ मिल सके। अच्छे आदमी बुरी पद्धतिको भी अच्छा बना लेते हैं, जैसे बुद्धिमान गृहिणी धूलमे से भी धान पैदा कर लेती है। दुष्ट आदमी अच्छीसे-अच्छी पद्धतिका भी दुरुपयोग करते हैं, जैसे मूर्ख गृहिणी अच्छी धानको भी धूल बना देती है। इसलिए मैं भारतमें अच्छे आदमियोंको ढूँढ रहा हूँ और ऐसे लोग बाहर निकल आये, ऐसी युक्तियाँ कर रहा हूँ। लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो केवल शुभ प्रयत्न ही कर सकता है। उसका परिणाम तो ईश्वरके अधीन है। परिणामका परिपाक एक मनुष्यके नहीं, अनेक मनुष्योंके प्रयत्नपर निर्भर है। उसमें अनेक अनुकूल परिस्थितियोंका योग होता है। इसलिए हमारे लिए तो "एक कदम आगे बढ़ना ही पर्याप्त होगा।"

### अन्तरात्माकी पुकार

पूर्वोक्त पत्रकार आगे कहते हैं . '

लेखककी ये बातें यथार्थ हैं, परन्तु ये दोष अनिवार्य हैं। यदि सच्चोके नामपर झूठे लोग उगते फिरते तो क्या इससे हम सच्चोको त्याग देते हैं? अन्तरात्मा-

१. ये पदों नहीं दिये गये हैं। इनमें इंग्लैडकी संसदीय पद्धतिकी आलोचना की गई थी।

२. यहाँ नहीं दिया गया है।

तो अभ्याससे जाग्रत होती है। वह मनुष्य-मात्रमें स्वभावतः जाग्रत नहीं होती। इस अभ्यासके लिए बहुत पवित्र वातावरणकी जरूरत रहती है, सतत प्रयत्नकी जरूरत है। यह अत्यन्त नाजुक चीज है। बालकोमें अन्तरात्माकी पुकार-जैसी कोई चीज नहीं होती। जो लोग जगली माने जाते हैं उनमें अन्तरात्माकी पुकार नहीं होती। अन्तरात्माकी पुकार क्या चीज है? परिपक्व बुद्धि द्वारा हमारे अन्तरात्ममें उत्पन्न प्रतिध्वनि। अतएव यदि हर शस्त्र अन्तरात्माकी पुकारका दावा करे तो वह हास्यजनक होगा।

ऐसा होते हुए भी यदि सब लोग उसका दावा करते हैं तो उससे परेशान होनेकी जरूरत नहीं। जो अर्थमें अन्तरात्माकी पुकारके नामपर किया जाता है वह ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। फिर वे लोग जो अन्तरात्माकी पुकारका बहाना लेकर काम करते हैं, कष्ट-सहनके लिए तैयार नहीं होते। उनका रोजगार दो दिन चलकर अवश्य ही बन्द हो जायेगा। अतः भले ही सैकड़ों लोग ऐसा दावा करते रहे उससे समाजकी हानि न होगी। हाँ, जो ऐसी सूक्ष्म वस्तुके साथ खिलवाड़ करेंगे उनके नाशकी सम्भावना जरूर है, औरोके नाशकी नहीं। एक हदतक अखवार इसकी मिसाल है। कितने ही अखवार आज लोकसेवाके नामपर जहर-ही-जहर फैला रहे हैं। परन्तु यह रोजगार ज्यादा दिन नहीं चल पायेगा। लोग जरूर उससे ऊब जायेंगे। पजाब इन बातमें महा अपराधी है। ताज्जुबकी बात तो यह है कि ऐसे अखवार भी चल पाते हैं। किन्तु लोग उन्हें उत्साहित क्यों करते हैं? जबतक सेठ-साहूकार होंगे तबतक चोर भूखी नहीं मर सकते। इसी प्रकार वहाँ जबतक लोगोंका एक हिस्सा जहरीले लेग पढनेके लिए तैयार रहेगा तबतक ऐसे अखवार जरूर चलेगें। इसकी एकमात्र दवा शुद्ध लोकमतका निर्माण है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २४-८-१९२४

## २५. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

सावरमती

२४ अगस्त, १९२४

प्रिय राजगोपालाचारी,

आपने महादेवको जो पत्र लिखा था वह उसने मुझे दिखाया है। आप निराश न हों। श्रीमती नायडूका यह कहना कि मैं निराश हो चुका हूँ, एक लाल्छन है। यह सत्य है कि मैं अँधेरेमें रास्ता टटोल रहा हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारेमें मैं साफ-साफ कोई निर्णय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन यह तो सिर्फ इस बातकी स्वीकृति है कि हमारा जहाज समुद्रमें अज्ञात पथपर चल रहा है।

याद रविए कि हम सब सत्याग्रही हैं। हमारे सामने जो परिस्थिति है, उसपर हम पारिवारिक नियमको लागू करके देखें। मान लीजिए कि दो भाई उत्तराधिकारके



सवालपर झगड रहे हैं। दोनो इसका उपयोग परिवारके हितमे ही करना चाहते हैं। एक कमसे-कम यह जानता है कि परिवारकी सेवाके लिए उमे इस सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं है। जातिके अधिकांश लोग चाहते हैं कि वह सम्पत्तिका अपना उत्तराधिकार छोडे नहीं। लेकिन क्या सत्याग्रही भाईका कर्तव्य यह नहीं कि उत्तराधिकारका त्याग करके झगडेको और उसमे नष्ट होनेवाले समय और शक्तिको बचा ले? हमारे सामने जो सवाल है, वह क्या इससे भिन्न है? फिर भी मैं अपने कदम बड़ी सावधानीसे उठा रहा हूँ। मैं जो-कुछ करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ वह यही है कि अशोभन विवादकी स्थिति न आये। अध्यक्ष बनना मैं स्वीकार कर लूँगा, बशर्ते कि मुझे यह यकीन हो जाये कि इससे देशका हित होगा। इसका निर्णय करनेके लिए अभी काफी समय है। कहाँ कितनी कताई हो रही है, इसके जो आँकडे प्राप्त हो रहे हैं, उनसे काफी-कुछ सीखनेको मिल रहा है। यदि कताईका ऐसा ही बुरा हाल रहा तो मेरे अध्यक्ष बननेसे क्या कोई ज्यादा लाभ होगा? उस हालतमे कांग्रेससे अलग होकर एक कठोर कार्यक्रम बनाना और उसके लिए ईमानदार तथा इच्छुक लोगोंको ही सदस्य बनाना क्या ज्यादा अच्छा नहीं होगा? क्या उस व्यक्तिसे जो स्वयं विदेशी कपडा पहनता हो, चरखेके पक्षमे मत प्राप्त करनेका कोई उपयोग है? फिर कांग्रेसपर अधिकार जमानेके लिए भोली-भाली जनताको बहकाकर उससे लाभ उठानेकी बात भी सोचिए। क्या तथाकथित अपरिवर्तनवादी पूर्ण रूपसे ईमानदार रहेगे? आप सारी चीजकी तनिक कल्पना तो कीजिए। यदि हम कांग्रेसको इस रस्साकशीके बिना अपने हाथमे नहीं रख सकते तो हमे स्वेच्छासे इसका त्याग कर देना चाहिए। मैंने आपके पत्रोपर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया है, पर मुझे निश्चित तौरपर यही लगा है कि मैं ऐसे किसी मुकाबलेसे अपनेको अलग रखूँ। लेकिन फिलहाल तो मैं स्थितिको देख ही रहा हूँ। मैं मोतीलालजीके उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

अब मलावारपर आइए। अनेक सूत्रोसे मेरे पास प्रार्थनापत्र आये हैं। आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं? मैं सोच रहा था कि किसीको वहाँ आपके साथ मिलकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करनेके लिए भेजूँ। परन्तु चूँकि अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाया है इसलिए अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे इस विषयमे अपनी राय दे। बहुत बड़ी मात्रामे कपडे इकट्ठे किये जा चुके हैं। उनके वितरणके विषयमे भी आप मुझे सुझाव दे।

मैं दिल्लीमें कुछ ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया हूँ। कुछ ठीक समझौता हो जायेगा, ऐसी आशा अब भी है। लेकिन बात बहुत नाजुक है।

हाँ, आपका अनुमान ठीक है। वे मित्र सरलादेवी<sup>१</sup> ही हैं। वे मुझपर और भी सामग्री लादना चाहती हैं, पर मैंने और गुजाइश निकालनेसे इनकार कर दिया है।

१. वेलगाँव कांग्रेसका।

२. देखिए “पहली परीक्षा”, २४-८-१९२४।

३. सरलादेवी चौधरानी।

आरोपका खण्डन करते हुए कुछ ब्राह्मणोंने बहुत रोचक पत्र भेजे हैं। एक तो मैंने प्रकाशित भी कर दिया है।

आपका,  
मो० क० गांधी

[ पुनश्च ]

मेरा कार्यक्रम

२९ अगस्तसे ३ सितम्बरतक बम्बईमें, ४थीको पूना, ५वीको बम्बई। फिर अनिश्चित, सम्भवत ५ को ही बम्बईसे दिल्लीको खाना हो जाऊँ।

[ अग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

## २६. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

[ २५ अगस्त, १९२४ के पूर्व ]<sup>१</sup>

परम प्रिय चार्ली,

रगूनसे भेजा हुआ तुम्हारा तार<sup>२</sup> मिला। तुम्हारे भेजे सभी लेख मुझे मिल गये हैं।

मेरे खयालमें अफीमके बारेमें तुम मुझसे जो-कुछ भी करनेकी अपेक्षा रख सकते हो, वह सब मैं कर चुका हूँ। कह नहीं सकता क्यों, किन्तु मुझे लगता है कि इस मामलेमें मैं जितना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ उतना खुद इस समस्याके लिए नहीं कर रहा हूँ।

इस सवालपर तुम्हीं विचार करो कि तुम्हारे मलाया हो आनेके बाद भी क्या बनारसीदास और वझेको<sup>३</sup> वहाँ जानेकी जरूरत रह जाती है।

मैं आशा करता हूँ कि परिवर्तनसे तुम अवश्य लाभान्वित हुए होगे।

तुम्हें मेरे लिए परेशान होनेकी जरूरत नहीं। यहाँ तो सब-कुछ विलकुल विपर्यस्त है, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ और काफी अच्छी तरह हूँ।

सन्नेह,

तुम्हारा,  
मोहन

१. पत्रमें उल्लिखित सी० एफ० एन्ड्र्यूज द्वारा प्रेषित लेखोंकी प्राक्तिके आधारपर, देखिए अगला शीर्षक।

२. उक्त तार सकुशल पहुँचनेकी सूचना देते हुए १४ अगस्तको भेजा गया था।

३. एस० ए० वझे, साम्राज्यीय नागरिकता सघ ( इम्पीरियल सिटीजनशिप एसोसिएशन ) के मन्त्री।

[पुनश्च.]

गुरुदेवको मेरी याद दिलाना। मैं आशा करता हूँ कि वे प्रसन्न हैं। बडो दादाके पत्र आते रहते हैं।

अग्नेजी पत्र (जी० एन० २६३८) की फोटो-नकलसे।

## २७. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रूजको

२५ अगस्त, १९२४

प्रिय चार्ली,

श्री ओल्डहमकी लिखी क्रिश्चियनिटी ऐंड द रेस प्रॉब्लम 'तुमने देखी हे क्या? कैसी है? के० टी० पॉलका बडा आग्रह है कि मैं इसे प्राप्त करूँ और पढ़ूँ। यदि तुम भी ऐसा चाहते हो तो मेरे लिए एक प्रति कहीसे प्राप्त करो।

वर्मापर तुम्हारा लेख मैंने पढा। स्थिति बहुत आघात पहुँचानेवाली है, पर तुमने इसे जल्दीमे लिखा है। मैं समझता हूँ कि तुमने वहाँ इतना ज्यादा देखा है कि तुम्हारे लिए उसका ठीक-ठीक विश्लेषण करना और उसके कारणोका पता लगाना कठिन सिद्ध हुआ। इसके सिवा जल्दी-जल्दी सारी दुनियाका चक्कर लगा आनेवालोकी टीका करते हुए हम जो कहते हैं, वही तुमने किया लगता है। क्या तुम कुछ समय सन्तोपके साथ आराम करनेमे नही विताना चाहोगे? कर्म प्रार्थना है, पर यह पागलपन भी हो सकता है। वर्माके सम्बन्धमे जब तुमने लेख लिखा था, ऐसा लगता है उस समय तुम्हारा मन बहुत क्षुब्ध था। फिर भी मैं इसे प्रकाशित कर रहा हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे पवित्र हृदयका उद्गार है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि कोई काम पूरी तैयारीके बिना न किया करो।

अगाध स्नेहके साथ,

तुम्हारा,  
मोहन

अग्नेजी पत्र (जी० एन० २६१२) की फोटो-नकलसे।

१. २८ अगस्त, १९२४ के यंग इंडियामें “वर्मामें भारतीय मजदूर” शीर्षकसे प्रकाशित लेखमें मजदूरोंकी भरती करनेवाले ठेकेदारों द्वारा भारतीय मजदूरोंके शोषण और उनपर किये जा रहे अन्यायपूर्ण अस्थाचारोंका तथा क्रिश्चियनी दयनीय दशा और जहाजोंमें होनेवाली वेशुमार भीड़का वर्णन था।

## २८. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

श्रावण कृष्ण ११ [ २५ अगस्त, १९२४ ]

भाईश्री घनश्यामदासजी,

आपका पत्र मीला है। पिताजीकी तबीयत अब अच्छी होगी। प० सुदरलालजीके लीये जो कुछ मे लीख सकता था मेने लीखा।<sup>१</sup>

हिंदु-मुसलमान झगडेका काम दिन-प्रति-दिन कठिनतर होता जाता है। मेरी सूचना आप चाहते है उसीकी बुनियाद है। यदि दिल्लीके झगडेकी अच्छी तरहसे तेहकीकात हो सके तो उसपर से ज्यादा काम हो सकता है। मे बिलकुल मानता हु कि आखरमे कई नेताओको अपना शरीरका बलीदान देना पडेगा।

आपका,  
मोहनदास

१३७, केनिंग स्ट्रीट

कलकत्ता

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३४) से।

सौजन्य घनश्यामदास बिड़ला

## २९. भाषण : अहमदाबाद नगरपालिकाके अभिनन्दनके उत्तरमें<sup>२</sup>

[ २६ अगस्त, १९२४ ]<sup>३</sup>

आपने जो यह सुन्दर अभिनन्दन-पत्र मुझे दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पर मैं बडे दु खके साथ महसूस करता हूँ कि मैं अहमदाबादके नागरिककी हैसियतमे इसके योग्य कदापि नहीं हूँ। यह मत समझिए कि मैं अनावश्यक शिष्टता या झूठे सकोचवश ऐसा कह रहा हूँ। किसी नगरकी नगरपालिकाकी ओरसे अभिनन्दन-पत्र पानेका अधिकारी वही नागरिक हो सकता है जिसने उस नगरकी खास सेवा की हो। मैंने अहमदाबादकी ऐसी कोई सेवा नहीं की। मेरा खयाल है कि मेरी जिन सेवाओके उपलक्ष्यमें आपने यह अभिनन्दन-पत्र दिया है, उसको देनेकी आपको बिलकुल जरूरत न थी। पर एक तो आपमें से बहुतेरे सज्जन दूसरे क्षेत्रमें

१ देखिए “ पत्र • घनश्यामदास बिड़लाको ”, २२-८-१९२४।

२ म्युनिसिपल हालमें आयोजित इस सभामें यह अभिनन्दन-पत्र सरदार वल्लभभाई पटेलने पढकर सुनाया था

३. बॉम्बे सीक्रेट एब्सट्रैक्ट्ससे।

मेरे सहकर्मी हैं और दूसरे हमारा देश स्वभावतः उदारताके लिए प्रसिद्ध है, जिसके निवासी होनेका आपको और मुझे अभिमान है। मैं जानता हूँ कि इन दो कारणोंसे ही मैं इस अभिनन्दन-पत्रके योग्य समझा गया हूँ।

मैं जब अपने कुछ मित्रोंके अनुरोधपर कुछ वर्ष पहले अहमदावादमें आकर बसा था, तब मैंने सोचा था कि मुझे नगरकी कुछ सेवा करनी चाहिए और अपनेको इस नगरका निवासी कहलानेके लायक बनाना चाहिए। उस समय मैं आप बहुतेरे सज्जनोंसे परिचित न था, पर मैं डा० हरिप्रसादसे अपनी भावी कल्पनाओं और आदर्शोंकी बातें किया करता था। उनसे मेरी मुलाकात अकसर होती रहती थी। दक्षिण आफ्रिकामें मैंने विभिन्न नगरोंकी जो-कुछ सेवा की उसका हाल मैं उन्हें सुनाया करता था। आप लोगोंकी उसका कुछ भी पता नहीं है और इस बातकी मुझे खुशी है। सच्ची सेवा वही है जिसका दुनियामें ढीढोरा नहीं पीटा जाता। मैं डाक्टर हरिप्रसादके साथ अहमदावादके स्वास्थ्य-सुधार और सफाई-सम्बन्धी तजवीजोंकी चर्चा करता था। हमने सोचा था कि एक ऐसी सेवा-समिति बनाई जाये जो नगरके कोने-कोनेमें घूमकर खुद गटरे, पाखाने तथा सड़के साफ करे और लोगोंके सामने अपनी खुदकी मिसाल पेश करके उन्हें इन्हें साफ करना सिखाये। हमने नगर-विस्तारकी तजवीजें भी सोची थीं और हम लोगोंको यह सलाह देना चाहते थे कि वे गन्दी और तग गलियोंमें रहना छोड़कर नगरके बाहर खुली जगहोंमें जा बसे। हमने सोच लिया था कि यह काम नये कर लगाकर सतोषजनक ढंगसे नहीं किया जा सकेगा। इसलिए हमने विचार किया था कि हम लोग भिक्षा-पात्र लेकर लक्ष्मी-पुत्रोंके घर पहुँचकर उनसे नगरके बीचमें जगह-जगह जमीने माँगेंगे, जहाँ छोटे बालकोंके खेलनेके लिए बगीचे बनाये जा सकें। अहमदावादके बच्चे-बच्चोंको शिक्षा प्राप्त करनेकी पूरी-पूरी सुविधाये सुलभ बनानेकी तजवीज भी हमने सोची थी। हमने यह भी सोचा था कि नगरकी तमाम दूध-शालाओंको नगरपालिकाके अधीन करके शुद्ध और सस्ता दूध लोगोंतक पहुँचानेका प्रबन्ध करे। श्री जीवनलाल देसाईने<sup>१</sup> तो यह भी सुझाया था कि मैं नगरपालिकामें गरीब हो जाऊँ और अपने सोचे उपायोंको काममें लानेकी कोशिश करूँ। पर होनहार कुछ और ही था। रौलट कानूनके रूपमें देशमें ऐसा भारी बवण्डर उठा, जो हम सबको अपनी लपेटमें ले उडा। उसमें कुछ लोगोंकी जाने भी गईं जिनमें कसूरवार और बेकसूर दोनों ही थे। मुझे अपनी भयकर भूलके लिए प्रायश्चित्त करना पड़ा।<sup>२</sup> वह बवण्डर आज भी मौजूद है—हाँ, उसकी शकल बदल गई है। हम लोग अपने बम-भर उसे रोकनेकी कोशिश कर रहे हैं, पर वह काफी नहीं है और कमसे-कम मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मैं अपनी उन तजवीजोंको कार्य-रूपमें परिणत करानेकी फुरसत न निकाल सकूँगा। पर मैं यह दावा भी क्यों करूँ

१. वेरिस्टर; अहमदावादके सार्वजनिक कार्यकर्ता; १९१५ में सत्याग्रह आश्रमकी स्थापनामें गांधीजीके सहायक।

२. १४ अप्रैल, १९२० को गांधीजीने तीन दिनका उपवास करनेका निश्चय किया था, देखिए खण्ड १५, पृष्ठ २३१।

कि यदि मैं नगरपालिकामे शामिल हो गया होता तो निश्चय ही अपनी योजनाओंको कार्यान्वित करा लेता ? मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपके पिछले सभापतियों या आपने ये सब बातें न सोची होगी या अब न सोच रहे होंगे ? मैं यह कहनेकी घृष्टता कैसे कर सकता हूँ कि इस बातके लिए अबतक किसी तरहकी कोशिश नहीं की गई ? मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जब-जब मैं अहमदाबादकी सड़कोसे गुजरता हूँ तब-तब सड़कोकी गन्दगी, धूल और दुर्दशा देखकर मेरा हृदय रो उठता है। ऐसी धनिक और महान् परम्परावाली नगरीमे इतनी गन्दगी, यह फाकेकशी बयोकर रह सकती है ?

पर मैं यह अभिमान नहीं कर सकता कि यदि मैं नगरपालिकामे शामिल हुआ होता तो मैं इन तमाम बुराइयोंको दूर कर देता। बहुत मुमकिन है वहाँ भी मुझे वही बदनामी नसीब होती, जो कि दूसरे क्षेत्रोमे हो रही है। शायद ईश्वरने मेरे वहाँ न जानेमे कुछ भलाई ही सोची हो। परन्तु फिर भी आज मेरे माथेपर यह कलक तो लगा ही हुआ है कि मैं इस नगरकी कुछ भी सेवा न कर सका और तिसपर भी आज यह अभिनन्दन-पत्र ग्रहण कर रहा हूँ, जिसके मैं सर्वथा अयोग्य हूँ। अतः परमात्मासे मेरी प्रार्थना है कि वह सिर्फ मेरे शुभ हेतुओपर ही ध्यान रखे और मेरी त्रुटियोंके लिए मुझे क्षमा करे। आप सज्जनोसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे क्षमा कीजिए और आज आदर्श नगरके स्वप्नका जो वर्णन मैंने आपके सम्मुख किया है उसे याद रखिए। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ।

[जम्रेजीमे]

यग इडिया, २८-८-१९२४

### ३०. पत्र : अब्दुल मजीदको

२७ अगस्त, १९२४

भाई अब्दुल मजीद,

आपका खत मुझे मिला है। आपका अहसान मानता हूँ। आप मुझे याद है।

आपका,  
गांधी

उर्दू पत्र (जी० एन० ६२१३) की फोटो-नकलसे।

## ३१. टिप्पणियाँ

### लॉर्ड लिटनकी सफाई

लॉर्ड लिटनने कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरको एक पत्र लिखकर अपनी सफाई दी है। उनके खुलासेसे मेरी रायमें उनके द्वारा किया गया भारतीय स्त्री-जातिका अपमान घटता नहीं, उलटे बढ़ जाता है। वाइसराय महोदयने व्याकरणके सूक्ष्म भेदोकी जो दुहाई दी है, उससे मेरी समझमें स्थिति सुधरती नहीं। मुझे यकीन है कि जब वाइसराय महोदयने वे अविवेकपूर्ण उद्गार प्रकट किये थे तब भी किसीने यह तो नहीं माना था कि उनका कथन हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंके सम्बन्धमें आमतौरपर था। लोगोकी शिकायत तो यह है कि वाइसराय महोदयने वह बात ही क्यों कही? जब कोई जिम्मेदार आदमी किसीपर कोई दोषारोपण करता है तब उसके सम्बन्धमें हमेशा दो अनुमान होते हैं एक तो यह कि खुद उसने उन बातोंके सम्बन्धमें अपनी पूरी तसल्ली कर ली है और वह दुनियाके सामने उसे साबित कर सकता है। दूसरा यह कि आरोपसे सम्बन्धित बुराई लगभग सर्व-सामान्य है। अब पुलिसके सबूतके अलावा क्या वाइसराय महोदयके पास अन्य कोई ऐसा सबूत है, जिससे वे सर्वसाधारणको, उदाहरणके लिए कविवरको ही, अपनी बातका यकीन करा सके? क्या वे इस बातको नहीं जानते कि सर्वसाधारणका विश्वास पुलिसपर नहीं रह गया है? क्या वे यह नहीं जानते कि जहाँतक सर्वसाधारणका ताल्लुक है, पुलिसकी स्थिति आमतौरपर प्रतिवादी-जैसी होती है? थोड़ी देरके लिए यह मान भी ले कि यह तोहमत कुछ मर्दों और कुछ औरतोंकी निस्वत सच है, तो क्या वे यह साबित कर सकते हैं कि यह बुराई इतनी व्यापक हो गई है कि उन्हें उसकी सार्वजनिक निन्दा करनेकी जरूरत पड़ी? यदि कोई जिम्मेदार हिन्दुस्तानी यह कहे कि अंग्रेज सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार और चरित्रहीनताके अपराधी हैं, क्योंकि उसकी जानकारियोंमें ऐसे इक्के-दुक्के अधिकारियोंके मामले हैं, तो क्या उसका यह कहना न्याय-युक्त होगा? अगर कोई ऐसा कहे तो क्या उससे रोषपूर्वक नहीं कहा जायेगा कि उनके नाम बताओ और उन्हें अदालतमें ले जाओ और साथ ही, उससे इस बातपर माफी न मँगवाई जायेगी कि जो बुराई केवल कुछ लोगोपर घटती है उसे उसने एक पूरे समाजपर थोप दिया है? ऐसी अवस्थामें क्या वह मुलिजम 'कुछ' शब्दकी ओटमें अपना बचाव कर पायेगा? यदि लॉर्ड लिटनके कहनेका अभिप्राय सिर्फ इतना ही था कि अन्य राष्ट्रोंकी तरह हिन्दुस्तानी जन-समाजमें भी कुछ पतित लोग हैं, तब फिर उनकी शिकायतके लिए जगह ही कहाँ रह जाती है, और वह भी ऐसे भाषणमें जो कि गम्भीर विषयपर था, जिम्मेदारोंमें वे जानते थे कि उसका एक-एक शब्द यहाँ बड़े ध्यानसे पढ़ा जायेगा और विदेशोंमें भी उसका काफी वजन माना जायेगा। अतएव मैं अदबके साथ यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यदि उनका उद्देश्य यह न रहा

हो कि भारतीय रिजर्वों और पुर्णपोषण लालन लगाये जायें, तो उनको बिना शर्त अपने आरोग्य वापस लेकर माफी माँग लेनी चाहिए। ऐसा करके वे अपनी प्रतिष्ठा और गौरवकी वृद्धि ही करे। इसके विपरीत, अगर उनके पाम वैसे सबूत हो, जैसे कि मैंने मुझसे हैं, तो उन्हें हिम्मतके साथ अपने आरोग्यकी पुष्टि करनी चाहिए और जन-साधारणके सामने ये सबूत उपस्थित कर देने चाहिए। लचर किस्मकी सफाई कोई नफाई नहीं होती। वह तो पत्तेपर नमक छिड़कना होता है।

### अधीनताका बिल्ला

भारतका हरएक पत्रकार इस बातको जानता है कि जब बाहरसे आयात होने-वाले मूली कपड़ेपर चुगी लगाने गई, तब सिर्फ लकाशायरके हितके लिए भारतके बने कपड़ेपर उत्पादन-कर लगा दिया गया था। उसके खिलाफ विरोधकी आवाजें उठाई गईं और इन बातका बयान भी दिया गया कि इसपर फिरसे विचार किया जायेगा। फिर भी यह आजतक ज्योंका-त्यों कायम है। यह कर हमें निरन्तर इस बातकी याद दिलाता रहता है कि भारतका हित इंग्लैंडके हितके अधीन है — उसके आगे गोंग है। इसलिए मैं विदेशी मिलोंके मुकाबले हिन्दुस्तानी मिलोंके कपड़ोंको तरजीह देता हूँ। पर किन्तु ही लॉग इससे चक्करमें पड़ जाते हैं। वे उसका आशय ठीक-ठीक नहीं समझ पाते, क्योंकि एक ओर तो मैं मिलके कपड़ोंके मुकाबले हाथके बने कपड़ोंकी निफारिया जोर-शोरसे — लगभग आवेशपूर्वक — करता हूँ और दूसरी ओर विदेशी कपड़ोंके मुकाबले देशी मिलके बने कपड़ोंकी रक्षाकी आवाज उठाता हूँ। पर जरा गौर करनेमें ही उन्हें ये दोनों नीतियाँ परस्पर सुसंगत लगने लगेंगी। यदि भारतवर्षको अधिक रूयसे एक स्वाधीन राष्ट्र बनना हो, यदि उसके किसानोंकी सदियों पुरानी फाकेकशी मिटानी हो, यदि उन्हें अकालों और ऐसे ही दूसरे सकटोंके समय कोई प्रतिष्ठित काम दरकार हो तो देशसे विदेशी कपड़ोंका मुँह काला किये बिना चारा नहीं। अपने कपड़ा-उद्योगकी रक्षा करना उसका जन्म-सिद्ध अधिकार है। अनएव मैं विदेशी मिलोंकी होड़से भारतीय मिलोंकी रक्षा जरूर करूँगा — भले ही उसका फल यह होता हो कि चन्द रोजके लिए गरीबोंको दण्ड भुगतना पड़े। ऐसा दण्ड उन्हें तभी भुगतना पड़ेगा जबकि मिल-मालिक देश-प्रेमको इतना खो बैठे हो कि कपड़ोंका बाजार पूरी तरह अपने हाथमें आ जानेपर वे उसके दाम बढ़ा दे। इसलिए मैं कपाम तथा भारतके कपड़ेपर लगे उत्पादन-करको हटाने और आयातपर भारी चुगी लगानेके लिए बिना हिचकिचाहटके जोर दे सकता हूँ।

उसी तरह और बिना किसी प्रकारकी असंगतिके, मैं देशी मिलोंके मुकाबले हाथ-कनी खादीकी रक्षा करूँगा। मैं जानता हूँ कि यदि सिर्फ विदेशोंके साथ होडा-होटी बन्द हो जायें तो खादीकी रक्षा बिना दिक्कत हो सकती है। ज्यों ही लोकमत इतना प्रबल हुआ कि उसका प्रभाव पड़ सके, त्यों ही यहाँसे विदेशी कपड़ोंका मुँह काला हो जायेगा और वही शक्ति मिलोंके मुकाबलेमें खादीकी रक्षा करेगी। पर मुझे तो यह दृढ़ विश्वास है कि खादी तो मिलोंसे बिना किसी अशोभन टकरावके ही अपने पैर जमा लेगी। परन्तु यह जरूरी बात है कि जबतक खादीके भक्तोंकी



सख्या बहुत थोड़ी है तबतक उन्हें लाजिम है कि वे देशी मिलोतक में बने अथवा मिलके सूतसे बने कपड़ोंकी बजाय एकमात्र खादीका प्रचार करे। लोगोंको देशी मिलोके कपड़े या खादीका विकल्प देना, मानो खादीको निर्मूल कर देना है।

### मिलकी खादी

इसपर कोई अधीर देशप्रेमी कहेगा “जब कि मिल-मालिक नकली खादी भोली-भाली जनताके सिर मड़कर उनकी आँखोंमें धूल झोकते नहीं हिचकते तब आपके दिलमें मिलोके लिए कैसे गुजाइश हो सकती है?” हाँ, मुझे इस नकली खादीका पता है। मैंने जान-बूझकर ऐसी नकली खादीके कुछ बढिया नमूने अपने सामने रख छोडे हैं, जिससे कि वे मुझे मेरे इस कर्तव्यकी याद दिलाते रहे कि मुझे ऐसे मिल-मालिकोके इस राष्ट्र-विरोधी आचरणके वावजूद उनपर गुस्सा नहीं करना है। मैं यह भी जानता हूँ कि बिना खादीकी होडा-होडीमें पडे भी वे अपना रोजगार अच्छी तरह कर सकते थे। उन्हें कमसे-कम अपने मोटे कपड़ोको झूठ-मूठ खादीके नामपर बेचनेके पापसे तो बचना ही चाहिए था, क्योंकि यह तो वे अच्छी तरह जानते हैं कि ‘खादी’ नाम केवल उसी कपड़ोके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाथ-कता और हाथ-बुना हो। परन्तु यो बुराईका जवाब बुराईसे देनेसे वह भलाई नहीं हो सकती। मेरा सत्याग्रह-धर्म मुझसे कहता है कि बदला लेनेकी नीयत न रखो। उनके राष्ट्र-विरोधी आचरणका अनुकरण मैं तो नहीं कर सकता। मुझे निश्चय है कि खादीके अनुरागी लोग यदि अपने विश्वासपर दृढ और सच्चे बने रहे तो तमाम कठिनाइयोके होते हुए भी हाथ-कती खादी फूलने-फलने लगेगी। इसलिए असहयोगियोको चाहिए कि कपासपर लगे उत्पादन-करको हटानेकी ही नहीं, बल्कि मिलोके महान् उद्योगकी रक्षाके लिए भी बराबर आवाज उठाते रहे और कुछ मिले जो जानमें या अनजानमें खादीको हानि पहुँचा रही हैं, उसका कुछ खयाल न करे।

### विदेशोंमें रहनेवाले भारतीय

मैं श्री एन्ड्रयूज द्वारा भेजे गये एकाधिक लेख एक ही अकमें छाप रहा हूँ। ये सब इसी सप्ताहके दौरान प्राप्त हुए हैं। इनसे पता चलता है कि उनके मनमें भारतके लिए कितना उत्कट प्रेम है और हर अन्यायके विरुद्ध उनके मनमें कितना रोष है। इन लेखोंसे एक ही नजरमें पता चल जाता है कि दुनियाके विभिन्न भागोंमें विखरे हुए हमारे देग-भाइयोमें सम्बन्धित हमारा काम कितना कठिन है। जिन दिनों श्रीमती नायडू दक्षिण आफ्रिकामें थी, उन्ही दिनों नेटाल अध्यादेशको बनानेकी तैयारी बडे जोर-शोरमें चल रही थी। अब इस अध्यादेशसे स्पष्ट हो गया है कि श्रीमती नायडूके महत्त्वपूर्ण कामको और आगे बढ़ाना है। केनियामें आफ्रिकियों और भारतीयोंके साथ जो धोखा किया गया है वह तो इतना बडा अन्याय है कि बेचारा भारत उससे निपट नहीं सकता। जिन प्रणालीके अन्तर्गत हमारे देशवासी वर्मा जाते हैं वह तो इतने भयकर रूपसे अनैतिकतापूर्ण है कि हमें निरन्तर जागरूक रहनेकी आवश्यकता है। जिन दिनों मैं तीसरे दर्जेमें मफर किया करता था तब मैंने अपनी आँखों देखा कि

कलकत्ता और बर्माके बीच स्टीमरके उकेपर सफर करनेवालोपर क्या गुजरती थी। उस समय मैंने उके-यात्रियोकी दशाको अमानवीय बताया था। उस समय मैं समझता था कि मद्रास और रगूनके बीच यात्रा इससे भी कही बदतर थी। इसका कारण स्टीमर कम्पनीकी कभी न बुझनेवाली पैसेकी प्यास थी। वह जानते हुए भी जहाजोंपर गन्दगी और जिल्लतको चलने देती थी, बल्कि उसे शह भी देती थी। सरकार, जो कम्पनीको उके-यात्रियोके शारीरिक और नैतिक स्वास्थ्यकी घोर अवहेलना करते हुए अपनी स्टीमर-सेवा चलाने देती है अथवा कम्पनी, जो यह अन्याय करती है, अथवा यात्री, जिन्हें विदेशमें आजीविका कमानेकी यात्रिण शारीरिक और नैतिक दोनों ही दृष्टियोने गन्दगीमें लोटना भी कबूल है— इनमें से किसका दोष है, सबसे बड़ा अपराधी कौन है, यह कहना मुश्किल है। श्री एन्ड्र्यूज एक निजी पत्रमें कहते हैं कि वे शीघ्र ही उकेपर यात्रा करनेवालोकी दशामें निश्चित सुधार होनेकी आशा करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस नैक अग्रेजकी आशा पूर्ण होगी।'

### ध्यान बीजिए

अ० भा० खादी बोर्डके मन्त्रीने सभी सम्बन्धित लोगोके लाभार्थ नीचे लिखी सूचनाएँ भेजी हैं

(१) अधिकांश सूत भेजनेवाले सदस्योने अपना रजिस्टर-नम्बर नहीं लिखा है। इसका कारण शायद यह हो कि प्रान्तीय खादी मण्डलोने अपने-अपने सदस्योको उनके रजिस्टर-नम्बरकी सूचना न दी हो।

(२) रजिस्टरोंमें वर्णानुक्रमसे सदस्योकी सूची नहीं दी गई है; उनमें उनके नाम खोजनेमें भी दिक्कत पडती है। इस तरहकी वर्णानुक्रमणिकाके सम्बन्धमें जो हिदायतें दी गई हैं, उनका पालन बहुत कम प्रान्तोने किया है। जिन सदस्योने अपना रजिस्टर-नम्बर नहीं लिखा है, रजिस्टरमें वर्णानुक्रमसे सूची न होनेपर उनके नाम छाँटना प्रायः असम्भव हो जाता है।

(३) हिदायतोके विपरीत कितने ही सदस्यो और गैर-सदस्योने अपना सूत सीधा यहाँ, इस दफ्तरको भेज दिया है। उन्हें सूचित कर दिया जाना चाहिए कि आगेसे सदस्य और गैर-सदस्य, दोनों अपना-अपना सूत अपने प्रान्तके ही दफ्तरमें भेजा करें।

(४) बहुतेरे लोगोने सूतकी लम्बाई नापकर नहीं भेजी है। प्रान्तीय मन्त्रीको चाहिए कि वे पार्सल रवाना करनेके पहले यह देख ले कि हर शब्दके सूतपर पर्ची लगी है या नहीं और उसपर आवश्यक तफसील दर्ज है या नहीं।

सूत-कतार्डकी व्यवस्था उसी हालतमें पुर-असर और कामयाब हो सकती है जब कि दी गई हिदायतोका पालन कामिल तीरपर किया जाये। इसलिए मैं आशा करता

हूँ कि अगले माहसे अ० भा० खादी-बोर्ड द्वारा समय-समयपर दी गई हिदायतोंका पूरा-पूरा पालन किया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-८-१९२४

### ३२. गुलबर्गाका पागलपन

पिछले सप्ताह मैंने इशारा किया था<sup>१</sup> कि हिन्दुओंके मन्दिरोंको अपवित्र करनेकी जो हवा आजकल वह रही है उसके पीछे जरूर कोई सगठित जमात है। इस सिलसिलेमें गुलबर्गाकी मिसाल सबसे ताजा है। हिन्दुओंकी ओरसे मुसलमानोंको अगर उत्तेजनाका कोई कारण दिया गया हो तो वह चाहे कैसा भी क्यों न रहा हो, लेकिन मुसलमानोंकी हिंसात्मक कार्रवाइयाँ किसी बड़ी विपत्तिकी सूचक हैं। मन्दिरोंको अपवित्र करना तो किसी भी हालतमें उचित नहीं कहा जा सकता। मौलाना शौकत अलीने जब शम्भर और अमेठीमें मन्दिरोंको अपवित्र करनेका हाल सुना तो वे गुस्सेमें कह उठे थे कि अगर किसी दिन हिन्दू लोग मुसलमानोंकी मसजिदोंको नापाक करके इसका बदला ले तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मौलाना साहबके इन क्रोधपूर्ण वचनोंको सुनकर मुमकिन है, हिन्दू लोग फूल उठे या उनको खुशी हो, लेकिन मुझे नहीं होती और मैं हिन्दुओंको सलाह देता हूँ कि वे भी इसपर खुश न हो। वे इस बातको अच्छी तरह समझ ले कि मुसलमानोंके हर धर्मान्वितापूर्ण कृत्यसे बहुतेरे हिन्दुओंके मुकाबले कहीं अधिक चोट मेरे दिलको पहुँचती है। मुझे इस बातका पूरा ध्यान है कि इस मामलेमें मेरी जिम्मेदारी क्या है। मैं जानता हूँ कि बहुतेरे हिन्दुओंका दिल यह कहता है कि ऐसे बहुतेरे दगे-फसादोंका जिम्मेदार मैं हूँ। क्योंकि, उनका कहना है, सोई हुई मुसलमान-जनताको जाग्रत करनेमें मेरा सबसे ज्यादा हाथ है। मैं इस इलजामकी कद्र करता हूँ। यद्यपि इस जागृतिमें अपने योगदानके लिए मुझे जरा भी पछतावा नहीं, तथापि मैं महसूस करता हूँ कि उनके कयनमें वजन है। इसलिए अगर और किसी वजहमें नहीं तो अपनी बढी हुई इसी जिम्मेदारीके खयालसे मुझे बहुतेरे हिन्दुओंकी अपेक्षा, इन मन्दिरोंके अपवित्र किये जानेकी दुर्घटनाओपर अधिक दुःख होना चाहिए। मैं मूर्तिपूजक भी हूँ और मूर्तिभजक भी, पर उस अर्थमें जिसे मैं इन शब्दोंका सही अर्थ मानता हूँ। मूर्ति पूजाके पीछे जो भाव है मैं उसका आदर करता हूँ। मनुष्य-जातिके उत्थानमें उसमें बहुत सहायता मिलती है और मैं चाहूँगा कि अपने प्राण देकर भी उन हजारों पवित्र देवालयोंकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य मुझमें हो, जो हमारी इस जननी जन्म-भूमिको पुनीत कर रहे हैं। मुसलमानोंके साथ जो मेरी मित्रता है, उसके अन्दर यह बात पहलेमें ही ग्रहीत है कि वे मेरी मूर्तियों और मेरे मन्दिरोंके प्रति पूरा-पूरी सहिष्णुता बरतेगे। मैं मूर्तिभजक उस मानीमें हूँ कि मैं उस धर्मान्विताके रूपमें

१. देखिए “टिप्पणियाँ”, २१-८-१९२४, उप-शीर्षक “मन्दिरोंकी पवित्रताका भंग”।

छिपी सूक्ष्म मूर्तिपूजाको खण्डित करता हूँ जो अपनी ईश्वर-पूजाकी विधिके अलावा दूसरे लोगोंकी पूजा-विधिमें किसी गुण और अच्छाईको देखनेसे इनकार करती है। इस किस्मकी सूक्ष्म मूर्तिपूजा, वृत्तपरस्ती ज्यादा घातक है, क्योंकि यह उस स्थूल और प्रत्यक्ष पूजासे, जिसमें कि एक पत्थरके टुकड़े या सोनेकी मूर्तिमें ईश्वरकी कल्पना कर ली जाती है, अधिक सूक्ष्म और प्रच्छन्न है।

हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके लिए यह आवश्यक है कि मुसलमान लोग न तो आपद्धर्मके तीरपर और न व्यवहार-नीतिके तीरपर बल्कि अपने मजहबका एक अग समझकर दूसरोके मजहबके प्रति तबतक सहिष्णुता बरते जबतक कि दूसरे लोग अपने-अपने मजहबको सच्चा मानते रहे और इसी तरह हिन्दुओसे भी यह आशा की जाती है कि वे धर्म और ईमान समझकर दूसरोके धर्मोंके प्रति उसी सहिष्णुताका परिचय दें—फिर चाहे दूसरोके धर्म उनको कितने ही प्रतिकूल क्यों न मालूम होते हों। इसलिए हिन्दुओको चाहिए कि वे बदला लेनेकी इच्छाको अपने दिलोंमें जगह न दें। सृष्टिकी उत्पत्तिसे लेकर आजतक हम बदले अर्थात् प्रतिहिंसाकी नीतिकी आजमाइज करते आ रहे हैं और अबतक का अनुभव हमें बतलाता है कि वह बुरी तरह बेकार साबित हुई है। उसके जहरीले असरसे हम आज बेतरह छटपटा रहे हैं। जो भी हो, पर हिन्दुओको चाहिए कि मन्दिरोंके तोड़े जानेपर भी वे मसजिदोंकी ओर अँगुली-तक न उठाये। यदि वे बदलेका अवलम्बन करेंगे तो उनकी बेडियाँ और भी मजबूत हो जायेगी और ईश्वर जाने, उनकी क्या-क्या दुर्गति होगी। इसलिए चाहे हजारों मन्दिर तोड़-फोड़कर मिट्टीमें क्यों न मिला दिये जायें, मैं एक भी मसजिदको न छुँऊँगा और इस तरह धर्मान्ध, दीवाने लोगोंके तथाकथित धर्मसे अपने धर्मको ऊँचा साबित करनेकी उम्मीद रखूँगा। अलबत्ता यदि मैं यह सुनूँगा कि पुजारी लोग अपने मन्दिरों और मूर्तियोंकी रक्षा करते-करते काम आ गये तो मेरे दिलकी कली खिल उठेगी। ईश्वर घट-घट व्यापी है। वह मूर्तिमें भी विद्यमान है। फिर भी वह अपने और अपनी मूर्तिके अपमान और तोड़-फोड़को चुपचाप सहनकर लेता है। पुजारियोंको भी चाहिए कि वे अपने भगवान्की तरह ही अपने मन्दिरोंकी रक्षाके लिए कष्ट-सहन करना और मरना सीखें। यदि हिन्दू लोग बदलेमें मसजिदें तोड़ने लगेंगे तो वे अपनेको भी उन्हीं लोगोंकी तरह धर्मान्ध साबित करेंगे जो कि मन्दिरोंको अपवित्र करते हैं और इस तरह वे अपने धर्म अथवा अपने मन्दिरोंकी रक्षा तो कर ही नहीं पायेंगे।

अब उन अज्ञात मुसलमानोंसे, जो निःसन्देह इन मन्दिरोंकी तोड़-फोड़में भीतर-ही-भीतर शरीक हैं, मैं कहता हूँ

याद रखो, इस्लामकी जाँच तुम्हारी करतूतोसे हो रही है। मैंने अभीतक एक भी ऐसा मुसलमान नहीं देखा, जिसने इन हमलोंकी ताईद की हो—फिर वे भले ही किसीके उभारे जानेपर ही क्यों न किये गये हों। मुझे जहाँतक दिखाई देता है, हिन्दुओकी तरफसे आपको उत्तेजित होनेका मौका या तो दिया ही नहीं गया है या दिया भी गया है तो बहुत ही कम। पर अच्छा, फर्ज कीजिए कि बात इसके खिलाफ हुई है अर्थात् हिन्दुओंने मुसलमानोंको दिक करनेके लिए मसजिदके नजदीक

वाजे बजाये और यहाँतक कि किसी मीनारपर से एक पत्थर उखाड़ लिया, तो भी मैं कहनेका साहस करता हूँ कि मुसलमानोको मन्दिरको अपवित्र नहीं करना चाहिए था। बदला भी आखिर एक हदतक ही लिया जा सकता है। हिन्दू लोग अपने देवालयको जानसे अधिक मानते हैं। हिन्दुओकी जानको नुकसान पहुँचानेकी बात तो किसी हदतक समझमे आ सकती है, पर उनके मन्दिरको हानि पहुँचानेकी बात समझमे नहीं आ सकती। धर्म जीवनसे बढकर है। इस बातको याद रखिए कि दूसरे धर्मोंके साथ तात्त्विक दृष्टिसे तुलना करनेमे चाहे किसीका धर्म नीचा बैठता हो, परन्तु उसे तो अपना वही धर्म सबसे सच्चा और प्रिय मालूम होता है। परन्तु जहाँतक अनुमान किया जा सकता है, हिन्दुओकी तरफसे मुसलमानोको उत्तेजनाका मौका ही नहीं दिया गया। मुलतानमे जब मन्दिर अपवित्र किये गये तब विना-किसी उत्तेजनाके ही किये गये थे। हिन्दू-मुस्लिम तनावके विषयमे लिखे अपने लेखमे<sup>१</sup> मैंने कुछ ऐसे स्थानोकी चर्चा की है, जहाँ हिन्दुओ द्वारा मसजिदोके अपवित्र किये जानेकी बात कही जाती है। मैं इन आरोपोके सम्बन्धमे सबूत एकत्र करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। परन्तु अबतक मुझे उनका कुछ भी सबूत नहीं मिला है। अमेठी, शम्भर और गुलबर्गाकी जो खबरे प्रकाशित हुई हैं, ऐसे काम करके आप इस्लामकी कीर्तिको बढाते नहीं हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं कहूँगा कि इस्लामकी इज्जतका भी मुझे उतना ही खयाल है जितना कि खुद अपने मजहबका। यह इसलिए कि मैं मुसलमानोके साथ पूरी, खुली और दिली दोस्ती रखना चाहता हूँ। पर मैं यह कहे विना नहीं रह सकता कि मन्दिरको अपवित्र करनेकी ये घटनाएँ मेरे हृदयके टुकड़े-टुकड़े कर रही हैं।

दिल्लीके हिन्दुओ और मुसलमानोसे मैं कहता हूँ

यदि आप इन दो जातियोमे मेल-मिलाप कराना चाहते हो, तो आपके लिए यह अनमोल अवसर है। अमेठी, शम्भर और गुलबर्गामे जो-कुछ हुआ है, उसे देखनेके बाद आपका यह दुहरा कर्तव्य हो जाता है कि आप इस ममलेको हल कर डाले। आपको अपने बीच हकीम अजमलखाँ साहब और डा० असारी-जैसे मुसलमान सज्जनोके होनेका सौभाग्य प्राप्त है, जो अभी कलतक दोनो जातियोके विश्वासपात्र थे। इस तरह आपकी परम्परा उच्च रही है। अपनी दलबन्दियोको तोडकर ओर ऐसी दिली दोस्ती कायम करके जो किसी तरह न टूट पाये, आप इन लडाई-झगडोकी शुभ परिणति कर सकते हैं। मैंने तो अपनी सेवाएँ आपके हवाले कर ही दी है। यदि आप मुझे दोनोका मध्यस्थ बनाना पसन्द करे तो मैं दिल्लीमे जमकर बैठनेके लिए तैयार हूँ और उन दूसरे सज्जनोके साथ, जिन्हे आप चुने, सच्ची बातोका पता लगानेकी कोशिश करूँ। इस सवालके स्थायी निपटारेके लिए यह आवश्यक है कि पहले हम इस बातकी पूरी तहकीकात करे कि पिछली जुलाईमे दरहकीकत क्या-क्या हुआ और वह क्योंकर हो पाया। मैं आपमे प्रार्थना करता हूँ कि आप गीब्र ही इस सम्बन्धमें कोई निर्णय लीजिए। हिन्दू-मुसलमानोका सवाल एक ऐसा सवाल है जिसके ठीक-ठीक हल होनेपर ही निकट भविष्यमे भारतका भाग्य निर्भर करता है। दिल्ली इस

सवालको हल कर सकती है क्योंकि दिल्ली जो कुछ करेगी, उसीका अनुसरण दूसरी जगहोंपर होगा।

[ अग्नेजीसे ]

घग इडिया, २८-८-१९२४

### ३३. आँकड़ोंपर विचार

१५ अगस्तको खत्म होनेवाले महीनेके लिए आये सूतकी आखिरी फेहरिस्त नीचे दी जाती है। २५ अगस्ततक जितना सूत आया है, वह इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद जो सूत आयेगा वह अगले महीनेमें गिना जायेगा।

प्रान्तका नाम	प्रतिनिधियोंकी सख्या	सदस्य कर्तये	गैर-सदस्य कर्तये	कुल सूत भेजनेवाले
आन्ध्र	१,६५३	३०२	१२७	४२९
असम	२५०	३४	२	३६
अजमेर	५७	९	६	१५
बम्बई	२४२	६४	२१	८५
बर्मा	३६	१	१	२
बिहार	१,०७४	१७४	३४	२०८
बंगाल	१,५४९	४०१	४३	४४४
बरार	२५५	१	—	१
मध्य प्रान्त (मराठी)	९४२	४४	२३	६७
मध्य प्रान्त (हिन्दी)	१,३२४	६६	५	७१
दिल्ली	१८५	६	६	१२
गुजरात	४०८	१७७	६६८	८४५
*कर्नाटक	१६३	२३	१८	४१
केरल	५३	२	—	२
महाराष्ट्र	६७४	१३७	२५	१६२
*पंजाब	२५५	२३	—	२३
*सिन्ध	२६२	३६	१२	४८
*तमिलनाड	८२६	७९	११	९०
सयुक्त प्रान्त	१,५८१	१३५	२७	१६२
उत्कल	४१३	३२	५	३७
कुल योग	१२,२०२ <sup>१</sup>	१,७४६	१,०३४	२,७८०

\*यहाँके रजिस्टर अघूरे हैं।

१. साधन-सूत्रमें यह सख्या '११,३०२' है।

कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार जिन सदस्योंने सूत भेजा है उनकी तादाद रजि-  
स्टरमें दर्ज सख्याकी सिर्फ १४ फीसदी है। गैर-सदस्य सूत भेजनेवालोंकी सख्या सूत  
कातनेवाले सदस्योंकी ६७ फीसदी है। प्रायः हरएक प्रान्तने इस वार कम सूत भेज  
पानेके लिए माफी चाही है। अगले महीनेमें वे इससे कही अच्छा नतीजा दिखानेकी  
आशा रखते हैं। इस सूचीमें गुजरातका नम्बर सबसे पहला है। पर इसमें कोई  
आश्चर्यकी बात नहीं। क्योंकि सूत कातनेकी शिक्षा देनेकी सुविधाएँ और व्यवस्था  
यहाँ सबसे अच्छी है। वरार सबसे फिसड्डी रहा। मैं तो आशा कर रहा था कि  
वरारका विश्वास चरखेपर न होनेपर भी वह कांग्रेसकी आज्ञाका पालन अवश्य करेगा  
और मैं उसे बधाई दूँगा। मैं वरारकी प्रान्तिक समितिसे अनुरोध करता हूँ कि वह  
नियमोका पालन करे। फिर क्या वरारमें ऐसे लोग नहीं हैं, सदस्य चाहे न हो,  
जो चरखेके कायल हैं? गुजरातके बाद दूसरा नम्बर है बगालका। यह बात ध्यान  
देने लायक है। ऐसा मालूम होता है कि वह गुजरातको हरा देगा। होना भी  
यही चाहिए। क्योंकि बगाल तो उन नफीस कतैयोंकी जन्मभूमि है जिनकी टक्करके  
कतैयों दुनियामें कही पैदा ही नहीं हुए। बगालको ही ईस्ट इंडिया कम्पनीकी क्रूरताका  
पूरा-पूरा शिकार होना पडा था। ऐसी हालतमें इससे बढकर ठीक बात दूसरी हो  
ही नहीं सकती कि बगाल भारतको सबसे अधिक सूत कातनेवाले स्वयसेवक देकर  
औरोको रास्ता दिखाये। गुजरातके बाद बगालके दूसरे नम्बरपर होनेका रहस्य वहाँ  
डाक्टर राय द्वारा किया गया सगठन और व्यवस्था है। यदि नेता लोग आगे बढे  
तो कार्यकर्ता बढनेके लिए तैयार हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं अगले सप्ताह सूतकी  
अच्छाई-बुराई आदिकी तफसील दे सकूँगा। फिलहाल तो इतना ही कहना काफी  
होगा कि यदि लोगोंके उत्साहका यही क्रम रहा तो हम बिना दिक्कत ऊँचे नम्बरका  
बुनने लायक सूत प्राप्त करनेकी समस्या हल कर सकेंगे। खादी-प्रचारके रास्तेमें यही  
सबसे बड़ी बाधा रही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-८-१९२४

### ३४. दो पहलू

कांग्रेसका कताई सम्बन्धी प्रस्ताव कांग्रेसियोंकी मनोवृत्तिके अव्ययनकी खासी  
सामग्री पेश कर रहा है। जब अ० भा० कांग्रेस कमेटीने चरखा कातनेका प्रस्ताव  
किया तब कही कांग्रेसियोंकी समझमें आया कि चरखा कातना तभी लोकप्रिय और  
सार्वत्रिक हो सकता है जब कमसे-कम कांग्रेसके प्रतिनिधि केवल कनाई सीखना ही  
नहीं बल्कि रोज चरखा कातना भी अपना कर्तव्य माने। अब वे डम बातका महत्त्व  
समझने लगे हैं। अबतक तो कांग्रेसके इस आग्रहके एक पिछले प्रस्तावके रहते हुए  
भी कि तमाम कांग्रेसियोंको कमसे-कम चरखा कातनेकी कला सीख लेनी चाहिए,  
बहुतोंने उसे छुआतक न था।

ऐसी अवस्थामें क्या आश्चर्य कि चरखा-कताई इतनी नहीं बढ़ पाई जिससे विदेशी कपडेका बहिष्कार सफलतापूर्वक हो सके। पर अब तो वे लोग भी कातने लगे हैं जो यह समझते थे कि हम तो कभी कात ही न सकेगे, यही नहीं, वे उसे पसन्द भी करने लगे हैं। एक महाशयके पत्रका कुछ अंश मैं नीचे देता हूँ, जिससे यह बात और स्पष्ट हो जाती है

कातनेका काम मैंने कुछ देरसे शुरू किया। सामग्री जुटानेमें कुछ दिन और बीत गये। फिर, कुछ दिनोंतक मुझे अपने औजारोंसे झगडना पडा। इस तरह पता चला कि मैं किस किस्मका कारीगर हूँ। जब चरखेने बुद्धिके आगे सिर झुकाया, तो पुनियोने बगावत शुरू कर दी। नालायक पुनियों अडने लगीं, धागा देनेसे इनकार करने लगीं, लेकिन दिल्लगी यह कि ये सबकी-सब एक रस्सा बनकर निकलनेमें जरा न सकुचाती थीं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि तत्त्वज्ञानकी कुर्सीपर पडे-पडे सूक्ष्म काल्पनिक विचार-मालाका महीन तार निकालना बड़ा आसान था। चरखेपर वास्तविक सूत कातना कहीं कठिन है। यदि मुझे यह पहलेसे मालूम होता कि नटखट महात्मा हमें आगे चलकर इस झझटमें फँसायेंगे तो मैं १९२१ में उनकी पुकारके अनुसार कालेजकी अपनी आरामकुर्सीसे असहयोग करनेसे पहले हजार बार सोचता। उस समय मैंने यह खयाल किया था कि मैं तो एक नेताकी हेसियतसे संकडो सभा-मंचोपर जाकर चरखेपर लम्बे-लम्बे व्याख्यान झाडा कलंगा। यह तो मैंने ख्वावमें भी न सोचा था कि मुझे चरखा कातना पडेगा। पर अब मेरा भ्रम बुरी तरह दूर हो गया। अच्छा, तो मैं इस होनहारके आगे सिर झुकाता हूँ। अब पीछे कदम हटानेका तो सवाल ही कैसे खडा हो सकता है? मैं अपनी मेहनतका तुच्छ फल आपकी सेवामें भेज रहा हूँ। जो बर्तें लगाई हैं, उनमें से एकका भी पालन नहीं हो पाया है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा दिल निराश नहीं हुआ है और अब भी मुझे आशा है कि मैं बहुत बढिया नतीजा दिखा सकूंगा।

मैं ऐसे और भी कितने ही उदाहरण दे सकता हूँ, जिनमें लोग जरा देर करके, पर झपाटे ओर दृढताके साथ कताईमें जुट पडे हैं।

पर पाठकोकी दूसरा पक्ष भी जता देना उचित है। मैं नीचे एक पत्र देता हूँ। यह एक कांग्रेस कमेटीके सभापतिका भेजा हुआ है। इस किस्मका यह एक ही खत मुझे अबतक मिला है। वे कहते हैं

मैं अ० भा० कांग्रेस कमेटीके इस प्रस्तावको नाजायज मानता हूँ। आज कहा जाता है कि या तो चरखा कातो या इस्तीफा दो। कल कहेंगे अपना खाना खुद पकाओ या इस्तीफा दे दो या यह भी कहा जा सकता है कि अपना सिर मुडाओ, नहीं तो इस्तीफा दो। इस चरखेके सिद्धान्तपर मुझे विश्वास



नहीं। मुझे इसके फायदोंपर भी एतबार नहीं। थोड़ेमें कहूँ तो मुझे इसपर इतना अविश्वास है जितना कि महात्मा गांधीको इसपर विश्वास है। यह उनके मनोविनोदका साधन है। मैं न तो इस प्रस्तावको मानूँगा और न इस्तीफा ही दूँगा। हाँ, समिति चाहे तो मुझे शौकसे निकाल दे।

किसी सस्थामें रहना कोई दिल्लगी नहीं है। उसका सभापति होना तो और भी बड़ी जिम्मेदारीकी बात है। जब-जब चरखेपर राय ली गई होगी तब-तब सम्भवत ये महाशय भी उसके पक्षमें अपना हाथ ऊँचा उठाते रहे होंगे। पर अब, जब कि विल्लीके गलेमें घटी बाँधनेका वक्त आया, वे आसमानपर चढ़कर अपनी नाग्तवारीका गोर मचाने लगे। दिन-भरका भूला-भटका शामको घर आ जाये तो बुरा नहीं। मैं उन्हें उनके दृढ विश्वासपर बधाई देता हूँ, पर मुझे भय है कि मैं उनकी अवज्ञाको अनुकरणीय नहीं बनान दे सकता। सस्थाओके सदस्य ओर खास करके उनके पदाधिकारी ही यदि उनकी नीतिका पालन करनेसे इनकार कर दे और उसके खिलाफ रहते हुए भी पदामीन रहे तो इस तरह दुनियाकी किसी सस्थाका काम हरगिज नहीं चल सकता। स्वराज्य हासिल करनेके लिए हमें कठोर नियम-पालनकी जरूरत है। इनको तथा इनके सदृश विचार रखनेवाले सज्जनोको जानना चाहिए कि हम एक बड़े कठिन और नाजुक काममें लगे हुए हैं। वह है सत्ताको उस सगठनके हाथसे छीननेका काम जिसके सदस्य बड़े काविल, मेहनती, उद्योगशील, बुद्धिमान, पुरुषार्थी और सबमें बढ़कर यथावत् नियम-पालनके पूरे-पूरे आदी हैं। यदि हम बिना खून-खराबीके विजय पाना चाहते हो तो मैं बड़े अदबके साथ इन महाशयसे कहूँगा कि फर्ज कीजिए कि चरखा अपने मकसदके लिए बेकार है, तो भी अनुशासनके लिहाजसे उसके महत्त्वका अन्दाज नहीं किया जा सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अनुशासन स्थापित करनेके एक साधनके तौरपर यदि किसीसे अपना खाना खुद ही बनाने या सिर मुडानेके लिए भी कहा जाये तो यह बुरी बात न होगी। ऐसी कसीटियाँ, फिर वे दूसरी तरहसे चाहे हास्यास्पद दिखाई दे, अपने ढंगसे अपना एक अलग महत्त्व रखती हैं। क्योंकि इससे इस बातका पता चलता है कि अनुशासनकी भावना कितनी विद्यमान है। किसी प्रस्तावके पास होनेके पहले उसका सब तरहसे विरोध करना न्यायमगत है और कभी-कभी कर्त्तव्य-रूप भी होता है। पर उसके पास हो जानेके बाद दलीलकी गुजाइश नहीं हो सकती। उम समय मदस्योंका एकमात्र यही कर्त्तव्य है कि या तो वे उसका तन-मनसे पालन करे या इस्तीफा देकर अलग हो जायें।

[अंग्रेजीसे]

यम इडिया, २८-८-१९२४

## ३५. दक्षिण भारतके बाढ-पीड़ितोंको सहायता

दक्षिण भारतके पीड़ितोंकी ओरसे निकाली गई अपीलके प्रति लोग लगातार बहुत अच्छा उल्लाह दिया रहे हैं। प्रतिदिन नकद और कपडे आ रहे हैं और उनका डेर लगता जा रहा है। किन्तु सबसे अधिक सन्तोषजनक बात यह है कि गरीब लोग बड़ी तत्परतासे सहायताके लिए आगे आ रहे हैं। अछूत लोगाने भी आगे बढ़कर उदारतापूर्वक सहायता दी है। मेरे गामने एक हृदयस्पर्शी पत्र पडा हुआ है। इसमें एक पूरे परिवारने विशेष रूपसे आत्म-त्याग करके बचाया हुआ धन भेजा है। प्रोप-राटरी हार्टिन्गके अन्यायको तथा छानाने ७२० रुपये भेजे हैं। महाविद्यालयने ५०० रुपये चिट्ठे किये हैं, जिनमें से उन्होंने वस्त्रहीन लोगोंके लिए २०० रुपयेका खदर गरीबा है। मुने विश्वास है कि इस प्रकारके दानके वारेसे जानकारी प्राप्त करके हमारे पीड़ित देशभाइयोंको सच्ची मान्दना प्राप्त होगी। मुझे आशा है, कार्यकर्ता इस बातको याद रखेंगे कि प्रकृतिने मुसलमान और हिन्दू, ईसाई और यहूदी किसीके बीच कोई भेद नहीं किया है, इसलिए वे भी अपने-अपने मगठनोंके जरिये सहायता भेजने समय इन प्रकारका कोई भेद-भाव नहीं बरतेगे। किन्तु यदि वे सहायताको अपने ही मन्त्रदायक नीमित रखेंगे तो यह असह्य होगा।

[ अग्नेजीने ]

यग इडिया, २८-८-१९२४

## ३६. भाषण : वस्त्रई-निगमके अभिनन्दनके उत्तरमें

२९ अगस्त, १९२४

निगमके अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, भाइयो और बहनो,

मैं आप लोगोंके सम्मुख पहले अपनी मातृभाषामें बोला। मैं इसके लिए माफी माँगनेकी जरूरत नहीं समझता। परन्तु वस्त्रई विभिन्न लोगोंका निवास-स्थान है, इसलिए मुझे अपने उत्तरका आशय अग्नेजीमें भी बताना चाहिए।

इस अभिनन्दन-पत्र<sup>१</sup> और इसमें प्रकट किये गये भावोंके लिए मैं आपको धन्य-वाद देता हूँ। आपने मेरी मानव-जातिके प्रति की गई सेवाओंका विशेष रूपसे उल्लेख किया है। मेरे लिए मानव या प्राणिमात्रकी सेवा धर्म बन गई है और मैं इस धर्म और राजनीतिमें अन्तर नहीं करता। मैं अवश्य ही राजनीतिसे सर्वथा पृथक्, पूर्ण सेवाके जीवनकी कल्पना नहीं कर सकता। मैं अपने प्रयोगोंसे यह साबित करनेका

१ यह सर कावसजी जहाँगीर भवनमें गांधीजीके रोगमुक्त होनेपर सन्तोष प्रकट करनेके लिए बुलाई गई समामें दिया गया था और इसमें उनकी अमूल्य सेवाओंका उल्लेख था।

प्रयत्न कर रहा हूँ कि राजनीति धर्मके विना एक भयानक मनोविनोद या क्रीडा-मात्र है, जिसका परिणाम उसमें रत व्यक्तियों और राष्ट्रोंके लिए अहितकर ही होता है।

मगर मैं देखता हूँ कि अपने राजनीतिक जीवनमें ऊपर बताये गये धर्मको शामिल करनेके मेरे प्रयत्नसे मेरे कुछ परम मित्रों और साथियोंको डर लग रहा है। मेरे लिए एक ओर कुआँ और दूसरी ओर खाई है। जहाँ ये मित्र राजनीतिको धर्मके रूपमें चलानेके मेरे प्रयत्नसे डरते हैं वहाँ एक दूसरा दल चाहता है कि अपना कार्य-क्षेत्र उन्हीं कामोत्तक सीमित रखें जिन्हें वह सामाजिक सेवा समझता है, किन्तु यदि मुझे अपने उद्देश्यपर विश्वास है तो मुझे अपने मार्गपर अडिग रहना चाहिए। मेरा विश्वास है कि वह समय तेजीसे पाम आ रहा है जब राजनीतिज्ञ मानवताके धर्मसे डरना बन्द कर देंगे और मानव-हितवादियोंको राजनीतिक जीवनमें स्थान मिलेगा जो पूर्ण सेवाके लिए अनिवार्य है। मैं इसी कारण तो सारे भारतका आह्वान कर रहा हूँ कि वह चरखे और खदरके सन्देशको अपनाये और हिन्दू, मुसलमान, पारसी, क्रिस्तान, यहूदी आदि जातियोंमें, जो व्यर्थ ही यह सोचती है कि एकका ईश्वर दूसरेके ईश्वरसे अलग है, हार्दिक एकता स्थापित करे। मैं इसी कारण यह भी अनुभव करता हूँ कि हिन्दुओका जन्मके कारण किसी स्त्री या पुरुषको अछूत मानना अधर्म है। ये कार्य मेरी समझमें जितने उच्च प्रकारके मानव-हितके कार्य हैं उतने ही राजनीतिक कार्य भी हैं। अतः आपके मानपत्रके लिए धन्यवाद देनेका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मैं आपका आह्वान करूँ कि आप इस काममें मेरा साथ दे और मेरी सहायता करें और भारतमें अपना प्रधान निगम कहलाना सार्थक करें।

[अग्रेजीसे]

दॉम्बे क्रॉनिकल, ३०-८-१९२४

### ३७. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

बम्बई

३० अगस्त, १९२४

प्रिय मोतीलालजी,

श्रीमती नायडूने मेरे नाम लिखा आपका पत्र मुझे कल दिया। मूल पत्र अवतक गावरमती पहुँच गया होगा। पिछले दोनों पत्रोंमें मैं पूरा, अर्थात् जितना कर सकता था उतना, समर्पण कर चुका हूँ।

इसलिए अब तो आप मुझसे लगभग अपनी ही शर्तोंपर अपनी बात मनवा सकते हैं। “लगभग” इसलिए कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने जीवन और दुनियाके सभी सम्बन्धोंमें ज्यादा महत्त्व देता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कुछ चीजें

१ २५ अगस्त, १९२४ का।

२ देखिए पृष्ठ २४, पृष्ठ ५४१-४२ तथा ५८९-९०।

उच्छापूर्वक जोर पूरे हृदयसे, अर्थात् यह मानते हुए कि यह देना ठीक है, दे तो मैं यह चाहता हूँ

हमारे प्रस्तावमें —

(१) विधान मभाओंके बहिष्कार-सहित पूर्ण अमहयोगकी नीति और सिद्धान्तमें कांग्रेसका विग्वाम दुहराया जाये,

(२) लेकिन १९२५ के अन्ततक विदेशी कपडेके अलावा और सभी चीजोंसे सम्बन्धित बहिष्कार स्थगित कर दिया जाये,

(३) हर आदमीको कांग्रेसमें शामिल होनेको आमन्त्रित किया जाये,

(४) साम्राज्यके मालके बहिष्कारकी बातको शामिल न किया जाये,

(५) और कांग्रेसके कामको सिर्फ हाथ-कटाई और हाथ-बुनी खादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिन्दुओं द्वारा अस्पृश्यता निवारणतक ही सीमित रखा जाये।

उमराव मतलब यह हुआ कि कांग्रेसियोंके रूपमें कांग्रेसियोंका कौंसिलोंसे या बहिष्कारमें कोई सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर चाहे तो वे कौंसिलोंमें काम करने और जो दूसरे काम कांग्रेसकी नीतिके विरुद्ध न हों उन्हें करनेके लिए अपना स्वतन्त्र सगठन बना सकते हैं। अतः कौंसिलोंके बहिष्कार या इम प्रस्तावके अनुसार स्थगित दूसरे बहिष्कारोंको लागू करनेके लिए कोई सगठन नहीं हो सकता। वर्तमान राष्ट्रीय स्कूलोंको सहायता मिलती रहनी चाहिए और जहाँ सम्भव हो, नये स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन उनका सरकारसे कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए।

चार आनेकी सदस्यताको समाप्त कर देना चाहिए और उसके स्थानपर जो भी आदमी कांग्रेसका सदस्य बने वह खादी पहने और हर महीने सदस्यताकी शर्तके रूपमें अपने हाथका कता कमसे-कम २,००० गज सूत दे। अलवत्ता वह चाहे तो पूरे वर्षका सूत एक ही माय दे सकता है।

कांग्रेसकी सच्ची और जीवन्त सस्था बनानेका मैं और कोई उपाय नहीं देखता और चरमके सिवा भारतके गरीबोंके लिए और कोई आशा भी दिखाई नहीं देती और जयन्त हम खुद कटाई नहीं करेंगे तबतक उनको प्रेरणा भी नहीं दे सकते।

मविधानमें मैं दूसरे परिवर्तन भी सुझाना चाहता हूँ, लेकिन अभी उनकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि काम प्रभावशाली ढंगसे और वेगमें चले। हमें एक ऐसी घोषणा करनी चाहिए कि कार्य-समितियोंको कार्य-कारिणी मन्था माना जाये और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको विचारकर्तृ सस्था माना जाये तथा कमेटीमें सिर्फ वही लोग हों जो कांग्रेसके सम्पूर्ण कार्यक्रमको पूरा करनेके लिए वचनबद्ध हों। लेकिन मेरे प्रस्तावके अधीन कार्य-समितियों चुने जानेका जितना अधिकार मुझे है उतना ही आपको भी होगा। मेरे कहनेका मतलब यह है कि यदि चार बहिष्कार स्थगित कर दिये जाते हैं तो कौंसिल-प्रवेश या अदालतमें वकालत करना अपने-आपमें इसके लिए प्रतिबन्धक नहीं रह जाता। वास्तवमें किसी भी व्यस्त वकील या कौंसिल-सदस्यके लिए कार्य-समितियों आना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके सदस्योंसे कांग्रेस-कार्यक्रमकी तीनों बातोंके लिए पूरा समय देनेकी अपेक्षा की जायेगी।

मेरी योजनामें फिर बगालके पक्षमें कोई अपवाद<sup>१</sup> करनेका कारण नहीं रह जाता। स्वराज्यवादी दलके लोग कांग्रेसकी ओरसे विना किसी बाधाके अपने-आपको हर प्रान्तमें सगठित कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस-सगठनका तो हर जगह एक ही कार्यक्रम होना चाहिए। इस प्रकार श्री दास<sup>२</sup> कांग्रेस-सगठनको स्वराज्य-सगठनके रूपमें बदल सकते हैं और वे स्वयं एक ऐसा कांग्रेस-सगठन भी बना सकते हैं तथा दूसरोको बनाने दे सकते हैं जो केवल उक्त तीन काम ही करेगा। उद्देश्य यह है कांग्रेस-सगठन दूसरे सगठनको न तो सहायता देगा न उनके रास्तेमें बाधा डालेगा, लेकिन दूसरे सभी सगठनको, अगर उनके सदस्य कांग्रेसी हो तो, कांग्रेस-कार्यक्रममें सहायता देनी चाहिए। उसी प्रकार जो कांग्रेसी बहुत-सी दूसरी चीजोंमें विश्वास रखते हैं वे, यदि कांग्रेसने उनका निषेध नहीं किया है तो, अपनी इन दूसरी गति-विधियोंके लिए दूसरे सगठनोंमें शामिल हो सकते हैं।

जहाँतक मैं देख सकता हूँ, व्यावहारिक दृष्टिसे तो सिर्फ सदस्यताकी योग्यताएँ ही बाधा बन सकती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम सभी लोग आर्थिक आवश्यकताके रूपमें भी खादीमें विश्वास करें तो मेरी बातको स्वीकार करना जरूरी है।

आप देखेंगे कि जैसे-जैसे मेरे मनमें विचार आते गये हैं वैसे-वैसे मैं लिखता गया हूँ। आप जो निर्णय करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं तो आपकी मर्जीपर ही निर्भर रहना चाहता हूँ। मैं अब इस पारिवारिक विवादको समाप्त कर देना चाहता हूँ।

हृदयसे आपका,

अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०१४०) की फोटो-नकलसे।

### ३८. वक्तव्य : राष्ट्रीय एकताके बारेमें<sup>३</sup>

३१ अगस्त, १९२४

मैंने निश्चय किया है कि बेलगाँव कांग्रेसके समय या उसमें पहले मेरी ओरमें ऐसा कोई विरोध नहीं होना चाहिए जिसमें कि देश दो दलोंमें बँट जाये। मैंने पण्डित मोतीलाल नेहरूमें कह दिया है कि मेरा भाव तो सम्पूर्ण समर्पणका है, क्योंकि हमारी दशा एक ऐसे घरकी-सी हो गई है जिसके सदस्य आपसमें ही लड़नेमें लग गये हैं। हमें मनमें मारा क्रोध और द्वेष-भाव दूर करके इस दशासे अपना उद्धार करनेके लिए भगीरथ प्रयत्न करना चाहिए और तब हमारा देश न केवल अपने कल्याणके लिए बल्कि मार्ग मानवताके कल्याणके लिए काम कर सकेगा।

१. वैया अपवाद, जैना कि प० मोतीलाल नेहरूने अपने पत्रमें सुझाया था।

२. देशबन्धु चित्तरजन दाम।

३. घाँसे क्रॉनिकलने यह वस्तु न्यू इंडियाने उद्धृत किया था, न्यू इंडियाने अनुसार वह ३१ अगस्तको दिया गया था और उसने उसे १ सितम्बरको प्रकाशित किया था।

ऊपर जो-कुछ कहा गया है उसमें हम लोगोंके बीच हुए समझौतेका साराश आ जाता है। अलवत्ता उल्लिखित 'समर्पण' के सम्बन्धमें कुछ तफसीलकी बातोंको उसमें छोड़ दिया गया है, इनका प्रकाशन, जिन कतिपय लोगोंसे इस विषयमें चर्चा करना जरूरी है उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करनेके लिए आमन्त्रित करनेके बाद, कर दिया जायेगा। इस समझौतेमें हम दोनोंकी वृत्ति यह रही है कि हम अपनी कार्य-पद्धतियोंकी तुलनामें अपने देशको कही ज्यादा प्रेम करते हैं और हम यह विश्वास करते हैं कि मानव-जातिकी प्रगतिके लिए भारतका स्वतन्त्र होना आवश्यक है।

[ अग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-९-१९२४

### ३९. भाषण : एक्सेल्सियर थियेटर, बम्बईमें<sup>१</sup>

३१ अगस्त, १९२४

आज यहाँ इतने व्याख्यान हुए हैं कि यदि सरोजिनी देवीकी सलाहके अनुसार मैं चुप ही रहूँ तो हर्ज नहीं। परन्तु इसमें एक कठिनाई है। मैं अपना हथियार घर रख आया हूँ। यदि उसे यहाँ लाया होता तो आपको पदार्थ-पाठ देकर कहता कि आप सब चरखा लेकर मेरी तरह सूत कातने लग जाये।

मुझे पता नहीं था कि सरोजिनी वहनसे मुझे आज जैसी नसीहत मिलेगी, या मेरे भाग्यमें इतने स्तुति-स्तोत्रोंको सुनना वदा होगा। मैं अपनी प्रशंसा सुन-सुनकर थक गया हूँ। आप निश्चित माने कि प्रशंसा मुझे जरा भी नहीं सुहाती। पर यहाँ इस वारेमें अधिक नहीं कहना चाहता। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिन्होंने मेरी प्रशंसा की है उनका मैं कृतज्ञ हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे श्री जयकरके कथनानुसार चुपचाप मुझे सहायता दे। यदि आप सबकी मूक सहायता मुझे मिलेगी तो मैं इस भारी जिम्मेदारीके कामका भार उठा सकूँगा।

कुछ और कहनेसे पहले मैं कुछ भाइयोंसे प्रायश्चित्त कराना चाहता हूँ। हम किसी सभामें जाये उसके पहले हमें सभाका शिष्टाचार सीख लेना चाहिए। सभामें जिसे निमन्त्रित किया गया हो उसके मनोभावको देखकर हमें उसके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सके तो बेहतर है कि हम वहाँ न जाये। दो-तीन भाइयोंने सभाके इस नियमको भंग किया है। भाई जमनादासने<sup>२</sup> जो-कुछ कहा वह अक्षरशः सच था। 'महात्मा' के नामपर अनेक वाहियात काम हुए हैं। मुझे 'महात्मा' शब्दमें से दुर्गन्ध आती है। फिर जब कोई इस बातका इस्तेमाल करता है कि मेरे लिए 'महात्मा' शब्दका ही प्रयोग किया जाये तब तो मुझे असह्य पीडा

१ यह भाषण पारसी राजकीय मण्डली औरसे जयकरकी अध्यक्षतामें गांधीजीके सम्मानार्थ भोर मलावार सहायता कोषके लिए धन संग्रहके निमित्त की गई सभामें दिया गया था।

२ जमनादास द्वारकादास मेहता, होमरूल लीगके एक प्रमुख सदस्य।

होनी है और मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता। यदि मैं यह न जानता होता कि मैं ज्यो-ज्यो 'महात्मा' शब्दका प्रयोग न करनेपर जोर देता हूँ त्यों-त्यों उसका प्रयोग अधिकाधिक होता है तो मैं जरूर लोगोसे स्पष्ट 'ना' कह देता। आश्रममें, जहाँ मैं जीवन यापन करता हूँ, बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों, सभीको आज्ञा है कि वे 'महात्मा' शब्दका प्रयोग न करें। किसीको पत्र लिखे तो भी मेरा उल्लेख 'महात्मा' शब्दसे न करें, सिर्फ गांधी या गांधीजी कहा करें। जिन लोगोंने भाई जमनादासको रोका है उन्होंने मेरे प्रति अशिष्टता की है, शान्ति भंग की है। हमारा सग्राम शान्तिमय है। शिष्टताके बिना शान्ति कैसे हो सकती है? विनयहीन शान्ति, जड़ शान्ति होगी। हम तो चैतन्यके पुजारी हैं और चैतन्यमय शान्तिमें विवेक और विनय जहर रहते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि जिन लोगोंने जमनादासजीके भाषणमें रोकटोक की है वे सब उनसे माफी माँगे। जमनादासजीने तो मेरी बड़ी स्तुति की है। परन्तु अगर उन्होंने यह भी कहा होता कि गांधीके बराबर दुखदायी मनुष्य कोई भी नहीं है—और जो ऐसा मानता हो उसे ऐसा कहनेका पूरा अधिकार है—तो भी उसे रोकनेका अधिकार किसीको नहीं हो सकता। हमें उसके भाषणको शिष्टतापूर्वक सुनना चाहिए।

इतनी बात सुनते ही एक सज्जनने सामनेकी पहली गैलरीमें खड़े होकर प्रणाम करके सिर नवाया। गांधीजीने कहा :

इतना काफी है। किन्तु अभी एक-दो सज्जन ऊपर भी हैं। क्या वे माफी न माँगे? मैं कहता हूँ कि जो माफी नहीं माँगे वे स्वराज्य लेनेके अयोग्य हैं।

सभामें से भी 'खड़े हो जाओ', 'माफी माँगे' की आवाजें आईं। इसपर दो सज्जनोंने खड़े होकर माफी माँगी। गांधीजीको शांति मिली और जब उन्होंने फिर बोलना आरम्भ किया तब शेष एक सज्जनने भी खड़े होकर माफी माँग ली।

अच्छा, अब कोई ऐसा कुमूर न करे। जितने मनुष्य उतने मत हुआ करते हैं। यदि हम एक-दूसरेके विचारोंको बरदाश्त न करेंगे तो कैसे काम चल सकता है? आज हिन्दू मुसलमानको सहन नहीं कर सकते और मुसलमान हिन्दुओंको सहन नहीं करते और मन्दिरोंको तोड़ते हैं। यदि दोनों महिष्णुताका पाठ सीख लें तो तमाम झगड़े बन्द हो जायें। सब लोगोको अपने जीवनमें सर्वत्र महिष्णुताका व्यवहार करना चाहिए। एक बार जहाँ उसका प्रचार हुआ कि फिर हिन्दू-मुसलमान और पारसी सब एक-दूसरेके विरोधको सहन करेंगे। हमारी प्रगतिमें बाधक सबसे बड़ी वस्तु अमहिष्णुता है। मैं इस स्थितिको दूर करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, कोई महापुरुष नहीं। यदि महापुरुष होता तो इस अमहिष्णुताको रोक देता। अभी मुझमें श्रद्धा, प्रेम, विनय और विवेककी कमी है, नहीं तो आपको मेरी आँखों और जिह्वामें ऐसी शक्ति दिखाई देती कि आप धन-भ्रममें गमझ जाते कि शान्तिमय अमहयोगका तरीका यह नहीं है। मैं तो आपसे कह चुका हूँ कि जयर हमारा शत्रु नहीं है। जौंजयर भी हमारा शत्रु नहीं है। उन्हें आप अपना शत्रु न मानें। भले ही उन्होंने शत्रुओंके नमान काम किया होगा, फिर भी आप उनपर

दयाभाव रहे। यदि हम उन तागा तिरस्कार नहीं कर सकते तो फिर जमनादासजीका तिरस्कार तिन तरह कर सकते हैं? हमारे यहाँ जब कोई अतिथि आता है तब हम धरते धरते लोग और उष्ट-भिाँको दूर बैठाकर उसे आसनपर बिठाते हैं। यदि जमनादान हमारे विरोधी हों तो भी वे हमारे अतिथि हैं। अतः हम उनका तिरस्कार नहीं कर सकते और अगर वे हमारे भाई ही हैं तब तो उनका तिरस्कार करनेकी कोई बात ही नहीं।

आप लोगोंने जमनादानजीका जो अपमान किया, इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ था। परन्तु आपके अत्यन्त नम्रताके साथ माफी माँग लेनेसे वह दुःख सुखके रूपमें बदल गया है और यह मुझे बहुत अच्छा लगा है। जिन लोगोंने माफी माँगी है उनका तो कल्याण होगा ही, किन्तु हमारा भी कल्याण होगा जो इस दृश्यके माक्षी है। मैं यहाँ रिमान भाकी चर्चा नहीं छेउना चाहता। किन्तु भाई जयकरसे माफी मागकर त्रिनवपूर्वक इतना तो अवश्य कहूँगा कि ऐसे दृश्य हमें विधान सभाओमें नहीं दिगाई दे सकते। उस प्रायश्चित्तमें मुझे अच्छे स्वराज्यकी जड़ दिखाई देती है।

श्री देवधरने 'यदि मन्त्रधारका जिम्मा न किया होता तो भी हर्ज न था, क्योंकि आज हम मन्त्रधारके भाई-बहनोंके प्रति आदर-भाव प्रदर्शित करनेके लिए ही एकत्र हुए हैं। आप लोगोंने तो यथाशक्ति टिकट खरीदकर उनके लिए धन-संग्रह किया है। श्री देवधरके भाषणका दुहरा हेतु था। उन्होंने इसके अलावा आपसे निःस्वार्थ सेवा भी मागी है। और मैं इससे महमत हूँ। 'नवजीवन' और 'यग इडिया' के पाठकोतो मालूम है कि मैं तो बच्चोंसे भी कहता हूँ कि जब हमारे सगे भाई-बहन भूने हों तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें अपने कपडे और खानेमें से कुछ हिस्सा न दोगे? तुम कम जाना जाओ, कम कपडे पहनो और बचतकी रकम मलावारके लोगोंकी सहायताके लिए दो। मैं उस तरहका दान आपसे माँगता हूँ। मुझसे बार-बार यह नवाज पूछा जाता है कि इस दानका सद्व्यय होता है या नहीं? यह टीका उचित भी है और अनुचित भी। जहाँ श्री देवधर हो वहाँ अप्रामाणिकता ही नहीं सकती। कितनी ही बातोंमें इनके और मेरे विचारोंमें जमीन-आसमानका अन्तर है। इनके कितने ही विचार मुझे पसन्द नहीं हैं। परन्तु इनकी पवित्रताके सम्बन्धमें मुझे जरा भी शक नहीं। मैं जब-जब इनकी गरीब कुटियामें जाता हूँ तब-तब मुझे मालूम होता है कि इसमें आत्माका वास है। ये जगलोमें घूमते हैं, धूप-छाँहकी परवाह नहीं करते और खराब आबोहवाको सहन करते हैं—यह सब महज शुद्ध सेवाके लिए। अतः हमें इनके काममें सहायता क्यों न देनी चाहिए?

हाँ, यदि ये चरखेके पिलाफ कुछ कहे तो मैं कहता हूँ, आप इनकी बात बिल्कुल न सुनें।

हिन्दुस्तान मुझमें कुछ आशा करता है। वह समझता है कि मैं वेल्गॉवमें कोई ऐसा रास्ता बताऊँगा जिससे हम सब एकमत हो जायेंगे अथवा विरोधी विचारोंको



सहन करने लगे। मैं अपने आपको धोखा नहीं दे सकता। अपनी तारीफ सुनकर मैं यह नहीं मान लेता कि मैं उस तारीफके लायक हूँ। मेरी स्तुतिका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अभी मुझसे अधिक आशा रखी जाती है—अधिक प्रेमकी, अधिक त्यागकी, अधिक सेवाकी आशा की जाती है। परन्तु मैं यह किस तरह कर सकूंगा? मेरा शरीर अब कमजोर पड़ गया है। इसका कारण है मेरे पाप। बिना पाप किये मनुष्य रोगी नहीं होता। ईश्वरने हमें शरीर नीरोग रखनेके लिए दिया है। पापका मतलब है कुदरतके नियमोका जान व अनजानमे उल्लघन। अनजानमे भी राज्यके कानूनका उल्लघन करनेपर दण्ड मिलता है। फिर प्रकृतिके कानूनको भंग करनेका परिणाम दूसरा कैसे हो सकता है? चोरको माफी नहीं मिल सकती। हाँ, यदि अपराध अनजानमे हुआ हो तो सजा कुछ कम मिलती है। इसके अलावा और कोई भेद नहीं है। मैं जो बीमार हुआ उसका कारण मेरा ऐसा कोई पाप ही है और जबतक मेरे हाथो ऐसे पाप जानमे या अनजानमे होते रहेंगे तबतक समझना चाहिए कि मैं अपूर्ण मनुष्य हूँ। अपूर्ण मनुष्य पूर्ण सलाह कैसे दे सकता है? इससे मैं उलझनमे पड़ा हुआ हूँ।

तिसपर भी मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। मेरे पास बस एक ही साधन है—सत्याग्रह। अबतक मैंने सत्याग्रहका भीषण स्वरूप देशके सामने रखा है। अब मैं उसका शान्त, मधुर और गम्भीर स्वरूप रखना चाहता हूँ। यदि उसपर आचरण किया जाये तो फिर जय ही जय है। मैं मानता हूँ कि मुझे सत्याग्रह-शास्त्र पूरी तरह ज्ञात है। मुझे बराबर यह भय बना रहता है कि आजकी हालतमे भारत सत्याग्रहके उग्र स्वरूपको निभा न सकेगा। यदि हम समझदारीके साथ शान्त स्वरूपपर अमल करेंगे तो हम वेलगाँवके कांग्रेस अधिवेशनमे पहले बहुत-सा काम कर सकेंगे। इसमे सहयोगी, असहयोगी, कट्टर अपरिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी, स्वराज्यवादी, उदारदलीय, कनवेन्शनवादी, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईमाई और यहूदी सब शामिल हो सकते हैं। सत्याग्रहका अर्थ केवल सविनय अवज्ञा ही नहीं है।

मैंने कल ही पण्डित मोतीलालजीको कई मुझाव भेजे हैं। पण्डितजीसे मेरी कितनी घनिष्ठता है, यह बात सब लोग जानते हैं। मैंने पत्रमे उनके सम्मुख अपना सारा हृदय खोलकर रख दिया है, क्योंकि यदि मैं उन्हें ममज्ञा मका तो ओरोको भी ममज्ञा मकूंगा। विदुषी वेंसेंट कल मुझमे मिलने आई थी। मैंने उनमे भी यही बात कही थी। विदुषी वेसेंटकी उम्र कहाँ? उनका अनुभव कहाँ? उनके मामने तो मैं एक बालक-सा हूँ। मैंने उनके मामने उमी तरह अपनी बात पेश की जिस तरह बच्चा माँके मामने करता है। इतनी ही नम्रतासे मैं अपने विचार श्री गास्त्रीजीके सामने पेश करूँगा। मैं अग्रेजोमे भी यही बात करूँगा। यदि सब लोगोकी समझमे यह बात आ जाये तो हमें तुरन्त इमजा लाभ मिल सकता है। मैं यहाँ तफसीलमे नहीं जाना चाहता। किन्तु आप इतना जल्द समझ जायेंगे कि उसमे चरखा अवश्य ही शामिल था। मेरी तमाम योजनाओंके किमी-न-किमी कोनेमे चरखा जट्टर होता

है। इसके बिना न मैं जी सकता हूँ और न भारत ही जी सकता है। मुझे तो लगता है कि ऐसा समय आ रहा है जब इसके बिना आपका भी काम न चल सकेगा।

आप मुझे 'महात्मा' मानते हैं। इसका कारण न तो मेरा मन्य है और न मेरी अहिमावृत्ति, बल्कि इसका कारण दीन-दुखियोंके प्रति मेरा अगाध प्रेम है। चाहे कुछ भी हो जाये, पर मैं इन फटेहाल नरककालोको नहीं भूल सकता, नहीं छोड़ सकता। इसीसे आप ममझते हैं कि गांधी कुछ कामका आदमी है। इसलिए मैं अपने प्रेमियों, रतनशी, जमनादास, पिक्थॉल, जयकर सबसे कहता हूँ, आप यदि मेरे प्रति प्रेम-भाव रखते हैं तो ऐसी कोशिश करे कि देहातके लोग जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, अन्न-वस्त्रके बिना न रहे। आप इन दीन-दुखियोंको भजे, उनकी सेवा करे। किस तरह भजे सो मैं बताता हूँ। आप झूठ-मूठको उनके नामकी माला न फेरे। जो झूठ-मूठकी माला फेरकर भजेगा उसे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, उलटे उसकी अयोगति होगी, क्योंकि वह ऊपरसे माला फेरते हुए भी मन-ही-मनमें सानपर छुरी ही धरता है। मैं मानता हूँ कि चरखा चलाते हुए भी मेरे मनमें मलिनता होना सम्भव है। परन्तु मैं मलिनता होते हुए भी कातनेके बाह्य फलसे तो वंचित नहीं रह सकता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ईश्वर या खुदाका नाम लेकर मैं भारतके गरीब वच्चोके लिए चरखा कातता हूँ और आपमें भी ऐसा ही करनेकी प्रार्थना करता हूँ। हो सकता है कि इसमें मेरी भूल हो। भविष्यमें शायद अर्थशास्त्री बतायेंगे कि इसमें भूल थी, परन्तु वे कबूल करेंगे कि इस भलसे भी लाभ ही हुआ है, क्योंकि उससे थोड़ा-बहुत सूत तो मिला और देशमें कपडेकी बढोतरी हुई। आप मुझे सर दिनशा बाछाका शिष्य ही समझे। उन्होंने बताया कि भारतमें फी आदमी १३५ गज कपडेकी दरकार है, परन्तु मिलता है सिर्फ ९५ गज ही। अर्थात् फी आदमी ४ गज कपडा और तैयार करनेकी जरूरत है। यदि आप हर रोज १०० गज सूत कातेंगे तो उससे सूतका कितना बडा ढेर लग जायेगा। 'बहुतसे धागोसे रस्मी बनती है' इस कहावतमें तथ्य है। यदि हम सब मिलकर सूत कातेंगे उसमें हिन्दुस्तानको ढक सकेगे और बाँध सकेगे। मुझे तो अटल विश्वास है कि यदि आप एक बार कातने लगेंगे तो कहेंगे कि गांधी ठीक कहता था।

मुझे इस बातपर विश्वास है कि मेरे प्रति आपका जो प्रेम है उसका कारण इसके सिवाय और कुछ नहीं है कि मैंने दीन-दुखियोंके साथ तादात्म्य कर लिया है। मैं भगोके साथ भगी हो सकता हूँ और ढेढके साथ ढेढ होकर उसका काम कर सकता हूँ। यदि इस जन्ममें अस्पृश्यता न मिटे और मुझे दूसरा जन्म लेना पडे तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्म भगोके ही घरमें हो। यदि अस्पृश्यता कायम रहे और मेरे लिए हिन्दू धर्म छोडना सम्भव हो तो मैं उसे जरूर छोड दूंगा और कलमा पढ लूंगा या वपतिस्मा ले लूंगा। परन्तु मुझे तो अपने वर्मपर इतनी श्रद्धा है कि मुझे उसीमें जीना और उसीमें मरना है। सो इसके लिए भी यदि फिर जन्म लेना पडे तो मैं भगोके

१ दिनशा इंदुलजी बाछा (१८४४-१९३६), पारसी राजनीतिज्ञ, १९०१ के कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्ष।

ही घरमे जन्म लूंगा। इसी कारण मैं कहता हूँ कि यदि भगियो, डेढो और उडीसाके कगालोपर आपको दया आती हो तो आप विलायती कपडे और मिलोके कपडेको भूल जाये और उन गरीवो द्वारा कता और डेढो द्वारा बुना कपडा पहने। वे हमे हमारी आवश्यकताके अनुसार कपडा किस तरह दे सकते हैं? वे तो भयभीत लोग हैं। काठियावाडकी कितनी ही कगाल वहनोको एक-दो आने रोज भी नहीं मिलते। उन्हें जब चरखे दिये गये तब कुछ पैसे मिलने लगे थे। आज उनके चरखे बन्द हो गये हैं। इसलिए वे दो-चार पैसोके लिए रोती हैं। ऐसी वहने बहुत हैं। यदि मैं इन वहनोसे यह कह सकूँ कि जयकर कातते हैं, सरोजिनी कातती हैं, श्रीमती बेसेट कातती हैं, दादाभाईकी पीत्री कातती हैं और शास्त्रीजी कातते हैं, तो फिर उनके पास जाते हुए और उनसे फिर चरखा चलानेके लिए कहते हुए मुझे शर्म न लगेगी।

मैं हिन्दुस्तानमें सदाव्रत नहीं खोलना चाहता। मैं तो सदाव्रतोको बन्द कराना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि सदाव्रत हमारे माथेपर कलक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब स्वावलम्बी बन जाये। मैं इन वहनोको चार पैसे मुफ्त नहीं दिलाना चाहता। मैं तो उन्हें केवल स्वावलम्बी बनाना चाहता हूँ। यदि आप इन वहनोको, दूसरे गरीवोको ओर डेढ भगीको भी स्वावलम्बी बनाना चाहते हो तो आप यह यज्ञ गुरु करे। हरएक गस्स अपने हाथसे कता हुआ २,००० गज सूत दे। फिर मैं एक सालमे ही स्वराज्य दिला दूंगा।

लेकिन आप याद रखे, मैं मीआदका वादा नहीं करता। अकेले आप कातेगे तो स्वराज्य मिल जायेगा, यह नहीं कहता। लेकिन सब कातेगे तो स्वराज्य मिल जायेगा, यह अवश्य कहता हूँ। यदि आप कातेगे तो यकीनन दूसरोसे भी सूत कतवा सकेगे। भगवद्गीतामे कहा गया है 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जन ।' श्रेष्ठ पुरुषोके वरतावके अनुमार ही दूसरे लोग भी चलते हैं। कहा जाता है कि इग्लैंडके युवराज जब अपनी पोशाकका प्रकार बदलते हैं तो दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करते हैं। आप लोग तो हिन्दुस्तानकी नाक समझे जाते हैं अथवा आप चाहते हैं कि आप वैसे गमझे जाये। आप यदि मूत कातना गुरु कर देंगे तो क्या दूसरे वैया नहीं करेगे?

लेकिन इस बातको भी मैं छोड देता हूँ। आप लोगोके मूत कातनेसे स्वराज्य मिले या न मिले, किन्तु मैं आप लोगोमे इतनी भिक्षा जम्र माँगता हूँ कि यदि आपके हृदयमें भियारियोके प्रति कुछ भी दया हो तो उम दयाभावसे प्रेरित होकर ही आप उनके लिए मूत काते। आप भिवारियोके माय एक हो जाये, आप उनसे अपना तादात्म्य करे। मीरावाडने तो कहा है

मूनरने तातणे मने हरिजीए बाँधी,  
जेम ताणे तेम तेमनी रे,  
मने लागी कटारी प्रेमनी रे।<sup>१</sup>

१. दादाभाई नौरोजी।

२. मुझे हरिने वनके धागेमे बांध लिया है। वर मुझे जैसे नचाता है, मैं वैसे ही नाचती हूँ। मुझे हरिके प्रेमानी कटारी लग गई है।

यदि अपने करोडो भाई-बहनोके प्रति हमारा ऐसा प्रेम हो तो हम उन्हें और वे हमको सूतके तारसे बाँध लेगे। मैं तो यही अर्थशास्त्र जानता हूँ, दूसरा नहीं।

एक और बात भी कह देता हूँ। आपने नागपुरके दगेकी बात तो मुनी ही होगी। हिन्दुओके मनमे मैल है, मुसलमानोके मनमे भी मैल है। इस स्थितिमे मैं अपनी तीन बातोके सिवा और क्या पेय कर सकता हूँ। आप सत्याग्रहके वर्तमान शान्तिमय प्रयोगमे इन तीन बातोको जरूर देखेगे। यदि आप सब इतनी बात याद रखेगे तो मेरा खयाल है कि हम सब एक ही मचपर खड़े हो सकेगे। अदालत, विधान सभा इत्यादिके त्यागकी बातें अलग रखे। हम सब इनमे एक नहीं हो सकते लेकिन जितनी बातोमे हमारा मेल हो सकता है उतनी बातोमे तो हम सबको साथ-साथ ही रहना चाहिए।

गांधीजीने इसके वाद इन्हीं विचारोको गुजराती न समझनेवाले लोगोके लिए अग्रेजीमें कहा। विचार तो वे ही थे किन्तु उनमें कुछ नवीनता भी थी।

मैंने गुजरातीमे अपने हृदयका सारा उफान निकाल दिया है। अब मैं इतना थक गया हूँ कि अधिक नहीं कह सकता। मैंने बहुत-सारी बातें कह दी हैं। उनका मार यही है कि मेरे स्वभावके दो रूप हैं एक उग्र और दूसरा शान्त। उग्र या भयकर रूपके कारण अनेक लोग मुझसे अलग हो गये हैं। इसके कारण मेरा अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने स्वर्गीय भाईसे भी मतभेद हो गया था। दूसरे रूपमे तो लवालव प्रेम-ही-प्रेम है। पहले रूपमे प्रेमको खोजना पडता है। मुझ जैसे कठोर आत्मनिरीक्षक दूसरे कम ही होंगे। मुझे विश्वास है कि पहले रूपमे द्वेषकी गन्धतक नहीं है, परन्तु उसमे हिमालय-जैसी भयकर भूलोकी सम्भावना रहती है। किन्तु मनोविज्ञानके ज्ञाता आपको बतायेगे कि दोनो का उत्पत्ति-स्थान एक ही है। अथाह प्रेम भीषण रूप धारण कर सकता है। यदि मैंने अपनी पत्नीको दुःख पहुँचाया है तो उससे मेरे दिलमे गहरा घाव हुआ है। यदि मैंने दक्षिण आफ्रिकामे अपने रात-दिनके साथी अग्रेजीको दुःख पहुँचाया है तो उनसे अधिक दुःख मुझे हुआ है। यदि मैंने अपने यहाँके कार्योंसे अग्रेजीका जी दुखाया है तो उनसे अधिक दुःख मेरे जीको हुआ है।

मैं अग्रेजीमे कहता हूँ, “तुमने हमे खूब चूसा है, आज भी चूस रहे हो, परन्तु तुम्हे ज्ञान नहीं है। तुम हमपर अत्याचार करते हो। तुम इसके लिए पछताओगे।” मुझे इंग्लैंडकी आँखें खोलनेके लिए अपना भयकर रूप प्रकट करना पडा है। मैं ऐसा कहता हूँ तो इसका कारण यह नहीं कि मैं उन्हें कम चाहता हूँ बल्कि यह है कि मैं उन्हें स्वजनोकी ही तरह चाहता हूँ। परन्तु अब मेरा वह भीषणरूप नहीं रहा है। मैंने पण्डित मोतीलालजीसे कहा है कि अब तो मुझमे लडनेकी भावना ही नहीं रह गई है। मैं तो गरणागत हूँ। जब हमारे घरमे ही फूट फैली हुई है और कटुता और शत्रुता बढ रही है, तब दूसरा विचार ही कैसे हो सकता है? मुझे तो इस हालतको दुरुस्त करनेके लिए भगीरथ प्रयत्न करना होगा। मैं इस तरहका कोई विरोध नहीं करना चाहता जिसमे बेलगाँवके अधिवेशनमे या उससे पहले देशमे फूट

फैले। मैं मान लूंगा कि मैं हार गया। मैं झुक जाऊंगा और झुककर सबको एकत्र करनेकी आशा रखूंगा। ऐसा करते हुए जब भारत अपनी विस्मृत दशासे जगकर अपनी आजादी हासिल करेगा तब मानव-जातिको उससे सबक मिलेगा। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ? मैं तो ईश्वरसे इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सत्पथ दिखा, यदि मेरे अन्दर राग, द्वेष या क्रोधका कुछ भी अंश छिपा हुआ रह गया हो तो उसे दूर कर और मुझे ऐसा कार्यक्रम सुझा, जिसमे सब लोग उत्साह और उमगसे सम्मिलित हो।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ७-९-१९२४

## ४०. भाषण : सम्बन्धी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें<sup>१</sup>

३१ अगस्त, १९२४

स्थिति ऐसी है कि जिन लोगोंको चरखेकी स्वराज्य प्राप्त करनेकी शक्तके सम्बन्धमें शका हो उन्हें प्रस्ताव पास होनेतक उसका विरोध करना चाहिए। किन्तु यदि वे बहुमतसे हार जाये तो उन्हें बहुमतके प्रस्तावका आदर करना चाहिए। लेकिन जिनका सिद्धान्त चरखा न चलाना ही हो उन्हें तो कांग्रेससे बाहर निकल जाना चाहिए, इसीमें न्याय है, विनय है और विवेक है।

अन्य सब शकाओंका उत्तर मैं आज नहीं दूंगा। मैं सलाह-मशविरा कर रहा हूँ और आपको उनका उत्तर थोड़े समयमें मिल जायेगा। मेरी घड़ी बहुत तेज चलती है, आपकी धीमी चलती है। लेकिन मुझे तो आपको साथ लेकर दीडना है और मुझे आप स्वराज्यवादी या अपरिवर्तनवादी जो भी कहे, मैं तो कार्यदक्ष हूँ। इसलिए मैं कोई-न-कोई रास्ता अवश्य निकालूंगा। जबतक वह न निकले तबतक आप लोगोंको मेरी मलाह है कि आप सब मिर नवाकर सूत कातें।

[ गुजरातीमें ]

नवजीवन, ७-९-१९२४

१. जनार्दन सम्बन्धमें अस्मदावादमें पास किये गये प्रस्तावकी आलोचनाके उत्तरमें।

## ४१. पत्र : वाइकोम सत्याग्रह आश्रमके मन्त्रीको<sup>१</sup>

[ १ सितम्बर, १९२४ ]<sup>२</sup>

प्रिय मित्रो,

आपको इस अन्य सभी मित्रोंको सूतानी बहुमन्य श्रेष्ठों लिए धन्यवाद देता हूँ।  
इसके आपने प्रयत्नोंको मफा करनाये। आप अपने प्रयत्नमें मृत्यु-पयन्त लगे रहे।<sup>३</sup>

[ संजीव ]

दिनांक १-९-१९२४

## ४२ पत्र : शुएब कुरैशीको

१ सितम्बर, १९२४

प्रिय शुएब,

ऐसी उम्मीद किये था कि तब तुम्हारे माय सावकाश लम्बी बातचीत करूँगा,  
लेकिन यह सम्भव नहीं हुआ।

दृष्टोदामका ध्यान रखना और तुम दोनोंके कल्याणकी चिन्ता ईश्वर करेगा।

रेल-किगया तुम मत देना, उनका भुगतान मेरे हिसाबमें से होने देना।

हां, उनका क्या रखना कि तुम्हें किसी भी रूपमें हैदरावादके अधिकारियोंका  
परिरोध नहीं करना है। हम जो जांच करना चाह रहे हैं वह सार्वजनिक किम्मकी  
जांच नहीं है। जमरमें तो जांच शब्दके मान्य अर्थमें वह जांच ही नहीं है। उसका  
मतलब इतना ही है कि तुम मेरे लिए कुछ जानकारी इकट्ठी कर रहे हो।

जो भी दल तुम्हें अपनेमें मिश्रने दे, तुम उन सबमें मिलना — दोनों दलोंके  
अधिनारिया और वकीलोंमें भी। अगर फोटो ला सको तो अवश्य ले आना।

हर एक चीज देखने-सुननेके बाद, मेरा सुझाव है कि तुम्हारे मनपर जो छाप  
पडी हो उसके अनुसार तुम दोनों अलग-अलग अपने विवरण लिख डालना, फिर उनकी  
तुलना करना और तब दोनोंको स्वीकार्य विवरण या वक्तव्य तैयार करना।

कृष्टोदासका कहना है कि तुम कुछ खिन्न और उदास हो। ऐसा क्यों? ईश्वरमें  
तो तुम्हारा गहरा विश्वास है। वह तो अपनी सृष्टिके तुच्छतम प्राणीकी भी चिन्ता

१ आश्रमवासियों द्वारा भेजे गये सूतकी प्राप्ति सूचित करते हुए।

२ एन्सोसिपेटेड प्रेस ऑफ इंडिया द्वारा इसी तारीखको प्रकाशित किया गया था।

३. वाइकोम सत्याग्रहमें।

करता है। तब फिर उन्हें क्यों चिन्ता करनी चाहिए? क्या यह बस नहीं है कि हम अपनी समझके अनुसार उसकी इच्छाका पालन करे और निश्चिन्त रहे।

तुम्हारा,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६००) की फोटो-नकलसे।

### ४३. पत्र : बम्बईके यातायात महाप्रबन्धकको

[ १ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात् ]

महोदय,

अजमेरके यातायात प्रबन्धकने मुझे<sup>१</sup> सूचित किया है कि मेरा पिछले महीनेकी १८ तारीखका लिखा हुआ पत्र वहाँसे आपके कार्यालयको भेज दिया गया है। यदि जल्दी उत्तर भेजें तो आभार मानूंगा।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१२०) की फोटो-नकल से।

### ४४. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

बम्बई  
२ सितम्बर [ १९२४ ]

प्रिय मोतीलालजी,

मुझ तडके ही प्रार्थनोपरान्त मैं आपको पुनः पत्र लिख रहा हूँ। आया करता हूँ कि मेरा लम्बा पत्र आपको मिल गया होगा। आपमें एक तारकी<sup>२</sup> उम्मीद कर रहा हूँ। अपना वह पत्र मैं दोबारा पढ़कर सुधार नहीं सका था। उसके व्यक्तिगत हिस्सेमें मैंने क्या कहा था, शब्दशः याद नहीं है। श्रीमती नायडू इसे नहीं ही पढ़ पाई, क्योंकि पत्र उनके पढ़ मकनेसे पहले ही डाकमें डाल दिया गया था। लेकिन कामकाजमें सम्बन्धित अशको, जिमकी प्रति मेरे पाम मौजूद है, उन्होंने तथा अन्य माधियोंने भी पढ़ा है।

पिछले पत्रकी तरह यह पत्र भी मैं जवाहरलालकी मिफारिश करनेके लिए ही लिख रहा हूँ। भारतमें बहुत अकेलपन महसूस करनेवाले जिन नौजवानोंने मिलनेवा मुझे मौका मिला है, वह उनमें से एक है। आपके मानसिक रूपसे उनका त्याग कर

१ २३ अगस्त, १९२४के पत्रमें।

२ शब्द "तार मोतीलाल नेहरूको", २-९-१९२४ या उसके पश्चात्की पाद-टिप्पणी।

देनेके समान्ने मुझे बहुत दुःख होता है। शारीरिक त्यागकी बातको तो मैं असम्भव मानता हूँ। कहनेकी जरूरत नहीं कि जब मजर अली और मैं यरवदा जेलमें थे तो आप लोगोंके मित्रत्वमें प्राप्त बातचीत हुआ करती थी। एक बार उन्होंने यह कहा भी था कि अगर कोई एक वस्तु ऐसी है जिगके लिए आपका जीवन और वस्तुओंके जगसा नर्मापन है तो वह जगहगगग है। उनका यह कथन बहुत मत्स्य जान पडा। मैं पत्तक या अप्रत्याज किमी भी तरहसे उस अद्भुत प्रेम-मन्धन्वमें बाधक नहीं बनना चाहता।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अग्नेजी पत्र (एम० एन० १०१४६) की फोटो-नकलसे।

## ४५. पत्र : एक मित्रको

[ २ सितम्बर, १९२४ ]

परमप्रिय मित्र,

यद्यपि हम एक-दूसरेको कभी मुश्किलसे ही लिखते हैं और इसी तरह मुश्किलसे ही कभी मिलते हैं, फिर भी ऊपर आपके लिए मैंने अपने सम्बोधनमें जो-कुछ कहा है वह तो आप हैं ही।

देशमें उस समय जो घरेलू जगडा चल रहा है उससे मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ। इसीलिए मैंने हारकर पूरी तरह आत्म-समर्पण कर दिया है। अगर मुझे कांग्रेसमें रहनेके लिए अभी पुराने मित्रोंके अलग होना पडेगा, तब तो मैं कांग्रेसमें नहीं रहना चाहता। मैंने श्रीमती वेसेंटसे बात की है। पण्डित मोतीलालजीसे मेरा पत्र-व्यवहार चल रहा है तथा अब मैं आपको लिख रहा हूँ। क्या एक चरखेको ही आप बराबर बाबा मानते रहेंगे? क्या आप भारतके गरीबों तथा पद-दलित लोगोंके हितके लिए खट्टर जीर चरखा नहीं अपनायेंगे? अगर आप सिद्धान्तत इसके विरुद्ध न हो तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातपर भम्भीरतासे विचार करे।

आशा है कि आप सजुशल हैं। उत्तर सावरमतीके पतेपर भेजें।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अग्नेजी पत्र (एम० एन० १०१४६ ए) की फोटो-नकलसे।

१ ऐसा लगता है कि यह पत्र पिछले पत्रके साथ ही लिखा गया था। दोनों एक ही कागजपर लिखे हुए हैं। लेकिन जिन व्यक्तिोंको यह पत्र लिखा गया, उसका नाम नहीं दिया गया है।



## ४६. पत्र : कान्ति गांधीको

भाद्रपद मुदी ३ [२ सितम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

चि० कान्ति,<sup>२</sup>

मैंने तुम्हें पत्र लिखनेके लिए तो कहा नहीं था। तुम बहुत समझदार हो गये हो, इसलिए मुझे कहनेकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम्हें मुझे अपने विचार तो जरूर बताने चाहिए। मुझे पत्र स्पष्ट और सुन्दर अक्षरोमें लिखा करो। रसिककी<sup>३</sup> देखभाल करना और उससे पत्र लिखनेके लिए कहना। यहाँ अच्छी वारिश हुई है। दिल्लीके वारेमें अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है।

बापूके आशीर्वाद

चि० कान्ति

सत्याग्रहाश्रम

सावरमती

गुजराती पत्र (एस० एन० १०१४९) की फोटो-नकलसे।

## ४७. भाषण : नेशनल मैडिकल कालेज, बम्बईमें<sup>४</sup>

२ सितम्बर, १९२४

अपने छोटे-से भाषणमें महात्माजीने नेशनल मैडिकल कालेजकी सन्तोषजनक प्रगतिपर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब डा० साठगेने पहले-पहल ऐसी सस्था शुरू करनेके सम्बन्धमें मेरी सलाह मांगी थी तो मैं कुछ हिचकिचा रहा था, क्योंकि काम बहुत बड़ा और बहुत-सी कठिनाइयोंसे भरा हुआ था। लेकिन अब खुद यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरा डर निराधार था और इस सस्थाने शानदार प्रगतिको है। मैं आशा करता हूँ कि डाक्टरी पेशेमें लगे प्रमुख लोग इसे मदद देते रहेंगे और बम्बईके घनाढ्य लोग इसकी मकान सम्बन्धी कठिनाई दूर कर देंगे तथा इसकी आर्थिक सहायता भी करेंगे। अन्तमें उन्होंने विद्यार्थियोंमें लादी पहननेका अनुरोध किया और राष्ट्रीय कर्तव्यके रूपमें रोज आधा घंटा कातनेको भी कहा।

[अग्रेजीमें]

वॉम्बे क्रॉनिकल, ३-९-१९२४

१. वाक्यी मुरसे।

२ और ३. गांधीजीके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधीके पुत्र।

४. कालेजके स्तरीय स्थापना दिवस समारोहके अवसरपर।

## ४८. भाषण . कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें<sup>१</sup>

[ २ गितम्बर, १९२४ ]<sup>२</sup>

मासोंमें राष्ट्रीय कमेटीकी बैठकमें बोले हुए श्री गांधीने कहा कि कांग्रेसके दो लोगोंके भाषणमें गहरा तर्क चाहिए बल्कि एक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं जयन्ता नहीं चाहता और अपनी हार स्वीकार करता हूँ। यह भारतका दुर्भाग्य है कि हमारे बीच ऐसे मतभेद व्याप्त हैं जिन्हें देशकी प्रगतिमें रूकावट पड़ रही है। मैंने परिचित मतोंका नेहरूको लिख दिया है कि मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैंने ही हारिषकार हो चुके हूँ। यद्यपि सभी लोगोंमें सूत फातने, हिन्दू-मुसलमानोंके बीच एकता स्थापित करने तथा एकात्मता को दूर करनेकी अपील करते हुए कहा कि इतनी ही हमारी श्रमार्थता निर्भर करती है। सम्पूर्णके शिक्षित जनोके लिए स्वराज्य पहरने बिना ठीक सम्भव हो, परन्तु ऐतिहासिकी लिए स्वराज्य सहरके बिना सम्भव नहीं हो सकता। यदि निर्वाचन जय है उन [सोतिहरो]की वरचादी। मसजिद और मन्दिरोंके नामपर हिन्दू और मुसलमानोंका आपसमें लड़ना कायरता है, न कि पाठ्य। श्रीनाथोंमें उहाँके ईश्वरके नामपर सूत फातने तथा देशकी सेवा करनेकी अपील की।

[ अन्त ]

दिनांक, ८-९-१९२४

## ४९. तार : मोतीलाल नेहरूको<sup>३</sup>

[ २ गितम्बर, १९२४ या उसमें पञ्चात् ]

पन्थाना, आपका नामने बर्ण रहन मिश्री।

गांधी

आपका पत्र (गन० गन० १०१४७) की फोटो-नकलमें।

१. पर बैठक सम्बन्धमें हुई थी।

२. बोम्बे मॉन्थली पब्लिशमेंटमें।

३. पर तार मोतीलालजीके २ सितम्बरके इस तारके उत्तरमें था “आपका पत्र मिला। जवाहरके बारेमें पूरी तरहसे बिलकुल ठीकी है। रूठ जानेपर अनावश्यक आग्रह नहीं किया बल्कि इच्छा व्यक्त की, जिसे जवाहरने अपना कर्तव्य समझकर शिरोधार्य किया। स्कूलका सरकारसे कोई सम्बन्ध नहीं। जवाहरको बड़ा मिलनेवाली शिक्षाकी अनुपयोगितापर आपत्ति थी। मैं तो केवल इतना ही चाहता था कि शिक्षा ऐसी भी हो, इच्छुको उसकी उन्नत वर्गोंका साथ मिले। अन्तमें जवाहर सहमत हो गया, .।”

## ५०. पत्र : सन्तोक गांधीको

बुधवार, भाद्रपद सुदी ४ [ ३ सितम्बर, १९२४ ]<sup>१</sup>

चि० सन्तोक<sup>२</sup>

तुम्हें पत्र लिखनेका यह कैसा दुःखद अवसर है। मैंने आज राजकोटके पतेमें तुम्हारे नाम जो तार दिया है वह तुम्हें मिल गया होगा और तुम सब आश्रममें आ गये होगे। तुमने आश्रममें रहकर जो ज्ञान लाभ किया है उसका उपयोग करना। मुझे उम्मीद है कि तुमने आँखोंसे एक भी आँसू न गिराया होगा। सारा ससार वियोगके दुःखको अनुभव करता है, लेकिन तुम उसे दवाना और मृत्युकी यथार्थताको समझना। जिसने गीताके द्वितीय अध्यायके अर्थको जान लिया है वह, जो अनिवार्य है उसपर शोक नहीं करता। हमें ऐसे अवसरोपर शास्त्रोका उपयोग अवश्य करना चाहिए।

शिवलालभाईके साथ मेरे निजी सम्बन्ध थे। मैं उन्हें अपना वजुर्ग मानता था और अनेक वानोंमें उन्हींकी सलाह लिया करता था। हमारा यह सम्बन्ध अन्त तक बना रहा। यह सम्बन्ध प्रकट नहीं होता था। क्योंकि सलाह-मशविरा करनेके अवसर ही बहुत कम होते थे। लेकिन जब-जब हमारी आँखें चार होती तब-तब हम एक-दूसरेके मनोगत भावोंको जान लेते थे। मैंने सदा यह अनुभव किया है कि वे माहूकारोंमें एक ईमानदार साहूकार थे। हमें उनके पुण्योंका स्मरण करके उनका अनुकरण करना चाहिए।

जमनादाम रुखीके वारेमें क्या खबर लाया है? मुझे रुखीकी चिन्ता सदैव बनी रहती है। लेकिन जगतक जमनादामकी ओरसे कोई ममाचार नहीं मिलता तबतक मैं दूसरी कोई बात नहीं सोचता। रुखीने कहलाया है कि उसे पत्र लिखना नहीं आता, यह ठीक नहीं है। रुखीको मुझे पत्र अवश्य लिखना चाहिए और अपने विचार सुलकर बताने चाहिए।

मैंने राजकोटमें किमीको अलगमें पत्र नहीं लिखा है क्योंकि वहाँ मैं किमीको नहीं जानता। यदि कोई वहाँ अब भी है तो उसे इस पत्रकी एक प्रतिलिपि भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० उल्फू० ६१९९) का नकलमें।

सौजन्य राधादेन चौधरी

१. पत्रमें सन्तोक गांधीके पिताकी मृत्युका उल्लेख है। उनकी मृत्यु १९०४ में हुई थी।

२. मगनराज गांधीकी पत्नी।

३. सन्तोषी लक्ष्मी।

## ५१. अविस्मरणीय

गत रविवारको जब मैं एकनेल्सियर थियेटरमें वक्ताओंके मुँहमें अपनी प्रशस्ति सुन रहा था, उन समय मुझे ऐसा उगा गानो श्री भरूचाने दक्षिणके पीडित लोगोकी सहायताके लिए रगमचपर एक नाटक प्रस्तुत किया हो। किन्तु एक घटनाके कारण यह मेरे लिए नाटक न रहकर एक गम्भीर चीज बन गई। श्री भरूचाने विभिन्न राजनीतिक दलोंके सम्बन्ध श्रौताओंको एक मंचपर एकत्र करनेका प्रयत्न किया था। इसलिए उन्होंने वक्ताओंमें श्री जमनादास द्वारनादानको भी शामिल कर लिया था। श्री जमनादानने मुझे "महात्मा" न कहकर गाधीजी कहा। श्रोताओंमें से दो-तीन व्यक्तियोंने, जो मुझे "गाधीजी" कहनेके अपमानको न सह सके, माँग की कि वे मुझे "महात्मा" कहें। श्री जमनादान, बहादुरी किन्तु शिष्टताके साथ मुझे गाधीजी ही कहते रहे, यद्यपि उन्होंने कहा कि मेरे प्रति उनका प्रेम किसी भी श्रोतासे कम नहीं है। उन्होंने आपत्ति करनेवालोंका विरोध करते हुए कहा कि सम्बोधनके उनके इस ढंगको मैं ज्यादा पसन्द करता हूँ। फिर भी रोक-टोक अन्ततक जारी रही। ऐसा होनेपर भी सभाके लिए यह अत्यन्त श्रेयकी बात थी कि श्री जमनादासके खिलाफ उठाई गई वावाजयो श्रोताओंने अननुना कर दिया। श्री जमनादासने बिना किसी कठिनाईके अपना भाषण पूरा किया। किन्तु यह रोक-टोक मुझे बराबर कचोटती रही। मुझे लगा कि जहाँ श्री जमनादानने मेरे कतिपय राजनीतिक विचारोंसे नम्रता, किन्तु दृढताके साथ अपनी असहमति प्रकट करके और किसी अन्यके कहनेपर मुझे "महात्मा" कहनेसे इनकार करके मेरा समुचित आदर किया और मुझे सही रूपसे समझा, वहाँ मेरे उम्र प्रथमकोने अपने आचरणसे अपने इष्ट व्यक्तिका अपमान किया और उसे गलत रूपसे समझा। इसलिए मैंने ऐसी अशिष्टता दिखानेवाले भाइयोंसे सार्वजनिक रूपसे क्षमा-याचना करनेको कहा। मैंने उनका ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित किया कि सार्वजनिक सभाओंके नियमानुसार विरोधियोंके साथ भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा कि अहिंसक असहयोगियोंको तो शिष्टताके नियमोंका और भी अधिक आवश्यक रूपसे पालन करना चाहिए। असहयोगियोंके अहिंसा-व्रतका तकाजा है कि वे अपने विरोधियोंका भी उसी प्रकार आदर करे जिस प्रकार अपने मित्रोंका करते हैं। इसके अतिरिक्त श्रोताओंको उन लोगोकी भावनाओंका आदर करना चाहिए जिनके सम्मानमें वे सभामें एकत्र हुए हो। रोक-टोक करनेवालोंको जानना चाहिए कि मैंने अकसर यह कहा है कि "महात्मा" शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है। उदाहरणके लिए, १९२१में हुए बम्बईके दंगोंके समय यह शब्द मुझे बहुत बुरा लगा था। आश्रममें इस विशेषणका प्रयोग करना निषिद्ध है। इसलिए भी जमनादासने वही किया जो मेरे मनको रुचता है। यह सब कहनेके बाद मैं क्षमा-याचनाके लिए एक

गया। इसमें श्रोताओं ने मेरी मदद की। उन्होंने फुसफुसाकर मेरी बातका समर्थन किया और रोक-टोक करनेवालोंको क्षमा-याचनाकी सलाह दी और तब रोक-टोक करनेवालों ने बहादुरीके साथ खड़े होकर हाथ जोड़कर क्षमा-याचना की। यह एक ऐसा दृश्य था, जिसे मैं आमानीसे नहीं भूल सकता। अपना भाषण फिरसे प्रारम्भ करते हुए तथा रोक-टोक करनेवालोंको क्षमा-याचनाके लिए धन्यवाद देते हुए मैं यह कहे बिना न रह सका कि स्वराज्य-प्राप्तिके साधनके रूपमें विधान परिषदोंमें ओजस्वी भाषणों या बहस-मुवाहिंसों तथा मतदानोंकी अपेक्षा इस प्रकारका सच्चा और सज्जनता-पूर्ण आचरण कहीं अधिक कारगर है। श्रोतृसमूहमें शामिल ये पश्चात्ताप करनेवाले लोग अपनी भूलके लिए निर्भीकतापूर्वक खुले-आम पश्चात्ताप प्रकट करके स्वराज्यको निकटतर ले आये हैं।

इस घटनाने, जो दुःखद भी थी और सुखद भी, मेरे भाषणके लिए एक विरोध पृष्ठभूमि तैयार कर दी। उस दिन मैंने जो-कुछ कहा सब इसी पृष्ठभूमिमें कहा और मेरे भाषणमें एक अप्रत्यागित गालीनता आ गई।

मलावारके विषयमें बोलते हुए इसी पृष्ठभूमिके सहारे मुझे इतने दिनों बाद श्री देवधरकी समाज-सेवाकी अपरिमित क्षमताकी प्रशंसा करनेका अवसर मिला और मैं लोगोंसे यह कह सका यद्यपि राजनीतिके क्षेत्रमें हम एक-दूसरेसे दो ध्रुवोंकी तरह बिलकुल दूर-दूर दिखाई देते हैं, फिर भी उनके व्यक्तिगत चरित्र, कर्तव्यनिष्ठा और आत्म-त्यागके प्रति मेरे सम्मान-भावमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसके बाद मैंने चरखेकी चर्चा करते हुए उन्हें समझाया कि यह देशके गरीबोंके साथ आपके एकात्म-भावका मन्त्रा प्रतीक है। सिर्फ मुंहसे किमी बातपर हामी भर देना काफी नहीं है, और न सिर्फ हृदयमें उनके प्रति दयाका अनुभव करनेसे ही कुछ बननेवाला है। हम चाहते हैं कि गरीब लोग यह महसूस करें कि अगर वे हमारे लिए मेहनत करते हैं तो हम भी उनके लिए चरखा चलाते हैं। आधा पैट खाकर जीनेवाले ये करोड़ों लोग आज घोर निराशाकी स्थितिमें पड़े हुए हैं। उनका न अपने-आपपर विश्वास है और न हमपर। उनके मनमें पम्नीका यह भाव आ गया है कि उन्हें तो उम्मीत रहूँगी भूमिकी पीड़ा झेलने हुए तिल-तिलकर मरना है, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें धर्मार्थ दिये गये दानोंपर जीनेकी ऐसी लत पड़ गई है कि वे काम करनेकी लगभग तैयार ही नहीं हैं। यदि हम चाहते हैं कि ये करोड़ों दीन-हीन लोग ईमानदारी और सम्मानके साथ चार पैने कमा सकें तो उनके लिए हम उन्हें जो एकमात्र साधन दे सकते हैं वह तो यह छोटा-सा मुन्दर चरखा है, जिसे कमजोरोंके-कमजोर आदमी भी चला सकता है। उन करोड़ों लोगोंको भिन्नमार्गोंके जट और निःशान्त जीवनको छोड़कर मुन्दर और सहज श्रमका जीवन अंगीकार करनेका प्रोत्साहन देनेका एकमात्र कारगर तरीका यही है कि हम स्वयं चरखा चलाकर उन्हें भी चरखेको अपनावनेकी प्रेरणा दें। गीतामें कहा है कि जैसा आचरण श्रेष्ठ जन करते हैं, वैसा ही आचरण सामान्य जन भी करते हैं।

चरयोकी चर्चाके बाद मैंने कहा कि बहुत-से भाइयोंने ऐसी आशा व्यक्त की है कि आज हमारा राष्ट्रीय जीवन जिस विकट स्थितिमें पड़ गया है मैं उससे निकलनेका रास्ता दिखाऊंगा। मैं आनी जिग्मेदारी ममज्ञता हूँ और कोई रास्ता ढूँढ निकालनेकी कोशिश कर रहा हूँ। पण्डित मोतीलालजीमें इस सम्बन्धमें पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। लेकिन, मैं सत्याग्रहके अगवा और किसी बातका गुझाव नहीं दे सकता। अवनत लोग उनके उग्र पक्ष — सविनय अवज्ञा तथा अमहयोग — को ही जानते रहे हैं। लेकिन उनका एक नौम्य पक्ष भी है और यही इसका स्थायी पक्ष है। अब तो जनताके सामने उनके नौम्य पक्षको ही रचना है, वह चाहे जो भी रूप धारण करे। हम लोग तारी लड़-लगाउ चुके और अगर बहुत छोटी-छोटी बातोंपर ही लड़े-झगड़े हैं। हम प्रसारमें पड़कर आपसमें विभात हो रहे हैं। कोई कारण नहीं कि हम कोई ऐसा कार्यक्रम न तय कर पायें, जिगपर सबकी सहमति हो। कुछ बातें तो ऐसी होनी ही चाहिए, जिनपर हम सभी एकमत हो सकें और जिनको अजाम देनेके लिए हम एक ही जगड़ेके नीचे एकत्र हो सकें। चरया, साम्प्रदायिक एकता और हिन्दुओं का अस्पृश्यता निवारण — ये सब ऐसी बातें हैं जिनपर शायद सभी एक हो सकते हैं। मैं श्रीमती वेनेटमें मिल चुका हूँ और नम्रतापूर्वक उनके सामने अपना विचार प्रस्तुत कर चुका हूँ। मैं दूसरे नेताओंसे भी इसी तरह मिलकर अपनी बात समझाऊंगा। मैं किसी भी कारण काग्रेमको विरोधी पक्षमें नहीं बँटने दूंगा और यदि लोगोमें जगजनेकी इच्छा देखूंगा तो उनमें कोई भाग तो नहीं ही लूंगा, साथ ही चुपचाप पीछे जा बैठूंगा और ऐसे अशोभनीय संघर्षसे दूर ही रहूंगा। इसलिए जो भी कार्यक्रम हो, वह ऐसा हो जो बहुमतके द्वारा नहीं बल्कि अनौपचारिक रूपमें परस्पर बात-चीत करके सबकी सहमतिमें तय किया गया हो। अगर जरूरी हो जायें तो सभी पक्षोंकी सहमति हो जानेपर मन लिये जा सकते हैं। यदि मैं यह पाऊँगा कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसे कार्यान्वित करनेमें मैं शामिल हो सकता हूँ तो मैं विघ्न डालनेवालोंका नेतृत्व करनेके बजाय काग्रेममें खुर्ची-मुर्गी विलकुल अलग हो जाऊँगा। सत्याग्रहका नवमें नौम्य पक्ष सम्पूर्ण आत्म-समर्पण है। नौम्य सत्याग्रहमें अगर कोई विरोध किया जा सकता है तो ऐसे मिट्टान्तको लेकर ही, जिसे सम्बन्धित व्यक्तिने अपने आचरणमें उतारा हो और अपने जीवनमें गँथ लिया हो। मैंने श्रोताओंको बताया कि सत्याग्रह-शास्त्रका — अगर इसे शास्त्र कहा जा सके, तो — विकास मैंने पारिवारिक जीवनके सुदीर्घ अनुभवके आधारपर किया है। इसके उग्र पक्षका प्रयोग मैंने स्वयं अपनी पत्नी, पुत्रों और उन भाइयोंपर, जो बहुत पहले दिवंगत हो चुके हैं किया है। इसके कारण मुझे उन सबकी नाराजगी और अलगाव भी सहना पड़ा। लेकिन, मैंने यह सब उनके प्रति गहरे प्रेमसे ही प्रेरित होकर किया था। मैं मानता हूँ कि मुझमें ईश्वरकी सृष्टिके दूसरे समस्त प्राणियोंसे भी उतना ही स्नेह करनेकी क्षमता है जितना कि मैं अपने प्रिय-प्रिय परिजनोसे कर सकता हूँ। प्रेमकी पीडा कभी-कभी प्रेम-पात्रपर गहरे निशान छोड़ जाती है, लेकिन प्रेमीके हृदयमें तो वह उसमें भी कहीं अधिक गहरे निशान छोड़ती है। अग्रेजोके प्रति मेरे मनमें

कोई दुर्भाग्य नहीं है। कुछ अंग्रेज तो मेरे घनिष्ठतम मित्रोंमें से हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे उनसे कहना पडा, "आप मेरे देशका शोषण नहीं कर सकते। इस शोषणने उसे असीम शक्ति पहुँचाई है। आपमें से कुछ लोगोंको तो इसके कल्याणका कोई खयाल नहीं है और वे इसे जहाँतक वने, अधिकसे-अधिक चूसना चाहेंगे। आपमें से कुछ लोग अज्ञानवश ऐसा मानते हैं कि भारतमें अंग्रेजी राज्य तो भारतके कल्याणके लिए ही कायम है और आप लोग इस देशके ट्रस्टी हैं। यह स्थिति समाप्त होनी है और जल्दी ही होनी है।" जब मैंने ऐसा कहा तो उसका यही मतलब था कि मैं इस काममें प्राणपणसे जुट जाऊँ। इस प्रयत्नके परिणामस्वरूप सत्याग्रहका उग्र पक्ष सामने आया है। इससे शोषक प्रणालीका अन्त नहीं हो पाया, लेकिन हम आपमें से विभक्त हो गये हैं। इसलिए अब मुझे पूरी शक्ति लगाकर सत्याग्रहके मीम्य पक्षको लोगोंके सामने रखना है। यह चीज आग्रहसे नहीं, सिर्फ समर्पणसे ही सम्भव है। यदि मैं सफल न होऊँ तो मैं जानता हूँ कि इसका कारण इस सिद्धान्तकी कमजोरी नहीं बल्कि इस सिद्धान्तपर आचरण करनेवालेकी कमजोरी ही होगी। इसका मतलब यह होगा कि प्रयोगकर्ता जिस सिद्धान्तके बारेमें जानता था कि वह एक सच्चा सिद्धान्त है, उसे वह अपने आचरणमें नहीं उतार पाया है। मैं जानता हूँ कि मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं तो अल्पात्मा हूँ। प्रेमकी शक्तकी कोई सीमा नहीं है; यह तो मंत्रार विजय प्राप्त कर सकता है। यह कठोरसे-कठोर हृदयको भी पिघला देता है। उसमें 'स्व'के लिए कोई स्थान नहीं है। कौन जानता है कि मेरे भीतर कहीं, किसी कोनेमें मुझमें भी छिपकर क्रोध या दुर्भाग्यना घातमें नहीं बैठी हुई हो। लेकिन मुझे डिगना नहीं चाहिए। मुझे तो स्वपर विजय प्राप्त करनेका और उस प्रक्रियामें, हम सबके बीच जो दरारें दिखाई दे रही हैं, उन्हें पाटनेका प्रयत्न करना ही है। अन्तमें मैंने कहा, "तो अब मेरे लिए यही कामना कीजिए कि ईश्वर मुझे ऐसा करनेके लिए बल दे।"

[ अंग्रेजीमें ]

यम इडिया, ४-३-१९२४

## ५२. बम्बईका खादी-भण्डार

अखिल भारतीय खादी बोर्डने खादी-भण्डारको समुचित लिला-पढीके बाद लग-भग पूरी तरह अपने हाथमें ले लिया है। अबतक इसका प्रबन्ध श्री विट्ठलभाई जेराजाणी करते थे। इसके पीछे विचार यह है कि विभिन्न प्रान्तोंकी अतिरिक्त खादीके वितरणकी ठीक व्यवस्था की जा सके और बम्बई-जैसे नगरीकी आवश्यकता पूरी करनेके लिए खादी मुहंया की जा सके। अभीतक निजी एजेंसीके जरिये ऐसा नहीं किया जा सकता था। यह काम तो कोई अखिल भारतीय सम्यान ही कर सकता है। बीमते नियमित निर्धारित करनेका काम अब बोर्डके हाथमें रहेगा, ताकि गरीबोंको यथासम्भव नस्ते-मस्ते दामोंपर खादी मिल सके। भण्डारके पूरे हिसाब-किताबकी जांच-पडताल भी बोर्डके ही जिम्मे रहेगी।

[अंग्रेजीमें]

बंग इंडिया, ४-९-१९२८

## ५३. बनारसमें कताई

प्रोफेसर रामदास गौडने एक दिलचस्प रिपोर्ट भेजी है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बनारस नगरपालिकाके स्कूलोंके बच्चोंमें चरखेका प्रवेश कराया। उन्होंने ४० पुराने चरखे और धुनकियाँ आदि खरीदी। फिर उन्होंने १३ शिक्षकोंको सूत कातना सिखाया। उन शिक्षकोंने दूसरे साथी शिक्षकोंको सिखाया। इस तरह एक महीनेसे कुछ अधिक समयमें १७५ शिक्षक कताईके खासे उस्ताद बन गये। गौडजीकी पत्नी और पुत्रीने इसमें उनकी सहायता की। अब गौडजी अभिमानके साथ कहते हैं

हर पाठशालामें कोई चरखा-मास्टर अलगसे रखा जाता तो कमसे-कम १०,००० रुपये सालाना खर्च उठाना पडता। कोई ५-६ सप्ताहतक मैंने अपना सिर्फ ४ घण्टेका समय मौजूदा शिक्षकोंको कातना सिखानेमें लगाया और यह समस्या हल हो गई।

आगे वे कहते हैं

अब ऐसा कोई शिक्षक नहीं रह गया जो कातना या धुनना न जानता हो और आगे किसी भी ऐसी स्त्री या पुरुषको शिक्षककी जगह नहीं दी जायेगी जो धुनना और कातना न जानता हो।

गौडजी अपनी आगेकी योजना इस तरह बयान करने हैं

जब यह कठिनाई हल हो गई तब मैंने बोर्डमें एक ध्योरेवार तजवीज पेश की -- अपर प्राइमरी २६ स्कूलोंमें ३५० चरखे दाखिल किये जायें, कमसे-



कम ७०० लड़कोंको धुनना और कातना सिखाया जाये और खादीकी बुनाईके लिए बुनाई विभागमें ६ खड्डी करघे हो, एक बुनाई-शिक्षक, एक निरीक्षक, एक बढ़ई और इतनी कपास दी जाये, जिससे हर विद्यार्थी आध घंटेतक रोज काम कर सके। इसके लिए ६,००० रु० प्रति वर्ष दरकार थे। पर बोर्ड इसपर पक्षोपेशमें पड गया और अपनी बैठकीमें दो महीनेतक इस सवालकी टालता रहा। आखिर पिछली २६ जुलाईको बोर्डने एक सालके लिए सिर्फ ३,००० रु० मजूर किये। ऐसी हालतमें मुझे कपासकी मद प्रायः बिल्कुल निकाल देनी पडी और दूसरी मदोंमें भी इसी तरह काट-छांट करनी पडी, जिससे काम छोटे पैमानेपर मजेमें चल सके। अब मैं सिर्फ ३०० चरखे और ६०० चमरखे सावरमती आश्रमके नमूनेके मंगा रहा हूँ। (आश्रममें मैंने जो-कुछ देखा उसके अनुसार) कुछ थोड़ा सुधार कर देनेसे मैं उम्मीद करता हूँ कि एक हजारसे अधिक लड़के-लड़कियाँ कातना सीख जायेंगे और रोज चरखा कातकर अच्छा सूत निकाल सकेंगे। अब सिर्फ चरखोके बन जानेका इन्तजार है, और वे तो बनते-बनते ही बनेंगे। पर इस बीच लड़के-लड़कियोंके माँ-बाप और अभिभावकोसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे कपासका इन्तजाम अपने घरसे कर दिया करे। चरखा वगैरह चीजें मैं दूंगा, जरूरी बातें मैं बता दिया करूँगा और माँ-बाप सिर्फ कपासका इन्तजाम करेंगे। सूतके मालिक वे रहेगे और अगर वे चाहें तो हमें बुनाईका उचित मेहनताना देकर खादी बुनवा लेंगे। मैं सिलाई सिलानेका भी इन्तजाम कर रहा हूँ, जिससे खादीकी सिलाई सस्ती हो जाये।

लॉग टम प्रयोगको दिलचस्पी और हृदयदर्दके साथ देखेंगे। मुझे आशा करनी चाहिए कि अन्य शिक्षक भी प्रांफेसर रामदाम गीतका अनुकरण करेंगे।

[ अगेजीमें ]

पग इटिया, ८-९-१९२४

## ५४. पतितोके लिए

मुझे कोई तीन साल पहले वारीसालमें हमारी विषय-वासनाकी शिकार बनी पतित वहनोसे मिलनेका सांभाग्य प्राप्त हुआ था। उनमे से कुछने मुझसे कहा था "हमें दो मे तीन रुपयेतक रोज आमदनी होती है। आप हमें ऐसा कोई काम बताइए जिससे हमें उतनी आमदनी हो जाया करे।" एक क्षणके लिए तो मेरा कलेजा बैठ गया, पर तुरन्त ही मैं सँभल गया और कहा, "नहीं, वहनो, मैं तुम्हें ऐसा तो कोई काम नहीं बता सकता जिममे तुम्हें दो या तीन रुपये रोज मिल सके, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि तुम यह पेशा छोड़ दो, भले ही तुम्हें भूयां मरना पड़े। हाँ, चरखा एक ऐसी चीज है, अगर तुम उसे अपनाओ तो यह तुम्हारी मुकितका साधन बन सकता है।"

ये पतित वहने तो भारतके पतित समाजका एक अल्पाश-मात्र है। उडीसाके नर-काल भी एक अर्थमें इसी पतित समाजके अंग है। पतित वहने जिस प्रकार हमारी विषय-वासनाकी शिकार हो रही है, उसी तरह ये उडीसाके हाड-चामके पुतले हमारे अज्ञानके शिकार हो रहे हैं। हमारी इन्द्रियोकी पाशविक तृप्ति नहीं, बल्कि धनकी भोग-लालमाने उन्हें अस्थिचर्मावशिष्ट कर दिया। उनके कलेजेके खूनसे हम मालामाल हो रहे हैं।

पर, ईश्वरको धन्यवाद है कि अब हम मध्यवर्गके पढे-लिखे लोग अपनी पतित वहनो और धुवा-पीडित भाइयोके दुखोको अपना दुख बनानेके लिए उतावले हो रहे हैं। हम स्वराज्य इसीलिए चाहते हैं कि जिसमे उन्हें जीवन मिले। पर हम सब लोग गाँवोंमे जाकर देहातियोकी महायता नहीं कर सकते। हमारी पतित वहनोका चित्र हमें चौबीसों घंटे उस बातकी याद दिलाता रहता है कि हमें अपना चरित्र निर्मल, निष्कलक बनाना चाहिए। तब सवाल है कि हम कौन-सा उपाय करे जिससे हमें बराबर उनका खयाल बना रहे, उनकी दुर्दशासे हमारा हृदय व्यथित होता रहे? हर रोज उनके लिए हमें क्या करना उचित है? हम तो इतने कमजोर हैं कि जो कमसे-कम हो, उतना-भर करना चाहते हैं। तो वह कमसे-कम भी क्या है जो हम कर सकते हैं? मुझे तो सिवा चरखेके और कुछ नहीं दिखाई देता। वह काम ऐसा होना चाहिए जिमे अपढ और पढे-लिखे, भले और बुरे, बालक और बूढ़े, स्त्री और पुरुष, लडके और लडकियाँ, कमजोर और ताकतवर— फिर वे किमी जाति और धर्मके हो— कर सके। फिर वह ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए एक-सा हो। तभी वह फलदायी हो सकता है। चरखा ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें ये सब गुण हैं। अतएव जो कोई स्त्री या पुरुष रोज आध घंटा चरखा कातता है वह जन-समाजकी भरसक अच्छीसे-अच्छी सेवा करता है। यही नहीं, वह भारत-भूमिके पतित मानव-समाजकी सेवा तहेदिल और सेवाभावसे करता है और इस तरह स्वराज्यको दिन-दिन नजदीक लाता है।

हम भारतवासियोंके लिए तो चरखा हमारे तमाम सार्वजनिक और सामुदायिक जीवनका आधार ही है। उसके बिना किमी भी प्रकारके स्थायी सार्वजनिक जीवनका निर्माण करना असम्भव है। यही एक ऐसा प्रत्यक्ष प्रेम-पाग है, जो अपनी जन्म-भूमिके छोटे-छोटे व्यक्तियोंके साथ हमें बाँध देता है और उन्हें आशाका सन्देश पहुँचाता है। हाँ, यदि जरूरत हो तो हम चाहे अन्य चीजें भी उसके साथ शामिल कर लें, पर सबसे पहले हमें उसकी जड़ मजबूत कर लेनी चाहिए, वैसे ही जैसे होशियार कारीगर पहले इमारतकी बुनियादको पक्का कर लेता है, फिर उसपर मजिले उठाता है और इमारत जितनी ही बड़ी और ऊँची बनानी होती है वह नींवको उतनी ही अधिक गहरी और मजबूत बनाता है। अतएव यदि हम चाहे कि चरखेकी कुछ करामात हमें दिखाई दें तो हमें घर-घर उसका प्रचार करना चाहिए।

परन्तु चरखा देशके सिर्फ ऊँचे और नीचे लोगोंको ही एक सूत्रमें नहीं बाँधेगा बल्कि वह देशके विविध राजनीतिक दलोंको भी एक सूत्रमें बाँधनेका साधन होगा। तमाम दलोंके लिए यह चरखा एक ममान बन्तु होगी। नें चाहे तो भले ही दूसरी तमाम बातोंमें मतभेद बनाये रहें, पर कमसे-कम इसपर सब सहमत हो सकते हैं।

अतएव मैं हरएक गरससे, जिसके हृदयमें अपने देशके प्रति प्रेम हो और जो देशके दरिद्र और पतित भाइयोंमें अनुराग रखता हो, प्रार्थना करता हूँ कि वह उनके लिए और ईश्वरके नामपर कृपाकर आव घटेका दैनिक श्रम चरखा कातकर दे और एक-सा और मजबूत मूत भेजें। चूँकि राष्ट्रके लिए उनकी तरफमें यह दान होगा, अतएव वे अ० भा० ग्वादी बोर्डके पास उसे भेज दे, नियमपूर्वक जैसे कि किमी धार्मिक नियमका पालन करते हो।

[अग्रेजीसे]

यम इंडिया, ४-९-१९२४

## ५५. टिप्पणियाँ

न्यूनतम समान कार्यक्रम

बम्बईके एक्सेनिंगवर विद्येटरमें हुए मेरे भाषणके सक्षिप्त विवरणमें पाठक मेरी एक योजना देखेंगे, जिनका उद्देश्य देशके उन तमाम विभिन्न तत्त्वोंको साथ मिलानेका है, जो उन समय एक-दूसरेके खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुतायतमें वे यह जानते भी नहीं कि वे ऐसा कर रहे हैं। लोग मुझमें कहते हैं कि उन सब दलोंको एक कर लीजिए। उमल्लिए मैं उन बातकी चेष्टा कर रहा हूँ कि किन तरह ये विभिन्न-भिन्न शक्तियाँ एक हो सकती हैं। दूसरे शब्दोंमें, वे कौन-सी बाने हैं, जिनपर उन लागूकी एक बड़ी तादाद—जिन्होंने कि देशके सार्वजनिक जीवनका प्रानेमें कुछ योग दिया है—परन्पर नहमा है या हो सकती है, अथवा वे कौन-सी चीजें हैं जो हमारी जातिगत शक्तियोंके सिद्धांतोंके लिए अनिष्टात हैं। यद्यपि बानरी बानाये भी

कुछ काम बन सकती है, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैंने जीवनमें सदा यही माना है कि सच्चा विकास तो भीतरमें ही होता है। यदि भीतरमें ही प्रतिक्रिया न हो तो बाहरी साधनोंका प्रयोग विलकुल निरर्थक है। यदि शरीरकी भीतरी शक्तियाँ पूर्णताको पहुँच गई हों तो बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियाँ और प्रभावोंका उसपर कुछ असर नहीं होता और न उसे बाहरी साधनोंकी सहायताकी ही जरूरत रहती है। एक बात और है, जब आन्तरिक अवयव सुदृढ़ हो तो बाहरी सहायता अपने-आप उतनी ओर खिंचती हुई चली जाती है। इसीसे यह कहावत पड़ गई है कि ईश्वर उन्हींका सहायक होता है जो अपनी सहायता आप करते हों। अतएव यदि हम सब मिलकर भीतरी पूर्णताके लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो हमें दूसरी किसी हस्तक्षेपमें पड़नेकी विलकुल जरूरत नहीं। पर हम चाहे ऐसा करे या न करे, कमसे कम काग्रेसको तो भीतरी विकासतक ही अपने कामकी सीमा बाँध लेनी चाहिए।

अच्छा, तो अब ऐसे विकासके लिए न्यूनतम समान कार्यक्रम क्या हो सकता है? मैं धरावर कहता आया हूँ कि वह है चरखा और खादी, तमाम धर्मोंकी एकता और हिन्दुआ द्वारा छुआछूतका परित्याग। आखिरी दो बातोंसे शायद ही किसीका मतभेद हो। पर मैं जानता हूँ कि चरखेके सम्बन्धमें अर्थात् सारे राष्ट्रके लिए चरखा कातने और खादी धारण करनेकी आवश्यकताके तथा चरखेको इतना व्यापक बनानेकी विधिके सम्बन्धमें अब भी कुछ मतभेद हैं। अन्यत्र मैं इस बातको दिखा चुका हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्वके लिए खादी कितनी आवश्यक है और उसके उत्पादनके लिए घर-घर चरखा कातना ही एकमात्र उपाय है।

### कब खत्म होगी ?

पर लोग पूछते हैं कि यह “अनिश्चयकी स्थिति आगिर खत्म कब होगी ?” मेरा जहाँतक ताल्लुक है, मेरी तरफसे तो खत्म ही ममझिए। मुझमें लड़नेकी इच्छा नहीं रह गई है। आगामी कांग्रेस अधिवेशनमें स्वराज्यवादियोंसे लड़नेका मेरा कोई इरादा नहीं है और न मैं नरमदलवालोंसे ही लड़ना चाहता हूँ। मेरी कोई शर्त नहीं है या अगर कोई शर्त है तो वह है मेरा भिक्षापात्र। मैं स्वराज्यवादियों, नरमदलवालों, लिबरल और कन्वेंशनवालों—सबमें प्रार्थना करता हूँ कि वे इस भिखारीकी झोलीमें अपना गुदका गाता हुआ सूत डाल दे। यही है मेरी मनोदशा। अतएव मैं तो राष्ट्रके तमाम कार्यकर्ताओंको मलाहूँ दूँगा कि वे चरखा कातने, एकता बढ़ाने और जो हिन्दू हो वे छुआछूत दूर करनेमें ही अपनी सारी ताकत लगा दे।

लेकिन अपरिवर्तनवादी मुझसे पूछते हैं, “ऐसी हालतमें कांग्रेस कमेटीयोंका क्या होगा ?” मेरी धारणा तो यह है कि हमारा सारा सविधान छिन्न-भिन्न हो गया है। हमारे पास नाम लेने लायक मतदाता भी नहीं हैं और जहाँ-कहीं रजिस्ट्रोमें उनकी थोड़ी-सी तादाद दिखाई भी देती है तो ये वे लोग नहीं हैं जो कांग्रेसकी कार्यवाहियोंमें उत्साहके साथ दिलचस्पी लेते हैं। ऐसी हालतमें हम स्वयंभू मतदाता और स्वयंभू प्रतिनिधि हैं। जब मतदाताओंकी यह दशा है, तब उन जगहोंपर कटुता पैदा हुए वगैर नहीं रह सकती, जहाँ एक-दूसरेके खिलाफ उम्मीदवार खड़े होंगे।

निष्पक्षता तभी सम्भव है जब कि मतदाताओंकी तादाद बहुत बड़ी हो, वे सब बातोंको अच्छी तरह समझते हो और स्वतन्त्र-रूपसे खुद किसी बातका फैसला कर सकते हो। इसलिए मेरी यही सलाह है कि जहाँ-कहीं जरा भी सघर्षकी सम्भावना हो और मत दोनों ओर बराबर-बराबर बँटा दिखाई दे, वहाँ अपरिवर्तनवादियोंको चाहिए कि उम्मीदवारीसे हट जाये। जहाँ-कहीं सघर्षकी सम्भावना न हो तथा जहाँ मत बहुत भारी तादादमें उनके पक्षमें हो, वहाँ वे पदाधिकारी बने रहे या अपना बहुमत बनाये रखें। किसी तरहकी चालाकी या धोखा-धड़ीसे काम न लिया जाये। मतदाताओंके साथ चालाकी बरतना ऐसी-वैसी बात नहीं है। कार्यकर्तागण ऐसा करके अपने सिरपर एक भारी जिम्मेदारी लेते हैं। बहुमत संचालित सरकारोंके लिए भ्रष्टाचार विनाशकारी साबित होता है। ऐसी हालतमें जो इन बातोंको ज्यादा अच्छी तरह समझने हैं, उन्हें ऐसे तरीकोंसे दूर रहना चाहिए।

### सभापतिके वारेमें ?

कांग्रेसका सभापति कौन होगा, यह भी बहुतेके लिए शंकोपजका कारण बना हुआ है। मुझे दुःख है कि सार्वजनिक जीवनमें फिरसे लौटनेके वादसे मैं तमाम अनिश्चय और चिंताकी स्थिति पैदा होनेका कारण बन रहा हूँ। मुझे इस स्थितिपर बड़ा खेद है, पर किया क्या जाये ? जिस बातकी कुछ दवा नहीं हो सकती, उसे सहनेमें ही भलाई है। अभीतक मुझे पता नहीं कि मेरी स्थिति क्या है। मैं ऐसा सभापति होना नहीं चाहता जिसमें देशमें फूट फैले। मैं उसी अवस्थामें उम गौरवको स्वीकार करना चाहता हूँ जब वास्तवमें उनके द्वारा देशकी कुछ भी सेवा हो सकती हो। बात यह है कि मैं उन दलबन्धियोंसे उकता गया हूँ। जब मैं यरवदा जेलमें था तब मैंने जर्मन कवि गेटेका 'फॉस्ट' नामक नाटक दुबारा पढ़ा था। वरमों पहले एक धार मैंने उसे पढ़ा था। पर उन समय उसकी कुछ भी छाप मेरे चित्तपर नहीं पड़ी थी। गेटेके सन्देशको मैं ग्रहण नहीं कर पाया था। मैं नहीं कह सकता कि अब भी मैं उसे पूरा-पूरा ग्रहण कर पाया हूँ। हाँ, मैं उसे थोड़ा-बहुत समझ जरूर पाया हूँ। उसकी एक स्त्री पात्र है, मार्गरेट। उसका हृदय दुःख और विपादमें व्याकुल रहता है। उसे चैन नहीं पड़ता, शान्ति नहीं मिलती। अपने स्वप्नमें छुटकारेका कोई उपाय नहीं नून पड़ता। वह चरमका आश्रय ग्रहण करती है और चरम मानो अपने मसीहके द्वारा उसकी व्यथा और खेदनाको बाहर निकालना है। मैं उस पूरी कल्पनामें बहुत प्रभावित हुआ। मार्गरेट अपने कमरेमें अकेली है। उसका हृदय दुःखी और निराशाने टूट-टूट हो रहा है। तब उसे कमरेके एक कोनेमें पड़े चरमके पात्र भोजना है। वह बात नहीं कि मानवनासे तब वहाँ दमर मानन न ये। वहिमा ननी टूट पुनःतोला पुनःताप था, दुःख मुन्दर निद्र भी ये और एक इन्तर्निगत और नचित 'दासिनी' भी वहाँ रगी हुई थी। पर न तो निद्र, न वे पुनःतो और न वह वादवित्र ही उसे नमन्ती उ मनी। वह बरबत चरमके नमन्ती जाती है और जो शान्ति उसके पास आनेमें उनका रगी थी पर प्रनापान उसे मित्र जाती है। उसकी उ हृदयदायक शान्तिता यरा से जाती है।

मेरी शान्ति तिरोहित हो गई है, मेरा हृदय उद्विग्न है,  
 मैंने उसे खो दिया है, और जितना ही खोजती हूँ,  
 खोनेकी अनुभूति उतनी ही गहरी होती जाती है।  
 यह स्थान, जहाँ वह नहीं है, मेरे लिए इमशानकी  
 भाँति निर्जोब हो गया है,  
 मेरा जीवन, मानो एक अपार निरानन्द है,  
 जहाँ प्रकाशकी एक रेखातक नहीं है।  
 मेरा मन व्याकुल है और मेरा हृदय टूक-टूक हो रहा है।  
 मेरी शान्ति तिरोहित हो गई है, मेरा हृदय उद्विग्न है,  
 क्योंकि मेरा प्रिय मुझसे विछुड़ गया है।

आप इनके कुछ शन्दोको डवर-उवर कर दीजिए— वस ये पवित्रियाँ मेरी मानमिगः स्थितिका चित्र आपके मामने खडा कर देगी। जान पडता है, मैं भी अपने प्रियतमसे हाथ धो बैठा हूँ और ऐसा मालूम होता है कि मैं डवर-उधर भटक रहा हूँ। मुझे अनुभव तो ऐसा होता है कि मेरा सखा निरन्तर मेरे आसपास है, पर फिर भी वह मुझसे दूर प्रतीत होता है क्योंकि वह मुझे ठीक-ठीक राह नहीं दिखा रहा है और स्पष्ट निर्देश नहीं दे रहा है। बल्कि उलटा, गोपियोके छलिया नटखट ऋणकी तरह वह मुझे चिढाता है, कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है और कभी फिर दिखाई दे जाता है। जब मुझे अपनी आँखोके सामने स्थिर और निश्चित रूपसे प्रकाश दिखाई देगा, तभी मुझे अपना पथ साफ-साफ मालूम होगा और तभी मैं पाठकोमे कहूँगा कि आइए, अब मेरे पीछे-पीछे चलिए।

तबतक मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपना चरखा लेकर बैठ जाऊँगा और उमीके मम्बन्धमे कहता-सुनता रहूँगा या लिखता-लिखाता रहूँगा और पाठकोको उसकी आवश्यकता और उपयोगिता जँचाता रहूँगा। अब, जब कि मैं सब तरह अकेला पड गया हूँ, चरखा ही मेरा मित्र है, यही मुझे तमल्ली देनेवाला है, मेरा अमोघ शान्ति-दाता है। परमात्मा करे, पाठकोके लिए भी यह ऐसा ही सावित हो। मेरे एक और मित्र भी है, जो कि मार्गरेट और मेरी तरह दुःखाक्रान्त है। वे भी कहते हैं “हमारे वटे भाग्य है जो आपने हमें चरखा दे रखा है। मुझसे जितना होता है, चरखा कातकर अपने दिलको तसल्ली दे लिया करता हूँ।”

### फिर नागपुर

डा० मुजने' मुझे चैताया है कि मैं नागपुरके हिन्दू-मुस्लिम तनाजेके वारेमे कुछ न लिखूँ। नागपुरमे अब तीसरी दफा हिन्दू-मुसलमान लड पडे है और उन्होने एक-दूसरेके साथ मारपीट की है। क्या उन्होने इस बातका अहद कर लिया है कि अपने पशुबलको आजमानेके बाद ही वे शान्तिके साथ रहेंगे ? क्या दोनोके वैमनस्यको मिटानेका



## ५६. कसौटीपर

गिछले महीने भिन्न-भिन्न प्रान्तोसे प्राप्त सूतकी, अखिल भारतीय खादी बोर्ड द्वारा की गई परीक्षाके निम्न परिणाम बड़े रोचक तथा शिक्षाप्रद होंगे।

### आन्ध्र

भारतमें सर्वोत्तम कताई-क्षेत्रके रूपमें इस प्रान्तसे जो अपेक्षा की जाती थी उसे यह पूरा नहीं कर पाया।

कुल मिलाकर ४२९ पैकेट प्राप्त हुए। इनमें से ५० पैकेटोंमें ऐसा सूत है जिसमें बट जरूरतसे ज्यादा है और जिसकी कताई अच्छी नहीं कही जा सकती। गुडियाँ लम्बाईकी दृष्टिसे बहुत ही अलग-अलग हैं। एक तो ६ फुट लम्बी है और कुछकी लम्बाई सिर्फ ९-१० इंच है। इन ९-१० इंचवाली गुडियोंको सुलझानेमें समय और सूतकी बहुत बरबादी होगी। खासकर इसलिए कि उनकी लच्छियाँ बाँधी नहीं गई हैं। बहुतेरी गुडियोंमें लगता है घटिया किस्मकी रईसे ऊँचे नम्बरका सूत कातनेकी कोशिश की गई है और सूतपर छिडकाव नहीं किया गया है। नीचे उन लोगोकी सूची दी जा रही है जिन्हें “सम्मानपूर्वक” उत्तीर्ण हुआ माना जा सकता है।

	गज	सूतका अंक	प्रकार
१ श्री एम० पापाराव	६६६	५५	बहुत अच्छा
२ „ के० सूर्यनारायण	२६६०	४९	बहुत अच्छा
३ „ एम० लक्ष्मी नरसिंह	५७००	४७	सामान्य
४ „ पी० कनकम्मा	२०००	४८	अच्छा
५ „ के० अम्बत्थाचार्युलु	२०००	४१	सामान्य

तके साथ नाम आदिकी पर्चियाँ और सूचियाँ बिलकुल ठीक हैं।

### असम

यदि मात्रा बहुत कम न होती तो सूतके ऊँचे दर्जोंको देखते हुए यह कमी पूरी हुई मानी जा सकती थी। अगर छिडकाव किया जाता तो सूतका दर्जा और भी अच्छा होता। सम्मानसहित उत्तीर्ण

१ श्रीयुत शिवप्रसाद बर्न	२९४०	४०	अच्छा
--------------------------	------	----	-------

### अजमेर

राजपूतानाके दूसरे हिस्सोकी अपेक्षा यहाँसे ज्यादा अच्छा सूत प्राप्त हुआ है।

### बम्बई

एक बड़ी विगेषता, जिससे दूसरी कमियाँ ढक जाती हैं, यह है कि यहाँ सूत कातनेवालोंमें स्त्रियोंकी संख्या पुरुषोंसे अधिक है और इनमें से चार तो पारसी स्त्रियाँ



है। कुछ सूत पर्याप्त मात्रातन्हीमें नहीं पाया गया है, जब कि कुछ ठीक पर्याप्त मात्रा में पाया है, उसका गुणियां भी ठीक प्रकार के नमूने में ही और उमर छिड़ता भी लिया गया है।

### बिहार

बिहारमें तो सूतकी किरम और भाग दोनों ही दृष्टियोंमें ऐसा परिणाम भी नहीं मिलाया है जिसे सामान्य भाग माना जा सके। मन्मथें उमर नानु मज्जेप्रकार आते हैं, जिनमें बरिया सामान्य मन्मथें मन्मथें नामक नाम १०,१८८ गज ८ नम्बरका सूत भेजा है। लेकिन उनमें अज्यात निर्माणोंमें ऐसा नाम नहीं लिया है जिनको का उनमें मुताबिके नहीं मानीमें निर्माण मन्मथें भी पाया है।

### बंगाल

बंगालमें तो सबसे प्रथमकीव तथ्यं लिया है। मन्मथें प्रविष्टानके १०७ मन्मथें ऐसा सूत भेजा है जिनमें प्रकट होता है कि वह मन्मथेंमें माहिर लोगोंके हाथका काम है। लेकिन मन्मथेंमें कुछ और एकदमता ऐसी चाहिए, लच्छियां अच्छी तरह बंधी हुई होनी चाहिए और सुन्दर छिड़ता भी होना चाहिए।

१८ वर्षकी एक महिलामें आमानीमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वह पूरे भारतवर्षमें प्रथम आई है। उनका नाम श्रीमती अणुद्वित्री है। उनमें ७६ नम्बरका ७,००० गज बड़िया बटमान्का और एक-सा सूत भेजा है।

पश्चिमा बिल्कुल ठीक है।

### मध्य प्रान्त (हिन्दी)

कुछ मिलाकर उसने अच्छा काम नहीं किया, तो भी कुछ अच्छे नमूने हैं

१ देवी मुभद्राकुमारी	२०००	३०	अच्छा
२ उमरावसिंह चौहान	२०८८	२२	सामान्य

### मध्य प्रान्त (मराठी)

अधिकांश सूत २० से ज्यादा नम्बरका नहीं है, लेकिन उमको देखनेमें यह जरूर प्रकट होता है कि वह सबे हुए हाथोंमें कता गया है। कुछ सूत उससे भी कम नम्बरका है, लेकिन अच्छा और एक-सा कता हुआ है। पश्चियां ठीकमें नहीं लगाई गई हैं—यहातक कि कुछ अच्छे काननेवालोंके नाम भी नहीं जाने जा सकते।

### गुजरात

सूतकी मात्राकी दृष्टिसे उमका स्थान पहला है और इसके भेजे सूतको देखनेसे जात होता है कि यह बहुत ही कुशल हाथोंसे कता हुआ है। कच्छ और काठियावाडने भी जो मोटा सूत काननेके लिए प्रसिद्ध है, अच्छा सूत भेजा है। लेकिन वाजी तो दरवार साहब गोपालदास देसाई, ढसावाले ले गये हैं जिन्होंने औसतन् ४५ नम्बरका ५,०७४ गज अच्छा सूत भेजा है। उनके द्वारा भेजी गुडियोंमें से एकमें ७२ नम्बरका

सूत है, दूसरीमे ५५ नम्बरका और शेषमे ४० या इसीके आसपासका। खादी मण्डल-के कुछ सदस्याने ३० नम्बरतक का बहुत अच्छा सूत भेजा है।

सूचियाँ और पर्चियाँ ठीक है।

### दिल्ली

सिर्फ १२ पैकेट भेजे गये हैं जिनमें से एक पैकेटमे अच्छा कता सूत है पर उसमे भी पर्ची ऐसी है कि भेजनेवालेका नाम भी नहीं पढा जा सका।

### कनॉटक

मात्रा बहुत कम है लेकिन किस्म अच्छी है। सभी सूत बिना छिडकाव किया हुआ ही है। सर्वात्तम कताई करनेवाले लोग निम्नलिखित हैं

१	श्रीयुत शकर जी० गोलटगी	२०४०	३८	बहुत अच्छा
२	„ डा० टी० आर० हुलियालकर	२०००	४०	सामान्य
३	„ भीमराव नगावी	२०४०	३८	अच्छा

### महाराष्ट्र

कुल मिलाकर बहुत मामूली। रत्नागिरी और भुसावल-जैसी एक दो जगहोसे प्राप्त सूतको देखनेसे यह लगता है कि सधे हुए कातनेवालोंने काता है। श्री दास्तानेने १४ नम्बरका सूत भेजा है, जो अच्छा है। सूचियो और पर्चियोका मेल नहीं बैठता।

### पजाब

मात्रा बहुत कम है और एक-दो नमूनोंको छोडकर सूतकी किस्म भी पजावकी प्रतिष्ठाके अनुकूल नहीं है।

### सिन्ध

स्थिति बहुत खेदजनक है।

सभी हुई कताईका कोई उदाहरण नहीं मिलता।

### तमिलनाड

सूत आमतौरपर अच्छी किस्मका है। मात्राके सिवाय और बातोमे यह वगालकी बराबरी करता है। वाडकोमके स्वयसेवको द्वारा काफी बडी मात्रामे भेजा गया सूत विशेष रूपमे उल्लेखनीय है। यह आमतौरपर अच्छा है। सम्मान विजेता

१	श्रीयुत मीनाक्षी सुन्दरम्	२०४०	९७	अच्छा
२	„ पण्मुख सुन्दरम् पिल्लै	२५२०	८०	अच्छा

सूचियाँ भारत-भरमे सबसे अच्छी तैयार की गई है।

### सयुक्त प्रान्त

अच्छी कताईके तो बहुत कम नमूने देखनेको मिले, लेकिन कुछ बहुत अच्छे अपवाद भी हैं

१	प्राणिक असाधारण मेष	८०५१	२२ मे १०	बहुत अच्छा
२	श्रीमती कनका मेष	२५८८	१७ मे २२	अच्छा
३	श्रीमती सम्भवा	२२६५	१५	अच्छा
४	पुरुषोत्तमसम सपना	२८००	१६	सामान्य

## उत्तर

कुछ मिश्रित सामग्री। अंश ले गया। प्रान्तकी नया पुस्तकें जहाँ जहाँ भी हैं।

१	श्रीमती सिद्धांत पत्नी	२०००	३०	अच्छा
२	,, श्रीमती श्रीमती	२०००	२८	अच्छा
३	,, श्रीमती श्रीमती	२०००	२१	अच्छा
४	,, श्रीमती श्रीमती	२२२२	१९	अच्छा
५	,, श्रीमती श्रीमती	२०००	१६	अच्छा

## धर्म, धर्म, धर्म

कहने कायत सुन प्राप्त नहीं था।

उन प्रान्त में जगह गुजराती गुजराती है। गुजराती लम्बाई में कम-कम हूँ प्रान्तकी तो एतन्पता प्राप्त करनी ही चाहिए। उनमें वारके रचनामें वचन होती है। यज्ञके भावने में पूर्वक काम करनेकी प्रणालीके अधीन जहाँ हूँ आदमी प्रेमके कारण कताई करना है, हमें भी उनमें पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। वचन कि अ० भा० सादी बोंटें द्वारा समय-समयपर जारी की गई विन्तुन हिदायतकी हूँ ध्यानमें रखे। मैं श्रीमती अपणदिवीको वधाई देता हूँ जो कताई प्रतियोगितामें प्रथम आई है।

[ अग्रजिने ]

यंग इंडिया, ४-१-१९२४

५७. जेलके अनुभव -- ११<sup>१</sup>

मेरा पठन [ - १ ]

जब मैं वचना था तब पाठशालाकी पुस्तकोके अलावा और कुछ पढ़नेका मुझे कोई खास मौक़ नहीं था। पाठ्य-पुस्तकोमें ही मुझे चिन्तनकी काफी सामग्री मिल जाती थी, क्योंकि पाठशालामें जो पढ़ता उसपर अमल करना मेरा सहज स्वभाव था। घरपर पढ़नेमें मुझे बहुत रुचि थी। घरके लिए दिये गये पाठ मजदूरन ही पढ़ता था। जब मैं विलायतमें पढ़ रहा था तब भी परीक्षोपयोगी पुस्तकोके अलावा कुछ न पढ़नेकी मेरी आदत बनी रही। परन्तु जब मैंने सारमें प्रवेश किया तब मुझे ख्याल हुआ कि सामान्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिए भी मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन,

१. पहली किस्त १७४-१९२४ के यंग इंडियामें प्रकाशित हुई थी, देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ४७५-७८।

मेरा जीवन विलकुल प्रारम्भसे ही कठिनाइयो और सघर्षोंका जीवन बन गया। इसकी शुरुआत काठियावाडके तत्कालीन पोलिटिकल एजेन्टके साथ झगडेसे हुई। इसलिए अध्ययन-मननमे दिलचस्पी लेनेका बहुत समय नहीं मिला। दक्षिण आफ्रिकामे स्वातन्त्र्य-युद्धका मुकाबला था, परन्तु उसके वावजूद वर्षभर मुझे काफी अवकाश रहा। १८९३ का वर्ष मैंने धार्मिक साधनामे बिताया। इसलिए सारा पठन धार्मिक ही हुआ। १८९४के बादसे मुझे जमकर पढनेका समय दक्षिण आफ्रिकाकी जेलोमे ही मिला। मुझे न केवल पढनेका शौक उत्पन्न हुआ बल्कि संस्कृतका अपना ज्ञान पूरा करने और तमिल, हिन्दी और उर्दूका अभ्यास करनेकी रुचि भी जगी। तमिल इसलिए कि दक्षिण आफ्रिकामे अनेक तमिलभाषियोंसे मेरा सम्पर्क था और उर्दू इसलिए कि बहुतसे मुसलमानोंसे मुझे काम पडता था। दक्षिण आफ्रिकाकी जेलोमे मेरी पढनेकी अभिरुचि तीव्र हो गई थी, इतनी कि दक्षिण आफ्रिकाके अपने अन्तिम कारावासके दोरान मीआद पूरी होनेसे पहले ही छोड़ दिये जानेपर मुझे बहुत दुःख हुआ।

इसलिए जब हिन्दुस्तानमे ऐसा अवसर आया, मैंने उसका सहर्ष स्वागत किया। मैंने यरवदामे अध्ययनका एक कठिन-सा कार्यक्रम तैयार कर लिया था, जिसे पूरा करनेके लिए छ वर्ष भी काफी नहीं थे। प्रथम तीन मासतक मुझे यह बूँधली-सी आशा थी कि भारत समयकी चुनौती स्वीकार करेगा और विदेशी कपडोंके बहिष्कारका कार्यक्रम पूरा करके जेलोके दरवाजे खोल देगा। परन्तु मुझे शीघ्र ही मालूम हो गया कि ऐसा नहीं होगा। मैंने फोरन देख लिया कि ऐसा करनेके लिए परिश्रमके साथ शान्तिपूर्वक संगठन करनेकी जरूरत है, जिसमे देशको पाँच वर्षसे कम नहीं लगेगे। सचमुच स्वराज्यके कारण न सही, फिर भी यदि लोगोंके शान्तिमय रचनात्मक कार्यके परिणामस्वरूप भी मैं जल्दी छूट जाता तो यह मजूर था, किन्तु अन्यथा मीआद पूरी होनेसे पहले छूटनेकी मुझे लेगमात्र इच्छा नहीं थी। इसलिए जर्जरित शरीरवाला चौवन वर्षका बूढ़ा होनेपर भी, मैंने चौबीस वर्षीय तरुणके उत्साहसे अध्ययन शुरु किया। मैं अपने समयके एक-एक क्षणका उपयोग करता था और आशा करता था कि जब छूटूँगा तबतक उर्दू और तमिलका सामा पण्डित बन जाऊँगा और संस्कृतका भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। मैं अवश्य ही संस्कृतके मूल ग्रन्थ पढनेकी योग्यता प्राप्त कर लेनेकी अपनी कामना पूरी कर लेता। परन्तु ऐसा होना वदा नहीं था। दुर्भाग्यसे बीमारी आ गई। उसके परिणामस्वरूप मैं छूट गया और मेरे अध्ययनमे विघ्न पड गया। फिर भी इस अवधिमे मैं कितना पढ सका, इसकी कल्पना पाठकोको नीचे दी हुई सूचीसे हो जायेगी

‘द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड’, ‘द मास्टर ऐंड हिज टीचिंग’, ‘आर्म ऑफ गॉड’, ‘क्रिश्चियनिटी इन प्रैक्टिस’, तुलसी-कृत ‘रामायण’ (हिन्दी), ‘मत्याग्रह और असहयोग’ (हिन्दी), ‘कुरान’, ‘द वे टु विगिन लाइफ’, लूथियन-कृत ‘ट्रिप्स टु द मून’, ठाकोर-कृत ‘इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन’, ‘नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्स’, ‘द यंग क्रूसेडर’, ‘बाइबिल व्यू ऑफ द वर्ल्ट मार्टियर्स’, फेरर-रचित ‘सीकर्स आफ्टर गॉड’, ‘मिस्रकुमारी’ (गुजराती), ‘स्टोरीज फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ रोम’, ‘टॉम

શ્રાવણ દુ. રેડ', વેલન-કા 'વિજય આફ ડે યોર્ન', અદ્યાત્મ-શ્રીમત  
 'ભારતના વિકાસ' (ગુજરાતી), 'પાનજી યોગ-ચંચન' (પ્રો. તાપિયાના અનુવાદ),  
 ગાંધીજી 'રામાયણ'ના ગુજરાતી અનુવાદ, વિવિધ-ગીતા 'પાન મેંગલ', અદ્યા  
 વેલગીરી 'સર્વાર્થી', 'સ્ટ પાલ ન ગીમ', 'સ્ટેજ ટા આ ડા જેલિ  
 એડ નિ. ટાટ', રોજકરી-ગન 'ગિટ', વિવિધ-ગીતા 'મગ વા', 'કામટ', 'નાટક  
 આફ જાન ટાટ', 'મતભાગ' કે અદ્યાત્મ પાસા ગુજરાતી અનુવાદ, ગુરુ વને-ગન  
 'સ્ટાટ કામ : ટાટડુન', સર્વાર્થ-વિગિત 'ગુરુ આફ ટાટડુન', 'વિજ આફ ટાટડુ ગેમ',  
 રામાયણ (ગુજરાતી), વિવિધ-કોન્ટેન્ટ-ગન 'કાટક ટાટડુન', 'વિજ આફ ટાટડુ ગેમ',  
 'દ કુર્બેન', ગિવન-ગન 'સ્ટાટ ટેડ પાન આફ ડ રામન ટાટડુન', 'ઉડ વાનનમાગ',  
 'શ્રીમદ્-ભાગવત' (ગુજરાતી અનુવાદ), વીલિમતા 'સગ-નારિય' (સેરી-ગન ગુજરાતી  
 અનુવાદ), ધંપ-લિખિત 'કુળ' (ગુજરાતી અનુવાદ), નિખતની 'ગીતા' (ગુજરાતી  
 અનુવાદ); 'નન્વતીચન્દ્ર' (ગુજરાતી), 'મનસ્મૃતિ' (ગુજરાતી અનુવાદ), 'દિગોપનિપદ્'  
 (અરવિન્દકી ટીકા), 'ત્વેમં નાગન', જૈકવ વોલ્ગેન-કુટ 'નુપર-એનુ-કાલ ડાટક',  
 'પ્રો ક્રિસ્ટો એટ ઇયોનિયા', 'કટપત્તી ઉપનિપદ્' (હિન્દી-ટીકા), 'ગેરીલિયન',  
 'જાનેશ્વરી' (ગુજરાતી અનુવાદ), 'પિટો વિલ્ડન', 'નત્યાવંપ્રભાગ' (હિન્દી),  
 'પ્રેમમિત્ર' (અર્જે), 'પદ્ધર્મન' (ગુજરાતી અનુવાદ), 'દ ગાન્વેડ ટેડ ડ પ્લાઝ',  
 નાયુરામ ધર્મા કુન 'ગીતા'ની ગુજરાતી ટીકા, ચાકરભાષ્ય ગીતા, 'શ્રીમદ્-ગજવન્દ્ર'  
 (ગુજરાતી), જે. ટ્રિઅર્થી-ગન 'આવન્નેચ્છ ટેડ ડ યુનિવર્ન', એવટ-ગન 'વ્હાટ  
 ક્રિશ્ચિયનિટી મીન્સ ટુ મી', 'સ્ટેપ્સ ટુ ક્રિશ્ચિયનિટી', ટ્રાન્-ગન 'માડ ફિઝાનફી  
 એડ રિલીજન', રવીન્દ્રનાથ-કુટ 'નાઘના', પ્રો. ભાનુ-કુટ 'ઉપનિપદ્-ભાષ્ય' (મરાઠી),  
 મેક્સમૂલરના 'ઉપનિપદ્', વેલ્મ-કુટ 'આડટ લાડન આંફ હિન્ડી', 'વાડવિલ',  
 ભગવાનદાસ-કુટ 'સાઇન્સ આંફ પીસ', કિપાલિગ-કુટ 'વૈરકસ્મ વૈલેડન', ગેડિન-કુટ  
 'ડવોલ્યુશન આંફ સિટીજ', 'લાટક આંફ ગમાનુજ', કનિઘમ-રચિત 'નિલ્વોના  
 ઇતિહાસ', ગોકુલચન્દ-લિખિત 'સિલ્વોકા ઇતિહાસ', મેકૉલિફ રચિત 'સિલ્વોકા  
 ઇતિહાસ', 'ઈથિક્સ આંફ ડસ્લામ', કિડ-કુટ 'સોશલ ડવોલ્યુશન', વુહલરકી  
 'મનુસ્મૃતિ', જેમ્મ-રચિત 'આવર હેલેનિક હેરીટેજ', દાદાચાનજી-કુટ 'અવેસ્તા',  
 અરવિન્દકી 'ગીતા', સ્પેન્મર-કુટ 'એલિમેન્ટ્સ આંફ મોશિયોલૉજી', ફેરવાની-કુટ  
 'મોશલ એફિશિયન્સી', વાડિયા-લિખિત 'મેસેજ આંફ મુહમ્મદ', વાડિયા-લિખિત  
 'મેસેજ આંફ ક્રાડરટ', હમન-કુટ 'સેન્ટ્સ આંફ ડસ્લામ', મોલ્ટન-કુટ 'અર્લી  
 જોરોસ્ટ્રિયનિઝમ', 'હિમાલયનો પ્રવાસ' (ગુજરાતી); 'સીતાહરણ' (ગુજરાતી), 'વુડ  
 અને મહાવીર' (ગુજરાતી), 'રામ અને કૃણ' (ગુજરાતી), 'મૈન એડ સુપરમૈન',  
 'માર્કન્ટેય પુરાણ' (ગુજરાતી); 'પૂર્વરગ' (ગુજરાતી); 'હજરત ઉમરકી જીવની' (ઉર્દૂ),  
 વૈગમ્બર સાહવકી સ્વીકારોક્તિયાં (ઉર્દૂ), વકલ-કુટ 'હિસ્ટ્રી આંફ સિવિલિજેશન',  
 'જયા અને જયન્ત' (ગુજરાતી), રવીન્દ્રનાથ-કુટ 'પ્રાચીન સાહિત્ય' (ગુજરાતી),  
 'કાઉટેસ ટાલસ્ટાય-કુટ 'ડિફેન્સ', 'કાલાપાનીની કથા' (ગુજરાતી), 'અર્થશાસ્ત્ર'  
 (ગુજરાતી), 'ગીતગોવિન્દ' (ગુજરાતી), જેમ્સ-કુટ 'વેરાઈટીઝ આંફ રિલીજિઅસ

एम्पपीरिएन्स', हापकिन्स-कृत 'आरिजिन ऐड इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन', लेकी-कृत 'यूरोपीयन मोराल्म', विनोवा-कृत 'महाराष्ट्र-धर्म' (मराठी), होम्स-कृत 'फ्रीडम ऐड गोथ', हैकेल-कृत 'इवोल्यूशन ऑफ मैन', रवीन्द्रनाथकी 'मुक्तधारा' (गुजराती अनुवाद), रवीन्द्रनाथ-कृत 'डूवतु वहाण' (गुजराती), मौलाना शिवलीकी लिखी पंगम्बर साहबकी जीवनी (उर्दू), डा० मुहम्मद अलीकी कुरान-मन्वन्वी कृति, विवेकानन्द-कृत 'राजयोग', चम्पकराय जैन-कृत 'कन्फ्लुएन्स ऑफ रिलीजन्स', निगल्सन-कृत 'मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम', पॉल कैरस-कृत 'गॉस्पेल ऑफ बुद्ध', राडस डेविग का 'लेक्चर्स ऑन बुद्धिज्म', अमीर अली-कृत 'स्परिट ऑफ इस्लाम', लॉज-कृत 'मॉडर्न प्रॉन्लेम्स', वाशिंगटन डरविग-कृत 'मुहम्मद', 'स्याद्वाद मजरी' (हिन्दी), अमीर अली-कृत 'हिस्ट्री ऑफ द सेरेसन्स', गीजो-कृत 'यूरोपीयन सिविलिजेशन', शिवली-कृत 'अल फास्कर' (उर्दू), मोटले-कृत 'राडज ऑफ द डच रिपब्लिक', 'म्यूजिङ्ग ऑफ नेट टेरैमा', राजम् अग्यर-कृत 'वेदान्त', 'उत्तराध्ययनसूत्र' (हिन्दी), 'रोगीनियन मिस्ट्रीज', 'डायलॉग्स ऑफ प्लेटो', शिवली-कृत 'अल-कलाम', बुर्ख-कृत 'शाक्त ऐड शक्ति', 'भगवती-सूत्र' (गुजराती, अधूरी)।

लेकिन पाठक यह न मान ले कि ये सब पुस्तके मैंने अपनी पसन्दसे पढ़ी थी। इनमें से कुछ तो निकम्मी थी और यदि मैं जेलसे बाहर होता तो उन्हें हरगिज न पढ़ता, कुछ परिचित और अपरिचित मित्रोंकी भेजी हुई थी और मुझे लगा कि कमसे-कम उनकी भावनाका खयाल करके तो उन्हें पढ़ ही लेना चाहिए। यरवदा जेलमें अग्रेजी पुस्तकोंका मग्न वृत्त नहीं कहा जा सकता। उनमें कुछ तो सचमुच अच्छी पुस्तके थी। उदाहरणके लिए, फेररकी 'सीकर्स ऑफ्टर गॉड', 'लूगियनकी ट्रिप्स टु द मून', अथवा जूल वर्नकी 'ड्रॉप फ्रॉम द क्लाउड्स'—ये सब अपने-अपने ढंगकी उत्तम पुस्तके थी। फेररकी पुस्तकमें मार्क्स ओरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटसके जीवन-चरित्रके उत्तम पक्ष देखनेको मिलते हैं। यह प्रेरणाप्रद पुस्तक है। लूगियनकी पुस्तक एक बढ़िया शिक्षाप्रद व्यगात्मक कृति है। जूल वर्न कहानीके रूपमें विज्ञान मित्राता है। उमका टग निराला है, जिसका अनुकरण नहीं हो सकता।

इस बीच अनेक ईसाई मित्र मेरा बहुत खयाल रखते थे। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और भारतमें भी मुझे बहुत-सी पुस्तके भेजी। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इममें उनकी भलमनमाहत ही थी, परन्तु उनकी भेजी हुई अधिकांश पुस्तके मुझे अच्छी नहीं लगी। काश, मैं उनकी भेजी हुई पुस्तकोंके बारेमें उन्हें प्रसन्न करनेवाली कोई बात लिख सकता। परन्तु जीमें न होते हुए, वैसा लिखूँ तो अनुचित और असत्य होगा। ईसाई धर्मके बारेमें कट्टरपथी ईसाइयोंकी लिखी हुई पुस्तकोंसे मुझे सन्तोष नहीं होता। ईसाइयोंके जीवनके लिए मेरे मनमें अत्यन्त आदर है। उनकी नीति-विषयक शिक्षा, उनका व्यावहारिक ज्ञान, उनका बलिदान—इन सबके प्रति मेरे मनमें बड़ी श्रद्धा है, परन्तु ईसाई धर्म-पुस्तकोंमें जो यह उपदेश दिया गया है कि ईसा सर्वस्वीकृत अर्थमें ईश्वरके अवतार थे या है अथवा वे ईश्वरके एकमात्र पुत्र थे अथवा हैं, इमें मैं स्वीकार नहीं करता। दूसरेका पुण्य भोगनेका सिद्धान्त मैं स्वीकार नहीं करता। ईसाका बलिदान एक नमूना है और हम सबके लिए आदर्श-स्वरूप है।

हम मराने मीथके लिए "सूत्रधार" बनता है — आत्म-विकास करना है। 'पुत्र', 'पिता' और 'पतिव्रता आत्मा' — 'वाचस्पति' के इन शब्दों का केवल वाच्यार्थ करनेसे मैं इनकार करता हूँ। इन नामों का अर्थ है। उन्नी प्रकार 'विशिष्ट-विशेषके उपदेश' (समस्त ओं २ माउण्ड) को जिन मर्यादाओंमें मैंने जो पत्र लिखा जाता है, उन्हें भी मैं स्वीकार नहीं करता। 'न्यू टेस्टामेंट' में मुझे यशस्वी नहीं समझने वाली मिलती। उन्नी मर्यादाओं में मर्यादा जिन उपदेशों और पैगम्बरों को मैं मानता हूँ, उनमें सबसे यशस्वी पुस्तकमें मानता हूँ। कहने की जरूरत नहीं कि 'वाचस्पति' को मैं उन्नीके जीवन और उपदेशों का विचार नहीं मानता, जिनमें भ्रम न हो। उन्नी प्रकार मैं यह भी नहीं मानता कि 'न्यू टेस्टामेंट' का एक-एक शब्द ईश्वर का अपना शब्द है। नये तथा पुराने टेस्टामेंटोंमें एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है। पुरानेमें कुछ महत्त्व नये है, परन्तु मैं नयेको जितना आदर देता हूँ उतना पुरानेको नहीं। नयेको मैं पुरानेके उपदेशोंका विस्तृत स्मरण और कुछ बातोंमें पुरानेके उपदेशोंको त्याग देनेवाला मानता हूँ। लेकिन नये 'टेस्टामेंट' को भी मैं ईश्वर का अन्तिम शब्द नहीं मानता। विश्वमें जो विकास-काम वस्तु-मात्रपर लागू होता है, वार्तिक विचार भी उन्नी विकास-कामके अधीन है। केवल ईश्वर ही अत्यन्त है और उन्नी नन्दन अधूरे मनुष्यके माध्यमसे मिलता है। उन्नीके माध्यम जितना शुद्ध या अशुद्ध होगा, उतनी ही मात्रा में सन्देशके शुद्ध या अशुद्ध होनेकी सम्भावना रहेगी। उन्नीके मैं अपने उन्नीके मित्रों और शुभ-चिन्तकोंमें आदरपूर्वक आग्रह करूँगा कि वे मुझे जैसा मैं हूँ, वैसा ही स्वीकार करें। जिन प्रकार मैं मुसलमान भाइयोंको उन्नी उच्छ्रिता आदर करता हूँ और कद्र करता हूँ कि जैसा वे सोचते हैं, जैसे वे हैं, मैं भी वैसा ही सोचने लूँ, वैसा ही बन जाऊँ, उन्नी प्रकार मैं ईसाई भाइयोंको भी उस उच्छ्रिता आदर और कद्र करता हूँ। मैं दोनों धर्मोंको अपने धर्मकी तरह ही सच्चा मानता हूँ। परन्तु मुझे अपने धर्मसे पूरी तरह सन्तोष मिल जाता है। अपने विकासके लिए मुझे जो-कुछ चाहिए, वह सब उसमें है। मेरा धर्म मुझे यह नहीं सिखाता कि मैं ऐसी प्रार्थना करूँ कि दूसरे लोग मेरे धर्मके हो जायें। वह तो मुझे यह सीख देता है कि तुम प्रार्थना करो कि सब अपने-अपने धर्ममें रहकर पूर्णता प्राप्त करें। इसलिए मेरी प्रार्थना उन्नीके लिए मदा यह रही है कि वह अधिक अच्छा ईसाई बने और मुसलमानके लिए यह कि वह अधिक अच्छा मुसलमान बने। मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ कि ईश्वर हमसे यह पूछेगा, बल्कि आज भी पूछ रहा है कि हम कैसे हैं, हमारे काम कैसे हैं, यह नहीं कि हम किस दीनके माननेवाले हैं। उसके लिए तो कर्म ही सब-कुछ है। कर्मसे रहित विश्वासका उसकी नजरोंमें कोई मोल नहीं है। उसके लिए तो कर्म ही विश्वासका सूचक है। लेकिन ईसाई भाइयोंने मेरे लिए जेलमें जिस ईसाई साहित्यका ढेर लगा दिया था, उसके अध्ययनसे मेरे मनमें जो विचार बने उन्हें और किसी कारणसे नहीं तो मेरे आध्यात्मिक कल्याणमें उनकी रुचिके लिए कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए ही, कह देना आवश्यक था। इस विषयान्तरके लिए मैं पाठकोसे क्षमा चाहता हूँ।

जिन पुस्तकोंको पढे बिना मैं नहीं रह सकता था वे थीं, 'महाभारत' और 'उपनिषद्', 'रामायण' और 'भागवत्'। उपनिषदोंको पढनेसे वेदोंको मूल रूपमें पढकर वैदिक-धर्मके अध्ययनकी इच्छा जागृत हुई। उनकी उत्कट कल्पनाओंसे अपार आनन्द मिला और उनकी आध्यात्मिकतासे मेरी आत्माको शान्ति मिली। लेकिन मुझे यह भी कहना चाहिए कि उनमें से कुछमें ऐसी अनेक वाते थीं जिन्हें मैं प्रोफेसर भानुकी विस्तृत टीकाकी सहायताके बावजूद नहीं समझ सका और न ही उनमें रस ले सका, यद्यपि प्रोफेसर भानुने तो अपनी टीकामें सारा शांकरभाष्य और दूसरे कई भाष्योंका सार दे दिया है। 'महाभारत' के छुट-पुट अशोकें बलावा इससे पहले मैंने डम ग्रन्थको कभी पढा ही नहीं था। उलटें, मैंने उसके विरुद्ध राय बना ली थी (जो अब गलत साबित हुई है)। वह राय यह थी कि 'महाभारत' तो केवल रक्तपातके विस्तृत वर्णन और ऐसे विवरणोंमें भरा हुआ ग्रन्थ है जिन्हें पढकर नींद आने लगती है। 'महाभारत' के घनी छापाईवाले छ हजारसे ज्यादा पृष्ठोंको देखकर मैं घबराया था। परन्तु कुछ भागोंके सिवा वह इतना अधिक चित्ताकर्षक साबित हुआ कि एक बार शुरू कर देनेके बाद उस ग्रन्थको पूरा करनेको मैं अधीर हो गया। चार महीनेमें उसे पूरा करनेके बाद मुझे महसूस हुआ कि 'महाभारत' की तुलना थोड़ेसे सुन्दर जवाहरातवाले किसी खजानेके साथ नहीं की जा सकती। वह किसी ऐसी अक्षय खानके समान है, जिसे जितना गहरा खोदिए उतने ही कीमती रत्न उममें से निकलते हैं। मेरे मतानुसार 'महाभारत' कोई इतिहास नहीं, इतिहासके रूपमें तो मैं उसे बेकारसा ग्रन्थ मानूंगा। उसमें तो रूपक द्वारा विश्वके सनातन सत्योंकी चर्चा की गई है। कविका आशय पुण्य और पाप, सत् और असत्, खुदा और शैतानके सनातन द्वन्द्वका वर्णन करना है और उस आशयके अनुकूल ही ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओंको ले-लेकर उसने उन्हें दैवी अथवा दानवी शक्तियोंके रूपमें चित्रित किया है। यह ग्रन्थ किसी महानदके समान है, जो आगेकी ओर बहता हुआ अनेक नदियोंको अपनेमें समेट लेता है, जिनमें कई मैली और गन्दी भी हैं। यह ग्रन्थ एक ही प्रतिभाकी अवधारणा है, परन्तु समय-समयपर उसमें इतने प्रक्षिप्त अंश मिल गये कि आज हमारे लिए यह कह सकना मुश्किल हो गया है कि क्या मूल है और क्या प्रक्षिप्त। ग्रन्थकी समाप्ति तो भव्य है ही। उसमें ऐहिक सत्ताकी नश्वरता प्रकट की गई है। गरीब भिखारी द्वारा अपना स्वरूप सर्वस्व, अन्तिम कौर भी दे डालनेवाले ब्राह्मणके हार्दिक वलिदानकी तुलनामें, पाण्डवोंका अन्तिम महायज्ञ भी कम पुण्यप्रद सिद्ध किया गया है। पुण्यशाली पाण्डवोंके भाग्यमें प्रखर शोक ही शेष बचा दिखाया गया है। कर्मवीर कृष्ण लाचार हालतमें मरते हैं। असत्य और एकसे-एक बलशाली यादव अपने ही भ्रष्ट आचरणके कारण आग्नी कलहमें कुत्तोंकी मीत मरते हैं। अजेय अर्जुन डाकुओंकी टोलीसे पराजित होते हैं, उनका गाण्डीव काम नहीं आता। पाण्डव युद्धके परिणाम-स्वरूप मिली हुई गद्दी एक बालकको सौंपकर वानप्रस्थी होते हैं। स्वर्गारोहणमें एकको छोड़, सारे यात्रामें ही मर-खप जाते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिरको भी इसलिए नरककी भयंकर दुर्गंध सहनी पडती है कि उन्होंने सकटके समय एक बार असत्य



भाषण किया था। कारण और कार्यो जटिल नियमानुसंगत रूपमें जमल होता था। वना बनाया गया है, जिनका कोई उपयोग नहीं। उन समताओं तथाके लिए यह दावा किया जाना है कि उनमें ऐसी बातें नीज नहीं होती हैं जो उपयोगी और अच्छी हो और जो दूसरे मन्त्रोंमें मिल सकें। यह महात्मा उन दावोंको नहीं मिला करता है।

[अगेजीने]

यम इण्डिया, ४-९-१९२८

## ५८. भाषण : पूनाकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

४ नवम्बर, १९२४

आप पूछते हैं कि [भारतीय] मिलाका कपडा पहननेमें बहिष्कार क्यों नहीं हो सकता? यह प्रश्न भारी अज्ञान-जनित है। मिलाका कपडा बहिष्कारके लिए काफी है ही नहीं। बग-भगके समय मिलाकाके बग-भगों किम तरह धोना दिया, उनकी शिकायत बगल आज भी करता है। उनके अनुभवसे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मिलके कपडेमें बहिष्कार अनम्भव है। इसलिए हमें केवल मादीका ही प्रचार करना चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि कांग्रेसकी हदमें मिलके कपडेको बिल्कुल स्थान नहीं मिलना चाहिए।

श्रद्धाका अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-विश्वासके मानी है, ईश्वरपर विश्वास। जब चारों ओर काले बादल दिखाई देते हों, किनारा कहीं नजर न आता हो और ऐसा मालूम होता हो कि बस अब डूबे, तब भी जिसे यह विश्वास होता है कि मैं हरगिज न डूबूंगा, उसे कहते हैं श्रद्धावान्। द्रौपदीका वस्त्रहरण हो रहा था, उनकी रक्षा करनेमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब असमर्थ थे। तब भी द्रौपदीने श्रद्धा नहीं छोटी। वह कृष्ण-कृष्ण पुकारती रही, उसे उस बातपर श्रद्धा थी कि जबतक कृष्ण है तबतक किसीकी क्या मजाल कि मेरा वस्त्रहरण कर सके। आपमें ऐसी श्रद्धा है? यदि आपके अन्दर ऐसी श्रद्धा हो तो आप अकेले पूनाके ही बलपर स्वराज्य ले सकते हैं। जो श्रद्धावान् होता है वह ईश्वरके साथ सौदा नहीं करता, करार नहीं करता। हरिश्चन्द्रने कोई सौदा नहीं किया था। वे अपनी पत्नीका गला काटनेके लिए भी तैयार हो गये थे।

जो लोग खादीकी बातको पागलपन समझते हैं उन्हें सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा :

१ यह श्री एस० एम० पराजपेकी अध्यक्षतामें रे मार्केटमें हुई थी और इसमें लगभग दस हजार लोग उपस्थित थे।

२. गांधीजीने इससे पहले चिपलूणकरकी मूर्तिका अनावरण करते हुए कहा था, "महाराष्ट्रमें त्याग है किन्तु श्रद्धा नहीं"। उन्होंने वहाँ इसी बातको स्पष्ट किया है।

मैने कर्नल मैडॉकसे' पूछा था, क्या आप अपने विद्यार्थियोंको खादी न पहनने दोगे ? उन्होने मुझे नही कहा कि तुम पागल हो। उन्होने तो कहा कि यदि विद्यार्थी खादी पहनना चाहते हों तो मैं क्यों इनकार करने लगा ? और श्रीमती मैडॉक तो विलायत जाते वक्त खादी साथ ले गई है। जो काम नही करना चाहता वह अनेक बहाने बनाता है। मना कोई नही करता — मनाई करती हे केवल हृदयकी दुर्बलता। अच्छा, मान ले कि गांधी पागल है। मैं कहता हूँ देहातके लोग जो कपडा पहनते हैं, आप वह कपडा पहने। क्या यह कहना पागलपन हे ? दूसरी बातोंके लिए आप चाहे मुझे पागल कहे, परन्तु यदि आप मुझे खादीके लिए पागल कहेंगे तो मैं कहूँगा कि कहनेवाला ही पागल हे, क्योंकि मैं तो अनुभवकी बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यदि आपमे और कुछ न हो सके तो आप गरीबोपर कृपा करके कमसे-कम खादी जरूर पहने। चम्पारन और उडीसामे लोगोको चार पैसे रोज मिलनेमे भी साँसत पडती हे। वहाँके लोग कच्चे चावल खाकर रहते हैं। उनके वदनमे हड्डी-चमडी भर रह गई है। आप उनपर रहम करके, उनके भीतर वमे ईश्वरके दर्शन करके २,००० गज मून दे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है।

‘स्वराज्य मेरा जन्ममिद्ध अधिकार ह’ लोकमान्य तिलकका यह सन्देश अधूरा है। वे यह कहना भूल गए कि उसको प्राप्त करनेका साधन खदर हे।’

मैं तो हार गया हूँ। प० मोतीलालजी और श्री केलकर यदि मुझसे कहे कि तुम काग्रेससे निकल जाओ तो मैं निकल जाऊँगा -- यह मेरी प्रतिज्ञा हे। मैं वेलाँवमे मत नही माँगूंगा। हम अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी दोनो मत माँग-माँगकर जनताको भ्रमित कर रहे हैं। मैंने अ० भा० का० कमेटी [की अहमदावादकी बैठक] मे मत लिये। अब मैं देखता हूँ कि मैंने यह अपराध ही किया हे। वहाँ मत लेना मेरा पागलपन था। मैं तो सिपाही ठहरा। मुझे समझना था कि लडाई तो वही लडी जा सकती है जहाँ कटुता पैदा न हो, दुश्मनी पैदा न हो। यदि प० मोतीलालजी और श्री केलकरसे लडनेमे कटुता बढती हो तो मैं उनके चरणोमे सीम झुकाना बेहतर समझता हूँ। मेरे दिलमे यदि किमीके प्रति भी द्वेष हो, दुश्मनी हो, तो बेहतर हे कि मैं मावरमतीमे डूब मरूँ। हाँ, जहाँ सिद्धान्तकी लडाई हो वहाँ मैं लडे बिना नही मानता, परन्तु जहाँ दुश्मनीकी वू आती हो, वहाँ किस तरह लडूँ ? जहाँ ऐसी लडाईसे तीसरे पक्षकी ताकत बढ रही हो, वहाँ मैं कैसे लड सकता हूँ ? इसलिए मेरी प्रतिज्ञा हे कि मैं लडूँगा नही। पूना निवासियोसे सिर्फ एक ही बात कहकर मैं विदा लूँगा। यह पागल बनिया आपको यह कहकर जा रहा हे, ‘पूनावासियो, श्रद्धा रखो और स्वराज्य लो।’

[ गुजरातीमे ]

नवजीवन, १४-९-१९२४

१ श चिकित्सक, जिन्होंने पूनाके सैसल अस्पतालमें १२ जनवरी, १९२४ को गांधीजीका ऑपरेशन किया था।

२ यह अनुच्छेद वॉम्ने सीक्रेट एन्स्ट्रैक्टसे लिया गया है।

## ५९. भाषण : तिलक महाविद्यालय, पूनाके दीक्षान्त समारोहमें

४ गिाग्वर, १९२८

तुम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उनका उद्देश्य स्वराज्य लेना है। मैं जो गुजरातमें कुलपति बनकर बैठा हूँ, वह भी स्वराज्यके लिए अपनेप्रांते मेंनिहारी हैनियतसे और उन मकामदमें बैठा है कि विद्यार्थियोंको स्वराज्यका नैतिक बनाकर निकालूँ। मैं ४ अगस्त, १९१८ के दिन विद्यार्थन पहुंचा था। वहां मैंने क्या देखा? जैसे-जैसे लड़ाई बढ़ती गई, जैसे-जैसे तमाम जननी शिक्षा देनेवाली मस्थाएँ बन्द होती गईं। आत्मफोड़ और कैम्ब्रिजमें भी पढाईका काम बहुत-कुछ बन्द हो गया। उन्होंने शिक्षाको लड़ाईके मुकाबले गीण स्थान दिया। और दे भी क्यों नहीं। शिक्षाका फल ही यह है कि विद्यार्थी श्रेष्ठ नागरिक बने, उत्तम देशसेवक बने—और देश, समाज एव गृहस्थाश्रमको सुगोभित करे।

अबसे चौबीस वर्ष पूर्व दक्षिण आफ्रिकामें भी मैंने यही दृश्य देखा था। वहाँ कालिजोके छात्र मेना और रेडक्रॉस सेवादलमें सम्मिलित हो रहे थे। जवान लडके और लडकियाँ सभी अपने-अपने कॉलेजोंको छोडकर ऐसे ही कामोंमें लग रहे थे। मैं तो काला आदमी था। मैंने गोरे वकीलों और वैरिस्टरोको अदालत छोड-छोडकर लडाईमें जाते देखा। मैं जब अदालतोंमें गया और उन्हें गाली देखा तो मुझे धर्म मालूम हुई। मेरे जीमें आया कि मैं भी इसी काममें लग जाऊँ। जब देशपर कोई मकट आता है तब यही काम करना पडता है। यदि तुम इस बातको समझो तो तुम्हारे सम्मुख मुझ-जैसे अविद्वान्का खडा होना सार्थक हो, अन्यथा मुझे उस समा-रोहका अध्यक्ष बनाना तो मेरी हँसी उडाने-जैसा है।

कोई नया आया हुआ अंग्रेज सरकारोंकी मस्थाओंको देखकर तुम्हारी सन्धा देखने आये तो वह यहाँ क्या देखनेकी आशा रखेगा? क्या वह तुम्हारे मकान देखेगा, विद्वान् शिक्षक देखेगा, तुम्हें अंग्रेजीमें बोलते हुए मुननेकी उम्मीद रखेगा? नहीं, वह यहाँ कोई नई तस्वीर देखनेकी आशा रखेगा। दूसरी मव सन्धाओंमें उसे कताई देखनेकी नहीं मिली होगी, यहाँ वह कताई और बुनाई देखना चाहेगा। वह तुम्हारे आँगनमें कपाम पैदा होती देखना चाहेगा। तुम्हारा सूत देखना चाहेगा और यदि वह अच्छा सूत देखेगा तो मनमें कहेगा कि मैचेस्टरपर आफन आ रही है। मोटा सूत देखेगा तो कहेगा कि मैचेस्टरकी चिन्ता नहीं। वह तुमको साहब बना हुआ देखनेकी उम्मीद नहीं रखेगा, वह तुम्हें गरीबों-जैसा देखनेकी आशा रखेगा। तुम्हें अपनी भाषामें ही काम-काज चलाते हुए देखनेकी आशा रखेगा। जनरल बोथा डग्लैंड

गये थे। तब जब वादावाही बात लगनेवाला अवसर आया तो उन्होंने अंग्रेजीमें बात करनेकी बात मना कर दिया। उन्होंने उन्हींकी अपभ्रंश भाषा 'टाल' में ही बात करनेवाला आग्रह किया और 'टाल'के जातदार दुभाषियेकी मार्फत बात की। यह बात नहीं थी कि वे अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। वे मुझमें ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, तब तो उन्होंने जाती ही भाषामें बात करनेमें अपना गौरव समझा। राष्ट्र-पति के लिए भी 'टाल'के जर्जित्त दूसरी भाषामें बातचीत करनेसे इनकार करते थे। जो तरीके ही उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसलिए मैं तुमसे यही आशा करता हूँ कि तुम मुझे हिन्दी, उर्दू और मराठीमें ही बातचीत करो। तुम्हारे लिए अंग्रेजी बोलनेवाले शिक्षक मिले, उनमें कुछ नहीं। हिन्दी या मराठीके जर्जित्त पढ़ानेवाले, आचार, धार्मिक, सम्प्रदाय त्याग करनेवाले शिक्षक तुम्हारे यहाँ हों, वही तुम्हारा भण्ड है—नये ही विद्वानोंमें वे जीरोमें हार जायें। मैं तुमसे नहीं चाहता हूँ कि तुम त्रिपाठीकी भर्खादा जानो और उनके ध्येयको अच्छी तरह जानो।

[गुजराती]

नवजोषन, १८-९-१९२४

## ६०. पूनाके कार्यकर्त्ताओंके साथ चर्चा

४ सितम्बर, १९२४

प्रश्न आप कांग्रेसको ये तीन वस्तुएँ ही सौंपते हैं, क्या इससे कांग्रेसका राजनीतिक स्वल्प मिट नहीं जायेगा?

गार्गीजी हा, घड़ी-भरके लिए मिट जायेगा, लेकिन मैं तो केवल एक सालके लिए हूँ, जबतक मैं विदेशी कपडेवा बहिष्कार कर रहा हूँ, प्रयोगका समय माँगता हूँ।

लेकिन आप तो जातनेवाले लोगोंके जलावा अन्य सब लोगोंको कांग्रेससे निकालना चाहते हैं। क्या केवल खादीका काम करनेवालोंको ही कांग्रेसमें रहनेका अधिकार है? जो लोग खादीके दो काम करें उन्हें कांग्रेसमें रहनेका अधिकार क्यों नहीं हो सकता?

मैं तो मैनिक हूँ, इसलिए लडाई किस तरह चलाई जाये यह समझकर बात करता हूँ। हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यताके लिए शारीरिक श्रमकी जरूरत नहीं पडती। उनके लिए तो प्रचार और शिक्षाकी जरूरत है। शुद्ध वृत्ति-भर ही तो यह काम बहुत ज्यादा हो सकता है, जब कि खादीके काममें शुद्ध वृत्तिके अतिरिक्त हाथ हिलाना भी आवश्यक है। मुझे तो कार्यकर्त्ताओं और सामान्य जनताको एक श्रृंखलामें बाँधना है। वह श्रृंखला केवल चरणोंका सूत है। यदि कांग्रेसके सदस्य कानों तो करोड़ों देशवामी काँतेंगे।

तब जिन लोगोंको आपके अन्य दो कार्योंमें सहानुभूति हो उन्हें तो कांग्रेसमें बाहर ही रहना होगा न?

बाहर रहकर ये भले ही मदद करें। मेरे नाममें सहानुभूति दिगानेवाले लोग हजारोंकी संख्यामें टूट्टे ही रह रहे हैं। उनमें मेरा क्या काम निकला? मुझे तो महीनेमें २,००० गज सूत कातनेवाले लोगोंकी सेवा तीयार करनी है। क्या आपकी २,००० गज सूत कातनेका समय नहीं मिल सकता? क्या आपके ऊपर मुझमें भी ज्यादा कार्य-भार है?

लेकिन मैंने आपमें पहले जो प्रश्न पूछा था उसे ही मैं फिर पूछना हूँ। सबसे बड़ा भय यह है कि एक राजनीतिक सस्याके रूपमें कांग्रेसका अस्तित्व हमेशाके लिए मिट जायेगा।

नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज युद्धमें उनमें बिना मैं आपकी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं दे सकता। लेकिन मैं जैना कहता हूँ यदि आप वैना करें तो मैं आपको तुरन्त ही राजनीतिक कार्यक्रम दूंगा। मैं सन्त नहीं हूँ, मैं राजनीतिज्ञ ही हूँ। फर्क केवल उतना ही है कि मैं कुछ साम्य दगा राजनीतिज्ञ हूँ। दक्षिण आफ्रिकामें क्या मैं राजनीतिज्ञ नहीं था? क्या मैंने राजनीतिके ज्ञानके बिना ही जनरल स्मट्ससे टक्कर ली थी? भई, मुझे लड़ना है, लेकिन आप मुझे हथियार तो तेज कर लेने दें।

आप [ कांग्रेस ] कमेटीको छोड़नेकी बात कहते हैं तो क्या इससे कटुता कम हो जायेगी?

यदि आप रोपसे [ कांग्रेस ] कमेटीको छोड़ेंगे तो कटुता नहीं मिटेगी। हाँ, यदि आप कटुताको नष्ट करनेके उद्देश्यसे ऐसा करेंगे तो वह अवश्य मिट जायेगी।

यदि कोई आपकी खादीका और आपके सिद्धान्तका विरोध करने लगे तो आप उसका क्या करेंगे?

ऐसा कोई भी नहीं चाहता, यदि कोई चाहता भी हो, तो भी मुझे उसका कोई भय नहीं है।

लेकिन यदि कोई आपके सिद्धान्तपर आक्रमण करे तो आप सिद्धान्त छोड़नेका निर्णय तो नहीं करेंगे? बल्कि आपको तो लड़ाई करके ही उस सिद्धान्तकी रक्षा करनी होगी।

मेरे सिद्धान्तमें ही ऐसी शक्ति निहित है कि कोई उसे मिटा नहीं सकता। हमें सिद्धान्तका त्याग नहीं करना है, यदि जरूरत जान पड़े तो [ कांग्रेस ] कमेटीको त्याग देना है।

[ कांग्रेस ] कमेटी न हो तो हम पगु बन जायेंगे। फिर हम किस अधिकारसे काम कर सकते हैं?

आप तनिक गहरा विचार करें। आप देखते हैं कि फर्ग्युसन कॉलेज आपकी राष्ट्रीय सस्थाओके साथ-साथ चल रहा है, सो क्या कांग्रेसके भरोसे? कांग्रेसका आश्रय लेनेसे ही काम होता है, ऐसा मानना कोरा वहम है। आपमें जितनी शक्ति होगी आप उतना ही कार्य कर सकेंगे और ऐसे तन्त्रको रखनेका लाभ ही क्या है जिसकी

सार-सँभालमे ही आपका सारा धन और बल खप जाये ? इससे तो बेहतर यह है कि उस तन्त्रको नष्ट कर दिया जाये। यदि तन्त्र अनायास ही हाथमे रहे तो भले ही बना रहे। यदि इसमे आपकी सारी शक्ति खर्च होती है तो इसका आपके हाथसे निकल जाना ही श्रेयस्कर है।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, १४-९-१९२४

## ६१. भाषण : सूरतके कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंके समक्ष

[ ५ सितम्बर, १९२४ ]

गाधीजी यहाँ कुछ ही घटे ठहरे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंसे स्थानीय मामले और खासकर आगामी नगरपालिका चुनाव तथा राष्ट्रीय प्राथमिक स्कूलोंकी हालतके सम्बन्धमें बातचीत की। उन्होंने केवल उन्हीं उम्मीदवारोंको चुनने और खडा करनेकी सलाह दी जो राष्ट्रीय नीतिका समर्थन करनेका वादा करे। उन्होंने उन सभीसे एक होकर काम करनेको कहा, भले ही वे अलग-अलग दलोंके हो। राष्ट्रीय स्कूलोंके बारेमें गाधीजीने बताया कि अगर कांग्रेसी लोगोंको उन्हें चलानेके लिए काफी पैसा न मिले तो अच्छा होगा कि वे उन्हें बन्द कर दें। लेकिन वे उन्हें चलानेके लिए कर्ज लेनेकी नीतिके विरुद्ध थे।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १६-९-१९२४

## ६२. भाषण : सूरतकी सार्वजनिक सभामें

५ सितम्बर, १९२४

कहाँ गया सूरतका तेज, सगठन और शौर्य ? ये सब सूरतमे फिर कब आयेगे, जिससे कि सूरतसे उनका प्रवाह गुजरातमे पहुँचे और गुजरातसे हिन्दुस्तानको मिले ? जब मैं देखता हूँ कि मेरी इच्छानुसार काम नहीं हो रहा है, सब दाँव उलटे पड रहे हैं और पारस्परिक वैमनस्य बढ रहा है, तब मैं बहिष्कार और सविनय अवज्ञाकी बात कैसे कर सकता हूँ ? सूरतमे खादी और मिलके कपडेके झगडेका तो प्रश्न ही नहीं था, यहाँ तो ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे खादी ज्यादासे-ज्यादा तैयार हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सार्वजनिक सभाओं द्वारा जगत्मे किसीको स्वराज्य नहीं मिला है। स्वराज्यके लिए तो जी-तोड मेहनत करनी पडती है। अपनी घर-

१ गाधीजी बम्बईसे अहमदाबाद जाते हुए सूरत गये थे।

मुहूबी हम भाषणों, जेणों जीर विचिनाये नीली नन्दने । कुटुम्बता ताम तभी नउ  
सकता हे अन कुटुम्बके योग आपने-अपने दिग्नेत ताम कर । यदि हमे स्वगज्य लेना  
हे तो हरएकको कमकर ताम करना नउ कर देना चाहिए ।

यदि हिन्दू अवता मुसलमान सेनामें ने एक भी विरुद्ध भीये हो जाये तो  
एकता हमारे हाथमें हे । लेकिन यदि वरज्य लेनेकी उन्नत हो तो उचिन नहीं हे कि  
हम अपने युगमें एकताकी बात ही न कर । यदि हमे स्वगज्य लेनेकी गरज हे तो  
दोनोमें ने किसी एकको नीचा होना ही चाहिए । लेकिन कहा जाता हे कि हिन्दू  
उरपोक और कमजोर हे । उरपोलान दूर करनेका नाना वरज्य लेना नहीं हे ।  
उरपोक दोनों कीये हे और उनी कारण दोनों गज्य हे । गरकार दोनोंको गुलाम  
मानती हे । इनकिण नचने अर्थमें केवल एक नहीं, दोनों तीमें उरपोक हे और उनका  
यह उरपोकपन अहिंसाके भिवा और किसी उपायमें दूर नहीं किया जा सकता । हीं  
यह अहिंसा वीरोकी होनी चाहिए । वीरताके लिए क्या ग्राही चरणेकी जरूरत हे ?  
उसके लिए तो मरना सीरानेकी जरूरत हे । हम हिन्दुओंके मन्दिर तोड़े जानेकी बात  
सुनते हे । यदि पुजारी मन्दिरको टूटना हुआ छोडकर भाग जाये, तो मन्दिर किम  
तरह बनाया जा सकता हे ? आप कहेंगे कि जाक्रमणकारी जीर देव-मन्दिर-भजककी  
आजिजी क्यों की जाये ? मै तो आपसे कहता हूँ कि आप मरकर मूर्तिकी रक्षा करे ।  
मारनेवाला जब देखेगा कि सामने कोई मरकर रक्षा करनेके लिए उग्रत बैठा हे तब  
वह समझ जायेगा ।

आप मारकर मूर्तिकी रक्षा नहीं कर सकते । मुसलमान भी हिन्दुओंको मारकर  
इस्लामकी रक्षा नहीं कर सकेगे । यदि वे मारकर उस्लामकी रक्षा करना चाहते हे  
तो इसमें सन्देह नहीं कि इसमें उस्लाम नेस्तनाबूद हो जायेगा । दुनियामे एक भी  
धर्म दूसरोको मारकर अपने अस्तित्वको बनाये नहीं रख सकता । मै तीस वर्षके  
अपने चिन्तन और अनुभवके आधारपर कहता हूँ कि जो लोग धर्म और देशकी रक्षा  
करना चाहते हे, उनके लिए अहिंसाके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हे । तलवार  
उठानेवालेकी मृत्यु तलवारसे ही होती हे । आजतक कोई भी धर्म तलवारके बलपर  
नहीं चल सका हे और न ही चल सकता हे । इस्लाम फकीरोके और हिन्दू-धर्म  
तपस्वियोंके कारण टिका रहा हे । हिन्दू-धर्ममें ऐसे ऋषि-मुनि हुए हे जिन्होंने मृत्युका  
रहस्य बताया हे । आप अपने शत्रुओंको अच्छी तरहसे सोच-समझकर पढे । आप मुझे  
इस चर्चामे न डाले कि रामने क्या किया । पार्वतीने अनेक विघ्न-बाधाओंके बीच  
तपस्या की, द्रौपदीने भी उस समय अपनी रक्षा तपस्याके द्वारा ही की, जब धर्मराज  
युधिष्ठिर, बलवान भीम और गाण्डीवधारी अर्जुन टुकर-टुकर देख रहे थे ।

मुसलमानोंको मै यह सन्देह मीलाना अब्दुल वारी साहब और अली-भाइयो  
द्वारा दे सकता हूँ । लेकिन हिन्दू होनेके नाते मुझे यह बात प्रत्येक हिन्दूसे कहनेका  
अधिकार हे । आज हिन्दू और मुसलमान दोनों ही ईश्वरमें अपनी श्रद्धा खो बैठे हे,  
आत्मविश्वास खो बैठे हे और गुण्डोंकी सहायतासे बहादुर बनना चाहते हे । इससे  
न तो हिन्दू-धर्मकी रक्षा होगी और न इस्लामकी ही । ये दोनों तो तपश्चर्या और

फालीसीने ही बात पायेगे। आप अपना उद्योगपत्र दूर कर दें। जमनालालजीके हाथमें चोट खाई, उनके मनमें पतनना आई। यदि गण्डे-फमादको शान्त करते हुए वे मर भी जाते तो भी मुझे पतनना ही भागी, क्योंकि उगने हिन्दू-धर्मकी ज्यादा रक्षा होती। उक्तों अन्तर्गत ही पतरा रखा। अगिन जो पतराही बीछारमें जाकर खडा होता है उस केसक पतरा ही नहीं उगेंगा बल्कि वह मर भी सकता है। यदि जमनालालजी मर जाते तो उनके लोभके दोना पक्ष लजित होते और रोते।

उन लोभके पतननु बाहर ताप पुनश्चात्ताके दिशाको जीते। मैं अत्याडोका विरोधी नहीं हूँ। परीन समीप ही तो उममें मुधार करनेके लिए आप भले ही पतनते होंगे। दिन हिन्दू-मुस्लिम विवादका निर्णय करनेके लिए नहीं। उसके निर्णयका उपाय तो उस जीत तक ही है। महाभारतकारने एक बहुत जोरदार बात कही है "तन्मते एव पतनेमे आप पतनना गनोगे रने जीर दूसरेमे सत्य, तो भी सत्यका पत्रा भागी होगा।" मैं चाहीन वषके अपने अनुभवके आधारपर कहता हूँ कि यह बात सच है। जब हम उन मामलोंमें विजय प्राप्त कर्ये तब हिन्दुओं और मुसलमानोंमें पतनर विरोध नहीं रखा।

[ गुप्तजीने ]

नवजीवन, १८-९-१९२४

### ६३. सन्देश 'साक्षर वर्तमान' को

[ ६ सितम्बर, १९२४ से पूर्व ]

नये सालके उपरद्वयमें 'साक्षर' के पारसी पाठकोकी अपनी शुभकामना भेजते हुए मैं उनके विवा जीर कुछ नहीं सोच पाता कि भारतीय जन-माधारणकी गरीबी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम पटे-लिये लोग अपने निर्वाह और आमोद-प्रमोदके सभी मायन उर्हाने प्राप्त करने हैं। जो भयकर तथ्य हमारे सामने हमें चुनीती देते हुए पडे हैं उनकी ओरमें अगर हम अपनी जाँचे बन्द कर लेते हैं तो हमारी यह खुशी एक झूठी खुशी होगी। क्या 'साक्षर' के पारसी पाठक नये सालमें वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त करना नहीं चाहेंगे? उमका मरने अच्छा रास्ता यही है कि वे अपना ध्यान चरने तथा उनके उत्पादन सूतकी ओर लगायें। यदि वे मातृभूमिके नामपर कुछ कर्ताई करे ता गरीबोंको कर्ताईके लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा खादी सस्ती होगी। यदि वे शाय-रने सूतमें तैयार खादीका उपयोग करेगे तो वे खादीकी निक्कीमें सहायता पहुँचायेंगे।

[ जग्रेजीने ]

सॉन्ने क्रॉनिकल, ६-९-१९२४

१ यह चोट जमनालाल बजाजको नागपुरक हिन्दू-मुस्लिम दगोंमें लगी थी।

२ शक पारसी नववर्ष अर्केके लिए।



## ६४. तार : पण्डित मदनमोहन मालवीयको'

गावरमती

[ ६ गितम्बर, १९२४ ]

पण्डित मालवीयजी  
शिमला

तारके लिए धन्यवाद। आपमे जितना वने मद्र सहायता चाहूंगा। क्या आप दिल्लीके हिन्दुओमे गुनाई गई गते माननेको कह सकेगे ?

गाधी

अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१५१) की फोटो-नकलसे।

## ६५. तार : मुहम्मद अलीको

६ सितम्बर, १९२४

मौलाना मुहम्मद अली  
कूचा चैलान  
दिल्ली

अभी पहुँचा हूँ। मालवीयजीको तार दिया। आशा है आप सानन्द होंगे।

गाधी

अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१५१) की फोटो-नकलसे।

१. यह तार मालवीयजीके ५ सितम्बरके तारके उत्तरमें भेजा गया था। वह तार इस प्रकार था :  
“ हार्दिक दुःख कि पिछले दो महीनोंके वहस-मुवाहिसेमें आपकी कोई सहायता नही कर सका, पर आपके निर्णयसे बड़ी प्रसन्नता हुई। निर्णय आपके योग्य है। सुना है आप यहाँ आ रहे हैं। यदि आ रहे हों तो निश्चय ही आप मेरे साथ शान्तिकुटीरमें ठहरें। ”

## ६६. पत्र : गोपबन्धु दासको

६ सितम्बर, १९२४

प्रिय गोपबन्धु दावू,

आपका पत्र मिला। यदि सार्वजनिक वनका गवन करनेवाले . तथा अन्य लोग पैसेवाले हो, तो मैं बिना किसी हिचकके यही सलाह दूंगा कि मुकदमे दायर कर दिये जाये। वहिष्कारका मतलब यह नहीं है कि हम नुकसान उठाये। हम अपनी सारी निजी सम्पत्ति भले ही गँवा दे, पर न्यासकी सम्पत्तिकी रक्षा तो करनी ही चाहिए। मैंने निरजन दावूको सलाह दी है कि मुकदमेकी कार्यवाही शुरू कर दे और इस्तीफा दे दे। वादमे उनको फिरसे चुना जा सकता है। आशा है, आप अब विलकुल ठीक होंगे। अमृतलाल ठक्करने मुझे बताया है कि आपके स्कूलको सहायता दरकार है। कृपया जमनालालजीको लिखें।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गाधी

[अग्नेजीसे]

महादेव देमाईकी हस्तलिखित डायरीसे।  
मौजन्य नारायण देसाई

## ६७. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

सावरमती

६ सितम्बर, १९२४

प्रिय मोतीलालजी,

मुझे कल सूरतमे आपका पत्र मिला। मैंने आपके तारका सक्षिप्त उत्तर<sup>१</sup> वम्बई-से भेज दिया था। कल मैंने आपके पत्रके उत्तरमे एक सक्षिप्त तार भेजा है। मुझे दुःख है कि मेरे पत्रसे आपको चोट पहुँची। कृपया क्षमा करें। मैंने जो-कुछ सुना था, उसे अपनेतक रखनेकी अपेक्षा आपको बतला देना क्या ज्यादा अच्छा नहीं था? आप विश्वास कीजिए, जो लोग सदा मेरे आसपास रहते हैं, वे शायद ही कभी मुझसे वातचीत करते हैं ?<sup>२</sup>

१ देखिए “तार मोतीलाल नेहरूको”, २-९-१९२४ को या उसके बाद।

२ साधन सत्रमे यहाँ कुछ पंक्तियाँ छोड़ दी गई हैं।

फिर भी मेरा प्रस्ताव आपके सामने है और मैं चाहता हूँ कि उगार उगारे गुण-दोषके आधारपर विचार किया जाये। क्या आप उगार विचार करके कृपया मुझे अनुमोदित करेंगे? आपको माहूम ही है कि मैं श्रीमती वेमेट और मंत्री जयकर तथा नटराजनके साथ उगारे बारेमें चर्चा कर चुका हूँ। पूनामें स्वराज्यवादियोंमें भी उसके बारेमें बात कर ली है।

प्रस्ताव स्वीकृत हो या नहीं, पर मेरा यह निर्णय अन्तिम है कि मतदानकी स्थिति पैदा करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिंसा भी हमें मैं कामेगके विभाजनका कारण नहीं बनूंगा। जो भी हो, सबकी महमनिमें होना चाहिए।

मो० क० गांधी

[ पुनश्च ]

मुझे आपका तार मिल गया है। ऊपरके पत्रमें जो कुछ कहा है, उसमें ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है।

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित उचरीमें।

सौजन्य : नारायण देसाई

## ६८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

६ सितम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा तार मिला। तुम्हारे पिताजीका पत्र पहले ही आ चुका था। मुझे सचमुच बहुत दुख है। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी भावनाकी गहराई व्यक्त करते हुए एक निर्दोष-सा पत्र लिख रहा हूँ।

इसलिए मैंने तुम्हारे पिताजीसे अनुरोध किया है कि वे प्रस्तावके गुण-दोषके बारेमें मुझे अपनी राय दे। मैं कई स्वराज्यवादी मित्रोंके साथ इसपर चर्चा कर चुका हूँ। मुझे इस कठिनाईसे निकलनेका दूसरा कोई सम्माननीय मार्ग नहीं सूझ पड़ता। लिखो कि इसके बारेमें तुम क्या सोचते हो।

नाभासे जो जवाब<sup>१</sup> आया है, वह उसके अपने नजरियेसे आखिरी है। इसका बस एक यही जवाब हो सकता है कि गिरफ्तारीकी चुनौती स्वीकार कर ली जाये। लेकिन आजकलकी हालत देखते हुए, वैसा करना अक्लमन्दी नहीं मालूम पड़ता।

१. बम्बईसे निकलनेवाले इंडियन सोशल रिफॉर्मरके सम्पादक।

२. यहाँ साधन-सूत्रमें कुछ पंक्तियाँ छोड़ दी गई हैं।

३. देखिय “टिप्पणियाँ”, ११-९-१९२४, उप-शीर्षक “असन्तोषजनक उत्तर”।

इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि चुपचाप बैठकर बेहतर मौकेका इन्तजार किया जाये। ' अमेठीके वारेमे अत्यन्त मुस्तैदीसे भेजा गई तुम्हारी रिपोर्ट मिल गई है। उसको पढते हुए दुःख होता हे। समझमे नही आता कि क्या करूं। मैने शुएब ओर कण्टोदासको निजी तीरतर सवाईका पता लगाने गुलबर्गा भी भेजा हे। जितनी जन्दी हो सके, तुम नाभा चले जाओ। हयात और मौअज्जमको अपने साथ ले जा सकते हो। उनको जगहकी जानकारी होनी चाहिए। चूंकि एम० आगे कोई प्रगति नही कर पाया है, इसलिए मेरी हलचलके वारेमे कुछ भी कह सकना मुशिकल हे। मै कममे-कम सोमवारतक यही हूं।

हृदयसे तुम्हारा,  
मो० क० गाधी

[ अग्रेजीसे ]

महादेव देमाईकी हस्तलिखित डायरीसे।  
सीजन्य नारायण देसाई

## ६९. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

६ सितम्बर, १९२४

प्रियवर राजगोपालाचारी,

मेरे विचारोमे तेजीसे परिवर्तन हो रहे है। पता नही आप उनतर ठीक-ठीक लक्ष्य कर रहे है या नही। मुझे तो दिनके उजालेकी तरह स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमारे कार्यकर्त्ताओमे जो वुराई घर कर गई है, हमे उसका सीवा प्रतिरोध नही करना चाहिए। हमे पूर्ण रूपसे सत्ताका परित्याग कर देना चाहिए। अगर अपने उद्देश्यमे हमारी आस्था है और हमारा उद्देश्य सचमुच अच्छा है तो हमे सफलता मिलनी ही चाहिए। यदि इससे आन्दोलनको फिलहाल कुछ नुकसान भी पहुँचे, तो उसका खतरा हमे उठाना चाहिए। बहुमतके बलपर कोई भी निर्णय नही किया जाना चाहिए। हमे तबतक समर्पण करते जाना चाहिए जबतक कि हमारे सिद्धान्तपर ही आंच न आ जाये। इसी दृष्टिसे मै चरखा, अस्पृश्यता और हिन्दू-मुसलमान एकताका कार्यक्रम पेश कर रहा हूं।

हाँ, कताई-सम्बन्धी अपने प्रस्तावमे दण्डकी एक धारा जुडवानेकी आपकी कोशिश-को लेकर यह क्या शोर-गुल मचा हुआ है? आपको कठिनाइयोमे देखकर, मेरा हृदय आपके प्रति सहानुभूतिसे भर उठता है। अगर स्थानीय नियन्त्रण बनाये रखनेमे इतनी सारी शक्ति खर्च करनी पडती है, तो उसकी चिन्ता ही छोड दीजिए। क्या अब सारा झगडा शान्त हो गया है?

१ यहाँ साधन सूत्रमें कुछ पवित्रपाँ छोड दी गई हैं।

क्या आपने देवधर द्वारा स्थापित महायता समिति की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया है? क्या आप उनके साथ सम्मिलित हो सकते हैं? उनका कार्य किम प्रकार का है? मैं तो आपको यही मन्त्राह रूंगा कि यदि सम्भव हो तो एक ही मंत्र-मरकारी समिति बनना चाहिए। चारों ओरसे पैना आ रहा है। क्या मैं मारी राशि आपको भेज दूँ? दक्षिण कनाराका गया होगा? विभिन्न केन्द्रोंकी क्या स्थिति रहेगी? यहाँ वग्नोका बडा डेर लग गया है। कृपया व्योरेवार हिदायत दे। मैं यहाँ कममे-कम सोमवार तक तो हूँ ही। लेकिन हो सकता है कि यहाँ कममे-कम हफने-भर रहूँ।

आपका,

मो० क० गांधी

[अगेजीमे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित जयरीमे।

सीजन्य नारायण देसाई

### ७०. पत्र : जमनालाल बजाजको

[६ सितम्बर, १९२४]

चि० जमनालाल,

तुम्हारा तार मिल गया और पत्र भी। बम्बई, पूना और सूरतकी यात्रामे लिखनेको एक क्षणका भी समय नहीं मिला। आज सुबह आश्रम पहुँचा।

तुमको चोट लगी, इससे मुझे बिलकुल दुःख नहीं हुआ। मैं तो मानता हूँ कि हम-जैसे बहुतोंको कदाचित् अपना बलिदान देना पड़े। जहर इतना ज्यादा व्याप्त हो गया है और अप्रामाणिकता इतनी ज्यादा फैल गई है कि कुछ शुद्ध व्यक्तियोंका बलिदान हुए बिना इस आपत्तिसे हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। हो सके तो झगडेकी जडका पता लगाना। क्या कुछ ऐसे समझदार हिन्दू या मुसलमान नहीं हैं जो समझे और झगडेके कारणोंको दूर करें?

मेरे निश्चय तुमने समझ लिये होंगे। बेलगाँवमे मतदानसे किसी भी महत्त्वपूर्ण बातका फैसला न करनेका मैंने निश्चय किया है। झगडे इतने बढ गये हैं कि फिलहाल तो हमको सत्याग्रहका प्रचण्ड स्वरूप बन्द ही रखना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ही नाश हो जायेगा। एक भी बात सही रूपमे नहीं समझी जाती। सबकुछका अनर्थ, चारों ओर अविश्वास। इस समय तो हम खुद अपनी जगह कायम रहे और दूसरे जो-कुछ करते हैं उसके साक्षी रहे।

१. गांधीजी आश्रम ६ सितम्बरको पहुँचे थे।

'रंग रजिगा' के द्वारा तो मैंने बहुत-कुछ समझाया है। मुझे पता नहीं कि उसमें से गितनेना अनुवाद 'नवजीवन' में प्रकाशित हुआ होगा।

तुम्हारा हार बिल्कुल अच्छा हो गया होगा। मी० मुहम्मद अलीका पत्र या तार आने तक मैं नहीं हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० ए० २८५०) की फोटो-नकलने।

## ७१. टिप्पणी

### सादी-प्रचार

पिनेम स्ट्रीटके तारी भण्डारणों, जिसे भाई जैराजाणी अपनी जोविमपर चलाते थे, अब अगिठ भारतीय तारी भण्डारणने अपने हाथमें ले लिया है और उसका डरादा उस तारी भण्डारणा विस्तार करनेका है। भण्डार अपने हाथमें लेते हुए आवश्यक जमानत भी ले गी गई है। उन भण्डारणको लेनेका उद्देश्य यह है कि समस्त हिन्दुस्तानमें तैयार होनेवाली सादी, जो प्रान्तोंमें बच जाये, उन केन्द्रीय सादी भण्डारमें लाकर रखी जाये और बेची जाये। उन तरहकी महायत्ना पहले गुजरात प्रान्त किया करता था, लेकिन गुजरात प्रान्तीय कमेटीने स्थानीय उद्योगको विकसित करनेका जो निश्चय किया है उसे देखते हुए गुजरातने अब ऐसा करना बन्द कर दिया है। अतः इस भण्डारमें हर तरहकी सादी दिखाई देती है। उनमें महाराष्ट्रीय वहनोंको जिम तरहकी साडियाँ चाहिए वे भी मिलती हैं और पूरे अर्जकी धोतियाँ भी, जो अबतक नहीं मिलती थी, मिल सकती हैं। उन भण्डारने नगठनकी जो योजना चलाई है वह प्रोत्साहन देने योग्य है। एक रुपया वार्षिक चन्दा देनेवाला कोई भी मनुष्य इसका सदस्य बन सकता है। भण्डारके व्यवस्थापकने यह जिम्मेदारी ली है कि वह सादीकी किस्म और भाव-सम्बन्धी पत्रिका प्रकाशित करके प्रत्येक सदस्यको पहुँचायेगा तथा इसके प्रत्येक सदस्यको त्रिगदी गई सादीपर एक रुपयेके पीछे एक पैसेकी छूट भी मिलेगी। अर्थात् यदि वह एक वर्षमें ६४ रुपयेकी खादी खरीदता है तो उसमें से एक रुपया तो अवश्य बचा सकता है। तथापि कोई मनुष्य सकुचित दृष्टिकोणसे सदस्य बने यह वाञ्छनीय नहीं है। यदि कोई इसका सदस्य बने तो खादीको प्रोत्साहन देनेके विचारसे ही बने। वह सादीकी प्रगति-सम्बन्धी पत्रिका पढकर समस्त जानकारी प्राप्त करे तथा अन्य लोगमें उसका प्रचार करे। इस पत्रिकाके चतुर्थ अकमें दो सुझाव दिये गये हैं वे उपयोगी हैं। चीमामेमें सब कपडे जल्दी नहीं सूखते और खादीके कपडेको सूखनेमें तो बहुत ज्यादा समय लगता है। इसके लिए यह उपाय बताया गया है कि एकके बदले, बीचमें दो फुटका अन्तर रखकर, दो रस्सियाँ बाँध ली जाये और उनपर कपडेको डकहरा फैलाया जाये। इस तरह कपडेके दोनों छोर मिलने न पायेगे और इससे

कपडे तो हवा ज्यादा मिलेगी और वह तुरन्त सूख जायेगा। दूसरा गुजाब गादीकी टोपी तो धोनेके बारेमें है। उसे धोते समय मरोउनेसे उसपर गिलवटे पड़ जाती है और कभी-कभी तो सीवन भी टूट जाती है। लेकिन यदि उसे बिना मरोउते निचोड़ा जाये और उमली दो या तीन तहे करके हाथोंमें दबाकर मुगा दिया जाये तो उममें कोई शिलवट न आयेगी और वह देगनेमें गुन्दर लगेगी। यह सच है कि उममें पानी अच्छी तरहसे नहीं निकल सकता, लेकिन टोपी तो तीन दिन पहनी जा सकती है। अनएव उतने समयमें घोंई हुई टोपी मुखाई जा सकती है। यदि उसे दोनों हाथोंमें दवानेके बजाय दो निकनी पट्टियोंके बीच दबाया जाये तो मारा पानी भी निकल जायेगा और सूखनेपर टोपी भी काफी गुन्दर रह सकेगी। नफेद गादी पहननेवाले लोगोंको भी मैली गादी कतई नहीं पहननी चाहिए। कपडे धोनेकी आदत पड़नेके बाद मनुष्यको कपडे धोना अच्छा लगता है। उममें समय भी नहीं लगता और आनन्द आता है सो अलग। यह स्पष्ट है कि नफेद कपडे कई बार धोये जाने चाहिए। काली बडी पहननेवाला गरीब आदमी धोबीका खर्च नहीं उठा सकता। उसे अपने कपडे आप धोनेकी आदत डालनी चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ७-९-१९२४

## ७२. सूतकी जाँच

अखिल भारतीय खादी बोर्डने प्राप्त सूतकी जो परीक्षा की है, उसके परिणाम जानने योग्य है, इसलिए मैं उन्हें नीचे दे रहा हूँ।'

प्रार्थना है कि प्रत्येक प्रान्त अगले महीने अपने सदस्यो तथा अन्य लोगोके सूतके रजिस्टर नम्बर सही-मही लिख भेजे।

कुछ प्रान्तोंने अहमदाबाद स्टेशनके पतेसे अपने पार्सल भेजे हैं, इससे समय और पैसा व्यर्थ बरबाद हुआ है। सब पार्सल सावरमती स्टेशनके पतेसे भेजे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सब पार्सलोपर 'किराया देय' लिखकर उसकी रकम टिकटोके रूपमें अथवा मनीआर्डरसे भिजवाना नहीं भूलना चाहिए।

प्रथम पुरस्कार एक १८ वर्षीया बगाली वाला लिये जा रही है, यह बात हम सबके लिए गर्वके योग्य है। भले ही कुछ लोगोको यह बात न रहे और भले ही कुछ लोग इसे तुच्छ समझे, लेकिन मेरे लिए तो यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। गुजरातमें दरबार साहब गोपालदास प्रथम आयेगे, यह बात मैंने स्वप्नमें भी नहीं सोची थी। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। पण्डित जवाहरलाल और उनकी पत्नीके बारेमें भी ठीक यही बात हुई है। सयुक्त प्रान्तमें इन दोनों तथा श्री पुरुषोत्तमदास टण्डनके नाम विशेष रूपसे चमक रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पण्डित जवाहरलालने कामका बोझ

वहुत ज्यादा होनेके बावजूद ४,००० गज सूत भेजा है। यह बात अन्य कार्यकर्ताओंको प्रोत्साहन देनेवाली है।

कुल सरया और गुणको देखते हुए गुजरातका प्रथम आना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। आश्चर्यकी बात तो यह है कि गुजरातसे भी उसकी आवादीके अनुपातसे बहुत कम नाम आये हैं। जहाँ मिखानेवाले बहुत अधिक हैं और जहाँ कातनेकी कलाके विकामपर सूत्र ध्यान दिया गया है वहाँ तो आज हजारों रत्री-पुरुषोंको सूत कातना चाहिए।

यह तो रहा एक पक्ष।

गुजरातकी सभ्या मवसे ज्यादा है, इससे जो सन्तोष होता है वह है दूसरा पक्ष। जहाँ जितना ज्यादा काम हुआ है वहाँ उतना ही ज्यादा सूत काता गया है। गुजरातमें ज्यादा काम हुआ है इनसे वहाँ ज्यादा सूत काता गया है। कातनेवालोंकी कम सरयासे पता चलता है कि देशमें लोग अभीतक कातनेके महत्त्वको समझ नहीं सके हैं और यह कला जितनी लोकप्रिय होनी चाहिए, अभी उतनी लोकप्रिय नहीं हुई है।

अगले महीनेके परिणामोंसे इस सम्बन्धमें अधिक प्रकाश पड़ेगा।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ७-९-१९२४

### ७३. दादाभाई नौरोजीकी जयन्ती

भारतके पितामह दादाभाईकी जयन्ती ४ सितम्बरको थी, लेकिन मेरी सुविधाका खयाल करके राष्ट्रीय महिला परिषद्ने यह जयन्ती ३० अगस्तको मनाई, क्योंकि ४ सितम्बरको मुझे पूना जाना था। दादाभाईका जीवन एक ऋषिका-सा जीवन था। मेरे मनमें उनकी अनेक पावन स्मृतियाँ हैं। जिन महापुरुषोंने मेरे जीवनको प्रभावित किया है, उनमेंसे भारतके ये पितामह भी एक हैं और उनके जीवनसे मुझे आज भी प्रेरणा मिलती है। मैंने वहनोंको जो सम्मरण सुनाये थे, उनको मैं पाठकोके सम्मुख प्रस्तुत करने योग्य मानता हूँ।

मुझे पहले-पहल मन् १८८८ में दादाभाईके दर्शन हुए थे। मेरे पिताके एक मित्रने मुझे उनके नाम परिचय-पत्र दिया था। यह जानने योग्य है कि इस मित्रकी दादा-भाईमें कोई जान-पहचान न थी, लेकिन उन्होंने ऐसा मान लिया था कि दादाभाई-जैसे साधु पुरुषको कोई भी पत्र लिख सकता है। मैंने जाकर देखा कि दादाभाई इंग्लैंडमें सब विद्यार्थियोंके सम्पर्कमें आते थे। वे उनके नेता थे और उनके सभी सभा-ममारोहोमें भाग लेते थे। मैंने तबसे लेकर अन्ततक उनका जीवन एक ही धारामें बहता देखा। मैं दक्षिण आफ्रिकामें बीस वर्षतक रहा और इस अरसेमें मेरे और दादाभाईके बीच सैकड़ों ही पत्रोंका आदान-प्रदान हुआ होगा। पत्रका उत्तर देनेकी उनकी नियमिततानें मुझे तो चकित कर दिया था। मेरे पत्र तो टाइप किये होते थे, लेकिन मुझे उनका एक भी पत्र टाइप किया हुआ मिला ही, यह मुझे याद नहीं आता। वे अपने सब पत्र हाथसे लिखते थे, इतना ही नहीं, बल्कि बादमें



मुझे विदित हुआ कि वे अपने हाथोंके लिये पयांछा नकलें भी अपने हाथमें टिगु-पेपर बुकमें उतार कर रगते थे। वे बहुत-से पयांछा उत्तर तो लौटनी उकमें ही दे दिया करते थे। उनमें जब-जब मेरी मुलाकात हुई तब-तब मुझे प्रेम और मायुर्गके सिवा अन्य किमी बातका अनुभव नहीं हुआ। पिता जिग भांति पुत्रमें वात करता है, दादाभाई उमी भांति मुझमें वात करते थे और मैंने अन्य जगोंके मुंहमें गुना है कि इस सम्बन्धमें उनका अनुभव भी वही था जो मेरा था। हर घण्टे उनके मनमें यही विचार घूमता रहता था कि हिन्दुस्तान किग तरह उन्नति कर सकता है और उमें स्वराज्य कैसे मिग सकता है। हिन्दुस्तानकी दरिद्रताका प्रथम परिचय मुझे दादाभाईकी पुस्तकमें ही हुआ था। उमी पुस्तकमें मुझे यह मालूम हुआ कि हमारे देशमें लगभग तीन करोड लोगोंको भरपेट अन्न नहीं मिलता। आज तो ऐसे लोगोंकी सख्या उनमें भी अधिक हो गई है। दादाभाईकी सादगीकी तो कोई सीमा ही न थी। मन् १९०८में ऐसा हुआ कि किमीने उनकी विपरीत आलोचना की। मुझे वह आलोचना अमह्य जान पडी। तथापि मैं यह मिद्व न कर सका कि वह आलोचना अमत्य है और मेरे मनमें भी उसको लेकर कुछ शका उठी। मुझे दादाभाई-जैमें महान् देशभक्तके वारेमें शका करना पापपूर्ण लगा। इसलिए मैंने आलोचकमें अनुमति ले ली और मैं समय तय करके दादाभाईमें मिलने गया। उनके निजी कार्यालयमें जानेका मेरा यह पहला अवसर था। एक छोटी-सी कोठरी थी, जिममें मात्र दो कुर्नियां थी। यही उनका कार्यालय था। मैं उसमें घुस गया। उन्होंने मुझे एक ग्वाली कुर्सीपर बैठनेका निर्देश किया, लेकिन मैं तो उनके पैरोंके पास ही बैठ गया। उन्होंने मेरे चेहरेपर व्यथाके चिह्न देखे और मुझसे पूछा, “कहो, साफ-साफ कहो, तुम्हारे मनको कौन-सी बात व्यथित कर रही है?” मैंने बहुत ही सकोचपूर्वक निन्दको द्वारा की गई उनकी आलोचना बताई और कहा, “इन बातोंको सुनकर मेरे मनमें भी शका उत्पन्न हुई और चूँकि मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैंने अपनी इस शकाको आपसे छिपाना पाप समझा।” उन्होंने हँसकर मुझसे पूछा, “मैं तुमको क्या जवाब दूँ? क्या तुम इस बातको सच समझते हो?” जिम ढगसे, जिस स्वरमें और जिस दु खसे उन्होंने यह बात कही वह मेरे लिए पर्याप्त था। मैंने कहा, “अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे मनमें अब कोई भी शका नहीं रही है।” तथापि उन्होंने मुझसे इस सम्बन्धमें बहुत बातें कही। उनको यहाँ देनेकी जरूरत नहीं है। इस घटनाके बाद मुझे मालूम पडा कि दादाभाई फकीरीका-सा सादा जीवन व्यतीत करनेवाले भारतीय है। फकीरीका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्यके पास एक कौडी भी न होनी चाहिए, लेकिन उस समय इनकी हैसियतके लोग जैसा जीवन व्यतीत करते थे और जिस सुख और ऐश्वर्यका उपभोग करते थे, दादाभाईने उस सबको त्याग दिया था, यही फकीरीका सच्चा अर्थ है।

इस पवित्र पुरुषके जीवनसे मैंने और मुझ जैसे अन्य अनेक लोगोंने नियमितता, अनन्य देशभक्ति, सादगी, गरीबी और अथक परिश्रमका पाठ सीखा है। जिस समय सरकारकी टीका करना राजद्रोह माना जाता था और सत्य वात कहनेका कदाचित्

ही किसीको साहस होता था, उस समय दादाभाईने सरकारकी कडीसे-कडी आलोचना की थी और निडर होकर ब्रिटिश राज्यकी त्रुटियाँ बताई थी। जबतक हिन्दुस्तानका इस दुनियामे अस्तित्व रहेगा तबतक हिन्दुस्तानकी जनता उन्हे प्रेमपूर्वक याद रखेगी, इस वारेमे मुझे तनिक भी शका नही है।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ७-९-१९२४

## ७४. बम्बईकी उदारता

मैं जानता हूँ कि बम्बईमे कई वुराइयाँ हैं और गन्दगी भी बहुत है। इस शहरके लोगोमे धनका लोभ बहुत अधिक है। तिसपर भी मैंने अन्य स्थानोकी अपेक्षा बम्बईके वातावरणमे हमेशा उदारता और भोलेपनका अनुभव अधिक किया है। यह कहा जाता है कि मैं अन्य शहरोकी अपेक्षा बम्बईको ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, इसी कारण मुझे ऐसा अनुभव होता है। लेकिन यह कथन सही नही है। भारतके चाहे किसी भी भागमे चन्दा उगाहा जाये, उसमे अधिकतर बम्बई ही सबसे आगे रहता है। मलावारके लोगोकी सहायताके लिए भी बम्बईसे ही अधिक रुपया मिल रहा है। पारसी राजनीतिक सघकी ओरसे जो सभा आयोजित की गई थी, उसमे केवल टिकटोसे ही चार हजारसे अधिक रुपये मिल गये थे और इतनी ही रकम सभाके अन्तमे जो चन्दा इकट्ठा किया गया, उससे प्राप्त होनेकी आशा है। चन्दा देनेवाले भाई-बहनोने इस बातको ध्यानमे रखकर पैसा दिया है कि चन्देकी राशि अपेक्षित रकमसे ज्यादा ही हो, कम नही। आजकल बम्बईके व्यापारमे बहुत ज्यादा गिरावट है तथापि बम्बईके लोग अब भी उसी तरह उदारतापूर्वक पैसा दे रहे हैं।

इसका क्या कारण है? मेरी तो मान्यता यह है कि यह पारसियोकी दान-शीलताका प्रभाव है। पाठक कहेंगे कि जिनके प्रति मेरा पक्षपात होता है, मैं हमेशा उन्हीकी ओर झुक जाता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नही लगता। पारसियोकी दानशीलता जगत्प्रसिद्ध है। यह देखनेमे आया है कि अन्य स्थानोपर रहनेवाले हिन्दू और मुसलमान उतना पैसा नही देते, जितना बम्बईके हिन्दू और मुसलमान देते हैं। लेकिन मैं यह बात मानता हूँ कि पारसी सज्जनोंने सार्वजनिक कार्योंमे पैसा देनेकी जो प्रथा चलाई है उसका अन्य कौमोने भी अनुकरण किया है। श्री डोडेने सब कौमोके दानके आँकडोकी तुलना करके बता दिया है कि पारसी कौम दानशीलतामे ससारकी सभी कौमोसे वढकर है।

लेकिन मेरा उद्देश्य तो बम्बईके नागरिकोकी दानशीलताके कारणोको बताकर उनसे और भी अधिक दान लेना है। मैं तो बम्बईके नागरिकोसे सूतके दानकी आशा रखता हूँ। पारसी, हिन्दू और मुसलमान पैसा देते हैं तो इससे क्या हुआ? क्या वे आध घटेका श्रम नही देगे? क्या बम्बईके भाई और बहन अपने अन्य कार्य रोककर ईश्वरके नामपर आधा घटा सूत कातकर देशको अर्पण न करेगे? सूतका दान देनेमे पहल करनेके उद्देश्यसे पारसी भाई दूसरे लोगोके समक्ष आदर्श पेश करेगे? एक मनुष्य किसी गरीबको

मदद करनेके लिए श्रम करे और दूसरा उपकी मदद करनेके लिए अपनी वचतमें मे धन दे, इन दोनोंमें से भगवान्के पुण्यके खातेमें किराके दानको ऊँचा स्थान दिया जायेगा ? [ऊँचा स्थान मृतके दानको ही दिया जायेगा], क्योंकि मृत तो हिन्दुस्तानके गरीबोंकी खातिर काता जायेगा। उनकी जो गादी बनेगी उसे देना जायेगा। लेकिन उस श्रमका वास्तविक उद्देश्य तो गरीबोंके सम्मुख उदाहरण रखना है। मेरी माँग है कि बम्बईकी जनरली जनता इस उद्देश्यको पूरा करे।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ७-९-१९२४

## ७५. दो प्राचीन पुस्तके

भाई करसनदाग चित्तालियाने मुझे दो उत्तम पुरानी पुस्तके दी हैं। ये पुस्तके उन्हें एक पारसी बहनमें मिली हैं। दोनों पुस्तके मन् १८२८ की हैं और लियोंमें छपी हैं। इनपर चमडेकी जिल्दे चढी हैं तथा उनके ऊपरके पृष्ठोंपर मुनहरे अक्षरोंमें लिखा है, "दीनशा भीखाजीको भेजर जनरल सर मात्कम द्वारा समर्पित।" ये अग्रेज सज्जन उस समय शिक्षा बोर्डके प्रमुख थे। पुस्तकोमें अकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और वही-खाता विषय दिये गये हैं। अग्रेजीसे कप्तान जॉर्ज जर्विस इजीनियरने जगन्नाथ 'शास्त्री क्रमवन्त [?] की सहायतासे इनका गुजरातीमें अनुवाद किया है।' ये पुस्तके पहले जमानेके अग्रेजोंकी सेवावृत्ति और उदारताका नमूना हैं। इनकी लिपि देवनागरी है। सम्भव है, ये पुस्तके देवनागरीको एक सर्वसामान्य लिपिके रूपमें प्रतिष्ठित करनेके उद्देश्यसे ही लिखी गई हो। इनके अक्षर मोतीके समान हैं और अपार अकोसे युक्त पहाडे भी बहुत सुघडतासे दिये गये हैं। यदि ऐसा कहे कि इन पुस्तकोमें हम शिक्षाके इतिहासका पहला अध्याय पढ सकते हैं, तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। उस कालकी पारिभाषिक शब्दावली आज भी लगभग उसी रूपमें कायम है। इतने वर्षोंकी लम्बी अवधि भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकी है। चूँकि ये महाराष्ट्रीय पण्डितकी सहायतासे लिखी गई हैं इसलिए इनमें "शून्य" के स्थानपर "पूज्य" और "जवाब" के स्थान "जवाप" शब्दोंका प्रयोग देखनेमें आता है।

आजके छापाखानो और रोटरी मशीनोंके युगमें, प्राचीन कालके लोगोंने कितना अधिक परिश्रम किया होगा इसकी कल्पनातक नहीं की जा सकती। ऐसी पुस्तके उनके परिश्रमकी साक्षी देती हैं।

ये पुस्तके पुरातत्त्व मन्दिरके सग्रहमें भेजी जायेगी। यदि किसी अन्य भाई या बहनके पास ऐसी पुस्तके हो और वे उनका कोई उपयोग न करते हो तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे उन पुस्तकोको पुरातत्त्व मन्दिरमें भेज दे।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ७-९-१९२४

## ७६. पत्र : कनिकाके राजा साहबको

सावरमती

७ सितम्बर, १९२४

प्रिय राजा साहब,

मैं अब आपको दो विवरणोंकी प्रतिलिपियाँ भेज रहा हूँ। ये दोनों विवरण मेरे सचिवने मेरे लिए तैयार किये हैं। ये विवरण मेरे पास मौजूद कागजातके आधारपर तैयार किये गये हैं। आप देखेंगे कि अगर इनमें दिये गये तथ्य ठीक हैं तो यह जरूरी है कि कोई आदमी खुद जाकर उनकी जाँच करे। मेरा विचार तो श्री एन्ड्र्यूज या राजेन्द्रबाबू अथवा पण्डित जवाहरलालको आपके राज्यमें भेजनेका है। क्या आप इसे पसन्द करेंगे? मैं बहुत चाहता था कि खुद ही वहाँ आऊँ, लेकिन इन दिनों मेरे पास काम बहुत ज्यादा है।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गाधी

कनिकाके राजा साहब

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।  
सौजन्य नारायण देसाई

## ७७. पत्र : मुहम्मद अलीको

८ सितम्बर, १९२४

प्रिय भाई,

इस समय सोमवारकी सुबहके पाँच बजे हैं। मैंने स्याहीसे लिखना शुरू तो किया है, पर स्याहीकी कलमपर हाथ ठीकसे जम नहीं पाया है और मैं तो आपसे परिहार्य रुकावटको दूर करके भी बात करना चाहता हूँ।

अभी कल ही मेरी समझमें यह आया कि आप क्या चाहते हैं। इतना याद रखें कि दो प्रेसोंका सफलतापूर्वक संचालन कर चुकनेके बाद भी उसके व्योरेके बारेमें मेरी जानकारी नहींके बराबर है। मैं अभीतक नवजीवन कार्यालयमें गया ही नहीं हूँ। मुझे कभी पता ही नहीं रहा कि दिल्लीसे क्या लाया गया है और क्या नहीं। मैं तो यही समझ रहा था कि जो ला रहा हूँ वह मेरा ही है। खैर, अब मैं जो भेज रहा हूँ उसे आप अपना समझें। मेरा जो-कुछ है, वह आपका है, और स्वामी<sup>१</sup> भी उसमें शामिल

१ स्वामी आनन्दानन्द, प्रथम धक, नवजीवन प्रेस।

है। लेकिन जहाँ भी वह चूके, या आपको उगमे कोई तमी दिखाई दे, वहाँ आपको मेरी सहायता लेनी चाहिए। जो-कुछ वह कर सकता है, वह तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर धनसे उम गेवाये हुए समयकी कमी पूरी हो सकती हो, तो मैं जैसे भी हो धन जुटा दगा। स्वामी कहता है कि वह उगमे पहले आपको मर्गाने भेजनेका इन्तजाम नहीं कर सकता था। मुझे उगकी बातपर यकीन है। आप कुछ समयके लिए 'कॉमरेड' और 'हमदर्द' दोनोंको किसी दूसरे प्रेमके छपवानेका इन्तजाम क्यों नहीं कर लेते? और जो घाटा हो उगे पूरा करनेके लिए आप मुझसे कह सकते हैं?

स्वामीका कहना है कि प्रेमकी ठीक दगने जमानेमें समय लगेगा। वह कहता है कि उसने कभी ऐसा तो समझा ही नहीं था कि हर चीज उसे खुद ही जमानी पड़ेगी। वह और मैं भी यही समझते थे कि उसकी जरूरत सिर्फ मशीनोंके लिए ही है। उसका कहना है कि वह यहाँ सारे फर्नीचरकी टुलाईके लिए तैयार नहीं था। उस समय न तो उसे और न उसके एजेंटको ही सारी आवश्यक जानकारी थी। जिस एजेंटको सचमुच माल सीपा गया था, प्रेमके बारेमें उसकी जानकारी नहींके बराबर थी।

लेकिन सवाल यह नहीं है कि 'क' या 'ख'ने क्या समझा, बल्कि यह है कि आपको जरूरत किस चीजकी है और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जब दिल्लीमें था तब भी मेरा यह खयाल नहीं था कि इममें जो देर हुई है वह केवल मेरी ओरसे हुई देरीके कारण ही हुई है। मेरा खयाल था कि दिल्लीमें मशीनें लग जानेके बाद भी आपको कई चीजे और करनी पड़ेगी, तभी हम काम शुरू कर सकेंगे।

अब आप स्वामीसे जी-भरकर काम ले। आखिर वह उन लोगमें से है, जो मेरे ज्यादासे-ज्यादा करीब हैं। उसकी नाकामयाबीका मतलब है मेरी नाकामयाबी। जो आदमी दूसरोको परख नहीं सकता, उसे असफल ही कहना होगा, फिर चाहे उसका हृदय विलकुल कुन्दन-जैसा और इरादा नेकसे-नेक ही क्यों न हो। ऐसे आदमीको तो फिर लोगो और चीजोंसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशासे कहता आया हूँ कि जिस कसौटीपर मेरे सबसे निकटके साथी खरे उतरे उसके आधारपर आप मेरा भी मूल्यांकन करे। आप, स्वामी, महादेव, हयात, अशफाक, मोअज्जम, देवदास, कृष्णदास, शुएब मेरे ऐसे ही साथी हैं। इतना ही काफी नहीं है कि मैं आपके साथ अच्छी तरह निभा लूँ, स्वामी, महादेव, देवदास वगैरहको भी तो निभाना चाहिए। अगर ये लोग ऐसा नहीं कर सकते तो उनको मेरे सार्वजनिक जीवनसे उसी तरह अलग हट जाना चाहिए जैसे वा कमसे-कम फिलहाल हट गई है। यही लोग तो मेरे साधन हैं, जिनके जरिये मैं काम करता हूँ—ठीक उसी तरह जैसे आप हयात, मोअज्जम वगैरहके जरिये करते हैं।

इसलिए मैं स्वामीको भेज रहा हूँ, ताकि आप दोनों एक-दूसरेके करीब आ सकें और एक-दूसरेको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकें। मैं स्वराज्य और एकता प्राप्त करनेके

लिए इन निजी तात्कालिकों ठीक-ठीक शकल देना हजारों सार्वजनिक दस्तावेजोंसे ज्यादा अहम मानता हूँ।

दिली मुहम्मदतके साथ,

आपका,

मो० क० गांधी

मुहम्मद अली

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

### ७८. पत्र : सतीशचन्द्र मुखर्जीको

८ सितम्बर, १९२४

प्रिय सतीश बाबू,

आपका तार पढ़कर हार्दिक दुःख हुआ। मैं आपको सान्त्वनापूर्ण उत्तर भेज रहा हूँ।

कृष्णोदासको न किसीने हटाया है और न कोई हटाना ही चाहता है। मैं अभी भी उसके बिना काम नहीं चला सकता। पिछली बार कृष्णोदास मेरे साथ नहीं गया, क्योंकि हम दोनों इसी नतीजेपर पहुँचे कि ऐसा करना खुद उसके लिए भी और उद्देश्यके हितमें भी सर्वोत्तम है। वह उन चारों व्यक्तियोंमें सबसे अधिक बुद्धिमान है, जो मेरी वैयक्तिक सेवा तथा सचिवोंका काम कर रहे हैं। महादेव, देवदास और प्यारेलाल उसे बुद्धि और तपस्यामें अपनेसे बढ़कर मानते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि कृष्णोदासके दिमागमें ऐसा खयाल कैसे आया कि उनमें से कोई उसे उखाड़ फेंकनेकी कभी सोच सकता है। मुझे यात्राओंके दौरान चारोंकी जरूरत नहीं पड़ती। कमसे-कम एकको तो काम-काज देखनेके लिए पीछे रहना ही चाहिए और इन तरह या तो महादेवकी या देवदासकी ही आश्रममें छोड़ा जा सकता है, अन्य किसी कारणसे नहीं तो कमसे-कम इसलिए कि प्यारेलाल और कृष्णोदास दोनोंमें से कोई भी 'नवजीवन' और गुजरातीमें होनेवाले पत्र-व्यवहारका काम नहीं देख सकता। इसलिए कृष्णोदासको हमेशा मेरे साथ ही रहना है। वह गुलबर्गा इसलिए गया है कि शुएबकी सिर्फ वही स्वीकार्य था। मैं अगर जोर देता तो शुएब अपने साथ महादेवको ले जा सकता था। लेकिन मैं जानता हूँ कि वह बड़ा भावुक है। मैं चाहता था कि वह अधिकसे-अधिक अनुकूल परिस्थितियोंमें वहाँ जाये। फिर जब मैंने देखा कि महादेवका नाम सुझानेपर भी शुएबने कृष्णोदासके लिए ही कहा तो मैंने बेहिचक उसकी बात मान ली। कृष्णोदास भी राजी था। उसकी और शुएबकी खूब पटती है। इसलिए आप कृष्णोदासके बारेमें चिन्ता मत कीजिए। वह मेरे साथ रहेगा। और

यह सिर्फ़ इसीलिए नहीं कि आप ऐसा चाहते हैं। वह मेरे लिए मेरे साथ रहेगा। मैं उसे अपने साथ रखनेके लिए आपसे कहीं ज्यादा उत्सुक हूँ। मेरे जीवनका यह एक सौभाग्य रहा है कि मुझे ऐसे माथी मिलते रहे हैं जिनको अपने साथ रखनेमें मैं सम्मान और सुख महसूस करता हूँ। ऐसे सावियोंमें कृष्णोदासनका एक खासा स्थान है।

यह उत्तर मैंने आपकी कलमसे लिखा है। आपने जो पहली कलम मुझे भेजी थी, उसे मैं बहुत कीमती मानता था और हमेशा अपने साथ रखता था। मैंने जेलमें वह कलम इन्दुलालको लिखनेके लिए दी थी। उन्होंने उसे सराब कर दिया। फिर उन्होंने उसे मरम्मतके लिए बाहर भेजा। जिय मित्रको वह काम सौंपा गया, उसने वह बहुमूल्य कलम खो दी। इसलिए कृष्णोदासनने मुझे यह कलम दी है। अभी उसीमें लिख रहा हूँ। मुझे छपाईके दो ऑर्डर भी मिले हैं। उतना ध्यान रखनेके लिए आप मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। एक और कृपा कीजिए—तार द्वारा वचन दीजिए कि आप कृष्णोदासनके बारेमें आगेसे कभी चिन्ता नहीं करेंगे।

आपका,

मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५५९७) की फोटो-नकलमें।

## ७९. पत्र : वसुमती पण्डितको

भाद्रपद सुदी १० [८ सितम्बर, १९२४]

चि० वसुमती,

तुम्हारे दो पत्र मिले। तुम्हारा ठिकाना निश्चित न होनेके कारण मैंने तुम्हारे पहले पत्रका उत्तर नहीं दिया। वहाँ तो तुम्हारी तबीयत अच्छी रहनी चाहिए। अपना स्वास्थ्य पूरी तरह सुधार लो। मेरी यात्राके बारेमें अभी कुछ निश्चय नहीं हुआ है। इस सप्ताहमें पता चलेगा।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती वसुमती पण्डित

मार्फत—श्री अम्बालाल मथुरादास

मेसर्स स्ट्रॉस ऐंड कम्पनी

बटाला

पंजाब

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५५) से।

सौजन्य वसुमती पण्डित

१. पत्रपर प्राप्तिकी तारीख, १२-९-१९२४ दी हुई है।

## ८०. पत्र : आनन्दानन्दको

आश्रम

८ सितम्बर, १९२४

भाई आनन्दानन्द,

तुम दिल्ली जा रहे हो तो कोई रामचन्द्रकी ओरसे अगद वनकर नहीं और युधिष्ठिरकी ओरसे कृष्ण वनकर भी नहीं। तुम तो निपादराजकी-ओरसे रामकी कोई सेवा बन सके तो उसे करने, निपादराजको रामके पग धोनेकी अनुमति मिल जाये ऐसी व्यवस्था करनेके लिए जा रहे हो, अथवा सुदामाका कोई सेवक कही जाये और सुदामाका नाम उज्ज्वल करे उसी तरह तुम मेरा नाम उज्ज्वल करनेके लिए जा रहे हो। तुम न्याय लेने नहीं, देने जा रहे हो। जडभरतपर जो बीती सौ उसने चुपचाप शान्तिपूर्वक सहन की। तुम्हे रुद्र वनकर नहीं जाना है, विष्णु वनकर जाना है। मौलानाको क्या करना चाहिए प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न तो यह है कि मुझे अर्थात् तुम्हे क्या करना चाहिए। मैंने 'नवजीवन' में जितना तत्त्वज्ञान उँडेला है, उसका यहाँ अक्षरशः आचरण करनेका मेरा अडिग निश्चय है। उसमें तुम मन, वचन और कर्मसे मदद करना। तुम्हे और मुझे यही शोभा देगा, ऐसा मानकर उसपर अमल करना। मैं आजकल लोगोको जिस वातपर अमल करनेकी सलाह दे रहा हूँ, इस मामलेमें मुझे भी वही करना चाहिए। हमें 'यग इडिया' तथा 'नवजीवन' को और अधिक नुकसान पहुँचाकर भी मुहम्मद अलीका काम करना है। उनके पत्रका प्रथम अंक तुम्हारे हाथो निकले, इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है? समझना कि 'कॉमरेड' और 'हमदर्द' तुम्हारे ही या मेरे ही पत्र है। तुम यह सोचकर वहाँ जा रहे हो कि ये पहले है और 'यग इडिया' तथा 'नवजीवन' बादमें। मैं तुम्हारी हार्दिक विनय और चतुराईमें हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकी अर्थात् स्वराज्यकी चाबी देखता हूँ। दिल्लीसे जल्दी वापस आनेका विचार ही न करना।

वापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई



## ८१. पत्र : जमनालाल बजाजको

भाद्रपद सुदी १२ [१० सितम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

चि० जमनालाल,

तुम्हारा हाथ अब बिलकुल दुर्गम हो गया होगा। मेरा पिछला पत्र मिला होगा। मेरे चित्तमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। उमका पूरा दर्शन उस समयके 'यग डडिया'में आयेगा। बोट लेकर हमें बहुमत नहीं बनाना चाहिए, इतना मुझे अभी तो लगता है। बेलगाँवमें यदि हमको ज्योंका-त्यों काम करनेका अवसर न मिले तो हमें अलग होकर जितना बन सके उतना काम करना चाहिए। मैं यह देख रहा हूँ कि जो जहर अभी फैल रहा है वह उमके बिना नष्ट नहीं होगा। इतना तो मानता हूँ कि कैसे भी हो हम उमका मुकाबला कर सकेंगे। दिल्ली जानेके लिए तारकी राह देख रहा हूँ। वहाँ जाना पडा तो हिन्दू-मुस्लिम मसम्याके विषयमें कुछ रास्ता निकलनेकी सम्भावना है।

अभीतक यह पता नहीं चला कि वहाँ दगा कैसे हुआ।

घटवाईके भाषण अभी देखे। यदि डमी तरह बोला हो तो मेरा धन्यवाद बेकार हो गया। इस भाषणमें अहिंसा नहीं है।

बालकृष्ण आ गया यह ठीक हुआ। अपनी इच्छाके अनुसार भले वहाँ रहे। इसके साथ जो पत्र है वह उसे दे देना। अक्टूबरमें तुम भी आओगे न?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० एन० २८५१) से।

## ८२. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीकी

भाद्रपद सुदी १२ [१० सितम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

तुम्हें चिरजीव तारामतीके बीमार होनेका दुःख होना स्वाभाविक ही है। लेकिन उसे दुःख न मानना ही हमारे लिए स्वाभाविक होना चाहिए। जो भी परिस्थिति आ पड़े, उसका सामना तटस्थ भावसे करना ही धर्म है। ऐसा जाननेके बाद

१. आगामी बेलगाँव कांग्रेसके उल्लेखसे।
२. देखिए "पत्र जमनालाल बजाजको", ६-९-१९२४।
३. नागपुर-क्षेत्रके एक कांग्रेसी।
४. बालकृष्ण न० भावे, सत्याग्रह आश्रमके एक अन्तेवासी।
५. साधन-सूत्रमें यही तारीख दी गई है।
६. मथुरादास त्रिकमजीकी पत्नी।

हमें दुःख क्यों मानना चाहिए? दुःख न माननेका अर्थ कठोर होना नहीं है। जिन्हें हमने सहायता की ओर धा कर देनेका अधिकार है, उनकी सेवामें कोई कमी क्यों रहे? तारागमतीजी यह बीमारी चली जायेगी, लेकिन मैं अब भी चाहता हूँ कि उसकी प्रगति किसी अच्छे स्थानपर कराई जाये। दवाइयोंकी सलाहकी जरूरत जान पड़े तो ले लें। आनन्दको हिम्मत देना। मुझे रोज समाचार देते रहना।

[गुजरातीमें]

चापुनी प्रसादी

### ८३. पत्र : तारामती मथुरादासको

भाद्रपद सुदी १२ [१० सितम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

तुम्हारे बीमार पड़नेका पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। तुम तनिक भी चिन्ता न करना। स्वस्थ अवस्था होना है—ऐसा दृढ़ निश्चय रखना और रामका नाम जपती ही रहना। यह जप बीमारीके कष्टको कम करेगा और बीमारीको भी दूर करेगा। अभी तुम्हारी इमी देहमें, मुझे तुममें बहुत सेवा लेनी है। स्वस्थ होकर मुझे अवश्य पत्र लिखना। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे।

[गुजरातीमें]

चापुनी प्रसादी,

### ८४. टिप्पणियाँ

आगामी १५ तारीख

सूतकी दूसरी किस्तका महीना जल्द ही आनेवाला है। पहले महीनेमें सूत कातनेवालोंकी संख्या २,७८० थी। इसमें प्रतिनिधि और अन्य लोग सभी शामिल हैं। कितने ही लोगोंमें और जगहोंमें सूत न भेज पानेके उचित कारण प्राप्त हुए हैं। कुछ लोग तो यह भी नहीं जानते थे कि जो प्रतिनिधि नहीं है, उनको भी सूत भेजना है। इसलिए इस दूसरे महीनेके दौरान सभी प्रान्तोंमें बहुत प्रगतिके प्रमाण मिलने चाहिए। कर्तव्यमें अनुरोध है कि वे नीचे लिखी बातोंपर ध्यान देगे

१ सूत एक-मा भेजे। जब अच्छी पूनियाँ और अच्छी रई मिले, तब २० अकमें कमका सूत न काते। उन्ही कर्तव्यमें अलहदा-अलहदा अकका सूत भेजा है। हर कर्तव्यको ध्यान रखना चाहिए कि बुनाईके समय एक अकके सूतमें दूसरे अकका सूत नहीं मिलाया जा सकता।

१ साधन-सूत्रमें यही तारीख दी गई है।

२ किसी भी गुडीमे ५०० गजसे ज्यादा सूत नहीं होना चाहिए। हर गुडीमे यथासम्भव सौ-सौ गजकी पांच लच्छियां होनी चाहिए और हर लच्छी एक मजबूत धागेसे बांध दी जानी चाहिए। वृनकरोको गुडीसे खोलकर सूत नलकी (वाबिन)पर लपेटना पडता है, अतः उनकी गुविधाके लिए ऐगा करना निम्नान्त आवश्यक है। यदि सूत उलझा हुआ हो तो उसे खोलना प्रायः असम्भव हो जाता है। बीचमें जो गांठे लगाई जाती हैं, उनसे नलकीपर सूत लपेटनेवालोंको, अगर सूत टूट गया हो तो, उसका छोर ढूँढनेमे कठिनाई नहीं होती। अगर उसे उन छोरको सिर्फं सौ तारोमें ही ढूँढना पडे तो वह बहुत आसानीमे ढँट सकता है।

३ अटेरनसे उतारनेके पहले सूतपर थोडा-मा पानी छिडकनेसे उसकी मजबूती बढ जाती है।

४ एक-से सूतकी हर गुडीपर सूतके वजन, लम्बाई (गजोमे) और अककी चिट लगानी चाहिए। अक निकालनेका तरीका बडा आसान है। सूत जितना गज लम्बा हो उस सख्याको २१ मे तथा तोलेमें सूतका जो वजन हो उससे विभक्त कर दीजिए। उदाहरणके लिए, ८४० गजकी गुडीका वजन यदि १ तोला है तो सूतका अंक  $\frac{840 \times 21}{1} = 17640$  होगा। यदि उसका वजन  $\frac{1}{2}$  तोला है तो उसका अंक  $\frac{840 \times 21}{\frac{1}{2}} = 35280$  होगा। कहनेकी जरूरत नहीं कि अक निकालनेमे बटेको छोड देना चाहिए।

५ कुछ सदस्योंने सूतकी कूकडी तकुएसे निकालकर ज्योकी-रयो विना गुडी बनाये भेजी है। इस तरह तकुएसे निकालनेके बाद उसको काममे लाना निहायत मुश्किल है। यदि उसे वुनाईके लिए उपयोगमे लाना है तो उसकी गुडी अवश्य बनानी चाहिए और उसपर ऊपर मुझाये तरीकेसे गांठे दे देनी चाहिए।

यहाँ मुझे एक बात कह देनी चाहिए। एक-दो शख्स ऐसे भी हैं, जिन्हे मिलका सूत भेजनेमें भी कोई संकोच नहीं हुआ। मुझे आशा है, उन लोगोने विना यह जाने ही कि हमारा कर्त्तव्य क्या है, यह भेज दिया है। मिल-कते सूतकी पहचान करनेमे जरा भी कठिनाई नहीं होती। किसी भी किस्मका सूत भेज देनेमे कोई खूबी नहीं है। खूबी तो अपने हाथोसे काता हुआ अच्छा और एक-सा सूत भेजनेमे है।

तमाम पार्सल साबरमतीके पतेपर भेजने चाहिए—अहमदाबाद नहीं। उनका किराया वही भर देना चाहिए।

### कुछ और आँकडे

प्राप्त सूतका विवरण प्रकाशित होनेके बाद आन्ध्र और तमिलनाडसे कुछ सूतके पार्सल और आये हैं। इससे यह मालूम होता है कि इन दोनों प्रान्तोने रिपोर्टमे दिखलाये आँकडोंसे बहुत ज्यादा सूत भेजा है। आन्ध्रकी कुल सख्या ४८७ और तमिलनाडकी १९५ है।

कुल प्राप्त सूतका वजन २३ मन २३ पौड है। इसमे गुजरातसे भेजे गये सूतका वजन १३ मन है और शेष दूसरे प्रान्तोका है। अधिकसे-अधिक १०० अंक तकका सूत आया है। हमारी मिलोमे आमतौरपर ४० से अधिक अकका सूत नहीं काता जाता। कर्तव्योको याद रखना चाहिए कि जब वे विना कुछ मेहनताना लिये

एक ही मुद्रा में कितना मूल्य रखे है, तब पैनेली दृष्टि में उँने अकाल मूल्य कातनेमें ही कलत होती है। यदि कोरि १० के रजाय २० अकाल मूल्य कातता है तो वह कलतनी कौरी-कौरी तनी भीमाणी कलत करता है। अतएव बेहतर होगा कि कतैये 'गणित' नी आसा जग तब जतएव उँने अकाल मूल्य कातनेकी कौशिल करे।

पतनी 'गणित' देते तो कोरि ५० पतमाता और लगभग इतने ही पारमियोने अतरे लिखेता मूल पैज है। हा, कुछ ईशाराके नाम भी मिश्रते है। अखिल भारतीय कांग्रेस कौरीये पदमामे मे १०५ ने अपने लिखेता मूल भेजा है। कार्य-समितिके, लिखेता 'गणित' कलत पदमामे जपता मूल भेजा है। देशके अत्यन्त प्रख्यात पुराणवे, ता लिखित भारतीय कांग्रेस कौरीये पदमामे नही है, दो मज्जनाने मूल पैज है। र है — गीतत एतुत वानी तातु और आचाय प्रफुल्लनन्द राय।

### प्रतिनिधियोंके अतिरिक्त

एक कौरीय ता वही ता पदमामे तनी करते कि कांग्रेस प्रतिनिधियोंके लिए जग लिखित तनी तातई कलत लिखार है, वता कताईके मद्गुणमे विष्वास रखने-कौरी अतरे मूल पैज भी ता तनयने लिखित मुस्त नही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कौरीये पदमामे तो एत वाता मतेन-मात्र है कि प्रत्येक देशभवतका क्या कलत है। अतएव यदि तनी घात न्येच्छया कनाईके लिए अपने-आपको सगठन-रखने वंश है, तो वे पावेगे कि लिखी वातात वलिष्कार अपेक्षाकृत सरल चीज है। इतने जो दो वाताएँ कताई कती है, वे है नहरका मंग्यापन और खुरदरा-पता। तैतित जिन क्षण तनी पात्रिमिताता ख्याल किये बिना एक प्रेम-कार्यके रूपमे कताई तनी तनी उनी क्षण ये दोनों वायाएँ दूर हो जायेगी और जिस उँनेच्छे लिए हम स्वर्गीय माग्नी लिप्युक्त और वग-भगके समयमे ही उद्योग करते आ रहे है, उतनी प्राप्तिने लिए प्रेम-भावने कताई घुन कर देना कोई बडा मूल्य चुगना नती है। सदमातो उतनी राह भी नही देते रहना चाहिए कि प्रान्तीय समेटिता आगे आता कताईया आयोजन करे। पर्याप्त जानकारी और क्षमता रखने-वाता प्रवेत व्यक्ति कताई मण्डलका आयोजन कर सकता है। इसमे बहुत थोडे पैमेकी जरूरत है। मोडी-नी कलान जमा करना, पूनिया तैयार करना और उनका वितरण करना तथा मूल उठटा करना — वग इतनेकी ही जरूरत है। ज्यादा जगहकी भी जरूरत नती है। गरीबो-गरीब आदमी भी यह काम करनेकी कौशिल कर सकता है। जग चरवा न मिले वहाँ तकरीमे काम चठ जायेगा। इसलिये मुझे आशा है कि दूसरे महीनेमें अब जो मूल प्राप्त होगा, वह न केवल कातनेवाले प्रतिनिधियोंकी नम्यामे वृद्धिकार शोतक होगा, बल्कि इस बातका भी प्रमाण होगा कि कताई करने-वाले गैर-प्रतिनिधि लोगोंने भी काफी ज्यादा मूल भेजा है।

### योग्य कार्य

यह गुनाकिम्मतीकी बात थी कि पिछले हफ्तेके हिन्दू-मुस्लिम दगमे जमनालालजी भी मौकेपर मौजूद थे। उसमे उन्हें जो चोट आई वह झगडा न बढनेका एकमात्र

नहीं तो एक कारण अवश्य था। मुझे मालूम हुआ है कि स्थानीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्री वावू कालीचरण और श्रीयुत अचारी भी गुद बहुत जोगिम उठाकर लडाईं रोकनेकी कोशिश कर रहे थे। मैं उन तीनों कार्यकर्त्ताओंको उनके माहम और विवेकके लिए बधाई देता हूँ। बहुत मुश्किल है कि स्थायी मुलह और शान्तिके लिए हममेंसे कुछ लोगोंको अपने-आपको बलिदान करदेना पड़े। दोनों जातियोंके बढभागों और गुण्डोंको एक-दूसरेके खिलाफ सगठित करके हम अपनी पीटीके दौरान ऐसी एकता स्थापित नहीं कर सकते। इस तरहका आपसी कलह हमारी शक्तिके निरर्थक क्षयकी प्रक्रिया है। इसके द्वारा प्राप्त की गई शान्ति शन्नवलपर प्राप्त की गई शान्ति होगी, जिसके कारण हमें दीर्घकालतक एक-दूसरेका मिर फोडते रहना होगा।

### वाइकोम सत्याग्रह

त्रावणकोरकी सरक्षिका (रीजेट) महारानीने सभी सत्याग्रही वन्दियोंको रिहा करके अपनी उदारताका परिचय दिया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। राज्यकी यह एक बड़ी ही मुन्दर प्रथा है कि नये शासकके गद्दीनशीन होनेपर कुछ वन्दियोंको रिहा कर दिया जाता है। फिर इससे अधिक स्वाभाविक बात और क्या हो सकती है कि ऐसे वन्दियोंको रिहा किया जाये जिनके सिर अपराधका कोई कलक न हो? मैं सत्याग्रहियोंको भी फिलहाल सत्याग्रह स्थगित कर देनेके लिए बधाई देता हूँ। इससे एक-दूसरेको समझानेका रास्ता मुगम हो गया है और राज्यके अधिकारियोंको भी बिना किसी परेशानीके सत्याग्रहियोंके प्रति अपने रखके बारेमें फिरसे सोचनेका मौका मिला है। कहते हैं, स्वर्गीय महाराज कई मामलोमें बड़े जागृत्क होते हुए भी अस्पृश्यताके बारेमें बड़े ही कट्टर विचार रखते थे। मुझे आशा है कि अब महाविभव सरक्षिका महारानी यह महसूस करेगी कि अस्पृश्यता हिन्दूधर्मके लिए कोई श्रेयकी नहीं, बल्कि कलककी बात है। एक हिन्दू राज्य हिन्दू धर्मकी अच्छीसे-अच्छी सेवा यही कर सकता है कि हिन्दू धर्मको इस अभिशापसे मुक्त कराये और इस प्रकार ब्रिटिश भारतके हिन्दुओंके सामने धार्मिक उदारताका एक उदाहरण पेश करे। मुझे विश्वास है कि सत्याग्रही लोग भी अपना समय कायम रखकर और अधिकारियोंको स्पष्ट रूपसे यह जताकर कि अनुपगम्यो और अस्पृश्योके बिलकुल बुनियादी मानवीय अधिकारोको मान्यता दिलानेसे अधिक वे कुछ नहीं चाहते, अधिकारियोंका मार्ग सुगम बनायेंगे।

### राष्ट्रीय स्वयंसेवक

हुवलीसे मेरे पास एक काफी लम्बा पत्र आया है। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवकोके सगठनकी ओर मेरी तथाकथित उदासीनताके प्रति विरोध प्रकट किया गया है। मैं पत्र-लेखक और अन्य लोगोंको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उदासीन नहीं हूँ। मैं इसे एक बहुत ही जरूरी काम मानता हूँ। मैं इस मामलेमें डा० हार्डीकरकी योग्यताका बड़ा प्रशंसक हूँ। लेकिन मेरे सामने कठिनाई यह है कि सारे भारतको सगठित करनेके लिए हमारे पास काफी तादादमें आदमी नहीं है। इसीलिए मैंने सुझाया है कि

जो हाईकोर्टों को अभी किसी एक प्रान्त या जिले में ही अपनी सारी शक्ति लगानी चाहिए और उम क्षेत्रों स्वयंसेवकों के दलों को पूरे तौर पर सक्रम बना देना चाहिए। तब फिर हमारे धेनाको मगठिन करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। यह काम ऐसा है कि ममापान्तोंके प्रान्तोंके बन्दर नहीं किया जा सकता। यह तो चुपचाप अथक परिश्रम करते ही सम्पन्न किया जा सकता है। हुबलीसे यह पत्र जिस सप्ताह मुझे मिला, उन्ही सप्ताह अलमोजामे भी एक पत्र आया। पत्र-लेखकका कहना है

बाल्चर आन्दोलन तो फल रहा है, लेकिन कुछ ही लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक बनते हैं।

ऐसा क्यों? उनका यह आन्दोलन बहुत ही कुशल ढंगसे सगठित किया गया है। जो काम बाल्चर करने है, उनमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे उस कामको, जो-कुछ हमें करना चाहिए, उनमें बढ़-चढ़कर माना जाये। कमी सिर्फ उतनी ही है कि हमारे पास उन कामोंके लिए पर्याप्त मन्वामे उपयुक्त मगठनकर्त्ता नहीं है। कवायद, अनुमानन और शिक्षाकी राष्ट्रोंके जम्मत है और उमें जहाँ भी ये चीजे मिलती हैं, वह उनको ग्रहणकर लेता है। मैं जानता हूँ कि यह बात बुरी है, इससे विवेकका अभाव प्रकट होना है। लेकिन राष्ट्र तबतक इस परावलम्बनकी परवाह नहीं करता जबतक कि उमें वे चीजे मिल रही हैं, जिन्हें वह आवश्यक ममझता है। इस बुराईको महसूस करनेवाले हम-जैसे कार्यकर्त्ताओंको यह करना है कि हम अपने-आपको प्रशिक्षित करें। लेकिन हम ऐसा लिखने या भाषण देनेसे नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले तो अपने-आपको प्रशिक्षित करना चाहिए। करनेके लिए तो बहुत-से काम हैं। हममें से प्रत्येकको अपना काम चुन लेना चाहिए और फिर बाधाओंके होनेपर भी हमें उसीमें जुटे रहना चाहिए। हमें बहुत विस्तारकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हमें तो उतना ही काम चुनना चाहिए, जितना कि हम अच्छेसे-अच्छे ढंगसे कर सकते हो। लोगोंको ऐसा ममझनेको गलती नहीं करनी चाहिए कि यदि मैं स्वयंसेवकोंके आन्दोलनके बारेमें लिखता नहीं हूँ तो मैं ठीकसे उमपर नजर भी नहीं रख रहा हूँ। मैं अध्यक्ष रहूँ या न रहूँ, पर मुझे पूरी आशा है कि आगामी दिसम्बर महीनेमें कर्नाटकमें हमारे लिए जो अनेक आकर्षण होंगे, उनमें कर्नाटकके स्वयंसेवक दलका भी एक खासा स्थान होगा।

### एक भई तुलना

एक गैमन कैथोलिक पत्र-लेखकने, जो कैथोलिक इंडियन एसोसिएशनके मन्त्री है, मुझे एक लम्बा पत्र लिखा है। उमके कुछ अंश मैं नीचे दे रहा हूँ ।

पत्र-लेखकको ऐसी तुलनामें जो दुख पहुँचा है, वह बिल्कुल स्पष्ट है। उनके प्रश्नके उत्तरमें मैं जो बात पहले कह चुका हूँ उसीको फिर दोहराता हूँ, अर्थात् यह

१ इन अंशोंका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र लेखकने कुछ लोगों द्वारा गांधीजीकी तुलना ईसा मसीहसे करनेपर और उन्हें भारतीयोंके लिए आधुनिक ईसा मसीहका पद देनेपर आपत्ति की थी। उमने यह भी लिखा था कि जहाँ ईसा मसीह राजनीतिसे बिल्कुल अलग रहे, गांधीजी उसमें डूबे हुए हैं।

कि मैं ऐसी तुलना कतई पसन्द नहीं करता। उनमें कोई लाभ भी नहीं होता और जिन महान् आत्माओंके साथ मेरी तुलना की जाती है, उनके अनुयायियोंको ठेस भी लगती है। मैं ऐसी किसी दैवी शक्तका दावा नहीं करता जो दूसरोंमें न हो। मैं नहीं कहता कि मैं कोई पैगम्बर हूँ। मैं तो सत्यका एक अकिञ्चन अन्वेषक-भर हूँ और मैं उसे पानेके लिए कटिबद्ध हूँ। ईश्वरका साक्षात्कार करनेके लिए मैं बड़े-बड़े बलिदानको भी तुच्छ मानता हूँ। मेरी सभी गतिविधियाँ — आप उनको सामाजिक, राजनीतिक, मानवीय या नैतिक, जो भी कहे — इसी लक्ष्यकी ओर निर्दिष्ट हैं। और चूँकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर उच्च और शक्तिशाली व्यक्तियोंकी अपेक्षा अपनी सृष्टिके तुच्छतम प्राणियोंमें ही अधिकतर मिलता है, इसलिए मैं उनके स्तरतक पहुँचनेके लिए सघर्ष कर रहा हूँ। मैं उनकी सेवाके बिना वैसा नहीं कर सकता। इसीलिए दलित वर्गोंकी सेवाके लिए मेरे अन्दर इतना उत्साह है। चूँकि मैं राजनीतिमें उतरे बिना उनकी सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए राजनीतिमें पड़ा हूँ। इस प्रकार मैं कोई मर्माहा नहीं हूँ। मैं तो भारतका और इसीलिए समूर्चा मानवताका केवल एक सघर्ष-रत, भ्रान्त और तुच्छ सेवक हूँ।

### असन्तोषजनक उत्तर

पाठकोंको याद होगा कि पण्डित जवाहरलाल नेहरूने २५ जुलाईको नाभाके प्रशासकको लिखा था कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि मेरी, आचार्य गिडवानी और पण्डित सन्तानमकी कैद पूरी होनेसे पहले रिहाईपर कोई शर्तें भी लगाई गई थी। प्रशासकको उसका उत्तर भेजनेमें २७ दिन लग गये। उत्तर इस प्रकार है

मैं आपके पिछली २५ जुलाईके पत्रके उत्तरमें बताना चाहता हूँ कि “मुलतवी” शब्दके अर्थके बारेमें आपको कुछ भ्रम है। सजा मुलतवी करनेका मतलब ही यह है कि उसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। यदि बात ऐसी नहीं होती और आपकी दलील बिल्कुल ठीक होती, तो बिना शर्तें सजा मुलतवी करनेका मतलब सजा मसूख करना होता, जो साफ गलत मालूम पड़ता है।

ऐसी हालतमें मैं पत्र-व्यवहारका यह सिलसिला जारी रखनेमें कोई सार नहीं देखता।

इसमें पण्डित जवाहरलालको “मुलतवी” शब्दका अर्थ समझानेकी खूब कोशिश की गई है। लेकिन प्रशासकका दुर्भाग्य तो यह है कि पण्डितजीने उनसे यह नहीं पूछा था कि “मुलतवी” शब्दका क्या अर्थ है। वे तो यह जानना चाहते थे कि रिहाई पर लगाई गई शर्तोंके बारेमें उनको क्या नहीं बतलाया गया। क्या कैदीको यह जाननेका अधिकार नहीं है कि उसकी सजा “मुलतवी” कर दी जानेपर उसे किन शर्तोंपर छोड़ा जा रहा है? प्रशासक महोदयको यह भी जानना चाहिए कि सजाकी माफी पर भी शर्तें लगाई जा सकती हैं। श्री सावरकरकी सजा शर्तोंके साथ माफ की गई है। इस तरह प्रशासकका जवाब खुद अपनी ही बात काट देता है, क्योंकि इस जवाबसे प्रकारान्तरसे स्पष्ट हो जाता है कि सजा मुलतवी करनेकी शर्तें पण्डितजीको

नहीं बतलाई गईं और वास्तवमें अभीतक उनको उन शर्तोंकी ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। उदाहरणके लिए, क्या सजाकी तारीखसे दो साल पूरे हो चुकनेके बाद भी नाभा क्षेत्रमें प्रवेश करनेपर उनको पुरानी सजाके अन्तर्गत फिर कारावास दिया जा सकता है? प्रशासकको चाहे “पत्र-व्यवहारका यह सिलसिला जारी रखनेमें कोई सार नहीं दिखाई देता” हो, लेकिन जनताको न केवल सजा मुक्तकी करनेकी शर्तें जाननेका हक है, बल्कि यह जाननेका भी अधिकार है—और यह जानना उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है—कि क्या यह सच नहीं कि पण्डित जवाहरलाल और उनके साथियोंको यह नहीं बताया गया कि उनकी रिहाईके साथ क्या शर्तें लगाई गई हैं, और यदि ऐसी बात है तो क्या आचार्य गिडवानीको जेलमें डाल देनेका औचित्य किसी आधारपर सिद्ध किया जा सकता है।

### अनुकरणीय उदाहरण

मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समितिकी विज्ञप्ति (२०-८-२४) का एक अंश नीचे दे रहा हूँ

तहसील कंसूरके फाछा गाँवमें एक मसजिदमें मुसलमानोंके नमाज पढ़नेके समय अज्ञान देनेके हकको लेकर सिखों और मुसलमानोंके बीच लम्बे असेंसे झगडा चल रहा था। बात इतनी बढ़ गई थी कि मामला अदालत तक पहुँच गया। अदालतने मुसलमानोंके खिलाफ फैसला दिया। नतीजा यह हुआ कि गाँवमें मुसलमान नमाजकी अज्ञान नहीं दे सकते थे। १० और ११ अगस्तको भाई फेरूके लिए जाते हुए ५०० अकालियोंका एक जत्था जब गाँवमें पहुँचा तो मुसलमान भाइयोंने अपना मामला उनके सामने पेश किया और अनुरोध किया कि उसपर हमदर्दीके साथ गौर किया जाये। जत्थेने समाजके सभी तबकोंके लिए धार्मिक पूजाकी स्वतन्त्रताके उद्देश्यको मानते हुए, उसके सातहत फैसला किया कि सिखोंको किसी भी कौमकी धार्मिक पूजाके रास्तेमें बाधक नहीं बनना चाहिए और इसलिए मुसलमान लोग अज्ञान दे सकते हैं। गाँवकी सिख सगतने जत्थेका यह फैसला सिर माथे लिया और अपने कियेपर पछतावा किया, साथ ही मसजिदकी मरम्मतके लिए २० रुपये चन्दा भी दिया। जत्थेके फैसलेपर तुरन्त अमल हुआ और इस तरह इतने लम्बे असेंसे चले आ रहे एक ऐसे झगडेका सौहार्दपूर्ण ढंगसे निबटारा हो गया, जिसे अदालतने और ज्यादा भडका दिया था। इस शुद्ध न्यायके कार्यके लिए मुसलमान भाइयोंने जत्थेको धन्यवाद दिया और इसपर अपनी खुशी प्रकट करनेके लिए बंड बाजेवालोका एक दल भेजा जिसने जत्थेके शिविरमें आकर लगातार पाँच घण्टेक बंड बजाया।

मैं इस झगडेको इतने अच्छे ढंगसे निबटानेके लिए सम्बन्धित सिखों और मुसलमानों, दोनोंको बधाई देता हूँ। ध्यान देनेकी बात यह है कि सिखोंने अपना एक



ऐसा हक छोड़ दिया जो उनको अदालतने दिलाया था। जिनको अदालतोंका अनुभव है वे जानते हैं कि अदालतें अक्सर ऐसे फैसले दे देती हैं जो न्याय और समझदारीके खिलाफ पड़ते हैं और इनमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती। उनके लिए भावनाओं या पूर्वग्रहोंकी ओर ध्यान देनेकी गुजाइश ही नहीं है। लेकिन धार्मिक झगड़ोंमें तो यही चीजें सबसे ज्यादा महत्त्व रखती हैं। इसलिए इस प्रकारके मामलोंमें न्यायपूर्ण फमला सिर्फ पच ही कर सकते हैं, जो ऐसी तमाम बातोंका ध्यान रखना अपना कर्तव्य समझे, जिनसे दोनों पक्षोंके बीच न्यायपूर्ण और सम्मानप्रद सुलह करानेमें सहायता हो सकती है।

### कांग्रेसियों द्वारा जालसाजी

कहा जाता है कि गरीब उड़ीसा प्रान्तमें कांग्रेसी कहलानेवाले कुछ लोगोंने कांग्रेसके कोषमें से कई हजार रुपयेकी रकमका गवन किया है। एक शरत्सने तो विलकुल सन्तका बाना ले लिया और लोगोंको दिखाने लगा कि वह बड़ी लगनसे काम कर रहा है, जिसके फलस्वरूप उसका असर काफी बढ गया और जनताका विश्वास उसपर इतना जम गया कि उसे एक बड़े विश्वस्त पदपर नियुक्त कर दिया गया। इस जालसाजीके खिलाफ कार्रवाई करनेका सवाल बड़ा ही गम्भीर बन गया और अब भी बना हुआ है। यह मामला मेरे पास भेजा गया। मैंने बिना किसी हिचकके यही सलाह दी कि मुकदमा दायर किया जाना चाहिए और साथ ही यह सुझाव भी दिया कि जालसाजी करनेवाले शरत्सको भरोसेका काम सौंपनेवाले कांग्रेस पदाधिकारीको मुकदमेकी कार्रवाई खत्म होनेपर यदि जरूरत पड़े तो अदालतोंके बहिष्कार-प्रस्तावका उल्लंघन करनेके अपराधपर अपने पदसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अदालतोंके बहिष्कारके अपने इस प्रस्तावका हम तथाकथित कांग्रेसियोंको खुद कांग्रेसके ही साथ धोखा करनेके लिए इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। वैसे तो साधारण लोगोंको भी, अगर वे असहयोगी हैं तो ऐसी हरकतोंसे होशियार रहना चाहिए जो उनको मुकदमोंमें फँसा दे सकती हैं। लेकिन जहाँतक खुद कांग्रेसियों और कांग्रेसके अपने अन्दरूनी मामलोंका — दूसरे शब्दोंमें विश्वासके मामलोंमें, — सवाल है, यदि मक्कार लोग कांग्रेसी बनकर और बहिष्कारकी आड़ लेकर इस सस्याको ही धोखा देने लगे तो बहिष्कारका ध्येय ही खत्म हो जायेगा। यही कारण है कि कयनी और करनीमें भेद रखनेवाला माने जानेका खतरा मौल लेकर भी मैंने बिना किसी हिचकके उड़ीसाके कांग्रेस-पदाधिकारियोंको यह सलाह दी है कि वे न्यासकी रकम वसूल करनेके लिए जालसाजीके खिलाफ मुकदमा दायर करे और तब यदि जरूरत पड़े तो अपने पदसे इस्तीफा दे दे। अगर मैं कांग्रेस कमेटीका अध्यक्ष होता तो न केवल सम्बन्धित पदाधिकारीको मुकदमेकी कार्रवाई शुरू करनेकी इजाजत देता, बल्कि उसके इस्तीफा दे देनेके बाद उसकी कर्तव्य-निष्ठाके पुरस्कार-स्वरूप उसे फिर उसी पदपर नियुक्त करनेकी भी पूरी कोशिश करता। कांग्रेस-कोषकी रकमको सुरक्षित रखना भी उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना कि अदालतोंका बहिष्कार जारी रखना। सच तो यह है कि कांग्रेसका पदाधिकारी व्यक्ति, जो प्रतिनिधिकी हैसियतसे वादी या मुद्दई हो,

कांग्रेसके प्रस्तावका कोई उल्लघन नहीं करेगा। उस सूरतमें, उल्लघन तो कांग्रेस सस्था करती है और कांग्रेसको अपने हितमें अपने ही बनाये नियम तोड़नेका पूरा हक है। सुव्यवस्थित राज्यमें यह उक्ति कि “राजा कोई गलती नहीं करता” सही और सार्थक है।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, ११-९-१९२४

## ८५. वास्तविकताएँ

आजकल मेरे ‘य० इ०’ के लेखोमें आज एक बात तो कल दूसरी बात दिखाई देती है। बहुत सम्भव है, पाठक इससे चक्करमें पडते हो और हैरान होते हो। पर मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इन्हें वे तब्दीलियाँ न समझे बल्कि यह समझे कि जिस दिशाकी ओर हम जा रहे हैं अथवा हमें जाना उचित है, उसमें हम एक-एक कदम आगे बढ रहे हैं। हम जिन सिद्धान्तोका पालन करनेका दावा करते हैं, उनके ये सहज परिणाम ही हैं।

यदि हम इस बातको याद रखे कि असहयोगकी अपेक्षा अहिंसा अधिक महत्त्वपूर्ण है और अहिंसाके बिना असहयोग पाप है, तो मैं आजकल जिन विचारोका निरूपण इन पृष्ठोमें कर रहा हूँ, वे सूर्यके प्रकाशकी तरह स्पष्ट हो जायेंगे। पर मुश्किल यह है कि पाठक इस बातको बहुताशमें नहीं जानते कि परदेके पीछे क्या-कुछ हो रहा है। मैं अभीतक जो सब बातोको खोलकर नहीं बता रहा हूँ, वह कुछ तो जान-बूझकर और कुछ लाचारीके कारण। पल-पलमें और दिन-दिन एकके बाद दूसरी बातका फँसला अपने साथियोतक पहुँचाना मुश्किल है। मैं यही विश्वास करता हूँ कि चूँकि मेरी रायमें वे मुख्य सिद्धान्तके सहज परिणाम हैं, इसलिए मेरे नजदीक वे जितने स्पष्ट हैं उतने ही पाठकोके निकट भी होंगे।

बात यह है कि परिस्थितिके साथ-साथ हमारी गतिविधिमें भी फर्क होना चाहिए। ऐसे फर्ककी उत्पत्ति यदि उसी एक उद्गमसे हो, तो वह असगत नहीं हो सकता।

लेकिन यह बात तो हरएक समझ ही रहा है कि हमारे मतभेद दिनपर-दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर दलके लोग अपने कार्यक्रमको सिद्धान्तका रूप दे रहे हैं। हर दलवाले सच्चे दिलसे इस बातको मानते हैं कि उनके ही कार्यक्रम द्वारा हम लोग अपने ध्येयके ज्यादा नजदीक पहुँचेंगे। देशमें जबतक ऐसे लोग मौजूद हैं—और उनकी सख्या काफी बडी है, भले ही वह दिन-दिन बढ न रही हो—तबतक धारा-सभाओके अन्दर जाकर काम करनेवाले दल भी मौजूद रहेंगे ही। पर हमारे इस असहयोगने तो अमली तौरपर सरकारसे असहयोगकी वनिस्वत आपसमें ही असहयोगका रूप वारण कर लिया है। अनचाहे ही हम एक-दूसरेको कमजोर बना रहे हैं और उस हदतक उस शासन-प्रणालीकी सहायता कर रहे हैं, जिसको मिटा देना हम सबका

उद्देश्य है। हमें इस प्रणाली की सबसे बड़ी गामियत समझ लेनी चाहिए। यह प्रणाली परजीवी है और राष्ट्रीय जीवन की गन्दगीसे अपने लिये पोषण प्राप्त करती है।

इस शासन-तन्त्रके मूलमें हिमा है। उसके खिलाफ जीवन्त और सक्रिय अहिंसात्मक शक्ति उत्पन्न करना हमारे असहयोगका उद्देश्य था। पर बदकिरमतीसे हमारा असहयोग कभी सक्रिय रूपमें अहिंसात्मक हुआ ही नहीं। हम तो निर्मल्य और असहायोंकी शारीरिक अहिंसासे ही गन्तुष्ट रहे। इस शासन-प्रणालीको नष्ट करनेका तात्कालिक प्रभाव न उत्पन्न कर सकनेके कारण हमारी यह असहयोगकी शक्ति दूनी ताकतसे हमपर ही उलट पड़ी है और यदि हम समय रहते न चेते तो वह हमको ही नष्ट करनेकी तैयारीमें है। ऐसी हालतमें मैंने तो अपनी तरफसे यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं इस घरेलू लड़ाईमें शरीक न होऊँगा और साथ ही सब सम्बन्धित लोगोंसे भी यही दरस्वास्त करूँगा। यदि हम इस काममें आगे बढ़कर सहायक नहीं हो सकते तो कममें-कम हमें इसमें कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। मैं आज भी उसी दृढ़ताके साथ पाँचों बहिष्कारोंको मानता हूँ। पर अब मुझे यह साफ-साफ दिखाई देता है कि हम चाहे खुद निजी तौरपर उनपर अमल भले ही करे, पर आम तौरपर उनके अनुसार काम करनेके लायक वायुमण्डल नहीं है। यह बात [अहमदावादकी] अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकके समय मेरी समझमें नहीं आई थी, पर अब स्पष्ट है। आज हमारे चारों ओर अविश्वास ही अविश्वास दिखाई देता है। हर कार्रवाई शककी नजरसे देखी जाती है और उसका गलत अर्थ लगाया जाता है। ऐसी हालतमें हम एक ओर जहाँ कैफियत-दर-कैफियतकी जगमें मुव्तिला है, वहाँ दूसरी ओर दुश्मन हमारे दरवाजेपर खड़ा खुश हो रहा है और अपनी ताकतको जुटा और बढ़ा रहा है। हमें हर सूरतमें और हर हालतमें इससे बचना चाहिए।

इसलिए मैंने यह मुझाया है कि हम देशके तमाम मुख्तलिफ राजनीतिक दलोंका एक न्यूनतम समान कार्यक्रम तय करे और उसको प्राप्त करनेके लिए सबको कांग्रेसके मंचपर सहयोग करनेके लिए बुलाये। यह है हमारे आन्तरिक विकासका कार्य, जिसके बिना किसी प्रकारका बाहरी राजनीतिक प्रभाव सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकता। जो राजनीतिज्ञ लोग बाहरी कामको भीतरी कामसे अधिक महत्त्व देते हैं या जो समझते हैं कि यह भीतरी काम बहुत देरसे फल देगा (दोनोका एक ही मतलब है), उन्हें अपनी शक्ति बढ़ानेकी पूरी-पूरी आजादी रहनी चाहिए, पर मेरी रायमें यह काम कांग्रेसके बाहर होना चाहिए। कांग्रेसको तो दिनपर-दिन जनताका अधिकाधिक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। वह अभीतक राजनीतिसे अछूती है। उसके अन्दर वैसी राजनीतिक चेतना नहीं है जैसी कि हमारे राजनीतिज्ञ भाई चाहते हैं। जनताकी राजनीति तो नमक और रोटीतक ही सीमित है। मैं इसमें घी किस तरह जोड़ूँ, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो घी तो क्या तेलका भी स्वाद नहीं जानते। उनकी राजनीति तो जातिगत सम्बन्धोंमें तालमेल बैठानेतक ही सीमित है। फिर भी यह कहना विलकुल ठीक है कि हम राजनीतिज्ञ लोग सरकारके खिलाफ जनताके प्रतिनिधिका काम जरूर करते हैं। पर यदि हम उसके तैयार होनेके पहले ही उसका

इस्तेमाल करने लगे, तो हम उनके प्रतिनिधि नहीं रह जायेंगे। पहले हमें उनके अन्दर काम करके, उनके साथ अपना जीता-जागता रिश्ता जोड़ना चाहिए। हमें उनके दुःखको अपना दुःख समझना चाहिए, उनकी कठिनाइयोंको अनुभव करना चाहिए और उनके अभावों और जरूरतोंको जानना चाहिए। अछूत और बहिष्कृत लोगोंमें भी हमें उन-जैसा ही बनकर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उच्च श्रेणीके लोगोंके पाखाने साफ करना और अपने सामने उनकी जूठी पत्तलीका बचा हुआ खाना फेंका जाना कैसा लगता है। हमें बम्बईके मजदूरोंकी सन्दूकनुमा खोलियोंमें, जिन्हें लोगोंने झूठ-मूठ मकानका नाम दे दिया है, रहकर देखना चाहिए कि हमारे दिलको कैसा लगता है। हमें देहातियोंमें देहाती बन जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वे किस तरह जेठ-वैसाखकी कड़ी बूपमें कमर झुकाकर हल चलाते हैं और हमें जानना चाहिए कि उन पोखरोसे पानी पीना हमें कैसा मालूम होगा जिनमें देहाती लोग नहाते हैं, कपड़े और वरतन धोते हैं और जिनमें उनके मवेशी पानी पीते हैं और लोटते हैं। हम उसी अवस्थामें अपनेको उनका सच्चा प्रतिनिधि कह सकते हैं, उसके पहले नहीं, और तभी वे यकीनन हमारी हरएक पुकारपर प्राणपणसे दौड़ पड़ेंगे, उसके पहले नहीं।

इसपर कुछ लोग कहेंगे, “हमसे यह सब नहीं हो सकता और अगर हमें यही करना हुआ तो फिर आगे एक हजार साल या उससे भी अधिक समयके लिए स्वराज्यको नमस्कार।” इस ऐतराजके साथ मेरी हमदर्दी होगी। पर मैं यह बात दावेके साथ कहूंगा कि हममें से कमसे-कम कुछ लोगोंकी जरूर इन यन्त्रणाओंसे गुजरना पड़ेगा और उसी तपस्या से एक पूर्ण, बलशाली और स्वाधीन राष्ट्रका जन्म होगा। इसलिए मैं सब लोगोंको यह सुझाव देता हूँ कि वे अपना मानसिक सहयोग दे और मानसिक रूपसे वे जनताके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करें तथा उसके दृश्य और ठोस प्रतीकके तौरपर वे उसके नामपर, उसके लिए रोज कमसे-कम तीस मिनट लगनपूर्वक चरखा काते। यह कार्य मानो भारतके हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि जातियोंके प्रबुद्ध लोगोंकी तरफसे जनताकी अर्थात् भारतमाताकी मुक्तिके लिए ईश्वरसे की जानेवाली बलवती प्रार्थना होगी।

हिन्दुओं और मुसलमानोंका तनाव दिनपर-दिन बढ़ता जा रहा है। सिवा इसके कि देशके तमाम दल कांग्रेसके अन्दर एक होकर इस अत्यन्त जटिल समस्याको हल करनेका सबसे अच्छा उपाय सोचें, इसे दूर करनेका दूसरा कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता। इस समस्याके कारण तो पारस्परिक विश्वास और पारस्परिक सहायताकी बुनियादपर आधारित राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी हमारी बड़ी-बड़ी उमंगें टूक-टूक हो रही हैं। अतएव यदि और किसी कारणसे नहीं तो महज इस एकताके लिए ही हमें अपनी अन्दरूनी राजनीतिक लड़ाई बन्द कर देनी चाहिए।

इसकी सिद्धिके लिए मेरा प्रस्ताव यह है

(१) १९२५ के अधिवेशन तकके लिए कांग्रेस विदेशी कपड़ोंके बहिष्कारको छोड़कर अपने तमाम बाकी बहिष्कारोंको स्थगित कर दे।

(२) कांग्रेस अगेजी मालके बहिष्कारको बन्दकार दे, वसतें कि शर्त (१) अमलमे लाई जाये।

(३) हाथ-कती और बुनी खादीका प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए प्रयत्न और हिन्दू सदस्योंके द्वारा छुआछूत मिटाना—इतने ही कामोत्तक कांग्रेस अपने प्रयास सीमित रखे।

(४) कांग्रेस मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओंका संचालन करे, और अगर मुमकिन हो तो नवीन संस्थाएँ खोले तथा उन्हें सरकारके अकुश या प्रभावसे अलग रखे।

(५) कांग्रेसके सदस्योंके लिए जो चार आना फीस है वह उठा ली जाये और उसकी जगह सदस्यताकी अर्हता हाथ कती-बुनी खादी पहनना, आव घटा रोज सूत कातना और हर महीने कमसे-कम २,००० गज अपना काता सूत कांग्रेसको भेजना हो। जो सदस्य इतने गरीब हो कि रुईका खर्च न उठा सके, उन्हें रुई मुहैया की जाये।

ऊपर मैंने कांग्रेसके सविधानमे जो क्रान्तिकारी परिवर्तन सुझाया है, उमके सम्बन्धमे कुछ खुलासा करनेकी जरूरत है। कांग्रेसके वर्तमान सविधानका मुख्य विधाता स्वयं मैं ही हूँ। इस उल्लेखके लिए पाठक मुझे क्षमा करेगे। हमारा उद्देश्य इस सविधानको दुनियाका सबसे अधिक लोकतांत्रिक सविधान बनाना था और हमारी उम्मीद यह थी कि यदि उसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाये तो बिना कुछ और किये ही हमें स्वराज्य मिल जायेगा। पर उसके अनुसार यथेष्ट रूपसे काम ही नहीं किया गया। हमारे पास सच्चे और सुयोग्य कार्यकर्त्ता काफी तादादमे न थे। हमें यह बात कबूल करनी होगी कि जिस उद्देश्यके लिए वह बनाया गया था उसके लिहाजसे वह असफल रहा है। हमारे रजिस्टरमे कभी एक करोड सदस्य भी दर्ज नहीं हो पाये। इस समय शायद सारे भारतमे कुल मिलाकर सदस्योंकी संख्या कोई दो लाखसे अधिक नहीं होगी, और इन दो लाखमे भी अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सिवा चार आना देने और राय देनेके वक्त हाथ ऊँचा उठा देनेके हमारे काम-काजमे आम तौरपर दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन हमें जरूरत तो एक ऐसी संस्थाकी है जो प्रभावकारी फुर्तीसे काम करनेवाली, सुसंगठित, काम ठीक-ठीक और तुरन्त बजानेवाली हो और जिसमे बुद्धिमान, परिश्रमी और उद्योगी राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हो। एक ऐसी भीमकाय और सुस्त तथा जटिल संस्थाकी अपेक्षा जिसका अपना कोई दिमाग ही न हो, यदि थोड़े लोगोंका एक छोटा संगठन हो, तो हम अपने कार्यका अच्छा लेखा दे सकते हैं। इस प्रस्तावमे एक ही बहिष्कार कायम रखा गया है—विदेशी कपड़ेका। यदि हम चाहते हैं कि उसमे सफलता मिले तो ऐसा हम कुछ समयतक कांग्रेसको मुख्यतया कर्तव्योंका सघ बनाकर ही कर सकते हैं। यदि हम एक ही भारी और महत्त्वपूर्ण रचनात्मक काममे सफल हो जाये तो यह हमारे लिए एक जबरदस्त फतह होगी। मैं मानता हूँ कि ऐसा महत्त्वपूर्ण रचनात्मक काम यदि कोई है तो वह है हाथ-कती और हाथ-बुनी खादीका उत्पादन। यदि हम चाहते हैं कि खादीका काम राष्ट्रीय दृष्टिसे सफल हो तो चरखा ही उसका एकमात्र साधन है। यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्रके कल्याण-साधनमे जनता भी स्थायी रुचि लेती रहे तो चरखा ही उसका एकमात्र साधन

है। यदि हम देशसे दरिद्रताका मुँह काला कर देना चाहते हैं, तो चरखेके निवा दूसरी कोई रामबाण दवा नहीं है।

मेरे प्रस्तावसे नीचे लिखी बातें फलित होती हैं

(क) स्वराज्यवादी, कांग्रेस या अपरिवर्तनवादियोंकी तरफसे बिना किसी विरोधके अपना दल सगठित करनेको स्वतन्त्र होंगे।

(ख) दूसरी राजनीतिक सस्याओंके सदस्य कांग्रेसमें शरीक होनेके लिए निमन्त्रित किये जायें, इसके लिए उन्हें राजी किया जायें।

(ग) अपरिवर्तनवादियोंको काँग्रेस-प्रवेशके खिलाफ जाहिरा तौरपर या दवे-छिपे आन्दोलन करनेसे मना कर दिया जायें।

(घ) जिन लोगोंका बाकी चार बहिष्कारोमें व्यक्तिगत कोई विश्वास न हो वे पूरी आजादीके साथ यह मानकर चल सकते हैं कि ये बहिष्कार ये ही नहीं और उनके इस व्यवहारसे उनकी प्रतिष्ठापर कोई आँच नहीं आयेगी। इस तरह अनहयोगी वकील यदि चाहे तो फिरसे वकालत शुरू कर सकते हैं और खिताबधारी, सरकारी स्कूलोंके शिक्षक आदि कांग्रेसमें शरीक होने और उसके पदाधिकारी होनेके पात्र समझे जायेंगे।

इस तजवीजके मुताबिक देशके तमाम राजनीतिक दल मिल-जुलकर [ राष्ट्रके ] आन्तरिक विकासके लिए एक साथ काम कर सकते हैं। इस तरह कांग्रेस तमाम राजनीतिक दलोंको अपने मंचपर सम्मिलित होनेका खासा मौका देती है और कांग्रेसके बाहर स्वराज्यकी एक ऐसी योजना तैयार करनेका मौका देती है जिसे मजूर कर सके और जो सरकारको पेश की जा सके। मेरी निजी राय तो यह है कि अभी ऐसी तजवीज पेश करनेका समय नहीं आया है। मैं तो यह मानता हूँ कि यदि हम सब मिलकर एक साथ पूर्वोक्त रचनात्मक कार्यक्रमको सफल बनानेका उद्योग करें तो उससे हमारी आन्तरिक शक्ति आघातीत रूपसे बढ़ जायेगी। पर देगके उन बहुते-सज्जनोकी राय, जो अबतक लोगोंके अगुआ रहे हैं, इसके विपरीत है। जो भी हो, कमसे-कम हमारे मुभीतेके लिए तो एक स्वराज्य-योजनाकी जरूरत है ही। पाठक जानते ही होंगे कि इस मामलेमें मैं तो बाबू भगवानदासके विचाराका पूरी तरह कायल हो गया हूँ। अतएव इसके लिए यदि कोई परिपद होगी और उनमें मेरी हाजिरीकी जरूरत होगी तो उनमें हाजिर होकर उन योजनाको बनानेमें मैं जरूर मदद दूँगा। इस कामको कांग्रेसके बाहर रखकर चलानेपर जो मैं जोर दे रहा हूँ, उसका मबद यह है कि मैं पूरे एक मालतक कांग्रेसको सिर्फ आन्तरिक विकासके काममें लगाये रखना चाहता हूँ। जब हम अपने इस काममें काफी परिमाणमें सफलता प्राप्त कर चुकेंगे तब कांग्रेस शीकमें बाहरी राजनीतिक हलचलोंमें भी भाग ले सकनी है।

अब सवाल है कि यदि यह प्रस्ताव मजूर न हुआ और देगके तमाम राजनीतिक दलोंको कांग्रेसके अन्दर एकत्र करना मुश्किल हुआ और हमारे और स्वराज्यवादियोंकी बीचकी इस खाईको पाटना नामुमकिन हुआ तो फिर क्या होगा? मेरा जवाब सीधा है। यदि मारा जगडा कांग्रेसपर रुज्जा करनेके लिए ही हो तो मैं उनमें

शरीक नहीं होऊँगा। जिन लोगोंके विचार मुझमें मिलते हैं उन्हें भी मैं ऐसा ही करनेकी सलाह दूँगा। मैं उन्हें यह भी सलाह दूँगा कि वे कांग्रेसको स्वराज्यवादियोंकी शर्तपर उनके हवाले कर दें और अपनी तरफसे बिना किसी तरहका विरोधी प्रचार-आन्दोलन किये उनको कांसिल-कार्यक्रम निर्विघ्न रूपसे चलाने दें। मैं अपरिवर्तनवादियोंको सिर्फ रचनात्मक काममें लगाऊँगा और उन्हें सलाह दूँगा कि वे दूसरे दलवालोंसे — जितनी वे दे सके, सहायता लें।

जो लोग अपने राष्ट्रीय पुनरुज्जीवनके लिए महज रचनात्मक कार्यक्रमपर ही सारा दारोमदार रखते हैं उनका काम है कि वे स्वार्थ-त्यागके रास्तेमें पहले आगे कदम बढ़ाये। कांग्रेसमें पदाधिकारी बनने और स्वराज्यवादियोंका विरोध करनेसे हमें अपनी एक भी प्रिय वस्तु प्राप्त न होगी। हम स्वराज्यवादियोंकी सहमतिसे ही उन पदोंपर रहे। यदि हम 'कांग्रेस' नामकी पूजा करनेवाले सीधे-मरल लोगोंको इस आत्मघातक गज-ग्राहके युद्धमें फँसायेंगे तो उनको भ्रष्ट करनेका दोष हम दोनों दलोंके लोगोपर होगा। अपनी शुद्ध सेवाके बलपर जो पद और सत्ता हमें मिलती है वह हमारे हृदयको उच्च बनाती है। जो सत्ता सेवाके नामपर हासिल की जाती है और महज कसरत रायके बलपर प्राप्त की जाती है, वह केवल भ्रम-जाल है। हमें उससे बचना चाहिए — खासकर इस मौकेपर।

मैं पाठकोको अपने इस प्रस्तावकी उपयोगिताका कायल कर सका होऊँ या न कर सका होऊँ, पर मैं तो अपनी तरफसे निश्चय कर चुका हूँ। इस विचारसे मेरे चित्तको व्यथा होती है कि जिन लोगोंके साथ मैंने अबतक कन्धेसे-कन्धा भिडाकर काम किया है, वे प्रतिकूल दिखाई देनेवाली दिशाओंमें काम करने लगे।

ऊपर मैंने जो बातें पेश की हैं वे मेरे शस्त्र रख देनेकी शर्तें नहीं हैं। मेरा आत्म-समर्पण तो बिना किसी शर्तके है। मैं कांग्रेसकी रहनुमाई अगले वर्ष उसी हालतमें कर सकता हूँ जबकि तमाम दलके लोग ऐसा चाहे। मैं इस घनघोर अन्धकारमें प्रकाश देखनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वह धुँधला-सा दिखाई भी देता है। मुमकिन है, अब भी मैं गलती कर रहा होऊँ। पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूँ कि अब मेरे अन्दर सघर्षका भाव बिलकुल नहीं रह गया है। मैं एक जन्मजात लडाका हूँ। मेरे लिए इतना ही कहना बहुत है। मैं अपने सर्वाधिक प्रियजनो तकसे लडा हूँ। पर मैं लडा हूँ प्रेम-भावसे प्रेरित होकर ही। स्वराज्यवादियोंसे भी प्रेम-भावसे प्रेरित होकर ही लडा जा सकता है। पर मैं देखता हूँ कि पहले मुझे अपने प्रेम-भावको साबित करना होगा। मैं समझता था कि मैं इसे साबित कर चुका हूँ। लेकिन देखता हूँ कि नहीं, मैं गलतीपर था। इसलिए मैं अपने कदम वापस ले रहा हूँ। मैं हर शख्ससे अनुरोध करता हूँ कि वह इसमें मेरा हाथ बँटाए और इन दोनों पक्षोंको एक होनेमें मेरी सहायता करे। कमसे-कम कुछ समयके लिए तो अवश्य ही कांग्रेसको बहुतायतमें एक मतवालोंकी ही सस्था रहना आवश्यक है।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-९-१९२४

## ८६. जेलके अनुभव - ११ [ चालू ]

मेरा पठन [ - २ ]

मेरा उर्दूका अध्ययन भी 'महाभारत' की तरह ही चित्ताकर्षक सिद्ध हुआ। मैं ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया, त्यों-त्यों वह मेरे दिमागपर अधिक छाने लगा। दो-तीन महीनेमें उर्दूपर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लंगा, ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणाके साथ उमके अध्ययनमें मैं कुछ हलके मनसे प्रवृत्त हुआ। परन्तु थोड़े ही दिनोंमें मुझे अपनी भूल समझमें आ गई और मैंने देखा कि इस भाषाको हिन्दीसे विलकुल ही अलग कर दिया गया है और उसे ऐसा बनानेकी तरफ रूझान बढ़ता जा रहा है। परन्तु इम एहसाससे उर्दू साहित्यको पढ़ने और समझनेका मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। मैं उर्दू पढ़नेके लिए रोज लगभग तीन घंटे देने लगा। उर्दू लेखकोने हिन्दू-मुसलमानोंमें प्रचलित शब्दोंका त्याग करके फारसी और अरबी शब्दोंका उपयोग जान-बूझकर बढ़ा दिया है। दोनों भाषाओंके सामान्य व्याकरण तकका उपयोग करना छोड़कर, उन्होंने अरबी और फारसीके व्याकरणको अपना लिया है। इसके परिणाम-स्वरूप, मुसलमानी विचार-परम्परासे परिचित रहनेके इच्छुक वेचारे देश-प्रेमियोंको उर्दूका अध्ययन एक विलकुल भिन्न और नई भाषाके रूपमें ही करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि हिन्दीके लेखकोने भी इस मामलेमें इससे कुछ अच्छा काम नहीं किया है, हिन्दीको विलकुल एक अलग भाषा बना देनेके लिए कुछ कम कोशिश नहीं की गई है। हाँ, मैं यह जरूर सोचता था कि यह बुराई अभीतक बहुत गहरी नहीं गई है और हिन्दी और उर्दूको अलग कर डालनेकी वृत्ति केवल थोड़े समय ही चलेगी। परन्तु अब देखता हूँ कि यदि हमें हिन्दुस्तानके लिए हिन्दी और उर्दूको मिला-जुलाकर एक सर्व-सामान्य राष्ट्रीय भाषा बनानी हो तो आजकल एक-दूसरेसे अलग बहते दिखाई देनेवाले इन दो प्रवाहोंको एक करनेकी दिशामें लम्बे समयतक विशेष प्रयत्न करने पड़ेगे। इसके वावजूद, मैं मानता हूँ कि हिन्दूको अपनी शिक्षा पूरी करनेके लिए शिष्ट उर्दू जान लेनेकी जितनी जरूरत है, उतनी ही मुसलमानको शिष्ट हिन्दी जान लेनेकी है। यह काम जल्दी ही आरम्भ कर दिया जाये तो विलकुल आसान है। ऐसे अध्ययनसे कोई आर्थिक लाभ भले ही न हो और पश्चिमके ज्ञान-भण्डारके कपाट भी भले ही इससे न खुले, परन्तु राष्ट्रीय दृष्टिसे इसकी उपयोगिता अमूल्य है। उर्दूके गहरे अध्ययनसे मुझे लाभ ही पहुँचा है। मैं चाहता हूँ कि मैं यह अध्ययन अब भी पूरा कर सकूँ।

दो वर्ष पहले मैं मुसलमानोंके मानसको जितना जानता था उसकी अपेक्षा आज कही अधिक जानता हूँ। मुझे उर्दू साहित्यके धार्मिक पहलूमें ज्यादा दिलचस्पी थी। इसलिए ज्यों ही सम्भव हुआ, मैं उर्दूकी धार्मिक पुस्तकोंमें डूब गया। नसीबने तो हमेशा मुझे मदद दी ही है। मौलाना हसरत मोहानीने 'भाई मजर अलीको' 'उस्व-ए-



सहावा' नामक ग्रन्थमाला भेजी थी। चूँकि वे मुझे उर्दू सिखाते थे, इसलिए उन्होंने ये पुस्तकें मुझे सौंप दी। मैंने पूरी लगनसे उन्हें पढ़ डाला। यद्यपि इन पुस्तकोंमें पुनरुक्ति दोष बहुत है और कई जगह लेखन सक्षिप्त होता तो बहुत मुन्दर लगता, फिर भी उनसे पैगम्बर साहबके अनेक साथियोंके क्रिये हुए कामकी गहरी जानकारी मिलती थी, इसलिए उनमें मुझे बहुत ही आनन्द आने लगा। उनके जीवन जैसे एक जादूसा हुआ हो कैसे एकाएक बदल गये, पैगम्बरके प्रति उनकी कौसी अगाव भक्ति थी, दुनियाके धन-मानकी ओर वे कितने उदासीन थे, अपने जीवनकी सादगी सावित करनेके लिए उन्होंने राज्यशक्तिका भी किस तरह उपयोग किया, धनकी लालसामें वे कितने मुक्त रहे, अपने पवित्र माने हुए कार्यके लिए जीवन समर्पित करनेके वारे में वे सदा-सर्वदा कैसे तत्पर रहते थे — इन सब बातोंका इन पुस्तकोंमें सविस्तार और अत्यन्त विश्वसनीय वर्णन है। यदि कोई उनके जीवनकी तुलना भारतमें इस्लामके आज-कलके प्रतिनिधियोंके जीवनके साथ करे तो उसकी आँखोंमें शोकके आँसू आये बिना न रहेगे।

'सहावा' पढ़नेके बाद, मैं खुद पैगम्बर साहबके चरित्रपर आया। मौलाना शिवलीके लिखे हुए ये दो बड़े-बड़े ग्रन्थ बेशक सुन्दर शैलीमें लिखे गये हैं। किन्तु मुझे जो शिकायत पैगम्बर साहबके साथियोंके विषयमें लिखी उक्त ग्रन्थ-मालाके सम्बन्धमें है, वही इन ग्रन्थोंके वारेमें भी है — इनमें विस्तार बहुत ज्यादा है। परन्तु पश्चिममें जिसकी लगभग एक स्वरसे निन्दा की गई है और जिसे गालियाँ दी गई हैं, उसीके जीवनकी घटनाओंको एक मुसलमान लेखकने किस दृष्टिकोणसे देखा-परखा है, यह सब जाननेकी मेरी उत्सुकता इस विस्तारके बावजूद बनी रही। दूसरी पुस्तक पूरी हो जानेके बाद, उस महान् जीवनके वारेमें पढ़नेके लिए पासमें कुछ और न होनेके कारण मुझे अफसोस हुआ। उसमें कुछ घटनाएँ ऐसी अवश्य हैं, जिन्हें मैं समझ नहीं सका और कुछ ऐसी हैं, जिन्हें मैं समझा नहीं सकता। परन्तु मैंने यह अध्ययन मनोरंजन अथवा आलोचनाके लिए तो किया नहीं था। मुझे तो उस महापुरुषके जीवनकी उत्कृष्टता जाननी थी, जिसका आज करोड़ों मनुष्योंके हृदयपर साम्राज्य है और यह चीज मुझे इन पुस्तकोंमें पूरी मात्रामें देखनेको मिली। अब मेरा यह विश्वास पहलेसे भी अधिक पक्का हो गया है कि मानव-जीवनमें इस्लामने जो स्थान प्राप्त किया, वह तलवारके बलपर नहीं किया। उसका श्रेय तो कठोर सादगी, पैगम्बरके आत्म-विलोपनके भाव, उनकी टेक और अनुयायियोंके प्रति उनके गहरे प्रेम-भाव, उनके साहस और निडरता तथा अपने कार्यके प्रति और खुदाके प्रति उनके सम्पूर्ण विश्वासको है। अपने अभियानमें वे जो लगातार सफल होते गये और बाधाओंपर विजय पाते गये, उसका कारण उनके ये गुण ही थे, तलवार नहीं। पैगम्बर हो या अवतार, मैं किसी भी मनुष्यको पूर्ण नहीं मानता। इसलिए पैगम्बरके जीवनकी एक-एक घटना और किस्सेका स्पष्टीकरण चाहनेवाले आलोचकका मैं समाधान कर ही सकूँ, यह मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही जानना पर्याप्त है कि वे लाखों-करोड़ोंमें एक ऐसे नर-रत्न थे, जिसने ईश्वरसे डरकर चलनेका प्रयास किया, जो

गरीबीमें मरा, जिसने अपने मृत शरीरके लिए किसी गानदार मकबरेकी कामना नहीं की और जो मृत्यु-अध्यापर भी अपने छोटेसे-छोटे ऋण-दाताओंको नहीं भूला। आजकलके मुसलमानोंमें जो पतनकारी अमहिष्णुता या गलत तरीकोंमें परवर्माविलम्बिताका धर्म-परिवर्तन करनेकी वृत्ति पाई जाती है, उसके लिए पैगम्बरको जिम्मेवार मानना उतना ही गलत है जितना कि आजके हिन्दुओंके अब पतन और अमहिष्णुताके लिए हिन्दू-धर्मको जिम्मेवार ठहराना।

पैगम्बरके जीवन-चरित्रके बाद मने दो षण्डोंमें लिखी अजेय हजरत उमरकी जीवनीका अध्ययन किया, और जब मैं अपने मनमें जेरुसलेमकी यात्रा करते उन महापुरुषकी कल्पना करता हूँ जो पड़ोसियोंकी शान-शौकतका अनुकरण करनेवाड़े अपने अनुयायियोंको फटकारता है, जो एक गिरजाघरमें इम भयमें डवादत नहीं करना कि इसी कारण भावी पीढियाँ कही उमें मसजिद न बना डाले, जो पराजित ईसाइयोंके नामने भी समझौतेकी अत्यन्त उदार शर्तें रखता है और जब मैं अपने मनमें उन व्यक्तिकी तस्वीर खींचता हूँ जिसने यह घोषणा की कि इस्लामके क्रिमी भी अनुयायीका वचन, भले ही उस अनुयायीको ऐसा कोई वचन देनेकी मत्ता प्राप्त न हो, उतना ही मूल्यवान है जितना कि स्वयं खलीफाका लिखित फरमान, तो मैं सहज ही उनके प्रति श्रद्धानत हो उठता हूँ। वे वज्रके समान सुदृढ इच्छाशक्तिवाले आदमी थे। उन्होंने अपनी वेटीके साथ भी वैसा ही न्याय किया जैसा कि वे किसी अजनबीके साथ करते। आज हमारे यहाँ मूर्तियाँ तोड़ने, मन्दिर नष्ट करने और हिन्दुओंके भजन-कीर्तनके प्रति अन्धी असहिष्णुताका जो जोर दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है, वह इस महानतम खलीफाके जीवनको एक विलकुल उलटे अर्थमें समझनेका ही फल है। मुझे ऐसी आशा है कि इस पवित्र और न्याय-परायण मनुष्यके कार्योंको आम मुसलमानोंके नामने चित्रित रूपमें पेश किया जा रहा है। मुझे महसूस होता है कि अगर हजरत उमर नुद आज अपनी कन्नसे उठकर हमारे बीच आये, तो इस्लामके कथित अनुयायियोंके बहुत-से ऐसे कामोंको वे निन्द्य और अस्वीकार्य बतायेंगे जो उनके भट्टे अनुकरणके रूपमें किये जाते हैं।

इस चित्ताकर्षक अध्ययनके बाद, मैं 'अल-क़शम' नामक तत्त्वज्ञानने सम्बन्धित ग्रन्थोंकी तरफ मुड़ा। ये पुस्तकें समझनेमें मुश्किल हैं। उनकी भाषा बहुत पारिभाषिक है। परन्तु भाई अब्दुल गनीने मेरे अध्ययनमें सहायता देकर काफी आसानी कर दी। इसलिए जब इन ग्रन्थोंकी आधा पढ़ जानेके बाद ही मैं बीमार हो जानेके कारण, रिहा कर दिया गया तो मुझे बड़ा दुःख हुआ।

अग्रेजी पुस्तकोंमें गिवन-कृत रोमका इतिहास पहले नम्बरपर आता है। वगना पहले मेरे अनेक अग्रेज मित्रोंने उमें पढ़नेकी मुझे सलाह दी थी। उन पाठके जेहमें गिवनको पढ़नेका मैंने निश्चय कर लिया था। लेकिन जिन टुकड़ों पर मित्र-साम्राज्य स्थापित कर देनेवाले एक ही नगरके नागरिकोंके जीवनकी एकै बाद एक घटनाओंका वर्णन किया है, वह 'त्रिमुच पाठकाके नामने जान्नाके इतिहासके पन्ने खोलकर रच देता है। कारण, गिवन निरन्तर छोटी-छोटी दावाएँ बान करने करते हैं, जो तो बात ही नहीं है। वे तो तथ्योंके सम्यक् समूहोंको जेकर चर्चते हैं जो उन्हे पाठकाके

सामने इस रूपमें प्रस्तुत कर देते हैं जिसका कोई अनुकरण ही नहीं कर सकता। उन्होंने अर्ध-सम्यो, ईसाइयों और मुसलमानों—तीनोंकी सस्कृतियोंका विवेचन इतने विस्तारसे किया है कि हम उसके अव्ययनके बाद इनके विषयमें अपनी राय स्वयं बना सकते हैं। उनका अपना मत हमारा ध्यान खींचता है, परन्तु एक इतिहासकारके नाते उन्हें अपने कर्तव्यका बड़ा खयाल है। अपने पासके तमाम व्योरे पाठकके सामने सच्चाईके साथ रखकर वे पाठकको अपना मत बनानेका अवसर देते हैं।

मोटले दूसरी ही तरहके इतिहासकार हैं। गिवन एक बड़े साम्राज्यके पतन और नाशके कारणोंकी खोज करते हैं, तो मोटले एक छोटेसे प्रजातन्त्रकी कहानीमें अपने प्रिय नायककी जीवन-कथा उभारते चलते हैं। गिवनके पात्र एक अतुल शक्तिशाली साम्राज्यकी कथाके सामने गौण बन जाते हैं। मोटले जो एक राज्य [हाँलैंड]की कहानी कहते हैं, वह एक ही व्यक्तिके जीवनकी कहानीकी कड़ियोंमें पिरोयी हुई, उसीके अधीन चलती है। उस गणतन्त्रका सारा इतिहास विलियम द साइलेटमें समा जाता है।

इन दो इतिहास-ग्रन्थोंके साथ लॉर्ड रोजवरी द्वारा लिखित 'लाइफ ऑफ पिट' जोड़ दीजिए तो फिर आप भी मेरी ही तरह कहेंगे कि तथ्य और कल्पनाके बीचका भेद वास्तवमें बहुत ही थोड़ा है, और तथ्योंके भी कमसे-कम दो पहलू तो होते ही हैं, अथवा जैसा कि कानूनके पण्डित कहते हैं, तथ्य भी तो आखिर कुछ मतोंको ही पेश करते हैं। परन्तु इतिहास हमारी जातिके विकासमें किस तरह सहायक हो सकता है, इस दृष्टिसे इतिहासके मूल्यके बारेमें अपने विचारोंपर पाठकोका ध्यान मैं रोके रखना नहीं चाहता। मैं स्वयं तो इस कहावतको मानता हूँ कि जिस जातिका इतिहास नहीं, वह सुखी है। मेरी प्रिय मान्यता तो यह है कि हमारे हिन्दू पूर्वजोंने, इतिहासका जो अर्थ आजकल समझा जाता है उस अर्थमें इतिहास लिखनेकी ओर ध्यान ही नहीं दिया बल्कि छोटी-छोटी बातोंका आधार लेकर तत्त्वज्ञानके प्रासाद रचे और हमारे लिए इस सवालको हल कर दिया है। 'महाभारत' ऐसा ही ग्रन्थ है, और मैं तो गिवन और मोटलेको 'महाभारत'के घटिया सस्करण ही मानूँगा। 'महाभारत'का अमर किन्तु अज्ञात ग्रन्थकार अपनी गाथामें अलौकिक तत्त्वोंको इस ढंगसे मिला देता है कि उसके शाब्दिक अर्थसे चिपटे रहनेके विरुद्ध आपको पर्याप्त चेतावनी मिल जाती है। गिवन और मोटले आपके दिलपर यह बात जमानेके लिए कि वे हमें सच्ची घटनाएँ और केवल सच्ची घटनाएँ ही बता रहे हैं, व्यर्थ ही जान मारते हैं। लॉर्ड रोजवरी इससे आपको बचा लेते हैं और कहते हैं कि जो अन्तिम शब्द पिटके कहे बताये जाते हैं, उनके बारेमें खुद उनका वावर्ची ही दूसरी बात कहता है। इन सारी गाथाओंका साराग इतना ही है नाम-रूप गौण वस्तु है। वे तो आते-जाते रहते हैं। जो शाश्वत है और इसलिए महत्त्वपूर्ण है, वह मात्र घटनाओंको दर्ज करनेवाले इतिहासकारकी पकड़में नहीं आता। सत्य इतिहाससे परे है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-९-१९२४

## ८७ पत्र : एक मित्रको

सावरमती

११ सितम्बर, १९२४

प्रिय मित्र,

मार्गदर्शने आपने दोन पत्र मुझे दे दिये हैं। उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे कोई रम नहीं है। विचारक समाजाले शामिल हो या न हो, स्वराज्य-प्राप्ति लक्ष्य भी चाहे तो गतिमत्त हो या अलग रह, पर मुझे तो यही लगता है कि हम लोग आपसे एक-दूसरेसे जनसहयोग कर रहे हैं। हमें उससे वचना होगा। फिर बातें सब अपने-आप ठीक हो जायेगा। पहले पत्रके बारेमें बस इतना ही कहना था।

अब दूसरे पत्रके बारेमें। मैंने मिलकुछ स्पष्ट कर दिया है कि अगर [एकताके लिए] नमराज चलता है तो आपको अपनी ही प्रेरणासे करना होगा। मैं तो केवल परिहाते उद्भूत सिद्धान्त ही गुना मकता हूँ। दान्ताने जीर देवधरने जुहमें बेशक बहानों-बातें नहीं दीं। मेरे ऊपर उन बातोंका अमर भी पडा, लेकिन उस तरहका नहीं जैसी आपने आग्रह है। उनकी बातचीतसे मैंने यही अनुमान लगाया कि सभी प्रमुख पदार्थ अहिंसा या गहरके काममें पूरा विश्वास नहीं रखते। श्री वापटका ही उदाहरण श्रीजिण। उन्ताने मूत्रपीपेटा आन्दोलनका नेतृत्व किया था। मैंने सत्याग्रहके सम्बन्धमें उनकी पुश्तिका पढी है। अहिंसामें उनका कोई विश्वास नहीं। श्री निम्बकरने श्रीजिण तो वे भी अहिंसामें विश्वास नहीं रखते। मैंने उनके भाषण सुने हैं और उनके लेख भी पढे हैं। उनके खिलाफ बार-बार गिफतयते आती रही है। लेकिन ये मामले ऐसे हैं कि इनमें अन्दरसे मुधारकी जरूरत है, हमारे समर्पणकी नहीं। नमराजका विचार तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकके काफी वादकी चीज है। यह विचार तो मेरे मनमें तब आया जबकि मैंने कुछ जहरीले लेख पढे। अगर हम सब फिरसे होने तब भी मैं सबको समर्पणकी ही सलाह देता। अपने सिद्धान्तपर आपका करनेका मतलब ही यह है कि हम पदोंका त्याग कर रहे हैं, सिद्धान्तोंका नहीं। सिद्धान्तोंका तो हमें अपने जीवनमें आचरण करना ही है। यद्यपि सत्याग्रहके राजनीतिक परिणाम भी निकलते हैं, फिर भी वह शुद्ध आध्यात्मिक अवधारणा ही है। उसका मार है मानवीयता। यह बहम-मुवाहिसेकी चीज नहीं है। यदि आपका आचरण ठीक है तो यह आपके विरोधीपर अज्ञात रूपसे प्रभाव जमाता रहता है। आप पद-त्याग करेगे भी तो इसीलिए कि आप पहलेसे कहीं अधिक अच्छा काम कर सकें। यह तरीका सामान्य तरीकोसे सर्वथा भिन्न है। मैं अपनी भाषाको जान-बूझकर अस्पष्ट नहीं बना रहा हूँ। बात यह है कि मैं जो-कुछ सोचता हूँ, वह मौलिक है,

अर्थात् यह तरीका मौलिक है। उसे सजीव ढंगसे व्यक्त करने लायक भाषा मेरे पास नहीं है और इसीलिए उसमें अस्पष्टता आ जाती है। पर इतनी बात तो आसानीसे समझमें आ जाती है कि यदि पदपर बने रहनेसे घृणा पैदा होती हो तो पदसे चिपके न रहे और यदि कोई पद आपको अनायास ही मिल जाये अर्थात् इस कारणसे मिले कि लोकमत बहुत प्रबल रूपसे आपके पक्षमें है तो उसे ग्रहण किये रहे। मुझे इस बातमें तनिक भी शक नहीं है कि सभी प्रान्तोंकी जनता उन्हीं लोगोंका साथ देगी जो मौजूदा सरकारके विलकुल खिलाफ खड़े हैं और जनताकी सेवाकी खातिर बड़ेसे-बड़ा त्याग करनेको तैयार हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे सेवक कांग्रेससे बाहर हैं या इसके अन्दर।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।  
सौजन्य नारायण देसाई

## ८८. पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पतिको

साबरमती

भाद्र शुक्ल १३ [११ सितम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

चि० इन्द्र,

तुमारा खत मुझे मिला है। भोपालके बारेमें मैं सविस्तर हकीकत चाहता हूँ। अत्याचारोंकी फेरिस्त अगर मिल सके तो मैं इस बारेमें जो कुछ हो सकता है तुरत करूँगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

[ पुनश्च ]

राय साहबका पत्र आ गया है। मौलाना साहबके खत या तारकी राह देखता हू।

मूल पत्र (सी० डब्लू० ४८६१) की प्रतिसे।

सौजन्य चन्द्रगुप्त विद्यालकार

## ८९. तार : कृष्णदासको

[ १२ मितम्बर, १९२४ ]<sup>१</sup>

कल सुवह दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ काम खतम करके सीधे दिल्ली आओ।

वापू

अग्नेजी प्रति (एम० एन० १०१६४) की फोटो-नकलमें।

## ९०. तार : बालमुकुन्द वाजपेयीको<sup>२</sup>

[ १२ मितम्बर, १९२४ ]<sup>३</sup>

यहाँके और दिल्लीके पतेपर पूरा विवरण तार द्वारा भेजिए। कल सुवह दिल्ली रवाना हो रहा हूँ।

गाधी

अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०४९२) की माइक्रोफिल्ममें।

## ९१. तार : अब्दुल बारीको

[ १२ मितम्बर, १९२४ ]<sup>४</sup>

मौलाना अब्दुल बारी माह्व  
फिरगी महल

आपके प्यारे लखनऊमें हिन्दू-मुसलमानोंके बीच क्या झगडा है? मैं जानता हूँ आप झगडा टालनेके लिए सब-कुछ करेंगे।

गाधी

अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०४९२) की माइक्रोफिल्मसे।

१ गाधीजी १३ सितम्बरको अहमदाबादसे दिल्लीके लिए रवाना हुए थे।

२ यह तार सयुक्त प्रान्तीय कांग्रेसके अध्यक्षकी हैसियतसे लखनऊसे भेजे गये श्री वाजपेयीके १० मितम्बरके तारके उत्तरमें दिया गया था। तार इस प्रकार था “हिन्दू मुसलमानोंके बीच बड़ा तनाव। स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक। मुसलमान नेता उदासीन। सहायता अविलम्बनीय।”

३ देखिए पाठ-टिप्पणी १।

४ इस तार और बालमुकुन्द वाजपेयीको भेजे गये तार (देखिए पाठ-टिप्पणी २) की विषय-वस्तुकी समानताको देखकर लगता है कि यह तार भी १२ सितम्बरको ही भेजा गया होगा।

## १२. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

दिल्ली जाते हुए  
१३ सितम्बर, १९२४

प्रियवर रा०,

मैं दिल्लीके रास्तेमे हूँ । मैं वहाँ झगडने जा रहा हूँ । मैंने एस० के नाम लिखा आपका पत्र पढा है । मैं उदास हूँ क्योंकि आप उदास है । क्या ही अच्छा होता, अगर आप मेरे साथ होते ! जब हमारे अन्दर इतनी फूट पडी हुई हे तब फिर आप इस तरह कैसे चला सकते है ? आप 'यग इडिया' के ताजा अकमे प्रकाशित मेरा लेख' पढे । जरूरत पडे तो पचास बार पढे, तब शायद आपके दिमागमे मेरा अर्थ स्पष्ट हो जायेगा । लेख सबसे अधिक आपके लिए ही लिखा गया है । एस० के नाम आपके पत्रसे ही मुझे उसे लिखनेकी प्रेरणा मिली । राष्ट्रीय कार्यक्रममे से वहिष्कारको फिलहाल हटा देनेका मतलब यह तो नही है कि हम उसे छोड रहे है । यदि हमारे अन्दर विश्वासका बल मौजूद है तो हम कभी भी उसे पुनरुज्जीवित कर सकते है । अगर हमे अपने ऊपर भरोसा है तो फिर मुलतवी करनेका मतलब विलकुल ही त्याग देना क्यों लगाया जाये ?

आपका,  
मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे ।  
सौजन्य नारायण देसाई

## १३. पत्र : फूलचन्द शाहको

भाद्रपद सुदी १५, १८८० [१३ सितम्बर, १९२४]

भाईश्री५ फूलचन्द,<sup>३</sup>

तुम्हारा पत्र मिला । तुमने नाम प्रकाशित करनेका जो सुझाव दिया है, उसपर मैं अगले महीनेसे अवश्य अमल करूँगा । श्याम बाबू, राजगोपालाचारी आदि अन्य अपरिवर्तनवादियोका सूत तो मिला है, किन्तु किसी भी प्रमुख स्वराज्यवादीका सूत नही मिला । मैं गिवलालभाईकी जमीनके बारेमे देखूँगा । काठियावाडके नाम मुझे

१. देखिए " वास्तविकताएँ ", ११-९-१९२४ ।

२. फूलचन्द कस्तूरचन्द शाह, सौराष्ट्रके एक राजनीतिक और रचनात्मक कार्यकर्ता ।

किसीने दिये ही नहीं। अब इस बार मैंने सुधार किया है। भाई केवलरामने<sup>१</sup> अभी कोई निश्चय नहीं किया है। तुम अन्त्यज आश्रमके वारेमे जो-कुछ करो सो बहुत सोच-विचार कर करो। मैं यह पत्र दिल्ली जाते हुए लिख रहा हूँ।

वापूके आशीर्वाद

भाईश्री फूलचन्द  
केलवणी मण्डल कार्यालय  
वडवान महर

गुजराती पत्र (मी० डब्ल्यू० २८२२) से।  
सौजन्य गारदावहन शाह

### १४. पत्र : राधा गांधीको

भाद्रपद सुदी १५ [१३ सितम्बर, १९२४]<sup>२</sup>

चि० राधा,

मैं यह पत्र दिल्ली जाते हुए लिख रहा हूँ। मुझे कदाचित् पन्द्रह-एक दिन लगेगे। मणिवहनके पेटमें दर्द है। उसका पता है मार्फत वल्लभभाई पटेल, वैरिस्टर। दिल्लीमें मेरा पता है मार्फत मीलाना मुहम्मद अली, 'कॉमरेड' कार्यालय, दिल्ली।

देवदास अहमदाबादमे ही रह गया है। रामदास भावनगर जा रहा है। कृष्ण-दाम, प्यारेलाल और महादेव मेरे साथ हैं।

वापूके आशीर्वाद

चिरजीव राधा  
मार्फत वीरा शिवलाल करसनजी  
लाल दरवाजाके पास  
राजकोट

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३४) से।  
सौजन्य राधावहन चौधरी

१ केवलराम जोशी, वडवानके दीवानके पुत्र ।  
२ ढाककी मुहरसे ।



## १५. पत्र : सन्मुखरायको

१३ सितम्बर, १९२४

भाई सन्मुखराय,

ब्रह्मचर्यका पालन करनेके लिए निम्न वाते आवश्यक हैं (१) एकान्त-सेवन; (२) अल्पाहार, (३) अच्छी पुस्तकोका अध्ययन, (४) नित्य मनन, (५) पर्याप्त शारीरिक और मानसिक श्रम, (६) मसालो और मादक द्रव्योका त्याग, (७) नाटकादि श्रृंगारमय वस्तुओका त्याग, (८) मानसिक रूपसे भी स्त्रीसगका त्याग, (९) स्त्रीके साथ एकान्तमे न मिलना, (१०) रामनाम अथवा ऐसे ही किसी अन्य नामका जप।

वापुके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

## १६. पत्र : शरद् कुमार घोषको

[ १३ सितम्बर, १९२४ के पश्चात् ]

आपका तार पाकर बड़ी खुशी हुई। मैं बड़ी उत्कटतासे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ईश्वर मुझे राह दिखाये। मैंने मोतीलालजीको दो पत्र लिखे हैं। सिद्धान्तके मामलेमे समझौता करनेका कोई सवाल ही नहीं उठता। आपका प्रस्ताव मुझे पसन्द आया है।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, १६-९-१९२४

१. यह पत्र सर्वेपेके सवाददाता शरद् कुमार घोषके १३ सितम्बरके तारके उत्तरमें भेजा गया था। तार इस प्रकार था: “. . . लगता है कि आप या तो स्वराज्यवादियोंके कार्यक्रमको, जिसमें उनका सरकारी ओहदे मजूर करना भी शामिल है, स्वीकार कर लेंगे और अपने रचनात्मक कार्यक्रम-मात्रसे ही सन्तोष कर लेंगे या फिर आप कांग्रेससे बिल्कुल ही बाहर निकल जायेंगे। हमें नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे। . . . जबतक आप कांग्रेसमें हैं, अपरिवर्तनवादियोंको कांग्रेसके पद प्राप्त करनेके लिए कोशिश करनी ही पड़ेगी। इसीलिए लगातार खीच-तान होती रहती है। आपके कांग्रेससे बाहर आ जानेपर अपरिवर्तनवादी लोगोंको भी बिना कोई सकोच-विकोच किये उससे बाहर आ जानेकी छूट मिल जायेगी। . . . ऐसी परिस्थितिमें तो हम लोग जो आपके अनुयायी हैं, सोचते हैं कि सबसे अच्छा पथी रहेगा कि आप और आपके अनुयायी कांग्रेस छोड़ दें और एक स्वतन्त्र सस्था बना लें। . . .”

## ९७. हिन्दू-मुस्लिम एकता

मुझे सूझती सभामें हिन्दू-मुस्लिम एकताके सम्बन्धमें कुछ बोलनेका मौका मिला था।' यद्यपि यह बात कि कितने ही नज्जनाने सगठन के विषयमें मेरे विचार जानने चाहे थे। उनके बाद मुझे एक सुन-मान नज्जनाता पत्र मिला। उसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे। अब मैं श्रेयस्वत हूँ कि सगठनमें भी एकजुटका भय दिग्दर्श देता है। वीमनगरका मातृ-पिता धर्मों का दूरा नहीं जाना जा सकता। मातृकमें कुछ उपद्रव हुआ है। कामगारोंमें भी कुछ तनाव ही है। उमरठमें श्रेयस्वत उर है। ऐसी ही हालत जब पानामे, जैसे भागलपुर (बिहार) में भी हो रही है।

यह सभार शि-व-दिन सम्भीर होना जा रहा है। एक बात तो शुरुआतमें ही स्पष्ट हो जाती चाहिए। यह बात बराबर कही जाती है कि इन झगडोंमें सरकारी शोभाता हाथ है। यदि यह आरोप सच हो तो मुझे दुःख होगा, ताज्जुव तो कुछ भी न होगा, क्योंकि सरकारकी तो नीति ही हममें फूट जानेकी है। इस-लिए यदि सरकार यह चाहती हो कि हम उठें-पगडे तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं। दुःख तो सरकार होगा कि अभीतक दोनों कोमे अपना-अपना हित नहीं समझ पाई है। जिन्हें उठें-पगडा करनेकी आदत पड गई है, उन्हीं लोगोंमें तीमरा पक्ष झगडा बन सकता है। शास्त्रों और अनियामों तो सरकारकी ओरसे झगडा कराये जानेकी बात अवगत नहीं। पुनी गर्द और मुन्नी मुसलमानोंमें भी लडाई कराये जानेकी बात भी नहीं गुनी। परन्तु वह हिन्दू-मुसलमानोंमें झगडा फसाद कराती है, ऐसा मन्देह जो भय नदा रहा है, क्योंकि दोनों जातियाँ बहुत बार लड चुकी हैं। जब हम लडनेका स्वभाव छोड देंगे तभी हम आसानीसे स्वराज्य ले सकते हैं, नहीं तो वह सम्भव है।

जबतक हिन्दू उठने रहेंगे तबतक झगडे भी होते ही रहेंगे। जहाँ डरपोक होता है वहाँ उरानेवाला हमेशा मित्र ही जाता है। हिन्दुओंको समझ लेना चाहिए कि जबतक वे उठते रहेंगे तबतक उनकी रक्षा कोई न करेगा। मनुष्यका डर रखना यह सूचित करना है कि हमारा ईश्वरपर अविश्वाम है। जिसे यह विश्वास न हो कि ईश्वर हमारे चारों ओर है, सर्वव्यापी है या जिनका यह विश्वास शिथिल हो, वह अपने बाहुबलपर विश्वाम रखता है। हिन्दुओंको दोनोंमें से एक बात प्राप्त करनी होगी। यदि ऐसा न करेंगे तो सम्भव है, हिन्दू जाति नष्ट हो जाये।

पहला मार्ग—केन्द्र ईश्वरपर विश्वास रखकर मनुष्यका डर छोड देना—अहिंसाका मार्ग है और उत्तम है। दूसरा मार्ग बाहुबलका है, यह हिंसाका मार्ग है। ममारमें दोनों मार्ग प्रचलित हैं और हमें दोनोंमें से किसी भी एकको ग्रहण करनेका अधिकार है। परन्तु एक आदमी एक ही समय दोनोंका उपयोग नहीं कर सकता।

यदि हिन्दू और मुसलमान दोनो बाहुबलका ही रारता ग्रहण करना चाहते हो तो फिलहाल शीघ्र स्वराज्य मिलनेकी आशा छोड देना ही उचित हे । यदि तलवारके रास्तेसे ही शान्ति प्राप्त करनी हो तो दोनोको पहले खूब लड लेना होगा और इसमे खूनकी नदियाँ बहेगी । दो-चार लोगोका खून करने या दस-पाँच मन्दिर तोडनेसे फँसला नही हो सकता । मैं सगठनके खिलाफ हूँ भी और नही भी हूँ । यदि सगठनका मतलब अखाडे खोलना और अखाडोके द्वारा हिन्दू गुण्डोको तैयार करना हो तो यह हालत मुझे तो दयाजनक ही मालूम होती है । गुण्डोके द्वारा धर्मकी अथवा अपनी रक्षा नही की जा सकती । यह तो एक आफतके बदले दूसरी, अथवा उसके सिवा एक और आफत मोल लेना हुआ । यदि ब्राह्मण, वैश्य आदि ही अखाडोके द्वारा अपनी शारीरिक उन्नति करे और अपनी रक्षा करनेके लिए तैयार हो तो मुझे कुछ भी आपत्ति नही हे । परन्तु मुझे तो यकीन हे कि उन्हे लडाई लडनेके लायक शक्ति प्राप्त करनेमे बहुत समय लगेगा । अखाडोके लिए अखाडे खोलना बिलकुल ठीक है । किन्तु मुसलमानोको लडाईमे शिकस्त देनेके लिए अखाडे खोलनेकी बात हमारी समस्याका हल नही हे—इसमे मुझे जरा भी शक नही ।

यदि हम मुसलमानोके दिलको जीतना चाहते हो तो हमे तपश्चर्या करनी होगी । हमे पवित्र बनना होगा । हमे अपने दोषोको दूर करना होगा । अगर वे हमसे लडे तो हमे उलटकर प्रहार न करते हुए हिम्मतसे मरनेकी कला सीखनी होगी । डर कर औरतो, बाल-बच्चो और घर-बारको छोडकर भाग जाना और भागते हुए मर जाना, मरना नही कहाता, बल्कि उनके प्रहारके सामने खडे रहना और हँसते-हँसते मरना हमे सीखना पडेगा ।

मैं मुसलमानोको भी यही सलाह दूँगा । परन्तु यह अनावश्यक है, क्योकि वे डरानेवाले माने गये है । सामान्य अनुभव यह है कि वे मारनेमे बहादुर है । इसलिए उन्हे हिन्दुओके बाहुबलसे बचनेका रास्ता दिखानेकी जरूरत नही रह जाती । उनसे तो यही विनती करनी होगी कि भाई आप अपनी तलवार म्यानमे रखे । अपने गुण्डोको अपने कब्जेमे रखकर शान्तिसे काम ले । मुसलमानोको हिन्दुओसे दूसरे भय भी चाहे हो पर उनको हिन्दुओसे आर्थिक भय तो अवश्य है । इसके सिवा उन्हे बकरीदके दिन अपने धार्मिक कृत्यमे रुकावट पडनेका भी भय है । परन्तु उन्हे हिन्दुओके हाथो पिटनेका डर हरगिज नही है । इसलिए मैं तो उनसे यही कहूँगा, आप लाठी या तलवारके बलपर इस्लामकी रक्षा नही कर सकते । लाठी या तलवारका युग अब चला गया । धर्मोकी कसौटी उनके माननेवालोकी पवित्रता ही होगी । यदि आप अपने धर्मकी रक्षा गुण्डोके हाथोमे सोप देगे तो आप इस्लामको भारी नुकसान पहुँचायेगे । फिर इस्लाम फकीरोका, खुदापरस्त लोगोका धर्म न रहेगा ।

यह तो साधारण विचार हुआ । मौलाना हसरत मोहानी कहते है कि मुसलमानोको हिन्दुओकी खातिर गायकी रक्षा करनी चाहिए और हिन्दुओको उन्हे अछूत न मानना चाहिए । वे कहते है कि उत्तर भारतमे मुसलमान भी अस्पृश्य गिने जाते है । मैंने मौलाना साहबसे कहा कि मैं तो ऐसी बातमे सौदा या अदला-बदला न करूँगा । मुसलमान यदि हिन्दुओकी खातिर गायकी रक्षा करना अपना धर्म समझे

तो वे गारागे रक्षा करें, फिर हिन्दू उनसे अच्छा सलूक करें या बुरा। यदि हिन्दू मुसलमानोंको अन्पक्ष मानते हों तो यह पाप है। मुसलमान चाहे गोवध करें या न करें, परन्तु हिन्दुओंको उन्हें अछूत नहीं मानना चाहिए अर्थात् स्पर्श आदिके वारेमें चारों पक्ष एक-दूसरेके साथ जैसा व्यवहार रखते हैं, हिन्दुओंको वैसा ही व्यवहार मुसलमानोंके साथ करना चाहिए। इस बातको मैं तो स्वयंसिद्ध मानता हूँ। यदि हिन्दू-धर्म मुसलमानोंके या अन्य धर्मियोंके तिरस्कारकी शिक्षा देता हो तो उसका नाश ही होगा। इसलिए किमी तरहका गीस किये बिना दोनोंको अपना घर साफ करना चाहिए। गायकी रक्षाके लिए मुसलमानोंसे दुश्मनी करना गायको मारनेका रास्ता है और दुश्मन पाप है। यदि विधर्मी लोग गोवध करें तो इससे हिन्दू धर्मका लोप न होगा। हिन्दू गायको न मारें, यह उक्त धर्म है। परन्तु क्या विधर्मियोंसे जबरदस्ती करके गायको छीन लेना उनका धर्म हो सकता है? हिन्दू लोग भारतमें स्वराज्य चाहते हैं, हिन्दू-राज्य नहीं। हिन्दू-राज्यमें भी यदि सहिष्णुताका स्थान हो तो मुसलमान और ईसाई दोनोंके लिए जगह होनी चाहिए। यदि उसमें दोनों जातियाँ ममज्ञ-बूझकर अपनी तुगीने गोकुली बन्द करें तो ही हिन्दू-धर्मकी शोभा मानी जायेगी। परन्तु मैं तो हिन्दुओंके लिए हिन्दू-राज्यकी इच्छा करना भी देशद्रोह मानता हूँ।

अब रहा बाजेका झगडा। बाजेका झगडा दिन-पर-दिन बढ़ता दिखाई देता है। एक पत्रमें जो मुझे सूत्रमें मिला था वह कहा गया है कि हिन्दू-धर्ममें बाजा बजाना अनिष्टायं नहीं है। इसलिए हिन्दुओंको चाहिए कि वे मुसलमानोंकी भावनाको आघात न पहुँचानेके लिये मसजिदोंके सामने बाजे बजाना बन्द कर दें। मैं चाहता हूँ कि यह बाजेकी बात उतनी ही आसान होती जितनी कि पत्र-लेखक बताते हैं। परन्तु हकीकत इसके खिलाफ है। हिन्दू-धर्मकी कोई भी विधि ऐसी नहीं है जो बिना बाजा बजाये हो सकती है। कितनी ही विधियाँ तो ऐसी हैं जिनमें शुरुसे अखीर तक बाजा बजाना जरूरी है। हाँ, इसमें भी हिन्दुओंको इतनी चिन्ता जरूर रखनी चाहिए कि मुसलमानोंका दिल न दुबने पाये। बाजा धीमे बजाया जाये, कम बजाया जाये तथा यह सब लेन-देनकी नीतिके अनुसार हो सकता है और होना चाहिए। कितने ही मुसलमानोंके साथ बातें करनेमें मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस्लाममें ऐसा कोई फरमान नहीं है जिनसे दूसरोंके बाजेको बन्द कराना लाजिमी हो। इसलिए मसजिदके सामने विधर्मियोंके बाजे बजानेसे इस्लामको धक्का नहीं पहुँचता। अतः यह बाजेका सवाल झगडेका मूल नहीं होना चाहिए।

ऐसा होते हुए भी कितनी ही जगह मुसलमान भाई हिन्दुओंके बाजे जबरदस्ती बन्द कराना चाहते हैं। यह स्थिति असह्य है। जो बात विनयसे कराई जा सकती है वह जोर-जबरदस्तीसे नहीं कराई जा सकती। विनयके सामने झुकना धर्म है, जोर-जबरदस्तीके सामने झुकना अधर्म है। यदि हिन्दू मारके डरसे बाजे बजाना छोड़े तो वे हिन्दू न रहेंगे। इस सम्बन्धमें सामान्य नियम इतना ही बताया जा सकता है कि जहाँ हिन्दुओंने ममज्ञ-बूझकर बहुत समयसे मसजिदके सामने बाजे बन्द करनेका रिवाज रखा है वहाँ उन्हें उसका पालन अवश्य करना चाहिए। जहाँ वे हमेशा बाजे बजाते

आये है वहाँ उन्हें बजानेका अधिकार होना चाहिए। जहाँ झगड़ेकी सम्भावना हो और तथ्योके बारेमे मतभेद हो वहाँ हिन्दू और मुसलमान दोनो पक्षोको पचोसे निर्णय करा लेना चाहिए।

जहाँ अदालतने वाजे बजानेकी मुमानियत की हो, वहाँ हिन्दू लोग कानूनको अपने हाथोमे न ले। मुसलमानोको भी हिन्दुओका वाजा बजाना जबरदस्ती बन्द करानेकी जिद छोड देनी चाहिए।

जहाँ मुसलमान विलकुल न माने अथवा जहाँ हिन्दुओके साथ जबरदस्ती होनेका अन्देशा हो और जहाँ अदालतसे वाजे बजानेकी मनाही न हो वहाँ हिन्दुओकी निडर होकर वाजे बजाते हुए निकलना चाहिए और मुसलमान चाहे कितनी ही मारपीट करे उन्हें उसे सहन करना चाहिए। इस तरह जितने वाजे बजानेवाले मिले सब वहाँ अपनी बलि दे दे। इससे उनके धर्म और आत्म-सम्मान दोनोकी रक्षा होगी।

जहाँ हिन्दुओमे इतना आत्मवल न हो, वहाँ उन्हें अपने बचावके लिए मारपीट करनेका अधिकार है। मरकर अथवा मारते हुए मरकर धर्मकी रक्षा करनेकी जहाँ जरूरत दिखाई दे वहाँ दोनो दलोको अदालत या सरकारकी शरणमे जानेका विचार छोड देना चाहिए। यदि एक पक्ष सरकारकी या अदालतकी सहायता ले तो भी दूसरेको वैसा न करना चाहिए। यदि अदालतमे गये विना काम ही न चले तो भी वहाँ झूठे सबूत हरगिज न दिये जाये।

मारपीटका यह कानून है कि पेट भरके मार खाने और मारनेके बाद दोनो लडनेवाले ठडे पड जाते है और दूसरोकी सहायता लेने नही जाते। जिस जगह दोनो पक्षोने लडनेका निश्चय किया हो वहाँ उन्हें पीछे वदला चुकानेका या औरोकी सहायता लेनेका विचार छोड देना चाहिए।

उन्हे एक मुहल्लेका झगडा दूसरे मुहल्लेमे न ले जाना चाहिए और स्त्रियो, बूढो, अपगो और बालकोपर तथा शान्त रहनेवाले लोगोपर हमला न करना चाहिए। यदि इतने नियमोका पालन होता रहेगा तो भी समझा जायेगा कि कुछ तो मर्यादा रखी गई है।

मुझे आशा है कि गुजरातके हिन्दू और मुसलमान सोचेगे, समझेगे और शान्तिकी रक्षा करेगे। मुझे आशा है कि उमरेठमे दगा होनेका भय अकारण सिद्ध होगा और दोनो जातियाँ पहलेसे मिलकर अपने मतभेद मिटा लेगी।

डरकर भाग खडा होना, मन्दिर छोडकर चला जाना या वाजे बजाना बन्द कर देना या अपनी रक्षा न करना, यह धर्म नही है, मनुष्यता नही है, यह तो नामर्दी है। अहिंसा वीरताका लक्षण है—भीरु, डरपोक मनुष्य तो यह जान भी नही सकता कि अहिंसा किस चिडियाका नाम है।

दोनो कौमोके सर्वसाधारण लोग समझदारीसे काम लेने लगे, हिम्मत रखना सीखे, जो डरते है वे डर छोड दे और जो डराते है वे डराना छोड दे—इसमे तो अभी समय लगेगा। इस बीच दोनो जातियोके समझदार लोगोको हर झगडेके मौकेपर पचायतके सिद्धान्तका पालन करनेका प्रयत्न करना चाहिए। समझदार वर्गकी

हालत नाजुक है। परन्तु उसे चाहिए कि वह अपनी सारी शक्ति सर्व-साधारणको शान्त बनाये रखनेमें ही लगाये।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, १४-९-१९२४

## ९८. असफलताके कारण

हम निर्धारित अवधिके भीतर स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि हम जिस स्थितिको समाप्त करना चाहते थे वह न्यून दिन-प्रतिदिन और अधिक जड़ पकड़ती जा रही है। हमें स्वराज्य तो नहीं मिला, उल्टे अब हमें स्वराज्यसे डर लग रहा है। हिन्दू कहते हैं, हमें स्वराज्य नहीं चाहिए, मुसलमान कहते हैं, हमें स्वराज्य नहीं चाहिए और ब्राह्मणोत्तर कहते हैं, हमें स्वराज्य नहीं चाहिए, तब स्वराज्य चाहिए किसको? जो राष्ट्र स्वतन्त्रतासे डरता है वह क्या राष्ट्र हुआ? तथापि आज हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही विचित्र हो गई है।

तो अब हम इसके कारणोपर विचार करें। यदि कोई मनुष्य बिना सोचे-मनने तेज दवा लेता है तो उसका परिणाम उलटा होता है। असहयोग भी तेज दवा है, इसलिए इसका परिणाम भी यही हुआ है। इसका उपयोग अमावधानीमें नहीं किया जा सकता। यदि इसका उपयोग करनेमें कोई भूल हो जाये तो गम्भीर हानि हो सकती है। पुत्र पितासे, पत्नी पतिसे और प्रजा राजासे सामान्य रूपमें तो सहयोग ही करते हैं। दोनोंके बीच प्रेमभाव होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं जब दोनोंमें परस्पर असहयोग होता है और वह होना भी चाहिए। यदि वह असहयोग द्वेषपूर्ण हो तो त्याज्य है, पाप-रूप है। पिता-पुत्रके बीच वैर नहीं हो सकता। लेकिन अगर वैर हो जाता है तो वह सामान्य वैरमें भयकर होता है। अंग्रेज और जर्मन चचेरे भाई हैं, लेकिन जब वे परस्पर लड़ पड़े तब एक तो तवाह हो गया। हमने ऐसे हिंसात्मक असहयोगको त्याज्य माना और इसलिए अपने असहयोगको 'शान्तिपूर्ण' असहयोग कहा और यह विशेषण जोड़कर उसके स्वभावको बिलकुल ही बदल डाला। हमारे शान्तिपूर्ण असहयोगको विनाशक नहीं बल्कि रचनात्मक होना चाहिए था। प्रेमकी लड़ाईमें से विष नहीं निकलना चाहिए। हम तो अंग्रेजोंके साथ भी सारा वैर मिटाकर उन्हें मित्र बनाना चाहते थे, लेकिन वैरा नहीं हो सका। हमारे असहयोगमें "शान्तिपूर्ण" विशेषण गौण होकर रह गया। हमारा असहयोग असमर्थ लोगोंका असहयोग सिद्ध हुआ। तिसपर भी इसके कई मुन्दर परिणाम निकले। हममें उत्साह बढ़ा, जनताको अपनी सत्ताका भान हुआ और ऐसा भी आता कि एक अमोघ शस्त्र हमारे हाथ आ गया, लेकिन हमें उसका पूरा-पूरा उपयोग करना नहीं आया।

इसलिए हम पीछे हटे। हमें ऊपर-ऊपरने प्रेमभाव बना-बना चला हुआ था, वह उड़ गया, असहयोग रह गया और हम सरकारके विरुद्ध पूरी तरह तय्य न हो

सके। इसलिए अब आपसमें ही एक-दूसरेसे असहयोग करने लग गये। हाथसे निकला शस्त्र कदापि वापस नहीं आता, अतः उसने हमारा ही सहार करना आरम्भ कर दिया। हिन्दुओं और मुसलमानों तथा स्वराज्यवादियों और अपरिवर्तनवादियोंने परस्पर असहयोग आरम्भ कर दिया। दोनोंके असहयोगमें शान्तिके स्थानपर अशान्ति और प्रेमके स्थानपर वैर है। दोनोंके दिलोंमें एक-दूसरेके प्रति अविश्वास है, द्वेष है। ऐसी स्थितिमें शुद्ध प्रेमको सबल हथियार माननेवाले लोगोंको क्या करना चाहिए। ऐसी स्थितिमें मेरे-जैसे अहिंसावादी होनेका दावा करनेवाले लोगोंका धर्म क्या है? मैं स्वराज्यवादियोंसे लड़नेमें सबसे आगे हूँ। उनकी विधान-परिषदोंमें जानेकी नीति मुझे तनिक भी पसन्द नहीं आई। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें मैंने उनका डटकर विरोध किया, लेकिन अन्तमें हार मान ली। मगर मैंने फिर लड़नेका इरादा जाहिर किया। मैंने यह मान लिया कि जब दोनों पक्ष मेरे शुभ उद्देश्यको जान जायेंगे तब वे फिर अपने-अपने कार्यमें निरत हो एक-दूसरेकी मदद करने लगे। लेकिन मेरा यह अनुमान गलत सिद्ध हुआ है। दोनोंके मन अशान्त हैं। बेलगाँवमें बहुमतके बलपर कांग्रेसपर कब्जा करनेकी तैयारियाँ की जा रही हैं। यह प्रेमकी निशानी नहीं है। जहाँ सैद्धान्तिक मतभेद हो, वहाँ बहुमतकी पद्धति काम नहीं देती। जहाँ दोनों पक्षोंमें अविश्वास आ जाता है, वहाँ वह दोनोंके बीच कटुताको बढ़ाता है। जहाँ मतदाता केवल अन्ध-श्रद्धासे ही मत देते हो और अपनी बुद्धिसे काम न लेते हो, वहाँ उन्हें सच्ची शिक्षा नहीं मिलती, अपितु उनका पतन होता है। जहाँ मतदाता भोले-भाले लोग होते हैं और सूक्ष्म बातोंको नहीं समझते वहाँ बहुमतकी पद्धति उनके नाशका कारण भी बन जाती है।

यह जानते हुए मैं कांग्रेसमें बहुमतके सिद्धान्तसे निर्णय कैसे करवा सकता हूँ? जो प्रतिनिधि आयेगे वे गुण और दोषकी जाँच न करके, भाषणकर्त्ताओंका मुँह देखकर ही मत देंगे।

ऐसी स्थितिमें मुझे अपने अहिंसा-धर्मपर दृढ़ रहकर लोगोंके सामने प्रेमका पदार्थ-पाठ प्रस्तुत करना चाहिए। मैं कांग्रेसका कारोबार अपने हाथोंमें रखनेके मोहमें नहीं पड़ सकता। यदि मैं विनम्रतापूर्वक दलीले देकर स्वराज्यवादियोंको नहीं समझा सकता तो मुझे सिर झुकाकर कांग्रेससे अलग हो जाना चाहिए। अहिंसावादी की पराजयमें भी उसकी जय ही होती है। अहिंसावादी सत्ताके लिए कदापि नहीं जूझेगा। अहिंसावादी अपने सिद्धान्तका प्रचार भी बहुमतके बलपर नहीं बल्कि आत्मबलसे करता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि यदि उसकी अहिंसा सच्ची होगी तो वह अकेला रहनेके बावजूद अन्तमें विजय प्राप्त करेगा अर्थात् यदि वह मृत्युपर्यन्त अपने सिद्धान्तका अनुसरण करता रहेगा तो अन्तमें उसके सिद्धान्तकी जीत अवश्य होगी। देहधारियोंमें सिद्धान्तका प्रचार करनेके लिए यही एक रास्ता है कि कोई उस सिद्धान्तको अपने जीवनमें मूर्तिमान करे। कहनेका तात्पर्य यह है कि सिद्धान्तके लिए किसी-न-किसीको तो अपने जीवनकी भेट देनेकी तैयारी रखनी ही चाहिए। अतः मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं सिद्धान्तकी खातिर तो स्वराज्यवादियोंके साथ बहुमतकी

रुझाईमे नही उतरंगा और जो लोग शान्तिपूर्ण असहयोगके पक्षमे है, उन्हें भी मैं यही मलाह देता हूँ। हमारे बीच जो गहरी दरार पड गई है, वह ऐसा करनेसे ही पट सकेगी। मैं तो केवल स्वराज्यवादियोंको ही नही बरन् सब पक्षोंको कांग्रेसमे भाग लेते हुए देगना चाहता हूँ। सरकारके विरुद्ध हमारा असहयोग तो तभी चमकेगा जब जनताका वज्र हिम्मा आपसमे हादिक सहयोग करेगा।

तब क्या कोई ऐसा कार्यक्रम है, जिनके सम्बन्धमे सभी पक्ष एकमत हो सके ? यह कार्यक्रम जनताके लिए आवश्यक होना चाहिए। मेरी दृष्टिसे ऐसे कार्यक्रममे तीन बातें आती हैं, त्यादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिन्दुओंके लिए अस्पृश्यता-निवारण।

ये तीनों बातें ऐसी है जिनमे से यदि कोई एक भी असिद्ध रह जाये तो मैं स्वराज्य अमम्भव मानता हूँ। अतः मेरे सुझाव ये हैं

१ कांग्रेसमे एक वर्षके लिए पाँच बहिष्कारोंमे से चारको मुलतवी रखे और केवल विदेशी कपडेका बहिष्कार कायम रखे। कपडेके अलावा ब्रिटेनके दूसरे मालका बहिष्कार भी वह रद कर दे।

२ कांग्रेसमे उपर्युक्त तीन कार्योंके अलावा मौजूदा राष्ट्रीय पाठशालाओंको चलाये और यदि सम्भव हो तो नई पाठशालाओंकी स्थापना करे। वह इनके अलावा किसी दूसरे काममें न पडे।

३ स्वराज्यवादी जोर दूसरे दल इस कार्यक्रमके बाहर जो काम करे उनमें कांग्रेस न तो उनकी मदद करे और न कोई विघ्न डाले।

४ कांग्रेसकी कार्यकारिणी-समितियों आदिमे कांग्रेसमें शामिल किसी भी दलके लोगोंके चुने जा सकनेकी छूट होनी चाहिए।

५ कांग्रेसका सदस्य बननेके लिए चार आना चन्दा देनेकी शर्त हटा दी जानी चाहिए और उनके बदले प्रत्येक सदस्यके लिए प्रति मास अपने हाथका कता २,००० गज सूत देने और प्रतिदिन आधा घटा सूत कातनेकी शर्त होनी चाहिए। सब सदस्य शुद्ध खादी पहननेवाले होने चाहिए।

इनमे पाँचवे सुझावके अलावा किसी और सुझावके बारेमे कोई मतभेद नही हो सकता। यदि हम विदेशी कपडेके बहिष्कारको तुरन्त पूरा करना चाहते हैं तो मैं पाँचवें सुझावको आवश्यक मानता हूँ। खादीका प्रचार अपेक्षाकृत कम होनेके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

- १ आलस्य,
- २ [चरखेके सम्बन्धमे] दक्षताका अभाव,
- ३ गरीबोंके दु खके प्रति उपेक्षा-भाव।

जिन्हें बहुत ज्यादा काम हो, उन लोगोंके बारेमे भी ऐसा नही कहा जाता कि वे देशके लिए प्रतिदिन आधे घंटेका समय नही निकाल सकते। हमें जो व्यर्थ ही समय खोनेकी आदत पड गई है, उसे कमसे-कम कांग्रेसमे शामिल होनेवाले लोगोंको त्याग ही देना चाहिए। चरखेके काममे दक्ष न होनेसे हम चरखेका प्रचार नही कर सकते।



इस कामके लिए अभी हमें बहुत थोड़े लोग मिलते हैं। लेकिन पाँचवे सुझावपर अमल करनेसे अवश्य ही हजारों स्त्री-पुरुष चरखा-शास्त्रमे पारगत हो जायेंगे।

यदि हममें गरीबोंके प्रति तनिक भी दया-भाव हो तो हम विदेशी कपड़ेको हाथ न लगायें और केवल हाथसे कती और बुनी खादीका ही उपयोग करें। नियमित रूपसे आधा घंटा सूत कातनेसे गरीबोंके साथ हमारा तादात्म्य निरन्तर बना रहता है और चूँकि ईश्वर हमेशा गरीबोंमे वास करता है, इसलिए इसके द्वारा ईश्वरसे भी हमारा सम्बन्ध स्थापित होता है। हम स्वराज्यकी जितनी कामना अपने लिए करते हैं, उतनी ही कामना यदि गरीबोंके लिए भी करते हो तो चरखा चलाना कांग्रेसमे शामिल होनेवाले प्रत्येक व्यक्तिका धर्म है। जब हजारों लोग चरखा चलाना अपना धर्म समझेंगे और उसका पालन करेंगे तब गरीब लोग भी अपनी कमाईमे वृद्धि करनेके लिए चरखा चलायेंगे। अनियमित रूपसे और अधूरे किये हुए बहुतसे कार्य निष्फल जाते हैं। केवल कातना ही एक ऐसा काम है जिसमे कोई हानि नहीं है। यह काम तो जितना कीजिए उतना ही फलदायी सिद्ध होता है। सूत तो जितना पाँच मिनटमे काता जा सकता है, उतनेको भी बेचा जा सकता है। लेकिन पाँच मिनटमे जितना कपड़ा बुना जा सकता है उतनेको नहीं बेचा जा सकता। यही बात पाँच मिनटमे धुनी रुईके साथ भी है। इसके अलावा यदि करोड़ों लोग बुनाई करे, तो सारे उत्पादनकी खपत नहीं हो सकती। जब करोड़ों लोग सूत कातेगें, तभी जनताकी जरूरत पूरी होगी। यदि हजारों स्त्री-पुरुष धर्मार्थ सूत कातेगें तो खादी महीन और सस्ती होगी। यदि ऐसा किया जाये तो छ मासके भीतर ही हमारे पास वारीक और अच्छा बटा सूत बड़ी मात्रामे इकट्ठा हो जाये।

इसपर कुछ लोग यह दलील दे सकते हैं कि यदि यह नियम रखा जायेगा कि केवल सूत कातनेवाले लोग ही कांग्रेसमे शामिल हो तो कांग्रेससे बहुतसे लोग निकल जायेंगे। तथ्य तो यह है कि आज भी हमारे रजिस्ट्रोमे बहुत कम लोगोंके नाम हैं। गुजरातमे अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा उनकी संख्या अधिक हो सकती है। लेकिन वहाँ भी बीस हजारसे कम सदस्य ही हैं। गुजरातमे ५० ताल्लुके हैं। इनमे से लगभग आधे ताल्लुकोमे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, जिसका नाम हमारे रजिस्ट्रोमे हो। मेरी मान्यता है कि अन्य प्रान्तोंकी हालत इससे ज्यादा खराब है। इसके अलावा इन नामोंका परिचय-मात्र दो अवसरोंपर ही होता है। एक चार आना उगाहते समय और दूसरे मत लेते समय। उनसे कांग्रेस कमेटियाँ अन्य ठोस काम नहीं लेती। कांग्रेसके रजिस्ट्रोमे हम जनताके सेवकोंके नामोंकी अपेक्षा रखते हैं। ऐसे सेवक ही कांग्रेसको जनसंस्थाका रूप दे सकते हैं। मान लीजिये कि हम कोई चन्दा लिए बिना अपने रजिस्ट्रोमे चार करोड़ नाम दर्ज कर ले। किन्तु उसका क्या उपयोग हो सकता है? लेकिन कल्पना कीजिए कि इसके बदले हमारे रजिस्ट्रोमे चार लाख कातने-वालोंके नाम दर्ज हो तो इन चार लाख लोगोंसे आध घंटेके श्रमका और थोड़ी-सी रुईका दान लेकर कांग्रेस जनताकी सेवा करनेवाली एक जोरदार संस्था बन सकती है। इन चार लाख लोगोंका प्रतिमास कांग्रेसके सम्पर्कमे आना कोई छोटी-मोटी बात

नहीं है। लेकिन प्रत्येक कातनेवालेके लिए घर बैठे-बैठे आध घंटे श्रम करना और घोड़े-भौ रुई दान देना अवश्य ही बहुत आसान और मामूली बात है। इस तरह बहुत-से लोगोंके अल्पश्रम और अल्पदानसे जनतामें ऐसी शक्ति आ सकती है, जिससे वह बड़े-बड़े काम कर दियामे। उसीसे मैं आगे मुजावकी कीमती समझता हूँ। और उन वानको काग्रेस स्वीकार करे या न करे, लेकिन मेरी कामना यह अवश्य है कि गुजरात इनपर स्वेच्छाने अमल करने लगे। जो प्रान्त, जो ताल्लुका इसके अनुसार कार्य करेगा वह घांटे ही समयमें उस प्रवृत्तिके शुभ परिणामोको देख सकेगा।

तब क्या अगहयोगियोंका अगहयोग बन्द ही हो जायेगा? ऐसी शका किसीको नहीं होंगी चाहिए। अगहयोगको माननेवाले असहयोगी तो अपने असहयोगको बढ़ायेगे ही, लेकिन वे अपने मतने विरुद्ध मत रखनेवालोको भी अपने दिलोमें स्थान देगे। यह कोई नई बात नहीं है। मैं शुरूमें ही यह बात समझाता आया हूँ। लोगोंने इस बातको नहीं समझा उसीने मैं असहयोग आन्दोलन और वहिष्कारको मुलतवी करके तथा सहयोगियोंको अपने साथ मिलानेका सुझाव देकर प्रेमके सिद्धान्तपर अमल करना चाहता हूँ। अदालतोंके वहिष्कारमें विश्वास रखनेवाले वकील वेशक वकालत न करे, किन्तु उन्हें वकालत करनेवाले वकीलोका काग्रेसमें आदरपूर्वक स्वागत करना चाहिए। वहिष्कारके मुलतवी किये जानेका अर्थ ही यह है कि वहिष्कारवादीको सहयोगियोंकी निन्दा करनेका कोई अधिकार नहीं रहा। यही बात कौंसिल-प्रवेगके लिए लागू होती है। काग्रेसमें कौंसिल-प्रवेगके पक्षपातियों और विरोधियों, दोनोको एक-सा स्थान और एक-सा अधिकार होगा। उन्हें बांधनेवाली उपर्युक्त चार बातें होगी। यह सच है कि काग्रेसमें विदेशी अथवा मिलके कपडे पहननेवालोके लिए कोई स्थान नहीं होगा। जो उन कपडेका व्यापार करता है अथवा किसी मिलका मालिक है, वह भी काग्रेसमें आ सकता है, लेकिन उसे स्वयं खादी पहनकर खादीकी महिमा स्वीकार करनी होगी, गरीबोंके साथ सहयोग करना होगा और चरखेके प्रचारमें मदद देनी होगी। विदेशी कपडेका वहिष्कार जनतन्त्रका शाश्वत अंग होगा, इसलिए यदि उसपर जोर न दिया जायेगा तो स्वराज्य मिलना असम्भव हो जायेगा। हमारी अपनी मिलोके कपडेका वहिष्कार नदाके लिए नहीं है, लेकिन हमारे मनसे इस कपडेका मोह जाना चाहिए और खादीको प्रधान पद मिलना चाहिए। इसलिए जबतक खादी और चरखेका व्यापक प्रचार नहीं होता तबतक काग्रेसके लिए मिलका कपडा भी त्याज्य होना चाहिए, इस बारेमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है।

लेकिन अगर मेरे इन विचारोंको भी स्वराज्यवादी स्वीकार न करे तो मेरा उत्तर सीधा-सादा है। तब भी मुझे लडकर काग्रेसपर अधिकार प्राप्त नहीं करना है।

यदि मैं उन्हें इतनी-सी बात भी नहीं समझा सकता तो स्वराज्यवादी काग्रेसपर भले अधिकार कर लें। मैं उन्हें इस कार्यमें मदद दूंगा और अन्य लोगोंको भी मदद देनेके लिए प्रेरित करूंगा। मैं खादी-प्रचारके बिना हिन्दुस्तानके दारिद्र्यका कोई उपचार नहीं देखता। इससे इस वस्तुका त्याग मेरे और सब भारतीयोंके लिए दुःखद होना चाहिए। यदि स्वराज्यवादियोंको यह कार्य भी पसन्द न आये तो मैं

झुककर उन्हें मार्ग दूंगा और खादीके प्रचारके लिए ऐसे साधनोंकी खोज करूंगा जो कांग्रेसके मार्गमें बाधक नहीं होंगे। इस घरसे वैमनस्यको मिटानेमें अपनी समस्त शक्तिका उपयोग करनेकी मेरी प्रतिज्ञा अडिग है, क्योंकि इससे हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य भी दूर होगा। लेकिन क्या गुजरात ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि मैंने खादीके प्रचार और उपयोगके बारेमें जो बातें कही हैं, कोई भी मनुष्यका उनका विरोध न करे। यदि गुजरातको खादीमें श्रद्धा हो तो वह इसे व्यापक करे। प्रभु उसे इस कार्यमें सहायता दे।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, १४-९-१९२४

## ९९. टिप्पणियाँ

### कातनेवालोंको निर्देश

अखिल भारतीय खादी बोर्ड द्वारा नियुक्त सूत-परीक्षककी ओरसे निम्न निर्देश मिले हैं। ये निर्देश प्रत्येक कातनेवालेको ध्यानमें रखने चाहिए ।

इसका तात्पर्य यह है कि महीन सूत कातनेवालोंको सूतकी परीक्षा किये बिना महीन सूत कातनेका प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि महीन सूत कच्चा रह जाये तो बिलकुल व्यर्थ हो जाता है। इसके सिवा यदि रुई लम्बे रेशेकी न हो अथवा उसकी पूनियाँ बनानेमें खास होशियारी न बरती गई हो तो महीन सूत कातनेका लोभ छोड़ देना चाहिए। ३० अकतक का सूत महीन सूत नहीं गिना जाता। यदि सूत २० से ३० अकतक का हो तो हम बहुत-सी रुई बचा सकते हैं और साड़ियाँ और धोतियाँ आदि, जो बहुत वजनदार होती हैं, हल्की और सस्ती बना सकते हैं।

### काठियावाड़ियोंसे क्षमा-याचना

मेरे पास जब कातनेवालोंकी सूची आई तब मुझे काठियावाड़ियोंका नाम कही भी दिखाई नहीं दिया। इससे मुझे दुःख हुआ और मैंने टीका की कि काठियावाड़से सूत बिलकुल नहीं आया है। दूसरे हफ्ते मेरे पास भूल-सुधारकी सूचना आई, जिसमें बताया गया था कि काठियावाड़के १३ नाम तो अवश्य थे, लेकिन वे प्रांतीय कमेटीकी सूचीमें जुड़ गये थे। मुझे यह भूल-सुधार प्रकाशित करनी थी, लेकिन मेरी यात्राके कारण यह नहीं हो पाया। सौभाग्यसे अब मेरे पास नये आँकड़े आये हैं। उनके अनुसार काठियावाड़के ६३ नाम हैं और कच्छके तीन नाम। इतने आँकड़े प्राप्त हुए हैं इसलिए मैं और अधिककी आशा करता हूँ और काठियावाड़ और कच्छसे क्षमा माँगता हूँ। काठियावाड़की आवादी २६ लाख कही जाती है और महागुजरातकी ९२ लाख है, अतः काठियावाड़का हिस्सा कमसे-कम एक चौथाई होना चाहिए। इसके वजाय काठियावाड़से ६३ लोगोंने और कच्छसे केवल तीन लोगोंने सूत भेजा है। यह

१. ये यहाँ नहीं दिये गये हैं

अधिक नहीं कहा जा सकता। उसमें मठडा आश्रमके २२, भावनगरके १७, राजकोटके १५ और अमरेलीके ५ नाम हैं। शायद इन आँकड़ोंमें भी सुधारकी गुजाइश ही, लेकिन अब इसी सूचीमें और ज्यादा स्थानोंके जुड़नेकी सम्भावना नहीं है। काठियावाड़के पास ऐसे माधन हैं कि यदि वह चाहे तो कातनेमें पहला स्थान प्राप्त कर सकता है। इनके बावजूद इतना कम सूत मिला है, इससे पता चलता है कि अन्य प्रान्तोंकी भाँति काठियावाड़में भी व्यवस्थाका अभाव है। धर्मार्थ कातनेवाले अधिक लोग नहीं मिल सकते, मैं यह बात नहीं मानता। जिन्होंने सूत भेजा है यदि वे लोग अधिक उद्योग करें तो कातनेवालोंकी सरयामें बहुत वृद्धि हो सकती है।

### प्रचार कैसे करे ?

यदि हम स्वेच्छासे सूत कातनेकी प्रवृत्तिको व्यापक करना चाहते हैं तो उनके लिए हमें कार्य-कुशलता और लगनकी आवश्यकता पड़ेगी। सूरतके एक बनिक् पन्जारके एक नवयुवक भाई रतनलाल साडवालाने लोकमान्य तिलककी जयन्तीके अवसरपर एक मण्डलकी स्थापना की है। उसे स्थापित हुए अभी एक मास ही हुआ है। इसका कार्य चरने, पूनियाँ तथा चरनेसे सम्बन्धित अन्य सामान मुहैया करना और चरनोंकी मरम्मत करना आदि है। यह मण्डल सूत कातनेवालोंके सूतको बुन भी देता है। जो लोग प्रति मान कमसे-कम तीन हजार गज सूत काते वे इस मण्डलके सदस्य बन सकते हैं। एक महीनेमें इसके २७ सदस्य बने हैं और इन्होंने २,२७,५०० गज सूत काता है। उसके दो सदस्य बुनाईका काम भी जानते हैं और कपडा बुनते हैं। यदि ऐसे मण्डलोंकी स्थापना स्थान-स्थानपर की जाये तो थोड़े ही समयमें कताईका प्रचार घर-घर हो जाये। पूनियोंकी कमी सब जगह देखनेमें आती है। छोटी धुनकीसे थोड़ी-सी रुई धुन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि स्वेच्छासे कातनेवाले सावधानी रने और अच्छी रुई चुने तो वे भी अच्छा महीन सूत कात सकते हैं। यह बात याद रखनी चाहिए कि एक सीमातक अर्थात् ३० अकतक महीन सूतके लिए कम रुईकी जरूरत होती है। और कम रुईका मतलब हुआ कम खर्च और कम धुनाई। इस तरह ३० अकतक का महीन सूत कातनेमें तिहरा लाभ है—कम रुई, कम मेहनत और कम वस्त। ऐसा समझना चाहिए कि जिस तरह कम रुई लगनेसे पैसा बचता है उसी तरह कम धुनाई होनेसे भी कम पैसा खर्च होता है।

### बुनाईके कामसे कमाई

काठियावाड़के एक भाईने, जिन्होंने स्वेच्छा और देश-प्रेमसे प्रेरित होकर बुनकरका धन्धा अपनाया है, अपनी कमाईके आँकड़े भेजे थे। वे बहुत सावधानीसे काम कर रहे हैं। अब पहलेके आँकड़ोंमें सुधार होनेपर वे लिखते हैं।

नौमिस्त्रियोंको मुसीबते तो झेलनी ही पड़ती है। लेकिन अनुभवसे सुधार करते रहनेपर ज्यादा मेहनत किये बिना भी आयमें वृद्धि की जा सकती है, इस बारेमें

१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें पत्र-लेखकने लिखा था कि यदि अच्छी किसमका सूत मिले तो आयमें कमसे-कम डेढ़ गुनी वृद्धि हो जाती है।

मुझे तनिक भी शका नहीं रही है। अनुभव हमारी छिपी शक्तियोंको प्रकाशमें लाता है और सौच-समझकर काम करनेसे समयकी बचत होती है। समयकी बचत धन ही है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-९-१९२४

## १००. पत्र : एनी बेसेंटको

मार्फत 'कॉमरेड' कार्यालय  
दिल्ली  
१४ सितम्बर, १९२४

प्रिय डा० बेसेट,

आपके पत्र और हमारी बातचीतके सम्बन्धमें आपकी टिप्पणीके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। आपका पत्र आनेपर मैंने आपको तार भेजा था कि 'यग इंडिया' पहले ही प्रकाशित हो चुका है। इसलिए मैं अब वह टिप्पणी एसोसिएटेड प्रेसको दे रहा हूँ। स्वराज्यवादियोंकी ओरसे अभी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस मामलेमें क्या कहेगी। फिर भी आगे जो-कुछ होगा, उसकी सूचना आपको देता रहूँगा।

आप जब भी चाहेगी, मैं अपने लडकेको तुरन्त अडयार भेज दूँगा। आपको कताई सिखाना वह अपना सौभाग्य मानेगा।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

## १०१. पत्र : आनन्दानन्दको

रविवार [१४ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्]<sup>१</sup>

भाईश्री ५ आनन्दानन्द,

शाह नामके एक सज्जनने 'यग इडिया' और 'नवजीवन' के चन्देकी टीका करते हुए पत्र लिखा था। यह पत्र मैंने तुम्हारे उत्तरके लिए भेजा था। उत्तर मुझे अभीतक नहीं मिला है। अब भेज देना।

मैं आज ८ नहीं, बल्कि ९ गैलियाँ भेज रहा हूँ। तुम पूरी तेजीसे छाप रहे हो, परन्तु लिखित सामग्रीके समाप्त होनेपर तो मैं तुम्हें बहुत कम सामग्री भेज पाऊँगा। लगता है कि मुझे आश्रममें आनेके बाद ही [लिखनेका] अवकाश मिल पायेगा। मैं प्रूफ सशोधित करके तो तुम्हें भेज दूँगा, लेकिन बादमें मैं बहुत कम सामग्री दे सकूँगा, इस बातका ध्यान रखना।

मैंने मुहम्मद अलीसे टाइप और अन्य बातोंके बारेमें बातचीत की है। उनका कहना है कि अभी तो जैसा चलता है वैसा ही चलने दिया जाये। मेरा ख्याल है, हमें इस सम्बन्धमें और कुछ नहीं कहना चाहिए।

व्यावसायिक पत्र-व्यवहार तो अच्छी तरह सँभाल कर रखते ही होंगे। यदि तुम्हें मुश्किल महसूस हो रही हो तो बताना।

मुझे लगता है कि हमारा व्यावसायिक व्यवहार अब और भी बढ़ेगा। अवन्तिकावाईका कहना है कि वे 'यग इडिया' के लेख और अनुवाद जब [बाँम्बे-] 'क्रॉनिकल' और 'नवाकाल' में पढ लेती हैं, 'यग इडिया' उन्हें उसके बाद मिलता है। ऐसा क्यों ?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी०एन० ७७५५) की फोटो-नकलसे।

१ पत्रमें मुहम्मद अलीसे टाइप और अन्य चीजोंके बारेमें बातचीत करनेकी जो चर्चा है उससे अनुमान होता है कि यह पत्र १९२४ में दिल्लीसे लिखा गया होगा। देखिए "पत्र आनन्दानन्दको", ८-९-१९२४।

## १०२. तार : अब्दुल बारीको

[ १४ सितम्बर, १९२४ के पश्चात् ]<sup>१</sup>

मौलाना अब्दुल बारी  
फिरगी महल  
लखनऊ

लखनऊ आनेके वारेमे हकीमजीसे सलाह की। हम इस नतीजेपर पहुँचे है कि मेरे लिए इस समय दिल्ली छोडना मुनासिब नही। इसलिए सोचता हूँ दोनो पक्षोके प्रतिनिधियोको यहाँ आ जाना चाहिए।

गाधी

अग्नेजी प्रति (एस०एन० १०४९२) की माइक्रोफिल्मसे।

## १०३. टिप्पणी

[ १५ सितम्बर, १९२४ ]

आधी रातका कतैया

मौलाना मुहम्मद अलीको अपनी प्रतिज्ञाका और अपनी जिम्मेदारीका कितना खयाल है, इसका अनुभव मुझे दिल्ली पहुँचते ही हुआ। १४ तारीखतक उनका २,००० गज सूत पूरा नही हुआ था। उसमे कोई ५०० गज सूत कातना बाकी था। इसलिए वे अपने दूसरे कामोको खतम करके आधी राततक सूत कातते रहे। यह भी सुना कि वे इस तरह रातमे अकसर कातते है। आज १५ तारीख है और उन्होने निश्चय किया है कि वे आज २,००० गज सूत पूरा कर देगे। यह टिप्पणी लिखते समयतक कुछ गज सूत कातना ही बाकी रह गया है। शामतक पूरा कर सकेगे या नही, यह सवाल नही। परन्तु ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि उन्हे अपना काम पूरा करनेकी चिन्ता कितनी है। मौलाना साहवको अनुभवसे मालूम होगा कि यदि वे अपने कामोमे अधिक व्यवस्था रखेगे तो वे अवश्य बिना दिक्कत सूत कात सकेगे। कातनेके आग्रहमे से ही व्यवस्था उत्पन्न होगी। मनुष्य अपने सोचे हरएक काममे ज्यो-ज्यो अधिक व्यवस्था रखता है, त्यो-त्यो उसे अनुभव होता है कि वह पहलेसे ज्यादा काम करता है और बहुत बार तो उसका समय बच रहता है। व्यवस्थित आदमी दूना काम करते हुए भी दूसरे काम लेनेके लिए तैयार रह सकता

१. गाधीजीके दिल्लीमें ठहरनेके उल्लेखसे। गाधीजी १४ सितम्बर, १९२४ को दिल्ली पहुँचे थे।

है। अव्यवस्थित आदमीका काम कभी पूरा नहीं होता। मुझे निश्चय है कि कातनेकी नियमित क्रियासे हर कतैया व्यवस्थित बनेगा और उसका समय बचेगा।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २१-९-१९२४

## १०४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको<sup>१</sup>

१५ सितम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

दिलको छू लेनेवाला तुम्हारा निजी पत्र मिला। मैं चाहता हूँ कि इन सब चीजोको तुम बहादुरीके साथ झेल लोगे। अभी तो पिताजी चिढ़े हुए हैं और मैं बिलकुल नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुझलाहट बढनेका जरा भी मौका दे। सम्भव हो तो उनसे जी खोलकर बातें कर लो और ऐसा कोई काम न करो, जिससे वे नाराज हो। उन्हें दुखी देखकर मुझे दुःख होता है। उनकी चिढ़ जानेकी प्रवृत्तिसे साफ जाहिर है कि वे दुःखी हैं। हसरत आज यहाँ आये थे। उनसे पता चला कि मेरे इस प्रस्तावसे भी उन्हें परेशानी होती है कि हर कांग्रेसीको कतार्ई करनी चाहिए। सचमुच मेरा मन होता है कि कांग्रेससे हट जाऊँ और तीनो काम चुपचाप करने लूँ। उनमे जितने भी सच्चे स्त्री-पुरुष हमे मिल सकते हैं, उन सबके खपनेकी गुजाइश है। लेकिन इससे भी लोगोको परेशानी होती है। पूनाके स्वराज्यवादियोसे मेरी बातचीत काफी देरतक हुई। वे कातनेको भी राजी नहीं हैं और मेरे कांग्रेस छोड़ देनेसे भी सहमत नहीं हैं। उनकी समझमे यह नहीं आता कि ज्यो-ही मैं, 'मै' नहीं रहूँगा मेरा कोई उपयोग नहीं रह जायेगा। यह स्थिति बडी दुरी है, मगर मैं निराश नहीं हूँ। मेरा ईश्वरपर विश्वास है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि इस घडी मेरा क्या धर्म है। इससे आगेकी बात मुझे मालूम नहीं। फिर मैं क्यो चिन्ता करूँ।

क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपयेका बन्दोबस्त करूँ? तुम कुछ कमाईका काम हाथमे क्यो न ले लो? आखिर तो तुम्हे अपने ही पसीनेकी कमाईपर गुजर करनी चाहिए, भले ही तुम पिताजीके घरमे रहो। कुछ समाचारपत्रोके सवाददाता बनोगे या अध्यापकी करोगे?

हृदयसे तुम्हारा,  
मो० क० गाधी

[ अंग्रेजीसे ]

ए बच ऑफ ओल्ड लेटर्स

१ जवाहरलाल नेहरूने इसके सम्बन्धमे लिखा था “मैने गांधीजीको यह लिखा था कि सर्वकी दृष्टिसे पिताजीके ऊपर भार बनना मुझे ठीक नहीं लग रहा है ओर मैं अपने पैरोपर खड़ा होना चाहता हूँ। मुश्किल यह थी कि मैं कांग्रेसका पूरे समय काम करनेवाला कार्यकर्ता था। मेरे पिताजीने जब यह सुना तो बड़े नाराज हुए।”



## १०५. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

मार्फत · मीलाना मुहम्मद अली  
'कॉमरेड' कार्यालय  
दिल्ली

१५ सितम्बर, १९२४

प्रिय राजगोपालाचारी,

आपका पत्र पढा, तभीसे मैं लगातार आपके वारेमे सोचता रहा हूँ। यह कैसी बात है कि मेरे उठाये गये कदमकी आवश्यकताको आप उतनी स्पष्टतासे नहीं देखते जितनी कि मैं देखता हूँ? मैं आपकी यह बात मानता हूँ कि अगर हम अपना कार्यक्रम चालू नहीं करा सकते तो कांग्रेसको छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कठिनाई यह है कि इसे छोड़ा कैसे जाये। मुझे तो बार-बार यही लगता है कि हमें स्वराज्यवादियोंको अटपटी स्थितिमे नहीं डालना चाहिए। वे एक ऐसी जरूरत पूरी कर रहे हैं जिसे महसूस किया जा रहा है। वे छोटी-मोटी राहते चाहने-वाले एक बहुत बड़े जन-समुदायका प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं। क्या हम इसमे अडचन पैदा करेंगे? हमारी प्रवृत्ति मुख्यत आध्यात्मिक है। इसकी शक्ति अप्रत्यक्ष रूपसे बढ़ती है और महज बहस-मुबाहिसो या मतदान करानेसे नहीं बढ़ती। अभी भी मैं अपनी बातको पूरी स्पष्टतासे व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। यह तो मैंने जो रास्ता अपनाया है और अपने सब लोगोंको जिसे अपनानेकी सलाह दी है, उसके पक्षमे दी जा सकनेवाली कई दलीलोमे से सिर्फ एक ही दलील पेश की है। जैसे भी हो, मुझे तो यही लगता है कि मैंने बिलकुल सही कदम उठाया है, यद्यपि मैं आपको उसके सही होनेका इस प्रकार यकीन नहीं दिला सकता कि आप सन्तुष्ट हो जाये। मैं जानता हूँ कि आपके और दूसरे लोगोंके लिए अपने-आपको इन आकस्मिक परिवर्तनोंके अनुकूल ढाल लेना कितना मुश्किल होगा। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? मैं जानता हूँ कि मैं अपने साथियोंकी निष्ठा और आस्थापर अनुचित दबाव डाल रहा हूँ। परन्तु अपनी अन्तरात्माकी बिलकुल स्पष्ट आवाजको दबा देनेकी अपेक्षा क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं है कि मैं यह कदम उठाऊँ? अगर मैं एक बार भी अपनी इस सचेतक (अन्तरात्माकी) आवाजको दबा दूँ तो फिर मैं किस कामका रह जाऊँगा। लेकिन यह सब तो यो ही प्रसंगवश लिख गया हूँ।'

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

१. साधन-सूत्रमें इसके आगे कोष्ठमें यह वाक्य लिखा हुआ है, "पत्रके शेष भागमें दक्षिण भारतमें चलनेवाले नाद-सहायता कार्यकी चर्चा है।"

## १०६. भाषण : 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिल्लीके उद्घाटन- समारोहके अवसरपर

१५ सितम्बर, १९२४

श्री गांधीने प्रेसका उद्घाटन करते हुए कहा कि मैंने उद्घाटन करनेके लिए सरदार मगर्लासहका आमन्त्रण बिलकुल निस्सकोच भावसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरी अपनी पक्की राय है कि देशकी वर्तमान परिस्थितिको देखते हुए यदि मेरा बस चले तो मैं 'मग इंडिया' के अलावा सभी समाचारपत्रोंको बन्द करा दूँ। लेकिन सिखोंके प्रति अपने प्रेमके कारण मुझे यह आमन्त्रण स्वीकार करना पडा। आज सिखोंकी स्थिति बड़ी कठिन है और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप ईश्वरपर अडिग विश्वास रखें। मुझे विश्वास है कि इतनी अच्छी साद्वृत्तमें शुरू किया जानेवाला यह समाचारपत्र इस दायित्वपूर्ण पेशेके योग्य सिद्ध होगा और इसका संचालन सचाई, नीति-कुशलता और निर्भयताके साथ किया जायेगा। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है और मुझे आशा है कि ऐसा कोई काम नहीं किया जायेगा जिससे आपके महान् नारे— 'सत्त श्री अकाल'—की गरिमापर आंच आये। इस पत्रमें प्रकाशित प्रत्येक शब्द और वाक्य तुला हुआ होना चाहिए। इतना ही नहीं कि इसमें असत्य कथनको स्थान न दिया जाये, बल्कि ऐसी भी कोई चीज इसमें नहीं जानी चाहिए जो परोक्ष रूपमें भी असत्यको पनपानेमें सहायक हो या सत्यपर पर्वा डालती हो। आपका धर्म सत्य और बलिदानकी शिक्षा देता है और मुझे आशा है कि श्री के० एम० पणिवकरके सुयोग्य और प्रबुद्ध सम्पादन तथा सरदार मगर्लासह-जैसे लोगोंके मार्ग-दर्शनमें यह पत्र इस शिक्षाको सिखो और भारतकी सेवाके लिए कार्य-रूपमें परिणत करेगा।'

[अग्नेजीसे]

हिन्दू, १७-९-१९२४

१ मशीन खराब हो जानेके कारण दरअसल हिन्दुस्तान टाइम्सका प्रकाशन एक सप्ताह बाद हो पाया था।

## १०७. तार : जमनादास द्वारकादासको<sup>१</sup>

[ १५ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात् ]

पत्र मिला। कांग्रेसका लक्ष्य स्वराज्य कायम है। कांग्रेसी सम्मेलनमें भाग लेंगे। कताईको अत्यावश्यक मानता हूँ। लिख रहा हूँ।

गांधी

अग्रजी प्रति (एस० एन० १०१७२) की फोटो-नकलसे।

## १०८. सन्देश : लाहौरके 'हिन्दू'को

[ १५ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात् ]<sup>२</sup>

प्रिय लाला करमचन्द,

लीजिए मेरा सन्देश

मैं आजकी परिस्थितिमें समाचारपत्रोंकी सख्या बढ़ानेके विरुद्ध हूँ। ज्यादातर समाचारपत्र तो केवल परेशानी ही पैदा कर रहे हैं और हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच तनाव बढ़ा रहे हैं। आपका समाचारपत्र हिन्दुओंका पत्र है। इसलिए अगर यह हिन्दुओं द्वारा मुसलमानोंकी खातिर अपने हरएक भौतिक हितके त्यागके सिद्धान्तको लेकर नहीं चलता तो कमसे-कम मैं तो उसका स्वागत नहीं कर सकता।

मो० क० गांधी

[ अग्रजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

१. यह जमनादास द्वारकादासके १५ सितम्बर, १९२४ के पत्रके उत्तरमें भेजा गया था।

२. महादेवभाईकी डायरी, खण्ड ६ में इस पत्रको चक्रवर्ती राजगोपालाचारीके नाम १५ सितम्बरके और मोतीलाल नेहरूके नाम १७ सितम्बरके पत्रोंके बीच स्थान दिया गया है।

## १०९. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

भाद्रपद वदी ३ [ १६ सितम्बर, १९२४ ]<sup>१</sup>

भाईश्री वल्लभभाई,

मेरा निश्चय तो इस पत्रके पहुँचनेसे पहले ही आप जान लेगे। आप सिंह हैं, इसलिए घबराये नहीं। अपना सोचा हुआ सब काम ज्यादा जोरोसे करते रहिये। किसीको घबराने न दे। मैं उपवास यही पूरा करना चाहता हूँ। मुझे डर है मणिवहन बहुत घबरायेगी। उसे समझाइय। मैं अलग पत्र नहीं लिख रहा हूँ।

बापू

भाईश्री वल्लभभाई पटेल, बैरिस्टर  
अहमदाबाद

[ गुजरातीसे ]

बापूना पत्रो २ - सरदार वल्लभभाईने

## ११०. टिप्पणियाँ

[ १७ सितम्बर, १९२४ से पूर्व ]<sup>२</sup>

किसी कांग्रेसीका सम्बन्ध नहीं

पाठकोको याद होगा कि 'सवर्ण महाजन सभा' के अध्यक्षने कांग्रेसियोपर लगभग उच्छ्रूल आचरण करनेका आरोप लगाया था। अब मुझे तीन ऐसे पत्र मिले हैं, जिनमे इस आरोपको साफ-साफ अस्वीकार किया गया है। एक पत्र सभाके सयोजकोने भेजा है। उस पत्रके कुछ अंश मैं नीचे दे रहा हूँ<sup>३</sup>

हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सभाका सचालन कांग्रेसके अनुयायियोंके तत्वावधानमें नहीं हुआ था। यह मध्य त्रावणकोरके सवर्ण हिन्दुओकी सभा थी। इसका आयोजन चंगनूरके सबसे प्रमुख-प्रतिष्ठित ब्राह्मण जर्मींदार, वजीपुल्लाके प्रधानके कहनेपर कुछ प्रतिनिधि सयोजकोने किया था। इन

१ पत्रमें गांधीजीके निश्चयका उल्लेख है, यह निश्चय अनुमानत हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए किये गये २१ दिनोंके उपवासका है, जो ता० १७ की रातसे प्रारम्भ हुआ था।

२ अन्तमें दी गई सम्पादकीय टिप्पणीसे।

३ गांधीजी द्वारा मूल अंग्रेजीमें उद्धृत सभी अंश यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं।

संयोजकोंमें से चार तो वहींके ब्राह्मण थे और शेष तीन नय्यर। इनमें से कोई भी कांग्रेसका अनुयायी नहीं था।

...

...

...

हम आपको सूचित कर देना चाहते हैं कि वाइकोम-सत्याग्रहके सम्बन्धमें त्रावणकोरमें आम तौरपर शुद्ध अहिंसाकी भावना व्याप्त है।

पत्रमें 'यग इडिया' में उल्लिखित आरोपका पूरा और साँगोपाँग खण्डन किया गया है। लेकिन, चूँकि इस सभाका आयोजन स्पष्टतः कांग्रेसियोंने नहीं किया था और जनसाधारणको इस खण्डनकी तफसीलोमें कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, इसलिए बातको संक्षेपमें कहनेके लिए मैंने पत्रका अधिकार छोड़ दिया है।

### किसीके जरिये नहीं

एक सज्जनने लिखा है कि उनकी माँ कताईमें बहुत कुशल है और वे हर रोज लगभग २० तोला सूत कात लेती हैं। कताईके सम्बन्धमें प्रस्ताव पास होनेपर उन्होंने अपनी माँसे कताई सिखानेको कहा। बेचारी माँसे कुछ कहते नहीं बना। उनका खयाल था कि उनका सूत कातना ही उनके परिवार-भरके लिए पर्याप्त है, विशेषकर इस कारण कि एक व्यक्तिसे एक महीनेमें जितना सूत कातनेकी अपेक्षा रखी जाती है उससे दुगुना तो वे हररोज कात लेती हैं। यदि इस प्रस्तावमें सिर्फ मात्राको ही उद्देश्य रखा गया होता तब तो उनकी दलीलका कोई जवाब नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो अपनी एवजमें किसी दूसरेसे नहीं कराये जा सकते। हमारे बदलेमें कोई दूसरा नहा ले या पढ़ ले या प्रार्थना कर ले — ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता है कि हमारे बदले कोई दूसरा व्यक्ति सूत काते, क्योंकि यहाँ उद्देश्य तो यह है कि हरएक व्यक्ति खुद कताई करके गरीबोंके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करे। विचार यह है कि हर आदमी एक व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करे और हमारा मन्तव्य यह है कि इस कलाको इतने लोग सीख ले कि इस सरल प्रणालीसे हम हाथके बने कपडेको मिलके बने कपडेके साथ स्पर्धा करने लायक सस्ता बना दे। उस नेक माताने अपने पुत्रके सूत कातनेपर जो आपत्ति की उसके पीछे निःसन्देह यही भाव रहा होगा कि कताई तो स्त्रियोंका काम है। यह सही है कि आम तौरपर स्त्रियाँ ही यह काम करती हैं। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि कुछ ऐसे हलके-फुलके काम हैं, जिनके लिए स्त्रियाँ पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त हैं। लेकिन, इसी कारण यह कहना कि ये काम पुरुषोंकी शानके खिलाफ हैं या ये पुरुषोंको स्त्रैण बना देते हैं, घोर अन्धविश्वासका द्योतक है। खाना पकाना मुख्यतः स्त्रियोंका काम है, लेकिन हर सिपाहीके लिए न केवल खाना पकाना जानना जरूरी है, बल्कि जब वह ड्यूटीपर रहता है, उस समय उसे सचमुच अपना खाना आप ही पकाना पड़ता है। आज दुनियामें जो अच्छेसे-अच्छे पाक-कलाकुशल लोग हैं वे पुरुष ही हैं। स्त्रियाँ आदत अथवा स्वभावसे घरकी रानी होती हैं। उन्हें ऐसा नहीं बनाया गया है कि वे कोई बड़े पैमानेपर सगठनकी अपेक्षा रखनेवाला काम करे।

चूँकि वे, जो जैना हैं, उनके उर्मी रूपसे सन्तुष्ट रहती हैं और उसे कायम रखना चाहती हैं, इसलिए उनमें आविष्कारका प्रवृत्ति नहीं होती। इसके विपरीत, पुरुष वर्तमानमें असन्तुष्ट रहते हैं और उनका झुकाव अकसर तोड़-फोड़की ओर रहता है, इसलिए उनमें आविष्कारकी प्रवृत्ति होती है। यह बात चाहे सर्वत्र लागू होती हो या नहीं, लेकिन उन तन्मये तो कोई उनकार नहीं कर सकता कि सभी बड़े-बड़े आविष्कार पुरुषोंने ही किये हैं। हमारे कताई-कार्यका भी सगठन पुरुष कर्तव्योंने ही किया है। उन्होंने ही इन यन्त्रोंमें तमाम जरूरी सुधार किये हैं। तो हम चाहे जिस दृष्टिकोणमें देखें, जन्मका कताईका इतना प्रचार नहीं हो जाता कि वह हमारे गाँव-गाँवमें पुनः प्रतिष्ठित हो जाये और हम विदेशी रूपकेका पूरा बहिष्कार कर सकें, तबका भावमें तब-तब जितनी जरूरी नियोक्तोंके लिए है उतनी ही पुरुषोंके लिए भी है।

(जार्ज्जिन दोनों टिप्पणियाँ गार्गीजीने उपवाससे पहले ही लिखी थी।)

[जोर्ज्जिन]

यग इडिया, २५-९-१९२४

## १११ जेलके अनुभव — ११ [ चालू ]

मेरा पठन [ - ३ ]

[ १७ मितम्बर, १९२४ से पूर्व ]

एक प्रिय मित्रजी भेजी हुई एक छोटो-सी परन्तु मूल्यवान पुस्तकका भी उल्लेख करना मुझे भूलना नहीं चाहिए। यह पुस्तक है, जैकब बोहमन-कृत 'सुपरसेन्सुअल डाइफ' (अतीन्द्रिय जीवन) उनके कुछ आकर्षक उद्धरण पाठकोंके सम्मुख रख रहा हूँ। ये मैंने पुस्तकमें से उतार लिये थे।

तेरी अपनी श्रवणेन्द्रिय और तेरी इच्छा ही तुझे प्रभुके श्रवण और दर्शनमें बाधक होती है।

यदि तू प्राणिपोंपर अपने आन्तरिक स्वभावकी गहराईसे नहीं, केवल बाहर-से ही राज्य करता है, तो तेरी इच्छा, तेरा ज्ञासन पाशविक और जड है।

तू वस्तु-मात्र जैसा है और ऐसी एक भी वस्तु नहीं जो तेरे जैसी न हो।

यदि तुझे वस्तु-मात्र जैसा बनना हो तो तुझे तमाम वस्तुओंका त्याग करना चाहिए।

तेरे हाथ और तेरी बुद्धि भले ही काममें लगी रहे, परन्तु तेरा हृदय तो ईश्वरमें ही तल्लीन रहना चाहिए।

स्वर्गका अर्थ है, अपनी इच्छा-शक्तिको भगवानके प्रेमकी प्राप्तिमें नियोजित करना।

नरकका अर्थ है, भगवानका कोप मोल लेना।

अपनी बेतरतीब-सी नोट-बुकके पन्ने पलटते हुए, दूसरी पुस्तकोके पठनके दौरान सगृहीत कुछ और उद्धरण भी यहाँ दे रहा हूँ।

उनमें से निम्नलिखित अश सत्याग्रहियोंके कामका है.

जो द्वेष, उपहास और गालियोंके भयसे मौन धारण करके उस सत्यसे पीछे हट जाते हैं जिसका शोध और मनन उनका धर्म है, वे गुलाम हैं।

दो या तीन आदमियोंके साथ खिलफर जो सत्यकी हिमायत करनेका साहस न करे, वे गुलाम हैं।— लॉवेल ('टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज' से)।

इसी विषयसे सम्बन्ध रखनेवाला एक और उद्धरण क्लॉड फील्डके 'मिस्टिक्स ऐंड सेट्स ऑफ इस्लाम' से देता हूँ

जब शाहजहाँके क्रोधसे बचनेके लिए सूफी शाह मुल्लाशाहको भाग जानेकी सलाह दी गई, तो उन्होंने कहा, "मैं कोई पाखण्डी नहीं हूँ जो भागकर अपनी जान बचाऊँ। मैं एक सत्यवक्ता हूँ। मृत्यु और जीवन मेरे लिए समान हैं। मैं तो चाहूँगा कि अगले जन्ममें भी मैं अपने खूनसे सूलीको रग दूँ। मैं अमर और अनश्वर हूँ; मृत्यु मुझसे भय खाती है, क्योंकि मेरे ज्ञानने मृत्युको जीत लिया है। मैं उस धामका निवासी हूँ जहाँ सब रग मिटकर एक हो जाते हैं।" सन्सूरी हलाजने कहा है, "बँधे हुए व्यक्तिके हाथ काट देना आसान है, परन्तु मुझे भगवानसे जोडनेवाले बन्धनको काटना सचमुच बड़ा ही कठिन काम है।"

एक और उद्धरण लॉवेलसे देता हूँ। यह दाताओको मलावारके पीडितोंके लिए उदात्त भावनासे अपनी अच्छीसे-अच्छी वस्तु देनेकी प्रेरणा प्रदान करे।

ईसाके पवित्र भोजनकी क्रिया करनेका अर्थ यह नहीं कि जो तगीमें हो उसे केवल फुछ दे दिया जाये; उसका अर्थ यह है कि हमारे पास जो हो उसमें से उसे हिस्सा दिया जाये। दाताकी भावनाके बिना दान व्यर्थ है। दानके साथ जो अपना तन, मन भी देता है वह तीन आदमियोंका पोषण करता है— अपना, भूखे पडोसीका और मेरा भी।

अहिंसा धर्मके माननेवालोको निम्नलिखित वाक्यसे बल मिलेगा

"किसीका बुरा चाहना, बुरा करना, बुरा बोलना या बुरी कल्पना करना, सबके लिए समान और निरपवाद रूपमें निषिद्ध है।" टर्टुलियन—

(जे० ब्रीअर्ली-कृत 'अवरसेल्वज ऐंड द यूनियर्स' से)

अन्तिम पुस्तके, जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, कर्निधम-कृत मेकॉलिफ-कृत और गोकुलचन्द नारग-कृत सिखोंके इतिहास हैं। ये सब पुस्तके अपने-अपने ढंगकी अच्छी कृतियाँ हैं। सिखोंके पूर्व-इतिहास और उनके गुरुओंके जीवनको समझे

विना, सिखोंकी मीजूदा लड़ाईका रहस्य समझना असम्भव है। कर्निधमकी पुस्तक सिख-युद्धोंके मूल-कारणोंका सहानुभूतिपूर्वक लिखा गया इतिहास है। मेकॉलिफके इतिहासमें सिख-गुरुओंके जीवन-चरित्र हैं। इसमें उनकी रचनाओंसे विस्तृत उद्धरण दिये गये हैं। यह पुस्तक बड़े सुन्दर ढंगसे छपी हुई है। परन्तु अंग्रेजी शासनकी वेहद तारीफ और सिख-धर्मको हिन्दू-धर्मसे सर्वथा भिन्न बतानेके आग्रहके कारण इस पुस्तकका महत्त्व घट जाता है। गोकुलचन्द नारगकी पुस्तक एक ऐसा प्रबन्ध है जिसमें ऐसी बहुत सी जानकारी है, जो ऊपरकी दोनों पुस्तकोंमें नहीं मिलती।

जेलके अपने अध्ययनका व्यौरा पूरा करनेसे पहले मैं विद्यार्थी-पाठकोंको नियमित रूपसे कार्य करनेकी उपयोगिता तथा शुष्क विषयोंको रुचिकर बनानेके ढंगके बारेमें दो शब्द कहना चाहूँगा। मेरा कुछ ऐसा इरादा था कि अपने ही अध्ययनके उपयोगके लिए 'गीता' की एक शब्दानुक्रमिका तैयार कर लूँ। शब्द और उनके सन्दर्भ लिखने और उनके दो-दो बार अनुक्रम तैयार करनेका काम बहुत रुचिकर नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि अपने कारावासके दौरान ही यह काम कर डालूँ। फिर भी इस कामके लिए बहुत समय देना मुझे पसन्द नहीं था। मेरे कार्यक्रममें इसके लिए कोई समय नहीं था। इसलिए मैंने रोज केवल २० मिनट इस कामके लिए देनेका निश्चय किया। जब इस कामको इतने थोड़े समयतक करने लगा तो पहले जो मुझे यह अवसर था, वह स्थिति समाप्त हो गई। उल्टे रोज मैं प्रतीक्षा करता रहता था कि उस कामका समय कब आता है। जब दुबारा उसकी अनुक्रमिका बनानेका समय आया तब तो मैं उसमें तल्लीन ही होने लगा। जिन्हे इस बातमें जिज्ञासा हो वे स्वयं ही इसका प्रयोग करके इसका गुरु समझ सकते हैं। जिन शब्दोंका अनुक्रम मुझे तैयार करना था, उन्हें पहले तो मैंने उनके आद्याक्षरोंके अनुसार इकट्ठा किया। परन्तु प्रत्येक अक्षरके अन्तर्गत शब्दोंको उनके अक्षरानुक्रमके अनुसार कैसे विठाय जाये, यह प्रश्न बड़ा पेचीदा हो गया है। मैंने कभी शब्द-कोष तैयार नहीं किया था। इसलिए मुझे स्वयं ही इसका तरीका सोच निकालना था और जब मैंने यह तरीका निकाल लिया तो बड़ा खुश हुआ। यह तरीका इतना सुन्दर था कि वह काम बड़ा रुचिकर बन गया। तरीका बड़ा सुघड और अचूक था और इससे काम भी जल्दी निबट जाता था। यह सारा काम पूरा करनेमें मुझे अठारह मास लगे। आज इस शब्दानुक्रमकी मददसे मैं तुरन्त जान सकती हूँ कि 'गीता' में कोई शब्द कहाँ और कितनी बार प्रयोग किया गया है। शब्दोंके साथ उनके अर्थ भी दिये गये हैं। यदि किसी समय मैं 'गीता' पर अपने विचार लिख पाया तो मैं यह शब्दानुक्रम और विचार दोनों जनताके सामने रखना चाहता हूँ।'

(इसे गाधीजीने उपवासके पहले लिखा था)

[अंग्रेजीसे]

यग इडिया, २५-९-१९२४

१ यह कोष नरजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबादकी ओरसे गीता पदार्थ-कोषके नामसे गुजरातीमें प्रकाशित हुआ है। उसमें 'गीता'के प्रत्येक पदका उसके अर्थ-सहित स्थान निर्देश किया गया है।



## ११२. पत्र : मुहम्मद अलीको

बुधवार [१७ सितम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

प्यारे भाई,

मैं जानता हूँ कि मेरे फैसलेसे आपको सबसे ज्यादा दुःख पहुँचेगा। फिर भी मैं नहीं चाहता कि आप इस फैसलेसे पीछे हटनेकी सम्भावनाके बारेमें मुझसे कोई बात चलाये। यह तो मेरे ओर ईश्वरके बीचका मामला था। हाँ, इस फैसलेकी अच्छाई-बुराईके बारेमें आप जी-भरकर बहस कर सकते हैं। कृपया, इसे लेकर आसू मत बहाये, वरना आप इसे मेरे लिए बरदाश्तसे बाहरकी चीज बना देगे। बल्कि आपको खुशी मनानी चाहिए कि ईश्वरने मुझे राह दिखाई है और इसपर चलनेकी शक्ति भी दी है। हमारे बीच जो मतभेद है उसे दूर करनेकी दिशामें मैं जो भी प्रगति करूँगा वह मेरे लिए भोजनसे कहीं ज्यादा पोषक होगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-९-१९२४

## ११३. मौन-दिवसकी टीप

बुधवार [१७ सितम्बर, १९२४]

. . . घर<sup>१</sup> पहुँचनेपर मैंने<sup>१</sup> महात्माजीपर हकीम साहब, डा० अंसारी, शौकत तथा मुझ-जैसे कई साथियोंके साथ बेवफाई करनेका इन्जाम लगाना शुरू किया और जी भरकर अपने मनकी भडास निकाली। महात्माजीका मौन-व्रत खत्म नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने सिर्फ मुस्कराते हुए एक पर्चीपर इतना लिख दिया :

आपने जो-कुछ कहा, आपको यह सब, बल्कि इससे ज्यादा भी कहनेका हक है। पहले आपका दिमाग ठण्डा हो जाये, फिर मैं आपसे रात-भर बातें करूँगा। बस इतना याद रखिए कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें खुदा और वन्देके बीच कोई तीसरा नहीं होता।

उससे कुछ ही देर पहले उनके एक साथीने मुझे एक पर्ची<sup>१</sup> दी थी, जो उन्होंने अपने हाथसे लिखी थी और जिसपर उर्दूमें उनके दस्तखत थे। . . .

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-९-१९२४

१. अपने हाथसे लिखे इस पत्रपर गाधीजीने उर्दूमें हस्ताक्षर किये थे। देखिए अगला शीर्षक।

२. मुहम्मद अलीके घर।

३. मुहम्मद अली।

४. देखिए पिछला शीर्षक।

# ११४ पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

दिल्ली

१७ गितम्बर, १९२४

प्रिय मित्र,

मेरे विचारों को तब तक जान लीजिए। तार्किक पारंगता और ईश्वरगने यथासम्भव  
सबसे अधिक विचारों के साथ ही ही वह विचार विचार है। प्रायः ऐसा है कि कमसे-कम  
२१ विचारों के साथ ही मैंने अपना ही मत लिखा। आह! जब सबसे कारण मुझे कितनी  
दुःख हुआ है। वह विचार भागी सजाए जा रहा है। किन्तु जब तो मेरे मनको  
विचार ही नहीं विचार पायेगी। मैं अपने सत्यता काष्ट नहीं पानेके लिए व्याकुल  
हूँ। अतः विचार नहीं धरता है। तब भी मैं मनुष्य अपना जीवन देनेके अधिक  
करता हूँ।

आपका प्रेमी,

तुम्हारा,

मोहन

सी० एफ० एन्ड्र्यूज

दिल्ली

१९२४

१० गी०

अपने पत्र (सी० एफ० २९१३) की फोटो-नकलें।

## ११५. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

दिल्ली

१७ सितम्बर, १९२४

प्रिय मोतीलालजी,

आपका तार मिला। कमसे-कम अभी कुछ दिन तो दिल्लीमे हूँ ही। इसलिए जब भी आप और श्री दास दिल्ली आये, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी। अब तो मैंने गोता लगा दिया है, जो आखिरी भी साबित हो सकता है। मेरा २१ दिनका उपवास आजसे प्रारम्भ है। मैंने धर्मको इसी रूपमे समझना सीखा है।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[अग्नेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।  
सौजन्य . नारायण देसाई

## ११६. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

भाद्रपद बदी ४ [१७ सितम्बर, १९२४]

कामके बारेमे तुम्हे महादेव लिखेगा। तुम्हे मेरे उपवाससे दुःखी होनेकी बजाय प्रसन्न होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर भी धर्मका पालन करता है तो उससे उसके स्नेही जनको प्रसन्नता ही होनी चाहिए। यहाँ दौड़ आनेकी तुम्हे जरूरत नहीं है। अभी तो सब आयेगे। हाँ, अन्तिम सप्ताहमे जरूर आ जाना, यदि उस समय तारामतीकी तवीयत अच्छी हो तो।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी

१. मथुरादास त्रिकमजीकी दी हुई तियि।

## ११७. पत्र : वसुमती पण्डितको

भाद्रपद वदी ४ [ १७ सितम्बर, १९२४ ]<sup>१</sup>

चि० वसुमती,

तुम्हारा कांटं मिला। कटिस्नान ठंडे पानीसे ही किया जाता है। उसका सामान्य स्नानमें कोई नम्रव्य नहीं है। लेकिन यह भोजनके कमसे-कम तीन घंटे बाद किया जाता है और इसके एक घंटे बादतक कुछ नहीं खाया जाता। कटिस्नान करते समय पाय जो शरीरका ऊपरी भाग पानीके बाहर रहता है। पेडु पानीमें डूबा रहता है। उमंगो गीले कपडोंमें रगडना चाहिए। तुमने मेरे उपवासका समाचार पढा होगा। यह उपवास २१ दिनका है, इसलिए इसमें धवरानेकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मेरे पान दौड आनेका विचार भी न करना। मेरा खयाल है कि २१ दिनका उपवास मुझे भारी नहीं पडेगा।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५६) से।

सौजन्य वसुमती पण्डित

## ११८. पत्र : रुक्मिणी गांधीको

बुधवार [ १७ सितम्बर, १९२४ ]<sup>१</sup>

चि० रुमी,

मैं तुम्हारे पत्रकी वाट ही जोह रहा था। सारा काम-काज करते हुए भी न्वास्विकता ध्यान रखना। यह बहुत जरूरी है कि वहाँ जवतक रहो तवतक तुम्हारा शरीर अच्छी तरह मजबूत हो जाये। सम्युक्तको न भूलना। मोटी वा ठीक हो गई है, यह जानकार मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उनको मेरा प्रणाम कहना।

वापूके आशीर्वाद

चि० रुक्मिणी गांधी

मार्फत - श्री नुशालभाई गांधी

नवु पद, राजकोट

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०९५) से।

सौजन्य राधावहन चौधरी

१ पत्रमें गांधीजीक २१ दिनके उपवासके जिक्रसे स्पष्ट है कि यह १९२४ में लिखा गया था।

२ धाकती मुहरसे।

## ११९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

[ १८ सितम्बर, १९२४ से पूर्व ]<sup>१</sup>

प्रिय चार्ली,

तुम्हारा पत्र और तार, दोनों मिले। तुम यात्रामे गुरुदेवका साथ नहीं दे रहे हो। आशा करता हूँ, इसका कारण तुम्हारी अस्वस्थता नहीं है, क्योंकि अबतक तो तुम स्वस्थ हो ही गये होंगे।

इस विषयमे जैसा मैं महसूस करता हूँ, जबतक तुम भी वैसा ही महसूस न करने लगे, तबतक तुम्हें वहनके भेजे जुराब वगैरह स्वीकार करनेमे कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मगर इस सम्बन्धमे मेरा मत तो जैसा पहले था, वैसा ही अब भी है। गरीबों द्वारा बनाई चीजोका इस्तेमाल करके, उनके साथ तादात्म्य स्थापित करनेके स्पष्ट कर्त्तव्यमे वहनके प्रेमोपहारको भी बाधक नहीं बनने दिया जा सकता। यहाँ सही निर्णयपर पहुँचनेका तरीका यह है सोचो कि यदि तुम्हारी ही तरह दस लाख दूसरे लोगोको भी ऐसे ही दस लाख प्रेमोपहार मिले तो क्या हम इस देशके गरीबोको अपने बीच उनके द्वारा बनाये कपडेको खपानेके अवसरसे वंचित नहीं करेगे? खैर, मैं तुमको समझानेकी कोशिश क्यों करूँ? तुम अपनी वहनके भेजे कपडे स्वीकार करो और उनका इस्तेमाल करो, इससे तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कुछ कम तो नहीं हो जायेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद जिस कामको जरूरी नहीं समझते, वह करो।

इसी प्रकार, तुम और मैं यदि ऐसी सेवामे प्रवृत्त हों, जिसका सम्बन्ध हमारे पडोसीसे — निकट परिवेशसे — नहीं है, तो इस स्थितिको भी स्वीकार करनेके लिए अपने मनको मना सकनेमे मुझे कोई कठिनाई नहीं दीखती। मैंने सिद्धान्त बता दिया है। उसे मैं विलकुल सही ही मानता हूँ। जब ईसा मसीहने अपने सगे-सम्बन्धियोका "त्याग" किया था तो वास्तवमे उन्होने उनका त्याग नहीं किया था। उन्होने जो महत्तर सेवा की, उसमे उन सगे-सम्बन्धियोकी सेवा भी शामिल थी। लेकिन, इसके विपरीत, महावीरने अपनी माताकी आज्ञाका पालन करनेके लिए, जैसा कि हमें लग सकता है, महत्तर सेवासे मुँह मोड़ लिया था। किन्तु, दोनों ही सही थे। हम उनके कार्योंके सम्बन्धमे कोई निर्णय नहीं दे सकते। लेकिन नियमको तो हमें स्वीकार करना ही पडेगा। किसी दूरस्थ कर्त्तव्यकी पुकारपर तुम अपने निकटस्थ कर्त्तव्यकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर शान्तिनिकेतनको तुम्हारी आवश्यकता हो तो तुम सारे भारतको वचानेके कर्त्तव्यकी पुकारपर भी शान्तिनिकेतनको छोड़ नहीं सकते। सबको अपने-अपने कर्त्तव्य-स्थलपर डटे रहना है।

१. पत्रमें "वहनके प्रेमोपहार" के उल्लेख और "पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको", १८-९-१९२४के आधारपर।



सेवक और वेतनभोगी कार्यकर्त्ता भी अधिक है। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरे कहनेका मतलब यह निकाला जाये कि असहयोग सर्वथा असफल सिद्ध हुआ है। इसके विपरीत, उसने तो राष्ट्रको इतनी शक्ति और ओज प्रदान किया है, जितना और किसी चीजने नहीं दिया, लेकिन जितनी आशा इससे रखी गई थी, उतनी वह पूरी नहीं कर सका। लोगोंने इसके प्रति काफी उत्साह दिखाया, लेकिन उतना नहीं जितना कि उस उद्देश्यके लिए जरूरी था, जिस उद्देश्यसे असहयोग शुरू किया गया था। लेकिन इन बातोंसे कार्यकर्त्ताओंको क्या तसल्ली मिल सकती है? उन्हें तो उसका फल चखनेके लिए अभी बहुत काम करना है।

### स्थगित किया जा रहा है या रद?

एक भाई लिखते हैं “वहिष्कारोको स्थगित करनेका जो प्रस्ताव आपने रखा है, क्या वह वास्तवमें उन्हें रद करनेका ही प्रस्ताव नहीं है?” मेरा तो ऐसा मशा नहीं। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि वहिष्कारोको रद कराऊँ। अगर ऐसा इरादा होता, तो मैं उसे जाहिर करनेमें न हिचकिचाता। हाँ, यह आशा अवश्य करता हूँ कि उन्हें फिरसे चालू करनेकी जरूरत ही शायद न रहे। लेकिन राष्ट्रीय विकासके लिए वहिष्कारोको स्थगित करनेकी जिस तरह आज मुझे आवश्यकता दिखाई दे रही है, उसी तरह अगर मुझे उसके लिए उनको फिरसे चालू करनेकी जरूरत मालूम हुई तो मैं उन्हें चालू करते हुए जरा भी न हिचकूंगा। वे आगे पूछते हैं “क्या इस तरह आप घातक आन्तरिक कलहको एक सालके लिए टाल ही नहीं रहे हैं?” मैं फिर कहूँगा—नहीं। हमें तो सालके अन्तमें ही पता चलेगा कि हम हैं कहाँ। अगर सालके अन्तमें भी ऐसे ही तीव्र मतभेदोकी सम्भावना रही तो निश्चय ही वहिष्कार फिर चालू नहीं किये जा सकेंगे। वे अब राष्ट्रके कार्यक्रममें उसी अवस्थामें दाखिल हो सकते हैं जब राजनीतिक क्षेत्रके सक्रिय कार्यकर्त्ताओंको उनकी जरूरत समझाई जा सके। जबतक ऐसा नहीं होता तबतक तो उन्हें कुछ थोड़े-से लोगोकी नीति या सिद्धान्तके रूपमें ही बने रहना पड़ेगा। इस हकीकतकी तरफसे आँखें न मूंद लेनी चाहिए कि सरकार जो-कुछ देनेको राजी होगी, वह राष्ट्रके उस छोटे-से तबकेकी माँगोका खयाल करके ही उतना कुछ देनेको राजी होगी, जिसकी आवाजमें जोर है और जो सक्रिय है। अगर यह तबका भी परस्पर एक-दूसरेसे लड़ते रहनेवाले गुटोंमें बँट जायेगा तो सरकार कुछ भी नहीं देगी। सालके अन्तमें मैं दोमें से एक बातकी उम्मीद रखता हूँ—या तो अपरिवर्तनवादी लोग विगुद्ध राजनीतिक अर्थात् वाहरी हलचलोमें विश्वास करने लगेंगे या हमारे शुद्ध राजनीतिज्ञ लोग, महज वाहरी हलचलोकी निरर्थकता महसूस करके अपने-आपको भीतरी मजबूतीके काममें लगा देंगे, जिसके लिए वहिष्कारोको जरूरी तौरपर मजूर करना होगा। हाँ, यह भी हो सकता है कि भीतरी मजबूती और उन्नतिका काम तथा राजनीतिक हलचल, दोनोंको ही आमतौरपर और भी अधिक लोग स्वीकार करनेमें लगे और इस तरह हम दोनों पक्षोकी परस्पर सहायताके बलपर सरकारको सभी दलोकी न्यूनतम सयुक्त माँगें स्वीकार करनेपर मजबूर कर दें।

मेरे प्रस्तावके मूलमें मुख्य आशय यह है कि राष्ट्रको एक ही मंचपर सुसंगठित किया जाये और फिर यह आशा रखी जाये कि हरएक पक्ष ईमानदारीके साथ अपने कार्यसे दूसरे पक्षको प्रभावित करता चलेगा और इस तरह सारे पक्ष स्वेच्छापूर्वक एक सामान्य कार्यक्रमको स्वीकार कर लेंगे। अगर ये महान् उद्देश्य कामयाब न हो तो भी हम इतनी आशा तो कर ही सकते हैं कि सभी दल एक-दूसरेकी नीयतपर शक किये बिना यथासम्भव अधिकसे-अधिक शोभनीय ढंगसे एक दूसरेसे अलग होंगे। किसी भी आन्दोलनमें किसी योजनाको स्थगित कर देना कोई असाधारण बात नहीं है। उससे तो अकसर उस स्थगित की गई योजनाको, यदि उसमें आन्तरिक शक्ति हो तो, और भी बल मिलता है। इसलिए जो लोग इन बहिष्कारोके वास्तविक गुणके कायल हैं, उन्हें थोड़ेसे समयके लिए इन्हें स्थगित करनेपर इनके सदाके लिए लुप्त ही जानेका डर मनमें नहीं पनपने देना चाहिए। बहिष्कारमें सच्ची आस्था रखनेवाले लोगोको ऐसे किसी सक्कको न आनेकी पक्कीसे-पक्की गारंटी होनी चाहिए।

### हृदयकी एकता

एक भाई लिखते हैं

वम्बई नगर-निगमके अभिनन्दनके उत्तरमें<sup>१</sup> आपने एक मुहावरेका प्रयोग किया। वह था—हृदयकी एकता। मैंने इसपर खूब विचार और मनन किया और इस निष्कर्षपर पहुँचा कि ब्रह्माण्डके अन्तर्गतमें हृदयकी एकताका रहस्य छिपा हुआ है। आवश्यकता सिर्फ इस बातकी है कि कोई इन अथाह गहराइयोंमें उतरकर इस दिव्य पारसमणिको प्राप्त करे और उसके स्पर्शसे मानवीय तत्त्वोंके विभ्रूलल और विवर्ण अशोको पुन सौन्दर्य और आनन्दसे भर दे। सत्य और ऋतके अन्तरमें भी हृदयकी एकता ही विद्यमान है। जिस सूत्रसे नक्षत्र एक दूसरेसे घँघे और अन्तरिक्षमें टिके हुए हैं, वह भी हृदयकी एकता ही है। इमीने भौतिक तत्त्वोंको एक-दूसरेसे सयुक्त कर रखा है। रसायन-शास्त्रियोंने इस बातका तो पता लगा लिया था कि जल हाइड्रोजन और नाइट्रोजनका मिश्रण है, लेकिन इन दोनों तत्त्वोंके सयोगसे वे जल नहीं बना पाये। इसके लिए उन तत्त्वोंमें से एक विद्युत्-धारा प्रवाहित करनी पड़ी। प्रकृतिमें यही विद्युत्-धारा हृदयकी एकता है। हृदयकी एकता ही वस्तुओंका रूपान्तरण करती है—वर्षको पिघला कर पानी और पानीको जमा कर बर्फ बना देती है। . . . आत्म-तत्त्वका पदार्थके रूपमें प्रकट होना और पदार्थका आत्म-तत्त्वमें विलीन हो जाना, यह सब इसी हृदयकी एकताका व्यापार है।

शिवके साथ हृदयकी एकता प्राप्त करनेके लिए पार्वतीकी तपस्या हिन्दू कल्पनाका एक अद्भुत उदाहरण है। पार्वती मानव-रूपमें ईश्वरीय शक्ति या ब्रह्माण्डका त्रियाशील सिद्धान्त है। मुझे लगता है कि इसकी कल्पना हमारे

१ देखिए “भाषण वम्बई निगमके अभिनन्दनके उत्तरमें”, २९-८-१९२४।



किसी साधक पूर्वजने ईश्वरकी प्रत्यक्ष प्रेरणापर ही की होगी। इस स्थूल जगत्में प्राणस्य प्राणम्के लिए तपस्यारत पार्वतीके माध्यमसे सर्वशक्तिमानके कार्य-कलापकी शक्तिका उसके सुन्दरतम रूपमें उद्घाटन किया गया है। यह ऐसा पाठ है जिसे हृदयगमकर मानव समाजको अपने जीवनमें उतारना चाहिए। आपने इस पाठको अपने जीवनमें उतारा है और अली-बन्धुओ तथा दूसरोके साथ हृदयकी एकता प्राप्त करके इसे राजनीतिक क्षेत्रमें लागू किया है। परिणाम यह है कि आज हम विभिन्न जातियो और धर्मोंके अलग-अलग तत्त्वोंसे एक सामाजिक भारतीय राष्ट्रकी रचना करनेके मार्गपर भली-भाँति आह्व है। ईश्वर करे, यह देश आपके सकेतको समझे और हृदयकी एकता प्राप्त करनेके लिए कर्म-रूप तपस्यापर दृढ रहे।

मैं इस पत्रको इसलिए नहीं छाप रहा हूँ कि इसमें मेरी प्रशंसा है। इसे मैं उस हृदयकी एकताके लिए छाप रहा हूँ, जिसपर पत्र-लेखकका आग्रह है और जिसे वे मेरे तथा अली-बन्धुओ और उन दूसरे लोगोके बीच वास्तवमें लक्षित करते हैं जिनका धर्म ही नहीं बल्कि विचार-पद्धति भी मुझसे भिन्न है। पिछले हफ्ते बड़े भाईने मुझेसे पूछा “हालाँकि हम लोग अधिकांश बातोंमें एक-दूसरेसे इतने असमान हैं, फिर भी वह क्या चीज है जो हमें परस्पर अविच्छेद्य रूपसे बाँधे हुए है? क्या यह आखिरकार एक ही ईश्वरके प्रति निष्ठा और भयकी भावना नहीं है?” उन्होंने जो कहा वह बहुत स्वाभाविक और सच था। चूँकि हम ईश्वरको भिन्न-भिन्न माध्यमोंसे — ‘कुरान’, ‘बाइबल’, ‘तालमुद’, ‘अवेस्ता’ या ‘गीता’ के माध्यमसे — देखते हैं, इसी कारण हम आपसमें लडकर उसकी निन्दा करनेके भागी क्यों बने? जो सूरज पर्वतोपर प्रकाश फेकता है वही मैदानोपर भी चमकता है। सूर्यका ताप दोनों जगहोपर अलग-अलग होता है, क्या इसीलिए मैदानी लोगोको हिम-प्रदेशमें रहने-वालोसे झगडना चाहिए? हमें धर्मग्रन्थों और सूत्रोंका उपयोग अपनेको दास बनानेवाली जर्जरोके रूपमें करनेके वजाय अपनी मुक्ति और हृदयकी एकता प्राप्त करनेके साधनोंके रूपमें क्यों नहीं करना चाहिए?

### वाइकोम-सत्याग्रह

वाइकोम-सत्याग्रहका अर्थ जितना समझा जाता है, उससे शायद ज्यादा गहरा है। उसे सगठित करनेवाले नौजवान अनुशासनमें कठोर और कट्टरपन्थी वर्गके प्रति अपने व्यवहारमें शिष्ट है। लेकिन यह तो उनकी परीक्षाका एक मामूली-सा हिस्सा है। उनमें से तो कुछ सामाजिक बहिष्कारका उत्पीडन भी सह रहे हैं। हम पश्चिमी प्रेसीडेन्सीके लोगोको कल्पना भी नहीं हो सकती कि इस उत्पीडनका क्या अर्थ हो सकता है। इस आन्दोलनमें भाग लेनेवाले इन नौजवानोंको न केवल सामाजिक सुविधाओंसे वंचित रखा जा रहा है बल्कि उनके सामने पारिवारिक सम्पत्तिमें अपने हिस्सेसे वंचित होनेका खतरा भी है। यदि वे कानूनकी शरण ले तो शायद उन्हें अपना हक मिल जाये। लेकिन एक सत्याग्रही वैयक्तिक अन्यायके निवारणके लिए कानूनकी

शरण नहीं ले सकता। वह तो यह मानकर चलता है कि उसे उत्पीडन सहना है। वाइकोम-सत्याग्रह द्वारा जैसा सुधार करानेकी कोशिश हो रही है, उसमें सत्याग्रहीका प्रयास यह होता है कि वह अपने चरित्र-बल और कष्ट-सहनके जरिए अपने विरोधीका हृदय-परिवर्तन कर दे। वह जितना ही अधिक शुद्ध होगा और जितना ज्यादा कष्ट-सहन करेगा, उतनी ही तेजीसे वह अपने उद्देश्यकी ओर प्रगति करेगा। इसलिए उसके लिए जरूरी है कि वह सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक सुविधाओका विवर्जित और पारिवारिक सम्पत्तिमें अपने हिस्सेसे वचित किया जाना बरदास्त करे। उसे न केवल ये कठिनाइयाँ खुशी-खुशी बरदास्त करनी चाहिए, बल्कि उसे चाहिए कि वह अपने उत्पीडकोके प्रति सक्रिय प्रेम-भाव रखे। उत्पीडक लोग ईमानदारीसे ऐसा मानते हैं कि सुधारक लोग कोई पापपूर्ण काम कर रहे हैं और इसलिए सुधारकोको उस कल्पित गलत मार्गसे विरत करनेके लिए जो एकमात्र तरीका उन्हें कारगर लगता है, उसका वे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर, सत्याग्रही दूसरोको दण्डित करनेकी पद्धतिसे अपना सुधार लागू नहीं करना चाहता, बल्कि इसके लिए वह तपस्या, आत्म-शुद्धि और कष्ट-सहनका सहारा लेता है। अतः उत्पीडनके प्रति किसी प्रकारका रोप, उसने अपनेको स्वेच्छासे जिस अनुशासनके बन्धनसे बांध लिया है, उसमें बाधक होगा। यह रास्ता लम्बा हो सकता है, ऐसा लगता है कि यह कभी खतम ही नहीं होगा, ऐसा लगता है कि यदि तनिक शक्ति-प्रदर्शन अथवा नैतिक रूपसे समझाने-बुझाने या दबाव डालनेके तरीकेसे ही काम लिया जाये तो बात ज्यादा आसानीसे बन सकती है। लेकिन मैं यहाँ जो दिखानेकी कोशिश कर रहा हूँ वह यह नहीं है कि सत्याग्रह ज्यादा कारगर चीज है, बल्कि यह कि सत्याग्रही द्वारा समझ-बूझकर चुने गये तरीकोका अमली मतलब क्या होता है। वैसे तो मैंने इन पृष्ठोमें अकसर यह दिखाया है कि अगर हम अन्तिम परिणामकी दृष्टिसे देखे तो सबसे जल्दी सफलता दिलानेवाला साधन भी सत्याग्रह ही है। लेकिन यहाँ मेरा मशा सिर्फ यह दिखानेका है कि वाइकोमके युवा सत्याग्रही क्या कर रहे हैं। धरनोके रूपमें वे क्या कर रहे हैं, उसके बारेमें जनताको बहुत-कुछ मालूम है, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपने परिवार और जातिवालोके हाथो चुपचाप जो यातना सहन कर रहे हैं, उसका उसे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मौन रहकर और प्रेम-भावसे किया जानेवाला यह कष्ट-सहन ही अन्ततः पूर्वग्रहकी दीवारोको तोड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुधारक लोग अपनी जिम्मेवारीको पूरी तरह समझे और स्वेच्छासे स्वीकार किये गये अनुशासनके नियमोको रच-मात्र भी भंग न करे।

### दक्षिण भारतके लिए सहायता

श्री जॉर्ज जोजफने जेलसे निकलते ही अपने एक मित्रको त्रावणकोरकी सकटापन्न स्थितिका निम्नलिखित विवरण<sup>१</sup> लिख भेजा

१ यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें वाढकी विभीषिकाका वर्णन करते हुए सहायताके उपायोके रूपमें कताई करने और रुई मुहैया करनेका सुझाव दिया गया था।

वाढके तुरन्त बाद ही एक अन्य मित्रने जो-कुछ लिखा, वह भी काफी सच है। उन्होंने लिखा कि किसी विप्लवसे जितनी हानि महीनोमे हो सकती है, वह निष्ठुर दिखनेवाली प्रकृतिने एक ही दिनमे कर दी। तात्कालिक सहायताका प्रारम्भिक कार्य समाप्त होनेके बाद असली सहायता-कार्य आरम्भ होगा। 'यग इडिया' और 'नवजीवन' के पाठक मेरी अपीलका बहुत ही उदारतापूर्वक जवाब दे रहे हैं। लेकिन वे विश्वास करे कि कार्यकर्त्ताओके सामने जो कठिन काम है, उसे देखते हुए यह सहायता बहुत उदार नहीं कही जा सकती। मेरा सुझाव है कि रुईके व्यापारी जब नकद रुपया न भेज सके तो वे रुई भेजे। जो हजारो लोग एक साल और अपनी भूमिपर खेती नहीं कर सकेंगे, उनके पास चरखेके सिवा दूसरा सहारा नहीं है। अपने देशके इन सकटग्रस्त भाई-बहनोके लिए रोजगारका प्रबन्ध करनेकी योजनाएँ भेजनेके लिए मैं कार्यकर्त्ताओको कह रहा हूँ। चरखा मेरे लिए कोई अन्धश्रद्धाकी चीज नहीं है और मैं दाताओको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मैं हजारो व्यक्तियोंके लिए इसी ढगका कोई दूसरा काम ढूँढ सका तो मैं उनके दानसे प्राप्त पैसे या चीजोका उपयोग उस कामके लिए करनेमें तनिक भी आगा-पीछा नहीं करूँगा।

#### अपने प्रान्तका गर्व

अ० भा० खादी बोर्डके मन्त्रीने बिहारसे प्राप्त यह सर्वथा उचित शिकायत स्पष्टीकरण और सुधारके लिए मेरे पास भेजी है

हमारा ध्यान इसी ४ तारीखके 'यग इडिया' में विभिन्न प्रान्तोके सदस्यो द्वारा भेजे गये सूतके बारेमें महात्मा गांधीकी टिप्पणीकी ओर दिलाया गया है। बिहारके बारेमें महात्माजी कहते हैं कि "किसीने भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे वह उनके [राजेन्द्रप्रसादके] सुकाबले सही माननेमें द्वितीय स्थानका भी पात्र हो।" चूँकि इससे हमारे कुछ अच्छे कातनेवाले सदस्य निरुत्साहित हो सकते हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप निम्नलिखित सदस्यो और गैर-सदस्योके सूतको फिरसे जाँचें। अगर वे काम-चलाऊ तौरपर भी अच्छे साबित हो तो कृपया देखें कि उनका कुछ उल्लेख हो जाये।

मैंने पत्रमे दिये गये १७ नामोको छोड दिया है। मैं मन्त्री और उक्त १७ सदस्योके निकट क्षमाप्रार्थी हूँ। तथ्य यह है कि मैंने मूल रिपोर्ट, जो गुजरातीमे थी और जो पूरीकी-पूरी 'नवजीवन'मे छपी है, सक्षिप्त अनुवादके लिए एक सहायकको दी थी और उस अनुवादको बिना मूलसे मिलाये ही छाप दिया। मूल रिपोर्टमें बिहारके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। बिहारसे सम्बन्धित मूल अशका अनुवाद यह है।

लगभग सब सूत सामान्य दर्जेका है। बहुत-सा सूत तो अत्यन्त अव्यवस्थित ढगसे कता हुआ है। रुई अच्छी नहीं है। उसपर छिडकाव नहीं किया गया है। वावू राजेन्द्रप्रसादने १०,१४८ गज सूत भेजा है। सूत ८ अकके आस-पासका है और ठीक ढगसे कता हुआ और अच्छी तरह लच्छियोमे बाँधा हुआ है। इस प्रान्तसे ऐसा अच्छा सूत और किसीने नहीं भेजा है।

‘यग इडिया’ की जिस टिप्पणीका उल्लेख किया गया है, उसमें विहारके साथ हुए अन्यायके लिए मुझे दुःख है। सूतकी जाँच करनेवालेने जो नुक्स वताये है, आशा है दूसरे महीनेकी किम्तमें उन्हें दूर कर दिया जायेगा। मेरे लिए यह खुशकिस्मती होगी। जाँच करनेवालेने मेरा ध्यान सिन्धसे सम्बन्धित अशके अनुवादकी ओर भी दिलाया है और कहा है कि अगर सिन्ध भी शिकायत करे तो उचित ही होगा। इसलिए मैं सिन्धसे सम्बन्धित अशका भी पूरा अनुवाद नीचे दे रहा हूँ

“दो या तीन वण्डलोको छोडकर, शेषमें अच्छी कताई देखनेमें नहीं आती। कुछ वण्डलोमें तो गुडियोकी लम्बाई भी अलग-अलग है। छिडकाव करनेका तो कोई उदाहरण ही नहीं मिला। कुछने तो गुडियाँ बनाये बिना ही सूत भेज दिया है।” हालाँकि सिन्धको इसपर एतराज हो सकता है, लेकिन मैं अनुवादकको निम्नलिखित सक्षिप्तीकरणके लिए क्षमा कर दूंगा। “स्थिति बहुत खेदजनक है। सधी हुई कताईका कोई उदाहरण नहीं मिलता।” निपुण सिन्धियो, सावधान !

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, १८-९-१९२४

## १२१. सबसे बड़ा प्रश्न

दिल्ली जाते हुए रास्तेमें अपनी डक देखते हुए नीचे लिखा पत्र मुझे मिला। दो-तीन व्याकरण-दोषोको सुधारकर उसे प्रायः शब्दशः यहाँ देता हूँ

नागपुरके मुसलमान पगला गये हैं। मैं यद्यपि हिन्दू हूँ फिर भी मैंने नागपुरमें हिन्दुओकी तरफसे की गई हलचलसे अपनेको सावधानीके साथ दूर रखा है। मेरा अहिंसा और हिन्दू-मुसलमान एकता, दोनोंमें विश्वास है। आप विश्वास रखें कि मेरे मनमें साम्प्रदायिक भावना नहीं है। लेकिन नागपुर और दूसरी जगहोंमें की गई मुसलमानोकी करतूतोको देखकर तो मेरे इस विश्वासकी बड़ी कठोर परीक्षा हो रही है। सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह है कि एक भी जिम्मेवार मुसलमानने सार्वजनिक रूपसे इन कार्योंकी निन्दा नहीं की है। यदि वीर डाक्टर मुजे और वीर उदेराम तथा कोष्ठी' लोग न होते तो न मालूम इन मुसलमानोने क्या-क्या अत्याचार किये होते। मैं यह जानता हूँ कि प्रेममें सौदा नहीं होता। इस बातको भी मानता हूँ कि प्रेममें देना-ही-देना होता है। लेकिन मैं इस बातको नहीं भूल सकता कि प्रेमके लिए जो आहुति दी जाये, जो दुःख सहन करना पड़े, वह सब स्वेच्छासे होना चाहिए। इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन हिन्दू शक्तिशाली होनेकी वजहसे या अपनी इच्छासे नहीं झुकता, बल्कि अपनी कमजोरीकी वजहसे और

१ बुनकरोकी एक जाति।

इच्छा न होनेपर भी दब जाता है। मुझे तो यह खयाल होता है कि हिन्दू लोग अंग्रेजोंकी गुलामीसे मुक्त होनेकी जो कोशिश कर रहे हैं सो उसका नतीजा यह होगा कि वे मुसलमानोंकी गुलामीमें पड जायेंगे। आपका दिलको हिला देनेवाला लेख 'गुलबर्गाका पागलपन' इस मामलेमें खुद आपकी भावनाओंकी गहराईको जाहिर करता है।

आपने कई मरतबा यह जाहिर किया है कि आप कायरतासे हिंसाको अधिक पसन्द करते हैं। आपने कुछ दिनों पहले 'यंग इंडिया'में यह भी लिखा था कि औसत मुसलमान गुंडा होता है और हिन्दू बुजदिल। अफसोस कि वह बिल्कुल सच है। अन्यथा यह कैसे हो सकता था कि नागपुरके अल्प-संख्यक मुसलमान हिन्दुओंकी एक बहुत बड़ी संख्याके खिलाफ इस तरह बार-बार उठ खड़े होते हैं। सच बात तो यह है कि गरीब हिन्दूकी न तो कोई इज्जत करता है और न कोई उससे डरता है। डाविनकी बात सही थी या नहीं, इसका निर्णय करना मेरा काम नहीं है। किन्तु एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कमजोरोंके लिए इस संसारमें स्थान नहीं है। उन्हें या तो शक्तिशाली बनना चाहिए नहीं तो उनका अस्तित्व ही मिट जायेगा। अगर हिन्दू लोग जीना चाहते हैं तो उन्हें अपना संगठन करना चाहिए और शक्तिशाली बनना चाहिए। उन्हें आन्दोलन करना चाहिए और अपनी स्त्रियो और अपने देवताओंके सम्मानकी रक्षाके लिए जान देनेकी दैवी कला सीखनी चाहिए।

लेकिन वे जो हद दरजेके कायर हैं, उनके लिए अहिंसाका कुछ भी अर्थ नहीं है। यह तो उनकी निरी कायरताको छिपानेके लिए एक आवरणका काम देती है। उन्हें अहिंसा सिखाना तो ऐसा मालूम होता है जैसे अकालमें भूखसे पीड़ित लोगोंको भूख मिटानेके लिए आवश्यक खाना दिये बिना ही खानेमें संयम रखनेकी शिक्षा देना या वीमार और कमजोर आदमीको वह खाना खिलाना जिसे हजम करना एक मजबूत आदमीके लिए भी मुश्किल हो। यह उन्हें कुछ भी फायदा पहुँचानेके बजाय सिर्फ नुकसान ही पहुँचायेगा।

यदि आप इस विचारधाराको स्वीकार करे तो क्या आपको यह स्वीकार न करना पड़ेगा कि सच्ची और स्थायी हिन्दू-मुसलमान एकताके लिए हिन्दुओंमें मर्दानगी पैदा होना लाजिमी है? क्या उन्हें अपनी स्त्रियो और मन्दिरोंके सम्मानकी रक्षा करना नहीं सीखना चाहिए? जो कमजोर हैं वही समाजके सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे खुद अपनेको भ्रष्ट करते हैं और शक्तिशालीको भी, जिसे वे अपने ऊपर अत्याचार करनेका मौका देते हैं। कमजोरी उन दोनोंके लिए शाप बन जाती है, जो स्वयं कमजोर हो तथा जो कमजोरोपर जुल्म

करते हो। हाँ, हिन्दुओंको उचित है कि वे 'दाँतके बदले दाँत' और 'आँखके बदले आँप'वाले अर्थमें बदला न ले, वे मुसलमान स्त्रियोंका शील-भंग न करे और मसजिदोंको अपवित्र या नष्ट न करे। पर चूँकि अहिंसा उनके बसके बाहरकी चीज है, इसलिए क्या आप उन्हें यह सलाह न देंगे कि वे इन बुराई करनेवातोंको अच्छा सबक सिखाना तो सीख ले? वे अहिंसाकी श्रेष्ठता समझें, इसमें पहले क्या यह जरूरी नहीं है कि वे हिंसात्मक उपायोसे अपनी रक्षा करनेकी क्षमता उत्पन्न करें। हिन्दुओंकी भलाई, सच्ची हिन्दू-मुसलमान मैत्री और गुद स्वराज्यका भी क्या यही रास्ता नहीं है?

ये विचार मुझे बहुत दिनोंसे उद्विग्न बनाये हुए हैं। मैंने उपर्युक्त सवाल-पा उत्तर पानेके लिए हर पहलूसे सोचा, लेकिन सन्तोषप्रद उत्तर न मिला। इसलिए मैं मार्ग-दर्शनके लिए आपको कष्ट दे रहा हूँ। मैं 'यग इंडिया' के स्तम्भोंमें आपका उत्तर देखनेकी उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा करूँगा। आप अपना सुनीता देगकर, जितनी जल्दी बन पड़े इसका उत्तर बीजिएगा।

मैं अपना पत्र तो नहीं, लेकिन नाम गुप्त रखना चाहता हूँ।

इस पत्रके हर वाक्यमें लेखककी ईमानदारी झलकती है। उनकी दलीले अपनी जाहू ठीक हैं। पर ज्यों-ही लेखकके विचारोंको और उनसे निकलनेवाले निष्कर्षोंको वाक्यभ्रम परिणित करनेका विचार उठता है, त्यों-ही मेरे सामने कठिनाई खड़ी हो जाती है। गुजरातमें जो नमन्या मंडी हो गई है उसका सामना करनेके लिए और मेरे हिन्दू और मुसलमान मित्रों द्वारा जो प्रश्न पूछे गये हैं, उनके जवाबमें मैंने पिछले मन्साह 'नवजीवन' में एक लेखमें अपनी योजनाकी रूपरेखा दी थी। पाठक उस लेखका महादेव देसाई द्वारा किया गया अनुवाद' अन्यत्र देखेंगे।

मेरी तो इस समय बहुत ही दयनीय हालत हो रही है। यह हमारे राष्ट्रकी परीक्षाका समय है और यह कहना गलत न होगा कि हजारों लोग इस मीकेपर नहनुमाईके लिए मेरी ओर आँवे लगाये हैं। खिलाफत-आन्दोलनमें मैंने प्रमुख भाग लिया है। मैंने बदरमें कुछ पानेकी आशाके बिना सब-कुछ दे देनेके सिद्धान्तका बेहिचक और बेग्रीफ होकर प्रतिपादन किया है। मेरी इस विचार-प्रणालीमें कुछ भी दोष नहीं है। पर पत्र-लेखकका सवाल यह है—“क्या मेरा विचार वर्तमान स्थितिके लिए ठीक है? क्या हिन्दुओंके पास देनेके लिए कुछ है? कोई बिना लिए उसी अवस्थामें दे सकता है जब गुद उसके पाम काफी हो।”

आइए, अब इसपर जरा विचार करे।

पत्र-लेखक और मैं दोनों इस बातपर तो सहमत हैं कि औसत हिन्दू डरपोक हैं। तब सवाल यह है कि वे निर्भय और वीर कैसे बने? उनका भय अपने बदनके रग-पुट्टोंको मजबूत बनानेमें दूर होगा या उनकी आत्मामें वीरताका संचार होनेसे? पत्र-लेखक कहते हैं, “कमजोरोंके लिए इस ससारमें स्थान नहीं।” कमजोरसे

उनका मतलब, मैं समझता हूँ, 'शरीरसे कमजोर' है। यदि हाँ, तो उनका विचार ठीक नहीं है। दुनियामे ऐसे बहुत-से प्राणी हैं जो शारीरिक दृष्टिसे मनुष्योसे बहुत ज्यादा बलवान् हैं और फिर भी मनुष्य-जाति जीवित है। शरीर-बलमे बढी-चढी बहुत-सी मानव-जातियाँ अबतक लुप्त हो चुकी हैं और कुछ तो इस समय भी लुप्त होती जा रही हैं। ऐसी अवस्थामे जहाँतक मनुष्य-जातिका सम्बन्ध है, यो कहना चाहिए कि "ससारमे उसके लिए जगह नहीं जिसकी आत्मा कमजोर है।"

जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो अपना पासा फेंक चुका हूँ। तमाम धर्मोंमे अहिंसा एक समान-तत्त्व है। कुछ धर्मोंमे उसपर औरोकी अपेक्षा ज्यादा जोर दिया गया है। पर इस बातपर सभी सहमत हैं कि अहिंसाका जितना भी पालन किया जायेगा, थोडा होगा। पर हमे इस बातका निश्चय कर लेना चाहिए कि वह अहिंसा ही है, भीरुताको ढँकनेवाला पर्दा नहीं।

इस समस्याका हल खोजनेके लिए हमे आम आदमियोका मुँह जोहनेकी जरूरत नहीं, बल्कि हमे अपनी ही स्थितिका विचार करना चाहिए, क्योकि उन आम आदमियोके पीछे हम लोग रहते हैं जो उनको कठपुतलियोकी तरह नचाया करते हैं। इसलिए हमे इस बातकी चिन्ता रखनी चाहिए कि हम खुद कोई काम डरकी वजहसे न करे। मैं ब्रह्म-युद्धसे नफरत करता हूँ, पर हाँ, उसका भी एक रोमानी पहलू है और उसे मैं अब लौंगोके सामने रख रहा हूँ। मैं बडे शौकसे बडे भाईके साथ ब्रह्म-युद्ध करना चाहूँगा। जब हम दोनोको यह यकीन हो जायेगा कि अब तो बिना खून-खराबेके एकताका कोई उपाय ही नहीं रह गया है और जब हम देखेगे कि हम दोनो भी सुलहसे एक साथ नहीं रह सकते, तब मैं जरूर बडे भाईको दो-दो हाथ करनेके लिए कहूँगा। मैं जानता हूँ कि वे अपने बडे-बडे पजोसे मरोडकर मेरे टुकडे-टुकडे कर सकते हैं। लेकिन बस, उसी दिन हिन्दू धर्म आजाद हो जायेगा अथवा यदि वे एक हट्टे-कट्टे पहलवानकी ताकत रखते हुए भी मेरे हाथो मर जायेगे तो इस्लाम हिन्दुस्तानमे आजाद हो जायेगा। उस अवस्थामे वे मानो मुसलमानो द्वारा हिन्दुओको डराने-धमकानेका प्रायश्चित्त कर लेंगे। पर मैं इस बातसे सख्त नफरत करता हूँ कि दोनो दलोके गुडोके बीच यह खूनी खिलवाड होता रहे। ऐसे भुज-बलकी आजमाइशके सहारे जो सुलह होगी वह अन्ततः कटुतामे बदले बिना न रहेगी। हिन्दुओकी भीरुता दूर करनेका उपाय तो यह है कि हिन्दुओका पढा-लिखा समुदाय इन गुडोसे लडे। हम शौकसे लाठियोका तथा दूसरे ठीक हथियारोका इस्तेमाल करे। मेरी अहिंसा उसकी अनुमति देगी। इस लडाईमे हम मारे जायेगे, पर उससे - हिन्दू और मुसलमान दोनोके दिलकी मलामत निकल जायेगी। उससे हिन्दुओकी भीरुता एक क्षणमे दूर हो जायेगी। पर अगर मौजूदा तरीका जारी रहा तो हर जमात अपने-अपने गुडोकी गुलाम हो जायेगी। इसका मतलब होगा कि फौजी ताकतका दौर-दौरा हो जायेगा। इंग्लैंडने असैनिक सत्ताकी प्रधानताके लिए सघर्ष किया। उसकी जीत हुई और वह जीवित है। लॉर्ड कर्जनने हमे बहुत नुकसान पहुँचाया है। पर

जब उन्होंने असैनिक सत्ताकी प्रधानताके लिए आवाज उठाई थी, उस समय उनका कहना बहुत ठीक था और उन्होंने बड़ी वीरताका परिचय दिया था। जब रोमपर सैनिक सत्ताका दौर-दौरा हुआ, उसका पतन हो गया। इस खयालमे ही कि हमारे धर्मकी रक्षाका सूत्र गुडोके हाथमें हो, मेरी अन्तरात्मा विद्रोह कर उठती है। इसलिए फिलहाल, हिन्दुओको ही अपनी नजरमे रखकर, मैं बड़े अदब और सच्चे मनसे हर समझदार हिन्दूको चेतावनी देना चाहता हूँ कि वे अपने मदिरोकी, अपनी और अपने वीवी-बच्चोकी रक्षाके लिए गुडोकी सहायताका भरोसा न रखे। अपने कमजोर शरीरको ही लेकर उन्हें खुद अपनी जगहपर खड़े रहकर बिना मारे अथवा मारकर, मर-मिटनेका निश्चय करना चाहिए। यदि जमनालालजी और उनके साथी शान्ति-रक्षा करते हुए मर भी जाते तो उनकी मृत्यु बड़ी गौरवपूर्ण होती। डा० मुजे या मैं यदि अकेले अपने मन्दिरकी रक्षा करते हुए मर जाये तो वह हमारे लिए गौरवपूर्ण मृत्यु होगी। सचमे वही हमारे हृदयकी निर्भयता और वीरता होगी।

पर इसके अलावा भी ऐसे अनेक काम किये जा सकते हैं जिममें उससे कम बहादुरी दरकार है। हमे नागपुरके वारेमें सच्चाई खोज निकालनी चाहिए। मैं डा० मुजेसे इसके लिए लिखा-पढी कर रहा हूँ। मैं दिल्लीके हिन्दू-मुसलमानोंसे अनुनय-विनय कर रहा हूँ कि वे मुझे वहाँके फसादका मूल कारण बताये। मैंने उन्हें इस सम्बन्धमे पच-फैसला करानेकी सलाह दी है और कहा है कि वे चाहें तो यह काम मैं अकेले या औरोके साथ खुद करनेको तैयार हूँ। उन्होंने अभीतक मेरी कोशिशोंमें मेरी मदद करनेसे इनकार नहीं किया है। अभीतक वहाँकी दुर्घटनाका कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिला। मैं आपसे बाहर कैसे होऊँ? मुझे इस बातका यकीन नहीं हुआ है कि हर बातमें और हर जगह अकेले मुसलमानोका कसूर है। मुझे पता नहीं कि आरम्भिक कारण क्या था। पर हाँ, मैं यह जरूर जानता हूँ कि दोनों फरीकोकी तरफसे सिद्धान्तहीन अखवार सीधे-सादे हिन्दुओ और सीधे-सादे मुसलमानोके दिलोंमें जहर फैला रहे हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि खानगी बातचीतमे यह जहर और भी ज्यादा फैलाया जा रहा है और बातें इस तरह बड़ा-बड़ाकर कही जा रही हैं जिमकी कोई हद नहीं। इस अन्धकार, दुविधा और निराशाके सागरकी तहतक पहुँचनेमें मैं कोई कसर न उठा रखूँगा। इस हिन्दू-मुस्लिम तनावसे राष्ट्रके पूरे स्वच्छ सार्व-जनिक जीवनके नष्ट होनेका खतरा पैदा हो गया है। उसके ठीक-ठीक निपटारेके लिए यह अनिवार्य है कि पहले आजतककी घटनाओ और तथ्योका एक सच्चा विवरण तैयार किया जाये। इस तनावके निपटारा करनेकी मेरी आन्तरिक अभिलाषा भी इस बातका एक महत्त्वपूर्ण कारण है, जिसने मुझे स्वराज्यवादियो तथा अन्य सम्बन्धित पक्षोके सामने पूर्ण आत्म-समर्पण करनेपर मजबूर किया है।

[अग्नेजीसे]

यग इंडिया, १८-९-१९२४



## १२२. स्पष्टीकरण

दिल्ली-निवासी कुछ मुसलमान भाई मुझसे मिलने आये थे। उन्होंने २१ अगस्तके 'यग इडिया' में प्रकाशित मेरे इस कथनपर आश्चर्य प्रकट किया कि हिन्दू मन्दिरोंकी पवित्रता भग करनेकी कार्रवाईके पीछे मुसलमानोंके एक सगठनका हाथ है, और ऐसा भी नहीं है कि वह कार्रवाई उत्तेजनाका कोई कारण मिलनेपर की गई हो। इन भाइयोंका कहना है कि मैंने जो सगठनकी बात कही, उसका मतलब सम्पूर्ण मुसलमान जातिकी ओरसे खडा किया गया सगठन लगाया गया है और उत्तेजनाके कारणकी जो चर्चा की गई है उसका अर्थ किसी भी प्रकारकी उत्तेजनाका कारण समझा गया है। मैंने मुलाकातियोंको बताया कि सगठनसे मेरा मतलब सम्पूर्ण मुसलमान जाति द्वारा या उसकी प्रेरणापर खडा किया गया सगठन नहीं, बल्कि कुछ खास लोगोंका सगठन है। मगर मेरे पास ऐसे आँकड़े नहीं हैं कि इन लोगोंकी सख्या बता सकूँ।

इन मित्रोंने मुझे बताया—और मेरे दिल्ली पहुँचनेपर हकीम साहब और मौलाना मुहम्मद अलीने भी ऐसा ही बताया कि उन्हें तो ऐसे किसी सगठनकी कोई जानकारी नहीं है और यदि सचमुच इस तरहका सगठन होता तो उन्हें मालूम जरूर होता। इसपर मैंने कहा कि चूँकि आप यह बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने कथनकी सत्यतामे कुछ शका तो मुझे भी होने लगी है, फिर भी मैं अपने मनसे इस खयालको विलकुल निकाल देनेके लिए तैयार नहीं हूँ कि जैसे सगठनका मैंने जिक्र किया वैसा कोई सगठन सचमुच है। अभी हालमे जो पवित्रता-भगकी घटनाएँ हुई हैं, उनसे पहले ही कई लोगोंने, जिनमे कुछ मुसलमान भी शामिल थे, मुझे बताया कि ऐसा कोई सगठन है। जब ये घटनाएँ घटी तो मैं स्वभावतः इसी निष्कर्षपर पहुँचा कि ये कोई क्रोधके आवेगमे हठात् की गई कार्रवाइयाँ नहीं हैं, इसके विपरीत इनका जो एक विशेष स्वरूप है वह इस कारण है कि लोगोंने किसी सगठनके उकसानेपर ये कार्रवाइयाँ की। यदि मुझे यह मालूम हो जाये कि मेरा खयाल विलकुल गलत है तो मुझे खुशी होगी और अपने निर्णयकी भूलकी प्रतीति होते ही मैं तत्काल आवश्यक भूलमुधार कर लूँगा। कहा गया है कि हो सकता है, यह सगठन किसी सरकारी एजेसीकी ही करतूत हो। मैंने कहा कि इन उपद्रवोंमे सरकारका जो हिस्सा हो सकता है, उससे मैं भी इनकार नहीं कर सकता। बल्कि अगर मुझे पता चले कि इस सबके पीछे असली हाथ किसी सरकारी एजेसीका ही है तो निश्चय ही मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा।

उत्तेजनाके कारणके सम्बन्धमे मैंने मुलाकातियोंको बताया कि 'यग इडिया' में प्रकाशित लेखसे यह बात विलकुल स्पष्ट है कि मेरा तात्पर्य विशेष ढंगके उत्तेजनाके

कारणसे ही है। लेखमें कहा गया है कि हिन्दुओकी तरफसे मुसलमानोको उत्तेजनाका मौका ही नहीं दिया गया। मुलतानमें जब मदिर अपवित्र किये गये तब बिना किसी उत्तेजनाके ही किये गये। हिन्दू-मुस्लिम तनावके विषयमें लिखे अपने लेखमें मैंने कुछ ऐसे स्थानोकी चर्चा की है, जहाँ हिन्दुओ द्वारा मसजिदोको अपवित्र किये जानेकी बात कही जाती है। मैं इन आरोपोके सम्बन्धमें सबूत एकत्र करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। परन्तु अबतक मुझे उनका कुछ भी सबूत नहीं मिला है।

मेरे मुलाकातियोने मुझे हैदराबादसे प्रकाशित होनेवाली एक पत्रिका दिखाई। कहते हैं, उस पत्रिकाके अनुसार हिन्दू लोग इस प्रकारके उत्तेजनात्मक काम करते हैं। मैंने कहा कि वैसे तो किसी भी स्थितिमें मैं अपने दृष्टिकोणसे मन्दिर-मसजिद — किसीकी भी पवित्रताको भग करना समान रूपसे अनुचित मानूँगा और इस पत्रिकाकी बातके सही सिद्ध हो जानेपर भी वैसा ही मानूँगा, फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ कि यदि यह बात सिद्ध हो जाये तो इस कार्रवाईकी भर्त्सना करनेका उतना ज्यादा कारण मेरे पास नहीं रह जायेगा। गुलबर्गामें हिन्दुओ द्वारा मसजिदकी पवित्रता भग करनेकी जो बात कही जाती है, वह अगर सिद्ध की जा सकती हो तो मैं सचमुच बहुत दुखी और लज्जित होऊँगा।

इसपर मुलाकातियोने पूछा कि क्या हिन्दुओका भी कोई ऐसा ही सगठन नहीं है। मैंने बताया कि मुझे तो हिन्दुओके किसी ऐसे सगठनकी कोई जानकारी नहीं है, जो मसजिदोकी पवित्रता भग करनेके लिए लोगोको उकसाता हो, लेकिन यह अवश्य देखता हूँ कि कुछ ऐसे हिन्दुओका — इनकी सख्या कोई कम नहीं है — एक सगठन है, जो इस्लामके बारेमें अपमानजनक बातें लिखकर और मुसलमानोकी शरारतोको बहुत ही अतिरजित रूपमें पेश करके उत्तेजना फैलानेपर तुला हुआ है। यह अक्षम्य है। लेकिन मामलेमें दोनो पक्ष समानरूपसे दोषी हैं। इस हालतमें देशके प्रत्येक शुभेच्छुका यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी शरारतोको बढावा देनेवालोकी निन्दा करे और इन्हे रोकनेके लिए कुछ भी उठा नहीं रखे। मैंने मुलाकातियोसे कहा कि अगर दोनो समुदायोके लोग मुझे इजाजत दे और पूरे मनसे सहयोग करे तो मैं इस बातके लिए तैयार हूँ कि जरूरत हुई तो अकेले और सम्भव हुआ तो साधियोकी सहायतासे मामलेकी जाँच करके इस बातका पता लगाऊँ कि शरारत किसने शुरू की, यह कैसे फैल गई और इसका क्या इलाज है।

[ अग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १८-९-१९२४

## १२३. गांधीजीका खुलासा<sup>१</sup>

१८ सितम्बर, १९२४

श्री गांधीने दिल्लीमें अपने २१ दिनके उपवासकी घोषणा करते हुए १८ सितम्बरको निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

इधर हालकी घटनाएँ मेरे लिए असह्य हो गई हैं। और इसमें मेरी असहाया-वस्था तो मेरे लिए और भी असह्य हो रही है। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जब भी कोई ऐसा सकट उपस्थित हो जिसपर हमारा बस न चले और कष्ट असह्य हो जाये तब उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। अपने घनिष्ठ आत्मीयोंके सम्बन्धमें भी मैंने ऐसा ही किया है। मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि मेरे हर तरहके लिखने और कहनेसे भी हिन्दुओ और मुसलमानोमें एकता नहीं हो सकती। इसीलिए मैं आजसे २१ दिनका उपवास प्रारम्भ करता हूँ, जो बुधवार, ८ अक्टूबरको पूरा होगा। अनशनके दिनोमें सिर्फ पानी और उसके साथ नमक लेनेकी मैंने छूट रखी है। यह अनशन प्रायश्चित्तके रूपमें भी है और प्रार्थनाके रूपमें भी।

यदि उपवास केवल प्रायश्चित्त-रूप होता तो इसे सर्वसाधारणके सामने प्रकाशित करनेकी आवश्यकता न थी। परन्तु इस बातके प्रकट करनेका सिर्फ एक ही प्रयोजन है। मैं यह आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रायश्चित्त हिन्दू और मुसलमानोंके लिए, जो कि आजतक मेल-मिलापसे काम करते आये हैं, आत्मघात न करनेके लिए एक कारगर प्रार्थना सिद्ध हो। मैं तमाम जातियोंके नेताओसे, अग्रेजो तकसे, सविनय प्रार्थना करता हूँ कि वे धर्म और मनुष्यताके लिए लाञ्छन-रूप इन झगडोको मिटानेके हेतु एक जगह एकत्र होकर विचार करे। आज तो ऐसा जान पडता है, मानो हमने ईश्वरको सिंहासनसे उतार दिया है। आइए, हम फिर अपने हृदयरूपी सिंहासनपर उसे अधिष्ठित करे।

[अग्रेजीसे]

यग इंडिया, २५-९-१९२४

१. यह वक्तव्य गांधीजीके निम्नी सचिवने सुन्दर दो बने एसोसियेटेड प्रेस ऑफ इंडियाको दिया था।

## १२४. पत्र : एनी बेसेंटकी

दिल्ली

१८ सितम्बर, १९२४

प्रिय डा० बेनेट,

पत्रके लिए धन्यवाद। आप मेरे उपवासकी बात जानती ही हैं, इसलिए मुझे २ आत्मके समारोहकी आवश्यकताके नौभाग्यमे वचित रहना पड़ेगा। किन्तु सन्देश भेजनेकी आज्ञा तो यान्ता ही है।

तापसे द्रव्य उन मन्त्रिधानके पान किये जानेके सम्बन्धमे मुझे बहुत-सी कठिनाइयां दिग्रां देती हैं। किन्तु मैं उन विषयमे दूसरोंकी बात सुनने-समझनेको तैयार हूँ। जब तक हम मिल पायेंगे, उनपर बातचीत करेंगे। मुझे उन उपवासमे किसी बुरे परिणामकी आशा नहीं है।

हृदयमे आपका,  
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीमे]

महादेव देवार्त्तिके हस्तलिखित जयरीमे।  
नौजन्य नागयण देवार्त्तिके

## १२५. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रूजको

१८ सितम्बर, १९२४

प्रिय चार्ली,

तुम्हारा पत्र मित्र। मैंने तुम्हारा प्रश्न समझा नहीं। वेगक, तुम्हारी वहन मलावारके गरीबोंके लिए अपनी बुनी जुराबें भेज सकती है। इन सम्बन्धमे मैंने पहले जो बात कही थी और अब जो छूट दी है, उसके पूरे कारणोंकी चर्चा यहाँ नहीं कहूँगा। यह इसलिए कि मैं तुम्हारा दृष्टिकोण भी समझ सकता हूँ और जो एक-मात्र मवमे अच्छा नजरिया है, उसे अपने दृष्टिकोणका भी औचित्य सिद्ध कर सकता

१ एनी बेसेंटकी ७८ वीं वर्षगाठ तथा उनके सार्वजनिक जीवनकी जयन्तीके उपलक्ष्यमें। वस्तुतः यह समारोह १ अक्टूबरको कावमजी जहांगीर हॉल, बम्बईमे मनाया गया था। गांधीजीके सन्देशके लिए देखिए "सन्देश एनी बेसेंटके जन्म दिवसपर", १-१०-१९२४ से पूर्व।

हूँ। कुछ भी हो, इसमें कोई विरोध अथवा पक्षपातपूर्ण भेद-भावकी बात नहीं है। यह तो विशुद्ध रूपमें कर्तव्यका प्रश्न है।

सस्नेह,

तुम्हारा,  
मोहन

[पुनश्च ]

तुम्हें कल मेरा कार्ड अवश्य मिला होगा। मैं बिलकुल ठीक हूँ।

श्री सी० एफ० एन्ड्र्यूज  
शान्तिनिकेतन  
वरास्ता-बोलपुर  
ई० आई० रेलवे

अग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१६)की फोटो-नकलसे।

## १२६. पत्र : राधा गांधीको

भाद्रपद वदी ५ [१८ सितम्बर, १९२४]

चि० राधा,

तुम्हारा पत्र आज मिला। मेरे २१ दिनके उपवासकी खबर तुमने सुनी होगी। कोई चिन्ता न करना। धर्मका पालन करते हुए यदि दुःख आ पड़े तो उसे सहन करना ही उचित है और इसमें प्रियजनोको सुख मानना चाहिए। आशा है कि अब तुम्हारी तबीयत बिलकुल ठीक होगी। तुम क्या पढती हो, क्या खाती हो, कितनी घूमती-फिरती हो, कातती हो अथवा नहीं, आदि सब बातें तुम्हें मुझे लिखनी चाहिए। रुखी क्या पढती है, उसकी तबीयत कैसी रहती है, यह भी लिखना। मुझे अभी तो यही रहना होगा। यह पत्र सबको पढवा देना।

बापूके आशीर्वाद

चि० राधा

मार्फत — खुशाल गांधी

नवु पर, राजकोट

काठियावाड

गुजराती पत्र (मी० डब्ल्यू० ६०३५) से।

सौजन्य राधावहन चौवरी

## १२७. महादेव देसाईके साथ बातचीत<sup>१</sup>

[ १८ सितम्बर, १९२४ ]<sup>२</sup>

[ गाधीजी ] अच्छा महादेव, चौरीचौरा<sup>३</sup> और वम्बईके काण्डोको लेकर जो उपवास किये, उन्हें तो तुम समझते हो ?

[ महादेव देसाई ] हाँ, जरूर।

फिर इस उपवासको क्यों नहीं समझ पाते ?

उनमें तो आपने अपना दोष माना था, लेकिन यहाँ तो अपना दोष माननेका कोई कारण ही नहीं है। यहाँ आपने कुछ गुनाह किया है, ऐसा कौन कह सकता है ?

है ! यह कैसी नासमझी है ? चौरीचौराके गुनहगार तो ऐसे लोग थे, जिन्होंने मुझे न कभी देखा था, न वे मुझे जानते थे। यहाँ तो वे लोग गुनहगार हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझपर प्रेम रखनेका दावा करते हैं।

शौकत अली और मुहम्मद अली तो हिन्दू-मुस्लिम झगडोको रोकनेका प्रयत्न कर ही रहे हैं। कुछ लोग इनको न सुनें तो वे क्या कर सकते हैं और आप भी क्या कर सकते हैं ? यह तो समय बीतनेपर ही ठीक होगा।

यह तो तुमने दूसरी बात कही। शौकत अली और मुहम्मद अली तो कुन्दन हैं। वे पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यह वाजी अब हमारे हाथमे नहीं है। छ महीने पहले थी। मैं जानता हूँ कि इस उपवाससे लोगोंके अन्तरमे खलवली मच जायेगी। लेकिन यह तो उसका अप्रत्यक्ष असर होगा। यह उपवास मैं किसीपर असर डालनेके लिए नहीं कर रहा हूँ।

लेकिन आपने अपना कोई गुनाह तो बताया ही नहीं।

गुनाह ! कहा जा सकता है कि मैंने, हिन्दू जातिके साथ विश्वासघात किया है। मैंने हिन्दुओसे मुसलमानोको गले लगानेको कहा, उनकी पाक जगहोकी रक्षाके लिए अपना तन, मन, धन अर्पित कर देनेको कहा। आज भी उन्हें अहिंसाकी — मारकर नहीं, बल्कि खुद मरकर झगडा शान्त करनेकी — सीख दे रहा हूँ, और उसका परिणाम

१ जब गाधीजीने २१ दिनका उपवास रखनेका निश्चय किया तो उनके निकटके कई लोगोंने उनसे अपना निर्णय बदल लेनेके लिए आग्रह किया। इन लोगोसे उनकी जो बातचीत हुई उससे उपवासके मर्मपर बहुत प्रकाश पडा। इन्ही बातचीतोंके आधारपर महादेव देसाईने **यंग इंडियामें** “ द इनर मीनिंग ऑफ द फास्ट ” (उपवासका मर्म) और **नवजीवनमें** “ अंततः तपश्चर्याको मर्म ” (इस तपश्चर्याका मर्म) शीर्षकसे लेख लिखे। यह बातचीत गुजराती लेखसे ली गई है।

२ साधन-सूत्रसे।

३ देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४८५-८९ तथा खण्ड २२, पृष्ठ ४३८-४४।

क्या देख रहा हूँ? कितने मन्दिर तोड़े गये! कितनी वहनों ने मेरे आगे फरियाद की है! कल ही मैंने हकीमजीसे कहा कि वहने मुसलमान गुडोके डरसे आतंकित रहती हैं, कई जगहोमे उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भाईका पत्र आया है। उनके बच्चोपर जो वीती उसे क्या सहा जा सकता है? अब मैं किस मुँहसे हिन्दुओसे कहूँ कि आप सहन करते चले जाये। मैंने तो उन्हें विश्वास दिलाया था कि मुसलमानोके साथ प्रेम रखनेका फल मीठा ही होगा, परिणामका विचार किये बिना आप उनके साथ प्रेम करे। इस विश्वासको सही सिद्ध करनेकी शक्ति आज मुझमे नहीं रही, न मुहम्मद अली और न शौकत अलीमे ही रही। मेरी बात कौन सुनता है? फिर भी हिन्दुओसे मुझे मरनेको ही कहना है। ऐसा मैं मरकर ही कर सकता हूँ, मरकर ही उसकी कुजी बता सकता हूँ। और किस तरह बताऊँ?

मैंने असहयोग आन्दोलन शुरू किया। आज देखता हूँ कि अहिंसाकी गन्धकी भी जाने बिना लोग एक-दूसरेके साथ असहयोग करने लगे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यह है कि मैं खुद ही अहिंसक नहीं हूँ। मेरी अहिंसा भी कोई अहिंसा है? अगर वह पराकाष्ठापर पहुँच जाती तो आज मैं जो हिंसा देख रहा हूँ वह देखनेको न मिलती। इसलिए मेरा उपवास प्रायश्चित्त है, तपश्चर्या है। मैं किसीको दोष नहीं देता। मैं तो अपनेको ही दोष दे रहा हूँ। मेरी शक्ति चली गई है। हार-थककर, अपनी शक्ति खोकर अब मुझे सिर्फ ईश्वरके ही दरवारमे अर्ज करना है। अब वही सुनेगा, दूसरा कौन सुननेवाला है?

किन्तु प्रायश्चित्तका मतलब क्या यही है -- ऐसा उपवास ही है? ऐसे उपवासका विधान हिन्दू-धर्ममें है क्या?

वाह! जरूर है! ऋषि-मुनि क्या करते थे? वे जो घोर तपस्या करते थे वह क्या वनमे फल-मूल खाकर करते थे? और हजारो वर्षकी तपस्या करने, गुफाओमे जाकर तपस्या करनेकी बात सुनते हैं, सो क्या है? पार्वतीने अपर्णाव्रत लिया था, वह क्या था? तप-जपसे तो हिन्दू धर्म भरा पडा है।

जितना गहरा विचार इस उपवासके पीछे रहा है, उतना गहरा विचार पहलेके उपवासोके पीछे शायद ही रहा हो। इस उपवासकी कल्पना तो जिस दिन मैंने असहयोग शुरू किया उसी दिनसे कर रखी थी। असहयोग प्रारम्भ करते समय मनमे ऐसा खयाल आया कि लोगोके हाथमें मैं जैसा भयकर शस्त्र दे रहा हूँ, यदि इसका दुरुपयोग हुआ तब? तो प्राणोकी बलि देनी होगी। आज वह समय आ गया है। आजतकके उपवासोके उद्देश्य तो सीमित थे। इस वारके उपवासका उद्देश्य विश्वव्यापी है। इसमे प्रेमका पारावार उमड रहा है और मैं इस समुद्रमे आज नहा रहा हूँ।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २८-९-१९२४

## १२८. तार : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको<sup>१</sup>

[ १८ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात् ]

उपवास छोड़नेका मतलब तो अपने-आपको नकारना होगा। उपवास मरनेके लिए नहीं, जीनेके लिए कर रहा हूँ। ईश्वरकी मर्जी कुछ और हो तो दूसरी बात है। चिन्ता न करे।

गाधी

हिन्दू, २९-९-१९२४

## १२९. तार<sup>२</sup>

[ १८ सितम्बर, १९२४ के पश्चात् ]

तार अभी मिला। ईश्वरने चाहा तो इक्कीस दिन बाद भी निश्चय ही जीवित रहनेकी आशा। इरादा चालीस दिन उपवास करनेका था। किन्तु बहुत कष्टके बिना ही इसे पूरा कर लूँ, इस आशासे इक्कीस दिन ही रखना तय किया। ऐसा निर्णय करने तथा मित्रोंकी सलाह न लेनेका पूरा कारण है। जो स्पष्ट कर्तव्य हो उसका पालन चाहे जितना कष्टकर हो, उसपर चिन्ता नहीं करनी चाहिए। उपवास धर्मकी मेरी कल्पनाका सीधा परिणाम है।

अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०१७८) की फोटो-नकलसे।

१ यह राजगोपालाचारीके १८ सितम्बरके उन तारके उत्तरमें भेजा गया था जिसमें उन्होंने गाधीजीसे उपवास छोड़नेका अनुरोध करते हुए लिखा था आपके वर्तमान स्वास्थ्यको देखते हुए उसका (उपवासका) अर्थ मृत्युके सिवा और कुछ नहीं होगा।

२ इस तारका मसविदा १८ सितम्बरको सी० एफ० एन्ड्र्यूज द्वारा महादेव देमाईको भेजे गये पत्रके पीछे लिखा गया था।



## १३०. ईश्वर एक है'

१९ सितम्बर, १९२४

पिछले गुरुवारकी रातको पहलेसे वक्त मुकरंर करके कुछ मुसलमान मित्र मुझे मिलने आये थे। उनमे मुझे ईमानदारी और सचाई दिखाई देती थी। श्रद्धि और सगठनके खिलाफ उन्हे बहुत कुछ कहना था। मैं इन आन्दोलनोके बारेमे अपने विचार पहले ही प्रकट कर चुका हूँ।<sup>१</sup> जहाँतक हो सके, उपवासके इन विशेष दिनो-मे, मैं विवादास्पद विषयोपर कुछ भी नहीं कहना चाहता। यहाँ तो मैं उनके बताये एकताके उपायकी ओर पाठकोका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उन्होने कहा, "हम 'वेदो' की अपौरुषेयताको मानते हैं। हम श्रीकृष्णजी महाराज और रामचन्द्रजी महाराज (विशेषण उन्हीके हैं) को भी मानते हैं। फिर हिन्दू 'कुरान' को दैवी मानकर हमारे साथ यह क्यों नहीं कहते कि खुदा केवल एक है और मुहम्मद उसका पैगम्बर है? हमारा मजहब वर्जनशील नहीं है, वह तो तत्त्वतः ग्रहणशील और व्यापक है।"

मैंने उनसे कहा कि उनका उपाय उतना आसान नहीं जितना कि वे बताते हैं। उनका यह सूत्र चाहे कुछ सुशिक्षित लोगोके लिए ठीक हो, पर सामान्य लोगोके लिए वह काम न देगा। क्योंकि हिन्दुओकी दृष्टिमे गो-रक्षा और रास्तेमे मसजिद हो तो भी वाद्य और सगीतके साथ हरि-कीर्तन करते हुए जाना हिन्दू-धर्मका सार है और मुसलमानोके खयालमे गो-वध और वाजे वजानेपर रोक इस्लामका सार-सर्वस्व है। इसलिए यह जरूरी है कि हिन्दू लोग मुसलमानोको गो-कुशी छोड देनेपर मजबूर करना छोड दे और मुसलमान लोग हिन्दुओको वाजे बन्द करनेपर लाचार करना छोड दे। गो-कुशी और वाजे वजानेके नियमनका काम दोनो जातियोके सद्भावपर छोड दिया जाये। ज्यो-ज्यो दोनोमे सहनशीलताके भाव बढते जायेगे, त्यो-त्यो ये दोनो रिवाज अपने-आप सही रूप धारण कर लेंगे। पर मैं इस नाजुक सवालकी चर्चा यहाँ अधिक विस्तारसे नहीं करना चाहता।

मैं तो यहाँ उन मुसलमान मित्रोके बताये आकर्षक सूत्रपर विचार करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि उसमे से कमसे-कम मैं क्या मान सकता हूँ, और चूँकि मेरा मन पूरी तरहसे वैसा ही है जैसा एक हिन्दूका होता है, मैं जानता हूँ कि इस-पर मैं जो-कुछ कहूँगा वह हिन्दुओके एक विशाल समुदायको भी पसन्द होगा।

१. मूल अंग्रेजी लेखके आरम्भमें महाकवि गेटेके फॉस्टसे एक उद्धरण दिया गया था। उसकी अन्तिम पक्तियाँ, जिनमें उमका सारांश आ जाता है, इस प्रकार हैं मैं उसे कोई नाम नहीं दे सकता ? अनुभूति ही सब-कुछ है। नाम तो केवल शब्द है, वह तो धुआँ है—ऐसा बुद्धासा है जो उस स्वर्गिक ज्योतिको आवृत्त करता है।

२. देखिय "हिन्दू-मुस्लिम एकता", १४-९-१९२४।

सच पूछिए तो औसत दर्जेके मुसलमान ही 'वेदो' तथा दूसरे हिन्दू धर्म-ग्रन्थोकी अपौरुषेयताको या कृष्ण अथवा रामके पैगम्बर या अवतार होनेकी बातको कुबूल नहीं करेगे। हिन्दुओके लिए तो 'कुरान शरीफ' या पैगम्बर साहबको भला-बुरा कहनेकी रीति एक बिलकुल ही नयी चीज है जो अभी-अभी शुरू हुई है। हिन्दुओकी जमातमे मैने पैगम्बर साहबके प्रति आदरभाव देखा है। यहाँतक कि हिन्दुओके कुछ गीतोमे भी इस्लामकी तारीफ पाई जाती है।

अब सूत्रके पहले भागको लीजिए। ईश्वर वाकई एक और अद्वितीय है। वह अगम, अगोचर और मानव-जातिके अधिकाशके लिए अज्ञात है। वह सर्वव्यापी है। वह बिना आँखोके देखता है, बिना कानोके सुनता है। वह निराकार और अखण्ड है। वह अजन्मा है, उसके न माता है, न पिता है, न सन्तान—फिर भी वह पिता, माता, पत्नी या सन्तानके रूपमे पूजा ग्रहण करता है। यहाँतक कि वह काष्ठ और पाषाणके रूपमे भी पूजा-अर्चनाको अगीकार करता है, हालाँकि वह न तो काष्ठ है, न पाषाण ही। वह हाथ नहीं आता—पकडमे आता दिखता है और निकल जाता है। अगर हम उसे पहचान सके तो वैसे वह हमारे बिलकुल नजदीक है। पर यदि हम उसकी सर्व-व्यापकताको अनुभव न करना चाहे तो, वह हमसे अत्यन्त दूर है। 'वेद'मे अनेक देवता है। दूसरे धर्म-ग्रन्थ उन्हे देव-दूत आदि दूसरे नाम देते हैं। पर 'वेद' एक ही ईश्वरका गुण-गान करते हैं।

मुझे 'कुरान'को ईश्वर-प्रेरित माननेमे कोई सकोच नहीं होता, जिस प्रकार कि 'वाइविल,' 'जेन्द-अवेस्ता,' या 'ग्रन्थ साहब' तथा दूसरे पुण्य-धर्मग्रन्थोको माननेमे नहीं होता। ज्ञानका ईश्वरकृत प्रकाश किसी एक ही राष्ट्र या जातिकी सम्पत्ति नहीं है। यदि मुझे हिन्दू-धर्मका कुछ भी ज्ञान है तो वह मूलत ग्रहणशील, सदा वर्द्धमान और परिस्थितिके अनुरूप नवीन रूप धारण करनेवाला है। उसमे कल्पना, अनुमान और तर्कके लिए पूरी-पूरी गुजाइश है। 'कुरान' और पैगम्बर साहबके प्रति आदर-भाव उत्पन्न करनेमे मुझे हिन्दुओके नजदीक कभी जरा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। पर हाँ, मुसलमानोके अन्दर वही आदर-भाव 'वेदो' और अवतारोके प्रति उत्पन्न करनेमे मैने अलवत्ता दिक्कत अनुभव की है। दक्षिण आफ्रिकामे मेरे एक बहुत अच्छे मुसलमान मुवक्किल थे। अफसोस है, अब वे दुनियामे नहीं रहे। हमारा वकील-मुवक्किलका रिश्ता आगे चलकर घनिष्ठ मैत्री और पारस्परिक आदरभावका हो गया था। हम बहुत बार धार्मिक चर्चाएँ भी किया करते थे। मेरे वे मित्र किसी अर्थमे विद्वान् तो नहीं कहे जा सकते, पर उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। वे 'कुरान'की सब बातें जानते थे। उन्हे दूसरे धर्मोकी भी कुछ बातोका ज्ञान था। मुझे इस्लाम स्वीकार करानेमे वे दिलचस्पी रखते थे। मैने उनसे कहा, "मैं 'कुरान शरीफ' और पैगम्बर साहबके प्रति पूरा-पूरा आदर-भाव रख सकता हूँ, पर आप 'वेदो' और अवतारोको न माननेका इसरार क्यों करते हैं? उन्हीकी मददसे तो मैं आज जो कुछ हूँ, हो पाया हूँ। 'भगवद्गीता' और तुलसीदासकी 'रामायण'से मुझे अपार शान्ति मिलती है। मैं खुल्लमखुल्ला कबूल करता हूँ कि 'कुरान', 'वाइविल' तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मोके प्रति मेरा अति आदर-

भाव होते हुए भी मेरे हृदयपर उनका उतना असर नहीं होता जितना कि श्रीकृष्णकी 'गीता' और तुलसीदासकी 'रामायण' का होता है।" तब वे मुझसे ना-उम्मीद हो गये और उन्होंने वेहिचक मुझसे कहा कि आपके दिमागमे जरूर कुछ गडबड है। यह एक उनकी ही मिसाल नहीं। उसके बाद ऐसे कितने ही मुसलमान मित्रोंसे मेरी मुलाकात हुई, जो ऐसे ही विचार रखते हैं। फिर भी मैं मानता हूँ कि यह मन स्थिति चन्द्रोजा है। मैं जस्टिस अमीरअलीके इस विचारसे सहमत हूँ कि हार्लैं-अल-रशीद और मामूँ के जमानेमे इस्लाम दुनियाके तयाम मजहबोमे सबसे ज्यादा सहिष्णु था। पर आगे चलकर उनके जमानेके धर्म-गुरुओकी उदार-वृत्तिके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू हुई। प्रतिक्रियावादियोमे भी बडे विद्वान् और प्रभावशाली लोग थे और उनके प्रभावने इस्लामके उदार और सहिष्णु धर्मगुरुओ और तत्त्ववेत्ताओकी शिक्षाको प्रायः दबा दिया। भारतमे उस प्रतिक्रियाके दुष्परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन इस बातमे तिल-मात्र भी सन्देह नहीं है कि इस्लामके अन्दर इस अनुदारता और असहिष्णुताको निकाल डालनेकी पूरी-पूरी क्षमता है। हम बडी तेजीसे उस दिनके नजदीक पहुँच रहे हैं जबकि इन मित्रोंका सुझाया सूत्र सारी मनुष्य-जातिको मान्य हो जायेगा। इस समय आवश्यकता इस बातकी नहीं कि सबका धर्म एक बना दिया जाये, बल्कि इस बातकी है कि भिन्न-भिन्न धर्मोंके अनुयायी और प्रेमी परस्पर आदर-भाव और सहिष्णुता रखे। हम निष्प्राण एकरूपता नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं, विविधतामे एकता। पूर्व परम्पराओ तथा आनुवंशिक सस्कार, जलवायु और दूसरी आसपासकी बातोंके प्रभावको उन्मूलित करनेका प्रयत्न निश्चय ही विफल होगा और ऐसा प्रयत्न करना अधर्म होगा। सब धर्मोंकी आत्मा एक है, हाँ, वह भिन्न-भिन्न रूपोमे मूर्तिमान होती है। रूपोकी यह विविधता कालके अन्ततक कायम रहेगी। इसलिए जो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, वे तो ऊपरी कलेवरपर ध्यान न देकर भिन्न-भिन्न रूपोमे उसी एक आत्माका दर्शन करेगे। हिन्दुओके लिए यह आशा करना कि इस्लाम, ईसाई-धर्म और पारसी-धर्म हिन्दुस्तानसे निकाल दिया जा सकेगा, एक निरर्थक स्वप्न है और इसी तरह मुसलमानोका भी यह उम्मीद करना कि किसी दिन अकेले उनके काल्पनिक इस्लामका राज्य सारी दुनियामे हो जायेगा, कोरा स्वाव है। पर अगर इस्लामके लिए एक ही खुदाको तथा उनके पैगम्बरोकी अनन्त परम्पराको मानना काफी होता हो तो हम सब मुसलमान हैं, इसी तरह हम सब हिन्दू और ईसाई भी हैं। सत्य किसी एक ही धर्म-ग्रन्थकी ऐसी सम्पत्ति नहीं है जो अन्यत्र हो ही नहीं।


[अग्रेजीसे]

यग इडिया, २५-९-१९२४

my the forwarded  
 4 m must not be  
 stumped rather in  
 force that God's  
 strength do we turn  
 to do my but, I could  
 not do without in as  
 the center of some  
 more, and early respon-  
 sibility I could my work  
 clear. as you are in  
 work, I am in  
 presence of treatment  
 to improve between  
 drink etc. up to 10  
 full I am quite at  
 hand & accordingly  
 1/4 1/2  
 1/2 1/2  
 best guide

POST  
 WRITING SPACE

INDIA



The...  
 &...  
 ...  
 ...

उपवासके दिनोंमें, इन्दिराके साथ



## १३१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको<sup>१</sup>

१९ सितम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हें स्तब्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी मनाओ कि ईश्वर मुझे अपना कर्तव्य-पालन करनेका बल और आदेश दे रहा है। मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। असहयोगके प्रवर्तककी हैसियतसे मेरे कन्धोपर अविक जिम्मेदारी है। लखनऊ और कानपुरके बारेमें अपने विचार मुझे जरूर लिख भेजो। मुझे यह प्याला पूरा पी लेने दो। मुझे पूर्ण आन्तरिक शान्ति है।

हृदयसे तुम्हारा,  
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

ए वच ऑफ ओल्ड लेटर्स

## १३२. पत्र : लक्ष्मीको

[१९ सितम्बर, १९२४]<sup>२</sup>

चि० लक्ष्मी,

यह पत्र भी सबके लिए है। लेकिन बच्चोकी तरह लक्ष्मीको अच्छी लडकी कहूँ या बुरी? वह वचन तो देती है पर पत्र नहीं लिखती—यह कैसी बात? मैं तो तुमसे सुन्दर अक्षरोमें लिखे पत्रकी उम्मीद करता हूँ। मैं उपवासमें भी सब बच्चोको याद करता हूँ और मेरे मनमें प्रश्न उठते हैं, “क्या सब बच्चे नियमसे कातते हैं? पढते हैं? सच बोलते हैं? नियमोका पालन करते हैं?” मुझे इन सब प्रश्नोका उत्तर कौन देगा?

मुझे उपवाससे बहुत शान्ति मिलती है। मेरी चिन्ता किसीको भी नहीं करनी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

चि० लक्ष्मी

सत्याग्रह आश्रम, सावरमती

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५६४५) से।

सौजन्य छगनलाल गांधी

१ देखिए पृष्ठ १९२ के सामनेका चित्र।

२ ढाककी मुहरसे।

## १३३. शौकत अलीसे बातचीत<sup>१</sup>

[ १९ सितम्बर, १९२४ ]<sup>२</sup>

मौलाना शौकत अली अगले दिन आये। मौलाना मुहम्मद अलीने उनके आगमनपर बड़े-बड़े संसूबे बांध रखे थे, क्योंकि उन्होंने यही मान रखा था कि वे गांधीजीको शायद, अपने निश्चयसे डिगा देंगे। दरअसल, गांधीजीने उनसे वादा किया था कि अगर शौकत अली या खुद वे उन्हें इस बातकी प्रतीति करा दें कि उनका उपवास करना नैतिक अथवा किसी भी दृष्टिसे गलत है तो वे अपना संकल्प छोड़ देंगे। किन्तु, जहाँतक उपवास जारी रखनेका सम्बन्ध था, उनके साथ हुई लम्बी बातचीतका कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, उससे उपवासका भीतरी अर्थ और भी स्पष्ट अवश्य हुआ।

[ शौकत अली : ] महात्माजी, इस स्थितिका निराकरण करनेके लिए हमने सचमुच क्या किया है? लगभग कुछ नहीं। अपने अखबारके जरिये तो आप लोगोसे अपनी बात अवश्य कहते रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने अभीतक कोई लम्बा बीरा नहीं किया है। तो कृपया आप प्रभावित क्षेत्रोका बीरा करके वातावरणको शान्त और निर्मल बनायें। यह उपवास तो इस गलतीको दूर करनेका तरीका नहीं है।

[ गांधीजी ] मेरे लिए तो यह विशुद्ध रूपसे एक धार्मिक प्रश्न है। मैंने अपने आसपास देखा, अपने मनको पूछा, टटोला और पाया कि मैं असमर्थ हूँ। लम्बी यात्रा करके भी मैं क्या कर सकता था? आज जनसाधारण हमें सन्देहकी दृष्टिसे देखता है। आप यह भी न समझिए कि दिल्लीके हिन्दुओका मुझपर पूरा विश्वास है। उन्होंने मुझसे मध्यस्थता करनेके लिए भी एक-मत होकर नहीं कहा और यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि हत्याएँ भी हुई हैं। जिन्होंने दुख उठाया है, वे मेरी सुनेंगे, यह आशा मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उनसे उन लोगोको माफ कर देनेको ही कहूँगा जिन्होंने उनके सगे-सम्बन्धियोका खून किया है। लेकिन यह किसको स्वीकार होगा? अजुमन भी तो हकीम साहबकी नहीं सुन रहा है। जब हम लोग उनके मामलेकी मध्यस्थता करनेके विषयमें सोच-विचार कर रहे थे, मैंने कोहाटके वारेमे मुना। मैंने अपने-आपसे पूछा, “अब तुम क्या करने जा रहे हो?” मैं अदम्य आशावादी आदमी हूँ, लेकिन मेरी आशा बराबर ठोस तथ्योपर आधारित होती है। आप भी वैसे ही आशावादी हैं, लेकिन आप अपनी आशाका महल कभी-कभी वालूकी नीवपर भी खड़ा कर देते हैं। सच मानिए, आज आपकी कोई नहीं सुनेगा। गुजरातमे

१. महादेव देसाइजी डायरीमें छपे “द इनर मीनिंग ऑफ द फास्ट” (उपवासका मर्म) शीर्षक से उद्धृत।

२. नयजीवनके २८-९-१९२४के अंकमें दी गई तिथि।

वीसनगरमे श्री अक्वास तैयबजी और महादेवके पत्ने भी बेखी ही पडी। अहमदाबादमे भी आग भडकने जा रही थी, लेकिन उसे प्रारम्भमे ही शमित कर दिया गया। जब मैं गुजरातसे चला, उस समय उमरेठमे कुछ मुसीबत खडी हो रही थी। मुझे हाथपर-हाथ घरे चुपचाप यह सब देखना पडे, इससे प्रकट होता है कि मैं कितना असमर्थ हूँ। मैं अब भी सैकडो वहनोके स्नेह-सौजन्यका भाजन हूँ। आज वे भयके मारे मरी जा रही हैं। मैं खुद ही एक उदाहरण पेश करके उन्हें मरनेका रास्ता दिखाना चाहता हूँ।

अगर दोनो जातियोके बीच खरी, खुली और ईमानदारी तथा बहादुरीकी लडाई हो तो लडाईकी मुझे कोई चिन्ता नहीं। लेकिन आज तो यह लडाई लडाई नहीं, घोर कायरताकी शर्मनाक कहानी है। लोग पयराव करते हैं और भाग जाते हैं, हत्या करते हैं और भाग खडे होते हैं। वे अदालतोमे जाते हैं, झूठी गवाहियाँ देते हैं, झूठे सबूत पेश करते हैं। कितनी दर्दनाक स्थिति है? मैं कैसे, किस तरह उन्हें बहादुर बनाऊँ? आप अपने तर्क पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी तो अपने-भर पूरी कोशिश करनी चाहिए। मुझे वह शक्ति प्राप्त करनी ही है, जिससे मैं उन्हें प्रभावित कर सकूँ।

नहीं, आप असफल नहीं हुए हैं। उन्होंने आपकी बात सुनी थी; वे आपकी बात सुन भी रहे थे। लेकिन आपकी अनुपस्थितिमें उन्हें सलाह देनेवाले दूसरे लोग भी तो थे। उन्होंने उनकी बात सुनी और गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अब भी अपनी गलती महसूस करेगे। जनसाधारणके मनमें अहमद कम करनेके लिए आपने बहुत-कुछ किया है। मैं तो इन उपद्रवोकी कोई परवाह नहीं करूँगा। मैं तो सीधे उनसे जाकर कहूँगा, "शैतानी, यह शैतानियतका खेल जी भरकर खेल लो। लेकिन सबके ऊपर खुदा बराबर बैठा हुआ है। तुम एक-दूसरेको भले ही मार डालो, लेकिन उसे नहीं मार सकते।" तो प्यारे भाई, खुदाके आड़े न आइए। आप तो उसके खिलाफ लड रहे हैं। अब वह होने दीजिए, जो वह चाहता है।

तो क्या मैं उससे लड रहा हूँ? अगर मुझमे कोई अभिमान या अहम् है तो वह अब समाप्त हो चुका है। सच मानो प्यारे भाई, यह उपवास मैंने निरन्तर कई दिनतक प्रार्थना करते रहनेके वाद ही शुरू किया है। मैंने रातके तीन-तीन बजेतक जगकर उससे पूछा है कि बताओ, अब क्या कहूँ? १७ सितम्बरको उसका जवाब मेरे सामने विजलीकी तरह कौब गया। अगर मैंने गलती की है तो वह मुझे माफ करेगा। मैंने जो-कुछ भी किया है, जो-कुछ कर रहा हूँ, पूरी तरह मनमे उसका भय रखते हुए किया है, और कर रहा हूँ। और सो भी कहाँ? खुदासे डरकर चलनेवाले एक मुसलमानके घर। मेरा धर्म मुझे यह सिखाता है कि जो कष्ट-सहनके लिए तैयार है, वही ईश्वरसे प्रार्थना कर सकता है, याचना कर सकता है। मेरे धर्ममें उपवास और प्रार्थना दोनो एक ही तरहके विधान हैं। लेकिन, मैं तो इस्लाममे भी ऐसे तपके बारेमे जानता हूँ। मैंने पैगम्बर साहबकी जीवनीमें पढ़ा है कि वे अकसर उपवास और प्रार्थना किया करते थे, लेकिन दूसरोको अपनी नकल



करनेसे मना करते थे। किसीने उनसे पूछा कि जो चीज आप खुद करते हैं, उसे दूसरोको क्यों नहीं करने देते। उनका उत्तर था “क्योंकि मैं दैवी पोषणपर जीता हूँ।” उनकी बड़ी-बड़ी उपलब्धियोंसे अधिकाराश उपवास और प्रार्थनाका परिणाम थी। मैंने उनसे यह सीखा है कि जिसका ईश्वरमें अनन्त विश्वास हो वही उपवास कर सकता है। पैगम्बर साहबको इलहाम ऐशो-आरामकी घडियोंमें नहीं हुआ करते थे। वे उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, लगातार कई राततक जागते रहते थे और जब उन्हें इलहाम होता था उस समय वे सारी रात खडे रहते थे। इस समय भी मैं अपने सामने उपवास और प्रार्थनारत पैगम्बर साहबका चित्र देख रहा हूँ। भाई शौकत, मैं यह सहन नहीं कर सकता कि लोग आपपर और आपके भाईपर मेरे साथ किये गये वादेको तोड़नेका इलजाम लगाये। आपपर ऐसा आरोप लगाया जाये, इस बातका खयाल भी मेरे लिए असह्य है। मुझे इसके लिए मर मिटना चाहिए। यह उपवास मैं सिर्फ अपनी शुद्धिके लिए, शक्ति प्राप्त करनेके लिए कर रहा हूँ। मुझे गलत न समझे। मैं आपसे इस तरह बातें कर रहा हूँ, मानो मैं मुसलमान होऊँ। इसका कारण यह है कि मैंने अपने मनमें इस्लामके प्रति वही श्रद्धा जगा ली है जो आपमें है। इस्लामके प्रति अपनी समस्त श्रद्धाका विश्वास दिलाने हुए मैं कहूँगा कि उपवास और प्रार्थनाके बाद मुझमें दोनो जातियोंको अपनी बात समझानेकी ज्यादा ताकत आ जायेगी। यह मेरा अपना पक्का विश्वास है कि शरीरको जितना ही तपाया जाये, आत्माका रंग उतना ही निखरता है। हमें हुल्लडवाजीके खिलाफ लड़ना है, उसे रोकना है पर अभी हममें उसके लिए अपेक्षित पर्याप्त आत्मिक शक्ति नहीं है।

यहाँ आकर शौकत अलीने अपनी दलीलका रख बदल दिया।

क्या यह सोचना भी आपका फर्ज नहीं है कि आपके इस लम्बे उपवाससे देशको कितना बड़ा सदमा पहुँचेगा?

नहीं, विलकुल नहीं। क्योंकि आदमी बहुत बार अपने-आपको धोखा देता है। वह अकसर दूसरोको खुश करनेके लिए ऐसे काम करता है, जिससे उसे वचना चाहिए। इसलिए मनुष्यके लिए धर्मकी सीख यही है कि कोई सकल्प लेनेके बाद वह दुनियाके सामने उसपर दृढ़ रहकर खड़ा रहे। और यह कितना बड़ा मिथ्याभिमान है कि कोई सोचे कि दुनिया उसकी भारी तपस्या देखकर स्तब्ध रह जायेगी। और हम किस-किसकी इच्छाका खयाल रखें? इसका तो कहीं अन्त ही नहीं है। अगर राम सलाह लेने और दलील करनेके लिए रुके रहते तो वे कभी भी वनवासको न जाते और घरतीके दुख दूर नहीं कर पाते। वे किसीकी सलाहके लिए नहीं रुके। वस, निकल पडे। क्यों? क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञाको अपने जीवनमें अधिक मूल्यवान मानते थे। कोई भी बड़ा नकल्प वही आदमी कर सकता है जिसकी ईश्वरमें प्रबल आस्था हो और जो ईश्वरसे डरकर चलनेवाला हो।

एक बात और। क्या ऐसा निश्चय करनेसे पहले आपको किसीसे सलाह नहीं कर लेनी चाहिए? क्या आपके लिए इसका भी खयाल करना जरूरी नहीं कि आपके स्वास्थ्य और शरीरपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

नहीं, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता। यह तो मेरे और ईश्वरके बीचकी बात है। और अगर मुझे किसीसे सलाह लेनी ही चाहिए तो बेहतर यही होता कि मैं यह प्रतिज्ञा करता ही नहीं। आप मेरे शरीर और स्वास्थ्यपर इसके प्रभावकी बात करते हैं, तो सुनिए, अगर मैं इतना दुर्बल हूँ कि इसे बरदाश्त नहीं कर सकता तो मर जाऊँगा। यह शरीर किस कामका है? जब मैं जेलमें था, मैंने आनन्दसे आह्लादित हो-होकर पैगम्बर साहबके साथियोंकी जीवनियाँ पढ़ी। कहते हैं, एक बार हजरत उमरने किसीको उपहार-स्वरूप ५०० दीनार भेजे। उन्हें देखकर उसका मन काँप गया और वह रोने लगा। उसकी पत्नीने पूछा कि क्यों रो रहे हो? उसने जवाब दिया, “मेरे पास माया आई है। अब मेरा क्या होगा?” यह उपहार हजरत उमर-जैसे पाक आदमीने भेजा था। फिर भी उसे देखकर वह काँप उठा, क्योंकि वह माया थी, नश्वर पदार्थ था। जीवन भी वैसा ही है। अगर ईश्वरको अब भी इस शरीरसे कुछ काम लेना हो तो वह इसे कायम रखे। और उसे इसमें जो काम लेना था, वह अगर वह ले चुका हो तो फिर इसे नष्ट हो जाने दे। दरअसल तो मैंने ऐसा सोचा था कि अगर उपवासकी यह अवधि पूरी होनेतक स्थिति नहीं सुधरती तो मैं स्थायी उपवासका व्रत लूँगा। हकीमजीने मुझसे ऐसा विचार मनमें न लानेको कहा। इसपर मैंने कहा, “लेकिन, मैं इसे अपने मनसे कैसे निकाल सकता हूँ?” यह मेरी रग-रगमें समाया हुआ है, यह मेरे अस्तित्वका अंश है। अगर मुसलमान हिन्दुओंके साथ सद्भावना स्थापित करना अपने धर्मके विरुद्ध नहीं मानते तो उन्हें उनके साथ सद्भावना स्थापित करनी चाहिए। अगर वे ऐसा मानते हो और मुझसे ऐसा कहे कि नहीं, यह हमारे धर्मके विरुद्ध है तो मेरा निश्चित मत है कि फिर मेरे जीवित रहनेका कोई कारण नहीं रह जायेगा। उस हालतमें तो मुझे मर ही जाना चाहिए। अभी पिछले दिनो स्वाजा अहमद निजामी साहबसे भी मेरी साफ-साफ बातचीत हुई। मैंने उनमें कहा, “आप लावारिस बच्चो और अस्पृश्यको ही मुसलमान क्यों बनाते हैं? अच्छा हो आप मुझे मुसलमान बनाये ताकि जब मैं इस्लामको स्वीकार कर लूँ तो दूसरे बहुत-से लोग भी मेरा अनुकरण करे। वे बेचारे इस्लाम कबूल करेंगे तो कुछ इस कारणसे नहीं कि वे उसकी खूबियोंको समझते हैं, उसके कारण तो कुछ और ही होंगे। इन लोगोंके मुसलमान बन जानेसे इस्लाम रचमात्र भी समृद्ध नहीं होगा।

यह बातचीत बहुत ही प्रभावित करनेवाली थी। मैं इसके साथ न्यूनतम न्याय भी नहीं कर पाया हूँ। शौकत अली तो बिल्कुल अभिभूतसे दिखाई पड रहे थे। वहाँसे उठते हुए उन्होंने कहा, “तीन बातोंके लिए मैं रोज ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ। एक तो है हिन्दू-मुस्लिम एकता, दूसरी यह कि मेरी माँ इस्लाम और भारतको आजाद देखनेके लिए जीवित रहे और तीसरी यह कि महात्मा गांधीका व्रत पूरा हो।”

[ अग्रेजीसे ]

यग इंडिया, २३-१०-१९२४

## १३४. तार : 'आउट लुक'को

[ १९ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात् ]

आउट लुक  
लाहौर

तारके लिए धन्यवाद। [प्रचार-सघर्षमें] अस्थायी विराम समस्याका पूरा समाधान नहीं। आवश्यकता इस बातकी है कि हिन्दुओं और मुसलमानों दोनोंके अखबारोंमें से अतिशयोक्ति, मिथ्या-प्रचार तथा उत्तेजनाका विषय जड़से समाप्त हो। मैं पैवन्द लगी कृत्रिम एकताके लिए नहीं बल्कि हृदयोंकी एकताके लिए जीना चाहता हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपना प्रयत्न उसी एकताकी सिद्धिमें लगाये।

गांधी

अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०४९३) की माइक्रोफिल्मसे।

## १३५. टिप्पणियाँ

२० सितम्बर, १९२४

कतार्ईमें मासिक बढ़ती

कातनेवालोंकी सख्या २,७८० से बढ़कर एक महीनेमें ही ४,९०८ तक पहुँच जाना कोई बुरी प्रगति नहीं है। पाठक इस बातपर गौर करे कि सदस्यों और गैर-सदस्यों, दोनोंकी सख्यामें काफी बढ़ती हुई है। गुजरातका नम्बर अब भी अब्वल ही है। लेकिन आन्ध्र इस दौड़में उसके विलकुल पीछे लगा हुआ है। कर्नाटकका ४१ से एकदम कूदकर ३६२ तक जाना और तमिलनाडुका ९० से ४५६ तक पहुँच जाना बहुत उत्साहवर्द्धक है। इस साल कर्नाटकको कांग्रेसका अधिवेशन अपने यहाँ करनेका गौरव प्राप्त होने जा रहा है, इसलिए वस्तुतः उसे तो अब्वल नम्बरपर ही होना चाहिए। इस महीनेका अभी और सूत आना बाकी है। उससे तो वृद्धि और भी अधिक स्पष्ट प्रतीत होगी। यदि इसी तरह प्रगति होती रहेगी तो बहुत जल्द कातनेवालोंकी

१. यह आउट लुककी ओरमें १९ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात् भेजे गये तारके उत्तरमें भेजा गया था। इस तारमें गांधीजीको यह सूचित करते हुए कि हिन्दुओं और मुसलमानों दोनोंके अखबारोंमें एक सप्ताह तक एक-दूसरेके विरुद्ध प्रचारका अभियान बन्द रखनेका निर्णय किया है, उनमें प्रोत्साहनका संदेश मोंगा गया था।

सख्या काफी बडी हो जायेगी। पाठक ध्यान रखे कि जितने स्वेच्छासे कातनेवाले हैं उन सबको इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो लोग अनियमित रूपसे कातते हैं उनकी सख्या नियमित कातनेवालोकी सख्यासे कमसे-कम दूनी होगी और मजदूरी लेकर कातनेवाले इसमे शुमार नहीं किये गये हैं। यदि सिर्फ वे जिन्होंने नियमित कातना शुरू कर दिया है, स्वराज्य मिलनेतक बराबर कातते रहे (यह कोई उनसे बहुत बडी अपेक्षा तो नहीं होगी) तो हम उसको कुछ जल्दी जरूर पा सकेगे।

### सभापतिकी तरफसे इनाम

कताईके प्रति मौलाना मुहम्मद अलीका आकर्षण रोज बढ़ रहा है। घटो सावजनिक कार्योंमे लगे रहनेपर भी वे कताई करते रहे हैं और गत मासके २,००० गज पूरा करनेके लिए वे अकसर आधी-आधी राततक कातते रहे हैं। उन्होने मुझे यह घोषित करनेको कहा है कि उनके कार्य-कालमें जो प्रान्त गुजरातसे वाजी ले जायेगा उसे पाँच बढिया चरखे इनाम दिये जायेगे। जो प्रान्त यह वाजी मारेगा उसके सबसे लायक और गरीब कातनेवालोको ये मिलेगे। चरखे सावरमतीमे तैयार किये गये नवीनतम नमूनेके होंगे। जहाँतक कातनेवालोकी सख्या और सूतकी मात्राका सम्बन्ध है, गुजरातसे कातनेमे वाजी मार ले जाना आसान बात नहीं है। सूतकी अच्छाई और बारीकीमें बगाल, कर्नाटक, आन्ध्र और तमिलनाड गुजरातसे वाजी मार ले जा सकते हैं, लेकिन उसको स्वेच्छासे कातनेवालोकी सख्यामें और सूतकी मात्रामें भी हरा देना, वह कभी आसानीसे न होने देगा। लेकिन मौलाना साहबने कातनेवालोकी सख्याका खयाल करके यह इनाम रखा है। इसलिए जहाँतक मेरा खयाल है होडका जोर बगाल, तमिलनाड और कर्नाटककी तरफसे ही पडनेकी ज्यादा सम्भावना है। मुझे आशा है कि इस इनामकी कीमतकी ओर न देखकर कांग्रेसके सदस्य इसी बातका खयाल करेगे कि यह इनाम कांग्रेसके सभापतिकी ओरसे दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि यह प्रतियोगिता गम्भीर और फलदायी हो। इस इनामको जीतनेके लिए केवल तीन महीने बाकी हैं। यदि सबके-सब प्रान्त प्रयत्न करेगे तो मैं जानता हूँ कि मौलाना साहबको इससे बडा सन्तोष होगा। क्योंकि स्वेच्छासे कातनेका राष्ट्रीय महत्त्व वे समझ गये हैं। अपना काता हुआ सूत दिखानेमे और उसको रोजाना अत्रिक सुधारकर बारीक और बराबर कातनेका प्रयत्न करनेमें वे बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

यग इंडिया, २५-९-१९२४

## १३६. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

मार्फत 'कॉमरेड'  
दिल्ली  
२० सितम्बर, १९२४

परमप्रिय मित्र,

आपके स्वास्थ्यका समाचार जाननेके लिए आपको पहले ही पत्र लिखना चाहता था। हकीमजीको<sup>१</sup> भेजे आपके तारसे मुझे अपना वह इरादा याद आ गया। कृपया पूर्ण रूपसे विश्राम करे।

दु खी न हो। मेरे लिए तो उपवास धार्मिक कर्त्तव्य था। मैं चाहता हूँ, मित्रगण इस बातसे प्रसन्न हो कि ईश्वरने मुझे इस अग्नि-परीक्षामे प्रवेश करनेकी शक्ति दी है।

सस्नेह,

आपका,  
मो० क० गांधी

[ अग्रेजीसे ]

लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री

## १३७. पत्र : वसुमती पण्डितको

भाद्रपद वदी ७ [ २० सितम्बर, १९२४ ]<sup>२</sup>

चि० वसुमती,

मेरा उपवास २१ दिनका है। वह बुधवारको प्रारम्भ हुआ था, इसलिए आज उसका तीसरा दिन है। अक्तूबरकी ८वी तारीखको, बुधवारके दिन समाप्त होगा। मुझे उपवास इस कारण करना पडा है कि इसके बिना मेरे लिए धर्मका पालन करना असम्भव हो गया था, इसलिए तुम निश्चिन्त रहना। मुझे परम शान्तिका अनुभव हो रहा है। भागकर मेरे पास आनेकी इच्छा न करना। तीसरे हफ्तेमे आ सकती हो, उस समय तो मैं भी तुम्हे देखना चाहूँगा। 'श्रीमती' तो पतेमें दिया हुआ है। पतेमें ऐसा ही लिखा जाता है। मेरे लिए तो तुम सदा सभी बेटी रहोगी। जब तुम देवलालीमें थी, तब मैं तुम्हे पत्रमे क्या लिखा करता था, यह तो मैं भूल

१. हकीम अजमलखाना।

२. टाकनी मुद्रसे।

गया हूँ। कटिस्नानके तुरन्त बाद नहानेमें कोई हर्ज नहीं है। एक दूसरा प्रयोग भी करना। एक छोटी-सी पीले रंगकी बोतल खरीद लेना। उसमें स्वच्छ पानी भरकर तीन घंटेतक धूपमें रखना। रातको उसमें से दो औंस पानी पीकर सो जाना। इस तरह धूपमें गरम किया हुआ इतना पानी रोज पीना। यदि वह गरम करनेके बाद ठण्डा हो जाये तो उसकी फिक्र न करना। उद्देश्य यह है कि पानीको सूर्यकी किरणों पीले पात्रके माध्यमसे मिले। कहते हैं कि इस तरह तैयार किये गये पानीकी तासीर दस्तावर हो जाती है।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती वसुमती पण्डित  
मार्फत मेसर्स स्ट्रॉस एंड क०

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५७) से।  
सौजन्य वसुमती पण्डित

## १३८. टिप्पणी

निराश नहीं, असहाय<sup>१</sup>

देखता हूँ, ऐसा कहा गया है कि अपनी उपवास-सम्बन्धी टिप्पणीमें मैंने कहा, “मेरी निराशा तो और भी असह्य है।” मैंने इस विषयमें जो बात कही है उसमें “निराशा” नहीं “असहायावस्था” शब्दका प्रयोग किया गया है। जिस व्यक्तिकी ईश्वरमें तनिक भी आस्था है, वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह सदा इस बातमें विश्वास रखता है कि अन्तमें सत्यकी ही विजय होती है। ईश्वरमें विश्वास रखनेवाला व्यक्ति कभी भी असत्यके पीछे नहीं भागता और इसलिए वह कभी निराश हो ही नहीं सकता। इसके विपरीत चारों ओर घिरते अधकारमें उसकी आशा सबसे अधिक चमक उठती है। लेकिन, मेरी असहायावस्था मेरे सामने एक स्पष्ट तथ्यके रूपमें मौजूद है। मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। मुझे तो इसे बराबर स्वीकार ही करना चाहिए। तमिलमें एक बड़ी अच्छी कहावत है “निराशकी एकमात्र आशा ईश्वर ही है।” इस कहावतमें छिपा सत्य मेरे सामने आज जितना उजागर कभी नहीं हुआ था। जिस व्यक्तिकी क्षमता ईश्वरने इतनी ज्यादा सीमित कर दी हो, उसके लिए इतने विशाल जन-समुदायको अपने साथ चलाना, उसे नियंत्रित रखना, उसके प्रतिनिधिके रूपमें बोलना और काम करना इतना आसान तो नहीं है। इसलिए बराबर सतर्क रहनेकी आवश्यकता है। पाठकगण इस बातके लिए आश्वस्त रहे कि यह आखिरी कदम मैंने अपनी असहायावस्थाकी पूरी प्रतीति हो

१. देखिए “पत्र देवदास गाभीनो”, २१-९-१९२४।

जानेके बाद ही उठाया और मैंने ईश्वरको करुण स्वरमे उसी प्रकार टेरा जिस प्रकार द्रौपदीने उसे पुकारा था, जब लगता था कि उसके पाँच पराक्रमी सरक्षकोने उसे छोड़ दिया है। ईश्वरके दरवारमे उसकी पुकार व्यर्थ नहीं गई। पुकारका यह स्वर मात्र होठोसे नहीं बल्कि अन्तस्तलकी गहराईसे उठना चाहिए। इसलिए ऐसी पुकार तभी सम्भव है जब आदमी सचमुच आन्तरिक व्यथासे विह्वल हो। मेरी पुकार इस उपवासके रूपमें निकली है, यद्यपि यह उपवास इस मामलेमे निहित समस्याकी दृष्टिसे किसी भी प्रकार पर्याप्त नहीं है। मेरा हृदय बार-बार कहता है.

“प्रभो, तू ही मेरा आश्रय है,  
मुझे शरण दे।”

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

## १३९. आधे घंटेका अभ्यास<sup>१</sup>

२१ सितम्बर, १९२४

मौलाना शौकत अलीकी यह स्नेहपूर्ण फटकार मुझे अच्छी ही लगी। यद्यपि इन दिनों मैं हर मामलेमें हार ही मान लिया करता हूँ, लेकिन यह नहीं जानता था कि मुझे 'बड़े भाई'के सामने भी हार माननी पड़ेगी। मैंने सोचा था कि उनका भारी-भरकम और बड़े शरीर कताईकी कोमल कलाके उपयुक्त नहीं है। अब मैं उनकी हलके कामोको करनेकी क्षमताको घटाकर आँकनेके लिए उनसे क्षमा माँगता हूँ। इस तरहसे तो हजार बार हारकर भी मैं सुखी ही रहूँगा। अगर देशको लाभ हो तो मेरी हार क्या चीज है? मौलानाने जो नाराजगीके साथ इस बातका विरोध किया है कि कोई भी व्यक्ति उनके भारी-भरकम शरीरको देखकर उन्हें हलके कामोसे बरी करनेका साहस करे, उसे मैं अपनी कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं मानता।

१. यह मौलाना शौकत अली द्वारा एक पत्रमें उठाये गये मुझेके उत्तरमें लिखा गया था। प्रसंग यह था कि गांधीजीने मौलाना साहबके भारी-भरकम शरीरको देखते हुए उन्हें कताईकी शतसे मुक्त करनेकी बात लिखी थी। शमपर उन्होंने लिखा कि अगर मेरे कताई करनेसे देशको गुलामीसे छुटकारा मिल सकता है तो मैं रोज आधे घंटेकर ही नहीं, सारा दिन कातनेको तैयार हूँ। इसी सिलसिलेमें उन्होंने काठियावाड़में ट्रिप्लिकन-कोषके लिए चन्द्रा उगाहनेके अपने प्रयत्नका भी जिक्र किया था और लिखा था कि किस प्रकार कुछ मुसलमानों द्वारा गांधीजीपर उनकी (मौलाना साहबकी) आस्था होनेके कारण उनपर काफिर होनेका आरोप लगाये जानेके बावजूद उन्होंने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। उन्होंने टा० अन्सारी और खिलकन-काशीयके सभी कार्यकर्ताओंके कताईमें जुट जानेकी भी चर्चा की थी, और अन्तमें लिखा था कि “सुदाई फौज” में शामिल होनेके इच्छुक हर भारतवासीको — वह चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, सिख हो या पट्टरी, गरीब हो या अमीर, मभीको — रोजाना आधा घंटा कताई करके अपनी योग्यता प्रमाणित करनी चाहिए। देखिए यंग इंडिया, २५-९-१९२४।

उनके लिए कोई भी काम उनकी सामर्थ्यसे बहुत हलका या भारी नहीं है, यदि उससे देशको कुछ लाभ पहुँचता हो। क्या ही अच्छा होता, अगर प्रत्येक कार्यकर्ता इसी कडी कसौटीको अपनाकर चलता। मौलाना साहबने सूचित किया है कि खिलाफत-कार्यालयके सभी कार्यकर्ता इस काममें जुट गये हैं, डा० अन्सारीने भी अपने धन्वेके सिलसिलेमें अत्यन्त व्यस्त रहनेके बावजूद कताई शुरू कर दी है। यह सब जानकर शकरलाल वैकरके मुँहमें तो पानी भर आया होगा। अगर यह उत्साह बना रहा तो मैं आशा करता हूँ कि मुसलमान लोग इस दिशामें बहुत शानदार काम कर दिखायेंगे। मौलानाकी लोकप्रियताका अनुमान इसी बातसे लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा उल्लिखित बदनाम करनेवाले पच्चे बँटवाये जानेके बावजूद, वे अपने काठियावाडके दौरेमें खिलाफत-समितिके कोपके लिए २५,००० रुपये नकद ले आये और लगभग दस हजार रुपयेके वादे भी। इन पच्चेके लेखकोको मालूम नहीं कि हमारे सम्बन्धोका आधार क्या है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम हर बातमें एक-दूसरेसे भिन्न हैं, फिर भी एक चीज ऐसी है जो हम दोनोंको बाँधे हुए है। हम दोनों ही गुलामीसे तग आ चुके हैं। किसी भी मानवकी उचित स्वतन्त्रताका अपहरण हमें नागवार गुजरता है। इसलिए हमने ईश्वरकी गुलामी स्वीकार की है। हम समस्त मानव-समाजके मुकाबले खड़े हो सके, वल्कि जरूरत पड़े तो उसका विरोध भी कर सके, इसी खयालसे हम दोनों सबकी रचना करनेवाले उस कुम्हारके हाथमें मिट्टीके पुतले बन गये हैं। वह चाहे हमें जैसे घड ले, मसल-कुचल दे, उलट-पुलट दे, फिर भी हम उसीके हैं। हम दोनोंको जोड़कर रखनेवाला यही एक तत्त्व है। मैं मानता हूँ कि उस तत्त्वमें बाँधनेकी, जोड़नेकी क्षमता है और इसलिए उसने हमें एक-दूसरेसे इस तरह जोड़ रखा है कि हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। इसलिए ऐसा कहना कि मौलाना साहब मुझे ईश्वरकी तरह पूजते हैं, मौलाना साहबके ही शब्दोंमें ईश्वरकी निन्दा तो है ही, साथ ही हमारे सम्बन्धोके बारेमें उनके घोर अज्ञानका भी द्योतक है।

[अंग्रेजीसे]

यग इडिया, २५-९-१९२४



## १४०. उनके प्रति हमारा कर्तव्य

२१ सितम्बर, १९२४

श्री एन्ड्र्यूजने अपने "आदिवासी जातियाँ" शीर्षक लेखमें अपनी सधी लेखनीसे बड़े ही सुन्दर ढंगसे तीन चीजोंको एक साथ पिरो दिया है। श्री अ० वि० ठक्करने पंचमहालके 'भील-सेवा-मण्डल' के कोषमें धन देनेके लिए जो जोरदार अपील की थी, उसका उन्होंने समर्थन किया है। श्री एन्ड्र्यूजके उद्गारोंसे मैं हार्दिक सहमति प्रकट करता हूँ। और श्री ठक्करका परिचय भला मैं क्या दे सकता हूँ। वे तो मेरे भारत लौटने और प्रसिद्धि अर्जित करनेसे पहले ही मातृभूमिकी सेवाके लिए अपना जीवन अर्पित कर चुके थे। गुजरातने उड़ीसाके अकाल-पीड़ितोंके लिए जो सहायता-कार्यका सगठन किया था, श्री ठक्कर द्वारा उसका सुयोग्य सचालन हमें आज भी अच्छी तरह याद है। गुजरातके अस्पृश्योंके प्रति अपने एकनिष्ठ सेवाभावके कारण वे उनकी आँखोंका तारा बन गये हैं। किन्तु, उन्हें तो सेवाकी धुन लगी हुई है, सो उनका व्यान अब गुजरातके एक ऐसे वर्गकी ओर गया जो अस्पृश्योंसे भी अधिक गिरी हुई अवस्थामें है और जिसे सहारा देनेवाले हाथकी और ज्यादा जरूरत है। इसलिए वे पंचमहालके भोले-भाले भीलोंके त्राता बन गये हैं। आशा है, लोग श्री ठक्करकी अपील अनसुनी नहीं करेगे।

आदिवासियोंके सम्बन्धमें लिखते हुए श्री एन्ड्र्यूजके लिए भला यह कैसे सम्भव था कि वे अपने मित्र, शिष्य और सहयोगी विली पियर्सनकी चर्चा न करते? भारतकी सेवाके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देनेवाले और नेकसे-नेक अग्रेजकी श्रेणीमें आनेवाले इस व्यक्तिकी स्मृतिमें समुचित प्रशंसाके दो शब्द कहनेका अवसर वे हाथसे कभी नहीं जाने देते। श्री गोखलेने जब श्री एन्ड्र्यूजसे दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहियोंकी सहायताके लिए तत्काल वहाँ जानेको कहा तो विली पियर्सनने स्वेच्छासे अपनी सेवाएँ अर्पित की और वे श्री एन्ड्र्यूजके साथ दक्षिण आफ्रिका गये थे। जब मैंने इन दोनों अग्रेजोंको देखा तो मेरे माथ पहली नजरमें प्यार वाली बात चरितार्थ हो गई। ये पक्तियाँ लिखाने समय भी पियर्सनकी सुन्दर मुखाकृति, उनकी आँखोंका निष्कपट, सौम्य और मोहक भाव मेरे सामने सजीव हो उठता है। मुझे पियर्सनको पहले दक्षिण आफ्रिकामें और फिर शान्तिनिकेतनमें कार्यरत देखनेका अवसर मिला। उनमें अधिक आत्म-त्यागी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति मिला पाना कठिन है। ईमानदारीका कोई भी काम वे अपनी शानके खिलाफ नहीं समझते थे। उनके लगे तो काम जितना छोटा होता वह उतनी ही ज्यादा इज्जतका था। शान्तिनिकेतनमें रसोईघरकी नालियाँ और मेहनतोंके घरोंको माफ करनेके लिए अपनी सेवाएँ उन्होंने ही सबसे

पहले अपित की। उनका काम परम्परागत अर्थोंमें राजनीतिक नहीं था, किन्तु सिर्फ़ इसी कारण वह कोई कम साहसपूर्ण काम नहीं था और फिर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जब वे जापानमें थे, उन्होंने ब्रिटेन द्वारा दूसरे देशोंके शासन और शोषणकी कट्टु आलोचना करते हुए एक लेख लिखा था, जिसके कारण वे परेशानीमें पड़ गये थे, किन्तु इसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। जब वे मृत्यु-शय्यापर पड़े थे, उन्होंने एक वसीयतनामा लिखाया, जिसमें वे शान्तिनिकेतनके उस बालकको नहीं भूले जिसे वे पुत्रवत् प्यार करते थे। उनकी मृत्युके बाद महाकविने उनका स्मारक बनानेके लिए २५,००० रुपयेके लिए एक अपील निकाली। उस पैसेसे शान्तिनिकेतनमें 'पियर्सन अस्पताल' का निर्माण होना था। उन दिनों मैं जुहूमें स्वास्थ्य-लाभ कर रहा था और एन्ड्र्यूज एक अभिभावककी भाँति मेरी देख-रेख कर रहे थे। एक दिन आकर उन्होंने प्रेम और व्यथा-विह्वल हृदयसे मुझे बताया कि लोगोंने महाकविकी अपीलकी ओर बहुत कम ध्यान दिया। मैंने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा कि भारतकी जनता तो उन्हें ज्यादा नहीं जानती थी और इसलिए हम लोगोंको, जो उनको इतनी अच्छी तरह जानते हैं, उसके सहयोग न करनेपर परेशान न होना चाहिए और न हमारे मनमें जनताके प्रति कोई कड़वाहट ही आनी चाहिए। मैंने उनसे यह भी कहा कि कोई अनुकूल अवसर आनेपर मैं महाकविकी अपीलका काम अपने हाथमें लूँगा और स्मारकके लिए जनताका सहयोग प्राप्त करनेकी कोशिश करूँगा। श्री एन्ड्र्यूजने मुझे वह अवसर प्रदान किया है। अब मैं 'यग इंडिया' के पाठकोसे यथा-शक्ति अपना-अपना योगदान करनेका अनुरोध करता हूँ। तीन हजारसे ऊपर तो इकट्ठा किया जा चुका है। अब शेष इक्कीस हजार रुपये जुटा पाना उदार जनताके लिए बहुत मामूली बात है।

श्री एन्ड्र्यूजने इस लेखमें जिस तीसरी चीजको पिरोया है, वह है—चरखा। इसको उन्होंने शायद मेरा खयाल करके ही शामिल किया है। लेकिन, मैं जानता हूँ कि वह समय आ रहा है, जब चरखेको अपने अस्तित्वके लिए मुझपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। देशके वडेसे-बड़े आदमीको भी, यदि उसे गरीबोंके साथ सहानुभूति है तो चरखेका समर्थन करना ही पड़ेगा। सिर्फ़ चरखेमें ही यह खूबी है कि उसे जहाँ भारतके सभी लोग अपना सकते हैं, वहाँ उससे इतनी कमाई भी की जा सकती है जिससे देशके गरीब किसानोंके स्वल्प अर्थ-साधनकी यत्किञ्चित् पूर्ति हो सके, इतना ही नहीं इससे देशके करोड़ों भूख-पीड़ितोंको जीवित रहनेके लिए दो कौर भोजन भी प्राप्त हो सकता है। यह एक ऐसी चीज है जो अमीरोंकी ओरसे अकालपीड़ित जनताको दिये जानेवाले सदाब्रतोंकी पतनकारी प्रथाका स्थान ले सकती है और उनके मनमें ऐसा आत्म-विश्वास पैदा कर सकती है कि जबतक वे कताईके लिए तैयार हैं, उन्हें भूखो नहीं मरना पड़ेगा।

[अग्नेजीसे]

यग इंडिया, २-१०-१९२४

## १४१. धर्मके लिए “अधर्म”

एक सज्जन पूछते हैं :

“मलाबार-संकट-निवारणके लिए यदि कोई जुआ खेले और जुएसे मिलनेवाला पैसा मलाबारके पीड़ितोंको देनेका प्रस्ताव करे तो उसके जुआ खेलनेको आप क्या कहेंगे—उचित या अनुचित ?”

जुआ खेलना सर्वथा त्याज्य है। यदि जुएके बिना संकट-निवारण न होता हो तो भले ही लाखों भाई-बहन भूख और दुःखसे मर जायें। अधर्मसे धर्मकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरी सबको सलाह है कि कोई भी मलाबारके दुःखी भाई-बहनोंके लिए जुआ न खेले। परन्तु हाँ, वे जुआ खेलना बन्द करके उसकी बचतका रुपया मुझे जरूर भेज दें। इससे एक पन्थ दो काज होंगे। एक तो वे खुद इस कुटेवसे बचेंगे और दूसरे कुटेवमें लगनेवाली रकम बचेगी, जो उन लोगोंके काममें आ जायेगी जिन्हें उसकी जरूरत है। जो व्यक्ति संकट दूर करनेका विचार करता हो उसके मनमें जुआ खेलनेकी बात आ ही कैसे सकती है? वह तो खुद भूखा रहकर औरोंकी भूख बुझायेगा।

लेखक ओरपाड ताल्लुकेके अपने गाँव करमलामे प्रचलित भीषण जुएका हुक्म चित्र खींचकर कहते हैं कि उसमें लडकेतक शरीक होते हैं। कभी-कभी तो उसमें बड़े लडाई-झगड़े भी हो जाते हैं। वे इसका उपाय पूछते हैं। इलाज यह है कि वहाँ लोकमत उसके खिलाफ तैयार किया जाय। लोकमतका ऐसी बुराईपर बडा असर होता है। जिस तरह उजाला होते ही चोर आदि छिप जाते हैं उसी तरह लोकमत रूपी सूर्यका प्रकाश होते ही ये बुराईयाँ दूर हो जाती हैं। यदि गाँवके ज्यादातर लोग जुआ खेलते हों और सिर्फ दो-चार लोग ही इस ऐवसे बरी हों तो वे पहले गाँववालोंको चेतावनी दें और यदि उसके बाद भी कुछ असर न हो तो वे गाँव छोड़कर चले जायें।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २१-९-१९२४

## १४२. 'नवजीवन' के पाठकोंसे

इस अकके प्रकाशित होनेतक मेरे प्रायश्चित्तकी खबर तो आप लोगोको मालूम हो ही गई होगी। मेरे अनशनसे आपको घबडा जानेकी जरूरत नहीं है। उसका अनुकरण तो आप हरगिज न कीजियेगा। प्रायश्चित्त जिसको करना हो उसीको करना चाहिए। दूसरे लोग सिर्फ उसे मदद करते रहे। आप सब गुजराती भाई-बहन उन कामोमे तन, मन और धनसे मदद कीजिये, जिन्हे आपने अगीकार किया है। इससे आपको ईश्वर भी मिलेगा और स्वराज्य भी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २१-९-१९२४

## १४३. श्रद्धाकी परीक्षा

मुझे आशका थी कि बहिष्कारके त्यागकी बातसे राष्ट्रीय स्कूलोके बुर्बल क्षेत्रोमें कुछ अस्थिरताका वातावरण उत्पन्न हो जायेगा। लगता है कि उसका ऐसा असर हुआ है। कितने ही शिक्षक पूछने लगे हैं कि क्या अब राष्ट्रीय स्कूलोको सरकारी स्कूलोमें परिवर्तित न किया जायेगा?

उपर्युक्त उद्धरण मैंने एक पत्रमें से लिया है। पहली बात तो यह है कि मैंने बहिष्कारका 'त्याग' करनेकी बात नहीं कही है, 'त्याग' शब्दका उच्चारणतक नहीं किया है। मैंने तो उसे 'मुलतवी' रखनेका सुझाव दिया है। दूसरी बात यह कही है कि वर्तमान राष्ट्रीय स्कूल जिस तरह अभी सरकारसे किसी तरहका सम्बन्ध रखे बिना चल रहे हैं, उसी तरह चलाये जायें और यदि हममें शक्ति हो तो हम नये राष्ट्रीय स्कूलोकी स्थापना भी करे। तीसरी बात यह है कि मुलतवी रखनेका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जिनकी बहिष्कारमें अपनी स्वतन्त्र श्रद्धा है, उन्हें भी उसका त्याग करना चाहिए।

मेरे सुझावका अर्थ केवल इतना ही है कि जो लोग अपनी स्वतन्त्र श्रद्धासे प्रेरित होकर नहीं, बल्कि कांग्रेसके अनुशासनमे बद्ध होकर, बहिष्कार कर रहे हैं वे एक वर्षके लिए इससे मुक्त किये जाते हैं, और जो बहिष्कारके कारण कांग्रेससे बाहर रहे हैं वे कमसे-कम आगामी वर्षके लिए कांग्रेसमे शरीक हो जायें और जिन आवश्यक और सर्वमान्य कार्योंके वारेमे कोई मतभेद नहीं है, उनमे भाग ले और जनताको प्रशिक्षित करें।

मेरे सुझावसे जनताकी और व्यक्तियोंकी परीक्षा हो जायेगी। यदि चार वर्षके अनुभवके बाद यह मालूम हुआ कि स्वतन्त्र रूपसे बहिष्कारको माननेवालोकी सख्या

अल्प है तो कांग्रेसमें बहिष्कार कदापि नहीं चल सकता। कांग्रेस जनताकी इच्छाको ही व्यक्त कर सकती है, फिर वह चाहे अच्छी हो चाहे बुरी और तभी वह राष्ट्रीय सस्था मानी जानी चाहिए। अतः कांग्रेसकी प्रवृत्तिके रूपमें केवल ऐसी ही प्रवृत्ति सफलतापूर्वक चलाई जा सकती है जिसमें बहुसंख्यक लोगोकी अपनी स्वतन्त्र श्रद्धा हो। किसी प्रवृत्तिको कांग्रेसके प्रस्तावके कारण ही स्वीकार करनेवालोकी संख्या हमेशा कम ही होनी चाहिए। उनकी मददसे कांग्रेसका तन्त्र नहीं चल सकता, बल्कि कांग्रेस स्वयं उनके लिए सहारा सिद्ध होती है। वे कांग्रेसको कोई सहारा नहीं दे सकते। कांग्रेसका आधार तो स्वतन्त्र श्रद्धावाले लोग ही होने चाहिए। यदि पाठक ससारकी चालू सस्थाओकी ओर दृष्टिपात करेंगे तो वे देखेंगे कि प्रत्येक प्राणवान् सस्थाका संचालन उपर्युक्त नियमके अनुसार ही होता है। कारण स्पष्ट है। सस्थाके अपने प्राण नहीं होते, उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता। सस्थाके प्राण उसके संचालक होते हैं। वे ही सस्थाको बल प्रदान करते हैं। मद्य-निषेध सघके प्राण उसके अडिग मद्य त्यागी सदस्य ही होते हैं। सघ त्यागियोंके त्यागमें वृद्धि नहीं कर सकता। लेकिन कल्पना कीजिए कि ऐसे सदस्य अच्छी संख्यामें न मिले और इस कारण सघको बन्द करना पड़े तो क्या इसलिए वे लोग, जो मद्य-त्यागी हैं, मद्यपान करने लगेंगे या कि वे लोगोको मद्यका त्याग करनेकी बात सिखानेके लिए तपश्चर्या करते हुए अन्य उपायोकी खोज करेंगे ?

मेरे सुझावका उद्देश्य यह स्पष्ट कर देना है कि हम बहिष्कारको लोगोके साथ जोर-जवरदस्ती करके नहीं चलाना चाहते। जोर-जवरदस्तीमें हिंसा है। हमारे आन्दोलनकी कल्पना तो जोर-जवरदस्ती नहीं थी, परन्तु हमारे मनमें और हमारे कार्योंमें वह थी। इसका पक्का प्रमाण है, हिन्दू-मुसलमानोके बीच फैला हुआ वर्तमान वैमनस्य। स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादीके बीच जो खाई है वह भी इसी ओर सकेत करती है। इसका निवारण करना स्वतन्त्रतावादीका प्रथम कार्य है। मैंने जिस तरह जोर-जवरदस्तीका अर्थ हिंसा किया है उसी तरह मैं स्वतन्त्रताका अर्थ अहिंसा करता हूँ। हम अहिंसा शब्दसे डरते हैं। हम सब स्वतन्त्रताके पुजारी होनेका दावा करते हैं, लेकिन उसके मूल स्वरूप, अहिंसा अथवा प्रेमकी हम उपेक्षा करते हैं। हम लोगोमें व्याप्त इस दोषको मैंने देखा लिया है। इसीसे मुझे अपने कर्तव्यका भान हो गया है और मैं प्रत्येक बहिष्कारवादीको यह बात समझानेकी कोशिश करता हूँ। यदि बहिष्कारमें कांग्रेसके अधिकांश सदस्योंकी श्रद्धा नहीं है तो बहिष्कारमें स्वतन्त्र श्रद्धा रखनेवाले चन्द लोगोका कांग्रेसपर अधिकार बनाये रखना हिंसा है।

लेकिन ऐसे लोग कांग्रेसपर अधिकार बनाये रखें अथवा कांग्रेस बहिष्कारको स्यंगित कर दे, इसका अर्थ यह तो कदापि नहीं है कि बहिष्कारमें जिनकी श्रद्धा और विश्वास है, वे बहिष्कारका त्याग कर दें। वस्तुतः तो हमें बहिष्कारको स्यंगित करके यह देवना है कि कितने लोग मन्चे अर्थोंमें बहिष्कारवादी हैं। यदि ऐसे बहिष्कारवादियोंकी गन्या वर्षोंके अन्तमें थोड़ी ही रह जाये तो यह बात मिट्ट हो जायेगी कि कांग्रेसमें बहिष्कारकी बात नहीं रखनी चाहिए। आज जो लोग अपने-आपको बहिष्कारवादी मानते हैं, यदि वर्षोंके अन्तमें भी वे अपने विचार और आचारपर

कायम रहे तो कांग्रेस फिर वहिष्कार शुरू कर सकती है। लेकिन वहिष्कारके इस पुनरुद्धारमें एक यह सूची होगी कि उसमें से बलात्कार-रूपी डक विलकुल निकल जायेगा। यदि वर्षके अन्तमें यह परिणाम न निकला और सरकारकी पद्धतिमें भी कोई परिवर्तन न हुआ तो वहिष्कारवादी कांग्रेसमें उसका पुनरुद्धार करनेका प्रयत्न तो न करेगा परन्तु अपने आचार-बलसे धीरे-धीरे अन्य लोगोको वहिष्कारके प्रति आकर्षित करेगा। स्वतन्त्र इच्छासे किया जानेवाला शान्त वहिष्कार कोई आसान बात नहीं। यदि वह सकोचवश आरम्भ किया जाता है तो वह लम्बे समयतक नहीं चल सकता। आवेगमें किया गया वहिष्कार सोडेके उफानकी तरह क्षणिक होगा। ज्ञानपूर्वक और निश्चयपूर्वक किया गया वहिष्कार ही सब विघ्न-बाधाओको पार कर सकेगा और डिगेगा नहीं। अतएव मैं वहिष्कारवादियोंसे यही उम्मीद करता हूँ कि यद्यपि कांग्रेसमें वहिष्कार स्वीकृत रहेगा, फिर भी वे उसपर टिके रहेंगे, इतना ही नहीं, बरन् उसपर दृढ़तापूर्वक आचरण करेंगे। गुजरातसे तो मैं इसके आलावा कोई दूसरी आशा करता ही नहीं। यदि हम उस तरह अगले वर्षतक निर्जी वहिष्कारपर कायम रहकर भी सहयोगियोंका निरस्कार न करनेका पूरा पाठ पढ़ लें, तो यह बात हमारी अमूल्य उन्नतिकी परिचायक होगी और उससे स्वराज्यकी अपनी यात्रामें हम बहुत आगे बढ़ जायेंगे।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २१-९-१९२४

## १४४. पत्र : हरनाम सिंहको

मार्फत 'कॉमरेड' कार्यालय  
दिल्ली

२१ सितम्बर, १९२४

प्रिय राजा माहव,

अपने उम गहरे दुःखमें मेरी सादर सवेदना स्वीकार करे। ईश्वर श्रीमती हरनामसिंहकी आत्माको शान्ति दे।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गाधी

राजा सर एस० हरनाम सिंह

'मेनर'

शिमला

अग्नेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ३७११) से।

सौजन्य राजकुमारी अमृत कौर

## १४५. पत्र : अब्बास तैयबजीको

मार्फत मौलाना मुहम्मद अली  
दिल्ली  
२१ सितम्बर, १९२४

भाई साहब,

मेरे उपवासके कारण आप सब चिन्तित हो रहे होंगे। लेकिन मैं क्या करता ? मैं तो विवश था। मेरे पास खुदाके आगे रोनेके सिवा और कोई रास्ता ही न था। ऐसी हालतमें मैं कर ही क्या सकता था ? खुदाकी मर्जी होगी तो वह मुझे मरने न देगा। इस समय मुझे रेहानाके भजन सुननेकी बड़ी इच्छा हो रही है। आपके खेडामें चरखे खूब चल रहे होंगे। भुर्रं .

सदैव आपका भाई,  
मोहनदास गांधी

गुजराती पत्र (एस० एन० ९५४९) की फोटो-नकलसे।

## १४६. पत्र : देवदास गांधीको

दिल्ली

भाद्रपद वदी ८ [२१ सितम्बर, १९२४]

चि० देवदास,

वा, रामदाम आदि आ गये हैं। जमनावहन और यशवन्तप्रसाद भी आये हुए हैं। 'नवजीवन' देगा। मुझे तो बहुत पसन्द आया। तुम्हारा वस्तु-विन्याम और बड़े अक्षरों द्वारा की गई सजावट भी अच्छी है। तुमने मेरे मन्देशका जो अनुवाद किया है वह तो बहुत ही सुन्दर है। उसमें मुझे कहीं जरा भी सुधार करनेकी गुजाय्य दिग्गई नहीं दी। "होपडेसनेस" के स्थानपर "हेपलेमनेम" का उपयोग करके तुमने मेरे उत्तराधिकारी होनेके अधिकारको मिट्ट कर दिया है। उम्बर तुम्हें दीर्घायु करे और तुममें आज जो चारित्र्य-मौन्दर्य और कौशुल्य है, उसमें वृद्धि करे। मैं अत्यन्त आनन्दमें हूँ। अभी तो उपवास [का कोई प्रभाव] मालूम ही नहीं हो रहा है।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० एन० २१३३) की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें उपवासकी जो चर्चा की गई है उसमें पता चलता है कि यह पत्र १९२४ में लिखा गया था।
२. देखिए "गांधीजीका गुजराती", १८-९-१९२४।
३. और ४. मूलमें मे दोनों शब्द अंग्रेजीमें दिये गये हैं। देखिए "दृष्टिनी", २१-९-१९२४।

## १४७. पत्र : गगावहन वैद्यको

[दिल्ली]

भाद्रपद वदी ८ [२१ गितम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

पूज्य गगावहन,

आप जिन्ना न लीजिएगा। आप तो जाती है। मैं धर्मके पालनके लिए जो उपवास जारी करता हूँ, मेरी इच्छा है कि जाने आप नव प्रगन्न हा। यदि ईश्वरको इस देतो मेरे द्वारा अभी कोई पान कराना होगा तो वह मुझे मरने न देगा। आप भी ऐसा ही विन्यास करें।

अन्यात लगाने साथ जारी करना। नव सालकोकी मां बनना। यह आपकी शक्तिसे बाहर नहीं है।

भावा आपको रानी शक्ति दे जिनमे आपका वैद्यक जगतके लिए उपकारी सिद्ध हो।

वापूके आशीर्वाद

पूज्य गगावहन  
गगावहन आश्रम  
नामरमती

पुनराती पत्र (नो० उल्लेख० ६११७) मे।

नोनव गगावहन मेरा

## १४८. पत्र : तुलसी मेहरको

दिल्ली

[२१ सितम्बर, १९२४]<sup>२</sup>

चि० तुलसी मेहर,

आश्रमका पत्र तुमारे नामपर भेजनेका निश्चय मैंने कल ही किया था। आज तो तुमारा पत्र आ गया। तुम और दुनरे आश्रमवासीयोमे मेरी तो यही प्रार्थना है की नम मत्य और अहिंसाका सेवन करें। जगतमें किसी प्राणीकी घृणा न करे, और क्षुत्राने पीडीत कुरोडो हिन्दवासीयो युवाकाते बुने और उसीका प्रचार करे। अक्षरज्ञान अवश्य हासिल करे। मानसिक शक्तिमे वृद्धि करें। प्रात चरसाको प्रधान पद दे।

१ वाकसी मुहरसे।

२ वाकसी मुहरसे।



मैं खूब आनदमे हूँ। मेरी थोड़ी सी भी चिन्ता न करे।

वापूके आशीर्वाद

तुलसी मेहर  
सत्याग्रह आश्रम  
सावरमती

मूल पत्र (जी० एन० ६५२०) की फोटो-नकलसे।

## १४९. उपवासकी कहानी

२२ सितम्बर, १९२४

मैं पाठकोको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैंने उपवास विना सोचे-समझे प्रारम्भ नहीं किया। सच तो यह है कि जबसे असहयोगका जन्म हुआ, तभीसे मेरी जिन्दगी बराबर दाँवपर लगी रही है। इसे मैंने खूब सोच-समझकर शुरू किया। इसमें जो खतरे हैं, उनके बारेमें मुझे काफी चेतावनी मिल चुकी थी। मैं कोई भी काम विना प्रार्थनाके नहीं करता। मनुष्यसे भूल होती ही है। वह कभी भी विश्वास-पूर्वक यह नहीं कह सकता कि वह जो-कुछ करने जा रहा है, वह सही ही है। जिससे वह अपनी प्रार्थनाके परिणामस्वरूप ईश्वरसे प्राप्त इगित समझ सकता है, वह मात्र उसके अहंकारकी प्रतिव्वनि भी हो सकती है। ईश्वरका अचूक मार्गदर्शन तो वह तभी प्राप्त कर सकता है, जब उसका हृदय सर्वथा निर्दोष हो और उसमें बुराईके लिए कोई गुजाइश ही न हो। मैं अपने बारेमें ऐसा कोई दावा नहीं करता। मेरी आत्मा तो अपूर्ण है और वह अभी उठती-गिरती, भूलती-भटकती, सही मार्ग पानेका प्रयत्न ही कर रही है, लेकिन मैं अपने और दूसरोके ऊपर प्रयोग करके ही तो ऊपर उठ सकता हूँ। मैं ईश्वरकी अखण्ड एकता, और इसीलिए मानव-समाजकी भी अखण्ड एकतामें विश्वास करता हूँ। हम शरीरमें अनेक हैं, लेकिन उममें क्या अन्तर पड़ता है? हमारी आत्मा तो एक ही है। परावर्तनके कारण सूर्यकी किरणें अनेक दिशाएँ देती हैं, लेकिन उनका उद्गम तो एक ही है। इसलिए मैं दुष्टसे-दुष्ट व्यक्तिसे भी अपनेको अलग नहीं कर सकता (और न सज्जनमें-सज्जन व्यक्तिमें मेरी तद्रूपताके बारेमें उनका रियाजा जाता है)। इसलिए मैं चाहूँ या न चाहूँ, मैं अपने प्रयोगमें समस्त मानव-जातिको शामिल किये बिना नहीं रह सकता और न उन प्रयोगके बिना ही मैं रह सकता हूँ। जीवन प्रयोगोंकी एक अन्तहीन शृंगला ही तो है।

मुझे मालूम था कि अनहयोग एक उत्तमनाक प्रयोग है। अनहयोग अपने-आपमें एक अन्वयानाविक, बुरी और पापमय बन्तु है। लेकिन, मेरा निश्चिन विश्वास है कि अहिंसात्मक अनहयोग कभी-कभी मनुष्यका कर्तव्य हो जाता है। यह ज्ञान मैंने अनेक

प्रसंगोपर सिद्ध करके दिखा दी है। लेकिन, जन-साधारणकी बहुत बड़ी सख्यापर उमका प्रयोग करनेमे गलतीकी बहुत सम्भावना थी। किन्तु, असाध्य रोगोके लिए वैसे ही कडे उपचारकी ही आवश्यकता होती है। मामने अराजकता और उममे भी बुरी स्थितिका खतरा मौजूद था। उसका एक-मात्र विकल्प अहिंसात्मक अमहयोग ही था। और चूँकि अमहयोगको अहिंसात्मक रखना था, इसलिए मुझे अपनी जिन्दगीको दाँव पर लगा देना पडा।

अभी दो साल पहले जो हिन्दू और मुसलमान मित्रोकी तरह मिल-जुलकर काम करते दिखाई दे रहे थे, वे ही आज कुछ स्थानोमे आपसमे भेडियोंकी तरह गुंथे हुए हैं। इससे यह बात असन्दिग्ध रूपसे सिद्ध हो जाती है कि उन्होने जो असहयोग किया वह अहिंसात्मक नहीं था। इसके लक्षण मुझे बम्बईकी घटनाओ, चीरी-चीरा तथा बहुत-से दूसरे छोटे-मोटे मामलोमे भी दिखाई दिये थे। तब मैंने प्रायश्चित्त किया था। उम हदतक उमका असर भी हुआ। लेकिन, हिन्दू-मुस्लिम तनाव तो कल्पनातीत बात थी। जब कोहाटके दुष्काण्डका हाल सुना तो वह असह्य हो उठा। जब मैं सावरमतीसे दिल्ली रवाना होनेवाला था, उससे पहले सरोजिनी देवीने मुझे लिखा कि शान्तिपर प्रवचन और उपदेश देनेसे काम नहीं चलेगा। आपको कोई कारगर उपाय ढूँढना है। उनका यह जिम्मेवारी मेरे सिर लादना ठीक ही था। क्या जनताकी भारी शक्तिको जाग्रत कर देनेके लिए मैं ही जिम्मेवार नहीं था? अगर यह शक्ति आत्म-विनाशका कारण बन रही है तो मुझे कोई उपचार ढूँढना ही है। मैंने उन्हे उत्तरमें लिखा कि इमे तो मैं परिश्रमसे ही पा सकूँगा। कर्महीन प्रार्थना निस्सार चीज है। तब मैं नहीं जानता था कि इसका उपचार यह दीर्घ उपवास होगा। फिर भी, मैं जानता हूँ कि मेरी आत्माकी व्यथा शान्त करनेकी दृष्टिसे यह उपवास काफी लम्बा नहीं है। क्या मुझसे कोई गलती हुई है, क्या मैंने वीरजमे काम नहीं लिया है? क्या मैंने दुराईके साथ कभी समझौता किया है? हो सकता है, मैंने यह सब किया हो और हो सकता है कि इसमे से कुछ भी न किया हो। मैं तो जो सामने देग रहा हूँ, वही जानता हूँ। जो लोग आज लड रहे हैं, उन्होने अगर सच्ची अहिंसा और सत्यका आचरण किया होता तो जो रक्त-रजित लडाई आज चल रही है, वह अमम्भव थी। स्पष्ट है कि इसमे कही-न-कही मेरी जिम्मेवारी अवश्य है।

अमेठी, सम्भल और गुलबर्गाके काण्डोसे मुझे जबरदस्त आघात पहुँचा। हिन्दू और मुसलमान भाइयो द्वारा अमेठी और सम्भलके वारेमें तैयार की गई रिपोर्टें मैंने पढी थी। गुलबर्गा जाकर मामलेकी जाँच करनेवाले हिन्दू और मुसलमान भाइयोका सयुक्त निष्कर्ष भी मैंने देखा था। मैं पीडासे छटपटा रहा था, फिर भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कोहाटका समाचार पाकर मेरे अन्तरकी सुलगती हुई आग भभक उठी। अब कुछ-न-कुछ करना ही था। दो राते मैंने बेचनी और कण्टमे काटी। बुधवारको मुझे उपाय सूझ गया। मैंने निश्चय किया, मुझे प्रायश्चित्त करना होगा। सत्याग्रह आश्रममे प्रात कालीन प्रार्थनामे हम शिवकी एक स्तुति करते हैं और कहते हैं: हे शिव,

जाने-अनजाने मैंने जो पाप किये हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर।' मेरा प्रायश्चित्त अनजानमे किये गये पापोंको क्षमा करनेके लिए एक व्यक्ति हृदयकी प्रार्थना ही है।

यह उन हिन्दुओं और मुसलमानोंके लिए एक चेतावनी है जो कहते हैं कि उन्हें मुझसे प्रेम है। अगर वे सचमुच मुझसे प्रेम करते रहे हैं और यदि मैं उनके प्रेमका योग्य पात्र रहा हूँ तो वे अपने आचरणके द्वारा ईश्वरकी अवज्ञा करनेके घोर पापके लिए मेरे साथ प्रायश्चित्त करेंगे। एक-दूसरेके धर्मकी निन्दा करना, विना सोचे-समझे जो मनमें आये कहते रहना, झूठ बोलना, निरीह लोगोंके गिर फोड़ना, मन्दिरों या मसजिदोंकी पवित्रता भंग करना, यह सब ईश्वरकी अवज्ञा ही है। हमारे उन यादवी सघर्षोंको दुनिया देख रही है—कुछ सुनीके गाय और कुछ दुःखके गाय। हम शैतानका कहा मान बैठे हैं। धर्म चाहे कोई भी हो उसका पालन ऐसे आचरणमें नहीं होता, उसके लिए तो कठोर अनुगामनकी आवश्यकता होती है। हिन्दुओं और मुसलमानोंका प्रायश्चित्त उपवास करना नहीं, बल्कि उन्होंने जो गरुत रास्ता ग्रहणकर लिया है उसे छोड़कर सही रास्तेपर आ जाना है। अपने हिन्दू भाइयोंके प्रति मनमें कोई दुर्भावना न रखना ही मुसलमानोंके लिए सच्चा प्रायश्चित्त है और उमी प्रकार मुसलमानोंके प्रति ऐसी कोई भावना न रखना हिन्दुओंके लिए सच्चा प्रायश्चित्त है।

मैं किसी भी हिन्दू या मुसलमानसे अपने धार्मिक सिद्धान्तको रच-मात्र भी छोड़नेको नहीं कहता, वरतें कि उसे उस बातका इत्मीनान हो कि जिसे वह धार्मिक सिद्धान्त कह रहा है वह सचमुच धार्मिक सिद्धान्त ही है। लेकिन, यह तो मैं हर हिन्दू और मुसलमानसे कहता हूँ कि वह भौतिक लाभके लिए आपसमें न लडे। अगर मेरे उपवासके कारण दोनोंमें से कोई भी पक्ष सिद्धान्तके मामलेमें कही झुकता है तो मुझे बहुत दुःख होगा। मेरा उपवास तो मेरे और ईश्वरके बीचकी बात है।

इस मामलेमें मैंने किसी मित्रसे कोई सलाह नहीं ली। बुधवारको हकीम साहबसे विलकुल एकान्तमें काफी देरतक बातचीत हुई और मौलाना मुहम्मद अलीके घर तो मैं ठहरा हुआ ही हूँ। वे ही मेरे मेजवान हैं। किन्तु, इन लोगोंसे भी कोई सलाह नहीं ली। जब कोई व्यक्ति अपने स्रष्टासे अपना देना-पावना दुरुस्त करना चाहता है तो वह किसी तीसरेकी सलाह नहीं लेता—लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन, अगर उसके मनमें इस विषयमें कोई शका हो तब तो उसे सलाह लेनी ही चाहिए। लेकिन, मैंने जो कदम उठाया, उसकी आवश्यकताके सम्बन्धमें मेरे मनमें कोई शका नहीं थी। मित्र लोग तो मुझे उपवास करनेसे रोकना अपना कर्त्तव्य समझेंगे। ऐसी बातें सलाह-मशविरे और दलीलका विषय नहीं होती। ये तो हृदयकी अनुभूतिकी चीजे हैं। जब रामने एक बार कर्त्तव्य-पालनका निश्चय कर लिया तो न स्नेहमयी

१. मूल संस्कृत श्लोक इस प्रकार है •

“ कर-चरणकृत वाक्कायज कर्मज वा

श्रवण-नयनज वा मानसं वाऽपराधम् ।

विहितमविहित वा सर्वभैतक्षमस्व

‘जय-जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ।’”

माताका रोना-धोना, न गुरुकी सलाह, न जनताका अनुनय-विनय और न यह निश्चित सम्भावना ही कि उनके ऐसा करनेसे उनके पिता जीवित नहीं रह पायेंगे, उन्हें अपने सकल्पसे डिगा पाये। ये बातें क्षणिक हैं। अगर रामने इन समस्त प्रलोभनोंके सामने अपना हृदय बञ्च न कर लिया होता तो हिन्दू-धर्मको धर्मका सच्चा स्वरूप ही प्राप्त नहीं होता। वे जानते थे कि अगर उन्हें मानवताकी सेवा करनी है और भावी सन्ततिके लिए एक आदर्श बनना है तो उन्हें हर कष्टसे गुजरना होगा।

लेकिन, क्या एक मुसलमानके घर बैठकर मेरा उपवास करना उचित था? हाँ, विलकुल उचित था। मेरे मनमें उपवासका विचार किसीके प्रति दुर्भावनासे प्रेरित होकर नहीं आया। मैं एक मुसलमानके घर बैठा हुआ हूँ, इससे मेरे उपवासका कोई ऐसा अर्थ मझे जानेकी गुजाइज विलकुल नहीं रह जाती। इसे एक मुसलमानके घर शुरू और खतम करना सर्वथा सगत है।

मुहम्मद अली है कौन? उपवासमें दो ही दिन पहले एक निजी मामलेपर हम दोनोंकी बातचीत हुई थी। उम दौरान मैंने उनसे कहा था कि जो मेरा है, वह आपका है और जो आपका है, वह मेरा भी है। मैं लोगोंको कृतज्ञतापूर्वक यह वता देना चाहता हूँ कि मेरा जैसा स्वागत-सत्कार मुहम्मद अलीके घर हो रहा है, उससे अच्छे स्वागत-सत्कारका सौभाग्य मुझे जीवनमें कभी नहीं मिला। मेरी हर जरूरतका अन्दाजा वे पहले ही कर लेते हैं। उनके घरके हर व्यक्तिको सबसे ज्यादा इसी बातकी लगी रहती है कि किम तरह मुझे और मेरे साथियोंको अधिकसे-अधिक सुख-सुविधा दी जा सकती है। डा० अन्वारी और डा० अब्दुर्रहमान तो मेरे स्वास्थ्य-मलाहकार ही बन गये हैं। वे हर रोज मुझे देखते हैं। जीवनमें मुझे अनेक सुखदायी अवसर मिले हैं, यह उनमें से किसीसे घटकर नहीं है। भोजन ही सब-कुछ नहीं है। यहाँ मुझे अगाध प्रेम प्राप्त हो रहा है और वह भोजनसे बढ़कर है।

कुछ लोग गुप्त-गुप्त ऐसी चर्चा करते हैं कि मैं मुसलमान भाइयोंमें इतना पगा रहता हूँ कि हिन्दुओंके मनका भाव जानने लायक रह ही नहीं गया हूँ। हिन्दुओंके मनका भाव तो मेरे ही मनका भाव है। जब मेरे अस्तित्वका कण-कण हिन्दू है तो हिन्दुओंके मनका भाव जाननेके लिए मुझको उनके बीच रहनेकी क्या जरूरत है? अगर मेरा हिन्दुत्व प्रतिकूलमें-प्रतिकूल वातावरणमें फूल-फल नहीं सकता तो अवश्य ही वह बहुत क्षुद्र वस्तु है। मुझे तो इस बातका सहज ज्ञान है कि हिन्दू-धर्मके लिए क्या कुछ जरूरी है। लेकिन, मुसलमानोंके मनका भाव जाननेके लिए तो मुझे परिश्रम और प्रयत्न करना ही है। अच्छेसे-अच्छे मुसलमानोंके मैं जितना निकट आता जाऊँगा, मुसलमानों और मुसलमानोंके कार्योंके बारेमें सही अनुमान लगानेकी मेरी उतनी ही सम्भावना होगी। मैं दोनों जातियोंको जोड़नेवाला सबसे अच्छा गारा बननेकी कोशिशमें हूँ। मेरी कामना ही यही है कि जरूरत पड़े तो इसे मैं अपने खूनके गारेसे जोड़ूँ। लेकिन, ऐसा करनेके लिए मुझे मुसलमानोंको यह दिखा देना चाहिए कि मैं जितना प्यार हिन्दुओंको करता हूँ, उतना ही उन्हें भी करता हूँ। मेरा धर्म मुझे सबको समानरूपसे प्यार करनेकी सीख देता है। ईश्वरसे यही प्रार्थना है कि वह इस काममें मुझे सहायता

दे। मेरे उपवासका, और बातोंके अलावा, एक उद्देश्य यह भी है कि मैं ऐसा मम और नि स्वार्थ प्रेम-भाव प्राप्त करनेके योग्य बन सकूँ।

[अग्नेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

## १५०. टिप्पणी

२२ सितम्बर, १९२४

### पाठकोको सूचना

‘यंग इंडिया’ और ‘नवजीवन’ मेरे लिए प्रसन्नताके स्रोत है। मुझे इनके माध्यमसे प्रति सप्ताह जनताके लिए कुछ लिखना बहुत प्रिय है। किन्तु मुझे दु खके साथ सूचित करना पड रहा है कि मुझे दो या तीन सप्ताहके लिए सम्पादकीय लिखनेका काम बन्द रखना होगा। मेरे तानाशाह चिकित्सक यह काम करनेसे मुझे मना करते हैं। चार्ली एन्ड्र्यूज मेरे गृह्णीकरण तथा स्वास्थ्य-लाभकी अवधिमें ‘यंग इंडिया’ का सम्पादन स्वयं करनेका आग्रह कर रहे हे। मैं उस प्रस्तावको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। हम दोनों सगे भाई-जैसे हैं। जो सन्देश मैं देता रहा हूँ, वही सन्देश श्री एन्ड्र्यूजकी प्राजलतर तथा शुद्धतर शैलीमें पढकर आपको प्रसन्नता होगी। आखिर अग्नेजी मेरे लिए विदेशी भाषा ही है। चार्ली एन्ड्र्यूज उसके पण्डित है। इसलिए सम्पादकका दायित्व उन्हे सौंपते हुए मुझे प्रसन्नता ही हो सकती है। ‘नवजीवन’ के सम्पादकत्वका उत्तरदायित्व महादेव देसाईपर रहेगा। गुजरातियोमें मेरे सन्देशका इतना सच्चा व्याख्याता दूसरा कोई नहीं हे। इसका मतलब यह नहीं कि ‘यंग इंडिया’ या ‘नवजीवन’ में मैं स्वयं कुछ नहीं लिखूँगा। यदि मेरी शक्ति अन्त तक बनी रही—बहुत अधिक सम्भावना है कि वह अन्ततक बनी रहेगी—और यदि डाक्टरोंने मुझे अनुमति दी तो मैं आशा करता हूँ कि उनके प्रत्येक अकमें कुछ अनुच्छेद मैं लिखता रहूँगा।

[अग्नेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

## १५१. तार : एस० श्रीनिवास आर्यंगारको

[ २२ सितम्बर, १९२४ ]

धन्यवाद। उपवास छोड़नेका अर्थ होगा अपने गहनतम विश्वासोंको छोड़ना।  
ता आग मुझे वैसा कराना चाहेंगे? कृपया चिन्ता न करे।

[ अग्नेजीने ]

हिन्दू, २२-९-१९२४

## १५२. पत्र : सरलादेवी चौधरानीको

दिल्ली

२२ सितम्बर, १९२४

तुम्हारा करण अनुरोध पढा। मैं जीवित जरूर रहना चाहता हूँ। मैं तो ४०  
दिनका व्रत ले रहा था, किन्तु गहराईमें विचार करनेपर मैंने देखा कि स्थितिका  
ध्यान रखते हुए जितना कमसे-कम आवश्यक हो, मुझे उतना ही उपवास करना  
चाहिए। यदि ईश्वर उन शरीरमें और अधिक सेवा कराना चाहता है तो वह निश्चित  
रूपमें उनको बनाये रखेगा।

[ अग्नेजीसे ]

द्विपून, २७-९-१९२४

## १५३. काम नहीं तो राय नहीं

२३ सितम्बर, १९२४

मालाना हमरत मोहानोंने अभी उन दिन मुझे सोवियत-सविधान देते हुए कहा  
कि उमे पढिए—यदि और किसी बजहसे नहीं तो सिर्फ इसीलिए कि कांग्रेसके  
सविधान और सोवियत-सविधानमें कितनी स्पष्ट समता दिखाई देती है। मैंने उसे  
मरमरी तीरपर पढा तो देखा कि दोनों सविधानोंके रूपमें निःसन्देह स्पष्ट समता  
है। यह समता बतलाती है कि इस भूमण्डलपर कोई बात मौलिक और नई नहीं  
है। दोनोंमें मुझे बहुत बुनियादी किस्मके कुछ फर्क भी दिखे, पर उनकी चर्चा करने  
की जरूरत नहीं। किन्तु, उसकी एक बातपर तो मैं लट्ट हो गया। वह थी “काम नहीं  
तो राय नहीं” का सूत्र। सोवियत-सविधानमें सदस्यकी पात्रता न पैसेसे परखी जाती

१ “ एमोसिपेटेड प्रेस ऑफ इंडिया ” ने इसे मद्राससे २२ सितम्बरको प्रकाशित किया।

है—चार आनेसे भी नहीं—न मिलान्यतसे और न तालीमसे, वह सिर्फ 'सच्ची मेहनतसे' परखी जाती है। इस तरह सोवियत कांग्रेसको सिर्फ काम करनेवालोका संगठन समझिए। क्या दार्शनिक, क्या अध्यापक और क्या दूसरे तमाम लोग, सबके लिए कुछ-न-कुछ काम करना लाजिमी है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें मेहनत किम तरहकी करनी पडती है। मैंने चन्द मिनटोमे ही उमे उलट-पलट देखा। इसमे अगर यह बात उसमे कही दिखाई भी गई हो तो मुझे मिल नहीं पाई। उसमें हमारे लिए जो महत्त्वपूर्ण और प्रासंगिक बात है वह यह कि हरएक मतदाताको कुछ-न-कुछ ठोस काम करके दिखाना पडता है। ऐसी अवस्थामे मेरा यह प्रस्ताव कि अवसे कांग्रेसका सदस्य होनेकी इच्छा रखनेवाले हर व्यक्तिको चाहिए कि वह अपने राष्ट्रके लिए शारीरिक श्रम करे, न तो मौलिक है और न हास्यास्पद ही। यह देयते हुए कि एक महान राष्ट्रने पहलेसे ही इस सूत्रको मजूर कर लिया है, हमे उसका अनुकरण करनेमे झेपनेकी कोई जरूरत नहीं। थोडे समयतक रोज की जानेवाली मेहनत कभी फल दे सकती है, जब लाखो-करोडो लोग एक ही किस्मकी मेहनत करे और हमारे देगके सदृश विशाल देगमे ऐसा शारीरिक काम, जिसका घर-घर प्रचार हो सके, हाथ-कताईके सिवा दूसरा नहीं है।

लेकिन कहा जाता है कि यह प्रस्ताव महज शारीरिक कामका प्रस्ताव नहीं है, उसके अन्दर आर्थिक पात्रता छिपी हुई है। सूत कितना ही महीन क्यों न कते, एक सालके दौरान काते जानेवाले सूतका परिमाण इतना तो नहीं घटाया जा सकता कि चार आनेकी कीमतका सूत कातनेसे ही काम चल जाये। पर आलोचक इस बातको भूल जाते हैं कि मैंने अपने प्रस्तावकी रूप-रेखा जिस लेखमे दी है, उसमे मैंने कहा है कि जो लोग रुईकी व्यवस्था खुद नहीं कर सकते उन्हें प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोकी तरफसे रुई मिलनी चाहिए। इस प्रकार मेरी योजनाके अधीन लोग जो कपास विना मूल्य प्रदान करेगे, वह चन्दा नहीं, बल्कि दान होगा। अनुभव बताता है कि हजारो लोग हर साल २४,००० गज सूत कातनेके लिए जरूरी कपासकी व्यवस्था खुद ही सम्भव बना सकते हैं। इस वार अखिल भारतीय खादी बोर्डमे लगभग ५,००० लोगोने सूत भेजा है। उन्होने खादी-बोर्डसे रुई नहीं माँगी। मुमकिन है कि कुछ प्रान्तोने कतैयोको रुई देनेका इन्तजाम किया हो। अगर उन्होने ऐसा किया हो तो कुछ वेजा नहीं, क्योंकि असली चीज तो है आधा घटा शारीरिक श्रम करना। हमारे राष्ट्रके इस क्षयका कारण कच्चे मालकी कमी नहीं, बल्कि शारीरिक श्रम और कमसे-कम जरूरी हुनरका अभाव है। हमे अपने हाथोसे मेहनत करनेकी आदत नहीं रह गई है। इसीसे मेरा यह प्रस्ताव कुछ लोगोको अप्रिय मालूम होता दिखाई देता है और राष्ट्रकी एक ही आवश्यकताकी पूर्तिके लिए सारा देश अपनी राजी-खुशीसे रोजाना आधा घटा समय देने लगे, इस बातसे होनेवाले लाभोको समझना उन्हें कठिन मालूम हो रहा है। निश्चय ही मेरे प्रस्तावमे नैतिकताके विरुद्ध तो कुछ भी नहीं है। उसमे ऐसी भी कोई बात नहीं है जो किसीकी अन्तरात्माके खिलाफ पड सकती हो। यह काम कोई बहुत भारी भी नहीं है। सच तो यह है कि आधे घटेका यह हलका

श्रम इतना मामूली काम है कि इन अत्यन्त परिश्रमी कार्यकर्त्ताओंके लिए भारी पड़ ही नहीं सकता। ऐसी हालतमें इस प्रस्तावके खिलाफ जो कुछ ज्यादासे-ज्यादा कहा जा सकता है वह यही कि इस मेहनतका कुछ फल न निकलेगा। जरा फर्ज कीजिए कि स्वराज्य या चटपट आर्थिक मुक्तिकी दृष्टिसे इसका कुछ फल न होगा, पर अखिल भारतीय खादी-बोर्डके पास अगर हर माह मनो सूत आता रहे और उसकी बंदीलत मस्ती खादी बनती रहे तो क्या यह निष्फल होगा? नहीं। राष्ट्रीय उत्पादनमें एक गज कपड़ेके योगको भी निष्फल श्रम नहीं कहा जा सकता।

दूसरा एतराज उसपर यह किया गया है कि उससे काग्रेसके हजारों मतदाताओंका मताधिकार छिन जायेगा। पर मैं कहनेका साहस करता हूँ कि यह एतराज विलकुल बेवुनियाद है। मतदाता वही होता है जो अपनी सस्थाके काममें लगनमें दिलचस्पी लेता हो। हमारे मतदाता ऐसे नहीं हैं। कमूर उनका नहीं, हमारा है। हमने उनमें काफी दिलचस्पी नहीं ली और जबतक हमें एड न लगाई जाये तबतक हम ऐसा करेंगे भी नहीं। तकुआ ही वह एड है। हर महीने काग्रेसके अधिकारियोंको हर एक मतदातासे अपना सीधा सम्पर्क रखना पड़ेगा। यह विलकुल स्पष्ट बात है, ताज्जुब है कि इसे भी समझानेकी जरूरत पड़ती है। हर महीने अपने कामका हिमाव देनेवाले हजारों सच्चे कार्यकर्त्ताओंकी एक सस्थाकी सम्भावनाओंकी कल्पना तो कीजिए। क्या सन्ध्यामें थोड़े, पर उत्साही काम करनेवालोंकी सजीव सस्था उस सन्ध्यामें हजारों गुनी अच्छी नहीं है जिसमें हजारों ऐसे सदस्य हो, जिन्हें उनके कामकी परवाह ही न हो और जो कुछ आदमियोंके इशारेपर अपनी राय देनेसे अधिक अपना कोई कर्त्तव्य ही न समझते हो। पर आसार तो ऐसे दिखाई देते हैं कि यदि हम आवश्यक परिवर्तन करनेका साहस-मात्र दिखाये तो हमें इतनी बड़ी तादादमें मतदाता लोग मिलेंगे जो हमारे अन्दाजसे बहुत ज्यादा होंगे। दूसरे महीनेमें सूत भेजनेवालोंकी तादाद पहले महीनेके दुगुनेसे भी ज्यादा है। यदि हर प्रान्तका हर कार्यकर्त्ता राजी-खुशीमें कातनेवालोंका खासा सगठन करे तो कर्त्तव्योंकी सन्ध्यामें हमें बराबर वृद्धि ही दिखाई देगी और ताज्जुब नहीं कि कुछ ही महीनोंमें यह तादाद दो लाखतक पहुँच जाये। दो लाखके मानी हैं हर प्रान्तमें दस हजार और हर प्रान्त औसतन दस हजार स्वेच्छापूर्वक कातनेवाले लोग तैयार कर सके, इसके लिए किसी असाधारण सगठन-क्षमताकी जरूरत नहीं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरा प्रस्ताव नामजूर नहीं होगा।

मैंने जान-बूझकर अपने प्रस्तावको छोटेसे-छोटा समान माप कहा है, बड़ेसे-बड़ा नहीं। छोटेसे-छोटे मापका मतलब यह नहीं है कि वह सारे देश द्वारा स्वीकार किये जाने योग्य छोटेसे-छोटा है, बल्कि देशकी उद्देश्य-सिद्धिके लिए कमसे-कम आवश्यक माप है। मेरा मत है कि यदि हमें रक्तपातके विना स्वराज्य प्राप्त करना हो तो मेरी वताई ये तीनों बातें परम आवश्यक हैं। यदि हमारा यह आदर्श हो कि कार्य-क्षमताकी परवाह किये विना जितने सदस्य बनाये जा सके, बनाये जाये, तब तो हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यताकी भी नमस्कार कर लेना होगा। कारण, मैं जानता हूँ कि



अस्पृश्यता-निवारणके लिए जहाँ-कहीं हमने जोर-शोरसे काम किया है, वही बहुतेरे लोग काग्रेससे अलग हो गये हैं। वे अब भी उसे हिन्दू-धर्मका अभिन्न अंग मानकर उससे चिपटे हुए हैं। यही बात हिन्दू-मुस्लिम एकताके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। कारण, हालके अनुभवोंने यह दिखला दिया है कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो न केवल हिन्दू-मुस्लिम एकताके उच्छ्रुत नहीं हैं, बल्कि हमारे मतभेदोंको बराबर बनाये रखना चाहते हैं। जरा-जरा-सी बातपर वे झगडा खडा करना चाहते हैं। वे बहाने बनानेमें भी नहीं हिचकते। ऐसी अवस्थामें यदि हम अपने आन्तरिक विकासके लिए आवश्यक सभी चीजोंकी उपेक्षा कर देते हैं तो फिर कांग्रेस राष्ट्रकी पुकारपर एकजुट होकर एक व्यक्तिकी तरह दौड पडनेवाली सस्थाके बजाय मछुओंका बाजार बन जायेगी। कमसे-कम मैं तो ऐसी सस्थामें, जहाँ ये तीनों चीजे एक जीवन्त सत्यके रूपमें विद्यमान न हों, विलकुल पथरा जाऊँगा और यदि इसे 'वाइविल' की पवित्रता भंग करना न माना जाये तो उसके एक वचनका उपयोग करते हुए मैं कहूँगा— पहले तुम हिन्दू-मुस्लिम एकता प्राप्त करो, छुआछूत हटाओ, चरखा और खादीको अपनाओ, फिर दूसरी तमाम चीजे तुम्हें अपने-आप मिल जायेगी।

[अग्नेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

### १५४. तार : मु० रा० जयकरको<sup>१</sup>

[२३ सितम्बर, १९२४]<sup>३</sup>

मैं अपने शास्त्रोंकी भावनाका वाच्यार्थ नहीं लेता। मेरा विचार है प्रायश्चित्त उचित है। कृपया मेरी चिन्ता न करे। स्वास्थ्य विलकुल ठीक है।

[अग्नेजीसे]

द स्टोरी ऑफ़ माई लाइफ, खण्ड - २

१. गांधीजीके स्वास्थ्यके बारेमें जयकर द्वारा की गई पूछताछके उत्तरमें।

२. जयकरको यह तार इसी तारीखको मिला था।

## १५५. तार : कुम्भकोणम् कांग्रेस कमेटीको

[ २३ सितम्बर, १९२४ ]\*

तारके लिए धन्यवाद। ईश्वर चाहेगा तो यह अग्नि-परीक्षा पार कर लूंगा।

गांधी

[ अग्नेजीसे ]

हिन्दू, २३-९-१९२४

## १५६. पत्र : सतीश चन्द्र मुखर्जीको

दिल्ली

२३ सितम्बर, १९२४

प्रिय सतीश बाबू,

यह पत्र आपको केवल यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि मेरा उपवास बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। मैं जानता हूँ, आप अन्दर-ही-अन्दर इस बातसे प्रमत्त हो रहे हैं कि ईश्वरने मुझे सकटमे से गुजरनेकी शक्ति दी है। यदि आप यहाँ आना ही चाहते हो तो मेरे उपवासके अन्तिम सप्ताहमें आयें। अब आप कृष्णोदासके वारेमे चिन्ता न करे।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

[ पुनश्च ]

कृष्णोदासने मुझे अभी-अभी बताया है कि आपको तो बुखार है। यदि ऐसा हो तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए।

मो० क० गांधी

अग्नेजी पत्र (जी० एन० ५५९६) की फोटो-नकलसे।

## १५७. पाठकोंसे

दिल्ली

बुधवार, भाद्रपद वदी ११ [ २४ सितम्बर, १९२४ ]

मैं आपको क्या लिखूँ? मेरा और आपका सम्बन्ध, मेरी दृष्टिमें असाधारण है। 'नवजीवन' के सम्पादकका पद मैंने न तो धन-लोभसे ग्रहण किया है और न कीर्ति-लोभसे। मैंने तो अपने शब्दोंके द्वारा आपके हृदयका स्पर्श करनेके लिए यह पद स्वीकार किया है। मेरे हाथ यह अनायास ही आ पडा। परन्तु जबसे आया है तबसे मैं आपका ही चिन्तन करता रहा हूँ। मैंने प्रति सप्ताह 'नवजीवन' में अपनी आत्मा उडेलनेका प्रयत्न किया है। इसमें मैंने एक भी शब्द ईश्वरको साक्षी रखे बिना नहीं लिखा है। आपको जो प्रसादी पसन्द हो, वही देना, मैंने अपना धर्म नहीं समझा। कितनी ही बार मैंने कडवे घूंट भी पिलाये हैं। किन्तु कडवे या मीठे हरएक घूंटमें मैंने वही बतानेकी कोशिश की है, जिसे मैंने निर्मल धर्म माना है, जिसे मैंने स्वच्छ देश-सेवा माना है।

आज जो मैं उपवास कर रहा हूँ, सो इस सम्पादक-पदके अधिक योग्य बननेके लिए। मैं जानता हूँ कि 'नवजीवन'के अनेक पाठक भाई-बहन मेरे लेखोंसे मार्ग-दर्शन ग्रहण करते हैं। कहीं मैंने उनका गलत मार्ग-दर्शन करके उन्हें हानि पहुँचाई हो तो? यह खयाल मुझे बराबर सालता रहता था।

अस्पृश्यताके बारेमें मुझे कभी लेश-मात्र भी शका नहीं हुई। चरखेके विषयमें तो ऐसी शकाके लिए कोई गुजाइश ही नहीं है। वह लँगडेकी लाठी है। वह भूखसे पीडितोंकी भूख मिटानेका साधन है, निर्धन स्त्रियोंके सतीत्वकी रक्षा करनेवाला किला है। जबतक इसे सब लोग स्वीकार नहीं करते, तबतक हिन्दुस्तानकी फाकाकशी मिटना मैं असम्भव मानता हूँ। इस कारण चरखा चलानेमें अथवा उसका प्रचार करनेमें भूलके लिए कोई गुजाइश ही नहीं है।

हिन्दू-मुसलमान ऐक्यकी आवश्यकताके विषयमें भी सशयके लिए कोई स्थान नहीं है। उसके बिना स्वराज्य आकाश-कुसुमके समान है।

परन्तु मैं जिस महान अहिंसाकी बात करता हूँ, उसे ग्रहण करनेके लिए आप तैयार हैं या नहीं, इसके विषयमें मुझे सदा शका बनी रही है। मैंने तो पुकार-पुकार कर कहा है कि अहिंसा — क्षमा — वीरका लक्षण है। जिसमें मारनेकी शक्ति है, वही मारनेसे अपनेको रोक सकता है। मेरे लेखोंको पढकर कहीं आप भीरुताको अहिंसा मान ले तो? अपनोंकी रक्षा करनेके धर्मको खो बैठे तो? तब तो मेरी अधोगति ही होगी। मैंने कितनी ही बार लिखा है और कहा है कि कायरता कभी धर्म ही नहीं सकती। इस ससारमें तलवारके लिए जगह जरूर है, लेकिन कायरताके लिए कोई जगह नहीं है। कायरका तो क्षय ही हो सकता है और उसका क्षय

उचित भी है। परन्तु मैंने तो यह दिखानेका प्रयत्न किया है कि तलवार चलानेवालेका भी क्षय ही होगा। तलवारसे मनुष्य किसको बचा सकता है, किसको मार सकता है? आत्मबलके सामने तलवारबल तृणवत् है। अहिंसा आत्माका बल है, तलवार शरीरका बल है। तलवारका उपयोग करके आत्मा शरीरवत् बनती है। अहिंसाका उपयोग करके आत्मा आत्मवत् बनती है। जो इस बातको न समझ सके उन्हें तो तलवार हाथमे लेकर भी अपने आश्रितोकी रक्षा करनी ही चाहिए।

ऐसा अनमोल अहिंसा-धर्म मैं शब्दोके द्वारा प्रकट नहीं कर सकता। खुद पालन करके ही उसका पालन कराया जा सकता है। इसीलिए मैं इस समय इस धर्मका पालन कर रहा हूँ। मेरे मन्दिरको तोड़नेवाले मुसलमानको भी मैं तलवारसे न मारूँगा। उसपर मैं क्रोध भी न करूँगा। उसे भी मैं केवल प्रेमसे ही जीतूँगा।

मैंने लिखा है कि हिन्दुस्तानमें यदि एक ही शुद्ध प्रेमी पैदा हो जाये तो वह स्वधर्मकी रक्षा कर सकता है। मैं ऐसा ही शुद्ध प्रेमी बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा लिखता रहा हूँ कि आप भी ऐसे बने।

मैं जानता हूँ कि मेरे अन्दर बहुत प्रेम है। पर प्रेमकी सीमा ही कहाँ है? मैं यह भी जानता हूँ कि मेरा प्रेम असीम नहीं है। मैं साँपके साथ कहाँ खेल सकता हूँ? मुझे पूरा विश्वास है कि अहिंसा-मूर्तिके सामने साँप भी शान्त हो जाता है।

उपवास करके मैं अपनेको परख रहा हूँ, विशेष प्रेमकी सामर्थ्य अर्जित कर रहा हूँ। मैं अपना कर्त्तव्य पूरा करके आपको आपका कर्त्तव्य बताना चाहता हूँ। आप यदि मेरे साथ उपवास करे तो यह निरर्थक है। उसके लिए समय, अधिकार, आदिकी जरूरत रहती है। आपका कर्त्तव्य तो यही है कि जो तीन चीज मैं भिन्न-भिन्न तरीकोसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उनको साधिए। मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा दूसरी बहुत-सी बातें अपने-आप सच जायेंगी।

मेरे उपावासके औचित्यपर शका करनेके बदले आप ईश्वरसे यही प्रार्थना कीजिए कि मेरा उपवास निर्विघ्न पूरा हो जाये, मैं फिर 'नवजीवन' के द्वारा आपकी सेवा करने लगूँ और मेरे शब्दोमे अधिक बल आये।

आपका सेवक,  
मोहनदास गांधी

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २८-९-१९२४

## १५८. पत्र : सरलादेवी चौधरानीको

दिल्ली

२४ सितम्बर, १९२४

मेरा प्रायश्चित्त दूसरोके पाप-शोधनके लिए नहीं है। यह उस गलतीके लिए है जो सम्भवत मुझसे हो गई हो। . . तुम ऐसा क्यों मान लेती हो कि मैंने ईसाइयोंके उदाहरणोंसे प्रेरणा ली है। अगर लेता भी तो इसमें मुझे कोई लज्जा न होती, किन्तु असलमें इस प्रायश्चित्तसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, २७-९-१९२४

## १५९. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको<sup>१</sup>

दिल्ली

२४ सितम्बर, १९२४

मेरे लिए यह बड़े दुःखकी बात है कि मैं आगामी सम्मेलनमें शरीक नहीं हो सकूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरा उपवास खुद ही सम्मेलनको अपना कार्य जिस वातावरणमें करना चाहिए, उसमें एक बाधा है। मेरी उपस्थिति तो और भी अधिक बाधक होगी। लेकिन, यद्यपि मुझे वहाँ शरीरत उपस्थित नहीं रहना चाहिए, फिर भी मेरी आत्मा तो वही रहेगी।

यह सम्मेलन बुलानेका कारण मेरा उपवास ही है। यदि यह हमें आत्म-निरीक्षण करने, स्पष्टवादिता, निर्भीकता और सचाईसे काम लेनेकी प्रेरणा दे सके, अगर इससे हममें अनावश्यक बातोंको छोड़ सकने और सिर्फ आवश्यक बातोंपर ही आग्रह करनेकी वृत्ति आ सके तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। किन्तु, यदि इसके कारण एक भी हिन्दू या मुसलमान उस चीजमें से कुछ छोड़नेको बाध्य होता है, जिसे वह अपना सिद्धान्त मानता है तो मुझे बहुत दुःख होगा। अगर सम्मेलनका परिणाम पैबन्द और थैगली लगी कृत्रिम शान्तिके रूपमें प्रकट होता है तो सम्मेलन निष्फल ही साबित होगा। उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। जिस चीजकी जरूरत है वह है हृदयकी एकता और यह तभी आ सकती है जब हर आदमी अपने हृदयकी बात कहे और हृदयसे कहे। अगर मुसलमान ऐसा मानते हो कि मन्दिरोंकी पवित्रता भग करना उनका कर्तव्य है, यदि वे समझते हो कि जो व्यक्ति अपने हृदयकी प्रेरणापर

१. यह वक्तव्य २६ सितम्बर, १९२४ को दिल्लीमें होनेवाले एकता-सम्मेलनके सम्बन्धमें दिया गया था।

इस्लामका त्याग करता है या जो उसे एक वार स्वीकार करके पुन अपना धर्म बदल लेता है, वह उनके हाथसे दण्ड पानेका पात्र है, या अगर वे सोचते हो कि मसजिदोके पास गाना-बजाना जवरदस्ती भी बन्द कराना चाहिए तो उन्हें स्पष्ट रूपसे ऐसा करना चाहिए। मैं इसके लिए उनका आदर करूँगा, यद्यपि तब मुझे यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस अभाग्य देशके भाग्यमें शान्ति नहीं बदी है। मुसलमानोके वैसा कहनेका परिणाम झेलना मैं हजार वार पसन्द करूँगा, किन्तु यह कभी नहीं चाहूँगा कि एक भी मुसलमान किसी वाहरी दवावके कारण अपने धार्मिक विश्वासको अपने मनमें ही दवा कर रखे।

हिन्दू होनेके नाते मैं यह जानता हूँ कि कोई भी हिन्दू ऐसा कहनेका साहस नहीं कर सकता कि उसका धर्म उसे मसजिदोकी पवित्रता भग करने या किसी मुसलमानको गो-वध करनेसे जवरदस्ती रोकनेकी सीख देता है। मैं जानता हूँ कि अगर वह इनमें से कोई भी काम करता है तो पाप करता है। लेकिन, अगर ऐसे हिन्दू हो जो दूसरोके पूजा-स्थलोकी पवित्रता भग करना या जोर-जवरदस्ती गो-वध बन्द कराना अपना कर्त्तव्य समझते हो तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए। तब फिर मैं यही समझूँगा कि आंमुओ और दु खके इस देशके भाग्यमें शान्ति ही लिखी नहीं है।

मैं जो-कुछ कहना चाहता हूँ वह यही है कि मेरे उपवासके कारण लोग कोई भी बात अपने मनमें छिपाकर न रखें और यह कि नकली शान्तिसे मेरा व्यथा घटनेके बजाय बढ़ेगी ही तथा मेरी आगेकी अवस्था इससे भी बुरी होगी। इसलिए इस समस्यापर विचार करते समय मेरे उपवासका कोई खयाल न रखा जाये और अगर सदस्यगण ऐसा मानते हो कि यह असम्भव है तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि उपवासका दवाव दूर हो जानेतक सम्मेलनको स्थगित रखा जाये।

[अग्नेजीसे]

हिन्दू, २५-९-१९२४

## १६०. टिप्पणियाँ

### एक मित्रका निधन

हम भारतमें रहनेवाले लोग अपने दक्षिण आफ्रिकी वीरोके बारेमें कुछ नहीं जानते। वे उसी प्रकार अज्ञात हैं

जिस प्रकार हेम्डन नामका वह ग्रामीण, जिसने अत्यन्त निर्भयतापूर्वक अपने छोटे अन्यायी जर्मीदारका विरोध किया था।'

मुझे अभी-अभी जोहानिसबर्गसे एक तार मिला है, जिसमें समाचार दिया गया है कि श्री पी० के० नायडूकी निमोनियासे मृत्यु हो गई है। वे बहुत ही सच्चे भारतीय और अत्यन्त साहसी मनुष्य थे। उन्होंने कई वार जेल-जीवनके कष्ट सहन किये थे।

१. अग्नेज कवि ग्रेकी कवितासे।

उनकी पत्नीने भी उनका अनुसरण किया। वे सभी कार्य करनेके लिए तैयार रहते थे। वे सूचना मिलनेके बाद एक घटेके भीतर ही उन निर्वासित भारतीयोंके एक दलकी जिम्मेदारी सँभालनेके लिए तैयार हो गये थे, जिन्हे जनरल स्मट्सने भारत वापस जानेका आदेश दे दिया था। देशकी आजादीके लिए किसी भी त्यागको वे बहुत बड़ा नहीं समझते थे। ऐसे समयमें उनकी मृत्यु दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले हमारे देशवासियोंके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वे अकेले ही शक्तिशाली दक्षिण आफ्रिकी सरकारको चुनौती देनेमें समर्थ थे। वास्तवमें कुछ ही दिन पूर्व मुझे उनका एक पत्र मिला था, जिसमें उन्होंने अपने आन्दोलनकी योजना बताई थी। किन्तु अफसोस! निष्ठुर नियतिकी योजना कुछ और ही थी। नायडू अब ससारमें नहीं रहे, किन्तु उनका कार्य सदा जीवित रहेगा। श्री पी० के० नायडू अग्रेजीके अच्छे पण्डित थे। वे हिन्दी, तेलुगू, फ्रासीसी तथा जुलू भाषाएँ भी जानते थे। उन्होंने सब-कुछ अपने प्रयत्नसे ही सीखा था। शरीरसे वे बड़े हट्टे-कट्टे थे। वे एक अच्छे मुक्के-बाज भी थे। किन्तु उन्होंने अहिंसाका रहस्य समझ लिया था, इसलिए वे गम्भीरतम उत्तेजनाके क्षणोंमें भी अपने ऊपर नियन्त्रण रख सकते थे। वे जन्मजात श्रमिक थे। वे कभी किसी कामको करनेसे इनकार नहीं करते थे। वे एक कुशल नाई थे और चूँकि वे क्लर्क नहीं बनना चाहते थे, इसलिए बाल काटनेकी एक दूकान चलाते थे। जब टॉल्स्टॉय फार्ममें हमने चप्पल बनानेका काम शुरू किया तो उसमें भी उन्होंने बड़ी कुशलता हासिल कर ली। वे एक सच्चे सिपाही थे। वे आज्ञा-पालन करना जानते थे। मैं उनकी मृत्युपर श्रीमती नायडू और दक्षिण आफ्रिकाके अपने देशभावियोंके प्रति अपनी विनम्र समवेदना प्रकट करता हूँ।

### अमानुषिक व्यवहार

श्रीमती गगाबाई गिडवानी<sup>१</sup> और डा० चौधरामके<sup>२</sup> आचार्य गिडवानीसे मिलकर लौटनेपर इन दोनोंसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि आचार्य गिडवानी दिन-भर कोठरीमें बन्द रखे जाते हैं। उन्हें तीन महीनेमें केवल एक बार मुलाकातियोंसे मिलनेकी अनुमति है। उनका वजन ३० पौंडसे भी अधिक घट गया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियोंने बहुत दिनोंसे आचार्यका वजन भी नहीं लिया है। जब उन्होंने सुपरिटेण्डेण्टसे पूछा कि वजन क्यों नहीं लिया गया तो उसने अपने कन्धे हिलाकर कहा, “यहाँ ऐसा नियम नहीं है।” मैं जानता हूँ कि जेल कोई महल नहीं होता। जेलमें कैदीको घरकी तमाम सुविधाओकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पर मैं ऐसी बहुत-सी जेलोंको भी जानता हूँ, जहाँ ऐसा व्यवहार असम्भव है जैसा आचार्य गिडवानीके साथ किया जा रहा है। हाँ, अधिकारियोंके साथ इन्साफ करनेके लिए मुझे यह भी बता देना चाहिए कि उन्होंने आचार्यको हर रोज सुबह-शाम आधे घंटेतक खुली हवामें घूमनेकी इजाजत दे रखी है, किन्तु उन्होंने इस

१. पृ० टी० गिडवानीकी पत्नी।

२. डा० चौधराम गिडवानी; सिन्धके कांग्रेसी नेता।

सुविधाको तिरस्कारके साथ अस्वीकार कर दिया है। इसपर मुझे ताज्जुब नहीं होता। वे स्वाभिमानी और आत्मसम्मानी व्यक्ति हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। उन्होंने नाभाकी सीमा भी किसी दुराग्रहके कारण पार नहीं की। उनकी मनुष्यता उन्हें वहाँ खींचकर ले गई थी। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसे हम अभद्रतापूर्ण कह सके। उन्होंने नाभा राज्यके खिलाफ कोई साजिश नहीं की। उनपर कोई हिंसात्मक इरादा रखनेका शकतक नहीं किया गया है। तब फिर उनके साथ एक सामान्य कैदीकी तरहका व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, जिसे दिन-भर खुली हवामें रखा जाता है? खूनी कैदियोंतक को खूब खुली हवाकी और घूमने-फिरनेकी काफी सुविधा दी जाती है। इसलिए आचार्य गिडवानीको जो निर्दयतापूर्वक कोठरीमें तनहा बन्द रखा जाता है, उसका मेरे जानते तो कोई कारण नहीं है। ऐसी तनहाईकी सजा तो जेलके नियमोका कोई गम्भीर उल्लघन करनेपर ही दी जाती है। यदि आचार्य गिडवानीने ऐसा कोई कसूर किया हो तो वह सर्व-साधारणको बताया जाना चाहिए। हो सकता है कि नाभा राज्यमें ऐसी सुविधा न हो जिससे वह आचार्य गिडवानीको दिन-भर बाहर रख सके। यदि यह बात है तो मेरा सुझाव है कि उन्हें दूसरी जेलमें बदल दिया जाये। मैं जानता हूँ कि कैदियोंको एक जेलसे हटाकर दूसरीमें रखनेकी प्रथा सारे भारतकी जेलोंमें प्रचलित है। उदाहरणार्थ, मैंने यरवदा सेन्ट्रल जेलमें पंजाब, जूनागढ राज्य और मद्रास अहातेसे लाये हुए कैदी भी देखे थे। जब मैंने श्रीमती गिडवानी और डा० चौइथरामका यह कथन सुना तो मुझमें सविनय अवज्ञाकी भावना पूरी तरहसे जाग उठी और मेरा मन हुआ कि मुझे इसके खिलाफ सघर्ष करना चाहिए। परन्तु जब मेरे मनमें यह खयाल आया कि इसके लिए मुझमें शक्ति ही कहाँ है तो मेरी गर्दन मारे शर्मके नीचे झुक गई। एक-दूसरेके खिलाफ खम ठोककर लडते हुए दलोमें विभक्त और हिन्दुओं और मुसलमानोंके झगडोंसे जर्जर भारतमें सविनय अवज्ञा असम्भव ही दिखाई देती है। पण्डित जवाहरलाल मुझसे पूछते हैं कि क्या उन्हें नाभाके प्रशासकसे प्राप्त पत्रकी ललकारपर नाभाकी हदमें प्रवेश करके अपने साथीसे मिलने नहीं जाना चाहिए। काश, मैं उनसे 'हाँ' कह पाता। इस अवस्थामें तसल्लीकी बात सिर्फ इतनी ही है कि आचार्य गिडवानी वीर पुरुष हैं और उन्हें जेलमें जो भी कष्ट दिये जाये, उन्हें सहनेमें वे समर्थ हैं। ईश्वर उन्हें यह अग्नि-परीक्षा झेलनेका बल दे। स्वाधीनताकी यह कीमत हमें चुकानी ही पड़ेगी। स्वाधीनता बड़ी महँगी वस्तु है और जेल उसे तैयार करनेके कारखाने है।

[ अग्नेजीसे ]

यग इडिया, २५-९-१९२४



## १६१. तार : घनश्यामदास विडलाको

दिल्ली

२५ सितम्बर, १९२४

घनश्यामदास विडला  
१३७, केनिग स्ट्रीट  
कलकत्ता

जानता था कि आप उपवासकी धार्मिक आवश्यकताका समर्थन करेगे। आशा है आप जल्दी ही स्वस्थ हो जायेगे। अभी आनेकी आवश्यकता नहीं। चाहता हूँ आप स्वस्थ होनेके बाद आये।

गाधी

मूल अग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ५९९७) से।  
सौजन्य घनश्यामदास विडला

## १६२. पत्र : मणिबहन पटेलको

[ २६ सितम्बर, १९२४ ]<sup>१</sup>

चि० मणि,

मेरे उपवाससे तनिक भी घबरानेकी जरूरत नहीं। [जितने दिन उपवास कर चुका हूँ], उसको देखते हुए अब भी खूब शक्ति है। मेरा खयाल है, २१ दिनकी अवधि निर्विघ्न पार हो जायेगी। डाक्टरोका भी यही खयाल है। अपने स्वास्थ्यका खूब ध्यान रखना। घूमनेकी आदत रखना। मुझे पत्र लिखना।

बापूके आशीर्वाद

चि० मणिबहन पटेल

मार्फत - बैरिस्टर वल्लभभाई

अहमदाबाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो ४ - मणिबहन पटेलने

१. मणिबहन पटेल द्वारा दी गई तिथि।

## १६३. हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी प्रस्तावका मसविदा<sup>१</sup>

[ २७ मितम्बर, १९२४ ने पूर्व ]

यह सम्मेलन भारतमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच बहुत-से स्थानोंपर चल रहे उम विरोध-वैमनस्य और उन झगड़े-फनादोंकी निन्दा करता है, जिनके परिणाम-स्वरूप लोगोंकी जानें गई हैं, सम्पत्ति जलाई<sup>२</sup> गई है और पूजा-स्थानोंकी पवित्रता भग की गई है। सम्मेलन इस प्रकारके कार्योंको वर्धरतापूर्ण और धर्म-विरुद्ध मानता है तथा उन उपद्रवोंमें नुकसान उठानेवाले लोगोंके प्रति हार्दिक महानुभूति प्रकट करता है। उम सम्मेलनका विचार है कि किसी भी मनुष्यके लिए<sup>३</sup> कानूनको अपने हाथमें लेना अवैध और धर्म-विरुद्ध है। सम्मेलनका मत है कि सभी मतभेदोंको, चाहे वे किसी प्रकारके हों, पच-फैलानेके लिए सौंप देने चाहिए या<sup>४</sup> न्यायालयमें पेश करना चाहिए। यह सम्मेलन पंचोंके रूपमें को (ये व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो इन कार्यमें अपना सारा समय लगाये) नियुक्त करता है और उन्हें यह अधिकार देता है कि वे ऐसे अभिकर्ता (एजेंट) नियुक्त कर सकते हैं जो दोनों सम्प्रदायोंके सभी झगड़ोंका निपटारा करे, पिछली ज्यादतियोंकी जाँच-पड़ताल करे तथा अपनी जाँचके निष्कर्षोंको प्रकाशित करे।

इस सम्मेलनका विचार है कि हिन्दुओंको गो-हत्या बलपूर्वक बन्द करानेकी आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके लिए उन्हें मुसलमानोंकी सद्भावनापर विश्वास करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि दोनों सम्प्रदायोंके मन्मन्व अच्छे हो जानेपर इस मन्मन्वमें सहज ही उनकी भावनाका खयाल रखा जाने लगेगा और इसी प्रकार मुसलमानोंको भी मसजिदोंके पास हिन्दुओंका गाना-बजाना जवरदन्ती बन्द करानेकी आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हिन्दुओंकी सद्भावनापर विश्वास करने हुए मानना चाहिए कि जहाँ उनकी भावनाएँ प्रामाणिक होंगी, वहाँ हिन्दू लोग यथा-सम्भव उनका पूरा खयाल रखेंगे।

इस सम्मेलनका विचार है कि कुछ अखबारोंने, विशेषकर उत्तर भारतके कुछ अखबारोंने, धीरे अतिशयोक्तिपूर्ण बातें लिखकर, एक-दूसरेके धर्मकी निन्दा करके और

१ अनुमान पद मसविदा गांधीजीने तैयार किया था। शक्या परला अनुच्छेद कुछ परिवर्तनोंके साथ, जिनका उद्देश्य नीचे पाद टिप्पणियोंमें किया गया है, २९-९-१९२४ के धार्मिक क्रॉनिकलमें श्रीका अली द्वारा प्रस्तुत और एका सम्मेलनकी विषय समिति द्वारा २७ सितम्बर, १९२४ को रीट्टन प्रस्तावके रूपमें छपा था।

२ रीट्टन प्रस्तावमें पद "और दृष्टी" शब्द जोड़ा गया है।

३ रीट्टन प्रस्तावमें "धर्म विरुद्ध" शब्द नहीं है।

४. पद "बन्दा देने या दण्ड देनेके तौरपर" के शब्द जोड़े गये हैं।

५. पद "अगर यह असम्भव हो तो" शब्द जोड़े गये हैं।

हर तरहसे पूर्वग्रहों और आवेशको उत्तेजन देकर इस तनावको बढ़ाया है। यह सम्मेलन जनतासे अनुरोध करता है कि वह इस प्रकारके अखबारों तथा पुस्तिकाओंको खरीदना और पढ़ना बन्द कर दे और प्रस्तावमें उल्लिखित बोर्डको सलाह देता है कि वह इस प्रकारके लेखोंकी जाँच-पड़ताल<sup>१</sup> करे और समय-समयपर गलत-व्याप्तियोंको सुधारकर प्रकाशित करे।

यह सम्मेलन प्रस्तावके अनुसार नियुक्त किये जानेवाले बोर्डको अधिकार देता है कि वह अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी रक्षाकी एक योजना बनाये और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए सभी दलों और वर्गोंसे आवेदन माँगे और अपने निष्कर्षोंको प्रकाशित करे। ये निष्कर्ष १९२९ के अन्ततक पाँच वर्षोंके लिए सभी दलों और वर्गोंपर लागू रहेंगे और उसके बाद भी जबतक सभी पक्षोंके प्रतिनिधियोंका एक संयुक्त सम्मेलन उसपर पुनर्विचार न करे तबतक लागू रहेंगे।

इस सम्मेलनका विचार है कि अवयस्को और नासमझ तथा अशिक्षित वयस्कोकी शुद्धि या तबलीग नैतिक भावनाके विपरीत है और इसे बन्द कर देना चाहिए। इस सम्मेलनका यह भी विचार है कि धनका प्रलोभन देकर तबलीग या शुद्धि करना गहित है, इसलिए जहाँ भी ऐसा किया जाता हो, उसे बन्द कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सम्मेलनका विचार यह भी है कि तबलीग या शुद्धि कभी लुक-छिप कर नहीं करनी चाहिए और जिसका भी धर्म-परिवर्तन किया जाये, खुले तौरपर तथा उसके सम्बन्धियोंको सूचना देकर किया जाये।

अग्रेजी प्रति (एस० एन० १५८७०) की फोटो-नकलसे।

## १६४. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

२७ सितम्बर, १९२४

प्रिय मोतीलालजी,

आपने कल रात जो प्रस्ताव<sup>२</sup> मुझे पढ़कर सुनाया, उसे आपके निर्देशनमें सम्मेलनने स्नेह और करुणाकी भावनावश पास कर दिया है। मैं आपसे कहूँगा कि आप सम्मेलनको यह विश्वास दिलाये कि यदि मेरे लिए उसकी इच्छाओंका पालन कर सकना सम्भव होता तो मैं खुशीसे करता। मैंने अपने मनको बार-बार टटोला है और मैं देखता हूँ कि मेरे लिए उपवास समाप्त करना सम्भव नहीं है। मेरा धर्म

१. साधन-सूत्रमें “निरीक्षण करें” है।

२. सम्मेलनने गांधीजीके उपवासपर चिन्ता और दुःख प्रकट करते हुए अपने प्रस्तावमें धार्मिक स्थानोंके अपवित्र किये जानेकी निंदा की थी और गांधीजीको विश्वास दिलाया था कि सम्मेलनके सदस्य धार्मिक सद्भावके लिए प्रयत्न करेंगे। अन्तमें प्रस्तावमें गांधीजीसे अनुरोध किया गया था कि वे तुरन्त अपना उपवास समाप्त कर दें।

मुझे मिखाता है कि एक बार वचन देनेके बाद या किसी अच्छे उद्देश्यके लिए कोई व्रत लेनेके बाद उसे तोड़ना नहीं चाहिए और आप जानते ही हैं कि मेरा जीवन पिछले ४० वर्षोंमें भी अधिक समयसे इसी आधारपर चलता आया है।

इस उपवासके कारण इतने गहरे हैं कि उन्हें इस पत्रमें समझाया नहीं जा सकता। एक चीज तो यही है कि मैं इस उपवासके द्वारा अपना विश्वास व्यक्त कर रहा हूँ। अमहयोगकी कल्पना एक अग्रेजके विरुद्ध घृणा अथवा दुर्भावके वशमें होकर नहीं की गई थी। उमके अहिंसात्मक स्वरूपका उद्देश्य यह था कि हम अग्रेजोंको अपने प्रेमसे जीते। लेकिन अमहयोगका यह परिणाम तो नहीं ही निकला, उलटे उससे जो जोश और उत्साह उत्पन्न हुआ उसने हमारे ही बीच घृणा और दुर्भावको जन्म दे दिया है। यह इसी तथ्यका ज्ञान है जिससे विवश होकर मैंने पश्चात्ताप करनेका यह अटल निश्चय किया है।

अतः अब यह उपवास मेरे और ईश्वरके बीचकी बात है। इसलिए मैं इसे न तोड़नेके लिए आपसे क्षमा ही नहीं चाहूँगा, बल्कि आपसे यह भी कहूँगा कि मुझे प्रोत्साहन दे और मेरी तरफमें प्रार्थना करे कि यह व्रत सफलतापूर्वक समाप्त हो।

मैंने मरनेकी इच्छामें उपवास शुरू नहीं किया है, बल्कि देशकी सेवाके लिए एक बेहतर और ज्यादा पवित्र जीवन जीनेके लिए किया है। अतः यदि मैं किसी ऐसी सकटकी स्थितिमें पहुँच गया (जिसकी मुझे कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती) जहाँ मुझे मौत और भोजनमें से किसी एकको चुनना हो तो मैं निश्चय ही उपवास तोड़ दूँगा। ८० अन्मारी और ३० रहमान, जो बड़े ध्यान और सावधानीके साथ मेरी देख-रेख कर रहे हैं, आपको बतायेंगे कि मैं बिलकुल तरोताजा बना हुआ हूँ।

इसलिए मैं आदरपूर्वक सम्मेलनसे कहूँगा कि उसका प्रस्ताव जिस व्यक्तिगत स्नेहका सूचक है, उम स्नेहको उस एकताके लिए, जिसके लिए कि सम्मेलन बुलाया गया है, ठोस, हार्दिक और सच्चे कामका रूप दे।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-१०-१९२४

१ गांधीजीके उपवासके सम्बन्धमें मथुरादास त्रिकुमजीने महादेव देसाईको पत्र लिखा था। धापुरी प्रसादीमें यह और श्रुतिसे पहलेवाला वाक्य “मथुरादास त्रिकुमजीके लिए टिप्पणी” के रूपमें दिया गया है।

## १६५. पत्र : नरहरि परीखको

भाद्रपद वदी ३० [२८ सितम्बर, १९२४]

भाई नरहरि,

महादेव तुमको रोज लिखता है, इसलिए मैंने कोई पत्र नहीं लिखा। लेकिन तुम्हारा और जुगतारामका ध्यान बराबर बना रहता है। मेरी लिखावट देखकर ही समझ जाओगे कि उपवासका मुझपर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। मैं खूब शान्त हूँ और पूरे आनन्दका अनुभव कर रहा हूँ। मेरी कोई चिन्ता न करना। सभी भाई-बहनोसे मेरा वन्देमातरम् कहना।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (एस० एन० ९०४६) की फोटो-नकलसे।

## १६६. हृदय-परिवर्तन

२९ सितम्बर, १९२४

अबतक तो हम, जिन अंग्रेजोसे भारत सरकार बनी हुई है, उनके हृदय-परिवर्तनके लिए प्रयत्नशील और उत्कण्ठित रहे। वह परिवर्तन तो अभीतक नहीं आ पाया है। फिर भी हमें कुछ समयके लिए अंग्रेजोके वजाय हिन्दुओ और मुसलमानोके हृदय-परिवर्तनके लिए प्रयत्न करना है। अबतक उनमें इतनी बहादुरी नहीं आ जाती कि वे एक-दूसरेको प्यार कर सकें, एक-दूसरेके धर्म, बल्कि पूर्वग्रहो और अधविश्वासोके प्रति भी सहिष्णुता बरत सकें तथा एक-दूसरेका विश्वास कर सकें, तबतक उन्हें स्वराज्यकी बात सोचनेका साहस नहीं करना चाहिए। इस सबके लिए आत्म-विश्वासकी जरूरत है और आत्म-विश्वासका मतलब ईश्वरमें विश्वास रखना है। अगर हमारे अन्दर वह विश्वास पैदा हो जाये तो हम एक-दूसरेसे बिलकुल नहीं डरेगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-१०-१९२४

## १६७. पत्र : श्रीमती हॉजकिन्सनको

[ ३० सितम्बर, १९२४ ]<sup>१</sup>

प्रिय श्रीमती हॉजकिन्सन,

पत्रके लिए धन्यवाद। मैं प्रतिदिन ईश्वरमे प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे राह दिखाये। प्रार्थना करनेके बाद ही मैंने उपवास प्रारम्भ किया। मैंने मरनेके लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि सेवाके उद्देश्यसे अधिक अच्छे और शुद्ध मनुष्यके रूपमे जीनेके लिए ही ऐसा किया है। किन्तु यदि ईश्वरकी ही इच्छा कुछ जीर हो तो उमे कौन टाल सकता है? मैं आपकी इस बातसे विचकुल सहमत हूँ कि मानवीय प्रयत्नसे कभी एक दिनमें एकता स्थापित नहीं हो सकती, किन्तु आस्थाका बल और प्रार्थना तो चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गाधी

[ अग्रेजीसे ]

ट्रिच्यून, ३-१०-१९२४

## १६८. सन्देश : ' गुणसुन्दरी ' को<sup>२</sup>

स्वराज्यकी डोर बहनोंके हाथमे है। वह डोर आज उनके हाथसे छूट गई है। अगर वे सुन्दर और मजबूत सूत कातें तो उसके बलपर वे अभी भी स्वराज्यको, वह जहाँ कहीं हो वहाँसे खींच ला सकती हैं।

मोहनदास गाधी

[ गुजरातीसे ]

गुणसुन्दरी, अक्तूबर, १९२४

१. यह पत्र श्रीमती हॉजकिन्सनको इसी दिन मिला था।

२. एक गुजराती मासिक पत्रिका।

## १६९. सन्देश : एनी बेसेंटके जन्म-दिवसपर<sup>१</sup>

[ १ अक्टूबर, १९२४ से पूर्व ]

मुझे अफसोस है कि मैं डा० एनी बेसेंटके जन्म-दिवस समारोहमें उपस्थित नहीं हो सकता । मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे इस सिलसिलेमें बम्बईकी एक सभाकी अव्यक्षता करनेका सौभाग्य मिलेगा । किन्तु विधिकी इच्छाके सामने मनुष्यके सकलपोका क्या अर्थ होता है ? मैं यह खयाल भी नहीं करता था कि मुझे यह प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, जो ईश्वर मुझसे करा रहा है । आशा है, सभामें आये सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे । किन्तु यद्यपि मेरा शरीर वहाँ उपस्थित नहीं रहेगा, फिर भी मेरी आत्मा वही रहेगी । डा० बेसेंटकी ख्याति दुनिया-भरमें है । यह भारतके लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है कि उन्होंने भारत माताको अपनी माता माना है और अपने सारे अनुपम गुणोंको उसकी सेवामें अर्पित कर दिया है । वे इस आयुमें भी, जब कि लोग पूर्ण विश्राम करनेके अधिकारी होते हैं, अद्भुत स्फूर्ति और उत्साहसे लिख रही हैं और भाषण देने, यहाँ-वहाँ आने-जाने और भारतकी मुक्तिकी योजनाएँ तैयार करनेमें लगी हुई हैं । तमाम प्रतिकूल परिस्थितियोंमें उनका अदम्य उत्साह, उनकी महान् सगठन-शक्ति, उनकी साहित्यिक प्रतिभा और वक्तृत्व-कला तथा बहुतसे दूसरे गुण, जिनका मैं उल्लेख कर सकता हूँ, हमारे लिए ऐसी निधियाँ हैं, जिनपर हमें गर्व होना चाहिए और जिनका सदुपयोग करना चाहिए । इसलिए जब मेरा उनसे मतभेद हुआ तो मुझे दुःख हुआ था । लेकिन अब इस बातसे मुझे उतनी ही प्रसन्नता भी है कि हम एक-दूसरेके अधिक निकट आते दिखाई दे रहे हैं । ईश्वर उन्हें लम्बी आयु दे और वे उस स्वराज्यको स्थापित हुआ देख सकें, जिसके लिए वे और हम कठिन प्रयास कर रहे हैं और जिसके लिए धैर्यपूर्वक सतत प्रयत्न करनेमें कोई भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकता ।

[ अग्रेजीसे ]

न्यू इंडिया, २-१०-१९२४

१. यह १ अक्टूबरको कावसजी जहागीर हॉल, बम्बईमें हुई एक सभामें पढ़ा गया था । यह सभा बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस, स्वराज्य-सभा तथा अन्य सार्वजनिक सस्थाओंके तत्त्वावधानमें डा० बेसेंटकी ७८ वीं वर्षगाँठ तथा उनके सार्वजनिक जीवनकी जयन्ती मनानेके लिए की गई थी । मुहम्मद अली जिन्नाने इसकी अव्यक्षता की थी । इसमें एनी बेसेंट भी उपस्थित थी । देखिए “ पत्र एनी बेसेंटको ”, १८-९-१९२४ ।

## १७०. बम्बईके महिला-शिष्टमण्डलको उत्तर

१ अक्टूबर, १९२४

बम्बईकी महिलाओंका एक शिष्टमण्डल, जिसमें राष्ट्रीय स्त्री सभाकी मन्त्री श्रीमती फेष्टन, श्रीमती मोर अली, श्रीमती गोखले, श्रीमती ठाकुर और कुमारी पेटिट शामिल थीं, कल महात्मा गांधीसे मिला और उनसे उपवास तोड़नेका अनुरोध किया।

महात्माजीने उत्तरमें कहा कि मैंने निश्चय किया है कि मैं उपवास निर्धारित अवधितक जारी रखूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं उसे बिना किसी विघ्न बाधाके पूरा कर लूंगा।

[अग्नेजीने]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २-१०-१९२४

## १७१. क्या गुजरात हार जायेगा ?

बुधवार, आग्विन मुदी ३ [१ अक्टूबर, १९२४]

आन्ध्रदेश और बंगालने गुजरातको कर्नयोंकी सरयामे हरा देनेकी धमकी दी है। यदि इनमें से एक भी प्रान्त गुजरातको हरा देगा तो मैं उसे अवश्य मुवारकवाद दूंगा। लेकिन गुजरात हारे क्यों? पूर्ण प्रयत्न कर लेनेके बाद हारमे भी जीत ही है। गुजरातने तो अभी प्रयत्न शुरू ही किया है। तमाम शिक्षक लोग अभी कहाँ कातते हैं? विद्यार्थी कहाँ कातते हैं? अगर ये सब, और सभाओंमे हाजिर रहनेवाले गुजरातके असह्य भाई-बहन कातते लगे और फिर गुजरात हार जाये तो कोई हर्ज नहीं। वाजी कार्यकर्त्ताओंके हाथ है। कार्यकर्त्ताओ, सावधान!

[गुजरातीने]

नवजीवन, ५-१०-१९२४



## १७२. सन्देश : अन्तर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलनको'

[ २ अक्टूबर, १९२४ से पूर्व ]

महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने हस्ताक्षरोंमें यह सन्देश दिया है :

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लोग नशीली चीजोंकी इस बढ़ती हुई लतको व्यक्तियों और राष्ट्रोंके लिए घातक खतरा मानते हैं। इन चीजोंसे मानव-जातिके शरीरमें अन्दर ही अन्दर बड़ी तेजीसे जहर फैल रहा है। हम इस बुराईको राष्ट्रोंके आपसी सहयोगसे ही रोक सकते हैं। अतः हम लोग नवम्बर १९२४ में जो अन्तर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलन हो रहा है उससे सादर निवेदन करते हैं कि जिन पौधोंसे ये नशीली चीजे बनती हैं, उनको पूर्णतः नष्ट करनेके लिए समुचित उपाय करे। केवल उतने ही पौधे छोड़े जाये जितनेको ससारके सर्वोत्तम चिकित्सा-शास्त्रियोंकी रायमें औषधियों और विज्ञानकी दृष्टिसे रखना आवश्यक हो।

[ अग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, २-१०-१९२४

## १७३. भाई परमानन्दके सन्देशका उत्तर

[ २ अक्टूबर, १९२४ ]<sup>१</sup>

भाई परमानन्दके सन्देशके उत्तरमें श्री गांधीने तार भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि केवल ईश्वर ही जानता है कि मैंने उपवास आरम्भ करके पाप किया है या नहीं। यदि कोहाटके शरणार्थियोंको मेरे प्राण देनेसे सान्त्वना मिले तो मैं वैसा करनेके लिए तैयार हूँ। यदि कोहाटका शिष्टमण्डल मुझसे उपवास त्यागनेका आग्रह करनेके लिए ही दिल्ली आना चाहता है तो उसका आना व्यर्थ है। यदि नहीं, तो वैसे उनसे भेंट करनेमें मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी।

[ अग्रेजीसे ]

न्यू इंडिया ३-१०-१९२४

१. यह सम्मेलन जनेवामें हुआ था। न्यू इंडियाके २२-११-१९२४ के अंकमें निम्न समाचार छपा था “जनेवा, २० नवम्बर : श्री अलेक्जेंडरने . . . कहा कि उन्हें आज श्री गांधीका एक तार मिला है जिसमें कहा गया है कि भारत दवाओंको छोड़कर दूसरे सभी उद्देश्योंके लिए अफीम-व्यापारका उन्मूलन चाहता है।”

२. यह समाचार ‘एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया’ने अहमदाबादसे इसी तारीखको प्रकाशनके लिए भेजा था।

## १७४. टिप्पणी

मैं मुसलमान क्यों नहीं होता

एक मुसलमान भाई लिखते हैं

आपका दावा है कि 'मैं सत्याभिलाषी, सत्य-शोधक और सत्य-ग्राहक हूँ।' साथ ही आपने यह भी लिखा है कि 'इस्लाम मिथ्या धर्म नहीं है।' खुदाका खास फरमान है कि दुनियाके हर शख्सको इस्लाम कबूल करना चाहिए। फिर भी आप मुसलमान क्यों नहीं होते? एक हिन्दू नेताका ध्यान जब मैंने परिशिष्टाक १४ की ओर खींचा, तब उन्होंने कहा कि यह तो गाधीजीने मुसलमानोको खुश रखनेके लिए लिख दिया है। गाधीजीके दिलमें इस्लामके लिए मुहब्बत नहीं है।

इन भाईने आग्रहपूर्वक जवाब माँगा है। यह धर्म तो कहीं नहीं सुना कि जो मिथ्या न हो वह सब हर आदमीको करना ही चाहिए। जिस तरह मैं इस्लामको मिथ्या नहीं मानता, उसी तरह मैं ईसाई, पारसी, यहूदी धर्मोंको भी मिथ्या नहीं मानता। तो फिर मैं किस धर्मको कबूल करूँ? फिर, मैं हिन्दू-धर्मको भी मिथ्या नहीं मानता। ऐसी अवस्थामे मुझ-जैसे सत्य-शोधकको क्या करना चाहिए? मुझे इस्लाममे खूबियाँ दिखाई दी और इसीलिए मैंने कहा कि यह धर्म मिथ्या नहीं है। यह कहनेकी जरूरत इसलिए हुई कि इस्लामपर चोट की गई है। और चूँकि मैं मुसलमान भाइयोके साथ मित्रता रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनके धर्मका बचाव किया। हर आदमीकी नजरमे उसका अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, इसीसे वह अपने ही धर्ममे रहता है। इसी तरह हिन्दू-धर्म मुझे मिथ्या नहीं मालूम होता, इतना ही नहीं, बल्कि सबसे श्रेष्ठ मालूम होता है। इसलिए मैं अपने धर्मसे उसी तरह चिपटा हुआ हूँ जिस तरह बालक अपनी माँसे चिपटा रहता है। परन्तु बालक जिस प्रकार परायी माताका तिरस्कार नहीं करता, उसी प्रकार मैं भी पर-धर्मका तिरस्कार नहीं करता। अपने धर्मके प्रति मेरा प्रेम, अपने-अपने धर्मके प्रति दूसरोके प्रेमकी भी कद्र करना सिखाता है और मैं हमेशा ईश्वरसे यह प्रार्थना करता रहता हूँ कि यह बात हर हिन्दू और मुसलमान सीखे।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ५-१०-१९२४

१ नवजीवनका १४ वें परिशिष्टाक १ जून, १९२४को प्रकाशित हुआ था ओर उसमें २९५-१९२४के यग इंडियामें हिन्दू-मुस्लिम तनावपर लिखे एक लेखका अनुवाद छपा था। देखिए खण्ड २४, पृष्ठ १३९-१५९।

## १७५. पत्र : जमनादास गांधीको

रविवार, आश्विन सुदी ७ [५ अक्तूबर, १९२४]<sup>१</sup>

चि० जमनादास,

आज उपवासके अठारह दिन पूरे हो गये, लेकिन [मेरे स्वास्थ्यपर] उसका कोई खास असर हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं बहुत आनन्दमें हूँ। मेवाकी<sup>२</sup> तबीयत ठीक होती ही नहीं। इसका क्या कारण है, पता लगाना चाहिए। तुम तो कुछ ओर स्वस्थ हो गये होगे। पैसेकी परेशानी तो अब मिट गई होगी। स्वेच्छासे कातनेवालोंकी सख्या बढ़ाना। जगन्नाथका उपयोग उनके अपने खास काममें ही करना। पूज्य खुशालभाई<sup>३</sup> और देवभाभीको<sup>४</sup> मेरा दण्डवत् कहना। अभी तो मुझे दिल्लीमें ही रहना है, इसलिए पत्र यही, मुहम्मद अलीके पतेपर लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३६) से।

सौजन्य नारणदास गांधी

## १७६. मेरा अवलम्ब

दिल्ली

६ अक्तूबर, १९२४

मेरे प्रायश्चित्त और प्रार्थनाका आज बीसवाँ दिन है। अब मैं फिर शान्तिके राज्यसे निकलकर तूफानी दुनियामें पडनेवाला हूँ। इसके वारेमें मैं जितना सोचता हूँ अपने-आपको उतना ही अधिक असहाय अनुभव करता हूँ। कितने ही लोग एकता-सम्मेलन द्वारा शुरू किये गये कामको पूरा करनेके लिए मेरी ओर आशा भरी नजरोसे देख रहे हैं। कितने ही लोग राजनीतिक दलोंको एकत्र करनेकी उम्मीद मुझसे रखते हैं। पर मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ही सब-कुछ कर सकता है। प्रभो, मुझे अपना योग्य साधन बना और अपना इच्छित काम मुझसे ले।

मनुष्य कोई चीज नहीं। नैपोलियनने क्या-क्या मनसूबे नहीं बाँचे, पर सेट हेलेनामें एक कैदी बनकर उसे रहना पडा। जर्मन सम्राट् कैसरने समस्त यूरोपका

१. डाककी मुहरसे।
२. जमनादास गांधीकी पत्नी।
३. जमनादास गांधीके पिता।
४. जमनादास गांधीकी माता।

शाह बननेका ख्वाब देखा, पर आज वह एक मामूली आदमी है। ईश्वरकी यही इच्छा थी। हम ऐसे उदाहरणोंपर विचार करे और विनम्र बने।

सौभाग्य और शान्तिके इन दिनोमें, जबकि मुझे ईश्वरकी कृपाका अनुभव होता रहा है, मैं अकसर एक भजन गुनगुनाता रहा हूँ। वह सत्याग्रह आश्रममें अकसर गाया जाता है। वह इतना भावपूर्ण है कि मैं उसे पाठकोके सामने उपस्थित करनेकी प्रसन्नताका सवरण नहीं कर सकता। मैं खुद जितना कह सकता हूँ उससे कहीं ज्यादा अच्छी तरह उस भजनका भाव ही मेरी स्थितिको प्रदर्शित करता है।

भजन इस प्रकार है

रघुवर तुमको मेरी लाज।

सदा-सदा मैं सरन तिहारी, तुम बड़े गरीब निवाज ॥

पतित उधारन बिस्व तिहारो श्रवणन सुनी अवाज।

हौं तो पतित पुरातन कहिये पार उतारो जहाज ॥

अघ खण्डन दुख-भजन जनके यही तिहारो काज।

तुलसीदासपर किरपा करिये भवित-दान देहु आज ॥

[अंग्रेजीसे]

यग इडिया, ९-१०-१९२४

## १७७. पत्र : ना० मो० खरेको

आश्विन सुदी ९-१० [७ अक्तूबर, १९२४]

भाई पण्डितजी,<sup>१</sup>

यह पत्र उपवासके अन्तिम दिन लिख रहा हूँ। आत्माके विकासके लिए सगीतके महत्त्वकी प्रतीति मुझे दिन-दिन होती जा रही है। मैं चाहता हूँ, आप इस बातके लिए खूब प्रयत्न करे कि हमारे भजन सब लोग अर्थ समझकर गाने लगे। आश्रम-वासी अभी जो भजन गाते हैं, उनमें लीन नहीं होते। इस समय बालकृष्णके<sup>३</sup> यहाँ होनेसे मुझे बड़ी मदद मिली। सब बालकृष्ण-जैसे क्यों नहीं हो सकते? सभी भक्त सदासे भजनोमें लीन होते आये हैं। रामभाऊ<sup>४</sup> [प्रार्थनाके समय] तनकर नहीं बैठता। उसे तनकर बैठनेकी आदत डालिए।

१ डाककी मुहरसे।

२ नारायण मोरेश्वर खरे, आश्रममें सगीतके अध्यापक, डांडी यात्रा-ट्रलके एक सदस्य।

३ बालकृष्ण न० भावे, सत्याग्रह आश्रमके निवासी।

४ पण्डित खरेका पुत्र।

मेरा आनन्द अवर्णनीय है। बहुत दुःख नहीं उठाना पडा। ईश्वर बडा दयालु है।

वापूके आशीर्वाद

पण्डितजी

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

महात्मा, खण्ड २, मे दिये मूल गुजराती पत्रके चित्रसे।

## १७८. वक्तव्य : उपवास तोड़नेके पूर्व

दिल्ली

८ अक्टूबर, १९२४

श्री गांधीने आज १२ बजे दोपहरको अपना उपवास छोडा। . . . हिन्दुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयोकी प्रार्थनाएँ समाप्त होनेके बाद . . . उन्होने मन्द स्वरमें, जो कभी-कभी सुनाई नहीं पड़ता था, कहा :

हिन्दू-मुस्लिम एकतामे मेरी दिलचस्पी कोई नई चीज नहीं है। तीस वर्षोंसे मुझे मुख्य रूपसे इसीकी चिन्ता लगी रही है। किन्तु मैं इसे प्राप्त करनेमे असफल रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि ईश्वरकी इच्छा क्या है। आप जानते हैं कि मूल रूपमे मेरी प्रतिज्ञाके दो भाग थे। उनमे से एक तो पूरा हो गया है। दूसरेको मैंने उन मित्रोंके कहनेपर वापस ले लिया, जो उस रात श्री मुहम्मद अलीके घरपर उपस्थित थे। यदि मैं दूसरे भागको कायम रखता तो भी एकता-सम्मेलनकी सफलताके कारण मुझे अपना उपवास अब तोड़ना ही पड़ता।

हकीम अजमलखॉ और श्री मुहम्मद अलीकी मार्फत मुसलमानोंको सन्देश देते हुए श्री गांधीने कहा :

आज मैं आपसे यह वचन देनेका अनुरोध करता हूँ कि आवश्यकता पडनेपर आप हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए अपने प्राणतक दे देगे। यदि यह एकता स्थापित नहीं हुई तो मेरे लिए हिन्दू-धर्म अर्थहीन हो जायेगा और यही बात मैं इस्लामके लिए भी कहनेकी धृष्टता करता हूँ। हमे एक साथ रहने लायक बनना ही है। हिन्दुओंके लिए पूर्ण स्वतन्त्रतासे अपने मन्दिरोंमे पूजा कर सकने और इसी प्रकार मुसलमानोंके लिए भी उतनी ही स्वतन्त्रतासे अपनी मसजिदोंमे अजान देने तथा नमाज पढ सकनेकी सुविधा होनी चाहिए। यदि हम पूजाकी इस मूलभूत स्वतन्त्रताको भी सुनिश्चित नहीं कर सकते तो न तो हिन्दू-धर्मका कोई अर्थ रह जाता है और न इस्लामका। मैं आपसे यह वचन लेना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपने मुझे यह वचन दिया है, किन्तु अब चूँकि मैं उपवास तोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं उत्तर-

दायित्वकी भावनासे विवश हो गया हूँ और आपसे अपने इस वचनको फिर दोहरानेका अनुरोध कर रहा हूँ।

[अग्नेजीसे]

न्यू इंडिया, ९-१०-१९२४

## १७९. तपकी महिमा

८ अक्टूबर, १९२४

हिन्दू-धर्ममे पग-पगपर तप हे। पार्वती शकरको पाना चाहती हे तो तप करे। शिवसे भूल हुई तो उन्होने तप किया। विश्वामित्र तो तपकी मूर्ति ही थे। राम जब वनको गये तो भरतने योगारूढ होकर घोर तपश्चर्या आरम्भ की और शरीरको सुखा लिया।

ईश्वर दूसरी तरह मनुष्यकी कसौटी कर ही नहीं सकता। यदि आत्मा देहसे भिन्न है तो हम देहको कष्ट देते रहे, फिर भी आत्माको प्रसन्न रहना चाहिए। शरीरकी खुराक अन्न है, आत्माकी ज्ञान और चिन्तन। यह बात प्रसंग आनेपर हर व्यक्तिको अपने लिए सिद्ध करनी पडती है।

परन्तु यदि तप आदिके साथ श्रद्धा, भक्ति और नम्रता न हो तो तप एक मिथ्या कष्ट हे। वह दम्भ भी हो सकता है। ऐसे तपस्वीसे सुखपूर्वक भोजन करनेवाले ईश्वर-भक्त हजार गुना बेहतर हैं।

अपने तपकी कथा लिखने लायक शक्ति अभी मुझमे नहीं है, पर इतना कहे देता हूँ कि इस तपके बिना मेरा जीना असम्भव था। अभी मेरे नसीबमे फिरसे तूफानी समुद्रमे कूदना बदा है। प्रभो, दीन समझकर तू मुझे पार लगाना।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १२-१०-१९२४

## १८०. तार : मथुरादास त्रिक्कमजीको

[८ अक्टूबर, १९२४]'

ईश्वरकी दया अपार है। उपवास पूरा हुआ। तवीयत ठीक है।

[गुजरातीसे]

वापुनी प्रसादी

१ साधन-सूत्रके अनुसार।

## १८१. पत्र: मुहम्मद अलीको

दिल्ली

८ अक्तूबर, १९२४

प्रिय भाई,

आप मेरे लिए भाईसे भी बढकर है। गाय देख ली।' उसे देखनेके लिए मेरी खाटको थोडा ऊपर उठा दिया गया था। धन्य है आपका प्रेम कि आपके मनमे यह विचार आया। ईश्वर करे मेरा और आप दोनो बन्धुओका यह स्नेह-बन्धन हमारे अपने-अपने धर्मो, देग तथा मानवताके कल्याणके लिए हिन्दू और मुसलमानोको अटूट और शाश्वत स्नेह-बन्धनमे बाँध दे। हाँ, ईश्वर महान् है, वह सब-कुछ कर सकता है।

सदैव आपका,  
मो० क० गाधी<sup>२</sup>

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-१०-१९२४

## १८२. सन्देश : 'स्टेट्समैन' को

[९ अक्तूबर, १९२४ से पूर्व]

एकता अन्य सभी वस्तुओसे बढकर है।

मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ९-१०-१९२४

१ १६-१०-१९२४ के यंग इंडियामें छपे अपने लेख "सम्मेलन और उसके पश्चात्" में मुहम्मद अलीने लिखा था मैंने महात्मा गाधीको उनके उपवास तोड़नेपर किसी कसाईसे खरीदकर एक गाय भेंट दी थी।

२. गाधीजीने अपने हस्ताक्षर उर्दूमें किये थे।

## १८३. सन्देश : अखबारोंको<sup>१</sup>

दिल्ली

९ अक्तूबर, १९२४

महात्मा गांधीने अखबारोंके लिए निम्नलिखित सन्देश दिया है •

ईश्वर सचमुच महिमावान् और कृपाका आगार है। उसकी महिमा और कृपाका अनुभव मैं इस समय कर सकता हूँ। उसीकी कृपासे मैं इस अग्नि-परीक्षासे सफलतापूर्वक निकल आया हूँ। इस अवसरपर मुझे पत्रों और तारोंसे जो सन्देश भेजे गये हैं, उन सबको देखनेकी अनुमति मुझे नहीं है, फिर भी जो थोड़े-से सन्देश मैंने देखे हैं, उनसे मैं अभिभूत हो गया हूँ। इन सन्देशोंमें जो स्नेहका पारावार उमड़ रहा है, उसमें भी मैं ईश्वरकी ही कृपा देखता हूँ। ऐसे स्नेहपूर्ण सन्देश भेजनेवाले सभी भाइयों और बहिनोको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं उनसे आशा करूँगा कि मेरे सामने जो काम पड़ा हुआ है, उसमें भी वे सहायता देगे। यह ईश्वरका काम है। मैं जानता हूँ कि अबसे तीन हफ्ते पहले मेरे सिर जितनी जिम्मेदारी थी, आज उससे कहीं अधिक है। मैं भली-भाँति जानता हूँ कि उपवासके साथ मेरा काम पूरा नहीं हो गया। अभी तो वह शुरू ही हुआ है और मैं चाहता हूँ कि भारतके सभी भाई-बहन इस कार्यकी सफलताके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करे और अपना पूरा सहयोग दे।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, ९-१०-१९२४

## १८४. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

आश्विन सुदी १४ [११ अक्तूबर, १९२४]<sup>१</sup>

भाई शान्तिकुमार,

तुम्हारा पत्र, सूतका हार और मेवा मिल गया है। तुमने नियमित रूपसे कातनेका निश्चय किया है, यह जानकर खुशी हुई। जो निश्चय किया है, ईश्वर तुम्हें उसपर दृढ़ रहनेकी शक्ति दे।

मेरी तवीयत अच्छी होती जा रही है।

१ अपने उपवासके सम्बन्धमें यह सन्देश गांधीजीने “ एस्तोसिप्टेड प्रेस ऑफ इंडिया ” के प्रतिनिधिके अनुरोधपर दिया था।

२ जुहू और गांधीजीके स्वास्थ्यकी चर्चासे प्रकट होता है कि यह पत्र १९२४ में ही लिखा गया होगा।



जुहूमे तुमने जो प्रेम दिखाया, वह बराबर याद आता रहता है।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४७९६) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य शान्तिकुमार मोरारजी

## १८५. पत्र : घनश्यामदास बिडलाको

आश्विन कृष्ण २ [१४ अक्तूबर, १९२४]<sup>१</sup>

भाई घनश्यामदासजी,

आपके पत्र मिलते रहते हैं। जबलपुरके मामलेसे मैं घबराता नहीं हूँ। मैंने जो आत्म-प्रायश्चित्त करनेकी मेरी शक्ति थी वह कर लिया, इसलिए मैं शान्त रह सकता हूँ। फलका अधिकार हमको नहीं है, यह तो ईश्वरके ही हाथमें है। मेरा स्वास्थ्य ठीक होनेसे कई अग्रगण्य नेताओको साथ लेकर दौरा करनेका मेरा इरादा तो है ही, सबसे पहले मैं कोहाट जाना चाहता हूँ। सम्भव है कि मैं ८ दिनमें तैयार हो जाऊँगा।

समय आनेपर आपकी सब भौतिकी सहाय मैं माँग लूँगा।

आपके लोगोसे मुझे यहाँ खूब सहाय मिल रही है।

रूपये आप जमनालालजीको या तो आश्रम सावरमतीको भेजनेकी कृपा करे।

आपका,

मोहनदास गांधी

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३८) से।

सौजन्य घनश्यामदास बिडला

१. उपवास और कोहाट-यात्राके उल्लेखसे यह स्पष्ट है कि यह पत्र १९२४ में लिखा गया था।

## १८६. पत्र : स्वामी श्रद्धानन्दको

आश्विन कृष्ण २ [१४ अक्तूबर, १९२४]<sup>१</sup>

भाई साहब,

आपकी चीटठी मीली है। वाइकोमके वारेमे मैं प्रबव कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि सत्याग्रहीयोको सहाय पहुँच जायगी। आपकी स्टेटमेट मैंने ध्यानसे पढ ली है। उसको मेरे हि पास रखुगा।

आपका,  
मोहनदास गाधी

सन्यासी स्वामी श्री श्रद्धानन्द  
वर्न वैशन रोड, दिल्ली

मूल पत्र (जी० एन० २२०६) की फोटो-नकलसे।

## १८७. असहयोगीका कर्त्तव्य

बुधवार, आश्विन बदी ३ [१५ अक्तूबर, १९२४]

ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेसके अगले अधिवेशनमे असहयोग स्थगित हो जायेगा। लेकिन, इससे असहयोगीका काम स्थगित नहीं होनेवाला है। सच तो यह है कि असहयोगका जो आभास-मात्र था, वही मुलतवी रहेगा क्योंकि जहाँ प्रेम है, वहाँ वस्तुतः सहयोग और असहयोग एक ही है।

बेटा बापके साथ और बाप बेटेके साथ सहयोग करे अथवा असहयोग दोनो प्रेमके ही फल होने चाहिए। स्वार्थके वशीभूत होकर किया गया सहयोग सहयोग नहीं, घूस है। इसी प्रकार द्वेष-भावसे किया गया असहयोग महापाप है। ये दोनो त्याज्य है।

जो असहयोग १९२० मे शुरू किया गया, उसके मूलमे प्रेम था, भले ही लोग उसे न देख पाये हो, भले ही वे उसमे द्वेष-भावसे शामिल हुए हो। फिर भी, अगर सभी नेताओने उसके मूल स्वरूपको समझा होता और उसके अनुसार आचरण किया होता तो जो कटु परिणाम निकले, वे न निकलते।

हमने शान्तिपूर्ण असहयोगका तत्त्व नहीं समझा इसीलिए वैर-भाव बढा और अब हम अपनी करनीका फल भोग रहे हैं। हमने जिस वैर-भावसे अंग्रेजोके खिलाफ असहयोग किया, वह वैर-भाव अब हमारे ही बीच पैदा हो गया है।

यह वैर-भाव सिर्फ हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच ही नहीं, सहयोगियो और असहयोगियोके बीच भी आ गया है।

१. डाककी मुहरसे।

इसलिए, असहयोगके ऐसे उलटे परिणामोको रोकनेके लिए हमे असहयोगको अभी स्थगित रखना है। असहयोगको स्थगित रखनेका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो वकील वकालत करना चाहे और जो विद्यार्थी फिरसे सरकारी स्कूलोमे जाना चाहे उनके वैसा करनेमे अब शर्मकी कोई बात नहीं है। सच तो यह है कि जिन वकीलोने असहयोगके सिद्धान्तको समझ लिया होगा, वे फिरसे वकालत करेगे ही नहीं। इसी तरह, ऐसे विद्यार्थी भी दोबारा सरकारी स्कूलोमे जानेवाले नहीं हैं। परन्तु असहयोगके स्थगित रहनेका परिणाम तो यह निकलना चाहिए कि हम पश्चात्ताप करे, असहयोगी सहयोगीको गले लगाये, उसे प्रेमसे जीते, उससे द्वेष न करे। भले ही वह सरकारी सहायता लेता हो, सरकारी वकील हो, सरकारी नौकर हो या विधान-सभाका सदस्य हो, असहयोगी उससे मिले-जुले और हिन्दू-मुस्लिम झगडेको निवटाने, अस्पृश्यताको दूर करने, विदेशी कपडोका बहिष्कार सम्पन्न करने, शराव-अफीमकी बुराई दूर करने और इसी तरहके दूसरे बहुत-से कामोमे ऐसे सभी लोगोकी मदद ले और उन्हें मदद दे।

ऐसे काममे पहल असहयोगियोको ही करनी है। उसमे असहयोगियोकी सूझ-बूझ, उनके विवेक, उनकी विनय, उनकी शान्तिप्रियता, उनकी नम्रता, सबकी परीक्षा होनी है। सहयोगियोको प्रेमसे जीतनेमे असहयोगियोकी योग्यताकी कसौटी होगी। एक ओर उन्हें झूठी खुशामदसे बचना है और दूसरी ओर उद्धततासे दूर रहना है। इन दोनो पक्षोको साधनेके लिए हम सबको एक होकर रहना है, यही हमारे लिए पहला पाठ है। ईश्वर हमारी सहायता करे।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, १९-१०-१९२४

## १८८. पत्र : गंगावहन वैद्यको

आश्विन वदी ३ [ १५ अक्टूबर, १९२४ ]

पूज्य गंगावहन,

आपका पत्र मिला। पढकर बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूँ, आप वहाँ निश्चिन्त होकर रहे और सब-कुछ सीख ले। कोई उलझन आये तो मुझे सूचित करे। जो भी कठिनाइयाँ सामने आई हो, मुझे बताये, मैं तुरन्त उत्तर लिख भेजूँगा। आपका अभ्यास कहाँतक पहुँचा है, लिखेंगी। बच्चे बम्बई क्यों गये ?

मुझमे दिन-दिन शक्ति आती जा रही है। वहाँ आनेके लिए मैं अवीर हो रहा हूँ, लेकिन लगता है, कोहाट जानेसे पहले न आ सकूँगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०९७) से।

सौजन्य गंगावहन वैद्य

## १८९. एन्ड्र्यूजके साथ बातचीत

दिल्ली

[बुधवार, १५ अक्टूबर, १९२४]

सुवह भागवतका पाठ हो जानेके बाद श्री एन्ड्र्यूजको बुलाया गया। एन्ड्र्यूज एक भजन गुनगुनाते आये और ऊपर आकर वापूजीसे बोले. आज मैं आपको ऐसा भजन सुनाना चाहता हूँ जो आपने कभी न सुना होगा। वाइविलमें एक फौजी अधिकारी ईसा-मसीहको अपने घरके एक बीमार आदमीको नीरोग करनेकी प्रार्थना करता है। ईसा-मसीह उसके घर जानेको कहते हैं। वह जवाब देता है—मैं बड़ा अघम हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। आप सिर्फ अपने श्री-मुखसे इतना कह दीजिए कि वह अच्छा हो जायेगा और वह जरूर नीरोग हो जायेगा। यह प्रसंग है।

इतनी प्रस्तावनाके बाद उन्होंने अपना भजन गाया। उसका भाव तुलसीदास-जीके—

मम हृदय-भवन प्रभु तोरा ।  
तहँ आय वसे बहु चोरा ॥  
कह तुलसिदास सुनु रामा ।  
लूटैह तस्कर तव घामा ॥  
चिन्ता यह मोहि अपारा ।  
अपजस नहि होइ तुम्हारा ॥

इस भजनसे बहुत मिलता-जुलता था। उसकी कुछ कड़ियाँ सुनिए—<sup>१</sup>

आपके प्रिय भजनोंसे यह कितना मिलता है! 'कहकर एन्ड्र्यूज रुके। वापूजीने कहा—

मैंने इसे सुना है। मैंने यह १८९३ में सुना था। तब मैं दक्षिण आफ्रिकामें<sup>२</sup> ईसाइयोंके अनेक सम्प्रदायोंके लोगोंसे मिलता था। हर रविवारको उनके गिरजामें जाकर प्रार्थनामें शरीक होता था। उम समय इसे मुत्ता याद पडता है।

फिर वे उन ईसाई मित्रोंके सस्मरण सुनाने लगे। फिर बोले

पर आपको जो ऊपर बुलाया था वह दूसरे ही कामसे। मैं चाहता हूँ कि काग्रेसका सदस्य होनेके लिए कताईकी शर्तके वारेमें आप मेरे सब विचार सुन लें।

१ साधन सूत्रमें दी गई लेखन तिथिके अनुसार।

२. अग्रेजी भजनकी ये पंक्तियाँ यहाँ नहीं दी जा रही हैं।

३. देखिए 'आत्मकथा', भाग २, अध्याय ११।

कल 'यग इंडिया' में मेरा लेख<sup>१</sup> आपको अच्छा नहीं लगा। पर मैं कहता हूँ कि मेरी दलील लाजवाब है। आपको वह ठीक नहीं दिखाई देती, क्योंकि आप इस बातको भूल जाते हैं कि उसके अन्तमें मैंने लिखा है कि यह दलील उन लोगोके लिए है जो देशके लिए ऐच्छिक कातना आवश्यक समझते हो। उन्हें तो कांग्रेसके सदस्योके लिए आवश्यक २,००० गज सूत कातनेकी शर्त जरूर माननी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं अपनी मरजीसे कातूंगा तो उसे कातनेकी शर्तपर सदस्य बनानेवाले मण्डलका सभासद बननेमें कोई शिक्का न होनी चाहिए। इसीसे मैंने यह कहा है कि जो देश सैनिक-शिक्षाको अत्यन्त महत्त्वकी बात मानता है— जैसे कि फ्रांस—वह सैनिक-शिक्षाको अपनी राष्ट्रीय सभाके सभासद होनेकी शर्तके तौरपर रख सकता है। यदि भारतवर्षमें कतार्की शक्ति, उपयोगिता और आवश्यकता मानी जाती हो तो फिर कतार्कीको सभासद होनेकी शर्त मान लेना चाहिए।

आपकी दलील बहुत कमजोर है। आपका फ्रांसकी सैनिक-शिक्षासे तुलना करना मुझे भ्रान्तक मालूम होता है। मैं तो फौजमें भरती होनेके बदले जेलमें जाना पसन्द करूँगा—जिस तरह रसेल गया था और जिस तरह कि रोज़ॉने देश छोड़ दिया था।

हाँ, मैं भी जाना पसन्द करूँगा। पर इससे क्या? जिसके दिलमें यह बात खटकती हो वह जरूर उसका विरोध करे और जोखिम उठाये। परन्तु यदि आम तौरपर सारा देश सैनिक-शिक्षा शुरू करनेका कायल हो तो फिर उसके लिए कानून बना देनेमें क्या बाधा हो सकती है?

नहीं, आपको यह कमजोर उपाय मुझे ठीक नहीं मालूम होती। इससे अधिक अच्छी उपाय लेनी चाहिए थी। अमेरिकाके मद्यपान-निषेधकी उपाय आप ले सकते थे। अमेरिकामें जब ८० फीसदी लोगोंने शराब छोड़नेकी तैयारी दिखाई तभी कानून बनाया जा सका। आप भी एक अखिल भारतीय कतार्ई-मण्डल खोलिए और जब ८० फी सदी लोग कातने लग जायें तब अपनी शर्त रखिए। आज तो आप घोड़ेके पीछे गाडी रखनेके बदले गाडीके पीछे घोडा रखते हैं।

नहीं, मैं तो बिल्कुल न्यायकी बात करता हूँ। किसी मण्डलको अपने सभासदोसे किसी बातके करानेका हक है या नहीं? भले यह शर्त किसीको न पटती हो किन्तु इसलिए यह कहना तो ठीक नहीं है कि इस शर्तके रखे जानेका हक ही नहीं है।

अमेरिकामें कानून होनेके पहले सबको शराब पीनेका हक था। आज भी कानूनको रद्द करके शराब मँगानेका हक उन्हें है। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेसमें लोकमतका प्रतिबिम्ब पडता है या नुट्ठी-भर लोगोका ही मत व्यक्त होता है? कांग्रेस एक महामण्डल रहेगी या एक छोटी-सी समिति बन जायेगी?

१ देखिए "कनाड सङ्घता", १६-१०-१९२४। ऐसा जान पडता है कि गांधीजीने यग इंडिया में प्रकाशित होनेसे पूर्व यह लेख श्री एन्ट्र्यूजको दिखाया था।

महामण्डल ही रहेगी। आप मेरे अनुभवको गलत कर सकते हैं, पर यदि एक बार आप इन बातको स्वीकार कर ले कि कांग्रेसको अपने सदस्योपर पावन्दी लगानेका अधिकार है तो फिर मैं सब बातें साबित कर दूंगा।

आप कांग्रेसको एक टोली न बना दें, उसे तो राष्ट्रकी एक स्वेच्छा नियोजित सस्था ही बनाये रखना चाहिए।

जापको कांग्रेसकी ठीक-ठीक कल्पना नहीं है। आज तो वह एक अनिश्चित, अव्यवस्थित मण्डल है। उसके सविधानसे अधिक बातें उममे आ जाती हैं। यदि कांग्रेस राष्ट्रकी सच्ची प्रतिनिधि सरथा बनना चाहती हो तो उसका सविधान अधिक जीवनदायी, अधिक सच्चा और राष्ट्रकी आवश्यकताका अधिक द्योतक होना चाहिए। सरथाकी कुछ जरूरत नहीं। मैंने तो जब चार आना फीस रखवाई तब ऐसी आशा रखी थी कि कांग्रेस एक विगल सस्था बनेगी, लेकिन उसके अनुमार काम करनेवाले कार्यकर्त्ता न निकले। आज हमारा देश आलमियो और प्रमादियोंका देश हो गया है। यह मैं उन मूक गरीबानी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें गुलामीने कुचल दिया है, बल्कि समझदार और ज्यादा बोलनेवालोपर मैं यह कथन घटाना चाहता हूँ। इन सबको मैं दूसरे किम उपायसे राष्ट्र-कार्यमें लगा सकता हूँ? दूसरे किम तरीकेसे कांग्रेस एक कार्य-परायण सस्था हो सकती है? २,००० गज कातनेकी फीस रखनेके प्रस्तावने मुझे आशा है कि यह चीज बन सकेगी। एक कहेगा 'मैं कुल्हाडी लेकर काटूंगा' दूसरा कहेगा 'मैं कपडा सीऊंगा' और तीसरा कोई और बात कहेगा तो इसका परिणाम कुछ न निकलेगा। मैं सबको एक चीजपर एकाग्र करके कुछ नतीजा निकालना चाहता हूँ।

मुझे डर है कि आप सूत कातने और खादी पहननेको एक नया धर्म बना देंगे। अमुक महाशय खादी पहनते हैं या विलायती कपडा, इससे मेरा क्या वास्ता? मुझे तो इस बातसे काम है कि वह आदमी कैसा है। ईसामसीहने भी कहा है कि मनुष्यका बाहरी आचार नहीं, हृदय देखो।

ईनाई और हिन्दू आदर्शमें भेद है।

आप तो यह भी कहेगे कि अमुक प्रकारका भोजन करो तो आध्यात्मिकता बढ़ेगी। मैं ऐसा बिलकुल नहीं समझता। उरहमके विशप वेस्टकोट जैसे सज्जनको लीजिए। उन्होंने तो शराब भी पी है और मास भी खाया है। पर क्या वे आध्यात्मिक नहीं थे?

आप एक उदाहरणके सामान्य नियम साबित करना चाहते हैं। यह नहीं हो सकता। आप सर्व-साधारणसे यह नहीं कह सकते कि जो चाहे सो खाओ, मन आये सो पियो और यह मानते रहो कि हमारा हृदय पवित्र है।

मैं फिर अपनी मूल आपत्तिपर आता हूँ। कानून बनानेके पहले अमेरिकामें जिनने उपाय किये गये उतने यहाँ किये जा रहे हैं?

मैं तो रोज उपाय किया ही करता हूँ। आजकी स्थिति चार वर्षके प्रयत्नका फल है। आप यदि कांग्रेसके प्रस्तावको देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं जो प्रस्ताव करना चाहता हूँ वह कातनेकी आवश्यकताकी मूल स्वीकृतिका परिणाम है।

जब आप जेलमें गये तब भी वह तो स्वीकृत ही था ?

जब मैं जेल गया तब मूल प्रस्ताव रद्द नहीं हो गया था।

जबतक आप अमेरिकाके तरीकोसे काम न लेंगे, तबतक आपका प्रयोग सफल नहीं हो सकता।

अमेरिकाकी हालत यहाँसे भिन्न है। वहाँ तो पहलेसे ही शराबखोरी प्रचलित थी। उन्हें यह समझानेकी जरूरत थी कि शराब न पीओ। वहाँ उन्हें ऐसा काम करना था जो वहाँ तबतक हुआ ही नहीं था। यहाँ तो सिर्फ इतनी ही बात है कि लोग उस बातको करे जिसे उन्होंने बहुत असेतक किया है और जिसे वे कुछ सालोंसे भूल गये हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तो—

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥

नाश क्यों नहीं ? — है। हम सबकी शक्तियाँ भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं। हो सकता है कि हमें इनका जरूरी काम हो कि आधा घटा न निकाल सके। मैं इन महादेवको ही देखता हूँ। ये आधी रातको सूत कातते हैं अथवा मुहम्मद अली-जैसे भी जब आधी रातको चरखा कातते हैं तब मेरे मनमें आता है कि इसके क्या मानी है ?

इन लोगोंको यदि ऐसे बेवक्त कातना पडता है तो यह उनकी व्यवस्था और समय-प्रवन्धकी खामीको सूचित करता है, और कुछ नहीं।

आधे घंटेकी बात तो एक ओर रही। जबसे आपने सूतपर एकाग्रता शुरू की है तबसे दूसरी तमाम बातें भुला दी गई हैं। इस खादीके ही काममें इतनी सारी शक्ति खर्च हो जाती है कि नशीली चीजों और शराबके निषेधको तो सब भूल ही गये हैं।

मैंने तो एक ऐसा ऐक्य-पोपक कार्यक्रम बनाया है जो सबकी समझमें आ जाये। डममे दूसरे उपयोगी कार्योंका निषेध नहीं है। शराबकी दुकानपर पहरा रखनेकी बात तो सिर्फ हिंसा-काण्ड होनेके डरसे ही छोड़ देनी पडी है, खादीके कामके कारण नहीं, और दूसरी बात यह कि खादीपर जोर देना जितना जरूरी है उतना दूसरे कामोंपर नहीं। इसका कारण यह है कि सब लोग इस बातको मानते हैं शराब न पीनी चाहिए। इसके लिए लोगोंको नया पाठ पढ़ानेकी आवश्यकता नहीं है। स्वराज्य होनेपर भी कितने ही शराब पीनेवाले तो होंगे ही। उनका सवाल तो स्वराज्य प्राप्त होनेके बाद हाथमें लेना होगा।

क्या अफीम छोड़ देनेके लिए भारी आन्दोलन खडा करनेकी जरूरत नहीं है ? क्या देश इसके महत्त्वको समझ गया है ?

हाँ, मैं मानता हूँ कि समझ गया है।

मिलोमें काम करनेवाली स्त्रियां अपने वच्चोको अफीम खिलाती हैं। आप इस बातको जानते हैं ?

हां, पर इममे यह न कहिए कि अफीमके दुर्व्यसनकी जड जम गई है और देश उमे बढने दे रहा है, और वच्चोको अफीम न खिलानेके प्रस्तावमे तो मिलोमे काम करनेवालोंने शिक्षा-प्रचार करनेका सवाल है, दवा-दारुका सवाल है, स्त्रियोको मिलोमे कितने समयतक काम करने देना चाहिए—यह सवाल है।

मुझे तो यही चीज बहुत खटकती है कि जब आपने अस्पृश्यता, हिन्दू-मुस्लिम एकता और खादीका त्रिविध कार्यक्रम रचा तब आप मद्य-निषेधको भूल ही गये।

ना, भूल नहीं गया। बात यह है कि देशको इम विषयमे नये सिरेसे कुछ बताना बाकी नहीं है।

अजो, लोग अफीम-निषेध-सम्बन्धी साहित्यमें दिलचस्पी ले और लेते रहे, वह भी असम्भव हो गया है।

नो तो यदि आप और मैं दक्षिण और पूर्व आफ्रिकाके सम्बन्धमे लिखना बन्द कर देगे तो लोग उनमे भी दिलचस्पी लेना छोड देगे। यहाँ तो बडे वेदव लोगोको समझाना है। पर आप इस बातको भूलते हैं कि मद्य-निषेधका काम आज भी हो रहा है। जहाँ-जहाँ खादीकी जड जमी है, वहाँ-वहाँ उसके साथ यह शुद्धि-कार्य भी गुरु हो गया है। बोरसद, रामेमरा, वारडोलीमे जाकर यदि आप देखेगे तो आपको इसका पता लगेगा कि वहाँ क्या-नया हो रहा है। खादी केन्द्रके आसपास शराव-वन्दी तथा दूसरे तमाम आत्म-शुद्धिके कार्य भी हो रहे हैं।

पर यह बात मुझे नहीं जँचती कि आप खादी पहनने या सूत कातनेको एक धर्म-कार्य बना दें। लोग खादी न पहननेवाले और न कातनेवाले लोगोका बहिष्कार करेगे।

हाँ, धर्म-कार्य तो यह अवश्य रहेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि हरएक भारतवासी यदि इसे धर्म-कार्य न बनाये तो वह देशका कोई दूसरा काम करेगा ? पर उसका यह मतलब नहीं कि खादी न पहननेवालोका बहिष्कार किया जाये। हम खादी न पहननेवालेके गले मित्रे, उनके साथ प्रेम करे और प्रेम-पूर्वक यदि उसे समझा मके तो खादी पहननेके लिए समझाये—निन्दा करके हरगिज नहीं। मैं तो यह आशा रखता हूँ कि न पहननेवालेका बहिष्कार या उमपर अत्याचार न होगा। ऐसे अत्याचार न हो उमीलिए तो मैंने २१ दिनतक उपवास किया। अब भी लोग न समझेगे ? किमी भी काममे यदि बहिष्कारकी जरूरत पडे तो वह सिर्फ एक ही किस्मका हो सकता है—उमके जरिये किसी तरहकी सेवा न ले या कोई लाभ न उठाये। मैं चाहूँगा कि शराबीका ऐसा बहिष्कार किया जाये। पर खादी न पहननेवाले या न कातनेवालेके साथ हरगिज नहीं। क्योंकि शराव पीना जिम तरहका पाप है, विलायती कपडे पहनना वैसा नहीं।

आपके इस कथनसे मेरे दिलको बडी शान्ति मिली। आपके इस स्पष्टीकरणसे मुझे बड़ा सन्तोष हुआ। पर खादीको नैतिक योग्यताकी कसौटी बना देना मुझे अच्छा



नहीं लगता। एक मित्र मुझे लिखते हैं कि मैंने खादी पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि वह भले आदमी कहलानेका एक सस्ता साधन हो गया है।

यह उस मित्रकी भूल है। कोई यदि पाखण्ड करे तो क्या इससे मैं उस बातको करना छोड़ दूँ जो मुझे अच्छी लगती है। यह ऐसी बात हुई कि यदि कोई सत्यका ढोंग करे तो मैं झूठ बोलने लूँ।

पर क्या आप खादीकी परिभाषामें से 'शुद्ध' और 'अशुद्ध' ये शब्द नहीं निकाल सकते ?

कपडेको जरूर 'शुद्ध' 'अशुद्ध' कहूँगा। भारतवासीके शरीरपर विदेशी कपडा 'अशुद्ध' होगा। यदि वह विलायतमे हो तो वहाँ 'अशुद्ध' न मानूँगा। परन्तु अशुद्ध कपडेसे मनुष्य अशुद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार शुद्ध कपडेसे अशुद्ध जीवन शुद्ध नहीं माना जा सकता। शुद्ध कपडेसे—खादीसे जो आर्थिक लाभ है वह तो जरूर होगा। इसीसे वेश्या भी शुद्ध खादी पहन सकती है और उस हदतक देशमे आने-वाला विदेशी कपडा रोक सकती है।

आप विदेशी कपडेको जो अशुद्ध कहते हैं, यह मेरी समझमें नहीं आता।

सो मैं जानता हूँ। हमारा यह मतभेद भले ही बना रहे। दिल्लीके मैदानकी हवा इकट्ठी करके शिमलामें रहनेवालोके लिए भेजे तो वह उनके लिए अशुद्ध होगी। विदेशी वस्त्र इस अर्थमे और इसी तरह अशुद्ध है।

पर यह मेरी समझमें नहीं आता। बाकी दूसरी बहुत-सी चीजोके आपके स्पष्टीकरणसे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-१०-१९२४

## १९०. गंगावहन वैद्यके लिए पुस्तकोंके सम्बन्धमे टिप्पणी'

[१५ अक्टूबर, १९२४ के पश्चात्]

पूज्य गंगावहनके लिए  
तुलसीदासकी 'रामायण'  
'योगवाशिष्ठ'का वैराग्य प्रकरण  
'भागवत'का एकादश स्कंध  
'मणिरत्नमाला'  
जयकृष्ण व्यास-कृत 'पचीकरण'  
'रायचन्द भाईना लेखी'

१ १५ अक्टूबरके पत्रमे गांधीजीने गंगावहनसे पूछा कि उनका "अभ्यास कहाँतक पहुँचा है?" मेरा अनुमान है कि उन्होंने यह पत्र आने परहा उत्तर मिलनेके बाद लिखा होगा।

(‘गीताजी’ का गहरा अध्ययन)

‘कठवल्ली उपनिषद्’

‘पातजल योगसूत्र’

‘मणिरत्नमाला’ बहुत करके आश्रममे ही है। यह तुलसीदासकी [रचनाओका संग्रह] है और उसीका गुजराती अनुवाद है। है तो छोटी-सी, परन्तु बहुत अच्छी है। बम्बईमे तो मिलती ही है। यहाँ उसको ढूँढना, न मिले तो देवदाससे कहना। वह बम्बईसे लेकर भेज देगा।

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६०९७ ए०) से।

सौजन्य गगावहन वैद्य

## १९१. कताई सदस्यता

कताईको कांग्रेसकी सदस्यताकी शर्त बनानेके मेरे प्रस्तावके बारेमे जो आपत्ति सुननेमे आई है, उसका साराश यह है “त्यागकी भावनासे स्वेच्छापूर्वक कताई करना तो बहुत ठीक, परन्तु उसे सदस्यताकी शर्त बनाना सत्तापकारी है।” मुझे कहना पडता है कि इस आपत्तिको सुनकर मैं दग रह जाता हूँ, क्योंकि आलोचकोका आक्षेप कताईपर नहीं, बल्कि इस बातपर है कि वह एक प्रतिबन्ध है, बधनरूप है। पर ऐसा क्यों होना चाहिए? यदि पैसेको इसकी शर्त बनाया जा सकता है अर्थात् धनका प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है तो फिर कामको इसकी शर्त क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्या स्वयं कुछ शारीरिक श्रम करनेकी बनिस्वत पैसे दे देना ज्यादा सम्माननीय है? क्या किसी मद्यपान-निषेधक सस्थामे हरएक सदस्यके लिए मद्य-त्यागका बिलकुल अनिवार्य होना सत्तापकारी है? क्या किसी जहाजरानी सस्थामे हरएक सदस्यसे जहाजरानीकी कुछ योग्यता रखनेकी अपेक्षा करना सत्तापकारी है? या उदाहरणके लिए, फ्रांसमें जहाँ युद्ध-कौशल राष्ट्रीय अस्तित्वके लिए आवश्यक समझा जाता है, हरएक सदस्यके लिए शस्त्र-विद्याका ज्ञान लाजिमी होना सत्तापकारी बात है? यदि इन तमाम उदाहरणोंमें पूर्वोक्त कसौटियोंको रखना सत्तापकारी नहीं है तो फिर भारतकी इस राष्ट्रीय सस्थामें कताई और खादीके पहनावेको, जो एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, मताधिकारकी पात्रता या दूसरे शब्दोंमें सदस्यताकी शर्त रखना क्योंकर सत्तापकारी हो सकता है? क्या यह कताई और खादीके व्यापक प्रचारका और लोगोको इसका महत्त्व समझानेका सबसे आसान तरीका नहीं है? हाँ, यह बात सच है कि मेरी दलील सिर्फ उन लोगोके लिए है जो इस बातको परम आवश्यक मानते हैं कि जहाँतक वस्त्रोका सम्बन्ध है, भारतको स्वावलम्बी होना चाहिए और सो भी मुख्यतः चरखे और हाथ-करवेके द्वारा।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, १६-१०-१९२४

## १९२. इलाहाबाद और जबलपुर

मेरे उपवास और एकता-सम्मेलनके बावजूद इलाहाबाद और जबलपुरमें दगे हुए हैं। यह खयाल तो किसीने भी न किया था कि सम्मेलन अथवा उपवासके फलस्वरूप दगा वगैरह होना ऐसे बन्द हो जायेगा, मानो कोई जादू हो गया हो। पर मैं इतनी आशा जरूर करता हूँ कि पत्रकार ऐसे दगोके बारेमें लिखते समय समयसे काम लेंगे और पक्षपात-पूर्वग्रह छोड़ देंगे। मैं यह भी आशा करता हूँ कि दोनों जातियोंके ओर तमाम दलोके अगुआ उनके असली कारणोको खोज निकालनेमें, उनका उपाय करने और सर्वसाधारणके सामने सही व्यौरा प्रकाशित करनेमें सहयोग देंगे।

[ अग्रेजीसे ]

यग इंडिया, १६-१०-१९२४

## १९३. गुरुकुल काँगड़ी

वाढने तो इस साल चारो ओर ध्वस-लीला मचा दी है। गुरुकुल भी, जो स्वामी श्रद्धानन्दजीके धैर्य और आत्म-त्यागपूर्ण प्रयत्नोका कीर्ति-चिह्न है, गगाकी वाढका शिकार होनेसे नहीं बचा। उनके प्रति, उस महान् सस्थाके व्यवस्थापको और विद्यार्थियोंके प्रति मैं हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि चन्देके लिए की गई अपील पर लोग तुरन्त कार्रवाई करेंगे।

[ अग्रेजीसे ]

यग इंडिया, १६-१०-१९२४

## १९४. पत्र : वाइसरायके निजी सचिवको

रोशनआरा रोड

दिल्ली

१६ अक्टूबर, [ १९२४ ]

प्रिय महोदय,

यदि मुझे अनुमति दे दी गई तो मैं शरीरमें पर्याप्त शक्ति आते ही अपने कुछ मुनलमान और हिन्दू मित्रोके साथ कोहाट जाना चाहता हूँ। मैं कोहाट इसलिए जाना चाहता हूँ कि वहाँके निवामियोंमें हिन्दुओ और मुसलमानोके झगडोके कारणोका पता लगा सकूँ और यदि सम्भव हो तो मित्रोकी सहायतामें दोनों जातियोंमें मेलजोल करा सकूँ। यदि आप मुझे यथाम्भव शीघ्र यह वता दें कि वाइसराय महोदय मुझे

और मेरे मित्रोंको ऊपर बताया गये उद्देश्यसे कोहाट जानेकी अनुमति देगे या नहीं तो मैं आपका कृतज्ञ होऊँगा।

भवदीय,  
मो० क० गाधी

अग्रेजी पत्र (एस० एन० १५९१२) की फोटो-नकलसे तथा यग इंडिया, ३१-१०-१९२४ से भी।

## १९५. ख्वाजा हसन निजामीके साथ बातचीत

[ १६ अक्टूबर, १९२४ के आसपास ]<sup>१</sup>

तब गाधीजी बोले

मुझे कहना चाहिए कि आपका यह लेख मैंने भी पढा है और मुझे भी वह ठीक नहीं लगा। इसका कारण है। आपने आलोचना की सो तो भले की, लेकिन आपने तो पूरे [ एकता— ] सम्मेलनका ही मजाक उड़ाया है। आलोचना जिस वृत्तिसे करनी चाहिए, उस वृत्तिमें आपने नहीं की। इसमें कुछ ऐसा भाव झलकता है, जैसे आपको एकता ही पसन्द न हो और यह सम्मेलन हुआ, यह बात ही न रुची हो। आलोचना करनेमें कोई बुराई नहीं है—जरूर करे। पर इतना तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए कि जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, वे कोई शुभ कार्य करनेके लिए ही एकत्र हुए थे और उन्होंने उसे करनेका सच्चा प्रयत्न भी किया। लेकिन, आपने तो केवल हँसी-मजाकका ढँग अपनाया और सो भी कैसे अखवारमें? 'मुबल्लिग' में — जिसके पृष्ठ अभी भी जहरसे भरे होते हैं, जिसका ढग अभीतक नहीं बदला है। क्या आप किसी दूसरे अखवारमें नहीं लिख सकते थे? आप 'यग इंडिया' में लिख सकते थे? आप सम्मेलनके शुभ उद्देश्यको तो स्वीकार करते। लेकिन आपने यह लेख ऐसे अखवारको दे दिया जो जहरीली और विरोधी वाते ही लिखता है। इससे किसी-किसीके मनमें ऐसा खयाल आ सकता है कि ख्वाजा साहब कहीं एकताके भी तो विरोधी नहीं हैं।

आप अब्दुल कादर जिलानीकी ही बात कर रहे हैं न?<sup>२</sup> जेलमें मैंने भी इनका किस्सा पढा था। जब वे बच्चे थे, तब एक वार उनके सफरपर जाते समय उनकी माँने उन्हें कुछ अर्शाफियाँ दी थी। वे बालक थे, इसलिए उन्होंने अर्शाफियाँ उनके कुरतेमें ही सीकर रख दी थी। साथ ही उन्हें एक सीख भी दी थी कि

१ महादेव देसाईकी रिपोर्टके अनुसार यह बातचीत गाधीजीका उपवास शुरू होनेके बाद पाँचवें सप्ताहमें हुई थी।

२ बातचीतके दौरान ख्वाजा हसन निजामीने बताया था कि हजरत गौस या अब्दुल कादर जिलानीने नेक पद्दौसीका व्यवहार करके किस प्रकार एक उद्दण्ड पद्दौसीको मुसलमान बना लिया था।

चाहे जो हो, जमीन-आसमान फट पड़े, पर सच ही बोलना, कभी झूठ न बोलना, रास्तेमें लुटेरे मिले। वे अब्दुल कादरके साथके काफलेके एक-एक आदमीको लूटने लगे। अब्दुल कादरकी बारी आई तो उनसे पूछा कि तेरे पास क्या है। उन्होंने कुरतेमें सी हुई अशरफी बताई। डाकू चकित रह गये और उन्होंने न केवल उनको छोड़ दिया, बल्कि उनकी सचाईका यह असर हुआ कि उन्होंने दूसरोकी लूटी हुई सारी चीजे भी वापस कर दी।

ऐसी मिसाले तो इस्लाममें भरी पड़ी हैं ही, पर आप [धर्मान्तरणकी दृष्टिसे] इन्हे हिन्दुओके सामने पेश करे, यह ठीक नहीं है। क्या अकेले इस्लाममें ही ऐसी मिसाले मिलती हैं? हिन्दू-धर्ममें भी ऐसी मिसाले कदम-कदमपर मिलती हैं। परन्तु जिस प्रकार ऐसी मिसालोके कारण किसीको अपना धर्म छोड़कर हिन्दू बननेकी जरूरत नहीं है, उसी प्रकार अब्दुल कादरकी जैसी मिसालोको देखकर भी किसीको इस्लाम स्वीकार करनेकी जरूरत नहीं है। इस्लाममें अब्दुल कादर-जैसे बहुत-से लोग हो और उन्हें देखकर सारा हिन्दुस्तान मुसलमान हो जाये तो उसकी मुझे जरा चिन्ता नहीं, परन्तु जिस प्रकार हिन्दुओमें अच्छे और बुरे दोनो तरहके लोग हो गये हैं उसी प्रकार इस्लाममें अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अब्दुल कादरकी मिसाल इस्लाम कबूल करानेके लिए पेश करे। आप हिन्दुओसे दूसरी बहुत-सी बात भी तो कह सकते हैं, फिर ढेढ और भगियोसे मुसलमान बन जानेको ही क्यों कहते हैं? आप हिन्दुओसे कह सकते हैं आपके बीच तो बड़े-बड़े उदार-चरित्र व्यक्ति हो गये हैं, आप तो प्राणि-मात्रमें अभेद-भाव मानते हैं, फिर आप किसी मनुष्यको अस्पृश्य किस तरह मान सकते हैं? इन्सानको अच्छूत बनाये रखनेमें आपको शर्म नहीं आती? इस प्रकार आप हिन्दू-धर्मकी सेवा कर सकते हैं। मैं अब्दुल कादर साहबकी मिसाल पेश करके मुसलमानोसे कह सकता हूँ कि ऐसे सत्य-प्रेमी, अमन-पसन्द, दुश्मनको भी माफ करनेवाले, साधु पुरुष आपके मजहबमें पड़े हुए हैं। ऐसा कोई काम आप कैसे कर सकते हैं जिससे उनके नामको बट्टा लगे? यह कहकर मैं इस्लामकी सेवा करूँगा। फिर, यदि हम अपने धर्मको इतना स्वच्छ कर ले जिससे कि दूसरोको खुद ही उसमें आनेकी इच्छा हो तो उन्हें कौन रोक सकता है?

पर किसीकी गरीबीसे फायदा उठाकर यदि कोई किसीसे कहे कि ले भाई, मैं तुझे इतना रुपया दूँगा, तेरा कर्ज उतार दूँगा, तेरे धर्मवाले तुझे परेशान करते हैं, आ तू हमारे मजहबमें आ जा तो यह बुरी बात है। ऐसी हालतमें वह इस्लाममें अपनी इच्छासे नहीं आता है, बल्कि पैसेके लालचसे आता है। मुहम्मद साहबके पास जो लोग आते थे, उन्हें क्या बढिया-बढिया खाना मिलता था? खजूर और पानी और अगर वह भी न मिले तो फाका! फिर भी उनके व्यक्तित्वसे आर्कषित होकर, उनकी रुहानी ताकतसे प्रेरित होकर बहुतेरे लोग उनके पास जाते थे और इस्लाम कबूल करते थे। यदि फिर कोई मुहम्मद साहब पैदा हो और उनके प्रभावमें सारा समार मुसलमान हो जाये तो मैं उसकी तनिक भी चिन्ता न करूँगा।

मैं जो इतना कह रहा हूँ वह इसीलिए कि मैं इस्लामकी खूबियाँ समझता हूँ। मैं नहीं मानता कि इस्लामका प्रचार तलवारके बलपर हुआ है। इस्लामका

प्रचार तो फकीरोके द्वारा हुआ है। इस्लामका प्रचार हुआ है सचाई, फकीरी और वहादुरीके जरिये। यह बात तो सब लोग कबूल करेगे कि इस्लामका बचाव तलवारसे हुआ है, पर उसके प्रचारका श्रेय तो फकीर लोग ही ले सकते हैं। इसीसे मैं कहता हूँ कि जवरदस्तीसे या लालच देकर अथवा ऐसे ही दूसरे तरीकोसे इस्लामका प्रचार करना इस्लामकी सेवा करना नहीं, बल्कि उसकी हानि करना है। यह भी मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं इस्लामको चाहता हूँ।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २६-१०-१९२४

### १९६. तार : मोतीलाल नेहरूको

[ १७ अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात् ]<sup>१</sup>

नागपुरके मुसलमानोका तार आया है कि आप, दास या जवाहर नागपुर जाये और डा० महमूदके साथ मिलकर पच-फैसला दे। वे उसको अन्तिम निर्णय मान लेगे। क्या आप अभी नागपुर जा सकते हैं? यदि यह असम्भव हो तो इसे जवाहरलालको दिखाये। उसे भेजे।

अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे।

### १९७. तार : शाहजी अहमद अलीको

[ १७ अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात् ]

मोतीलालजीको तार दिया कि स्वयं जाये या जवाहर को भेजे। दास शिमलामे स्वास्थ्य-लाभ कर रहे हैं।

अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे।

१ इसमें उल्लिखित तार नागपुरके मुसलमानोकी ओरसे खिलाफत समिति, नागपुरके शाहजी अहमद अलीने १७ अक्टूबर, १९२४ को भेजा था। यह तियि उसीके आधारपर निश्चित की गई है।

## १९८. तार : डा० बी० एस० मुंजेको

[ १७ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात् ]

डा० मुजे

नागपुरके मुसलमानोका तार आया है। वे मोतीलाल, जवाहरलाल या दास [मे से किसी एक] और डा० महमूदके पच-फैसलेको मान लेगे। मुझे भरोसा है कि हिन्दू-लोग भी सहमत होंगे। दास स्वास्थ्य-लाभ कर रहे हैं इसलिए मोतीलाल या जवाहरलालसे नागपुर जानेके लिए कहा है।

अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे।

## १९९. पत्र : एनी बेसेंटको

दिल्ली

१८ अक्तूबर, १९२४

प्रिय डा० बेसेंट,

डा० अन्सारीने कागजोके साथ आपका पत्र मुझे आज दिया। आप सयोजकके रूपमे मेरा नाम लिख सकती हैं। स्थानके वारेमे मेरी अपनी कोई पसन्द नहीं है। यदि आयोजन नवम्बरके तीसरे सप्ताहमे रखा जाये तो मैं शामिल होनेका पूरा प्रयत्न करूँ। मेरा खयाल है, फिलहाल मन्त्री आपको ही होना चाहिए।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गाधी

[ अग्रेजीसे ]

महादेव देमाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सीजन्य नारायण देसाई

## २००. तार : मोतीलाल नेहरूको<sup>१</sup>

[१९ अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

तार के लिए धन्यवाद। जवाहरलालाग समाचार मुनकर दुख हुआ। रूपया मेरी ओरने अनुरोध करे, अपने स्वास्थ्यका खयाल रखे।

अग्नेजी प्रति (एन० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे।

## २०१. तार : चित्तरजन दासको<sup>२</sup>

[१९ अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

मुसी हुई कि आप अच्छे हो रहे हैं। तिथि बढ़ानेकी बात सहर्ष स्वीकार करता हूँ।

गांधी

अग्नेजी प्रति (एन० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे।

## २०२. एक रास्ता

आग्नि वदी ७, १९८० [२० अक्टूबर, १९२४]

शिक्षा-प्रतिष्ठाने इस आशयका एक प्रस्ताव पान हुआ था कि विद्यापीठको प्राथमिक शिक्षाको प्रमुख स्थान देना चाहिए। मेरा इरादा इस प्रस्तावके विषयमें विद्यापीठको कुछ व्यावहारिक सुझाव देनेका था, लेकिन युग वीत गया और मैं दूसरे कामोंमें व्यस्त रहनेके कारण वैसा कर नहीं सका। फिर भी, प्राथमिक शिक्षाकी बात मैं भूल नहीं सकता था।

लेकिन विद्यापीठके सामने कुछ व्यावहारिक सुझाव पेश करनेमें पहले मैं शिक्षाके विषयमें शिक्षकोंके समक्ष कुछ विचार रखना चाहता हूँ। बहुत वर्षोंसे मैं ऐसा

१ यह मोतीलाल नेहरू १८ तारीखके तारके उत्तरमें भेजा गया था। मोतीलालजीका वह तार जो गांधीजीको १९ तारीखको मिला, इस प्रकार था “आपका तार, जवाहरको बुखार है। कल रात नागपुरको खाना हुआ। सोमवारको दोपहर बाद वहाँ पहुँचूँगा।”

२ यह देशबन्धु दासके १९ अक्टूबरके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था “अभी अच्छा हो रहा हूँ। ३० तक मुझे यहाँ रहने दें। मोतीलालको तार दिया है। बैठक ३१ को रखें। कोहाट जानेकी तिथि एक दिन बढ़ा दें।”



अनुभव कर रहा हूँ कि पाठ्यक्रममे हम अक्षरज्ञानपर, जितना चाहिए उससे, ज्यादा जोर देते हैं और उसके परिणामस्वरूप हम देख रहे हैं कि पाठ्य-पुस्तकोकी सख्यामें दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है।

हम इस भ्रममे पड़े हुए हैं कि बालक जबतक ककहरा नहीं सीख ले, तबतक उन्हें और कोई ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता। मेरे जानते तो यह शिक्षा-संसारमे व्याप्त सबसे बड़ा भ्रम है। मेरी दृढ मान्यता है कि इस भ्रममे पडकर हम बालकोके विकासमे बाधा डालते हैं। मेरी यह मान्यता इस अनुभवपर आधारित है कि बालकोको अक्षरज्ञान मिलनेसे पहले भी उनका मानसिक विकास हो सकता है। इतना ही नहीं पहले अक्षरज्ञान देनेसे तो बालकोका विकास अवरुद्ध होता है। सात वर्षके बच्चेको ककहरा सीखनेमे रोक रखनेके वजाय अगर शिक्षक उसे मौखिक रूपसे कुछ सिखाये तो उसका कितना अधिक विकास होता है, यह हर शिक्षक एक ही मासके अनुभवसे जान सकता है। शिक्षक वातो ही वातोमे बालकोको इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदिकी शिक्षा दे सकते हैं। 'रामायण' और 'महाभारत' का सार बालक एक ही वर्षमे भली-भाँति सीख सकता है। सामान्यतया तो उनकी जानकारी उसे स्कूलमे चार-पाँच वर्ष पढ चुकनेके बाद ही मिलती है। 'माँ, पानी दो' इतना पढने और समझनेमे बालकका एक वर्ष चला जाये, यह कितनी दयनीय स्थिति है? हम बालकपर अक्षरज्ञानका बोझ डालकर उसकी प्रगतिमे बाधा डालते हैं, उसे ज्ञानसे वंचित रखते हैं, उसकी स्मरणशक्तिको बढनेसे रोकते हैं और उसे जल्दीसे-जल्दी ककहरा सिखानेकी धुनमे उसकी लिखावट विगाड देते हैं, उसे बचपनसे ही किताबी कीड़ा बना देते हैं और अन्तमे यह कि गरीब हिन्दुस्तानपर बेकारकी पुस्तके खरीदनेका निरर्थक बोझ डालते हैं।

अगर मैं शिक्षकोको समझा सकूँ तो प्राथमिक शिक्षाके लिए पाठ्य पुस्तकोको बन्द करवा दूँ या उन्हें रखूँ भी तो सिर्फ शिक्षकोके लिए ही रखूँ। ऐसी पुस्तकोकी रचना अलग पद्धतिमे ही होगी। बालकोको ककहरा सिखानेके बदले चित्र बनाना सिखाऊँ, जिससे वे प्रारम्भसे ही सुन्दर आकृतियाँ खीचना सीख ले। ककहरा सीखते-सीखते भले ही उसे दो-तीन वर्ष लग जाये, किन्तु इन तीन वर्षोंमे उन्हें मौखिक रूपसे काफी व्यावहारिक और धार्मिक ज्ञान सिखाया जा सकता है। 'गीताजी' आदिमे से उसे श्लोक रटाकर उसकी स्मरणशक्ति बढाई जा सकती है। इससे उनके कानोको शब्दोको सही-सही सुनने, जीभको सही-सही उच्चारण करने और आँखोको अवलोकनकी शिक्षा मिलेगी। इस तरह बालकोमे अनेक शक्तियोका विकास एक साथ किया जा सकता है। इस बीच एक विशेष कलाके रूपमे उन्हें अक्षर-ज्ञान भी कराया जा सकता है। आजकल तो नौजवानोकी भी लिखावट इतनी खराब होती है कि उसे देखनेसे विरक्ति होती है, पढनेसे मन उकता जाता है। मैंने यह वाक्य व्यक्तिगत अनुभवमे लिखा है, क्योंकि मेरी लिखावट इतनी खराब है कि मुझे किसीको पन लिखते शर्म आती है और अपनी कच्ची और अनगढ लिखावटपर मेरा मन बराबर खिन्न होता रहता है। जिस प्रकार कच्चा अन्न खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार कच्ची लिखावट लिखनेवाला

आदमी जगली माना जायेगा। मुझे अकसर ऐसा लगता है कि ऐसे लोगोंके लेख पढ़े जानेका बहिष्कार होना चाहिए।

अगर हम प्राथमिक शिक्षाके सम्बन्धमें यह प्रथम और आवश्यक कदम उठा ले तो बहुत सारे खर्चसे बच जायेगे, इतना ही नहीं, बल्कि हम बालकोकी आयुमें वृद्धि करेगे, क्योंकि इस तरह हम उनके विकासमें वृद्धि करेगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, (शिक्षा-अंक), खण्ड १, सस्या ७, २६-१०-१९२४

### २०३. सन्देश : ट्रान्सवालके भारतीयोंको<sup>१</sup>

२० अक्तूबर, १९२४

आशा है, ट्रान्सवालके भारतीय और इमी तरह सघके दूसरे भागोंके भारतीय भी कण्ट उठाकर दक्षिण आफ्रिकामें अपने सम्मानपूर्ण अस्तित्वके लिए अन्ततक सघर्ष करेगे और कण्ट कितना ही बड़ा क्यों न हो उसकी परवाह नहीं करेगे।

अग्रेजी प्रति (एस० एन० ९९९६) की माइक्रोफिल्मसे।

### २०४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

२० अक्तूबर, १९२४

परमप्रिय चार्ली,

मैंने आज बडो दादाको लिखा है। आज मुझे हर क्षण तुम्हारी याद आती रही। अहा, कैसा है तुम्हारा प्रेम!

मेरा लेख आज डाकमें डाला जा रहा है। लेख बहुत लम्बा है, इसलिए तारसे नहीं भेजा जा सकता।

'केयर-टेकर' का लडका आज पहलेसे अच्छा है। सरोजिनी फिर बीमार हो गई है। लीलामणिको अब भी बुखार है। कृष्णोदास विलकुल स्वस्थ है। बेचारा मणिलाल! उसे जितना जल्दी हो सके, दक्षिण आफ्रिका लौट जाना है। इसलिए बहुत सम्भव है कि वह तुमसे मिले बिना ही खाना हो जाये। स्वास्थ्यकी तो वह जीती-जागती तसवीर है। कैलनवेक<sup>२</sup> उसके साथ आते-आते रह गये।

हार्दिक स्नेह-सहित,

तुम्हारा,  
मोहन

अग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१४) की फोटो-नकलसे।

१. गाधीजीने यह सन्देश इस्माइल अहमद नामक अपने एक अनुगामीके पत्रके उत्तरमें भेजा था। श्री अहमद छरतसे ट्रान्सवाल जा रहे थे।

२. गाधीजीके दक्षिण आफ्रिकाके साथी।

## २०५. तार : पीलीभीत कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको<sup>१</sup>

[२० अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

मामलेका पूरा विवरण भेजे ।

गांधी

यह तार मुहम्मद अलीको फोनपर पढकर सुना दीजिए। उनसे कहिए कि वे मुसलमानोको तार दे। इसके बाद मुहम्मद अलीका उत्तर मन्त्रीको तार द्वारा सूचित करे। तारका हमारा उत्तर मुहम्मद अली जो-कुछ कहेंगे, उसपर निर्भर करेगा। क्या आपने मुसलमानोको तार देनेका सुझाव दिया था ?<sup>२</sup>

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९१) की माइक्रोफिल्मसे।

## २०६. तार : मोतीलाल नेहरूको<sup>३</sup>

[२० अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

आप नागपुरमें डा० महमूदके रहते वहाँ जा सके तो मेरा खयाल है, काम चल जायेगा। तिथि बढ़ानेकी बात मजूर करते हुए दासको तार दिया।

कृपया पता करे कि तार किसने प्राप्त किया और मुझे क्यों नहीं दिखाया गया।<sup>४</sup>

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४२९) की माइक्रोफिल्मसे।

१. यह पीलीभीत कांग्रेसके मन्त्रीके २० अक्टूबरके तारके उत्तरमें भेजा गया था, जिसमें उन्होंने स्थानिक हिन्दू-मुस्लिम तनाव दूर करनेके लिए दो नेताओंको भेजनेका अनुरोध किया था।

२. गांधीजीने ये वाक्य प्राप्त तारके कागजपर गुजरातीमें लिखे थे।

३. यह ५० मोतीलाल नेहरूके २० अक्टूबरके निम्नलिखित तारके उत्तरमें दिया गया था. "स्थानीय हिन्दू-मुस्लिम वार्ताके कारण रुक गया। मुझे जवाहरके साथ जा रहे हैं, उन्हें आपकी हिदायतोका इन्तजार है। जवाहर पहलेसे अच्छा ठेकित सफर करनेमें अममर्थ। जहरत हो तो मैं आज रात रवाना हो सकता हूँ। मुझेको तार दिया है। दासका तार आया है कि दिल्ली की बैठक ३१ को हो। तारसे निर्देश दें।"

४. यह वाक्य गांधीजीने पठित मोतीलाल नेहरूके प्राप्त तार वाले कागजपर ही लिख दिया था।

## २०७. तार : डा० बी० एस० मुंजेको<sup>१</sup>

[ २१ अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात् ]

सन्तानम्से वहाँ तुरन्त दिवालीसे पहले-पहले पहुँच जानेको कहा है।

अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९-ए) की माइक्रोफिल्मसे।

## २०८. तार : अबुल कलाम आजादको

[ २१ अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात् ]<sup>२</sup>

नागपुर के मुसलमानोंका कहना है कि आपके आये बिना समस्या ।' वे चाहते हैं कि आप मोतीलाल के साथ २८ तारीख से पहले-पहले वहाँ पहुँच जाये। क्या आप २८ तारीखसे पहले-पहले नागपुर प्रस्थान कर जायेगे? मोतीलालको तदनुसार सूचित कर दे।

अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९-ए) की माइक्रोफिल्मसे।

## २०९. तार : मोतीलाल नेहरूको

[ २१ अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात् ]

आपको तार दिया था। आजादको लेकर दिवालीसे पहले-पहले पहुँचे। आजादको तार दे रहा हूँ। क्या आप भी तार देकर उनसे साथ जानेके लिए कहेंगे और उसके लिए दिन निश्चित कर देंगे?

अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९-ए) की माइक्रोफिल्मसे।

१. यह तार तथा इसके बादके दो तार २१ अक्टूबरको डा० मुंजेसे प्राप्त निम्न तारपर लिखे मिले हैं "कलका तार रद। डा० महमूद रुक रहे हैं। मुसलमानोंसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होने आपको कल तार दिया था कि अबुल कलाम आजादको भेजें। मैंने मोतीलालजीको तार दिया है कि दिवालीके जाने-बजानेके कारण फिर ढगे हों इससे पहले ही वे उनके साथ आ जायें।"

२ देखिए पाद-टिप्पणी १।

३ साधन-सूत्रमें यह अंश पढ़नेमें नहीं आता।

४ देखिए पिछला शीर्षक।

## २१०. तार : पीलीभीत कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको<sup>१</sup>

[ २१ अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात् ]

वरेलीके हिन्दू मुसलमान नेताओसे कहा है कि वहाँ जाये।

अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०४९१) की माइक्रोफिल्मसे।

## २११. तार : कोण्डा वेकटप्पैयाको<sup>२</sup>

[ २१ अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात् ]

नेलौर खिलाफत कमेटीके मन्त्रीको दिवालीपर नेलौरमे उपद्रवका भय है। आप स्वस्थ हो तो किसी मुसलमानको लेकर वहाँ जाये अथवा इस कामका भार किसी औरको दे दे।

गाधी

अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०४९१)की माइक्रोफिल्मसे।

## २१२. जी० रामचन्द्रन्के साथ बातचीत<sup>३</sup>

[मगलवार व बुधवार,  
२१ व २२ अक्टूबर, १९२४]<sup>४</sup>

आत्मशुद्धि और प्रार्थनाके सप्ताहोमें जो लोग दिलखुश आये, उनमें शान्ति-निकेतनके एक युवा छात्र भी थे। उनका नाम रामचन्द्रन् है और वे श्री एन्ड्रूचूजके शिष्य

१. यह २१ अक्टूबरको प्राप्त निम्न तारके उत्तरमें दिया गया था “ताजियेपर ईट-पत्थर फेंकनेसे दगा। चार मुसलमान गोलियोंसे घायल। चार हिन्दू भी गोलियोंसे घायल। बहुत लोग जल्मी। कुछ मन्दिरों और आर्षसमाज मन्दिरके अपवित्र क्रिये जानेकी खबर। भारी उत्तेजना। छत्तीस हिन्दुओंपर मुकुदमे। दण्ड विधान ३०७/३३८के अधीन तीन मामले।”

२. इस तारका मसविदा पीलीभीत कांग्रेससे प्राप्त दूसरे तारके पीछे लिखा था। इसलिए इसकी तारीख वही है जो पीलीभीत कांग्रेसके मन्त्रीको दिये तारकी है। देखिए पिछले शीर्षककी पाद-टिप्पणी।

३. यह महादेव देमाईके रस्ताशरोंसे यंग इंडियामें दो किस्तोंमें छपी थी। शीर्षक था: “गाधीजीके साथ एक सुवह”।

४. “दिल्ली, बुधवार, २९ अक्टूबर, १९२४” की तारीखमें २-११-१९२४ के गुजराती नवजीवनमें लिखते हुए महादेव देमाईने रामचन्द्रन्के “पिटछे सप्ताह” प्रस्थान करनेकी चर्चा की है। इसलिए लगता है कि यह बातचीत उक्त तिथियोंको ही हुई थी।

है। उन्होंने बिना किसी कठिनाईके अपने मुन्से दिल्लीमें कुछ समय और रुकनेकी अनुमति प्राप्त कर ली थी। उस दिन शामको दिल्लीसे रवाना होनेमें पहले श्री एन्ड्र्यूज उन्हें लेकर ऊपरकी मजिलमें आये और उन्होंने गाधीजीसे कहा कि "मैंने अभीतक आपसे रामचन्द्रन्का परिचय तो कराया ही नहीं, हालाँकि इन दिनों बराबर वह यहाँ साथ रहकर हमारी सहायता करता रहा है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कल यह शान्तिनिकेतन लौट जायेगा। अगर आप उससे पहले इससे थोड़ी देर वातचीत कर ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी?" लेकिन 'कल' का दिन तो महात्माजीका मीन-दिवस, सोमवार था। इसलिए रामचन्द्रन् एक दिन और रुक गये। मंगलवारकी सुबह उन्हें कलकत्तेकी गाडी पकडनी थी। इसलिए प्रातः प्रार्थनाके बाद ठीक साढे पाँच बजे उन्हें बुलाया गया। उन्होंने अपने सभी प्रश्न—जिन शकाओं और उलझनोंसे उनका मन परेशान था—लिय रखे थे। फिर भी पहले तो उन्हें अपने-आपपर इतना भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वे जो-कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ भी सकेंगे। किन्तु, आखिर उन्होंने साहस बढोरा और तब बड़े आश्चर्यसे देखा कि बापूने उनसे उनके बारेमें, उनके घर-वार और अध्ययन आदिके सम्बन्धमें इतने सौजन्यसे पूछताछ की कि उनकी रारी हिचक और घबराहट हवा हो गई। उस दिन सुबह रामचन्द्रन्को गाधीजीसे जितनी वातचीत करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसे पूरा-पूरा दे सकना असम्भव है। यहाँ तो मैं बहुत सक्षेपमें उसका सार-मात्र दे सकता हूँ।

[ रामचन्द्रन् ] आपको स्नेह और सराहनाकी दृष्टिसे देखनेवाले बहुतसे समझदार और प्रसिद्ध लोग भी ऐसा मानते हैं कि आपने जाने-अनजाने राष्ट्रीय पुनरुत्थानकी योजनामें कलाका कोई खयाल नहीं किया है। ऐसा क्यों?

[ गाधीजी ] मुझे दुःखके साथ कहना पडता है कि इस विषयमें लोगोंने आम तौरपर मुझे गलत ही समझा है। हर चीजके दो पक्ष होते हैं—एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक। यहाँ कुल सवाल यह है कि महत्त्व किमको दिया जाये। मैं ऐसा मानता हूँ कि बाह्य पक्षका महत्त्व उसी हदतक है जहाँतक कि वह आन्तरिक पक्षकी परिष्कृतिमें सहायक है, उससे अधिक उसका कोई महत्त्व नहीं है। इस प्रकार, सभी सच्ची कला आत्माकी अभिव्यक्ति होती है। कलाके बाह्य रूपोंका महत्त्व वही तक है जहाँतक उनमें मनुष्यकी आत्माकी अभिव्यक्ति होती है।

बड़े-बड़े कलाकारोंने तो स्पष्ट ही कहा है कि आत्माकी तृप्ता और आकुलताकी शब्दों, रंगों, आकृतियों आदिमें अभिव्यक्तिका नाम ही कला है।

हाँ, और ऐसी कला मेरे मनको सबसे ज्यादा छूती है। किन्तु, मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुतसे लोग हैं जो अपने-आपको कलाकार कहते हैं और कलाकार माने भी जाते हैं, लेकिन उनकी कृतियोंमें आत्माके ऊर्ध्वगुणी स्फुरण और आकुलताका तन्मय भी नहीं होता।

क्या आपके मनमें इसका कोई उदाहरण है ?

हाँ, है। ऑस्कर वाइल्डको ही लो। उनके विषयमें मैं इसलिए कुछ कह सकता हूँ कि जिन दिनों उनकी चर्चा बहुत गरम थी, उन दिनों मैं इंग्लैंडमें ही था।

मगर मुझे तो बताया गया है कि ऑस्कर वाइल्ड आधुनिक कालकी महानतम साहित्यिक विभूतियोंमें से थे।

हाँ, और यहीं तो मेरी भी परेशानीका कारण है। वाइल्डने बाह्य रूपमें ही कलाकी चरम परिणति देखी और इसलिए वे अनैतिकताको भी कलात्मक सौन्दर्य प्रदान करनेमें सफल हो गये। सच्ची कला तो वही है जो आत्म-दर्शनमें सहायक हो। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो देखता हूँ कि अपने आत्म-दर्शनके लिए बाह्य रूपोंका कोई सहारा लिये बिना भी मेरा काम चल सकता है। इसलिए, मैं अपने वारेमें यह दावा कर सकता हूँ कि मेरे जीवनमें सचमुच पर्याप्त कला है, यद्यपि जिन्हें तुम कला-कृतियाँ कहते हो, उन चीजोंको तुम मेरे आस-पास शायद न देख सको। मेरे कमरेकी दीवारें विलकुल सादी, सूनी हो सकती हैं और हो सकता है, मैं अपने सिरपर कोई साया भी नहीं रहने दूँ ताकि दृष्टि ऊपर उठानेपर अनन्त सौन्दर्यका वितान फैलाये तारक मण्डित आकाशको देख सकूँ। ऊपर तारोंसे जगमगाते इस आकाशकी ओर दृष्टि डालनेपर मैं जिस विराट् दृश्यको देखता हूँ, वैसे विराट् दृश्यके दर्शन मुझे किस कला-कृतिमें हो सकते हैं ? लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि जिन चीजोंको सामान्यतया कला-कृतियाँ माना जाता है, उन्हें मैं कोई महत्त्व ही नहीं देता, हाँ, यह अवश्य है कि व्यक्तिगत रूपसे मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि प्रकृतिके चिरन्तन सौन्दर्य-प्रतीकोंकी तुलनामें ये कृतियाँ कितनी अधूरी हैं। मनुष्यकी इन कला-कृतियोंका महत्त्व उसी सीमातक है जिस सीमातक ये आत्माके अन्तर्दर्शनमें सहायक हैं।

लेकिन कलाकार तो बाह्य सौन्दर्यके माध्यमसे सत्यके दर्शन और उसकी प्राप्ति-का दावा करते हैं। क्या इस तरह सत्यको देखना और पाना सम्भव है ?

मैं इसी बातको उलटकर कहना चाहूँगा। मैं सत्यमें और सत्यके माध्यमसे सौन्दर्यको देखता और प्राप्त करता हूँ। समस्त सत्य और केवल सच्चे विचार ही नहीं, बल्कि सत्यपरक चित्र अथवा गीत भी अतीव सुन्दर होते हैं। लोग सामान्यतया सत्यमें सौन्दर्यके दर्शन नहीं कर पाते, साधारण लोग सत्यसे आँख चुराते हैं और इसलिए वे उसमें निहित सौन्दर्यको भी नहीं देख पाते। जिस दिन मनुष्य सत्यमें सौन्दर्य देखने लगेगा, उसी दिन सच्ची कलाका जन्म होगा।

किन्तु, क्या सत्यको सौन्दर्यमें और सौन्दर्यको सत्यमें अलग करके नहीं देखा जा सकता ?

मैं यह जानना चाहूँगा कि सौन्दर्य दरअमल है क्या। लोग आम तौरपर इस शब्दमें जो कुछ समझते हैं, यदि सौन्दर्य वही है तो दोनोंमें बड़ा अन्तर है। क्या यह जरूरी है कि कोई सुन्दर आकृतिवाली महिला सुन्दर ही होती है ?

हाँ, वह सुन्दर तो होगी ही।

दुश्चरित्र होते हुए भी ?

किन्तु, उस दशामें तो उसकी मुद्राकृति सुन्दर हो ही नहीं सकती। उसपर तो बराबर वही भाव प्रस्फुटित होगा जो उसके भीतर है। जिसे दृष्टि है ऐसा कलाकार उसकी मुद्राकृतिपर ठीक भावको भी उभार देगा।

लेकिन, ऐसा कहकर तो तुम मेरे प्रश्नको ही दुहरा रहे हो। तुम अब यह स्वीकार कर रहे हो कि कोई बन्तु अपनी बाहरी मुद्राकृति के कारण ही सुन्दर नहीं हो जाती। मञ्चे कलाकारके लिए वही मुद्राकृति सुन्दर है, जिनपर अन्तरका मत्य झलकता हो, बाह्य रूप क्या और कैसा है, इनको वह कोई महत्त्व नहीं देता। तो, जैसा कि मैंने कहा, सत्यसे अलग कोई सौन्दर्य नहीं है। दूसरी ओर, मत्य ऐसी रूपाकृतियोंमें अभिव्यक्त हो सकती है जो बाहरमें किसी तरह सुन्दर न हो। कहते हैं, सुकरात अपने समयके सबसे मत्यपरायण व्यक्ति थे, किन्तु ऐसा बताते हैं कि उनकी रूपाकृति यूनान-भरमें सबसे अमुन्दर थी। मेरी दृष्टिमें वे बहुत सुन्दर थे, क्योंकि उनका समस्त जीवन सत्यकी अन्वेषणमें बीता और तुम्हें याद होगा कि उनकी अमुन्दर रूपाकृतिके बावजूद फ्रीडियम उनके अन्तरके सत्यमें निहित सौन्दर्यकी सराहना किये बिना नहीं रह सका, यद्यपि एक कलाकारके नाते वे बाह्य रूपमें भी सौन्दर्यको देखनेके अभ्यस्त थे।

लेकिन, वापूजी, सुन्दरतम कला-कृतियोंका निर्माण तो अकसर ऐसे व्यक्तियोंने किया है, जिनके अपने जीवन सुन्दर नहीं रहे हैं।

इसका मतलब तो यही है कि सत्य जीर असत्य अकर्म माय-माय रहते हैं, बुराई और अच्छाई अकर्म साथ-साथ मिलती है। कलाकारमें भी सम्यक् दृष्टि और असम्यक् दृष्टिका अस्तित्व बहुधा एक साथ देखनेको मिलता है। मञ्चमुच सुन्दर कृतियोंका मूजन वह तब करना है जब उनकी सम्यक् दृष्टि क्रियाशील होती है। यदि ऐसे क्षण जीवनमें बहुत कम आते हैं तो कला-मूजनमें भी कम ही आते हैं।

यदि सिर्फ सत्यमूलक और अच्छी चीजें ही सुन्दर हो सकती हैं तो ऐसी कोई चीज जिसमें कोई नैतिक गुण न हो कैसे सुन्दर हो सकती है? जो चीजें अपने आपमें न नैतिक हैं और न अनैतिक उनमें भी क्या सत्य होता है? उदाहरणके लिए, क्या सूर्यास्तमें या रातमें तारोके बीच चमकनेवाले बकिमचन्द्रमें भी कोई सत्य होता है?

वैशक, इनका सौन्दर्य भी मत्यमूलक है, क्योंकि वे मुझे उन ऋषियोंकी महिमाका भान कराते हैं, जिनका हाथ इनके पीछे है। मृष्टिके मूत्रमें जो मत्य है, उनके बिना ये सब सुन्दर कैसे हो सकते थे? जब मैं सूर्यास्तकी अद्भुत छटाको अपना चन्द्रमाके सौन्दर्यको देखा हूँ तो मेरी आत्मा ऋषियोंकी आराधनामें प्रफुल्लित हो उठती है। मैं इन तमाम कृतियोंमें उठे जीर उनकी दयाको देनेका प्रयत्न करता हूँ। किन्तु, यदि सूर्यास्त और सूर्योदय मुझे उसके चिन्तनकी प्रेरणा न दें तो मैं उन्हें भी अपने लिए बाधा ही मानूँगा। जो भी बन्तु आत्माके जागृगमनमें बाधक है, वह मोक्षके मार्गमें अकर्म बाधा उल्लेखनेवाले शरीरकी ही तरह भ्रम है, पाप है।



कलाके सम्बन्धमें आपके विचार सुनकर मैं सचमुच कृतार्थ हो गया। मैं उन्हें समझना और स्वीकार करता हूँ लेकिन अगर आप भावी पीढीके सही मार्गदर्शनके लिए उन्हें सुबद्ध रूपमें प्रस्तुत कर दें तो क्या यह अच्छा नहीं हो?

ऐसा करनेकी तो मैं सपनेमें भी नहीं सोच सकता। उसका सीधा-सादा कारण यह है कि कलाके सम्बन्धमें ज्यादा कुछ कहना मेरे लिए धृष्टता होगी। मैं कोई कलाका अव्येता नहीं हूँ, यद्यपि उसके सम्बन्धमें ये मेरे बुनियादी विचार हैं। मैं अपनी सीमाओसे भली-भाँति अवगत हूँ, इसलिए इस विषयपर मैं न बोलता हूँ और न लिखता हूँ और यही सीमाबोध मेरा बल है। मैं जीवनमें जो-कुछ भी कर पाया हूँ, उसका सबसे ज्यादा श्रेय इसी बातको है कि मुझे अपनी मर्यादाओका ज्ञान है। मेरा काम कलाकारके कामसे भिन्न है इसलिए मुझे अपने क्षेत्रसे बाहर जाकर उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए।

वापूजी, क्या आप यन्त्र-मात्रके खिलाफ हैं?

ऐसा कैसे हो सकता है? जब कि मैं जानता हूँ कि यह शरीर भी तो एक बहुत नाजुक यन्त्र ही है। चरखा तो खुद ही एक यन्त्र है और दाँत कुरेदनेकी एक छोटी-सी सीक भी तो यन्त्र ही है। मुझे यन्त्रोपर नहीं, बल्कि उनके प्रति अन्व-मोहपर आपत्ति है। यह मोह उन यन्त्रोके लिए है जिन्हें वे श्रमकी वचत करनेवाले कहते हैं। इस तरह मनुष्य श्रमकी वचतके पीछे पडा रहता है और अन्तमें उसका परिणाम यह होता है कि हजारो लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उनके लिए मारे-मारे फिरते हुए भूखकी पीडासे तडप-तडपकर अपने प्राण देनेके अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। मैं भी समय और श्रमकी वचत करना चाहता हूँ, लेकिन मुट्ठी-भर लोगोके लिए नहीं, बल्कि सभीके लिए। सम्पत्तिका सचय मैं भी चाहता हूँ, किन्तु वह चन्द लोगोके हाथोंमें नहीं, बल्कि समस्त समाजके हाथोंमें चाहता हूँ। आज यन्त्रोकी वदौलत चन्द लोग लाखों-करोडोकी पीठपर सवार हैं। इस सबके पीछे प्रेरणा श्रमकी वचनकी और परोपकार-वृत्तिकी नहीं, बल्कि लोभकी ही है। इसी वस्तु-व्यवस्थाके विरुद्ध मैं अपनी समस्त शक्तिसे जूझ रहा हूँ।

तब तो, वापूजी, आप यन्त्रके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोगके खिलाफ, जिसकी भित्तले आज हम इतनी ज्यादा देर रहे हैं, लड़ रहे हैं?

मैं बेहिचक कहूँगा कि 'हाँ', लेकिन इतना और जोड़ना चाहूँगा कि आज जो वैज्ञानिक तथ्यों और आविष्कारोका उपयोग लोभको तुष्ट करनेके साधनके रूपमें हो रहा है, सबसे पहले यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए। उस हालतमें श्रमिकोपर कामका ज्यादा बोझ नहीं रहेगा और यन्त्र एक वादाके बजाय सहायक साधन बन जायेगा। मैं यन्त्र-मात्रको समाप्त करनेका नहीं, बल्कि उसे सीमित करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ।

इसका तर्क-मंगत निष्कर्ष तो यही होगा कि तन्नाम शक्तिचालित जटिल यन्त्रोको समाप्त कर देना चाहिए।

हो सकता है, इन सबको समाप्त कर देना पड़े, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा। मानव-हितका विचार सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यन्त्र मनुष्यको पगु बना दे। उदाहरणके लिए, मैं इस नियमके कुछ उचित और युक्तिमगत अपवाद भी रखूँगा। सिलाईकी सिगार मशीनको ही लो। यह चन्द उपयोगी आविष्कारोमे से है और इस यन्त्रके साथ एक रोचक कहानी भी जुडी हुई है। सिगार देखते कि उनकी पत्नी सीने ओर बखियानेका ऊवानेवाला काम करती रहती है और उसके प्रति प्रेमके कारण उन्होने इस यन्त्रका आविष्कार कर डाला, ताकि वह गैर-जरूरी मेहनतसे बच सके। किन्तु, इस तरह उसने न केवल अपनी पत्नीकी, बल्कि इस यन्त्रको खरीदनेमे समर्थ हर आदमीकी मेहनत बचा ली।

लेकिन, उस हालतमें तो सिलाईकी सिगार मशीनोके निर्माणके लिए कारखाना खोलनेकी भी जरूरत होगी और उस कारखानेमें सामान्य ढंगके शक्ति-चालित यन्त्र भी होंगे ही।

हाँ, होंगे। लेकिन समाजवादमे मेरा इतना विश्वास तो है ही कि कह सकूँ कि ऐसे कारखानोका या तो राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये या उन्हें राज्यके स्वामित्वमे रखा जाये। चाहिए यह कि ये कारखाने अत्यन्त आदर्श और आकर्षक ढंगसे चलाये जायें, मुनाफाखोरीके लिए नहीं, बल्कि मानव-समाजके हितके लिए चलाये जाये। इसमे प्रेरणा लोभकी नहीं, प्रेमकी होनी चाहिए। (मैं जो चाहता हूँ वह यह कि श्रमिको-को जिन स्थितियोमे काम करना पडता है, उन स्थितियोको बदला जाये। धनके लिए यह पागलपन-भरी आपा-धापी बन्द होनी चाहिए और मजदूरोको आश्वस्त कर देना चाहिए कि उन्हें न केवल जीवन-निर्वाहके लायक मजदूरी मिलेगी, बल्कि प्रतिदिन ऐसा काम भी मिलेगा जो मात्र नीरस श्रम ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति होनेपर यन्त्रसे जितनी सहायता राज्य अथवा यन्त्रके स्वामीको मिलेगी उतनी ही सहायता यन्त्र चलानेवालेको भी मिलेगी। तब आजकी पागलपन-भरी आपा-धापी बन्द हो जायेगी और मजदूर लोग (जैसा कि मैंने कहा) काम करनेकी आकर्षक और आदर्श स्थितियोमे श्रम करेंगे। मेरे मनमे जो अपवाद है, उनमे से यह केवल एक है। सिलाई मशीनके आविष्कारके पीछे प्रेमकी प्रेरणा थी। व्यक्तिके हितका विचार ही सर्वोपरि है। तो इसका उद्देश्य व्यक्तिके श्रमकी वचत होना चाहिए और इसके पीछे प्रेरक तत्त्व लोभ नहीं, बल्कि सच्चा मानव-हित होना चाहिए। इस तरह, उदाहरणके लिए, मैं टेढे तक्रुएको सीधा करनेवाले यन्त्रके आविष्कारका स्वागत करनेके लिए-बराबर तैयार हूँ। इससे ऐसा नहीं होगा कि लोहार लोग तक्रुए बनाना छोड देगे। तक्रुएकी जरूरत तो तब भी वे ही पूरी करेंगे, लेकिन जब तक्रुआ खराब हो जायेगा तो उसे सीधा करनेके लिए हर कर्तयेके पास अपना-अपना यन्त्र रहेगा। तात्पर्य यह कि लोभकी जगह प्रेमसे काम लेना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह सब-कुछ अपने-आप ठीक हो जाता है।

स्पष्ट था कि इतनेसे रामचन्द्रन् सन्तुष्ट नहीं हुए थे। उन्होने तो ऐसा समझा था कि गाधीजी यन्त्र-मात्रके विरुद्ध हैं और लगता था कि उनका यह रवैया ठीक

भी है। इसलिए वे इस सवालकी तहतक जाना चाहते थे। लेकिन काफी देर हो रही थी और अभी उन्हें अन्य अनेक सवाल पूछने थे। गांधीजी समझ गये और उन्होंने मुस्कराते हुए कहा :

गाडी छूट जानेकी फिक्र मत करो। तुम्हारी सारी शकाओका समाधान करनेके लिए तैयार हूँ। अभी तुम जितने सवाल चाहो, पूछ सकते हो। मैं उससे जरा भी नहीं थकूंगा।

अभी इन नौजवान भाईके प्रश्नोकी सूची समाप्त नहीं हुई थी। गांधीजीसे यह आश्वासन मिल जानेके बाद कि अभी तुम जितने सवाल चाहो, पूछ सकते हो, वे बिलकुल निश्चिन्त हो गये। उन्होंने साहस बटोरकर अगला प्रश्न पूछा, जिसका सम्बन्ध विवाहकी प्रथासे था।

मैं तीसरा सवाल यह पूछना चाहूँगा कि क्या आप विवाह-प्रथाके विरुद्ध हैं!

इसका उत्तर मुझे किञ्चित् विस्तारसे देना पड़ेगा। मानव-जीवनका उद्देश्य मोक्ष है। एक हिन्दूके नाते मैं मानता हूँ कि मोक्षका अर्थ जन्म-बन्धनसे मुक्ति पाना है, शरीरके बन्धनोको तोड़कर ईश्वरमें लीन हो जाना है। अब विवाह तो इस सर्वोपरि लक्ष्यकी सिद्धिके मार्गमें एक बाधा ही है, क्योंकि यह शरीरके बन्धनको दृढ़ करता है। इसमें ब्रह्मचर्य बहुत सहायक है, क्योंकि यह मनुष्यको अपना जीवन पूर्णतः ईश्वरको अर्पित करनेमें सक्षम बनाता है। विवाहका उद्देश्य आम तौरपर वशवृद्धि ही तो समझा जाता और फिर किसीको विवाह-प्रथाका पक्ष-पोषण करनेकी भी क्या जरूरत है? इसका प्रचार तो स्वयं ही होता रहता है। इसके प्रसारके लिए किसी प्रचार-तन्त्रकी आवश्यकता नहीं है।

लेकिन, ब्रह्मचर्यका पक्ष-पोषण करना और हरएकको उसका उपदेश देना क्या आप अपने लिए जरूरी मानते हैं?

हाँ, जरूरी ही मानता हूँ और तब तुम शायद यह कहोगे कि इस तरह तो सृष्टिका अन्त ही हो जायेगा? लेकिन नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है। इसका जो बड़ेसे-बड़ा तर्क-मगत परिणाम होगा वह मानव-जातिका उन्मूलन नहीं, बल्कि उसका एक उच्चतर धरातलपर पहुँच जाना ही होगा।

लेकिन, क्या यह वाछनीय नहीं है कि कवि, कलाकार और महान् प्रतिभासे युक्त व्यक्ति अपनी सन्तानके माध्यमसे भावी पीढ़ीके लिए अपनी विरासत छोड़ जाये?

बिलकुल नहीं। उसे हर हालतमें अपनी सन्तानकी अपेक्षा शिष्य अधिक सख्यामें मिल जायेंगे और उन शिष्योंके माध्यमसे वह दुनियाको अपनी प्रतिभाका दान जितनी अच्छी तरह दे सकता है, उतनी अच्छी तरह और किसी तरीकेसे नहीं दे सकता। यह आत्मामें आत्माका परिणय होगा, शिष्य होंगे परिणयकी सन्तान। यह एक प्रकारकी अलौकिक प्रजात्वत्ति होगी। तो विवाहकी प्रथाकी रक्षाके लिए हमें कोई चिन्ता ही नहीं करनी चाहिए, वह तो अपने ही बल-श्रुतेपर जीवित रहेगी। इसका परिणाम विनाश नहीं, पुनर्गवृत्ति ही होगा, क्योंकि विवाह-व्यापारमें वासना ही सबसे प्रधान हों गई है।

मगर ब्रह्मचर्यपर आपका यह आग्रह श्री एन्ड्र्यूजको पसन्द नहीं है।

हाँ, मुझे मालूम है। उनका यह दृष्टिकोण प्रोटेस्टेंट पथकी देन है। इस पथको बहुतसे सत्कार्योंका श्रेय है, लेकिन इसमें जो-कुछ दोष थे, उनमें से एक ब्रह्मचर्यका उपहास करना भी था।

लेकिन ऐसा तो इसलिए हुआ कि इस पथको, उस समयका पादरी-वर्ग जिन वुराइयोमें डूबा हुआ था, उनसे लडना था।

लेकिन इन तमाम वुराइयोका कारण यह तो नहीं था कि ब्रह्मचर्यमें कोई सहज दोष है। ब्रह्मचर्यके कारण ही कैथॉलिक पथ आजतक फल-फूल रहा है।

रामचन्द्रन्का अन्तिम प्रश्न बहु-चर्चित 'कताई-सदस्यता' के बारेमें था। उन्होंने गाधीजीको प्रारम्भमें ही यह बतला दिया कि वे खुद तो कातते हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि शान्तिनिकेतनके अपने दो अन्य मित्रोके साथ-साथ उन्होंने यह काम गाधीजीके उपवासका समाचार सुननेके बाद ही शुरू किया। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बातमें विश्वास रखते हैं कि कताई सबको करनी चाहिए। लेकिन, यह चीज उनकी समझमें नहीं आ रही थी कि कांग्रेसको अपने सदस्योको इस कामके लिए क्यों मजबूर करना चाहिए। यहाँ तो जबरदस्तीसे नहीं, बल्कि समझाने-बुझानेके तरीकेसे काम लेना चाहिए।

अच्छा तो, इस विषयमें तो तुम श्री एन्ड्र्यूजसे भी एक कदम आगे हो। वे भी यह नहीं चाहते कि कांग्रेस अपने सदस्योको इसके लिए मजबूर करे, लेकिन कताई-सम्बन्धी नियमोसे बँधे, स्वेच्छया कताई करनेवाले किसी सगठनके सदस्य वे खुशी-खुशी बनना चाहेंगे। तुमको तो शायद ऐसे किसी सगठनपर भी आपत्ति है?

रामचन्द्रन् चुप बैठे रहे।

अच्छा तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या कांग्रेसको ऐसा कहनेका कोई अधिकार है कि इसका कोई सदस्य मद्यपान न करे? क्या यह भी व्यक्तिकी स्वतन्त्रतापर रोक लगाना होगा? यदि कांग्रेस अपने सदस्योपर मद्य-निषेधका नियम लादनेके अधिकारका प्रयोग करे तो उसपर कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों? इसी-लिए न कि मद्यपानकी वुराइयाँ जग-जानी हैं। तो मैं यह कहूँगा कि आज भारतमें, जहाँ करोडो लोग भुखमरीके किनारेपर खड़े हैं और दुखके सागरमें डूबे हुए हैं, विदेशोसे कपडेका आयात करना शायद अधिक बड़ी वुराई है। जरा उडीसाके लाखो क्षुधा-पीडित लोगोका खयाल करो। जब मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँके अकाल-पीडित लोगोको देखा था। एक नेक पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्टके सौजन्यसे, जो एक उद्योगशाला चलाते थे, मैंने उन अकाल-पीडितोके स्वस्थ, प्रसन्न और हँसमुख बच्चोको भी देखा, जो दरी, टोकरी वगैरह बनानेमें जुटे हुए थे। वहाँ कताई नहीं हो रही थी, क्योंकि उस समय वहाँ इन दूमरे कामोका बड़ा प्रचलन था। लेकिन, उनकी मुखाकृतितसे श्रमके आनन्दकी आभा छिटक रही थी। लेकिन, अकाल-पीडितोके बीच आकर मैंने क्या देखा? वे हड्डी-चमडीके टाँचे-मात्र रह गये थे, उन्हें देखकर यही लगता था

कि वे वस मृत्युकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी यह दशा इसलिए थी कि वे किसी भी हालतमें काम करनेको तैयार नहीं थे। अगर उन्हें काम करनेसे इनकार करनेपर कोई गोली मार देनेकी भी धमकी देता तो मेरा विश्वास है, वे कोई ईमानदारीका काम करनेके वजाय गोली मार दिया जाना अधिक पसन्द करते। कामसे यह अरूचि मद्यपानकी अपेक्षा कहीं अधिक बड़ी बुराई है। किसी मद्यसेवीसे तो तुम कुछ काम ले सकते हो। उसमें कुछ उत्साह होता है, समझदारी भी होती है। लेकिन, काम करनेसे इनकार करनेवाले ये भूखे लोग विलकुल पशुओ-जैसे हो गये थे। सवाल यह है कि ऐसे लोगोंसे काम लेनेकी समस्याको हम कैसे हल कर सकते हैं? मुझे तो चरखेको घर-घर पहुँचा देनेके अलावा इसका और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इसलिए, बाहरसे भारतमें मँगाये गये एक-एक गज कपडेका मतलब इन दीन-हीन क्षुधित लोगोंके मुँहसे एक-एक घास छीन लेना है। अगर मेरी ही तरह तुम भी समयके सबसे बड़े तकाजेको समझ पाते—और वह तकाजा है भारतके करोड़ों क्षुधित लोगोंको आनन्द और हर्षके साथ अपनी रोटी कमानेका एक अवसर देना—तो तुम्हें कताई सदस्यतापर कोई आपत्ति नहीं होती। मैं तो कांग्रेसको कताईकी सर्वोपरि आवश्यकताको स्वीकार करनेवाले पुरुषो और स्त्रियोंकी ही सस्था मानता हूँ। फिर, उम्मे अपने हर सदस्यके लिए कताई अनिवार्य करके इस सस्थाकी सदस्यताकी प्रामाणिकताकी ओरसे आश्वस्त हो जानेकी कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? और तुम समझाने-बुझानेकी बात कहते हो। समझाने-बुझानेका इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि कांग्रेसका हर सदस्य, हर महीने नियमित रूपसे एक निश्चित परिमाणमें सूत काते? अगर कांग्रेसी लोग खुद ही कताई नहीं करेंगे तो फिर लोगोंसे कताई करनेको कहना उनके लिए कसे उचित माना जा सकता है?

लेकिन कनाई न करनेवाले लोगोंको आप कांग्रेससे बाहर कैसे रख सकते हैं? हो सकता है कि वे अन्य प्रकारमें देशकी महत्त्वपूर्ण सेवा कर रहे हों।

क्यों नहीं रख सकते? आखिर सम्पत्तिपर आधारित मताधिकारका कारण क्या है? किन्हीं व्यक्तिके लिए मदन्य बननेके लिए चार आने देना क्यों जरूरी है और उम्रको एक आवश्यक योग्यता क्यों माना जाता है? क्या इटलीके उस आठ वर्षीय प्रतिभाशाली वायलिन-वादकको मताधिकार दिया जा सकता है? जॉन न्टुअर्ट मिल चाहे जितने भी मेधावी रहे हों, लेकिन जब वे सत्रह वर्षके थे तब ग्रीक और लैटिनके नमन्त ज्ञानके वायजूद उन्हें मताधिकार नहीं प्राप्त था। अल्प वयमें ही अद्भुत प्रतिभाका परिचय देनेवाले इन व्यक्तियोंको मताधिकार क्यों नहीं दिया गया? मताधिकार चाहे किन्हीं प्रकारका ही कुछ-न-कुछ लोग उममें वचित रहेंगे ही। नहीं, यह ठीक है कि आज बहुतसे लोग मेरी स्थितिको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि कभी-न-कभी हो सकता है, मेरी मृत्युके बाद—वह दिन जरूर आयेगा जब लोग कहेंगे कि जो हों, गांधीका कहना तो ठीक ही था।

अब मात दज चुके थे और रामचन्द्रन्की गाटी छूट चुकी थी, लेकिन उन्हें जो-मुट मिल चुका था वह उमने हजार गुना ज्यादा कीमती था। हमरे दिन सुबह

प्रस्थान करनेसे पूर्व उन्हें फिर गाधीजीसे बातचीत करनेका सौभाग्य मिला। इस बार बातचीत तो कम ही हुई, लेकिन उसके परिणामस्वरूप रामचन्द्रन्ने आखिरकार गाधीजीका दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया।

तो बापूजी, मुद्दय चीज सत्य ही है? सौन्दर्य और सत्य एक ही चीजके अलग-अलग पक्ष नहीं हैं—यही न?

सत्य ही वह वस्तु है, जिसकी खोज सबसे पहले करनी चाहिए और फिर सौन्दर्य और शिवत्वकी प्राप्ति तो तुम्हें उसके साथ अपने-आप हो जायेगी। मेरे लेखे, ईसामसीह एक श्रेष्ठ कलाकार थे, क्योंकि उन्होंने सत्यका साक्षात्कार किया और उसे अभिव्यक्ति दी। ऐसे ही मुहम्मद साहब भी थे और उनकी 'कुरान' अरबी साहित्यकी सबसे सुन्दर, सबसे पूर्ण कृति है—कमसे-कम विद्वान् लोग तो ऐसा ही कहते हैं। चूँकि दोनोंने सर्वप्रथम सत्यको पानेका प्रयत्न किया, इसलिए स्वभावतः उनकी अभिव्यक्तिमें प्राजलता आ गई, मगर न तो ईसामसीहने और न मुहम्मद साहबने ही कलापर कुछ लिखा। इसी सत्य और सुन्दरके लिए मैं लालायित हूँ, इसीके लिए जीता हूँ और इसीके लिए मरना चाहता हूँ।

अगर आप सिंगर सिलाई मशीन और अपनी तकलीको अपवाद बनाते हैं तो फिर ऐस अपवादोका अन्त कहाँ होगा?

वहाँ, जहाँ यन्त्र व्यक्तिके लिए सहायक न रहकर उसकी वैयक्तिकतापर आक्रमण करने लगेंगे। यन्त्रको मनुष्यके हाथ-पैरोको निकम्मा नहीं बनाने देना चाहिए।

लेकिन, बापूजी, इस समय मेरे मनमें व्यावहारिक पक्षका खयाल नहीं था। एक आदर्शके रूपमें क्या आप यन्त्र-मात्रका परित्याग नहीं चाहेंगे? जब आप सिलाई मशीनको अपवाद बना रहे हैं तब तो आपको साइकिल, मोटर गाडी आदिको भी अपवाद बनाना पड़ेगा?

नहीं, इन्हे अपवाद नहीं बनाऊँगा। क्योंकि इनसे मनुष्यकी कोई बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं होती। कारण, मोटरगाडीकी तेज रफ्तारसे दूरी तय करना मनुष्यकी कोई बुनियादी आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत सूई जीवनके लिए एक आवश्यक वस्तु है—बुनियादी आवश्यकता है। लेकिन आदर्शके रूपमें तो मैं तमाम यन्त्रोका त्याग करनेको कहूँगा—ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं इस शरीरको, जो मोक्षके मार्गमें सहायक नहीं है, त्यागकर आत्माकी मुक्तिके लिए प्रयत्न करना चाहूँगा। इस दृष्टिकोणसे तो मैं यन्त्र-मात्रका त्याग कर देना चाहूँगा, लेकिन यन्त्र रहेंगे तब भी, क्योंकि वे भी शरीरकी तरह ही अनिवार्य हैं। जैसा कि मैंने बताया, शरीर तो स्वयं ही एक विशुद्धतम यन्त्र है, लेकिन यदि यह आत्माके उर्ध्वगमनमें बाधक है तो इसका त्याग करना होगा।

लेकिन यह एक अनिवार्य बुराई क्यों है? क्या आखिरकार कुछ कलाकार सौन्दर्यमें और सौन्दर्यके माध्यमसे सत्यको नहीं देख सकते?

हाँ, कुछ कलाकार देख सकते हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ भी करोड़ों लोगोको ध्यानमें रखकर सोचना है, और करोड़ों लोगोको हम सौन्दर्यबोधका ऐसा प्रशिक्षण नहीं दे सकते जिससे वे सौन्दर्यमें सत्यको देख सकें। पहले उन्हें सत्यके दर्शन कराओ और बादमें वे सौन्दर्यके दर्शन भी जरूर कर लेंगे। उडीसाकी बात सोच-सोचकर मैं सोते-जागते हमेशा परेशान रहता हूँ। उन लाखों-करोड़ों क्षुधित लोगोके लिए जो-कुछ लाभदायक हो सकता है, वह मेरे लिए सुन्दर भी है। पहले हम जीवनके प्राथमिक और आवश्यक उपादान जुटा दें, फिर जीवनका लालित्य और सौन्दर्य तो उन्हें अपने-आप प्राप्त हो जायेगा।

[अग्रेजीसे]

यम इंडिया, १३-११-१९२४ और २०-११-१९२४

### २१३. पत्र : वसुमती पण्डितको

[२२ अक्टूबर, १९२४]'

चि० वसुमती,

तुम्हें महादेव अथवा रामदास लिखता ही होगा, ऐसा सोचकर मैंने पत्र लिखनेमें टिलाई की है। लिखनेकी बात तो मनमें थी ही। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। साढ़े तीन सेर दूध पी जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह मात्रा कम करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा घूम-फिर भी लेता हूँ। यहाँ ३१ तारीखतक तो रहना ही है। उसके बाद कोहाट जाना पड़ेगा, ऐसा मानता हूँ। यह बात वाइसरायकी अनुमतिपर निर्भर करती है। आगा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। क्या पाखाना नियमित रूपमें हो जाता है? मणिलाल दक्षिण आफ्रिकासे यहाँ आ गया है।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५८) से।

सौजन्य वसुमती पण्डित।

## २१४. पत्र : डाह्याभाई एम० पटेलको

आश्विन वदी ९ [२२ अक्तूबर, १९२४]१

भाईश्री डाह्याभाई,

आपका पत्र मिला। आपकी पत्रिका तो मैं भूल गया हूँ। फिर भेज दीजिए। सन्देश यह है।

सत्यपर दृढ रहे। अपने प्रत्येक कार्यमें शान्ति बरते। अपने और देगकी खातिर चरखा चलाये, खादी पहने, हिन्दू और मुसलमान मिल-जुलकर रहे, हिन्दू अस्पृश्यको अपना भाई समझे और उनका स्पर्श करनेमें सकोच न करे। शराब पीनेवाले शराबका त्याग करे, अन्य व्यसन करनेवाले भी अपने-अपने व्यसन छोड़ दे, यह हम सबका कर्तव्य है और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें स्वराज्य जल्दसे-जल्द मिलेगा। 'नवजीवन' और 'यग इडिया' में फिलहाल जो कुछ प्रकाशित होता है, उसका मुझे भान है। मुझे लगता है कि वह सब निर्दोष है। ये अनुभव असामान्य नहीं हैं और सबके लिए उपयोगी हैं। इनके द्वारा अहिंसा और तपका पाठ मिलता है, जिसे सबको सीखना है। उनमें कुछ हदतक मेरी प्रशंसा आ जाती है, लेकिन वह अनिवार्य है और जबतक मैं सम्पादन-कार्य फिरसे अपने हाथमें न लूँ, तबतक क्षम्य ही है। तथापि आपका दृष्टिकोण भी विचारणीय है। इस प्रशंसाके प्रति मुझे निर्लप रहना चाहिए।

वापूके आशीर्वाद

भाई डाह्याभाई

ताल्लुका समिति

धोलका

वरास्ता अहमदाबाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २६९०) से।

सौजन्य डाह्याभाई एम० पटेल



## २१५. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

आश्विन वदी ९ [२२ अक्टूबर, १९२४]

चि० तारामतीके वारेमे पढकर दु ख हुआ।<sup>१</sup> उसे कष्ट हुआ और आनन्दको बडा कष्ट हुआ होगा, यह सोचकर मनको बडा क्लेश पहुँचा। जन्म-मरणके विषयमे तो मैं इतना उदासीन हो गया हूँ कि उसका असर मुझपर शायद ही होता हो। जैसे-जैसे सोचता हूँ, जन्म और मरण मुझे एक ही वस्तुके दो रूप जान पडते हैं। अभी कल ही अनायास एक वाक्य पढनेको मिला 'मनुष्य तू मृत्युसे क्यों दु खी होता है? मरणोपरान्त तो आत्माको सद्गति ही मिलती है। क्या तू विचार करके इतना भी नहीं देखता कि आत्मा नहीं मरती।' बुद्धि यह सब स्वीकार करती है, लेकिन बहुत बार हृदय स्वीकार नहीं करता, यही कठिनाई है। बल तो हृदयका ही सच्चा है। बुद्धि तो तुच्छ लगती है। बुद्धि कहे कि मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन हृदय स्वीकार न करे तो बुद्धिका कहा किस कामका?

[गुजरातीसे]

वापुनी प्रसादी

## २१६. पत्र : ना० श्री० खरे को

आश्विन वदी ९ [२२ अक्टूबर, १९२४]

भाई पण्डितजी,

आपका सुन्दर पत्र मिला। भक्त होना क्या कोई आसान बात है? तुलसीदासने अपने आपको शठ और सूरदासने पापी और अपग कहा है। फिर भला हमारी क्या विमात? हम सावधान रहे, इतना ही काफी है। आपका पत्र आपकी सावधानीका सूचक है। सँभलकर चलनेवाला और अपने आपको धोखा न देनेवाला व्यक्ति आगे बढ़ता ही जायेगा, क्योंकि वह हमेशा अपनी भूलोकी ओर नजर रखता हुआ उनसे बचनेका प्रयत्न करता रहता है।

वापूके आशीर्वाद

भाई पण्डितजी

मत्याग्रह आश्रम, नावरमती

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २५४) में।

सौजन्य लक्ष्मीबाई खरे

१. साधन-ग्रंथमे दो गई तारीखके अनुसार।
२. तारामतीने एक नृत शिशुको जन्म दिया था।
३. याक़ही सुहरसे।

## २१७. तार : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको<sup>१</sup>

[२२ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

आपको डाकसे विवरण-सहित एक हजार भेज रहा हूँ।

अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०३२२) की फोटो-नकलसे।

### २१८. प्रेमका नियम

एक भाईने मुझसे कहा है कि जहाँ मैं स्वराज्यवादियो, लिबरलो तथा अन्य लोगोको खुश करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ वहाँ ऐसा लगता है कि अपरिवर्तनवादियोका त्याग करता जा रहा हूँ और मुझमें जो परिवर्तन हो रहा है, उससे वे चकित-से हैं। इन भाईका कहना है कि मैं अपरिवर्तनवादियोके दृष्टिकोणसे अपनी स्थिति बताऊँ और मेरे रवैयेमें जो परिवर्तन होता दीख रहा है, उसे समझाऊँ। उनका अनुरोध है कि बम्बईमें एक्सेलिसियर थिएटरकी सभामें मैंने सहयोग अथवा सत्याग्रहके जिस सौम्य पक्षकी रूप-रेखा बताई थी<sup>२</sup>, उसकी स्पष्ट व्याख्या करूँ।

स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मेरे अपने विचारोंमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अहिंसात्मक असहयोग और उससे फलित बहिष्कारोंमें अब भी मेरा पूरा विश्वास कायम है। लेकिन अब मैं दिनके उजालेकी तरह साफ-साफ देख रहा हूँ (मगर उस दिन जुहू-तटपर नहीं देख पाया था) कि देशने कुल मिलाकर अहिंसाका मर्म और इसलिए उसके सामने जो असहयोग प्रस्तुत किया उसका मर्म भी नहीं समझा है। इसलिए मैं इस चीजको भी उतना ही साफ-साफ देख रहा हूँ कि यदि असहयोगको, उसके प्रभावकारी सिद्धान्त अहिंसाके बिना जारी रखा गया तो उससे देशकी हानि होगी। बहुत-कुछ हानि तो यह कर चुका है, क्यों कि इसके कारण देश परस्पर-विरोधी दलोंमें विभक्त हो गया है। इन परस्थितियोंमें राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमें असहयोगको कुछ कालके लिए स्थगित ही कर देना चाहिए। असहयोगका उद्गम सत्याग्रह है और सत्याग्रह और कुछ नहीं, प्रेम है। ससार प्रेमके नियमसे ही संचालित होता है—हम इस नियमको कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वस यह याद रखना है कि यह ऐसा तत्त्व है जो हमें एक-दूसरेके प्रति खीचता है और हमें बाँधकर एक बनाता है। मृत्युके रहते हुए भी जीवनका प्रवाह कायम है। ध्वंसका क्रम निरन्तर चल रहा है पर उसके बावजूद

१. यह २२ अक्तूबरको प्राप्त निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था “सत्याग्रह निधिमें से वांशक्रीके लिए एक हजार मासिक देनेकी सिफारिश करें। तत्काल आवश्यक है।”

२ देखिए “भाषण एक्सेलिसियर थिएटर बम्बईमें”, ३१-८-१९२४।

सृष्टिका क्रम बना ही हुआ है। असत्यपर सत्यकी विजय होती ही है। प्रेम घृणापर विजयी होता ही है और ईश्वर गैतानके विरुद्ध सदा विजय पाता रहता है।

मैंने जिस असहयोगकी कल्पना की थी, वह सबको प्रेम-सूत्रमे पिरोनेवाली चीज थी। लेकिन, कांग्रेसकी भीतरी फूटसे और उससे भी ज्यादा हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यसे यह स्पष्ट हो गया है कि असहयोग पिरोनेवाली नहीं, बिखरानेवाली चीज साबित हुआ है। इसलिए अब मुझे इसे स्थगित करनेकी सलाह देकर और अपनी ओरसे पूरा समर्पण करके इसके सौम्य पक्षको दिखानेकी कोशिश करनी है। ऐसा करनेके लिए मुझे अपरिवर्तनवादियोंको खुश करनेकी जरूरत नहीं है। उनका तो दावा है कि वे अहिंसा और उसके फलितार्थोंको जानते-समझते हैं। उन्होंने सब-कुछ छोड़कर रचनात्मक कार्यक्रममे अपना विश्वास जमा रखा है। मैं उस कार्यक्रममे रच-मात्र भी कमी नहीं करता। उसके विपरीत, मैं जो भी कदम उठा रहा हूँ, सबका उद्देश्य उसे बल देना ही है। हिन्दू-मुस्लिम समस्या सर्वोपरि महत्त्वका सवाल है। हम चाहते हैं कि इसके समाधानमे पूरे देशका लोक-मत तत्पर हो। अपना उद्देश्य पानेके लिए हम थोड़ा झुकना है। हम व्यक्तिगत रूपसे असहयोगके छोटेसे-छोटे अंशको भी कायम रखे, किन्तु साथ ही हमें चाहिए कि जो लोग इसमे विश्वास नहीं रखते, हम उनका मार्ग इसके लिए सुगम बनाये कि वे हमें और रचनात्मक प्रयत्नोमे देशको सहायता दे। गत चार वर्षोंके अनुभवोने हमें राह दिखा दी है। हमने बहुत-कुछ पाया है, लेकिन खोया भी बहुत है। हमें इन उपलब्धियोंको स्थायी बनाना है और जो-कुछ खोया है, उसे प्राप्त करना है। जन-जागृति हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसे कायम रखना है। पारम्परिक वैर-वैमनस्यका उदय हमारी सबसे बड़ी क्षति है। हमें इस क्षतिको जल्दी ही पूरा करना है। जबतक हम असहयोगके उग्र पक्षको स्थगित नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अपरिवर्तनवादी लोग किमी लायक हैं तो उनका कर्तव्य अपने अहभावको मिटाकर चुप-चाप काम करते जाना है। उन्हें शक्ति अथवा पद या नामके लिए झगडना नहीं चाहिए। परिणाम कुछ निकले या न निकले, उन्हें चुपचाप काम करते जाना चाहिए। अगर स्वराज्यवादी और लिबरल लोग कांग्रेसमे शामिल हो जाये तो उन्हें अपने इन सहयोगी भाइयोंकी मर्जीपर चलना चाहिए।

उसे करनेका तरीका दिग्गानेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि मैं स्वयं यह करके दिग्गाऊँ। इसलिए अभी तो मैं स्वराज्यवादियों और लिबरलोंके सामने अपनी सामर्थ्य-भर अधिकमे-अधिक समर्पण करनेमे लगा हुआ हूँ। अपरिवर्तनवादियोंके सामने समर्पण करनेको मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनसे मेरा कोई मतभेद नहीं है।

मुझे किमी पक्ष-विशेषके आदमीके रूपमे नहीं रहना है और मैं अपरिवर्तन-वादियोंको भी ऐसा ही करनेकी सलाह देना हूँ।

स्वराज्यवादियोंके नामने जो कठिन कार्य है, उसमे हमें बाधा नहीं डालनी है। जब कभी ऐसा प्रसंग आये कि अपरिवर्तनवादियोंके लिए तीव्र संघर्ष किये बिना बहुमतको अपने पक्षमे कर्ना अमम्भव हो जाये, उन्हें चुगी-चुगी और शोभनीय ढंगमे स्वराज्यवादियोंके नामने झूठ जाना चाहिए। जहाँ-कहीं वे सत्ता या पदपर

हो वहाँ उनकी यह स्थिति मत पानेके कौशलके बलपर नहीं, बल्कि अपनी सेवाकी वदौलत ही होनी चाहिए। मत देनेवाले लोग तो हैं ही, लेकिन मत प्राप्त करना है तो याचना किये बिना प्राप्त कीजिए। क्या यह देख सकना बिलकुल आसान नहीं है कि सेवाके लिए न सत्ताकी आवश्यकता है, न पद-प्रतिष्ठाकी? मैं तो चाहता हूँ कि हममे से हर आदमी केवल देशका सेवक बन जाये। मैं चाहूँगा कि अपरिवर्तनवादी लोग ऐसा व्यवहार करे कि स्वराज्यवादी, लिबरल तथा अन्य सब उनकी आवश्यकता महसूस करे। लेकिन, वे ऐसा करे या न करे, मुझे तो अपने विश्वासके अनुसार बरतना ही है। ईश्वरने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी पिछली बैठकमे मुझे तौलकर देखा और पाया कि मुझमे कमी है। मेरे अहकारने कहा कि स्वराज्यवादियोसे मुझे अभी और जूझना चाहिए। लेकिन, मेरा तृप्तिहीन सेवाभाव मुझसे कहता है कि मुझे न स्वराज्यवादियोका विरोध करना चाहिए, न लिबरलोका और न अग्रेजोका ही। मुझे हरएकको दिखा देना चाहिए कि मैं जो कहता हूँ, वही हूँ — अर्थात् मैं हरएकका मित्र और सेवक हूँ। मेरा धर्म ईश्वरकी, और इसलिए मानवताकी सेवा है। लेकिन, अगर मैं एक भारतीयके नाते भारतकी और हिन्दूके नाते भारतीय मुसलमानोकी सेवा नहीं करता तो मैं न ईश्वरकी सेवा कर सकता हूँ, न मानवताकी। स्वेच्छासे सेवाका अर्थ है शुद्ध प्रेम। इसलिए अगले वर्ष मुझे इस बातके लिए अपनी शक्ति-भर पूरा प्रयत्न करना है कि अपने छोटेसे-छोटे काममे भी मैं अपने हृदयका सम्पूर्ण प्रेम उडेल सकूँ।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, २३-१०-१९२४

## २१९. तार: अबुल कलाम आजादको<sup>१</sup>

[२३ अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

मी० अ० क०

कलकत्ता

मुहम्मद जानेमे असमर्थ। डा० महमूदसे कहे।

गाधी

अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे।

१ यह जयलपुरसे सुन्दरलालका २३ अक्टूबरका तार प्राप्त होनेके बाद भेजा गया था। वह तार इस प्रकार था “समझोतेकी कोशिश कर रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजादको तत्काल सीधे जानेके लिए या अगर यह न हो तो मौलाना मुहम्मद अली अथवा उतने ही प्रतिष्ठित किसी अन्य मुसलमानको भेजनेके लिए तार दें। अविलम्बनीय। तार द्वारा उत्तर दें।”

## २२०. तार : वाइसरायके निजी सचिवको

२४ अक्तूबर, १९२४

वाइसरायके निजी सचिव  
वाइसरीगल कैम्प

मेरे १६ तारीखके पत्रका<sup>१</sup> जवाब क्या मुझे तारसे भेज सकेंगे ?

गांधी

अग्रेजी प्रति (एस० एन० १५९१२) की फोटो-नकलसे।

## २२१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

२५ अक्तूबर, १९२४<sup>२</sup>

परमप्रिय चार्ली,

तुम्हारे स्नेह-मिक्त सन्देश प्रति दिन मिल रहे हैं। तुम्हे भी ऐसा मान लेना चाहिए कि मैं भी अपना स्नेह-सन्देश प्रति दिन भेजता ही हूँ। मैं विलकुल ठीक हूँ। पत्र लिखते समय यंग-परिवार मेरे पास ही है। मैं इस वगलेमे आवश्यकता हुई तो नवम्बरके शुरुके भी कुछ दिनतक ठहरूँगा। रघुवीरामिहने बहुत कृपा की है।

सस्नेह,

तुम्हारा,  
मोहन

अग्रेजी पत्र (जी० एन० २६२०) की फोटो-नकलसे।

१. डेविड "५२ वाइसरायके निजी सचिवको", १६-१०-१९२४।

२. राहसी दस्तावे, स. अ. नं. २५ " १९२५ " है।

## २२२. हिन्दू और मुसलमान

एकता मम्मेलन तो एकताका आरम्भ-काल ही है। उसके प्रस्ताव अपूर्ण, उगम उपस्थित लोग अपूर्ण, सो उमका आरम्भ भी अपूर्ण ही रहा है। फिर भी यह मम्मेलन बहुत महत्त्वपूर्ण था। इसकी जड़ें गहरी जायेगी। इसके रोपे कोमल वृक्षकी रक्षा करना, उसे पानी सींचना हमारा काम है।

गहरा विचार करनेपर हमें दिखाई देगा कि यह जटिल प्रश्न एक ही तरहमें हल हो सकता है। कोई कानूनको अपने हाथोंमें न ले। मैं मानता हूँ कि वह मामनेवाला घर मेरा है, भिन्न इतनेसे ही उसपर कब्जा करके बैठ जाना जगलीपन है। मुझे अपना हक पचायतमें या अदालतमें साबित करना चाहिए और पक्षके अथवा अदालतके निर्णयको गिरोधार्य करना चाहिए। जहाँ इस नियमका पालन नहीं होता, उस समाजका नाश होता है। यदि दोनों पक्ष इस मुनहले नियमके अधीन हो जायें तो फिर कुछ कहनेकी जरूरत ही नहीं रहती। परन्तु जहाँ एक पक्ष मार-पीट ही करना चाहता हो वहाँ भी यदि दूसरा पक्ष उक्त नियमका पालन करे तो उनका काफी है। अन्तमें उस पक्षकी हानि नहीं होगी, यह निश्चित बात है। फर्ज कीजिए कि मेरे घरपर एक तीमरे ही शरसने कब्जा कर लिया। इस हालतमें किसी भी सुव्यवस्थित समाजमें पक्ष लोग मुझे मेरा हक फिरसे वापस दिलायेगे ही। इसने घटिया किस्मके समाजमें यह काम अदायत करती है। पक्षोंका दण्ड होता है लोक-मत, अदालतका दण्ड होता है कैदखाना या बन्दूक। हर प्रकारकी व्यवस्थामें मारपीट न करनेवालेको अपना हक फिरसे वापस मिल सकता है।

जबतक हम इस अनिवायं नियमके अधीन न होंगे तबतक हमारे बीच झगडे हाँते ही रहेंगे, इसमें कोई शक न करे। और तबतक ऐसे झगडे हाँते रहेंगे, तबतक शान्तिपूर्ण उपायोंके द्वारा हम कभी स्वराज्य न ले सकेंगे। इसे स्वयंनिर्दिष्ट ही समझिए। ही सफ़ता है कि हिन्दू और मुसलमान दोनोंमें मे फ़िन्कीको भी स्वराज्य दरकार न हो और स्वराज्यमें ज्यादा पसन्द झगडे ही हो। ऐसे लोगोंको तो समझाना ही बेकार है। परन्तु जो स्वराज्य चाहते हैं उनका काम तो पूर्वोक्त नियम स्वीकार किये बिना चल ही नहीं सकता। हम लोगोंको, जिन्हें कि स्वराज्यके बिना जीवित रहना कठिन है, मारपीटके जगली कानूनके अधीन कभी भी नहीं होना चाहिए।

परन्तु पचायतमें या अदालतमें जानेके दृष्ट निश्चयके बावजूद कुछ ऐसे प्रसंग आ सकते हैं, जब मनमें या बेमनमें मार-पीटमें शरीर होना अथवा भाग जाना या शान्तिके साथ भ्रष्टुको स्वीकार करना जरूरी हो जाता है। मैं भ्रष्ट-शान्त करना हुआ मन्जिरके मामनेन निकरूँ और मुझपर कोई हमला करे तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ही घरमें कोई ब्रह्म बनाने का जारी तो मुझे क्या करना चाहिए अथवा कोई गरीब मुसलमान गानगी तीसरा जाने घरमें गा ब्रह्म लगे और उधर हिन्दू

लोग टूट पड़ें तो उसे क्या करना चाहिए? इन तीनों मिसालोंमें इतना समय नहीं है कि कानूनकी राह देखी जाये। तब सम्बन्धित लोगोंको क्या करना उचित है?

यदि वे शान्तिके साथ मरना जानते हो तो यह उत्तम उपाय है। पचोसे निर्णय करानेका उपाय भी इस उपायकी बराबरी नहीं कर सकता। परन्तु सभी लोग ऐसा बलिदान नहीं कर सकते। तब क्या उन्हें मौकेपर से भाग जाना चाहिए? यह तो कायरका लक्षण है। तब आम तौरपर एक ही इलाज रह जाता है। ऐसे समय उन लोगोंको मारपीट करके भी अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। सुव्यवस्थित तन्त्रमें यह हक हरएक व्यक्तिको है और होना भी चाहिए।

परन्तु ऐसे अवसर क्वचित् ही आते हैं। अच्छे आदमीकी सौमें शायद एक-आध बार ही ऐसी कसौटी होती है। सामान्यतया देखा यह गया है कि जो आदमी शान्त बैठ रहता है, उसकी कसौटी ईश्वर नहीं करता। यदि हम निष्पक्ष दृष्टिसे देखेंगे तो भीमे निन्यानवे उदाहरण हमें ऐसे दिखाई देंगे जहाँ कि मारपीटमें दोनों पक्ष थोड़े-बहुत जिम्मेदार होते हैं। इन तमाम मिसालोंमें यदि एक पक्ष भी दोष रहित रहनेका निश्चय करे तो रह सकता है और जो ऐसा दोष-रहित रह जायेगा उसीकी जीत समझिए।

[ गुजरातीमें ]

नवजीवन, २६-१०-१९२४

## २२३. तार : वाइसरायके निजी सचिवको'

२७ अक्तूबर, १९२४

वाइसरायके निजी सचिव  
वाइसरायके कैम्प

तारके लिए धन्यवाद। मेरा विचार दिल्लीमें अपने मायियोंके साथ १ नवम्बरको अथवा उसके बाद यथामुम्भव शीघ्र रवाना होनेका है। उसके बाद मैं दो या तीन दिन रावल्पिंडीमें ठहरकर कोहाट जाना और वहाँ तीन-चार दिन रहना चाहता हूँ।

गांधी

जयन्ती प्रति (एन० एन० १५९.१२) की फोटो-नकलमें।

१. यह वाइसरायके निजी सचिवके २६ अक्तूबरके निम्न तारके जवाबमें भेजा गया था "आपने अपने १६ अक्तूबरके पत्रमें यह नहीं बताया है कि आप कोहाट कब जाना चाहते हैं। कृपया इसके तार द्वारा अवगत कर दें।"

## २२४. पत्र : लाला लाजपतरायको

२७-२८ अक्तूबर, १९२४<sup>१</sup>

प्रिय लालाजी,

आपने गायद इस २४ तारीखका 'मिलाप' पढा होगा। इसमें एक लडकीका वयान छपा है, जिसमें उसने अली भाइयोपर अपराधका आरोप किया है। वह वयान मैंने मौलाना मुहम्मद अलीको दिखा दिया। उनके उत्तरकी एक नकल साथ भेज रहा हूँ। क्या आप इस अखवारके सम्पादकसे मिलकर यह पूछेंगे कि उनके पास इस वयानमें लगाये गये आरोपोको सिद्ध करनेके लिए क्या और भी प्रमाण है? मेरे विचारसे उन्हें वक्तव्यको छापनेसे पहले उसकी एक नकल मौलाना साहबको भेज देनी चाहिए थी। मेरे विचारसे अब जो करना चाहिए वह यह है कि सम्पादक महोदय सम्बन्धित लोगोसे इन आरोपोको या तो सिद्ध करनेके लिए कहें या जहाँतक जरूरी हो वहाँतक उन्हें वापस ले लेनेको कहे। पत्रोके रूपमें वयानकी सचाईकी जाँच करने दे तो हमे इस मामलेको अपने हाथमें ले लेना चाहिए। यदि यह वयान, अली भाइयो और दूसरोपर लगाये गये आरोपोको छोडकर भी, अन्य बातोमें काफी हदतक सही हो तो भी यह मामला ऐसा है जिसकी जाँचकी सुविधा दी जाये तो हमे अवश्य ही इसकी जाँच करनी चाहिए। अगर आप मुझसे सहमत हो और 'मिलाप' के सम्पादक हमारी सहायता करे तो मैं वोर्डके सदस्योसे बातचीत करूँगा।

मैंने अपने और अपने साथियोके लिए कोहाट जानेकी अनुमति माँगी है। यदि अनुमति मिल गई तो मैं पहली नवम्बरके आसपास यहाँसे रवाना होना चाहता हूँ। क्या आप चल सकते हैं? यदि आपका स्वास्थ्य इस योग्य न हो तो आप किसका नाम सुझाते हैं? यदि आपके आनेसे आपका स्वास्थ्य दिगडनेकी तनिक भी आशका हो तो मैं नहीं चाहता कि आप आये। मेरा अन्तर्मन तो कहता है कि मैं आपसे इस बातके लिए कहूँ ही नहीं, लेकिन चूँकि ऐसी खबर है कि आप इस समय पहलेसे ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि आपसे निवेदन तो कर ही दूँ।<sup>१</sup> दो-तीन दिन रावर्लपिंडीमें और इतने ही दिन कोहाट भी ठहरनेकी सोच रहा हूँ।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गाधी

अग्रेजी पत्र (एम० एन० १५९३७) की फोटो-नकलसे।

१ देखिए "पत्र लाजपतरायको", २८-१०-१९२४।

२ मूल वाक्यमें कुछ शब्द पढे नहीं जा सके हैं। उन्हें अनुमानसे यथास्थान भरकर इसका अनुवाद किया गया है।



## २२५. पत्र : देवदान गांधीको

देता है [ २७ अक्टूबर, १९२४ ]

वि० देवदान,

मुझसे पत्र मिला। मैं विचरनेवाला था नहीं मिला। तुमने आर्यो परमं जो-मुट्ट लिखा है, वही मुझसे मिलने पावे भी था। इन 'मन प्रीत्या' के लिए मैं टिपणियां चाहते हूँ, उन्हें भेजने के लिए मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ। मेरी ज्यादा समझ तो गरीबी की भावनाओं से बचता है। लंबे अरसे बाद मैं, जिना का मतलब हुआ था। १. राम राम, २. राम राम, ३. राम राम, ४. राम राम, आधा घंटा लगाना — इस तरह बात बदे तो उनी परमं मिलने पावे है। फिर यह मान्यता भी है कि गानो तोई ताम नहीं रहे, उसे मैं एक पत्ती काग मोर राम हूँ। मनेरे मान बजेत नों मिनाके ही पत्र लगता है। पर गानो कि गानो कि कितने पदे बने ? २१ दिन उद्योगों परना। मेरी स्थिति बाबू-सेना ही गई जाता। मुझे अपनी देव-भाऊ उनी तरह ही उनी पत्र ली है किन तरह प्रतीति ही जाती है। उनी बाबू उद्योग मुझे प्रिय है उनी किना उनी मुझसे ही जाता।

बाबूके आनीबाद

देवदान

सत्याग्रह आश्रम

गुजराती पत्र ( जी० एन० २१२७ ) की फोटो-नकलें।

## २२६. तार : अब्दुल बारीको<sup>२</sup>

[ २७ अक्टूबर, १९२४ या उसके पश्चात् ]

मौलाना अब्दुलबारी साहब

फिरगी महल, लखनऊ

आपका तार मिला। कुछ विश्वमनीय गवाह यहाँ भेजे जाने चाहिए।

गांधी

अग्नेजी प्रति ( एम० एन० १०८९२ ) की माइक्रोफिल्मसे।

१. टाऊकी मुहरसे।

२. यह अब्दुल बारीके २७ अक्टूबरके तारके जवाबमें भेजा गया था। इस तारमें अब्दुल बारीके लखनऊमें हिन्दू-मुस्लिम तनावमें सम्बन्धित एक मामलेके बारेमें गवाही देनेकी जरूरत बताई थी और गांधीजीसे पूछा था कि क्या वे गवाही देना चाहेंगे।

## २२७. तार: वाइसरायके निजी सचिवको<sup>१</sup>

[ २८ अक्टूबर, १९२४ ]

तारके लिए धन्यवाद। यद्यपि मैं वाइसराय महोदयके निर्णयको माने लेता हूँ फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि रावलपिंडीमे पड़े हुए हिन्दू शरणार्थियोंको कोहाट जानेके लिए तबतक उत्साहित करनेका मेरा कोई इरादा नहीं था जबतक कोहाटके मुलमान प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत करनेके लिए तैयार और उत्सुक न हो। यदि मुझे कोहाट जानेकी अनुमति दे दी जाती तो मेरा विचार यह था कि अपने मुसलमान मित्रोंकी सहायतासे मैं मुसलमानोंके साथ अपने मित्रतापूर्ण सम्बन्धोंका, जो मेरा विश्वास है कि मेरे और इनके बीच है, उपयोग एक प्रेमपूर्ण समझौता करवानेके लिए करता। मेरा खयाल यह था और अब भी है कि कोहाटमे दोनों जातियोंमे हार्दिक एकताकी स्थापना अधिकारियोंकी अपेक्षा गैर-सरकारी लोग अधिक अच्छी तरह करा सकते हैं। अधिकारी चुपचाप कई गैर-सरकारी तरीकोंसे इस काममे निस्सन्देह सहायता दे सकते हैं। किन्तु मेरा अबतकका सतत अनुभव यह है कि अधिकारी लोग दोनों पक्षोंको एक-दूसरेपर प्रहार करनेसे तो रोक सकते हैं, पर पारस्परिक शत्रुताकी भावना दूर करके उनमें फिरसे मित्रता नहीं करा सकते। चूँकि मैंने लोगोंको यह विश्वास दिलाया था कि मैं जल्दी ही कोहाट जाऊँगा इसलिए यदि वाइसराय महोदयकी अनिच्छा न हो तो मैं यह पत्र-व्यवहार प्रकाशित करना चाहता हूँ।

गाधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १५९१२) की फोटो-नकल तथा यंग इंडिया, ३१-१०-१९२४ से भी।

१ निजी सचिवके २८ अक्टूबरके तारके उत्तरमें। तारमें कहा गया था कि लॉर्ड रीटिंगकी रायमें गाधीजीका कोहाट जाना समझदारीका काम नहीं होगा।

## २२८. पत्र : लाला लाजपतरायको

(पिछले पत्रके मिलागिनेमें!)

२८ जनवर, १९२४

प्रिय लालाजी,

आपको पत्रका पत्र गिनेके बाद यादगारके निम्नी गनितने मझे मुक्ति दिया है कि कोलाटकी वनमान अवस्थाको देखते हुए मझे यहाँ जानेकी अवसरिता नहीं दी जा सकती। मैं नारे पत्र-व्यवहारको बीच ही प्रस्तावित करनेकी आज्ञा करता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? भेग गया है, अब गार्जनीमें भेग कोई उपयोग नहीं रह गया। मैं बेचारे शर्णाभियाको कोई समझती तो दे नहीं जाता। मेरे नामने अब गवाल यह है कि हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नके सम्बन्धमें मुझे पताच अभी जाना चाहिए या बादमें, उमका निर्णय आप ही करें।

बंगालमें स्थिति कितनी विपन्न है। पता नहीं ३० नारीयकी वहाँ मरगज्य परिपदकी बैठक हो रही है या नहीं। मुझे अबनाक तो मोतीयाजीका कोई पत्र नहीं मिला है। श्री दास कल ललकता चले गये।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गाधी

अगेजी पत्र (एम० एन० १५९३८) की फोटो-नकलने।

## २२९. पत्र : वसुमती पण्डितको

कार्तिक सुदी २ [२९ अक्टूबर, १९२४]<sup>१</sup>

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरे हजारों आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारे लिए सुखकी कामना नहीं करता, लेकिन यह कामना अवश्य करता हूँ कि तुममें दुःखको भी सुख माननेकी शक्ति आये। सुख किसे कहना चाहिए, यह कौन जानता है। जो दुःख प्रतीत होता है, कौन जाने, वही सुख हो। इस भावका एक श्लोक है, जिसका अर्थ यह है कि विपत्ति विपत्ति नहीं है, सुख सुख नहीं है, ईश्वरका

१. देखिए "पत्र - लाजपतरायको", २७/२८-१०-१९२४।

२. डाककी मुहरसे। कार्तिक सुदी २, वि० सं०, ३०-१०-२४ को पड़ी थी। इसलिए यह गलत माद्रस पड़ती है। यहाँ "कार्तिक सुदी १" होना चाहिए था।

विस्मरण ही विपत्ति है और उसका स्मरण ही सुख है।<sup>१</sup> तुम्हें वही सुख प्राप्त हो। तुम्हें हजीरा जानेका विचार छोड़ना नहीं है। अगर वहाँ पाखाना साफ न होता हो तो हजीरा जानेका विचार करना ही ठीक है। तुम लिखना। फिर उसीके मुताबिक व्यवस्था करूंगा।

दापूके आशीर्वाद

[ पुनश्च ]

अगर मैं रामदासका पता अग्रेजीमें लिखूँ तो उसके नामके साथ “स्ववायर” जोड़ूंगा। लेकिन, तुम देखोगी कि आज मैंने “श्रीमती” शब्द छोड़ दिया है।

वह शब्द “निरिक्षण” नहीं, ‘निरिक्षण’ है।

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५९) से।

सौजन्य वसुमती पण्डित

## २३०. सन्देश : संयुक्त प्रान्त राजनीतिक परिषद्, गोरखपुरको<sup>२</sup>

दिल्ली

३० अक्टूबर, १९२४

बंगालमें सरकारने जो राजनीति अब ग्रहण की है उससे सबको दुःख हो रहा है, होना ही चाहिए। परन्तु वह दुःख राजनीतिकी अराजकताके कारण नहीं है, बल्कि उसका शीघ्र उत्तर देनेकी हमारी अशक्तिके कारण है। मुझे आशा है और मैं चाहता हूँ कि हम इस सफटके समय धैर्यका त्याग न करें। क्रोध और अधैर्यके बश होकर हम सच्चे उपायकी खोज न कर सकेंगे, ऐसा मेरा दृढ मन्तव्य है। अमली कार्यका उत्तर अमली कार्य ही हो सकता है। हम दावा करते हैं कि सरकारकी अशान्त नीतिका उत्तर हम शान्त नीतिसे ही दे सकते हैं। अशान्त कार्यका उत्तर शान्त कार्यसे ही दे सकते हैं। यदि यह बात सत्य है तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह शान्त कार्यको कर सकते हैं। थोड़ा खयाल करके ही हम देख सकते हैं कि हमारे अमली कार्यमें बाधा डालनेवाली सबसे बड़ी वस्तु है, हिन्दू-मुसलमानके बीचमें अन्तर पड जाना, सर्व-साधारणको एकत्र करनेमें बाधा डालनेवाली वस्तु चरखा और खदरके प्रति हमारी उदासीनता और हिन्दू-जातिको नष्ट करनेवाली वस्तु अस्पृश्यता है। इस त्रिदोषको जबतक हम नहीं मिटाते तबतक मेरी अल्पमति मुझको यही

१ मूल श्लोक इस प्रकार है

विपद्गो नेव विपद् सम्पदो नेव सम्पद ।

विपद् विस्मरण विष्णो सम्पद् नारायणस्मृति ।

२ यह ‘सरकारी अराजकताकी दवा’ शीर्षकसे छपा था।

कहती है कि हमारे भाग्यमें सरकारी कामकाज, हमारी परभावता और हमारी कमाती नहीं ही हुई है। इसलिए मैं कोसिसी पाई हमारी सहाय नहीं है मरणा। अगर हम उन तीन कामोंमें सफलता प्राप्त कर पा जायें तो हमारे मनु १९२०-२१ में दिगार्य भी हममें भी प्राप्त हो जायें। आज दिगार्य नहीं है और कामकाज ही क्या, हमारे भाग्यमेंकी विपत्तियों हमें दूर कर नहीं देती।

मोहनदास गांधी

हिन्दी नवजीवन, २-११-१९२४

## २३१. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

दिल्ली

३० अक्टूबर, १९२४

प्रिय मोतीलालजी,

जबसे वाउमराय महोदयने यह बातें लिखा है, मैं बराबर वहीं सोचना रहा हूँ कि इन परिस्थितियोंमें हम क्या कर सकते हैं और अपनी लाचारीके भानने में बेचैन कर दिया है। यही हमारा निष्कर्ष है। हमें उपायही या योगोंमें कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी तो हमें उन तृप्तानों अपने गिन्पर ही सोचना है। कुछ दिनोंके लिए हमें सिर्फ अपने विचार प्रकट करते रहनेसे पुनर्ने तरीकोंको फिरने अपना लेना चाहिए और भारतका समस्त जनमत उन बातपर केन्द्रित करना चाहिए कि सरकार विलकुल ही मनमाने तरीकोंमें काम ले रही है। इसलिए हमें इन सिद्धान्त-पर ही प्रहार करना चाहिए कि सरकार अमाधारण तरीकोंमें काम ले सकती है। इस उद्देश्यको ध्यानमें रखते हुए हमें सरकारने १८१८ के विनियम ३ को भी रद्द करनेको कहना चाहिए। अगर सरकार यह कहती हो कि सरकारको अमाधारण परिस्थितियोंमें असाधारण अधिकारोंकी जरूरत होती है तो हमारा कहना यह है कि ये अधिकार वह निर्वाचित प्रतिनिधियोंकी सम्मतिसे ही प्राप्त कर सकती है। मैं जानता हूँ कि इतना कर पाना भी हमारे लिए कठिन है और यह बात मुझे बहुत खटकती है। लेकिन, अभी तो मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता।

इतना तो जो-कुछ अखिल भारतीय पैमानेपर करना है, उसके बारेमें। अब, अगर मुझे आपका अर्थात् व्यक्तिशः आपका और स्वराज्यवादियोंका साथ मिल जाये तो मैं कार्य समिति या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीसे यह कहूँ कि वह, जिन तीन वस्तुओंकी बात हुई है, उन्हींके सम्बन्धमें जमकर प्रयत्न करे। अगर कांग्रेस सुबद्ध तथा अनुशासित हो जाये तो उसके बलपर मैं फिर सरकारकी कार्रवाईका जवाब जनताकी कार्रवाईसे देनेकी कोशिश करूँ। लेकिन, जबतक ऐसा नहीं होता, जबतक हिन्दू और मुसलमान एक मत नहीं होते और जबतक हम खादी तथा अस्पृश्यताके सम्बन्धमें कुछ ठोस कार्य करके नहीं दिखाते तबतक मुझे तो कारगर तरीकेसे कोई

प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकनेकी सम्भावना नहीं दिखाई देती। बगालकी गिरफ्तारियोंके समयसे ही मेरे मनमे बार-बार यह विचार आ रहा है कि अगर स्वराज्यवादियोंने मेरे प्रस्तावोका उत्साहपूर्वक समर्थन नहीं किया तो मुझे कांग्रेससे अलग हो जाना चाहिए। मैं तो बस ऐसा सुबद्ध सगठन तैयार करना चाहता हूँ जो हर पुकारपर उत्साहके साथ उठ खड़ा हो। यह सगठन चाहे जितना छोटा हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। दूसरी तमाम अहिंसात्मक प्रवृत्तियाँ चालू रहे। उनकी उपयोगिता मैं एक हदतक समझ सकता हूँ। लेकिन मेरा निश्चित मत है कि अगर कोई व्यक्ति एक अनुशासित और प्रभावकारी सगठन तैयार करनेकी ओर ध्यान नहीं देता तो उन प्रवृत्तियोसे कोई लाभ होनेवाला नहीं है। मुझे यह सोच-सोचकर बड़ा दुःख और अपमानका अनुभव होता है कि आज हम सरकारकी चुनौतीका कोई कारगर जवाब नहीं दे सकते, मेरा खयाल है, आप मुझसे जो-कुछ जाननेकी अपेक्षा रख सकते हैं, मैंने सब बतला दिया है। मैं आपको निम्नलिखित तार भेज रहा हूँ ।

जब दास साहब दिल्लीसे गुजर रहे थे, उन्हें मैंने एक छोटा-सा पत्र भेजा था। आप उनसे कह दे कि मैं दिल्लीमें कुछ इस कारण नहीं पडा हुआ हूँ कि मुझे यहाँ से निकलनेकी इच्छा नहीं है। बात दरअसल यह है कि इससे पहले मैं अखवार देखता ही नहीं था। लेकिन गिरफ्तारियोंके बादमे मेरी नजरमे जो भी अखवार आते हैं, सबमे उनसे सम्बन्धित एक-एक बातको मैं बड़ी उत्सुकतासे पढ़ता और सुनता हूँ।

आप नागपुर जा सके, इस बातसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और यह जानकर तो और भी कि आपने दोनो पक्षोको अपनी ओर मीलाना साहबकी पचायत स्वीकार करनेको राजी कर लिया।

आशा है आप सकुशल होंगे।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देमाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सीजन्य नारायण देसाई

१ साधन-सूत्रमें नदी दिया गया।

## २३२. पत्र : गंगावहन वैद्यको

कार्तिक सुदी २ [३० अक्टूबर, १९२८]

पूज्य गंगावहन,

मैं बराबर आपको लिखनेकी मोचना रहा, लेकिन लिख नहीं पाया। मोर्छे हुई शक्ति प्राप्त करनेमें मैं रूना जुट गया हूँ। आपको दुःखमें पूरा लिखना बँडाना चाहता हूँ। आप जो ज्ञान और शक्ति प्राप्त करना चाहती हैं, उन्में पूरी मदद देनेकी मेरी इच्छा है। अतिर तो न हो ती। नातामग्न अन्त ही तो कुछ ज्ञान और शक्ति तो जानें-अनजाने, अनायास ही मिल जातो है। आपका गंगाचार चि० देवदास और चि० भगवन्दास भेजने ती रहने ती।

इस वर्ष आपकी नारी शुभेच्छामें पूरी हो, उन्में लिख आपकी मेरा बहुत-बहुत आशीर्वाद।

वापू

गुजराती पत्र (सी० उ०२५० ६०३९) में।

सीजन्य गंगावहन वैद्य

## २३३. पत्र : देवदास गांधीको

कार्तिक सुदी २ [३० अक्टूबर, १९२८]

चि० देवदास,

स्वामीने शिकायत की है कि तुम अपने स्वास्थ्यका पूरा खयाल नहीं रखाते। मैं चाहता हूँ, तुम शरीरकी सार-सँभाल करते हुए अपना काम करो। चिन्ता तो विलकुल नहीं करना।

पूज्य गंगावहनका पत्र दे देना। मन तो होता है कि बहुत लिखूं, लेकिन जबतक शरीरकी खास सार-सँभाल करनी है, तबतक ज्यादा तो लिख ही नहीं सकता। वाइसरायकी ओरमें अस्वीकृति<sup>१</sup> आ गई है, इसलिए अगर मैं वहाँ तुरन्त पहुँच जाऊँ तो कोई आश्चर्य नहीं।

अब मेरा घूमने जानेका समय हो गया है।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० एन० २०४७) से।

१ खोई हुई शक्तिकी पुन प्राप्तिके उल्लेखसे प्रकृत होता है कि पत्र सन् १९२४ में उपवासके बाद लिखा गया होगा।

२. कोहाट जानेकी अनुमति मांगी थी, उसकी अस्वीकृति।

## २३४. पत्र : मणिवहन पटेलको

कार्तिक सुदी २ [ ३० अक्टूबर, १९२४ ]<sup>१</sup>

चि० मणि,

तुम्हारा पत्र मिला। अधिक बार लिखो तो बहुत अच्छा।

वापूको<sup>२</sup> आज लिखा है। चिन्ता छोड़ देनेको कहा है।

तुम फिर हजीरा जानेका विचार नहीं करोगी? पास होनेके लिए वधाई चाहिए क्या? चाहिए तो समझ लेना, वधाई दे दी। डाह्याभाई एक विषयमें<sup>३</sup> असफल हो गया। कोई बात नहीं। असफल होनेका अर्थ है, उस विषयमें अधिक प्रवीण बनना। असफल होनेवाले विद्यार्थी अकसर निराश हो जाते हैं। यह भूल है। जो आलसी हो या जिनकी नजर नौकरीपर हो वही निराश हो सकते हैं। जो अध्ययनशील है उनके लिए तो असफलता अधिक प्रयत्नका सुअवसर होती है।

वापूके आशीर्वाद

चि० मणिवहन

मार्फत — वल्लभभाई पटेल

खमासा चौकी, अहमदाबाद

[ गुजरातीसे ]

वापुना पत्रो ४ -- मणिवहेन पटेलने

## २३५. दो दृश्य

जब मैं १९२१ में पुरी गया था, वहाँ मुझे कई ऐसी चीजे देखनेको मिली, जिन्हें मैं आसानीसे भूल नहीं सकता। लेकिन, उनमें से दो ऐसी थी, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। एकका खयाल तो मेरे मनमें दिन-रात बना रहता है।

उन दिनों पुरीमें एक बड़े परोपकारी पुलिस सुपरिटेण्डेंट थे। वे एक अनाथालय चलाते थे। उन्होंने मुझे वह अनाथालय दिखाया। उसमें बहुत-से स्वस्थ, प्रसन्न और हँसमुख बच्चे थे। वे तरह-तरहके कामोंमें लगे हुए थे। कोई चटाई बुन रहा था तो कोई टोकरी बना रहा था, कोई कात रहा था तो कोई कपडा बुन रहा था। सुपरिटेण्डेंटने मुझे बताया कि वे सबके-सब अकाल पीड़ितोंके बच्चे थे और

१ साधन-सूत्रमें तिथि १० नवम्बर, १९२४ दी गई है। लेकिन कार्तिक सुदी २, ३० अक्टूबर, १९२४ को पड़ी थी।

२ सरदार वल्लभभाई पटेल, मणिवहनके पिता।

३ गुजरात विद्यापीठकी स्नातक परीक्षा।



उनमें से कुछ के शरीरमें ता, जब उन्हें प्राण गया था, उन्होंने अपने अंगों और कुछ रहे ही नहीं गया था।

उनके बाद वे मुझे उम पति। पुमान मन्दिरके प्रिपुत्र पाते पर मुझे क्षेम ले गये, जहां पुरीके दर-गिरके वाग्द भी के भीतरके उपायों में रने ताँ अतः योचित लोग दृष्टि किये गये थे। तब ताँ प्रिपु उम पतिवामे पाठ शिवा गया था। उनमें से कुछ ही जाते ता नेत्र भूजातिवा। तब और अमुताम उपायों के कारण सेवाके कारण ही बनी थी। उपायने मजरायाने पता पनेने चाकर शरीरपर उनके बीच बाँटा था। उनही प्राण-महित क्षीणन-श्रीशार शानी आ रहा था। वे निराना ही जीती-जानती तापीने थे। आप उनही पर्याय आगानेसे मिल गाने थे, पर-मक नम चाफ देना सकते थे और मांनोंशिवत और मांन तो शिवाई ही करी दे रहा था। जो-कुछ देना सकते थे, वह निरक मूर्त्ती, उर्रादार तमने और शिवा ही थे। उनही आत्माके कोई चमक नहीं थी। ऐसा लगता था, माना न करना सकते थे, उम में मुट्ठी-भर चाकर मिल जाना था, उनके अंगमा जाय तिमो चीजमें उनही कोई कचि नहीं थी। पैनेके प्रिपु काम करनेको भी वे तैयार नहीं थे। चाकर प्रेमवज तैयार हो जाते। कुछ ऐसा लगता था, माना वे पाते और जीनेकी जितना उठानेका भी तभी तैयार थे, जब आप स्वय उम मुट्ठी-भर चाकर दे देने। वे पुरण और शिवा, हमारे ये भाई और बहन, तिल-तिलकर घुलते हुए भीर-भीरे भीतके मुँहमें जा रहे हैं — यह मेरे जानते सबसे ज्यादा दुःखद घटना है। उनही निरमनमें सनन उपवान ही वदा हुआ है और जब वे कभी-कभी मुट्ठी-भर चाकर पाकर अपना उपवान तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानों वे, हम जो आरामकी जिन्दगी जी रहे हैं, उनका उपहाम कर रहे हैं।

मुर्परटेडेटेमें मैंने पूछा “उन लोगोंने अनाथोंकी तरह क्यों नहीं रखा जा सकता ?” “वे काम नहीं करेंगे और न वहाँ रहनेको ही तैयार होंगे”—यह था मुर्परटेडेटेका जवाब। वे चाकर उतना और कह सकते थे कि अगर ये हजारों स्त्री-पुरुष काम करनेको तैयार भी हो जाये तो भी इन सबके लिए किसी अनाथाश्रममें व्यवस्था कर सकना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

चिरकालसे भूखकी ज्वालामे तडपते रहने और तिल-तिलकर मरनेकी यह समस्या भारतके अलावा दुनियाके और किसी देशमें नहीं है। मनुष्यको उसकी समस्त जातीय गरिमासे वचित करनेकी यह प्रक्रिया और कहीं नहीं दिखाई देती। इसलिए इसका समाधान भी मौलिक होना चाहिए। इस समाधानको ढूँढनेके लिए हमें इस भारी दुर्घटनाके कारणोंका पता लगाना होगा। ये लोग भूखकी ज्वालामे इसलिए तडप रहे हैं कि बाढ़ अथवा वर्षाकी कमीके कारण उडीसामे वर्षोंसे अकालकी स्थिति है, उनके पास कठिन समयमें सहारा देनेवाला और कोई धधा नहीं है। इसलिए वे वरावर बेकार रहते हैं। यह बेकारी इतने दिनोंसे चली आ रही है कि उन्हें बेकार रहनेकी आदत पड गई है। उडीसाके हजारों लोगोंके लिए बेकारी और भुक्तमरी एक आम स्थिति हो गई है। लेकिन, जो बात उडीसाके साथ लागू होती है, वही बात कुछ कम पैमानेपर भारतके दूसरे बहुत-से हिस्सोंपर भी लागू होती है।

हम बाढको रोकनेके उपाय गोज सकते है। लेकिन उममे वर्षो लगेगे। हम लोगोको चेती-चाडीके अच्छे तरीकोमे काम लेनेको भी प्रेरित कर सकते है। लेकिन, उममें और अधिक समय लगेगा और जब हम बाढोको रोक देगे और करेओ लोगोके बीच चेतीके जायुनिक तरीकाका पचार कर देगे तत्र भी जगर किसान काम करना चाहेगे तो उमके लिए उनके पास काफी समय थप रह जायेगा। लेकिन, उन मुधारोमें कई पीडितोका समय उग जायेगा। उम बीच करेओ भूखे लोग भूगके भेडिएको आने दग्वाजोमे दूर कैमे रहे ? उत्तर है — चरखेके बखर। लेकिन, तब समस्या यह जाती है कि जो लोग काम करनेको तैयार ही नहीं है, उनसे चरखा भी कैमे चलाया जाये ? उत्तर है — हम कार्यकर्ताओके प्रयत्नोमे, शिक्षित और अच्छे साते-पाते लोगो द्वारा उमे अपना लेनेके जरिये। जब ऐने हजारो लोग, जिन्हे खुद अपने लिए कताई करनेको जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष और मच्चे उदाहरण प्रस्तुत करेगे तो भूने स्त्री-पुरुष भी तहज ही उनका अनुकरण करनेको प्रेरित होंगे। इसके अलावा, जब हम खुद कताई करना शुरू करेगे तभी हमे ऐमे पर्याप्त कुशल कर्तये मिल सकेगे जो आवश्यक प्रारम्भिक प्रशिक्षण दे सकेगे, नही टैंगके चरखे चुन सकेगे, मरम्मत आदि कर सकेगे, और अन्तमे, बिना कोई पारिश्रमिक लिये प्रेम और सेवा-भावमे कताई करनेके कारण चादी भी अवश्य मन्ती हो जायेगी। हम अधिक अच्छे किम्मका सूत भी कात सकेगे। इसलिए यदि हम अपने अकाल-पीडित भाइयोमे तादात्म्य स्थापित करना चाहते है तो हम कताई मदम्यतापर आपत्ति करनेके बजाय उमे सर्वसाधारणकी निरन्तर बढ़ती हुई कष्टकर गरीबीका नमस्याके समाधानका नवमे अच्छे तरीका मानकर उमका स्वागत करेगे।

[अग्नेजीने]

वग इडिया, ३१-१०-१९२४

## २३६. हितोका संघर्ष

आगिर जिमकी आगका थी वह होकर ग्ही। वाइसरायने जो वम विस्फोट किया है, उमका पूर्वाभाम हमें अग्नेजी अववारोमे मित्र गया था। यह उनकी ओरसे हिन्दुओके नव-वर्षपर बगालको और बगालके माध्यममे सारे देशको दिया गया उपहार है। वाइसराय महोदयके इस कदमसे हमें कोई आश्चर्य अथवा भय नहीं होना चाहिए। रौलट अधिनियम मर चुका है, लेकिन उमके पीछे जो भावना थी, वह तो बराबर तरोताजा बनी हुई है। जबतक अग्नेजोके हित भारतीय हितोके विरुद्ध है तबतक वैप्लविक अपराध या उनका खतरा कायम ही रहेगा और जबतक यह स्थिति बनी हुई है तबतक जवाबमें रौलट अधिनियमके नये-नये संस्करण सामने आते ही रहेगे। अहिंसात्मक असहयोग इसका एक उपाय था। लेकिन, हममे इसे दीर्घकालतक और काफी दूरतक आजमाकर देखनेका धैर्य नहीं था। अब हम इसपर विचार करे

कि अंग्रेजोंके हित भारतीयोंके हितके लिए है। आजादीके लिए भारत को आर्थिक प्रगतिके लिए सबसे अधिक ध्यान देना है। भारतीयोंके हितके लिए यह है कि वह लक्षणात्मक या लोई भी अन्य विदेशी देशों या मूल व्यवस्था भी न मँगाये। लेकिन, लक्षणात्मक मित्य-मार्गक राष्ट्रीयताके और बिना वास्तविक भय उस अनतिक्रमवादीका क्या छाने ? मैं ऐसे जीवित उदाहरण देता हूँ कि हमने भारतीय किमानोंको बरबाद कर दिया है और उनके भवितव्यके लक्षणोंके लिए हमने भारतको मोटी-मोटी तन्त्रवादी पानेवाले अंग्रेज अतिरिक्तियों पर विचार करना अनिवार्य करने उठाना पड़ता है। राष्ट्र के उचित हितोंके लिए यह है कि वे अतिरिक्तियों चाहे जितने भी कार्य-कुशल हों, उनके लक्षणोंके अनुसार ही रखा जाये, चाहे वे कितने भी अकुशल तथा न हों। आसानी उद्योगके क्षेत्रमें काम नहीं ले सकते। भारत अंग्रेज सिपाहियोंके लिए प्रशिक्षण-स्वयंसेवा काम देना है और अंग्रेज भारत सरकारके सम्पूर्ण राजस्वके अर्थोपार्जनमें भी अतिरिक्तियों तथा वेजेंसके फौजी बजटके लिए पैसा जुटानेको करते रूपमें उम्मीद रखना-सोपान ही किया जाता है। यहाँ कि भारतीयोंके हितका साफ तजजा यह है कि वह अपनी रक्षा आप ही करना सीखे — भले ही फिरहाल वह यह काम भी ठीकमें नहीं कर पाये। वह अपनी बाल्य या आन्तरिक सुरक्षाके लिए विदेशियोंपर — वे विदेशी चाहे जितने भी समर्थ और नेतृत्वपूर्ण हों — निर्भर करे, उसका मतलब अपना तीन-चौवाँ पीछा मँगा देना है।

जो उचित है, उसे करनेके लिए अंग्रेज ज्यादा अच्छी स्थितिमें है, क्योंकि वे शासक हैं। जो लोग सरकारी नौकरीमें नहीं हैं उन्हें — अर्थात् सामान्य अंग्रेज नियो और पुरुषोंके विशाल समुदायको — अंग्रेजी हुकूमतके अन्तर्गत परिणामोंको समझना चाहिए। कहते हैं, शान्ति और सुरक्षा अंग्रेजोंके हुकूमतका नहज बरदान है। किन्तु, यह बरदान स्वतन्त्रताके अपहरण और निरन्तर बटनी गरीबीके मुकाबले कुछ नहीं है। वाइसरायने अपनी कार्रवाईका बड़ा उम्मा-चीजा कारण बताया है। लेकिन, फिर भी मैं कहूँगा कि परमश्रेष्ठ अपनी स्वेच्छाचारितापूर्ण कार्रवाइयोंका औचित्य सिद्ध नहीं कर पाये हैं। वे एक हिंसात्मक कार्रवाई करनेवालोंको सजा दी जानी चाहिए। मैं अराजकताका पक्ष-पोषक नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि उससे देशकी कोई भलाई होने-वाली नहीं है। लेकिन, अपराध करनेके लिए या अपराध करनेका प्रयत्न करनेके लिए सजा देना एक बात है और अधिकारियोंको बिना वारंटके और सो भी सिर्फ सन्देशपर किसीको गिरफ्तार करनेका मनमाना अधिकार देना बिलकुल दूसरी बात है। अभी जो-कुछ हो रहा है, वह इतना ही है कि सन्दिग्ध लोगोंको आतंकित किया जा रहा है। लेकिन, पिछला अनुभव बताता है कि जब-कभी सरकार उतावलेपन और ध्वराहटमें कोई काम करती है तो दोषी लोगोंसे कहीं अधिक सत्यामें निर्दोष लोग ही सजा पाते हैं। हर व्यक्तिको मालूम है कि पञ्जाबमें १९१९ में जिन लोगोंको सजा दी गई उनमें बहुत ज्यादा सत्या ऐसे लोगोंकी थी जिन्होंने कभी भी वे अपराध किये ही नहीं थे, जिन्हें करनेका उनपर आरोप लगाया गया था। जब-कभी कोई

सरकार सत्ताका मनमाना उपयोग करती है तो उसका मतलब यही होता है कि जनमत, उसके साथ नहीं है।

देशबन्धु दासने बगाल कौंसिलमें अपने कार्यसे यह साफ बतल दिया है कि जनमत बगाल सरकारके साथ नहीं है। इस सरकारी मान्यताको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने आतकवादका कोई सिलसिला कायम कर दिया है। इस आरोपके समर्थनमें कोई प्रमाण नहीं है। आतकवादके बलपर सर्वसाधारणके बीच चुनाव नहीं जीते जा सकते और न किसी बड़े दलको ही एक करके रखा जा सकता है। उनमें ऐसी कोई सहज खूबी अवश्य है जिसके कारण जनताने उन्हें बगालके अपने विशाल दलका निर्विवाद अविनायक बना रखा है। कारण स्पष्ट है। वे सत्ता जनताके लिए चाहते हैं। वे शासकोके सामने घुटने नहीं टेकते। वे इस तिहरे भारसे बगाल और भारतको मुक्ति दिलानेके लिए व्यग्र हैं। जिस क्षण वे कोई और राग अलापना शुरू करेंगे, ज्यो ही वे कहेंगे कि वे जनताकी आजादी नहीं चाहते, त्यो ही वह आतक-नीति, जिसका उनपर आरोप लगाया जाता है, उनके किसी काम नहीं आयेगी और वे अपना सारा प्रभाव खो बैठेंगे। यह ठीक है कि देशबन्धुसे मेरे कुछ मतभेद हैं, किन्तु उनके कारण मैं उनकी ज्वलन्त देशभक्ति या महान् त्यागकी ओरसे अपनी आँखें बन्द नहीं कर सकता। उन्हें अपने देशसे उतना ही प्रेम है जितना कि हममें से अच्छेसे-अच्छे व्यक्तिको हो सकता है। जो लोग उनके दाहिने हाथका काम करते थे, उन्हें उनसे अलग कर दिया गया है। वे सबके-सब बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं। उनमें जनताका विश्वास है। उन्हें यह लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए कि उनपर सामान्य रीतिके अनुसार अदालतमें खुला मुकदमा चलाया जाये? ऐसे लोगको असाधारण अधिकारोंके अधीन मनमाने तौरपर गिरफ्तार करना वर्तमान शासक-प्रणालीकी बुराईको सबसे अच्छी तरह खोलकर रख देता है। मुट्ठी-भर लोगोका करोड़ों लोगोके बीच सगीनो, गोला-बारूद और असाधारण अधिकारोंके बलपर रहना गलत और असभ्य आचरण है। इसमें सन्देह नहीं कि इससे सरयामे अधिक लोगोपर अपनी सत्ताकी धाक जमानेकी उनकी क्षमता प्रकट होती है, किन्तु साथ ही यह सभ्यताकी पतली परतके नीचे छिपी उनकी बर्बरताका भी द्योतक है।

आज बगालियोंकी कसौटी हो रही है। उनमें मैं आदरपूर्वक यही कहूँगा

यदि आप निर्दोष हैं और मैं मानता हूँ कि आपमें से अधिकांश निर्दोष ही हैं, तो अगर आप अपने कारावासको सही भावनासे स्वीकार करेंगे तो उससे आपके देशका और स्वयं आपका भी कल्याण ही हो सकता है। आप कष्ट-सहनके विना स्वतन्त्रता नहीं पा सकते।

जो लोग सचमुच विप्लववादी हैं और हिसामे विश्वास रखते हैं, उनसे मेरा यह निवेदन है

आपके देश-प्रेमका मैं आदर करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आपके प्रेममें विवेक नहीं है। मेरे विचारसे भारतको हिंसा बलके नहीं, बल्कि बदलेमें अपना हाथ उठाये बिना शुद्ध कष्ट-सहनके द्वारा ही स्वतन्त्रता दिलाई जा सकती है।

यह सबमे अन्त और सबसे जल्दी सफरगा विमानेताग मरीगा है। लेकिन, अगर आप हिमात्मक तरीकेमे अपने विन्यासपर समय ही रचना सही है-नी भेग अनगो है कि आप गुणे तीरार य... करनेसे साहस्य है कि आप उम मरीकेमे विन्यास रगते है और उमहा परिणाम, चाहे तः भाय ही क्या न हो, सेनेतो विमान दिगाये। उम तरह आप अपना साहस्य ही उमानसरी मिय रने हीर वरन-मे लागोहो अनिच्छापूर्वक तः मरनेमे रना लगे।

[अगेजीमे]

यग इडिया, ३१-१०-१९२८

## २३७. सफलताकी कुंजी'

[३१ अगस्, १९२८]

यखदा जेमे कुछ उर्द-नाहित्य मेरे हाथ लग गया था। उमने प्राग उरप्रमता हार्द जाननेका मुझे अपूर्व लाभ मिया। मोरना अवत कथाम जाजारती ही हर्द पुस्तक 'हिन्दुस्तानी शिक्षक' तो मेरे पास थी ही। उो पठकर और भी आगे पडनेकी मेरी उत्सुकता बढी। शुण्व कुरैयीके पास जो पुस्तक मुझे पडने लायक माहूम हुई, मैंने मंगा ली थी। लेकिन मैं तो बडा जीर हों उठा था, उगलिए भारतीय भाषाओकी पुस्तकोके लिए जेल-पुस्तकालय छानने बैठ गया। आनन्द और आनन्दके साथ मैंने पाया कि वहां उर्दू, मराठी, तमिल, कन्नड और गुजराती पुस्तके भी थी। जाहिर है कि पुस्तके थोड़ी ही थी, लेकिन उम समय मेरे कामके लायक पुस्तके वहां मौजूद थी। मुझे जो सूची मिली थी उममे मुसलमान कैदियोंके लिए कुछ उर्दू धार्मिक पाठ्य-पुस्तके भी थी। मैंने उनको मांग लिया। वे पुस्तके लखीरही किमी गस्थाकी तरफमे प्रकाशित की गई थी। मैं बडा प्रमत्त हुआ। मेरे मनमे विचार आया कि इससे मेरा उर्दूका ही ज्ञान न बढेगा, बल्कि इन पाठ्य-पुस्तकोके द्वारा मुझे यह भी देखनेको मिलेगा कि मुसलमान वालोको क्या-क्या सिताया जाता है। दूसरी पाठ्य-पुस्तकमे कितने ही बडे उपयोगी और शिक्षाप्रद पाठ हैं। एक पाठमे पैगम्बर साहबके कुछ जीवन-प्रसंगोका वर्णन है। पैगम्बर साहबकी नम्रता, उदारता, मनु-मित्रके प्रति सम-भाव, क्षमाशीलता, समयकी पाबन्दी और ईश्वरके डरका परिचय देनेवाली— मनुष्यको भला और धर्मनिष्ठ बनानेवाले सब गुणोको दिखानेवाली कथाएँ उसमे है। उदाहरणके तौरपर, जो यहूदी साहूकार पैगम्बर साहबको गाली देने और उनकी निन्दा करनेके लिए गया था, उसके साथ उनका वर्ताव लीजिए। हजरत उमरको लगा कि उसमे मुशिदका बडा अपमान हो रहा है। वे उसे सहन न कर सके। लेकिन पैगम्बर साहबने, अपने मरीदको बुरा-भला कहकर कहा कि उसकी असली

१ मूल अंग्रेजी लेख मुहम्मद अलीके साप्ताहिक कॉमरेडमें प्रकाशित हुआ था। इसके अन्तिम दो अनुच्छेदोका मिलान अमृतवाजार पत्रिका द्वारा कॉमरेडसे उद्धृत मूल अंग्रेजी पाठसे कर लिया गया है।

रकम तो उमको दे ही दो लेकिन अपने कुसूरके प्रायश्चित्त स्वरूप उमे थोडी रकम और दो। इन अपूर्ण वताविका परिणाम ऐसा हुआ कि जिसकी हजरत उमरने उम वक्त जरा भी आशा न की थी। कहा जाता है कि उस यहूदीने इस्लाम-धर्म स्वीकार कर लिया। उमी पाठमे एक गैर-मुस्लिमकी नान भी आती है। एक बार पैगम्बर साहबको एक पेडके नीचे अकेले, बिना हथियार सांते देख, एक शरम उनके पाम गया और कहने लगा — 'बोल, मुहम्मद !' इय वक्त तुजे कौन बचा सकता है ?' उत्तर मिला — 'अल्लाह'। वह थर-थर कापने लगा, उसके हाथमे तलवार गिर पड़ी। पैगम्बर नाहवने तखवार उठा ली और फिर उमसे पूछा — 'अब तू कह, तुजे कौन बचा सकता है ?' उम नाम्तिरने कांपते-कांपते जवाब दिया 'तेरे मिवा कोई नहीं।' पैगम्बर नाहवने उमकी जान नहीं ली, उदारतामे उसे माफी बरग दी। वह गैर-मुस्लिम उमी क्षण मुसलमान बन गया।

यज्ञों और विरोधियोंके प्रति नम्रताके ये एक-दो उदाहरण ही नहीं है। मीलाना शिवलीके लिखे पैगम्बर साहबके जीवन-चरितमें ऐसे बड़े-बड़े प्रसंगोंके वर्णन है। तबलीग या जुद्धिका तरीका बताते हैं — आदर्श आचरण। यही मेरे नम्र विचारके अनुसार मर्यादा और उचित धर्म-प्रचार है। आदर्श आचरण द्वारा प्रचार करना ही निर्दाप, निष्कलक, अचूक और नमर्य प्रचार है।

केवल यह दिखानेके लिए मैं यह नहीं लिख रहा हूँ कि किम तरह प्रचार करना चाहिए। मेरा उद्देश्य तो है पैगम्बर साहबके जीवनसे सबको शिक्षा-ग्रहण करना। यदि हम हार्दिक एकता स्थापित करना चाहते हैं तो पैगम्बर साहबकी क्षमाशीलता और सहिष्णुताका अनुकरण करना होगा।

यदि उम लेखको पटनेवाले हिन्दू-पाठानेपर पैगम्बर साहबके जीवन-प्रसंगोका अनर न हो तो उन्हें 'रामायण' और 'महाभारत' के पत्रे उलटने चाहिए। उसमे उन्हें उदारतायुक्त सहिष्णुताके अनेक उदाहरण मिल जायेंगे। हमें बड़े-बड़े विधि-निषेधात्मक प्रस्तावोंकी आवश्यकता नहीं है। अपने स्वार्थको लक्ष्य बनाकर बात करनेकी भी जरूरत नहीं है। हम लोग यदि केवल अपने-अपने धर्मके मूल तत्त्वोंके अनुसार ही काम करें तो हम ममज्ञ जायेंगे कि गत दो वर्षोंमे हममें से कितने ही लोग धर्म-द्रोही और उन्धर-द्रोही बन गये हैं। एक-दूसरेपर अपना अधिकार करनेके लिए बल-प्रयोग करके हम स्वयं अपनी आत्माके साथ बलात्कार कर रहे हैं। दोनों कौमे अपना कर्तव्य करनेके बजाय, कर्तव्य-पालनके द्वारा अधिकार प्राप्त करनेके बजाय, केवल अधिकारपर ही जोर दे रही हैं और अपना कर्तव्य भूल गई हैं।

भारतवर्ष एक पक्षी है। हिन्दू और मुसलमान उसके दो पख हैं। आज ये दोनों अपग हो गये हैं और पक्षी आकाशमे उड़कर स्वतन्त्रताकी आरोग्यप्रद, शुद्ध हवा लेनेमे अममर्य हो गया है। इस प्रकार देशको अशक्त-असमर्थ बना देना न हिन्दुत्वका सिद्धान्त है, न इस्लामका। क्या मुसलमानोंको दुर्बल बना देना हिन्दुओंका धर्म है ? क्या हिन्दुओंको दुर्बल बना देना मुसलमानोंका और मुसलमानोंकी मदद न करना हिन्दुओंका धर्म है ? क्या धर्मको स्वातन्त्र्य और मानवकी सभी उत्तमोत्तम उपलब्धियोंका विनाश करके एक विनाशकारी शक्ति बनना चाहिए ? हिन्दू हो या

मुसलमान हो, पारसी हो या ईसाई, गरिब हो या दूबरी तोड़े तोम हो, लेकिन हिन्दुत्वानी कहलानेवाले नव जोगामे परस्पर मरिपुत्रताका हाना ही पाना जीव न्यानन्यायी एकमात्र शतं है। हिन्दुओंको और मनमानोरो यह समझानेके लिए ही 'कामरेड' और 'हमदर्द' फिर शुरू हुए हैं। 'कामरेड' और 'हमदर्द' का मत करने मीळाना मुहम्मद अली अपने मित्रपर आशय ही एक वही जिम्मेदारी ठे करे है। किन्तु वे सुझावे करनेवाले व्यक्ति हैं, उनको गुनापर भगना है। ईसाई, हमें जो प्रगाढ़ अन्वहार लगता है, उनमें प्रकृत सिमाना है। ईसाई उनही प्रांताके नाव में भी ईश्वरमें यह प्रार्थना करेगा कि उनके कार्यको सफलता मिले, उनको तबमें हमेंना शत्रु और मित्र, सबके लिए उचित शब्द ही निकले, वे सब और उनके सहायकका कभी क्रोध या आवेशमें आकर कुछ न लिखे। 'कामरेड' और 'हमदर्द' में लिखा एक-एक शब्द अपने देश और उनके द्वारा मानव-जातिके लिए कृपापूर्ण सिद्ध हो और उस अनेक धर्मवाले देशमें उनके दानों अन्वहार विभिन्न धर्मग्रन्थियोंके बीच शान्ति और सद्भावना बसाये।

अली भाइयो और मेरे दरम्यान जो द्विती दोस्ती है, उसे जाहिर करनेका एक भी मौका मैंने नहीं गँवाया है। वे पाके मुसलमान होनेका दावा करते हैं और हैं भी, मैं पक्का हिन्दू होनेका दावा करता हूँ, किन्तु उन वानमें हमारे दरम्यान सच्चा प्रेम और पूर्ण विश्वास कायम रहनेमें कभी कोई बाधा नहीं पड़ी। यदि ऐसी दोस्ती कुछ मुसलमानों और हिन्दुओंके बीच रह सकती है तो फिर गणितके नीचेमें नियमके अनुसार करोड़ों हिन्दुओं और करोड़ों मुसलमान भी, यदि वे चाहें तो, ऐसी दोस्ती अपने बीच पैदा कर सकने हैं। मुझे भरोसा है कि 'कामरेड' और 'हमदर्द' हर तरीकेसे और मुग्यत इस्लामकी श्रेष्ठतम और उच्चतम विशेषताओंको पेश करते, इसी प्रकारकी दोस्तीको बढ़ावा देगे। ईश्वर उनके इस प्रयत्नमें शीघ्र ही पूर्ण सफलता प्रदान करे।

हिन्दी नवजीवन, २-११-१९२४

## २३८. सन्देश : गुजराती पत्रकारोंको'

मुझे लगता है कि हमारे देशमें जिसको दूसरा कोई काम नहीं मिलता वह यदि थोड़ा भी लिखना जानता हो तो अखबारनवीसी करने लग जाता है। इन दिनों मेरे सिर उत्तर भारतके बहुत-से उर्दू अखबार पढनेका काम आ पडा है। उनसे मेरे उपर्युक्त विचारकी बहुत पुष्टि होती है। गुजरातीके अखबारोंके सम्बन्धमें भी मेरा अनुभव कुछ ऐसा ही है। ऐसी हालतमें अखबारोंके सम्पादक एकत्र होकर यदि अपनी लेखनीपर कुछ अकुण रचना तय कर सके तो यह अभीष्ट है। इसमें दो मत ही नहीं सकते। सम्पादकका पद आजीविकाके लिए नहीं, बल्कि केवल लोक-सेवाके

१ अहमदाबादमें गुजराती पत्रकारोंका एक सम्मेलन होनेवाला था। यह सन्देश उसीके लिए दिया गया था।

ही लिए है—ऐसी जवाबदेही जो सस्था हमें सिखाती हो वह स्वागत योग्य है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी सस्था ऐसी ही सिद्ध होगी।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २-११-१९२८

## २३९. मेरा असंतोष

'यग उडिया' में मैंने वाड्सराय साहबके 'वम' के बारेमें जो-कुछ लिखा है, उसमें मुझे जरा भी सन्तोष नहीं हुआ है। कड़वा लेख मृत्युसे भरा होनेपर भी किसी कठोर कार्यका जवाब नहीं होता। बगालमें सरकारने जो राजनीति अपनाई है, वह एक कठोर कार्य है। उसका जवाब किमी-न-किमी कार्यके ही द्वारा दिया जा सकता है। अगारेकों हम जिग तरह पानीमें ही बुझाते हैं, उसी तरह इस अगारे-रूपी कार्यका भी शमन हम शान्तिपूर्ण कार्यके द्वारा ही कर सकते हैं।

पर वह शान्ति लाये कहाँसे ? "शान्तिमय असहयोग" और "मविनय अवज्ञा", ये तो आज शब्द-मात्र रह गये हैं। यदि आज हिन्दू-मुसलमान आपसमें न लड़ते होते, यदि आज हिन्दुस्तानमें लाखों नर-नारी सूत कातते होते, यदि आज अस्पृश्यताके मैलको हिन्दुओंने धो डाला होता तो वाड्सराय साहबका यह वम फूट ही नहीं सकता था।

पर हम शान्तिको भूठ गये हैं। जरा भी वहाना मिला कि हिन्दू-मुसलमान आपसमें लड़ने लग जाते हैं। चरखेका प्रचार भी नगण्य ही हुआ है। विदेशी कपड़ा अभीतक हमें प्रिय है। अस्पृश्यताका प्रायश्चित्त थोड़े ही हिन्दुओंने किया है। ऐसी हालतमें सरकारके आतंकका जवाब देनेके लिए लोगोंके पास कोई भी साधन नहीं है। सरकारने देशबन्धु दामके पर काट लेनेका प्रयत्न किया है और बगाल तथा दूसरे प्रान्त भी टुकुर-टुकुर देख रहे हैं। विरोध और नापसन्दगी जाहिर करनेवाले लेखोंका तो ढेर लग गया है, पर उसमें अधिक करनेकी शक्ति हममें दिखाई नहीं देती।

यही है, मेरा असन्तोष।

जब कार्यकी दवा मुझे कार्यके रूपमें मिल जाती है तब तो मुझे मौन रह कर बैठ जाना ही अधिक प्रिय है। मैं यदि सम्पादक न होता तो शायद चुप ही रह जाता। पर मैंने सोचा कि एक सम्पादककी हैसियतसे मुझे अपनी राय जरूर प्रकाशित करनी चाहिए। इसीसे मैंने 'यग उडिया' में वह लेख लिखा। शायद आगे भी मुझे बोलना या लिखना पड़े।

पर यह सब मेरे लिए अतिशय कष्टकर है। १९२१ में जब सरकारने ऐसी नीति चलाई थी, तब मुझे जरा भी चिन्ता नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय मैं यह समझता था कि हमारे पास तो अक्षीर इलाज है और उसका प्रयोग भी हम जानते



है। पर अब यह शक्ति हुआ है कि हम उपाय प्रयोग करना नहीं जानते — उमीने मैं दुखी हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाठशाला भी उन बातों जगता ही दुःख हो। एवताके सूत्रों में और अब तब बने गताङ्गी भाग्यता कोन दुःख दे गता है? उमे तो हूराग कुठ करने ही जगता ही नहीं —भी।

पर यह सीधी-सी बात मैं लिखे, लिख तबत गताङ्क? मैं ना मुनजमानतो गले लगाकर, जन्पृथ्यतो स्पृथ्य गताङ्क तथा गूत तानर गता दिगानेकी तोजिश कर रहा हूँ। मुने तनिक भी गन्देह रही कि गताङ्कके दुःखता निवारण उमीने है, हिन्दुस्तानता छुटकारा उमीने है।

[ गुजरातीमें ]

नवजीवन, २-११-१९२४

## २४०. टिप्पणी

### गुजरात नहीं हारा

इस बार तो आन्ध्र प्रदेश गुजरातको मान नहीं दे पाया, लेकिन जगमें गुजरातके लिए प्रसन्न होनेकी कोई बात नहीं है। “जहाँ पेड नहीं होते, वहाँ एरण्ड ही पेड माना जाता है”, उन न्यायसे गुजरात प्रथम स्थानता उपभोग कर रहा है। गुजरातको सच्ची शक्तिका विकास करना है और इसके लिए १,७०० कर्तये ही पर्याप्त नहीं है। गुजरातकी नव्वे लाखकी आवादीमें से कताङ्क-यज्ञ करनेवाले केवल १,७०० लोग निकले, यह काफी नहीं है। ये तो दो प्रतिशत भी नहीं हुए। हमने-हम दस हजार कर्तये हो, तब कही लगभग दस प्रतिशत होंगे। मैं जानता हूँ कि कार्यकर्ता इसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। अतः, किमीको दोष नहीं दिया जा सकता। यदि इसमें दोष किसीका है तो वह हमारी परिस्थितिका है। इस दोषको समझना हमारा कर्तव्य है। यदि हम उमे समझ लेंगे तो उसे दूर करनेका विशेष प्रयत्न करेंगे। हम नियमित रूपसे कातनेवाले लोगोको समझ लेना चाहिए कि केवल इमीमें — सादीके प्रचारमें और विदेशी कपडेके त्यागमें ही — हमारा आर्थिक और इसलिए राजनैतिक उद्धार निहित है। तभी हम इस अमूल्य काममें दृढतासे लगे रहेंगे और अपनी लगनसे औरोको भी प्रभावित कर सकेंगे।

कातनेवाले भाडयो और वहनोको यह भी जान लेना चाहिए कि मासकी १५ तारीखतक तो अखिल भारतीय खादी बोर्डको सूत मिल जाना चाहिए। १५ तारीख तो सभी स्थानोसे केन्द्रमें सूत पहुँच जानेकी तिथि है। किन्तु, कर्तयोको अपना हिसाब महीनेकी आखिरी तारीखको ही कर लेना चाहिए और इसी कारण हमने अग्रेजी मास अपनाया है, क्योंकि बहुत-से प्रान्तोमें अलग-अलग सवत्सर चलते हैं और मुसलमान भाई हिसाब-किताब हिजरी सन्के अनुसार रखते हैं। अतः अग्रेजी मासके अनुसार हिसाब करनेमें ही आसानी है। गुजरातको तो अपना सब सूत इकट्ठा करके

प्रतिमास ५ अथवा ७ तारीखतक केन्द्रको पहुँचा देना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य नियमित रूपसे करे तो बहुत सारा समय बच जाये। लेकिन जब बहुत लोगोको कोई कार्य सामूहिक रूपसे करना हो, तब यदि काम नियमित रूपसे नहीं किया जाये तो सब-कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है और बहुत समय नष्ट होता है। अत मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक कर्तैया, प्रत्येक उप-समिति और प्रत्येक प्रान्तीय कमेटी अपना दिन निश्चित कर लेगी तथा उसके अनुसार नियमपूर्वक अपना सूत भेजेगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २-११-१९२४

## २४१. तार : चित्तरंजन दासको

[२ नवम्बर, १९२४]

आपका तार मिला। रविवार<sup>१</sup> को पजाब मेलसे चलूंगा। आपके यहाँ ठहरेगा। आशा है भीड-भाड न होने देगे। अब भी स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि अधिक श्रम, शोरगुल, भीड-भाड तथा अन्य प्रदर्शन सह सकूँ।

[अग्रेजीसे]

अमृतवाजार पत्रिका, ३-११-१९२४

## २४२. तार : घनश्यामदास बिडलाको

दिल्ली

२ नवम्बर, १९२४

घनश्यामदास बिडला

कैनिंग स्ट्रीट

कलकत्ता

मगलवारको सुबह पजाब मेलसे कलकत्ता पहुँच रहा हूँ।

गाधो

अग्रेजी तार ( सी० डब्ल्यू० ५९९८ ) से।

सौजन्य घनश्यामदास बिडला

## २४३. सन्देश : ' वंगाली' को'

२ नवम्बर, १९२४

मेरे पास देने योग्य कोई सन्देश नहीं है। मैं क्या कहूँ? मैं गोन रहा ह। मैं इस अन्धेरेमें प्रकाश पानेका प्रयत्न कर रहा हूँ।

[अंग्रेजीमें]

अमृतबाजार पत्रिका, ७-११-१९२४

## २४४. पत्र : हिन्दी साहित्य सम्मेलनको

कलकत्ता

कार्तिक गुड़ी ७ [३ नवम्बर, १९२४]

आपके तार आये। भाई मनजीत सिंहने मूल समझाया। परन्तु मुझको समझानेकी आवश्यकता ही क्या है? हिन्दी भाषाके लिए मेरा प्रेम भारतवर्षके सब हिन्दी प्रेमी जानते हैं। मेरा आना अनभवित है, मेरे पास इतना काम पड़ा हुआ है, जिसको मैं पहुँच नहीं सकता हूँ। इसीलिए मुझको क्षमा कीजिए। मैं इन कामोंसे निरालना चाहता हूँ।

आपका,

मोहनदास गांधी

आज, ११-११-१९२४

## २४५. तार : हिन्दी साहित्य सम्मेलनको<sup>३</sup>

[३ नवम्बर, १९२४ के पश्चात्]

मुझसे आग्रह करनेकी जरूरत नहीं है। अगर मैं आ सकता तो खुशीसे आता, परन्तु आना असम्भव है। सफलता चाहता हूँ।

आज, ११-११-१९२४

१. यह विपिनचन्द्र पालके एक तारके उत्तरमें दिया गया था।
२. मूल अंग्रेजी तार उपलब्ध नहीं है।

## २४६. तार : जफर अली खॉको<sup>१</sup>

[ ५ नवम्बर, १९२४ या उसके पश्चात् ]

मीलाना जफर अली खॉ

‘जमींदार’

लाहौर

मोचेंपर वापसीका स्वागत। आशा है आप स्वस्थ होंगे। हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए ठोस कामकी आपसे उम्मीद है।

अग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७१२) की फोटो-नकलमे।

## २४७. समयकी पाबन्दी

समग्र राष्ट्रके रूपमे हमपर आमतौरपर एक आरोप लगाया जाता है कि हम समयकी पाबन्दी नहीं रखते, साधारणतया हम समयसे पीछे रहते हैं। जो देर करता है, वह तो स्पष्ट ही समयसे पीछे रहता है, लेकिन यह कहना भी उतना ही सही है कि जो समयसे चार घटे आगे रहता है, दरअसल वह भी समयसे पीछे ही रहता है। सो इस तरह वह दूसरी सैकडो बातोंकी उपेक्षा करके ही तो समयसे चार घटे आगे हो पाता है। जब कोई ग्रामीण ट्रेन पकडना चाहता है तो वह निश्चित समयसे घटो पहले स्टेशन पहुँच जाता है। वह गाडी भले ही पकड ले, लेकिन बहुत-सी अन्य बातोंके सम्बन्धमे, जो शायद ज्यादा महत्त्वपूर्ण हों, वह समयसे पीछे ही होगा। हम शिक्षित लोग हर मामलेमे देर करनेके आदी हैं। हमारी सभाएँ समयपर ही, इसकी हम जरूरत ही नहीं समझते। नियत समयपर कार्यवाही शुरू न करना तो विलकुल आम बात है। अकसर एक ही आदमीकी अनुपस्थितिको सैकडो और कभी-कभी तो हजारो लोगोंकी प्रतीक्षा-रत रखनेका पर्याप्त कारण मान लिया जाता है। हम इतनी प्रतीक्षा कर सकते हैं, इससे प्रकट होता है कि हममे कितना अधिक धैर्य और क्षमा है। लेकिन साथ ही यह चीज हमारी प्रगतिकी दृष्टिसे बहुत अनिष्टकर है।

समयकी पाबन्दीका यही अभाव अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके कताई-सम्बन्धी प्रस्तावको कार्यान्वित करनेके सिलसिलेमे दिखाई दे रहा है। वैसे पढनेमे तो यह प्रस्ताव बहुत सीधा-सादा है, लेकिन उसे कार्यान्वित करनेके लिए अखिल भारतीय खादी बोर्डको अपनी तमाम शक्ति और साधन खपाने पड रहे हैं। सूतको एकत्र

१ ५ नवम्बर, १९२४ को जमींदार कार्यालयसे गांधीजीको निम्नलिखित तार मिला था “भाज मौलाना जफर अली खॉ रिहा कर दिये गये। कल शाम वे लाहौर पहुँच रहे हैं।”

करने, एक स्थानमें दूसरे स्थानको भेजने और उमराने की कार्यवाही करनेके लिए एक बड़े संगठन और बहुत ज्यादा संगठन-शक्ति ज़रूरत है और जब गांधीजी नमयकी पावनदी रगत हुए काम करी करते तो कठिनाई कम नहीं बढ़ जाती है। हर महीनेकी पन्द्रह तारीख सूत भेजनेका आगारी दिन है। यह तारीख कनाई करनेवालोंको ज्यादा समय देनेके लिए नहीं, बल्कि विभिन्न समितियोंके मन्त्रियोंको पर्याप्त समय देनेके लिए निश्चित ही गई थी। सारा काम ठीक-ठगने नहीं चक सकता है जब कनाई करनेवाले निश्चित तारीखका सूत दे दे और काम करनी लोग निर्दिष्ट निर्दिष्टता उसे एकत्र कर ले। हर प्रान्त अपने लिए त्तियों निश्चित कर सकता है, ताकि वह सूतके पैकेट अतिरिक्त भारतीय गादी बोटोंको समायपर भेज सके। अगर जगित्त भारतीय गादी बोटोंकी व्यवस्थाके अनुकूल पड़े तो हर प्रान्तको चाहिए कि वह पैकेटोंका किन्तामे भेजनेके बजाय हर महीने, जितना भेजना हो, एक ही साथ भेज दे। जगत्त सारा काम, जिस नियमिततामे घड़ीकी मुई चलती है, उगी नियमिततामे नहीं किया जाता तबतक जगत्त नम्यक् संगठन कर पाना अगम्भव है। जब त्तारों टाटी-मोटी वातोंपर भी ध्यान देना जरूरी हो, तब नमय नवने महत्त्वका त्रिपय बन जाता है। जिस तरह रेलवेमे समयका पालन करनेमे जरा-सी चूक हानेपर भारी अनर्थ हो सकता है, उगी तरह अखिल भारतीय गादी बोटोंकी नमय-सूचीका ध्यान रखनेमे तनिक-सी चूकका परिणाम भी गादीको सार्वजनीन बनानेकी सम्भावनाके लिए उतना ही घातक सिद्ध हो सकता है। सच तो यह है कि सबकी महमतिसे बनी नमय-सूचीका नियमपूर्वक और पूरी बारीकीके साथ पालन किये बिना कोई संगठन सम्भव ही नहीं है। अत मुझे भरोसा है कि कताईके संगठनमे लगे हुए तमाम कार्यकर्ता उस समय-सूचीका पालन धार्मिक निष्ठाके साथ करेंगे, जिसे उन्होंने स्वीकार या निर्धारित किया हो।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, ६-११-१९२४

## २४८. टिप्पणी

### अध्यक्षीय पुरस्कार

आन्ध्र और उसके पीछे बगाल, ये दोनो प्रान्त गुजरातके साथ लगभग बराबरीकी होड कर रहे हैं। अध्यक्षीय पुरस्कार जीतनेके लिए उनके पास अब सिर्फ एक महीनेका समय रह गया है। मुझे आशा है कि इनमे से कोई-न-कोई प्रान्त पुरस्कार ले ही जायेगा। लेकिन साथ ही मैं अपनी इस आशाको नहीं छिपाऊँगा—यह आशा भी उतनी ही बलवती है कि गुजरात आसानीसे हार नहीं मानेगा। पर सबकी पुरस्कारकी शर्तें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इनसे प्राप्त सूतकी मात्रामे वह सूत नहीं शामिल किया जायेगा जो निश्चित समयके बाद मिला होगा। इसमे किसीके द्वारा भेजे गये उस पैकेटको भी नहीं शामिल किया जायेगा, जिसमे न्यूनतम मात्रामे अर्थात् कमसे-कम दो हजार गज एक-सा कता और ठीकसे बटा हुआ सूत न होगा।

मौलाना मुहम्मद अली बडी उम्मीदमे है कि गुजरात हार जायेगा और आन्ध्र या बगाल उनका इनाम ले जायेगा। गुजरातके खिलाफ उनके मनमे कोई भाव नही है। पर वेशक, वे चाहते है कि उनका इनाम इनमे से कोई ले और वे मानते है कि उचित होडमे यदि गुजरात हार भी जायेगा तो उसे कोई दु ख नही होगा। यदि गुजरातकी पराजयकी बदौलत कतौयोकी सख्यामे अच्छी खासी वृद्धि हो तो उसकी यह हार उसकी जीत ही होगी। मौलाना साहब नही चाहते कि कोई प्रान्त सयोग-वश ही जीत जाये। बल्कि जीत सच्चे और कडे परिश्रमके फलस्वरूप होनी चाहिए।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, ६-११-१९२४

## २४९. केनियाकी शिकायत

एक केनियावासी भाई लिखते है ?

पत्र-लेखकने उपर्युक्त पत्र प्रकाशनार्थ नही, सिर्फ मेरी जानकारीके लिए लिखा है। फिर भी, उपनिवेशोमे रहनेवाले बहुत-से भारतीयोके मनमे ऐसे विचार उठते होंगे और यह स्वाभाविक भी है। किन्तु, तनिक ज्यादा सोचकर देखनेपर मालूम होगा कि यहाँसे याचकोका [उनके पास] जाना भी स्वाभाविक ही है। राजनीतिक कष्ट तो दोनो स्थानोमे है। चूँकि हिन्दुस्तानमे हमे राजनीतिक कष्ट है, इसलिए प्रवासी भारतीयोको भी यह कष्ट भोगना ही पडता है। अगर हिन्दुस्तानमे यह दु ख दूर हो जाये तो विदेशोमे भी उनका दु ख सहज ही दूर हो जाये। हिन्दुस्तान-मे नेता लोग प्रवासी भारतीयोके लिए ज्यादा नही करते, क्योंकि वे कर नही सकते। उन्हे इच्छा तो बहुत है, लेकिन लाचार आदमी क्या करे! रोगीकी खानेकी इच्छा किस कामकी? अपगको अपनी दौडनेकी इच्छा छोडनी ही पडती है। भारत तो दो दृष्टियोसे अपग है—राजनीतिक दृष्टिसे और आर्थिक दृष्टिसे। ऐसी अपग मातासे उसके प्रवासी पुत्र ऐसा तो नही कह सकते “माँ, तुम तो मेरी कोई मदद करती नही और मुझसे पैसे माँगती हो—यह कैसा न्याय है?” मगर माता तो कहेगी ही “तुमपर दु ख है, यह तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ठहरी विधवा। तुम्हारी क्या मदद करूँ? फिर, मैं गरीब भी हूँ। तू चार पैसे कमानेके लिए परदेश गया है। मैं समझती हूँ, तुम्हारी रोटियोमे मेरा भी कुछ हक-हिस्सा है। इसीलिए तुम्हारी आशा रखती हूँ।” ऐसी विचित्र स्थिति है हिन्दुस्तानकी। अपने २० वर्षके प्रवासके अनुभवसे मैंने ऐसा ही देखा है। दक्षिण आफ्रिकामे हमे हिन्दुस्तानकी ओरसे कोई मदद नही मिल सकती थी, फिर भी हम वहाँसे स्वदेशको पैसा भेजते थे। हमे राजनीतिक कष्ट तो अवश्य था, पर आर्थिक कष्ट नही था। हिन्दुस्तानमे जहाँ एक रुपया देने या खर्च करनेमे मुश्किल पडती है, वहाँ दक्षिण आफ्रिकामे हम पूरी गिन्नी खर्च कर सकते थे। हिन्दुस्तानसे गया कोई भी याचक हमारे पाससे खाली हाथ

१ पत्र यहाँ नही दिया जा रहा है।

नहीं लौटता था। पाठक ऐसा न समझे कि उम्र समय हिन्दुस्तानमें कुछ अधिक राजनीतिक मदद मिलती थी। जैसा आन्दोलन आज लेनियाके सम्बन्धमें चल रहा है, वैसा ही आन्दोलन तब दक्षिण आफ्रिकाके विषयमें चल रहा था और आज भी चल रहा है — अर्थात् देशकी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कुछ गभाओंका आयोजन और विधान सभाओंमें भाषण आदि। फिर, हिन्दुस्तानमें दक्षिण आफ्रिकाको जो पैसों भेजे गये, उनके विषयमें भी पाठक किसी भ्रममें न पड़े। हिन्दुस्तानमें दक्षिण आफ्रिकाको पैसा तभी भेजा गया जब दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके तबसे उनको अपनी धन-सम्पत्तिके भी निकाल जानेकी स्थिति आ गई थी और उन्होंने जो बहुत सारा चन्दा दिया था, वह भी अपने सघर्षमें खर्च कर दिया था। हिन्दुस्तानमें भेजे गये पैसोंमें से बनी हुई एक मोटी रकम फिर हिन्दुस्तानको वापस भेज दी गई थी। उनके सिवा, उन समय भी हिन्दुस्तानकी कुछ सस्थाओंका खर्च दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय ही उठाते थे। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी विजयका कारण भी वहाँ रहनेवाले भारतीयोंका प्रबल सत्याग्रह ही था। हजारों लोग जेल गये, जिनमें स्त्रियाँ भी शामिल थी, कुछकी जानें गईं, कुछ निर्वासित कर दिये गये, बहुत-से लोग कंगाल हो गये, एक वाला जेलमें हुए रोगके कारण वादमें मृत्युको प्राप्त हुई<sup>१</sup>, दो युवकोंको प्राण गँवाने पड़े<sup>२</sup> — एक को जेलमें हुए कष्टोंके कारण और दूसरेको देश-निकालेके दौरान हुए कष्टोंके कारण, कुछको कोड़े सहने पड़े। इतना सब झेलने और आठ वर्षके सत्याग्रहके बाद उन्हें वह चीज मिल पाई जिसके लिए वे लड़ रहे थे। किन्तु, इसके बावजूद, लड़ना तो आज भी बाकी है ही। जिस हथियारसे विजय मिली, उसी हथियारसे अपनी उपलब्धि कायम रखी जा सकती है तथा नई पाई जा सकती है, यह अनिवार्य नियम है। जिस प्रकार क्षत्रिय जीतमें मिले हुए प्रदेशको शत्रुके सबल हो जानेपर या स्वयं दुर्बल हो जानेपर खी बैठता है, उसी प्रकार सत्याग्रही भी स्वयं दुर्बल हो जानेपर अथवा शत्रुके सबल हो जानेपर अपनी विजयमें मिली चीज खो देता है। दक्षिण आफ्रिकामें अथवा किसी भी अन्य देशमें रहनेवाले भारतीयोंके दुःखका डलाज स्वयं उन्हींके हाथमें है। उनमें चरम दुःख सहने और शुद्ध होने और शुद्ध रहनेकी जितनी ज्यादा शक्ति आयेगी, वे अपने स्वाभिमानकी रक्षा उतनी ही ज्यादा कर सकेंगे। प्रवासी भारतीयोंको इतना तो याद रखना ही चाहिए कि वे विदेश कमानेके इरादेसे जाते हैं। राजनीतिक दुःख सहकर भी वे यहाँकी अपेक्षा वहाँ अधिक कमाते हैं। जब ये दुःख भोगकर भी वे यहाँकी अपेक्षा अधिक कमाते हैं तब इन दुःखोंके कम हो जानेपर तो वे और भी ज्यादा कमायेंगे। इस बीच वे गरीब हिन्दुस्तानको यथाशक्ति पैसोंकी मदद देनेमें पीछे न रहे, यही इष्ट है। वे प्रत्येक याचकको ठोक-बजाकर देखे। सस्था तथा सचालकके गुण-दोषोंकी जाँच करनेके बाद यदि दोनोंकी पात्रता सिद्ध हो जाये तो प्रवासियोंका धर्म है कि वे धनसे ऐसी सस्थाओंकी मदद करें।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ६-११-१९२४

१ और २. देखिए खण्ड १५, पृष्ठ १६९।

## २५०. गांधीजी और स्वराज्यवादियोंका संयुक्त वक्तव्य

कलकत्ता

६ नवम्बर, १९२४

नीचे हम उस वक्तव्यका पाठ दे रहे हैं जो इसी ६ तारीखको कलकत्तामें श्री गांधी, श्री चित्तरजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूके हस्ताक्षरोंसे जारी किया गया है

यद्यपि भारतके सभी दलोंका उद्देश्य स्वराज्य ही है, फिर भी चूकि देय ऐसे अलग-अलग गुटोंमें बँट गया है जो विरोधी दिशाओंमें काम करते जान पड़ते हैं, चूकि ऐसे परस्पर विरोधी कार्योंसे स्वराज्यकी दिशामें राष्ट्रकी प्रगतिमें बाधा पहुँचती है, चूकि ऐसे सभी दलोंको यथासम्भव कायेमके भीतर लाना और संयुक्त मंचपर खड़ा करना वाछनीय है, चूकि कांग्रेस स्वयं भी दो विरोधी पक्षोंमें बँटी हुई है जिसे देयके हितकी हानि हो रही है, चूकि इन सर्वनामान्य उद्देश्यकी सिद्धिकी दृष्टिसे इन दलोंको फिरसे एक कर देना वाछनीय है, चूकि बंगालकी सरकारने गवर्नर-जनरलकी स्वीकृतिमें वहाँ दमनकी नीति शुरू कर दी है, चूकि नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लोगोंकी रायमें दरजमल इस दमनका लक्ष्य किसी हिंसावादी दलको नहीं, बल्कि बंगालकी स्वराज्य पार्टीको और इस प्रकार नविधान-सम्मत तथा अनुशासनबद्ध प्रवृत्तिको कुचलना है और चूकि इन परिस्थितियोंको देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि इस दमन-नीतिके विरुद्ध राष्ट्रकी मयुक्त शक्ति उगा देनेके उद्देश्यसे तत्काल सभी दलोंको सहयोग देनेके लिए निमन्त्रित किया जाये और उनका सहयोग प्राप्त किया जाये, इसलिए हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लोग सभी दलोंके और अन्ततः बेलगाँव कांग्रेसके स्वीकारार्थ निम्नलिखित बातोंकी सिफारिश करते हैं

कांग्रेसको राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमें अपना असहयोगका कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए, अकिन् जहाँतक उमका सम्बन्ध भारतके बाहर बने हुए कपडेका इस्तेमाल करने अथवा उसे पहननेके वर्जनमें है, उम कार्यक्रमको जारी रखा जाये।

कांग्रेसको यह निश्चय भी करना चाहिए कि कांग्रेसके विभिन्न कार्योंको, जब जैसी जरूरत दिखाई दे उसके मुताबिक, कांग्रेसके अलग-अलग पक्ष करे। पर हाथ-कताई, हाथ-बुनाई और उनकी तमाम पूर्ववर्ती क्रियाओंका प्रचार और हाथ-कते सूतसे हाथ-बुनी खादीका प्रचार, विभिन्न जातियोंके बीच और विशेषकर हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच एकताको बढ़ावा देना और हिन्दुओं द्वारा अप्सृश्यता-निवारण — इस सबके लिए कांग्रेसके भीतर मीजुद तमाम पक्ष प्रयत्न करे। पुन उसे निश्चय करना चाहिए कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधानसभाओंसे सम्बन्धित कार्यको, कांग्रेसकी ओरसे और उसके एक अभिन्न अंगके रूपमें स्वराज्यवादी दल चलाये। तथा इस कामके लिए यह दल अपने नियम स्वयं बनाये तथा कोष एकत्र करने और उसकी व्यवस्था करनेका काम



भी स्वयं करे। चूँकि अनुभवसे यही ज्ञात हुआ है कि जबतक भारतमें सब लोग सूत न काते तबतक भारत कापड़ेकी आवश्यकताकी पूर्तिके सम्बन्धमें आत्मनिर्भर नहीं हो सकता और चूँकि हाथसे सूत कातना जनसाधारण और काग्रेसजनोंके बीच स्पष्ट और सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित करनेका सर्वोत्तम और अत्यन्त ठोस तरीका है, इसलिए हाथ-कताई और हाथ कते सूतसे बनी चीजोंको लोकप्रिय बनानेके उद्देश्यसे काग्रेसको अपने सविधानकी धारा ७ को रद्द करके उसके स्थानमें निम्नलिखित धारा रखनी चाहिए

जो व्यक्ति १८ वर्षका न हो, जो राजनीतिक मामलोंमें और काग्रेसके जत्थोंमें अथवा काग्रेसका कार्य करते समय हाथ-कते सूतमें हाथ-चुनी यादी न पहने और प्रति मास अपने हाथका कता अथवा बीमारी, अनिच्छा या ऐंसे ही किसी अन्य कारणसे स्वयं न कात सकनेपर किसी दूसरेसे कतवाकर, २,००० गज एक-मा सूत न दे, वह किसी भी काग्रेस कमेटी या काग्रेस संगठनका सदस्य नहीं बन सकता।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १३-११-१९२४

## २५१. भाषण : कलकत्ता नगर-निगम द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमें<sup>१</sup>

कलकत्ता

६ नवम्बर, १९२४

कलकत्ता नगर-निगमके महापौर महोदय,  
पार्षदगण और बहिनो तथा भाइयो,

मैं खड़ा होकर नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करेंगे। ऐसा मैं शिष्टताके अभावके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि इतने बड़े श्रोता-समुदायके सामने खड़े होकर बोलनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। आपने जो मानपत्र भेंट किया है और उसमें जो अत्यंत ही उदार तथा स्नेहपूर्ण उद्गार व्यक्त किये हैं, उनके लिए मैं हृदयसे आपको धन्यवाद देता हूँ। इस विशाल नगरसे—इस प्रासादपुरीसे—मैं अपरिचित नहीं हूँ। नगर-कल्याण सम्बन्धी कर्तव्यके निर्वाहका कितना महत्त्व है, यह भी मुझे मालूम है। मुझे अक्सर ऐसा लगता रहा है कि नगर-कल्याणके कार्यका क्षेत्र यद्यपि राजनीतिक कार्य जितना विशाल नहीं होता और उसमें चमक-दमक तो और भी कम होती है, फिर भी वह कुछ कम आवश्यक अथवा कम फलप्रद नहीं। मैंने बहुत बार मन-ही-मन सोचा है कि अगर मैं किसी नगर-निगमका सदस्य होऊँ तो क्या करूँगा, और वर्षों पूर्व जब मैं कलकत्ताकी गन्दी वस्तियोंमें घूमा करता था और

१. मानपत्र टाउन हॉलमें एक विशाल जनसमुदायके समक्ष भेंट किया गया था और उसे महापौर श्री चित्तरंजन दासने पढ़ा था।

उनकी कुरूपता तथा गन्दगीकी तुलना प्रासादोके सुन्दर तथा साफ-सुथरे परिवेशसे किया करता था तब अपने-आपसे यही कहा करता था कि कलकत्ता नगर-निगमकी योग्यता और सफलताका माप-दण्ड इन प्रासादोकी सख्या और सुन्दरता नही बल्कि उन गन्दी वस्तियोकी दशा ही होनी चाहिए। तब मुझे यही लगता था कि नगर-निगमने अपने कर्त्तव्यकी अवहेलना की है। वादमे मुझे यहाँकी कुछ गोशालाएँ देखनेका भी अवसर मिला। वहाँका दृश्य देखकर तो मेरा दिल दहल गया। न केवल पशुओको बहुत ही बुरी दशामे रखा जाता था, बल्कि ग्वाले लोग दूधकी आखिरी बूँदतक निकाल लेनेके लिए ऐसे निर्दयतापूर्ण अकथनीय तरीके अपनाते थे कि दूधके साथ-साथ खूनतक उतर आता था। ये छुटपुट चीजे मैं आपके व्यानमे इसी आशासे ला रहा हूँ कि इस नगरमे जहाँ भी गदगी हो उसे दूर करने और यहाँ रहनेवाले इतने सारे लोगोको सस्ता और शुद्ध दूध सुलभ हो, इसकी पक्की व्यवस्था करनेके लिए आपके कार्य-कालमे गोशालाओको नगरपालिकाके अधिकार-क्षेत्रमे लानेकी दिशामे कोई बडा कदम उठाया जायेगा। मेरे विनम्र विचारसे नगर-निगमका यह बुनियादी कर्त्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे लोगोको शुद्ध वायु और जल, सस्ता और शुद्ध दूध और फल तथा करदाताओके बच्चोको नि शुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। मेरी यही इच्छा है कि यहाँका निगम भारतके सभी नगरोसे आगे बढ़कर इस दिशामें कदम उठाये।

आपने १८१८ के विनियम ३ के अवीन अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारीकी गिरफ्तारीकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। ऐसा तो कभी सोचा भी नही जा सकता कि जो सरकार सम्य मानी जाती है उसके अधीन श्री सुभाष चन्द्र बोस-जैसे व्यक्तिको, बल्कि किसी भी व्यक्तिको, मनमाने ढंगसे गिरफ्तार करके जेलमे बन्द रखा जाये और उनके मामलेकी सुनवाईकी भी गुजाइश न रखी जाये, बल्कि दरअसल उन्हें गिरफ्तारीका कारण जाननेका भी अवसर न दिया जाये। अराजकतावादी गतिविधियोके सम्बन्धमे मेरे विचार सर्वविदित हैं। मैं अपने पूरे हृदयसे उनका विरोधी हूँ। मेरा विचार है कि उनसे भारतकी कोई भलाई नही हो सकती, लेकिन यह अवसर ऐसा नही कि इस विषयपर मैं अपने विचार व्यक्त करूँ। लेकिन इस सम्बन्धमे इतना और कह देनेके लिए आप मुझे क्षमा करोगे कि सरकार द्वारा उठाये गये ये असाधारण कदम मुझे उतने ही घृणित लगते हैं, जितनी कि अराजकतावादी गतिविधियाँ। मैं आशा तो यही करता हूँ कि सरकार अपने कदम वापस ले लेगी और अपने मनमाने गैरकानूनी तरीकोसे वाज आयेगी। आशा है श्री सुभाष चन्द्र बोस मुक्त कर दिये जायेगे और उन्हें निगममे अपना कार्यभार सँभालकर पुन वह सेवा-कार्य करनेका अवसर मिलेगा, जैसा कि मुझे सभी सूत्रोके अनुसार ज्ञात हुआ है, वे बहुत ही योग्यता, कार्य-क्षमता और ईमानदारीके साथ कर रहे थे (बन्दे मातरम्)।

[अग्नेजीसे]

अमृत बाजार पत्रिका, ७-११-१९२४

## २५२. भाषण : कलकत्ताके कताई-प्रदर्शनमें

६ नवम्बर, १९२८

आप सबको चरणे चलाते देखाकर मुझे बहुत गुजी हो रही है। आया है, आपमें से जो लोग अभी कताई नहीं कर रहे हैं, वे भी तत्काल यह काम शुरू कर देंगे। सस्कृतमें एक कहावत है कि किमी बाना अनारम्भ ता बुद्धिमाना है, लेकिन एकवार कार्यारम्भ कर देनेपर उचित नफला मिलनेपर बानगे हों उसे नहीं छोड़ देना चाहिए।

जिन लोगोंने कताई शुरू कर दी है और जो लोग शुरू करनेवाले हैं उन्हें कमसे-कम स्वराज्य प्राप्तिक कताई करने जानेका मकसद कर लेना चाहिए। आज आपके इस मीन स्वागतमें मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

अमृत बाजार पत्रिका, ७-११-१९२८

## २५३. अपरिवर्तनवादियोंके साथ वातचीत

७ नवम्बर, १९२८

प्रारम्भमें अपनी वृत्ति समझाते हुए गाधीजीने कहा -

खुद मुझे अपने कार्यके औचित्यके सम्बन्धमें तनिक भी शका नहीं है। अबतक मैं कार्याकार्यके भँवरमें पडा हुआ था, लेकिन अब मेरा मन हलका हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो किया, उससे भिन्न कुछ कर ही नहीं सकता था। अहिंसावादीका धर्म ही यह है कि वह इतना त्याग करे कि फिर उसके पास त्यागनेको कुछ रह ही नहीं जाये। इसलिए मैं इस अन्तिम निष्कर्षपर पहुँचा हूँ अर्थात् मुझे इस सीमातक त्याग करना है कि प्रतिपक्षीको ऐसा लगे कि अब तो हद हो गई — इतना कि विरोधी मेरे त्यागको देखकर स्तम्भित रह जाये। फिर यह मेरा पहला अनुभव नहीं है। दानका धर्म ही यह कहता है कि इतना दो कि लेनेवाला खा-खाकर अघा जाये। वैसे मैंने यहाँ जो दान किया है वह उस तरहका दान नहीं है और न उस तरहका त्याग ही है। मैंने तो जो दिया है, उसे मैं कही ज्यादा तो नहीं तोल रहा हूँ या उसे उधार तो नहीं दे रहा हूँ, इसका विचार करके ही दिया है। मैं धीरे-धीरे, क्रमशः, एक-एक इंच करके पीछे हटा हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसा मानते जरूर हैं कि मैंने, जितना उन्होंने सोचा था, उससे आगे बढ़कर दिया है।

१. इस प्रदर्शनका आयोजन 'बंगाल कैमिकल फैक्टरी'के कर्मचारियोंने किया था।

२. गाधीजी कलकत्तेमें बंगालके अपरिवर्तनवादियोंसे मिले थे और उन्होंने उन्हें स्वराज्यवादियोंके साथ संयुक्त वक्तव्यपर अपने दस्ताखत करनेके कारण समझाये थे।

यदि आप एक बार ऐसा समझ जाये कि अभी असहयोग नहीं चल सकता तो यह बात आपकी समझमें तुरन्त आ जाये कि मैं जिस हदतक आगे बढ़ा हूँ, उस हदतक बढ़े बिना चारा नहीं था। जहाँ भी जाता हूँ, हिंसाके सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता है। गहराईमें, लोगोंके हृदयमें हिंसा ही भरी हुई है— इतनी कि असहयोगको राष्ट्रीय पैमानेपर चालू रखना गुनाह माना जायेगा। लेकिन “राष्ट्रीय” असहयोग और “व्यक्तिगत” असहयोगमें भेद है। इसलिए व्यक्ति तो जिस हदतक असहयोग कर रहे थे, उस हदतक उसे जारी ही रखेगा। सच तो यह है कि यदि वे उसे छोड़ देंगे तो उनका मूल असहयोग अर्थहीन कहा जायेगा।

सदस्यताके लिए कताईकी चर्चा बहुत हुई है। आपको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है, खादीको एक औपचारिकता-मात्र बना दिया है। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। इतिहासपर नजर डालिए तो मालूम होगा कि हम बढ़कर कहाँसे-कहाँ आ गये हैं। पहले शुद्ध, मिश्र आदि अनेक प्रतिज्ञाएँ थी। फिर मिलके कपड़ेको तिलाजलि दी गई और खादी आई। बादमें चरखा दाखिल हुआ और फिर स्वयंसेवकोंके लिए खादी अनिवार्य हो गई। आगे चलकर कताईका ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो गया और उससे भी आगे चलकर सबके कातनेपर जोर दिया गया। फिर कार्य-कर्त्ताओंके लिए कताईको अनिवार्य बनानेका प्रस्ताव हुआ और आज हमने कताईको सदस्यताकी शर्तमें रख दिया है।

हाँ, हर सदस्य नहीं कातेगा। लेकिन, आज जो कातते हैं वे इसे बन्द करने-वाले नहीं हैं। उलटे, आज जितने लोग कातते हैं, उनसे ज्यादा लोग ही कातेगे। पैसा खर्च करके कितने लोग कतवा सकेगे? इसलिए अधिकांश लोग तो अपना ही काता सूत भेजेगे। जिन्होंने खुद दृढ निश्चय नहीं किया हो, उनसे हम जबरदस्ती कैसे कतवा सकते हैं? किन्तु, वे यदि दूसरोसे सूत कतवाकर लाये तो इतनेसे ही हमें सन्तोष मानना चाहिए और तनिक बारीकीसे विचार करके देखें तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेसके हर सदस्यको कातना चाहिए, ऐसा कोई सिद्धान्त तो नहीं ही था। मुझे यह भी बता देना चाहिए कि यह विचार बहुत-से लोगोंका नहीं, सिर्फ मेरा ही था। बल्कि अगर कहूँ कि यह मेरा आदर्श था तो अनुचित नहीं होगा। हाँ, बहुत समय पहले लकासे एक भाईने मुझे पत्र लिखकर यह जरूर पूछा था कि हरएक सदस्यके लिए कताई अनिवार्य क्यों नहीं कर दी जाती। लेकिन, उस समय मैंने इस मुझावको असम्भव मानकर उसपर विचार भी नहीं किया। बादमें मुझे वह सम्भव लगा और मैंने उसे देशके सामने रखा। इसलिए, अगर मैंने कुछ छोड़ा है तो अपने आदर्शमें से, अपनी सोची बातमें से ही कुछ छोड़ना पड़ा है। बस, इतना ही।

आपको लगता है कि खादीको मैंने एक औपचारिकता-मात्र बना दिया। नहीं, यह आशका भी निराधार है। खादी पहननेका प्रस्ताव एक बात है और खादी न पहने तो कांग्रेसका सदस्य न बन सके, यह दूसरी बात है। मत देनेका काम एक निश्चित काम है, इसलिए इसकी शर्त भी निश्चित होनी चाहिए, उसे दुसाध्य नहीं होना चाहिए। कारपोरेशनके डिप्टी मेयर (उप-महापौर) श्री सुहरावर्दी कल सिरसे

पैरतक गांधी पहनकर आये थे। वे नियमित रूप से गांधी नहीं पहनते, त्रिफल कलका अवसर उन्हें गांधी पहनने लायक लगा। अब ऐसे लोगों से मैं कहे कहूँ कि आप अदालत में भी सादीका ही चोगा पहनकर सटे हों? मैं तो सिर्फ यह आशा ही रख सकता हूँ कि जब ये राष्ट्रीय प्रयोगण गांधी पहनेंगे तो गानगी मोतोपर सिर्फ जिदके कारण विदेशी या मिलके कपडे नहीं पहनने लग जायेंगे। जो गांधी पहनते हैं, वे तो पहनते ही रहेंगे। जो कभी सादी नहीं पहनते, उन्हें भी अमुक्त प्रयोग पर सादीके वस्त्रोसे जुद्ध होकर कांग्रेस मन्दिरमें प्रवेश करनेका मोता मिलेगा। आज तो कांग्रेसमें जो प्रतिनिधि आते हैं, वे भी कदा सादी पहनते हैं? आज तो १० प्रतिशत लोग सादीकी नहीं, बल्कि मिलके ही धोती पहनकर कांग्रेसमें आते हैं। इस वर्तके दामिल हों जानेपर ऐसा तो नहीं होगा।

फिर यह सवाल उठा कि स्वराज्यवादियोंके साथ एका क्यों किया जाये। गांधीजीने अपने लेखमें इस सवालकी सविस्तार चर्चा की है। उन्होंने अपनी ज्वन दलीलको यह कहकर समाप्त कर दिया कि-

सरकारने स्वराज्यवादियोंको लोक-हितका ग्याल करके पकडा है, यह वान तो मनको जँचती ही नहीं। मेरा यह विज्वाम क्षण-क्षण बढ़ता जा रहा है और दृटने-दृढतर होता जा रहा है कि उन्हें तो स्वराज्यवादी दलको कुचलनेके लिए ही पकडा गया है।

उपसंहार करते हुए उन्होंने कहा-

मुझे विश्वास है कि मेरा त्याग, 'यग इडिया' में मैंने अपने जो आदर्श बताये हैं, उनमें से बहुत थोडेका ही त्याग है। मैंने किसी तत्त्व या सिद्धान्तका त्याग नहीं किया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने तत्त्वका त्याग किया है, आपको ऐसा लगे कि मेरा त्याग अनुचित है तो आप मेरा पूरा विरोध करें। मैंने श्याम-वावूको अपना उद्देश्य बताया था। आज मेरा उद्देश्य समस्त अव्यवस्थाको मिटाकर सुव्यवस्था कायम करना है, विवादको मिटाकर मेल-जोल कराना है, निष्प्राण जनताको एकताके सूत्रमें बाँध, उसमें शक्ति और निर्भयता लाना है। अगर मैंने कोई ऐसा दल खडा किया हो जो सिर्फ अन्ध-श्रद्धाको ही पोषण करता हो तो उसमें देशका अहित ही है। आम लोगोंको मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन आप तो लेखक, वक्ता और बहस-मुवाहिसा करनेवाले लोग ठहरे। आपसे अपनी बुद्धि जैसा कहे, वैसा ही करें। ऐसा नहीं कि मुझसे भूल नहीं हो सकती। हाँ, मैं आपसे ज्यादा अनुभवी हूँ, इसलिए मैं शायद कम भूल करूँ। लेकिन सम्भव है कि जो कभी-कभी ही भूल करता हो वह जब भूल करे तो भयकर भूल ही करे। सम्भव है कि स्वराज्यवादियोंके कार्यको मैं अनुचित महत्त्व देता होऊँ। हिन्दू-मुस्लिम एकतापर जरूरतसे ज्यादा जोर देता होऊँ। इस हालतमें आप बेशक कोई नया रास्ता चुन ले और उसीका अनुसरण करें। ऐसा करके आप लोग अपने-आपको सम्मान देंगे। त्याग दो प्रकारके होते

है। एक तो है अपने व्यक्तिगत मतका त्याग और दूसरा है सिद्धान्तका त्याग। स्वर्गीय गोखले कहा करते थे कि जनकल्याणके लिए अपने व्यक्तिगत मतका त्याग तो किया जा सकता है, लेकिन सिद्धान्तका नहीं। इसे ध्यानमें रखकर आप खुशी-खुशी जो रास्ता चाहते हो, अरितीयार करे।

इसके वाद खूब सवाल-जवाब हुए।

प्रश्न अब कांग्रेस गरीबोंकी नहीं, पैसेवालोंकी ही रहेगी। कारण, पैसेवाले तो चाहे जहाँसे सूत खरीद लेंगे।

उत्तर—नहीं, वह पूरी तरह गरीबोंकी ही रहेगी। गरीबोंको रूई देनेका काम कांग्रेसका होगा और मेहनत देनेका काम गरीबोंका। सामान्य वर्गके लोग भी सूत खरीदेंगे नहीं, बरिक्त रवय कातेगे। जिनके लिए कातना अरुचिकर होगा और जो आलसी होंगे, वे भले ही दूसरोसे कतवा ले।

आपने इस दुष्ट सरकारके साथ असहयोग आरम्भ किया और अब उसे धीरे-धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो आप दुष्टताके साथ सहयोग करनेकी भी सीख दे रहे हैं। स्वराज्यवादियोंने ऐसे-ऐसे प्रपच और झूठ चलाये हैं कि उनके साथ सहयोग कैसे किया जा सकता है ?

मैंने ऐसा तो कभी कहा ही नहीं कि आप सब जगह असहयोग करे। असहयोग तो वही करना चाहिए जहाँ असहयोग न करनेका मतलब प्रतिपक्षीके दुष्टतापूर्ण कार्यमें भाग लेना हो। आप जो आक्षेप कर रहे हैं, वे अगर सही हो तो भी हमें उनके झूठमें तो हिस्सेदार बनना नहीं है और आप यह भूल जाते हैं कि हमने सरकारके साथ तीस वर्षतक सहयोग करनेके वाद ही असहयोगका सहारा लिया। स्वराज्यवादियों अथवा अपने भाइयोंके साथ असहयोग करनेका तो कोई प्रसंग ही नहीं आया। हमने उनके साथ इतना सहयोग ही कहाँ किया है कि उनके साथ असहयोग कर मके ? आज तो हिन्दुओं और मुसलमानोंके हृदयको बदलना ही मेरा काम है। मैं सबसे इसी काममें मदद माँगता हूँ। उनका हृदय-परिवर्तन हो जाये तो तुरन्त स्वराज्य प्राप्त करनेकी मेरी आशा कई गुना बढ जायेगी।

आप तो नरमदलवालोंको भी लेना चाहते हैं और हिंसावादियोंके लिए भी रास्ता खोल देना चाहते हैं। यह क्या है और इन सबके बीच मेल कैसे बँठ सकेगा ?

मुझे तो सत्यके लिए ही जीना है और सत्यके लिए ही मरना है। मैं चाहता हूँ कि लोग और कुछ नहीं तो कमसे-कम सच्चे और ईमानदार तो बने। मैं जो आदर्श स्थिति चाहता हूँ उसे यदि सबसे स्वीकार कराऊँ तो उससे ईमानदारी तो नहीं बढेगी, लेकिन पाखण्ड पैदा होगा। आज मैंने जिस प्रस्तावपर सही की है, उससे प्रामाणिकता बढेगी। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि लोग छोटीसे-छोटी बातकी ही प्रतिज्ञा करके उमका पूरी तरह पालन करे। इसीलिए मैं कहता था कि कांग्रेसके सकल्पमें से “शान्तिपूर्ण और उचित” शब्द निकाल दिये जाये। अहिंसाकी प्रतिज्ञा लेकर हिंसाके रान्तेपर चलनेसे क्या यही अच्छा नहीं है कि अहिंसाकी प्रतिज्ञा ही न ली जाये ? मेरे आदर्श अगर देशको पसन्द हो तो वह उन्हें स्वीकार करे, अगर

उसे वे स्वीकार नहीं हो तो फिर मैं उन्हें अपनी जेबमें रगने रहूँगा। फिर भी, जिन वस्तुओंका त्याग नहीं किया जा सकता, उनका त्याग तो मैंने नहीं किया। अगर कोई हिन्दू मुझसे आकर कहे कि मुझे हिन्दू-मुस्लिम एकताको उद्देश्यके रूपमें नहीं रचना चाहिए तो क्या मैं उसे स्वीकार कर लूँ? उगी तरह अगर कोई मद्रम्यताकी शर्तोंमें मिलके कपड़ोंके उपयोगकी छूट देनेको कहे तो उने भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता था। कारण, वंसा करके तो मैं ग्वादीका विनाश ही कर देता।

एक समय आप ऐसा कहते थे कि किसी सहयोगी वकीलमें तो ईमानदार बूट पालिश करनेवाला अच्छा है। लेकिन आज तो आप वकीलो और श्रीमन्तोंके बननेके लिए तैयार हैं।

हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैंने जो कहा था, वह शन्दश ठीक था। आज असहयोग है कहाँ? अगर असहयोग पूर्ण रूपमें व्याप्त हो, अगर बूट पालिश करनेवाले जैसे लोग भी पूरा असहयोग कर रहे हो तो वे सहयोगियोंको अलग रख सकते हैं। लेकिन, मैं कोई कांग्रेसका मालिक नहीं हूँ। अगर मैं नेता होना चाहूँ तो सदस्योंके लिए अशक्य शर्तें रखकर नहीं, बल्कि महजमाध्य शर्तें रखकर ही हो सकता हूँ। अगर झगडा-तकरार नहीं होता, कटुता नहीं फैली होती तो मैं अपनी गाडी पहलेकी ही तरह चलाता। लेकिन, ऐसा कुछ रहा नहीं, इसलिए मुझे लगा कि अभी मुझे चुप ही रहना चाहिए और लडाईकी बात भूल जानी चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, १६-११-१९२४

## २५४. भाषण : हावड़ा नगरपालिका द्वारा दिए मानपत्रके उत्तरमें'

७ नवम्बर, १९२४

अध्यक्ष महोदय, पार्षदगण और भाइयो,

आज सायकाल आपने जो सुन्दर मानपत्र भेट किया है, उसका अगर लम्बा उत्तर न दूँ तो क्षमा कर दीजिए। अभी तो समयसे मेरी होड लगी हुई है। मुझे दिल्ली जानेके लिए डाकगाडी पकडनी है। बाहर बहुत बडी भीड मेरा इन्तजार कर रही है और पता नहीं स्टेशन पहुँचनेमें मुझे कितना समय लग जायेगा। इसलिए यदि भाषण समाप्त करके मैं तुरन्त सभा-भवन छोड दूँ तो कृपया क्षमा कर दीजिए। इस मानपत्रके लिए और इसमें आपने मेरे वारेमें कृपापूर्वक जो उद्गार व्यक्त किये हैं उनके लिए मैं आपको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। इस मानपत्रका मैं जो सबसे सक्षिप्त और उपयुक्त उत्तर दे सकता हूँ वह है कलकत्ता नगर निगम द्वारा

१. मानपत्र हावड़ा टाउन हॉलमें भेंट किया गया था।

भेंट किये गये मानपत्रके उत्तरमे कही वातोको दुहरा देना। लेकिन यदि उसमे कुछ जोड़ना हो तो मैं आशा करता हूँ कि यह काम देशवन्धु दास कर लगे। मेरे कल सायकालके भाषणसे अधिक वे जो-कुछ भी आपसे कहेगे, उसे और नगरपालिकाके काम-काज तथा उसकी सीमाके अन्दर रहनेवाले लोगोके कल्याणके सम्बन्धमे कहे गये उनके एक-एक वाक्यको मैं अपना ही वाक्य मानूंगा। मैं एक बार फिर आपके उद्गारो तथा आपके मानपत्रके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम भारतको शीघ्र ही अपनी मनोवाछित स्थितिमे देखेगे। धन्यवाद।

[ अग्नेजीसे ]

अमृत बाजार पत्रिका, ८-११-१९२४

## २५५. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे<sup>१</sup>

कलकत्ता

७ नवम्बर, १९२४

यह पृष्ठनेपर कि आपके और स्वराज्य पार्टीके बीच हुए समझौतेका देशपर क्या प्रभाव होगा श्री गांधीने कहा।

अभीसे निश्चित तौरपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे आशा है कि अपरिवर्तनवादी लोग उसे हृदयसे स्वीकार कर सकेंगे और जो लोग १९२० में कर्तव्य मानकर कांग्रेससे अलग हो गये थे वे अब पुनः वापस आ जाना ठीक मानने लगेगे।

श्री गांधीने यह आशा भी व्यक्त की कि इस नये परिवर्तनसे खहरके उत्पादनमें भी वृद्धि होगी।

वगालकी स्थिति तथा विनियम ३ और विशेष अध्यादेशके अधीन की गई गिरफ्तारियोंके बारेमें पृष्ठनेपर उन्होंने कहा

दमनके परिणामस्वरूप भारतके राजनीतिक दलोमे एकता पैदा होनी चाहिए, क्योंकि स्थितिका यथाशक्य ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेके बाद भी मेरा यह विचार कायम है कि यह दमन स्वराज्य दलपर ही किया गया एक प्रहार है। दूसरे शब्दोमे, यह सरकारका दृढतापूर्वक विरोध करनेके उस सकल्पपर प्रहार है जिसने सरकारको परेशानीमें डाल रखा है, भले ही वह विरोध कितना ही सवैधानिक क्यों न हो। यदि सभी दल मिलकर इस दमन-नीतिका स्पष्ट शब्दोमें विरोध करें तो सरकारको इस बातका अहसास हो जायेगा कि जनमत पूरी तरह उसके विरुद्ध है। जहाँतक खुद मेरा सम्बन्ध है, मुझे बहुत खेद है कि इस कठिन समयमें असहयोग या यदि अधिक सही शब्दका प्रयोग करें तो सविनय अवज्ञाके लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है, वरना मैं समझता हूँ, वगाल सरकारने जो तरीके अपनाये हैं वे तो ऐसे हैं कि

१. भेंट कलकत्तासे प्रस्थान करनेसे पहले हुई थी।



पूर्ण अहिंसामें विश्वास रखनेवाले लोग जो भी कड़ी-कड़ी सीधी कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें करनी चाहिए थी। यह सरकारकी मनमानीका भी उत्तर होगा जोर विप्लववादी दलको भी यह दिखानेका एक कारगर उपाय होगा कि उमका तरीका निरर्थक है। सरकारने जैसी दमन-नीति अपनाई है उसे और विप्लववादी दलके तरीके, दोनों को ही मैं अराजकता मानता हूँ। सरकारकी कार्रवाईमें रातरेकी ज्यादा सम्भावना है, क्योंकि वह कार्रवाई अधिक सगठित रूपसे और कानूनके नामसे की जाती है। किन्तु, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जबतक हम आपसमें ही जगड रहे हैं और बानावरणमें हिंसाकी भावना व्याप्त है, तबतक भविष्य अवज्ञा अगम्भव है। उममें कोई फर्क नहीं पडता कि हिंसाके शिकार फिलहाल हम ही बने हुए हैं। किन्तु, यदि हिन्दुओं और मुसलमानोंने अपना आपा नहीं रो दिया होता और कांग्रेसके भीतर मनभेद न होता तो मैं दिखा देता कि हिंसा तरीकोंकी अपेक्षा सन्निय अवज्ञा का गुनी अधिक कारगर और कार्य-साधक है। चूँकि भविष्य अवज्ञाके लिए यह आवश्यक है कि वह अहिंसात्मक हो तथा खुले तौरपर और ठठोर सत्यनिष्ठामें की जाये, इसलिए यह एक ऐसा अस्त्र है जिसका उपयोग अत्यन्त प्रामाणिक व्यक्ति ही कर सकते हैं।

यह पूछनेपर कि भारतमें रहनेवाले उन यूरोपीयोंका रवैया क्या होना चाहिए जिनका सरकारसे सम्बन्ध नहीं है, श्री गांधीने कहा :

मेरे विचारसे उनका रास्ता बिल्कुल साफ है। जहाँतक मुझे मालूम है, अराजकतावादी गतिविधियोंका विरोध करने और उन्हें डुवानेमें सारा भारत उनसे सहयोग करेगा, किन्तु उनसे भारतीय दृष्टिकोण तथा भारतीयोंकी आकाक्षाओंकी समझनेकी अपेक्षा की जाती है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सत्ताके मनमाने प्रयोगका विरोध करनेमें भारतीयोंका साथ देगे और भारतीयों द्वारा अपने स्वतन्त्रताके अधिकारको प्रतिष्ठित करनेके प्रयासमें उनसे सहयोग करेगे।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इडिया, ८-११-१९२४

## २५६. समयका मूल्य

हमारे सम्बन्धमें ऐसा कहा जाता है कि हम समयके मूल्यको नहीं जानते। इस कथनमें बहुत सत्य है। मैं जानता हूँ कि हमारे महान् नेता भी समयकी कीमत पूरी तरह नहीं समझते। कदाचित् ही कोई सभा नियत समयपर आरम्भ होती है। हजारों लोग धैर्यपूर्वक समयके अपव्ययको सहन करते हैं।

लेकिन वस्तुतः देखा जाये तो अंग्रेजी कहावतके अनुसार समय ही पैसा है, क्योंकि समयके बिना काम—मजदूरी नहीं होती और मजदूरीके बिना सम्पत्तिका निर्माण नहीं होता। खानमें दबे हुए जवाहरातकी कीमत कुछ भी नहीं है। उनकी खोजमें जो समय लगता है, अर्थात् उसमें जो श्रम करना पडता है, उसीकी कीमत है। जितनी आसानीसे लोहा मिलता है, यदि उतनी ही आसानीसे सोना भी मिलने

लगे तो, यद्यपि सोना बहुत सुन्दर होता है, तथापि उसकी आज जितनी कीमत है उतनी कीमत न रहे। सूर्यकी किरणे सोनेसे करोडो गुना ज्यादा सुन्दर हैं, लेकिन वे हमे इस देशमे जितनी चाहे उतनी मिलती है, इसलिए हम उनका कोई मूल्य नहीं समझते। लेकिन जहाँ सूर्यके प्रकाशका अभाव होता है, वहाँ लोग उसे प्राप्त करनेके लिए दाम देते हैं।

हमारी सभाओकी कार्यवाही समयानुसार नहीं चलती। इससे हमारा जितना समय नष्ट होता है और समयके नष्ट होनेसे समाजको जो नुकसान होता है, उसका हमे कोई भान नहीं है। किन्तु सार्वत्रिक स्वेच्छा-कताईसे हमे इस चीजकी पर्याप्त तालीम मिल रही है। जबतक प्रत्येक कातनेवाला और प्रत्येक मण्डल अपना-अपना कार्य समयपर नहीं करता तबतक हजारो और लाखो कातनेवालोके सूतको एकत्र करना, जाँचना और वर्गोंमे बाँटना — यह सब असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जायेगा।

गुजरात पहले नम्बरपर आता है, इससे हमे खुशीसे फूल उठनेका कोई कारण नहीं है। जहाँ बहुत थोडा काम होता हो, वहाँ कुछ अधिक काम करनेवाला भी छाजता है, लेकिन जबतक वह आवश्यक सीमातक नहीं पहुँच जाता तबतक उसका यह छाजना व्यर्थ है। गुजरातमे अभीतक दो हजार कातनेवाले भी नहीं तैयार हुए हैं। लेकिन यदि दो हजार भी हो जाये तो भी उनकी क्या गिनती है? हमारा उद्देश्य सबको खादीधारी बना देना है, घर-घर सूत कातनेका यज्ञ आरम्भ करवाना है। इस उद्देश्यका विचार करते हुए गुजरातके आँकडोका मूल्य नगण्य प्रतीत होता है।

यदि हम इस कार्यको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो तो हमे समयका मूल्य समझना-सीखना ही होगा। इसीलिए मैंने सुझाव दिया है कि प्रत्येक कातनेवालेको धर्म मानकर नित्य आधा घटा सूत कातना चाहिए। यदि उसे बिना नागा किये नित्य आधा घटा कातना हो तो उसे पहलेसे ही समय निर्धारित कर लेना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो देखेगा कि उसका एक भी दिन बिना सूत काते नहीं जायेगा तथा वह निश्चित दिन और नियत समयपर अपना सूत, जहाँ भोजना हो, वहाँ भेज सकेगा।

इससे सबका समय बचता है। इस तरह उपसमितियाँ निश्चित दिन और निश्चित समयपर सूत इकट्ठा करके प्रान्तीय समितियोंको और प्रान्तीय समितियाँ उमे निश्चित समयपर मुख्य समितिको भेज सकती हैं। यदि ऐसा हो तो समयकी कितनी बचत हो और काममे कितनी सुविधा हो जाये?

गुजरातमे खासी व्यवस्था आती जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत-कुछ करना बाकी है। कातनेका यह काम एक दिनके लिए अथवा एक वर्षके लिए नहीं है। इसका सम्बन्ध तो हिन्दुस्तानके अस्तित्वके साथ है। इसके बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता और स्वराज्यकी रक्षा भी नहीं की जा सकती। यहाँ यदि कोई स्वराज्यका अर्थ आर्थिक स्वतन्त्रता करना चाहे तो भले ही करे। हमारे कार्यके लिए यह सीमित अर्थ ही पर्याप्त है। मेरा यह दृढ विश्वास है कि यदि हम आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेंगे तो और सब-कुछ स्वत ही प्राप्त हो जायेगा।

अतः कताईकी प्रगति मुदृढ होनी चाहिए और उगमें दिन-प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। कताईके इस कार्यमें हमारी त्याग-शक्ति, देश-भक्ति, समयके मूल्याको जाननेकी शक्ति, योजना-शक्ति, श्रद्धा और दृढता आदि सबकी कमीटी निहित है।

काग्रेसका अधिवेशन होनेमें अब कोई देर नहीं है। उगके पहले अब हमारे पाग केवल दो महीने ही रह गये हैं। हमें गारा मून पूरे हिमावके साथ पन्द्रह तारीखमें पहले-पहले अखिल भारतीय गानी वोंडको भेज देना चाहिए। मैं तो काननेवालोंकी सख्यामें बहुत ज्यादा वृद्धि देवना चाहता हूँ। मस्याकी उग वृद्धिकी चावी भी समयानुसार कार्य करनेमें ही निहित है।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ९-११-१९२४

## २५७. पत्र : सतीश चन्द्र मुखर्जीको

९ नवम्बर, १९२४

प्रिय सतीश बाबू,

आप चले गये, यह जानकर बडा दुःख हुआ। मैं तो सोच रहा था कि आपसे मिलकर सभी तरहके विषयोपर खूब जमकर बातचीत करूंगा। आशा है, ऐमा कोई विशेष गम्भीर समाचार नहीं मिला होगा, जिसके कारण आपको इस तरह अचानक जाना पडा। आशा है, कृण्टोदास इसका कारण नहीं था। मेरी तो सलाह है कि उसके बारेमें आप चिन्ता न करे। मैंने उसे चाँदपुर जानेकी अनुमति तभी दी, जब मुझे लगा कि उसके लिए वहाँ जाकर अपने परिजनोसे मिलना अब ठीक है। उसने मुझसे पक्का वादा कर रखा है कि वह आगामी १८ तारीखसे पहले-पहले या ज्यादामें-ज्यादा १८ तारीखतक लौट आयेगा। मैं डा० अन्सारीके घर, दरियागजमें टिका हुआ हूँ। आशा है श्री गरोडियाके घर आपका समय आनन्दपूर्वक बीता होगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

श्रीयुत सतीश चन्द्र मुखर्जी

११०, हाजरा रोड

कलकत्ता

अग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६०८) की फोटो-नकलसे।

## २५८. पत्र : कृण्टोदासको

९ नवम्बर, १९२४

प्रिय कृण्टोदास,

तुम समझ सकते हो कि यह जानकर मुझे कितना दुःख हुआ होगा कि हमारे दिल्ली पहुँचनेसे दो ही घंटे पहले सतीश बाबू यहाँसे जा चुके थे। मैं बड़ा परेशान रहा और अब भी हूँ। मैंने बहुत सारे विषयोपर उनसे जमकर बातचीत करनेकी उम्मीद लगा रखी थी। स्वराज्यवादियोंके साथ हुए समझौतेपर भी बातचीत करनी थी। मैं निश्चित तिथिसे पहले ही यहाँ तुम्हारी राह देखूँगा। हमें १९ तारीखको यहाँसे बम्बईके लिए चल देना होगा। आशा है, तुम्हारे पिताजी स्वस्थ-सानन्द होंगे और चाँदपुरमें तुम मजेमें होंगे। हम लोग डा० अन्सारीके घर टिके हुए हैं।

तुम्हारा,  
बापू

श्रीयुत कृण्टोदास  
११०, हाजरा रोड  
भवानीपुर  
डाकघर — कालीघाट  
कलकत्ता  
बंगाल

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६०९) की फोटो-नकलसे।

## २५९. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे

दिल्ली

१० नवम्बर, १९२४

कलकत्तेमें स्वराज्य दलके नेताओं और गांधीजीके बीच हुए समझौतेके प्रश्नपर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिने इसी १० तारीखको दिल्ली लौटनेपर गांधीजीसे भेंट की थी। इस भेंटका निम्न विवरण प्रकाशित किया गया है।

प्रतिनिधिने उनसे पूछा कि आपने और श्री दास और श्री नेहरूने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, यदि उसका उद्देश्य नरमदलीय और दूसरे लोगोंको कांग्रेसमें फिर सम्मिलित होनेका निमन्त्रण देना है तो आप सबने इसकी अपील निकालनेसे पहले उनसे सलाह क्यों नहीं की? श्री गांधीने उत्तर दिया।

इससे पहले कि स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी किसी मयात कारंवाडपर सहमत हो सके ऐसी सलाह करना अमभव था, कयाकि डग प्रकारकी अपील काग्रेसके दोनो पक्षोकी सयुक्त अपील होनी चाहिए। अमल बात यह है कि अपरिवर्तनवादियोंमें भी कोई सलाह नहीं की गई है। यह मच है कि मैं बगालमें अपरिवर्तनवादियोंमें मिला था और मैंने उनसे स्थितिके सम्बन्धमें बातचीत की थी, जैसे कि उगाहरणके लिए मैं श्री सत्यानन्द बोससे मित्र था और मैंने उनमें भी उग विषयमें विचार-विनिमय किया था। किन्तु मैंने उन लोगोंकी स्वीकृति प्राप्त करनेकी कोशिशतक नहीं की थी। इसका सीधा-सादा कारण यह था कि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था न थी जिसके जरिये एक समुदायके रूपमें अपरिवर्तनवादियोंकी उच्छा जान नहूँ और उनसे विधिवत् कोई वचन ले सकूँ। इसलिए मैंने सबसे अच्छा यही समझा कि मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे दूँ और उसे समुचित विचारके लिए देशके सम्मुख रख दूँ। आप देखेंगे कि यह समझौता उन सब दलोंके नाम एक मित्रारिणके रूपमें है जो कांग्रेसमें शामिल है अथवा कांग्रेसके बाहर है। सलाह करनेका समय तो अब आया है। अपरिवर्तनवादी अपनी राय अगली अगिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें व्यक्त कर सकेंगे। मीलाना मुहम्मद अलीने कांग्रेस-अध्यक्षकी हैसियतमें इस सम्मेलनके लिए सब दलोंके प्रतिनिधियोंको, जिनमें 'यूरोपियन एसोसिएशन'के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, निमन्त्रण भेज दिये हैं।

स्वराज्य दल और मैंने जो सिफारिश की है वह सम्मेलनमें सब दलोंके सामने रखी जायेगी कि वे उसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। समझौतेसे यदि कोई वचन-वद्ध है तो वह स्वराज्य दल और व्यक्तिगत रूपमें मैं स्वय ही हूँ, अन्य कोई भी व्यक्ति या दल नहीं। हर एक व्यक्ति हमें समझानेके लिए स्वतन्त्र है और यदि कोई ऐसा दूसरा समझौता हो जिससे सब दल किसी एक कार्यक्रमके बारेमें एक मचपर इकट्ठे हो सके और जिससे हमें अपने समान लक्ष्यकी ओर आगे बढ़नेमें आसानी हो और जो एक ओर तो बगाल सरकारकी दमन-नीतिका कारण उत्तर हो और दूसरी ओर गुमराह अराजकतावादियोंकी इच्छासे भी मेल खा सके और इस प्रकार उन्हें सही मार्गपर ला सके तो मुझे पूरा भरौसा है कि उस समझौतेके मार्गमें न तो स्वराज्य दल बाधक होगा और न स्वय मैं ही। समस्त नेताओंसे मेरा अनुरोध है कि वे मीलाना मुहम्मद अलीका निमन्त्रण स्वीकार कर ले और बम्बईके आगामी सम्मेलनकी कारंवाईमें सहायता और मार्गदर्शन करे।

[ अग्रेजीसे ]

यंग इडिया, १३-११-१९२४

## २६०. पत्र : मुहम्मद अलीको

११ नवम्बर, १९२४

प्रिय भाई,

महादेव तो मुझे 'नवजीवन' के प्रबन्धकका पत्र दे ही नहीं रहा था, लेकिन मेरे जोर देनेपर दे दिया। उसे मैंने पढ लिया है। मेरे मनको गहरी चोट लगी, बहुत अपमानित-ता महसूस किया। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 'नवजीवन' की ओरसे आपको ऐसा भी पत्र भेजा जा सकता है। मैं किसी तरह अपनेको इस पत्रकी जिम्मेदारीसे अलग नहीं कर सकता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस तरहकी अपूर्णताका दोष मुझे जीवन-भर ढोना ही पड़ेगा। अपूर्ण व्यक्ति जिन्दगीके साथ मानो जुआ खेलता रहता है और इस तरह बराबर नुकसान उठाता रहता है। यही कारण है कि ससारके कुछ श्रेष्ठतम व्यक्तियोंने भी सबसे नाता तोड़कर सिर्फ अपने ख़ाटके सान्निध्यमे ही रहना पसन्द किया है। स्वामीसे सम्बन्ध तोड़ लेनेको न मेरा जी चाहता है, न मुझमे उतनी हिम्मत है। वह भला आदमी है, बहादुर और ईमानदार है। जाति अथवा धर्मको लेकर उसके मनमे कोई पूर्वग्रह नहीं है। लेकिन उसमे कुछ-एक चीज ऐसी है जिनके कारण कभी-कभी वह दूसरोको चोट पहुँचानेवाले काम कर जाता है। आप मेरी खातिर उसे क्षमा कर दे और यदि क्षमा कर दे तो आप मुझे यह भी अवश्य लिख भेजे कि आपके विचारसे 'नवजीवन' आपका कुल कितनेका देनदार है। इससे मैं बहुत-सी परेगानियोंसे बच जाऊँगा।

यह मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब हम लोग मिलते हैं तब तो बस राजनीति और दर्शनकी ही चर्चाओमे डूब जाते हैं। चर्चके लिए हमें घरेलू मामले बड़े मामूली लगते हैं। लेकिन मेरे जीवनमे उनका स्थान प्रमुख है। वे मुझे अपनी लाचारियाँ पहचानना सिखाते हैं।

आपका,  
मो० क० गांधी

[ अग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।  
सौजन्य नारायण देसाई

## २६१. पत्र : फूलचन्द शाहको

कार्तिक सुदी १५ [११ नवम्बर, १९२४]

भाईश्री फूलचन्द,

आपके पिछले पत्रका मुझे रमरण है। मैं खुद ही आपको लिखूंगा, उन आशामें मैंने महादेवसे पत्र लिखनेके लिए नहीं कहा। इसी बीच मेरा कार्यक्रम अनियमित हो गया और बादमें मैं कलकत्ता ही चला गया। आपका पत्र ऐसा था कि उसका उत्तर तुरन्त भेज देना चाहिए था। अब तो आपको यही सन्तोष दे सकता हूँ कि आपने क्षमा मांग लीं। बल्लभभाईको लिख रहा हूँ कि वे आपको ५,००० रुपये दे दें। जैसा कि आप लिखते हैं, इतने पैसेमें आपका काम चल जायेगा। मेरा खयाल है कि मैं इस महीनेके आखिरी हफ्तेमें आश्रम पहुँच ही जाऊँगा। आप उस समय मुझसे मिलियेगा, ताकि मैं आपको सब-कुछ और अच्छी तरह समझा सकूँ।

हम शिवलालभाईकी जमीनके बारेमें भी बातचीत करेंगे और बढवानकी पाठशालाको बाहरी सहायतासे चलाना कहाँतक उचित है, इस नैतिक प्रश्नपर भी विचार करेंगे। यह प्रश्न अनेक पाठशालाओंपर लागू होता है।

बापूके अशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८२३) से।

सौजन्य शारदावहन शाह

## २६२. पत्र : लक्ष्मीको

कार्तिक सुदी १५ [११ नवम्बर, १९२४]

[चि० ल०]<sup>१</sup> क्षमी,<sup>३</sup>

तुम्हारा दूसरा पत्र मिल गया था। तुम्हारी लिखावटमें अभी और सुधार होना चाहिए। मुझे और दूदाभाईको नियमित रूपसे पत्र लिखनेकी आदत डालो।

आशा है, प्रसन्न होगी। इसी महीनेकी [अग्रेजीके अनुसार] आखिरी तारीख तक वहाँ पहुँचनेकी आशा करता हूँ।<sup>५</sup> तुम कातने और प्रातःकाल जल्दी उठनेके

१ ढाककी मुहरसे।

२ मूलमें यहाँ कुछ कटा-फटा है।

३ दूदाभाई और दानी बहनकी पुत्री, ये लोग मई, १९१५ में सावरमती आश्रमकी स्थापनाके तुरन्त बाद ही वहाँ आकर बस गये थे।

४. गांधीजी २६ नवम्बर, १९२४ को सावरमती आश्रम पहुँचे थे।

नियमन पालन करोगी। मैं मक्के मुंहमे यह बात सुनना चाहता हूँ कि अब तो लक्ष्मी नमजदार हाँ गई है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० उल्लू० ६१००) से।

सौजन्य छगाशाल गाधी

## २६३. तार : वी० सुब्रह्मण्यमको<sup>१</sup>

[११ नवम्बर, १९२४ के पत्रात्]

पत्र मिला। आपके साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति है। मेरा खयाल है 'वग इंडिया' में अधिकांश प्रश्नोंके उत्तर मिल जायेंगे। अगले अकमे जोर भी खुलना हो जायेगा।<sup>२</sup> व्यक्तिश मैं अमहयोगीके रूपमे सदाकी भाँति दृढ़ हूँ।

गाधी

अग्नेजी प्रति (एम० एन० ११७१६) की माउक्रीफिल्ममे।

## २६४. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको<sup>३</sup>

दरियागज

दिल्ली

१२ नवम्बर, १९२४

प्रिय मित्र,

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा अन्य सार्वजनिक सस्याओंके प्रतिनिधियोंके बीच होनेवाली आगामी परिषद्के सम्बन्धमें मौलाना मुहम्मद अली द्वारा भेजा निमन्त्रण-पत्र आपने पढा<sup>४</sup> ही होगा। आशा है, आप परिषद्में शामिल हो सकेगे। उसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी तरह सम्भव हो तो बंगालमे चलनेवाले दमनके सम्बन्धमें हर तरहके विचारकी अभिव्यक्तिका मौका दिया जाये। जहाँतक मैं समझ पाया हूँ इस दमनका लक्ष्य अराजकतावादी गतिविधियाँ नहीं, बल्कि सरकारको

१ मन्त्री, प्रान्तीय खादी बोर्ड, सीतानगरम्, जिला गोदावरी, आन्ध्र।

२ ११ नवम्बरका पत्र।

३ स्वराज्य दलके नेताओंके साथ जारी क्रिये गये सयुक्त वक्तव्यके सम्बन्धमें।

४ यह एक गरीबी पत्र जान पड़ता है, जो जी० ए० नटेशन (जी० एन० २२२१) और डा० सप्रूके नाम (जी० एन० ७१९२) भी लिखा गया था।

५ जी एन माधन सूत्रमें यहाँ 'देखा' शब्द है।



परेशानीमे डालनेवाले सवैधानिक सुधारोके आन्दोलनको कुचल देना है। परिपद् बुलाने-का एक उद्देश्य इस बातका भी पता लगाना है कि अन्य मामलोमे अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए भी राष्ट्रीय विहासमे सहायक एक मंत्रणामान्य रचनात्मक कार्य-क्रमको पूरा करनेके लिए कांग्रेसके मंचपर सभी दलोका मिल-जुलकर काम करना सम्भव है या नही। मुझे भरोसा है कि यदि आप परिपद्मे शामिल हो गके तो सभी दलोको सन्तोषप्रद लगनेवाले एक निष्कर्षपर पहुँचनेमे आपका महयोग और परामर्श परिपद्के लिए बडा मूल्यवान् सावित होगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[अग्नेजीसे]

लेटर्स ऑफ धीनिवास शास्त्री

## २६५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

दिल्ली

१२ नवम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तो वेशक यह जरूरी लगता है कि कार्यकर्ताओका एक उडन-दस्ता हो। उसमे हिन्दू और मुसलमान दोनो हो, जो खबर पाते ही सकट-ग्रस्त क्षेत्रोमे जाँच-पडतालके लिए चल पडे। हम हमेशा इस बातका इन्तजार नही कर सकते कि कोई विशिष्ट व्यक्ति ही जाये। अब उदाहरणके लिए उसी मामलेको लो जो कल तुम्हारे पास भेजा गया है। जो वयान दिये गये है, वे यदि सच हो तो अपराधियोका पर्दाफाश कर देना चाहिए, यदि वे झूठे हो तो अखवारके सवाददाताओके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जाँच तत्काल और पूरी-पूरी की जानी चाहिए। इस कामके लिए मैं महादेवको तैयार कर रहा हूँ और प्यारेलालको भी राजी कर रहा हूँ। प्यारेलालके मनमें व्यर्थ ही सशय है। क्या मजर अली यह काम कर सकेगे? इसके लिए उन्हें वेतन भी दिया जा सकता है। पारिश्रमिक स्वीकार करनेमे उन्हें कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। इसके कारण उनके कताईके काममे रुकावट डालना भी जरूरी नही होगा। उनका कार्यक्षेत्र सिर्फ सयुक्त प्रान्ततक ही सीमित रखा जा सकता है, हालाँकि मैं तो चाहूँगा कि जबतक इस क्षेत्रमे कार्यकर्ताओकी एक पूरी टोली न उतर आये तबतक ऐसी कोई सीमा न बाँधी जाये। आशा है, कल तुम्हारे पास जो मामला भेजा है, उसकी जाँचके लिए तुम किसीको तत्काल भेज दोगे। तुम्हारे पास कुछ हफ्ते पहले जो मामला भेजा गया था, उसका क्या हुआ?

हृदयसे तुम्हारा,  
मो० क० गांधी

[ पुनश्च ]

मैं यह माने लेता हूँ कि यदि पहले नहीं तो गुरुवारको तो तुम पिताजीके साथ बम्बई आ ही जाओगे। उसी दिन गुवह मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। श्रीमती नायडू कल गुवह यहाँसे प्रस्थान करेगी।

मो० क० गाधी

[ अग्रेजीमें ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीमें।

सौजन्य नारायण देसाई

## २६६. पत्र : शुएव कुरैशीको

१२ नवम्बर, १९२४

प्रिय शुएव,

श्रीमती नायडूने मुझे बताया है कि आजकल तुम्हारा मन बहुत खिन्न रहता है और मनुष्य तथा ससारपर से विश्वास उठ जानेके कारण तुम दोनोंसे कतराने लगे हो। यदि ऐसा हो तो यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैंने तुम्हें सदासे एक धर्मात्मा व्यक्तिके रूपमें जाना है और औरोंसे भी ऐसा ही सुना है। तुम अत्यधिक सवेदनशील हो, यह तो मैंने खुद ही देखा है। इस सवेदनशीलतापर कावू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मनकी खिन्नतापर विजय पाना उतना सहज नहीं है। पर तुम ऐसे क्यों हो गये हो? हमें तो बहुत लम्बी और विकट लड़ाई लड़नी है। अगर ईश्वरकी मर्जी हुई तो यह जल्दी भी खत्म हो सकती है। लेकिन यदि लड़ाई लम्बी और विकट ही हो तो क्या कोई सिपाही इसपर शिकवा-शिकायत कर सकता है? नहीं, उसे तो ऐसा नहीं ही करना है। यदि दूसरे लोग लड़खड़ायें तो जिसमें आस्था है, वह उसी अनुपातमें और दृढ़ होता जाता है। अतः, मैं तो तुमसे यही अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे चारों ओर जो कमजोरियाँ और उलझने दिखाई दे रही हैं, उनका खयाल रखते हुए तुम और भी दृढ़ बनो और अधिक सकल्पके साथ जुट जाओ। इसलिए उदासी छोड़ो। अपना हृदय मुक्त रखो।

कृण्टोदासने मुझे बताया कि तुमने अभीतक गुलबर्गा-रिपोर्ट पूरी करके लौटाई नहीं। उसे भेज दो या २० तारीखको जब मैं वहाँ आऊँ तबतक उसे तैयार कर रखना। मैं १८ तारीखको एक्सप्रेससे खाना होनेकी उम्मीद रखता हूँ। शायद हकीम साहब और डा० अन्सारी भी मेरे साथ होंगे।

कृण्टोदास एक हफ्तेके लिए पीछे रह गया है। उसके कुटुम्बके लोग उससे मिलनेको बहुत बेकल थे। इसलिए वह चाँदपुर चला गया। वह १८ तारीखको या उसमें पहले ही लौट आयेगा।

श्रीमती नायडू कान्फ्रेसकी तैयारी करनेके लिए कठ ग्वाना होंगी। शायद तुम्हे मालूम न हो कि मैं ज० अन्सारीके घर टिगा हुआ हूँ।

तुम्हारा,  
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीमें]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित जायरीमें।  
सौजन्य नारायण देसाई

### २६७. पत्र : लाला लाजपतरायको

द्वारा ज० अन्सारी  
दरियागज  
१२ नवम्बर, १९२४

प्रिय लालाजी,

पत्रके उत्तरमें विलम्बके लिए आप क्षमा करेंगे। आप जानने ही हैं कि मुझे कलकत्ता भागना पड गया था और वहाँ मुझे मिनट-भरकी भी फुरसत नहीं मिल पाई कि कुछ लिखूँ। अब भी मुझमें पूरी शक्ति नहीं आ पाई है।

रावलपिण्डी आकर मैं क्या करूँगा? अब देखता हूँ, हिन्दुओने तो कमिश्नरकी शर्तें भी स्वीकार कर ली हैं। मैं उन्हें कोई राहत नहीं पहुँचा सकता, वहाँ सत्यकी जानकारी पा सकना भी मेरे लिए मुश्किल है। उन्हें कोई भौतिक सुख-मुविधा भी मैं नहीं दे सकता। यह काम तो बहुत-सी सस्थाएँ कर रही हैं। जो एक काम मैं उपयोगी ढंगसे कर सकता हूँ, उससे भी मैं लाचार कर दिया गया हूँ। अगर आप अब भी समझते हो कि मुझे रावलपिण्डी आना ही चाहिए तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन अब तो बम्बईकी बैठकके बाद ही यह सम्भव होगा।

फिर हमारे मिलनेकी भी बात है। डा० सत्यपालका<sup>१</sup> कहना है कि पजाव राजनैतिक परिषद्<sup>२</sup> दिसम्बरके पहले हफ्तेमें होनेवाली है। क्या आप तबतक वहाँ रहेंगे? हम लोग उसी अवसरपर मिलेंगे या उससे पहले? मुझे तो मंगलवारको यहाँसे चल देना है। क्या आप बम्बई जा रहे हैं? आपका स्वास्थ्य यह ग्वारा करेगा? अगर आप बम्बई न जा रहे हो और चाहते हो कि मैं दिसम्बरसे पहले ही आपसे मिलूँ तो कृपया तार द्वारा सूचित करें। आगामी १८ तारीखको अर्थात्

१. पजाबके कांग्रेसी नेता, जिन्हें १० अप्रैल, १९१९ को निर्वासित किया गया था।

२. मूलमें पी० पी० कान्फ्रेस है, जो अनुमानत. उक्त शब्दोंका ही संक्षिप्त रूप है।

मंगलवारको मुझे यहाँसे बम्बई रवाना हो जाना है। सोमवार मेरा मौनवार है, उस दिन तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। इस हालतमे मेरे लिए जो सम्भव है वह यही कि शुकवारकी रातको यहाँसे चली, शनिवार आपके साथ बिताऊँ और उसी दिन रातमे चलकर रविवारको यहाँ लौट आऊँ। अगर यह नहीं हुआ तो फिर हमारा मिलना दिसम्बरके आरम्भमे ही हो सकेगा—मतलब यह कि अगर हम बम्बईमे नहीं मिल सके तब। अब आप जो उचित समझे आज्ञा दे।

मेरे तथा दास और मोतीलालके हस्ताक्षरोसे प्रकाशित वक्तव्यपर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। परिस्थिति ज्यादासे-ज्यादा जटिल है और सबसे बुरी बात तो यह है कि यद्यपि हर आदमी समाधानके लिए मेरी ही ओर देखता है, किन्तु मुझे लगता है कि मेरे लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं। मेरे इतने सारे शिक्षित देशभाइयोको मेरी योजना निरी अव्यावहारिक लगती है, जबकि मुझे देशके लिए एक-मात्र यही योजना व्यावहारिक जान पड़ती है।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गाधी

[ पुनश्च ]

उक्त अश लिखनेके बाद आपका गत ११ तारीखका पत्र मिला। इसे पढनेके बाद आपको यदि लगे कि मुझे बम्बई जानेसे पहले ही रावलपिण्डी आ जाना चाहिए तो तार द्वारा सूचित करे। मैं तुरन्त चल पडूँगा और यदि आप लाहौरमे मुझे मिल जायें तो हम लोग रास्तेमें भी बातचीत करते जायें। अभी मेरा स्वास्थ्य जैसा है, उसे देखते हुए यह सब मुझपर बहुत कठिन गुजरेगा, लेकिन अगर इससे गुजरना ही पडा तो ऐसा नहीं है कि इसे बरदाश्त नहीं कर पाऊँगा। पत्र मिलते ही तार द्वारा सूचित करे कि मैं क्या कहूँ—सीधा पिण्डी पहुँच जाऊँ या एक दिनके लिए आपके पास आ जाऊँ। अगर आप मुझे पिण्डी भेजे तो मैं वहाँ सिर्फ एक दिन रुक पाऊँगा, क्योंकि मंगलवारकी रातमे तो मुझे बम्बई रवाना हो ही जाना है।

मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि समझौता बम्बईमें ही सम्पन्न हो जाये। आपके इस विचारमे मैं पूरी तरह महमत हूँ कि इसम जल्दवाजी नहीं करनी है। किमी भी निष्कर्षपर पहुँचनेमे पहले स्थितिकी पूरी जाँच-पड़ताल हो जानी चाहिए। कान्फ्रेंस स्वराज्यके सवालपर भी विचार करने नहीं जा रही है। हो सकता है, उसकी रूप-रेखा तैयार करनेके लिए कोई छोटी-सी समिति नियुक्त करनी पडे, जो अपनी योजना फिर ऐसी ही किसी कान्फ्रेंसके विचारार्थ प्रस्तुत करे। लेकिन, मुख्यतः कान्फ्रेंसका काम यह तय करना होगा कि दमनका उत्तर किस प्रकार दिया जाये और सभी दल कांग्रेसमें किस तरह शामिल हो। आज जो सज्जन मुझसे मिलने आये उन्होंने बताया कि अब आप पहलेसे अच्छे हैं और इस समय बम्बईकी आवा-हवा आपको पजावकी कडी आवाहवाकी बनिस्वत ज्यादा रास आ सकती है। लेकिन इसका फैसला तो सबसे अच्छी तरह आप ही कर सकते हैं कि अभी आपको बाहर

निरालना चाहिए या नहीं। मैं नहीं चाहूंगा कि कान्क्रेसकी म्यातिर आप अपना म्याम्य सतरेमे डाले।

मो० क० गांधी

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीमे।  
सौजन्य नारायण देसाई

## २६८. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

दिल्ली

कार्तिक वदी १ [१२ नवम्बर, १९२४]'

चि० भाई शान्तिकुमार,

चि० वहन माधुरीके विवाहका निमन्त्रण-पत्र मिला है। ईश्वर उसे और उसके पतिको दीर्घायु करे और उनकी शुभेच्छाओंको पूर्ण करे।

दादीजी तथा पिताजीको मेरा प्रणाम कहना।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४६९७) की फोटो-नकलमे।

सौजन्य शान्तिकुमार मोरारजी

## २६९. पत्र : वसुमती पण्डितको

द्वारा डा० अन्सारी

दरियागज

कार्तिक वदी १ [१२ नवम्बर, १९२४]'

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मुझे कलकत्तेमे मिला था। मैं रविवारको वापस आया। मुझको लिखे पत्रोमे गलतियाँ हो तो कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। वैसे तो चाहे किसीको लिखे पत्रमें गलतियाँ रह जाये, उससे क्या फर्क पडता है? भाषा तो विचारका वाहन है। जबतक विचारमें दोष न हो तबतक सब-कुछ ठीक ही है। विमानमे बैठे राक्षस वन्दनीय नहीं है। लेकिन सन्त तो खटारेमे बैठे रहनेपर भी वन्दनीय

१. १२-११-१९२४ को गांधीजी दिल्लीमें थे।

२. डारुकी मुहरसे।

ही है। हजीरा तो जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाओ। मुझे १८ तारीखको बम्बईके लिए निकल जाना है। वहाँ तीन-एक दिन लगेगे। फिर आश्रम जाऊँगा।

वापूके आशीर्वाद

चि० वसुमती

द्वारा — मेसर्स स्ट्रॉस एंड कम्पनी

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४६०) से।

सौजन्य वसुमती पण्डित

## २७०. तार : अबुल कलाम आजादकी<sup>१</sup>

[ १२ नवम्बर या उसके पश्चात् ]

मौलाना अबुल कलाम आजाद

गुरुवारकी सुबह बम्बई पहुँचनेकी कोशिश करे। मैं भी तभी पहुँच रहा हूँ।

गाधी

अग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७१८) की फोटो-नकलसे।

## २७१. समझौता

स्वराज्यवादियोंको जितना-कुछ देना मेरे लिए सम्भव था, वह सब दे सकनेकी, बल्कि मैंने या मेरे मित्रोंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा देनेकी शक्ति ईश्वरने मुझे दी, इसके लिए मैं ईश्वरका बड़ा आभारी हूँ और स्वराज्यवादियोंने मेरी जितनी मान ली, उसके लिए मैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ। मैं जानता हूँ कि रचनात्मक कार्यक्रमपर जितना जोर मैं देता हूँ उतना जोर बहुत-से दूसरे लोग नहीं देते। सदस्यताकी शर्तोंमें सरती लानेका प्रस्ताव बहुत-से लोगोंके लिए एक कड़वा घूँट था,

१ यह तथा पाँच ऐसे ही तार पाँच अन्य व्यक्तियोंको भेजे गये थे। ये लोग थे— कोण्डा वेंकटय्यैया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जमनालाल बजाज, गंगाधरराव देशपांडे और जयरामदास दौलतराम। ये सभी तार १२ नवम्बरको, मोतीलाल नेहरूका निम्नलिखित तार प्राप्त होनेके बाद भेजे गये थे “महादेवका पत्र मिला। आपसे और दाससे परामर्श करनेके बाद निमन्त्रण पत्र भेजनेमें बहुत देर हो जायेगी। मेरा सुझाव तारसे मुहम्मद अली द्वारा उल्लिखित सस्थाओके प्रतिनिधियों और प्रमुख व्यक्तियोंको भी अपनी, दास और मेरी ओरसे निमन्त्रित कर दें।”

लेकिन एकताकी और देशकी खातिर वे उसे पी गये। उसके लिए उनका जितना भी अभिनन्दन किया जाये, बोजा होगा।

यह समझीता स्वराज्यवादियोंकी अपरिवर्तनवादियोंकी बराबरीकी स्थितिमें ला रखता है। अगर मत लेनेकी जगह और उसमें जुड़ी दूसरी तमाम परेशानियोंमें बचना था तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अहिंसाका मतलब है—जहाँतक अपने सिद्धान्तोपर आँच नहीं आती हो वहाँतक दूसरोंकी अधिकसे-अधिक मुनना और मानना। स्वराज्यवादियोंका कहना है कि उनका दल एक वर्धमान दल है। उस बातसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि सरकारपर उनका कुछ असर हुआ है। उस असरके महत्त्वके बारेमें मतभेद हो सकता है, लेकिन उस तथ्यमें तो मन्देशकी कोई गुजाइश नहीं है कि उनका असर हुआ है। उन्होंने मकल्प और दृढता दिखाई है, अनुशासन और सगठनका परिचय दिया है और अपनी नीतिको कार्यान्वित करनेमें वे सरकारसे सघर्ष मोल लेनेकी सीमातक भी जानेमें नहीं जिझके हैं। अगर कोमिल-प्रवेशकी वाछनीयताको एक बार स्वीकार कर लिया जाये तो मानना पडेगा कि भारतीय विधान-सभाओंमें उन्होंने एक नई भावना भर दी है। मुझे-जैसे लोगोंके लिए यह बात खेदजनक अवश्य है कि उनकी इसी चमक-दमकसे राष्ट्रका ध्यान अपने-आपसे हट जाता है, लेकिन जबतक हमारे योग्यतम व्यक्तियोंको कौंसिल-प्रवेशमें विश्वास है तबतक तो हमें उसका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करना ही चाहिए। यद्यपि मैं एक कट्टर अपरिवर्तनवादी हूँ, फिर भी मुझे न केवल उनके दृष्टिकोणके प्रति सहिष्णुता बरतनी चाहिए और उनके साथ मिल-जुलकर काम करना चाहिए, बल्कि जहाँ-कहीं सम्भव हो, उनके साथ अपने सम्बन्ध मजबूत भी करने चाहिए।

यदि अपरिवर्तनवादी लोग महत्त्वपूर्ण मतभेदोंका निवटारा मतदानके द्वारा नहीं करना चाहते तो वे कांग्रेसका काम पारस्परिक सहमति और सहिष्णुताके आधारपर ही चला सकते हैं, बशर्ते कि लड़नेकी इच्छा न होनेके कारण वे कांग्रेसके नियंत्रणसे अपने हाथ पूरी तरह खींच ले। यह बात सभी मानते हैं कि दोनोंमें से किसी भी दलका काम एक-दूसरेके बिना नहीं चल सकता। देशमें दोनोंका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। लिबरलो और वेसेंट-समर्थकोंके अलग हो जानेसे कांग्रेस कमजोर हो गई थी। उस समय दरार पडना अवश्यम्भावी हो गया था, क्योंकि वे सब सिद्धान्तत असह-योगके विरुद्ध थे। अगर सम्भव हो तो अब आगे हमें और दरार नहीं पडने देनी चाहिए। इसलिए गम्भीरतापूर्वक सोचे-समझे बिना सिर्फ दृष्टिकोणके भेदको हठपूर्वक सिद्धान्तका भेद मानकर उसपर हमें झगडना नहीं चाहिए।

यदि असहयोग कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाता है—और मुझे विश्वास है कि कर दिया जाना चाहिए—तो स्वभावतः स्वराज्य दलकी गतिविधियोंपर अँगुली उठानेका कोई कारण नहीं रह जाता। यह कहना अथवा इस बहसमें पडना बेकार है कि अगर कांग्रेसवालोंने कौंसिलोकी बात कभी सोची ही नहीं होती तो क्या होता। हमें तो स्थितिपर, जैसी वह आज है, उसी रूपमें विचार करना है और फिर या तो अपने-आपको उसके अनुकूल ढालना है या अगर सम्भव हो तो उसीको अपने अनुकूल बनाना है।

अन्तमे, बगालकी स्थितिका तकाजा था कि अपरिवर्तनवादी लोग स्वराज्य दलको यथाशक्ति अधिकसे-अधिक समर्थन दे ।

अपरिवर्तनवादियो तथा दूसरे लोगोने मुझसे पूछा, 'लेकिन आप कोई ऐसा वक्तव्य देनेमे कैसे शरीक हो सकते हैं, जिसमे कहा गया हो कि सरकारने यह प्रहार वास्तवमें आतकवादियोपर नहीं, बल्कि स्वराज्यदलपर किया है? क्या आप सरकारके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं?' उनके इस रवैयेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और साथ ही गर्वका भी अनुभव हुआ। प्रसन्नता इसलिए कि मैंने इन प्रश्नकर्त्ताओमे, जिस सरकारको ये नापमन्द करते हैं, उसके साथ भी न्याय करनेकी सच्ची इच्छा देखी, और गर्व इसलिए कि ये लोग मुझसे सही निर्णय और पूर्णतम न्यायकी अपेक्षा रखते हैं। मैंने उनके सामने यह स्वीकार किया कि विगत अनुभवोके कारण मेरे मनमे सरकारके खिलाफ बहुत पूर्वग्रह है, ब्रिटेनके अववारो और ब्रिटिश पंजीसे निकलने-वाले भारतीय असवारोमे जो-कुछ पढा, उससे मैंने यही समझा कि सरकार स्वराज्य दलपर प्रहार करने जा रही है, बड़े-बड़े नेताओपर हाथ साफ करना सरकारकी घोषित नीति है और यद्यपि यह सम्भव है कि गिरफ्तार लोगोमें कुछ-एक अराजकतावादी प्रवृत्तिवाले लोग भी हों, फिर भी तथ्य यही है कि उनमें बहुत बड़ी तादाद स्वराज्यवादियोकी है और अगर सरकारका यह दावा सही हो कि अराजकता-वादियोका दल बहुत बड़ा है तो बड़े ताज्जुबकी बात है कि सरकारको अपना हाथ साफ करनेके लिए मुख्यत स्वराज्यवादी लोग ही क्यों मिले। मैंने उनसे यह भी कहा कि अगर अराजकतावादियोका कोई बहुत विस्तृत और सक्रिय सगठन है तब तो अत्यन्त उग्र प्रवृत्तिवाले लोगोके स्वराज्य दलके अन्दर नहीं, बल्कि बाहर ही होनेकी सम्भावना है, और कहते हैं, पुलिसने रातमे जो तलाशियाँ ली, उनमें उसे कोई हथियार वगैरह नहीं मिले। मेरे समाधानके लिए उत्तरमें उन्होने जो-कुछ कहा, उससे मेरे मतमें तनिक भी फर्क नहीं पडा और मुझे तो लगता है कि अगर मैं प्रश्नकर्त्ताओको अपनी मान्यतासे सहमत नहीं करा पाया तो कमसे-कम इस बातकी प्रतीति तो करा ही दी कि मेरी जो भी मान्यता है उसके खासे कारण मौजूद है और अब यह सिद्ध करना तो सरकारका काम है कि उसके मनमे बगालके स्वराज्य दलके खिलाफ सचमुच कोई दुरभिसन्धि नहीं थी।

लेकिन प्रस्तावके अनुसार असहयोगको स्थगित कर देनेमे व्यक्तिगत तौरपर असहयोग करनेवालोपर कोई रोक नहीं लगेगी। उन्हें न केवल अपने-अपने मतोपर कायम रहनेका अधिकार है, बल्कि यदि वे व्यक्तिगत असहयोग छोड़ देंगे तो यही कहा जायेगा कि उनमे कोई सत्त्व नहीं है। उदाहरणके लिए, असहयोग-कार्यक्रमके स्थगित कर दिये जानेका मतलब मेरे लिए यह नहीं हो सकता कि मैं सरकारको लौटाये अपने पदक फिर वापस माँग लूँ या फिरसे वकालत शुरू कर दूँ अथवा अपने बच्चोको सरकारी स्कूलोमे दाखिल करा दूँ। इस प्रकार असहयोग-कार्यक्रमके स्थगित कर दिये जानेसे जहाँ आस्थावान असहयोगियोके लिए अपना असहयोग जारी रखनेकी स्वतन्त्रतामें कोई खलल नहीं पडेगा, वहाँ कांग्रेसके आह्वानपर एक नीतिके तौरपर



असहयोग करनेवालोंको इस बातकी छूट मिल जायेगी कि यदि वे चाहे तो बिना किसी अपयश-अपवादकी आशकाके असहयोग बन्द कर दें। इसके निवा यदि अगहयोगको स्थगित करनेकी बात मजूर कर ली जाती है तो फिर किंगी कांग्रेसकी कांग्रेसकी नीति या उसके कार्यक्रमके अगके रूपमें असहयोगका प्रचार करनेकी छूट नहीं रह जायेगी। उलटे, यदि वह चाहे तो जबतक असहयोग स्थगित रखनेकी नीति कायम रहती है तबतक लोगोंको असहयोग न करनेके लिए जरूर कह सकता है और ममजा सकता है।

फिर कताई-सदस्यताकी बात लीजिए। मैं तो खादीका और ज्यादा उपयोग तथा उत्पादन चाहता था—चाहता था कि सभी अवसरोंपर खादी ही पहनी जाये और सभी कांग्रेस-जन, यदि वे बीमारी या ऐसी ही किसी दूसरी असमर्थताके लाचार न हो तो हर महीने कमसे-कम २,००० गज सूत अवश्य काते। लेकिन इस शर्तको नरम बना दिया गया है और अब सिर्फ राजनीतिक समारोहोंके अवसरपर और कांग्रेसका काम करते समय ही खादी पहनना लाजिमी रखा गया है और यहाँतक छूट दे दी गई है कि अनिच्छा होनेपर सदस्य दूसरोसे सूत कतवाकर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मेरे लिए इस हदतक आग्रह करना सम्भव नहीं था कि बातचीत टूट जाये। प्रथम तो महाराष्ट्र पार्टीके सामने कुछ सवैधानिक अडचन थी, जिसके कारण वह सदस्यताकी शर्तमें कताई और खादी पहननेकी बातको किसी भी तरहसे स्थान देनेको तैयार नहीं थी और दूसरे एक दलके रूपमें स्वराज्य दल इन दोनों बातोंको उतना महत्त्व नहीं देता। मेरी तरह वह इन्हे स्वराज्य-प्राप्तिके लिए अथवा भारत-से विदेशी कपडेका बहिष्कार करनेके लिए अनिवार्य नहीं मानता। इसलिए, इस परिवर्तित रूपमें भी खादी और हाथ-कताईको सदस्यताकी शर्तोंमें शामिल करनेपर सहमत होना स्वराज्यवादियोंकी दृष्टिसे उनके द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी रियायत थी। अतः, एकताकी खातिर उन्होंने जो रियायत दी है, उसे मैं कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। जो लोग सदस्यताकी शर्तमें इस परिवर्तनसे नाराज हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि नाम-मात्रकी चवन्निया-सदस्यताकी स्थितिसे निकलकर इस ठोस और प्रभावकारी सदस्यताकी स्थितिमें पहुँच जाना एक बहुत बड़ी प्रगति है। उन्हें याद रखना चाहिए कि सदस्यताकी नई शर्त हर कांग्रेस-जनसे कपडेकी आवश्यकताकी पूर्तिसे भारतको आत्म-निर्भर बनानेकी वाञ्छनीयतामें अपने विश्वासका ठोस सबूत देनेको कहती है। और यह सबूत भी किसी और तरहसे नहीं, बल्कि भारतके पुराने उद्योग हाथ-कताईका पुनरुद्धार करके और इस प्रकार समाजके सबसे जरूरतमन्द वर्गके बीच धनका वितरण सम्भव बनाकर।

कहते हैं, शर्तोंमें इस तरह ढील देनेसे हर आदमी नाजायज फायदा उठायेगा और यज्ञके भावसे कताई करनेका विचार बिलकुल समाप्त हो जायेगा और सदस्यगण खादी तो सिर्फ राजनीतिक समारोहोंके अवसरपर और कांग्रेसका काम करते समय ही पहनेंगे। यदि इस परिवर्तनका परिणाम ऐसा बुरा हुआ तो यह मेरे लिए बहुत दुःखकी बात होगी। किन्तु, ऐसे अनर्थकी आशका रखनेवाले लोग यह भूल जाते हैं

कि हर कांग्रेस-जन कताई करे, यह चीज अब भी सिर्फ एक व्यक्तिका विचार-मात्र थी। अब लाचार होकर उसने अपने प्रस्तावमें परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसके फलस्वरूप यह विचार, परिवर्तित रूपमें ही सही, सदस्यताकी शर्तोंमें शामिल कर लिया गया है। इसलिए यह निश्चय ही एक स्पष्ट उपलब्धि है और इससे खादी पहननेवालों और स्वेच्छासे कातनेवालोंकी सख्यामें भी अवश्य वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त यह भी याद रखना चाहिए कि सुधारोंको सिफारिशी, वल्कि वन्धनकारी प्रस्तावोंमें भी शामिल करना एक बात है और उन्हें सदस्यताकी शर्तका अंग बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। सदस्यताकी किसी भी शर्तमें कोई अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए और उसे ऐसा होना चाहिए जिससे उसपर आसानीसे अमल किया जा सके। कारण, उसपर अमल न करनेका मतलब है सदस्यतासे च्युत हो जाना। सभी अवसरों और सभी उद्देश्योंके लिए खादी पहनना, शायद, हममें से योग्यसे-योग्य व्यक्तियोंके लिए भी सम्भव न हो।

लेकिन व्यवहारमें आप देखेंगे कि जब कांग्रेसके समारोहोंके अवसरपर हमें खादी पहननी पड़ेगी तो हममें से अधिकांश लोगोंके लिए, जो तरह-तरहकी कई पोशाकें रखनेमें असमर्थ हैं, सभी अवसरोंपर खादी ही पहनना जरूरी हो जायेगा। किसी भी उत्साही कांग्रेस-जनके लिए हरएक अवसर कांग्रेसके कार्यका ही अवसर है और जिसके पास लगातार चौबीसो घंटे कांग्रेसका काम न हो, वह स्त्री अथवा पुरुष तो बहुत ही सामान्य कोटिका कांग्रेस-जन हुआ। हमारी सदस्य सूचीमें हजारों मतदाता या प्राथमिक सदस्य होने चाहिए। उन सबके पास कई पोशाकें नहीं हो सकती और न दूसरों द्वारा कता सूत खरीदनेके लिए पर्याप्त पैसा ही हो सकता है। उन्हें स्वयं कताई करनी पड़ेगी और इस प्रकार वे हर रोज कमसे-कम अपना आवे घटेका श्रम राष्ट्रको दिया करेंगे और कांग्रेसका जो स्वयंसेवक कताई नहीं करेगा, उसको कांग्रेसकी सदस्यताके प्रत्याशियोंको कताईकी आवश्यकता समझानेमें बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसलिए सब-कुछ इस प्रस्तावको ईमानदारी और वफादारीके साथ कार्यान्वित करनेपर ही निर्भर करता है।

जैसा कि स्वयं इस समझौतेमें कहा गया है, यह एक जोरदार सिफारिश-भर है। इसपर मैंने अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे हस्ताक्षर किया है। देशबन्धुदास और पण्डित मोतीलाल नेहरूने स्वराज्य दलकी ओरसे हस्ताक्षर किये हैं। इसलिए यह मेरी तथा स्वराज्य दलकी ओरसे सभी कांग्रेस-जनो तथा दूसरोंके विचारार्थ और स्वीकारार्थ एक सिफारिश है। मैं चाहता हूँ कि इस सिफारिशपर सिर्फ इसके गुण-दोषके आधारपर ही विचार किया जाये। मेरा अनुरोध है कि इसपर कोई भी विचार करते समय अपने मनमें मेरा खयाल बिल्कुल न लाये। अगर इस सिफारिशको सिर्फ इसके गुणदोषपर ही विचार करके स्वीकार नहीं किया जाता तो वह राजनीतिक एकता प्राप्त करना भी मुश्किल होगा, जो हम चाहते हैं और जो हमारे लिए आवश्यक है, और तब विदेशी कपड़ेका बहिष्कार भी कठिन होगा, जिसके बिना हमारा निस्तार नहीं और जो सबके कातने और सबके खादी पहननेसे ही सम्भव है। यदि असहयोगको स्थगित

करनेका प्रस्ताव या स्वराज्यवादी दलको कांग्रेसमें पर्याप्त और हार्दिक मान्यता देनेकी बात अथवा खादी पहनना और स्वयं कातना या दूसरोंसे कतवाना, उमें सदस्यताकी शर्त बनानेवाला मुझाव कांग्रेस-जनो और दूसरे आमन्त्रित लोगोंको ठीक नहीं लगे तो उन्हें इन सबको अस्वीकार करके अपना कोई हल राष्ट्रके सामने पेश करनेमें तनिक भी सकोच नहीं करना चाहिए। गुण-दोषके अतिरिक्त अन्य किसी भी बातका खयाल करके अपने चिर-पोषित गहरे विश्वासोकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और न करनी ही चाहिए।

[अग्नेजीसे]

घग इडिया, १३-११-१९२४

## २७२. समझौतेपर टिप्पणियाँ

काम कैसे करना चाहिए

इन टिप्पणियोंमें, मैं स्वराज्यवादी दल और मेरे बीच हुए समझौतेके बारेमें, जितना मैंने अग्रलेखमें<sup>१</sup> लिखा है, उसके आगे लिखना चाहता हूँ। यदि आगामी बैठकमें हमारी सिफारिश मजूर कर ली गई तो कांग्रेस-संगठनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जायेगा, इसके सदस्य सालमें एक या दो बार यन्त्रवत् मतदान-भर करनेवालोके वजाय, दिन-प्रतिदिन काम करनेवाले लगनशील कार्यकर्त्ता बन जायेगे और इससे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यमें वास्तविक योग मिलेगा। इससे कांग्रेस उत्पादन, संग्रह और वितरणकी एक विशाल शाला बन जायेगी। यह काम उद्यमशीलता, समयकी पावन्दी, देशभक्ति, आत्मत्याग, ठोस ईमानदारी और अपेक्षित कौशलके साथ कोई एक ठीक पद्धति अपनाये बिना संगठित नहीं किया जा सकता। यद्यपि कांग्रेस द्वारा इस प्रस्तावके स्वीकार किये जानेतक चार आना देकर कोई भी व्यक्ति कांग्रेसका सदस्य बन सकता है, तथापि यदि आगामी बैठक इन प्रस्तावोका अनुमोदन कर दे तो प्रत्येक प्रान्तको संगठन-कार्य इस तरह आरम्भ करना होगा, मानो कांग्रेसकी महासभाने कताई-सदस्यता स्वीकार कर ली है। कहनेका मतलब यह है कि वर्तमान सदस्योको प्रस्तावित रद्दोबदलकी जानकारी देते हुए और कातना सीखने तथा चरखा प्राप्त करने आदिके लिए आवश्यक सुविधाएँ जुटाते हुए, उनके बीच प्रचार-कार्य किया जाना चाहिए। इस प्रश्नपर विचार करना होगा कि सूत किस प्रकार एकत्र किया जाये और कैसे उसका विनिमय किया जाये। आज हमारे देशमें सात हजारसे अधिक स्त्री-पुरुष स्वेच्छासे कताई कर रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ भी रही है। इतना सब कांग्रेस कार्यकारिणी समितियोंके सदस्योपर लागू होनेवाले एक प्रस्तावके अलावा इस सस्थाके किसी आम प्रस्तावके बिना ही, सिर्फ इस पत्रके इन स्तम्भो द्वारा जनताको प्रेरणा देकर कर लिया गया है। अतः यह मानना युक्तियुक्त होगा, यदि कांग्रेसने कभी कताई-सदस्यताके प्रस्ताव-

को स्वीकार कर लिया तो हम कुछ ही महीनोंमें एक लाखकी सख्यातक पहुँच जायेंगे। यदि प्रति सदस्य प्रति मास २० नम्बरके ५ तोला सूतका औसत उत्पादन माना जाये, तो इसका अर्थ होगा—प्रति मास ३१२५ मन सूत, या ४५ इंच चौड़ाई और ६ गज लम्बाईकी १२,५०० धोतियाँ या साडियाँ। और यदि हम इस बातकी ओर ध्यान दे कि कताईतक की प्रक्रियामे इस मालपर सारा श्रम निशुल्क रहेगा तो स्पष्ट हो जायेगा कि ये धोतियाँ बाजारमे अपने ढगके किसी भी मालसे होठ ले सकती हैं। बस, यदि समूचा राष्ट्र एक इसी राष्ट्रीय कार्यपर अपना सारा प्रयत्न केन्द्रित कर सके तो तनिक भी कठिनाईके बिना और अत्यन्त प्रामाणिक तथा अहिंसात्मक उपायोसे विदेशी कपडेका बहिष्कार किया जा सकता है।

### आगामी बैठक

लेकिन सबकुछ आगामी बैठकपर निर्भर है। यह केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी ही नहीं वरन् सभी प्रान्तीय कमेटियों और सघोंके प्रतिनिधियोंकी बैठक होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रतिनिधि मौलाना मुहम्मद अलीके आमन्त्रणको उदारतापूर्वक स्वीकार करेगे। इस सयुक्त बैठकको न केवल स्वयं कांग्रेसकी भीतरी फूट मिटानेके प्रश्नपर वरन् अन्य प्रतिष्ठित नेताओको कांग्रेसमें शामिल होनेके लिए प्रेरित करनेके प्रश्नपर भी निर्णय लेना होगा। बंगालके दमनका उत्तर देनेके लिए भी कोई कारगर नीति तय करनी है। अपने लक्ष्यतक पहुँचनेके तरीकेके बारेमें हमारे बीच जो भी मतभेद हो, पर सत्ताके निरकुश प्रयोगका अन्त करनेकी वाछनीयताके बारेमे सभी एकमत है।

देशके लिए तबतक कोई स्वतन्त्रता हो ही नहीं सकती जबतक कि करोड़ो मनुष्योंके जीवन, उनकी सम्पत्ति और उनके सम्मानका दारोमदार किसी एक व्यक्तिकी मर्जीपर हो, फिर वह व्यक्ति चाहे कितने ही ऊँचे पदपर आसीन हो। यह कृत्रिम, अस्वाभाविक और असम्य व्यवस्था है। इसका खात्मा स्वराज्यकी आवश्यक पूर्व-शर्त है।

### हमारी बेबसी

बेबसी तो जाहिर ही है। लगता है, प्रस्ताव पास करनेके सिवाय और कुछ भी हमारे बसका नहीं रह गया है। किन्तु यदि हम सब मिलकर रचनात्मक कार्यक्रममें जुट सके तो यह अपने-आपमे आत्मविश्वास और कुछ करनेकी शक्तको पुन प्राप्त करनेकी दिशामे एक कदम होगा। यह बात सबको बिलकुल स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि यदि हिन्दू और मुसलमान फिरसे होश सँभाल ले, यदि हिन्दू अछूतोंको अपने भाई मानने लगे और यदि हम कताई और खदरको इतना लोकप्रिय बना दें कि वह लगभग विदेशी वस्त्रोंका स्थान लेनेके योग्य हो जाये तो हमे अपने लक्ष्यके प्रति लोगोंका ध्यान आकर्षित करनेके लिए और कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि फिर न तो हमें हिंसाको प्रोत्साहन देनेके लिए गुप्त समितियोंकी आवश्यकता पडेगी, न खुली अहिंसात्मक अवज्ञाकी।

ऐसी वाछनीय परिणति तभी सम्भव हो सकेगी जब हम एक ओर पूर्णतया कृतसकल्प होकर रचनात्मक कार्यक्रमको सफल बनानेके लिए निरन्तर प्रयास करेंगे। इसलिए दमनके इस विस्फोटका या समूचे राष्ट्रकी इतनी पुरानी और वेदम गुलामीके कारगर इलाजका मेरा अपना यही तरीका है।

### अन्य बातें ?

श्री एन्ड्रयूजने मेरे उपवासके दिनोमें भी मेरा ध्यान 'माँडन रिव्यू' में प्रकाशित एक टिप्पणीकी ओर आकर्षित किया था, जिसमें मादक पेय और औषधियोंके परित्यागको आन्दोलनके रचनात्मक कार्यक्रममें शामिल न किये जानेपर आश्चर्य प्रकट किया गया था। अन्य मित्रोंने और भी बहुत पहले इस कार्यक्रममें राष्ट्रीय पाठशालाओका उल्लेख न होनेकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था। मैं इन मित्रोंको बता दूँ कि यह रचनात्मक कार्यक्रम समझौतेका एक अंग है और इसमें वही चीजे शामिल की गई हैं जिनके बिना स्वराज्य मुझे असम्भव-सा लगता है। सरकारकी सहायता न पानेवाली और सरकारसे असम्बद्ध पाठशालाएँ हैं और उन्हें बनाये रखना चाहिए। वे कार्यक्रमको पूरा करनेमें हमारी सहायता करती हैं। मादक पेय और औषध-सम्बन्धी सुधार बिना किसी शोर-गुलके निश्चित रूपसे आगे बढ़ रहा है। उसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब उसके बारेमें कोई धूम-धाम नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमने इस कारण धरना देना छोड़ दिया है कि उससे हिंसा भडकती थी। इसी तरह हम गैरसरकारी पंचनिर्णयको प्रोत्साहित करनेके विचारका भी त्याग नहीं करेंगे। बात सिर्फ यह है कि स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए इनमें से कोई भी चीज उतनी नितान्त आवश्यक नहीं है, जितनी कि समझौतेमें शामिल की गई वे तीन चीजे हैं और फिर समझौतेमें शामिल इन बातोंके बारेमें राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओमें कोई मतभेद भी नहीं है, जैसा कि इन तीन बातोंके बारेमें है। यहाँ मैंने राष्ट्रीय पाठशालाओ और गैरसरकारी पंचनिर्णयके साथ-ही-साथ मादक पेय तथा औषध-सम्बन्धी सुधारका उल्लेख किया है। इससे यह मतलब न समझा जाये कि मैं इन तीनोंको समान महत्त्वका मानता हूँ। मादक पेय तथा औषध-सम्बन्धी सुधारकी समस्या सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्त्वकी समस्या है। यदि किन्हीं भी प्रामाणिक उपायोसे हम आज ही मदिरापान और अफीमके व्यसनसे पूर्ण रूपसे मुक्त हो सकते तो मैं उन्हें फौरन अपना लेता और उनके प्रयोगकी सलाह दे देता। किन्तु हमारे पास ऐसा कोई अक्सीर इलाज है ही नहीं। देशके प्रशासनमें जबतक हमारी राय कुछ निर्णयात्मक महत्त्व न रखने लगे, तबतक इस बुराईको निर्मूल करनेके लिए धरना देनेके सिवाय और कुछ करनेमें हम असमर्थ हैं। प्रसन्नताकी बात यह है कि यद्यपि यह दोष बुरा है, पर राष्ट्रीय दोष नहीं बन पाया है। यह दोष एक छोटे जन-समुदायतक ही सीमित है, यद्यपि दुर्भाग्यवश उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अतः यदि हमारे हाथमें सत्ता हो तो मैं जानता हूँ मदिरा अथवा अफीमके निषेधका कोई विरोध नहीं हो। यह तो हमारी सरकार ही है जो मद्य और मादक वस्तुओके अभिशापसे राष्ट्रको मुक्ति दिलानेके मार्गमें रोड़ा बन रही है। बात यह नहीं है कि हम कानून बनाकर पियक्कडोको

सयमी बना देंगे। किन्तु तब हम मद्य और मादक वस्तुओका सेवन करनेवालोको दण्डित तो कर सकेंगे और शराव और अफीमकी सभी दुकानो तथा अड्डोको बन्द करके मादक वस्तुओके सेवनको यथासम्भव कठिन तो बना सकेंगे और यह सब करना भी चाहिए।

क्या यह जोर-जबरदस्ती है ?

कांग्रेसके प्रत्येक सदस्यके लिए हाथ-कताई अनिवार्य बनानेके विरुद्ध श्री स्टोक्सका प्रबल प्रतिवाद पाठकोने पढा होगा। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति-स्वातन्त्र्यकी रक्षाके लिए उनके मनमे इतना उत्साह है कि वे किसी चीजके स्वेच्छासे स्वीकार किये जाने और जोर-जबरदस्तीके बलपर उसके थोपे जानेके बीच कोई अन्तर नहीं देख पाते। जोर-जबरदस्तीका मतलब तो यह होता है कि विरोधकर्त्ताओको जुर्मानी या जेलके भयसे उसी बातको माननेपर विवश होना पड़े, जिसका वे विरोध करते हो। जिस निगमके वे सदस्य हैं, उसके बाहर रहकर भी वे उस वाध्यता अथवा दण्डसे बच नहीं सकते। किन्तु जब कोई व्यक्ति कांग्रेस-जैसी किसी सस्थामे, जिसमें शामिल होना-न-होना व्यक्तिकी अपनी मर्जीपर निर्भर करता है, प्रवेश करता है, तब वह स्वेच्छासे ही ऐसा करता है और स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लेता है कि वह सस्थाके नियमोका पालन करेगा। बहुमतकी इच्छाके आगे अल्पमतका झुकना सामान्यतः इन नियमोमे शामिल रहता है। प्रत्येक सदस्यका प्रत्येक कार्य उसकी स्वेच्छापर निर्भर है, यह तो इसी बातसे स्पष्ट है कि जब भी बहुमत कोई ऐसा नियम पारित करे जो उसके अन्तःकरणके अनुकूल न हो तो वह सस्थासे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है। श्री स्टोक्सका तर्क समस्त निगमित या सामूहिक स्वशासनके विरुद्ध पडता है। प्रत्येक मताधिकारके साथ कुछ शर्तें जुड़ी रहती हैं और हर प्रकारके शर्त मताधिकारका कुछ लोग विरोध तो करते ही हैं। तब क्या विरोधी बहुमत द्वारा पारित शर्तोंको बहुमत द्वारा जोर-जबरदस्तीके बलपर थोपा हुआ कह सकते हैं? स्पष्ट है कि नहीं, क्योंकि यदि वे वैसा कहे तो फिर कोई भी सामूहिक कार्यवाही हो ही नहीं सकती।

१९२० मे जब कांग्रेसने नई नीति (क्रीड) स्वीकार की थी तब एक अल्पमत था, जिसने सिद्धान्तके नाते उसका विरोध किया था और इसलिए जब वह बहुमतसे पारित कर दी गई तो वह कांग्रेससे अलग हो गया था। पुरानी नीतिके अधीन तो और अधिक व्यक्ति कांग्रेसके बाहर रह जाते थे, क्योंकि वे अन्तःकरणसे उसका अनुमोदन नहीं कर पाते थे। मेरी राय यह है कि दोनो ही स्थितियोंमें बहुमतको नियम पारित करनेका अधिकार था। पहली स्थितिमें शर्तें लगाना समझदारीका काम था और दूसरी स्थितिमें उनका शिथिलीकरण नासमझीका काम था, यह तो अपनी-अपनी रायकी बात है। और इसलिए प्रस्तुत प्रस्ताव, कताईको कांग्रेसके मताधिकारकी एक शर्त बनानेकी दृष्टिसे एक ऐसी अविवेकपूर्ण नीति तो हो सकता है, जो मेरे मोचे हुए उद्देश्यको ही विफल बना दे, किन्तु मेरा कहना है कि इममे कोई महज बुराई नहीं है, सिद्धान्तत भी इसमें कोई दोष नहीं है और इसे जोर-जबरदस्ती कहना तो अनजानेमे

भाषाका दुरुपयोग करना है। इसकी सूवियोंके वारेमे मेरे मनमें कोई आशका नही है। यदि हाथकी कताई देशको आत्मनिर्भर बनानेका एक कारगर उपाय है तो उसे मताधिकारका अंग बनाना ही चाहिए। राष्ट्रीय इच्छा और सकल्पको व्यक्त करनेका यह सबसे अच्छा तरीका है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १३-११-१९२४

## २७३. टिप्पणियाँ

राष्ट्र ऋण

एक पत्र-लेखक लिखते हैं

आपको शायद मालूम होगा कि १९२२ में गयामें कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा पेश किया गया एक प्रस्ताव, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार ३१-१२-१९२२ के वादसे राष्ट्रकी ओरसे जितने भी ऋण ले उनकी देयतासे इनकार किया जाय, पारित हुआ था। कहनेकी जरूरत नहीं कि हमारे देशके सार्वजनिक जीवनसे सम्बद्ध अनेक उत्तरदायी व्यक्ति उक्त प्रस्तावपर आपकी राय जाननेको उत्सुक हैं।

मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि मुझे उक्त प्रस्तावके वारेमे जानकारी नही है। किन्तु अब जब वह मेरे ध्यानमे लाया गया है, मुझे उसका अनुमोदन करनेमे कोई सकोच नही। उस प्रस्तावको पारित करनेके लिए मैं श्री राजगोपालाचारी और कांग्रेस, दोनोको बधाई देता हूँ। आज हम शक्तिहीन हो सकते हैं और हैं भी, किन्तु ससारको जानना ही चाहिए कि भारतके धनकी बरवादी और फिजूलखर्चीके वारेमे हम क्या सोचते हैं। स्वर्गीय लॉर्ड सैलिसवरी इसे रक्त-म्भावकी प्रक्रिया कहा करते थे। मेरा तो खयाल है कि स्वराज्यकी योजना कोई भी हो, उसमे भारत सरकार अथवा इंडिया ऑफिस द्वारा किये गये वादोकी निष्पक्ष जाँच और पिछली सरकारके वित्तीय सौदोका नये सिरेसे समायोजन करनेका आग्रह भी शामिल रहेगा। अत मैं इस प्रस्तावको आवश्यक और सम्माननीय मानता हूँ। आज उसका मजाक उड़ाया जा सकता है। किन्तु जब हमे हमारे अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, तब हम ठीक समय पर अपना यह मत व्यक्त कर देनेके तथ्यका उल्लेख गर्वके साथ करेंगे। कारण, कांग्रेसकी सीमाओके वारेमे मैंने जो-कुछ भी कहा है उसके वावजूद, इस बातसे कौन इनकार कर सकता है कि वह राष्ट्रका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करनेवाली सस्था है? यह हमारा काम है कि हम उसे इतनी अधिक प्रातिनिधिक बना दे कि उसकी ओर सब आकर्षित हो और उसकी बातोकी कद्र की जाये।

### राष्ट्रीय क्षति

'यग इडिया' के अनेक पाठक श्रीयुत दलबहादुर गिरिको केवल नामसे ही जानते हैं। कुछने तो शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा। तथापि वे सबसे बहादुर राष्ट्रीय कार्यकर्ताओमे से थे। अभी-अभी 'यग इडिया' के लिए लिखते समय मेरे पास कालिम्पोगसे एक तार आया है, जिससे मुझे इस अपेक्षाकृत अज्ञात देशभक्तकी मृत्युका समाचार मिला है। मैं उनके कुटुम्बके प्रति अपनी समवेदना प्रकट करता हूँ। वे एक सुसंस्कृत गोरखा थे और दार्जिलिंग तथा आसपासके इलाकेमे गोरखा लोगोमे अच्छा काम कर रहे थे। १९२१मे हजारो लोगोके साथ वे भी अपने असहयोग-सम्बन्धी कार्योंके लिए बन्दी बनाये गये थे। कारावासमे वे बुरी तरह बीमार पड गये थे। कुछ ही महीने पहले उन्हें रिहा किया गया था। मुझे मालूम हुआ हे कि वे अपने पीछे बहुत बडा परिवार छोड गये हैं, जिसकी जीविकाके साधन नहीं है। बगालके समाचारपत्रोमे उनके लिए एक अपील प्रकाशित हुई थी। मैं आशा करता हूँ कि बगालकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी स्वर्गीय श्रीयुत दलबहादुर गिरिके परिवारके बारेमे सारी जानकारी प्राप्त करेगी और जो सहायता आवश्यक होगी, अवश्य देगी।

[अंग्रेजीसे]

यग इडिया १३-११-१९२४

### २७४. सम्मति : माँडर्न स्कूलकी दर्शक-पुस्तिकामें

दिल्ली

१३ नवम्बर, १९२४

इन आर्वाचीन पाठशालाओको देखकर मुझे बहोत आनंद हुआ। पाठशालाकी स्वच्छता प्रशंसनीय है। मुझे केवल एक सशय है। आर्वाचिनत्वकी बाढमे यदि प्राचीनत्वका नाश हो जायगा तो भारतवर्षके इन युवकोको और युवतीयोको बडी हानि होगी। ईतनी सूचना करनेकी मैं धृष्टता करता हूँ क्योंकि इस पाठशालाकी उत्पत्तिमें मैं हेतुकी पवित्रता देखता हु और ईस सस्थाकी मैं उन्नति चाहता हूँ।

मोहनदास गाधी

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई



## २७५. पत्र : कर्नल मेलको

स्थायी पता .

सावरमती

१३ नवम्बर, १९२४

प्रिय कर्नल मेल,

श्री प्रागजी के० देसाई<sup>१</sup> आजकल हैदरावाद सेन्ट्रल जेलमे कैदी है। उन्हे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दक्षिण आफ्रिकामे भी वे मेरे साथ थे। उन्हे मूरतमे कुछ दिन पहले भारतीय दण्ड संहिताकी धारा १२४-क के अधीन सजा सुनाई गई थी।

मुझे बताया गया है कि

(१) श्री देसाईका वजन कम हो गया है।

(२) उन्हे दूसरे कैदियोंसे अलग रखा गया है और इसलिए जो लोग उनकी निगरानी रखते हैं, उनके अलावा और किसी भी आदमीसे उनका कोई सम्पर्क नहीं है।

(३) उन्हे जो सब्जियाँ दी जाती हैं, उनमे आम तौरपर घास-पात मिली होती है और वे खाने लायक नहीं होती।

(४) उन्होने सूत कातनेकी अनुमतिके लिए अर्जी दी है, लेकिन उन्हे तैयार सूतकी बटाईका ही काम दिया जाता है। अगर अधिकारी लोग उन्हे पूनियाँ देनेको तैयार न हो तो अनुमति मिलनेपर मैं पूनियाँ भेजनेकी व्यवस्था कर सकता हूँ।

उक्त सूचनाओको अखबारमे प्रकाशित करनेके बजाय मैं आपके पास ही भेज रहा हूँ ताकि आप कृपया उनके बारेमे जरूरी जाँच-पडताल करे।

यहाँ मैं यह बता दूँ कि श्री देसाई शाकाहारी है और जब वे जेलसे बाहर थे तब भी उनका शरीर कोई बहुत तन्दुरुस्त नहीं था। इसलिए मेरे विचारसे उन्हे हल्के लेकिन पौष्टिक आहारकी जरूरत है—जैसे दूध और डवलरोटी वगैरह।

आपका सच्चा,

अग्नेजी प्रति (एस० एन० ११७२१) की फोटो-नकलसे।

## २७६. पत्र : रोमाँ रोलाँको

१३ नवम्बर, १९२४

प्रिय मित्र,

आपका कृपा-पत्र मिला। कुमारी स्लेड' उसके कुछ समय बाद पहुँची। कैसी अमूल्य निधि आपने मुझे सौपी है। मैं आपके इस अगाध विश्वासके योग्य बननेकी कोशिश करूँगा। मैं कुमारी स्लेडकी हर तरहसे सहायता करनेकी कोशिश करूँगा, ताकि वे पूर्व और पश्चिमके बीच एक लघु सेतु बन सके। मैं स्वयं इतना अपूर्ण हूँ कि किसीको शिष्य बना ही नहीं सकता। मेरे (सत्यके) अन्वेषणमे वे मेरी सह-योगिनी होगी और मैं चूँकि उम्रमे बड़ा हूँ, इसलिए आध्यात्मिक अनुभूतिमे किंचित् आगे हूँ, अतः आपके साथ-साथ मैं भी उनके अभिभावकका गौरव-पद प्राप्त करना चाहूँगा। कुमारी स्लेडमे अपने-आपको नये परिवेशके अनुकूल ढालनेकी अद्भुत क्षमता दिखाई देती है। हम लोग अवतक उनसे काफी घुल-मिल भी गये हैं। उनसे चन्द दिन पहले आश्रममे एक फ्रासीसी बहन भी आई है। कुमारी स्लेडसे मैंने कह दिया है कि उनके वारेमे वे ही आपको लिख दे। शेष बातें आपको उन्हींसे मालूम हो जायेगी।

अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ८८४९) से।

सौजन्य आर० के० प्रभू

## २७७. भाषण : रामजस कालेज, दिल्लीमें

१३ नवम्बर, १९२४

इसके बाद महात्माजीने बंटे हुए ही छात्रोंके सामने भाषण दिया। समयसे बहुत पहले ही आ जानेके लिए उन्होंने क्षमा माँगी और कहा कि मुझे वी अम्माँके अन्तिम सस्कारमें शामिल होना है इसलिए मैं जल्दी आ गया। मैं छात्रोंसे कहूँगा कि वे इस मामलेमें मेरे उदाहरणका अनुकरण न करें बल्कि समयका मूल्य समझनेकी आदत डालें। श्री गोखलेकी समयकी अद्भुत पावनदीका उल्लेख करते हुए गाधीजीने कहा कि भारतीयोंमें समयकी पावनदीका गुण नहीं है। इसकी आदत खास तौरसे डालनी चाहिए।

गाधीजीने राय साहब केदारनाथ द्वारा कालेजके लिए किये गये महान् त्यागका उल्लेख किया और कहा कि मुझे दुःख है कि कुछ समय पहले जब प्रिन्सिपल गिड-

१ मीराबहन।

जानीने मुझे निमन्त्रित किया था उस समय मैं कालेजमें नहीं आ सका था। मुझे इस बातपर आश्चर्य था कि राय साहब फेदारनाथने यह कालेज शहरसे दूर पहाड़ी पर क्यों बनवाया है। जब मुझे सुकुमार दाबूने रास्तेमें बताया कि कालेजके संस्थापकका आदर्श ब्रह्मचर्य है और वे छात्रोको सिनेमा और थियेटरोसे दूर रखना चाहते हैं तो मैं कायल हो गया। हिन्दू सभ्यतामें ब्रह्मचर्यका अभिन्न स्थान है जबकि पश्चिमी सभ्यतामें उसका अभाव है। यह कहा जा सकता है कि पश्चिमके लोग समृद्ध हुए हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि पश्चिमकी सभ्यता कितनी पुरानी है। मिस्र, ब्रिटेन, यूनान और अन्य महान् सभ्यताएँ नष्ट हो गईं, लेकिन भारतीय सभ्यता अब भी जीवित है। इसका कारण यह है कि भारतीय सभ्यतामें कोई ऐसी चीज है जो उनके पास नहीं थी। भारतीय सभ्यतामें निहित यह चीज उसकी ब्रह्मचर्यके आदर्शकी उपासना ही है।

इसके बाद गांधीजीने भागवतमें से जिह्वा-सयमके वारेमें एक श्लोक सुनाया और कहा कि जिह्वापर नियन्त्रणका अर्थ है भोजन और वाणीपर नियन्त्रण। छात्रोका जिह्वापर विशेष रूपसे पूरा नियन्त्रण होना चाहिए।

तत्पश्चात् उन्होंने सत्संगके वारेमें बोलते हुए सलाह दी कि प्रत्येक छात्रको ससारकी अच्छीसे-अच्छी पुस्तक और अच्छेसे-अच्छे विचारोका संग करना चाहिए और कहा कि जब मैं विद्यार्थी था उस समय मेरे एक सहपाठीने मुझे रेनॉल्डके उपन्यास पढ़नेकी राय दी थी। लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं पढा। महात्माजीने कहा, “जो भी चीज बुरी है, उससे असहयोग करो।”

अपने भाषणके अन्तमें उन्होंने प्रार्थनाकी प्रभावकारिताके वारेमें बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं जेलमें था तब मुझे प्रार्थनाकी प्रभावकारिता विशेष रूपसे अनुभव हुई। जब मनमें प्रार्थनापूर्ण विचार होते हैं उस समय ससारकी सब चीजें अच्छी और अनुकूल लगती हैं। जीवनमें प्रगति करनेके लिए प्रार्थना एक अनिवार्य चीज है। राम या खुदाका नाम लेनेसे बुरे विचार मनसे निश्चय ही दूर हो जाते हैं और नई शक्ति और उत्साह प्राप्त होता है।

उन्होंने कहा कि मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ और इस समय इससे ज्यादा बोलनेकी इच्छा नहीं है।

फूलोकी वर्मा और ‘वन्देमातरम्’ तथा ‘महात्मा गांधीकी जय’ के नारोके साथ महात्माजीने शामको लगभग ३.३० बजे कालेजसे प्रस्थान किया।

[अग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १५-११-१९२४

## २७८. पत्र : मगनलाल गांधीको

[ १३ नवम्बर, १९२४ के पश्चात् ]'

चि० मगनलाल,

डा० मेहता और अवन्तिका वहनपर ब्रह्मचारीने जो दावा किया है, उसका क्या हुआ ?

हमारे यहाँ क्या एक धुनकी [प्रतिदिन] आठ घंटे नहीं चल सकती ? क्या उममे हमारे अच्छी धुनाई करनेवाले, तुलसी मेहर, नवीन आदिका उपयोग नहीं हो सकता ? हममे एक खास हदतक पूनियाँ तैयार करनेकी भी क्षमता होनी चाहिए। इस विषयपर तो बातचीत हुई ही नहीं।

दलबहादुर गिरिका देहान्त हो गया। वे अपनी विधवा और बच्चोंको बेसहारा छोड़ गये हैं। देहावसानसे पहले वे उन्हें यहाँ आ जानेको कह गये थे। मैंने कहला भेजा है कि विधवा वहन यहाँ आ सकती है। हमे उनका भरण-पोषण करना ही होगा। कल उनका तार आया है कि उन्हें आनेका किराया मिल जाये तो वे आनेको तैयार हैं। मैंने किरायेका पैसा दास बाबूसे ले लेनेके लिए तार किया है। मेरी गैरहाजिरीमे आई तो उन्हें दिक्कत तो होगी, लेकिन आये तो निभा लेना।

बापू

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१९५) से।

सौजन्य राधावहन चौधरी

## २७९. सन्देश : 'वर्ल्ड टुमारो' को

दिल्ली

१४ नवम्बर, १९२४

'वर्ल्ड टुमारो'

३९६, ब्रॉडवे

न्यूयार्क

संयुक्त राज्य अमेरिका

अहिंसाके अपने अध्ययन और अनुभवसे मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि यह ससारकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह सत्यको साक्षात्कार करनेका सबसे अच्छा उपाय है और इसी उपायसे उसे सबसे जल्दी प्राप्त भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई

१ दलबहादुर गिरिका देहान्त, जिसका उल्लेख पत्रमें किया गया है, १३ नवम्बर, १९२४ को हुआ था। देखिए "टिप्पणियाँ", १३-११-१९२४ का उपशीर्षक "राष्ट्रीय क्षति।"

और उपाय है ही नहीं। अहिंसा अपना काम इतनी सामोशीसे करती रहती है कि उसके प्रभावका प्रायः पता ही नहीं चलता, लेकिन उसका काम निश्चतरूपसे जारी रहता है। हमारे चारों ओर निरन्तर चलनेवाली विनाश-लीलाके बीच प्रकृतिकी एक यही प्रक्रिया है जो रचनात्मक है। ऐसा मानना मैं अन्धविश्वास समझता हूँ कि वह मात्र व्यक्तिगत जीवनमें ही फलप्रद हो सकती है। निजी अथवा सार्वजनिक जीवनका ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसमें इस शक्तिका उपयोग किया जा सकता हो। किन्तु अपने अहंको पूर्णतः शून्य बनाये बिना ऐसी अहिंसाकी साधना असम्भव है।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीमें।  
सौजन्य नारायण देसाई

## २८०. पत्र : आर० शर्माको

सावरमती

१४ नवम्बर, १९२४

प्रिय भाई,

मुझे निम्नलिखित बातोंके बारेमें, जिन दिनों असहयोग पूरे जोरपर था, उन दिनोंके और आजके आँकड़े चाहिए। ये आँकड़े यथासम्भव शीघ्र भेज दे तो कृपा हो।

खिताब छोड़नेवालोंकी सख्या।

सरकारी स्कूल और कालेज छोड़नेवाले लड़के-लड़कियोंकी सख्या।

वकालत छोड़नेवाले लोगोंकी सख्या।

प्रयोगमें लाये जा रहे चरखोंकी सख्या।

हाथ-कत्ते सूतसे बने कपड़ोंकी मात्रा।

हाथ-करघोंकी सख्या।

राष्ट्रीय स्कूलों तथा कालेजोंकी सख्या और उनमें पढ़नेवाले लड़के और लड़कियोंकी तादाद।

अस्पृश्योंके बीच किस प्रकारका और कितना काम किया गया।

नशाबन्दी (शराब और अफीम) के लिए किस प्रकारका और कितना काम किया गया, इसका विवरण।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ११७२३) की फोटो-नकलसे।

## २८१. पत्र : काका कालेलकरको

कार्तिक वदी ३ [१४ नवम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

भाईश्री काका,

शिक्षाकके लिए लेख<sup>३</sup> लिखनेके बाद बच्चोकी शिक्षाके बारेमे मेरा मन और सक्रिय हो उठा है। हम आश्रमके बच्चोके लिए यह प्रयोग क्यो न शुरू करे? यानी कि अगर उसमे बताया विचार आपके गले उतरा हो तो बच्चा घडेको घडेके रूपमे पहचानता तो है, लेकिन वह उसका चित्र नहीं खीचता। उसी तरह वह अक्षरको पढे तो लेकिन लिखे नहीं। कोई बात पढनेसे पहले वह उसे सुनता है और जैसा सुनता है वैसा ही उच्चारण करता है—बोलता है। लक्ष्मी, रसिक वगैरह बच्चोको लिखना छुडवाकर पहले चित्र बनाना ही क्यो न सिखाया जाये? काफी-कुछ उन्हे जयानी ही क्यो न सिखाया जाये? अभी तो वे हाथका उपयोग चित्र खीचनेमे ही करे। इसके लिए शिक्षकोको चित्र बनानेके मूल तत्त्व जान लेने चाहिए। अब मैं गहरा जाने लगा हूँ, इसलिए यही रुक जाता हूँ। अभी तो इतनेपर ही विचार कीजिए। विशेष मिलनेपर।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

## २८२. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

१४/१५ नवम्बर, १९२४

प्रिय राजगोपालाचारी,

स्वामीका तार आया है कि आपने समझौतेकी जो तीव्र आलोचना की है, उसे वह मेरे पास भेज रहा है। मेरी यही कामना है कि यह आपके व्यथित हृदयके लिए मरहमका काम करे। मुझे या तो लोगोसे अपना रास्ता स्वीकार कराना है या फिर उन्हीका रास्ता स्वीकार कर लेना है। यदि मुझसे दोनोमे से एक भी नहीं बना तो फिर मुझे सार्वजनिक जीवनसे अलग हो जाना है। वारडोलीमे मैंने अहिंसाके क्षेत्रमे एक दिशामे सबसे साहसपूर्ण प्रयोग किया था। यह समझौता दूसरी दिशामे सबसे

१ साधन सूत्रके अनुसार।

२ देखिए “एक रास्ता”, २०-१०-१९२४।

साहसपूर्ण प्रयोग है। वारडोलीके वारेमे मुझे पश्चात्ताप नहीं, क्योंकि मुझमे अपने कदम वापस लेनेका साहस था और यह जो कदम उठाया है, आशा है, उमके वारेमें पश्चात्ताप करनेका और भी कम कारण होगा। 'यग डडिया' मे प्रकाशित मेरे लेखमे आपको शायद थोड़ी शान्ति मिले। बडा अच्छा होता, अगर आप बम्बई आते। लेकिन इसपर मैं जोर नहीं दूंगा।

'करेन्ट थॉट' मे 'हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह इन साउथ आफ्रिका' का वालजी गोविन्दजी देसाई कृत अनुवाद छपा है। कृपया उसे पढकर उसकी आलोचना वी० जी० देसाईको या मुझे भेज दे। वी० जी० देसाईका पता होगा शाही बाग, अहमदाबाद। आशा है, आप मजेमे होंगे। खुश रहो, मस्त रहो, गमको पास मत फटकने दो।

आपका,

मो० क० गांधी

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।  
सौजन्य नारायण देसाई

## २८३. पत्र : जीवतराम बी० कृपलानीको

१५ नवम्बर, १९२४

प्रिय प्रोफेसर,

तुमने जो बमगोला फेका, उसका रख किशोरलालने मेरी ओर कर दिया है। मुझपर तो उन कारणोका कोई असर नहीं हुआ, जिन कारणोसे प्रेरित होकर भाई किशोरलाल और दूसरोकी समझमे, सचमुच, तुमने वह बम फेका था। किशोरलालने अब पत्रका वह हिस्सा वापस ले लिया है और क्षमा मांग ली है। यह अध्याय तो यही समाप्त होता है। जो भी हो, मैं तुम्हे इतनी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमको कभी गलत समझ ही नहीं सकता। बहुत-सी बातें हमारी इच्छाके विरुद्ध, अनजाने ही हमपर असर डालती हैं। इसलिए लिखित शब्दोकी तहमे जाकर लिखनेवालेके मनको पढनेकी कोशिश करना हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए तुमने अपने इस्तीफेके जो कारण बताये, उन्हें मैं अशत स्वीकार किये लेता हूँ और इसीलिए तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि इस्तीफा देनेसे पहले तुम्हे मुझको लिखना चाहिए था और बैकरसे बातचीत कर लेनी चाहिए थी। बनारसके वारेमे तो मैं बिलकुल भूल ही गया था, क्योंकि मेरा खयाल था, वहाँकी सभी जिम्मेदारियोसे बैकरने मुझे मुक्त कर दिया है। तुम्हारा पत्र मैंने उन्हीको भेज दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलकर सारी परिस्थितिपर बातचीत कर लो। फिर इसका मतलब यही हुआ कि

१. एस० गणेशन द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका।

वनारनके सम्बन्धमे तुम जिस चिन्तामे परेगान हो, वह प्रशासनिक नही, बल्कि आर्थिक जिम्मेदारीकी चिन्ता है।

कीकी बहनसे कह दो कि मैं उसे बराबर याद करता हूँ। जल्दी ही उमसे मिलनेकी उम्मीद रखता हूँ और आशा करता हूँ कि अगर उसे शरीरसे पहले की ओक्षा ज्यादा मजबूत और अच्छा न पाऊँ तो कममे-कम सदाकी भाँति प्रसन्न अवश्य देखूंगा।

तुम्हारा,  
बापू

[ अग्नेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।  
सौजन्य नारायण देसाई

## २८४ पत्र : स्वामीजीको

कार्तिक वदी ४ [ १५ नवम्बर, १९२४ ]

स्वामीजी,

आपके प्रश्न मीले हैं।

१ तपबलका आर्थिक उपयोग करनेमे उसका नाश होता है।

२ यज्ञ बल पानेके लिये कीया जाता है। ऐसी स्थितिमें बाह्य रक्षाकी आवश्यकता रहती है।

३ रामके कायोंके वर्णनमें मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उन्होने शरीरबलसे विजय पाया।

४ कृष्णकी कयामे बहोतसी बातें केवल रूपक हैं [ उनसे ] कृष्णका आत्मबल दृष्टिगोचर होता है न [ कि ] शरीरबल।

आज भी हम देखते हैं कि पृथ्वीमें शरीरबलसे युक्तिबल बढ़ता है। युक्तिबल और शरीरबल आत्मबलके सामने तुच्छ सा मालुम होता है।

आपका,  
मोहनदास गांधी

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।  
सौजन्य नारायण देसाई



## २८५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

१६ नवम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे लिए ये चन्द्र शब्द इस मंगल-कामनाके साथ लिख रहा हूँ कि मातृभूमिकी सेवा और आत्म-साक्षात्कारके हेतु यह शुभ दिन<sup>१</sup> बार-बार आता रहे।

सम्भव हो तो पिताजीके साथ जरूर आना।

हृदयसे तुम्हारा,  
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

ए वच ऑफ ओल्ड लेटर्स

## २८६. वक्तव्य : कोहाटके प्रश्नपर<sup>२</sup>

दिल्ली

१६ नवम्बर, १९२४

श्री गाधीने रावलपिंडी जाने और कोहाटकी समस्याके समाधानके बारेमें निम्न-लिखित वक्तव्य दिया है :

मैंने देखा है, अखवारोमे मुझेसे यह अनुरोध किया गया है कि मुझे रावलपिंडी जाकर कोहाटके शरणार्थियोसे मिलना चाहिए? मेरे पास सीधे उनके यहाँसे भी इसी आशयके सन्देश आये है। मुझे बड़ा दुख है कि इस समय मैं उनकी बात रखनेमें असमर्थ हूँ। मेरा स्वास्थ्य अभीतक ऐसा नहीं हो पाया है कि लगातार यात्राएँ कर सकूँ, और बगालके दमनके सम्बन्धमें होनेवाले सम्मेलनमें शरीक होनेके लिए बम्बईकी यात्रा तो मैं किसी भी हालतमें स्थगित ही नहीं कर सकता। लेकिन बम्बईसे लौटकर मैं तुरन्त रावलपिंडी जानेकी उम्मीद करता हूँ। फिलहाल, मैं शरणार्थियोको इतना भरोसा दिला देना चाहता हूँ कि उनका ध्यान मुझे बराबर रहा है। उपवासके वाद ज्यो ही मैं जरा चलने फिरने लायक हुआ, मैंने कोहाट जानेकी पूरी तैयारी की और उसके लिए इजाजत माँगी। अगर मुझे इजाजत मिल गई होती तो मैं अपना सबसे पहला फर्ज मानकर कुछ हिन्दू और मुसलमान मित्रोंके साथ

१ जवाहरलाल नेहरूका जन्म-दिन, १४ नवम्बर।

२ यह यूंग इंडिया, २०-११-१९२४में “टिप्पणियाँ”, शीर्षकके अन्तर्गत “कोहाट रिपयूजीज” उप-शीर्षकसे भी छपा था।

वहाँ जा पहुँचता। तब मुझे लगता था कि मैं कुछ उपयोगी सेवा कर सकता हूँ और अपने मित्रोंके सहयोगसे हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच फिरसे मेल-जोल कायम करानेमें अपना तुच्छ योगदान कर सकता हूँ। लेकिन जब कोहाट जानेपर रोक लगा दी गई, तो मुझे लगा कि रावलपिंडी जानेसे कुछ नहीं बनेगा। मुझे मालूम था कि बहुत-से मित्र शरणार्थियोंकी सहायतामें लगे हुए हैं और पण्डित मालवीयजी उनका खास खयाल रख रहे हैं। जैसा ऊपर बताया है, शरणार्थियोंने मुझसे आनेका अनुरोध किया है और उनके इस अनुरोधका खयाल करके मैं रावलपिंडी जाऊँगा भी, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ जाकर भी मैं उन्हें सात्वना देनेके अलावा शायद और कोई सेवा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन, मैं शरणार्थियोंसे इस तथ्यकी ओर ध्यान देनेको कहूँगा कि कोहाटका सवाल सारे भारतका सवाल है। भारतके हिन्दू और मुसलमान, दोनोंकी ही इसके उचित, सम्मानपूर्ण और सही समाधानमें बड़ी दिलचस्पी है। इसलिए वे जो भी समाधान स्वीकार करे वह स्थानीय हितोंको देखते हुए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितोंको ध्यानमें रखकर स्वीकार करे। उनकी बुद्धिमानी इसीमें होगी कि कोई भी समझौता स्वीकार करनेसे पहले वे हिन्दू और मुसलमान नेताओंकी सहमति ले ले, मैं तो सरकारको यहीं सलाह देना चाहूँगा। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने समझौतेकी उन शर्तोंको, जो कहते हैं, उनके सामने रखी गई थी, अस्वीकार कर दिया। सरकारने घोषणा की है कि वह एकताके पक्षमें है। वह जो-कुछ करे, उसमें अगर वह जनताको भी शरीक रखे और दोनों सम्प्रदायोंके लोगोंके सामने समझौतेकी जो भी शर्तें रखे, उनपर जनताकी भी स्वीकृति ले ले तो यह उसकी सदाशयताका ही परिचायक होगा।

[अंग्रेजीमें]

न्यू इंडिया, १७-११-१९२४

## २८७. सन्देश : तमिलनाडु परिषद्, तिरुवन्नामलईको<sup>१</sup>

[१७ नवम्बर, १९२४ से पूर्व]

आशा है, यह परिषद् स्वराज्यवादियों और अपनी निजी हैसियतसे मेरे बीच हुए समझौतेको समझेगी और उसकी खूबियाँ पहचानेगी। अहिंसाको ठीकसे समझ लेनेसे इस समझौतेकी कुजी प्राप्त हो जायेगी। इस समझौतेका असहयोगपर कोई असर नहीं पडता। जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि परिषद्के परिणामस्वरूप खद्दरका उपयोग बढेगा।

[अंग्रेजीसे]

अमृतदाजार पत्रिका, १९-११-१९२४

१ यह परिषद् १७ नवम्बरको तिरुवन्नामलईमें हुई थी। उसमें समझौतेका समर्थन किया गया था और खद्दर पहननेपर खास जोर दिया गया था।

## २८८. पत्र : सतीशचन्द्र मुखर्जीको

१७ नवम्बर, १९२४

प्रिय सतीश बाबू,

आपके तारका उत्तर दे दिया है। कृष्णोदासको क्या करना चाहिए, इसका सबसे अच्छा निर्णय तो आप ही कर सकते हैं। वचन देनेके वारेमे मेरे क्या विचार है, आप जानते हैं। कृष्णोदासने विलकुल साफ कहा था कि वह १८ तारीख या उससे पहले लौट आयेगा। यदि उसका आना किसी भी तरह सम्भव था तो उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए था। लेकिन, मैं स्वीकार करता हूँ कि जो वादा वह आपके जरिये या आपकी सहमतिसे न करे, वह वादा उसपर अन्तिम रूपसे बन्धनकारी नहीं हो सकता। गुरु और शिष्यके सम्बन्धके वारेमे मेरी मान्यता बहुत ऊँची है। इसलिए आपको जो तार भेजा, उसे भेजनेमे मुझे तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मैं जानता हूँ कि कृष्णोदासका कल्याण आँख मूँदकर आपकी आज्ञाका पालन करनेमे ही है। इसलिए मैं तो आप दोनोंके बीच पडनेका साहस नहीं कर सकता। आप भेजेगे तो वह आयेगा तो अवश्य ही, और रही मेरी बात, सो मैं तो चाहता ही हूँ कि वह आ जाये। मेरा प्राय निश्चित मत है कि उसकी वर्तमान मन स्थितिका कारण जरूरतसे ज्यादा सवेदनशीलता ही है।

मैं २० तारीखको बम्बई पहुँच रहा हूँ, शायद २३ तक वहाँ रहूँगा, महीनेके अन्ततक सावरमतीमे रहूँगा और ३ या ४ दिसम्बरको रावर्लपिंडी पहुँचूँगा।

आपके भेजे तेलका इस्तेमाल मैं रोज करता हूँ और उसके साथ ही आपको याद करता हूँ।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गाधी

अग्नेजी पत्र (जी० एन० ५६०६) की फोटो-नकलसे।

## २८९. पत्र : लाजपतरायको

१७ नवम्बर, १९२४

प्रिय लालाजी,

आपका पत्र मिला और भरूचा तथा लाला अमीरचन्दकी मार्फत भेजे सन्देश भी। मैं आपकी मांग पूरी नहीं कर रहा हूँ, आशा है, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। अपनी असमर्थताके कारण मैंने अब सार्वजनिक रूपसे वता दिये हैं। कुछ ऐसे क्षण जरूर होते हैं, जब स्वास्थ्यको खतरेमें डालना, बल्कि उसकी बलि चढ़ा देना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन, मुझे नहीं लगा कि यह वैसा ही क्षण है। मैं अच्छी तरह खाता-पीता हूँ, अच्छी नीद सोता भी हूँ, कुछ दूर घूम भी लेता हूँ, बगालकी यात्रा कर सकता हूँ और बम्बईकी यात्रा तो कर ही रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि रावल-पिंडीकी यात्रासे मैं मर नहीं जाता और फिर सिपाहीके लिए तो रण-क्षेत्रकी मृत्यु सदा स्वागत करने लायक होती है। लेकिन, क्या उससे कुछ लाभ होता? मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ। मेरा तरीका तो रोगी अगको शल्य-चिकित्सा द्वारा निकाल देनेका है, दवा-दारूके जरिए रोगके शमन करनेका नहीं। पर शरणार्थी लोग इस समय ऐसे ऑपरेशनके लिए तैयार नहीं होंगे, मुझे तो यही आशका है, और यदि वे तैयार भी हो तो फिर चन्द दिनोंमें कुछ बनने-बिगडनेवाला नहीं। ये थोड़े-से दिन तो शायद उन्हें ऐसी चिकित्साके लिए राजी करनेमें ही लग जायेंगे। फिलहाल तो इतना ही काफी होगा कि उनकी देख-भाल की जाये, उन्हें चिन्तन और शोधनके लिए थोड़ा अवसर दिया जाये, और थोड़ी पुष्टिकारक दवा दी जाये। रावलपिंडीके बारेमें इतना ही<sup>१</sup> ।

[अग्नेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

## २९०. पत्र : अमीरचन्द सी० बम्बवालको

[१८ नवम्बर, १९२४ से पूर्व]<sup>१</sup>

प्रिय मित्र,

हालांकि मेरा खयाल है कि हम लोगोकी भेंट नहीं हुई है, फिर भी पण्डित मालवीयजीके जरिये मैं आपको जानता हूँ। वे आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे और मुझको बता रहे थे कि आप कितने बहादुर, ईमानदार और आत्मत्यागी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शरणार्थियोंकी सेवा करनेमें आपने अपने स्वास्थ्यकी तनिक भी

१ साधन सूत्रमें पत्रका शेषांश नहीं दिया गया है।

२ यह तिथि गांधीजीके बम्बई रवाना होनेकी तिथिके आधारपर ली गई है।

परवाह नहीं की। लेकिन इस पत्रका उद्देश्य आपको और आपकी मार्फत शरणार्थियोंको यह बताना है कि अभी जो मैं रावलपिंडी नहीं आ सकता, इसके लिए मुझे कितना दुःख है। मैं तो कोहाट जाना चाहता था, लेकिन फिलहाल तो यह योजना विफल ही हो गई और इसलिए मुझे रावलपिंडी जानेकी जल्दी नहीं रही। मुझे मालूम था कि पण्डितजी आपके निकट सम्पर्कमें हैं और साथ ही मैं यह भी जानता था कि जबतक मैं ठीक किस्मके लोगोंको साथ लेकर कोहाट न जाऊँ तबतक समझौता करानेमें किसी प्रकार सहायक नहीं हो सकता। लेकिन देखता हूँ, रावलपिंडीमें भी मेरी उपस्थिति आवश्यक समझी जाती है, पर मेरा वहाँ जाना सम्भव नहीं हो पाया। मैं अवसर मिलते ही आ जाऊँगा और दिसम्बरके पहले हफ्तेतक तो अवश्य ही आ जाऊँगा। अभी बम्बई जानेमें मैं देर नहीं कर सकता। इस बीच मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस परिस्थितिके विषयमें मेरे क्या विचार हैं। जाहिर है कि मेरा यह विचार इतनी दूरसे परिस्थितिको जैसा मैं समझ पाया हूँ, उसीपर आधारित है। कोहाटकी समस्याको अखिल भारतीय समस्या मानकर चलना चाहिए। कारण, शरणार्थियोंका क्या होता है, इस बातमें भारतके सभी लोगोंकी दिलचस्पी है। इसलिए शरणार्थियोंको चाहिए कि वे सरकारको सूचित कर दे कि उन्हें हिन्दू और मुसलमान नेताओंसे जो सलाह मिलेगी, उसीके मुताबिक वे अपना रास्ता चुनेगे और इसलिए सरकारको उन्हें आमन्त्रित करना और उन्हींके जरिये मामलेका निपटारा करवाना चाहिए। आशा है, शरणार्थी लोग गिरफ्तारी आदिकी धमकियोंसे डर नहीं जायेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल या परसो पण्डितजी और लालाजी आपके बीच होंगे। आप चाहे तो यह पत्र उनके सामने रख दें और अगर वे मेरे विचारसे सहमत न हों तो आप सब लोग इसपर कोई ध्यान न दें। अगर पण्डितजी और लालाजी सहमत न हों तो मेरे विचार शरणार्थियोंके सामने रखनेकी भी कोई जरूरत नहीं।

हृदयसे आपका,

[ अग्नेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

## २९१. पत्र : कनिकाके राजाको

स्थायी पता सावरमती,  
१८ नवम्बर, १९२४

प्रिय राजा साहब,

आपके २५ अक्टूबर, १९२४ के पत्रके लिए और आपकी शुभकामनाओके लिए धन्यवाद। मेरे पास जो कागजात है उनके आधारपर मेरे सचिवने जो टिप्पणी तैयार की थी उसका उत्तर मैंने पढ लिया है। इस समस्यासे निपटनेका सबसे सन्तोषजनक तरीका यही है कि मैं या मेरी तरफसे कोई आदमी राज्यमे जाकर निजी तौरपर तहकीकात करे, ताकि मैं उस विषयपर अधिकारपूर्ण कुछ कह या लिख सकूं। मैं इसी आशयका पत्र लिखनेवाला था कि तभी मुझे श्री एन्ड्र्यूजसे यह चीज मिली। आप शायद जानते होंगे कि उपवासके समयसे ही वे 'यग इडिया'के सम्पादनमे मेरी सहायता कर रहे हैं। कतरनको प्रकाशनार्थ भेजा गया था लेकिन श्री एन्ड्र्यूज मुझे दिखाये बगैर उसे छापनेको तैयार नहीं थे। उसे पढनेपर मैंने तय किया कि छापनेसे पहले उसको आपके पास भेज दूं। इसी बीच मैंने देखा कि अन्य अखबारोंने उस खबरको पहले ही छाप दिया है। यदि आप अन्यथा न माने तो मैं श्री एन्ड्र्यूजको आपके पास भेजना चाहूंगा ताकि वे सब चीजें अपनी आँखोंसे देख सकें। वे कहते हैं कि आपको वे भली-भाँति जानते हैं और उन्होने कृपापूर्वक जाना भी स्वीकार कर लिया है। यदि श्री एन्ड्र्यूज वहाँ जाते हैं तो वे स्थितिको सँभालकर यदि कोई वुराई है तो उसे दूर करनेमे आपकी सहायता कर सकेंगे और तब जो लोग मुझसे रैयतपर अत्याचार होनेकी बराबर शिकायतें कर रहे हैं, उन्हें मैं सन्तुष्ट कर सकूंगा। श्री एन्ड्र्यूजको भेजनेके मेरे प्रस्तावके बारेमें कृपया आप अपना जवाब तार द्वारा सावरमती भेजे।

हृदयसे आपका,

अग्नेजी प्रति (एस० एन० ११७३३) की फोटो-नकलसे।

## २९२. टिप्पणियाँ

### बी-अम्माँ

यह मानना मुश्किल है कि बी-अम्माँका देहान्त हो गया है। बी-अम्माँकी उस राजसी मूर्तिको या सार्वजनिक सभाओमे उनकी वुल्न्द आवाजको कौन नहीं जानता? वुढापा होते हुए भी उनमे जवानो-जैसी ताकत थी। खिलाफत और स्वराज्यके लिए उन्होने अथक यात्राएँ की। इस्लामकी कट्टर अनुयायी होते हुए भी उन्होने देख लिया था कि इस्लामका कार्य, जहाँतक मनुष्यके बसकी बात है, भारतकी आजादीपर निर्भर है। इतने ही विश्वासके साथ उन्होने यह भी महसूस कर लिया था कि हिन्दुस्तानकी आजादी बिना हिन्दू-मुस्लिम एकता और खादीके असम्भव है। इसलिए वे अविराम एकताका प्रचार करती रही। यह उनके लिए एक अटल सिद्धान्त हो गया था। उन्होने अपने तमाम विदेशी और मिलके कपडोका परित्याग कर दिया था और खादीका ही उपयोग करती थी। मौलाना मुहम्मद अली मुझे बताते हैं कि बी-अम्माँने उन्हे यह हुक्म दे रखा था कि उनके जनाजेपर सिवा खादीके और कुछ न होना चाहिए। उनकी बीमारीके दिनोमे जब कभी मुझे उनके नजदीक जानेका सौभाग्य प्राप्त होता तब वे हमेशा स्वराज्य और एकताकी बातें पूछती। उसके बाद ही प्राय वे खुदासे दुआ करती 'या खुदा, हिन्दुओ और मुसलमानोको ऐसी अक्ल बख्श कि जिससे ये एकताकी जरूरतको समझे और रहम करके स्वराज्य देखनेके लिए मुझे जिन्दा रहने दे।' इस बहादुर और शरीफ आत्माकी यादगार कायम रखनेका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उस अनुष्ठानके प्रति उनके उत्साह और उमगका अनुकरण करें जो हम सबका अनुष्ठान है। हिन्दू-धर्म भी एकता और स्वराज्यके बिना उतना ही खतरेमे है जितना कि इस्लाम। परमात्मा हिन्दुओ और मुसलमानोको बी-अम्माँ-जैसी सहज बुद्धि दे, ताकि वे इस बुनियादी बातकी कद्र कर सकें। परमात्मा उनकी आत्माको शान्ति दे और अली-भाइयोको शक्ति दे कि वे उनके सौपे कार्यको जारी रखें।

बी-अम्माँकी मृत्युकी रातके उस प्रभावोत्पादक और गम्भीर दृश्यका वर्णन किये बिना मैं नहीं रह सकता। उस समय मुझे उनके पास ही रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह सुनते ही कि अब वे अपने जीवनकी अन्तिम साँसें ले रही हैं, मैं और सरोजिनी देवी वहाँ दौड़े गये। उनके परिवारके कितने ही लोग आसपास जमा थे। परिवारके मित्र और चिकित्सक डा० अन्सारी भी मौजूद थे। वहाँ रोने-सुबकनेकी आवाज सुनाई नहीं देती थी, अलबत्ता मौलाना मुहम्मद अलीके गालोपर आँसू टपक रहे थे। बड़े भाईने बड़ी कठिनाईसे अपने-आपको रोक रखा था, हालाँकि उनके चेहरेपर एक असाधारण गम्भीरता छाई हुई थी। सब लोग अल्लाहका नाम ले रहे थे। एक सज्जन अन्त समयकी प्रार्थना कर रहे थे। कॉमरेड प्रेस बी-अम्माँके

कमरेसे इतना नजदीक है कि आवाज सुनाई पड सकती है, परन्तु एक मिनटके लिए वहाँके काममें व्यवधान न पड और न मौलानाने ही अपने सम्पादकीय कर्तव्योंमें ललल आने दिया। मार्गजनिक फर्तव्य तो कोई भी मुत्तवी नहीं किया गया। मौलाना शोकत अली तो ग्वाबमें भी यह माननेको तैयार नहीं थे कि मैं अपना रामजस कालेज जाना मुत्तवी करूँ और एक सच्चे सिपाहीकी तरह वे मुजफ्फरनगरके हिन्दुओंको दिये गये वादेके अनुमार नियत समयपर उनमें मिले, हालाँकि उन्हें वी-अम्माँकी मृत्युके लगभग तुरन्त बाद ही उनसे मिलने जाना पडा। यह सब जैसा कि होना चाहिए था, वैसा ही हुआ। जन्म और मरण दो भिन्न दयाएँ नहीं हैं, बल्कि एक ही दशाके दो भिन्न-भिन्न पहलू हैं। न मृत्युमें दुखी होनेकी जरूरत है, न जन्मसे खुशी मनानेकी।

### स्वर्गीय पारसी रस्तमजी

रस्तमजी जीवनजी घोरखोदूकी मृत्युका दुःखद समाचार मुझे डर्वनसे भेजे गये उनके पुत्रके तारसे मित्र है। मेरे लिए यह एक व्यक्तिगत क्षति है। वे एक महत्त्वपूर्ण मुवनिरुत्र, प्रियमित्र और निष्ठावान कार्यकर्ता थे। वे जितने सच्चे भारतीय थे, उतने ही सच्चे पारसी भी थे और उतने ही खरे आदमी भी थे। वे एक चुस्त पारसी थे, लेकिन उनका पारसी-धर्म मानवताके समान ही व्यापक और उदार था। वे बिना किसी भेद-भावके सभीको मित्र बना लेते थे। उनका व्यवहार मरकारी अधिकारियोंके नाय मीठा होता था, लेकिन अवसर पडनेपर वे दृढ़ रख अपना सकते थे। उनका मौखिक वचन वैसा ही भरोसेके काबिल होता था जैसी कि उनकी हुण्डियाँ। वे शेरकी तरह बहादुर थे। वे आसानीसे कोई वचन नहीं देते थे, लेकिन एक बार दे देने पर वे उसे निभानेका पूरा प्रयत्न करते थे। एक बार अपनेको सत्याग्रही घोषित कर देनेके बाद, फिर वे आन्दोलनकी कठिनतम घडियोंमें भी एक क्षणके लिए विचलित नहीं हुए, उस समय भी नहीं जबकि ऐसा लगता था कि सधर्षका कभी अन्त ही नहीं आनेवाला है। जिस समय उन्होंने [सत्याग्रहकी] गपथ ली, उस समय वे जवानीकी उम्र पार कर चुके थे और व्यावसायिक व्यस्तताएँ भी उनकी कम नहीं थी। लेकिन उन्होंने आपत्तियोंकी परवाह नहीं की। उन्होंने बिना किसी शिकायतके सब नुकसान महे। उन्होंने लगभग अपनी मामय्यसे ज्यादा दिया, लेकिन कभी बिना विचारे नहीं। वे निष्पक्ष और समान भावसे दान देते थे। उन्होंने मसजिदों, मदरसों और राष्ट्रीय स्कूलों, सभीको दान दिया। वे समस्त दक्षिण आफ्रिकामें पारसी रस्तमजीके नाममें विख्यात थे और कितने ही नौजवान इन्ही पारसी रस्तमजीके ही कारण उन्नति कर सके थे। व्यक्तिगत तौरपर मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। दक्षिण आफ्रिकामें मेरे बहुत-से मित्र हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सौहार्द मैंने किसीमें नहीं देखा। जब क्रूड भीड मेरे पीछे पडी थी, उस समय उन्होंने मुझे अपने यहाँ आश्रय दिया था। उनका घर मेरे और मेरे स्वजनोके लिए शरणस्थल था। लोग आश्चर्य करते हैं कि मैं पारसियोंका इतना पक्ष क्यों लेता हूँ। मैं पक्षपात नहीं करता, लेकिन मैं ईश्वरका धन्यवाद करता हूँ कि मैं पारसियोंके सराहनीय गुणोकी साक्षी दे सकता हूँ। जबतक मुझे पारसी रस्तमजीकी याद रहेगी तबतक मेरे मनमें पारसियोंके लिए आदर मिश्रित



सराहना रहेगी। अगर यहाँ हमारे सार्वजनिक जीवनमें कई रस्तमजी होते तो हमें अपने वाञ्छित लक्ष्यको प्राप्त करनेमें देर नहीं लगती। परमात्मा उनकी आत्माको शान्ति प्रदान करे और उनके दोनो पुत्रोको बुद्धि और शक्ति दे कि वे अपने नेक पिताके चरण-चिह्नोपर चल सकें।

### अन्धविश्वासपूर्ण रिवाज

हालमें प्राप्त एक पत्रके कुछ अंश मैं नीचे दे रहा हूँ, जिन्हें पढकर पाठकोको भी वैसा ही दुःख होगा जैसा मुझे हुआ है।

“मैं यहाँ वन्य-प्रान्तके बीचो-बीच बसे गाँवमें हूँ जहाँ कुल सख्यामें से ९० प्रतिशत गोंड रहते हैं। दौरा करते हुए मैं सिलागोटा नामक गाँवमें पहुँचा। यह गाँव मध्य प्रान्तके छत्तीसगढ खण्डमें खैरागढ़ राज्यकी डोंगरगढ तहसीलमें है। पिछले रविवारको यहाँ आसपासके गाँवसे लोग काफी बड़ी सख्यामें इकट्ठे हुए। इनमें से बहुत-से लोग शायद १५ मीलसे अधिक दूरसे आये थे। मैंने इस जमावका कारण पूछा और पता लगा कि पिछले दो वर्षोंसे ये लोग प्रत्येक रविवार गांधी-दिवसके रूपमें मनाते आ रहे हैं। उस दिन ये लोग कोई काम नहीं करते। ऐसा मानते हैं कि उपस्थित जन-समुदायमें से कुछ पुरुषों या स्त्रियोंमें आपकी आत्मा आती है और वे लोग बँबी-प्रेरणा प्राप्त लोग होते हैं। ये भविष्य बताते हैं और बाँझ स्त्रियोंको सन्तान होनेका आश्वासन देते हैं। मैं जानता हूँ कि इस खबरसे आपको तकलीफ पहुँचेगी। क्या आप इस प्रथाको रोकनेके लिए अपना कोई कार्यकर्ता नहीं भेज सकते? यदि आपकी पूजा करनेकी यह प्रथा अभी नहीं रोकई गई तो मैं समझता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब ये लोग सचमुच आपकी प्रतिमा मन्दिरमें रख देंगे और आपकी पूजा शुरू कर देंगे।”

हमारे देशमें पहले ही काफी अन्धविश्वास है। अब गांधीकी पूजाके रूपमें इसमें और कुछ जोडा जाये, इसे रोकनेके लिए कुछ भी उठा नहीं रखना चाहिए। व्यक्तिगत रूपसे मुझे हर प्रकारकी अन्धभक्तिसे नफरत है। मैं व्यक्ति से अलग उसके गुणोंकी पूजामें विश्वास करता हूँ और ऐसा उन गुणोंको धारण करनेवालेकी मृत्युके बाद ही सम्भव है। काया कुछ नहीं है। यह तो नाशवान् है। गुण जीवित रहते हैं और वे किसी-न-किसी व्यक्तिमें प्रकट होते हैं। बेचारे गोंड मेरे बारेमें या मेरे कार्यके बारेमें कुछ नहीं जानते। मैं जानता हूँ कि मुझमें किसीको कुछ भी दे सकनेकी ताकत नहीं है। किसी व्यक्तिमें मेरी आत्माके आनेकी कल्पना ही मेरे लिए असह्य है। इस प्रथासे हानि ही पहुँच सकती है और इससे फरेवकी गुजाइश होती है। मैं अपने सह-कार्य-कर्त्ताओंसे अनुरोध करता हूँ कि पत्र-लेखकने जिस पूजाका उल्लेख किया है उसे वे समाप्त करवाये। गोंड-जैसे सीधे-सरल लोगोको अन्धविश्वासपूर्ण कार्य करनेमें प्रोत्साहन देना पाप है।

### आगामी पजाव सम्मेलन

श्री भरूचाने जो खादी-विक्रेताके रूपमे अब तेजीसे विशेषज्ञता प्राप्त करते जा रहे हैं, खादीकी विक्रीके लिए पजावका सफल दौरा करनेके बाद मुझसे शिकायत की है कि अगले माहके आरम्भमे जो सम्मेलन होनेवाला है, उसकी हलचल और तैयारीके कारण खादीकी विक्रीमे बाधा पडनेकी सम्भावना है। मैं तो ऐसी आशा करता था कि इससे विक्री बढेगी। परिपदो-सम्मेलनकी तैयारियोका मतलब खादीकी और अधिक माँग होना चाहिए। पजावमे तो विशेषरूपसे यही होना चाहिए। जब खादी देशके अन्य भागोमे लगभग नष्ट हो गई थी, उस समय भी पजाव खादीका उत्पादन और उपयोग कर रहा था और आज पजाव जितनी खादीका उत्पादन करता है उसकी खपत करना भी उसके लिए कठिन हो रहा है। मैं यही आशा करता हूँ कि मुझे विदेशी या मिलके भी बने कपडे पहने हुए स्त्री-पुरुषोसे खचाखच भरे पण्डालका लज्जोत्पादक दृश्य नहीं देखना पडेगा। पजावको चाहिए कि वह श्री भरूचाकी आशकाको अनुचित सिद्ध कर दे।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, २०-११-१९२४

### २९३. कसौटीपर

मेरे और स्वराज्यवादियोके बीच जो समझौता हुआ है, उसपर अपरिवर्तनवादी लोगोको बडा गहरा असन्तोष है। यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। मैंने बार-बार यह स्वीकार किया है कि मैं तो अहिंसा-शास्त्रका एक तुच्छ अन्वेषक मात्र हूँ। उसकी निगूढ गहराइयाँ कभी-कभी मुझे भी उतना ही स्तम्भित कर देती हैं, जितना स्तम्भित मेरे साथी कार्यकर्ताओको कर देती हैं। मैं देखता हूँ कि अभी तो यह समझौता सिवा मेरे और स्वराज्यवादियोके, किसीको सन्तुष्ट करता नहीं जान पडता। बहुत-से अग्रेज सज्जन मानते हैं कि मैंने बडे लज्जास्पद ढंगसे स्वराज्यवादियोके सामने समर्पण कर दिया है। बहुत-से अपरिवर्तनवादी इसे मित्रद्रोह नहीं तो एक भारी भूल अवश्य मानते हैं। एक मित्र लिखते हैं कि इससे विद्यार्थी-वर्ग तो बिलकुल किकर्तव्य-विमूढ रह गया है। विद्यार्थी पूछते हैं कि यदि असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया जाता है तो फिर वे राष्ट्रीय स्कूलोमे क्यों रहे। असहयोगमे सबसे ज्यादा हानि उन्हीकी हुई है और इस समझौतेमे उनका खयाल बिलकुल भुला दिया गया है। आन्ध्रसे एक मित्रने मुझे पत्र भेजा है। यह ध्यान देने लायक है और ऐसा है जिसका युक्ति-संगत उत्तर देना जरूरी है।

समर्पण तो मैंने किया ही है, लेकिन यह विवेकपूर्ण समर्पण है और एक अग्रेजी पत्रमे जो यह कहा गया है कि यह हिंसावादी दलके सामने समर्पण है, सो सही नहीं है। मैं नहीं मानता कि स्वराज्यदल हिंसावादियोका दल है। मैं जानता हूँ कि ऐसे

आरोप तो दादाभाई नौरोजी और न्यायमूर्ति रानडे तकपर लगाये गये थे। उनपर सन्देह किया गया और उनके पीछे खुफिया विभागके लोग तैनात कर दिये गये थे। लाला हरकिशनलालका सम्बन्ध किसी हिंसावादी दलसे उतना ही था जितना कि खुद सर मायकेल ओ'डायरका हो सकता था, फिर भी उस निरकुश सरदारने उन्हें गिरफ्तार कराकर जेल भिजवा दिया। यदि स्वराज्य दलकी इस विपत्तिके समय मैं उनका साथ न देता तो मैं देशके प्रति अपने कर्तव्यसे च्युत होता। कोई इस बातको निभ्रान्त रूपसे दिखा दे कि हिंसात्मक कार्रवाइयोसे स्वराज्य दलका कुछ भी सम्बन्ध है, तो निश्चय ही जितनी कड़ी भाषाका प्रयोग करना मेरे लिए सम्भव है उतनी कड़ी भाषामे मैं उसकी भर्त्सना करनेको तैयार हूँ। ऐसा सबूत मिल जानेपर मैं उससे अपना सारा सम्बन्ध तोड़ लूँगा। लेकिन जबतक ऐसा नहीं होता, तबतक तो मुझे उनका साथ देना ही पड़ेगा, यद्यपि मैं कौंसिल-प्रवेशकी उपयोगितामे या कौंसिलमे सघर्ष चलानेके उनके कुछ ऐसे तरीकोमे विश्वास नहीं रखता।

परन्तु स्वराज्य दलको कांग्रेसका एक अभिन्न अंग मान लेनेका मतलब यह नहीं है कि लोग व्यक्तिगत तौरपर भी असहयोग करना छोड़ दे। इसका मतलब सिर्फ इस बातकी स्वीकृति है कि स्वराज्य दल कांग्रेसका एक जबरदस्त और वर्धमान अंग है और यदि वह जोर-आजमाई किये बिना कांग्रेसमे गौण स्थान ग्रहण करनेको तैयार हो और यदि ऐसी जोर-आजमाईसे वचना आवश्यक अथवा समयोचित भी हो तो स्वराज्य दलको विधिपूर्वक निश्चित रूपसे मान्यता दिये बिना काम चल ही नहीं सकता। लेकिन हर कांग्रेस-जनके वारेमे सिर्फ इसीलिए कि वह कांग्रेसका सदस्य है, यह नहीं माना जाता कि वह कांग्रेसके कार्यक्रमकी तमाम मदोको मानता है। मैं मानता हूँ कि मेरी अपनी स्थिति इससे कुछ भिन्न है। इस समझौतेके प्रणयनमे मेरा हाथ रहा है और मुझे इस बातका दुःख भी नहीं है। सही हो या गलत, लेकिन देश मुझसे कुछ मार्गदर्शनकी आशा रखता है और मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि स्वराज्यदलको अपरिवर्तनवादियोकी ओरसे हर प्रकारकी विघ्न-बाधासे मुक्त रहकर अपने कार्यक्रमके अनुसार कार्य करनेका पूरा-पूरा अवसर देना देशके लिए हितकर ही होगा। यदि अपरिवर्तनवादी लोगोको पसन्द नहीं हो तो उनके सामने स्वराज्यवादियोकी गतिविधियोमे शरीक होनेकी कोई मजबूरी नहीं है। उन्हें इस बातकी पूरी छूट है कि वे केवल रचनात्मक कार्यक्रमको ही कार्यान्वित करे, वे और स्वराज्यवादी दोनो इसीको पूरा करनेके लिए बाध्य भी हैं। वे व्यक्तिगत तौरपर असहयोग चलाते रहनेके लिए भी स्वतन्त्र हैं। लेकिन कांग्रेस द्वारा असहयोगके स्थगित किये जानेका मतलब यह अवश्य है कि असहयोगी कांग्रेससे कोई समर्थन या शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हें स्वयं अपने अन्दरसे शक्ति जुटानी पड़ेगी और यही उनकी कसौटी और परीक्षा है। यदि उनकी आस्था कायम रही तो यह उनके लिए भी अच्छी बात है और असहयोगके लिए भी। यदि असहयोग स्थगित कर देनेके साथ ही वह समाप्त हो जाता है तो सार्वजनिक जीवनमे एक शक्तिके रूपमे असहयोगका कोई स्थान नहीं रह जायेगा। पर एक मित्र कहते हैं कि जब खुद आप ही डाँवाडोल हो रहे हैं तब

फिर ओरोके वारेमें क्या कहा जाये ? मैं कभी भी डीवाडोल नहीं हुआ हूँ। असहयोगमें मेरा विश्वास आज भी उतना ही ज्वलन्त है, जितना कि हमेशा रहा है। कारण, तीस सालसे भी अधिक गमयमे यह मेरे जीवनका एक सिद्धान्त रहा है। परन्तु मैं अपना निजी सिद्धान्त औरोपर नहीं लाद सकता, एक राष्ट्रीय सम्झौतापर तो हरगिज नहीं। तो मैं सिर्फ उतना ही कर सकता हूँ कि राष्ट्रको उमकी मुन्दरता और उपयोगिताका कायल करनेकी कोशिश करूँ। यदि मैं राष्ट्रके मनकी चाह लेते हुए यह देखूँ कि जहाँतक कांग्रेस उमके मनोभावकी प्रकट करती है उसे तनिक मुस्ता लेनेकी जरूरत है तो मुझे मरनेकी कहना ही पड़ेगा। हो सकता है कि मैं कांग्रेसकी मनोदशाका अनुमान लगानेमें गलती कर बैठूँ। लेकिन जिन दिन ऐसा होगा, कांग्रेसमें मेरा कोई वजन ही नहीं रह जायेगा। ऐसा ही तो यह कोई बहुत-बड़े सफटकी बात नहीं होगी। लेकिन अगर राष्ट्र अन्य उपायोंमें प्रगति कर रहा हो और मैं अपनी हठधर्मिताके कारण उमके मार्गमें बाधा बनकर रखा हो जाऊँ तो यह अवश्य ही बहुत बड़े सफटकी बात होगी। हाँ, अगर ये उपाय निश्चित रूपसे दुर्वृत्तिपूर्ण और हानिकार हो तब तो मुझे विरोध करना ही पड़ेगा। उदाहरणके लिए जो वास्तवमें हिंसात्मक हो, ऐसे उपायोंके खिलाफ तो अफेला होनेपर भी मुझे उठना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने यह स्वीकार किया है कि अगर राष्ट्रकी उच्छा हो तो उमके वास्तविक हिसाके जरिये भी स्वराज्य प्राप्त करनेका अधिकार है। लेकिन उम हालतमें मेरी जन्मभूमि होते हुए भी यह वह देश नहीं रह जायेगा, जिसमें मुझे प्रेम होगा — ठीक उसी प्रकार जिन प्रकार यदि मेरी माता सन्मार्ग छोड़ दे तो उसपर मैं गर्व नहीं करूँगा। लेकिन स्वराज्य दल तो एक व्यवस्थायुक्त प्रगति चाहनेवाला दल है। हो सकता है कि वह मेरी तरह अहिंसाकी कममें न खाता हो, पर अहिंसाको वह एक कार्य-साधक नीतिके तौरपर अवश्य मानता है और हिंसाका विरोध करता है, क्योंकि वह उसे हानिकार न भी मानता हो तो भी अनुपयोगी अवश्य मानता है। कांग्रेसमें उसका एक प्रमुख स्थान है। न जाने, पर यह सम्भव हो सकता है कि यदि इसकी शक्तिकी परीक्षा की जाये तो उसमें उमकी स्थिति, शायद, मजमें प्रबल सिद्ध हो। मेरे लिए यह बिलकुल आसान है कि मैं कांग्रेसमें हट जाऊँ और उस दलको कांग्रेसका कार्य-मचालन करने दूँ। लेकिन ऐसा तो मैं उमकी हालतमें कर सकता हूँ और करूँगा जब कि मैं देख लूँगा कि मेरा और उमका किमी बातमें मेल नहीं बैठता। परन्तु जबतक मुझे उसके उद्धारकी जरा भी आशा है तबतक मैं उसका पल्ला उसी तरह पकड़े रहूँगा जिस तरह बालक अपनी माताकी गोदसे चिपका रहता है। मैं उससे अपना सम्बन्ध तोड़कर अथवा उमकी भर्त्सना करके या कांग्रेससे अलग होकर उसको कमजोर हरगिज नहीं बनाऊँगा।

मैंने “उद्धार” शब्दका प्रयोग बुरे भावसे नहीं किया है। मेरे पास भी शुद्धि और तबलीगकी अपनी विधि है। दुनियांमें अवतक ऐसी उत्तम विधि नहीं देखी है। जिस जमीनपर मैं खड़ा हूँ, उसका और अपने बलका ज्ञान रखते हुए मैं अपने-आपको इस बातके लिए स्वराज्य दलके सुपुर्द करता हूँ कि वह मुझपर जितना चाहे

उतना असर डाले। इससे मुझे उसकी तमाम खूबियोंका पूरा-पूरा ज्ञान हो जायेगा और मैं अपना यह इरादा भी छिपाना नहीं चाहता कि उसके प्रभावमे आकर मैं स्वयं उसीपर अपनी कार्य-विधिके पक्षमे प्रभाव डालनेकी आशा रखता हूँ। यदि इस प्रक्रियामे वही मेरी शुद्धि कर दे, मुझे अपने मतका बना ले, तो वाह वाह! फिर तो मैं बुलन्द आवाजमे अपने मतान्तरणकी घोषणा करूँगा। यह बुद्धिसे-बुद्धिको जगाकर, हृदयसे-हृदयका स्पर्श करके शुद्धीकरणका एक उदाहरण होगा। यह मतान्तरणकी अहिंसक विधि है और असहयोगियोंको चाहिए कि वे मेरे साथ शक्ति लगाकर देखे। साथ ही वे व्यक्तिगत रूपसे अपने आचार-विचारपर भी दृढ़ बने रहे। यदि उनका असहयोग प्रेमसे उद्भूत होगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वे स्वराज्यवादियोंको अपने मार्गपर अवश्य ले जायेगे और यदि न भी ला पाये तो निजी तौरपर कुछ हानि तो होगी ही नहीं। यदि देश उनके साथ है और यदि स्वराज्यवादी लोग उनका अनुसरण नहीं करते तो उनका स्थान अपने-आप गौण हो जायेगा। और यदि उन्होंने बारह महीनेकी निर्धारित अवधिमें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी तो वे कांग्रेसके निर्विवाद कर्त्ता-धर्त्ता बन जायेगे और असहयोगियोंको अल्पसंख्यकोंके दर्जेसे ही सन्तोष मानना पड़ेगा। वे चाहे तो अल्पसंख्यकोंकी उस सम्भावित सूचीमे मेरा नाम अभीसे लिख ले।

विद्यार्थियोंके साथ भी समस्या वही है। असहयोग भले ही स्थगित कर दिया जाये, लेकिन राष्ट्रीय पाठशालाएँ बन्द नहीं की जायेगी। वे तो अब एक निश्चित नथ्यके रूपमे वर्तमान है। वे असहयोगके अच्छेसे-अच्छे परिणामोंसे है। इसलिए विद्यार्थियोंसे आशा की जाती है कि वे झण्डेको लहराये रखेगे और देशको दिखावेंगे कि कांग्रेसके असहयोग कार्यक्रम रद्द कर देनेपर भी वे फूलती-फलती रहेगी। दृढताके साथ खड़े रहनेके लिए अनुकूल परिस्थितियोंकी आवश्यकता तो उसे होती है, जिसकी आस्था नकली हो। सच्ची आस्थावाला व्यक्ति तो वही है जो बुरीसे-बुरी परिस्थितियोंमे भी अपनी टेकपर डटा रहता है।

[अग्नेजीसे]

यग इंडिया, २०-११-१९२४

२९४. संदेश : 'बॉम्बे क्रॉनिकलको'

[२१ नवम्बर, १९२४ से पूर्व]

चरखेके बिना स्वराज्य सम्भव नहीं है।

[अग्नेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २१-११-१९२४

## २९५. भाषण : कांग्रेस कार्य समितिकी बैठकमें<sup>१</sup>

२१ नवम्बर, १९२४

कांग्रेस कार्य समितिकी बैठक २१ नवम्बरको सुबह साढे आठ बजे गाधीजीके निवासपर हुई। निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे

मुहम्मद अली, मो० क० गाधी, शौकत अली, डा० अन्सारी, कोण्डा चंकटप्यैया, गगाधरराव देत्रापाण्डे, वल्लभभाई श० पटेल और शकरलाल वेकर।

विषय-सूचीमें जो नेमी और प्रशासनिक ढाँके गैर-महत्वपूर्ण विषय थे, उन्हें निपटानेके बाद कांग्रेस कार्य समितिने विषय-सूचीके विषय २ और ३ पर विचार आरम्भ किया। ये विषय थे, (१) देशकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति और (२) कांग्रेसके सम्मुख प्रस्तुत किया जानेवाला कार्यक्रम।

गाधीने सुझाव दिया कि इस प्रश्नपर चूँकि दो मत नहीं हैं इसलिए यह उचित ही होगा। सम्मेलनके सामने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जाये जो सम्मेलनमें भाग लेनेवाली सभी पार्टियोंको स्वीकार्य हो। उन्होने तर्क दिया कि यदि हमने अन्य सवाल उठाये, जैसे कि कांग्रेसका सिद्धान्त और सदस्यताके लिए कताईकी आवश्यकता तो ऐसे मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं जो सम्मेलन बुलानेके मुख्य उद्देश्यको ही हानि पहुँचायेंगे। अतः गाधीने सुझाव दिया कि कार्य समिति द्वारा तैयार किया गया कोई प्रस्ताव रखनेका जोखिमभरा कदम उठानेके बजाय हमें सम्मेलनसे ही कहना चाहिए कि वह एक सर्वदलीय समिति नियुक्त करे जो सरकारकी दमनकारी नीतियोपर विचार करे। कार्य समितिने सर्वसम्मतिसे यह सुझाव मान लिया।

[अग्रेजीसे]

वाँम्ब सीक्रेट एन्स्ट्रैक्ट्स, १९२४

## २९६. भाषण : सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमें

२१ नवम्बर, १९२४

बंगाल अधिनियमपर पहला प्रस्ताव पेश करनेके लिए कहे जानेपर श्री गांधीने तद्विषयक प्रस्ताव पेश करनेके बजाय यह प्रस्ताव रखा कि अन्तिम प्रस्ताव तैयार करनेके लिए एक प्रातिनिधिक समिति नियुक्त की जाये और उस प्रस्तावको सम्मेलनमें अगले दिन पेश किया जाये।

यह निश्चय किया जाता है कि सम्मेलनमें भाग लेनेवाले दलोंके नेताओकी एक छोटी समिति तत्काल नियुक्त की जाये जो बंगाल सरकार द्वारा भारत सरकारकी सहमति और स्वीकृतिसे अपनाये गये दमनकारी कार्योंके सम्बन्धमें सम्मेलनके सम्मुख प्रस्तुत करनेके लिए एक प्रस्तावका मसविदा तैयार करे। यह समिति [सम्मेलनके] अध्यक्षको रात्रिमें १० बजे या उससे पहले अपना मसविदा दे दे।'

श्री गांधीने कहा :

अध्यक्ष महोदय, बहनो और भाइयो,

मौलाना मुहम्मद अलीके निमन्त्रणपर हम सब यहाँ कुछ चीजोपर विचार करनेके लिए एकत्र हुए हैं जिनमे से एक, और शायद सबसे अधिक तात्कालिक महत्त्वकी चीज यह है कि भारत सरकारकी सहमति और स्वीकृतिसे बंगाल सरकारने जो दमनकारी नीति अपनाई है उसके सम्बन्धमे यदि कोई कदम उठाना सम्भव है तो उसकी सलाह हम इस सम्मेलनको दे। मौलाना मुहम्मद अली और काग्रेस कार्य समितिसे तथा साथ ही स्वराज्य दलसे जिनका सम्बन्ध है, उनकी यह इच्छा थी कि दमनकारी नीतिके वारेमे इस सम्मेलनमे उपस्थित सभी दलोंकी सहमतिसे एक प्रस्ताव रखा जाये और वह सर्वसम्मतिसे पास किया जाये।<sup>१</sup> जिनपर हममे मतभेद है

१. यह अनुच्छेद 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के २२-११-१९२४ के अकसे लिया गया है।

२. अगले दिन अन्तिम रूपसे जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया उसका पाठ निम्नलिखित है:

(क) भारतके सभी वर्गों और जातियोका तथा सभी प्रकारके राजनीतिक विचारोका प्रतिनिधित्व करनेवाले इस सम्मेलनका दृढ मत है कि आतङ्कवादी सगठन भारतके लोगोंको कभी स्वराज्य नहीं दिला सकते और यदि ऐसे सगठन हैं तो वह पूरे जोरसे उनकी निन्दा और भर्सना करता है, लेकिन साथ ही यह सम्मेलन गवर्नर जनरल द्वारा १९२४ का दण्ड-विधि सशोधन अध्यादेश लागू किया जाना अत्यन्त अनुचित मानता है और उसकी निन्दा करता है क्योंकि यह अध्यादेश एक असाधारण कदम है और वैयक्तिक स्वतन्त्रतापर सीधा हमला है, जिसका विधिवरण बिना विधानमण्डली स्वीकृतिके नहीं किया जाना चाहिए था और क्योंकि कार्यपालिका इसका सरलतासे जबरदस्त दुश्रयोग कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष

हम यहाँ उन मुद्दोंपर जोर देनेके लिए नहीं (हर्षवचन), बल्कि जिन मुद्दोंपर हम एक हो सकते हैं, उनकी तात्पर्यके लिए उकट्टे हुए हैं (हर्षवचन), और यह देनेके लिए आने हैं कि जिन पञ्चोपर हममें सम्मति है उनके सम्बन्धमें हम संयुक्त होकर एक साथ काम कर सकते हैं या नहीं। उनमें से एक मुद्दा सम्बन्ध बंगालके अन्तःकरण अध्यादेश और १८१८ के विनियम ३ के अधीन की गई कार्रवाईमें है। जहाँतक मैं जानता हूँ, ज्यादातर लोगोंकी उच्छ्रा कर्त्तव्य ऐसे निर्णयपर पहुँचनेकी है जिनपर उन हालमें उल्लिखित सभी दलोंके प्रतिनिधियोंकी सहमति हो। दुर्भाग्यवश मैं उन सम्बन्धमें आनेवाले सभी दलोंके पक्षानुसार पक्ष नहीं कर पाता हूँ। मुझे श्रीमती वेनेटो गिन्नेटा मोराना की मृत्यु मित्र, जिनका उदाहरण होते हुए भी मैं माननीय श्री ० एम० श्रीमन्तान मान्योके नहीं मिल पाता।

उनके बाद श्री गांधीने पिछले रात श्री जिन्नाके साथ अपनी बैठका जिक्र किया और कहा कि श्री जिन्नाने मुझे आश्वासन दिया है कि इस प्रश्नपर समझौता होनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रस्ताव अप्रत्याक्षित रूपमें सम्मेलनके सामने नहीं लाया गया है। श्री गांधीने कहा कि मैं प्रस्ताव फर्केगा कि विभिन्न दलोंके प्रतिनिधियोंकी एक समिति बनाई जाये और यह समिति प्रस्ताव [के मसविदे] पर फौरन विचार करना शुरू कर दे और आज रातके १० बजेतक एक सर्वसम्मति निर्णयपर पहुँच जाये और उक्त प्रस्तावको कल सम्मेलनके सामने प्रस्तुत किया जाये।

[जत्रेजीने]

न्यू इंडिया, २२-११-१९२८

व्यक्ति फँसये जा सकते हैं और वैधानिक राजनीतिक गतिविधियोंमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, जेमा कि ऐसे ही कानूनी कदमोंके बार-बारके अनुभवसे प्रत्यक्ष सिद्ध हो चुका है।

(घ) यह सम्मेलन आग्रह करता है कि इन अध्यादेशको तुरन्त वापस ले लिया जाये और उसके अधीन गिरफ्तार किये गये लोगोंपर यदि गहरी हो तो साधारण कानूनके अनुसार मुकदमा चलाया जाये।

(ग) यह सम्मेलन यह भी आग्रह करता है कि १८१८ का विनियम ३ जो सरकारकी अपराध करनेवाले व्यक्तियोंको बिना वारंट, बिना मुकदमा और बिना कारण बताये गिरफ्तार करने और कैद करनेका अधिकार देता है, फौरन वापस ले लिया जाये।

(घ) यह सम्मेलन अपना यह दृढ़ विश्वास प्रकट करता है कि भारतकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति जनताको उनके विर-अपेक्षित उचित अधिकारोंसे वंचित रखनेके कारण है और स्वराज्यकी पथाशील स्थापना ही इसका एकमात्र श्लाज है।



## २९७. भाषण : सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमें

२१ नवम्बर, १९२४

श्री गांधीने वहसका जवाब देते हुए कहा कि श्री रामस्वामी मुदालियरके संशोधनमें जो सवाल उठाया गया है वह एक बड़ा सवाल है और सभी दलोकी एकताके बड़े सवालको लेनेसे पहले मैं छोटे सवालका निपटारा करना चाहूँगा। उन्होने संशोधनकी टीका करते हुए उसे बेतुकी बात बताया। श्री गांधीने पूछा कि यदि इस सवालपर हममें सहमति नहीं हो सकी तो इसकी क्या आशा है कि हम एक ज्यादा बड़े सवालपर सहमत हो सकेगे? उन्होने श्रोताओको विश्वास दिलाया कि समिति यदि उचित समझेगी तो या तो बगाल अध्यादेशका समर्थन करेगी और या वह उसकी भर्त्सना करेगी। उन्होने श्रोताओको बगालके प्रति और यहाँतक कि सरकारके प्रति भी जिसने सम्मेलनसे सहायताकी माँग की है, अपने कर्त्तव्यका स्मरण दिलाया।

[ अग्रेजीसे ]

न्यू इंडिया २२-११-१९२४

## २९८. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे

बम्बई

२१ नवम्बर, १९२४

श्री गांधीने एसोसिएटेड प्रेसके एक प्रतिनिधिको आज शाम बताया कि स्थानीय अखबारकी इस खबरमें कोई सच्चाई नहीं है कि उन्होने लिबरल पार्टीवालोसे कहा है कि वे कताई सदस्यता हटा लेने और "स्वराज्य" शब्दका अर्थ औपनिवेशिक स्वराज्य तक सीमित रखनेको तैयार हैं। श्री गांधीने श्री चिन्तामणि तथा अन्य नरमदलीय नेताओसे वस्तुतः जो कहा था वह यह था कि यदि वे ऐसा चाहते हो तो उन्हें कांग्रेसमें शामिल हो जाना चाहिए और अपनी राय स्वीकार करवानेका प्रयत्न करना चाहिए।

[ अग्रेजीसे ]

न्यू इंडिया, २२-११-१९२४

१. मत लिये जानेपर संशोधन भारी बहुमतसे गिर गया।

## २९९. भाषण : सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमें

२२ नवम्बर, १९२४

सदनका मत जाननेके बाद सम्मेलनके अध्यक्षने सभी दलोकी एकता विषयक प्रस्तावपर बहसकी अनुमति दे दी। श्री गाधीसे प्रस्ताव पेश करनेको कहा गया तो उन्होंने निम्नलिखित शब्दोंमें उसे पेश किया

यह सम्मेलन एक समिति नियुक्त करता है जिसमें दीवान बहादुर टी० रगा-चारियर, दीवान बहादुर एस० रामचन्द्र राव, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, माननीय वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, सर तेजबहादुर सप्रू, श्री सी० वाई० चिन्तामणि, श्रीमती एनी बेसेट, पण्डित मालवीय, श्री आर० पी० पराजपे, सर पी० एस० शिवस्वामी अय्यर, श्री चित्तरजन दास, श्री मुहम्मद याकूब, श्री एम० एच० किदवई, श्री मुहम्मद अली, श्री मुहम्मद अली जिन्ना, श्री शिन्दे, श्री भूलाभाई देसाई, श्री टी० वी० पार्वती, श्रीमती सरोजिनी नायडू, हकीम अजमलख़ाँ, श्री अब्दुल कलाम आजाद, श्री जे० वी० पेटिट, श्री एस० श्रीनिवास आयगार, बाबू भगवानदास, श्री न० चि० केलकर, श्री जोजोफ वैप्टिस्टा, सरदार मगलसिंह, लाला लाजपत राय, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री विपिन चन्द्र पाल, लाला हरकिशनलाल, यूरोपियन एसोसिएशनके अध्यक्ष, एग्लो-इंडियन एसोसिएशनके अध्यक्ष, क्रिश्चियन एसोसिएशनके अध्यक्ष, अब्राह्मण सघके अध्यक्ष (और कुछ अन्य, जिनके नाम बादमें जोड़े गये) सदस्य होंगे। यह समिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके साथ देशके अन्य राजनीतिक दलोको फिरसे मिलाने और स्वराज्यकी एक योजना तैयार करनेका सर्वोत्तम रास्ता क्या हो—इसपर विचार करेगी। यह हिन्दू-मुस्लिम और उनके राजनीतिक पहलुओंकी हदतक—ऐसे ही दूसरे सवालोकें हल-पर विचार करेगी। यह समिति ३१ मार्च, १९२५ से पहले-पहले रिपोर्ट दे देगी, सम्मेलनकी बैठक ३० अप्रैलसे पहले-पहले ही बुलाई जायेगी और रिपोर्ट सम्मेलन आरम्भ होनेसे एक पखवाडा पहले प्रकाशित कर दी जायेगी।

श्री गाधीने कहा वर्षों बाद सभी दल एक साथ मिले हैं। समय और महत्त्वकी दृष्टिसे यह प्रस्ताव सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और अत्यन्त जरूरी है। सरकार आज श्री चित्तरजन दासका सर भी ले ले तो भी बगालका काम रूकेगा नहीं और न भारतका। लेकिन यदि हमें राजनीतिक स्वाधीनता न मिली तो हमारा नाश हो जायेगा। प्रस्तावपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रश्नपर देशके सर्वोत्तम मस्तिष्क विचार करेंगे। मैं जन्मजात आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि एकताके लिए नहीं बल्कि स्वराज्यके लिए हमें ठीक निर्णय लेना ही होगा। श्री गाधीने डा० किचलूका तार पढकर सुनाया जिसमें विना सिद्धान्तोकी बलि दिये एकताकी इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने इसके बाद कहा मुझे इस रास्तेमें दुर्गम बाधाएँ दिखाई पडती हैं। मैं

लोगोंको कताई सदस्यताके वारेमें राजी नहीं कर सका हूँ। मैं कुछ समय चाहता हूँ जिसमें या तो मैं दूसरोंको अपनी बात समझा सकूँ या दूसरे मुझसे अपनी बात मनवा ले। हम सबको एक व्यावहारिक और वास्तविक एकता स्थापित करनेके लिए मिलकर रास्ता ढूँढ़ना चाहिए। मैंने जिस समितिका प्रस्ताव किया है वह सोच-विचार करनेके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। हालाँकि एकताके लिए और ज्यादा इन्तजार करना कष्टदायी है लेकिन यह अपरिहार्य है। कोई नहीं कह सकता कि समिति किसी स्वीकार्य निर्णयपर पहुँच ही जायेगी। हमारे चारों ओर जो बादल छाये हुए हैं उनके वावजूद मैं आशा करता हूँ कि समिति इस अँधेरेको चीरकर एक व्यावहारिक कार्यक्रम बना सकेगी।

[ अंग्रेजीसे ]

न्यू इंडिया, २४-११-१९२४

### ३००. एककी सो देशकी

वगालकी लाज सारे हिन्दुस्तानकी लाज है। एक हिन्दुस्तानीकी लाज सारे देशकी ही लाज है—जिस दिन हम ऐसा समझने लगेगे उस दिन स्वराज्य हमसे दूर न रह जायेगा। यह भावना फँसी हुई तो खूब है, परन्तु अब भी उसका उतना प्रचार नहीं हुआ है, जितना कि होना चाहिए। यदि मेरा भाई सकटमें हो, यदि उसकी लाज बिना कारण जा रही हो तो मैं केवल सहानुभूतिका प्रस्ताव पास करके ही न बैठ जाऊँगा, बल्कि उसकी मददके लिए जा पहुँचूँगा। अभी हममें देशके प्रति ऐसी भावना जाग्रत नहीं हुई है। कश्मीरसे लेकर कन्याकुमारीतक, आसामसे लेकर सिन्धुतक किसी भी हिन्दुस्तानीको दुःखमें पड़ा देखकर जब करोड़ोंके मनमें यह भावना उत्पन्न होगी कि हमारा सगा भाई दुःखमें है तब वगाल-सरकारकी राजनीतिको निर्मूल करनेका उपाय हमें सहज ही मिल जायेगा।

आज हम अँधेरेमें भटक रहे हैं, क्योंकि हमारी भ्रातृ-भावना इतनी प्रज्वलित नहीं है। जब शुद्ध भावनाका उदय होगा तब उसका प्रकाश हमें अपना रास्ता सहज ही दिखा देगा। हम आज गिथिल हो रहे हैं। जब भ्रातृ-भावनाकी वाष्प हमारे हृदयसे भभककर निकलेगी तब हमारी गतिमें प्रबल वेग आ जायेगा, आज हम विखरे हुए दिखाई देते हैं, हम आपसमें ही लड रहे हैं। जब हमारा मानस तीव्र भ्रातृ-भावना-रूपी सरेससे चिपकना शुरू हो जायेगा तब हम एक-दूसरेसे इस तरह गले मिलेंगे और चिपक जायेंगे कि हम अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे।

यदि हमारा भाई भूखो मरता हो और हमें मालूम हो कि चरखा चलानेसे उसे आजीविका मिल सकती है परन्तु वह आलस्यके कारण नहीं चलाता और यदि हम खुद कातकर उसे पदार्थपाठ पढाये तो वह कातेगा, तो हम जरूर चरखा चलायेंगे। ऐसी हालत आज हिन्दुस्तानमें करोड़ों लोगोंकी है। फिर भी उन्हें पदार्थपाठ पढानेके

लिए आधा घटा चरखा चलाना हमे भारी पडता है, क्योकि हममे अभी एक-दूसरेके प्रति भ्रातृ-भावना नही है।

यदि हम सब लोग विदेशी कपडेका त्याग कर दे और चरखा चलाकर भारत की कपडेकी जरूरत पूरी कर दे तो इस देशमे इस सलतनतका स्वार्थ बहुत हदतक समाप्त हो जाये। यह जानते हुए भी हममे से बहुत-से लोग कातनेसे इनकार करते है, क्योकि हमारी भ्रातृ-भावना इतनी तीव्र नही हुई है। सच पूछिए तो बहुत-से शहरोमे हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच भ्रातृ-भावना है ही नही। ऐसी हालतमे करोडो कण्ठोसे यह घोष निकल ही नही सकता कि 'यह हमारा देश है'। और जबतक ऐसी स्थिति नही आती तबतक स्वराज्यकी आशा रखना बेकार है। जिस रास्तेसे स्वराज्य मिलेगा, उसी रास्तेसे बगालमे चल रही राजनीति भी बन्द हो सकती है, यह बात हम सब समझ सकते है। अराजकतावादियोकी अराजकता स्वराज्यके लिए है। वह निरर्थक ही सही। मगर अराजकताके रोगका कारण स्वराज्यका अभाव ही है। सरकारकी अराजकताका भी वही कारण है। सरकार अपनी सत्ता भरसक छोडना नही चाहती। यदि स्वराज्य हो तो ऐसी अराजकता नही हो। इसीसे मैं कहता हूँ कि यदि चरखा स्वराज्यका साधन है, यदि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य स्वराज्यका साधन है तो सरकारकी दमन-नीति दूर करनेका साधन भी वही है।

यदि हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच भ्रातृ-भावना नही है तो अस्पृश्य हिन्दुओ और दूसरे हिन्दुओके बीच भी यह भावना कहाँ है? भाई-भाईके बीच अस्पृश्यता हो ही नही सकती। एक भाई अच्छे-अच्छे पकवान खाये और दूसरा उसकी जूठन, यह नही हो सकता। फिर भी अस्पृश्यता दूर करनेमे कितनी कठिनाइयाँ पेश आती है, यह तो अस्पृश्यता-निवारणके काममे लगे हुए लोग ही जानते है।

जहाँ ऐसी स्पष्ट स्थिति मौजूद है, जहाँ रोग और उसके इलाजका ज्ञान है, वहाँ उस इलाजको काममे न लाना और अधीर होकर दूसरे इलाजकी खोजमे पडना, यह तो रोगीका नाश करनेके समान है।

कुछ लोग कहते है — लोग तो धूम-धडाका चाहते है। धूम-धडक्केसे कुछ काम भले ही बनता हो, परन्तु दुनियामे आजतक किसी भी देशने सिर्फ इसीके वलपर आजादी हासिल नही की है। हिन्दुस्तान तो कभी भी हासिल नही कर सकता। धूम-धडक्केको छोडकर अपने धबेमे जुट जाना ही हमारा असली फर्ज है। जो लोग इस बातको जानते है, वे यदि औरोका मुँह न देखते रहकर अपना-अपना फर्ज अदा करने लग जायें तो हम उस हदतक स्वराज्यके नजदीक पहुँच चुके, ऐसा माना जायेगा। इसीलिए, देशमे और लोग चाहे जो करते रहे, जो इस बातको जानते है वे यदि अपने कर्तव्यमे दृढ रहेगे तो सारा देश उनके रास्ते चलेगा, इसमे मुझे जरा भी शक नही है। कारण, इस देशकी मुक्तिका कोई दूसरा उपाय नही है।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २३-११-१९२४

## ३०१. गुजरातका धर्म

मुझे उम्मीद है कि मैंने जो असहयोग मुलतवी करनेकी सलाह कांग्रेसको दी है, गुजरात उसका यह अर्थ नहीं करेगा कि उसे भी असहयोग त्याग देना है। जिस प्रकार उसमें व्यक्तियोंको यह सलाह नहीं दी गई है कि वे असहयोग छोड़ दे उसी प्रकार प्रान्तोको भी यह सलाह नहीं दी गई है।

यदि कांग्रेस असहयोगको मुलतवी रखेगी तो उसका इतना ही मतलब है कि वह परिस्थितिपर विचार करके जनताको उतनी सुविधा दे देगी। लेकिन जहाँ असहयोगमें लोगोको और लोकनायकोको श्रद्धा है, जहाँ वैमनस्य नहीं है और जहाँ किसी प्रकारकी अव्यवस्था नहीं है, वहाँ असहयोगको मुलतवी करनेके प्रस्तावका कोई भी बुरा असर नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत ऐसे प्रान्तोके लोगोको चाहिए कि वे अपने-अपने कार्यको और भी दृढ बनाये तथा शोभान्वित करे।

उदाहरणके लिए, गुजरातकी राष्ट्रीय पाठशालाएँ कायम रहे और उनमें वृद्धि हो, जिन वकीलोने वकालत छोड़ दी है, वे अपने निश्चयमें दृढ बने — इसके साथ ही जहाँ अभी भी वैर-भाव हो वहाँ प्रेम-भावका प्रवेश हो। जो लोग कौसिलोमें जाये अथवा फिरसे वकालत शुरू करे उनके साथ कोई तनिक भी द्वेष न करे, उनकी निन्दा न करे। सभी अपनी-अपनी अन्तरात्माकी आवाजका अनुसरण करके असहयोगी अथवा सहयोगी बने। कांग्रेसके प्रस्तावका परिणाम यह होना चाहिए कि पुराने प्रस्तावके बन्धनके कारण चलनेवाला असहयोग न चले — वह एक युक्ति अथवा प्रयोगके रूपमें जारी न रहे, बल्कि धर्मका स्थायी रूप ग्रहण कर ले। कहनेका अभिप्राय यह है कि जहाँ-जहाँ सरकारकी नीति कुल मिलाकर हानिकर हो वहाँ-वहाँ अहिंसात्मक असहयोग धर्म है, यह जानकर जनता अथवा व्यक्तिको असहयोग करना चाहिए। मतलब यह कि किसी प्रस्तावके बन्धनके बिना भी, जिनकी इच्छा असहयोगपर कायम रहनेकी हो, वे उसपर कायम रह सकते हैं।

हम कह सकते हैं कि कांग्रेसका प्रस्ताव चालनगाडीके समान है। इतने अनुभवके बाद हमें यह देखना है कि कितने लोग चालनगाडीके बिना — कांग्रेसके सहारेके बिना — टिके रह सकते हैं। यदि कुछ लोग टिके रहे तो हम समझ सकेंगे कि हममें से कितने लोगोने प्रेममय असहयोगके सिद्धान्तको समझा है। मेरा दृढ विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति तो बहुत हैं, किन्तु साथ ही मेरी यह मान्यता भी है कि ऐसे प्रान्त भी एकाधिक हैं और महागुजरात उनमें से एक है।

प्रान्तके रूपमें महागुजरातने ही सबसे पहले असहयोग आरम्भ किया था। मेरी इच्छा है कि वह उसे गौरवान्वित करे। अब तो असहयोग तभी निभ सकेगा जब वह निर्मल होगा। उसमें नम्रता, विवेक, प्रेम, शान्ति, विचार, गम्भीरता, दृढता और सत्य झलक उठना चाहिए। शान्तिमय असहयोग प्रकृतिका अनुसरण करेगा। जिस प्रकार हम प्रकृतिमें अदृश्य रूपसे चलनेवाली पोषक क्रियाओको केवल उनके परिणामोसे

ही जानते हैं, उसी प्रकार शान्तिपूर्ण असहयोगके महत्त्वको हम उसके परिणामोसे ही जान सकते हैं। "ईथर" एक भारी शक्ति है, लेकिन उसे किसने देखा है? हम उसे उसके परिणामोसे ही जानते हैं। विजलीको किसने देखा है? लेकिन हम उसे तारो, चक्कियो और डजनोके जरिये जानते हैं। हम मिट्टीमे दवे बीजको नहीं देख पाते। यदि हम उमे खोदकर देखने बैठे तो वह उगेगा ही नहीं। लेकिन उसके परिणामके रूपमे अनाज, घाम और फलोके पौधो और पेडोको हम देखते हैं। प्रेममय असहयोग इन सब अदृश्य वस्तुओ और शक्तियोसे भी कही अधिक सूक्ष्म, परन्तु प्रबल शक्ति है। असहयोगीका आचरण भी उतना ही अदृश्य और सूक्ष्म होना चाहिए। उसमे दम्भ, ढोंग, अहकार और आडम्बरके लिए गुजाइश नहीं है। वह असहयोग करेगा किन्तु सहयोगीको दुःख हो, ऐसा प्रेमवग नहीं होने देगा। अग्रेज अधिकारियोके हृदयको भी वह प्रेमसे जीतनेका प्रयास करेगा। उनका तिरस्कार नहीं करेगा। जब वह उक्त अधिकारीके अनुकूल नहीं हो सकता तब भी उसका व्यवहार विनय और विवेकसे युक्त होगा।

जो ऐसे अमहयोगको नहीं पहचान सकता अथवा इसका पालन नहीं कर सकता, उसके लिए तो मूल स्थिति यानी सहयोग करना ही योग्य है। जो अमहयोग पिता पुत्रसे और पुत्र पितासे कर सकता है, वही सच्चा अमहयोग है। मैंने सन् १९२० मे हिन्दुस्तानको उसी धार्मिक असहयोगसे परिचित करानेका प्रयत्न आरम्भ किया था। मैं जानता हूँ कि यह व्यापार बहुत बड़ा था और बड़ा है। मेरे पास पूंजी कम थी और अब भी कम है। प्रयत्न करनेका अधिकार हर किसीको है। उस अधिकारसे ही मैंने यह प्रयत्न शुरू किया है। जिन्होंने उसे शुद्ध रूपसे समझा है, उनसे मैं सहायताकी प्रार्थना करता हूँ। मैंने आज असहयोग मुलतवी करनेका जो सुझाव दिया है उसमे भी प्रेममय असहयोग निहित है। जैसा कहते हैं, प्रेमपथ तो पावककी ज्वाला है। उसे देखकर बहुत-से लोग भाग खड़े हुए हैं। जिसे भागना हो वह भले ही भागे, लेकिन इस ज्वालाको जो सहन करेगा उसे विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी।

प्रेम रहित असहयोगको मैं नहीं जानता और न उसे जाननेकी मेरी इच्छा ही है। हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताके लिए, हिन्दू-धर्म अथवा इस्लामकी रक्षाके लिए, हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए और अस्पृश्यता-निवारणके लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई दवा नहीं है। मैं वैरसे वैरका निवारण असम्भव मानता हूँ और मैं जो हमेशा चरखेको आगे रखता हूँ उसका भी एक कारण उसमे निहित अहिंसा है। मौलाना मुहम्मद अलीने इस्लामी साहित्यमे से चरखेकी स्तुतिमे कहे गये वचनोको एकत्र करके अपने 'हमदर्द' मे प्रकाशित किया है। पाठक 'नवजीवन' के इस अकमे उनका अनुवाद देखेंगे। वे उनपर विचार करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २३-११-१९२४

## ३०२. विद्यार्थी क्या करे ?

“जब असहयोग स्थगित रहनेवाला है, तब विद्यार्थियोंका क्या होगा ? उनकी क्या स्थिति होगी ? क्यों नहीं वे फिर सरकारी स्कूलोमें चले जाये ? अगर उनसे ऐसा कहा जाता है कि वे वापस न जाये तो यह कैसी निर्दयता है ? उन्होने सबसे अधिक वलिदान किया है। क्या आप अब उनसे और भी वलिदान कराना चाहते हैं ? क्या इस तरह हमेशा बेचारे गरीबोंका ही वलिदान दिया जाता रहेगा ? अगर इस तरह स्वराज्य लेना हो तो न जाने स्वराज्य मिलनेपर हम-जैसे गरीबोंका क्या हाल होगा। असहयोग स्थगित रखनेकी बात सुनकर तो विद्यार्थियोंके होश ही उड गये हैं।”

कुछ विद्यार्थी इस तरहकी बातें कह रहे हैं। आज जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें समझना जब प्रौढ असहयोगियोंके लिए भी मुश्किल हो रहा है तब विद्यार्थियोंको घबराहट हो, इसमें क्या आश्चर्य ? उनके वलिदानके विषयमें दो मत नहीं हो सकते। फिर भी उपर्युक्त विचार-सरणीमें भूल तो है ही।

प्रस्ताव असहयोग-मात्रको स्थगित रखनेका नहीं, बल्कि कांग्रेस द्वारा असहयोगके प्रसारको स्थगित रखनेका है। जिस वस्तुको जनताका एक प्रमुख हिस्सा — जिसे उस वस्तुमें पहले विश्वास था — त्याग दे उस वस्तुको सार्वजनिक रूपमें कायम नहीं रखा जा सकता और न वह सार्वजनिक मानी ही जा सकती है। यह भी नहीं हो सकता कि जिस वस्तुको कांग्रेस छोड़ दे, उसे सारी जनता भी छोड़ दे। कांग्रेसको कितनी ही चीजे वेमनसे, अनिच्छासे छोड़नी पडती हैं। लेकिन वह चाहती तो यही है कि अगर जनता उसे न छोड़े तो अच्छा।

पैसेकी कमीके कारण अगर कांग्रेस आज जगह-जगह ऐसी कुछ आदर्श पाठशालाएँ न खोल सके जिनमें हिन्दू-मुसलमान आदि भिन्न-भिन्न धर्मोंके बच्चे एक साथ पढ सके तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे लोग भी ऐसी पाठशालाएँ न खोले। सच तो यह है कि ऐसी पाठशाला कोई खोलेगा तो कांग्रेस उसे धन्यवाद देगी। उसी प्रकार यदि आज कांग्रेस असहयोगको स्थगित रखती है तो उसका कारण यह नहीं है कि असहयोगके सिद्धान्तोमें उसकी श्रद्धा नहीं रही, बल्कि यह है कि जनताके प्रतिनिधियोंका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज असहयोगको चलानेमें असमर्थ है। फिर भी, कांग्रेसकी इच्छा तो यही हो सकती है कि अगर जनताका कोई भी हिस्सा असहयोग चलाकर उसकी शक्ति सिद्ध कर दिखाये तो वह उसे धन्यवाद देगी।

कांग्रेस यह नहीं चाहेगी कि जिन लोगोंने वकालत छोड़ रखी है, वे उसे फिरसे गुरु कर दे। लेकिन, जो वकील लाचार होकर वकालत करेगे, कांग्रेस उनकी निन्दा नहीं करेगी। उसी प्रकार कांग्रेस कभी भी यह नहीं चाहेगी कि जिन विद्यार्थियोंने असहयोग कर रखा है, वे फिरसे सरकारी स्कूलोमें जाये। किन्तु, यदि वे ऊब-यक कर या किसी दूसरे कारणसे सरकारी स्कूलोमें जायेगे तो कांग्रेस उनका तिरस्कार भी नहीं करेगी। परन्तु, उन्हें सुविधा देनेके लिए और उन्हें असहयोगी पाठशालाओमें

वनाये रखनेके लिए वह आवश्यक प्रयत्न अवश्य करेगी और वर्तमान पाठशालाओको कायम रखेगी। असहयोग 'स्थगित' ही रखना है, उसे कोई सदाके लिए वन्द नहीं कर देना है। उसे फिरसे आरम्भ करनेपर क्या सरकारी स्कूलोमे गये विद्यार्थी पुन उनका त्याग कर देगे ? असहयोगके दूसरे पहलुओके सम्बन्धमे चाहे जो परिवर्तन हो, लेकिन राष्ट्रीय पाठशालाओको चलते ही रहना चाहिए, वे चलती रहेगी भी, किन्तु अगर वे न चल पाईं तो जनताकी नाक कट जायेगी।

इतना ही नहीं, कालक्रमसे राष्ट्रीय पाठशालाओमे वृद्धि भी होनी चाहिए। स्वराज्य मिलनेपर असहयोगी वकील फिरमे अदालतोमे वकालत गुरु कर देगे, किन्तु असहयोगी पाठशालाएँ तो तब भी कायम ही रहेगी। दूसरी पाठशालाएँ ही इन पाठशालाओकी शिक्षा-पद्धतिका अनुकरण करेगी। ऐसा नहीं कि असहयोगी पाठशालाएँ पिछली सरकारी पाठशालाओका अनुकरण करेगी। यह स्वराज्य चाहे आज न मिले, चाहे उसे पानेमे युग बीत जाये, लेकिन जब स्वराज्य आयेगा और उस समय जो असहयोगी पाठशालाएँ जीवित पाईं जायेगी, वे आदर्श-रूप होगी और जनता उनपर नयीछावर हो जायेगी।

अतएव, मुझे कहना होगा कि असहयोगको स्थगित रखनेके मेरे सुझावसे जहाँ-जहाँ लोगोमे घवराहट पैदा हो गई है, वहाँ-वहाँ मुझे असहयोगके प्रति अश्रद्धा 'दिखाई देती है। जिसे अपने सिद्धान्त या कार्यके प्रति श्रद्धा होगी, वह दूसरोकी अश्रद्धासे या दूसरोके अलग हो जानेसे क्यो डरेगा, क्यो घवरायेगा, क्यो अपने निश्चयसे डिगेगा ? श्रद्धालु लोगोमे दूसरोकी अश्रद्धा देखकर दुगुनी दृढता आ जाती है। जिस प्रकार रक्षकोसे सुरक्षित व्यक्ति उन रक्षकोके हट जानेपर असावधानी छोडकर सावधान हो जाते हैं, उसी प्रकार श्रद्धालु व्यक्ति अपने साधियोको भागते देखकर दृढतापूर्वक अकेले ही सिहकी भाँति जूझते हैं और पर्वतके समान अडिग बने रहते हैं।

फिर, यह तो सच ही है कि विद्यार्थियोने बहुत वलिदान किया है। लेकिन, वलिदानके मर्मको समझना जरूरी है। यज्ञ करनेवाला दूसरोकी दयाका भूखा नहीं रहता। उसकी स्थिति दयनीय नहीं होती, वह तो स्तुत्य होती है। जो यज्ञ अनिच्छा-पूर्वक या दु खी मनसे किया जाये वह यज्ञ, यज्ञ नहीं है। वलिदानीके मनमे तो उल्लास, हर्ष और उमग होती है। वलिदान करनेवाला तो और अधिक वलिदान करनेकी शक्तकी कामना करता है, वह त्यागसे घवराता नहीं, क्योकि उसके लिए तो त्यागमे ही सुख है। उसे यह विश्वास रहता है कि अभी जो चीज कष्टकर प्रतीत हो रही है, वह अन्तमे सुखद ही सिद्ध होगी। जिन्होंने असहयोग किया है, उन्होंने कुछ खोया नहीं है, पाया ही है। जो अपनी गन्दगी निकाल देता है, वह शुद्ध हो जाता है। जो त्याज्य है, उसे त्यागना तो अपने सिरका बोझ ही हलका करना है। जो नित्य आधे घंटेतक चरखा चलाता है, वह वलिदान करता है अर्थात् आलस्य और स्वार्थका त्याग करता है, क्योकि ये दोनो त्याज्य हैं। जिसने सरकारी स्कूल छोडा है, उसने वलिदान किया है, क्योकि इस तरह उसने त्याज्य वस्तुका त्याग किया है। त्याग करते समय उसका मुँह उतरा नहीं होगा, बल्कि उसके मुखमण्डलपर आनन्दकी आभा छिटकी हुई होगी।



मीराबाई राजभोगका त्याग करके नाची थी और राजभोगके बीच रहकर रोई थी। हमारी दृष्टिसे वह भारी बलिदान था। मीराबाईके लिए त्याग ही भोग था — आनन्द का विषय था। सुधन्वा उबलते तेलके कडाहेमे नाच-नाचकर नारायण नामका जाप कर रहा था। इसीसे प्रीतमने गाया है कि जो किनारेपर खडा है वह काँप रहा है, “जो धारामे कूद पडा है, वह परमानन्दका अनुभव कर रहा है।” इसीसे निष्कूलानन्दने कहा है कि वैराग्यके बिना त्याग टिक नहीं सकता।

जबतक किसी वस्तुके प्रति हममे राग है, तबतक उसका सच्चा त्याग सम्भव नहीं है। भूखसे मरते हुए कगालोको निराहारी त्यागी नहीं कहा जा सकता। वे तो लाचार होकर ही भूखे रहते हैं। उनका राग तो ज्योका-त्यो बना हुआ है। वे चौबीसो घटे खाते ही रहते हैं, क्योंकि उनका मन खानेमे ही लगा हुआ है। जिस असहयोगी विद्यार्थी का मन सरकारी स्कूलोमे लगा हुआ है, किन्तु लोक-लाजके भयसे अथवा ऐसे ही किसी दूसरे कारणसे जिसका शरीर-भर राष्ट्रीय पाठशालामे है, वह त्यागी नहीं है, वह असहयोगी भी नहीं है। उसकी स्थिति तो सचमुच दयनीय है। जहाँ मन है, शरीरको भी वही रखनेवालेका उद्धार सम्भव है। किन्तु जो शरीर और मनको अलग-अलग रखता है वह स्वयं अपनेको, ससारको और ईश्वरको भी धोखा देता है।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २३-११-१९२४

### ३०३. भाषण : अ० भा० कांग्रेस कमेटी, बम्बईमे<sup>१</sup>

२३ नवम्बर, १९२४

मैंने अपनी निजी हैसियतमे और अपनी आन्तरिक भावनाओको ध्यानमे रखते हुए समझौतेपर हस्ताक्षर किये थे। जब मैंने समझौतेपर हस्ताक्षर किये उस समय मेरे मनमे ऐसा कोई विचार नहीं था कि अपरिवर्तनवादियोको मैं अपने पक्षमे रख ही सकूंगा। मैं सभामे उपस्थित सभी लोगोसे अनुरोध करूँगा कि मैं जो-कुछ कह रहा हूँ, उससे वे अभिभूत न हो जाये। अगर मेरी बात किसीकी बुद्धिको ठीक प्रतीत हो तो मैं अवश्य चाहूँगा कि वह इस समझौतेको स्वीकार कर ले, लेकिन अगर मैं अपनी बात उसकी बुद्धिको नहीं जँचा सकूँ तो उसकी भावनाओका सहारा मैं नहीं लेना चाहता। इस समझौतेकी सफलता हम सबोके हार्दिक सहयोगपर ही निर्भर है। मैंने असहयोग या सविनय अवज्ञा-सम्बन्धी अपने विचार बदले नहीं हैं और यदि मैं आज आगे न बढ़ता, या जो स्थिति मैंने हमेशा अपनाई है, उससे पीछे हटता हुआ प्रतीत होता हूँ तो देखनेमे ही ऐसा लगता है। वास्तवमे जहाँतक मेरा सवाल है, अहिंसाके

१. यह भाषण गांधीजीने उस प्रस्तावको पेश करते हुए दिया था, जिसमें कलकत्ता-समझौतेका समर्थन किया गया था, प्रस्ताव बहुमतसे पास हो गया। साधन-सूत्रमें इस रिपोर्टको “साराश” बताया गया है।

एक सिपाहीकी तरह, जिम्मेके होनेका मैं दावा करता हूँ, मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। एक अहिंसक सिपाहीके नाते मैं जानता हूँ कि मेरी स्थिति क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। मैं गायद आज तत्काल और आग्रहके साथ कोई ऐसा निर्णय नहीं दे सकता जिसे सब लोग स्वीकार कर ले। समझौतेका ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है जो निश्चय ही न मेरे मनमें था और न स्वराज्य दलके मनमें। स्वराज्यवादी सरकारकी सहायता नहीं करना चाहते, बल्कि इसके विपरीत अपनी पूरी योग्यता और बुद्धि द्वारा वे उस प्रणालीका अन्त करना चाहते हैं, जिसके अधीन हम वर्षोंसे कराह रहे हैं—वह प्रणाली जिसे मैं भ्रष्ट और आमुरी कहनेमें झिझका नहीं हूँ। उस प्रणालीके विरुद्ध मैंने जिन विरोधोंका प्रयोग किया है उनमें से एक भी मैं वापस लेनेको तैयार नहीं हूँ। यह एक ऐसी प्रणाली है, जो यदि सुधारी नहीं जा सकती तो बिना किसी हिचकके अविलम्ब समाप्त कर दी जानी चाहिए। आज मैंने यदि यह समझौता किया है तो इस प्रणालीको नष्ट करनेका उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए ही किया है। अगर मैं देखूँ कि सारे देशके विरुद्ध संघर्ष करके मैं उस अन्यायको समाप्त कर सकता हूँ तो मैं आज वैसा कर डालूँ। मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। यदि मैं देखूँ कि मैं वैसा नहीं कर सकता तो मैं फौरन अपने कदम पीछे हटा लूँगा।

कहा जाता है कि यह समझौता मेरी तरफसे रियायतके रूपमें किया गया है। हाँ, यह रियायत दोनों ही पक्षोंकी ओरसे की गई है। दोनों ही पक्ष कुछ देना और कुछ लेना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि इस दुनियाके इतिहासमें या मानवके इतिहासमें वास्तवमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो पारस्परिक रियायतपर आधारित न हो, और यह समझौता करनेके लिए मैंने जो उपाय अपनाया है, उससे मिलती-जुलती चीज न हो। अपरिवर्तनवादियोंके दृष्टिकोणसे इस समझौतेमें सबसे पहली चीज जो ध्यान देनेकी है वह यह कि इस समझौतेमें स्वराज्य दलको अपरिवर्तनवादियोंके साथ बराबरीका दर्जा प्राप्त हुआ है। मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि अपरिवर्तनवादियोंके साथ बराबरीका दर्जा पाना उनका अधिकार है। यह रियायत करनेमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो युक्तियुक्त और उचित न हो। यदि मुझे इस सदनको विभाजित करवाना होता या यदि मैं किसी तरह अपनेको यह विश्वास दिला सकता कि कांग्रेसको विभाजित करना देशके हितमें होगा तो मैं कुछ और ही करता। मैं कौंसिल-प्रवेश कार्यक्रमकी उपयोगितामें विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे देशके हितमें वैसा करना पडा। मैंने जो-कुछ किया है वह देशके हितमें है, मेरे अपने सिद्धान्तोंके हितमें है और असहयोगके हितमें है।

मैं स्वराज्यवादियोंकी उपेक्षा करनेकी स्थितिमें नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके दलकी ताकत बढ़ रही है। मैं जानता हूँ कि वे जनताके एक बहुत बड़े और सशक्त वर्गका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कौंसिल-प्रवेशके पक्षमें हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि उनके पास देशके सर्वोत्तम दिमागवाले लोग हैं। एक ऐसे वर्गका जो कौंसिलोंपर कब्जा करना चाहता है, सहयोग लिये बिना मुझे भय था कि मैं कोई प्रगति नहीं कर सकूँगा। स्वराज्यवादियोंके अलावा लिबरल दलवाले हैं, इंडिपेंडेंट दलवाले हैं और कनवेंशन

दलवाले हैं। ये सभी अपरिवर्तनवादी कार्यक्रमके खिलाफ खड़े हैं। स्वराज्य दल अपने ढंगका एक अग्रगामी दल है। स्पष्टतः उन्होंने कौंसिलो और विधान सभाओंके वातावरणको प्रभावित किया है। मैं उनकी राजनीतिक भावनाओंकी अवहेलना नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता। जहाँतक “खट्टर”का सवाल है, उन्होंने औपचारिक और राजकीय समारोहोंके अवसरपर “खट्टर” पहननेकी मेरी अपीलका विरोध नहीं किया है। उन्होंने “खट्टर” सम्बन्धी मेरी अपीलको सदाके लिए ठुकराया नहीं है। मैं एक तरहसे यह स्वीकार करता हूँ कि असहयोगकी लड़ाईका या सविनय अवज्ञा आन्दोलनका नेतृत्व करना मैं तबतक असम्भव समझता हूँ जबतक हमारे साथ देशका प्रबुद्धवर्ग अर्थात् देशके प्रबुद्ध लोगोंका एक ऐसा बहुत बड़ा समूह न हो, जिसकी सहानुभूति हमारे पक्षमें हो और यहाँतक कि वह सक्रिय रूपसे हमारे साथ सहयोग करे। इसकी अपेक्षा हम तबतक नहीं कर सकते जबतक कि कुछ मामलोंमें हम उनकी बात न माने। कौंसिल-प्रवेशके बारेमें रियायत देनेमें हम देखते हैं कि कौंसिल कार्यक्रमके कार्यकर्ता हमारे साथ हो जाते हैं और ये बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं व्यावहारिक लोग कहूँगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय सभा है। हमें कांग्रेसको इस तरह विकसित करना है ताकि वह हर तरहकी रायका प्रतिनिधित्व कर सके। हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि कांग्रेसको हम हमेशा एक ही तरहकी रायका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था बनाये रखे। ऐसा करना अबुद्धिमत्तापूर्ण होगा। हमें सहिष्णुता बरतनी होगी, अगर और किसी चीजकी खातिर नहीं तो कमसे-कम इसलिए कि कांग्रेसमें सभी दलोंका प्रतिनिधित्व हो, सभी दल जनतामें राजनीतिक चेतना जगानेका काम करे। अगर हमें कांग्रेसमें सभी दलोंका प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये, अगर हम कांग्रेसको विभाजित करना नहीं चाहते, अगर हम यह मानते हैं कि कांग्रेस शिविरमें स्वराज्यवादियोंकी संख्या काफी बड़ी है तो यह स्पष्ट है कि जब हमने समझौता किया है तब हम यह भी माने कि कांग्रेसमें जो दर्जा हमारा है, वही उनका भी है। कांग्रेसके नामका इस्तेमाल करनेका उन्हें भी वैसा ही अधिकार है, जैसा हमें है। किसी भी अर्थ और किसी भी रूपमें भारतके सभी लोगोंकी राजनीतिक समानतापर कोई आँच नहीं आनी चाहिए—मेरी रायमें कांग्रेस, जैसी कि आज वह है, और जैसी कि कल वह होनी चाहिए, का यही अर्थ है।

अगला मुद्दा यह है। जैसा कि मेरा विश्वास है, स्वराज्य दलसे हमें जो मिला है, उससे ज्यादा हम नहीं पा सकते थे। जहाँतक सदस्यताकी शर्तका प्रश्न है, मेरा खयाल फिर भी यही है कि बहुत-से स्वराज्यवादियोंकी आम शिकायत या आपत्ति खट्टरके खिलाफ है। अपरिवर्तनवादी खट्टरकी सम्भावनाओंमें, उसकी क्षमता और सामर्थ्यमें विश्वास करते हैं। मुझे खट्टरकी सामर्थ्यमें पूरा विश्वास है। मैं इस विश्वासको चाहूँ भी तो मनसे निकाल नहीं सकता। सोते हुए, सपनेमें, खाना खाते समय हर वक्त मैं चरखेकी ही बात सोचता हूँ। चरखा मेरी तलवार है। मेरे लिए यह भारतकी स्वाधीनताका प्रतीक है। मैं ऐसा सोचे वगैर रह नहीं सकता। लेकिन स्वराज्यवादियोंका ऐसा खयाल नहीं है। उनमें से बहुतोंको भावनात्मक आपत्ति है। चूँकि ऐसा है, इसलिए

मुझे एक रियायत देनी पडी। मेरा विश्वास है कि स्वराज्यवादियोंका जिन प्रकार काँग्रेस-प्रवेश एक कार्यक्रम है, उसी प्रकार कताई भी उनके कार्यक्रमका अंग होना चाहिए, और हमें मताधिकारमें "सुट्टर" और चरखेकी शर्त शामिल करनी चाहिए। यह एक सर्वथा नया विचार है। मैं ऐसा नहीं मानता कि चरखेमें भारतको कोई बहुत ठोस चीज मिल जायेगी। लेकिन क्या चरखा चलाना कोई पाप है? तथापि मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ़ इसी मुद्देपर मगठनको विभाजित कर देना हमारे लिए गलत होगा। मुझे चरखेमें प्रेम है, लेकिन हमारे ऐसे देश भाई भी हैं जिन्हें सूत कानना सचमुच पसन्द नहीं है। उन्हींके लिए मैं कताई-मदम्यताके मामलेमें झुका हूँ। उसीलिए कुछ अनिच्छुक स्वराज्यवादियोंकी बात रखनेके लिए मुझे कताई-मदम्यताके प्रथमपर बनी रियायत करनेमें कोई हिचक नहीं हुई। मैं सदम्यताके लिए कताईकी इस शर्तको कांग्रेसमें एक अतिवृत्त चीज बना देना चाहता हूँ। मैं उसे स्वराज्यवादियोंकी नहायता-में मफल बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहनेमें मुझे कोई हिचक नहीं है। इनके लिए उत्साहकी जरूरत है, उनके लिए लगनकी जरूरत है। मेरा ऐसा ही मयाल है। जहाँतक अपरिवर्तनवादियोंका सम्बन्ध है, मैं सोचता हूँ कि वे मेरे कियेपर व्यर्थ ही आपत्ति नहीं करेंगे—जो-कुछ मैंने किया है उसका समर्थन करनेको वे अनिच्छुक नहीं होंगे। वे ऐसा नहीं मानेंगे कि उस समझौतेमें किसी अनिष्टकी सम्भावना है। अपरिवर्तनवादी और स्वराज्यवादी, आप सभीको मैं समझौतेमें उल्लिखित कताई-मदम्यताको स्वीकार करनेकी दावत देता हूँ। मेरी अपील अपरिवर्तनवादियोंमें है और उतनी ही स्वराज्यवादियोंमें भी। मैं आपसे कहूँगा कि कताई-मदम्यता सम्बन्धी प्रस्तावको आप अस्वीकृत न करें। और कुछ नहीं तो अनुशासनकी खातिर ही तथा एक मित्रान्तके रूपमें उसे स्वीकार कर लीजिए।

मैंने इस भावनाके साथ यह समझीता किया है, कि हम इस समझौतेको हर धागको पूरी तरह मफल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने इन शर्तों को बढ़ानेमें हम अपना पूरा-पूरा जोर लगा दें और दें कि जगले १२ महीनोंमें हम स्वराज्यको अपनी पकड़में न भी ला सकें तो भी कुछ जोर करीब आ सकें हूँ या नहीं। अगर कांग्रेसके सभी दल कन्धेमें-कन्धा मिश्रकर काम करें तो मुझे यह सोचनेमें कोई हिचक नहीं है कि स्वराज्य दूर नहीं है। अगर हम अनुशासनकी खातिर हमसे उस समझौतेपर अमल करें तो स्वराज्य बहुत निकट होगा। यदि आप अनुशासनकी खातिर भी उस समझौतेपर अमल नहीं कर सकें, यदि आप उस समझौतेकी प्रत्येक शर्तको स्वीकार और उसपर अमल नहीं कर सकें तो विश्वास कीजिए कि देशके लिए ज्यादा अच्छा यही होगा कि उनके पट्टे कि देनेके विद्यमान वेता उस समझौतेको नकार दें, आप उसे अस्वीकृत कर दें। अगर आप नाकते हैं कि आप स्वराज्यके योग्य हैं तो समझौतेको स्वीकार कर लीजिए, अपना अस्वीकृत न दीजिए। यदि वह आपकी बुद्धिमें नहीं जँतता हो तो उसे स्वीकार न कीजिए। मैं आपकी भावनाका एक बरतना बात नहीं मानता चाहता। मैं आपकी बुद्धि ही निर्णय छोड़ना चाहता हूँ।

स्वराज्यवादी मूर्ख नहीं है, वे देशप्रेमी हैं। उनके अपने कर्तव्य हैं जिनको अपनी योग्यता-भर उन्हें निभाना है। अगर वे समझते हैं कि कौंसिलोमे जाकर सरकारसे लडना जरूरी है तो उन्हें कौंसिलोमे जाने दीजिए और कौंसिलोसे काम लेने दीजिए। वे अपरिवर्तनवादियोंके प्रति द्वेष-भावना होनेके कारण कौंसिलोमे नहीं जा रहे हैं। वे वहाँ महज तकरीरे करनेके लिए भी नहीं जा रहे हैं। उनके सामने एक उद्देश्य है। मान लीजिए कि आप उन्हें कौंसिलोमे नहीं जाने देते तो फिर वे क्या करेंगे? क्या वे बेकार पड़े रहेंगे? अपरिवर्तनवादियोंको विश्वास होना चाहिए कि स्वराज्यवादियोंकी उपयुक्त जगह कौंसिलोके अन्दर है, उसके बाहर नहीं।

चरखेको कौशलपूर्वक चलानेकी जरूरत है। भाइयो और बहनो, आपको उसी धीरजके साथ चरखा चलाना चाहिए जो जाँवमे' था। जो तरीके हम अपनाते हैं, उनसे हमें स्वराज्य मिले या न मिले, लेकिन हमें प्रयोग तो करना चाहिए। हम सब ईमानदार लोग हैं। हमारे कुछ दोस्त कौंसिलोमे जाना चाहते हैं तो जाये, किसी तरह हो, हम कुछ आगे तो बढ़े। अपरिवर्तनवादियोंका कर्तव्य है कि वे स्वराज्य-वादियोंको चरखेका महत्त्व सिद्ध करके बताये। अपरिवर्तनवादियोंके प्रचारका यही तरीका होना चाहिए। मैंने स्वराज्यवादियोंसे समझौता किया है ताकि वे चरखेको एक जीवन्त चीज बना सकें। मैं अपरिवर्तनवादियों और स्वराज्यवादियोंसे अपील करता हूँ कि वे चरखेके इस प्रचारको सफल बनाये। समझौता करते समय मैं होगे था। मैंने अपना विवेक खो नहीं दिया था। मैं पागल नहीं हूँ। मैं एक समझदार और व्यावहारिक आदमी हूँ। अगर जरूरत हो तो देशके सामने, स्वराज्यवादियोंके सामने, लिबरलोके सामने और अंग्रेजोके सामने भी घुटने टेक सकता हूँ, क्योंकि यह मेरा सिद्धान्त है। अगर मैं सफल नहीं होता तो फिर कब्र ही मेरे लिए उपयुक्त जगह होगी।

एक चीज आपके सामने बिलकुल साफ होनी चाहिए। वह यह कि आपको यह समझौता या तो ज्योका-त्यो स्वीकार करना होगा या फिर उसे अस्वीकृत कर देना होगा। वह जैसा है, वैसा ही उसे स्वीकार कर लीजिए या नामजूर कर दीजिए। किसी समझौतेमे सशोधनकी गुजाइश नहीं होती। मेरे जो मित्र सशोधनका सुझाव देते हैं वे भूल जाते हैं कि मेरे रास्तेमे अनेक कठिनाइयाँ हैं। वे उन कठिनाइयोंको पूरी तरह समझते नहीं। अगर समझौतेको अस्वीकृत करना है तो अस्वीकृतिके कारण ज्यादा जोरदार होने चाहिए—ऐसे कारण होने चाहिए जो स्पष्ट, निभ्रान्त हो अर्थात् यदि यह समझौता आपकी अन्तरात्माके विपरीत हो तो आप उसे अस्वीकृत कर दीजिए। मेरी विनम्र रायमे अनिच्छुक लोगो द्वारा किसी चीजकी पुष्टिका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप अविश्वासके साथ शुरुआत करनेवाले हों तो समझौतेको अस्वीकृत कर दीजिए। हमें सन्देह और अविश्वासको अपने मनसे निकाल देना चाहिए।

एक शब्द और। मैं स्वराज्यवादियोंको अपना एजेंट नहीं समझता। मैं उन्हें अपना सहयोगी मानता हूँ। मैंने इस समझौतेकी कानूनी व्याख्या समझनेके लिए

कुछ स्वराज्यवादियोंकी सलाह ली। मैंने अनुभव किया कि मैं अपरिवर्तनवादियोंकी शक्तको नुकसान पहुँचाये बिना उस समझौतेपर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। हम सभी-के रास्तेमें कठिनाइयाँ हैं, उनको ठीक-ठीक आँका नहीं जाता। अगर सन्देह हो, तनाव हो तो मैं आपको मलाह दूँगा कि आप सर्वसम्मतिसे उस समझौतेको अस्वीकृत कर दीजिए, अन्यथा सर्वसम्मतिसे उसे पास कर दीजिए। मैं समझता हूँ कि यदि आप उसे स्वीकार कर ले तो यह देशके हितमें होगा। किसीको समझौता स्वीकार करनेके लिए वाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि उसे अस्वीकृत कर देना चाहिए तो आप उसपर ज्यादा सोच-विचार मत कीजिए, उसे तत्काल अस्वीकार कर दीजिए। इसके गुण-दोषोंपर विचार करके इसे स्वीकार कीजिए। यदि आप उस समझौतेके गुणोंसे मन्तुष्ट हो तो उसे स्वीकार करनेमें हिचकिए मत। लेकिन इनपर विचार करना रथगित करके समय नष्ट मत कीजिए। यह बुरा होगा। अगर आप मोचते हो कि काम करनेके लिए कोई तन्त्र होना चाहिए तो इसे स्वीकार कर लीजिए। विरम्व मत कीजिए। हर क्षणका यथाम्भव उपयोग कीजिए।

आप देशके ईमानपर भरोसा कीजिए, आप सभी दलोंके ईमानपर भरोसा कीजिए। आप दूसरोंका भरोसा कीजिए और उन्हें अपनेपर भरोसा करने दीजिए। जो लोग अनिच्छुक हैं उन्हें समझा-बुझाकर अपनी बात मनवाइए। समझौतेपर हस्ताक्षर करनेका मुझे कोई खेद नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसा करके विलकुल उचित किया है। उस समझौतेमें जो भी चीज शामिल करना उचित और सम्भव था, उसे मैंने छोड़ा नहीं है। मैंने समझौतेमें जो-कुछ शामिल किया है उसमें मैं किसी दलको या देशको बाधना नहीं चाहता। अगर आप समझते हो कि समझौतेको सर्वसम्मतिसे स्वीकार करना देशके हितमें है तो आप वैसा करे। खिलाड़ियोंकी भावनासे समझौतेको स्वीकार कीजिए। मैं फिर कहता हूँ कि समझौतेको ज्यादा-त्यों स्वीकार किया जाना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

द स्टोरी ऑफ़ माई लाइफ़, पृष्ठ २

## ३०४. भाषण : शोक सभामे<sup>१</sup>

बम्बई

२३ नवम्बर, १९२४

महात्मा गांधीने तब गुजरातीमें भाषण दिया। आरम्भमें ही उन्होंने खड़े होकर न बोलनेके लिए श्रोताओसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि कमजोरीके कारण खड़े होकर बोलना मेरे लिए सम्भव नहीं है। इसके सिवा मेरी आवाज भी अब वैसी नहीं है जैसी कि तीन साल पहले थी और यदि आपको मेरी बात सुननेमें कोई कठिनाई हो तो आप मुझे माफ करे।

बी-अम्मांका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दुनियामे जब कोई बड़ा व्यक्ति मरता है तो हम आम तौरपर ऐसी ही सभाएँ करते हैं जैसी कि आज शाम कर रहे हैं और अपना दुख प्रकट करते हैं। मैं नहीं समझता कि बी-अम्मांकी मृत्युपर इस प्रकार दुख व्यक्त करनेकी जरूरत है या अली भाइयोको किसीकी सहानुभूतिकी जरूरत है। बी-अम्मांकी मृत्यु तो ऐसी पवित्र थी कि मेरी समझमे हम सबको ऐसी ही मृत्युकी कामना करनी चाहिए। उनके कर्म अच्छे थे और मनुष्य तथा ईश्वर दोनोंको स्वीकार्य थे। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर और उसके बन्दोके लिए अर्पित कर दिया था और आजादीकी लड़ाई लड़नेके लिए भारतको उन्होंने अपने दो बहादुर बेटे दिये। अतः बी-अम्मां मरकर भी अपने कार्योंके रूपमें जीवित है। यह सौभाग्यकी बात है कि मनुष्योके दुष्कृत्य भुला दिये जाते हैं और उनका अनुकरण नहीं किया जाता, लेकिन अच्छे कार्योंको याद रखा जाता है और उनका अनुकरण पीढियोतक होता है और वे सदैव जीवित रहते हैं। बी-अम्मां ईश्वरको और अपने देशको प्यार करती थीं और ऐसा वे जीवनके अन्तिम क्षणतक करती रहीं। उनके अन्त समय मैं उनके पास मौजूद था। उनका ईश्वर-प्रेम देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। जिस प्रकार एक धर्म-प्रेमी हिन्दू परिवारमें मृत्यु-शय्यापर पड़ा हुआ व्यक्ति रामका नाम लेता है उसी प्रकार बी-अम्मां भी आखिरी साँसतक अल्लाहका नाम जपती रहीं। जीवन-भर उनका यह पक्का विश्वास रहा कि जबतक हिन्दू और मुसलमानोंमें एकता नहीं होगी तबतक भारत स्वतन्त्रता नहीं पायेगा। उस दिन तीसरे पहर मेरी पण्डित मोतीलाल नेहरूसे बात हुई थी। उन्होंने मुझे अमरीकासे मिला एक पत्र दिखलाया

१. यह सभा बी-अम्मां और पारसी रुस्तमजीकी मृत्युपर शोक प्रकट करनेके लिए बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, बम्बई स्वराज्य दल, केन्द्रीय खिलाफत समिति, राष्ट्रीय स्त्री सभा, पारसी राजकीय सभा और नेशनल होमरूल लीगके संयुक्त तत्वावधानमें हुई थी, सभाकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडूने की थी।

जिसमें बम्बईके एक भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम द्वारा एक स्थानपर यह कहा बताया गया था कि भारत ससार-भरकी कुजी है अर्थात् आर्थिक प्रभुत्व और शोषणके लिए भारत मुख्य देश है। इस्लाम दुनियाके कई देशों, जैसे मोरक्को, चीन आदि में है, लेकिन भारतमें मामला दूसरा है। जबतक हिन्दू और मुसलमान एक नहीं होते तबतक उनको स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। वी-अम्माँ बड़ी दूरदर्शी थीं और जब भी मैं दिल्लीमें उनसे मिलने जाता था, वे हमेशा यही प्रार्थना करती थीं कि ईश्वर हिन्दुओं और मुसलमानोंको एक होनेकी सद्बुद्धि दे और वे हमेशा भारतके लिए स्वराज्यकी कामना करती थीं। उनके भाग्यमें भारतमें स्वराज्य देखना नहीं था, लेकिन उन्होंने भारतको दो जवाँमर्द बेटे दिये थे कि वे हिन्दू और मुसलमानोंको एक करे और इस प्रकार स्वराज्य हासिल करे। उनकी स्मृतिको स्थायी बनानेका सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि हम उनके नामपर हाल, मूर्तियाँ या भवन खड़े करे बल्कि यह है कि हममें से हर स्त्री और पुरुष हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने और स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करनेकी प्रतिज्ञा करे और इस प्रकार वी-अम्माँके चरण-चिह्नोका अनुसरण करे।

इसके बाद महात्माजीने दक्षिण आफ्रिकामें पारसी रुस्तमजीकी मृत्युके रूपमें भारतको होनेवाली महान् क्षतिका जिक्र किया। उन्होंने कहा, वे एक उदात्त व्यक्ति थे और बम्बईके नागरिकोंको उनकी भारत-सेवा कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वे मूलतः बम्बईमें खेतवाड़ीके ही रहनेवाले थे। अन्तमें महात्माजीने श्रोताओंसे कहा कि वे एक औपचारिक प्रस्ताव पास करके ही न चल दें बल्कि भारतकी इन दो महान् विभूतियों, वी-अम्माँ और पारसी रुस्तमजीके जीवनका अनुकरण करे।

[अंग्रेजीसे]

वाँम्बे क्रॉनिकल, २४-११-१९२४

### ३०५. तार : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको'

बम्बई

२४ नवम्बर, १९२४

आपकी क्षतिसे गहरा शोक हुआ। साहस और विश्वास रखें।

वापू

अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २३४७) की फोटो-नकलमें।

१ यह तार श्री चाँदीवालाकी पत्नीकी मृत्युका समाचार पानेपर भेजा गया था।



## ३०६. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

कार्तिक कृष्ण १३ [२४ नवम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

भाई त्रिजकिसन,

तुमारे दु खकी खबर मुझको कल रात्रीको मीली। आज तार<sup>२</sup> दिया है। ईश्वर तुमको धीरज दे। जन्म मृत्यु एक ही वस्तु है यह बात यदि हम समज ले तो मृत्युका खेद क्यों करे? सच्चा मित्र कभी मरता नहि है। अपनी धर्मपत्नि एक मित्र हि है। उसके गुणका हम अहोनिश स्मरण करते रहे तो मृत्युको अवकाश हि नहि है। एक पत्नि-व्रतका पालन करनेकी दृढता ईश्वर तुमको देवे।

बापूके आशीर्वाद

मूल पत्र (जी० एन० २३४८) की फोटो-नकलसे।

## ३०७. ईश्वर हम सबकी सहायता करे !

साबरमती

२६ नवम्बर, १९२४

बहुत प्रार्थना, बहुत हृदय-मन्थनके बाद और सो भी डरते और काँपते हुए, मैंने अगली कांग्रेसकी अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। मैं ऐसे समय अध्यक्षता करने जा रहा हूँ जब मेरे, और कुछ उल्लेखनीय अपवादोको छोडकर, भारतके समस्त शिक्षित समुदायके बीच भेदकी जबरदस्त खाई दिखाई दे रही है और कुछ-एक ऐसे शिक्षित भारतीय नौजवानोके अलावा, जिनकी कोई प्रसिद्धि नही है, देशका पूरा बौद्धिक वर्ग मेरी विचार-पद्धति और कार्य-विधिके विरुद्ध खडा जान पडता है। फिर भी चूँकि मैं जनसाधारणके बीच लोकप्रिय जान पडता हूँ और बहुत-से शिक्षित देशभाइयोके विचारसे मैं भी देशको उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि वे स्वयं करते हैं, इसलिए उनकी इच्छा है कि हमारे देशके इतिहासकी इस विकट घडीमे मैं कांग्रेसका दिशा-दर्शन करूँ।

मुझे लगता है कि मैं उनकी इच्छाका विरोध न करूँ, बल्कि इसके विपरीत देशके हितके लिए — मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही होगा — मैं उन्हें अपना उपयोग करने दूँ। अन्तिम निष्कर्षपर पहुँचनेके लिए मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके निर्णयकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी बैठकमें स्वराज्यवादी मौन रहे और वाणीके द्वारा जो कहा जा सकता था वह सब बड़े प्रभावपूर्ण ढंगसे उन्होंने अपने मौनके द्वारा ही

१ और २ देखिए पिछला शीर्षक।

कह दिया । मैं जानता हूँ कि उनमें से बहुत-से लोगोंके मनमें सदस्यता सम्बन्धी शर्तोंमें प्रस्तावित परिवर्तनके प्रति कोई उत्साह नहीं है । लेकिन शान्ति और एकताकी खातिर उन्होंने मौन रहकर ही इस परिवर्तनके पक्षमें अपना मत दे दिया । अपरिवर्तनवादी लोग बड़े दुःखी और निराश थे, इस समझौतेपर वे दाँत पीस रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरह तो जिन आदर्शोंको उन्होंने अपने मनमें बड़े प्यारसे सँजो रखा था, उनको ताकपर रखा जा रहा है । उन्होंने विरोध किया, किन्तु समझौतेके खिलाफ मत नहीं दिया ।

यह स्वराज्यवादियों और अपरिवर्तनवादियों, दोनोंके लिए श्रेयकी बात है, लेकिन काम करनेकी दृष्टिसे यह कोई बहुत उपयुक्त वातावरण नहीं है, विशेषकर ऐसी हालतमें जब किसीसे बहुत अपेक्षा की जा रही हो । लेकिन, यही वह उपयुक्त प्रसंग है, जबकि मैं अहिंसामें अपने विश्वासकी सच्ची कसौटी कर सकता हूँ । यदि मेरे मनमें अपरिवर्तनवादियों, स्वराज्यवादियों, लिवरलो, राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघवादियों, इडिपेडेन्टों, — इन सबके प्रति और इन्हींके प्रति क्यों, अग्रेजोंके प्रति भी — समान प्रेमभाव है तो मेरे लिए भी और इस उद्देश्यके लिए भी सब-कुछ शुभ ही होगा ।

मैं देशकी आँखोंमें बूल नहीं झोकूँगा । मेरे लिए तो धर्म-विहीन राजनीति कोई चीज ही नहीं है । लेकिन जब मैं धर्मकी बात कहता हूँ तो मेरा मतलब रुढियों और अन्धविश्वासोंसे नहीं है, उस धर्मसे नहीं है जो हमें घृणा करना और एक-दूसरेसे झगडना सिखाता है, मेरा मतलब तो सहिष्णुताके सार्वजनीन धर्मसे है । नैतिकताविहीन राजनीति ऐसी चीज है जिससे बचना चाहिए । इसपर आलोचक कहता है, “तब तो मुझे सार्वजनिक जीवनसे अलग ही हो जाना चाहिए ।” लेकिन मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा है । मेरी कोशिश तो यह है कि मैं समाजमें ही रहूँ और फिर भी उसकी बुराइयोंसे अछूता रहूँ । जो भी हो, अभी तो कांग्रेससे भाग खडा होना मेरे लिए कायरता होगी — और अव्यक्त-पद न स्वीकार करना मेरे लिए भाग खडा होना ही होगा, विशेषकर ऐसी हालतमें जब हर कोई मेरा मार्ग सुगम बनानेकी कोशिश कर रहा है ।

अपने उद्देश्य और मानव-समाजमें मुझे पूरा विश्वास है । और भारतका मानव-समाज किसीसे भी घटकर नहीं है, शायद बढ़कर ही है । सच तो यह है कि यह उद्देश्य ही मानव-स्वभावमें विश्वासकी पूर्व-अपेक्षा रखकर चलता है । मार्ग यद्यपि अन्धकारपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन अगर ईश्वरके मार्ग-दर्शनमें मेरा विश्वास है और यह स्वीकार करनेके लिए मुझमें पर्याप्त विनय है कि उसके अचूक मार्ग-दर्शनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता तो निश्चय ही वह मेरे पथपर प्रकाश करेगा, मेरा मार्ग-दर्शन करेगा ।

यद्यपि असहयोग और सविनय अवज्ञामें मेरी निष्ठा आज भी अटल है किन्तु मैं मानता हूँ कि इस समय राष्ट्रीय स्तरपर असहयोग या सविनय अवज्ञा करनेके लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है । इसलिए मेरा प्रयत्न यही होगा कि जाति, रंग अथवा धर्मका कोई भेदभाव रखे बिना पारस्परिक सहिष्णुताके आधारपर सभी

दलोको एक साथ ला खडा करूँ और इस प्रकार, सम्भव हो तो, दिखा दूँ कि मेरी असहयोगकी कल्पना घृणा या विद्वेषसे प्रेरित या इनपर आधारित नहीं थी। मैं सभी दलोके सिर यह भार लाद दूँगा कि वे असहयोग और सविनय अवज्ञाको असम्भव कर दिखाये—लेकिन आलोचना और दमनके जरिये नहीं, बल्कि स्वराज्य प्राप्त करके। इसलिए समस्त दलोके प्रतिनिधियोसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे मौलाना मुहम्मद अलीके निमन्त्रणको स्वीकार करे और यदि कांग्रेस अधिवेशनमें प्रतिनिधियोकी हैसियतसे शामिल न हो सकते हो तो दर्शकोके रूपमें उपस्थित होकर कांग्रेसको अपने सलाह-मशविरेका लाभ दे।

कांग्रेस-जनोके सिरपर एक भारी कर्तव्य निभानेकी जिम्मेवारी है—चाहे वे कांग्रेस-जन स्वराज्यवादी हो या अपरिवर्तनवादी, हिन्दू हो या मुसलमान, ब्राह्मण हो या अब्राह्मण। उन्हें अपनी वेग-भूपामे ही इस बातका प्रमाण देना है कि वे कांग्रेसके कार्यक्रमपर अमल कर रहे हैं, उन्हें अपने दैनिक व्यवहारमें उसका पालन करना है। उन्हें सेवकोकी हैसियतसे, दूसरोसे सेवा माँगनेवाले स्वामियोकी हैसियतसे नहीं, कांग्रेस-अधिवेशनमें शामिल होना है। उन्हें सभी वस्त्रोका त्यागकर सिर्फ खादी पहननी पड़ेगी और इस प्रकार गत चार वर्षोंसे वे जिस खादीकी सीख दूसरोको देते रहे हैं, उसमें अपने विश्वासका परिचय देना होगा। एक-दूसरेके प्रति अधिकसे-अधिक सहिष्णुता बरतकर और एक-दूसरेकी धार्मिक क्रियाओका आदर करके उन्हें विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायोकी एकतामें अपने विश्वासका प्रमाण देना पड़ेगा। हिन्दुओको कांग्रेसमें शामिल होनेवाले अस्पृश्योका दूसरोकी अपेक्षा ज्यादा खयाल करके अस्पृश्यता-निवारणमें अपने विश्वासका परिचय देना होगा।

हमारी बहुत-सी समस्याएँ हैं—हिन्दू-मुस्लिम-वैमनस्य, बगालका दमन, अकालियो-पर किये जा रहे क्रूरतापूर्ण अत्याचार, जिनकी छायासे भी छूत मानी जाती है, ऐसी जातियोकी ओरसे चलाया जा रहा वाइकोम आन्दोलन, और सबसे बढ़कर स्वराज्यकी प्राप्ति। प्रतिनिधिगण तथा दर्शक लोग, वेगक, मुझसे इन तमाम समस्याओका समाधान प्रस्तुत करनेकी अपेक्षा करे। मेरे पास कोई बना-बनाया समाधान नहीं है। समाधान तो प्रतिनिधियो और दर्शकोके ही पास है। मैं तो दिशा-दर्शक स्तम्भकी तरह सिर्फ रास्ता ही दिखा सकता हूँ। उस दिशा-दर्शनको स्वीकार अथवा अस्वीकार करना तो कांग्रेसवालोका काम होगा। ईश्वर हम सबकी सहायता करे।

[अग्रेजीसे]

यंग इडिया, २७-११-१९२४

## ३०८. पत्र : सतीशचन्द्र मुखर्जीको

[ २६ नवम्बर, १९२४ ]

प्रिय सतीश बाबू,

कृष्णोदासको भेजे गये आपके लम्बे तारके लिए धन्यवाद। उसके प्रत्येक शब्दसे मेरे प्रति आपका प्रेम झलकता है। उसमें जो-कुछ कहा गया है उसके बारेमें वहस नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जान-बूझकर गलती नहीं की है। दुर्योधन जानता था कि वह गलती कर रहा है। मैं बुराईके साथ समझौता नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं वही कर रहा हूँ जो पाण्डवोंने किया था। उन्होंने जिस हदतक सम्भव था उस हदतक दुर्योधनके साथ समझौतेकी बात की। “तुम सब कुछ रखो। हमें केवल पाँच छोटे-छोटे गाँव दे दो, फिर तुम स्वतंत्र हो।” लगभग ऐसी ही घटना ‘वाइविल’ में भी मिलती है। यदि एक भी भला व्यक्ति सोडममें होता तो नगरकी रक्षा हो जाती। लेकिन मेरे दिमागमें क्या चल रहा है इसका काफी सकेत मैंने आपको दे दिया है।

कृपया इसी प्रकार आगे भी सावधान करते रहें।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६०७) की फोटो-नकलमें।

## ३०९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

२६ नवम्बर, १९२४

मेरे सबसे प्यारे चार्ली,

महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने आज ही पढ़ा है। रोल्सकी बात ध्यानसे पढ़ ली। उन्होंने जो चेतावनी दी है, उसके लिए क्या तुम कृपया उन्हें धन्यवाद दे दोगे? तुम बम्बई नहीं आये, यह बहुत अच्छा किया। तुम्हें सबसे पहले शान्तिनिकेतनकी ही चिन्ता करनी चाहिए। तुमने रस्तमजीके बारेमें टिप्पणी देखी? क्या तुम उनके बारेमें कुछ लिखोगे नहीं? उनकी बहुत-सी मीमाओंके बावजूद वे मेरे

१ डाककी मुहरसे।

२ देखिए “टिप्पणियाँ”, २०-११-१९२४ का उप-शीर्षक “स्वर्गीय पारसी रस्तमजी”।

लिए एक बहुत बढिया व्यक्ति थे। वर्मा और मिश्रके बारेमे मैंने आज तुम्हे तार दिया है। दोनोकी हालत, लगता है, ठीक नहीं है। लेकिन मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है।

सप्रेम,

मोहन

अग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१७) की फोटो-नकलसे।

### ३१०. पत्र : बाबू भगवानदासको

[ २६ नवम्बर, १९२४ या उसके पश्चात् ]<sup>१</sup>

प्रिय बाबू भगवानदास,

मैं बनारसमे किसी ऐसे व्यक्तिको नहीं जानता जिसे यह निम्नलिखित नाजुक काम सौंप सकूँ। मुलतानपुर निवासी मगलदत्तने कुछ महीने पहले इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। उसने अपना हिन्दू नाम राम नारायण बताया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। कहा जाता है कि वह दिल्लीके एक अनाथालयसे १० मुसलमान अनाथ बच्चोको उडा ले गया है। उसे लगा कि धर्मान्तर स्वीकार करके उसने भूल की है और वह अपने असली नामसे डा० सुखदेवके जरिये आर्यसमाजी बन गया। वह डा० सुखदेवके साथ कुछ समयतक ठहरा था। कहा जाता है कि अब वह मुलतानपुर (जिले)मे है। साथ ही मैं, उसके नाम डा० सुखदेवका एक पत्र रख रहा हूँ। क्या आप कृपया इस बातका पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति मिल सकता है या नहीं? क्या वह दिल्ली आकर मुझसे मिलेगा? अगर आप उससे मिले तो उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपके बारेमे पूछ सकते हैं। हकीम साहबको पक्का शक है कि मुसलमान बच्चोका अपहरण करनेके लिए ही उसने इस्लाम कबूल करनेका ढकोसला रचा था। वे इसमे आर्यसमाजियोका हाथ देखते हैं। मुझे लगता है कि हिन्दू होनेके नाते सचाईका पता लगाना और बच्चोका पता लगानेमे अनाथालयके अधिकारियोकी सहायता करना हमारा कर्त्तव्य है। इस मामलेमे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि मैं इसमे दिलचस्पी ले रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि मुलतानपुर बनारसके बहुत निकट है। क्या आप किसी विश्वसनीय व्यक्तिको वहाँ भेज कर मगलदत्तके बारेमे स्थानीय लोगोसे पूछताछ करवानेकी कृपा करेंगे? वह एक यादीगुदा व्यक्ति बताया जाता है। मैं ४ दिसम्बरके लगभग पजाब जानेवाला हूँ।

१. गांधीजी सादरमती २६ नवम्बरको पहुँचे थे। इसीसे अनुमानतः यह पत्र उन्होंने २६ नवम्बर या उसके बाद ही लिखा होगा।

आप लाला लाजपतरायकी मार्फत पत्र भेज सकते हैं। उसके बाद डा० अन्सारी, दिल्लीकी मार्फत। १ दिसम्बरतक मैं सावरमतीमें हूँ।

हृदयसे आपका,

[ पुनश्च ]

आप देखेंगे कि मैं स्वराज्य योजनाको भूला नहीं हूँ।

अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९५) की माइक्रोफिल्मसे।

### ३११. क्या हममें एकता होगी ?

पिछले हफ्ते वम्बईमें जो [ सर्वदलीय ] सम्मेलन हुआ, उसके परिणामस्वरूप सभी दलोंके बीच तत्काल एकता स्थापित नहीं हो पाई। इससे प्रकट होता है कि यह काम कितना कठिन है। दूसरी ओर एकता स्थापित करनेके उपायोपर विचार करनेके लिए एक समिति भी नियुक्त कर दी गई, जिससे प्रकट होता है कि सम्मेलन इस विषयमें सर्वथा निराश हो अथवा इसे असम्भव मानता हो, ऐसा भी नहीं है। सच तो यह है कि जब श्री जयमुखलाल मेहताने यह प्रस्ताव पेश किया कि समिति १५ दिसम्बरतक अपनी रिपोर्ट दे दे तो काफी लोगोंने इसका समर्थन किया। उन सबको तत्काल सफलता पानेकी पूरी आशा थी। किन्तु, जो बहुत-से लोग टटोल-टटोलकर कदम रखनेवाले थे, उन्होंने रिपोर्ट पेश करनेके लिए ३१ मार्चका दिन निर्धारित किया। यदि उन्होंने इस काममें जो कठिनाई है, उसे महसूस करते हुए ऐसा किया हो तो प्रकारान्तरसे उन्होंने कोई स्वीकार्य समाधान ढूँढनेका भार भी समितिके सिर डाल दिया है। अखबारोंमें लिखनेवाले लोग जनमतका सही दिशा-दर्शन करके समिति-को काफी सहायता पहुँचा सकते हैं। जिन सस्थाओंका समितिपर प्रभाव पड़ सकता है, उनमें लिबरल दल, इंडिपेंडेंट दल और नेशनल होमरूलवालोंका दल मुख्य है। डा० वेसेंटेके नेतृत्वमें नेशनल होमरूलवालोंने तो उन बातोंको लगभग स्वीकार ही कर लिया है जो मेरे और स्वराज्यवादी दलके बीच हुए समझौतेमें तय हुई थी और जिनकी पुष्टि अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने भी कर दी है। लिबरलों और इंडिपेंडेंटोंके मार्गकी कठिनाइयाँ प्रायः एक-सी हैं। इन कठिनाइयोंका सम्बन्ध कांग्रेसके ध्येय और निष्ठा-विषयक बुनियादी सिद्धान्त (ऋीड)में, कौंसिल-विषयक नारा कार्य स्वराज्यवादी दलको सौंप देनेसे और कताई-सदस्यताकी शर्तोंमें है। कहते हैं, कांग्रेसका सिद्धान्त गोलमोल-सा है। मैं इस आरोपको साहसपूर्वक अस्वीकार करता हूँ। तथ्य है कि इसमें वर्तमान परिस्थितियोंको स्वीकार किया गया है। इसका मतलब यह है कि सम्भव हो तो साम्राज्यमें रहकर और आवश्यक हो तो उममें सारा सम्बन्ध तोड़कर भी स्वराज्य प्राप्त किया जाये। इसका उद्देश्य अग्रेजोंके सिरपर उन बातकी जिम्मेदारी लादना है कि वे हमारे लिए साम्राज्यमें बराबरीके भातेदार बनने और बने रहनेकी स्थिति उत्पन्न कर दिलाये। उसमें उस बातकी निर्भीक घोषणा की गई है कि जन्म

हुआ तो यह देश सर्वथा स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें भी अपने पैरोपर खड़ा हो सकता है। साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्य स्वतन्त्रताकी ही स्थिति है, क्योंकि इसका अर्थ साम्राज्यमें स्वेच्छासे शामिल रहना है और यह है कि यदि भारतको वाछनीय प्रतीत हो तो वह उससे अलग भी हो सकता है। इसका स्वरूप तो स्वतन्त्र राष्ट्रके बीच राजी-खुशीकी साझेदारीवाला ही होना चाहिए। यह बात हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे हम छोड़ ही नहीं सकते। जो लोग आज कांग्रेसका नेतृत्व कर रहे हैं, वे यदि कांग्रेसके मूल सिद्धान्तमें ऐसा कोई परिवर्तन करना भी चाहे जिससे उसका मतलब सिर्फ साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्य और इसलिए पराधीन राज्य रह जाये तो कांग्रेस-जनोका बहुत भारी बहुमत इस अपमानजनक स्थितिको स्वीकार नहीं करेगा। इस सिद्धान्तको लिबरलो और इडिपेडेटो द्वारा अभीप्सित दिशामें बदलनेका प्रयत्न करनेका मतलब वर्तमान राष्ट्रीय भावनाके विरुद्ध चलना होगा। वे जो कर सकते हैं वह यही कि वे कांग्रेसमें शामिल हो जाये और फिर जिस प्रकार मौलाना हसरत मोहानी कांग्रेसके सिद्धान्तमें ऐसा परिवर्तन करानेका प्रयत्न कर रहे हैं जिससे उसका एकमात्र उद्देश्य ब्रिटेनसे सारे सम्बन्ध तोड़ लेना ही हो जाये, उसी प्रकार वे भी कांग्रेसवालोको परिवर्तनकी उपयोगिता या आवश्यकताकी प्रतीति करानेका प्रयास करे। मेरा तो सादर निवेदन है कि वर्तमान सिद्धान्तमें कोई भी चीज अनैतिक अथवा हानिकर नहीं है। इसके विपरीत, ऐसा मान लेना कि कमसे-कम फिलहाल तो हम स्वतन्त्रताके लिए सक्षम नहीं हैं, नैतिक दृष्टिकोणसे बहुत ही आपत्तिजनक हो सकता है। जिस राष्ट्रमें सच्ची आकाक्षा हो, वह स्वतन्त्रताके लिए अक्षम हो ही नहीं सकता। जो भी हो, मुझे विश्वास है, इस बातको सभी दल स्वीकार करेगे कि कांग्रेसके पीछे ऐसे सदस्य-समूहका बल है जो समय-समयपर अपनी ही करानेपर कटिबद्ध हो सकता है और यह बात बहुत अच्छी है।

कांग्रेसमें स्वराज्यवादियोका स्थान क्या हो, इसका निर्णय तो, दरअसल, उन्हीके हाथमें है। आज कांग्रेसमें उनका और अपरिवर्तनवादियोका बोलवाला है। यदि कांग्रेस असहयोग स्थगित कर देती है तो स्वराज्यवादी, शायद स्वत ही प्रमुखता प्राप्त कर लेगे और यदि दोनो दल राष्ट्रके हितको ध्यानमें रखकर कांग्रेसको विभाजनसे बचानेका फैसला करते हैं तो दोनोको इस सगठनका सयुक्त और समान साझेदार मानना चाहिए। कलकत्तेके समझौतेमें मैंने इसी सीधे-सादे और स्वाभाविक तथ्यको स्वीकार किया है। यदि कोई भी दल कुछ अधिक पाना चाहता है तो इसका तरीका यही है कि वह कांग्रेसमें शामिल होकर स्वराज्यवादियोको तर्क द्वारा अपना दृष्टिकोण समझाये या कांग्रेसके सदस्योको अपनी बात बताये और कांग्रेसके लिए अपने पक्षका समर्थन करने-वाले नये सदस्य भी बनाये। कांग्रेसके सदस्योकी सत्या बढ़ानेकी गुजाइश बहुत अधिक है और यदि अपनी विचार-पद्धतिके अनुकूल पुरुष और स्त्रियाँ मिल सके तो कांग्रेस मण्डलो और कमेटियोका गठन तो लगभग हर आदमी कर सकता है।

तीसरी आपत्ति सदस्यताकी शर्तपर है। अगर इसमें नवीनता नहीं होती तो इसपर न केवल लोगोको कोई आश्चर्य नहीं होता, बल्कि वे सदस्यताकी सर्वोत्तम

कसौटीके रूपमें आगे बढ़कर इसे स्वीकार करते। यदि पूँजीपतियो या शिक्षित लोगोके वजाय आज मजदूरोका प्रभाव ही सबसे अधिक होता और सदस्यताके लिए सम्पत्ति अथवा शिक्षा-सम्बन्धी कसौटी सुझाई जाती तो शक्तिशाली मजदूर वर्ग इस सुझावका मजाक उडाता, बल्कि उसे अनैतिक भी बताता। कारण, तब वे यह दलील पेश करते कि जहाँ पूँजी और शिक्षा कुछ ही लोगोके पास है, शारीरिक श्रमकी क्षमतासे तो सभी सम्पन्न है। हो सकता है यह जो मैंने श्रमके एक प्रकारको अर्थात् हाथ-कताईको कसौटी बनानेका सुझाव रखा है, वह बिल्कुल महत्त्वहीन हो या बहुत विचित्र हो, लेकिन यह न अनैतिक है और न राष्ट्रके लिए किसी प्रकार हानिकर ही। यदि हजारो स्त्री-पुरुष राष्ट्रके लिए श्रम करे—भले ही प्रतिदिन आधा घटा ही क्यों न करे—तो यह चीज मेरी समझमें राष्ट्रके लिए निश्चित उपलब्धि है और खादी पहननेकी शर्तके कारण भी किसी दलको कांग्रेसमें प्रवेश करनेमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेसमें खादीको पिछले तीन सालसे बहुत ज्यादा महत्त्व दिया जाता रहा है।

नि सन्देह, खादी पहननेको सदस्यताकी कसौटी बनानेके विषयमें सिद्धान्तके आधारपर तो कोई ऐसी अकाट्य आपत्ति की ही नहीं जा सकती, जिसका निवारण ही न किया जा सके। यदि वस्तु-स्थितिको समझनेमें मुझसे बहुत गलती न हुई हो तो मेरा खयाल है कि अगर खादी पहनने और हाथ-कताईको सदस्यताकी शर्त नहीं बनाया जाता तो कुछ अच्छेसे-अच्छे कार्यकर्त्ताओको भी कांग्रेसमें रहनेसे कोई मजा नहीं आयेगा। इस समय कांग्रेसमें दो दल हैं। एकको स्वराज्य पानेके साधनके रूपमें कौंसिल-कार्यक्रममें कोई विश्वास नहीं है और जबतक देश शान्तिपूर्ण अवज्ञा या असह-योगके लिए तैयार नहीं हो जाता तबतक वह खादी-सम्बन्धी प्रवृत्तियोसे ही सन्तुष्ट है। दूसरा यह तो कहता है कि खादीके आर्थिक महत्त्वमें उसका विश्वास है, किन्तु साथ ही यह भी मानता है कि कौंसिल-प्रवेशसे यदि स्वराज्य न मिल सके तो इस तरह कमसे-कम उस दिशामें कुछ प्रगति तो की ही जा सकती है और नौकरशाहीकी मनमानीपर थोडा अकुश भी रखा जा सकता है। मुझे तो स्वराज्यवादियोंके साथ झगडेसे बचनेका रास्ता यही दिखाई देता है कि उन्हें अपनी राह जाने दिया जाये और वे खादी कार्यक्रममें जितना सहयोग दे सकते हैं, उतना सहयोग उनसे प्राप्त किया जाये। मैं लिबरलो और इंडिपेण्डेण्टोसे अनुरोध करता हूँ कि इस वस्तुस्थितिको समझें, जिसे कोई एक व्यक्ति नहीं बदल सकता। हाँ, एक बात हो सकती है स्वराज्यवादी, लिबरल और इंडिपेण्डेण्ट साथ बैठकर बातचीत करे और यदि वे इस निष्कर्षपर पहुँचे कि खादीमें अब कोई दम नहीं रह गया है और यह सिर्फ मेरी एक सनक-भर है और तब यदि वे मुझे अपनी गलती न भी समझा सके तो मैं खुशी-खुशी उनके रास्तेसे हट जाऊँगा। फिर वे शौकसे इस राष्ट्रीय सगठनको अपने कब्जेमें ले सकते हैं और जिस बातमें देशका सबसे बडा हित समझे उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, मैं उनके मार्गमें बाधक न बनूँगा। एक प्रमुख स्वराज्यवादीने मुझसे कहा है कि खादी-कार्यक्रमका विफल होना अवश्यभावी है और स्वराज्यवादियोंका



इसमें कोई विश्वास नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आपकी इस धारणासे मैं सहमत नहीं हूँ, स्वराज्यवादियोंने इस कार्यक्रमको हृदयसे स्वीकार किया है और वे उत्साहपूर्वक इसे कार्यान्वित करेगे। लेकिन मान लीजिए इन भाईकी भविष्यवाणी अच्छे-खासे कारणोंपर आधारित हो और खादीकी आराधना हमारे सार्वजनिक जीवनमें भेद पैदा करनेवाला तत्त्व हो तो उस हालतमें देशका भ्रम जितनी जल्दी दूर हो जाये उतना ही अच्छा होगा। लेकिन ऐसा हो जानेपर भी जबतक उसमें से मेरा विश्वास नहीं उठ जाता तबतक मुझे तो उससे लगे रहनेकी अनुमति मिलनी ही चाहिए। हाँ, मुझे राष्ट्रकी तमाम प्रवृत्तियोंकी राह रोककर खड़े रहनेकी छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं सच्चे हृदयसे आश्वासन देता हूँ कि यह समिति सभी दलोंको एकताके सूत्रमें बाँधनेके लिए जो भी समुचित उपाय वाछनीय समझेगी, मैं उसके रास्तेमें हठपूर्वक कोई बाधा नहीं डालूँगा। मैं अपने-आपको जानबूझकर ऐसी स्थितिमें रख रहा हूँ जिससे स्वराज्यवादी, लिबरल और इंडिपेंडेंट लोग अपनी-अपनी बातोंसे मुझे प्रभावित कर सके। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक उनके दृष्टिकोणको जानने-समझनेका प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मेरा अपना कोई निर्जी उद्देश्य तो है नहीं। देशकी स्वतन्त्रताके लिए उन्हीकी तरह मैं भी उत्सुक हूँ। हाँ, वहाँतक पहुँचनेका मेरा रास्ता उनसे भिन्न है। लेकिन, अगर मुझसे वन पड़े तो मैं खुशी-खुशी उनका रास्ता अपना लूँगा। तो सभी दलें ऐसा रास्ता ढूँढ निकालनेके लिए ईमानदारी और लगनके साथ कोशिश करे। एक सयुक्त मंच खोज निकालनेके लिए वे समितिकी कार्यवाहीके प्रति विश्वास और सकल्पका रवैया अपनाये। उसकी चर्चाओंके प्रति अपना मन पूर्वग्रहोंसे मुक्त रखे।

एक भाईने पूछा है कि जबतक सर्वदलीय समितिकी जाँचके परिणाम सामने नहीं आते, तबतक कांग्रेसियोंको क्या सदस्यताकी शर्तमें परिवर्तनका विचार स्थगित न रखना चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है कि जो कार्यक्रम काफी सोच-विचारकर तय किया गया है, उसे यो ही स्थगित नहीं किया जा सकता। सिर्फ इस भयके कारण कि लिबरल और इंडिपेंडेंट खादी कार्यक्रमको शायद स्वीकार न करे, तीन महीनेके ठोस कामको बरबाद नहीं होने दिया जा सकता। लेकिन, अगर समिति इस नतीजेपर पहुँचे कि खादी कार्यक्रम अव्यावहारिक है और उससे सचमुच एकतामें बाधा पड़ती है तो एक विशेष अधिवेशन बुलाकर सदस्यताकी शर्तमें आसानीसे फेर-बदल किया जा सकता है। मेरे विचारसे तो देश-हितका तकाजा यही है कि हर दल अपने-अपने विश्वास और मान्यताके अनुसार काम करता रहे, लेकिन साथ ही बराबर ऐसा मानकर चले कि उससे गलती हो सकती है और ऐसा होनेपर वह पश्चात्ताप करने और सही रास्तेपर लौट आनेको भी सदैव तैयार रहे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-११-१९२४

## ३१२. अपरिवर्तनवादियोंकी दशा

अपरिवर्तनवादियोंकी हालत सचमुच दयाजनक है और यह खयाल मुझे खिन्न कर देता है कि यदि सोलह आना नहीं तो बहुत अगमे, मैं ही इसका कारण हूँ। इस परिस्थितिमें मुझे आश्वासन मिलता है तो केवल इसी विचारसे कि मैं तमाम अपरिवर्तनवादियोंमें सबसे ज्यादा मुदृढ अपरिवर्तनवादी हूँ। मैं समझता हूँ, इस विचारसे उन्हें भी आश्वासन मिलना चाहिए। पर अपरिवर्तनवादी किसे कहना चाहिए ? 'अपरिवर्तनवादी' कोई अच्छा शब्द नहीं। इसका कुछ भी मतलब नहीं होता। पर इसका प्रयोग उन लोगोके लिए होता आया है जो कलकत्तेमें १९२० में पास<sup>१</sup> हुए मूल असहयोग-प्रस्तावको मानते हैं। उसका कार्यकारी भाग है, अहिंसा। १९२० के पहले भी हम अपने दिलोमें असहयोग कर रहे थे क्योंकि हमारा दिल तो सरकारके खिलाफ ही था। हाँ, अपने ऊपरी आचरणके द्वारा हम जरूर उससे सहयोग करते हुए दिखाई देते थे। १९२० में यह हालत बदल गई। हमने मन, वचन और कर्ममें सहयोग स्थापित करनेकी कोशिश की। हमने देखा कि यह सहयोग केवल अहिंसाके द्वारा ही हो सकता है और हमने यह भी देखा कि जितना सम्भव हो उतनी अधिक मात्रामें यदि हम सरकारसे अपना सहयोग हटा लेते हैं तो उसे हमारे सामने घुटने टेक देने पडेगें। इसलिए अपरिवर्तनवादी वह है जो अपने शासकोका बुरा तो नहीं चाहता — पर उनकी प्रणालीको नष्ट करना चाहता है और इसलिए जिसने उस शासन-प्रणालीके कहे जानेवाले लाभोका अर्थात् विधान-परिपदो, अदालतो, शिक्षालयो, उपाधियो और लुभावने विदेशी कपडोका त्याग कर दिया है। यह उसका निपेधात्मक अंग था। उसका विधायक अंग या स्वतन्त्र शिक्षालयो-पचायतोकी स्थापना और हाथ-कती और हाथ-नुनी खादीका उत्पादन। इस नीतिके अन्तर्गत कांग्रेसने केन्द्रीय विधान सभाका स्थान ले लिया था और स्वयंसेवकोका ठोस काम करना ही उनकी ऊँचीसे-ऊँची उपाधि थी। परन्तु न तो पूर्वोक्त पाँच सरकारी सस्थाओको हम नष्ट ही कर सके और न नव-स्थापित सस्थाओका परिणामकारी फल ही दिखाई दिया। इससे हमारे कुछ लोगोका दिल टूट गया और उन्होंने देखा कि अब तो विधान-परिपदोका उपयोग ही राष्ट्रकी सेवा करनेका एक मार्ग रह गया है। अब अपरिवर्तनवादियोंको, यदि सच-मुच उनका विश्वास अहिंसामें था तो चाहिए या कि वे अपने साथियोंकी श्रद्धाहीनता पर विगड न उठते। उन्हें चाहिए था कि उन्हें भी प्रामाणिकता और देशभक्तिका उतना ही श्रेय देते जितनेका दावा वे अपने लिए करते थे। किन्तु उन्होंने तो जोर-शोरके साथ अपने उन साथियोंका जो कि अब स्वराज्यवादी कहे जाते हैं, विरोध किया। यदि वे सचमुच अहिंसा-परायण होते तो वे सहिष्णुताका आश्रय लेकर उनके मतभेदके प्रति अपना आदर प्रकट करके उन्हें उनके रास्ते जाने देते। पर उनकी

इस असहिष्णुतामें उनका दोष न था। वे तो यह जानते भी न थे कि वे असहिष्णु हो रहे हैं, पर वजाय इसके कि वे अपने पैरोपर खड़े रहते और अपने ही कार्यक्रम-पर अटल श्रद्धा रखते, उन्होंने स्वराज्यवादियोंसे बल प्राप्त करना चाहा, जिस तरह कि हम सब अपनी कमजोरियोंको दूर करनेकी इच्छा न रखकर या उसमें असमर्थ होकर, अपने शासकोसे बल प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी सहायता आप न कर सकनेकी यह मनोदशा अब भी कायम है और मेरे और स्वराज्यवादियोंके बीच हुए उस समझौतेसे उनके असन्तोषका यही कारण है। भले ही स्वराज्यवादी वैसे न हो जैसा होनेका वे दावा करते हैं या वैसे ही हो जैसे कि हममें से कुछ लोग मानते हैं, किन्तु क्या अपरिवर्तनवादियोंके मनमें सचमुच स्वराज्यवादियोंके प्रति प्रेम है? यदि उनके अन्दर वह प्रेमभाव है तो वे स्वराज्यवादियोंकी गतिविधिपर चिन्तित और दुखी न होंगे।

फिर अधिकांश अपरिवर्तनवादियोंके पास सिवा खादीके दूसरा कोई काम नहीं है, जिसमें उनका सारा समय लग सके। हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यताके विषयमें उनका मनोभाव शुद्ध होना चाहिए। पर इन बातोंके लिए सबको कोई अमली काम मिलना कठिन है। राष्ट्रीय शिक्षालयोंमें भी कुछ ही लोगोंके लिए काम मिल सकता है और सो भी उनमें उसके लिए विशेष प्रकारकी योग्यता होनी चाहिए। पर खादी एक ऐसी चीज है, यदि इसमें विश्वास हो तो सभी उपलब्ध स्त्री, पुरुष और युवकोंका सारा समय इसमें लग सकता है। यदि वे वास्तवमें अहिंसा-परायण हैं तो उन्होंने यह भी जान लिया होगा कि जबतक आरम्भिक रचनात्मक काम न हो जायेगा तबतक सविनय अवज्ञा असम्भव है। सविनय अवज्ञाका अर्थ है असीम कष्ट-सहनकी क्षमता—सो भी प्रतिपक्षीका सहार करनेकी उत्तेजनाके नशेके बिना। यह तबतक नहीं हो सकता जबतक कि हमारा वायुमण्डल कुछ हदतक शान्तिपूर्ण न हो और जबतक कि हमें इस बातका खासा यकीन न हो जाये कि हिन्दू-मुसलमान, ब्राह्मण-अब्राह्मण और उच्च हिन्दू और अछूत आपसमें लड़ न पड़ेंगे और जबतक हम हाथ-कताई और हाथ-बुनाईका रहस्य इस हदतक नहीं समझ लेते कि उसकी सहायताके बलपर हम सार्वजनिक सहायताके बिना कार्यक्रमोंके निर्वाहके विषयमें निश्चिन्त हो सकते हैं। ऐसे लोगोंकी सख्या चाहे अँगुलियोंपर गिननेलायक हो, चाहे बहुत। यदि हमारी सख्या अधिक होगी तो इससे हमें वायुमण्डलकी शान्तिका निश्चय हो जायेगा। यदि हमारी सख्या कम होगी तो फिर हमें अपने आसपास फैले दावानलको बुझाते हुए मर मिटना होगा। यदि ऐसे अपरिवर्तनवादी असहयोगी हैं भी तो उन्हें इस समझौतेपर झगडा करनेका कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह और कुछ नहीं ऐसे अटल और अदम्य अपरिवर्तनवादियोंको खोज निकालनेकी ही एक विधि है। जिनका प्रेम-भाव कडीसे-कडी कसौटीपर भी सी टच सावित हो और त्रिविध रचनात्मक कार्यक्रमके प्रति जिनकी श्रद्धा, आवश्यकता पड़नेपर, तमाम देशकी श्रद्धाहीनताके वाद भी टिकी रहे, उन्हें किसीकी भी सहानुभूतिकी जरूरत नहीं है, वल्कि जो-कुछ सहानुभूति और पुष्टि वे दे सकते हो उसकी जरूरत तो मुझे है और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। यह वे कर सकते हैं सर्वथा अहंकार-शून्य, मीन

और अटूट सेवाके द्वारा — ऐसी सेवाके द्वारा जिसे करते हुए वे कभी कोई शिकायत नहीं करेगे और न किसी पुरस्कारकी आगा करेगे। उनका पारितोषिक तो उनके कार्यका सिर्फ उनकी अन्तरात्माके द्वारा किया गया अनुमोदन ही होगा। पाठक इस बातका यकीन रखें कि ऐसे कार्यकर्ता भी देशमें हैं। उन्हें 'यग इंडिया' के पृष्ठोंके द्वारा प्रसिद्धि या परिचयकी आवश्यकता नहीं है।

[अग्रेजीसे]

यग इंडिया, २७-११-१९२४

### ३१३. टिप्पणियाँ

यदि मैं वाइसराय होता

दो अग्रेजोंने, जो बगालमें चलाई जा रही दमन-नीतिके पैरोकार थे, मुझसे पूछा कि "यदि आप लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड लिटनकी जगह होते तो क्या करते?" मैंने उनके प्रश्नका उत्तर तुरन्त दिया। परन्तु मैंने देखा कि उससे उन मित्रोंको सतोष न हुआ। उन्होंने समझा कि मेरे लिए इस तरह जवाब देना आसान है, क्योंकि मैं दरअसल तो उनकी जगहपर हूँ ही नहीं। फिर भी चूँकि अपने जवाबपर सब तरहसे विचार करनेके बाद भी वह मुझे ठीक मालूम हुआ है और चूँकि दूसरे कितने ही अग्रेज ऐसे हो सकते हैं जो उन सज्जनोंकी तरह बगालके दमनको ठीक मानते होंगे इसलिए मैं अपना उत्तर जरा विस्तारके साथ यहाँ देता हूँ

यदि मैं वाइसराय अथवा बगालके गवर्नरकी जगह होता तो पहला काम मैं यह करता कि समाजके विश्वासपात्र भारतीयोंको बुलाता और उनके सामने अपने तमाम कागज-पत्र रख देता और वे जो सलाह देते उसके मुताबिक चलता। मैं सुभाषचन्द्र बोसको भी बुलाता और उनपर अपना सन्देह प्रकट करता और वे जो स्पष्टीकरण देते उसे प्रकाशित करता। फिर जिन प्रतिष्ठित भारतवासियोंकी राय मैं लेता उन्हींसे पूछकर मैं देशवन्दु दासको बुलाता और उनके दलके जिन लोगोपर मुझे शक होता उनकी सारी जिम्मेदारी मैं उनके मिरपर डाल देता। इस तरह मैं खामोशीके साथ शान्तिकी रक्षाकी व्यवस्था कर देता अथवा अपना भ्रम दूर कर लेता। यह कमसे-कम है जो मैं करता और वह भी तब, जब मुझे अपनी विधान-सभापर विश्वास न होता या उसे बुलानेके लिए वक्त न होता। फिर इससे भी आगे चलकर मैं अपनी इस अत्यन्त दयनीय स्थितिका विचार करता और उसकी असत्यताको तुरन्त समझ जाता। इस प्रकार उस विषय प्रसंगका इलाज करके मैं मूल रोगकी खोज करता, जिसका यह प्रसंग एक लक्षणमात्र है। इसके लिए मैं देशके प्रतिनिधि भारतीयोंको बुलाता और इस बातको जाननेकी कोशिश करता कि ये नवयुवक जो कि सुयोग्य और जो दूसरी तरहसे शान्तिमय हैं, क्यों निर्दय होकर वे-गुनाह लोगोकी हत्या कर डालते हैं और बिना सोचे-समझे खुद अपनी भी जान खतरमें

डालते हैं? तब मुझे इस बातका पता चलता कि वे अपने स्वार्थ-साधनके लिए ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि अपने देशके लिए आजादी चाहते हैं। इसलिए मैं उस असली कारणका इलाज करनेमें उन प्रतिनिधियोंकी सलाहके मुताबिक चलता। हाँ, इस बातका जरूर खयाल रखता कि विदेशियोंके न्यायोचित हितोका घात न होने पावे। इतना कर चुकनेपर मैं इस विचारसे सन्तोष मानकर निश्चिन्त रहता कि ऐसे भावी विपम प्रसंगोका उपाय करनेकी जिम्मेदारी मेरी विधान-सभाकी भी उतनी ही होगी जितनी कि मेरी है।

मैं जानता हूँ कि मैंने इसमें कोई नई बात नहीं वताई, पर उसका गुण यही है कि वह पुरानी है। वर्तमान शासन-पद्धति भय-प्रदर्शनकी नीतिपर ही जीवित रह रही है और एकके बाद एक, सभी वाइसराय भारतीयोंके साथ परामर्श करनेकी इस स्पष्ट आवश्यकताकी ओरसे आँखें मूँदते रहे हैं। इस दुराग्रहसे पूर्वोक्त सलाहकी व्यर्थता नहीं साबित होती। उलटे, उस तन्त्रका ही निकम्मापन सिद्ध होता है जिसके अन्दर इस तरह लोकमतकी व्यवस्थित अवगणना हो सकती है। ऐसी हालतमें यदि वाइसरायको, न केवल जनतासे वह समर्थन नहीं मिलता, जिसकी वह आशा करते हैं बल्कि लगभग सारे देशकी आलोचना और निन्दाका शिकार होना पडता है तो इसमें क्या आश्चर्य है।

### एक गलतफहमी

सरकारी कर्जकी अदायगीके दायित्वके अस्वीकारके सम्बन्धमें गया कांग्रेस द्वारा पास किये गये प्रस्तावपर मेरी टिप्पणीसे, मैं देखता हूँ कि कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। यह टिप्पणी ऐसे समय प्रकाशित हुई जब हम लोग एकताकी बात सोच रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। सचाई यह है कि उक्त टिप्पणी एक सज्जनके पत्रके उत्तरमें तीन महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। लेकिन सप्ताह-दर-सप्ताह मेरे सहायक लोग ऐसी दूसरी चीजोंके प्रकाशनको प्राथमिकता देनेके लिए, जो उनकी नजरमें ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसे रोककर अलग रखते रहे और अन्तमें जब यह टिप्पणी छपी तो वे टिप्पणीके, जो निश्चित तौरपर बेकारके विवादको जन्म देनेवाली थी और दूसरे लेखोंके, जिनमें सहमतिके मामलोपर, जोर दिया गया था, बीचकी असगतिकी नजरमें नहीं रख सके। इसलिए जहाँ मैं इस समय इस टिप्पणीके प्रकाशनको अवसरकी दृष्टिसे अनुपयुक्त मानता हूँ, वहाँ मैं यह जरूर कहूँगा कि यह अब भी सरकारी कर्जके बारेमें मेरे मतको व्यक्त करती है। गया प्रस्तावका जो भी अर्थ हो, मेरी टिप्पणी स्पष्ट है। मैं नहीं चाहता कि वर्तमान सरकार द्वारा लिये गये सारे ऋणोंके दायित्वसे इनकार कर दिया जाये, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि जब सत्ताका अन्तिम हस्तान्तरण होगा, तब सरकारके ऐसे सभी ऋणोंकी पूरी जाँच-पडताल करना जरूरी होगा और वे ही ऋण मान्य होंगे जो इस पडतालमें खरे उतरेगे। उदाहरणके लिए, मान लीजिए कि सरकार देशके खनिज साधनोंके समुप-

योजनके लिए किसी विदेशी सिंडीकेटको दम करोड रुपया देती है [और इसलिए उसपर उतने पीडका कर्ज हो जाता है] तो यह स्वराज्य सरकारके लिए सिर्फ न्याय ही नहीं बल्कि कर्त्तव्य-रूप होगा कि वह उस कर्जको अदा करनेमें इनकार कर दे। दरअसल तो मैं थायद एक बातमें गया प्रस्तावमें एक कदम और आगे बढ़ जाता हूँ। मैं न केवल इस प्रस्तावके दिनमें सरकार द्वारा किये गये लेन-देनकी जाँच करनेकी माँग करूँगा, बल्कि जिनमें अनैतिकताकी गंध आती जान पड़ेगी, ऐसे हर लेन-देनकी जाँच करनेकी माँग करूँगा। क्योंकि यह सरकार दावा करती है और यह माना जाता है कि यह न्यायके माय, ईमानदारीमें और भारतके करोड़ों लोगोंके प्रति न्यासीके रूपमें व्यवहार करती है। अतः जहाँ न्यायीके कर्त्तव्यका भंग हुआ हो या व्यवहारमें कोई दूसरी अशुद्धता पाई जाये वहाँ चिर भोगाधिकारके आधारपर उस सरकारका दावा नहीं किया जा सकता जो कि ईमानदारीकी भावनासे किये गये लेन-देनको प्राप्त होता है।

[अग्नेजीसे]

यग इंडिया, २७-११-१९२४

### ३१४. राष्ट्रवादके सम्बन्धमें सचाई<sup>१</sup>,

भारतीयोकी नयी पीढीके लिए जिनके सामने महायुद्धके बाद विश्वकी बदली हुई स्थिति आ खड़ी हुई है, स्पष्ट ही यह बात अत्यन्त महत्त्व रखती है कि वे उस अनुभवके प्रकाशमें पश्चिमी राष्ट्रवादकी सचाई और पूर्वपर उसे लागू करनेके बारेमें नये सिरेसे विचार करें। . .

सचाई यह है कि मलाया और बर्माकी अपनी हालकी यात्राओंके दौरान मैंने सभी ओर भारतीयोके प्रति -- जैसी विदेशियोके प्रति होती है -- शत्रुताकी भावना जागती हुई देखी। मेरे लिए इसका अर्थ था कि यूरोपीय ढंगके राष्ट्रवादके पीछे केवल यूरोप ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया पागल हुई जा रही है। .

महात्मा गांधीके उपवाससे पहले ही इन चीजोंने मुझे उद्विग्न कर दिया था, लेकिन उपवासके दौरान मेरे मनमें यह खयाल भी आया कि जिस प्रकार यूरोपमें विरोधी घमोंके बीच चलनेवाले युद्धकी परिणति विरोधी राष्ट्रोंके बीच युद्धमें हुई थी, उसी प्रकार अगर हम पहलेसे ही सचेत नहीं हुए तो हिन्दू-मुसलमानोंके बीच जो तनाव है वह भी वैसा ही रूप ले सकता है।

शोककी बात है कि यूरोपमें श्रम और पूँजीके बीच जैसा मधर्ष चल रहा है, वैसा ही वर्ग-मधर्ष हमें मानना पडता है कि भारतमें है। 'अस्पृश्यता' से एक वर्ग और दूसरे वर्गके बीच अत्यन्त नकीर्ण और नृशत शत्रुभावना सूचित होती है।

१ सी० एफ० एडमंड्सके 'मन ऐससे जिनपर गांधीजीने अन्तमें अपनी टिप्पणी दी है, उक्त अर्थ ही उद्धृत किये गये हैं।

. . . क्या हम अपने विकासके सभी नये क्षेत्रोंमें भारतकी विश्वैक्यकी भावनाका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? या हम फिर पश्चिमकी कुछ अत्यन्त प्रति-गामी विशेषताओंकी नकल-भर कर रहे हैं? क्या हमारी स्वदेशीकी कल्पना दूसरोंके प्रति शत्रुभाव और द्वेषभावनासे धुंधली पड़ती जा रही है? . . .

सबसे बड़ी कसौटी अहिंसा है . . .

चूँकि मैं हमेशा यह महसूस करता रहा हूँ कि असहयोग-जैसे खतरनाक नामके वावजूद हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनके पीछे दुनियादी तौरपर अहिंसा या प्रेमकी भावना रही है, इसीलिए अच्छी-बुरी सभी परिस्थितियोंमें मैं आन्दोलनके साथ रहा हूँ और जब वातावरणमें हिंसाकी भावना दिखाई पड़ती थी, तब भी मैं आन्दोलनका समर्थन और बचाव करता रहा हूँ। . . .

जबतक भारतीय स्वदेशी आन्दोलन मुख्यतः खादी अथवा उन वस्तुओंतक सीमित रहता है जो भारतमें बन सकती हैं और बननी चाहिए तबतक उसमें अगुद्धता या जाति-द्वेष आनेका कोई भय नहीं है। यह बहिष्कारात्मक नहीं है बल्कि रक्षात्मक है। वह अंग्रेजों अथवा अन्य विदेशियोंके विरुद्ध नहीं है बल्कि भारतीयोंके हितकी दृष्टिसे आवश्यक है। जैसे माँ दुनियाके प्रति किसी तरहका विरोध भाव रखे बिना उससे अपने बच्चोंकी रक्षा करती है वैसे ही भारतको अपने प्राथमिक उद्योगोंकी रक्षा करनी चाहिए। उग्र राष्ट्रवाद, जो साम्राज्यवादके नामसे प्रसिद्ध है, एक अभिशाप है, किन्तु अहिंसात्मक राष्ट्रवाद समूह-जीवन अथवा सभ्य जीवनकी एक आवश्यक शर्त है।

[अंग्रेजीसे]

यग इंडिया, २७-११-१९२४

### ३१५. पत्र : छगनलाल गांधीको<sup>१</sup>

[२७ नवम्बर, १९२४ के पश्चात्]<sup>१</sup>

चि० छगनलाल,

इसकी पहुँच मथुरादासको भेज देना। दामोलकरका पैसा किस कामके लिए है? हमें भी इन दोनों रकमोंकी तथा हमारे पास अमानतके रूपमें पड़ी हुई ऐसी ही अन्य रकमोंकी, यदि उन्हें व्याजपर न चढाया हो तो अब चढा देना चाहिए।

वापू

गुजराती पत्र (एम० एन० ११७४३) की फोटो-नकलसे।

१ और २. यह पत्र मथुरादाम त्रिकमजीके २७-११-१९२४के पत्रके जवाबमें लिखा गया था। मथुरादास त्रिकमजीने अपने इस पत्रके साथ, गांधीजीके जेल जानेके बादसे अपने पास पड़ी हुई दो रकमोंके ब्याजका र० १५३-०-८ पा० का एक चेक भी भेजा था।

## ३१६. तार : जवाहरलाल नेहरूको<sup>१</sup>

सावरमती  
२८ नवम्बर, १९२४

नेहरू  
इलाहाबाद

घच्चेकी मृत्युसे दुःख हुआ। ईश्वरेच्छा वलीयसी।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

ए वच ऑफ ओल्ड लेटर्स

## ३१७. तार : डा० सत्यपालको<sup>२</sup>

[२९ नवम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्]

मोतीलालजी या मौलाना असमर्थ हो तो मैं अध्यक्षता करूंगा।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एम० एन० ११७४४) की फोटो-नकलसे।

१ श्री जवाहरलाल नेहरूका पुत्र जन्मके लगभग एक सप्ताह बाद ही मर गया था। यह तार उसी अवसरपर भेजा गया था।

२ यह डा० सत्यपालके तारके जवाबमें भेजा गया था, जो २९ नवम्बर, १९२४ को प्राप्त हुआ था। डा० सत्यपालने गांधीजीको सूचित किया था कि मोतीलालजी सम्मेलनकी अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे और अनुरोध किया था कि गांधीजी अध्यक्षता करना स्वीकार कर लें क्योंकि पंजावकी हालत कुशल मार्ग-दर्शनकी अपेक्षा रखती है और उनके स्वीकार न करनेपर सम्मेलन विफल हो जायेगा। साथ ही गांधीजीसे यह अनुरोध भी किया गया था कि पंजावकी समस्याओको हल करनेके लिए वे अन्य नेताओंको भी ले आवें।



## ३१८. तार : अबुल कलाम आजादको

[ २९ नवम्बर, १९२४ या उसके पश्चात् ]<sup>१</sup>

मौलाना अबुल कलाम आजाद  
रिपन स्ट्रीट  
कलकत्ता

मोतीलालजी कहते हैं वे नहीं आ सकतेगे। कृपया आप शामिल हो।  
पजावमे आपकी उपस्थिति विशेषरूपसे अपेक्षित।

गाधी

अग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७४४) की फोटो-नकलसे।

## ३१९. टिप्पणियाँ

वी-अम्माँ

वी-अम्माँकी मृत्युके सम्बन्धमे मैं 'यग इंडिया'मे लिख चुका हूँ।<sup>१</sup> उनका धर्मप्रेम अगाध था। धर्मपर उनकी आस्था अनुकरणीय थी। उनके देशप्रेमका मूल धर्मप्रेममे था, और उनकी हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकी इच्छाका कारण भी उनका धर्मप्रेम ही था। वादमे चलकर तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि धर्म, देग और साम्प्रदायिक एकता, तीनों उनके लिए एक ही चीज बन गये थे। उन्होंने देखा कि अगर भारत स्वतन्त्र नहीं होगा तो इस्लाम भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रता विभिन्न जातियोंके बीच एकतापर निर्भर करती है और यह जातीय एकता हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके बिना असम्भव है। ऐसा उन्होंने अपनी आँखोंसे देखा था। इसीलिए इस नेक वहनका मरते दम तक इन्ही-तीनों बातोंकी रट लगी हुई थी। उनके अन्तिम दिनोमे उनके दर्शन करनेका मुअवमर मुझे कई वार मिला। "हिन्दुस्तानमे कब एकदिली होगी?" "स्वराज्य कब मिलेगा?" "क्या तबतक मैं जीवित रहूँगी?" — वे मुझसे ऐसे ही सवाल पूछती थी।

आत्मा अमर है, लेकिन ऐसी शुद्ध आत्माको देखकर तो हम उसके अमरत्वकी स्पष्ट कल्पना कर सकते हैं। आज वी-अम्माँका शरीर नहीं रहा, लेकिन उनके कार्यों और वचनोंका नाग तो, जबतक हिन्दुओं और मुसलमानोंकी हस्ती है, तबतक नहीं हो सकता। जो माता अपने वारिसके रूपमे अली भाइयो-जैसे बेटे छोड गई

१. देखिए पिछले शीर्षककी पाद-टिप्पणी।

२. देखिए "टिप्पणियाँ", २०-११-१९२४, उपशीर्षक 'वी-अम्माँ'।

है, उसका नाश असम्भव है। मैं इन भाइयोंकी मातृ-भक्तिको जैसे-जैसे याद करता हूँ, वैसे-वैसे उनके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता जाता है। इन वृद्धा वहनकी बात दोनों भाइयोंके लिए परमादेशके समान थी। वे मानते हैं कि आज वे जो-कुछ हैं, वी-अम्माकी ही वदौलत है।

वी-अम्माकी मृत्युकी रात अविस्मरणीय है। उस दिन शोकत अली मेरी प्रार्थनामे उपस्थित थे। इसी बीच टेलीफोनपर खबर मिली कि वी-अम्माकी तबीयत ज्यादा खराब है। इसपर मौलाना साहब डा० अन्सारीको साथ लेकर तुरन्त चल पड़े। प्रार्थनाके बाद मुझे खबर मिली। मैं सरोजिनी देवीको साथ लेकर उनके यहाँ पहुँचा। सारा परिवार वी-अम्माको घेरकर बैठा हुआ था। सभी अल्लाहके नामका जाप कर रहे थे। मौलाना मुहम्मद अलीकी आँखोंसे आँसू टपक रहे थे, लेकिन उनके मुँहसे मैंने अल्लाहके सिवा दूसरा कोई शब्द नहीं सुना। मौलाना शोकत अली आँसुओंको रोके हुए थे, लेकिन उनकी मुख-मुद्रासे उनका दुःख झलकता था। फिर भी, उनका बुद्धिविवेक मन्द नहीं पड़ा था। आसपास क्या हो रहा है, इसका उन्हें पूरा ध्यान था। मैं दुर्बल हूँ, मुझे ज्यादा समयतक वहाँ नहीं बैठना चाहिए—ऐसा सोचकर उन्होंने जोर डालकर मुझे वहाँसे विदा किया। मेरे पास उनकी ऐसी सजगता तथा विनयके बहुत सारे उदाहरण हैं।

उस छोटी-सी कोठरीमें मैंने जैसा धैर्य तथा भगवद्भाव देखा, उससे मृत्युके समयके हमारे यहाँके रोने-पीटनेके रिवाजकी तुलना किये बिना मैं नहीं रह सका। मैंने बहुत-से हिन्दुओंका मरण देखा है। मैंने अकसर देखा है कि रोगीके शरीरमे अभी प्राण शेष ही रहता है कि उसके लिए राम-नामका जाप करनेके बजाय रोना-घोना शुरू हो जाता है। सभी धर्मोंमे मृत्युके बाद रोने-धोनेकी मनाही है। हिन्दू धर्म जन्म और मरणको एक ही स्थितिके दो रूप मानता है। फिर भी, मैंने 'रोने-घोनेकी जगली और नास्तिक प्रथा हिन्दुओंके अलावा और किसी धर्मके अनुयायियोंमे नहीं देखी। मैं पारसियोंकी मृत्युके समय उपस्थित रहा हूँ, यहूदियों और मुसलमानोंके मरते समय हाजिर रहा हूँ। लेकिन रोना-धोना तो मैंने कहीं नहीं देखा। वी-अम्माकी मृत्युके समय लोगोंको केवल ईश्वरपर ही आस्था रखते देखकर मुझे बड़ा सन्तोष मिला। मैं चाहता हूँ कि विवेकशील हिन्दू परिवार रोने-धोनेके घातक, जगली और निरर्थक रिवाजको अधर्म मानकर तुरन्त वन्द कर दे।

वी-अम्माके सम्पर्कमें मुझे और भी बहुत-सी बातें देखनेको मिली। उन्होंने मृत्युपर्यन्त खादीका ही उपयोग किया और सो भी महीन नहीं, बल्कि मोटी और सामान्य प्रकारकी। उनकी आज्ञा थी कि उनके कफनमे भी शुद्ध खादीका उपयोग किया जाये। मैंने उनकी इस आज्ञाका पालन होते भी देखा। अली भाइयोंके घर मैंने छोटे-बड़े, सबको खादीका ही उपयोग करते देखा।

इन दोनों भाइयोंने अथवा घरके अन्य लोगोंने अपना काम एक क्षणको भी वन्द नहीं किया। मौलाना मुहम्मद अलीका लिखनेका काम वन्द नहीं हुआ। 'हमदर्द' और 'कॉमरेड' के वारेमे वे आदेश-निर्देश देते ही रहे। मौलाना शोकत अलीने अपना

काम एक दिन भी नहीं रोका। उन्हें दूसरे ही दिन मुजफ्फरनगर जाना था। उन्होंने उस करारको मुकम्मिल निभाया। मुझे उसी दिन रामजस कालेज जाना था। जिस समय मुझे कालेज जाना था कब्रिस्तान जानेके लिए भी वही समय रखा गया था, इसलिए मेरा विचार उक्त कार्यक्रमको रद्द कर देनेका था। लेकिन उन्होंने यह भी नहीं करने दिया। मुझे यह कहकर विदा कर दिया कि कब्रिस्तान जाते समय कथा देनेके लिए आपको बुला लेंगे। इस सबसे कर्त्तव्य परायणता, विवेक और ईश्वरके प्रति आस्थाका परिचय मिलता है। मैंने तिलक महाराजके वारेमे भी ऐसा ही सुना है। उन्हें चाहे जितना दुःखद समाचार मिले, वे अपनी दिनचर्यामे कोई परिवर्तन नहीं करते थे। अग्रेजोंमें तो ऐसी कर्त्तव्य-परायणता मैंने बहुत देखी है। जिसमे ऐसा धीरज नहीं है, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं—ऐसा कहनेमे कोई अत्युक्ति नहीं है।

### पारसी रुस्तमजी

वी-अम्मांकी मृत्युसे, जैसा कि मौलाना शौकत अलीने कल्ल है, हिन्दुस्तानका एक सच्चा सिपाही कम हो गया है। पारसी रुस्तमजीकी मृत्युसे भी एक सच्चा सिपाही कम हो गया है। इतना ही नहीं, मेरा तो एक परम मित्र ही कम हो गया है। पारसी रुस्तमजी-जैसे आदमी मैंने थोड़े ही देखे हैं। शिक्षा उन्होंने नहींके बराबर प्राप्त की थी। वे थोड़ा ही अग्रेजी जानते थे। गुजरातीका ज्ञान भी मामूली था। बहुत पढ़नेका भी शौक न था। वे जवानीमे ही व्यापारमे पड गये थे। केवल अपने परिश्रमके बलपर एक मामूली गुमास्तेकी हालतसे एक बड़े व्यापारीके दर्जेपर जा पहुँचे थे। फिर भी उनकी व्यवहार-बुद्धि तीव्र थी, उनकी उदारता हातिमकी जैसी थी, उनमे सहिष्णुता तो इतनी अधिक थी कि खुद कट्टर पारसी होते हुए भी हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदिके प्रति वे एक-सा प्रेम रखते थे। किसी भी चन्दा चाहनेवाले या हाथ फँलानेवालेको उनके पाससे खाली हाथ जाते हुए मैंने देखा ही नहीं। अपने मित्रोंके प्रति उनकी वफादारी इतनी सूक्ष्म थी कि कितने ही लोग उन्हीको अपना मुक्तियारनामा दे जाते थे। मैंने देखा है कि बड़े-बड़े मुसलमान व्यापारी अपने नाते-रिश्तेदारोंको छोडकर पारसी रुस्तमजीको अपना प्रतिनिधि बनाते थे। कोई भी गरीब पारसी रुस्तमजीकी दुकानसे खाली हाथ नहीं लौटता था। पारसी रुस्तमजी अपनोके प्रति जितने उदार थे, खुद अपने प्रति उतने ही कजूस थे। मीज-शौकका तो नाम भी नहीं जानते थे। अपने लिए या स्वजनोके लिए विचारपूर्वक खर्च करते थे। उन्होंने घरमें अन्ततक बहुत सादगी कायम रखी। गोखले, एन्ड्रूचूज, सरोजिनी देवी आदि रुस्तमजीकी दुकानपर ही ठहरते थे। छोटीसे-छोटी बात भी पारसी रुस्तमजीके ध्यानसे बाहर नहीं रहती थी। गोखलेके असह्य अभिनन्दन-पत्र इत्यादिके बड़े-बड़े पैतालीस अदद पैक कराने, उनकी फेहरिस्त बनाने, उन्हें जहाजपर चढाने आदिका सारा भार पारसी रुस्तमजीपर न होता तो किसपर होता ?

अपनी प्रिय धर्मपत्नीकी मृत्युपर उनके नामसे जेरवाई ट्रस्ट कायम करके अपनी सम्पत्तिका बड़ा भाग उन्होंने धर्म-कार्यके निमित्त दे दिया था। अपनी सन्तानको उन्होंने कभी भी अनुचित लाड-प्यार और ऐगो-आराम नहीं दिया, बल्कि उन्हें सादगीसे रहना

सिखाया और उनके लिए इतनी ही सम्पत्ति रख छोड़ी है, जिससे वे भूखो न मरे। अपने वसीयतनामामें उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारोंको याद किया है।

जैसा ऊपर बताया गया है, वैसी ही तत्परता और दृढताके साथ उन्होंने सार्वजनिक हलचलोंमें भी योग दिया था। सत्याग्रहके समय अपना सर्वस्व होम कर देनेके लिए तैयार हो जानेवाले नेटालके व्यापारियोंमें पारसी रुस्तमजी सबसे आगे थे। अगीकृत कार्यको बड़ेसे-बड़ा सकट उपस्थित हो जानेपर भी न छोड़नेकी उनकी प्रकृति थी। जितना सोचा था, उससे अधिक दिनोत्तक जेलमें रहना पड़ा तो भी वे हिम्मत न हारे। लड़ाई आठ सालतक चली, कितने ही मजबूत सिपाही हिम्मत हारकर बैठ गये, पर पारसी रुस्तमजी अडिग रहे। अपने पुत्र सोरावजीको भी उन्होंने लड़ाईमें होम दिया।

इस सज्जन हिन्दुस्तानीसे मेरा परिचय १८९३ में हुआ। पर ज्यो-ज्यो मैं सार्वजनिक कामोंमें पड़ता गया त्यों-त्यों पारसी रुस्तमजीमें मौजूद अमूल्य गुणोंकी कद्र करना मैं सीखता गया। वे मेरे मुवक्किल थे। सार्वजनिक कामोंमें वे मेरे साथी थे और अन्तमें वे मेरे मित्र बन गये। वे अपने दोषोंका वर्णन भी मेरे सामने बालककी तरह आकर कर देनेमें नहीं हिचकिचाते थे। मुझपर उनका ऐसा विश्वास था कि मैं चकित हो जाता था। १८९७ में जब गोरोंने मुझपर हमला किया, तब मेरे और मेरे बाल-बच्चेका आश्रय-स्थान रुस्तमजीका मकान था। गोरोंने उनके मकान, मालमता आदिमें आग लगा देनेकी धमकी दी। पर उससे रुस्तमजी तनिक भी विचलित नहीं हुए। दक्षिण आफ्रिकामें जो नाता उन्होंने जोड़ा, उसे मृत्यु-पर्यन्त कायम रखा। यहाँ भी वे सार्वजनिक कामोंके लिए पैसा भेजते रहते थे। दिसम्बरमें कांग्रेस अधिवेशनके समय उनके यहाँ आनेकी सम्भावना थी। पर ईश्वरको कुछ और ही मजूर था। सेठ रुस्तमजीकी मृत्युसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी बहुत बड़ी क्षति हुई है। सोरावजी अडाजानिया चले गये, फिर अहमद मुहम्मद काछलिया गये, अभी कुछ ही दिन पहले पी० के० नायडू गये और अब पारसी रुस्तमजी भी चले गये। अब दक्षिण आफ्रिकामें इन सेवकोंकी कोटिके भारतीय शायद ही रहे हों। ईश्वर निराधारोंका रखवाला है। वह दक्षिण आफ्रिकाके भारतवासियोंकी रक्षा करेगा, परन्तु पारसी रुस्तमजीकी जगह तब हमेशा खाली ही रहेगी।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ३०-११-१९२४

## ३२०. विरोधी मित्र

जितना हम अनुकूल मित्रोंसे सीखते हैं, बहुधा उससे अधिक विरोधी मित्रोंसे सीखते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि हममें अपनी आलोचना सुनने और समझनेकी सहिष्णुता और धीरज होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये दोनों बातें मुझमें हैं। इसीसे मैं अपने कुछ आलोचकोंसे बहुत-सी बातें सीख पाया हूँ। ऐसे एक आलोचकका पत्र नीचे दे रहा हूँ।<sup>१</sup>

मैं मानता हूँ कि यह पत्र निर्मल भावसे लिखा गया है। लेखकको गुस्सा तो अवश्य आ गया है, पर उन्होंने वही लिखा है, जो वे मानते हैं। उन्होंने काकतालीय-न्यायसे काम लिया है। उन्होंने मुझको तार किया था। उसका जवाब उन्हें न मिला। वस, इसीसे उन्हें मेरी सारी करनी निन्द्य मालूम होती है। मैं तो यह मानता आया हूँ कि पत्रोंके जवाब मैं बहुत नियमपूर्वक देता हूँ और अपने आसपास मैंने जिन साथियोंको इकट्ठा किया है, वे दुष्ट नहीं बल्कि सत्यका अनुसरण करनेका प्रयत्न करनेवाले हैं। परन्तु कोई मनुष्य नियमका कितना ही पाबन्द क्यों न हो, वह अपने तमाम पत्रों और तारोंका जवाब नहीं दे सकता। उपवासके समय मिले तमाम पत्रों और तारोंको देखना मेरे लिए अशक्य था। इसी तरह मेरे साथियोंके लिए भी ऐसे प्रत्येक पत्र और तारका जवाब देना अशक्य था। समझमें आने लायक ऐसी सीधी-सी बात भी उक्त पत्र-लेखक न समझ सके, यह दुःखकी बात है।

असहयोग चल रहा है और डधर भारतमें व्यापार भी मन्द है, इसलिए उसकी मन्दकीका कारण है, असहयोग। और असहयोगका प्रवर्तक मैं हूँ, इसलिए उसकी जिम्मेवारी मेरे सिर है। यह है पत्र-लेखककी दलील। मैं इससे उलटी दलील पेश करना चाहता हूँ। लोगोंने असहयोगको पूरा-पूरा नहीं अपनाया, उन्होंने चरखा-धर्मका पूरा पालन नहीं किया, इसीसे दुनिया-भरमें आज व्यापारमें जो मदी चल रही है, उसे भारतको भी भोगना पड रहा है। लोग असहयोगका मर्म न समझ पाये, क्योंकि पत्र-लेखककी तरह अधीर और उतावले लोग इस देगमें बहुत हैं। इसीसे भारतको दुःख सहन करना पड रहा है। यदि वे धीरज रखकर असहयोगका मर्म समझें और उसका पालन करें तो हिन्दुस्तान आज ही मुक्त हो जाये।

फिर, इस सज्जनने बेचारी खादीपर भी प्रहार किया है। उसका जवाब तो बहुत बार दिया जा चुका है। फिर भी, लेखक तथा उनके-जैसे दूसरे अश्रद्धालु लोगोंके लिए पुन लिखता हूँ। अकेली खादी ही मैली नहीं होती, हर तरहका सफेद कपडा मैला होता है। हाँ, खादीके मोटी होनेसे उमें धोनेमें जरा तकलीफ होती है। पर अगर हम पश्चिमी दुनियाकी ऐगो-आरामकी जिन्दगीके असरमें आकर नाजुक न हो

१. श्व पत्रका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें उठाय गये मुख्य मुद्दोंकी चर्चा गांधीजीने जवाब देते हुए ही कर दी है।

गय होते तो खादीको धोनेमे हम कष्ट नहीं, उलटा आनन्द मानते। फिर, खादी पहननेवाला कपडे कम पहनता है, इसलिए कुल मिलाकर बुलाई आदिमे कष्ट भी कम ही होता है। इससे आगे वढूँ तो मैं यह भी कहूँगा कि जिन्हे मोटी खादी कष्टकर मालूम होती है वे महीन सूत कातकर कपडा बुनवा ले। इससे खादी मलमल-जैसी बारीक हो जायेगी और उसका खर्च मलमलसे कम पडेगा, क्योंकि कातनेतक की क्रियाका तो कुछ भी खर्च न पडेगा। जवसे स्वेच्छया कताईकी हलचल शुरू हुई है, तवसे जो महीन खादी पहनना चाहता हो, उसे महीन खादी मिल सकनेकी सुविधा भी हो गई है। जो अपने आलस्यवश महीन सूत न कातेगे, उन्हें खादीपर मोटेपनका दोष लगानेका अधिकार नहीं हो सकता। यदि स्वेच्छया कताईकी प्रवृत्ति कायम रही और खूब फैल गई तो बाजारमे भी जितनी चाहिए उतनी महीन खादी मिल सकेगी।

चरखेकी हलचलका उद्देश्य है आमदनी बढाना। वह अन्नपूर्णा है। पत्र-लेखक भाई वकील है। उन्हें गरीबोकी दशाकी कल्पना नहीं हो सकती। यदि वे गरीब गाँवोमे घूमे तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि एक पैसा भी कगालके लिए स्वागत-योग्य होता है। करोडो मजदूरोको दिनमे एक आना भी नहीं मिलता। उनके लिए तो चरखा कामधेनु हो जाता है। इसके एक साक्षी तो आचार्य राय है।

पत्र-लेखक द्वारा [सविनय-]अवज्ञाके सम्बन्धमे किया गया कटाक्ष भी विचार करने योग्य है। उसमे बहुत सत्याश है। जिस प्रकार लोगोने असहयोगके प्रथम पद 'शान्तिमय'को नहीं समझा, उसी प्रकार अवज्ञाके प्रथम पद 'सविनय'को भी नहीं समझा। और इसमे कोई सन्देह नहीं कि इसीसे बुरे परिणाम सामने आये हैं। बहुत-से लोगोने मान लिया है कि चाहे जिस कानूनकी, चाहे जिस-किसीको अवज्ञा करनेका अधिकार है। यह सविनय अवज्ञा नहीं, बल्कि उद्धततापूर्ण, अविनयपूर्ण और विनाशकारी अवज्ञा है। यह तो कुछ अशोमे सशस्त्र विद्रोहसे भी ज्यादा हानिकर है। लेकिन इसमे सविनय अवज्ञाकी खामी नहीं मानी जायेगी, यह तो अवज्ञा करनेवालोकी नासमझीका दोष है। नये आन्दोलनमे ऐसी नासमझी हुआ ही करती है। अपूर्ण मनुष्योके बीच जव अपूर्ण मनुष्य काम करता है तव ऐसी अपूर्णताएँ होती ही हैं। परन्तु यदि सुधारक और समाज ये दोनो पक्ष निर्मल भावसे और अज्ञानवश भूल करे तो यह ईश्वरीय नियम है कि वह भूल अपने-आप सुधर जाती है। जहाँ-जहाँ मुझे दोष दिखाई देता है, वहाँ-वहाँ मैं प्रायश्चित्त करता हूँ। लोग भी सच्चे दिलसे अपनी भूल सुधारते हैं। लेकिन उनके बीच एक दल ऐसा है, जो जान-बूझकर बीचमे पडता है और लडाईको नुकसान पहुँचाता है। इसका इलाज यही है कि इन नये दिखाई देनेवाले सिद्धान्तोका अधिक प्रचार किया जाये, इनको अधिक समझा जाये। फिर भी, हम सबको सावधान करनेके लिए लेखकके उद्गारोका मैं स्वागत करता हूँ।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ३०-११-१९२४

## ३२१. अब क्या करे ?

खादी एक-एक कदम आगे बढ़ती जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने मताधिकारमे खादीको शामिल करनेके सुझावको स्वीकार कर लिया है। हमे आशा रखनी चाहिए कि कांग्रेस भी उसे स्वीकार कर लेगी। परन्तु कांग्रेस चाहे स्वीकार करे या न करे, जिन लोगोको कातनेकी शक्तिपर विश्वास है, वे तो सूत कातकर ही अपनी सदस्यताको सुगोभित करेगे। स्वराज्यवादियोने शुभ हेतुसे ही कताई और खादीके लिबासको मताधिकारमे स्थान दिया है। परन्तु उन्हे उत्साह मिले, उनका विश्वास दृढ हो, इसके लिए अपरिवर्तनवादियोको आगे बढ़कर औरोको भी आगे बढ़ाना चाहिए। अभी तो गुजरातमे कोई २००० स्वेच्छापूर्वक कातनेवाले हैं। कर्तव्योकी इस सस्थाको भी कायम रखनेमे हमे मेहनत पड रही है, हमारी योजना-शक्तिकी आजमाइश हो रही है, हमारी कुशलताकी कसौटी हो रही है। इसलिए उसको बहुत आगे बढ़ानेमे भी तो हमारी तमाम शक्तियोकी परीक्षा होगी। जब बहुत सारे कार्यकर्ता इसकी सतत तैयारी करते रहेगे, तभी हमे सफलता मिलेगी। हजारो लोग अपनी मेहनत तो दे सकेगे, लेकिन रुई न देगे, न उन्हे मिल ही सकेगी। वे सब अपने लिए पूनियाँ भी तैयार न करेगे। इसलिए हर गाँव और हर तालुकेमे अच्छे धुननेवाले होने चाहिए। हर गाँवमे, हर तालुकेमे, अच्छे चरखे और धुनाईके कमठे बनानेवाले होने चाहिए। समितियो या उपसमितियोको कपासका सग्रह रखना चाहिए। जो प्रान्त यह सब काम अच्छी तरह कर सकेगा, उसीके वारेमे माना जा सकेगा कि उममे व्यावहारिक शक्ति, तत्रको चलानेकी शक्ति आ गई है। यदि हम इतना भी न कर सके तो फिर स्वराज्य-तन्त्रका संचालन करनेकी शक्ति कहाँसे लायेगे? स्वराज्य मिलनेपर ये शक्तियाँ अपने-आप नही आ जायेगी, बल्कि हम देखेगे कि उन शक्तियोको प्राप्त करनेमे ही स्वराज्य छिपा हुआ है। हमारे कताईके पेशेको नष्ट करके ईस्ट इंडिया कम्पनीने हमपर अपना कब्जा जमाया। अब उसी चीजके जीर्णोद्धारमे हमारा उद्धार है।

आजतक सूत उन्ही लोगोंने काता है जो चरखे, पूनियाँ आदि प्राप्त कर सके हैं। अब यदि हम बहुत सारे लोगोसे आधे घंटेकी मेहनतकी आशा रखते हो तो समितियोको ये सब मुविधाएँ जुटानी पडेगी। यदि हमारे अन्दर सच्ची जागृति हो तो हजारो लोगोको इन अल्प परिश्रमसे सम्पादित होनेवाले महायज्ञमे हाथ बँटाना चाहिए और यदि यह बात सच हो कि चरखेके बिना स्वराज्य नही, तो फिर उसमे हजारो लोगोंका शामिल होना कोई आश्चर्यकी बात न होनी चाहिए। मेरी दृष्टिसे तो चरखा ही स्वराज्य प्राप्त करनेका सबसे मुगम उपाय है। वह दूसरी तमाम प्रवृत्तियोको तेज प्रदान कर सकेगा और बिना उसके दूसरी तमाम प्रवृत्तियाँ निरर्थक साबित होंगी।

लोगोमें सचमुच शक्ति है या नहीं, लोग सचमुच स्वराज्य चाहते हैं या नहीं, इसका अन्दाजा लगानेका हमारे पास दूसरा कोई शान्तिमय उपाय है ही नहीं। बड़े-बड़े सम्मेलनोमें लाखों आदमियोंके जमा होनेसे स्वराज्य-शक्ति सिद्ध नहीं होती। हजारों लोगोके चन्दा देनेसे भी वह शक्ति नहीं आती। जहाँ पैसोंका उपयोग करने-वाले न हों, वहाँ पैसोंकी क्या कीमत? बहुतेको हिन्दी या अंग्रेजी पढ़नेसे भी स्वराज्य नहीं मिल सकता। परन्तु चरखा चलानेमें यह शक्ति किस तरह निहित है, यह बात मैं कई बार अनेक प्रकारसे बता चुका हूँ।

यदि चरखा सफल न हुआ तो मेरा निश्चित मत है कि तब भारतके लिए आजादी हासिल करनेका एकमात्र उपाय खूँरेजी ही रह जाता है। केवल विधानसभाओंके द्वारा कभी भी सच्ची स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। यह बात तो हरएक भारतवासीको सूत्र-रूपमें समझ रखनी और रट रखनी चाहिए। फिर तो सिर्फ शक्तिका ही रास्ता रह जाता है। एक तो है शान्तिमय शक्तिका रास्ता। उसमें हमें खुद कष्ट-सहन करना होगा, हमें कुछ रचनात्मक काम करना होगा।

दूसरा है हिंसक शक्तिका रास्ता। उसमें हमें प्रतिपक्षीको दण्ड देना होगा। इस रास्तेको अभी तो सब लोगोंने त्याज्य माना है। हिंसक रास्तेपर चलकर फिल-हाल तो भारत कुछ भी नहीं कर सकता। यह इतनी सीधी-सी बात है कि एक बच्चा भी समझ सकता है।

इसलिए जहाँतक मेरी दृष्टि जाती है, वहाँतक यदि मुझे चरखा ही चरखा दिखाई दे तो पाठक मुझे माफ करोगे और जो बात मुझे दिखाई देती है यदि वही उन्हें भी दिखाई दे तो मैं उन्हें इस भव्य यज्ञमें अपना पूरा योग-दान करनेके लिए निमन्त्रण देता हूँ।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ३०-११-१९२४

## ३२२. विविध विषय

### खादी भण्डार

बम्बईमें गुजरात प्रान्तीय समितिका खादी भण्डार कालवादेवीकी सड़कपर है। समितिकी सुविधाके विचारसे इस भण्डारको श्री जमनालालजीने अपने हाथमें ले लिया है। पहले श्री जमनालालजीका विचार इस भण्डारको अधिक समयतक चलानेका न था। लेकिन भण्डार एकाएक बन्द कर देनेसे ज्यादा नुकसान होनेका भय था और जहाँ यह भण्डार है वहाँ फिलहाल ऐसे भण्डारकी जरूरत महसूस होती है, इस कारण यह अभी चालू रखा गया है। इस भण्डारको चलानेमें लाभ कमानेकी दृष्टि नहीं है। इसलिए मैं इस मुहल्लेमें रहनेवाले ऐसे लोगोको जिन्हें खादी-प्रवृत्तिमें श्रद्धा है, सलाह देता हूँ कि वे खादी भण्डारमें जायें और यदि उन्हें उसका माल और मालके दाम अनुकूल जान पड़े तो उसे प्रोत्साहन दें।



## स्वर्गीय दलवहादुर गिरि

स्वर्गीय दलवहादुरजी गिरिके नामपर दानमे दो रकमे प्राप्त हुई है। वहन जरवानु प्यारेलालने अपनी ओरसे १०० रुपये भेजे है और कलकत्ताके एक सज्जनने भिन्न-भिन्न सज्जनोसे चन्दा करके ८० रुपये भेजे है। यह सम्भव है कि स्वर्गीय दलवहादुर गिरिके परिवारके लोग आश्रममे आ जाये। यदि ऐसा हुआ तो इस रुपयेका उपयोग उनके पोषणके लिए किया जायेगा। अगर वे आश्रममे नही आये तो वे जहाँ भी रहेगे, यह रकम वहाँ भेज दी जायेगी। उन्हे थोड़ी-सी मदद तो बगाल प्रान्तीय समितिकी ओरसे भी दी गई है। इस परिवारकी जैसी भी हालत होगी मैं पाठकोको उससे अवगत करता रहूँगा। इस बीच किसीको मुझे अधिक धन भेजनेकी जरूरत नही है। अगर जरूरत होगी तो मैं पाठकोको सूचना दूँगा।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ३०-११-१९२४

## ३२३. भाषण : गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठ, अहमदाबादमे

३० नवम्बर, १९२४

गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठके छात्रोके सामने भाषण करते हुए श्री गांधीने कहा कि कांग्रेस द्वारा असहयोगको स्थगित करनेके प्रस्तावका मतलब राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओको बन्द करना या उन्हे सरकारी विश्वविद्यालयोसे सम्बद्ध करना नही है। इन सस्थाओका अस्तित्व तो अब वास्तविक तथ्य बन चुका है और अब यह प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोके ऊपर है कि वे उन्हे बरकरार रखे। मैं तो कांग्रेस द्वारा इस आशयका एक प्रस्ताव पास किये जानेका सुझाव दूँगा कि इन सस्थाओको बनाये रखा जाये। यही नही, मैं तो यह सुझाव भी दूँगा कि जहाँ जनता इच्छा प्रकट करे, वहाँ ऐसी नई सस्थाएँ स्थापित भी की जायें। अगर कही ऐसे छात्र हो जो एक राष्ट्रीय आवश्यकताके रूपमें असहयोगमें विश्वास नही रखते थे, लेकिन जिन्होंने कांग्रेसके प्रस्तावके प्रति निष्ठाभावके कारण ही सरकारी शिक्षा सस्थाओको छोड़ दिया था तो वे किसी कलकका भय रखे बिना सरकारी सस्थाओमें फिरसे जानेको स्वतन्त्र हैं। अनहयोग आन्दोलनके प्रस्तावित स्थगनसे देशको पक्के असहयोगियोकी शक्ति जाननेका अवसर मिलेगा। एक राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमें असहयोग स्थगित हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नही कि व्यक्ति और यहाँतक कि प्रान्त भी असहयोगको स्थगित कर दें। शर्त इतनी ही है कि यदि वे उसे जारी रखना चाहते हो तो उन्हे विद्वेष या आन्तरिक कलह उत्पन्न किये बिना ही चलाना चाहिए। प्रत्येक मानव जीवनकी ही तरह इस आन्दोलनमें भी उतार-चढ़ावके दौर आ सकते हैं, लेकिन

यह स्थायी है और जवतक सरकारकी मौजूदा प्रणाली रहेगी तवतक वह अमुक व्यक्तियोंमें या व्यक्ति-समूहोंमें किसी-न-किसी रूपमें जारी रहेगा।

एक प्रश्नका उत्तर देते हुए श्री गाधीने कहा कि जिस हदतक राष्ट्रीय स्कूल हिन्दू-मुस्लिम एकताके वाछित स्वरूपके, तथाकथित अछूतों और सवर्ण हिन्दुओंके बीच नहीं सम्बन्धोंके या चरखेका क्या अर्थ है, इसके जीते-जानते विज्ञापन है, उस हदतक वे राष्ट्रीय राजनीतिके अंग हैं। भविष्यका इतिहासकार असहयोगी शिक्षा सस्थाओंकी प्रगतिका माप इन सस्थाओंमें इन्होंने तीन बातोंकी प्रगतिसे करेगा। इन तीन बातोंको स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी दोनों नमान रूपसे अपना ध्येय मानते हैं। जो फर्क है वह महज इनपर जोरके बारेमें है। आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि स्वराज्यवादियोंने खदर-कार्यक्रममें कोई विश्वास न होते हुए भी उसे स्वीकार किया है। जवतक कोई सबूत न हो तवतक यह विश्वास करना अन्याय होगा कि किसी दलने कोई बात यो ही सिर्फ कहनेके लिए कह दी है। खदरको टाल देनेका कोई सवाल ही नहीं है। मुझे यह कहनेमें कोई हिचक नहीं है कि जिन छात्रोंको खदर कार्यक्रममें विश्वास नहीं है, वे राष्ट्रीय पाठशालाओं और विद्यालयोंमें रहकर अपना समय बरबाद कर रहे हैं।

[अग्नेजीने]

न्यू इडिया, १-१२-१९२४

### ३२४. पत्र : मगनलाल गाधीको

गुरुवार [१ दिसम्बर, १९२४ के पूर्व]<sup>१</sup>

चि० मगनलाल,

उत्त राज [मिन्त्री]का मामला तुमने गमज किया होगा।

१ अगर वह पच-फैमलेके लिए तैयार हो तो मावलकरसे मलाह-मशविरा करना और वकीलसे वैसी व्यवस्था करनेके लिए अनुरोध करना।

२ अगर इसके लिए तैयार न हो तो कानूनकी रीतिके अनुसार जो जवाब देना उचित हो मावलकरसे पूछकर देना।

३ अगर अवाग्तमें हाजिर होनेकी जरूरत पडे तो हाजिर हो जाना और वादीसे आवश्यक सवाल-जवाब करना। जवाब वीरजके साथ देना। मुद्देमें बाहर मत जाना।

४ मामला हमारे पक्षमें ही तय होगा, ऐसी सम्भावना है। अगर ऐसा न हो तो अपील करना।

५ फैमला अगर हमारे पक्षमें हुआ तो हमे खर्च भी मिलेगा। वह तो हम ले नहीं सकेगे, क्योंकि अगर फैमला हमारे पक्षमें हुआ तो खर्चकी रकम वसूल

१ श्री मगनलाल गाधीने इसके प्राप्त होनेकी त्तिय १ दिसम्बर, १९२४ लिखी है।

करनेके लिए हमें अदालतमे जाना पडेगा, सो हम कैसे कर सकते हैं? इस मामलेसे हमे एक नसीहत मिलती है कि कारीगरोसे हमे जो काम लेना हो, उसे लिखित रूपमे तय करके लिया जाये। ठेकेकी गतें पूरी तीरपर लिखी होनी चाहिए। वकीलका नाम मुझे सूचित करना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनञ्च ]

आनन्दानन्द अब बहुत उकताया हुआ है, थक भी गया है। उससे बात करना। अगर छगनलाल वहाँका कामकाज देख सके और आनन्दानन्दको विश्रामका अवसर दिया जा सके तो छगनलाल वहाँका काम सम्हाल ले। छगनलालकी गैर-हाजरीमे उसका काम कौन करता है? आनन्दानन्दको थोड़ा-आराम देना जरूरी है। उसे दूसरा काम दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि आनन्दानन्दमे काम करनेकी बहुत शक्ति है। 'नवजीवन'के सम्बन्धमे रुपये-पैसेकी तथा अन्य चिन्ताओसे उसने मुझे पूरी तरह मुक्त रखा है और उसका स्तर भी खूब ऊपर उठाया है। तुमने उसे देखने-परखनेकी कोशिश की है या नहीं सो मुझे नहीं मालूम। जो भी हो, इस विषयमे विचार करते समय महादेव, नरहरि वगैरहसे भी राय लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०९८) से।  
सौजन्य राधावहन चौधरी

### ३२५. पत्र : मगनलाल गांधीको

[ १ दिसम्बर, १९२४ ]

चि० मगनलाल,

खीमजीके मुकदमेमे हमे हारना हरगिज नहीं है। इसके लिए वे उपाय अवश्य किये जाये जो तुम्हें योग्य जान पडे। झूठी सौगन्ध खानेकी बातको लेकर मुकदमा चलानेकी जरूरत नहीं। लेकिन यदि तुम्हारी अनुपस्थितिके सम्बन्धमे हलफनामा मांगा जाये तो उसे दाखिल कर देना। इसके सम्बन्धमे वल्लभभाई तुम्हें विस्तृत रूपसे सलाह देगे।

धुनकीके विषयमे जो उचित जान पडे सो करना। मैं यह जरूर चाहता हूँ कि जो आश्रमवासी धुनना अच्छी तरह जानते हों, उन्हें कुछ और समय देकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि एक धुनकी भाग दिन चत्रा करे। वे यह काम अम्यासकी खातिर करे और दूसरे, यह जतलानेके लिए भी कि यही हमारा धन्या है। तीमरे अपनी शक्तिके अनुसार प्रनियाँ जुटानेके लिए। ये तीनों बातें इस समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

१. मगनलाल गांधी द्वारा दी गयी तारीख।

छोटेलालसे जो-कुछ कहना चाहिए था, वह उससे मैंने कल रातको कह दिया है। छगनलालको तो कहा ही है। लेकिन मुझे ऐसी शक्ति नहीं है कि जो बात मैं एक बार कह दूँ उसका प्रभाव लोगोपर हमेशा बना रहे। मुझे लोगोंके समीप निरन्तर बने रहनेकी जरूरत रहा करती है। मैं आश्रममें लम्बे समयतक रहकर आश्रमके कामकी देखभाल करना चाहता तो हूँ लेकिन ईश्वर मेरी यह इच्छा पूरी कब होने देता है? उसपर किसका बस है?

वापू

[पुनश्च ]

इसके साथ शम्भुगकरको उत्तर है।

गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०४४) से।

सौजन्य राधावहन चौधरी

### ३२६. पत्र : रमावाई पट्टणीको

सावरमती

मार्गशीर्ष सुदी ५ [ १ दिसम्बर, १९२४ ]

प्रिय बहन,

आपका स्नेहपूर्ण पत्र मिला। ८-९ जनवरीको परिपद्मे<sup>३</sup> शरीक होना है। उसके बाद आप मुझे कुछ दिनोंके लिए किसी शान्त स्थलमें ले जा सकती हैं। मुझे ज्यादासे-ज्यादा १४ तारीखको यहाँ पहुँच जाना है। मेरे वहाँ पहुँचनेके बाद सब प्रबन्ध हो ही जायेगा। खादी-प्रचारमें आप-जैसी बहनोकी मददकी आशासे ही मुझे काठियावाड़में आने और परिपद्का अध्यक्ष-पद ग्रहण करनेका लोभ हो आया। यदि मेरी यह आशा फलीभूत हुई तो किमी शान्ति स्थलपर जाकर मुझे जितनी शान्ति मिल सकती है, उसकी अपेक्षा इसमें कहीं ज्यादा शान्ति मिलेगी। आशा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा।

मोहनदास गांधीके बन्देमातरम्

लेटी रमावाई पट्टणी

भावनगर

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१८३) से।

सौजन्य महेश पट्टणी

१ रमावाई पट्टणीने अपने २४ नवम्बरके पत्रमें गांधीजीको उनके बेलगाँव कांग्रेससे वापस आनेपर, आपमें कुछ दिन शान्तिके साथ वितानेका निमन्त्रण दिया था। गांधीजीने यह पत्र उसीके उत्तरमें लिखा था।

२. काठियावाड़ राजनीतिक परिपद्।

## ३२७. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

मार्गशीर्ष सुदी ६ [२ दिसम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

सुज भाईश्री,

मैं यह पत्र आपको पजाव जाते हुए गाडीमें लिख रहा हूँ। आपका पत्र मिला है। देगी राज्योके वारेमें मैं कांग्रेसकी नीतिको स्पष्ट कर दूँगा। काठियावाड [राज-नीतिक] परिषद्के पश्चात् मैं कुछ समय आपके आश्रयमें रहकर शान्ति-लाभकी आशा कर रहा हूँ।

मोहनदास गाधीके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१८२) से।

सीजन्य महेश पट्टणी

## ३२८. पत्र : अब्बास तैयब्जकीको

गाडीमें

[२ दिसम्बर, १९२४]

भाई साहब,

आपका पत्र मिला। बीमार पडनेका अधिकार केवल मुझे है, अन्य सेवकोको बीमार न पडना चाहिए। उम्मीद है कि आपका पैर अब विलकुल ठीक हो गया होगा। आपकी गिकायत समझता हूँ। मैं आपको कोमिलमें जानेकी तकलीफ नहीं दूँगा। सबको मेरा वन्देमातरम्।

मोहनदास गाधीके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (एस० एन० ९५५०) की फोटो-नकलसे।

## ३२९. टिप्पणियाँ

### वेलगाँवमें

मैं चाहता हूँ कि कार्यकर्तागण यह समझ ले कि मैं कांग्रेसके आगामी अधिवेशनका वैसे ही सभापति होऊँगा जैसा कि एक कामकाजी आदमी एक कामकाजी सभाका सभापति होता है। कांग्रेसका प्रदर्शनात्मक पहलू तो उसकी प्रदर्शनी तथा ऐसी ही अन्य चीजोंमें दिखाई देगा। किन्तु यदि हम लोग सचमुच कुछ ठोस काम करना चाहते हैं तो हमें पहलेसे उसका एक कार्यक्रम ही बना लेना चाहिए और सबको उसमें शरीक होकर सहायता देनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब वे समझौतेको समझे, पसन्द करे और पूरे दिलसे मान ले। मुझे यह पसन्द नहीं है कि स्वराज्यवादी हो या अपरिवर्तनवादी, कोई भी इसे केवल अपनी वफादारीकी भावनाके कारण मान ले। यह समझौता दिखानेके लिए नहीं है। दूसरोपर असर डालनेके लिए नहीं, किन्तु अपने ही लोगोपर असर डालनेके लिए यह समझौता हुआ है। केवल ऊपरी मनसे मजूर करना तो कुछ न करनेसे भी बदतर होगा। मजूरीके साथ आन्तरिक विश्वास और सहयोगका होना आवश्यक है। कुछ स्वराज्यवादियोने सदस्यताकी गर्तको न बदलनेकी प्रार्थना की है। सिवा इसके मैंने स्वराज्यवादियोकी ओरसे अबतक इस समझौतेका कोई विरोध नहीं पाया है। किन्तु अपरिवर्तनवादी तो मुझपर बड़े रोप और दुखके साथ अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। जहाँतक मुझसे हो सकता है, मैं इन पृष्ठोंमें, स्थितिको समझानेका और शकाओंके समाधानका प्रयत्न करता हूँ। तब भी मैं यह जानता हूँ कि पूरी तौरसे खुलकर बात करनेके समान ससारमें और कुछ भी नहीं है। अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें मैंने घटे-भरतक अपरिवर्तनवादियोसे बात की थी। पर उस एक घटेमें क्या होना था? इसलिए २० दिसम्बरका दिन, वेलगाँवमें अपरिवर्तनवादियोसे मिलकर विचार करनेके लिए अलग निकालकर रखे देता हूँ। मैं उम दिन सुबह वेलगाँवमें पहुँच जानेकी उम्मीद रखता हूँ। मैंने श्रीयुत गगाधरराव देशपांडेको लिखा है कि मेरे स्वागतमें किमी प्रकारकी धूमधाम न की जाये। इसमें समय नष्ट करना ठीक नहीं है। मैं सभी अपरिवर्तनवादियोसे, जो चर्चामें भाग लेना चाहते हैं, इस खानगी सभामें आनेका अनुरोध करता हूँ। साथ ही मैं उन्हें इतना पहले वेलगाँवमें भीड़ लगा देनेसे रोकना भी चाहता हूँ। २६ ता० के पहले कांग्रेसकी बैठक शुरु नहीं होगी। खिलाफत परिपद् भी २४ ता० से पहले शुरु नहीं होगी। नेशनल कन्वेंशन भी इसमें पहले न हो सकेगा। इसलिए मैं यह उचित समझता हूँ कि हरएक प्रान्त अपने दो-दो, तीन-तीन प्रतिनिधि चुनकर भेजे जिन्हें और लोगोंके भी विचारोंकी पूरी जानकारी हो। २० तारीखको तीसरे पहरका सारा समय विचार-विनिमयके लिए दिया जा सकता है। यदि जरूरत पड़ी तो २१ तारीखको भी वहस चल सकती है। मैं देशबन्धु दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूसे स्वराज्य-

वादियोंके साथ भी अपनी ऐसी चर्चाकी आवश्यकताके विषयमें पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। यदि वे उचित ममज्ञे तो मैं बड़ी खुशीसे २१ तारीखका एक हिस्सा केवल स्वराज्यवादियोंको ही दूँगा। जहाँतक प्रतिनिधियोंकी उपस्थितिका सम्बन्ध है, मैं आशा करता हूँ, दोनों दलोंकी ओरसे पूरी-पूरी उपस्थिति होगी। क्योंकि जहाँतक स्वयं मेरा सम्बन्ध है, मैं दलबन्दीके आधारपर बहुमत द्वारा तो कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास कराना नहीं चाहता, किन्तु मैं प्रतिनिधियोंके रुखको जरूर जान लेना चाहता हूँ। यदि वे केवल उपेक्षा और उदासीनताके कारण या त्रस्त होकर कांग्रेस अधिवेशनमें न आयेगे तो वे अपने कर्तव्यके पालनमें चूकेगे। जिसे राष्ट्रीय कार्यमें अपना समय देना नामजूर हो उसे प्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए। जहाँतक मनुष्यके बसकी बात है, कांग्रेस अधिवेशनमें उपस्थित होना ओर अगले वर्षके लिए कांग्रेसकी नीति निर्धारित करनेमें सहायता देना उनका कर्तव्य है।

### अड्यारमें हाथ-कतार्ई

पाठकोको मैडम डी मैजियरली द्वारा डा० वेसेटको लिखा गया पत्र और उस-पर डा० वेपेटकी टिप्पणी पढकर खुशी होगी। इसे मैं 'यियोसॉफिस्ट' के चालू अकसे नीचे उद्धृत कर रहा हूँ ?

### विश्वासघात ?

देशमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देशकी नीतिमत्ताका ध्यान रहता है। यह एक शुभ चिह्न है। एक मित्र जो कि स्वयं लिवरल दलवाले नहीं हैं, पूछते हैं कि अ० भा० कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वराज्यवादियों और गांधीजीके बीच हुए समझौतेका स्वीकार किया जाना क्या सर्वदलीय परिपदके साथ विश्वासघात नहीं है? मेरी नम्र रायमें इसका उत्तर है—'हरगिज नहीं'। क्योंकि यह समझौता ही तो इस निमन्त्रणका आधार है। उसके पहले कांग्रेसके दोनों दलोंका मिल जाना आवश्यक था। जबतक कांग्रेसका अधिवेशन न हो तबतक अ० भा० का० कमेटी ही उस एकताको प्रदर्शित कर सकती है। जहाँतक कांग्रेसके दोनों दलोंका सम्बन्ध है, यह समझौता अन्तिम है। पर किमी वाहरी दलके चाहनेपर इसका विरोध करने, यहाँतक कि पुनर्विचार तक करनेकी गुंजाइश है। उम विरोधका सफल होना तभी सम्भव है जब वह दोनों दलोंको युग्मियुक्त जँचें। किमी दलसे यह नहीं कहा जा रहा है कि एकताके नामपर वह अपने-अपने मिट्टान्तोंको छोड़ दे। अ० भा० का० कमेटी द्वारा पुष्ट किया गया समझौतेवाला प्रस्ताव ऐना कोई आखिरी निर्णय नहीं है कि या तो यही मजूर कीजिए या कुछ भी नहीं। समझौतेके अतिरिक्त भी ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनपर सभी दलोंको विचार करना पड़ेगा। कांग्रेसवालोंसे यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि वे

१. पत्र ओर टिप्पणी यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। मैडम डी मैजियरलीने डा० वेसेटको अपने पत्रमें सूचित किया था कि डा० वेसेटकी अनुपस्थितिमें जब वे लन्दन गई हुई थीं, उन्होंने अड्यारमें बनाइ सीख ली है और उनकी देखा-देखी लोगोंने भी उने मीठा है ओर अब वे आसपासके गाँवोंमें ग्रामोद्योगोंको बढ़ावा देनेका कार्यक्रम चला रही हैं।

अपने सिद्धान्तों व नीतिको सर्वदलीय परिपदके निर्णयतक मुलतवी रखेगे। पर हाँ, उनसे यह उम्मीद जरूर की जाती है कि वे प्रत्येक प्रश्नपर विना पहलेसे कोई धारणा बनाये खुले दिमागसे विचार करेगे। उन्हें परिपदमे प्रस्तुत प्रत्येक वातपर विचार करनेके लिए तैयार रहना है। इस बहुत ही जरूरी शर्तको मानकर सभी दलोंके लिए यह बेहतर होगा कि वे अपने सिद्धान्त, नीति तथा इरादोंको जाहिर कर दे। मनमे किसी प्रकारका दुराव नहीं रहना चाहिए। समझौतेके प्रस्तावको स्वीकार किये विना आगे बढ़ना एक प्रकारका दुराव ही होता। हिन्दू-मुसलमानोंमे अच्छा सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए जिस सहिष्णुताके भावको पैदा करनेकी जरूरत है और जिसकी कोशिश भी की जा रही है, सहिष्णुताका वही भाव यहाँ भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे अन्दर गहरे मतभेदोंके होते हुए भी यदि हम सबका ध्येय एक ही हो तो हमे मेल-जोलसे रहना और परस्पर आदरभाव रखना है। यह दुर्भाग्यकी बात होगी, लेकिन हो सकता है, हम लोगोंको यह दिखाई दे कि हम सबका लक्ष्य एक नहीं है, स्वराज्यका कोई भी पहलू सबको एकसा मान्य नहीं है या हम सबके हित एक ही नहीं है। उस हालतमे मैं कहूँगा कि कांग्रेसके मंचपर सभी दलोंका एक होना असम्भव है। परन्तु इसका अर्थ यही होगा, मानो इस विरुद्ध भारतके लिए स्वराज्य असम्भव है। क्योंकि अन्तमे तो स्वराज्य प्राप्त होनेपर भी सभी दलोंको एक ही स्वराज्य ससदमे काम करना पड़ेगा। कांग्रेसको ऐसी ससदका पूर्वरूप या नमूना बनाना ही हमारा हेतु है।

### एक बड़ी चूक

पण्डित मोतीलालजी कहते हैं कि हालमे अ० भा० का० कमेटीकी बैठकमे दिये गये मेरे व्याख्यानकी<sup>१</sup> जो रिपोर्ट अखबारोंमे छपी है उसमे एक आवश्यक अंश छूट गया है। वह है स्वराज्यदलके अपनी सहायताके लिए प्रार्थना करनेके औचित्यपर प्रकट किये गये मेरे विचारोंसे सम्बन्ध रखनेवाला अंश। वेशक वह अंश आवश्यक था और मैं उसका छपना जरूरी समझता था। इसलिए मैं खुशीसे उसका भाव यहाँ देता हूँ

स्वराज्यवादियोंको अपनी ताकत बढ़ानेका, अपना सगठन करनेका तथा देशसे, जिसमे अपरिवर्तनवादी भी शामिल हैं, समर्थनकी अपील करनेका पूरा अधिकार है। यदि असहयोग स्थगित कर दिया गया और कांग्रेसमे स्वराज्यवादियोंको भी वही दर्जा मिला जो कि अपरिवर्तनवादियोंका है, तब तो अपरिवर्तनवादी ऐसे प्रचारका विरोध नहीं कर सकेंगे। अवश्य ही उस हालतमे ऐसा विरोध करना अनुचित होगा। मेरी समझमे असहयोगको स्थगित करनेका सही तात्पर्य यही होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कट्टर अपरिवर्तनवादी स्वराज्य दलमे मिल जाये। देशवन्दुने मुझे स्वराज्य दलमे शामिल हो जानेको कहा था और यह कहनेका उन्हें पूरा अधिकार भी था। मैंने उनसे कहा कि जबतक मुझे स्वराज्य दलके कार्यक्रममे विश्वास नहीं है, तबतक मैं स्वराज्यदलमे योग नहीं

१. देखिए “भाषण अ० भा० कांग्रेस कमेटी, बम्बईमें”, २३-११-१९२४।



दे सकता। मैं बाहर रहकर ही उन्हें सहायता दे सकता हूँ। इसी प्रकार कोई भी सच्चा अपरिवर्तनवादी उन्हें योग नहीं दे सकता। परन्तु जो सिर्फ इसलिए अलग खड़े हैं कि कांग्रेसका कार्यक्रम उन्हें मना करता है, वे अपरिवर्तनवादियोंकी ओरसे किसी तरहकी बाधाके बिना स्वराज्य दलमें मिल सकते हैं। अपरिवर्तनवादी विधान सभाओका जवानी विरोध नहीं कर सकते। बल्कि उनके द्वारा चरखेपर अखिराम कार्य ही उनका सच्चा प्रचार-कार्य होगा। स्वराज्यवादियोंके पास तो चरखा और विधान सभाएँ दोनों वस्तुएँ हैं, किन्तु अपरिवर्तनवादियोंका अवलम्ब तो केवल चरखा ही है।

### प्रागजी देसाई

यह पता चलनेपर कि श्री प्रागजी देसाई, जिन्हें सूरतके 'नवयुग' नामक पत्रके सम्पादकके नामे कुछ दिन हुए कठिन श्रमके साथ दो वर्षकी कैदकी सजा दी गई थी, कमजोर होते जा रहे हैं और उन्हें समुचित भोजन नहीं दिया जा रहा है, मैंने जेलके मुख्य अधीक्षकको पत्र लिखकर श्री देसाईकी हालतके बारेमें पूछताछ की। उन्होंने निम्नलिखित उत्तर दिया है

मैंने श्री पी० के० देसाईके बारेमें लगाये गये आरोपोंकी जाँच की है।

(१) यह सच है कि जेलमें दाखिलेके वक्त उनका वजन १३८ पाँड था और अब घटकर १२८ पाँड हो गया है। लेकिन चूँकि वे कुछ ज्यादा स्थूलकाय हैं, अतः इसे शिकायतका आधार मानना कठिन है। उनकी लम्बाई-के आदमीका जो सामान्य वजन होना चाहिए उससे वे १७ पाँड ज्यादा हैं।

(२) उन्हें शेष कैदियोंसे अलग नहीं रखा गया है। एक रातवाला कैदी चौकीदार सदा उनके साथ रहता है और दोनों साथ-साथ काम करते हैं। कैदियोंसे उनका फासला इतना है कि वे उन्हें देख सकते हैं।

(३) सुपरिंटेंडेंट इस बातसे इनकार करता है कि कैदियोंको नियमित घासपात मिली और अखाद्य सब्जी खानेको दी जाती है। चूँकि हंदरावाद जेलमें एक बड़ा और बहुत अच्छा बाग है इसलिए ऐसा होनेका कोई कारण भी नहीं हो सकता।

(४) उन्हें सरत (सादी नहीं) कैदकी सजा दी गई थी इसलिए वे जेलमें क्या काम करेंगे इसका चुनाव करनेकी अनुमति उन्हें नहीं दी जा सकती।

(५) हंदरावाद सेंट्रल जेलके वर्तमान मेडिकल अफसर भारतीय चिकित्सा सेवाके एक भारतीय अधिकारी हैं जिनपर सब कैदियोंके स्वास्थ्य और शारीरिक स्थितिकी आवश्यकतानुसार भोजनकी समुचित व्यवस्था करनेके मामलेमें पूरा

भरोसा किया जा सकता है। उनके अनुसार श्री देसाई कमजोर या दुर्बल नहीं दिखाई पड़ते।

अन्तमें मैं कहना चाहूँगा कि तीन सप्ताह पहले मैंने हेदरावाद जेलका निरीक्षण किया था और उस अवसरपर श्री देसाईको भी देखा था। आपने जिन चीजोंका उल्लेख किया है उनमें से किसी बातकी शिकायत उन्होंने मुझसे नहीं की। उनकी एक ही प्रार्थना थी कि चूँकि हेदरावादकी जलवायु उन्हें अनुकूल नहीं पड रही है इसलिए उन्हें स्थानान्तरित कर दिया जाये। ऐसी कोई बात माननेका कारण नहीं था, इसलिए मैंने इसपर कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं माना।

यह विलकुल सच है कि श्री देसाईने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि मारे अधिकारी भारतीय हैं और उनके खिलाफ शिकायत नहीं करनी चाहिए। वे अनुविवा सहन करना चाहते थे। मैं जानता था कि वे कठोर श्रमकी सजावाले कैदी हैं, लेकिन एक कठोर श्रमवाला कैदी भी ऐसा काम माँग सकता है जिसके लिए वह अधिक उपयुक्त हो। मुझे जेलोके वर्तमान मुख्य अधीक्षकको अच्छी तरह जाननेका सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि वे मेरी कैदके आखिरी महीनोमे उसी जेलमे सुपरिटेण्डेंट थे। वे सख्त हैं, लेकिन न्याय-प्रिय और शान्त स्वभावके व्यक्ति हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि श्री देसाईको अनावश्यक कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा।

### दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय

नेटाल सरकार अभी भी भारतीय प्रवासियोंके पीछे पटी हुई है। वह जैसे-तैसे किसी भी तरह परेशान करके उन्हें उस उपनिवेशसे भगा देनेपर तुली हुई है। इस सिलसिलेमे उन्होंने हाल ही मे एक ऐसा कानून बनाया है जो अन्य चीजोंके अलावा भारतीय करदाताओसे नगरपालिका-मताधिकार छीन लेता है। भारतीयोंके विरुद्ध मताधिकारके दुरुपयोगका कोई आरोप कभी नहीं रहा है। यह माना जाता है कि वे नियम-पालक नागरिक हैं। लेकिन मशा तो उनको ऐसी अपमानजनक स्थितिमे डालनेका है कि आत्मसम्माननी भारतीयोंके लिए नेटालमे रहना असम्भव हो जाये। हम यही आशा करते हैं कि पहलेकी भाँति गवर्नर जनरल इस अत्याचारी कानूनको स्वीकृति देना नामजूर कर देंगे।

### कताई क्लब

श्रीयुत नम्बूद्रीपादने मुझे त्रिचूरमे स्थापित एक कताई क्लबकी गतिविधियोंका विवरण भेजा है। इतनी जल्दी इस क्लबकी गतिविधियोंके बारेमे विश्वासपूर्वक कुछ कह सकना सम्भव नहीं है। लेकिन ऐसे क्लबोंका सगठन अत्यन्त वाछनीय चीज है। ये क्लब लोगों द्वारा स्वेच्छा-प्रेरित कताईके विकासमे मदद दे सकते हैं और नौसिखियोंके लिए तो सहायक ही सिद्ध होंगे। त्रिचूर क्लबमे करीब २५ सदस्य हैं। ये समय-समयपर प्रतियोगिताएँ आयोजित करते हैं। प्रत्येक सदस्य अ० भा० खादी बोर्डके

लिए प्रति माह २,००० गज सूत कातनेको वचनबद्ध है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे क्लव सारे देशमें स्थापित किये जायेंगे।

### शिक्षाके बारेमें बडो दादाके विचार

बडो दादाने 'यग इंडिया' में प्रकाशनके लिए निम्नलिखित टिप्पणी मुझे भेजी है

१८ वीं शताब्दीके एक विख्यात अंग्रेज कविने कहा है :

अल्प ज्ञान खतरनाक चीज है।

इसमें मैं इतना और जोड़ता हूँ कि हमारे देशवासियोंमें जो शिक्षा फैल रही है वह अल्प ज्ञानसे भी बुरी है। भारतीयोंके हृदयमें जिस सच्चे ढगका ज्ञान बसा हुआ है, वह तो ईश्वरका और प्राचीन कालके उन ऋषियोंका वरदान है जिन्होंने ईश्वरोपासनामें अपना सारा जीवन लगा दिया। यह ज्ञान सकारात्मक ज्ञान है, जबकि वर्तमान शिक्षा, जिसमें हृदयका सम्पूर्ण अभाव है, निषेधात्मक ज्ञान प्रदान करती है। निषेधात्मक ज्ञान प्राप्त करना सकारात्मक ज्ञानको खोनेके बराबर है—१०० तो—१ से भी सौगुना कम है। इसलिए वर्तमान भारतमें अत्यन्त उच्च आधुनिक शिक्षा प्राप्त कोई व्यक्ति भारत माताके उस सच्ची शिक्षा प्राप्त बेटेके मुकाबले वाम्तवमें अज्ञानी ही है जिसने भले ही कभी स्कूल या कालेजकी ड्योढी भी न लाँधी हो।

[अंग्रेजीमें]

यग इंडिया, ४-१२-१९२४

### ३३०. ध्वजको झुकाया तक नहीं

अपरिवर्तनवादियोंकी उलझन ज्योंकी-त्यों बनी हुई है। उनमें से कई अच्छेसे-अच्छे लोग, जिनकी मम्मति और सहकारिताको मैं अन्य सभी चीजोंसे अधिक मूल्यवान् समझता हूँ, किकर्तव्यचिमूट हो गये हैं। उन्हें लगता है कि मैंने एक ऐसे समझौतेके लिए जिम्की तुलना अनेक टुकड़ोंको जोड़कर तैयार की हुई चीजसे की जा सकती है, अपने जीवनव्यापी मिद्धान्तोंको छोड़ दिया है। उस आशयका एक पत्र मैं नीचे उद्धृत करता हूँ

असलवारी रिपोर्टके अनुसार आपने कहा है कि स्वराज्य दलवालोंके साथ लड़ाई करनेकी शक्तके अभावमें आप फिलहाल धीरजमें काम ले रहे हैं और चुप बंटे हैं। परन्तु ऐसा क्यों? सत्य और अहिंसाका तकाजा तो यह है कि आप हम लोगोंको एकत्र रग्यकर, स्वराज्य दलके या कांग्रेसके बाहर हमारी पताशा फहराते रहिए—क्रिमीके प्रति शत्रुभावमें नहीं, बल्कि जैसा कि हजारत मुहम्मदने किया था, उसी तरह। उनके अन्यायी घटते-घटते केवल तीन ही

रह गये थे और उन्हें सिर्फ परमात्माकी ही शक्तिका भरोसा करना पडा था। निस्सन्देह विपक्षियोसे हार मानने तथा उनकी सहायता करनेमें आपका तो व्यक्तिशः लाभ ही है, परन्तु हमारे कार्यको इससे बड़ी गहरी हानि पहुँचती है; क्योंकि आप तो असहयोगियोको सयुक्त रूपसे न तो अपनी ध्वजा फहराते रहनेके लिए कहते हैं और न फहराने ही देते हैं। अध्यात्म-प्रेमी कोई भी व्यक्ति ऐसी राजनीतिमें दिलचस्पी नहीं रख सकता, जो न तो सत्य और अहिंसाकी वृद्धि ही करती है और न उनसे पोषण ही ग्रहण करती है। कोई भी वनावटी एकता ईश्वरको आर्क्षित नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी हालतमें किसी सरकारके साथ लड़ाई अधार्मिक हो जाती है। इसके अलावा स्वराज्य दलवालोकी अमलदारीमें आतुर आदर्शवादियोकी हिंसात्मक प्रवृत्तियोको शूद्ध करनेके लिए ऐसी कोई शक्ति नहीं रह जायेगी, जैसी कि आपके उच्च नैतिक आदर्शवादकी और धर्मकी भावनासे प्रेरित प्रयत्नकी अमलदारीमें थी। अब तो उन्हें [असहयोगियोको] निरी निष्फलता तथा पूर्ण निराशाका ही मुकाबला करना होगा।

इन मित्रके विचार बहुत-से असहयोगियोके विचारोका प्रतिनिधित्व करते हैं। वे खुद भी इस आन्दोलनकी ओर इसकी धार्मिकताके ही कारण झुके थे। इसलिए मैंने उनके इस सन्देशको वार-वार गौरसे पढा है। लेकिन मेरा खयाल है कि उन्होंने अपनी यह राय, मेरे भाषणोको मनमाने तौरपर काट-छाँटकर तैयार की गई और अकसर गलत रिपोर्टोंपर ही कायम की है और यही मेरे लिए आशाप्रद बात है। वे खुद परिषद्में उपस्थित न थे। वे बम्बईमें भी नहीं थे। किसी हलचलकी गति-विधिको केवल अखबारोके विवरणके आधारपर समझ लेना अत्यन्त कठिन है। मैंने वह रिपोर्ट नहीं देखी जिसका जिक्र मित्र महाशयने किया है। “स्वराज्य दलके साथ लड़ने” की बातका अर्थ, यदि इन शब्दोको उनके सदर्थसे विच्छिन्न कर दिया जाये तो मेरे अभीष्ट आशयसे उलटा भी लगाया जा सकता है। अब मैं इसका खुलासा किये देता हूँ। मेरा मतलब यह है कि यदि स्वराज्य दलवालोको मेरे विचारोके सम्बन्धमें गलतफहमी है, यदि अपरिवर्तनवादी अहिंसाकी लड़ाई, जिसके मूलमें ही विनयकी भावना पडी हुई है, जिस भावसे छोडी जा सकती है, उसे समझ नहीं पाते, यदि सरकार इस लड़ाईका ऐसा लाभ उठाती है जिसका मैंने विचार भी नहीं किया है या यदि ऐसे सग्रामके लिए आवश्यक वायुमण्डलका अभाव है तो जाहिर है कि मैं स्वराज्य दलवालोसे लड़ नहीं सकता। पर वास्तवमें हुआ ऐसा है कि ये सब बातें थोडी या बहुत हमारे सामने हैं। इसके सिवा यह भी याद रखना चाहिए कि मेरे नजदीक अपने कार्यकी सुरक्षा सत्या-बलपर कभी अवलम्बित नहीं रही है। मेरी योजनाओके जल्दी कार्यरूपमें परिणत किये जानेके रास्तेमें शायद मेरी यह मानी जानेवाली सर्वप्रियता ही सबसे बड़ी बाधा होती आई है। जिन लोगोंने बम्बई और चौरीचौराके दगोमें भाग लिया था, यदि वे मेरे लिए बिलकुल अजनबी होते और उन्होंने अपनेको अहिंसाका हामी न बतलाया होता तो मुझे इन दोनोमें किसीके

लिए भी प्रायश्चित्त न करना पडता। इसलिए जबतक लोगोकी भीड मेरी ओर दौड-दौडकर आती रहती है तबतक मुझे अवश्य अपने कदम बहुत सावधानीसे उठाने होंगे। एक बडी सेनाको साथ रखकर सेनापति उतनी तेजीसे कूच नही कर सकता जितना वह चाहता है। उसे अपनी सेनाके भिन्न-भिन्न अगोका खयाल रखना ही पडता है। मेरी स्थिति ऐसे सेनापतिकी स्थितिसे बहुत भिन्न नही है। यह कोई अच्छी स्थिति नही है, परन्तु यह है ऐसी ही। अकसर यह स्थिति ताकत देनेवाली होती है। परन्तु कभी-कभी तो यह स्पष्टत वाधक हो जाती है। “स्वराज्य दलवालोके साथ अभी लडाई करनेकी शक्तिके अभाव” से मेरा जो तात्पर्य था, शायद वह अव स्पष्ट हो गया होगा।

मैने किमी तरह भी असहयोगकी “ध्वजाको कभी नीचा नही किया है”। मैने तो उसे तनिक भी झुकायातक नही है, क्योंकि किसी भी असहयोगीको यह नही कहा गया कि वह अपने उसूलसे हटे। ससारके बडे पैगम्बरो या धर्म-प्रचारकोका उदाहरण पेश करनेमे सर्वदा जोखिम रहती है। इस ससारमे, “चतुर्दिक् अन्धकारके बीच”, मै प्रकाशकी ओर जानेका रास्ता टटोल रहा हूँ। अकसर मै भूल करता हूँ और मेरे अनुमान गलत हो जाते हैं। लेकिन चूँकि इस सम्बन्धमे पैगम्बर साहबका नाम लिया गया है, इसलिए पूरी नम्रताके साथ मै कहना चाहता हूँ कि मै भी अपने लिए यह आगा करता हूँ कि यदि दो ही मनुष्य मेरे साथी रह जाये या कोई भी न रहे तो उस हालतमे भी मै कच्चा नही निकलूँगा। ईश्वरपर ही तो मेरा कुल भरोसा है। और मै मनुष्योपर भी इसीलिए भरोसा रखता हूँ कि ईश्वरपर मेरा पूरा भरोसा है। यदि मुझे ईश्वरका सहारा न होता तो मै [शेक्सपियर द्वारा वर्णित एथेन्सके] टिमनकी तरह मनुष्य-जातिसे घृणा करने लगता। लेकिन यदि बडे-बडे धर्म-प्रचारकोके जीवनसे हम कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो हम लोगोको यह भी याद रखना चाहिए कि हजरत मुहम्मदने उन लोगोके साथ सवि की थी जिनसे उनका मत बहुत ही कम मिलता था और ‘कुरानगरीफ’मे जिनका वर्णन बहुत ही निन्दापूर्ण शब्दोमे किया गया है। असहयोग, हिजरत, प्रतिरोध और हिसातक भी हजरत मुहम्मदके उनके अपने जीवन-संग्रामके भिन्न-भिन्न रूप थे, जिसका सर्वस्व सत्य ही था।

ये मित्र ऐसा मानते मालूम होते हैं कि एक व्यक्तिको तो आध्यात्मिक लाभ हो सकता है पर उनके आसपानवालोको हानि। मै यह बात नही मानता। मै अद्वैतमे विश्वास करता हूँ, मै मनुष्यकी मूलभूत एकतामे भी और केवल मनुष्योंकी ही क्यों नभी जीवधारियोंकी एकतामे विश्वास करता हूँ। इस कारण मेरा तो ऐसा यकीन है कि एक मनुष्यके आध्यात्मिक लाभके साथ सारी दुनियाका लाभ होता है। उमी तरह एक मनुष्यके अध पतनके साथ इमे हृदयके सारे समारकी अधोगति होती है। गरज यह कि अपने प्रतिपक्षियोंकी सहायता करके मै साथ-ही-साथ अपनी और अपने जगहयोगियोंकी सहायता भी करता ही हूँ। मैने किमी भी पत्रके असहयोगीको यह नही कहा है कि वे व्यक्तिगत या मनुष्य रूपसे, अपनी पताका न फहरायें।

उलटे, मैं तो उनसे ऐसी ही उम्मीद रखता हूँ कि वे हर तरहकी दिक्कतोंके रहते हुए भी अपनी ध्वजाको पूरी ऊँचाईपर फहराते रहेगे। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रका या कांग्रेसका असहयोग जारी है। यदि हम वास्तविकताकी उपेक्षा नहीं करना चाहते हैं तो हमें यह मानना होगा कि राष्ट्र या कांग्रेस जहाँतक वह राष्ट्रकी प्रतिनिधि है, असहयोगके कार्यक्रमपर अमल नहीं कर रही है। इसलिए असहयोगकी कुछ व्यक्तिगतक ही परिमित रहना पडेगा। असहयोगी वकील, उपाधि छोडनेवाले, पुराने शिक्षक और असहयोगी विधान सभासद, ये सभी पूर्ण रूपसे असहयोगी रहते हुए भी कांग्रेसमें रह सकते हैं। कताई और खादीका प्रचार, उनका अपना विशेष कार्यक्रम रहेगा। इन दोनोंको अभी कांग्रेसने छोडा नहीं है। इस मामलेमें जहाँतक यह काम उनके विश्वाससे सगत है, स्वराज्य दलवाले अपरिवर्तनवादियोंको खूबीके साथ पूरी तरह अपना रहे हैं। अपरिवर्तनवादियोंकी तरह वे विदेशी कपडोंको जल्दीसे-जल्दी हटानेके लिए, सबके द्वारा कताईकी बातको आवश्यक नहीं समझते। फिर भी अपरिवर्तनवादियोंका या चाहे तो यो कहिए कि मेरा सहयोग लेनेके लिए उन्होंने यह देखकर कि सिद्धान्ततः वे कताईके खिलाफ नहीं हैं, सदस्यताकी शर्तोंमें इसको शामिल करना मजूर किया है। यहाँ यह याद रखना अच्छा होगा कि कताईको सदस्यताकी शर्तोंमें शामिल करना एक असाधारण बात है। स्वयं उत्साही कातनेवाले होनेपर भी श्री स्टोक्सके समान सिद्धान्तवादी मनुष्य भी इसका दिलोजानसे विरोध करते हैं। हमारे कितने ही प्रख्यात देशवासी इसकी हँसी उडाते हैं। तब तो स्वराज्य दलवालोका इसे स्वीकार करना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए यदि वे अपनी बातोंके पक्के निकले (और इसमें सन्देह करनेका मेरे पास कोई कारण नहीं है) तो असहयोगियोंको किसी अलग सगठनकी जरूरत नहीं रह जाती। अपरिवर्तनवादियोंको कौमिलोंके कार्योंमें योग देनेकी आवश्यकता नहीं और उनके लिए यह उचित भी नहीं है। इसलिए कांसिलो-सम्बन्धी कार्यक्रमका पूरा अधिकार और फलत उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वराज्य दलवालोपर ही है। इसके लिए कांग्रेसके नामका व्यवहार करनेका उन्हें पूरा अधिकार होगा, पर वे उसमें अपरिवर्तनवादियोंके नामका उपयोग नहीं करेगे। कांग्रेस अब एक सयुक्त सगठन होगा जिसकी कुछ बातोंकी जिम्मेदारी सयुक्त ही रहेगी और उसके कुछ खास-खास काम दल-विशेषको दिये जायेगे।

यदि एकता, अछूतोद्धार और चरखा, ये इस देशकी राजनीतिके अंग हैं तो अपरिवर्तनवादियोंको जितना सत्य, जितनी अहिंसा और जितनी आध्यात्मिकता चाहिए वह सब उन्हें इनमें मिल ही जाती है। सरकारके साथ अपरिवर्तनवादीकी लडाईका रूप मुख्यत यही है कि वह अपनेको शुद्ध करके अपनी शक्तिका विकास करे। लेकिन उसे अपने किसी भी कार्यसे स्वराज्यवादियोंकी शक्तिको किसी भी प्रकार आघात नहीं पहुँचाना चाहिए, वल्कि उसे तो स्वराज्यवादियोंको अपनी ही तरह ईमानदार समझना चाहिए। औरोंको हटाकर अपने ही अन्दर शुद्धताका अभिमान करनेमें अपरिवर्तनवादियोंको सबसे पीछे रहना चाहिए। यदि मान भी लिया जाये कि स्वराज्य-

वादियोंकी कार्य-प्रणाली बुरी है तो भी उन्हें इस तरह काम नहीं करना चाहिए, मानो आधुनिक शासन-प्रणाली उससे बहुत ज्यादा खराब नहीं है। अहिंसामें विश्वास रखने-वाले व्यक्तिको भी यह तो कहना ही पड़ता है कि किन्हीं दो प्रतिस्पर्धियोंमें से कौन कम बुरा है और किसका पक्ष न्याययुक्त है। जापान और रूसके दरम्यान टालस्टायने अपना फैसला जापानके पक्षमें दिया था। इंग्लैंड और डच दक्षिण आफ्रिकाके दरम्यान डब्ल्यू० टी० स्टेडने<sup>१</sup> बोअरोका साथ दिया था और इंग्लैंडकी पराजयके लिए ईश्वरसे प्रार्थना की थी। इसी तरह स्वराज्यवादियों और सरकारके बीच, मुझे अपनी राय कायम करनेमें एक क्षण की भी देर नहीं लग सकती। स्वराज्यवादियोंने हमारे १९२० वाले कार्यक्रमके खिलाफ बगावत की थी, इसलिए उनके सम्बन्धमें हमारी धारणाके कलुषित हो जानेका खतरा है। अच्छा, थोड़ी देरके लिए मान-लीजिए कि स्वराज्यवादी वाकई वैसे बुरे हैं जैसा कि सरकार हमें जँचाना चाहती है तो भी उनकी सरकार मौजूदा सरकारसे लाखों दरजे अच्छी रहेगी, क्योंकि इस सरकारके पास तो आचारकी स्वतन्त्रता या वास्तविक प्रतिकारके विलकुल ही स्वल्प यत्नको भी कुचलनेके अनन्त साधन तैयार रखे हुए हैं। मैं किसी बनावटी एकताको अपना लक्ष्य नहीं बना रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि कांग्रेसमें तमाम दलोंके प्रतिनिधि रहे जिससे कि हम एक-दूसरेकी रायको बरदाश्त करना सीखें, एक-दूसरेको अच्छी तरह समझ सकें, एक-दूसरेपर अपने कामोका असर डाल सकें और यदि हम सबके लिए किसी एक ही कार्यविधिकी तजवीज न कर सकें तो कमसे-कम एक सर्वमान्य स्वराज्यकी योजना तो तैयार कर सकें।

हाँ, मैं इन मित्रकी आखिरी बातोंसे जरूर सहमत हूँ। निस्सन्देह कोसिलोका कार्यक्रम आतुर आदर्शवादियोंको उनके दुष्कृत्योंसे दूर नहीं रख सकता। यह शक्ति तो केवल अहिंसात्मक असहयोगमें ही है, क्योंकि वह स्वार्थ-त्यागके उच्चसे-उच्च भावको जाग्रत करता है और यह त्यागभाव ही उन्हें उनके मार्गकी भूलोंसे बचा सकता है। मैं प्रतिज्ञाके साथ कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे किसी पक्के अमहयोगीकी ताकत कम हो जाये। मैंने तो अपने ही साथ-साथ उनको भी आँचमें तपाया है। जरा वे निर्मल प्रेमकी बलिवेदीपर पूरी शक्ति-भर अपना बलिदान तो करें, फिर देखें कि सारी कांग्रेस एक मनमें उनका अनुसरण करती है या नहीं। पर ऐसा प्रेम अपना काम अदृश्य रूपसे ही किया करता है। जो शक्ति जितनी ही उत्तम होती है, उतनी ही वह सूक्ष्म और निश्चिन्त होती है। प्रेम ही समारमें सबसे अधिक सूक्ष्म शक्ति है। यदि अमहयोगीके पास वह शक्ति है तो यह उनके तथा औरोंके लिए अच्छा ही है।

[अग्नेजीने]

यग इटिया, ४-१२-१९२४

१ प्रिन्टिड अग्नेज पत्रकार; ग्रेट ब्रिटेनमें शान्ति-शान्दोलनके एक उन्माही समर्थक।

## ३३१. स्थगित करें या त्याग दें ?

असहयोग स्थगित किया जाये या त्याग दिया जाये, इस प्रश्नका उत्तर पूर्णत उत्तर देनेवालेकी मन स्थितिपर निर्भर है। जिसका असहयोगमे कभी विश्वास नहीं रहा वह तो स्वभावत यही चाहता है कि उसे सदाके लिए त्याग दिया जाये। जिसका मेरी तरह उसमे सदा विश्वास रहा है और जिसने उसपर जब कभी और जहाँ कहीं आवश्यकता हुई उसका आचरण किया है और इसलिए जो उसपर आरूढ़ है, वह तो कठिनाईसे ही केवल उसको स्थगित करनेके लिए राजी किया जा सकता है और निश्चय ही वह ऐसा करनेके लिए इस आशासे ही राजी होगा कि कभी-न-कभी वह सन्देह या अविश्वास करनेवालोंको अपने पक्षमे ला सकेगा और इस कार्यक्रमको राष्ट्रीय रूपमे अमलमे लाकर सफल बना सकेगा। इसलिए असहयोगका स्थगन ऐसी तटस्थताकी अवस्था है जिसको सभी दल स्वीकार कर सकते हैं। जो लोग अहिंसात्मक असहयोगकी शक्ति और आवश्यकतामे विश्वास करते हैं उनको यह आशा रखनेकी छूट होनी चाहिए कि यदि इस कार्यक्रमको अवसर आनेपर फिर हाथमे लेनेकी आवश्यकता हुई तो राष्ट्र इसपर फिर अमल करेगा और जिनका इसमे विश्वास नहीं है वे स्थगनकी इस अवधिमे, इसमे जो दोष मानते हैं उनका प्रचार करनेके लिए और कांग्रेसजनोंसे अपने विचारोंको मनवानेके लिए स्वतन्त्र होंगे। असहयोगके स्थगित होनेसे उन्हें यह एक बढिया अवसर मिलता है। मेरी राय तो यह है कि जो कांग्रेस पूरी असहयोगी रही है वह असहयोगको स्थगित करनेसे आगे जा भी नहीं सकती, उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। मैं 'पूरी असहयोगी कांग्रेस' इसलिए कहता हूँ कि स्वराज्यवादी भी असहयोगमे विश्वास रखनेका दावा करते हैं। यदि यह कोई रहस्य हो तो मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। अबसे तीन महीने पहले जो पहला मसविदा तैयार किया गया या उसकी भूमिकामे असहयोगमे पुन विश्वास प्रकट किया गया था। वह भूमिका स्वराज्यवादियोंको पूरी तरह मान्य थी। किन्तु वह पीछे सबकी सलाहसे इसलिए निकाल दी गई कि नरम दलवालों और दूसरे लोगोंको कार्यक्रममे शामिल होनेमे आसानी हो जाये। कुछ मित्रोंने यह कहा था कि नरमदलीय और राष्ट्रीय होमरूलवादी उस भूमिकाके पक्षमे मत देनेमे आनाकानी कर सकते हैं। असलमे समझौतेका अन्तिम मसविदा तैयार करनेमें भाग लेनेवाले सभी लोगोंने इस बातकी विशेष सावधानी रखी थी कि जो लोग कांग्रेससे बाहर रहे हैं उनकी जरूरते समझ ली जाये और पूरी की जाये। मैं जानता हूँ कि ऐसा होनेपर भी समझौतेसे विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदायोंको पूरा सन्तोष नहीं मिलता है। इस दोषका कारण यह नहीं है कि इसको दूर करनेका उद्योग नहीं किया गया या दूर करनेकी इच्छा नहीं थी, बल्कि इसका कारण यह है कि स्वराज्यवादियोंको और मुझे अपने-अपने सिद्धान्तोंका अथवा इसकी अपेक्षा मर्यादा शब्द अधिक अच्छा प्रतीत हो तो अपनी मर्यादाओंका, ध्यान रखना पडा था।



इसके अतिरिक्त हमें कांग्रेसके बहुसंख्यक निर्वाचकोका ध्यान भी था। इस तथ्य-को मैं जितना दुहराऊँ उतना ही कम है। यह सच है कि कांग्रेसके निर्वाचकोने अभी तक अपनी वातका, जब उन्हें करना चाहिए था तब भी, विशेष आग्रह नहीं किया है। किन्तु मैंने यह देखा है कि नेताओके विरोधी प्रयत्नोके बावजूद वे कभी-कभी अपनी वातपर जोर दे सकते हैं। हम सबको इन्हीं निर्वाचकोपर अपना प्रभाव डालना है और इन्हींके प्रभावमें रहकर काम करना है। मेरी रायमें समझौतेके उपाय ढूँढनेमें यदि प्रत्येक दल मिलकर काम करना चाहता है तो उसे अपनी माँग उतनी ही रखनी चाहिए जिससे उसकी अन्तरात्माको सन्तोष-भर हो जाये, उससे तनिक भी अधिक नहीं।

आखिर बिना किसी कारणके कोई भी असहयोग नहीं करना चाहता। स्वतन्त्रता-की तुलनामें कारागार कोई पसन्द नहीं करता। किन्तु जब स्वतन्त्रता जोखिममें हो तब असहयोग कर्त्तव्य बन सकता है और कारागार महल। जो लोग हर हालतमें असहयोगमें बचना चाहते हैं उन सबका यह कर्त्तव्य है कि वे असहयोगियोंके लिए असहयोगका आश्रय लेना अनावश्यक बना दे। इसका एक सर्वोत्तम उपाय यह है कि सब दल एक हो जायें, सब दल स्वराज्यकी एक मान्य योजना तैयार करें और साथ ही यदि सम्भव हो तो उस योजनाको अमलमें लानेका कोई स्वीकार्य तरीका भी ढूँढ निकाले।

[अग्नेजीसे]

यग इडिया, ४-१२-१९२४

### ३३२. राजद्रोहात्मक किसे कहें ?

अध्यापक रामदास गौडकी पोथियोंमें जो-कुछ अन्य प्रचलित पुस्तकोंमें है, उसके सिवा और कुछ नहीं है, यह मानकर भी इलाहाबाद हाईकोर्टने उन्हें राजद्रोहात्मक कहा है। मुद्दोंको उनसे ३००) खर्च भी दिलाया जायेगा। वे पोथियाँ छपनेके ३ वर्ष बाद ज्वन की गई हैं। मैं उतना तो मानता हूँ कि केवल समय बीत जानेके कारण मदीय वस्तु निर्दोष नहीं हो जाती है। किन्तु यह पूछना भी तो अनुचित नहीं है कि सरकारने उन दोषको उतने दिनोंतक न्यो चलने दिया? यह अनुमान अनुचित नहीं है कि सरकारने ऐसा समय चुना है जब कि असहयोग उताग्रपर है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि उन स्थितिमें अध्यापक रामदास गौड व वे माता-पिता या पाठशालाएँ जो उन पोथियोंका व्यवहार करते हैं, क्या करें? इन प्रश्नका उत्तर देना आसान नहीं है। हम लोग असहयोग मृत्तवी करने जा रहे हैं और उन कारण नवितय अवज्ञा भी। उन्मत्त व इन तरहके काम कांग्रेसमें नैतिक समर्थन नहीं पा सकते। प्रत्येक व्यक्ति या मन्था अपने दायित्वपर ही कुछ कर सकती है। फैसलेमें पोथियोंके उद्धृत अंशोंके तीन भाग छिपे गये हैं

- (१) वे अश जो सरकारके प्रति द्वेष उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं।  
 (२) वे अश जो पश्चिमी सम्यता और इसलिए यूरोपीयोंके प्रति द्वेष उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं।  
 (३) वे अज जो भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी मनुष्योंके प्रति द्वेष उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं।

प्रथम तो मैं यह कहूँगा कि पूर्वापर सम्बन्ध तोड़कर जहाँ-तहाँसे उद्धृत अशोंके सहारे कोई भी पुस्तक आपत्तिजनक ठहराई जा सकती है। जहाँतक मुझे मालूम है जजोंको इसके सिवा और प्रकारका मसाला नहीं मिला था। दूसरे यों तो प्रायः प्रत्येक भारतीय समाचारपत्र राजद्रोही कहा जा सकता है, क्योंकि वे कानूनके द्वारा स्थापित सरकारके प्रति (पद्धतिके प्रति, मनुष्योंके प्रति नहीं) अप्रीतिका प्रचार करते हैं। प्रायः प्रत्येक भारतवासीने इस सरकारके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और वे या तो उसे मुधारना चाहते हैं या मिटा ही देना चाहते हैं। जहाँतक पश्चिमी सम्यताका सम्बन्ध है, हिन्दू-वर्मग्रन्थोंमें से ऐसे अनेक वचन पेश किये जा सकते हैं जिनमें आधुनिक जीवन-पद्धतिकी अत्यन्त कठोर आलोचना और निन्दा की गई है। मेरी पुस्तिका, जिसमें से पश्चिमी सम्यता-सम्बन्धी अश उद्धृत किये गये हैं, लडकोंको वेधडक दी जाती है। सम्भव है कि मुझसे निन्दा करनेमें भूल हुई हो। किन्तु मेरी यह पुस्तिका जातिके प्रति घृणाका प्रचार करनेके लिए नहीं, बल्कि प्राणिमात्रके प्रति प्रेम पैदा करनेके लिए लिखी गई थी। मैं ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जानता कि एक भी आदमीपर उसके पढनेसे बुरा असर हुआ हो। देग, विदेश सभी जगह बहुत-सी भाषाओंमें उसके अनुवाद हुए हैं। बम्बई सरकारने एक बार उसे जप्त कर लिया था। अब वह जव्ती, व्यवहारमें हट गई है। यह तो आश्चर्यजनक है कि अध्यापक रामदास गौडको तो सजा हो और मैं अछूता ही छोड़ दिया जाऊँ। तीसरे आरोपके अर्थात् विभिन्न धर्मावलम्बियोंके बीच विद्वेष पैदा करनेके समर्थनमें तो केवल एक ही उद्धरण पेश किया है। मुझे उसके सन्दर्भका पता नहीं। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि केवल उस एक अशके लिए पोथियाँ जप्त नहीं हुई हैं। मैं जानता हूँ कि अध्यापक महोदयकी अन्तरात्मा शुद्ध है। उनका हेतु किसी भी व्यक्तिके प्रति द्वेषकी भावना उत्पन्न कराना नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि पुस्तकोंकी विक्रीसे उन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया है। यदि मैं उनके स्थानमें होता तो पुस्तकोंकी विक्री यथावत् जारी रहने देता। सरकारने उनकी तमाम बची हुई प्रतियाँ तो अवश्य ही जप्त कर ली होंगी। किन्तु जहाँ वे पोथियाँ पहलेसे ही पढाई जा रही हैं, वहाँ मैं तो उन्हें वैसे ही पढाने देता, जबतक कि लडकोंके माता-पिता या पाठशालाओंके सचालक कोई दूसरा निश्चय न जाहिर करते।

[अग्नेजीसे]

यग इंडिया, ४-१२-१९२४

## ३३३. फीजीकी वह रिपोर्ट

सम्पादक

'यंग इंडिया'

महोदय,

लगभग तीन वर्ष पहले भारत सरकारने एक आयोग फीजी द्वीपसमूहको भेजा था जिसका उद्देश्य वहाँ रहनेवाले भारतीयोकी दशाकी जाँच करना . . . था। कमीशन . . . ने सितम्बर १९२२ में अपनी जाँचकी रिपोर्ट भारत-सरकारको दे दी। अतः भारत-सरकारको इस रिपोर्टको मिले दो वर्षसे ऊपर हो चुके हैं। केन्द्रीय विधान सभाके पिछले अधिवेशनमें श्री गयाप्रसाद सिन्हा ने इस रिपोर्टके बारेमें भारत-सरकारसे कुछ प्रश्न किये। उनमें से तीन ये थे:

(ग) भारत-सरकार इस रिपोर्टको कब प्रकाशित करनेका इरादा रखती है।

(घ) क्या यह सही है कि औपनिवेशिक कार्यालयने रिपोर्टमें प्रकट किये गये कुछ विचारोंके खिलाफ आपत्ति उठाई है?

(ङ) क्या सरकार इस विषयपर भारत-सरकार और औपनिवेशिक कार्यालयके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसे पटलपर रखनेकी कृपा करेगी?

श्री जे० डब्ल्यू० भोरने सरकारकी ओरसे उत्तर दिया।

(ग) रिपोर्टके प्रकाशनका सवाल विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) इन प्रश्नोंके जवाबके लिए प्रश्न (ग) के उत्तरको ध्यानमें रखते हुए माननीय सदस्य जोर नहीं देंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ।

श्री भोर द्वारा श्री गयाप्रसाद सिन्हासे . . . उत्तरके लिए जोर न देनेके अनुरोधसे हमारे मनमें सन्देह पैदा होता है।

. . . भारतीय जनताको यह माँग करनेका अधिकार है कि आयोगकी रिपोर्ट अविलम्ब प्रकाशित की जाये।

आपका,

वनारसीदास चतुर्वेदी<sup>१</sup>

मैं आशा करता हूँ कि श्री सिन्हाको विधान सभाकी आगामी बैठकमें अपने प्रयत्नमें अधिक सफलता मिलेगी।

[अग्नेजीसे]

यंग इंडिया, ४-१२-१९२४

१. श्री वनारसीदास चतुर्वेदीके इस पत्रके कुछ अंश छोड़ दिये गये हैं।

## ३३४. पत्र : कर्नल मरेको

स्थायी पता  
सावरभती

[४ दिसम्बर, १९२४ के आसपास]<sup>१</sup>

प्रिय कर्नल मरे,<sup>२</sup>

श्री पी० के० देसाईके सम्बन्धमें आपके उत्तरके लिए धन्यवाद । मैं जानता हूँ कि उन्होंने आपसे शिकायत नहीं की थी क्योंकि वे उन सरकारी अधिकारियोंके वारेमें कुछ नहीं कहना चाहते थे जो भारतीय हैं । मुझे ज्ञात था कि श्री देसाई कठोर श्रमकी सजा पाये हुए कैदी हैं । लेकिन मैंने सोचा कि जैसा यरवदामे था, आप उन्हें चरखेपर सूत बटनेकी नहीं लेकिन सूत कातनेकी इजाजत देनेमें आपत्ति नहीं करेंगे ।

मेरे स्वास्थ्यके वारेमें आपकी पूछताछके लिए आपको धन्यवाद । कर्नल मैडॉक द्वारा अत्यन्त सफल ऑपरेशन किये जानेके बाद मैं बिलकुल ठीक हो गया दिखता हूँ । मुझे नहीं मालूम था कि कर्नल मेल सेवा-निवृत्त हो चुके हैं ।

हृदयसे आपका,

अग्नेजी प्रति (एस० एन० ११७२९) की फोटो-नकलसे ।

## ३३५. क्या अस्पृश्यताका बचाव हो सकता है ?<sup>३</sup>

[५ दिसम्बर, १९२४]<sup>४</sup>

मेरी रायमें श्री एन्ड्र्यूजने वावू कालीशकर चक्रवर्तीके साथ बहुत लिहाज बरता है । यह ठीक है कि बगालमें अस्पृश्योंकी दशाके मुकाबले दक्षिणके अस्पृश्योंकी दशा कहीं ज्यादा खराब है, लेकिन बगालमें भी वह काफी खराब है और उसका कोई बचाव नहीं हो सकता । अस्पृश्यताका बचाव करनेवालोंकी अपेक्षा नामशूर लोग अस्पृश्यताके दुष्परिणामोंके वारेमें ज्यादा अधिकारपूर्वक कह सकते हैं । हमें अग्नेज शासकोंसे यह

१ कर्नल मरेका पत्र, जिसके जवाबमें यह पत्र लिखा गया था, ४-१२-१९२४के **यंग इंडियामें** छपा था । देखिए “टिप्पणिथा”, ४-१२-१९२४, उप-शीर्षक “प्रागजी देसाई” ।

२ जेलोंके प्रधान अधीक्षक ।

३ सी० एफ० एन्ड्र्यूज द्वारा इस शीर्षकसे लिखे लेखको यहाँ नहीं दिया जा रहा है । उस लेखमें श्री एन्ड्र्यूजने वावू कालीशकर द्वारा अस्पृश्यताके बचावमें लिखे एक पत्रका जवाब दिया था । गांधीजीने श्री एन्ड्र्यूजके उमी लेखपर अपनी उक्त टिप्पणी दी है । वावू कालीशकरने अस्पृश्यताकी तुलना अहिंसक असहयोगसे करके उसका बचाव करनेकी कोशिश की थी ।

४. देखिए “पत्र सी० एफ० एन्ड्र्यूजको”, ५-१२-१९२४ ।

सीधा-सादा तथ्य सीख लेना चाहिए कि अत्याचारी लोगोको अपने कुकृत्योंकी निर्दयताका कोई भान नहीं होता। हिन्दू-धर्मकी अस्पृश्यता तो शायद आधुनिक साम्राज्यवादियोंकी अस्पृश्यतासे भी खराब है। हमने उसे जिस कड़ाईसे वशानुगत बना दिया है, वह उसके साम्राज्यवादी सस्करणमे अभी नहीं दिखाई पडती। अच्छा हो यदि बाबू कालीगकर कृपया याद रखे कि अंग्रेज साम्राज्यवादी अपनी अस्पृश्यताके लिए वही बचाव पेश करते हैं जो हिन्दुओमे विद्यमान अस्पृश्यताके लिए वे स्वयं करते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा रास्ता यही है कि इन दोनोंमे कौन ज्यादा खराब है, यह पता चलानेके बजाय हम अपनी प्रथाकी बुराईको माने और उसका उन्मूलन करनेका प्रयत्न करे।

[अंग्रेजीसे]

यम इंडिया, ११-१२-१९२४

### ३३६. केनियाके हैरी थुकू<sup>१</sup>

[५ दिसम्बर, १९२४]<sup>२</sup>

वेचारा हैरी थुकू! श्री एन्ड्र्यूजको प्रेषित उसकी अपीलसे और मेरे द्वारा इन स्तम्भोमे उसके प्रकाशनसे सत्ता-लोलुप लोगोके गिकार वेचारे हैरी थुकूको कोई राहत नहीं मिल पायेगी। फिर भी, यदि वह कभी इन पकितयोको देख पाये तो इस खयालसे शायद उसे कुछ सात्वना मिलेगी कि दूर देश भारतमे भी लोग उसके निर्वासन और मुकदमेका हाल सहानुभूतिके साथ पढेंगे। उसे शायद यह जानकर भी कुछ सन्तोष मिल सकता है कि बहुत-से लोग, जो शायद उसीकी तरह निर्दोष हैं, आज बिना मुकदमा चलाये बगालकी जेलोमे बन्द हैं और उन्हें ऐसी कोई आशा भी नहीं है कि निकट भविष्यमे उनपर मुकदमा चलाया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यम इंडिया, १८-१२-१९२४

१ यह सी० एफ० एन्ड्र्यूजके एक लेखकी टिप्पणीके रूपमें लिखा गया है। लेख यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उसमें श्री एन्ड्र्यूजने पूर्व आफ्रिकाके हैरी थुकू नामक एक तेजस्वी बतनी युवकके साथ किये गये अत्याचारका विवरण दिया था। थुकूसे श्री एन्ड्र्यूजकी मुलाकात नैरोबीमें हुई थी, जहाँ उनके आगमनपर उसने उनके भाषणके लिए एक सभाका आयोजन किया था। एक ही वर्ष बाद श्री एन्ड्र्यूजने अखबारोंमें पढा कि एक बारदातमें बतनी लोगोपर गोरी सरकारने गोलियाँ चलाई ओर थुकूको गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाये किसमायू भेज दिया गया। थुकूने उस समय श्री एन्ड्र्यूजसे मदद माँगी थी और कहा था कि ब्रिटिश प्रजाजनकी हैसियतसे उसका यह अधिकार है कि उसपर मुकदमा चलाये बिना उसे सजा न दी जाये। फिर, इस लेखके प्रकाशनसे कुछ समय पूर्व उसने अपनी अपील दुहराई थी और बताया था कि उसे क्यों निर्वासित किया गया। उसकी माँग थी कि गोरे मालिकोंके बागानोंमें कुमारी आफ्रिकी लडकियोंसे काम न लिया जाये, क्योंकि इससे अनैतिकता फैलती है। उसकी यह भी माँग थी कि बतनी लोगोको कोड़े लगाना बन्द होना चाहिए।

२. देखिए अगला शीर्षक।

परम प्रिय चार्ली,

मैंने महादेवसे तुम्हें यह कह देनेको कहा था कि तुम जिन तरह 'यग उडिया' के लिए लिय रहे हो, उस तरह न लिखो। मैं देवदामके पास रयी एक लेखनी पाण्डुलिपि देख गया हूँ। देव बहुत प्रयत्नसे लिखा गया है और मैं देव मकता हूँ कि तुमको उसके लिए किनकी भेदन करनी पड़ी होगी और जिन बातसे मुझे चिन्ता होती है वह यह है कि तुम उसे अपना अग्रिहार्य कर्तव्य मानते हो। मैं हर हफ्ते नये लेख लिखता हूँ, हाँकि अभी लिखा हुआ उतना पडा है। इसलिए तुम चिन्ता न करो। तुम उस दायित्वसे मुक्त हो। लेकिन तुमको जब प्रेरणा होगी तब तो लिखोगे ही। मैंने सावरमतीसे तुम्हारे दो-तीन लेख नष्ट कर दिये थे। अब मुझे याद नहीं कि वे कौन-से लेख थे। मैंने अभी-अभी हैरी युक् और 'अस्पृश्यता' शीर्षकके दो लेखोंको अपनी टिप्पणिया देकर (ऐसा कह सकूँ तो) 'पाम' कर दिया है। मेरे पास अभी दो अकोंके लिए पर्याप्त नामग्री है। मैंने तुम्हारी मित्र-सम्बन्धी टिप्पणी नष्ट कर दी है, क्योंकि उससे विषयके साथ न्याय नहीं हो पाया था। ब्रिटेनका अल्टीमेटम मुझे बहुत बर्बरतापूर्ण लगा था। लेकिन मुझे मित्रके वारेसे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस विषयपर कथम नहीं उठाऊँगा। उसके वारेमें मुहम्मद अलीने जो-कुछ लिखा है, वह पटो और बताओ कि कैसा लगा।

यह पत्र मैं लाहौरसे लिख रहा हूँ। मैं १४ तारीखको या उससे पहले आश्रम पहुँचने और वहाँ चार दिन रह सकनेकी आशा करता हूँ। क्या तुम वेलगाँव तार दे सकते हो? अगर ठीक न समझो तो तार भेजनेकी जरूरत नहीं।

सप्रेम।

तुम्हारा,  
मोहन

अग्नेजी पत्र (जी० एन० २६१५) की फोटो-नकलसे।

## ३३८. भाषण : अमृतसरके स्वण मन्दिरमें

५ दिसम्बर, १९२४

महात्मा गांधीको अकाल तख्तकी ओरसे एक सरोपा भेंट किया गया। उसे स्वीकार करनेके लिए वे 'सत श्री अकाल'के नारोके बीच खड़े हुए। फिर उन्होंने धीमे स्वरमें बैठे-बैठे भाषण किया। उस समय चारो ओर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, इसलिए उनकी आवाज कमजोर होते हुए भी विलकुल साफ सुनाई पड रही थी। उन्होंने कहा, सरदार मंगलसिंहने कहा है कि उनका बयान सुनकर मेरी आँखोंमें आँसू भर आये। लेकिन वास्तवमें ऐसा नहीं हुआ। मैं इन कष्टोपर इसलिए आँसू नहीं बहाता क्योंकि मुझे मालूम है अभी तो हमारे ऊपर इनसे भी बड़ी विपत्तियाँ आनेवाली हैं। मेरे आँसू बहानसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब मैं काम नहीं कर पाऊँगा। मेरा दिल पत्थरका बन गया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने दिलोको इसी तरह मजबूत बनायें। मैं जानता हूँ कि पंजाबके नये शासक (सर मेलकम हेली) दूसरी ही तरहके मनुष्य है और मैंने उन्हे ठीक-ठीक पहचान लिया है। मैं जानता हूँ कि वे क्या करना चाहते हैं; परन्तु मैं अकालियोको आगाह करता हूँ कि आप उनके भाषणोके धोखेमें न आयें। मुझे यकीन है कि अगर जनता अपनी सारी शक्तियाँ एक साथ समेटकर प्रयत्न करे तो भारतको आजाद करानेमें देर नहीं लगेगी और तब गुरुद्वारेकी समस्याका भी निबटारा जल्दी ही हो जायेगा। जब मैं उस दुःखद घटनाके तुरन्त बाद ननकाना साहब गया था, तब मैंने सिखोंसे जो-कुछ कहा था, उसे मैं आज भी दोहराना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि अगर सिख लोग इस बृहत्तर गुरुद्वारेको — अपनी मातृभूमिको — आजाद करानेका प्रयत्न करे तो वे अपने गुरुद्वारोको विना किसी ज्यादा झझटके आजाद करा सकते हैं। हिन्दुओ, मुसलमानो और सिखोको अलग-अलग दिशाओमें अपनी ताकत नहीं लगानी चाहिए। मैंने सरदार मंगलसिंहको गुरुद्वारोके सवालके बारेमें सब-कुछ बतला दिया है; परन्तु मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। आप अपनी लड़ाईको सत्याग्रह कहते हैं। सचमुच देखा जाये तो सत्याग्रह और असहयोग दो अलग-अलग चीजे नहीं हैं। सत्याग्रहका अर्थ है 'सत्यका बल'। इस बलको कोई भी दूसरी ताकत कुचल नहीं सकती, क्योंकि अगर इसको कमजोर किया जा सके तब तो ईश्वरको भी कुचला जा सकता है और मेरा विश्वास है कि ईश्वरको कुचलना नितान्त असम्भव है। सत्यका बल केवल अपवित्रतासे ही कमजोर हो सकता है, परन्तु सत्यमें अपवित्रताके लिए कही कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह सत्याग्रहमें अपवित्रताके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें आपको किसी भी चीजको छिपाना नहीं चाहिए। पैसा हो या कागज

हो—कोई चीज आपको जनतासे नहीं छिपानी चाहिए। सत्याग्रहकी एक यही शर्त है कि हर काम पूरी सचाईसे किया जाये। मैंने मुसलमानोंको हिन्दुओंके और हिन्दुओंको मुसलमानोंके खिलाफ और सिखोंको दूसरोंके तथा दूसरोंको सिखोंके खिलाफ शिकायतें करते सुना है। हिन्दू और मुसलमान और एक ही समाजके सम्प्रदायतक एक-दूसरेके खिलाफ लड़ रहे हैं। सत्याग्रहकी लड़ाईमें आपको सभी मतभेद दूर कर देने चाहिए, आपको अवसरका ध्यान रखना चाहिए। वही अच्छा सैनिक या सेनापति होता है जो अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिए उत्तम अवसरका ध्यान रखता है। अगर जरूरत पड़े तो आपको समय देखकर दूसरेके सामने सिरतक झुका देना चाहिए। सर मेलकम हेली आपके दूसरे सम्प्रदायोंको एक करके आपको कुचलना चाहते हैं, यद्यपि उन्होंने अपने भाषणोंमें कहा है कि वे सिखोंको कमजोर नहीं करना चाहते और साथ ही वे गुरुद्वारोंके सुधारके भी पक्षमें हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनके दिलमें क्या है।

महात्माजीने अन्य विषयोंकी चर्चा करते हुए कहा मेरा असहयोगका सिद्धान्त तभी खत्म होगा जब भारत आजाद हो जायेगा। उन्होंने अकालियोंसे अनुरोध किया कि वे सत्यपर अटल रहे और इसी आदर्शको लेकर अपनी लड़ाई चलायें।

[ अग्नेजीसे ]

ट्रिव्यून, ७-१२-१९२४

### ३३९. भाषण : अमृतसरकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

५ दिसम्बर, १९२४

महात्मा गांधीने दोनो मानपत्रोंका एक साथ उत्तर देते हुए कहा कि इन मानपत्रोंको स्वीकार करनेमें मुझे काफी शिक्षक महसूस हुई है और उसका कारण अब मुझे इसी सभामें नजर आ गया है। जब मैं पहली बार अमृतसर आया था और देशका दौरा किया था तब मैंने लोगोंको महात्मा गांधीकी जयके नारे लगाते सुना था। इन नारोंको सुनकर मुझे खुशी नहीं होती, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग मेरे नामपर तरह-तरहके अनुचित काम करने लगे हैं। मैं आप लोगोंसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरा नाम भूल जायें और हिन्दू-मुसलमानकी जयके नारे लगायें। महात्माजीके ऐसे कहनेपर श्रोताओंने यह नारा लगाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा तो यह हो कि लोग चरखेकी जयका नारा लगायें, क्योंकि मेरी जय कहनेसे कोई फायदा

१ जलियाँवाला बागमें डा० सन्तराम सेठकी अध्यक्षतामें आयोजित सभा। गांधीजीके स्वागतमें मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, स्थानीय कांग्रेस कमेटी, केन्द्रीय सिख लीग, हिन्दू सभा, नागरिक सभ, महाराष्ट्र समाज और गुजरात मित्र-मण्डलने सम्मिलित रूपसे मानपत्र दिया था। इसके अतिरिक्त एक और मानपत्र जेलसे लौटे अमृतसरके स्वयंसेवकों और नवयुवकोंने दिया था।



होनेवाला नहीं है। मैं तो ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर वह मुझे जिन्दा रखना चाहता है तो वह मेरा उपयोग किसी अच्छे और पुनीत कामके लिए करे। मैं प्रभुसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि हिन्दू और मुसलमान अपने मतभेदोको भुला दें। वे अपने-अपने धर्मपर दृढ रहते हुए भी एक-दूसरेके धर्मके प्रति सारी कटुता छोड़ सकते हैं। हिन्दू लोग 'कुरान'के खिलाफ एक शब्द बोले बिना भी श्रुटिका प्रचार कर सकते हैं। एक मानपत्रमें इन झगडोकी जिम्मेदारी नेताओपर डाली गई है। बात सही है, क्योंकि लडनेवाले गुण्डे नहीं हैं। मैं साबित कर सकता हूँ कि इस गडबडीके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और नेता लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप नेताओके वहकावेमें न आएं, क्योंकि जनताने ही तो उनको अपना नेता बनाया है।

इसके बाद महात्मा गांधीने कहा कि मुझसे कहा गया है कि मैं यहाँ कुछ दिन रुकूँ और इन मतभेदोको दूर कराऊँ। पर इस कामको तो यहाँके लोग ही ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं इसे नहीं कर पाऊँगा और न मेरे पास यहाँ रुकनेके लिए समय ही है। यदि इस तरहको गडबडीसे कोई स्थान बचा रहना चाहिए तो वह अमृतसर ही है। मैं मानता हूँ कि मेरा सारा असर खत्म हो गया है। अब तो आपको ही यह काम करना है। हिन्दू और मुसलमान दोनो ही अब मेरी नहीं सुनते। मुझपर इलजाम लगाया जाता है कि मैं मुसलमानोके साथ अनुचित पक्षपात करता हूँ। परन्तु हिन्दू यह नहीं जानते कि उनको डाँटने-फटकारनेका तो मुझे पूरा हक है, जबकि मुसलमानोके धर्मकी पूरी जानकारी न होनेके कारण मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा करना किन्ही प्रकार हानिकर हो सकता है और उससे उनकी धार्मिक भावनाओको ठेस लग सकती है। लेकिन खुद एक हिन्दू और कट्टर सनातनी होनेके नाते, मैं अपने धर्मको समझता हूँ और उसके खिलाफ बखूबी बोल सकता हूँ। मुझपर इलजाम लगाया गया है कि मैं आर्य समाजकी नुक्ताचीनी करता हूँ और मैं रावल्पीडीके सनातन धर्म सम्मेलनमे तो शामिल नहीं हुआ, परन्तु खिलाफत सम्मेलनमें शरीक होने आ गया हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अपने धर्मके प्रति सच्चा रहते हुए भी अन्य धर्मोके प्रति अपने आदर-भावके कारण उनकी तरफ-दारी करता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सत्यका पालन करे। असत्यको मैं हिंसा मानता हूँ। यदि मैं असत्य भाषण करूँ तो मुझे जानसे मार देना चाहिए। हिन्दू लोग पूछते हैं कि अगर कावुलियोने भारतपर हमला कर दिया तो हम क्या करेगे। मेरी यही सलाह है कि आप कावुलियोसे भय न खाइए, क्योंकि वे आपके भाई हैं। आपको कावुलियोकी इज्जत करनी चाहिए और उनके आगे सिर झुकाना चाहिए। आपको संयम और सहिष्णुतासे काम लेना चाहिए।

[अग्नेजीसे]

द्विव्यून, ७-१२-१९२४

## ३४०. भाषण : अमृतसरके खिलाफत सम्मेलनमें

६ दिसम्बर, १९२४

महात्माजीने "हिन्दू-मुसलमानकी जय" के कर्ण-भेदी नारोके बीच खड़े होकर कहा कि मुझे नज्रूर होकर' आपकी कार्यवाहीमें बाधा उालनी पड रही है। मुझे हिन्दू-मुसलमान समस्याके बारेमें अन्य नेताओसे सलाह-मशविरा करने लाहौर जाना है। यह कहना गलत है कि दगोके लिए गुण्डे जिम्मेदार हैं। इसके विपरीत इसके लिए नेता — जैसे, डा० किचलू, अली भाई, हकीम साहब और अन्य नेता लोग — भी समान रूपसे जिम्मेदार हैं। दिमागी तौरपर तो वे उनमें हिस्सातक लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों जातियोका हृदय-परिवर्तन हो और दोनोंके बीच पहले-जैसा सौहार्द स्थापित हो जाये। अध्यक्ष (श्री जफर अली) ने मेरी प्रशंसा करनेके लिए कुछ हिन्दू नेताओके बारेमें जो बातें कहीं, वे मुझे वम-विस्फोट जैसी मालूम हुई हैं और वे ठीक भी नहीं हैं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ और अपनी प्रशंसा सुनना पसन्द नहीं करता। मुझे पण्डित मालवीयजीके खिलाफ कही गई बातोंसे बड़ा आघात लगा है और उनसे मेरा दिल टूट गया है। मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सकता कि मालवीयजी मुसलमानोंके दुश्मन हैं और हिन्दू-मुसलमान एकताके मार्गमें बाधक हैं। मैं मालवीयजीके बारेमें आपकी राय बदलना चाहता हूँ। हिन्दू लोग मालवीयजीको अत्यन्त सम्मान और प्रेमकी दृष्टिसे देखते हैं, इसलिए आपको मालवीयजीकी बुराई करनेसे समस्याके हलमें कोई मदद नहीं मिलेगी। लोग मुझसे कहीं ज्यादा मालवीयजी-पर आस्था रखते हैं। मुझे तो लोग मुसलमान मानने लगे हैं। अलबत्ता, उनकी यह धारणा गलत है।

हिन्दुओके लिए मालवीयजीका साथ छोड देना उसी तरह असम्भव है जिस तरह मुसलमानोंके लिए, मेरे कहनेसे हकीम अजमल खाँ और अली भाइयोका साथ छोडना। मैं आपको याद दिला दूँ कि बी-अम्माँकी मृत्युसे हिन्दुओको भी दुःख हुआ है। मुसलमानोंसे मेरा अनुरोध है कि वे अपने पैगम्बरकी यह सीख याद रखें कि उनको अपने दुश्मन तकके साथ भाई-चारेका बरताव करना चाहिए, और उसपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इससे एक-दो सालके अर्सेमें उसका हृदय-परिवर्तन हो जायेगा। मैंने जो-कुछ पण्डित मालवीयके बारेमें कहा है, वह लाला लाजपतरायपर भी उतना ही लागू होता है। मैं उनके हृदयको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं

१ गाधीजीने यह भाषण जकर अलीके इस कथनके उत्तरमें दिया था कि मदनमोहन मालवीय, लाजपतराय और अन्य हिन्दू नेता बाहरसे तो हिन्दू-मुस्लिम एकताकी बात करते हैं किन्तु मनसे उसकी इच्छा नहीं करते।

जब भी लाहौर जाता हूँ, लालाजीके साथ ही ठहरता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि लालाजी हिन्दू-मुसलमान एकताके जबरदस्त हिमायती हैं। पर साथ ही मैं आप सबको यह भी जता देना चाहता हूँ कि जो हिन्दू किसी मुसलमानके साथ दोस्ताना ताल्लुक पसन्द नहीं करता उसे भी मैं दुश्मन नहीं बनाना चाहता; और इसी तरह किसी हिन्दूके प्रति वैसा ही रख रखनेवाले मुसलमानके प्रति भी मेरा दृष्टिकोण यही है। हिन्दुओने मुझे कहा है कि उनको अफगानोके हमलेका डर है। मुझे खुद तो उसका जरा भी डर नहीं है, क्योंकि वे ज्यादासे-ज्यादा यही कर सकते हैं कि मेरा सिर धडसे अलग कर दें, किन्तु वे मुझे मेरे धर्मसे च्युत तो नहीं कर सकते। हिन्दुओका यह डर विलकुल बेबुनियाद है। इस सूबेमें कई उर्दू अखवार ऐसे हैं जो, मेरी रायमें, जहर फैलाते हैं और आगे बढ़कर हिन्दू-मुसलमान एकताकी जड़ें काटते हैं। सचमुच ऐसे अखबारोपर नजर भी डालना शर्मनाक है। अगर मुसलमान इस्लामको बचाना चाहते हैं तो उनको हिन्दुओके साथ एक हो जाना चाहिए। हिन्दुओसे मैं कहना चाहता हूँ कि वे सारे मुसलमानोको हिन्दुस्तानसे बाहर नहीं निकाल सकते। उनको अपना अस्तित्व बनाये रखनेके लिए मुसलमानोके साथ एक हो जाना चाहिए। भारत [की परतन्त्रता] अन्य कई स्वतन्त्र देशोकी स्वाधीनता नष्ट करनेके लिए जिम्मेदार है और हमें आजादी मिलनेसे भारतका विदेशी शोषण खत्म हो जायेगा और हिन्दू-मुसलमान एकता स्थापित हो जायेगी। नेताओका काम यही है कि वे दोनो जातियोमें दिली एकता कायम करे और कमजोरो और बलवानोके बीच दोस्ताना सम्बन्ध बनाये। ईश्वर इस लक्ष्यको प्राप्त करनेमें और अपने हृदयोको परिवर्तित करनेमें हमें सहायता दे।

[अग्नेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १२-१२-१९२४

### ३४१. दीक्षान्त भाषण : पंजाब कौमी विद्यापीठमें<sup>१</sup>

६ दिसम्बर, १९२४

महात्मा गांधी बोझनेके लिए खड़े हुए तो जन-समुदायने जय-जयकारके तुमुल-नादसे उनका स्वागत किया। कमजोरीके कारण उन्हें बैठे-बैठे भाषण करना पड़ा। मंचपर एक कुर्सी रख दी गई थी। गांधीजीने उसीपर आसन ग्रहण किया। उन्होने हिन्दीमें भाषण दिया।<sup>२</sup> भाषणका एक-एक शब्द भवनमें हर जगह साफ सुनाई पड़ रहा था।

१. लाहौरके ब्रैडलॉ हॉलमें हुए उसके तीसरे दीक्षान्त समारोहमें, मदनमोहन मालवीय और शौकत अली भी मौजूद थे।

२. हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है।

गावोजीने अपना भाषण नये स्नातको द्वारा की गई प्रतिज्ञाका उल्लेख करते हुए शुरू किया और ईश्वरसे 'प्रार्थना की कि वह उन्हें उनके देश या धर्मको हानि पहुँचा सकनेवाली हर चीजसे बचनेकी शक्ति प्रदान करे। उन्होंने कहा, मैं आपको डिग्री हासिल करनेपर बधाई देता हूँ। आप आगे चलकर जो भी काम हाथमें ले, हर समय अपने देशको स्वराज्य दिलानेका अपना उद्देश्य ध्यानमें रखें।

मुझसे रजिस्ट्रारने कहा है कि मैं बेलगाँवमें कोई ऐसा सुझाव लोगोंके सामने रखूँ जिससे देश-भरकी इन राष्ट्रीय सस्थाओंमें और अधिक शक्तिका संचार हो। कह नहीं सकता कि मैं बेलगाँवमें क्या सुझाव दूँगा। मैंने 'यंग इंडिया' में लिखा था कि मेरे और शिक्षित समुदायके बीचकी दूरी दिन-दिन बढ़ती जा रही है।' फिर भी मैं निराश नहीं हूँ। यह दूरी अवश्यभावी है। रजिस्ट्रारने शिक्षाकी चालू पद्धतिके उद्देश्यके बारेमें लॉर्ड मैकालेका कथन उद्धृत किया है। इसमें शक नहीं कि लॉर्ड मैकालेका उद्देश्य पूर्ण रूपसे फलीभूत नहीं हो पाया है जैसा कि लालाजीने<sup>१</sup> कहा है, इस बातकी हर आदमी मानता है कि हमारी सभ्यता युगो पुरानी है। इसलिए हमको सदा गुलाम बनाये रखना असम्भव है।

मैं पिछले चालीस वर्षोंसे शिक्षाकी चालू पद्धतिके परिणामोपर दृष्टि रखता आया हूँ। एक समय था, जब मैं भी उसपर मुग्ध था और मैंने दक्षिण आफ्रिकाके कई लोगोंको वैरिस्टर बनानेमें मदद दी थी। लेकिन मेरा भ्रम दूर हो गया। मैंने एक अमेरिकी लेखककी वह सम्मति पढी है कि भविष्य उन देशोंके ही हाथमें है, जिनकी सन्तान शारीरिक श्रमकी महत्ताको समझेगी और उसे अपनी शैक्षणिक पद्धतिका एक अंग बना लेगी।

टालस्टायने इने 'ब्रेड-लेवर' — 'रोटीका श्रम' कहा है। भगवद्गीतामें भी कहा गया है कि जो मनुष्य आवश्यक दैनिक यज्ञ किये बिना खाता है, वह वास्तवमें चोर<sup>२</sup> है। समाजकी खातिर किया गया शारीरिक श्रम ही यह यज्ञ है। मेरी इस व्याख्याका समर्थन एक अन्य विद्वान्ने भी किया है। कुरान और पारसी धर्म-शास्त्रमें भी मुझे यही बात मिली है। पुराने जमानेके खलीफा लोग भी अपने जीवन-यापनके लिए श्रम किया करते थे और अपना शेष समय धार्मिक कार्योंमें लगाते थे। इसलिए मेरी तो यही राय है कि जो मनुष्य श्रम-रूपी तपस्या नहीं करता उसे जीनेका कोई अधिकार नहीं। केवल अपने दिमागमें विभिन्न तथ्य ठसाठस भर लेना और फिर उनको जहाँ-तहाँ बाँटते रहना शिक्षा नहीं है। गुजरात विद्यापीठमें लोगोंने अपने आदर्शके रूपमें इस वाक्यको चुना है — "विद्या वही है जो मुक्ति दिलाये"<sup>३</sup>। यहाँ रजिस्ट्रारने अभी

१ देखिए "ईश्वर हम सबकी सहायता करे।", २६-११-१९२४।

२ लाला लाजपतराय, विद्यापीठके कुलपति।

३ ३, १२।

४ सा विद्या या विमुक्तये।

वताया कि कुछ स्कूली बच्चोंके माता-पिता अपने बच्चोंको शारीरिक श्रमकी शिक्षा देनेपर आपत्ति करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे बच्चोंको अपने आगामी जीवनमें श्रम तो करना नहीं है। हिन्दू और मुसलमान भी सरकारी नौकरियोंके पीछे इसलिए झगड़ रहे हैं कि वे शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते। मैं इसे हराम समझता हूँ।

आपको जो शिक्षा मिल रही है, वह सिर्फ दिमागकी शिक्षा है, हृदयकी नहीं। हृदयकी शिक्षाका मतलब है धार्मिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षाका अर्थ केवल शास्त्रोंका पठन-पाठन नहीं है। उसका अर्थ है ईश्वरकी वास्तविक अनुभूति और ईश्वरके अतिरिक्त अन्य किसीके सामने भी भयसे न झुकना। यदि कोई ऐसी सच्ची शिक्षा, अर्थात् हृदयकी शिक्षा एक बार प्राप्त कर ले तो उसके हृदयमें किसी मनुष्यका या शक्तिशाली सरकारका भी भय नहीं रह जायेगा, क्योंकि तब उसको अनुभूति हो जायेगी कि ईश्वर उसके साथ है। उन्होंने विद्यार्थियोंसे पूछा, क्या आपको ऐसी शिक्षा मिली है? क्या आप छोटेसे-छोटा काम करनेके लिए भी तैयार हैं? अगर आप मानते हैं कि देशकी स्वतन्त्रताके लिए चरखा चलाना अत्यावश्यक है तो क्या आप यज्ञ समझकर प्रतिदिन चरखा चलते हैं? यदि ऐसा हो तभी कहा जा सकता है कि आपको सच्ची शिक्षा मिली है।

उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि यदि भारतका प्रत्येक पुत्र और भारतकी प्रत्येक पुत्री प्रति-दिन कमसे-कम आधा घंटा भी सूत कातने लगे और उसे कपडे तैयार करने और गरीबोंमें बाँटनेके लिए काप्रेसको देने लगे तो हम अपने देशको स्वतन्त्र करा सकते हैं। परन्तु हमारे अन्दर अभीतक ऐसी राष्ट्रीय चेतना पैदा नहीं हुई है। यदि आप अपने देशके भूखे और नग्न लोगोंके सबसे निचले वर्गके लिए स्वराज्य लेना चाहते हैं तो आपको सूत कातना शुरू कर देना चाहिए। मैं आपको शेक्सपियर या मिल्टनकी रचनाएँ पढ़नेसे या वैदिक ऋचाओंका पाठ करने से या 'कुरान' का अध्ययन करनेसे नहीं रोकता; लेकिन जैसा कि 'कुरान' में हजरत मुहम्मदने कहा है, निचले वर्गके लोगोंकी उपेक्षा करनेवाले ईश्वरसे बहुत दूर हैं। और यही बात राष्ट्रीय शिक्षाके लिए अत्यावश्यक है। मेरी समझमें तो यही सच्ची शिक्षा है।

इस समय मैंने राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमें असहयोगको स्थगित करनेकी जो सलाह दी है, उसका कारण यह नहीं है कि मैं शिक्षाकी इस दूषित पद्धतिको बरकरार रखना चाहता हूँ। महाकवि तुलसीदासने मुझे सीख दी है कि धर्म और अधर्मके बीच किसी भी तरहका सौहार्द, स्नेह या एका नहीं हो सकता। इसलिए जबतक मेरा विश्वास है कि यह सरकार शैतानी सरकार है और यह कमजोर जातियोंके अहंकारपूर्ण शोषणपर खड़ी है, तबतक इससे असहयोग करना मेरा कर्तव्य है और मैं इस मार्गपर दृढ़ रहूँगा, चाहे मुझे इसपर अकेले ही चलना पड़े। यहाँ यदि कोई अराजकतावादी हो तो मैं उन्हें बतला देना चाहता हूँ कि मैं अहिंसापूर्ण असहयोग

करना चाहता हूँ हिंसापूर्ण नहीं और मेरा असहयोग इस शासन-प्रणालीके विरुद्ध है, इस प्रणालीको चलानेवाले व्यक्तियोंके विरुद्ध नहीं।

व्यक्तिके नाते मुझे लॉर्ड रीडिंग या सर मेलकम हेलीसे कोई शिकायत नहीं है, हालाँकि मैंने सुना है, सर मेलकम हेली इस समय पजाव-भरमें बड़ी तेजीसे अपना जाल फैला रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सर मेलकम हेली जानते हैं कि वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैंने लम्बे असेतक इस सरकारके रग-ढगका अध्ययन बड़ी बारीकीसे किया है और इसलिए मैं यह बात जानता हूँ। इसके अतिरिक्त सर मेलकम यह जान भी कैसे सकते हैं? जूता पहननेवाला ही तो जान सकता है कि जूता कहाँ काट रहा है।

लेकिन जो असहयोग स्वयं दूषित हो, वह अपनाने योग्य नहीं है और हिन्दुओ और मुसलमानोंके बीच आज असहयोगकी ऐसी ही भावना वर्तमान है, वह घृणा और भयपर आधारित है और उसमें शान्ति और प्रेम लेश-मात्र भी नहीं है। आप सब ईश्वरसे यही प्रार्थना करे कि वह ऐसे असहयोगसे आपको बचाये।

लाहौर या बेलगाँवमें अध्यक्षताके लिए मेरे सहमत होनेका यह मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि मुझमें बडप्पनका भाव आ गया है। इसके विपरीत मैं तो यह समझता हूँ कि मैं छोटे कारतूसके समान शक्तिहीन हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि भारतके शिक्षित लोगोंका एक बड़ा भाग मेरे साथ नहीं है। वे महात्मा गांधीकी जयके नारे भले ही लगायें, परन्तु उससे मुझे खुशी नहीं हो सकती। इसके बदले यदि वे मेरे ऊपर थूक भी दें, किन्तु मैं जैसा कहूँ वैसा करे तो मुझे सचमुच खुशी होगी।

अन्तमें गांधीजीने पूछा कि क्या पजाबी लोग चरखेको अपनायेंगे। पजाबी हिन्दुओसे यह सुनकर मुझे दुःख पहुँचता है कि वे खद्दर पहनना इसलिए हराम समझते हैं कि उसे मुसलमान बुनकर बुनते हैं। उनका पारस्परिक असहयोग इस सीमातक पहुँच चुका है। मैं खुद चाहता हूँ कि मुसलमान बुनकर अपना घन्धा फिर अपना लें। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप सभी लोग चरखेको पूरे उत्साह और अटूट विश्वाससे अपनायें। दूसरी तरफ मुसलमान चाहते हैं कि खद्दर मलमल-जैसा महीन और भँचेस्टरके कपडो-जैसा सस्ता हो। ऐसे हिन्दुओ और मुसलमानो, दोनोंको मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि वे जबतक खद्दरका सन्देश नहीं सुनेंगे, तबतक स्वराज्य नहीं मिल सकता।

[अग्नेजीसे]

द्विव्यून, ९-१२-१९२४

## ३४२. तेरह आदेश

ईसाई धर्ममे दस पालनीय आदेश बताये गये हैं। भाई अमृतलाल ठक्करको मैंने उनके प्रेमके कारण अन्त्यजोका धर्म-गुरु कहा है। उनकी सेवावृत्तिकी कोई सीमा नहीं है। अब उन्होंने भीलोके गुरुका पद सँभाला है और अनुभवसे जो उन्हें जरूरी लगा है उसे उन्होंने, आदेशके रूपमे कहिए या उपदेशके रूपमे, बड़े-बड़े सुन्दर अक्षरोमे छपवाया है। ये आदेश भील भाइयोकी भाषामे ही छपवाये गये हैं। यहाँ सब आदेश उद्धृत करनेकी तो जरूरत नहीं है, किन्तु उनमे से कुछ आदेश उद्धृत करता हूँ। उदाहरणके तौरपर पहला आदेश यह है

हँडिया<sup>१</sup> मत पिओ। हँडिया पीनेसे वच्चे ठण्ड और भूखो मरेगे।

आदेश ३ नित्य स्नान करो, इससे तुम्हारा जी हल्का रहेगा, तुम्हे दाद-खुजली नहीं होगी तथा तुमपर बाबादेवकी कृपा रहेगी।  
लगता है भील परमेश्वरको बाबादेव कहते हैं।

आदेश ५ पानी छाना हुआ और ताजा पीओ। बाबादेव तुम्हे नारू नहीं होने देगे।

आदेश ६ [लडकीके विवाहमे] लडकीकी कीमत न लो। लडकीकी कीमत लेनेसे तुम्हे दुख उठाना पडेगा।

आदेश ९ चोरी-चकारी न करो। नहीं तो बाबादेव अन्न-सकट पैदा कर देगे।

तेरहवाँ और अन्तिम आदेश यह है

प्रतिदिन सूर्यास्त होनेपर बाबारामका स्मरण करो। बाबारामके समान अन्य कोई नहीं है। गुरुजीकी शपथ।

इनमे से बहुतसे आदेश तो ऐसे हैं जो हमपर भी लागू होते हैं। इन आदेशोके सम्बन्धमे ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक आदेशका पालन करनेके लिए सक्षेपमे कोई-न-कोई सुन्दर कारण दिया गया है।

भगवान करे, भाई अमृतलाल ठक्करकी सेवा फलीभूत हो और भील भाइयोका भविष्य उज्ज्वल हो।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-१२-१९२४

१. मूलमें 'हरो' है। आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त और तैयार की जानेवाली एक प्रकारकी शराब।

### ३४३. किस आशासे ?

पाठक यह तो समझ ही लेंगे कि अपने दूसरे काम-काजके बीच मैंने जो काठियावाड़ राजनीतिक परिपक्वा अव्यक्त-पद स्वीकार कर लिया है वह छोटी या बड़ी आशामें ही किया होगा।

काठियावाड़में एक टुकड़ी लगा आनेका लाभ तो मुझे बराबर रहता है, लेकिन इस उच्छाको तो मैं दूसरे मौकेपर और अव्यक्त-पदका भार उठाये बिना भी पूरा कर सकता था। मैं वहाँ जा तो रहा हूँ इस आशामें कि काठियावाड़पर जो खादीके प्रति उदासीनता बरतनेका आरोप लगाया जाना है, उससे वह मुक्त हो जाये। मेरे पान आनेवाले भाइयोंने मुझे भरोसा दिया है कि मोनगढको मैं पूरी तरह खादी-नगरके ही रूपमें देखूंगा और परिपक्वमें आनेवाले हजारों लोग तो खादी पहनकर ही आयेंगे।

जो-कुछ मिल जाये, वह तो लाभ ही है, ऐसा समझकर मैं उत्तनेको ही स्वीकार कर लूंगा, किन्तु माय ही जैसा उत्तर तिलक महाराजने स्वर्गीय श्री मॉन्टेग्यूको दिया था, मैं भी वैसा ही कहूंगा “जो मित्रेगा उसे स्वीकार करके अधिकके लिए लड़ूंगा।” काठियावाड़में पैदा हुई रुई बाहर जाये और उस रुईमें जो कपड़ा बनकर बाहरसे आये उसे काठियावाड़के लोग पहनें, यह बात तो बराबर अत्यन्त मानी ही जायेगी, किन्तु रुईकी ही तरह काठियावाड़की जनता भी आजीविकाके अभावमें बाहर जाये, यह कैसे देखा जा सकता है ?

काठियावाड़के बुनकरोको रोजगार न मिले, काठियावाड़की गरीब बहनोको कताईके अभावमें दुःख उठाना पड़े, यह कैसी विउम्भना है ? इसमें मुझे राजा-प्रजा दोनोंका दोष दिखाई देता है। अगर राजा लोग चाहे तो अपने राज्यामें पैदा होनेवाली रुईका उपयोग वही करवाकर हाथ नताई और उगने सम्बन्धित अन्य कृषिशोधा पुनरुद्धार करा सकते हैं।

एक समय था जब काठियावाड़के कुछ बुनकरोको मैंने पोम्बन्दरमें कर्तों नहीं देगा ? आज उनका धन्या ल्गभग नष्ट हो गया है। यह मेरे ही समयकी बात है कि काठियावाड़ी अतन्त्र और अहमदावादी अतन्त्रके बीच होठ चरती थी और उगमें काठियावाड़ जीतता था। काठियावाड़के मद्रियोंको मद्रिरों भी देखाईगी रीतिने रगनेका काम अपने नाथ लाकर अपने समयका अनुपयोग करने मैंने न्यय अपनी आंगों देगा है। आज वे सब कर्तों है ? एक समयमें काठियावाड़की तरीकी ताँतियाँ प्रख्यात थी। उन्हें बुानेवाला मैंने देगा है। किन्तु आज वे कर्तों है ? खादीन रूप पहने मैं राजकोटके इंसिदिद काठियावाड़के रगनेजोका देगा रगता था, और [उत्ताने तरीकीरीके नमूनेको देगाकर मनमें जायेवाली] — कर्तोंकी नत् निरीप उजा रि



‘कितना अच्छा हो, अगर पिताजी मुझे इस रगका साफा खरीद दे,’ मुझे आज भी याद है। कौन जाने, आज ये रगरेज कहाँ होंगे।

कौन जानता है कि हाथ-कताईके लोपके साथ-साथ उससे सम्बन्धित और भी कितने धन्वे लुप्त हो गये हैं? उनकी गिनती कौन कर सकता है? कताईके लोपके साथ ही कलाका भी लोप हो गया है, इसका एहसास हमें कहाँ है? इस कलाके साथ ही करोडो किसानोके धरोकी ज्योति बुझ गई है, इसका विचार भी हम शहरी लोग कहाँ करते हैं? चरखेमें जो बरकत थी, वह चरखेके साथ ही चली गई। जिन धरोमें चरखेको फिरसे स्थान मिल गया है, उनमें बरकत फिरसे आ रही है। अलबत्ता, अभी वह वहाँ पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है, क्योंकि उन धरोमें चरखेपर अभी पूरी श्रद्धा पैदा नहीं हुई है। “मेरे सूतकी खपत नहीं हुई तब मेरा क्या होगा? इन कांग्रेसियोका क्या भरोसा? ये लोग आज कुछ करते हैं तो कल कुछ। इनकी पीठपर सरकार तो है नहीं?” ऐसी अनिश्चित स्थितिसे वे घबराते हैं। ‘दूधका जला छाछ भी फूँक-फूँककर पीता है,’ आज हमारी दशा ऐसी ही दयनीय है।

ऐसी स्थितिमें मैं अपने मनमें इस आशाको सँजोये हुए हूँ कि काठियावाड खादीके कार्यको हाथमें लेकर उसकी शोभा बढ़ायेगा।

दूसरी आशा भी उतनी ही निर्दोष, उतनी ही तीव्र और उसी प्रकार धार्मिक है। धर्म-तत्त्व तो कदाचित् इस दूसरी आशामें अधिक ही हो। काठियावाडकी अस्पृश्यतासे तो विदुरका साग खानेवाले, ग्वाल-वालोके साथ खेलनेवाले, गाये चराने-वाले, गोपियोके निर्मल मनको हरनेवाले, उनके पवित्र हृदयोके स्वामी कृष्ण भी हार गये हैं। जिसे कृष्णने चीथडोमें लिपटे सुदामाको आनन्दित हो गलेसे लगा लिया था, क्या अन्त्यजोके स्पर्शसे वह अपनेको अपवित्र हुआ मानेगा?

लेकिन उसी कृष्णके सौराष्ट्रमें आज अन्त्यजोको चारो ओरसे द्रुतकारा जाता है। उनका स्पर्श दोषपूर्ण माना जाता है और कुछ भले काठियावाडी तो उन्हें गाली देने और मारने-पीटनेमें भी नहीं चूकते। इनका सहायक, इनका मित्र कौन होगा? मुझे उम्मीद है कि जो लोग परिषद्में उपस्थित होंगे वे इस दोषसे मुक्त रहेंगे, इतना ही नहीं, बल्कि वे अन्त्यज-सेवाकी प्रतिज्ञा लेंगे।

मुझे सयोजकोको बता देना चाहिए कि यदि मण्डपमें किसी भी स्थानपर अन्त्यजोका प्रवेश निषिद्ध होगा तो जहाँ अन्त्यजोको जगह दी जायेगी, उन्हें अध्यक्षको भी वही जगह देनी होगी और अध्यक्षको वहाँ बैठकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी। हिन्दू-धर्ममें अस्पृश्यता नहीं है। जिस धर्ममें अस्पृश्यता है, वह धर्म नहीं है, अधर्म है, मेरा ऐसा दृढ विश्वास है। मनुष्य दूसरे मनुष्यका स्पर्श करके दूषित नहीं होता, बल्कि अपने अन्तरमें निहित मलिन वृत्तिका स्पर्श करके तथा उसे पोषित करके ही दूषित होता है।

लेकिन राजनीतिक परिषद्के सदस्य शायद सोचेंगे कि इन बातोंका राजनीतिक परिषद्से क्या सम्बन्ध है? मैं अनेक बार बता चुका हूँ कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक — ये तीनों कोई अलग-अलग प्रवृत्तियाँ नहीं हैं, अपितु इन तीनोंका

परस्पर सम्बन्ध है। "राजनीतिक" शब्द राजा और प्रजाके सम्बन्धोका सूचक है, "सामाजिक" शब्द समाजकी आन्तरिक व्यवस्थाका सूचक है और "धार्मिक" शब्द व्यक्तिके कर्त्तव्यका सूचक है। लेकिन "यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे," इस न्यायके अनुसार जो बात व्यक्तिके लिए ठीक है वही समाजके लिए भी ठीक है और जो समाजके लिए ठीक है वही राजा-प्रजाके सम्बन्धोके लिए भी है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ जय नहीं, धय है। भले ही उससे जयका आभास होता हो, लेकिन उसे मृगजलके समान समझना चाहिए। जैसी प्रजा होगी, वैसा ही राजा और जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही समाज होगा। नवका मूल व्यक्ति है और व्यक्तिका अस्तित्व केवल धर्मपर निर्भर है। इसीसे ऋषि-मुनियोने कहा है "जहाँ धर्म है वही जय है।"

परिपदमे हम राजा-प्रजाके सम्बन्धोपर अवश्य विचार करेगे, लेकिन समाजके कर्त्तव्यपर स्पष्ट रूपसे विचार किये बिना राजा-प्रजाके धर्मका सम्यक् विचार मैं अमम्भव मानता हूँ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-१२-१९२४

### ३४४. कपास वचाओ

नून कातनेमें सबसे पहली बात कपासका सग्रह है। उसने भी पहली चीज है कपासकी बुवाई। परन्तु यहाँ हम उनके विषयमें विचार नहीं करेगे, क्योंकि कपास तो मारे हिन्दुस्तानमें काफी परिमाणमें बोई जाती है। दुखकी बात सिर्फ यह है कि इतनी कपासकी बुवाई होनेके बावजूद हमारे किसान भाई इसका सदुपयोग न जाननेके कारण उनका सग्रह करनेके बजाय, इसे अच्छे भावके लालचमें बेच दिया करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि अच्छे भावका बदला उन्हें बादमें मँहगाईके रूपमें चुकाना पड़ता है।

लेकिन इस विषयपर कभी फिर विचार करेगे। इस समय तो इतना ही कह देना काफी है कि कपासकी फसल आना अभी बाकी है और उसके विदेशोंमें भेजे जानेके लिए बेचनेके पहले समझदार किसान उसका सग्रह कर ले और सयाने-समझदार स्त्री-पुरुष ऐसा करनेके लिए नासमझ लोगोंको समझायें।

जिम तरह हम लोग १९२१ में चन्दे उगाहा करते थे, उसी तरह अब हमें चाहिए कि कपास उगाहे और उसे कतवार्ये-बुनवार्ये। इस बातमें मुझे कोई सन्देह नहीं कि पैसा उगाहनेकी वनिस्वत यह काम ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि पैसा तो सूदमे ही बढ़ता है और सूद आलसियोका घन है। कच्चा माल मेहनतसे बढ़ता है और मेहनत उद्यमीका घन है। हम मध्यवर्गी लोगोने शारीरिक श्रमका मूल्य समझा ही नहीं। शारीरिक श्रममें हम सभीको लगा सकते हैं। इसलिए, यदि हमारे पास

कपासका सग्रह हो और उसपर काम करनेवाले देश-सेवक मिल जाये तो उन देश-सेवकोकी सख्याके अनुपातमे हम कपासका मूल्य जितना बढ़ाना चाहे, बढ़ा सकते हैं।

यदि कपास दानमे मिले और उसपर काम करनेवाले लोग अपनी मेहनत भी दानमे दे तो खादीको हम पानीके दाम बेच सकते हैं, यह बात आसानीसे समझमे आ सकती है। किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रबन्ध करनेमे, उसे कतवानेमे, कितने ही सेवकोको केवल आधा घंटा ही नहीं, बल्कि अपना सारा समय देना पड़ेगा; और यह स्पष्ट ही है कि वे बिना भत्तेके काम न कर सकेंगे। पर अगर आधे घंटेकी मेहनत देनेवाले हजारो भाई हमें मिल जाये तो थोड़े-से वैतनिक कार्यकर्त्ताओसे ही हम बहुत काम कर सकते हैं। मगर इन सारे कार्योके विषयमे विचार करनेसे पहले हमारे पास कपासका बड़ा सग्रह होना चाहिए। इसीलिए मेरी सलाह है कि कमेटियाँ कपासका जितना हो सके उतना सग्रह करे। सग्रह करनेवालोको चाहिए कि जिस प्रकार पैसेका हिसाब रखा जाता है उसी तरह उसका हिसाब भी रखे। कपासका एक भी डोडा बेकार न जाये, एक भी गाला हवामे न उड़े।

हमे उसका सग्रह करनेके उपायोपर भी विचार करना होगा। यह भी जानना जरूरी होगा कि रईकी गाँठे किस तरह बाँधी जाये। इस तरह कताईसे सम्बन्धित ये सारी क्रियाएँ समझमे आ जायेगी। और जब इन सभी क्रियाओका उद्देश्य सारी जनताका कल्याण होगा तो इनमे कितनी शक्ति आ जायेगी, यह समझदार पाठक सहज ही सोच सकते हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-१२-१९२४

### ३४५. अध्यक्षीय भाषण : पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनमे<sup>१</sup>

७ दिसम्बर, १९२४

गांधीजीने बताया कि उन्होंने सम्मेलनकी अध्यक्षता कैसे स्वीकार की। इस सिलसिलेमें उन्होंने लालाजीके नाम पण्डित मोतीलालजीका पत्र पढ़कर सुनाया। मोतीलालजीने इस पत्रमें लिखा था कि मैं व्यस्तताके कारण लाहौर आकर सम्मेलनकी अध्यक्षता नहीं कर सकूंगा। उन्होंने उसमें यह भी लिखा था कि मैं सम्मेलन वगैरहसे तंग आ गया हूँ और मुझे लगता है कि वे केवल दिखावा-मात्र हैं। महात्माजीने कहा कि मैं पण्डितजीके इस विचारसे पूर्णतः सहमत हूँ। मैं और हकीमजी सम्मेलनमें शरीक होने नहीं, बल्कि आजकी ज्वलन्त समस्याका हल खोज निकालनेके लिए आये हैं। सुना है, 'तंजीम' का कहना है कि यह सम्मेलन सिर्फ हिन्दुओका सम्मेलन है और मुसलमानोको उससे अलग रहना चाहिए। मैंने 'तंजीम' के [इस लेखका] वह खास अनुच्छेद तो नहीं देखा है, परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डा० किचलू,

१. लाहौरके ब्रैडलॉ हॉलमें हुए प्रान्तीय सम्मेलनके ग्यारहवें अधिवेशनमें।

खिलाफत सम्मेलनके अध्यक्ष डा० अन्सारी, मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत सम्मेलन छोड़कर यहाँ लाहौरमें नेताओंके सम्मेलनमें शरीक होने आये हैं।

महात्माजीने हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच फँसी तनातनीके सवालपर आते हुए कहा, इस तनावकी जड़ पंजाबमें ही है। देशके अन्य सभी भागोंके उपद्रवोंका मूल पंजाबमें ही मिल सकता है। इसलिए पंजाबके हिन्दू और मुसलमान जिस दिन एक हो जायेंगे, उसी दिन देश-भरमें हिन्दुओं और मुसलमानोंकी एकता कायम हो जायेगी। असहयोग असफल नहीं हुआ है—असहयोगमें असफलता होती ही नहीं—हम लोग तो हिन्दुओं और मुसलमानोंके दगोंके कारण असफल हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये मतभेद न होते तो काँग्रेसमें प्रवेशका भी कोई प्रश्न खड़ा न होता। १९२१में लगता था कि हममें एकता है; लेकिन वह सच्ची एकता नहीं थी। वह एकता तो क्षणिक आवेशके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी, और यह बहुत अच्छा हुआ कि आज हमें चुनौती देते हुए यथार्थ हमारे सामने आ गया है।

हकीमजी, डा० अन्सारी और अली भाई खिलाफत सम्मेलनमें शरीक होने नहीं आये हैं। वे प्रान्तीय सम्मेलनमें भाग लेने भी नहीं आये हैं। वे तो यहाँ हिन्दू-मुस्लिम समस्याका कोई हल खोजनेमें सहायता देनेके लिए आये हैं। मेरे पास तो इसका बस एक ही हल है और वह यह है कि एक जाति दूसरेकी सभी राजनीतिक माँगोंको पूरी तरह मान ले। अब यहाँ कोई पूछ सकता है कि सिखों-जैसी एक अल्प-संख्यक जाति हिन्दुओं और मुसलमानोंके हकमें अपने सारे राजनीतिक अधिकार कैसे छोड़ सकती है? मुझे इस बातमें किंचित् भी सन्देह नहीं कि सत्तारके सामने अहिंसाका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करनेवाली और अनोखे त्यागका सबूत देनेवाली यह जाति इस त्यागको करनेमें, जो वस्तुतः एक तुच्छ-सा त्याग है, कोई कठिनाई महसूस नहीं करेगी।

लेकिन जब मैं हिन्दुओंसे ही यह हल स्वीकार नहीं करा पाया हूँ तब सिखों और मुसलमानोंके सामने क्या मुँह लेकर ऐसा प्रस्ताव रख सकता हूँ? मैं एक सनातनी हिन्दू हूँ और इस नाते मैं अपने हिन्दू भाइयोंके सामने यह हल रख रहा हूँ। कहा जाता है कि इससे तो हिन्दुओंके साथ बुरी तरह विश्वासघात होगा और मुसलमान तथा सिख हिन्दुओंके इस त्यागका अनुचित लाभ उठायेंगे। मेरा कहना है कि हमें ऐसी विषम स्थितियोंका सामना करनेके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह विश्वास रखें कि विश्वासघातकी ही नाश होगा, विश्वासघातका शिकार बननेवाला नहीं। हमें बिल्कुल बुनियादी बातोंमें किंचित् भी झुकनेकी जरूरत नहीं। बल्कि मैं तो आपसे यह कहूँगा कि उनके लिए आप अहिंसा अथवा हिंसाकी तलवार उठाकर सघर्ष करें। प्राचीन कालका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। पाण्डवोंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था, जिसमें राज्य भी शामिल था, और बदलेमें अपने निर्वाह और निवास-भरके लिए माँग की थी। उन्होंने

सर्वस्व त्यागकर भी कुछ खोया नहीं था। गैर-बुनियादी बातोंके बारेमें झुक जाना उचित है—यही कुंजी मैं आपको दे रहा हूँ। इस कुंजीसे समस्त संसारको वशमें किया जा सकता है। गांधीजीने उन बुनियादी बातोंका, जिनके बारेमें झुकना नहीं चाहिए, उल्लेख करते हुए कहा कि यदि मुसलमान आपके मन्दिरोंपर हमला करे, और आपको उनमें पूजा करनेके अधिकारका उपयोग न करने दें तो आप उनसे मृत्युपर्यन्त संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन कौंसिलो और नगरपालिकाओंमें तथा नौकरियोंमें ज्यादा स्थान पानेके लिए लड़ना आपके लिए ठीक नहीं है।

मैं एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञकी हैसियतसे उन बहादुर पंजावियोंको सचमुच दयाका पात्र समझता हूँ, जिन्होंने अपनी सहज बुद्धिको तिलांजलि देकर इन छोटी-छोटी चीजोंकी लड़ाईमें साम्प्रदायिक एकता तककी बलि चढा दी है। मैं तो यहाँ हिन्दुओंसे यही कहने आया हूँ कि आप ईश्वरपर कुछ ज्यादा भरोसा रखें और अपने मनसे भय निकाल दें। आपके सम्मुख अपने मन्दिरोंको और अपनी औरतोंकी आबरूको बचानेका रास्ता यही है कि आप इनके लिए लड़ते हुए जान दे दें और उनको भाग्यके भरोसे छोड़कर भाग न जायें। यदि आप अपनी बहू-बेटियोंकी आबरू बचानेके लिए लड़ते हुए बहादुरीसे जान नहीं दे सकते तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने आस-पासकी किसी नदीमें डूबकर आत्म-हत्या कर लें। परन्तु जहाँ गैर-बुनियादी या गैर-जरूरी बातोंका सवाल है वहाँ तो समर्पण कर देना ही एकमात्र उपाय है। मुसलमानोंका प्रेम प्राप्त करनेका यही एक रास्ता है। अंग्रेजो और मुसलमानो—दोनोंका गुलाम बननेसे तो मुसलमानोंकी गुलामी स्वीकार करना कहीं अधिक अच्छा है। मेरे अन्तरमें कितनी मर्मन्तिक पीड़ा हो रही है, काश मैं आपको यह दिखा पाता। पता नहीं, इस मर्मन्तिक पीड़ाकी आगको कौन बुझा सकेगा।

कुछ हिन्दू कहते हैं कि उनको मुसलमानोंने ही हमेशा सताया है। मैं उनके सामने कुछ उदाहरण रखता हूँ। बदायूँ और कुछ अन्य स्थानोंपर हिन्दुओंने भी बदला लेनेकी कोशिश की है। मैंने इसका जो व्यौरा सुना, उसमें काफी नमक-मिर्च लगाया हुआ था। लेकिन अच्छी तरह पूरी जाँच करानेके बाद मुझे पता लगा है कि बदला लेनेकी कुछ-न-कुछ कार्रवाई तो अवश्य की गई। मैं आपको बता दूँ कि किसी भी हिन्दू शास्त्रमें यह नहीं लिखा है कि यदि मन्दिर तोड़ा जाये तो उसका बदला लेनेके लिए मसजिद तोड़ दी जाये या किसी हिन्दू औरतकी बेइज्जती की जाये तो उसका बदला मुसलमान औरतकी बेइज्जती करके लिया जाये। मैं आपके सामने इन उदाहरणोंको हिन्दुओं और मुसलमानोंकी तनातनी बतानेके लिए नहीं रख रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हिन्दू भी बदला लेनेकी कार्रवाई करनेमें पीछे नहीं रहे हैं। परन्तु ये साम्प्रदायिक तनावके प्रमाण नहीं, बल्कि इस बातके सबूत हैं कि इन्सानके अन्दर शैतान मौजूद है। उसे शैतानियतसे नहीं निकाला जा सकता। उसे तो सत्प्रयत्नोंसे ही निकाला जा सकता है।

मैं अन्तमें यही कहना चाहता हूँ कि शान्तिपूर्ण असहयोगका एकमात्र मार्ग चरखा ही है। मेरी तरह ही सभीको—मौलाना शौकत अलीको और सरदार मंगलसिंहको भी—चरखा चलाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यह काम जितना स्त्रियाँ करे उतना ही पुरुष भी करे। इसमें लज्जाकी कोई बात नहीं। लकाशायरकी मिलोके तबुए पुरुष ही चलते हैं, स्त्रियाँ नहीं। काहिल आदमी ही चरखा चलानेसे कतराता है। मैं तो चरखेको ही भारतकी एकमात्र अर्थनीति और राजनीति मानता हूँ। अपरिवर्तनवादियों और स्वराज्यवादियोंके बीच समझौतेके हिस्सेके रूपमें कताई सदम्यताका प्रस्ताव भी आपके सामने आयेगा। “अनिच्छुक” लोगोंके लिए उसमें यह गुजाइश रखी जा रही है कि वे दूसरोसे अपने हिस्सेका सूत कतवा सकते हैं। लेकिन वह तो श्री केलकर, हकीमजी और नरमदलीय लोगोंके लिए है। मुझ जैसे सामान्य मनुष्यों और मेहनतकश लोगोंका तो नित्य-प्रतिका कर्तव्य है कि हम चरखा चलायें। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप समझौतेका समर्थन तभी करे जब आप सूत कातने और खद्दर पहननेकी बात हृदयमें मानते हो। आप उसका समर्थन सिर्फ मेरे व्यक्तित्वका खयाल करके न करे।

[अग्रेजीसे]

दिव्यून, ९-१२-१९२४

### ३४६. भाषण: पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनमें<sup>१</sup>

७ दिसम्बर, १९२४

महात्मा गांधीने सम्मेलनकी कार्रवाईका समापन करते हुए कहा कि लोग राष्ट्रीय नारोको बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन उनका कोई अधिक महत्त्व नहीं है। यह समय नारे लगानेका नहीं, काम करनेका है। अगर आप मेरी वताई तीन शतें पूरी कर दें तो भारत निश्चय ही अपने लक्ष्यकी ओर आगे बढ़ेगा। वे तीन शतें हैं—हिन्दू-मुस्लिम एकता, खद्दर और कताई तथा अस्पृश्यता-निवारण। स्वराज्य हासिल करनेके लिए संकल्प और शक्तिकी जरूरत है। आपमें संकल्प तो है, परन्तु आप अपनी शक्ति आपसी झगडोंमें नष्ट कर रहे हैं।

महात्माजीने आगे कहा, मैं दोनों जातियोंमें एकता पैदा करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लाहौरमें हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियोंके नेताओंसे अनौपचारिक तौरपर बातचीत की है, परन्तु अभी कोई निवटारा नहीं हो पाया है। किन्तु इस समस्याके समाधानकी दिशामें कई कदम जरूर उठाये जा चुके हैं। खद्दर और अस्पृश्यताका सक्षेपमें उल्लेख करनेके बाद महात्माजीने कहा, मुझे अब भी विश्वास है

१. यह सम्मेलन लाहौरमें हुआ था।

कि मैंने द्वारडोलीमें जो कदम उठाया था, वह ठीक था। उसके कारण देशकी एक भारी विपत्ति टल गई है।

इसके पश्चात् महात्मा गांधीने अहिंसाके फलितार्थ बताये और कहा कि मैं अहिंसाको धर्म मानता हूँ, परन्तु यदि कुछ लोग इसे एक नीतिके रूपमें भी स्वीकार करें तो उन्हें तबतक इसका पालन सचाईसे करना चाहिए जबतक वे इसे स्वीकार करे।

महात्माजीने अन्तमें अपनेको अध्यक्ष चुननेके लिए सम्मेलनके सयोजको और अन्य लोगोंके प्रति आभार प्रकट किया।

[ अग्रेजीसे ]

दिव्यून, १०-१२-१९२४

### ३४७. भाषण : रावल्पिंडीमे

९ दिसम्बर, १९२४

आरम्भमें, उन्हें जो मानपत्र भेंट किया गया था, उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जबतक मुझको अथवा शौकत अलीको सारे हिन्दुस्तानकी ओरसे वोल्नेका अधिकार था, तबतक तो हममेंसे एकको ही मानपत्र देनेसे काम चल जाता था; लेकिन आज :

मुसलमानोकी ओरसे वोल्नेका मेरा अधिकार जाता रहा और शौकत अलीको हिन्दुओकी ओरसे वोल्नेका अधिकार नहीं रहा। यह दुर्भाग्यकी बात है। लेकिन जबतक यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कायम है, तबतक आपको हम दोनोंको मानपत्र देना चाहिए।

उन्होंने कोहाटकी दुर्घटनापर वोल्ते हुए कहा :

यह दुर्घटना कैसे हुई और इसमें सबसे अधिक अपराध किसका था, आज यह सब बतानेकी मेरी इच्छा नहीं है। इसका एक कारण यह है कि मेरे पास पूरे तथ्य नहीं है। लेकिन इतना तो साफ ही है कि वहाँसे आकर दो-तीन हजार हिन्दुओने यहाँ रावल्पिंडीमे शरण ली है। उन्हें कोहाट छोड़ना पडा, इसकी जिम्मेदारी तो हिन्दू और मुसलमान दोनों कौमोपर है और जबतक वे यहाँ पडे हैं तबतक दोनों कौमोकी वदनामी है। यह वदनामी मिटे, इसलिए शौकत अली, किचलू, जफर अली और मैं यहाँ आये हैं। अभी हमें इसमें सफलता नहीं मिली है। इसका कारण यह है कि तीसरी शक्ति भी अपना काम कर रही है। इस शक्तिका काम झगडा कराना न भी हो तो झगडेको बढ़ाना तो है ही, और मेरी जानकारीमें अभीतक ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया है जब उसने कोई झगडा शान्त किया हो। सच तो यह है कि यदि सरकारने अपने कर्तव्यका पालन किया होता तो कोहाटकी दुर्घटना घटित ही न होती और हिन्दू वहाँसे भागते ही नहीं। वहाँके अधिकारी या तो नामर्द बन गये अथवा उन्होंने अपने कर्तव्यके विरुद्ध व्यवहार किया। सरहदी लुटेरे तो

सबको लूटते हैं, इसलिए विश्वासपूर्वक यह कहना मुश्किल है कि यह उपद्रव केवल हिन्दुओंको लूटनेके लिए खड़ा किया गया। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि लूटने और माल-मिल्कियत जलानेका काम करनेवाले सरहदके लोग नहीं, बल्कि सरहदके अधिकारी हैं। मैं तो चाहता हूँ कि यह सल्तनत जिस तरह कोहाटमें अपने फर्जको भूल गई उसी तरह हमेशा भूलती रहे। यह सल्तनत विलकुल बैठ जाये और हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरेसे जी-भरकर लडे और एक-दूसरेको लूटे तो भी मुझे कोई दुःख नहीं होगा। जबतक दोनों कौमोंके दिलमें मैल है, कमजोरी है, कायरता है, तबतक वे आपसमें लडकर खूनकी नदी बहायेगी। लेकिन अन्तमें दोनों कौमोंके नेता ममझ जायेंगे कि हम अधर्म कर रहे हैं और तब लडाईं बन्द करके बैठ जायेंगे। लेकिन आज तो हम तीसरी शक्तिका सहारा लेकर लडते हैं। यदि हम उसका सहारा लेकर लडेंगे तो हमारी किस्मतमें हमेशाके लिए उनकी गुलामी लिखी हुई ममझिए। यदि आप हिन्दू-मुस्लिम-एकताके महत्त्वको समझते हों तो इस तीसरी शक्तिका सहारा लेना छोड़ दें। मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि अगर सरकार आपके ऊपर गुस्सा दिखाये और मुसलमानोंकी ही मदद करे तो आप रामका नाम लेते हुए मर मिटिए। आज तो सरकारी अधिकारी आपको ये ताने देते हैं कि “शौकत अलीके पास जाओ”, “गांधीके पास जाओ।” मुझे दुःख है कि आज हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तलवार नहीं है। मैंने तलवार फेंक दी है और शौकत अलीने म्यानमें रख ली है। अतः हमें आपको इतनी ही सलाह देनी है कि यदि आपको स्वराज्य लेना हो तो आप आजाद-दिल बने। इन्सान अपनेको आप ही मिटा सकता है, उसे कोई दूसरा इन्सान नहीं मिटा सकता। आप कहेंगे कि इस सलाहका परिणाम तो बरवादी ही होगा, इससे मदद क्या मिली तो मैं कहूँगा कि मैं तो बरवाद होनेकी, कुर्बानी करनेकी ही बातें करता हूँ।

सरहदके हिन्दुओंसे मैं यह कहूँगा कि जहाँकी ९५ प्रतिशत आवादी मुसलमान है, वहाँ वे सरकारकी सलाहपर कदापि वापस न जायें।<sup>१</sup> अगर जाये तो उम्मी स्थितिमें जायें, जब सरहदके मुसलमान उनसे अनुरोध करे, उनकी इज्जत-आवरु रपने और हमेशा उनकी रक्षा करनेका आश्वासन देकर उन्हें वापस ले जाना चाहें। आप वहाँ कई पीढियोंसे रहते आये हैं। उन लोगोंको मनाये बिना आप वहाँ कैसे रह सकेंगे? आपने वहाँ कमाई की है, दुकाने खोल रखी हैं। उनके साथ मलाह-ममलहत किये बिना आप वहाँ सुख और शान्तिसे कैसे रह सकेंगे? सरकार किसी भी बड़ी कौमके विरुद्ध सरक्षण नहीं दे सकती। यदि हमें स्वराज्य मिल जाये और शौकत अली कमान्डर-इन-चीफ तथा मैं वाइसराय हो जाऊँ और मुझसे कोई यह कहे कि आप एक कौमकी रक्षा करे तो मैं भी यही कहूँगा कि ९५ प्रतिशत आवादीवाली कौममें मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जहाँ मुसलमान ५ प्रतिशत होंगे, वहाँ मैं उनसे भी यही बात कहूँगा। सरहदमें इज्जत और मुहब्बतमें रहनेका एकमात्र रास्ता यही है।

१ मूलमें यह वाक्य जैसा है, उसके अनुसार शकल अनुवाद होगा “वहाँ वे सरकारकी सलाह देने कदापि न जायें”, किन्तु सन्दर्भको देखते हुए उक्त अनुवाद ठीक प्रतीत होता है।



मैं जानेसे पहले आपसे इतना और कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो आप सरकारसे कहे कि जबतक मुसलमानोंके साथ हमारा निवटारा नहीं हो जाता, जबतक मुसलमान हमें बुलाकर नहीं ले जाते तबतक हम यहाँसे हिलनेवाले नहीं हैं। यदि कोहाटी लोग मेरी यह सलाह माननेके लिए तैयार हो तो मैं उनसे यह खुला करार करता हूँ कि “बेलगाँव कांग्रेसके वाद मैं यहाँ आकर कोहाटियोंके बीच जमकर रहनेके लिए तैयार हूँ, [उनके उद्देश्यको लेकर] सारे हिन्दुस्तानका दौरा करनेके लिए तैयार हूँ।” लेकिन यदि वे सरकारके कहनेसे कोहाट जायेंगे तो यह उनके लिए और हिन्दू तथा मुसलमान, दोनोंके लिए भारी हानिकारक बात है। यदि सरकार उनकी सारी माल-मिल्कियत उन्हें दिला दे और तीन करोड़की क्षतिपूर्ति कर दे तो भी उससे रक्षाका आश्वासन लेकर वहाँ जानेमें हिन्दू और मुसलमान दोनोंका नुकसान है। यदि आप मेरी सलाहके बावजूद वहाँ जायेंगे तो कांग्रेसमें भी मेरा काम मुश्किल हो जायेगा। ईश्वर आपको मुसलमानोंके साथ एकतासे रहनेकी शक्ति दे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-१२-१९२४

## ३४८. मेरी पंजाब-यात्रा

### इच्छासे नहीं

अपनी इच्छासे नहीं बल्कि आवश्यकतावश, मैंने पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनका सभापति होना स्वीकार किया।<sup>१</sup> पंजाबी किसी बाहरके आदमीको और यदि सम्भव हो तो मौलाना अबुल कलाम आजादको सभापति बनाना चाहते थे। मौलाना साहब इसके लिए राजी न थे। उनका कहना था कि मैं परिपक्वमे सहर्ष हाजिर हो जाऊँगा। परन्तु मैं समझता हूँ कि मैं अलग रहकर अधिक उपयोगी हो सकूँगा। मौलानाकी बात लोगोंकी समझमें आ गई। उसके बाद पण्डित मोतीलालजीसे अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई खास बाधा न हुई तो मैं सभापतिका स्थान ग्रहण कर सकूँगा और यदि पण्डित मोतीलालजी सभापति होनेमें असमर्थ रहे तो सभापति-पदका भार मेरे सिर डाला जानेवाला था। वदकिस्मतीसे, एक अनपेक्षित घटना हो गई जिससे वे न आ सके। इसके जो कारण उन्होंने बतलाये हैं, वे सार्वजनिक महत्त्वके हैं, इसलिए मैं उन्हें उन्हींके गव्दोमें यहाँ देता हूँ।

### जी ऊब उठा

लालाजीके पास भेजे हुए पत्रमें वे लिखते हैं

“पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनके सभापति पदकी मेरी स्वीकृतिके सम्बन्धमें काफी गलतफहमी पैदा हो गई है। मैं और महात्माजी दोनों इस बातमें सहमत

१. देखिए “अध्यक्षीय भाषण पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनमें”, ७-१२-१९२४।

थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ही सबसे योग्य सभापति होंगे और यदि हम लोग उन्हें राजी न कर सके तो उस हालतमें मैं उनका स्थान ग्रहण करूँगा, पर इसी बीच मुझे अपनी पुत्रवधुकी गम्भीर बीमारीकी सूचना मिली और मुझे फौरन एक प्रसूति विशेषज्ञ साथ लेकर जाना पडा। मौलाना साहब मेरे साथ ही सभाभवनसे बाहर आये और मैंने उनसे साफ कह दिया था कि अब मैं पजाब और नागपुरके कार्यक्रम पूरे नहीं कर सकूँगा। मैंने उनसे यह भी कहा था कि अब आपको ही पजाब सम्मेलनका सभापति होना चाहिए और नागपुरके लिए कोई दूसरा समय ठीक कर लेना चाहिए। वहाँसे चलते समय मैं ऐसा समझता था कि महात्माजीसे इस विषयपर बातचीत करके यदि वे स्वयं सभापति होनेपर राजी न हो तो इस कामके लिए किसी औरको ठीक करेगे। यहाँ पहुँचनेपर हम लोगोंने एक दिन बड़ी चिन्तामें काटा। नवजात शिशुको बचानेकी कोशिश करते रहे, परन्तु आखिर बच्चा जाता रहा। बच्चेकी हालत साधारणतः अच्छी थी, परन्तु ज्वर होनेके कारण पूरी तरह सन्तोषजनक न थी। इसी गडबडीमें मुझे कलकत्तेके समाचार मिले जिनमें वहाँ होनेवाली घटनाओकी सूचना दी गई थी और मुझे खबर मिलते ही तुरन्त रवाना होनेके लिए तैयार रहनेको कहा गया था।

ज्यो ही जवाहरकी पत्नीके सम्बन्धमें कोई भय न रहा, मैंने प्रयागके हिन्दू-मुसलमानोके झगडोकी ओर अपना ध्यान फेरा। मैंने ऐसा निश्चय किया कि जबतक मुझे कलकत्तेसे सूचना न मिले तबतक मैं अपनी सारी शक्ति इसी सवालको हल करनेमें लगाऊँ। स्थिति मुझे बहुत ही बुरी मालूम पडी। बहुत दिनोंतक शहर और सूबेसे अलग रहनेके कारण मेरे ऊपर चारो ओरसे कडी शिकायतोकी बौछार हो रही थी। मैंने लोगोको विश्वास दिलाया कि मैं उनके लिए पूरे पन्द्रह दिन काम करके उनकी काफी क्षति-पूर्ति कर दूँगा।

मैं अपने इस आश्वासनको पूरा करनेमें फौरन ही जुट पडा। पहले जब मैं अपनी यात्राओमें थोडी-थोडी देरके लिए यहाँ आया था तब नामधारी अग्र-गण्य हिन्दुओ और मुसलमानोसे मेरा जी ऊब उठा था। इस वार मैंने ऊपर से काम करनेके बदले नीचेसे ही काम शुरू करनेका निश्चय किया। मैं बहुत समयसे सोचता आ रहा था कि एक हिन्दू-मुस्लिम सगठन खडा किया जाये, मैंने प्रयागसे ही इस कामका आरम्भ करनेका विचार किया। इस दिशामें मैंने सबसे पहले विश्वविद्यालयके अध्यापको और विद्यार्थियोसे सम्पर्क स्थापित किया। विश्वविद्यालयमें एक सघ है। उसकी एक शाखा सामाजिक सेवाके लिए है। दोनोके काफी सदस्य हैं। अध्यापकोके साथ मिलनेपर यह निश्चय किया गया कि समाज सेवा-विभागको ही हिन्दू-मुस्लिम सगठनका केन्द्र बनानेका प्रयत्न किया जाये। इसके अनुसार एम० ए० वर्गके दो विद्यार्थी—एक हिन्दू और एक

मुसलमान—चुने गये। जातिगत मामलोंमें उनकी निष्पक्षता प्रमाणित हो चुकी थी। संगठनके लिए विद्यार्थियोंमें से सदस्य बनानेका काम उन्हें दिया गया। साथ ही साथ, इसी तरह प्रत्येक मुहल्ला संगठित किया जा रहा है। कलसे मैं हरएक मुहल्लेमें जानेवाला हूँ और साथ ही मैं विद्यार्थियोंके दलोको खास-खास समयपर आनन्द-भवनमें बुलाकर उनसे बातें करूँगा। जब यह प्रारम्भिक काम हो जायेगा, तब मैं सारे विद्यार्थी-वर्गसे एक साथ मिलूँगा और एक दो सार्वजनिक सभाओंमें भाषण करूँगा। यदि समय मिला तो मैं लखनऊ जाकर भी ऐसा ही करूँगा।

आप देखेंगे कि उपर्युक्त कार्यक्रममें ठोस कामकी योजना है और इसके अन्दर बाहरी दिखावेको बिलकुल स्थान नहीं है जो अभाग्यवश आजकल हमारे सार्वजनिक कामोका एकमात्र रूप रह गया है। यदि सच पूछिए तो अब सभा-सम्मेलनोकी ओरसे मेरा मन बिलकुल हट गया है, ये सिर्फ चन्द्रोजा दिखावे हैं जिनसे कभी कोई भी वास्तविक फल नहीं निकलता। नागपुरके झगड़ोंके फैसलेका समय आ गया है और नागपुरसे आये हुए पत्रोंसे मालूम होता है कि इसकी सख्त जरूरत है कि पंच (मैं और मौ० अबुल कलाम आजाद) वहाँ मिलकर बेलगाँव कांग्रेसके पहले यह झगड़ा तय कर दें। इसके लिए १५ तारीख निश्चित करनेका प्रस्ताव करते हुए, मैंने मौलाना अबुल कलाम आजादको कलकत्ते दो तार दिये हैं, परन्तु उनका जवाब नहीं आया है।

मैंने आपको इतना इसलिए लिखा है कि मैंने अपने लिए जो काम तजवीज किया है उसका आपको ठीक-ठीक खयाल हो जाये। मुझे आशा है कि आप मुझसे इस बातमें सहमत होंगे कि इस हालतमें मेरा पंजाब जाना उतना लाभदायक न होगा।

पण्डितजीके समान ही मैं भी इन सम्मेलनोसे घबराता हूँ। इसलिए नहीं कि वे हमेशा वेकार ही होते हैं। हमारे आन्दोलनके क्रममें एक मजिल ऐसी थी जब उनकी बड़ी जरूरत थी। परन्तु सम्मेलनोमें आजकल जो हो रहा है उसे देखते हुए तो यही कहना पडता है कि उनकी उपयोगिता प्रायः कुछ नहीं रह गई है। यदि उनसे कोई और नुकसान न हो तो भी समय और रुपयेका अपव्यय तो होता ही है। इनके द्वारा सार्वजनिक सेवाका जो भाव जागृत हुआ है उसे कार्यके रूपमें सुदृढ करनेके लिए छोटी-छोटी समितियाँ ही अधिक उपयोगी होंगी। ये समितियाँ तभी उपयोगी हो सकती हैं जब उनके सदस्य आपसमें मेल-मिलाप रखनेवाले, सर्व-सामान्य प्रजाजनकी इच्छाओका ध्यान रखनेवाले तथा अपने ठोस और अमली कामके द्वारा उनसे अपना सम्बन्ध बनाये रखनेवाले हों। इन सम्मेलनोके त्याग, हम जनताकी विमनस्कता वा मन्दताके कारण नहीं, बल्कि इसलिए करे कि हम जनताको उनके वजाय और ज्यादा उपयोगी काममें लगा सकते हैं। उदाहरणके लिए, यह बड़ी नासमझी-की बात होगी कि हम खादीके काममें लगे हुए लोगोंको बुलाकर उनसे ऐसे

विषयोपर प्रस्ताव पास कराये जिनपर लोग एकमत है। इसी तरह जो लोग अकाल-पीडित स्थानोमे सहायता पहुँचानेकी व्यवस्था करनेमे लगे हो, उन्हें भी ऐसे कामके लिए बुलाना उचित न होगा। स्वयं पण्डितजी भी प्रयागमे अपने शान्ति-दलको सगठित करनेके अधिक उपयोगी काममे सलग्न हैं और यदि वे सच्चे हिन्दू-मुस्लिम सगठन कायम करनेमे सफल हो तो यह देशके लिए प्रथम श्रेणीकी सेवा होगी। बीचवालोके द्वारा नहीं, बल्कि जडसे ही काम शुरू करनेका उनका जो सकल्प है, उसके फल-स्वरूप हिन्दू-मुस्लिम जनतामे सद्भाव फैले बिना नहीं रह सकता।

### मेरा असली काम

यह सम्मेलन मेरे लिए एक आनुषंगिक वस्तु थी। मेरा असली काम तो हिन्दुओ और मुसलमानोके प्रतिनिधियोसे मिलना ही था। इसलिए अमृतसरकी खिलाफत परिषद्मे उपस्थित जनतासे सम्मेलनके दूसरे दिनकी बैठकको, उस दिनके तीसरे पहरतक मुलतवी करनेका अनुरोध करनेमे मुझे कोई हिचकिचाहट न हुई। मेरा ऐसा करनेका तात्पर्य यह था कि ८ तारीखको सवेरे ये लोग प्रतिनिधियोकी वा-जाव्ता सभामे योग दे सके। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि उपस्थित सज्जनोने मेरी यह राय मान ली। मौलाना जफर अली खाँ (सभापति), डाक्टर किचलू तथा अन्य सज्जन बड़ी असुविधा उठाकर भी उस सभाके लिए लाहौर आये।

### परिणाम

पाठकको यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि यह सभा खास इसी उद्देश्यसे की गई थी कि हिन्दुओ और मुसलमानोकी आपसी तनातनीको रोकने और इन दोनो जातियोके बीच असली अमन कायम करनेके उपायोपर विचार किया जाये। बाहरसे आनेवाले मुसलमानोमे हकीम साहब अजमलखाँ, अली वन्धु और डाक्टर अन्सारी, तथा हिन्दुओमे पण्डित मदन मोहन मालवीय उपस्थित थे। चर्चा मुख्यत झगडोके राजनीतिक कारणोके सम्बन्धमे हुई। क्योकि पजावके पढे-लिखे लोगोके बीच इस मनोमालिन्यके सब नहीं तो प्रधान कारण राजनीतिक ही मालूम होते हैं। लालाजीने बडे दु खके साथ मुझसे कहा कि पहले जहाँ शिक्षित हिन्दुओ और मुसलमानोमे सामाजिक सद्भाव था वहाँ अब मन-मुटाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए बैठकमे इस बात पर विचार किया गया कि क्या लखनऊमे हुए समझौतेमे कुछ सशोधन किया जाना चाहिए। पजावके मुसलमानोका खयाल है कि लखनऊवाले समझौतेको आरम्भमे ही गई एक बड़ी भूल न माना जाये तो भी अब वह हमारे लिए नाकाफी हो गया है। उनका कहना है कि जबतक साम्प्रदायिक द्वेष बढ़ रहा है और पारस्परिक अविश्वास मौजूद है तबतक —

१ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व रखा जाये और उसका आधार जनसरया हो। निर्वाचक-मण्डल कमसे-कम सबका एक ही या जरूरत हो तो अलग-अलग भी रहे।

वे लोग इस बातपर एकमत मालूम पडते थे कि पृथक् निर्वाचनकी बात छोटी-छोटी जातियोके चाहनेपर ही दाखिल की जाये।

२ किसी भी सम्प्रदाय या पथके साथ रियायत न होनी चाहिए अर्थात् किसीको भी अपनी सख्याके अनुपातसे अधिक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार न होना चाहिए।

३ इस सिद्धान्तके अनुसार विधान-सभाओके लिए जो व्यवस्था तय पाई जाये वही स्थानीय सस्थाओके लिए भी लागू होनी चाहिए।

४. भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोको सरकारी नौकरियाँ उनकी सख्याके हिसाबसे मिलनी चाहिए, अलवत्ता, इसमें उम्मीदवारोकी कार्य-क्षमताका खयाल अवश्य रखा जाये। इसलिए यदि किसी विभागमें किसी जातिको एक भी पद न मिला हो तो आगे जितनी नियुक्तियाँ हो, आया वे नई हो या खाली जगहोको भरनेके लिए हो, वे उसी जातिमें से होनी चाहिए ताकि उसके सख्याबलके अनुसार उसे समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये। दूसरे शब्दोंमें इसका मतलब यह है कि किसी वर्ग-विशेषके साथ खास रियायत या मेहरवानी न होनी चाहिए। उपस्थित मुसलमान सज्जनोंने यह स्पष्ट कर दिया कि हम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राय दे रहे हैं। अपनी इन बातोंसे किसी औरको नहीं, केवल अपनेको ही बद्ध करते हैं और यदि कोई जाति किसी खास रियायतका दावा करेगी तो वे अपनी रायपर पुनर्विचार कर सकेंगे।

५ इसका जो कोई उपाय तय हो वह ऐसा हो जो सारे देशपर घटित हो सकता हो और जिसका निश्चय सारे देशकी सहमतिसे हुआ हो।

सिख भाइयोका यह कहना था कि पजाबमें हमारी एक खास स्थिति और महत्त्व है, अतः हमारे साथ विशेष व्यवहार होना चाहिए, अर्थात् यदि पजाबमें जातिगत प्रतिनिधित्वकी प्रणाली चलाई जाये तो हमें अपने सख्या-बलके आधारपर अधिक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार मिलना चाहिए। उन लोगोंने कहा कि यदि जातिगत प्रतिनिधित्व विलकुल ही छोड़ दिया जाये और यदि एक भी सिख विधान-सभाओमें या और किसी सस्थामें न गया तो भी हमें सन्तोष रहेगा।

हिन्दू लोग चाहते थे कि जातिगत प्रतिनिधित्व कतई नहीं होना चाहिए और यदि हो भी तो निर्वाचक-मण्डल सयुक्त रहना चाहिए। हिन्दू लोग किसी एक बात पर स्थिर नहीं हो पाये। पजाबके हिन्दुओको यह डर मालूम होता था कि मुसलमानोकी इस माँगके मूलमें कोई गहरा दाय-पेच है। असलमें उनके मनमें इस तरहका एक अस्पष्ट भय है कि यदि पजाबके शासन-प्रबन्धमें मुसलमानोका बहुमत हुआ तो लडाकू मुसलमान जातियोके नजदीक ही रहनेके कारण, खासकर पजाबको और सारे भारतको बड़ा भारी खतरा रहेगा।

वहाँकी भिन्न-भिन्न जातियोकी यथार्थ स्थिति यह है। मैंने उसे भरसक सक्षेपमें और ठीक-ठीक देनेका प्रयत्न किया है। ऐसी हालतमें किसी निर्णयपर जल्दी पहुँचनेके लिए जोर देना सम्भव न था। मैं यह आशा कर रहा हूँ कि वेल्गॉवमें भिन्न-भिन्न जातियोके प्रतिनिधियोका इससे ज्यादा वा-जाव्ता सम्मेलन होगा और वहाँ सबकुछ विचारकर इस टेढ़े सवालका एक सर्वसामान्य हल सारे राष्ट्रके लिए निकल आयेगा।

सम्मेलन

सम्मेलनके वारेमे सिर्फ यही एक बात उल्लेखनीय है कि विषय-समितिके और सम्मेलनके, दोनों जगह, प्रतिनिधियोंने मेरी बड़ी सहायता की। मुझसे भिन्न मत रखने-वालोंने भी बड़े धैर्यसे काम लिया। मैंने यह बात इसलिए बतलाई है कि सभापतिकी आज्ञा मानना, अच्छे सार्वजनिक जीवनके विकामके लिए बड़ा आवश्यक है। निस्सन्देह सभापतिके चुनावमे सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए परन्तु जब कोई मनुष्य सभापति बना दिया जाये, तब उसके साथ पूरी शिष्टता बरतनी चाहिए और उसकी आज्ञाका पालन होना चाहिए। किसी वागी, टुलमुल या पक्षपाती सभापतिके साथ पेश आनेका यही उपाय है कि उसके खिलाफ विनयपूर्वक अविव्वासमूचक प्रस्ताव पेश किया जाये और उसे अपने स्थानमे हटा दिया जाये। मुसगठित समाजमे, व्यक्तिकी नहीं, बल्कि पदकी इज्जत की जाती है। किसी व्यक्तिके शासनमे और मुसगठित राज्यमे यही बड़ा फर्क है कि दूसरेमे इज्जत पदकी की जाती है, जो राज्य द्वारा अर्थात् जनता द्वारा निर्मित होता है। इस तरह शासक या अध्यक्ष कोई भी क्यों न हो, राज्य बराबर चलता रहता है। दूसरे शब्दोंमे इसका अर्थ यह होता है कि मुसगठित राज्यका हरएक आदमी अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकारोंको जानता है। प्रत्येक नागरिकके अपने स्वत्वोंको दूसरोंके स्वत्वोंके अधीन माननेके लिए तैयार रहनेपर ही राज्यकी स्थिरता निर्भर है। ऐसा नागरिक जानता है कि अपना फर्ज अदा करनेपर स्वत्व आपसे-आप आते हैं। राज्यकी ओरसे प्रत्येक सदस्य द्वारा किये गये त्यागका योगफल ही राज्य है। लेकिन यद्यपि मैं प्रतिनिधियोंको उनकी सावधानी और सज्जनताके लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं यह भी कहूँगा कि अब भी हमारी सभाओंके सदस्योंमे आत्मसयमकी कमी अज्ञात रूपसे बनी हुई है। आम या खास सभाओंके लिए यह अनिवार्य है कि उनमे उपस्थित सज्जन, सबके-सब, एक साथ न बोले या आपसमें कानाफूसी न करे, बल्कि जो-कुछ कहा जाये उसको ध्यानपूर्वक सुनें। यदि श्रोता ध्यान न दे तो सभाओंका कोई मूल्य नहीं रह जाता। पाठक मेरे इस कथनके औचित्यको तो देखेंगे ही, साथ ही वे यह भी देख सकेंगे कि मैं यह सब स्वार्थकी दृष्टिसे भी कह रहा हूँ। मैं बेलगाँवके लिए क्षेत्र तैयार कर रहा हूँ। जो सज्जन बेलगाँवकी काग्रेसमे और परिषदोंमे शामिल होनेवाले हैं, वे कृपया इस बातका ध्यान रखें।

रविवार तारीख ७ को सवेरे ८ से ११ बजे और सध्या समय ४ मे ८ बजे तक, कुल ७ घण्टेक काम होता रहा। विषय-समितिको ६ घण्टे लगे। किसीके आनेकी प्रतीक्षा करनेमे समय नष्ट न हुआ, इसलिए सभाका काम बड़ी फुर्तीसे हो सका। परिषद् सम्बन्धी सभी काम निश्चित समयपर किये गये।

दीक्षान्त-समारोह

इसके पहलेका दिन यानी ता० ६ दिसम्बर भिन्न-भिन्न दलोंके प्रतिनिधियोंसे मिलने, जुलूसमे शामिल होने — यह जरूरी मगर परेगानीका काम था — और राष्ट्रीय

विश्वविद्यालयके दीक्षान्त समारोहमें<sup>१</sup> सफल विद्यार्थियोंको उपाधियाँ बाँटनेमें गया। कुलपतिकी हैसियतसे लाला लाजपतरायने विद्यार्थियोंसे हिन्दुस्तानीमें यह शपथ लिवाई कि “मैं शपथके साथ प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने जीवनमें ऐसा कोई काम न करूँगा जिससे मेरे धर्म और देशको नुकसान पहुँचे।” उपाधि पानेवाले विद्यार्थियोंमें एक लडकी और एक मुसलमान भी था। यह रस्म बहुत प्रभावपूर्ण थी। परन्तु उपाधि-वितरण करते समय मैं अपने इन विचारोंको नहीं रोक सका कि मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे गोल सुराखमें किसी चौकोर वस्तुकी होती है। शिक्षाके विषयमें मेरे विचार क्रान्तिकारी हैं, इस कारण समालोचकोंको उनका अजीब मालूम होना ठीक ही है। मैं स्वराज्यकी दृष्टिसे ही राष्ट्रीय शिक्षाका विचार कर सकता हूँ। इसलिए मैं तो यह चाहूँगा कि विद्यालयोंके विद्यार्थी भी कताईकी कला और उसकी बाकी सारी प्रक्रियाओंको भी अच्छी तरह जाननेकी ओर ध्यान दे। उन्हें खादीके अर्थशास्त्रका तथा उसके साथकी अन्य बातोंका भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें यह जानना चाहिए कि एक मिलकी स्थापनामें कितना समय और कितनी पूंजी लगेगी। उन्हें जानना चाहिए कि मिलोका वेहद बढ जाना सम्भव है या नहीं और उसमें क्या-क्या रुकावटें आ सकती हैं। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि धनका वितरण मिलोंके द्वारा कैसे होता है और हाथ कताई और बुनाई द्वारा किस तरह। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि कताईको और इस तरह भारतीय वस्त्रोत्पादनको किस तरह नष्ट किया गया। उन्हें यह स्वयं समझना चाहिए और दूसरोंको समझा सकना चाहिए कि अगर भारतके लाखों किसानोंकी झीपडियोंमें कताई होने लगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें यह जानना चाहिए कि हमारी इस गृह-कलाका पूर्ण पुनर्जीवन किस तरह हिन्दू और मुसलमानोंके टूटे दिलोंको जोड़कर एक कर सकता है। ये विचार या तो समयके पीछे या आगे हैं। लेकिन इस बातका कोई विशेष महत्त्व नहीं कि वे समयसे आगे हैं या पीछे। मैं तो यह जानता हूँ कि एक-न-एक दिन सारा शिक्षित भारत उन्हें अपनायेगा।

### मार्शल लॉके कैदी

पाठकको श्री रतनचन्द और वुग्गा चौधरीका स्मरण होगा। वे दोनों मार्शल लॉके कैदी थे। उन्हें फाँसीकी सजा दी गई थी और उनकी ओरसे पण्डित मोतीलालजीने प्रिवी कौंसिलमें अपील की थी। पाठकोंको यह भी याद होगा कि अपीलके खारिज हो जानेपर भी फाँसीकी सजा, आजन्म कारावास दण्डमें परिवर्तित कर दी गई थी। श्री वुग्गा चौधरी अण्डमानसे मुल्तान जेल लाये गये हैं पर मैं सुनता हूँ कि रतनचन्द अब भी अण्डमानमें ही रखे गये हैं। श्री वुग्गाकी सास मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि श्री वुग्गा आत्रवृद्धि और बवासीरसे पीडित हैं और इधर तीन महीनेसे उन्हें बुखार भी आ रहा है। असहयोगके ज्वारके दिनोमें मैं कहा करता था कि ये कैदी जल्द ही छोड़ दिये जायेंगे। इस वार मुझे बड़ा दुःख

१. देखिए “दीक्षान्त भाषण: पंजाब कौमी विद्यापीठमें”, ६-१२-१९२४।

हुआ, जब मैं उस सासको जामाताके गीत्र मुक्त होनेकी आशा न दिला सका, यद्यपि वह दामाद 'बीमार है और ५ वर्षतक सजा काट चुका है। इन दोनों सज्जनोंके मुकदमेमे दी गई गवाहियोंको देखनेपर मैंने अपना यह विश्वास प्रकट किया था कि सबूतोमे ऐसी कोई बात नहीं है जिसके आधारपर इन्हे हत्याके अपराधमे सजा दी जा सके। सबको याद होगा कि प्रिन्सी कौंसिलने मामलोकी जाँच नहीं की। न्यायाधीश महाशयोने केवल जाव्तेकी बातोके आधारपर ही अपील खारिज कर दी थी।

[ अग्रेजीसे ]

यग इडिया, ११-१२-१९२४

### ३४९. एक चेतावनी

अगले कुछ महीने ऐसे हैं, जब सब गृहस्थ दोमे से एक रास्ता चुनेगे। अगर वे अपने घरेलू उपयोगके लिए जान-बूझकर या लापरवाहीके कारण कपास जमा नहीं करेगे तो परोक्ष रूपसे और बहुत-से लोग तो प्रत्यक्ष रूपसे भी भारतमे पैदा होने-वाली अधिकांश कपासको देगसे बाहर भेजने और कुछ हिस्सा मिलोको बेचनेके लिए जिम्मेदार होंगे। इसके विपरीत वे अपने घरोमे कपास जमा करके हाथ-कताईको प्रोत्साहन दे सकते हैं और इसके फलस्वरूप एक-एक गृहस्थ हाथ-कताईके ठोस काममें जिस हदतक योग दे, उस हदतक स्वराज्यको निकट ला सकते हैं। कपासके मौसममे इन दो रास्तोमे चुनाव करनेका अवसर भारतके हर व्यक्तिके सामने हर साल आता है। काग्रेसी लोग इस क्षेत्रमे दुहरा काम कर सकते हैं। वे हर गृहस्थको अपने घरमें पर्याप्त कपास जमा करनेके बुनियादी कर्त्तव्यका पालन करना सिखा सकते हैं और यह देखते हुए कि अभीतक सभी गृहस्थ अपने कर्त्तव्यके प्रति जागरूक नहीं हैं, वे इस कर्त्तव्यमे चूकनेवालोकी खातिर स्वयं भी काफी कपास जमा कर सकते हैं। यह कपास वे माँगकर भी जमा कर सकते हैं और खरीदकर भी। हम योडी-बहुत सफलताके साथ कई मुट्ठी-फड चला चुके हैं। फिर कोई कारण नहीं कि कपास पैदा करनेवाले सभी क्षेत्रोमे घर-घर जाकर कपास न माँगी जाये। जहाँ-कहीं इस तरह सामूहिक रूपसे कपासका चन्दा किया जाये, वहाँ चन्देमे प्राप्त कपासका वैसा ही इन्तजाम करना चाहिए जैसा कि चन्देमे आर्य पैसेका करते हैं। दाताओको रसीदे दी जानी चाहिए और हिसाबकी बहियोंमे उनका पूरा लेखा-जोखा रखना चाहिए। सग्रह करनेका काम बहुत सुचारु रूपसे होना चाहिए। कपासका वर्गीकरण करने और उसे सुरक्षित रखनेके लिए खास होशियारीकी जरूरत होगी। अगर यह अवसर चूक गये तो फिर दूसरा अवसर अगले मौसममे ही मिलेगा।

[ अग्रेजीसे ]

यग इडिया, ११-१२-१९२४



## ३५०. मेरा पथ

यूरोप और अमेरिकामे आजकल मेरे प्रति लोगोका ध्यान खिच रहा है। यह मेरे लिए सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनो ही है। सौभाग्य तो इसलिए है कि पश्चिममे भी लोग मेरे सन्देशपर विचार कर रहे हैं और उसे समझ रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य यह है कि कोई तो अनजानमे उसकी महत्ता ज्यादा बढा देते हैं और कोई जान-बूझकर उसका रूप विकृत कर देते हैं। हर सत्य अपने-आप प्रभावकारी होता है, उसमे अपना सहज बल होता है। इसलिए जब मैं देखता हूँ कि लोग मेरे सन्देशको गलत रूपमे पेश कर रहे हैं तब भी मैं विचलित नही होता। एक यूरोपीय मित्रने कृपापूर्वक मुझे जो चेतावनी भेजी है, उससे मालूम होता है कि यदि उन्हे मिली जानकारी सही है तो बुरी नीयतसे हो अथवा भूलसे हो, रूसमे मेरे मतके विषयमे बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। यह है उनके पत्रका एक हिस्सा

कहा जाता है कि बर्लिन स्थित रूसी राज्य-प्रतिनिधि क्रेसटिन्स्कीको विदेश मन्त्रीकी ओरसे कहा जायेगा कि वे अपनी सरकारकी ओरसे गाधीका स्वागत करे और इस स्थितिसे फायदा उठाकर गाधीके अनुयायियोमें बोलशेविक मतका प्रचार करनेका उद्योग करे। इसके सिवा क्रेसटिन्स्कीको यह काम भी दिया जायेगा कि वे गाधीको रूसमें आनेके लिए निमन्त्रण दें। एशियाकी दलित-पीडित जातियोमें बोलशेविक साहित्यके प्रचारके लिए धन खर्च करनेका भी उन्हे अधिकार दिया गया है। ओरिएन्टल-क्लब तथा उनके कार्यालयके लिए गाधीजीके नामपर उन्हे एक बड़ी रकम मुहैया की जायेगी जिसमे से उनके (गाधीजीके या मास्कोवालोके?) मतको माननेवाले विद्यार्थियोको सहायता दी जायेगी। अन्तमें, इसमें तीन हिन्दू भरती किये जायेंगे। यह सारी चीज रूसी समाचार-पत्रोंमें, उदाहरणके लिए, १८ अक्टूबरके 'हल' नामक पत्रमें प्रकाशित हुई है।

इस मजमूनसे उस खबरका कुछ रहस्य मिल जाता है जिसमे मेरे जर्मनी और रूस जानेके लिए आमन्त्रित किये जानेकी सम्भावना बताई गई थी। यह कहनेकी तो जरूरत ही नही है कि न तो मुझे ऐसा कोई निमन्त्रण ही मिला है और न इन महान् देशोंमें जानेकी मेरी कोई इच्छा ही है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे प्रतिपादित सत्यको अभी खुद भारतवर्षने भी पूरे तौरसे ग्रहण नही किया है और वह अभी यथेष्ट रूपमे प्रस्थापित भी नही हो पाया है। भारतमे जो काम मैं कर रहा हूँ, वह अभी प्रयोगावस्थामें ही है। ऐसी हालतमे मेरे लिए विदेशोंमे जाकर कोई माहसिक कार्य करनेका समय अभी नही आया है। यदि भारतमे ही यह प्रयोग प्रत्यक्ष रूपमें सफल हो जाये तो मैं पूर्ण रूपसे सन्तुष्ट हो जाऊँगा।

मेरा रास्ता साफ है। हिंसात्मक कामोमें मेरा उपयोग करनेका कोई प्रयत्न सफल हो ही नहीं सकता। मेरे पास कोई गुप्त उपाय नहीं है। मैं सत्यको छोड़कर किसी कूटनीतिको नहीं जानता। मेरा एक ही गस्त्र है—अहिंसा। सम्भव है कि मैं अनजाने, कुछ देरके लिए गलत रास्ते भटका लिया जाऊँ, किन्तु यह हमेंगाके लिए नहीं चल सकता। अतएव मैंने अपने लिए ऐसी कैंद निश्चित कर ली है, जिसके दायरेके भीतर ही मुझसे काम लिया जा सकता है। इसके पहले भी मुझसे अनुचित काम निकालनेके अनेक प्रयत्न किये गये हैं। जहाँतक मुझे मालूम है, वे हर वार निष्फल ही हुए हैं।

बोलशेविज्मको मैं अभीतक ठीक-ठीक नहीं समझ सका हूँ। मैं इसका अध्ययन भी नहीं कर सका हूँ। मैं यह भी नहीं कह सकता कि रूसके लिए अन्तमें यह लाभकारी होगा या नहीं। तो भी इतना तो मैं अवश्य जानता हूँ कि जहाँतक इसका आधार हिंसा और ईश्वर-विमुखतापर है, उससे मुझे विरक्ति ही होती है। मैं यह नहीं मानता कि हिंसात्मक छोटे रास्तोसे सफलता मिलती है। जो बोलशेविक मित्र मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं ऊँचे उद्देश्यकी चाहे जितनी प्रशंसा करूँ और उनके प्रति सहानुभूति दिखलाऊँ किन्तु श्रेष्ठसे-श्रेष्ठ कार्यके लिए भी मैं हिंसात्मक पद्धतिका अटल विरोधी ही हूँ। अतएव हिंसावादियोंके और मेरे मिलापके लिए कोई गुजाइश नहीं है। इतना होनेपर भी मेरा अहिंसा-धर्म मुझे अराजकतावादियों और अन्य सभी हिंसावादियोंके साथ सम्पर्क रखनेका न केवल निषेध नहीं करता है बल्कि वैसा करनेपर मजबूर करता है। किन्तु इस सम्पर्कमें मेरा उद्देश्य केवल यही होता है कि उन्हें मैं उस राहसे बचाऊँ जो मुझे गलत दिखाई देती है। क्योंकि मुझे अपने अनुभवसे विश्वास हो गया है कि स्थायी कल्याण असत्य और हिंसाका फल कभी हो ही नहीं सकता। यदि मेरा यह विश्वास केवल एक भ्रान्ति ही हो तो भी गायद लोग यह तो मान ही लेंगे कि यह एक मनोहारिणी भ्रान्ति है।

[अग्रेजीसे]

यग इंडिया, ११-१२-१९२४

## ३५१. कला और राष्ट्रीय विकास'

नवीन राष्ट्रीय जीवनके अभ्युदयके साथ-साथ प्रायः महान् साहित्य और कलाका भी सृजन देखनेमें आता है; इन दोनोंके इस सम्बन्धका अन्वेषण मानव इतिहासके अध्ययनका एक सबसे रोचक विषय है। सगीतको भी, जो साहित्य और कलाके ही परिवारका है, इसी प्रकारकी भूमिका निभानी पड़ती है। . . .

अभी इस प्रश्नपर विचार करना श्रेष्ठ है कि भारतकी वर्तमान राष्ट्रीय जागृतिसे महान् साहित्य और कलाके सृजनकी आशा की जा सकती है या नहीं। भारतके कई प्रान्तोंमें अभी यह आन्दोलन इतना नया है कि हम इस क्षेत्रमें तत्काल कोई परिणाम देखनेकी आशा नहीं कर सकते। लेकिन, जिसने भी बंगालके आधुनिक इतिहासका बारीकीसे अध्ययन किया होगा, उसे इस बातमें क्षण-भरको भी कोई सन्देह नहीं हो सकता कि वहाँ इस सृजन-युगका उदय हो चुका है। इस नवोदयकी साहित्यिक एव कलात्मक, दोनों ही प्रकारकी कृतियोंमें जन-मानसकी समस्त भावनाएँ बोल उठी हैं। . . .

भारतके दूसरे हिस्सोंमें इस राष्ट्रीय आन्दोलनको आज मुख्यतः वहाँकी मातृभाषाओके साहित्यमें गुंजित विलक्षण नवोत्थानके स्वरमें देखा जा सकता है। . . .

दूसरी ओर राष्ट्रीय कार्यक्रमसे एक ऐसी वस्तु है, जो पता नहीं क्यों, अभीतक सौंदर्यके विभिन्न रचनात्मक रूपोंमें नहीं ढल पाई है। वह वस्तु है खादी . . . जो विविधतासे रहित और सर्वथा एक-सी श्वेत होनेके कारण कलात्मक रुचिको तुष्ट नहीं कर पाती। प्राचीन भारतमें वनस्पतियोंसे तैयार होने-वाले विविध रंगोंको एक बार फिर दैनिक उपयोगमें लाया जा सकता है। इस निरभ्र उज्ज्वल आकाशवाले देशको रक्त-वर्ण, हेम-वर्ण, नीलवर्ण आदि मौलिक और कान्तिपूर्ण रंगों और उनके अनेक वर्णान्तरोंसे, जिनमें केवल सूर्यकी किरणें ही सामजस्य उत्पन्न कर सकती हैं, वचित नहीं करना चाहिए। . . .

ऐसा कोई खतरा नहीं है कि रंगोंकी रुचि नष्ट हो जायेगी। मसूलीपट्टमवाले तथा अन्य स्थानोंके लोग इस चीजका पूरा ध्यान रख रहे हैं। राष्ट्रमें सतुलित सुशुचिकी विकास होनेमें भडकीलेपनकी रुचि खत्म हो सकती है और होनी भी चाहिए।

[अग्रेजीसे]

यग इंडिया, ११-१२-१९२४

१

१. सी० एफ० एन्ट्यूजका यह लेख जिसपर अन्तमें गांधीजीने टिप्पणी लिखी है, यहाँ अंशत ही उद्धृत किया गया है।

## ३५२. भेंट : 'ट्रिव्यून' के प्रतिनिधिसे

लाहौर

११ दिसम्बर, १९२४

श्री गांधी आज सुबह रावलपिंडीसे बम्बई मेल द्वारा सावरमतीको रवाना हुए। वे शामको लाहौरसे गुजरे। लाहौर रेलवे स्टेशनपर 'ट्रिव्यून' के विशेष प्रतिनिधिने उनसे कोहाटके मामलेमें भारत सरकारके प्रस्तावके सम्बन्धमें भेंट की। श्री गांधीने कहा।

मैं मौलाना शीकत अली, मौलाना जफर अली और डा० किचलूके साथ रावलपिंडीमें करीब-करीब हरएक शरणार्थीने मिला। मैंने राय बहादुर सरदार माग्नर्माहसे भी मुलाकान की है। मैंने भारत सरकारका प्रस्ताव पढ लिया है और मुझे इसमें जरा भी मन्देह नहीं है कि वह एक चुनौती है। मैंने लोगोको आग्रहपूर्वक यह सलाह दी है कि वे नमस्तीके कोई भी शर्तें स्वीकार न करें। हिन्दू और मुसलमान नेताओंको राय लिये बिना अभी उन अवस्थामें तो मैं प्रस्तावमें कहीं गई बहुत-सी बातोंकी नत्यता-अनत्यताके बारेमें कोई राय नहीं देना चाहता। दुर्भाग्यमें रावलपिंडीमें कोहाटके मुमन्मानोका कोई भी जिम्मेदार प्रतिनिधि नहीं था। लेकिन इतना तो मैं बिल्कुल साफ देव रहा हूँ कि भारत सरकार मात्र-विभागीय जांचके वाद इन निष्कर्षोंपर पहुँची है और जिन लोगोंने यह जांच की, उनकी नियुक्तिके सम्बन्धमें इन शरणार्थियों या मुमन्मानोका कुछ भी हाथ नहीं था और न शरणार्थियोंको अपना पक्ष सिद्ध करनेका कोई अवसर ही दिया गया। हम अपने अनुभवसे जानते हैं कि किस प्रकार ऐसी जांच अकसर गुमराह करनेवाली मिद्ध हुई है और उनमें एक ही पक्षकी बात दी गई है।

शरणार्थियोंको प्रस्तावसे गहरा सदमा पहुँचा है। उनको उम्मीद थी कि इस मामलेकी पूरी-पूरी खुली और स्वतन्त्र जांच कराई जायेगी और उसमें हिन्दुओं और मुमन्मानो दोनोंको अपनी-अपनी बात कहनेका मौका दिया जायेगा। लेकिन ऐसा-कुछ नहीं हुआ और पण्डित मालवीयजीको दिये गये वाइसरायके उत्तरमें तो यही लगता है कि यह प्रस्ताव इस मामलेमें भारत सरकारका अन्तिम निष्कर्ष और अन्तिम निर्णय है।

ऐसी परिस्थितियोंमें यदि शरणार्थी अपने आत्म-सम्मानकी ओर ध्यान दे तो वे तबतक कोहाट नहीं जा सकते जबतक उनके और कोहाटके मुसलमानोके बीच कोई वास्तविक और म्याथी समझौता नहीं हो जाता। ऐसा समझौता बाहरसे नहीं थोपा जा सकता और चाहे जो भी शर्तें सम्बन्धित हिन्दुओं या मुसलमानो द्वारा स्वीकृत वताई जाती हों, मैं तो यही समझ सकता हूँ कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें दबावमें आकर स्वीकार की गई हैं। मुझे उम्मीद है कि कोहाटके मुसलमान शरणार्थियोंसे जैसे भी होगा मिलेगे और उन्हें दोस्ती तथा पूरी सुरक्षाका वचन देकर

कोहाट लौटनेका न्योता देगे। मैं इस पूरे मामलेके बारेमें पहलेसे कोई राय निश्चित नहीं कर लेना चाहता। मुझे उम्मीद है — और मेरे मुसलमान साथियोंको भी यही आशा है — कि कोहाटके मुसलमान हमें कोहाटकी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओके बारेमें सही फैसलेपर पहुँचनेका अवसर देगे। लेकिन इतनी बात तो विलकुल साफ है कि हिन्दू आज रावलपिंडीमें शरणार्थी बने हुए हैं और यदि वे कोहाटके मुसलमान निवासियोंसे सुरक्षाका पूरा वादा लिये बिना कोहाट लौट गये तो उनके अस्तित्वपर ही बन आनेका खतरा है। यदि मुसलमान लोग हिन्दुओका स्वागत अपने मित्रोंके रूपमें करनेके लिए अनिच्छुक हैं तो सरकार चाहे जो भी आश्वासन दे, मैं उसे आश्वासन नहीं समझता। वहाँ उनकी विशाल बहुसंख्या है और विलकुल पासमें ही कई मुसलमान कबीले मौजूद हैं, और इसलिए हर भारतीय — चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान — कोहाटके मुसलमानोंसे यही आशा करता है कि वे यदि हिन्दू-मुस्लिम एकता चाहते हैं तो इन शरणार्थियोंको पूरा आश्वासन देकर उन्हें वापस कोहाटमें ले जायेंगे। मैंने शरणार्थियोंसे जो कहा था, यहाँ मैं उसे फिर दोहराना चाहता हूँ।<sup>१</sup> वह यह है कि सीमान्त प्रान्तके हिन्दुओ और मुसलमानोंके भावी सम्बन्ध उन्हींके सही आचरणपर निर्भर है। जबतक कोहाटके मुसलमान उन्हें लौटनेके लिए हार्दिक निमन्त्रण और सुरक्षाका पूरा आश्वासन न दें, तबतक न लौटनेमें उन्हींका हित है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि तब सारा भारत उनके साथ होगा।

मैंने उनसे यह भी कहा है कि यदि आत्म-सम्मानके साथ उनके लिए कोहाट लौटना असम्भव हो तो उन्हें भारतमें अपने लायक ठीक धन्धा ढूँढनेमें जरा भी कठिनाई नहीं होगी। मैंने उनसे यह भी कहा है कि अभी मेरे हाथमें जो काम है, उन्हें मैं लगभग २३ जनवरीतक निवटा लूँगा। और उसके बाद तुरन्त खुशीसे रावलपिंडी आ जाऊँगा और जबतक आवश्यक होगा तबतक उनके पास रहूँगा। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि कोहाटके मुसलमान उससे बहुत पहले ही शरणार्थियोंके प्रति अपना दायित्व महसूस कर लेंगे और उनको कोहाट वापस ले जायेंगे। मौलाना शीकत अली इस मामलेमें कोशिश कर भी रहे हैं और सीमान्तके मुसलमानोंके साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं।

जब प्रतिनिधिने गांधीजीसे पंजाबमें हिन्दुओ और मुसलमानोंके मतभेदोंके बारेमें अपनी राय बताने या मौजूदा तनावको कम करनेका कोई उपाय सुझानेको कहा तो उत्तरमें उन्होंने कहा :

मैं समझता हूँ कि कोहाटके मामलेमें ऊपर जो बक्तव्य दिया गया है, वह पर्याप्त है। अभी मुझे कोई और ऐसी बात नहीं सूझती कि जो विशेष महत्त्वकी हो। 'यंग इंडिया' के ताजा अकमें प्रकाशित अपने लेखोंमें मैंने इस प्रश्नका विस्तृत विवेचन किया है। मैंने जो कुछ लिखा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कहना चाहता।

आगे जब प्रतिनिधिने हालके पजाब प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलनमें गाधीजी द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेकी नई योजनाके सम्बन्धमें कही बातोंका आशय तथा महत्त्व जानना चाहा तो गाधीजीने कहा

सम्मेलनके अपने समापन-भाषणका विवरण अभी मैंने समाचारपत्रोंमें नहीं देखा है, लेकिन मैंने यह जरूर कहा था कि मैं इस वारेमें बहुत अधिक और गहराईसे विचार कर रहा हूँ और यह मालूम करनेकी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हममें से कमसे-कम कुछ लोग ऐसे नहीं निकल सकते जो इस यत्रणाको समाप्त कर सकें। वह योजना क्या हो सकती है, यह मैं अभी नहीं कह सकता और फिर हर चीज इस बातपर निर्भर करेगी कि मैं जो भी प्रस्ताव रखूँ, उसपर कांग्रेसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। मैं अभीतक अन्धकारमें हूँ और मुझे अभी इस सम्बन्धमें गम्भीर सन्देह है कि मैं देशको अपने साथ ले जा सकूँगा। फिलहाल मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरे मनमें इस सम्बन्धमें कोई सन्देह नहीं है कि मैं अब इसके वारेमें जिस निष्कर्षपर भी पहुँचूँगा, वह कमसे-कम मेरे लिए तो अन्तिम होगा।

गाधीजीने अपने निकट भविष्यके कार्यक्रमके वारेमें पूछनेपर कहा

मैं शनिवारकी सुबह सावरमती पहुँचूँगा और वहाँसे १८ को चलकर २० को वेलगाँव पहुँच जाऊँगा। आशा है, मैं वहाँ आये हुए सभी अपरिवर्तनवादियोंसे मिलूँगा और फिर २१ को वहाँ जो भी परिवर्तनवादी आयेगे उनसे मिलूँगा। मैं सभी नेताओं और कार्यकर्त्ताओंसे खुलकर और अनौपचारिक रूपसे पूरी चर्चा करनेके लिए अत्यन्त उत्सुक हूँ। मुझे सबसे ज्यादा चिन्ता इस बातकी है कि कांग्रेसमें जो-कुछ भी स्वीकार किया जाये, वह यन्त्रवत् स्वीकार न किया जाये, बल्कि हर प्रतिनिधि कांग्रेसके सामने पेश किये जानेवाले प्रस्तावोंको पूरी तौरसे समझकर अपना दायित्व महसूस करते हुए पूरा इत्मीनान करके ही अपनी सहमति दे। किसी भी कार्यक्रमकी सफलताका दारोमदार इसी बातपर है कि हर व्यक्ति उसके लिए जी-जानसे जुटकर काम करे।

[ अग्रेजीसे ]

ट्रिव्यून, १३-१२-१९२४

## ३५३. प्रस्तावना : 'श्री रामकृष्णकी जीवनी' की

सावरमती'

मार्गशीर्ष कृष्ण १, १९८१ [१२ दिसम्बर, १९२४]

रामकृष्ण परमहंसकी जीवनी धर्मके आचरणकी कथा है। उनका जीवन हमे ईश्वरका स्पष्ट साक्षात्कार करनेमे समर्थ बनाता है। उनकी जीवन-कथा पढनेवाले किसी भी मनुष्यको यह विश्वास हुए बिना नहीं रह सकता कि ईश्वर ही सत्य है, शेष सब मिथ्या है। रामकृष्ण प्रभु-भक्तकी जीती-जागती प्रतिमूर्ति थे। उनके वचन एक विद्वान्की उक्तियाँ-मात्र नहीं हैं, वे जीवन-रूपी पुस्तकके पृष्ठ हैं। उनमे उनके अपने अनुभव अभिव्यक्त हुए हैं। इसलिए वे पाठकपर ऐसी छाप डालते हैं, जिससे वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अनास्थाके इस युगमे, रामकृष्णने ज्वलन्त और प्राणवन्त आस्थाका एक ऐसा उदाहरण रखा है, जिससे लाखो स्त्री-पुरुषोको शान्ति मिली है। यदि वह उदाहरण उनके सम्मुख न आता तो वे जीवन-भर आध्यात्मिक प्रकाशसे वंचित ही रह जाते। रामकृष्णका जीवन अहिंसाका एक वस्तु पाठ है। उनका प्रेम भौगोलिक या अन्य किन्ही भी सीमाओमे बँधा हुआ नहीं था। ईश्वर करे, इन पृष्ठोको पढनेवाले सभी पाठकोको उनका यह दिव्य प्रेम प्रेरणास्पद हो।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण

## ३५४. पाटीदार और अन्त्यज

मुझे पाटीदारोके विरुद्ध अन्त्यज भाइयोकी शिकायते मिलती ही रहती है। एक भाईने मुझे कुछ कतरने भेजी है, जिनमे नाम-धाम सहित पूरा-पूरा विवरण दिया गया है। उनमे पता चलता है कि जिन अन्त्यजोने कई वर्षोंसे मरे हुए पशुओको उठानेका काम छोड दिया था, उनसे मार-पीटकर यह काम करवाया गया है।

यदि यह बात सच हो तो यह स्वदेशी डायरशाही मानी जायेगी और किमी हदतक विदेशी डायरशाहीमे भी अधिक बुरी। विदेशी डायरशाहीके पीछे तो लोगोके दोषका कुछ वहाना भी था। इसमे तो वैसे कोई बात नहीं मिल सकती। विदेशियोकी सस्या बहुत ही कम है, इसलिए उनको सामान्य रूपसे भय भी रहता

१. साधन-सूत्रमें यही दिया गया है, लेकिन गांधीजी १३ दिसम्बरको सावरमती पहुँचे थे, देखिए "पत्र. मथुरादास त्रिक्रमजीको", १४-१२ १९२४।

२. साधन सूत्रमे "१२ नवम्बर, १९२४ तिथि दो हुई है।

हे। लेकिन इस स्वदेशी डायरशाहीमें तो पाटीदार बहुत ज्यादा और अन्त्यज सख्यामें कम एव बल और बुद्धिमें हीन भी है। उनपर जुल्म किया जाये, यह तो चीटियों पर सेना लेकर चढाई करनेके समान है।

पाटीदारो और अन्य तथाकथित उच्च वर्णोंको अपने कर्त्तव्यपर विचार करना है। किसीकी डायरशाही अब लम्बे समयतक चलनेवाली नहीं है। अब तो केवल सत्य, न्याय और अहिंसा ही चलेगे। अन्याय, असत्य और हिंसा — चाहे वे स्वदेशी ही क्यों न हो — कदापि नहीं चल सकते।

आज हम न्यायकी मांग कर रहे हैं, गुलामीसे मुक्त होनेकी कामना कर रहे हैं। क्या हम स्वयं अपने दोष नहीं देखेंगे, उनको दूर नहीं करेंगे? जिन पाटीदारोंने अन्त्यज भाड्योपर जुल्म किया हो, समझदार पाटीदारोको उन्हें रोकना चाहिए। अन्त्यज भाड्योके प्रति भी हमारा कुछ कर्त्तव्य है, लोगोको यह बात समझनी चाहिए। जिस तरह अन्य वर्णोंके लोगोंने अपने धन्ये छोड़ दिये हैं, जिस तरह ब्राह्मणोंने शिक्षण-कार्य छोड़कर नौकरी आदि अपनाई है, जिस तरह क्षत्रियोने दासता ग्रहण की है, जिस तरह दार्जियोने अपना काम छोड़कर अन्य क्षेत्रोमें प्रवेश किया है, उसी तरह अन्त्यजोको भी अपने धन्ये छोड़नेका अधिकार है।

चमारका घन्वा आज दूसरे लोग भी करते हैं। मरे हुए पशुओको उठाकर उचित स्थानपर डाल देनेके काममें मैं कोई दोष नहीं देखता। लेकिन दूसरोको मैं वह काम अथवा कोई और काम करनेके लिए बाध्य कैसे कर सकता हूँ? अमुक घन्वा तो अमुक जाति अथवा व्यक्तिको ही करना होगा, हम ऐसा दुराग्रह नहीं रख सकते। इसका एक सीधा परिणाम तो यह होना चाहिए कि हमें कोई भी बुनियादी और जरूरी काम करनेमें दोष नहीं समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब कोई दूसरे लोग इस कामको करनेके लिए बाध्य नहीं है तो फिर अन्त्यजोने ही क्या अपराध किया है [कि उन्हीसे यह काम कराया जाये]? मुझे याद है कि दक्षिणमें एक वार भगी नाराज हो गये थे और उन्होंने अपना काम बन्द कर दिया था। किन्तु ब्राह्मणोंने अपने पाखाने आप ही साफ करना शुरू कर दिया, इससे भगी हार गये। दूसरोको पराजित करनेका यही उत्तम मार्ग है कठिनाइयोको चुपचाप झेलना और उन्हें आत्मबल और सहिष्णुताके द्वारा दूर करना। इस रास्तेपर चलनेमें दोनोकी उन्नति है। पहले रास्तेपर चलनेसे एककी अवनति तो निश्चित ही है, किन्तु हो सकता है, दोनोकी ही अवनति हो।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, १४-१२-१९२४



## ३५५. पत्र : ए० वरदन्को

१४ दिसम्बर, १९२४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके साथ भेजी गई क्षमा-याचनाके लिए, जिसपर श्री सुब्रह्मण्यम्के दस्तखत है, धन्यवाद। मैंने इस बातका कभी विचार नहीं किया है। आगा है, उन पत्रोंको लिखनेके कारण उनको सेवासे निवृत्त नहीं किया जायेगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गाधी

श्री ए० वरदन्  
प्रधानाध्यापक

अग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६७६) की फोटो-नकलसे।

## ३५६. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

रविवार, मार्गशीर्ष वदी ३ [१४ दिसम्बर, १९२४]

सुज भाईश्री,

आपका पत्र लाहौरसे होता हुआ आज मिला। मैंने सोचा कि यदि मैं अब तार देता हूँ तो वह भी आपको कल ही मिलेगा, इसलिए पत्र द्वारा ही उत्तर दे रहा हूँ। क्या अब यही उचित नहीं होगा कि परिपद्को<sup>१</sup> सोनगढमे ही होने दिया जाये? फिर भी आप वही करे जिसमे सबका हित हो। परिपद्मे सयमसे काम लिया जायेगा, इस वारेमे भला मैं आपको क्या आश्वासन दे सकता हूँ? मेरी उपस्थितिमे कममे-कम काठियावाडमे कोई भी व्यक्ति मर्यादा नहीं छोडेगा, इस बातका मुझे पक्का भरोसा है। समाचारपत्रोंसे विदित होता हे कि नगरपालिका मानपत्र देनेका प्रस्ताव पास कर चुकी है। क्या अब उसमे कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम तो निर्विघ्न सम्पन्न हो जायेगा। मैं यहाँ १८ तारीख तक हूँ। यदि कोई गहर जानेवाला व्यक्ति मिल गया तो मैं आपको तार भी दूंगा।

मोहनदास गाधीके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (मी० डब्ल्यू० ३१८४) से।  
सौजन्य महेश पट्टणी।

१. काठियावाड़ राजनीतिक परिपद्, देखिए "पत्र प्रभागकर पट्टणीको", १८-१२-१९२४।

## ३५७ पत्र • मथुरादास त्रिकमजीकी

मागंशीर्ष वदी ३ [१४ दिसम्बर, १९२४]'

मैं कल पहुँचा। तुम्हें पत्र लिखने ही जा रहा था कि महादेवने मुझे तुम्हारा पत्र ला दिखाया। आनन्दकी तबीयत अभीतक ठीक नहीं हुई है इससे दुःख और आश्चर्य हो रहा है। उस सबका कारण क्या है? आनन्दसे कहना कि अभी ससारसे विदा लेनेकी तैयारी न करे। क्या वह वायु परिवर्तनकी बात नहीं मानेगा? मैंने सदा देखा है कि एक वायु परिवर्तनके आगे सी दवा भी काम नहीं करती। ऐसी स्थितिमें तुम बेलगाँव कैसे आ सकोगे? मैं तो तुम्हें बेलगाँव आनेके बारेमें ही पत्र लिखना चाहता था। तारामती अब बिलकुल ठीक होगी।

[गुजरातीमें]

चापुनी प्रसादी

## ३५८. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको<sup>१</sup>

अहमदाबाद

१४ दिसम्बर, १९२४

मैंने पत्रावमें दिये अपने एक भाषणका विवरण देखा है और अपने अन्य भाषणोंके विवरणोंके बारेमें बहुत-कुछ सुना है। मैंने सवाददाताओंको चेतावनी दी थी कि वे मेरे भाषणोंके सम्बन्धमें तैयार किये गये विवरण मुझे दिखाए बिना छपनेके लिए न भेजे। मैंने जो बातें कही, वे मेरी दृष्टिमें महत्त्वपूर्ण थी। 'ट्रिव्यून' और 'जमीदार' के सम्पादकोंने अपने विवरण शुद्ध करनेके लिए मेरे या मेरे सचिवके पास भेजनेका सौजन्य दिखाया, लेकिन स्पष्ट है कि अन्य सम्पादकोंने मेरे अनुरोध-पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। नतीजा यह है कि मैंने जो-कुछ कहा था, वह विकृत रूपमें छपा गया है। इसलिए मैं लोगोंमें यही कह सकता हूँ कि मेरे भाषणोंके विवरण, जबतक मेरे द्वारा प्रमाणित किये हुए न हों तबतक उनका एक भी शब्द मेरा न माने। उनके लिए लोगोंको मेरे बेलगाँवके भाषणकी राह देखनी चाहिए। उसमें मैं सक्षेपमें उन सभी बातोंको रखूँगा, जो मैंने पत्रावमें और अन्यत्र कही हैं। मैं लोगोंको आगाह किये देता हूँ कि अभी वे मुझसे किसी सनसनीदार और जोश पैदा करनेवाली योजनाकी आशा न करे। अभी तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि एकता कायम हो और एक वर्षतक रचनात्मक कार्य होता रहे। उसके बाद और केवल उसके बाद ही मैं कोई ऐसी चीज देनेका वादा कर सकता हूँ जो उत्साहीसे-

१ साधन-सूत्रके अनुसार।

२ यह वक्तव्य गांधीजीने अपने पत्रावके भाषणोंके सम्बन्धमें दिया था।

उत्साही व्यक्तियोंको भी काफी जोगीली मालूम हो, परन्तु मुझे उसकी चर्चा अभी नहीं करनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इडिया, १५-१२-१९२४

### ३५९. पत्र : कुँवरजी विठ्ठलभाई मेहताको

सोमवार [१५ दिसम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

आपका पत्र मिला। मैं १५ तारीखके<sup>२</sup> बाद वारडोली ताल्लुकेका दौरा करनेकी कोशिश तो अवश्य करूँगा। आप बल्लभभाईके साथ कार्यक्रम निश्चित कर लीजिएगा।

- १ वहाँ कुछ चरखा-प्रवृत्ति चल रही है या नहीं?
- २ प्रागजी कैसे हैं?
- ३ कल्याणजी कहाँ हैं और कैसे हैं?
- ४ क्या 'नवयुग' का खर्च निकल आता है?
- ५ क्या रईका सग्रह किया जा रहा है?
- ६ दयालजीकी तवीयत ठीक हुई या नहीं?

बापूके आशीर्वाद

भाईश्री कुँवरजी विठ्ठलभाई  
'नवयुग' कार्यालय  
लिमडा चौक, सूरत

गुजराती पत्र (जी० एन० २६७३) की फोटो-नकलसे।

### ३६०. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

मंगलवार [१६ दिसम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

मुज भाईश्री,

भाई फूलचन्द, अमृतलाल आदि कार्यकर्ता परिषद् बुलाये जानेके सम्बन्धमें विचार-विमर्श करनेके लिए यहाँ आये हुए हैं। उनका कहना है कि वे ऐसी शर्तें स्वीकार करनेको तैयार हैं कि जिनसे परिषद्का काम विवेकपूर्वक हो। वे इस बातका आश्वासन देनेको तैयार हैं कि किसी भी राजाकी कोई व्यक्तिगत आलोचना न की जायगी।

१. डाककी मुहरसे।

२. जनवरी, १९२५ की।

३. गांधीजीके इस पत्रकी प्राप्तिकी सूचना श्री पट्टणीजीने अपने १७ दिसम्बर, १९२४के पत्र द्वारा दी थी।

यदि वे ऐसी शर्तोंके साथ परिषद्का आयोजन करनेको राजी हो तो मुझे लगता है कि अनुमति देनेमें किसी प्रकारकी अडचन न होनी चाहिए। अनुमतिके आदेश-पत्रमें यदि शर्तें भी लिख दी जाये तो इससे दरवारके मानकी रक्षा भी हो जायेगी। अब और अन्य राजाओंके प्रति दरवारका कर्तव्य भी पूरा हो जायेगा तथा जनताको परिषद् बुलानेकी सुविधा हो जायेगी। मेरा खयाल यह है कि निषेधादेश परिषद्में मर्यादा-पालन न किये जानेके भयसे ही जारी किया गया है। यदि इस भयको दूर करनेके लिए आवश्यक शर्तें दाखिल कर दी जाये तो मुझे लगता है कि फिर कोई अडचन नहीं रह जाती।

आपका,  
मोहनदास गांधी

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१८५) से।  
सौजन्य महेश पट्टणी

### ३६१. पत्र : भगवानजी अनूपचन्द मोदीको

मार्गशीर्ष वदी ५ [१६ दिसम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

भाई भगवानजी,

आपका पत्र मिला। आपने पत्र लिखा सो अच्छा किया। उसमें से जितना स्वीकार कर सकता हूँ, करूँगा।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

भाई भगवानजी अनूपचन्द मोदी  
राजकोट

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३०३१) से।  
सौजन्य नारणदास गांधी

### ३६२. सन्देश : देवचन्द पारेखको

[१६ दिसम्बर, १९२४ के पश्चात्]<sup>१</sup>

मुझे पता चला है कि काठियावाड राजनीतिक परिषद्का स्वागत-मण्डल दरवारको इस बातका आश्वासन देनेको तैयार है कि परिषद्में शिष्टता तथा मर्यादाका पालन होगा और राजाओंकी व्यक्तिगत टीका न की जायेगी।

यह भी मालूम हुआ है कि पोरबन्दरमें कार्यकारी समितिकी जो बैठक हुई थी उसने स्वागत-मण्डलको भावनगरमें परिषद् बुलानेकी सलाह दी थी। इससे पहले उसे

१ डाककी मुहरसे।

२ यह सन्देश “पत्र प्रभाशकर पट्टणीको”, १६-१२-१९२४ के बाद लिखा प्रतीत होता है।

पट्टणी साहबसे विचार-विमर्ग कर लेना चाहिए था। ऐसा न करके उसने शिष्टाचारके नियमका उल्लंघन किया है।

पट्टणी साहबका आग्रह है कि इस वर्ष भावनगरमें परिषद् न बुलाई जाये। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि इसकी अनुमति देनेमें उन्हें कठिनाई होगी। उनका कहना है कि यदि परिषद् सोनगढमें बुलाई जाये तो वे हर तरहकी मदद देनेको तथा उसमें भावनगरकी प्रजाको भाग लेनेके लिए प्रोत्साहित करनेको तैयार हैं। इतना ही नहीं बल्कि आगामी वर्ष होनेवाला सम्मेलन देशी राज्योंकी सीमाके अन्दर बुलाया जा सके, इसका समुचित प्रबन्ध करने तथा इसमें सारी आवश्यक सहायता पहुँचानेको भी वे तैयार हैं। इसके लिए उनकी शर्त केवल इतनी है कि इस वर्षकी परिषद्में होनेवाले भाषणोंमें समयसे काम लिया जाये। आगामी परिषद्के बारेमें वे कोई शर्त नहीं लगाना चाहते। उन्हें विश्वास है कि परिषद् स्वयं ही मर्यादाका पालन करेगी।

सारी परिस्थितिको देखते हुए मुझे लगता है कि स्वागत-मण्डलके सदस्योंको भावनगरमें परिषद् बुलानेके आग्रहको छोड़ देना चाहिए। उन्हें पट्टणी साहबकी बात मान लेनी चाहिए और परिषद्में मर्यादाका पूरा-पूरा पालन करके अपने आपको सच्चा सत्याग्रही सिद्ध करना चाहिए।

यदि जनता ऐसा करती है तो वह कोई ऐसा काम नहीं करती जिसके लिए उसे लज्जित होना पड़े। इससे सत्याग्रहको कोई बट्टा नहीं लगता और भविष्यके लिए मार्ग भी सरल हो जाता है। परन्तु, यदि हम यह मान भी ले कि सब-कुछ उलटा ही होगा—पट्टणी साहब विश्वासघात करेंगे अथवा वे उस समय काठियावाडमें होंगे ही नहीं अथवा वे आगामी वर्ष देशी राज्योंकी सीमाके अन्दर परिषद् होने देनेके अपने प्रयत्नोंमें असफल सिद्ध होंगे तो भी इससे सत्याग्रहीकी कोई हानि न होगी। सच्चा सत्याग्रही शिष्टता और नम्रता दिखानेको सदा तैयार रहता है और उसे अवसर चूक जानेके कारण पछतावा करनेका मौका कभी आता ही नहीं है। सच्चा सत्याग्रही तो अवसर उपस्थित होते ही कमर कसकर खड़ा हो जाता है।

मोहनदास करमचन्द गांधी

गुजराती प्रति (मी० डब्ल्यू० ६२०४) से।

सीजन्य नारणदाम गांधी

## ३६३. पत्र : जी० ए० नटेशनको

१७ दिसम्बर, १९२४

प्रिय श्री नटेशन,

आपके 'रिव्यू' के लिए मुन्दर भविष्यकी कामना करता हूँ।

हृदयमे आपका,  
मो० क० गाधी

[अग्नेजीने]

इडियन रिव्यू, जनवरी, १९२५

## ३६४. पत्र : डाह्याभाई म० पटेलको

मार्गशीर्ष वदी ६ [१७ दिसम्बर, १९२४]<sup>१</sup>

भाई डाह्याभाई,

तुम्हारे दोनो पत्र मिल गये। मुझे लिखनेकी इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन पूरी जानकारीके अभावमे क्या लिखूँ? तथ्योका ठोस ज्ञान न होनेपर लिखना मुझे जरा भी पसन्द नहीं। अब तो जब मैं वेलगांवमे वापस आ जाऊँ, तब आ जाना और अपनी बात अच्छी तरह समझाना।

मोहनदासके वन्देमातरम्

भाई डाह्याभाई मनोरदाम पटेल

ताल्लुका ममिति

घोलका

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २६९१) से।

सीजन्य डाह्याभाई म० पटेल

१ टाककी मुहरसे।

## ३६५. पत्र : 'फारवर्ड' को

[ १७ दिसम्बर, १९२४ के आसपास ]

प्रिय मित्र,

यह रहा मेरा लेख चरखे बिना स्वराज्य असम्भव है। मैं अपनी कोई तसवीर रखता नहीं। अतः आपको मेरे हस्ताक्षरोसे ही सन्तोष करना पड़ेगा।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

द स्टोरी ऑफ़ माई लाइफ़, खण्ड २।

## ३६६. टिप्पणियाँ

क्या लालाजी भीरु हैं ?

आम सभाओमें बोलनेवाले बहुत-से लोगोकी यह बढकिस्मती है कि सवाददाता अकसर उनके भाषणोकी गलत रिपोर्ट भेज देते हैं, हालाँकि वे कोई जान-बूझकर ऐसा नहीं करते। मेरा खयाल है, इस बढकिस्मतीका शिकार मैं भी हूँ। मुझे याद है, सन् १८९६ में जब मैं भारतमें पहले-पहल सार्वजनिक सभामें बोलने जा रहा था, उस समय सर फिरोजशाह मेहताने मुझसे कहा था कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपका भाषण मुने और उसकी ठीक-ठीक रिपोर्ट भी दी जाये तो अपना भाषण पहलेसे ही लिख रखिए। इम नेक सलाहके लिए मैं बराबर उनका आभारी रहा। मैं जानता हूँ कि यदि उस सभाके सम्बन्धमें मैं उनकी बात मानकर न चलता तो पूरा रगभग हो गया होता। उसके बाद भी जब कभी मेरे भाषणकी गलत रिपोर्ट दी गई हे, मुझे इम प्रान्तके उस नेताके वादशाहकी सलाह याद हो आई है। कहते हैं, किसीने ऐसी खबर दी हे कि अमृतसरके खिलाफत सम्मेलनमें मैंने लालाजीके लिए भीरु शब्दका प्रयोग किया। लालाजी और चाहे जो हो, भीरु तो है ही नहीं। मेरे भाषणका सन्दर्भ देखनेसे स्पष्ट हो जायेगा कि मैं इम आरोपसे लालाजीका बचाव कर रहा था कि वे मुसलमानोके प्रति विरोध-भाव रखते हैं। उस समय मैंने जो कहा था वह यह कि लालाजी शकायील है और मुसलमानोके मशामें शक करते हैं, किन्तु साथ ही वे अच्छे दिलमें मुसलमानोकी मैत्री चाहते हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि लालाजीके लिए मेरे दिलमें बढी इज्जत है। मैं उन्हें बहुत बहादुर और आत्म-त्यागी व्यक्ति समझता हूँ। और उदार, सत्यपरायण और ईश्वरमें डरकर चलनेवाला आदमी ममझता हूँ। उनकी

देश-भक्ति अत्यन्त निर्मल है। देशकी उन्होंने जितनी और जैसी अच्छी सेवा की है, उसमें बहुत कम लोग बराबरी कर सकते हैं। और यदि ऐसे व्यक्तिपर बुरा मशा रखनेका सन्देह किया जाये तब तो हमे हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आशा छोड़ ही देनी पडेगी। यदि अली-बन्धुओके मशामे लोग शक करने लगे तो क्या हिन्दू-मुस्लिम एकताकी कोई आशा की जा सकती है? यहाँ भी स्थिति वैसी ही है। हम सबकी अपनी-अपनी मर्यादाएँ हैं, अपने-अपने पूर्वग्रह हैं। तो हम हिन्दुओ और मुसलमानोको, जैसे हम हैं उसी रूपमे स्वीकार किया जाना चाहिए और जिन लोगोके लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता धर्म-रूप है उन्हें इसी साधन-सम्पत्तिके द्वारा, इन्ही गुण-दोषमय हिन्दुओ और मुसलमानोके द्वारा यह एकता स्थापित करनेकी कोशिश करनी चाहिए। अपने औजारोको दोष देनेवाला बढई असफल बढई है। कर्नल मैडॉकने मुझे बताया कि एक वार उन्होंने आम इस्तेमालके एक मामूली-से चाकूसे बहुत बडा ऑपरेशन किया था, क्योंकि उस समय और कोई चाकू उनके पास नहीं था। कीटाणु-नाशक-पदार्थके नामपर उनके पास सिर्फ उबलता हुआ पानी था। लेकिन उन्होंने हिम्मत की और उनके मरीजकी जान बच गई। अगर हम भी एक-दूसरेपर विश्वास करनेका साहस दिखाये तो समझ लीजिए हम सुरक्षित हैं। लेकिन एक-दूसरेका विश्वास करनेका मतलब जवानसे विश्वास प्रकट करना और मनमे अविश्वास रखना नहीं हो सकता। यह तो सचमुच कायरता होगी, और कायरोसे कायरोकी अथवा कायरोसे वहादुरोकी दोस्ती कभी नहीं हो सकती।

### हत्या कब उचित है?

दिल्ली-निवासी लाला शकरलालने मुझे बताया है कि ऐसी खबर है कि मैंने हिन्दुओको कुछ मौकोपर मुसलमानोकी हत्या करनेकी सलाह दी है। उदाहरणके लिए जब मुसलमान गो-हत्या कर रहे हो। मैंने यह खबर खुद कही नहीं पढी है। लेकिन चूँकि बात बहुत महत्त्वपूर्ण है इसलिए मुझे इस सम्बन्धमे अपनी बात बहुत सावधानीके साथ सूक्ष्मतापूर्वक और निश्चित रूपसे कहना जरूरी है। मैं मानता हूँ कि सारी दुनिया या मुसलमानोसे गायकी रक्षा करना हिन्दू-धर्मका अंग नहीं है। अगर कोई हिन्दू ऐसी कोई कोशिश करता है तो वह दूसरोपर जबरदस्ती अपना विचार लादनेका दोषी माना जायेगा। उसका कर्त्तव्य तो सिर्फ यह है कि वह अच्छी तरह प्रेमपूर्वक गायकी देख-भाल करे। प्रसंगवश मैं कह दूँ कि इस कर्त्तव्यका पालन वह बिलकुल नहीं करता। हिन्दू लोग जिस तरीकेसे सारी दुनियाको गो-रक्षाके लिए राजी कर सकते हैं वह तरीका सिर्फ यही है। गो-रक्षा और उसमे जो-कुछ समाया हुआ है उसे वे अपने आचरणमे उतारकर दुनियाको दिखाये। लेकिन, यह तो हर व्यक्तिका और इसलिए हर हिन्दूका कर्त्तव्य है कि वह अपनी माँ, बहन, पत्नी या बेटी, बल्कि जो भी एकमात्र या विशेष रूपसे उसीके सरक्षणमे हो ऐसे हर किसीकी, अपने प्राणोकी बलि देकर भी रक्षा करे। मेरा धर्म तो मुझे सिखाता है कि मैं दूसरोकी रक्षाके लिए किसीकी हत्या करनेका प्रयत्न किये बिना अपना जीवन बलिदान कर दूँ। लेकिन, साथ ही मेरा धर्म मुझे यह कहनेकी भी प्रेरणा देता है कि जहाँ अपने सरक्षितकी उपेक्षा करके भाग खडे होने और जो बलात्कार



करना चाहता हो तो उसकी हत्या करने, इन दो स्थितियोंके बीच चुनाव करना हो वहाँ कर्तव्य-स्थल छोड़कर भाग खड़ा होना नहीं बल्कि इस स्थलपर डटे रहकर मारना और मिटना ही कर्तव्य है। ऐसा भी हुआ है कि बहुत ही लम्बे-तगड़े लोगोंने मेरे पास आकर बड़े सहज-भावसे कह डाला है कि उन्होंने लम्पट मुसलमानोंके हाथों हिन्दू बहनोंका सतीत्व लुटते अपनी आंखों देखा। मैं क्या बताऊँ कि उस समय मुझे कितनी ग्लानि हुई है। बहादुरोंके समाजमें यह बात लगभग असम्भव है कि किसीके देखते हुए किसी नारीका सतीत्व लुटे और वह ऐसी कलक-कथाकी साक्षी भरनेको जीवित रह जाये। ऐसे अपराधकी खबर देनेके लिए एक भी व्यक्तिको जीवित नहीं रहना चाहिए। एक सीधे-सादे पुजारीने, जो अहिंसाका धर्म नहीं समझता था, बड़े उल्लासके साथ मुझे बताया कि एक बार जब मूर्तियोंको तोड़नेके डरादेसे कुछ लोगोंकी भीड़ मन्दिरमें घुस आई तो वह बड़ी होशियारीसे अन्यत्र छिप गया। ऐसे आदमीको मैं पुजारी होनेके लायक नहीं मानता। उसे तो अपने कर्तव्य-स्थलपर मर मिटना चाहिए था। इस तरह उसने मूर्तिको अपने रक्तसे सींचकर पवित्र बना दिया होता। यदि उसमें इतना साहस नहीं था कि वह ईश्वरसे उन आक्रामकोंके प्रति दया करनेकी प्रार्थना करते हुए स्वयं बलिदान हो जाता तो उनकी हत्या करना भी उसके लिए उचित होता। लेकिन, अपने क्षण-भंगुर शरीरकी रक्षा करनेके लिए इस तरह छिप जाना पुरुषोचित नहीं था। सच तो यह है कि कायरता स्वयं प्रच्छन्न हिंसा है, और चूँकि यह प्रच्छन्न है, इसलिए बहुत खतरनाक है और इसीलिए इसका निवारण भी वास्तविक हिंसासे कहीं अधिक कठिन है। कायर अपनी जानको कभी खतरेमें नहीं डालता। जो हत्या करनेको तैयार रहता है, वह अकसर अपनी जानपर खतरा भी लेता है। अहिंसक व्यक्तिका जीवन तो बराबर जो उसे लेना चाहे, उसीके हाथमें रहता है। कारण, वह जानता है कि शरीरके अन्दर जो आत्मा है, वह अनश्वर है। आत्माका निवास-रूप शरीर तो सतत नाशवान है। इसलिए जो व्यक्ति जीवनको परमार्थमें जितना ही लगाता है, वह उसकी उतनी ही रक्षा करता है। इस प्रकार अहिंसाके लिए युद्धके मैदानमें डटे हुए सिपाहीसे अधिक साहसकी आवश्यकता है। 'गीता'के अनुसार योद्धा वह है जो खतरेमें सामना पड़नेपर पीठ दिखाना नहीं जानता।

### फिर अपरिवर्तनवादी

अपरिवर्तनवादियोंके करुण पत्र अब भी मेरे पास आ रहे हैं। पत्र-लेखकोंने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि वे मानते हैं, मैंने असहयोगको बेच डाला है, लेकिन मेरे प्रति प्रेम-भावके कारण वे मेरे विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि जो अपरिवर्तनवादी स्वराज्यवादियोंके साथ मेरे समझौता करलेनेके खिलाफ खुलेआम लिख रहे हैं वे भी बहुत नयमसे काम ले रहे हैं। मेरे साथ जो इतना ज्यादा लिहाज बरता जा रहा है, उसके लिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। लेकिन जहाँ इस बातसे मुझे खुशी होती है, वहाँ परेशानी भी होती है। मैं उन्हें आश्चर्य कर देना चाहता हूँ कि यदि वे मुझे गलती-पर नमस्कार मेरा विरोध करेंगे तो मैं उनका किमी भी तरह बुरा नहीं मानूँगा। मेरे प्रति स्नेह-भावके कारण या मेरी गत सेवाओंकी वजहसे उन्हें मेरा विरोध करनेमें

किसी प्रकारका सकोच नहीं करना चाहिए। उनका विरोध, उनसे जितना बने उतना नम्र, शिष्ट और अहिंसात्मय तो हो किन्तु साथ ही उसमें दृढताकी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। दरअसल असहयोग जिम प्रकार मेरे लिए आचरणका एक सिद्धान्त है उसी प्रकार उनके लिए भी है। मैंने बार-बार कहा है कि यदि यह एक खरा सिद्धान्त है तो अपने प्रियमे-प्रिय कुटुम्बियों और मित्रोंके साथ भी इसका प्रयोग सम्भव होना चाहिए। मैंने यह बात भी एकाधिक अवसरोंपर कही है कि इस सिद्धान्तकी खोज मैंने पारिवारिक जीवनके सूक्ष्म अवलोकनके आधारपर और उस जीवनको अपनी समझके अनुसार ठीक-ठीक व्यवस्थित करते हुए की है। इसलिए जिन अपरिवर्तनवादियोंका विश्वास है कि मैं गलतीपर हूँ, वे मेरे साथ असहयोग करके मेरा भला ही करेंगे। लेकिन, यदि उनके मनमें अपने उम निष्कर्षमें कोई सन्देह हो तो मैं कहूँगा कि उस सन्देहका लाभ मुझे मिलना चाहिए। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं अब उन्हें और अधिक नहीं समझाऊँगा। एक अग्रेज भाईके अनुसार, यदि मैं उन्हें और अधिक समझाता हूँ तो उमका मतलब अनुचित प्रभाव डालनेकी कोशिश करना होगा। समझौतेके पक्षमें मुझे जो-कुछ कहना था, वह कह चुका हूँ। मैं जल्दबाजीमें और पूरा मोचे-विचारे बिना कोई काम नहीं करता, इसलिए मैं अपना कदम जल्दी वापस भी नहीं लेता। लेकिन, अपरिवर्तनवादियोंको इस बातका भरोसा तो होगा ही कि जिस क्षण मुझे लगेगा कि मैंने 'इम घ्येयको' सचमुच 'वेच डाला' है, उसी क्षण मैं अपना कदम वापस ले लूँगा और अपनी भूलका पूरा परिमार्जन करनेकी कोशिश करूँगा। लेकिन, तबतक वे यह तो नहीं ही चाहेंगे कि मैं अपने विश्वासोके विरुद्ध कोई काम करूँ।

### सबको आना चाहिए

लेकिन, जहाँ मैं अपरिवर्तनवादियोंको और अधिक समझाना नहीं चाहता, वहाँ यह अवश्य चाहता हूँ कि वे मुझे अपनी बात समझाते रहे। मुझे ऐसे बहुत-से प्रसंग याद हैं, जब मैं गलतीपर रहा हूँ और मित्रोंने मुझे बार-बार समझाकर सही रास्ते-पर ला दिया है। उनके मनमें अभी जो शकएँ शेष रह गई हों, उनके उत्तर भी मैं सहर्ष देना चाहूँगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अपरिवर्तनवादी कांग्रेसमें आ सकते हों वे सबके-मद अवश्य आये। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि सभी परिवर्तनवादी प्रतिनिधि भी कांग्रेस अधिवेशनमें शामिल हों। मैं समझौतेपर सिर्फ उनकी तटस्थ मम्मति ही नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि इस सयुक्त कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेमें वे सक्रिय रूपमें और उत्साहपूर्वक सहयोग करें। मैं उनका मार्ग-दर्शन चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो चीज उन्हें अच्छी न लगे उसकी वे आलोचना करें। इसके अतिरिक्त यद्यपि मैं यह नहीं चाहता कि समझौतेमें सम्बन्धित बातोंपर कांग्रेसमें मत-विभाजन हो, फिर भी कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी सामने आ सकते हैं, जिनपर मत-विभाजन अवश्यभावी हो जाये। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अधिवेशनमें सभी प्रतिनिधि शामिल हों। जो प्रतिनिधि वार्षिक अधिवेशनमें शामिल होकर अपने निर्वाचकोका प्रतिनिधित्व नहीं करता उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना बेकार है। इस वर्ष तो हर प्रतिनिधिके लिए विशेष रूपसे जरूरी है कि वह अधिवेशनमें शामिल हों।

मदस्यताकी गर्तमे क्रान्तिकारी परिवर्तन करनेकी कोशिश हो रही है। यदि कांग्रेसने उसे स्वीकार कर लिया तो उसको कार्य रूप देनेके लिए नियम भी बनाने पडेगे। कुछ और भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन में विषय समितिके विचारार्थ पेश करना चाहता हूँ। कुछ नये सम्मेलन भी इसके साथ हो रहे है — जैसे नेशनल होमरूल कान्फ्रेस और अब्राह्मण कान्फ्रेस। इसलिए हर दृष्टिसे यह जरूरी है कि अधिवेशनमे सभी प्रतिनिधि शामिल हो और महत्त्वपूर्ण परिवर्तनोंके गुभारम्भमे योग-दान करे।

[अग्नेजीसे]

यंग इंडिया, १८-१२-१९२४

### ३६७. कोहाटका दुष्काण्ड

कोहाटके दुष्काण्डपर भारत सरकारने परदा डाल दिया है। उसने तो पण्डित मालवीयजीको वाइसराय द्वारा दिये गये उत्तरमे ही जनताको इस बातका आभास दे दिया था कि वह कोई वैसा ही फतवा देनेवाली है जैसा कि आज देशके सामने है। यह सरकारी निर्णय जिम प्रकार एक राष्ट्रके रूपमे हमारी निर्वीर्यताका प्रमाण है, उसी प्रकार इस बातका भी सबूत है कि सरकारकी मनमानीको चुनीती देनेवाला कोई नहीं है और उसे जनमतकी तनिक भी परवाह नहीं है। मेरे लेखे तो कोहाट-दुष्काण्डका जितना बड़ा कारण वहाँके प्रशासकोकी अयोग्यता और अक्षमता है उतना बड़ा कारण हिन्दू-मुस्लिम तनाव नहीं है। यदि उन्होंने जान-मालकी हिफाजतका अपना बुनियादी फर्ज अदा किया होता तो जो ध्वस-लीला दिन-दहाडे गुरु हुई और चलती रही, उसे आमानीसे रोका जा सकता था। लेकिन, अविकारीगण नीरोकी तरह सब-कुछ देखते रहे, मोद मनाते रहे और उवर 'रोम' जलता रहा। वे ऐसा नहीं कह सकते कि वे अमहाय थे। उनके पास इस आगका शमन करनेके लिए पर्याप्त साधन थे। अगर वे चुप बैठे है तो अपने ही अपराधपूर्ण, उपेक्षा-भाव और निष्ठुरताके कारण चुप बैठे है, उनके कर्तव्य-पालनके रास्तेमे दूसरी कोई बाधा थी ही नहीं।

अब भारत सरकार भी उनके अपराधकी सहभागी बन गई है, उसने स्थानीय अधिकारियोंकी करनीपर लीपापोती कर दी है, बल्कि उनकी उपेक्षाको या उपेक्षामे भी बदतर आचरणको "धैर्य और नाहस" करार दिया है।

अपेक्षा तो यही की जा सकती थी कि इस मामलेकी पूरी, गुली और स्वतंत्र जांच कराई जायेगी। लेकिन विभागीय जांचके अलावा और कुछ नहीं किया गया और जांच करनेवालोंमें जनताका कोई भी प्रतिनिधि नहीं रखा गया। इस जांचके निष्कर्षपर जनताको तनिक भी विश्वास नहीं हो सकता। मैं और मेरे मुसलमान सहयोगियोंने गय बहादुर मन्वार माखनसिंहमे लेकर मामूलीसे मामूली शरणार्थियों ताने बानचीन की। मबने यह तो स्वीकार किया कि लाला जीवनदामने एक पर्चा प्रकाशित किया था जिममें बहुत ही अपमानजनक पद्य छपे हुए थे, किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दुओंने उनके प्रकाशनके लिए काफी प्रायश्चित्त किया और

जब मुसलमानोने ध्वस-लीला शुरू कर दी तब ही हिन्दुओने आत्मरक्षामें गोलियाँ चलाईं। कोहाटके मुसलमानोकी ओरसे यह कहा गया कि पच्चेके सम्बन्धमे हिन्दुओने अपनी भूलका पर्याप्त परिमार्जन नही किया और हिन्दुओ द्वारा गोलियाँ चलाने और मुसलमानोकी जान लेनेके वाद ही मुसलमानोने ध्वसात्मक कार्रवाई और गोलियाँ चलाना शुरू किया। चूँकि कोई कोहाटी मुसलमान रावलपिंडी नही आया था, इसलिए दुर्भाग्यवश हमे इस सम्बन्धमे सत्यका पता नही चल पाया। अतः, यह कहना कठिन है कि सरकारने जिस तरह दोनो सम्प्रदायोके लोगोके बीच दोपका बँटवारा किया है वह गलत है। लेकिन जाँचके निष्कर्षको कोई निष्पक्ष या स्वीकार्य निर्णय नही माना जा सकता। कोहाटके हिन्दुओसे इस निष्कर्षको स्वीकार करने या इसके सामने सिर झुका देनेकी अपेक्षा नही की जा सकती। और न कोहाटके मुसलमानोको ही सिर्फ इस कारणसे कि यह निष्कर्ष उनके पक्षमे जान पडता है, इसमे सन्तोष मिल सकता है। कारण, मुसलमान यदि सिर्फ इसलिए भारत सरकारके इस निष्कर्षपर हर्ष प्रकट करते है कि अभी इससे मुसलमानोकी वातका समर्थन होता दीखता है तो यह गलत होगा। इस मामलेमे तो कोई भी निष्कर्ष सतोपजनक तभी माना जा सकता है जब वह ऐसे हिन्दुओ और मुसलमानो द्वारा निकाला गया सयुक्त निष्कर्ष हो जिनकी निष्पक्षतामे सन्देहकी तनिक भी गुजाइश न हो। इसलिए भारत-सरकारका यह फतवा दोनो जातियोके लिए चुनौती है। इसमे हिन्दू शरणार्थियोसे अपमानजनक परिस्थितियोमे रहनेका मूल्य चुकाकर कोहाट लौट जानेको कहा गया है और मुसलमानोको अपने हिन्दू भाइयोका अपमान करनेके लिए वडावा दिया गया है। आशा है, हिन्दू कोहाटमे अपमान सहकर अमीरीकी जिन्दगी वित्तानेके वजाय कोहाटसे बाहर सम्मानके साथ फकीरीकी जिन्दगी वित्ताना ज्यादा पसन्द करेगे। मुझे आशा है कि मुसलमान भाई भी सरकार द्वारा दिये गये प्रलोभनको ठुकरा देनेकी मर्दानगी दिखायेगे और अपने हिन्दू भाइयोको, जिनकी सख्या कोहाटमे बहुत ही कम है, अपमानित करनेमे शरीक नही होंगे। प्रारम्भमे चाहे जिसने भी गलती की हो, जिसने भी उत्तेजनका कारण प्रस्तुत किया हो, इस तथ्यको कोई झुठला नही सकता कि हिन्दुओको लगभग जबरदस्ती कोहाटसे निकाल बाहर किया गया। इसलिए यह काम अब मुसलमानोका है कि वे रावलपिंडी जायें और हिन्दुओको मैत्री तथा जान-मालकी सुरक्षाका आश्वासन दिलाकर उन्हें कोहाट वापस ले आये। और कोहाटसे बाहरके हिन्दुओको भी ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे मुसलमान लोग ऐसा रबैया अपना सके। कोहाटसे बाहरके मुसलमानोको कोहाटी मुसलमानोसे अल्पसख्यक हिन्दुओके प्रति अपने बुनियादी कर्तव्यको स्वीकार करनेका आग्रह करना चाहिए। हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच एकता स्थापित करनेके प्रयासकी सफलता बहुत हदतक इस कठिन समस्याके समुचित और सम्मानजनक समाधानपर ही निर्भर है।

हम सहयोगी और असहयोगी सभी लोग एक-दूसरेसे अपना वचाव करनेके मामलेमे जितनी जल्दी सरकारपर भरोसा करना छोडे देगे, हमारे हकमे उतना ही अच्छा होगा तथा इस समस्याका समाधान उतनी ही जल्दी निकल आयेगा और

वह समाधान उतना ही अधिक स्थायी भी होगा। इस दृष्टिसे देखे तो कोहाटके अधिकारियोंकी उपेक्षाको हम ड्रष्ट भी मान सकते हैं। यदि हिन्दुओंने अधिकारियोंसे सुरक्षाकी माँग न की होती और बिना कोई वचाव किये अपने-अपने घरोंमें वे जमे रहते या अगर उन्होंने यही किया होता कि हथियार उठाकर अपनी तथा अपनी सम्पत्ति और आश्रितोंकी रक्षा करते हुए वे मर मिटते तो इतिहास कुछ और ही ढंगसे लिखा जाता। मुझे खुशी होगी, अगर सरकार कोई ऐसी घोषणा कर दे कि साम्प्रदायिक झगड़ोंमें कोई भी उससे सुरक्षाकी अपेक्षा न करे। अगर दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्वाधीनतापर दूसरेकी ओरसे होनेवाले हमलेके खिलाफ अपनी रक्षा आप ही करना सीख ले तो समझ लीजिए हम स्वराज्यके मार्गपर आरूढ़ हैं। यह चीज आत्म-रक्षा और आत्म-सम्मानकी या दूसरे शब्दोंमें कहे तो स्वराज्यकी बहुत अच्छी तालीम होगी। वचावके दो तरीके हैं। सबसे अच्छा और कारगर तरीका तो यह है कि हम कोई वचाव करे ही नहीं, बल्कि तमाम खतरोंका सामना करते हुए अपने स्थानपर डटे रहे। इससे जरा कम अच्छा, लेकिन इतना ही सम्मानपूर्ण तरीका यह है कि अपने वचावके लिए बहादुरीके साथ प्रतिपक्षीपर वार करे और अपनेको ज्यादामें-ज्यादा खतरनाक स्थितियोंमें डाले। दोनोंके बीच दो चार-चार जमकर मुठ-भेड़ हुई नहीं कि वे समझ जायेंगे कि इस तरह एक-दूसरेका सिर फोड़नेसे कोई फायदा होनेवाला नहीं है। उन्हें इस बातका ज्ञान ही जायेगा कि इस तरह लड़ना ईश्वरकी नहीं, बल्कि शैतानकी सेवा करना है।

अन्तमें, मैं रावलपिंडीमें शरणार्थियोंको दिया गया अपना वचन फिरसे दोहराता हूँ। जबतक उन्हें कोहाटके मुसलमानोंकी ओरसे हार्दिक निमन्त्रण न मिले तबतक यदि वे लौटकर वहाँ नहीं जायेंगे तो जो काम मैंने पहलेसे ही हाथमें ले रखे हैं, उनके पूरा होते ही मैं मौलाना गीकत अलीके साथ रावलपिंडी आकर दोनों सम्प्रदायोंके लोगोंके बीच सौहार्द स्थापित करनेकी कोशिश करूँगा और यदि इसमें असफल रहा तो उन्हें जीवन यापनके उचित धन्ये टूँढनेमें सहायता दूँगा।

[ अग्नेजीसे ]

यंग इंडिया, १८-१२-१९२४

## ३६८. देशभक्तिके आवेशमें पागलपन

यदि यह समाचार सच है कि मुलगीपेटाके कुछ 'सत्याग्रहियों' ने टाटाके कारखानेपर काम करनेके लिए मजदूरोको ले जा रही एक रेलगाडीको तोड़-फोड़कर नाकाम कर दिया है, इजिनके ड्राइवरको चोट पहुँचाई है और गरीब मजदूरोको, जिनमें औरते भी शामिल थी, अन्धाधुंध मारा है तो उनके इस जुर्मकी जितनी निन्दा की जाये थोड़ी ही है। कहते हैं, कानून और व्यवस्थाका भंग करानेवाले और शिष्टताके नियमोंको तोड़नेवाले इन अपराधियोंने टाटाके विरुद्ध लड़ाईकी घोषणा कर दी है और उनका कहना है कि उस तरह मजदूरोको कामपर जानेसे रोककर वे टाटाके कारखानेका बन्दना रोक देनेकी आशा करते हैं। यह तो अच्छे समझे जानेवाले उद्देश्यको पूरा करनेके लिए आतंकका तरीका अपनाना है। चाहे अच्छे उद्देश्यके लिए हो या बुरे उद्देश्यके लिए, सभी प्रकारकी आतंक-नीति बुरी ही है। सच तो यह है कि जो कोई ज़िम उद्देश्यको लेकर चलता है, उसकी समझमें वह उद्देश्य अच्छा ही होता है। जनरल डायरने जलियाँवाला बागका काण्ड एक ऐसे ही हेतुके लिए किया, जिसे वे निम्नन्देह अच्छा समझते थे (और हजारों अंग्रेज स्त्री-पुरुषोंके खयालसे भी यह हेतु अच्छा ही था)। उन्होंने सोचा कि केवल उसी एक कामको करके उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य और अंग्रेजोंकी जाने बचाई है। यह सही है कि यह सब उनके मनकी कल्पना-भास थी, किन्तु इसी कारण हम उनके विश्वासकी गहराईको तो कम नहीं आँक सकते। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रीडिंग हृदयसे विश्वास करते हैं कि बंगालका स्वराज्यवादी, दल हिंसाकी प्रवृत्तिसे ओतप्रोत है। परन्तु उनका हेतु अच्छा होनेके कारण उनकी आतंक-नीतिको उचित नहीं माना जा सकता। जिस उद्देश्यको मुलगीपेटाके सिरफिरे 'सत्याग्रही' अच्छा और न्याययुक्त मानते हैं, उसीको टाटावाले और उनके समर्थक सचमुच ही दुष्टतापूर्ण मानते हैं। वे हृदयसे विश्वास करते हैं कि उनकी योजनासे चारों ओरके गाँवोंको लाभ पहुँचेगा। उनका कहना है कि जिन लोगोंका जो-कुछ लिया गया है उन्हें उमका पूरा मुआवजा दे दिया गया है। सबने खुशीसे अपनी जमीन छोड़ी है और यह योजना बम्बईके लिए एक बरदान साबित होगी और इसलिए जो इस योजनाको विफल करना चाहते हैं, वे प्रगतिके विरोधी हैं। उनको अपना यह मत रखनेका उतना ही अधिकार है जितना मुझे यह विश्वास रखनेका अधिकार है कि इस योजनामें पडीसके लोगोंको कोई लाभ नहीं पहुँचेगा, यह वहाँकी प्राकृतिक शोभाका नाश कर देगी। गरीब गाँववालोंको कोई समझ नहीं थी और इसलिए यह कहना कि उन्होंने राजी-खुशीसे अपनी जमीन छोड़ी है, अनुचित है। उस स्थानको छोड़नेकी एवजमें जिससे उनका भावनात्मक सम्बन्ध है, कोई मुआवजा पूरा नहीं कहा जा सकता है। और यह कहना कि यह बम्बई प्रान्तके लिए एक बरदान होगा, विवादका विषय है। लेकिन अगर मैं यह माननेकी गुस्ताखी करूँ कि सही तो केवल मैं ही हूँ तो

इसका मतलब अपनेको ईश्वरके आसनपर बैठानेकी धृष्टता करना ही होगा और चूँकि क्या सही है, यह तय करनेके लिए हमारे पास कोई सर्वथा पूर्ण और सर्वमान्य माप-दण्ड नहीं है, इसलिए आतंक नीतिको हर हालतमें गलत ही कहना होगा। दूसरे शब्दोंमें शूद्र हेतुके कारण कोई अशुद्ध या हिंसात्मक कार्य उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं अपराधियोंको खुशी-खुशी अपने-आपको अधिकारियोंके हवाले कर देनेपर भी बचाई नहीं दे सकता। इससे दोषका निवारण नहीं हो सकता। हो सकता है कि वह महज गेखीमें की गई बहादुरी हो। अभी हालमें खिडकीमें एक व्यक्तिये एक महिलाकी हत्या करके आत्मसमर्पण कर दिया। किन्तु यह आत्मसमर्पण उसे फाँसीके तन्तेसे नहीं बचा पाया। उन निर्दोष स्त्रियोंको, जो ईमानदारीसे अपनी रोजी कमाती थी, मारना-पीटना एक अक्षम्य अपराध था। अपने-आपको मुल्गीपेटाके निवासियोंका हितैषी समझनेवाले इन व्यक्तियोंको पूरा अधिकार था कि वे यदि चाहते थे तो मजदूरोंके पास जाते और उन्हें समझा-बुझाकर टाटाका काम करनेसे रोक देते। परन्तु उन्हें कानूनको अपने हाथमें लेनेका कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने आतंकका गलत तरीका अपनाकर एक अच्छे उद्देश्यको हानि पहुँचाई है और जनताकी जो-कुछ सहानुभूति उनके साथ थी, उससे वे हाथ धो बैठे हैं। सुधारकोकी ओरसे आतंक-नीतिका उपयोग भी वैसा ही अनुचित हो सकता है जैसा कि सरकारकी ओरसे, बल्कि कहीं-कहीं तो उससे भी बढ़कर, क्योंकि इसके साथ तो एक हदतक झूठी सहानुभूति पैदा हो जाती है। मैंने एक महिलाको विप्लववादियोंके आत्म-बलिदानपर बड़ा ओजस्वी भाषण देते सुना और देखा कि श्रोताओंके हृदयपर उसका काफी प्रभाव भी पड़ रहा था। लेकिन थोड़ा विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जायेगा कि स्वार्थ-न्यायके कारण किसी अपराधको जायज नहीं माना जा सकता। किसी वुरे या अनैतिक उद्देश्यका समर्थन आत्म-बलिदानके जरिये भी नहीं किया जा सकता। यदि कोई पिता अपने बच्चेको इस कारण आगसे खेलनेकी अनुमति दे देता है कि वह यह अनुमति पानेके लिए भूख-हडताल कर रहा है तो वह एक कमजोर पिता माना जायेगा। अभी पिछले दिनों ही कुछ नवयुवकोंने कलकत्तेके पास एक निर्दोष टैक्सी ड्राइवरको करीब-करीब मार ही डाला था, किन्तु सिर्फ इस कारणसे कि वे देश-हितके लिए धन पानेके उद्देश्यमें ड्राइवरको लूट रहे थे और इस प्रयत्नमें वे अपनी जान भी खतरेमें डाल रहे थे, वे सहानुभूतिके पात्र नहीं हो सकते। जो लोग भुलावेमें आकर ऐसे दिग्भ्रमित युवकोंके साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं वे दरअमल देशका अहित करते हैं और इन युवकोंका भी कोई कल्याण नहीं करते।

[अग्नेजीमें]

यंग इंडिया, १८-१२-१९२४

## ३६९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

१८ दिसम्बर, १९२४

परमप्रिय चार्ली,

हा, तुम्हारे नए तार मिल गये थे। मैं तुमसे महमत हूँ कि तुमको आरामकी जरूरत है—मुझे भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं तुम्हें 'यंग इंडिया' की हर चिन्ताओं त्रिलकुट मुक्त कर देता हूँ। तभी त्रियो जब लिखनेकी सहज प्रेरणाका अनुभव हा। मुझे तुमको मिन और बर्माके बारेमें परेशान करना उचित नहीं था। मेरे अभिभाषणने एक अजीब मोड ले लिया है। कई विषयोंको मैंने, उनका अत्यन्त नक्षेपमें उल्लेख करके, नमान्त कर दिया। तुम उसे फुर्तके समय सावधानीसे पढ़ना और अगर तुम्हारा मन हों तो उसकी आलोचना भी करना। तुम्हें गान्तिनिकेतनमें रहनेवाले यूरोपीयोंका गमियोंमें पर्वतीय जलवायुमें ले जाना चाहिए और उन्हें खाना हमेशा यूरोपीय ढंगमें बनवाकर देना चाहिए।

नम्रम,

तुम्हारा,  
मोहन

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१८)की फोटो-नकलमें।

## ३७०. पत्र : वि० ल० फड़केको

बृहस्पतिवार [ १८ दिसम्बर, १९२४ ]

भाई मामा,

आपका पत्र मिला। बुधवारको ३१ तारीख है। मेरा विचार है कि मैं उस दिन खाना होकर शुकवारको सवेरे एमप्रेससे दाहोद पहुँचूँ और शनिवारको गोधरा और गोंप्रगने उमी दिन अथवा रविवारको जो भी पहली गाड़ी मिले उसमें सावरमती पहुँच जाऊँ। उस तरह ५, ६ और ७ तारीखोंको मैं आश्रम रह सकूँगा। उसके बाद फिर अपनी यात्रा शुरू कर दूँगा। इसलिए आप सोमवारका लालच छोड़ दे। इस कार्यक्रममें यदि कुछ परिवर्तन करना पडा तो आपको सूचित करूँगा।

बापू

गुजराती पत्र (जी० एन० ३८१०) से।

१ अनुमानत गांधीजीने यह पत्र बृहस्पतिवार १८ दिसम्बर, १९२४को सावरमतीसे बेलगाँवके लिए खाना होनेसे पहले लिखा था। वे ३१ तारीखको बम्बईमें थे और २ तारीखको दाहोद और गोधरा गये थे। श्री फड़के गोधरामें अत्यर्जेके लिये एक आश्रम चलाते थे।



## ३७१. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

बृहस्पतिवार, मार्गशीर्ष वदी ७ [१८ दिसम्बर, १९२४]'

मुञ्ज भाईश्री,

आपका पत्र मिला। लगता है कि मेरे पत्रमे 'न' शब्द छूट गया था। मेरा कहनेका अभिप्राय तो यह था कि अब [यदि परिपद्] सोनगढमे न हुई तो यह ठीक न लगेगा। मेरे ऐसा लिखनेका कारण यह था कि एक वार निश्चय कर लेनेके बाद व्यवस्थापकगण केवल सुविधाके लिए उसमे परिवर्तन न करे। यह तो हुआ मेरा निजी विचार। करना क्या है, सो तो आप और परिपद्वाले ही जाने।

मैने नगरनिगमके अध्यक्षको पत्र लिख दिया है। आपके द्वारा पेश की गई कुछ दलीले तुरन्त ही गले उतर जाये, ऐसी है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (मी० डब्ल्यू० ३१८६) से।

मीजन्य महेश पट्टणी

## ३७२. असहयोगी विद्यार्थी

मैं अरुमर मुना करता हूँ कि मेरी कही हुई कुछ बातोंसे असहयोगी विद्यार्थियोंमें चलवली मची हुई है। कुछ विद्यार्थी तो मुझे पत्रोंके जरिये शब्द-त्राण भी मार रहे हैं।

मुझे विद्यार्थियोंके क्रिये हुए त्यागपर अभिमान है। मैं जानता हूँ कि विद्यार्थियोंने देशकी सेवा की है। मगर विद्यार्थियोंने बहुत-कुछ किया है तो उसमे करोड़ों गुना ज्यादा करना अभी उनके लिए शेष है। त्यागकी हद नहीं होती। जो ऐसा कहे कि उनका त्याग बहुत है, उनके वारेमे तो यही कहना होगा कि उमे घमण्ड हो गया है और इसलिए उमका त्याग बेकार गया। स्वराज्य पूरे त्यागके बाद आयेगा। यही हमारी लक्ष्मी है। जबतक स्वराज्य नहीं मिलता, तबतक त्याग अवूर ही है।

फिर, जो त्याग दुःख देता है, वह त्याग त्याग नहीं है। जिस त्यागसे मनुष्यका दिव्य हृदय होना है, शान्त होता है, आनन्दित होता है, वही सच्चा त्याग है। बुद्धके लिए भोग-विलास दुःखदायी बन गया, इसलिए उन्होंने उमका त्याग कर दिया। त्याग ही उनके लिए आनन्दका विषय बन गया, इसलिए वे त्यागके मार्गपर दृढ़ रहे।

१ वर पत्र प्रभाशंकर पट्टणी द्वारा १७-१२-१९२४ को लिखे पत्रके उत्तरमें भेजा गया था। इस पत्रमें "न" शब्द छूट जानेकी जिन चूकना उल्लेख है, गांधीजीने वर पत्र १४-१२-१९२४ को लिखा था।

सरकारी स्कूलोंका त्याग तभी सच्चा है, जब अन्तमें विद्यार्थीको ऐसा लगे कि "हाँ, अब मुझे छुटकारा मिला।" सोनेके पिजरेमें रहनेवाले तोतेको साँप आदिका कोई खतरा नहीं होता। उसे अपनी सुराक भी नियमित रूपसे मिलती रहती है। इतनेपर भी मालिक पिजरेका दरवाजा खोल दे तो वह वहाँसे उड़ जायेगा और किसी पेड़की डालीपर बैठकर वहाँ झूलनेमें ही सुख मानेगा। वह जानता है कि अपनी इस आजादीके साथ उसे अब खाना तलाश करनेकी चिन्ता करनी पड़ेगी और अब उसे साँप और बड़े पक्षियोंका डर भी रहेगा। मगर वह इसकी परवाह नहीं करता। सोनेके पिजरेके साथ और इसके मालिकके साथ, तोतेका यह असहयोग हमेशा निभेगा, क्योंकि तोतेने त्यागको — असहयोगको — सुख माना है। मालिकका प्रेम उसे स्वार्थमय मालूम होता था। मालिकके यहाँ मिलनेवाली मुविधा उसके लिए अमुविधाके समान थी। तोता समझता था कि आजादीकी कोई कीमत नहीं हो सकती। रत्न-जटित पिजरा भी आखिर है तो पिजरा ही, तोतेका ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया था, इसीलिए पिजरा खुलते ही वह उड़ गया।

जिन विद्यार्थियोंने सरकारी स्कूलोंको मोह-जाल समझकर छोड़ा होगा, उन्हें वे सोनेके लगे तो भी वे वहाँ वापस नहीं जायेंगे — फिर भले ही उनके लिए स्वतन्त्र विद्यालय हो या न हों। ऐसे त्यागी विद्यार्थियोंको ही सरकारी स्कूलोंसे बाहर रहनेका अधिकार है। असहयोग मुत्तवी रहनेका अर्थ यह है कि असहयोगकी कीमत जिनकी समझमें अभीतक न आई हो, उन्हें असहयोगको छोड़नेकी सहूलियत मिले और अगर वे असहयोग छोड़ दे तो इसे कोई अकीर्तिकर न माने, न कोई उसकी निन्दा करे। जो त्याग हमें असह्य लगे, भूल-भरा लगे, उस त्यागसे हमें फायदा नहीं होता। ऐसे त्यागियोंपर से कांग्रेसका नियंत्रण हट जायेगा और वे निस्सकोच वापस सरकारी स्कूलोंमें जा सकेंगे।

मगर जिन्हें सरकारी स्कूल कैदखाने-जैसे लगे, वे तो जबतक स्वराज्य नहीं मिले, तबतक — मृत्युपर्यन्त भी — अपना त्याग निभायेंगे। इस तरह विद्यार्थियोंके लिए और दूसरे असहयोगियोंके लिए भी सवाल तो जो पहले था, वही आज भी है। अब फर्क सिर्फ इतना ही है कि जिनके लिए कांग्रेसके प्रस्तावकी ही पावन्दी थी, वे उसमें मुक्त हो जायेंगे। लेकिन जो अपनी आत्माके बन्धनसे बँधे थे और जो आत्माकी आवाजके वश होकर इममें पड़े थे, उनके लिए पावन्दी कायम ही है।

इम तरह सरकारी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षाका भेद काल्पनिक है, क्योंकि यहाँ कोई सिद्धान्त-भेद नहीं है। सिद्धान्त-भेद तो झण्डेका है, स्वामित्वका है। मेरे घरमें पकनेवाली रोटी और दूसरेके घरमें बननेवाली रोटी भले ही एक किस्मकी हो, फिर भी दूसरेके घरमें पकनेवाली रोटी दूसरेकी है, इसलिए उसे लेना चोरी है और इसलिए वह त्याज्य है। कैदखानेमें घरके जैसा खाना मिलता हो तो भी कैदखानेका खाना त्याज्य है। इसी तरह जिस विद्यार्थीको सरकारी स्कूल कैदखाने-जैसा न लगे, उसके लिए उसमें वापस चला जाना उचित है। उसकी आलोचना करनेका दूसरोको अधिकार नहीं है। एकके लिए जो चीज कैद-जैसी हो, वही दूसरेके लिए आजादी-जैसी हो सकती है।

सच्चा आन्दोलन विचारको बदलनेवाला होता है। आचार विचारके पीछे आता ही है। मगर बिना विचारका आचार विचारशील लोगोंको बौझ-सा लगता है, और विचारशून्य लोगोंके लिए उसमें न कोई नफा है, न नुकसान। विचारशून्य लोग दूसरेकी नकल करते हैं, और आम तौरपर हम विचारशून्य होते हैं। इसीलिए भक्तोंने सत्सगकी महिमाका बखान किया है।

अब जमाना सोच-समझकर असहयोग करनेका ही रह गया है। कांग्रेस बगैरहकी बाहरी पावन्दियाँ दवाकी पुडियाकी तरह थोड़े समयके लिए उपयोगी हो सकती है। तीन-चार सालके प्रयोगके बाद आज हम देखते हैं कि बहुत-से विद्वान् लोगोंके मनमें विद्यालयोंके असहयोगके बारेमें सशय है। अगर उन्हींकी राय मानी जाये तो उनका बहुमत सरकारी स्कूलोंके छोड़नेके खिलाफ ही निकलेगा। ऐसे प्रतिकूल वातावरणमें थोड़े ही विद्यार्थी स्वतन्त्र विचार करके अपना असहयोग कायम रख सकते हैं।

ऐसे थोड़े-से विद्यार्थियोंकी मदद करना राष्ट्रीय विद्यालयोंका काम है। मैं कुलपति माना जाता हूँ। इस जगहके लिए मेरी योग्यताका आधार मेरी विद्वत्ता तो किसी तरह नहीं है। मुझमें कुलपतिकी योग्यता ही भी तो उसका कारण असहयोगीके रूपमें मेरी विशेषता ही हो सकती है। इसलिए अगर मैंने पढाईके सिलसिलेमें असहयोगको बल पहुँचानेवाले अगोपर ज्यादा जोर दिया है तो वह क्षम्य ही नहीं, स्तुत्य माना जाना चाहिए।

मगर मेरी इस स्थितिका अर्थ यह लगाया गया है कि मैं पढाई-लिखाईका, विद्वत्ताका शत्रु हूँ। सच तो यह है कि बात इससे उलटी है। मैं नहीं चाहता कि राष्ट्रीय विद्यालयोंमें पढाई-लिखाई बन्द करके सिर्फ कातना-पीजना ही सिखाया जाये या कराया जाये। मैं तो चाहता हूँ कि विद्यार्थियोंको पूरा और उचित अक्षर-ज्ञान दिया जाये। मैं चाहता हूँ कि वे पढने-लिखनेमें सरकारी स्कूलोंके विद्यार्थियोंमें होड ले सकें।

मगर मुझे सिर्फ अक्षर-ज्ञानसे ही सतोप नहीं। सरकारी स्कूलोंमें केवल नौकरीका, गुमाश्तागिरीका उद्देश्य सामने रखकर हमें सिर्फ पढना-लिखना ही सिखाया जाता है। राष्ट्रीय पाठशालाओंका हेतु स्वराज्य, स्वतन्त्रता, स्वावलम्बन है, इसलिए विद्यार्थियोंको अक्षरज्ञानके साथ-साथ हृदय-बलकी और शारीरिक श्रमकी तालीम भी दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय पाठशालाओंमें स्वराज्यके लिए पोषक बातें होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्कूलोंमें पढाई-लिखाईका साथ-साथ ममझनेके बजाय उसे चरित्र-बल बढ़ानेका और स्वराज्यके लक्ष्यका साधन समझना चाहिए। हृदय-बल प्राप्त करनेकी शिक्षा देनेके लिए हृदय-बलवाले शिक्षक चाहिए और चूंकि चरित्र-स्वराज लेनेका एक जबरदस्त साधन है, इसलिए जिस राष्ट्रीय विद्यालयमें चरित्रका सम्मानपूर्ण स्थान न हो, उसे मैं राष्ट्रीय इंगित नहीं मान सकता। कांग्रेसने अपने प्रस्तावोंमें चरित्रको सूब मद्दत दिया है। यह मन है कि उन प्रस्तावोंको पालन करनेवाले उनपर अमल नहीं करते। जो प्रस्ताव कांग्रेसने पालन किये हैं, उनपर अगर मदम्योंने ही पूरी तरह अमल किया होता तो आज हम स्वराज्य केन्द्र यान्त्रिने बैठ गये होते या स्वराज्यके द्वागके चमकीले तौरण हम बड़ी आनुग्ताने निहारने होते। लेकिन मदम्योंकी मुम्नी और बेवफाई असहयोगी विद्यार्थियोंके-लिए दृशान्तन्य नहीं हो सकती। बच्चे बड़ोंने हाँउ करने लगेगे तो मर जायेंगे।

तुलसीदासजीने कहा है कि 'समर्थको नहीं दोष गुसाईं'। लेकिन हम प्राकृत जन अगर समर्थ बनने चले तो हमारा नाश हो जाये। जिस राष्ट्रीय विद्यालयमें हिन्दी, उर्दू सिखाना अनिवार्य न हो, वह राष्ट्रके लिए पोषक नहीं है। जो राष्ट्रीय विद्यालय अन्त्यजोका बहिष्कार करे, उस विद्यालयके वन्द हो जानेमें ही देशका भला है। राष्ट्रीय विद्यालयमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी जातियोंके विद्यार्थियोंको सगे भाइयोंकी तरह पढना चाहिए। मेरे खयालसे ये सब बातें राष्ट्रीय विद्यालयके चिह्न हैं। इसमें मुझे शक नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षाके लिए जो चीख-पुकार मचाई जा रही है वह बहुत हदतक विना सोचे-समझे ही मचाई जा रही है। पढाईकी किताबोंमें फेर-बदल, इतिहास आदि पढानेके तरीकोंमें नवीनता लानेकी बातें गौण हैं। उनके लिए वेशुमार पैसा नहीं खर्च किया जा सकता, अलग सस्थाएँ नहीं खोली जा सकती। कोशिश करनेसे ऐसे फेर-बदल सरकारी स्कूलोंमें भी कराये जा सकते हैं। ऐसे फेरबदलके अभावमें सरकारी स्कूलोंको छोडना शोभा नहीं दे सकता, सम्भव भी नहीं हो सकता। सरकारी स्कूलोंके त्यागके कारणोंपर तो मैं विचार कर ही चुका हूँ। सरकारी पाठशालाओं और राष्ट्रीय पाठशालाओंमें जो फर्क रहना चाहिए, उसपर भी मैं नजर डाल चुका हूँ। इसी फर्कमें व्यवस्थापकोंकी, शिक्षकोंकी और विद्यार्थियोंकी कसौटी है। यह फर्क असहयोगकी वाहरी निशानी है। असहयोगमें इसके अलावा दूसरी बहुत-सी बातें भले ही हो, मगर जिसमें ये चिह्न नहीं, वह असहयोग असहयोग हो ही नहीं सकता।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २१-१२-१९२४

### ३७३. भाषण : अपरिवर्तनवादियोंके समक्ष<sup>१</sup>

२१ दिसम्बर, १९२४

रविवारको फिर एक सम्मेलन हुआ। उसमें गाधीजी और अपरिवर्तनवादियोंके बीच आगे विचार-विमर्श हुआ। . . कहा जाता है कि गाधीजीका भाषण अत्यन्त ही मर्मस्पर्शी था। ऐसा लगता था, मानो उन्होंने उसमें अपना समूचा हृदय उँडेल दिया हो। उन्होंने कहा, मैं आज भी उतना ही कट्टर अपरिवर्तनवादी हूँ जितना कभी भी था और कौंसिलसे मुझे कोई सरोकार नहीं है। कौंसिल-प्रवेशके विकल्पके रूपमें मुझे चरखा, हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारणसे अधिक सशक्त अन्य कोई भी कार्यक्रम नहीं सूझ पडता। मैं ऐसी कई चीजें सोच सकता हूँ जो देशके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन वे स्वराज्य-प्राप्तिके लिए अपरिहार्य नहीं हैं। मैंने इसीलिए कहा है कि चरखेका प्रचार एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसपर

१ यह भाषण बेलगाँवमें दिया गया था।

बड़े या छोटे, नगरोके या गाँवोके -- सभी लोग अकेले या सम्मिलित रूपसे अमल कर सकते हैं। इसलिए चरखा ही मेरे इस वर्षके कार्यक्रमका केन्द्र-बिन्दु है। एक वर्षके अन्दर विदेशी वस्त्रोका पूर्ण बहिष्कार करनेके लिए चरखेका भारी प्रचार करना जरूरी है और कांग्रेसके लिए कताई सदस्यता स्वीकार करना नितान्त आवश्यक। यह भी जरूरी है कि कताई सदस्यता स्वीकार करनेवाले सभी लोग पूरी निष्ठासे वर्ष-भर चरखेके कार्यक्रमपर अमल करे और यदि कताई सदस्यताको स्वीकार करनेवाले और इसके पक्षमें मत डालनेवाले लोग इसपर वर्ष-भर अमल नहीं करेंगे तो मेरा दिल टूट जायेगा। अन्तमें मैं यही कहूँगा कि यदि चरखेके कार्यक्रमके पक्षमें मत देनेवाले सभी लोग पूरे तौरपर इस कार्यमें जुट जायेंगे तो मुझे पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि राष्ट्रको इसे स्वीकार करनेमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे।

गांधीजीने यहाँ प्रसंगवश सरकारके विरुद्ध सघर्षकी अपनी उस योजनाका भी उल्लेख किया, जिसकी चर्चा उन्होने पंजाबमें अपने एक भाषणमें पहले की थी। उन्होने कहा कि उस योजनाको सागोपाग ठीक-ठीक रूप दिया जा सके, इसकी एक पूर्व-शर्त है -- विदेशी वस्त्रोका पूर्ण रूपसे या व्यापक पैमानेपर बहिष्कार। अपस्विर्तनवादियोसे मेरा आग्रह है कि वे अगले वर्षके दौरान अपनी सारी शक्ति चरखेके प्रचारपर ही केन्द्रित करे। कताई सदस्यताके लिए मैं हर चीज दाँवपर लगा रहा हूँ और अगर मैं देखूँगा कि मेरे अनुयायी मेरा उचित रूपसे समर्थन नहीं कर रहे हैं तो मेरा दिल टूट जायेगा। मेरी नई योजना बारडोलोकी योजनासे भिन्न होगी, हालाँकि उसमें मेरा विश्वास अब भी उतना ही जीवन्त है। मैं अभी उस योजनाका पूरा व्योरा नहीं बता रहा हूँ; लेकिन यदि वर्षके अन्ततक आवश्यक बहिष्कार पूरा हो गया तो मेरा कार्यक्रम अमलमें लाया जा सकता है, फिर देशमें चाहे कुछ भी हो रहा हो। लेकिन योजनापर अमल करनकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि पहले विदेशी वस्त्रोका बहिष्कार पूरा हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप आवश्यक प्रयत्न करे तो विदेशी वस्त्रोका पूर्ण बहिष्कार हो सकता है और यदि वह पूरा कर दिया गया तो सविनय अवज्ञाके लिए उपयुक्त समय आ जायेगा।

गांधीजीने अन्तमें कहा कि यहाँ उपस्थित लोगोमें से उनकी सूची तैयार कर ली जाये जो वर्षके अन्ततक अपेक्षित २४,००० गज सूत निश्चित रूपमें देना स्वीकार करें और जो आवश्यकता पड़नेपर देशकी खातिर जान देनेके लिए तैयार हो।

[अग्रजीने]

घॉम्बे प्रॉनिकल, २२-१०-१९२४

## ३७४. भाषण : मानपत्रोके उत्तरमें<sup>१</sup>

२१ दिसम्बर, १९२४

गांधीजीने दोनो मानपत्रोका उत्तर एक साथ देते हुए कहा, आप लोगोने मेरी तारीफमें जो-कुछ कहा हे, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपके शहर या जिलेके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया हे। उन्होने ऐसे ही अवसरोपर हालमें बम्बई, कलकत्ता व अहमदावादमें जो बातें कही थीं, उन्हें डुहराते हुए कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उन्हें पढ़ें और समझें। भारतकी मौजूदा राजनीतिक हालतमें देशकी नगरपालिकाओको भी राष्ट्रीय आन्दोलनमें शरीक होना चाहिए। किन्तु उन्हें स्वास्थ्य और सफाई आदिकी व्यवस्थाके अपने प्रारम्भिक कर्त्तव्योको भुलाकर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पश्चिमी सभ्यताका प्रशंसक नहीं हूँ, परन्तु हमें सफाई-विज्ञान सम्बन्धी बातोंमें अभी पश्चिमसे बहुत-कुछ सीखना हे। भारत कृषि-प्रधान देश हे और प्लेग व दूसरी महामारियोका हमारे शहरोंमें, जो पश्चिमके शहरोंके मुकाबलेमें बहुत छोटे हैं, फैलना नामुमकिन होना चाहिए। मुझे लोगोके मुंहसे यह सुनकर बहुत दुःख होता हे कि ये महामारियाँ ईश्वरकी दी हुई हैं। मैं स्वय ईश्वरको मानता हूँ, परन्तु मैं समझता हूँ कि मनुष्यके प्रयत्नोसे मानवीय दुःखोके कम किये जानेकी बहुत कुछ गुजाइश है। जब हम खुद ही ईश्वरके या कुदरतके कानूनोको तोडते हे तो ऐसी हालतमें इन महामारियोकी जिम्मेदारी ईश्वरपर डालना अनर्गल बात है। मुझे यह देखकर खुशी होती हे कि यहाँ ब्राह्मणो तथा अनाह्मणो व हिन्दुओ और मुसलमानोके पारस्परिक सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इन सम्बन्धोको कायम रखें और अछूतोके साथ भी प्रेमका व्यवहार करे।

[ अग्रेजीसे ]

न्यू इडिया, २२-१२-१९२४

<sup>१</sup> बेलगाँव नगरपालिका और जिला बोर्डने गांधीजीको ये मानपत्र दरगामें भेंट किये थे।

## ३७५. अहुरमज्द और अहरमन

[ २२ दिसम्बर, १९२४ ]<sup>१</sup>

कांग्रेसके आगामी अधिवेशनसे पहले मेरे मनमें कई विचार आ रहे हैं। इस समय मौन दिवसकी भोर है। कांग्रेसका अधिवेशन आजसे चार दिन बाद आरम्भ होगा। अहुरमज्द और अहरमन — खुदा और शैतान — के बीच जो सतत सग्राम चलता रहता है, वहीं मेरे हृदयमें उग्र रूपसे चल रहा है। मेरा हृदय भी, अन्य करोड़ों-अरबों इन्सानोंके हृदयोंकी भाँति इस शाश्वत सग्रामका एक क्षेत्र है। मैंने इन पिछले दो वेशकीमती दिनोंमें अपरिवर्तनवादियोंसे महत्त्वपूर्ण बातचीत की है। सरोजिनी देवी कहती है, 'अपरिवर्तनवादी' शब्द बुरा है। मैं उनके इस कथनसे सहमत हूँ और मैंने जनताको इससे अधिक प्यारा शब्द देनेका दायित्व कवयित्रीके कन्वोपर ही डाल दिया है। मेरे हृदयकी एक आवाज कहती है "यदि तुम और किसी भी बातकी परवाह न करो, बल्कि केवल जिसे तुम अपना कर्तव्य समझते हो उसीका पालन करो तो सब-कुछ ठीक ही होगा।" दूसरी आवाज कहती है "तुम तो मूर्ख हो। तुम्हें स्वराज्यवादियोंका विश्वास न तो करना चाहिए और न ही अपरिवर्तनवादियोंका। स्वराज्यवादी जो-कुछ कहते हैं उसको अमलमें लाना नहीं चाहते और अपरिवर्तनवादी नाजुक वक्तपर तुम्हें सकटमें छोड़कर अलग हो जायेंगे। इन दोनोंके बीच तुम्हारा चरणा पिसकर चूर-चूर हो जायेगा। इसलिए तुम मेरी बात सुनो और सबसे अलग हो जाओ तो अच्छा रहेगा।" मैं पहली आवाजके अनुसार कार्य करूँगा। यदि स्वराज्यवादी मुझे धोखा दे जाये और अपरिवर्तनवादी मेरा साथ छोड़ ही दे तो भी क्या हुआ? उसमें उन्हींकी हानि होगी, मेरी नहीं। किन्तु यदि मैं भी दुनियादारीकी बात सुनूँ, तब तो मैं सब-कुछ खो चुका, ऐसा ही मानना चाहिए। मैं भविष्यकी कल्पना करना नहीं चाहता। मुझे तो वर्तमानकी ही परवाह करनेमें मतलब है। अगले क्षण क्या होगा, यह ईश्वरने मेरे वशमें नहीं रखा है। इसलिए जैसे मैं यह चाहता हूँ कि स्वराज्यवादी मेरा विश्वास करे, वैसे ही मुझे भी स्वराज्यवादियोंका विश्वास करना चाहिए। मैं अपरिवर्तनवादियोंपर कमजोरीका दाँप लगानेकी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि वे मुझे कमजोर समझें। इसलिए मुझे स्वराज्यवादियोंकी बातकी मर्चापर और अपरिवर्तनवादियोंकी मर्चापर भरोसा रखना चाहिए। यह मर्च है कि मैंने अकर्मण्य धोखा खाया है। बहुत-से लोगोंने मुझे धोखा दिया है और बहुत-से लोगोंने कमजोरी दिगारि है। किन्तु उनसे मेरा माथ रखा है, उनका मुझे पठनावा नहीं है, क्योंकि जैसे मुझे नष्टयोग करना आता है, वैसे ही अमहयोग करना भी आता है। दुनियामें काम करनेका नवमें अधिक व्यावहारिक और सम्मानपूर्ण तरीका यही है कि

१ मौन दिवस, अर्थात् मौनवार, २२ दिसम्बरके उत्सवमें।

हम लोगोकी वातपर तवतक विश्वास करे जवतक हमें उनपर अविश्वास करनेका कोई निश्चित कारण न मिल जाये।

इसलिए मैं किसका विश्वास करूँ या किसका न करूँ, यह मेरी कठिनाई नहीं है। मेरी कठिनाई तो यह है कि मुश्किलसे कोई आवे दर्जन अपरिवर्तनवादी ही ऐसे हैं, जो समझीतेसे पूर्णतया या कुल मिलाकर सन्तुष्ट हैं। उनके सन्देह ईमानदाराना हैं, मुझे उनसे सहानुभूति है, किन्तु फिर भी मैं अनुभव करता हूँ कि समझीतेपर कायम रहकर मैं ठीक ही कर रहा हूँ। यदि वे मुझे छोड़ सकते तो छोड़ देते, किन्तु वे मुझे छोड़ नहीं सकते। यह सम्बन्ध अटूट जान पडता है। अपना मत विरुद्ध होते हुए भी वे मेरे विवेकपर भरोसा करना चाहते हैं। इससे मुझे सचमुच बडा सकोच महसूस होता है। इससे मेरी जिम्मेदारी सीगुनी बढ जाती है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जान-बूझकर तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे उनके विश्वासको आवात पहुँचे। मैं ऐसा कोई काम न करूँगा जिससे देशके उद्देश्य और सम्मानको नुकसान पहुँचे। किन्तु मैं उन्हें अधिकतम सान्त्वना यही दे सकता हूँ कि यदि वे अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तो सब-कुछ ठीक ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष यदि हिन्दू-मुस्लिम एकताकी शर्तपर अमल करेगा, यदि वह अपने वचे हुए समयका उपयोग रई पीजने, सूत कातने और खादीकी कलामे निपुण होनेमें करेगा, यदि वह स्वयं खादी पहनेगा और यदि वह हिन्दू है तो अपने अछूत भाड्योसे आत्मवत् प्रेम करेगा तो इतनेमे ही ऐसा माना जायेगा कि उसने अपने प्राथमिक कर्त्तव्यका पालन किया। इतना कार्य तो हममे से हरएक विना किसीकी सहायताके कर सकता है। किसी वातको अपने आचरणमे उतारना ही उसके पक्षमे दिया गया सबसे अच्छा भाषण है और उसके लिए किया गया सबसे अच्छा प्रचार है। यह काम हर व्यक्ति कर सकता है तथा इसमे कोई विघ्न-बाधा भी नहीं डालेगा। दूसरोकी चिन्ता न करना अहुरमज्दका तरीका है। अहरमन हमे हमारे विश्वाससे डिगाकर अपने जालमें फँसाता है। ईश्वर कावा या काशीमे नहीं है। वह तो हम सबके भीतर है। इसलिए स्वराज्य भी हमे अपने भीतर खोजनेसे ही मिलेगा। यदि हम दूसरोसे या अपने साथी-कार्यकर्त्ताओमे भी यह आशा करे कि वे स्वराज्य लेकर हमे दे देगे तो हमारी यह आशा व्यर्थ होगी।

[ अग्रेजीसे ]

यग इडिया, २६-१२-१९२४



## ३७६. भाषण : बेलगाँव कांग्रेसकी विषय-समितिमें<sup>१</sup>

२३ दिसम्बर, १९२४

इसके बाद श्री गांधीने बैठकमें अपना भाषण दिया। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, यद्यपि कुछ प्रश्नोपर सभामें मत-विभाजन करना बिल्कुल ही जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस प्रश्नपर स्वराज्यवादियों और गैर-स्वराज्यवादियोंके बीच सैद्धान्तिक और बुनियादी मतभेद हो, उसके सम्बन्धमें मैं मत-विभाजनकी स्थिति नहीं पैदा होने देना चाहता। उन्होंने कलकत्तेमें अपने और स्वराज्यवादी नेता सर्वश्री दास व [मोतीलाल] नेहरूके बीच हुए समझौतेका उल्लेख करते हुए कहा कि पिछली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने उसे मजूर कर लिया था और आप लोग भी इसी समय इसकी ताईद करनेकी कृपा करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी पिछली बैठकके बादसे अभीतक क्या होता रहा है, इसे मैं गौरसे देखता आ रहा हूँ। इस समझौतेके सम्बन्धमें देशवासियोंके जो विचार हैं, उनसे मुझे श्री विठ्ठलभाई पटेल अवगत कराते रहे हैं। समझौतेका सबसे महत्त्वपूर्ण भाग वह है, जिसका सम्बन्ध नई सदस्यताकी शर्तसे है। कल रातको और आज भी श्री पटेलने मुझसे कहा कि मैं कताई-सदस्यताकी माँग करके एक घातक कदम उठा रहा हूँ और कांग्रेसके नवरे फौमदी सदस्य सदस्यताके प्रस्तावित परिवर्तनके खिलाफ हूँ। श्री पटेलने मुझसे यह भी कहा कि जहाँतक उनको मालूम है, स्वराज्यवादियोंमें शायद ही कोई ऐसा हो जो सदस्यताकी शर्तमें परिवर्तन चाहता हो और अपरिवर्तनवादियोंमें भी बहुत-से लोग इसके खिलाफ हैं। मैं इन्हे माननेके लिए तैयार नहीं हूँ, हालाँकि मैंने वह प्रस्ताव देना है जो बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, सिन्ध कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रान्तीय कमेटी तथा महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटीने तथा बिहारके एक सम्मेलनने भी पास किया है। यदि आप लोग समझौतेको अरवीकार करना जरूरी समझें तो आप मेरा कोई भी लिहाज न करते हुए मुझसे ऐसा करें।

मैं आप लोगोंको मञ्चेत किये देना हूँ कि आप भिन्न मुझे गुन करनेके लिए ही उन परिवर्तनको स्वीकार न करें। आपको अपने अन्त करणके अनुकूल मत देना चाहिए, क्योंकि अन्त करणकी आवाज किसी भी एक मनुष्यके मतसे अधिक मृत्यवान् है, फिर चाहे उन मनुष्यने देशकी कितनी ही सेवा क्यों न की हो और वह आपकी नजरमें भी चाहे कितना ही ऊँचा क्यों न हो।

श्री दामने मुझे लिखा है कि समझौतेकी उन बातके सम्बन्धमें अब मैं स्वराज्यवादियोंकी आगे निश्चिन्ता रहूँ और उन विषयमें श्री विठ्ठलभाई पटेलका विचार उनका निर्णय विचार ही है। श्री दामने यह भी लिखा है कि स्वराज्यवादी दल

बहुमतसे जो फँसला करे उसका पालन करना प्रत्येक स्वराज्यवादी सदस्यके लिए जरूरी है और उसपर अवश्य ही ईमानदारीके साथ अमल किया जायेगा।

इसमें सन्देह नहीं कि इसे पढकर मुझे बड़ी राहत मिली, किन्तु मैं चाहता हूँ कि दास महोदय प्रत्येक स्वराज्यवादीको इस बन्धनसे मुक्त कर दें, क्योंकि अगर किसीको यह समझौता ठीक न जँचे तो उसे चाहिए कि वह तुरन्त उसे अस्वीकार कर दे। इस समझौतेको सिर्फ कागजपर लिख रखनेके लिए ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके लिए निरन्तर धैर्यपूर्वक प्रयत्न करनेकी तथा कठिन अनुशासनमें रहनेकी जरूरत है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक सदस्यको अपने हाथका कंता दो हजार गज सूत प्रतिमास नियमित रूपसे भेजना होगा। इसकी पूर्ति दूसरेके कांते सूतसे तभी की जा सकती है जब सदस्य स्वयं सूत कातनेमें असमर्थ हो या वास्तवमें वह सूत कातना न चाहता हो, परन्तु वंसी हालतमें भी ऐसी आशा की जाती है कि वह स्वयं सूत कातनेके कामकी निगरानी करेगा। समझौतेको मजूर करनेके पहले सभाको उसके फलितार्थोंको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

इस समझौतेके सम्बन्धमें अपरिवर्तनवादियोंके साथ मैंने जो बातचीत की थी, उसमें शुरूमें यह एतराज उठाया गया था कि क्या स्वराज्यवादी दलकी सदस्यता कांग्रेसकी सदस्यतासे अलग हो सकती है, किन्तु श्रीनिवास अय्यगारने मुझे बताया था कि स्वराज्यवादी अपने सविधानको बदलकर उसे कांग्रेस सविधानके अनुकूल बनानेका विचार कर रहे हैं। अपरिवर्तनवादियोने यह मानकर कि स्वराज्यवादी दलकी सदस्यता-शर्त और ध्येय वही होंगे जो कांग्रेसके हैं, समझौतेको भारी बहुमतसे स्वीकृत कर लिया।

[अग्नेजीसे]

न्यू इंडिया, २४-१२-१९२४

### ३७७. वक्तव्य : बलगाँवमें कांग्रेसकी फिजूलखर्चीपर

२५ दिसम्बर, १९२४

इसके बाद गांधीजीने इस आशयका एक वक्तव्य दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके खर्चमें फिजूलखर्ची बहुत ज्यादा हुई है। सजावट वगैरह और ठहरनेके प्रबन्धपर बहुत ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियोंसे इस समय लिया जानेवाला १० रुपयेका शुल्क बहुत अधिक है। उन्होंने इस बातकी भी शिकायत की कि खुद मेरी कुटियापर बहुत पैसा खर्च किया गया है और उसे वैसा नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा, छपाईपर भी बहुत पैसा खर्च होता है और मैं चाहता हूँ कि यह सब फिजूलखर्ची रोक दी जाये। अगर मैं कमेटीका सदस्य होता तो मैं आवास-व्यवस्था आदिपर होनेवाले खर्चमें कटौती कर देता। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रतिनिधियोंका शुल्क, जो अभी १० रुपये है, वह घटाकर १ रुपये

कर दिया जाये, क्योंकि मुझे इस आशयकी शिकायतें मिली हैं कि प्रतिनिधियोंको यात्रा-भाडा आदिपर करीब १०० रुपये खर्च करने पड़ते हैं। विषय-समितिके शुल्क घटाकर १ रुपया स्वीकार कर लिया।

इसके बाद निश्चय किया गया कि जन-सत्याके आधारपर जो प्रान्त खट्टर और विदेशी वस्त्रोके बहिष्कारके मामलेमें सर्वोत्तम परिणाम दिखायेगा, उसी प्रान्तमें कांग्रेसका अगला अधिवेशन किया जाये।

[अग्रेजीसे]

वाँम्बे क्रॉनिकल, २६-१२-१९२४

### ३७८. भाषण : बेलगाँव कांग्रेसकी विषय-समितिके<sup>१</sup>

२५ दिसम्बर, १९२४

पिछले बृहस्पतिवारको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी विषय-समितिके महात्मा गांधीने एक मर्मस्पर्शी भाषण दिया। उसका पूरा पाठ नीचे दिया जा रहा है:

कल शाम ठीक तीन बजे अधिवेशनका आरम्भ होगा। कुछ मिनट तो राष्ट्रगान आदिमें जायेगे। स्वागत समितिके अध्यक्ष अपना भाषण देनेमें १५ मिनटमें अधिक समय नहीं लेंगे। मेरा उरादा अपना भाषण पढनेका नहीं है। वह आज शामको आप लोगोंमें वितरित कर दिया जायेगा। आप कृपया उन भाषणको ध्यानपूर्वक पढ लें, क्योंकि ऐसा मान लिया जायेगा कि भाषण पढ दिया गया है। मैं केवल प्रस्तावनाके रूपमें कुछ नीची-भादी बातें कहूँगा। उनमें ३० मिनटसे अधिक समय नहीं लगेगा। मैं प्राग्भूमि हिन्दुस्तानीमें और फिर अग्रेजीमें बोलूँगा। इसमें कुल मिलाकर ३० मिनटमें अधिक नहीं लगेगे।

कल औपचारिक रूपमें भाषणोंके पढे जानेके बाद जो सबसे पहला प्रस्ताव पेश किया जायेगा, वह कलकत्तेके मजदूरोंके सम्बन्धमें होगा। मालाना हमरत मोहानी उन प्रस्तावना जिगेंद्र करेंगे। उन सम्बन्धमें मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोग प्रतिनिधि हैं और यहा नभी प्रतिनिधि मौजूद हैं। उर्मांग मैं आपको नादर चेतावनी देना हूँ कि यदि आप नारा बोज मेरे ही कन्धोपर रख देना चाहते हैं तो आप उन प्रस्तावको मजूर न करें। मुझे कहना चाहिए कि उन बोजको उठानेकी सामर्थ्य मेरे कन्धोमें नहीं है। मैं उन बोजको केवल आपकी महायनाके बरपर ही उठाना चाहता हूँ। जबतक आपमें मे प्रत्येक पूरी तरह मन, बचन और धर्मसे महायना देनेके लिए तैयार नहीं होगा, तबतक हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। हमारा उद्देश्य विदेशी वस्त्रोका बहिष्कार करना है और ऐसा उन देशोंके

<sup>१</sup> नादेश देव : दस ठी गे इस भाषणकी रिपोर्ट "इन्डियन्स ऑफ नोन वादरेंस" शीर्षकमें १-१-१९२५ में यांग इंडियानों छपी थी।

गरीबसे-गरीब मनुष्यकी — हर पुरुष, स्त्री और बच्चेकी — सहायतासे ही हो सकता है। मेरा विनम्र मत है कि राष्ट्रकी ओरसे ऐसा प्रयास एक ईमानदाराना और सर्वथा उचित प्रयास होगा। यदि हम उस बहिष्कारको पूरा कर सके — और आजकी परिस्थितिमे हम केवल यही कर सकते हैं — तो इस तरह, और केवल इसी तरह, हम अपने-आपको और सारे ससारको दिखा सकते हैं कि हम इसके साथ ही हजारों और बड़े-बड़े काम भी कर सकते हैं, लेकिन तभी, जब हम पहले इस बहिष्कारको सम्पन्न कर दिखाये।

आपको याद होगा कि आज एक ऐसा सशोधन सामने आया था जिससे मुझे चोट पहुँची है। वह श्री भोपटकरने यह कहते हुए पेश किया था कि जब वयस्क ही कताईको नहीं अपनाते और सभी अवसरोंपर खद्दर पहननेको तैयार नहीं होते तो हमारे लिए बच्चोंसे वैसा करनेकी आशा करना अनुचित है। इससे सचमुच, मुझे चोट पहुँची है। इसका सीधा-सा कारण यह है कि उन्होंने सदस्यताकी शर्तका एक ऐसा अर्थ निकाला है, जो निकल ही नहीं सकता। मेरा कहना यह है कि सदस्यताके लिए हमने यह जो शर्त लगाई है वह तो न्यूनतम शर्त है। और उसे न्यूनतम ही होना चाहिए, क्योंकि इस शर्तका पालन न करना इस अर्थमे दण्डनीय भी है कि उसका पालन न करनेपर आप लोगोंको सदस्यताके अधिकारसे वंचित कर देगे। मत देनेका अधिकार एक पवित्र चीज है। इसलिए एक न्यूनतम शर्त रखनी ही थी। वह न्यूनतम शर्त यह है कि हमें सभी राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहोंके अवसरोंपर खद्दर पहनना होगा। किन्तु निश्चय ही इसका अर्थ यह नहीं कि आप वेलगाँवमे कांग्रेसके समाप्त होते ही खद्दरको उतार फेंके। यदि इसका अर्थ ऐसा हो तो आप विदेशी कपड़ेका कारगर ढंगसे बहिष्कार नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि आप समझीतेको पढ़े और उसके भावको समझें। यह न्यूनतम अपेक्षा तो कांग्रेसके सदस्योंसे रखी गई है। फिर हम राष्ट्रसे कितनी ज्यादा अपेक्षा रख सकते हैं? न केवल हम वयस्कोको बल्कि बच्चोंको भी सभी अवसरोंपर खद्दर पहनना चाहिए। मेरे कहनेका अर्थ यह है कि खद्दर हमारा प्रतिदिनका पहनावा होना चाहिए। जबतक ऐसा नहीं होता, तबतक बहिष्कार नहीं किया जा सकता।

मुझसे कहा गया है कि अनिच्छुक लोगोंको स्वयं कातनेकी शर्तसे मुक्त रखनेका उपबन्ध कताईसे बचनेका एक रास्ता है। किन्तु समझीतेका यह अर्थ नहीं लगता। यदि उसका वही अर्थ है जो आपने बताया है तो इस प्रस्तावको कल ही मैं फाड़कर फेंक देना चाहूँगा, यद्यपि तब यह देखकर मुझे बहुत दुःख होगा कि विदेशी कपड़ेका बहिष्कार एक असम्भव कार्य है। अनिच्छासे सम्बन्धित धारा केवल उन लोगोंके लिए है जो शारीरिक दृष्टिसे असमर्थ हैं या जिनकी सूत कातनेकी सचमुच ही इच्छा नहीं है। बच्चे निश्चित रूपसे उस धाराके अन्तर्गत नहीं आते। आप समझीतेका पालन करनेके लिए अवश्य ही तैयार रहे, जिससे विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार सम्भव हो जाये। यदि हम केवल ईमानदारीसे इसपर अमल करे तो एक वर्षके अन्दर ही हमें भारी सफलता देखनेको मिलेगी। यदि प्रतिनिधिगण गाँवोंमे धूम-धूमकर चरखेका

मन्देग जनतातक पहुँचानेका काम गुरु कर दे तो यह काम इतना बडा हे कि हममे से तमाम उत्कृष्ट कार्यकर्ताओकी शक्तिका उपयोग इसमे हो सकता हे। यदि आपको प्रस्तावपर विष्वाम नही हे तो उसे पास करना व्यर्थ है। इसलिए आप लोग कल जब अधिवेशनमे इकट्ठे हो तब मै चाहता हूँ कि आप सोच-विचारकर और परिणामको भली-भाँति ध्यानमे रखकर ही अपना मत दे। यदि आप हृदयसे इस कार्यक्रमपर नही चलना चाहते तो यह सफल नही होगा। जब प्रतिनिधि अपने-अपने प्रान्तोमे वापस जाये, तब उन्हे अपने-अपने प्रान्तके ग्रामीणोसे सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि उनका क्या कर्तव्य हे। तो प्रतिनिधि कल सोच-समझकर, विचारपूर्वक और परिणामोकी ओर देखकर अपना मत दे।

मै आपको यहाँसे जानेसे पहले सावधान करना और उम बातकी याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको एक पवित्र दायित्व सीपा गया ह। मेरा डरादा २७ तारीखको कार्य समाप्त कर देनेका है। भाषण आदिके अलावा जो काम है — जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके कामकी विधि और तफसीले तय करना, कार्य समितिकी नियुक्ति करना आदि — उन्हे निबटानेके लिए तो पूरा एक दिन चाहिए ही।

यहाँ श्री न० चि० केलकरने महात्मा गांधीको सम्बोधित करते हुए कहा :

मैने आपकी अपील सुन ली हे। अबतक यह अपील केवल स्वराज्यवादियोसे की गई हे। किन्तु मै चाहता हूँ कि आप समझोतेके दूसरे भाग अर्थात् कौंसिलोमें कौंसिलवालोके कार्यको कांग्रेसकी ओरसे मान्यता देने तथा उन्हे हर सम्भव तरीकेसे सहायता देनेके सम्बन्धमें अपरिवर्तनवादियोसे भी अपील करे। मै आपको उनसे अपील करते सुनना चाहता हूँ।

मै श्री केलकरने पूरी तरह सहमत हूँ। वास्तवमे, मै 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ। सबको कलके पवित्र कार्यके त्रिण तैयार होनेमे पहले मै प्रत्येक अपरिवर्तनवादीको उसके कर्तव्यकी याद दिला देना चाहता हूँ। मेरी अपील केवल स्वराज्यवादियोमे ही नही थी। मुझे हमेशामे यही बतयाया गया हे कि अपरिवर्तनवादियोंमे ऐसे भी लोग है जो क्रांति-समर्थनमे विश्वास नही करने। इसलिए अपरिवर्तनवादियोमे मेरी अपील हे कि वे समझोतेकी उगी भावनामे प्रत्येक तरे जिन भावनामे मैने उमे सम्पन्न किया हे और यही भावना उनके मनमे भी जाना उचित हे। मै स्वराज्यवादियोंकी अपनी पूरी शक्तिमे मदद देना चाहता हूँ और जिन तरेतक एक मनुष्यो त्रिण सम्भव हे, उम तरेतक उनके उद्देश्यकी निष्ठिमे सहायता बतना चाहता हूँ, मै उनके उद्देश्यको जानि तो किसी तरह नही पताउँगा। मै जान-बूझकर "उनका उद्देश्य" शब्दोका प्रयोग कर रहा हूँ, ताकि कुछ ऐसा कारण हे जिनमे उनके तरीकोंके सम्बन्धमे मै उनमे एकमत नही हूँ। तब मन हे कि उनका उद्देश्य केवल उन्हीसा या सामेका ही नही, बल्कि नारे सादता हे। इससे निर्णय करनेका अधिकार मुझे नही हे। अगर वे तर्क हे कि कल चरना रता चीन हे तो उन्हे ऐसा करनेका अधिकार हे। उगी प्रकार कौंसिलोके कार्यमे, जिनके वे नौकरशाहीके विचारक त्तारी उठाँता एक सम्बन्धपूर्ण साधन मानते

है, मुझे यह कहनेका हक है कि यह कोसिल वगैरह क्या चीज है। यद्यपि स्वराज्य-वादियोंके तरीकोके सम्बन्धमें मैं उनसे एकमत नहीं हूँ तथापि मैं, उनके तरीकोपर शक करनेके बावजूद, उनकी सहायता कर सकता हूँ और कांग्रेसमें उनकी नीतिको निश्चित मान्यता दे सकता हूँ।

एक सदस्य कांग्रेसके नामपर ?

हाँ, कांग्रेसके नामपर। मैंने अपने चारो ओर नजर दौड़ाई कि मैं किस प्रकार उनकी सहायता कर सकता हूँ। मुझे यह समझीता ही उसका रास्ता सूझ पडा। मैंने देखा कि मैं ऐसा करके उनपर कोई कृपा नहीं कर रहा हूँ। यह उनका अधिकार है। किन्तु यह समझनेमें मुझे कुछ समय लगा कि यह उनका अधिकार है और जब मैंने यह समझ लिया कि यह उनका अधिकार है, तब मुझे उनके कार्यक्रममें रोडा अटकानेकी बात मनमें भी नहीं लानी चाहिए। इसके विपरीत, मुझे अपने मनमें यह विश्वास उत्पन्न करनेका प्रयत्न करना चाहिए कि वे जो-कुछ कर रहे हैं, वह सही है। मैं आप लोगोसे भी ऐसा ही करनेके लिए कहूँगा।

इसलिए मैं अब विशेष प्रयत्न करके प्रत्येक स्वराज्यवादीसे सम्पर्क स्थापित कर रहा हूँ। मैंने उनके तर्कों और सुझावोंके लिए अपना दिमाग पूरी तरह खुला रखनेका प्रयत्न किया। मैं स्वराज्यवादियोंकी सहायता इसी तरीकेसे कर सकता हूँ। यदि इसका अर्थ यह लिया जाये कि मैं सभा-मंचोपर जाकर, सरकारके कानूनोंके खिलाफ भाषण देकर या सभाएँ आदि करके, उनकी सहायता करूँगा तो मैं खेदके साथ कहूँगा कि मैं वैसा नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैं हृदयसे उससे सहमत नहीं हूँ। मैंने इस रूपमें न तो समझीतेको समझा है और न उसे इस दृष्टिसे सम्पन्न ही किया है। ये मेरी अपनी मर्यादाएँ हैं। यह बात नहीं कि मैं ऐसा करनेके लिए अनिच्छुक हूँ, किन्तु मैं चाहता हूँ कि मेरा उसपर विश्वास जम जाये। यदि उसपर मेरा विश्वास जम गया तो फिर ससारमें कोई भी शक्ति नहीं जो मुझे तुरन्त अपने आपको पूर्णतया स्वराज्यवादी घोषित करनेसे रोक सके। तब उन्हें यह अधिकार होगा कि वे मुझसे चौबीसो घटे, नौदके घटे छोडकर, शेष सारा समय अपने लिए देनेकी आशा करे। आज मैं आपको पूरे हृदयसे वैसी सहायता नहीं दे सकता, किन्तु अपनी सीमाके भीतर मैं आपको अवश्यमेव प्रोत्साहन तथा हार्दिक सहायता दूँगा। उदाहरणके लिए, जब सरकार आपको और आपकी प्रतिष्ठाको हानि पहुँचाना चाहेगी, तब आप देखेंगे कि मैं आपके साथ हूँ और आपकी सहायता करनेके लिए उत्सुक हूँ। मैं आपके साथ ही कष्ट भोगना चाहता हूँ, और यदि आप मेरी सहायता लेना अस्वीकार करेंगे तो भी मैं आपसे कहूँगा—“ईश्वरके लिए आप मुझे सहायता करने दे।” किन्तु जब मुझसे निजी तौरपर यह कहनेका अनुरोध किया जायेगा कि यह नीति अच्छी है, तब मुझे स्पष्ट रूपसे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इसका ऐसा अर्थ नहीं लगाता। किन्तु मैं चाहता हूँ कि यदि लोग आपसे निजी तौर पर पूछें तो आप उन्हें कहे कि यद्यपि हमारा विश्वास चरखेमें नहीं है, फिर भी आप लोग चरखा अवश्य चलाये। आप तो कह रहे हैं कि चरखेमें आपका अविश्वास

नहीं है। अगर आप उसमें अविश्वास करते हो तो फिर आपको समझीता अस्वीकार कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने दायित्वके प्रति झूठे साबित होंगे।

श्री केलकर : लेकिन अगर मनमें अश्रद्धा हो तब तो काम इसी निपेक्षक मानसिक स्थितिके अनुपातमें होगा। आपको उन स्वराज्यवादियोंके लिए कुछ गुंजाइश तो रखनी ही पड़ेगी, जिन्होंने मनमें कुछ अश्रद्धा छिपा रखी हो—और यह तो सच ही है कि कुछके मनमें ऐसी अश्रद्धा है।

यदि वह अश्रद्धा इस विश्वासकी हदतक पहुँचती हो कि चरखेसे कोई लाभ नहीं होगा तो आप इस समझीतेको अस्वीकार कर दें।

मैं चरखेके सम्बन्धमें स्वराज्यवादियोंसे जिस सहयोगकी आशा रखता हूँ वह वैसा और उतना नहीं है जितनेकी आशा वे कीसिलोके कार्यके सम्बन्धमें मुझसे रख सकते हैं और यह बात समझीतेमें स्पष्ट रूपसे बता दी गई है। मैं आपसे असम्भवकी उम्मीद नहीं रखता। मैं तो आपसे इतनी ही आशा रखता हूँ कि आप अपनी क्षमता और विश्वासके अनुसार जितनी सहायता कर सकते हैं, करें, किन्तु उसे विलकुल ईमानदारीके साथ करें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सभी सदस्य समझीतेको इसी भावनासे देखें। यदि वे उसे इस भावनासे नहीं देखते तो मैं यह भविष्यवाणी करता हूँ कि हमारा आन्दोलन असफल रहेगा। किन्तु मैं तो तब भी असफल नहीं रहूँगा। हाँ, यह सही है कि तब मैं विलक्षण और अहमन्य समझा जाऊँगा। कुछ यूरोपीय कहते भी हैं कि मैं अहमन्य हूँ, और कुछ भारतीय भी कहते हैं कि मेरा दावा है कि मैं अकेला ही मानव-प्रकृतिको समझता हूँ और कोई दूसरा नहीं समझता। मेरा विश्वास है कि मैं सही हूँ। दूसरे लोगोकी बात भी उतनी ही सही हो सकती है, किन्तु यदि मुझे अपनी बात और अपने तरीकेके सही होनेपर पूर्ण विश्वास नहीं हो तो मैं इस नेतृत्वके उपयुक्त नहीं रहूँगा। मैं उस बुरी मनोवृत्तिको, मनमें कुछ और रखनेकी और मुँहसे कुछ और कहनेकी उस प्रवृत्तिको दूर करना चाहता हूँ, जिसकी ओर श्री केलकरने सकेत किया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मनमें कुछ और रखें और मुँहसे कुछ और कहें। कोई भी ऐसा न सोचे कि स्वराज्यवादी भारतके दुश्मन हैं। न मैं यह विश्वास करता हूँ कि बेचारे अराजकतावादी भारतके दुश्मन हैं। वे अपनी समझके अनुसार काम करते हैं। मैं किसीके बारेमें कोई फतवा कैसे दे सकता हूँ? मैं केवल उनके कामके बारेमें अपनी राय ही दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ दोनोंकी स्थितियोंमें कोई समता नहीं है।

मैं अपरिवर्तनवादियोंसे कहता हूँ कि यदि आप चरखेपर विश्वास नहीं करते तो अन्तमें जाकर आप देखेंगे कि हिंसात्मक तरीकोके अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं रह जाता। यदि आपको लगता है कि चरखा आपकी देशभक्त आत्माको सन्तुष्ट नहीं कर पाता तो आप कौंसिलोमें अवश्य जायें। वहाँ आप हल-चल करके कुछ कैदियोंको तो मुक्त करा सकेंगे। यदि आज स्वराज्यवादी अपने सबसे प्रिय सिद्धान्तोकी बलि देनेको तैयार हो और कहें कि वे अण्डमानके कैदियोंकी रिहाई

चाहते हैं तो उनको रिहा करा सकते हैं। किन्तु उन्होंने अपने कन्धोपर जो दायित्व लिया है वे उसके प्रति सच्चे हैं, और आशा है कि वे देशके लिए इस प्रकारकी हानिकार सौदेवाजी नहीं करेंगे। वे अण्डमानके कैदियोंकी रिहाईके लिए या यरवदा जेलमे पड़े किसी बेचारे बीमार कैदीको मुक्त करानेके लिए कौंसिलोमे नहीं गये हैं। मैंने कई बार कहा है और मैं इसे फिर दुहराता हूँ कि यदि आप चरखेमे विश्वास नहीं करते तो आपके पास केवल एक ही विकल्प रह जाता है—वह यह कि आप कौंसिलोमे जाये। कुछ करनेके खयालसे बहुत-से लोगोके कौंसिलोमे जानेका रहस्य यही है। आखिर जो कौंसिलोमे गये हैं वे देशकी सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाका प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अनुभवी सैनिक हैं। उदाहरणके लिए, आप अपनी सारी जिन्दगी कुर्बान कर देनेवाले पण्डित मदन मोहन मालवीय—जैसे व्यक्ति कहाँसे पायेगे? मैंने उन्हें जब १९०१ मे सर दिनशा वाछाकी अव्यक्षतामे हुए कांग्रेस अधिवेशनमे भाषण करते देखा था, तभीसे मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने बहुत काफी काम किया है और वे अभी भी कौंसिलके सदस्य बने हुए हैं। उनका अब भी कौंसिलोमे विश्वास है। वे मूढ तो नहीं हैं। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ, मेरा माथा उनके सामने झुक जाता है। ये चित्तरजन दास कौन हैं? और पण्डित मोतीलाल नेहरू कौन हैं? वे आज इस प्रकारके लिवास क्यो पहनते हैं? पण्डित मोतीलाल नेहरू किसी समय 'राजा-महाराजाओकी तरह रहते थे। वे एक बार मोटरसे, लाहौर आये थे और उनके साथ नौकरोकी एक पूरी पलटन थी। बहुत ही कम राजा उतने ठाठ-बाटसे रहते थे। उनके सुन्दर वागीचेमें, जहाँ कभी गुलाब तथा अन्य पुष्प भरे रहते थे, आज घास-पात खडा है। क्या वे देशद्रोही हैं? मेरा माथा इन लोगोके सामने बराबर झुक जाता है। मैं जब भी इन लोगोको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझमे कोई कमी है, जिसके कारण मैं उनसे सहमत नहीं हो पाता और उनके दृष्टिकोणको समझ नहीं पाता। फिर श्री केलकर कौन हैं? वे उनकी 'परम्पराके प्रतिनिधि हैं जो भारतकी महानतम विभूतियोमे से एक थे। जिनका नाम पीडियोनक अमर रहेगा और हमारे देशमें, जो एक परमेश्वरकी पूजा तो करता ही है किन्तु साथ ही अनेक देवताओको भी पूजता है, जो एक देवताकी भाँति पूजे जायेगे। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप अपने हृदयोको शुद्ध करे, उदार बने और अपने हृदयोको सागरकी तरह विशाल बनाये। 'कुरान शरीफ' और 'गीता'का यही उपदेश है। दूसरे लोग आपके बारेमे फतवे न दे, इसलिए आप दूसरोके बारेमे फतवे मत दीजिए। भगवानका खयाल कीजिए। वह तो सबसे बडा न्यायाधीश है और चाहे तो हमारे दोपोके लिए हमें मृत्यु दण्ड भी दे सकता है, लेकिन वह कितना दयावान है कि हमे जीने दे रहा है। आप अन्दर और बाहरसे अनेक शत्रुओसे घिरे हुए हैं, किन्तु वह आपकी रक्षा करता है और आपपर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि बनाये रखता है।

क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? हम ऐसा क्यो कहे कि उनकी राजनीति भ्रष्ट है और वे बचक लोग हैं या वे वेईमान हैं या यह कि उनमे राजनीतिक



दूरदर्शिता नहीं है ? ईश्वर हमें मानव-स्वभावकी ऐसी निन्दा करनेसे बचाये। जबतक ससार होगा, तबतक अनेक मतभेद भी रहेंगे; और अपरिवर्तनवादियोंकी सबसे बड़ी सफलता तो यह होगी कि वे अपने तथाकथित विरोधियोंको अपने सबसे सच्चे मित्र बना ले और उनको चरखेके धर्ममें दीक्षित कर ले। विश्वास रखिए, यदि अपरिवर्तनवादियोंमें व्यवहार-बुद्धि होगी, यदि वे चरखेके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, और उसके लिए मर मिटनेको तैयार रहेंगे तो वे स्वराज्यवादियोंको अवश्य ही इस धर्ममें दीक्षित कर लेंगे। यदि लोग चरखेको नहीं अपनाते तो इसका कारण यह है कि वे उसकी उपयोगिता नहीं समझते। यह आपका काम है कि आप उन्हें उसकी उपयोगिता समझाये। मैं चरखेका गुण-गान अपने इस अगाध विश्वासके कारण ही करता हूँ कि इसीसे देशको मुक्ति मिलेगी। हिन्दू-धर्मका उपदेश आस्था रखनेके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। यदि आप यह मानते हुए भी कि चरखा दूसरोके लिए लाभप्रद नहीं है, उसमें विश्वास करते हैं तो हमारे लिए तो वही सब-कुछ है। काशी विश्वनाथके मन्दिरमें जो पत्थरकी मूर्ति है, वह मौलाना हसरत मोहानीके लिए भलेही सिर्फ पत्थर हो सकती है,

**मौलाना :** मैं ऐसा कभी महसूस नहीं करता।

लेकिन मैं तो जब वहाँ जाता हूँ, मेरा हृदय अवश्य ही द्रवित हो जाता है। आस्थाका ही खास महत्त्व होता है। मैं जब किसी गायको देखता हूँ, तब वह मुझे भक्ष्य पशु नहीं लगती, बल्कि मेरे तई करुणाकी एक कविता होती है। मैं उसकी पूजा करता हूँ और सारी दुनियाके खिलाफ होनेपर भी उसकी पूजाकी हिमायत करूँगा। ईश्वर एक ही है, किन्तु वह मुझे पत्थरमें, अग्नेजोमें और यहाँतक कि देशद्रोही तकमें अपना दर्शन देता है। मैं तो देशद्रोहीसे भी घृणा नहीं करूँगा। मेरा धर्म मुझे इस हदतक ले जाता है। मैं प्रत्येक अपरिवर्तनवादीसे कहता हूँ कि यदि आप अपने धर्मके योग्य हैं और अहिंसक हैं तो आप स्वराज्यवादियोंसे हाथ मिलायेंगे और कहे कि “हमने जो-कुछ किया है, उसके लिए आप हमें क्षमा करें।” आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसीके प्रति दुर्भावना रखें और किसीके विरुद्ध कुछ भी कहे। आप केवल इस उत्तम मन्त्रपर आचरण करें। इससे बढिया मन्त्र मैं आपको नहीं दे सकता। ईश्वर आपकी सहायता करे और आपको इस मन्त्रपर आचरण करनेकी शक्ति दे तो वर्षके अन्तमें सब अच्छा ही देखनेको मिलेगा।

[ अग्नेजीसे ]

वाँम्बे क्रॉनिकल, ३०-१२-१९२४

## ३७९. तार : अनन्तरामको

[ २६ दिसम्बर, १९२४ से पूर्व ]<sup>१</sup>

दीवान अनन्तराम  
शरणार्थी शिविर  
रावल्पिंडी

कृपया शरणार्थी परिवारोकी सूची थीर उनकी आवश्यकताएँ लिखे। आशा है कोई वेलगाँव आयेगा।

गाधी

हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० १०५१७) से।

## ३८०. टिप्पणियाँ

नपी-तुली बात

‘यग इडिया’ मे कहा गया था कि खहरके टिकाऊ न होनेके बारेमे लोग एकमत नही है। बीजापुरके श्री एस० जी० पुजारीने इस सिलसिलेमे निम्नलिखित पत्र भेजा है जिसमे उन्होने अपनी बात अत्यन्त नपे-तुले शब्दोमे कही है

मे सचमुच खादीका ही काम करता हूँ। मेरी देख-रेखमें १२० चरखे और १३ करघे चल रहे हैं। मैं प्रति सप्ताह ३०० गज खादी तैयार कराता हूँ। मे यह काम २१ अगस्त, १९२१ से कर रहा हूँ। मेरा तरीका यह है कि मैं यहीं रुई खरीदता हूँ, कतयेको पूनियाँ देता हूँ, हर कतयेका सूत अलग-अलग जमा करता हूँ और एक थानके पूरे तानेमें एक ही कतयेका काता हुआ सूत लगाता हूँ। उनके सम्बन्धमें भी मेरी यही प्रक्रिया रहती है, किन्तु सूतकी अपेक्षा ऊनका घागा अधिक मोटा होता है। इस तरीकेसे कपड़ा इकसार और मजबूत बनता है और अधिक दिनतक टिकता है। मैं अपने यहाँसे खहर खरीदनेवाले लोगोके ऐसे उदाहरण पेश कर सकता हूँ, जिनकी धोतियाँ, कमीजें और कोट सामान्यत एक साल चलते हैं।

१ इस तारीखका निर्धारण तारमें वेलगाँवके उल्लेखसे किया गया है, जहाँ २६ और २७ दिसम्बरको कांग्रेसका अधिवेशन हुआ था।

खादीके टिकाऊपनमें कमी होनेका खास कारण बाजारसे खरीदा हुआ सूत है, क्योंकि :

१. यह सूत हमेशा अच्छी रुईसे नहीं काता जाता;
२. ज्यादातर सूत कम बटदार होता है।
३. यह लापरवाहीसे छाँटा जाता है।
४. झिरझिरा बुना होता है।

यदि खादी तैयार करनेवाले उक्त दोषोसे बचनेका ध्यान रखें तो खादीके टिकाऊपनके बारेमें शिकायतोंकी गुजाइश कम रहेगी।

मैं इस टिप्पणीको खादीके उत्पादनमें दिलचस्पी रखनेवाले सब लोगोके मार्गदर्शनके लिए प्रकाशित कर रहा हूँ।

### दो मानपत्र

वेलगाँव जिला-बोर्ड और वेलगाँव नगरपालिकाने मानपत्र देकर मेरा सम्मान किया है। इन मानपत्रोमे मेरे गुणोका बखान किया गया है। मुझे लगता है कि अखिल भारतीय कार्यकर्त्ताके रूपमे मेरे गुणोके बखानकी कोई जरूरत नहीं थी। नगरपालिकाकी ओरसे तो उसी व्यक्तिको मानपत्र देना उचित होता जिसका नगरपालिका-सम्बन्धी कार्योंमे योगदान हो। किन्तु हम जिस विशेष परिस्थितिमे आज रह रहे हैं उसमे नगरपालिकाएँ स्वतन्त्र होनेके लिए सघर्ष कर रही हैं और अपनी स्वतन्त्रताकी भावनाको इस प्रकार सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओके साथ अपना कुछ-कुछ तादात्म्य दिखाकर व्यक्त करती हैं, भले ही उन कार्यकर्त्ताओमे नगरपालिकाके कामके उपयुक्त गुण हो या न हो। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओको नगरपालिकाकी ओरसे मानपत्र देना केवल इसी दृष्टिसे उचित ठहराया जा सकता है। किन्तु इन मानपत्रोके देनेसे मुझे पाश्चात्य देशोके इस सम्बन्धमे किये गये प्रयत्नोकी प्रशंसा करनेका अवसर मिला, यद्यपि मैं सामान्यतः पाश्चात्य सस्कृतिका विरोध करता हूँ।<sup>१</sup> हम पाश्चात्य देशोसे एक बात सीख सकते हैं और हमें सीखनी चाहिए। वह है उनका नगरोकी सफाईका विज्ञान। हम अपनी सहज वृत्तिसे और अपनी आदतसे ग्राम्य-जीवनके अभ्यस्त हैं, जिसमे सामुदायिक स्वच्छताकी आवश्यकता अधिक अनुभव नहीं की जाती। किन्तु चूँकि पाश्चात्य सभ्यता भौतिकता-प्रधान है और इस कारण उसका रुझान गाँवोकी उपेक्षा करके शहरोके विकासकी ओर ही अधिक है, इसलिए पाश्चात्य देशोके लोगोने सामुदायिक स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षाका विज्ञान विकसित कर लिया है। हमें इस विज्ञानसे बहुत-कुछ सीखना है। हमारी गलियाँ सकरी और टेढी-मेढी होती हैं, हमारे घर घिच-पिच और कम हवादार होते हैं, हम पीनेका पानी जहाँसे लेते हैं उसकी सफाईकी घोर उपेक्षा करते हैं। हमें इन दोषोको दूर करनेकी जरूरत है। प्रत्येक नगरपालिका लोगोसे स्वच्छताके नियमोका पालन करानेका आग्रह करके बडीसे-बडी सेवा कर

१. देखिए “भाषण • मानपत्रोके उत्तरमें”, २१-१२-१९२४।

सकती है। यह विचार भ्रमपूर्ण है कि स्वच्छता-सम्बन्धी सुधार करनेके लिए, बहुत अधिक धनकी आवश्यकता है। हमें स्वच्छताके पाश्चात्य तरीकोको अपनी आवश्यकताओंके अनुरूप बदल लेना चाहिए, और चूँकि मेरी देशभक्ति ग्रहणशील है, उसमें सबके लिए गुंजाइश है और किसीके प्रति वैर-भाव या द्वेष-भाव नहीं है, अतः मैं पाश्चात्य भीतिकृताने घृणा करनेपर भी उसमें जो-कुछ मेरे लिए लाभप्रद है उसे ग्रहण करनेसे नहीं झिझकता। और चूँकि मैं यह जानता हूँ कि अग्रेजोंमें सूझबूझ है, इसलिए मैं उनसे ऐसे मामलोमें कृतज्ञतापूर्वक सहायता लेनेका प्रयत्न करता हूँ। उदाहरणके लिए मनुष्यके मूँलेको ठिकाने लगानेका सबसे कम खर्चीला और सबसे ज्यादा कारगर तरीका मुझे श्री पूअरसे मालूम हुआ है। उन्होंने हमें बताया है कि हम अज्ञान अथवा पूर्वग्रहके कारण इस अत्यन्त उपयोगी खादको नष्ट कर देते हैं। मनुष्यके मूँलेको उचित जगहपर डाला जाये और उसका उचित उपयोग किया जाये तो वह बेकारकी गन्दगी नहीं होगी। अग्रेज कहते हैं, गन्दगी अनुपयुक्त स्थानपर रखे हुए पदार्थका ही नाम है।

### दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय प्रवासियोंके इर्द-गिर्दकी सर्प-कुण्डली दिन-प्रतिदिन कसती ही जा रही है। अब नेटालमें भारतीयोंको नगरपालिका-सम्बन्धी मताधिकारसे भी वंचित कर दिया गया है। कहा गया था कि उनके इस अधिकारकी रक्षा की जायेगी। जब उनसे राजनीतिक मताधिकार छीननेका प्रयत्न किया गया था, तब नेटाल सरकारने घोषणा की थी कि भारतीय जिस नगरपालिका-सम्बन्धी मताधिकारका उपभोग कर रहे हैं, उसे उनसे छीननेका उसका कोई विचार नहीं है। किन्तु आधुनिक सरकारोंकी दृष्टिमें एक दुर्बल पक्षको दिया गया कोई भी वचन पालनीय नहीं होता। प्रत्येक पक्षको अपनी ही शक्तिके बलपर अपने अधिकारोंकी रक्षा करनेमें समर्थ होना चाहिए। भारत सरकार भारतीयोंकी सरक्षक होनेकी जो ग्वारंति करती रही है, वह इस सकटके अवसरपर काम नहीं आई। मैं जानता हूँ कि प्रवासी हमसे सहायता और मरक्षणकी अपेक्षा रखते हैं। किन्तु उन्हें जानना चाहिए कि उन्हें फिलहाल भारतसे कोई सहायता नहीं मिल सकती। भारत तो स्वयं जीवन-मृत्युके सघर्षमें लगा हुआ है। सालो पहले स्वर्गीय फीरोजशाह मेहताने भविष्यवाणी की थी कि भारत समुद्र-पारके भारतीयोंको तबतक कोई खास सहायता नहीं दे सकता, जबतक उनमें स्वयं अपने अधिकारोंकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य नहीं आ जाती। स्व० पेस्तनजी पादशाको मेरा दक्षिण आफ्रिका जाना विलकुल ही नापसन्द था। उनका खयाल था कि यदि कोई भारतीय कार्यकर्ता भारतसे बाहर जाता है तो वह उस हदतक हमारी राष्ट्रीय शक्तिका अपव्यय है। मेरा खयाल है कि यद्यपि श्री पादशा बड़े स्पष्टदर्शी थे, फिर भी इस वारेमें उनका सोचना ठीक नहीं निकला। मैं दक्षिण आफ्रिकामें रहा, इससे मेरी शक्तिका अपव्यय नहीं हुआ। किन्तु श्री पादशाकी तीव्र इच्छा थी कि पहले भारतकी स्वतन्त्रता हासिल की जाये। क्या इस इच्छाके मूलमें एक बहुत बड़ी सच्चाई नहीं है? जबतक हमें यह स्वतन्त्रता नहीं मिलती, तबतक

हम अपने समुद्र-पारके भाइयोको समाचारपत्रो द्वारा और अन्य प्रकारसे सहानुभूति प्रकट करके जो-कुछ सान्त्वना दे सकते हैं, वह देते रहे, और तबतक हम इतना ही भर कर सकते हैं।

### एक नमूना

मैं नीचे वावू हरदयाल नागका पत्र देता हूँ<sup>१</sup>

वावू हरदयाल नाग एक पुराने असहयोगी है। उनका रुख बहुत-से अपरिवर्तन-वादियोंके रुखका नमूना है। उनके-जैसे विचार हैं, उनको देखते हुए, मैं उनके बेलगाँव न जानेंके निर्णयकी पुष्टि ही कर सकता हूँ। सच कहूँ तो असहयोगके स्थगनकी बातपर उन्होंने जो रोप प्रकट किया है, मैं उसकी भी कद्र करता हूँ। ऐसा रोप और भी अधिक लोग प्रकट करते तो अच्छा होता। मैं राष्ट्रीय पैमानेपर चालू असहयोगको स्थगित करनेकी सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि यह मुझे कोई बहुत अच्छा लगता है। परिस्थितियोंने मुझे ऐसा करनेको विवश कर दिया है। आवश्यक हो तो उसमें विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इसे फिरसे राष्ट्रीय रूप दिला सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने व्यवहार द्वारा इसकी सामर्थ्य दिखानी होगी और साथ ही स्वयं अहिंसक भी बने रहना होगा। मैं वावू हरदयाल नागसे और उनके-जैसे विचारके लोगसे यह कहना चाहता हूँ कि वे अपने विरोधियोंपर दुष्टताका आरोप न लगाये। इसमें सबसे अच्छा नियम यही है कि लोग तुम्हारे वारेमें फतवे न दे, इसलिए लोगोंके वारेमें फतवे मत दो। हम जिन्हे धूर्त कहते हैं, वे प्रायः इसका ऐसा ही उत्तर देते हैं और बदलेमें हमपर यही आरोप लगाते हैं। किन्तु इस सम्बन्धमें भी मैं इस मान्यताको स्वीकार करता हूँ कि यदि कोई किसीको इतना दुष्ट समझे कि उसे सुधारके अयोग्य माने तो उसे अवश्य ही उससे असहयोग करना होगा। क्योंकि दुर्भाग्यवश बहुत-सी बातें केवल व्यक्तिकी मानसिक स्थितिसे नियन्त्रित होती हैं। यदि मैं भ्रमवश रस्सीको साँप मान लूँ तो सम्भव है, मैं भयसे पीला पड़ जाऊँ। इसपर समीप खड़ा कोई व्यक्ति जो जानता है कि यह तो साँप नहीं, रस्सी है, हँसेगा ही।

१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें वावू हरदयाल नागने बेलगाँव कांग्रेसमें शामिल होनेकी अपनी असमर्थताके कारण बताया थे। उन दिनों सभा-सम्मेलनोंकी जो स्थिति हो गई थी, उसके कारण उन्हें उनमें कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती थी। वे कट्टर असहयोगी थे और असहयोगका स्थगित किया जाना उन्हें पसन्द नहीं था। असहयोगको स्थगित करके स्वराज्यवादियोंके साथ सहयोग करना वे बुराई और शैतानीके साथ सहयोग करना मानते थे। दूसरी ओर वे गांधीजीके खिलाफ मत भी नहीं देना चाहते थे। इसलिये उन्होंने वहाँ न जाना ही ठीक समझा। उन्होंने बहुमतके निर्णयमें अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा था कि बहुमतसे जो निर्णय होगा वह उन्हें मान्य होगा ही। इसके अलावा उन्हें अपने खर्चके कामकी भी बड़ी चिन्ता थी और उसे कुछ समयके लिए भी वे छोड़ना नहीं चाहते थे— विशेषकर इस कारणसे कि उनके कथनानुसार बंगाल कांग्रेसके स्वराज्यवादियोंके हाथमें होनेके कारण खर्चकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि इसी कारण वहाँ राष्ट्रीय पाठशालाओंकी भी स्थिति बहुत बुरी थी। अन्तमें उन्होंने गांधीजीको बंगाल आकर वहाँके कट्टर असहयोगियोंसे बातचीत करनेको आमन्त्रित किया था।

मनकी एक अपनी ही दुनिया है। मन स्वर्गको नरक बना सकता है।<sup>१</sup> जहाँतक बगालके कांग्रेस-सगठनोंके विरुद्ध शिकायतका सम्बन्ध है, आज उनकी स्थिति जैसी भी हो, यदि हाथसे सूत कातना कांग्रेसके मताधिकारका अग वन जाता है तो जो भी कांग्रेस-सगठन हाथ-कताईको प्रोत्साहन नहीं देता और उसका सगठन नहीं करता वह जीवित नहीं रह सकेगा।

जहाँतक बगालका दौरा करनेका सम्बन्ध है, मैं जल्दीसे-जल्दी, अवसर मिलते ही, विभिन्न जिलोंका दौरा करने आऊँगा। किन्तु उसका समय निश्चित करना कठिन है। २३ जनवरीके बाद मेरे समयपर पहला अधिकार कोहाटके शरणार्थियोंको है। और २३ जनवरीतक मेरे एक-एक दिनका कार्यक्रम निश्चित हो चुका है। यह कहना कठिन है कि पजावका काम खत्म हो जानेपर भाग्य मुझे कहाँ ले जायेगा।

[अग्रेजीसे]

यग इंडिया, २६-१२-१९२४

### ३८१. उद्घाटन भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें

२६ दिसम्बर, १९२४

अध्यक्ष लँगोटी पहने और अपने हाथमें खद्दर लिये मचसे उतरकर भाषण स्थानपर आये। लोगोंने उत्साहपूर्वक उनका जय-जयकार किया। उन्होंने अपना थैला मचपर लटकाकर एक काफी ऊँची तिपाईपर आसन ग्रहण किया और अपनी घड़ी सामने खोलकर रख दी। इसके बाद स्वागत समितिके अध्यक्षने चन्दनकी छोटी-सी सन्दूकचीमें रखी कर्नाटकके इतिहासकी एक प्रति यह कहते हुए उनको भेंट की कि “महोदय, यह आपकी जानकारीके लिए है।” अध्यक्षने यह भेंट हर्ष-ध्वनिके बीच मुक्त मुस्कानके साथ ग्रहण की। इसके बाद, उन्होंने हिन्दीमें अपना भाषण आरम्भ किया।<sup>२</sup>

“भाई गगाधरराव,<sup>३</sup> भाइयो और वहनो,

आपने मुझे यह उत्तम स्थान दिया है, इसीलिए मैं आप सब भाइयो और वहनोको कोई बड़ी तकरीर सुनाना नहीं चाहता। जो-कुछ भी मैं इस स्थानसे कहना चाहता था वह सब भाई और वहने जानती है। मेरा भाषण,<sup>४</sup> एड्रेस, व्याख्यान (जो है) उसका अनुवाद हिन्दीमें, कन्नडमें, मराठीमें और अग्रेजीमें छप गया है और मैंने गगाधररावजीमें प्रार्थना की थी कि वह आप सब डेलिगेट भाइयोको कल शामतक मिल जाये। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्याख्यान मिल गया है और आप सबने उसे अच्छी तरहसे पढ लिया है।

१ मिल्लनकी पैराडाइज लॉस्ट।

२ यहाँतक का वश अग्रेजी रिपोर्टसे अनूदित है।

३ स्वागत-समितिके अध्यक्ष।

४ देखिए अगला शीर्षक।

मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सामने ऐसा मीका आ गया है कि हम जो १९२०—२१ में करना चाहते थे वह न कर सके, लेकिन उसके बदले हमारे अन्दर मतभेद, दुश्मनी पैदा हो गई है। हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरेको दुश्मन मानते हैं और एक-दूसरेको मारा-पीटा करते हैं। यह कोई स्वराज्य लेनेका ढंग नहीं है। बात समझानेकी कोई जरूरत नहीं है। हम हिन्दू अपनी अस्पृश्य जातिको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं। हम उसके छूनेमें पाप समझते हैं, ऐसा मानकर हम उसको अशुद्ध समझते हैं। लेकिन खुदाके सामने, ईश्वरके सामने हम बड़ा भारी गुनाह करते हैं। यह ठीक है कि हमने पिछले वर्षोंसे, ३-४ वर्षोंसे, मान लिया है कि बड़े-छोटे हरएकको चरखा चलाना चाहिए और, हम हैं कांग्रेसमें, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटीमें कहते आये हैं कि हम चरखेसे स्वराज्य लेनेका इरादा रखते हैं। जब मैं पूनामें गया था— इस आन्दोलनमें— मैंने एक सभामें कहा था कि लोकमान्यने हमें एक श्लोकार्थ दिया है। वह यह है कि 'स्वराज्य मनुष्यका जन्म-सिद्ध अधिकार है।' मैं इस श्लोकको पूरा करनेके लिए पैदा हुआ हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यही फिर कहता हूँ। अगर हम स्वराज्य चाहते हैं तो उसका रास्ता चरखा है, सूत है, खदर है। मुझे यह जानते हुए अफसोस होता है कि आप इसे जानते हैं, मगर इसपर चलते नहीं। पर मैं इसके सिवा न कुछ जानता हूँ और न सोच ही सकता हूँ। इससे मैं आप भाइयों और वहनोको कहता हूँ कि मेरा आपके सामने उपस्थित होना और भाषण देना निरर्थक है। मेरा दिल यह कहता है कि यह निकम्मा काम है। और यो करना आपका और मेरा अपना वक्त भी— जो मैं समझता हूँ, अमूल्य है— खराब करना है। अमूल्य इसलिए कि मैं अपनेको खुदाका वन्दा मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि स्वराज्य इस तरह नहीं मिलेगा। मौलाना मुहम्मद अलीकी बेगम साहबा कहती थी कि जब-जब मैं कांग्रेसमें आती हूँ तो एक सप्ताहके लिए मालूम होता है कि हमें स्वराज्य मिल गया है। इसका मतलब यह है कि हम स्वराज्यका नाटक रचते हैं, जैसे कि हरिश्चन्द्रका अभिनय देखते हैं। हकीकत यह है कि उसमें हरिश्चन्द्र नहीं होता। जो हरिश्चन्द्रका अभिनय करता है वह सत्यवादी है या नहीं, वह हम नहीं जानते। इसी तरह स्वराज्यका जलसा भी एक नाटक हो गया है।

इसलिए मैं आप भाइयोंसे कहना चाहता हूँ कि देशबन्धुदास एक प्रस्ताव रख रहे हैं, अगर आप उसको मानते हैं तो स्वीकार करे, अगर नहीं मानते हैं तो अस्वीकार कर दें। इसमें हिन्दू-मुसलमान ऐक्यकी बात नहीं है, न इसमें अस्पृश्यताका उल्लेख है। इसमें एक ही बात लिखी है कि हम चरखा चलाना चाहते हैं। और आप लोग जो यहाँ प्रतिनिधि होकर आये हैं अछूत, ईसाई, अथवा अन्य कोई भी हो— उनके प्रतिनिधि होकर आये हैं और अगर आप मुहम्मद अली और दासकी प्रतिज्ञा माननेवाले हैं तो मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप जो-कुछ करना चाहते हैं, ईश्वरको दरम्यान रखकर करे। अगर आपका दिल मानता है कि यह बात ठीक नहीं है, गांधी आपको धोखेमें डालता है तो आप इसे अस्वीकार कर दें, त्याग कर दें। अगर आप भाइयोंने ऐसी प्रतिज्ञा की,

आपने इस प्रस्तावको स्वीकार किया — मैं स्वीकार करना प्रतिज्ञा करना समझता हूँ, ईश्वरका नाम लेकर प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा करके उसपर न चले तो मैं आपको आपपर छोड़ता हूँ। अगर देशको गांधीका काम पागलपन मालूम हो तो उसका त्याग कर दीजिए। आप फिर सोच ले कि क्या हिन्दुस्तान स्वराज्यके काबिल है? जो प्रतिज्ञा छोड़ देता है, उसके लिए जगत् क्या कहता है? तुलसीदास उसे क्या कहते हैं? भले ही 'बोइविल' हो, भले ही 'गुरु ग्रथसाहब' हो, भले ही 'कुरान' हो, उसको पढ़िए। आप पायेंगे कि ऐसा आदमी कोठी है, निकम्मा है, झूठा पैसा है, खोटा रुपया है। अगर झूठा पैसा लेकर दुकानमे गये तो गवर्नमेट सजा देगी। तो मैं आपको यही सुनाता हूँ और आपको बहकाना नहीं चाहता। मैं खेल खेलना नहीं चाहता हूँ। जो सोचता हूँ, समझता हूँ, वही सुनाता हूँ। मुझे विश्वास है कि जबतक करोड़ों भाई-बहन चरखा नहीं चलाते, सूत नहीं कातते, खद्दर नहीं तैयार करते, नहीं पहनते, स्वराज्य हाँसिल नहीं हो सकता। जबतक यह नहीं होता, तबतक हिन्दुस्तानमे कगालीयत नहीं मिटेगी जबतक देशके करोड़ों कगालोको रोटी नहीं मिलेगी, तबतक स्वराज्य नहीं मिल सकता।

अगर आप स्वराज्य चाहते हैं तो यही शर्त है। मैंने, देशबन्धु दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूके साथ एक करार किया है और मैंने वह सारे भारतवर्षके सामने रखा है। और मैं समझता हूँ कि जो-कुछ हम चाहते हैं इसमे कोई गलती नहीं है। जो-कुछ वे चाहते हैं, उसका हक उनको है। मैं यह मानता हूँ कि कौंसिलोकी मार्फत कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन कुछ बड़े-बड़े नेता हैं, जो मानते हैं कि कुछ-न-कुछ मिल सकता है, कुछ नहीं करते तो कौंसिलोमे तो जाये। यह सच है। मैं कहता हूँ कि जब वे उसमे फायदा समझते हैं तो वे जरूर जाये। वे भी मुल्कके नेता हैं। मैं कौन हूँ कि जो नहीं कहूँ। तो करारमे यह है कि अगर जाना चाहते हैं तो जाये। इसके मानी यह नहीं कि जो असहयोगी हैं वे भी उसको माने। काग्रस नाफेरवादी (अपरिवर्तनवादी) और फेरवादी (परिवर्तनवादी) दोनोंकी हैं। किसी एककी है, यह बात झूठी है। इसलिए वे [कौंसिलोमे] काग्रसकी तरफसे जायेंगे।

मैंने कहा है कि यह बात झूठी है। पर यह आग्रह कि मेरी ही बात सच है और दूसरोकी बात झूठी — तो यह भी एक खतरनाक बात है। इस आग्रहको भी मिटा देना है। जबतक जगत्मे मस्तिष्क अलग-अलग हैं, तबतक मत भी अलग-अलग रहेंगे। लेकिन हम हरएकको हृदयसे लगाना चाहते हैं, सहनशीलता पैदा करना चाहते हैं — यह भी अहिंसाका ही एक टुकड़ा है।

लेकिन मैंने कहा है कि यह छोटी बात है। प्रतिज्ञामे सबसे बड़ी बात चरखा है। चरखा-शास्त्र अगर आप नहीं मानते हैं, खद्दरको नहीं मानते, अगर आप यह मानते हैं कि 'फ्रेचाइज' से नई काग्रसकी शक्ति कम हो जायेगी तो इसका त्याग कर दे।

भाइयो, मैंने इतना हिन्दीमे, टूटी-फूटी हिन्दीमें समझा दिया। यह कहते हुए मुझे अफमोस होता है कि कितने भाई दक्षिण, कर्नाटकसे आते हैं जो कहते हैं 'अग्रेजीमे बोले', — यह बड़े दरदकी बात है। मैं जबसे हिन्दुस्तानमे आया तबसे कहता रहा हूँ कि कमसे-कम काग्रसमे स्वराज्यके विषयमे, हिन्दीमे बात करे। लेकिन



हमारे दुर्दैवसे हमारी शिक्षामे ऐसा दोष आ गया है और आलसपन आ गया है कि जितना प्रयत्न इसके लिए करना चाहिए, हम लोगोंने नहीं किया है। अगर मुझे विश्वास हो जाये कि मैं जो-कुछ कहना चाहता हूँ वह जो भाई तमिलनाडुसे आये है या कर्नाटकके है, मेरी टूटी-फूटी हिन्दी समझ लेते हैं तो भी चल जाता, मगर मैं तो जानता हूँ। लोग नहीं समझते। मैं एक बात भूल गया। मैं देशबन्धु दासको भूल गया। इस गुनाहमे बगाल भी मदद कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति देता कि जिस भाषामे रवीन्द्रनाथ ठाकुर उत्तम काव्य देते हैं, उसको मैं सीख लेता और बगालीमे बगाली भाइयोको सुनाता। लेकिन मेरे भाग्यमे वह बात नहीं थी।

तो प्रार्थना एक ही है। वह भी हमारे भाई समझ ले — हिन्दीमे जो कहना था, समाप्त किया। यह प्रस्ताव आपने समझ लिया है, इसलिए वे आयेगे और जो-कुछ कहना है कह देगे, प्रस्ताव नहीं पढेगे। आप उनको मजबूर न करे। प्रतिनिधियोको सुभीता हो, वे प्रस्ताव पढ ले, इसलिए मैंने जवाहरलाल और गगाधर-रावजीसे कहा था कि प्रस्ताव उनके पास पहुँच जाये। वह आपके पास पहुँच गया होगा। (नहीं, नहीं — की आवाजे)। कितने ऐसे हैं? (बहुत-से — की आवाज) अच्छा। मैंने सुना दिया है कि उस प्रस्तावमे क्या लिखा है। (हँसी) आप सब वह प्रस्ताव पढ लेगे, अखबारोमे निकल जायेगा। थोड़ी-सी बात है, उसमे स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी दोनो, 'चेजर' और 'नोचेजर' सब एक होकर रहना चाहते हैं। हमारे मतमे फरक है, लेकिन हमारे हृदयमे फरक नहीं है। अगर आप नाफेरवादी (अपरिवर्तनवादी) है तो भी आपके हृदयमे उतना ही स्थान देशबन्धु दास, पण्डित मोतीलाल और केलकरके लिए और दूसरोके लिए होना चाहिए जितना मेरे लिए है। अगर आप स्वराज्यवादी है तो मेरे लिए उतना ही स्थान होना चाहिए जितना उनमे से किसीके लिए है। यही हिन्दू-मुस्लिम यूनिटी है — हिन्दू-मुस्लिम एकताका यही अर्थ है कि मैं सनातनी हूँ तो जितना स्थान मेरे हृदयमे पूज्य मालवीयजीके लिए है, उतना ही मौलाना मुहम्मद अलीके लिए, शौकत अलीके लिए और किसी भी मुसलमानके लिए होना चाहिए, भले ही वह हमको दुश्मन मानता हो। यह बड़ी बात मैंने कह दी। आप कहेंगे, कहाँ, मालवीयजी और कहाँ दुश्मन समझनेवाला मुसलमान। लेकिन अगर 'गीताजी', 'भागवतजी', 'रामायणजी' पढकर मैंने कुछ सीखा है तो यही।

तो अब आप प्रस्ताव पढकर उनकी बात सुने और उनको मजबूर न करे कि वह प्रस्ताव पढे।

इसके पश्चात् महात्माजीने अंग्रेजीमें भाषण देते हुए कहा: १

मित्रो,

मैं आपका 'दस मिनटसे अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैंने अपने लिए केवल आधे घटेका समय रखा था, किन्तु मैंने हिन्दुस्तानीमे बोलनेमे, जितना मैं चाहता

१ चित्तरजन दास।

२ इससे आगेका अंश अंग्रेजी रिपोर्टसे अनूदित है।

था, उससे अधिक समय लगाया है। आपको मेरे भाषणकी, हमारे मतलबकी बहुत-सी आवश्यक भाषाओमे अनूदित प्रतियाँ मिल गई हैं, इसलिए मैं उस भाषणका कोई भी अंश नहीं पढ़ना चाहता। इससे आपका धैर्य जाता रहेगा तथा आपका और मेरा समय भी बरबाद होगा, इसीलिए मैं उस भाषणको नहीं पढ़ रहा हूँ। हम उस कार्यको, जो हमारे सामने पड़ा है, यथासम्भव जल्दीसे-जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। देशबन्धु दास अभी आपके सामने मुख्य प्रस्ताव रखेगे। यदि आप उस प्रस्तावको अस्वीकार कर देते हैं तो आप अपने रास्ते चले और जो आप अपने तथा देशके लिए सर्वोत्कृष्ट समझे वही करे, और मुझे भी अनुमति दे कि मैं भी जो काम अपने लिए सबसे अच्छा समझता हूँ उसमे अर्थात् कताईमे लग जाऊँ। मैं आपसे, आपमे से प्रत्येक व्यक्तिसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि आपके सामने जो-कुछ रखा जा रहा है, आप उसपर व्यान-पूर्वक विचार करे।

आपके सामने एक क्रान्तिकारी परिवर्तनका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो मेरे विचारसे, जैसा कि लालाजीने कहा है, उतना ही क्रान्तिकारी है जितना कि १९२० मे उन्हीके सभापतित्वमे सम्पन्न कलकत्ताके विशेष अधिवेशनमे राष्ट्र द्वारा किया गया परिवर्तन था। मैं तो लालाजीकी तरह यह भी स्वीकार करता हूँ कि जिस परिवर्तनको मैंने प्रस्तुत किया है और राष्ट्रके सामने रखा है वह सम्भवत और भी अधिक क्रान्तिकारी है। इसलिए यदि आप उक्त प्रस्तावका समर्थन पूरे हृदयसे करे और उसपर अमल करे तो मैं कह सकता हूँ कि उससे स्वराज्य शायद काफी निकट आ जायेगा, क्योंकि वे दिन चले गये जब हम केवल प्रस्ताव पास करके सन्तुष्ट हो जाते थे और फिर उन्हें भूल जाते थे। इस प्रस्तावमे अस्पष्ट तरीकेसे राष्ट्रसे अपील नहीं की गई है, बल्कि काम करनेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिसे आग्रह किया गया है। यह प्रस्ताव विशेष रूपसे दोपहर बाद यहाँपर उपस्थित प्रत्येक समझदार स्त्री-पुरुषको ध्यानमे रखकर तैयार किया गया है और यद्यपि देशबन्धु दास और मौलाना मुहम्मद अली आपसे ईश्वरको साक्षी रखकर इस प्रस्तावको पास करनेके लिए नहीं कहेगे, फिर भी मैं आपसे वैसा करनेके लिए कहता हूँ, और जब आप इस प्रस्तावपर मतदान करने लगे, तब कृपया याद रखे कि आप उसे ईश्वरको साक्षी मानकर पास कर रहे हैं। इसका मतलब होगा कि आप राष्ट्रके लिए, देशके दरिद्रतम लोगोके लिए, स्वराज्यकी प्राप्तिके निमित्त कुछ करनेका जिम्मा ले रहे हैं। यदि आपका इस प्रस्तावपर पूर्ण विश्वास नहीं है तो अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसको अस्वीकार कर दे।

इस प्रस्तावके पीछे मेरा व्यक्तित्व है, इसका आपपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बार-बार आप लोगोसे कहा है कि मैं कोई ऐसा मनुष्य नहीं हूँ, जिससे गलती नहीं हो सकती। मैंने इस बातको बार-बार स्वीकार किया है कि मुझसे भूल हो सकती है। मैंने कई बार स्वीकार किया है कि मैंने जीवनमे कभी-कभी बेहद भारी भूले भी की है। मैंने उसके लिए प्रायश्चित्त किया है। जो मनुष्य कभी गलती नहीं करता वह पूर्ण मनुष्य होता है। उसे प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं होती।

उसे पश्चात्ताप करनेकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उससे कोई भूल हो ही नहीं सकती। उसे बहस करनेकी भी आवश्यकता नहीं। मैं तो आप-जैसा ही भला या बुरा एक मर्त्य प्राणी हूँ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रस्तावसे मेरे व्यक्तित्वको अलग रखकर ही आप अपने उत्तरका निश्चय करें।

यह प्रस्ताव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि बहुत-से ऐसे लोग हैं, जिनके विचार इसके विरुद्ध हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जो कहते हैं “यह उचित नहीं कि हम अपना सम्पूर्ण विश्वास कातनेमें ही रखें।” कुछ दूसरे लोग कहते हैं, “कातना अच्छा तो है, लेकिन इस कष्टकर कार्यको बहुत लम्बे अरसेतक करते रहनेके बाद ही इसका परिणाम निकल सकता है।” तीसरी तरहके लोग कहते हैं “यद्यपि खट्टर और हाथ-कताई, दोनों ही अपने आपमें अच्छे हैं, तथापि राष्ट्रीय मताधिकारमें उनके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।” किन्तु मेरे विचार इनसे बिल्कुल भिन्न हैं। और मेरा यह विश्वास दिन-प्रतिदिन इतना अधिक बढ़ता जा रहा है कि यदि मेरा सारा समय मेरे अपने हाथमें होता तो मैं हर समय कातता ही रहता और अनुभव करता कि चरखेके प्रत्येक चक्करमें स्वराज्य अधिकाधिक हमारे निकट आ रहा है। इस चक्करसे स्वराज्य हमारे अधिकाधिक निकट आ रहा है। चरखेकी इस गतिको ३० करोड़से गुणा करके आप सोचिए कि उससे स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए कितनी गति, कितनी शक्ति पैदा हो जायेगी। किन्तु आपको यह शक्ति तभी मिलेगी जब आपके हृदयमें भी स्वराज्यको मुलभ करानेकी उसकी क्षमतामें मेरे समान ही विश्वास हो।

मैंने अपने भाषणमें बहुत-सी बातें कही हैं। श्रीमती सरोजिनी देवीने मुझे एक बातकी चर्चा करनेके लिए कहा है। मेरे मनमें उनके प्रति बहुत आदर है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें बड़ी शानदार सेवा की है। इसलिए मैं उसका खयाल करके अब उनकी बातकी चर्चा करता हूँ। वह है हिन्दू-मुस्लिम एकता। मौलाना शौकत अली कहते हैं “मैं इस सारे कामसे तग आ गया हूँ। हमें हिन्दू-मुस्लिम दगोकी, चाहे वे कही भी हों, परवाह नहीं करनी चाहिए।” उस बड़े सिरमें बुद्धित्व भी काफी है, सच मानिए, उसमें सिर्फ चरबी ही नहीं है। (हँसी) बार-बार उन्होंने कहा है “ये मेरे मुसलमान भाई जडबुद्धि हो गये हैं। वे पागल हो गये हैं। इसी प्रकार आपके हिन्दू भी जडबुद्धि हो गये हैं। हम उनके झगडोका फैसला करनेकी कोशिश कर रहे हैं और हमारी इस कोशिशमें स्वराज्य हमारे हाथोंसे खिसक रहा है। इसलिए हमें उन्हें उनके हालपर ही छोड़ देना चाहिए।” किन्तु मैं वैसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए भी, चरखेके समान ही पागल हूँ। यह मेरी उत्कट अभिलाषा बन गई है। मैं इसे न तो छोड़ ही सकता हूँ और न इसे भुला ही सकता हूँ। इस प्रकार आप जानते हैं कि मैं उस छोटी-सी लडकी गुलनारपर मुग्ध हो गया हूँ। आप पूछ सकते हैं “यह आदमी उस लडकीपर क्यों मुग्ध है?” मैं कहूँगा “इसका एक कारण है।” यह लडकी जब बड़ी होगी तब वह सोचेगी एक गांधी था, वह सनातनी हिन्दू होनेपर भी, मेरे साथ मास न खानेपर भी, स्वयं गो-मास न छूनेपर भी और गो-पूजक होनेपर भी, जो लोग गो-मास खाना पसन्द करते हैं

और खाना चाहते हैं, उनके गो-मास खानेपर आपत्ति नहीं करता था। हो सकता है कि जबतक यह लडकी वयस्क हो, तबतक मैं मर जाऊँ, किन्तु जब वह बड़ी होगी, मेरे सन्देशको लोगतक पहुँचायेगी। आज वह शुद्ध और भोली-भाली है। वह सोचती है कि कहीं भी कोई खराबी नहीं है। वह घृणाको जानतीतक नहीं। वह प्रेमकी प्रतिमा है। मैं उसमे प्रेमका साकार रूप देखता हूँ। इसीलिए हमे पृथक् करनेवाली इस खाईके रहते हुए भी मैं उसके साथ अपने निकटतम सम्बन्धीके समान व्यवहार कर रहा हूँ। मैं उसके माध्यमसे मुसलमानोके साथ अपना ऐक्य स्थापित करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। उसका खयाल है कि 'कुरान' के अनुसार उसके लिए गो-हत्या करना वैध है, जब कि मेरा धर्म मुझे आदेश देता है कि मैं गो-हत्या न करूँ। इन परिस्थितियों-मे मैं कौन हूँ जो उमे कहूँ कि वह गो-हत्या न करे? यदि मैं ऐसा करूँ तो मेरा वह कार्य मेरे धर्मके विरुद्ध होगा। किन्तु मैं उसे प्रेमका पाठ पढाकर जीतना चाहता हूँ। मैं उससे कहूँगा, वल्कि कहता हूँ कि 'कुरान' तुमको मजबूर नहीं करेता कि तुम गो-हत्या करो या गो-मास खाओ। मेरा धर्म न केवल इसकी अनुमति नहीं देता, वल्कि मेरा 'कुरान' मुझे मजबूर करता है कि मैं गायकी पूजा करूँ। तुम चाहे गायकी पूजा न करो, किन्तु यदि मैं गो-मास नहीं खाता तो उसे तुम बुरा तो न मानो, यदि मैं गायकी पूजा करता हूँ तो तुम उसे भी सहन करो। मेरे प्रति मित्रतापूर्ण भावनाके कारण तुम गो-वध करनेसे हाथ रोक सकती हो। उस लडकी गुलनारसे मेरे प्रेम करनेका यही रहस्य है। इसीलिए मैं मौलाना शौकत अलीकी मुट्ठी मैं रहता हूँ। और मैं मालवीयजीका खयाल क्यों नहीं करता? इसका केवल एक कारण है कि उनके प्रति मेरी भक्ति स्वयस्फूर्त है। किन्तु मुसलमानोका मैं विशेष खयाल रखता हूँ। मैं अन्यथा कर भी कैसे सकता हूँ? जब आप मुसलमानोका विशेष खयाल रखेंगे तो आप ठीक निष्कर्षपर पहुँच जायेंगे और इस समस्याका सही हल निकाल लेंगे। यदि कोई कहे "हिन्दुओको क्या करना चाहिए और मुसलमानोको क्या करना चाहिए, आप इस समस्याका हल निकालें। तो मैं कहूँगा, यह प्रत्येक हिन्दूका कर्त्तव्य है कि वह मुसलमानोका विशेष खयाल रखे और प्रत्येक मुसलमानका कर्त्तव्य है कि वह हिन्दुओका विशेष खयाल रखे। मान लीजिए कि मैं देखता हूँ कि एक ऐसा ऋषि है जो ईश्वरको देखने या प्राप्त करनेके लिए एक उपाय अपनाता है और मैं दूसरा उपाय अपनाता हूँ और इसीलिए वह जो-कुछ करता है उसे मैं शकाकी दृष्टिसे देखता हूँ। तब मैं अपने मनमे कहता हूँ कि मुझे उसके दृष्टिकोणके प्रति विशेष सहानुभूति रखनी चाहिए और जब मैं ऐसा कहूँगा, तभी मेरा आचरण न्यायपूर्ण होगा। मैं मुसलमानोसे कहना चाहूँगा कि वे भी ऐसा ही करे—वे हिन्दुओका विशेष खयाल करके चले।

उन्होंने (श्रीमती नायडूने) मुझेसे एक बात और कहनेके लिए कहा है। उस बातका सम्बन्ध उदारदलवालोसे है। "क्या आप उदारदलवालोके बारेमे कुछ कहने जा रहे हैं?" मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मैं उदारदलवालोकी पूजा करता हूँ। जिस प्रकार मैं यह चाहता हूँ कि स्वराज्यवादी कांग्रेसमे आये उसी प्रकार मैं यह भी चाहता हूँ कि उदारदलीय लोग कांग्रेसमे आये। मैंने अपना हृदय उनके सामने

खोलकर रख दिया है। हम चरखेके पास बैठकर सूत कातना चाहते हैं। वे कहते हैं “नहीं, हम चरखा लेकर नहीं बैठना चाहते, हम सूत नहीं कातेगे।” तब मैं अपने आपसे पूछता हूँ “अब मैं क्या करूँ?” यदि वे कहते हैं “हम चरखेको छुयेगे ही नहीं”, तो मैं उन्हें केवल यह कहता हूँ, “आप कांग्रेसमें प्रवेश करे और मुझे उसमें से निकाल बाहर करे।”

अब मेरा भाषण समाप्त होता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप ईश्वरको साक्षी करके जो-कुछ करनेका निर्णय करे, उसे पूरा करे, चाहे इसके लिए आपको मृत्युका वरण ही क्यों न करना पड़े। (तालियाँ)

उनका छपा हुआ भाषण पढा हुआ मान लिया गया। वह नीचे दिया जा रहा है ? १- . . .

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

## ३८२. अध्यक्षीय भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें

२६ दिसम्बर, १९२४

दोस्तों,

आप लोगोंने जो सम्मान मुझे दिया है उसकी जिम्मेवारीको मैंने बहुत पसोपेशके वाद स्वीकार किया है। यह असाधारण मान इस वार आपको श्रीमती सरोजिनी नायडूको देना चाहिए था, जिन्होंने कि केनिया और दक्षिण आफ्रिकामें ऐसा अद्भुत काम किया है। लेकिन ईश्वरको ऐसा मजूर न था। देशके भीतरी और बाहरी घटनाक्रमने मेरे लिए इस बोझको उठाना जरूरी कर दिया। मुझे मालूम है कि जिस ऊँचे पदपर आपने मुझे विठाया है उसकी जिम्मेवारियोंको ठीक अदा करनेकी कोशिशमें आप मेरी पूरी-पूरी मदद करेंगे।

आरम्भमें, मैं इस मौकेपर भारतमें वी-अम्माँ, सर आशुतोष मुखर्जी, वावू भूपेन्द्रनाथ वसु, डाक्टर सुब्रमण्यम अय्यर और श्री दलवहादुर गिरिकी तथा दक्षिण आफ्रिकामें पारसी रुस्तमजी और श्री पी० के० नायडूकी मृत्युपर अपने हार्दिक दुःखको और उनके प्रति अपने आदर-भावको जाहिर करता हूँ और इससे जो दुःख उनके रिश्तेदारोंपर गुजरा है उसके लिए आपकी तरफसे मैं उनके साथ हमदर्दी प्रकट करता हूँ।

### सिंहावलोकन

सितम्बर १९२० से कांग्रेसका उद्देश्य खासकर देशकी भीतरी ताकतको बढ़ाना रहा है। फलत दरखास्तों और अर्जियोंके जरिये अपने दुःख-दर्द दूर करनेका

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. लगता है, यह भाषण १८ दिसम्बरसे पहले ही तैयार कर लिया गया था, देखिए “पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको”, १८-१२-१९२४।

तरीका वह अब छोड़ चुकी है। इसकी वजह यह थी कि उसका यह विश्वास बिलकुल उठ गया था कि वर्तमान शासन-प्रणाली किसी भी अर्थमें लाभकारी है। मुसलमानोंके साथ सरकारने जो वचन-भंग किया उसने लोगोंके विश्वासको पहला सख्त धक्का पहुँचाया। रोलेट कानून और ओ'डायरशाहीने, जो कि अपना रंग जलियाँवाला बागके कत्लेआममें लाई, लोगोंपर इस प्रणाली (निजामकी) की अमलियतका भेद प्रकट कर दिया। उसके साथ ही लोगोंने इस बातको जाना कि इस मौजूदा हुकूमतका दारोमदार उनके नहयोगपर है, फिर चाहे वे यह महयोग अपनी मर्जीमें दे रहे हों या गजबूगन और जान-बूझकर दे रहे हों या अनजाने। इसलिए मौजूदा शासन-प्रणालीको नुसारने या मिटानेके उद्देश्यमें यह तय किया गया कि जिस हदतक लोग अपनी रजामन्दीमें नहयोग कर रहे हैं, उसका हटाना शुरू करनेकी कोशिश करें और उसका प्रारम्भ ऊपरकी श्रेणीमें किया जाये। मन् १९२० में कलकत्तेमें कांग्रेसकी जो साम बैठक हुई थी, उनमें सरकारी मित्तानों, अदालतों, शिक्षालयों, विधानसभाओं और विदेशी वस्तुओंके बहिष्कारके बारेमें प्रस्ताव पास हुए। इन तमाम बहिष्कारोंपर कम या ज्यादा दर्जेतक उन लोगोंने अमल किया जिनका उनमें ताल्लुक था। और जिनके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था या जो इसके लिए राजी नहीं थे, वे कांग्रेसमें अलग हो गये। यहाँ मैं आपके नामने असहयोग आन्दोलनके रंग-विरंगे इतिहासका चित्र नहीं ब्रीचना चाहता। इतना कहना काफी होगा कि यद्यपि किसी भी एक बहिष्कारमें पूरी-पूरी कामयाबी नहीं हुई तो भी उनमें कोई सन्देह नहीं कि जिन-जिन चीजोंका बहिष्कार किया गया, उन सबकी इज्जत लोगोंके दिलोंमें जरूर ही उठ गई।

नवने महत्वपूर्ण बहिष्कार, हिंसाका बहिष्कार था। यद्यपि एक वक्त ऐसा मालूम होने लगा था कि यह पूरी तरह सफल हो गया तथापि थोड़े ही अरसेमें यह पता लग गया कि हमारी अहिंसा बहुत कच्ची बुनियादपर सटी थी। हमारी अहिंसा लाचार लोगोंकी निष्क्रिय अहिंसा थी, न कि हिकमती और जानकार आदमीकी प्रबुद्ध अहिंसा। नतीजा यह हुआ कि जो लोग असहयोग आन्दोलनमें गरीक नहीं हुए वे उनके खिलाफ असहिष्णुताकी लहर चल पडी। यह एक सूधम प्रकारकी हिंसा थी। लेकिन इस भागी त्वामीके होते हुए भी मैं दावेके साथ यह कहता हूँ कि अहिंसाके प्रचारने हिंसाके उस तूफानको रोक दिया जो कि जरूर ही उठ खडा होता, अगर अहिंसात्मक असहयोग शुरू न हुआ होता। बहुत मोच-विचारके बाद मैं इस पक्षकी रायपर पहुँचा हूँ कि अहिंसात्मक असहयोगने लोगोंको अपनी ताकतकी पहचान करा दी है। इसने लोगोंके अन्दर कष्ट-सहनके जरिये प्रतिकार करनेकी छुपी ताकतको जगा दिया है। इसकी वदीलत जनतामें वह जागृति पैदा हो गई है जो कि शायद किसी और तरीकेमें न होती।

इसलिए यद्यपि अहिंसात्मक असहयोग हमें स्वराज्य नहीं दिला सका है, यद्यपि इससे कई खेदजनक नतीजे निकले हैं और यद्यपि जिन चीजोंका बहिष्कार करनेकी कोशिश की गई थी वे अब भी फल-फूल रही हैं तो भी मेरा विनम्र मत है कि अहिंसात्मक असहयोगने अब राजनीतिक आजादी हासिल करनेके एक साधनके तौरपर

जड पकड ली है और उसकी यह आशिक सफलता भी हमे स्वराज्यके नजदीक ले आई है और यह बात सूर्य-प्रकाशकी तरह स्पष्ट हो गयी है कि किसी ध्येयके लिए कष्ट सहनेकी क्षमता हो तो उसका मिलना जरूर आसान हो जाता है।

### कदम थामनेकी जरूरत

लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसी हालत खड़ी हो गई है जो हमे मजबूर करती है कि हम कदम थामे। कारण, यद्यपि असहयोगमे अनेक व्यक्तियोंका विश्वास भी अटल है, किन्तु जिन लोगोका इस आन्दोलनसे सीधा ताल्लुक है, उनमें से अधिकांशका आज विश्वास, एक विदेशी कपडेके बहिष्कारकी बातको छोडकर उससे हट गया है। वीसियो वकीलोने अपनी छोडी हुई बकालत फिरसे शुरू कर दी है। कुछको यह पछतावा भी है कि उन्होने उसे कभी छोडा ही क्यों था। बहुत-से लोग जिन्होने विधानसभाओका बहिष्कार किया था, अब फिर उनमे चले गये है और विधानसभामे विश्वास रखनेवालोकी तादाद बढ़तीपर है। मैकडो लडके-लडकियाँ, जिन्होने सरकारी पाठशालाओको छोड दिया था, अब पछताकर फिर उनमें लौट रहे है। मेरे मुननेमे आया हे कि इन सरकारी स्कूलो और कालेजोमें प्रवेशकी माँग इतनी जबरदस्त है कि वे इन सारे प्रवेशार्थियोंको जगह नही दे पा रहे है। इस हालतमें इन चीजोके बहिष्कारका पालन एक राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमे तबतक नही किया जा सकता, जबतक कि कांग्रेस इन वर्गोको छोडकर अपना काम चलानेके लिए तैयार न हो। लेकिन मै यह मानता हूँ कि आज उन लोगोको कांग्रेसके बाहर रखना उतना ही अव्यवहार्य है जितना कि असहयोगियोंको। यह जरूरी है कि दोनो दल एक-दूसरेके काममे दखल दिये बिना और एक-दूसरेके खिलाफ टीका-टिप्पणी किये बिना कांग्रेसके अन्दर ही रहे। जो सिद्धान्त हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके सवालपर घटित होता है वही इन भिन्न-भिन्न दलोकी पारस्परिक एकतापर भी होता हे। हमे चाहिए कि हम आपसमे सहिष्णुता बढ़ावे और इस बातका यकीन रखें कि समय किसी भी एक दूसरेकी रायका कायल कर देगा, बल्कि हमे इससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमे नरमदलवालोसे तथा उन दूसरे लोगोसे भी जो कि कांग्रेससे अलहदा हो गये है, अनुरोध करना चाहिए कि वे फिर कांग्रेसमे शामिल हो। जो असहयोग मुलतवी हो जाये तो उनके लिए कोई बजह वाकी नही रहती कि वे कांग्रेससे अलग रहे। मगर इस बातमे पहला कदम हम कांग्रेसवालोको उठाना चाहिए। हमे प्रेमपूर्वक उन्हे कांग्रेसमे शामिल होनेके लिए दावत देनी चाहिए और कांग्रेसमे पुन प्रवेशका उनका रास्ता आसान बना देना चाहिए।

मै समझता हूँ कि अब आप समझ गये होंगे कि मैने स्वराज्यवादियोंके साथ समझौता क्यों किया।

### विदेशी कपडेके बहिष्कारका फर्ज

आप लोगोने देखा होगा कि विदेशी कपडेका बहिष्कार बदस्तूर कायम रखा गया है। एक अंग्रेज दोस्तकी भावनाका खयाल करके समझौतेमे बहिष्कार शब्दकी

जगह 'विदेशी कपडा न पहनना' रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं कि वहिष्कार शब्दमें एक बुरी ध्वनि पाई जाती है। आम तौरपर इसमें नफरतका भाव टपकता है। लेकिन जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, उस शब्दका उपयोग मैंने नफरतके मानीमें नहीं किया है। वहिष्कार अंग्रेजी कपडेका नहीं बल्कि विदेशी कपडेका है। इस भावमें वहिष्कार सिर्फ एक हक ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। यह फर्ज उतना ही अहम है जितना कि किसी गैर-मुल्कसे लाये गये पानीका वहिष्कार— अगर वह इस गरजसे मगाया जाये कि हिन्दुस्तानकी नदियोंके पानीके बजाय उसका इस्तेमाल हो। लेकिन यह तो विषयान्तर हुआ जा रहा है।

जो बात मैं आपमें कहना चाहता था वह तो यह है कि मेरे और स्वराज्य-वादियोंके दरम्यान हुए ममझौतेमें विदेशी कपडेके वहिष्कारको सिर्फ कायम ही नहीं रखा गया है, बल्कि उमपर और भी जोर दिया गया है। मेरे नजदीक तो यह तमाम हिंसात्मक उपायोंकी जगह ले सकनेवाला एक प्रभावकारी अहिंसक उपाय है। जिन तरह कि कई बातें, जैसे किमीको गाली देना, बुरी तरह पेश आना, झूठ बोलना, किसीको चोट पहुँचाना या खून करना, ये हिंसाभावकी निशानी हैं, उसी तरह शिष्टता, सौजन्य, सचाई आदि अहिंसा-भावके प्रतीक हैं। वस इमी तरह विदेशी कपडेका वहिष्कार भी मेरे लिए अहिंसाका प्रतीक है। अराजकतावादी लोगोंके हिंसात्मक कार्योंका उद्देश्य सरकारपर दबाव डालना है। लेकिन यह दबाव गुस्से और अदावतके भावोंसे प्रेरित है और उसे एक किस्मका पागलपन कह सकते हैं। मेरा दावा है कि अहिंसात्मक तरीकोंसे जो दबाव डाला जा सकता है वह उस दबावसे कहीं ज्यादा प्रभावकारी होता है, जो हिंसात्मक तरीकोंसे डाला जा सकता है। और इसका कारण यह है कि वह सद्भाव और सौम्यतासे निष्पन्न होता है। विदेशी कपडेके वहिष्कारसे ऐसा ही दबाव पडता है। हमारे देशमें ज्यादातर विदेशी कपडा लकाशायरसे ही आता है और यह आता भी है वकी सब चीजोंसे सर्वाधिक मात्रामें। दूसरा स्थान चीनका है। ब्रिटेनका सबसे बड़ा स्वार्थ भारतके साथ होनेवाली लकाशायरके कपडेकी तिजारतपर ही केन्द्रित है। भारतीय किसान जिन कारणोंसे बरबाद हुए हैं उनमें यह कारण सबसे बड़ा है। इसने उनको अपने सहायक धन्वसे बचित करके उन्हें अशत बेकार बना दिया है। इसलिए अगर हिन्दुस्तानके कृषि-जीवियोंको जिन्दा रखना है तो विदेशी कपडेका वहिष्कार एक जरूरी बात है। इसलिए योजना यह है कि किसानोंको इस सस्ते और आकर्षक विदेशी कपडेको खरीदनेसे इनकार करनेके लिए ही तैयार न किया जाये, बल्कि उन्हें अपने अवकाशके समयमें रुई धुनना, सूत कातना, उस सूतको गाँवके बुनकरोंसे बुनवाना और इस प्रकार तैयार की हुई खादीको पहनना सिखाकर विदेशी कपडेको और विदेशी कपडेको ही बचो, भारतीय कारखानोंके कपडेको भी खरीदनेमें खर्च होनेवाला पैसा बचानेके लिए तैयार किया जाये। इस तरह हाथ-कताई और बुनाई यानी खादीके जरिये किया गया विदेशी कपडेका वहिष्कार न सिर्फ किसानके खर्चकी बचत ही करता है बल्कि कार्यकर्त्ताओंको अब्बल दर्जेकी समाज-सेवा करनेका मौका देता है। यह देहातके लोगोंके साथ हमारा सीधा सम्बन्ध जोडता है।



इसके जरिये हम उन्हें सच्ची राजनीतिक शिक्षा दे सकते हैं और उन्हें अपने पाँवपर खड़े होनेका और अपनी आवश्यकताएँ खुद पूरी करनेका सबक सिखा सकते हैं। इस प्रकार खादी कार्यका सगठन सहकारी समितियोंसे अथवा अन्य किसी प्रकारके ग्राम्य-सगठनसे कितने ही दर्जे बेहतर है। इसके अन्दर भारीसे-भारी राजनीतिक परिणाम छिपे हुए हैं, क्योंकि ऐसा करके हम ब्रिटेनके रास्तेसे सबसे बड़ा अनैतिक प्रलोभन दूर करते हैं। लकाशायरके कपडेके व्यापारको मैं इसलिए अनैतिक कहता हूँ कि उसकी बुनियाद हिन्दुस्तानके करोड़ो खेतिहरोकी तवाहीपर कायम की गई थी और वह अब भी उसीके बलपर जिन्दा है। और चूँकि एक वदी इन्सानको दूसरी वदियोंके लिए प्रेरित करती है, ब्रिटेनके उन वे-शुमार अनीतिमय कामोकी जडमे, जिनकी अनैतिकता साफ-साफ सावित की जा चुकी है, यही एक अनीतिमय व्यापार है। ऐसी हालतमे अगर यह एक बड़ा प्रलोभन हिन्दुस्तान खुद ब्रिटेनके रास्तेसे अपनी कोशिशसे हटा दे तो इसका नतीजा हिन्दुस्तानके लिए नेक सावित होगा, ब्रिटेनके लिए नेक सावित होगा और चूँकि ब्रिटेन दुनियाकी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए सारी मनुष्य जातिके लिए भी नेक सावित होगा।

मैं इस बातको नहीं मानता कि पहले वस्तुओकी माँग होती है और फिर उनकी पूर्ति। बल्कि इसके खिलाफ नीति ओर धर्मका खयाल न रखनेवाले व्यापारी बनावटी तरीकोसे माँगको बढ़ाते हैं और यदि राष्ट्र भी व्यक्तियोंकी तरह नीतिके नियमोसे बँधे हुए है तो उन्हें उन लोगोके कल्याणका लिहाज रखना जरूरी है, जिनकी जरूरते वे पूरी करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, जिन्हे शराबकी लत पड गयी है उनके लिए शराब मुहैया करना किसी भी राष्ट्रके लिए अनुचित और अनीति-युक्त है। और यदि किसी देशमे बाहरी अनाज और वस्त्रके आयातसे खेतीकी पैदावार और कपडेका उत्पादन बन्द होता हो तथा इसके फलस्वरूप वहाँ बेकारी और गरीबी फैलती हो तो जो बात नशीली चीजोके बारेमे लागू होती है वही अन्न और वस्त्रके सम्बन्धमे लागू होगी। कारण, बेकारी और गरीबी भी इन्सानके शरीर और आत्माको वैसा ही नुकसान पहुँचाती है जैसा कि नशीली चीजे। उत्साहका अभाव उत्तेजनाका ही प्रतिरूप है और इसलिए आखिरकार वैसा ही घातक, बल्कि कई बार तो उससे भी अधिक घातक सावित होता है, क्योंकि बेकारी या गरीबीसे उत्पन्न आलस्य और अनुत्साहको हमने अभी एक अनीति और पाप मानना नहीं सीखा है।

### ब्रिटेनका फर्ज

ऐसी हालतमे मैं कहूँगा कि ग्रेट ब्रिटेनका यह फर्ज है कि वह अपने यहाँसे बाहर जानेवाली चीजोकी त्तिजारतको हिन्दुस्तानके हितका समुचित विचार करके नियंत्रित करे। इसी तरह हिन्दुस्तानका भी यह फर्ज है कि वह अपने यहाँ बाहरसे आनेवाली चीजोको अपने हितका विचार करके नियंत्रित करे। वह अर्थशास्त्र गलत है जो नैतिक सिद्धान्तोकी उपेक्षा करता है। अर्थशास्त्रके क्षेत्रमे अहिंसा-धर्मके प्रवेशका इससे कम कोई अर्थ नहीं हो सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके नियमनमे नैतिक मूल्योंको पूरा महत्त्व दिया जाये। और मैं यह माननेको तैयार हूँ कि मेरी महत्त्वाकाक्षा

इससे कम नहीं कि भारतकी कोशिशोंसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंको नैतिक आधार पर प्रतिष्ठित किया जाये। मैं अपना यह विश्वास नहीं छोड़ सकता कि सीमित रूपमें समाजगत अहिंसाका विकास भी सम्भव है। मैं इस बातको नहीं मानता कि मनुष्य-स्वभावका झुकाव हमेशा नीचेकी तरफ ही होता है।

हाथ-कताई या खादीके जरिये विदेशी कपड़ेके सफल बहिष्कारसे हम केवल प्रथम कोटिके प्रचण्ड राजनीतिक परिणामकी ही आशा नहीं रखते, उससे यह अपेक्षा भी है कि हिन्दुस्तानके गरीबसे-गरीब लोगोंको, स्त्रियों और पुरुषों, सभीको अपनी शक्तिका ज्ञान हो जायेगा ताकि देशकी आजादीके सग्राममें वे अपना पूरा हिस्सा लें।

### विदेशी वनाम अंग्रेजी

अंग्रेजी कपड़ेके या जैसा कि कई देशभक्त सुझाते हैं अंग्रेजी मालके बहिष्कारमें हिंसाकी भावना तो स्पष्ट ही है, अतः उसकी तो मैं बात ही नहीं करता। किन्तु मैं समझता हूँ कि अब इतने विवेचनके बाद उसकी व्यर्थता बतानेकी जरूरत भी शायद ही रह गई है। मैं तो बहिष्कारकी बात सिर्फ हिन्दुस्तानके हितको ही दृष्टिमें रखकर कह रहा हूँ। हर किस्मके ब्रिटिश मालसे हमें नुकसान नहीं पहुँचता है। कुछ अंग्रेजी चीजें तो, जैसे किताबें, हमें अपनी बौद्धिक या मानसिक तरक्कीके लिए आवश्यक होती हैं। अब रहा कपड़ा, सो सिर्फ अंग्रेजी कपड़ा ही हमारे लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि तमाम विदेशी कपड़ा और केवल विदेशी कपड़ा ही बयो, देशी मिलोका कपड़ा भी हमें नुकसान पहुँचाता है। साराश यह कि जो लाभ हाथ-कताई और खादी द्वारा किये गये बहिष्कारसे हासिल हो सकता है वह 'येन केन उपायेन' किये गये महज अंग्रेजी कपड़ेके बहिष्कारसे हरगिज नहीं हो सकता। मगर यह तभी हो सकता है जब कि हम तमाम विदेशी कपड़ेका पूरा बहिष्कार कर दे। इस बहिष्कारका हेतु किसीको सजा देना नहीं है, उसकी जरूरत तो राष्ट्रकी हस्तीको कायम रखनेके लिए है।

### आक्षेपोंपर विचार

लेकिन आलोचक कहते हैं कि चरखेके पैगामने लोगोंके दिलोंमें घर नहीं किया, उसमें जोश पैदा करनेकी ताकत नहीं है, यह सिर्फ औरतोका पेशा है, इसके मानी मध्य युगकी दकियानूसी जीवन-पद्धतिकी ओर लौट जाना है। वे कहते हैं कि यह तो विज्ञानने जो शानदार प्रगति की है और यत्र जिसके प्रतीक हैं, उसे रोकनेकी एक फिजूल कोशिश है। मेरी मन्त्र रायमें हिन्दुस्तानको इस समय जोश-खरोश की नहीं, बल्कि ठोस काम करनेकी जरूरत है। करोड़ों लोगोंके लिए तो जोश और ताकत दोनोंका नुस्खा ठोस काम ही है। बात यह है कि अभीतक हमने चरखेको पूरी तौरपर आजमाया ही नहीं है। मुझे अफसोसके साथ कहना पड़ता है कि हममें से कइयोंने तो अभी उसपर सजीदगीके साथ विचार भी नहीं किया है। यहाँतक कि अ० भा० का० कमेटीके भी सब सदस्योंने समय-समयपर अपने ही द्वारा पास किये गये चरखा कातनेके प्रस्तावोंपर अवतक अमल नहीं किया है। हममें से अधिकतर लोग तो

उसमे विश्वास ही नहीं करते। ऐसी हालतमे यह कहना न्यायकी दृष्टिसे ठीक नहीं है कि चरखेकी हलचल, उसके अन्दर जोश दिलानेकी कमीसे असफल हो गई है। और यह कहना कि चरखा महज औरतोका पेशा है — तथ्योसे आँख मूंदना है। आखिर सूत कातनेकी मिले क्या है? वे भी बहुत-से चरखोका एक सग्रह ही तो है। उन्हे पुरूप नहीं तो और कौन चलाते हैं? समय आ गया है कि हम इस भ्रमको छोड़ दे कि कुछ पेशे हम पुरुषोकी शानके खिलाफ है। सामान्य परिस्थितियोमे, बेशक चरखा कातना औरतोका ही काम होगा। मगर हमारी भावी सरकारको हमेशा कुछ आदमी इस कामपर नियुक्त करने होंगे कि वे चरखेमे उसकी घरेलू धन्धेकी हैसियतको दृष्टिमे रखते हुए सुधार करते रहे। मैं आपको यह भी बता दूँ कि जो सुधार चरखेकी वनावटमे आज आप पाते हैं वे मुमकिन न होते, अगर हम पुरुषोमे से कई लोग इस काममे अपनेको न लगाते और दिन-रात इसीकी धुनमे न लगे रहते।

### यन्त्र

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि यन्त्रोके वारेमे मेरे जो विचार बताये जाते हैं उनको आप अपने दिमागसे निकाल डाले। पहली बात तो यह है कि अहिंसामे मेरा विश्वास जिस हदतक है वह सारा-का-सारा राष्ट्रके स्वीकारार्थ पेश नहीं करता उसी तरह मैं यन्त्रोके विषयमे अपने तमाम विचार देशके सामने पेश करनेकी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। चरखा खुद भी यन्त्रकालका एक उत्कृष्ट नमूना है। मेरा सिर उसके अज्ञात आविष्कर्ताके प्रति रोज आदरसे झुक जाता है। मुझे सन्ताप तो इस बातपर होता है कि हिन्दुस्तानके इस एकमात्र घरेलू उद्योगको जो भूखकी बलासे, १,९०० मील लम्बे और १,५०० मील चौड़े क्षेत्रमे फैले हुए लाखो घरोंकी रक्षा करता था, अकारण और क्रूरतापूर्वक बरबाद कर दिया गया।

### कताई-सदस्यता

अब आप इस बातपर ताज्जुब नहीं करेंगे कि मैं क्यों चरखेके पीछे पागल हो गया हूँ और न इस बातपर हैरान होंगे कि मैंने इसे सदस्यताकी शर्तमे क्यों शामिल किया है और क्यों स्वराज्य-दलकी तरफसे देगवन्धु दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूने इसे मजूर किया है। अगर आज मेरा वस चले तो मैं कांग्रेसके सदस्यके रूपमे कांग्रेसके रजिस्टरमे ऐसे एक भी व्यक्तिका नाम दर्ज न होने दूँ जो चरखा कातने पर रजामन्द न हो या जो हर मौकेपर खादीका लिबास न पहने। फिर भी स्वराज्य-दलने जितना-कुछ स्वीकार किया है उसके लिए मैं उसका कृतज्ञ हूँ। शर्तमे जो ढिलाई बरती गयी है वह हमारी कमजोरी या विश्वासकी कमीके खातिर दी गयी रिआयत है। लेकिन इस रिआयतको उन लोगोके लिए, जिनका चरखे और खादीमे पूरा विश्वास है, अपनी कोशिशको और तेज करनेका प्रेरक कारण होना चाहिए।

### कोई दूसरा सन्देश नहीं

मैंने चरखेके वारेमे इतनी सविस्तार चर्चा इसलिए की है कि मेरे पास देशके लिए और कोई बेहतर या दूसरा सन्देश नहीं है। अगर हम सचमुच 'शान्तिमय और

उचित' उपायोसे ही स्वराज्य हासिल करना चाहते हो तो मेरे पास चरखेके सिवा कोई अन्य प्रभावकारी उपाय नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, सिर्फ यही एक हथियार ऐसा है जिसे हिंसात्मक साधनोकी जगह सारा देश स्वीकार कर सकता है। मैं सविनय अवज्ञापर अब भी उसी तरह अटल हूँ। लेकिन जबतक कि हम अपने अन्दर विदेशी कपडेके बहिष्कारकी ताकत पैदा न कर ले, तबतक स्वराज्यके लिए सविनय अवज्ञाका प्रयोग ना-मुमकिन है। अब आप आसानीसे देख सकेंगे कि अगर मेरे चरखा-सम्बन्धी विचार आपको स्वीकार न हो तो मैं कांग्रेसके मार्गदर्शनके लिए किस तरह निकम्मा हो जाऊँगा। सच तो यह है कि मैं चरखेके मूलमे निहित सिद्धान्तकी जो व्याख्या करता हूँ उसे यदि आप गलत मानते हो तो अन्य कुछ मित्रोकी तरह आपका भी यह खयाल करना अनुचित न होगा कि मैं देशकी प्रगतिके मार्गमे बाधक हूँ। अगर आपके दिल और दिमाग इस सिद्धान्तको कबूल न करते हो तो मेरे नेतृत्वको नामजूर न करके आप अपने कर्तव्य-पालनमे चूकेंगे। कही ऐसा न हो कि फिर लोग यह कहे कि हम हिन्दुस्तानियोमे 'ना' कहनेकी ताकत और हिम्मत नहीं है, जैसा कि लॉर्ड विलिंगडनने एक बार कहा था और ठीक कहा था। आप सच मानिए कि अगर मेरी तजवीज आपको कुबूल न हो तो आपका उसे नामजूर कर देना स्वराज्य-प्राप्तिकी दिशामे एक कदम आगे बढ़ना ही होगा।

### हिन्दू-मुस्लिम एकता

हिन्दू-मुस्लिम एकता चरखेसे कम महत्त्व नहीं रखती है। वह तो हमारे राष्ट्रीय जीवनका आधार है। इस मसलेपर आपका ज्यादा समय लेना मैं जरूरी नहीं समझता। क्योंकि स्वराज्य हासिल करनेके लिए उसकी जरूरतके प्राय सब लोग कायल है। 'प्राय' शब्दका प्रयोग मैंने जान-बूझकर किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ हिन्दू और मुसलमान ऐसे भी हैं जो हिन्दुस्तानमे अगर अकेले हिन्दुओ या अकेले मुसलमानोका राज्य कायम न हो सके तो ब्रिटेनके अधीन गुलामीकी मौजूदा हालतको तरजीह देगे। खुशीकी बात है वे इने-गिने ही हैं।

मौलाना शौकत अलीकी तरह मैं भी बहुत दृढतापूर्वक यह मानता हूँ कि यह मौजूदा तनाजा एक चन्द्ररोजा वीमारी है। खिलाफत आन्दोलनने जिसमे हिन्दू और मुसलमान दोनो कन्धेसे-कन्धा भिडाकर लडे और उसके बाद शुरू हुए असहयोग आन्दोलनने गफलतकी नीदमे सोई हुई जनताको जगा दिया। इससे विशिष्ट वर्गोमे और सामान्य जनतामे एक नई चेतना प्रगट हुई है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी खुद-गरज लोग थे जिन्हे असहयोगके उत्कर्षके दिनोमे निराश होना पडा था। अब असहयोगमे से नवीनताका आकर्षण निकल गया है तो उन्हे अवसर मिल गया है और वे दोनो कौमोकी धार्मिक अन्धता और खुदगर्जीसे फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसका कुफल हम पिछले दो वर्षोके इतिहासमे स्पष्ट देख सकते हैं। मजहबको उन्होने उपहासकी वस्तु बना दिया है। छोटी-छोटी निकम्मी बातोको बढाकर मजहबी उसूलोके दर्जेपर चढा दिया है और मजहबी दीवाने यह दावा पेश करने लगे हैं कि उनका पालन करना हर सूरतमे लाजिमी है। लोगोमे झगडे करानेके लिए

आर्थिक और राजनीतिक कारणोंका उपयोग किया गया है। कोहाटमें तो ये हरकतें चरम सीमाको पहुँच गईं। स्थानीय हाकिमोंकी हृदयहीन उपेक्षाने उस दुर्घटनाको और भी दुखदायी बना दिया। उसके कारणोंकी छानबीन करने या किसीको कुसूरवार ठहरानेमें मैं वक्त सर्फ नहीं करना चाहता। मैं ऐसा चाहूँ भी तो मेरे पास इसके लिए काफी मसाला नहीं है। बस इतना ही कहना काफी होगा कि कोहाटके हिन्दू अपनी जान बचानेके लिए वहाँसे भाग निकले। कोहाटमें मुसलमान बहुत भारी तादादमें बसते हैं और एक विदेशी सत्ताके अधीन जितना सम्भव है उस हदतक वहाँ उनका प्रभावकारी राजनीतिक नियन्त्रण भी है। इसलिए अब यह दिखाना उनका काम है कि हिन्दू भी उनकी बहुसंख्याके बीच उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि अगर कोहाटमें तमाम हिन्दू ही बसे होते तो वे होते। कोहाटके मुसलमानोंको तबतक चैन न लेना चाहिए जबतक कि वे एक-एक शरणार्थी हिन्दूको कोहाटमें वापस नहीं ले जाते। मैं उम्मीद करता हूँ कि हिन्दू सरकारके विछाये जालमें न फँसेगे और दृढताके साथ तबतक कोहाट लौटनेसे इनकार करते रहेगे जबतक कि वहाँके मुसलमान उनके जानो-मालकी हिफाजतका पूरा-पूरा यकीन दिलाकर उन्हें न बुलावे।

हिन्दू लोग सिर्फ उसी हालतमें मुसलमानोंकी भारी आवादीमें रह सकते हैं जबकि मुसलमान मित्रता और वरावरीके आधारपर उन्हें ससम्मान बुलाने और अपने पास रखनेके लिए तैयार हो और यही बात मुसलमानोंके लिए भी लागू होती है। अगर उनकी संख्या कम हो और हिन्दुओंकी ज्यादा हो तो उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीवन वितानेके लिए हिन्दुओंके दोस्ताना सलूकपर ही अपना दारोमदार रखना होगा। कोई सरकार चोर-डाकुओंसे तो अपनी प्रजाकी रक्षा कर सकती है। यदि एक जाति दूसरी सारी जातिका सम्पूर्ण बहिष्कार कर दे तो उससे उसकी रक्षा हमारी अपनी सरकार भी नहीं कर सकेगी। सरकारें कभी-कभी पैदा हो जानेवाली असामान्य परिस्थितियोंसे निपट सकती हैं, किन्तु जब लडाई-झगड़े जीवनकी सामान्य परिस्थिति बन जाये तब ऐसी हालतको गृह-युद्ध कहेगे और ऐसी हालतमें दोनों दलवाले आपसमें लडकर ही निपटारा कर सकते हैं। मौजूदा सरकार एक विदेशी सरकार है, उसका शासन वस्तुतः प्रच्छन्न रूपमें सैनिक शासन ही है और इसलिए वह अपने पास इतना साजो-सामान तैयार रखती है कि जिसके बलपर वह, हम उसके खिलाफ चाहे जितनी ताकत जुटाये, अपनी हिफाजत कर सकती है। और इसलिए उसकी इतनी ताकत भी जरूर है कि अगर वह चाहे तो हमारे साम्प्रदायिक झगड़ोंको भी रोक सकती है। मगर लोकप्रिय होनेका थोडा भी दावा रखनेवाली किसी स्वराज्य-सरकारको युद्ध-स्तरपर न तो सगठित किया जा सकता है और न कायम रखा जा सकता है। स्वराज्य-सरकारका अर्थ है ऐसी सरकार जिसकी स्थापना हिन्दुओं, मुसलमानों और अन्य लोगोंने स्वेच्छापूर्वक आपसमें मिलकर की हो। अगर हिन्दू और मुसलमान स्वराज्य चाहते हों तो उन्हें अपने भेद-भाव आपसमें मिल-जुलकर तय करने होंगे।

दिल्लीमें जो एकता-सम्मेलन हुआ था उसने हमारे साम्प्रदायिक मतभेदोंको तय करनेका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। और सर्वदलीय परिषद्की समितिसे यह उम्मीद

की जाती है कि वह और बातोंके साथ महज हिन्दुओं और मुसलमानोंके ही नहीं, बल्कि देशके तमाम वर्गों, जातियों और सम्प्रदायोंके राजनीतिक मतभेदोंको हल करनेका कोई व्यावहारिक और उचित हल खोज निकालेगी। इसमें हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी पद्धति जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर दी जाये। मतदाता मण्डल मिले-जुले हों और वे सिर्फ गुण और योग्यताके आधार पर निष्पक्ष होकर अपने प्रतिनिधियोंको चुने। इसी तरह हमारी नीकरियोंमें भी निष्पक्ष भावसे सबसे ज्यादा योग्य स्त्री-पुरुष ही भरती किये जाने चाहिए। लेकिन जबतक कि वह दिन नहीं आता और जातिगत द्वेष और पक्षपातके भाव अतीतकी वस्तु नहीं बन जाते तबतक जो अल्प-संख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदायोंकी नीयतको गककी नजरसे देखते हों, उन्हें अपनी मर्जीके मुताबिक चलनेकी छूट होनी चाहिए और बहुसंख्यक समुदायोंको इस वारेमें स्वार्थ-त्यागका उदाहरण पेश करना चाहिए।

### अस्पृश्यता

अस्पृश्यता स्वराज्यके मार्गमें दूसरी बाधा है। स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए जैसी अनिवार्य आवश्यकता हिन्दू-मुस्लिम एकताकी है वैसी ही अस्पृश्यता-निवारणकी भी है। यह प्रश्न मुख्यतः हिन्दुओंसे सम्बन्धित है और जबतक हिन्दू दलित वर्गोंको उनकी स्वतन्त्रता नहीं दे देते तबतक न तो उन्हें स्वराज्य माँगनेका कोई हक है और न वे उसे पा ही सकते हैं। उन्हें दवाकर हिन्दू स्वयं अवोगतिको प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार हमें बताते हैं कि अंग्रेज आक्रमणकारियोंने हमसे जैसा व्यवहार किया है, यदि उससे बुरा नहीं तो बिल्कुल वैसा ही बुरा व्यवहार आर्य आक्रमणकारियोंने भारतके मूल वासियोंसे किया था। यदि ऐसी बात है तो हमारी मौजूदा गुलामी हमारे द्वारा अस्पृश्य वर्गोंके निर्माणका उचित दण्ड ही है। इस कलकको हम जितनी जल्दी धो डालें हिन्दुओंके लिए उतना ही हितकर होगा। किन्तु हमारे धर्माचार्य कहते हैं कि अस्पृश्यता तो विविका विधान है। मैं यह दावा करता हूँ कि मुझे हिन्दू-धर्मकी कुछ जानकारी है। मुझे निश्चय है कि हमारे धर्माचार्योंका यह कथन ठीक नहीं है। यह कहना ईश्वरकी निन्दा करना है कि ईश्वरने मानव-जातिके एक वर्गको अस्पृश्य बनाया है और जो हिन्दू कांग्रेसमें हैं, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इस भेदभावकी दीवारको जल्दीसे-जल्दी तोड़ दें। वाइकोमके सत्याग्रही हमें मार्ग दिखा रहे हैं। वे नम्रता और दृढतासे अपनी लड़ाई चला रहे हैं। उनमें धैर्य, साहस और आस्था है। जिस आन्दोलनमें ये गुण प्रकट होते हों वह अदम्य बन जाता है।

किन्तु आजकल राजनीतिक स्वार्थकी पूर्तिके लिए दलित वर्गोंके दुरुपयोगकी जो वृत्ति दिखाई देती है, मैं अपने हिन्दू भाइयोंको उससे सावधान करना चाहता हूँ। अस्पृश्यता-निवारणका कार्य एक प्रायश्चित्तका कार्य है। यह प्रायश्चित्त करना हिन्दुओंका हिन्दू धर्मके और अपने प्रति कर्तव्य है। जरूरत अस्पृश्योंको शुद्ध करनेकी नहीं है बल्कि कथित उच्च वर्गोंको शुद्ध करनेकी है। अस्पृश्योंमें ऐसी कोई बुराई नहीं है जो केवल उन्हींमें पाई जाती हो। वे दूसरोंसे अधिक मँले-कुचँले और गन्दे भी नहीं रहते। बात यह है कि हम बहुत घमण्डी हैं और हमारे इस घमण्डने हमें अपने

दोषोके प्रति अन्या वना दिया है। इसी कारण हमे दलित भाइयोके, जिन्हे हमने कुचला है और अब भी कुचल रहे है, छोटे दोष भी बडे दिखाई देते है। राष्ट्रोकी तरह धर्म भी कांटेपर तोले जा रहे है। ईश्वरकी कृपा और ईश्वरीय ज्ञानपर किसी एक प्रजाति या राष्ट्रका इजारा नही है। वे तो जो ईश्वरकी भक्ति करते है, उन सभीको मिलते है। जिस धर्म और राष्ट्रका विश्वास, अन्याय, असत्य अथवा हिंसामें है, वह धर्म और राष्ट्र इस पृथ्वी-तलसे मिट जायेगा। ईश्वर प्रकाश है, अन्धकार नही। ईश्वर प्रेम है, घृणा नही। ईश्वर सत्य है, असत्य नही। ईश्वर ही महान् है। उसके बनाये हम सब प्राणी धूलके समान तुच्छ है। हमे विनम्र बनना चाहिए और यह मानना चाहिए कि इस पृथ्वीपर ईश्वरके बनाये हुए तुच्छसे-तुच्छ प्राणीके लिए स्थान है। कृष्णने चिथडे पहने हुए सुदामाका अनुपम सम्मान किया था। प्रेम धर्म अथवा त्यागका मूल है और यह नश्वर शरीर अभिमान अथवा अधर्मका मूल है, यह तुलसीदासजीकी उक्ति है। हमे स्वराज्य मिले या न मिले, हिन्दुओको तो आत्मशुद्धि करनी ही होगी। तभी वे वैदिक-धर्मके तत्त्वोके पुनरुज्जीवनकी और उन्हे वास्तविक रूप देनेकी आशा कर सकते है।

### स्वराज्यकी योजना

किन्तु चरखा, हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारण तो उद्देश्यकी सिद्धिके साधन-मात्र है। हम उद्देश्यको नही जानते। मेरे लिए तो साधनको जानना ही पर्याप्त है। मेरे जीवन-दर्शनमे साधन और साध्यमे भेद नही है, जो साधन है वही साध्य भी है। किन्तु बाबू भगवानदास कहते है कि लोगोको उद्देश्यका अनिश्चित नही, बल्कि निश्चित ज्ञान होना चाहिए, और जैसा कि मैं जाहिर कर चुका हूँ, मुझे उनका यह विचार मान्य है। सारा भारत जिस स्वराज्यको लेना चाहता है, और जिसके लिए उसे लडना चाहिए, लोगोकी उस स्वराज्यकी पूरी परिभाषा अथवा योजनाका ज्ञान होना चाहिए। सौभाग्यसे सर्वदलीय परिपदने जो समिति नियुक्त की है, उसको यह काम सोप दिया गया है। हमे यह आशा करनी चाहिए कि यह समिति एक ऐसी योजना तैयार कर सकेगी जो सब दलोको मान्य होगी। क्या मैं इस समितिके विचारार्थ निम्न मुद्दे रख सकता हूँ ?

१ सदस्यताकी योग्यता न तो सम्पत्ति होनी चाहिए और न पद, बल्कि ऐसा शारीरिक श्रम होना चाहिए जैसा उदाहरणार्थ काग्रेसकी सदस्यताके लिए सुझाया गया है। शैक्षणिक अथवा साम्प्रतिक कसौटी भ्रामक सिद्ध हुई है। जो लोग सरकारमे और राज्यके कल्याणमे भाग लेना चाहते है, उन सबको शारीरिक श्रमसे अवसर मिलता है।

२ विनाशकारी सैनिक खर्च घटा देना चाहिए और सामान्य समयमे जीवन और सम्पत्तिकी रक्षाके लिए जितना रखना आवश्यक हो उतना ही रखना चाहिए।

३ न्याय-वितरणकी व्यवस्था सस्ती होनी चाहिए और इस उद्देश्यको ध्यानमें रखकर अपीलकी अन्तिम अदालत लन्दनमें नहीं, बल्कि दिल्लीमें होनी चाहिए। दीवानी मुकदमोंमें वादियों और प्रतिवादियोंको ज्यादातर अपने मुकदमे पच-फैसलेके लिए सोपने-पर मजबूर किया जाना चाहिए। इन पचायतोंके फैसले भ्रष्टाचारके मामलों अथवा कानूनके स्पष्ट दुरुपयोगके मामलोंको छोड़कर अन्तिम होने चाहिए। बीचकी अदालतोंकी सख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रमाण-विधि (केस लॉ) खतम होनी चाहिए और सामान्य प्रक्रिया सरल बना दी जानी चाहिए। हमने अग्रेजोंकी बोझिली और जीर्ण-शीर्ण प्रक्रियाकी आँख मूँदकर नकल की है। उपनिवेशोंके लोग इस प्रक्रियाको सरल बनाते जा रहे हैं, जिससे वादियों और प्रतिवादियों—दोनोंके लिए अपने मुकदमोंकी पैरवी करना आसान हो जाये।

४ शराबसे और नशीली चीजोंसे होनेवाली आमदनी बन्द कर दी जानी चाहिए।

५ असैनिक और सैनिक सेवाओंके वेतन देशकी सामान्य अवस्थाको देखते हुए नीचे स्तरपर निर्धारित किये जाने चाहिए।

६ प्रान्तोंका विभाजन नये सिरेसे भाषाके आधारपर किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रान्तको अपने आन्तरिक विकास और शासनके मामलोंमें यथासम्भव अधिकसे-अधिक स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए।

७ विदेशियोंको दिये गये सारे इजाराकी जाँचके लिए एक आयोग नियुक्त किया जाये और उस आयोगकी जाँचके परिणामोंको ध्यानमें रखते हुए न्यायपूर्वक प्राप्त समस्त निहित हकोंके संरक्षणका पूरा आश्वासन दिया जाये।

८ देशी राज्योंके राजाओंको उनके दर्जेके सम्बन्धमें पूरा आश्वासन दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार इसमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डालेगी। किन्तु इन राज्योंके उन प्रजाजनोको, जिन्होंने दण्ड विधानके विरुद्ध कोई अपराध न किया हो, स्वराज्य-प्राप्त भारतमें आश्रय लेनेका अधिकार रहे।

९ सब मनमाने अधिकार खतम किये जाये।

१० ऊँचेसे-ऊँचे स्थान उन लोगोंके लिए जो अन्य प्रकारमें योग्य हो, खुले होने चाहिए। शासनिक और सैनिक नौकरियोंकी परीक्षा भारतमें हो।

११ विभिन्न सम्प्रदायोंको पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता हो। लेकिन इस गतके साथ कि वे एक-दूसरेके प्रति सहिष्णुताका वरताव करे।

१२ प्रान्तीय सरकारों, विधानसभाओं और न्यायालयोंकी सरकारी भाषा एक निश्चित कालके भीतर उस प्रान्तकी देशी भाषा बना दी जाये, अपीलकी अन्तिम अदालत—प्रिवी कौंसिल—की भाषा हिन्दुस्तानी हो, उसकी लिपि देवनागरी अथवा फारसी हो। केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय विधानसभाकी भाषा भी हिन्दुस्तानी हो। राष्ट्रोंके बीच कूटनीतिकी भाषा अग्रेजी रहे।

मैं जैसा स्वराज्य चाहूँगा, उसकी कुछ-एक शर्तोंकी एक मोटी रूप-रेखा मैंने ऊपर बताई है। हो सकता है आप लोगोंको लगे कि यह तो अनर्गल कल्पना है। फिर भी मेरा विश्वास है कि आप लोग उसपर हँसते नहीं। मैंने जिन बातोंका उल्लेख किया है उनको लेने अथवा कार्य-रूप देनेकी शक्ति आज हममें न हो।



किन्तु क्या उनको लेने या करनेकी इच्छा-शक्ति हममें है? हमारे मनमें कमसे-कम उसकी इच्छा तो पैदा होनी चाहिए। यह विषय काल्पनिक होनेके कारण अत्यन्त लुभावना है। इसे समाप्त करनेसे पहले स्वराज्यकी योजना बनानेवाली समितिको मैं यह आश्वासन दे दूँ कि मैं यह नहीं चाहता कि समिति मेरे सुझावोंपर अन्य किसी भी व्यक्तिके सुझावोंकी अपेक्षा अधिक ध्यान दे। मैंने अपने भाषणमें उनको केवल इस विचारसे सम्मिलित कर लिया है कि इस तरह उनका प्रचार अन्यथा कदाचित् जितना होता उसकी अपेक्षा अधिक हो सकेगा।

### स्वतन्त्रता

इस रूप-रेखामें यह बात मान ली गई है कि ब्रिटेनसे हमारा सम्बन्ध पूर्ण सम्मानजनक और पूरी तरह समान शर्तोंपर कायम रहेगा। किन्तु मैं जानता हूँ कि कांग्रेस-जनोमें एक ऐसा वर्ग है जो हर हालतमें ब्रिटेनसे पूर्णतः स्वतन्त्र होना चाहता है। यह वर्ग बराबरीकी साझेदारी भी नहीं रखना चाहता। मेरी रायमें ब्रिटिश सरकार जो-कुछ कहती है, वैसा ही यदि करना भी चाहती है और हमें समान बनानेमें सच्चे दिलसे सहायता देना चाहती है तो ब्रिटेनसे पूर्णतः सम्बन्ध तोड़ लेनेकी अपेक्षा यह अधिक बड़ी सफलता होगी। इसलिए मैं साम्राज्यके भीतर स्वराज्य लेनेका उद्योग करना चाहता हूँ, किन्तु यदि ब्रिटेनके दोषके कारण उससे सम्बन्ध तोड़ लेना आवश्यक हुआ तो मैं पूर्णतः सम्बन्ध तोड़नेमें भी नहीं झिझकूँगा। यदि ऐसा हो तो मैं ब्रिटेनसे अलग होनेकी जिम्मेदारी अंग्रेज लोगोंपर ही डालूँगा। इस समय सप्ताहके ज्यादा समझदार लोग चाहते हैं कि ऐसे पूर्ण स्वतन्त्र राज्य न हो जो एक दूसरेसे लड़ते रहे, बल्कि मित्रताके आधारपर अन्योन्याश्रयी राज्योंका सघ बनाया जाये। यह स्थिति दूर हो सकती है। मैं अपने देशके लिए कोई बड़ा दावा नहीं करना चाहता। किन्तु यदि हम स्वतन्त्रताकी अपेक्षा सबके साथ उक्त आधारपर सहयोगकी तैयारी दिखाये तो यह कोई बहुत बड़ा अथवा असम्भव दावा नहीं है। यह बात कहनी है तो ब्रिटेन ही कहे कि वह भारतसे सच्ची मित्रताका सम्बन्ध नहीं रखना चाहता। मैं यह चाहता हूँ कि स्वतन्त्रतापर आग्रह किये बिना हम पूर्ण स्वतन्त्रताकी शक्ति हासिल करें। जबतक ब्रिटेन यह कहता है कि उसका उद्देश्य भारतको साम्राज्यके भीतर पूर्ण समानता देना है तबतक मैं जो भी योजना बनाऊँगा उसमें मंत्रीकी बात रहेगी, मंत्रीको छोड़कर स्वतन्त्रताकी नहीं। मैं प्रत्येक कांग्रेस-जनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह हर हालतमें स्वतन्त्रताका आग्रह न करे। इसका कारण यह नहीं कि स्वतन्त्रता लेना कुछ असम्भव है, बल्कि इसका कारण यह है कि जबतक यह बात विलकुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि ब्रिटेन जो-कुछ कहता है उसके बावजूद वह वास्तवमें हमें गुलाम रखना चाहता है तबतक ऐसा करना नितान्त अनावश्यक है।

### स्वराज्यवादी दल

यहाँतक तो मैंने अपने और स्वराज्यवादियोंके बीच हुए समझौतेकी शर्तों तथा उससे उठनेवाले सवालियोंपर अपने विचार प्रकट किये। स्वराज्यवादी दलको कांग्रेसमें



कायल कर सकेगी। मेरी तुच्छ सम्मतिमें अपरिवर्तनवादी भी शुद्ध हृदयसे इस समझौतेके हकमें राय दे सकते हैं। जिस राष्ट्रीय कार्यक्रमपर देशके तमाम दलोको मिलकर काम करना है, वह सिर्फ खादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिन्दुओंके बीच अस्पृश्यता-निवारणका ही कार्यक्रम है। और क्या यही वे बातें नहीं हैं, जिन्हें वे सब करना चाहते हैं ?

### विशुद्ध सामाजिक सुधार ?

इसपर कुछ लोगोका कहना है कि इस कार्यक्रमके मजूर करनेसे कांग्रेस विशुद्ध रूपसे एक समाज-सुधारक सस्था बन जायेगी। मैं इस रायसे सहमत नहीं हूँ। स्वराज्यके लिए जो-जो बातें निहायत जरूरी हैं, वे महज सामाजिक बातें नहीं हैं। उनका महत्त्व उससे कहीं अधिक है और कांग्रेसको उन्हें जरूर अपनाना चाहिए। इसके अलावा, यह तो किसीने नहीं कहा है कि कांग्रेस अपनी तमाम शक्ति हमेशा सिर्फ इसी काममें लगाती रहे। हाँ, यह मशा अवश्य है कि कांग्रेस आगामी वर्षमें अपनी तमाम शक्ति रचनात्मक कार्यमें, जिसे मैंने आन्तरिक विकासका कार्य कहा है, लगा दे।

और यह बात भी नहीं कि कांग्रेसको इस समझौतेमें जिन रचनात्मक कार्योंका उल्लेख है सिर्फ उन्हींको हाथमें लेना चाहिए। जिन कार्योंकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वे भी बड़े महत्त्वके हैं, लेकिन चूँकि उनके बारेमें कोई मतभेद नहीं है और वे स्वराज्य-प्राप्तिके लिए उक्त तीन कार्योंकी तरह नितान्त आवश्यक नहीं हैं, इसलिए समझौतेमें उनका जिक्र नहीं किया गया है।

### राष्ट्रीय शालाएँ

ऐसा एक कार्य है, राष्ट्रीय शालाओंको कायम रखना। शायद जनताको वह बात मालूम न हो कि खादीके बाद जिस काममें सबसे अधिक सफलता मिली है, वह राष्ट्रीय शिक्षण सस्थाओंको चलानेका काम ही है। जबतक थोड़े भी विद्यार्थी रहेंगे, ये सस्थाएँ बन्द नहीं की जा सकती। ऐसे स्कूलों और कालेजोंको रखना प्रत्येक प्रान्तको अपने लिए प्रतिष्ठानका प्रश्न बना लेना चाहिए। असहयोग मुलतवी कर देनेका इन सस्थाओं-पर कुछ भी बुरा असर न होना चाहिए। बल्कि इन्हें कायम रखने और इनकी स्थिति मजबूत बनानेके लिए पहलेसे भी ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। अधिकांश प्रान्तोंके अपने-अपने राष्ट्रीय स्कूल और कालेज हैं। अकेले गुजरातमें एक ऐसा राष्ट्रीय विद्यापीठ है जिसपर सालाना १,००,००० रुपया खर्च किया जाता है और जिसके अधीन ३ कालेज और ७० स्कूल चल रहे हैं, जिनमें ९००० विद्यार्थी हैं। अहमदाबादमें उसने अपने लिए जमीन भी खरीद ली है और मकान बनवानेमें २,०५,३२३ रुपये खर्च कर चुका है। सारे देशमें चुपचाप सबसे अच्छा काम इन असहयोगी विद्यार्थियोंने ही किया है। उन्होंने बहुत अधिक और उच्च कोटिका त्याग किया है। दुनियावी खयालमें शायद उन्होंने अपने गानदार भविष्यको नष्ट कर दिया है। पर मैं उनसे कहूँगा कि राष्ट्रीय दृष्टिसे उन्हें नुकसानके बनिस्वत फायदा ही अधिक हुआ है। उन्होंने सरकारी विद्यालयोंको इसलिए छोड़ा कि उन्हींके जरिये पजाबमें हमारे देशके युवकोंको अपमानित और तिरस्कृत किया गया था। इन्हीं सस्थाओंमें हमारी गुलामीकी जजीरकी

पहली कड़ी तैयार की जाती है। इधर हमारी राष्ट्रीय शिक्षण सस्थाएँ, चाहे इनका प्रबन्ध और संचालन कितना भी ढीला हो, उन कारखानोंकी तरह हैं जहाँ हमारी आजादीके पहले हथियार ढाले जाते हैं। आखिरकार इन राष्ट्रीय सस्थाओंमे पढनेवाले लडकों और लडकियोंपर ही तो हमारी भविष्यकी आशा टिकी हुई है। इसलिए मैं इन राष्ट्रीय सस्थाओंको कायम रखना प्रान्तोंकी सवमे पहली जिम्मेवारी मानता हूँ। लेकिन ये राष्ट्रीय सस्थाएँ तभी सच्ची राष्ट्रीय सस्थाएँ हो सकती हैं जब वे हिन्दू-मुस्लिम एकताको उत्तेजन देनेवाले केन्द्र बन जायें। इसी तरह उन्हें हिन्दू लडकों और लडकियोंमे अस्पृश्यताको हिन्दूधर्मका कलक और मानवताके प्रति अपराध माननेकी भावना जागृत और पीपित करनी चाहिए। इन्हे कुगल कतैये और बुनकर तैयार करनेवाले प्रशिक्षण केन्द्रोंका काम करना चाहिए। अगर चरखे और खादीकी गकितमे कांग्रेसका विश्वास कायम रहता है, तो इन सस्थाओंसे क्रमशः कताईका एक पूरा शास्त्र तैयार कर देनेकी आशा रखना भी अनुचित न होगा। इन्हे खादी तैयार करनेवाले कारखानेका भी काम करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि इन लडके-लडकियोंको किसी प्रकारकी कितावी शिक्षा न दी जाये। पर मैं ऐसा अवश्य मानता हूँ कि दिमागी तालीमके साथ-साथ हाथ और हृदयकी शिक्षा भी मिलनी चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय विद्यालयकी खूबी और उपयोगिताकी परख उसके छात्रोंकी महान् साहित्यिक उपलब्धियोंमे नहीं, बल्कि इस बातसे होगी कि उसके छात्रोंमे राष्ट्रीय चरित्रका निर्माण कितना है, उनमे बुनकी, चरखा और करवा चलानेकी कितनी निपुणता आई है। इसलिए एक ओर जहाँ मैं इस बातके लिए बडा उत्सुक हूँ कि कोई भी राष्ट्रीय विद्यालय बन्द न हो, वहाँ दूसरी ओर मुझे उस पाठशालाको बन्द करनेमे जरा भी हिचकिचाहट न होगी, जो गैर-हिन्दू लडकोंको भरती करनेकी ओरसे उदासीन हो या जिसने अछूत बालकोंके लिए अपने दरवाजे बन्द कर रखे हो अथवा जिसमें धुनना और कातना शिक्षाके अनिवार्य विषय न हो। अब वह समय चला गया जब हम पाठशालाके साइन-बोर्ड पर सिर्फ "राष्ट्रीय" शब्द पढकर और यह जानकर कि उसका किसी भी सरकारी विद्यालयसे सम्बन्ध नहीं है और उसकी व्यवस्थामे सरकारका कुछ भी हाथ नहीं है, सन्तोष मान सकते हैं। मुझे यहाँ इस बातकी ओर भी इशारा कर देना चाहिए कि बहुतेरी राष्ट्रीय सस्थाओंमे आज भी देगी भाषाओं तथा हिन्दुस्तानीके प्रति उपेक्षा रखनेकी प्रवृत्ति देखी जाती है। बहुत-से शिक्षक देशी भाषाओं या हिन्दुस्तानीके माध्यमसे शिक्षा देनेकी आवश्यकता समझ नहीं पाये हैं। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी होती है कि श्री गगाधररावने राष्ट्रीय शिक्षा-शास्त्रियोंकी एक बैठकका आयोजन किया है, जिसमे मेरी बताई अनेक बातोंके सम्बन्धमे सब एक-दूसरेको अपने-अपने अनुभव बतायेंगे और सम्भव हुआ तो शिक्षा और कार्यके लिए एक सर्वसामान्य योजना भी तैयार करेगे।

### बेकार असहयोगी

राष्ट्रके आह्वानपर जिन बकीलोंने बकालत छोड़ दी और जिन शिक्षकों और दूसरे सरकारी नौकरोंने अपनी सरकारी नौकरियाँ छोड़ दी, मैं समझता हूँ, उनका उल्लेख

करनेका प्रसंग अब आ गया। मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुतसे लोग हैं, जिन्हें अपनी गुजर करना मुश्किल हो रहा है। वे हर तरहसे राष्ट्रकी ओरसे सहायता पानेके योग्य हैं। दो ऐसे काम हैं—एक तो खादी बोर्डका और दूसरा राष्ट्रीय स्कूलों और कालेजोंका काम—जिनमें सीखने और मेहनत करनेको तत्पर तथा थोड़ेमे सन्तोष करनेवाले, असत्य ईमानदार और उद्यमी लोगोंको खपा लेनेकी क्षमता है। मैं देखता हूँ कि लोगोंमें राष्ट्रीय सेवाके निमित्त विना कुछ लिए काम करनेकी प्रवृत्ति है। उनकी अवैतनिक काम करनेकी इच्छा, निस्सन्देह, सराहनीय है, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। हर श्रमिक अपने श्रमके मूल्यका अधिकारी है। कोई भी देश अपना सारा समय देनेवाले अवैतनिक कार्यकर्ता हज़ारोंकी तादादमें पैदा नहीं कर सकता। इसलिए हमें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें कोई भी देश-सेवक देगकी सेवा करने और उसके बदले वेतन स्वीकार करनेमें अपनी इज्जत समझे।

### नशीली चीजें

राष्ट्रीय महत्त्वका एक और विषय है अफीम और गरावका व्यापार। मद्यपान-निवारणके प्रति सन् १९२१ में देशमें उत्साहकी जो लहर इस छोरसे उस छोरतक फैली हुई थी, वह यदि शान्तिपूर्ण बनी रहती तो इस क्षेत्रमें आज हमें दिन-ब-दिन प्रगति देखनेको मिलती। लेकिन दुर्भाग्यसे हमारी धरनेदारीमें हिंसाकी वृत्ति आ गई। जहाँ इसने खुली हिंसाका रूप नहीं लिया, वहाँ भी यह भीतर-ही-भीतर हिंसात्मक हो उठी थी। इसलिए धरना देना बन्द कर देना पडा और अफीम तथा गरावकी दुकानें फिर पहलेकी तरह फूलने-फलने लगी। लेकिन यह सुनकर आपको खुशी होगी कि मद्यपान-निवारणका काम विलकुल बन्द नहीं हो गया है। बहुत-से कार्यकर्ता आज भी चुपचाप निस्वार्थ भावसे इस काममें लगे हुए हैं। इतना होते हुए भी हमें यह जान लेना चाहिए कि जबतक स्वराज्य न मिलेगा, हम इस बुराईको दूर न कर सकेंगे। हमारे लिए यह कोई गर्वकी बात नहीं है कि ऐसे अनीतिमूलक कार्योंकी आमदनीसे हमारे बच्चोंको शिक्षा दी जाती है। कौंसिलोंमें जानेवाले सदस्य यदि साहस दिखाकर इस आमदनीको विलकुल ही बन्द करा दे तो मैं उन्हें विधान-सभाओंमें जानेके लिए लगभग माफ कर दूंगा। इसके परिणामस्वरूप अगर शिक्षण सस्थाओंको पैसे न मिले, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन यदि उसी अनुपातमें फौजी खर्चमें कमी करानेपर आग्रह रखेंगे तो शिक्षा सस्थाओंको भी ऐसी किसी कठिनाईका सामना न करना पड़ेगा।

### बंगालका दमन

आपने यह देखा होगा कि अबतक मैंने जो-कुछ कहा, सिर्फ देशके आन्तरिक विकासके सम्बन्धमें ही कहा।

लेकिन बाहरी परिस्थितियाँ और उममें भी खासकर हमारे गासकोंके काम हमारे ध्येयपर उतना ही निश्चित (यद्यपि गायद प्रतिकूल ही) प्रभाव डाल रहे हैं, जितना कि आन्तरिक विकास। यदि हम चाहे तो उनके कार्योंसे फायदा उठा सकते

है, पर यदि हम उनके आगे झुक गये तो अपना ही नुकसान करेंगे। हमारे शान्तकोंका सबसे ताजा काम है वगालमें गुरु किया दमन। सर्वदृश्य परिपदने माफ गद्दोंमें उसकी निन्दा की है। हाँ, उसे यह कहनेमें जरूर हिचकिचाहट हुई कि यह प्रहार वगालके स्वराज्यवादी दलपर ही किया गया है। लेकिन मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं कलकत्ता गया था और वहाँ अलग-अलग राय रखनेवाले तरह-तरहके लोगोंने मिलनेका मुझे मौका मिला था। उसमें मैं इसी नतीजेपर पहुँचा हूँ कि यह प्रहार स्वराज्यवादी दलपर ही किया गया है। और लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रीडिंगने उनके वाद जो भाषण दिये, उनमें मेरी यह राय और भी पक्की हुई है। अपने पक्षके समर्थनमें उन्होंने जो-कुछ कहा है, वह विलकुल पटने लायक नहीं है। इस तरहकी सफाई भारतवर्षमें ही दी जा सकती है, जहाँ लोकमतकी कुछ भी पूछ नहीं है, या है तो बहुत थोड़ी। लॉर्ड लिटनकी रिहार्डकी गतों तो हमारी बुद्धिके लिए अपमानजनक है। दोनों वाइसराय साहब जब कहते हैं कि परिस्थिति ही इस अध्यादेश और १८१८ के विनियमके अन्तर्गत कार्रवाई करनेकी आवश्यकताका प्रमाण है तो वे साध्यको ही सिद्ध बात मानकर यह कहते हैं। लेकिन राष्ट्रकी धारणा तो इस विषयमें यह है

१ जैसी परिस्थिति वे बताते हैं, वैसी कोई परिस्थिति वास्तवमें है, यह मान्य नहीं हो पाया है।

२ यदि यह मान भी लें कि वास्तवमें ऐसी परिस्थिति है, तो भी उग्रज रोगमें भी बदतर है।

३ इस परिस्थितिका मुकाबला करनेके लिए साधारण कानूनोंमें भी काफी अधिकार दिये गये हैं, और अन्तमें,

४ यदि असाधारण अधिकारोंकी आवश्यकता थी भी तो उन्हें यह अधिकार विधानसभाओंसे लेने चाहिए, जो खुद उन्हींकी बनाई हुई है।

दोनों वाइसराय साहबोंके भाषणोंमें ये प्रश्न बिगड़गुड़ टाठ ही दिये गये हैं। फिर जिस राष्ट्रको सरकारके निराधार वक्तव्योंका बहुत-कुछ अनुभव है, वह उन भाषणोंको परम न्यून कौम मान सकता है? वे जानते हैं कि हम उनसे कबनपर विश्वास न तो कर सकते हैं न करेंगे—मैं उम्मीद नहीं कि वे जानबूझकर पठ बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि जिन सूत्रोंमें उन्हें सबर मिलनी है, वे अन्तर सूत्रों और पक्षपातपूर्ण पाये गये हैं। इसलिए उनका यकीन दिखाना लोगोंका भ्रम उठाना ही है। उनके ये भाषण एक तरह हमें लजकार तर कहते हैं कि जाओ, तुममें जो-कुछ हो सके, सो कर लो। पर हमें न तो संन्यास उठाना चाहिए और न धीरे-धीरे बैठना चाहिए। दमन यदि हमको उग्र न करे, दमन न करे, न हमें अपने कर्तव्यमें रूढ़ा रहे तो फिर हमें स्वराज्य पानेमें मदद ही मिल सकती है। यद्यपि यह हमें समोटीपत्त चढाता है और समोटीपत्त सामना करनेके लिए हमारे अन्दर हिम्मत जीतना पड़ती है। एक सच्चे जादमी और राष्ट्रके लिए दमन करने वाला

है, जो आग सोनेके लिए करती है। १९२१ के दमनका जवाब हमने सविनय अवज्ञाके द्वारा दिया था और सरकारसे कहा था कि जो तुमसे हो सके, सो कर लो। पर आज हमे अपमानका यह घूंट पी जाना है। हम सविनय अवज्ञाके लिए तैयार नहीं हैं। अभी तो हम उसकी तैयारी ही कर सकते हैं, सविनय अवज्ञाकी तैयारीका मतलब है, अनुशासन, सयम, अहिंसापर चलने, किन्तु साथ ही बुराईका प्रतिरोध करनेकी भावना, मिल-जुलकर चलनेकी शक्ति और सबसे बढ़कर विचारपूर्वक और प्रसन्नताके साथ ईश्वरके प्रकट नियमका तथा मनुष्यके उन कानूनोका पालन करना जो ईश्वरीय कानूनकी मदद और तरक्कीके लिए बनाये गये हो। मगर बदकिस्मती है कि हममे अपने उद्देश्यके अनुरूप न पर्याप्त अनुशासन है और न सयम, हम या तो हिंसापूर्ण हैं या हमारी अहिंसामे बुराईके प्रतिरोधकी वृत्ति नहीं होती, हममे मिल-जुलकर चलनेकी पर्याप्त प्रवृत्ति भी नहीं है और हम ईश्वर अथवा मनुष्यके जिस कानूनका भी पालन करते हैं, मजबूर होकर ही करते हैं। हिन्दू और मुसलमान तो अपने आपसी व्यवहारमे रोज-रोज बड़ी धृष्टताके साथ ईश्वर और मनुष्य दोनोंके कानूनोकी अवज्ञा करते हैं। यह सविनय अवज्ञाका, जो शोषितोका एकमात्र अमोघ अस्त्र है, वातावरण नहीं है। दूसरा रास्ता, निस्सन्देह, हिंसा है और लगता है, हमारे बीच उसके अनुकूल वातावरण है। हिन्दू-मुस्लिम झगडे हमे उसकी तालीम दे रहे हैं और जो लोग मानते हैं कि भारतवर्षका उद्धार हिंसाके ही द्वारा हो सकता है, उन्हें हमारी इन आपसकी खुली लड़ाइयोपर प्रसन्न होनेका अधिकार है। लेकिन मैं जो हिंसा-पथके पथिक हूँ, उनसे कहता हूँ कि 'आप भारतवर्षकी प्रगतिको रोक रहे हैं। अगर आपके दिलमे देशके करोडो नगरे-भूखे लोगोके लिए कुछ भी रहम हो या उनके भलेका खयाल हो, तो जान रखिए, अपने हिंसात्मक साधनोसे आप उनकी कुछ भी सेवा न करेगे। जिन्हे आप अपदस्थ करना चाहते हैं, वे आपकी बनिस्वत कही अच्छे शस्त्रोसे सुसज्जित हैं और अनेक-गुना सुसगठित हैं। आप अपने प्राणोकी परवाह भले ही न करे, पर आप अपने देशके उन भाइयोकी उपेक्षा नहीं कर सकते, जो शहीदोकी मौत मरनेकी ध्वाहिग नहीं रखते। आप जानते ही हैं कि यह सरकार अपनी रक्षाके लिए जलियाँ-वाला बाग-जैसे हत्याकाण्डको एक न्यायोचित साधन माननेवाली है। और देशोकी बात मैं नहीं कह सकता, पर इस देशमे तो हिंसाके फूलने-फलनेका कोई मौका नहीं है। भारतवर्ष तो निर्विवाद रूपसे अहिंसाका सबसे बड़ा हामी और सर्वोत्तम आश्रयस्थान है। सो अगर आप अपने जीवनको अहिंसाके कार्यमे कुरवान करेगे तो यह क्या उसका ज्यादा अच्छा उपयोग न होगा ?'

लेकिन मैं जानता हूँ कि हिंसात्मक क्रान्तिकारियोसे की गई मेरी यह प्रार्थना उतनी ही निष्फल होगी जितनी कि हिंसाकी राह चलनेवाली इस अराजक सरकारसे की गई मेरी प्रार्थना हो सकती है।

ऐसी हालतमे हमे इसका उपाय खोजना है और हिंसाकी राह चलनेवाली इस सरकार और क्रान्तिकारी समुदाय दोनोंको यह दिखला देना जरूरी है कि एक ऐसी भी शक्ति है जो उनके हिंसावलसे ज्यादा प्रभावकारी है।

### दमन एक लक्षण है

इस दमनको मैं एक पुरानी बीमारीका एक पुराना लक्षण मानता हूँ। उनका सूत्र है यूरोपका प्रभुत्व और एशियाकी दामता। कभी-कभी तो इमे और भी व्यजक शब्दावलीमें गोरे वनाम कालेका मवाल कहते हैं। जब किपलियने काठे लोंगोंके कंधोंपर डाले गोरोके जुएको "गोरोका बोज" कहा तो उनमें वास्तवमें स्थितिका गलत वर्णन किया। मलायामे रगभेदकी दीवार अस्थायी समझी जाती थी पर वह अब करीब-करीब स्थायी बन गई है। मॉरियमके गलेकी चैती करनेवालोको हिन्दुस्तानमें मजदूर मिलने ही चाहिए। केनियाके यूरोपीय हिन्दुस्तानियोंपर हावी होनेमें कामयाब हो गये हैं, हालांकि हिन्दुस्तानी वहाँ रहनेका पहला हक रखते हैं। दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार अगर सहुलियतसे कर मके तो वह आज ही वहाँमें एक-एक हिन्दुस्तानीको निकाल बाहर करे। पिछले करारनामोंकी वह कुछ भी परवाह न करे। यह ध्यान नहीं कि इन तमाम बातोंमें भारत सरकार और मन्त्रालय सरकारका कुछ बम न चल सकता हो, पर वे वहाँके हिन्दुस्तानी निवासियोंकी रक्षाके लिए या तो राजामन्द नहीं हैं या उतगा जोर नहीं दे रहे हैं, जितना कि उन्हें देना चाहिए। भाग्य सरकारने तो फीजीवाले अपने कमीशनकी रिपोर्टतक प्रकाशित करनेकी शिष्टता नहीं दिखाई है।

अकालियोंके अदम्य तेजको कुचलनेका प्रयत्न भी उमी बीमारीका लक्षण है। जिस व्येयको वे अपनी जानके बराबर प्यार करते हैं, उनके लिए उन्होंने पानीकी तरह अपना खून बहाया है। हो सकता है, उनमें गलतियाँ हुई हों। मगर ऐसा हुआ भी हो तो उसके लिए खून उन्हीका बहा है। उन्होंने किसी दूसरेको चोट नहीं पहुँचाई है। ननकाना साहब, गुरुका वाग और जैतो — उनके माहस, उनके मूक कण्ठ-महन और उनकी शहादतके माझी रहेंगे। लेकिन कहते हैं, पंजाबके गवर्नर साहबने कसम खाई है कि वे अकालियोंको कुचल कर रहेंगे।

मुननेमें आया है, उधर वर्मामें भी दमनचक्र चलाकर वहाँकी जनताको कुचला जा रहा है।

मिस्रकी हालत भी हममें अच्छी नहीं है। एक पागल मिश्रवासीने एक अजेज अफसरको कत्ल कर डाला — निश्चय ही यह एक जघन्य अपराध है। लेकिन उसकी जो मजा दी जा रही है वह सिर्फ एक जघन्य अपराध ही नहीं, बल्कि मानवताके साथ बलात्कार है। मिश्रने जो कुछ पाया था, करीब-करीब तो चुरा है। सिर्फ एक आदमीके जुर्मके लिए गारी कौमको बेरहमीमें मजा दी गई है। हो सकता है कि उस मृतके साथ मिश्रवासियोंकी हमदर्दी रही हो। पर क्या उतनेमें ही उन ताततोंके लिए इस तरह जोगेजुल्म करना उचित हो सकता है, जो उनके बिना भी अपने हितोंकी रक्षा कर सकती है।

इसलिए बग़ावतका यह दमन कोई अनापारण बात नहीं है। ऐसी ताततमें, जबतक हमारा मन्त्र हमें प्राप्त नहीं हो जाता तबतक दमनके विभी-न-विभी मयमें और विभी-न-विभी प्रान्तमें नमय-तमयपर होनेवाले ऐसे विद्रोहोंके एक सामरूप बात समझकर ही चला पड़ेगा।



## शक्तिकी आवश्यकता

इसलिए कांग्रेसने जो काम अपने हाथमे लिया है उसके योग्य बननेके लिए उसे ऐसी शक्ति अर्जित करनी चाहिए, जिसके बलपर वह अपनी माँगे स्वीकार करा सके। यह शक्ति हम तभी अर्जित कर सकते हैं जब हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी आदि एक हो जाये, जब स्वराज्यवादी, अपरिवर्तनवादी, लिबरल, होमरूलवाले, मुस्लिम लीग और दूसरे तमाम दलोके लोग एकताके सूत्रमे बँध जाये। अगर हम सब मिलकर सिर्फ एक स्वरमे बोल सके और ठीक-ठीक समझ ले कि हम क्या चाहते हैं, तो हमारा मार्ग सुगम हो जायेगा। अगर हम अपनेमे विदेशी कपडोके पूर्ण बहिष्कारकी शक्ति विकसित कर ले तो हमारा रास्ता सुगम हो जाये। और तब यह माना जा सकता है कि अब हममे वह शक्ति आ गई है, जिसके बलपर हम अपनी बातें मनवा सकते हैं।

## मेरी आस्था

अब मैं अपनी आस्थाकी बात बता दूँ। एक कांग्रेसीकी हैसियतसे कांग्रेसको ज्योका-त्यो कायम रखनेके लिए मैं असहयोगको मुलतवी रखनेकी सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि राष्ट्र अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक व्यक्तिकी हैसियतसे मैं तबतक ऐसा नहीं कर सकता—और न करूँगा ही—जबतक कि यह सरकार जैसीकी-तैसी बनी हुई है। मेरे लिए यह महज एक कार्य-नीति (पॉलिसी) की बात नहीं, बल्कि अडिग आस्थाकी बात है। असहयोग और सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह नामक एक ही वृक्षकी अलग-अलग शाखाएँ हैं। यह मेरा कल्पद्रुम — जाम-ए-जाम — है। सत्याग्रह क्या है? सत्यकी खोज। और ईश्वर ही सत्य है। अहिंसा वह ज्योति है, जो उस सत्यके दर्शन कराती है। मेरे लिए स्वराज्य उसी सत्यका एक अंग है। इस सत्याग्रहने दक्षिण आफ्रिका, खेडा या चम्पारनमे मुझे निराश नहीं किया। मैं ऐसे और भी बहुतसे प्रसंग गिना सकता हूँ जब इसने, इससे जितनी भी आशाएँ की गई थी, सब पूरी की। इसमे किसी किस्मकी हिंसा या घृणाभावके लिए जगह नहीं है। इसलिए मैं अग्रेजोसे नफरत नहीं कर सकता और न करूँगा। पर साथ ही मैं उनके जुएको भी गवारा नहीं कर सकता। हिन्दुस्तानके सिरपर अग्रेजी तौर-तरीके लादनेकी नापाक कोशिशका मुकाबला मैं मरते दम तक करूँगा। लेकिन मैं अहिंसाके द्वारा ही उसका सामना कर रहा हूँ। मेरा यह दृढ विश्वास है कि हिन्दुस्तान अहिंसाके हथियारसे मौजूदा अग्रेज शासकोका मुकाबला कर सकता है। हमारा यह प्रयोग असफल नहीं हुआ है। उसमे सफलता जरूर हुई है, लेकिन उस हदतक नहीं कि जिस हदतक हम चाहते और उम्मीद रखते थे। पर मैं निराश नहीं होता। बल्कि इसके विपरीत मेरा तो विश्वास है कि भारत निकट भविष्यमे अपना स्वत्व पा लेगा और यह सिर्फ सत्याग्रहके द्वारा ही सम्भव होगा। सत्याग्रहको स्थगित करनेका जो प्रस्ताव किया गया है, वह भी इस प्रयोगका ही अंग है। अगर मेरा बनाया यह कार्यक्रम पूरा किया जा सके तो असहयोगको फिरसे शुरू करनेकी विलकुल जरूरत न होगी। पर अगर यह कार्यक्रम न चला तो किसी-न-किसी रूपमे चाहे कांग्रेसके नेतृत्वमे या उसके नेतृत्वसे बाहर असहयोग

फिर जारी किया जायेगा। मैंने बार-बार कहा है कि सत्याग्रह कभी असफल नहीं होता और एक ही सर्वांगपूर्ण सत्याग्रही सत्यको प्रतिष्ठित कर देनेके लिए काफी होता है। इसलिए हम सब सच्चे सत्याग्रही बननेका प्रयत्न करें। इसके लिए ऐसे किसी भी गुण या योग्यताकी जरूरत नहीं, जो हमसे अदनासे-अदना व्यक्ति भी हासिल न कर सके। कारण, सत्याग्रह हमारी आत्माका ही एक गुण है। वह हम सबके अन्दर छिपा हुआ है। स्वराज्यकी तरह ही उसपर भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब हम सब उसको पहचानें।

[ अग्रेजीसे ]

यग इंडिया, २६-१२-१९२४

### ३८३. भाषण : बेलगाँव काग्रेसमें शोक-प्रस्तावपर

२६ दिसम्बर, १९२४

जब अध्यक्षने पहला प्रस्ताव पेश किया उस समय शामके ४ बजकर ५ मिनट हुए थे। उन्होंने कहा

मैं अब पहला प्रस्ताव पढ़ूँगा। जब मैं इसे पढ़ चुकूँ तो आप सब कृपया खड़े हो जायें। प्रस्ताव बहुत मीठा-सादा है, जो लोग अब हमारे बीच नहीं रह गये हैं, उनकी मृत्युपर हममें शोक प्रकट किया गया है।

यह कांग्रेस वी-अम्माँ, सर आशुतोष चौधरी, सर आशुतोष मुखर्जी, श्री भूपेन्द्रनाथ वसु, डा० मुब्रह्मण्य अय्यर, श्री दल बहादुर गिरि, श्री गोविंद वेकटेश याल्गी, श्री वामनराव मोहरि, श्री टी० वी० गोपालस्वामी मुदालियर, श्री सी० वी० पी० शिवम् और लाला कन्हैयालालजी तथा साथ ही दक्षिण आफ्रिकामें सर्वश्री रुस्तमजी जीवन्जी घोरखोद्द और पी० के० नायडूकी मृत्युपर दुःख प्रकट करती है और इनके शोकाकुल परिवारोंके साथ सादर सहानुभूति प्रकट करती है।

इसके बाद अध्यक्षने प्रस्तावको हिन्दीमें समझाया।<sup>१</sup>

इस प्रस्तावमें वी-अम्माँ और दूसरे भाइयोंकी — जिनके नामोंका इसमें उल्लेख है — मृत्युपर हम अफसोस जाहिर करते हैं और उनके रिश्तेदारोंसे हमदर्दी प्रकट करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि इसमें किसीको शिकायत नहीं हो सकती। इसलिए आप कुछ मिनट खड़े होकर, जब मैं बैठ जाऊँगा तब बैठ जायें। यह इस प्रस्तावका स्वीकार करना है।

सब खड़े हो गये। बीचमें कहींसे आवाज आनेपर महात्माजीने कहा

बीचमें जितने हैं सब खड़े हो जायें। एक भी बैठ न रहे। शान्तिसे रहे। मैंने कहा, किसीको बात नहीं करनी चाहिए, सब शान्तिसे रहे। हम अपने अन्दर अदब बताना चाहते हैं तो सब शान्तिसे कुछ सेकड़के लिए खड़े रहे।

१ इसके बादका अंश किंचित् परिवर्तनके बाद कार्यवाहीकी हिन्दी रिपोर्टसे लिया गया है।

जय-जय ध्वनिके बीच दास महोदय मंचारूढ हुए। 'देशबन्धु दास।' — तत्काल महात्माजीने सबको उनका आगमन सूचित किया और कहा :

मालवीयजीने मुझे अभी पैगाम भेजा है और मुझे अफसोस है कि मैं भूल गया। लाला कन्हैयालालजी लाहौरीका स्वर्गवास इसी वर्षमें हुआ है। लाला कन्हैयालालका नाम आपने सुना होगा। वे वुजुर्ग थे, डायरगाहीके जमानेमें इन्होंने देगकी वडी सेवा की थी।

[ अग्रेजीमें ]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

### ३८४. प्रस्ताव : कलकत्ता-समझौते तथा कताई-सदस्यताके बारेमें

२६ दिसम्बर, १९२४

क (१) यह कांग्रेस एक ओर महात्मा गांधी तथा दूसरी ओर स्वराज्य दलकी ओरसे देशबन्धु चित्तरजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूके बीच हुए निम्नलिखित समझौतेकी पुष्टि करती है।

#### समझौता<sup>१</sup>

(२) कांग्रेस आशा करती है कि इस समझौतेसे कांग्रेसकी दोनो शाखाओमें सच्ची एकता आयेगी और यह समझौता अन्य राजनीतिक सगठनोंके सदस्योंके कांग्रेसमें शामिल हो सकनेमें भी सहायक होगा। नये अध्यादेश या १८१८ के विनिमय ३के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये स्वराज्यवादी तथा अन्य लोगोको कांग्रेस वधाई देती है। कांग्रेसका मत है कि जबतक भारतके लोगोमें अपने सम्मान और अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेकी क्षमता नहीं होगी, तबतक ऐसी गिरफ्तारियाँ अवश्यम्भावी हैं और उसका यह भी मत है कि देगकी वर्तमान परिस्थितियोंमें ऐसी क्षमताका विकास करनेके लिए जरूरी है कि विदेशी वस्त्रोका पूर्ण बहिष्कार करनेका जो निश्चय बहुत दिनोंसे टलता आ रहा है, अब उसे लागू किया जाये, और इसीलिए इस राष्ट्रीय उद्देश्यको प्राप्त करनेकी जनताकी सच्ची इच्छा और सकल्पके प्रतीकके रूपमें कांग्रेस सदस्यताके लिए कताईकी शर्त लागू किये जानेका स्वागत करती है और हर स्त्री-पुरुषसे अपील करती है कि वह इस अवसरका लाभ उठाये और कांग्रेसमें शामिल हो।

(३) ऊपर कही गई बातको ध्यानमें रखते हुए कांग्रेस प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुषमें सब विदेशी वस्त्रोका त्याग करने और केवल हाथके कते और हाथके बुने खदरका ही उपयोग करने और पहननेकी अपेक्षा करती है। इस उद्देश्यको अविलम्ब

१ समझौतेमा पाठ यहाँ नहीं दिया जा रहा है। देखिए “गांधीजी और स्वराज्यवादियोंका सयुक्त वक्तव्य”, ६-११-१९२४।

प्राप्त करनेकी गरजमे कांग्रेस सभी कांग्रेस सदस्योंसे अपेक्षा करती है कि वे हाथमे कताईके कामको बढ़ाने-फैलाने और खट्टरके उत्पादन और विक्रीके काममें सहायता दें।

(४) कांग्रेस भारतके राजाओं और बनी वर्गके लोगोंमे तथा ऐसे राजनीतिक या उन अन्य मगठनोंके सदस्योंमे, जिनका कांग्रेसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तथा नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों, पचायतों और ऐसी ही अन्य सस्थाओंसे अपील करती है कि वे स्वयं उपयोग करके और अन्य तरीकोंमे, खामकर उन कलाकारोंको उदारतापूर्वक प्रश्रय और प्रोत्साहन देकर, जो अभी भी बच रहे हैं और जो महीन खट्टरके बढ़िया कलात्मक डिजाइनवाले कपडे तैयार कर सकते हैं, कताईके प्रसारमें सहायता दें।

(५) कांग्रेस विदेशी कपडों और विदेशी सूतका व्यापार करनेवाले व्यापारियोंसे अपील करती है कि वे राष्ट्रके हितोंको समझे और विदेशी वस्त्र तथा सूतका आयात करना बन्द करके खट्टरका व्यवसाय करें और इस प्रकार इस राष्ट्रीय कुटीर उद्योग की सहायता करें।

(६) कांग्रेसके ध्यानमें यह बात आई है कि मिलोंमें तथा अन्य कारखानोंपर मिलके कते सूतसे कई प्रकारके वस्त्रोंका उत्पादन होता है और उसे भारतीय बाजारमें खट्टर बतकर बेचा जाता है। अतः कांग्रेस मिल-मालिकों तथा अन्य सम्बन्धित वस्त्र-उत्पादकोंसे अनुरोध करती है कि वे इस अवाञ्छनीय धन्वेको बन्द कर दें। वह उनमे यह भी अपील करती है कि वे अपना कारोबार देशके उन्हीं भागोंतक सीमित कर दें जो अभी कांग्रेसके प्रभावमें नहीं आये हैं और ऐसा करके वे भारतके प्राचीन कुटीर उद्योगको पुनरुज्जीवित करनेमें सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करें। कांग्रेस उनमे यह भी अपील करती है कि वे विदेशी सूतका आयात करना बन्द कर दें।

(७) कांग्रेस हिन्दू, मुसलमान और अन्य सभी धार्मिक सम्प्रदायोंमें प्रधान लोगों और नेताओंसे अपील करती है कि वे अपनी धार्मिक सभाओंमें अपने अनुयायियोंको खट्टरका सन्देश सुनाएँ और उन्हें विदेशी वस्त्रोंका इस्तेमाल न करनेकी मलाह दें।

ख कांग्रेस मन्विधानका वर्तमान अनुच्छेद<sup>१</sup> ७ रद्द किया जाये और उसके स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाये

(१) प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुच्छेद ४ में वर्णित नियोग्यताओंसे मुक्त है, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों द्वारा नियन्त्रित किसी भी आरम्भिक सन्ध्याका सदस्य बन सकता है, लेकिन जो स्त्री या पुरुष किसी राजनीतिक या कांग्रेसके समारोहमें या कांग्रेसका काम करते समय हाथ-कता और हाथ-नुना खट्टर नहीं पहनता और अपने हाथका इस्तेमाल काता हुआ २४,००० गज सूत, अथवा बीमारी या अनिच्छा अथवा ऐसा ही कोई अन्य कारण होनेपर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहना गया इतना ही सूत चन्देमें

१ इसमें कहा गया था “प्रत्येक व्यक्ति जो अनुच्छेद ४ में वर्णित नियोग्यताओंसे मुक्त है तथा जो प्रति वर्ष ४ आने शुल्कके रूपमें देता है, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों द्वारा नियन्त्रित किसी भी सन्ध्याका सदस्य बन सकता है।” देखिए एक्ट १९, पृष्ठ १९६।

नहीं देता, वह किसी कांग्रेस कमेटी या सगठनका सदस्य नहीं होगा और यह भी कि कोई व्यक्ति एक ही वक्तमें दो समानान्तर कांग्रेस सगठनोंका सदस्य नहीं होगा।

(२) सदस्यताका वर्ष १ जनवरीसे ३१ दिसम्बरतक माना जायेगा। उपर्युक्त चन्दा पेशगी देना होगा और इसे २००० गज प्रति माहकी अग्रिम किस्तोंमें दिया जा सकेगा। वर्षके बीचमें सदस्य बननेवालोंको पूरे वर्षके लिए सूतकी पूरी मात्रा देनी होगी।

### सक्रमणकालीन व्यवस्था

१९२५की अवधिमें चन्दा केवल २०,००० गज ही रहेगा और इसे १ मार्चको या उससे पहले दिया जा सकेगा, या जैसा कि ऊपर बताया गया है, माहवारी किस्तोंमें दिया जा सकेगा।

(३) जिस व्यक्तिने सूतके रूपमें अपना चन्दा या उसकी बकाया किस्त अदा नहीं की हो, वह प्रतिनिधियोंके चुनावमें, या कांग्रेस सगठनकी किसी समिति या उप-समितिके चुनावमें भाग नहीं ले सकेगा और न स्वयं उस रूपमें चुना जा सकेगा। वह कांग्रेस या किसी कांग्रेस सगठन या उसकी किसी समिति या उप-समितिकी बैठकमें भी भाग नहीं ले सकेगा। सूतके रूपमें चन्दा देनेमें चूक करनेवाले सदस्यके अधिकार, जब वह बकाया चन्देका सूत और चालू महीनेकी किस्त अदा कर देगा तो पुनः वरकरार कर दिये जायेंगे।

(४) प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके महासचिवको प्रति माह सदस्यताका व्यौरा और इस धाराके अन्तर्गत प्राप्त होनेवाले सूतका हिसाब भेजेगी। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ चन्देके सूतका दस प्रतिशत या उतने सूतकी कीमत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको भेजेगी।

(५) वर्तमान अनुच्छेद ६ (ग)<sup>१</sup> और धारा ९ (ख)<sup>२</sup> को निकाल दिया जाये।

प्रस्तावकर्ता

देशबन्धु चित्तरजन दास (अग्रेजीमें)

अनुमोदनकर्ता।

श्रीयुत एस० वी० कौजलगी (कन्नड और अग्रेजी, दोनोंमें)

श्रीयुत न० चि० केलकर (मराठीमें)

श्रीयुत एम० वी० अभ्यकर (अग्रेजीमें)

पण्डित मोतीलाल नेहरू (अग्रेजीमें)

विरोधकर्ता

मीलाना हसरत मोहानी (उर्दूमें)

मीलाना आजाद सोवानी (उर्दूमें)

स्वामी गोविन्दानन्द (अग्रेजीमें)

[अग्रेजीसे]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

## ३८५. भाषण : कलकत्ता समझौतेपर<sup>१</sup>

२६ दिसम्बर, १९२४

देशबन्धु चित्तरजन दासने प्रस्ताव पेश किया। प्रस्तावपर कई वक्ताओने भाषण दिये। स्वामी गोविन्दानन्दका भाषण समाप्त होनेपर अध्यक्षने कहा •

मैं आप लोगोका अधिक समय नहीं लूँगा। अभी मेरे पास दो वक्ता और हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो सके तो इस प्रस्तावके विरोधियोको भी अपनी बात कहनेका अवसर दूँ। अब मैं एक और वक्तासे कहूँगा कि वे इस प्रस्तावका विरोध करे। इसके बाद मैं ५० मोतीलाल नेहरूसे समापन भाषण करनेके लिए कहूँगा। मैं कानपुरके सरदार अली साबरीसे भाषण देनेका अनुरोध करता हूँ। क्या वे यहाँ मौजूद हे ?

उत्तर नहीं, नहीं है इसके बाद मोतीलाल नेहरू भाषण देनेके लिए आये। . . . शामको ७ बजकर २५ मिनटपर प्रस्तावपर बहस समाप्त हुई। तब अध्यक्ष “महात्मा गांधीकी जय” के निरन्तर गूजते गगनभेदी नारोके बीच प्रस्तावपर मत लेनेके लिए खडे हुए। उन्होने हिन्दीमें बोलते हुए कांग्रेस तथा अन्य सम्मेलनोकी बैठकोका समय घोषित किया और प्रस्तावपर मतदानके सम्बन्धमें कहा.<sup>१</sup>

भाइयो,

अब इस रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) को आपके सामने रखूँ, इससे पहले जो मुझे दूसरे भाइयोने चिट्ठियाँ भेजी हैं, उन्हें सुनाना चाहता हूँ। और एक-दो भाईने मुझसे यह कहा है कि इतने स्वराज्यवादियोने सुनाया, लेकिन “नो-चेजर्न” (अपरिवर्तनवादियो) की तरफसे सिर्फ मौलाना मुहम्मद अलीने कहा है तो राजगोपालाचारीसे कहना चाहिए कि कुछ सुना दे। मैं उनको तकलीफ देना नहीं चाहता गरचे उनका नाम लिखा हे। क्योंकि जैसा पण्डितजीने सुनाया मैं नहीं चाहता कि किसीके मनपर, दिलपर ऐसा असर डाला जाये कि लोग अपना उसूल कायम कर ले। आप लोग जैसा चाहे वोट दे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि भाई राजगोपालाचारीको तकलीफ दूँ, जैसा “नो-चेजर्न” चाहते हैं कि वह वोटिंगसे पहले कुछ बोले।

एक आन्ध्र-भाई कहते हैं कि मैं डाक्टर एनी बेसेटका अनुयायी हूँ और इसकी ताईद करना चाहता हूँ। डाक्टर एनी बेसेट आनेवाली थी, वह नहीं आई, इसलिए वह कुछ कहना चाहते हैं। एक भाईने यह भी पूछा है कि यह सारा रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) एक साथ क्यों पेश करते हैं, क्यों उसके टुकडे करके नहीं लिया जाता। इसका उत्तर मौ० हसरत मोहानीने दे दिया। क्यों, यह तो अकर्मण्यताका

१ यह बेलगाँव कांग्रेसमें दिया गया था।

२ यहाँतक का अर्थ अंग्रेजीसे अनूदित है।

सवाल है, यह तो कोई आत्माका नहीं है। अगर आप पसन्द करते हैं, तो राय दे, नहीं करते तो न दे। अगर चलाना चाहते हैं चरखा, तो हो सकता है। एक दूसरे “नो-चेजर” भी है जो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहता। इतने स्वराजी भाइयोंको बोलनेका मौका दे दिया, और वक्त नहीं रहा। हमारे बहुत-से भाइयोंको शक था। उनका एक खत मेरे पास है। शकको रफा करनेकी यही तरकीब थी कि उनको मौका दिया जाये कि वह अपनी बात कह दे।

जैसी सचाईसे देशबन्धु दास और दूसरे लोगोंने कहा उससे कहाँतक लोग अच्छाई लेंगे? भाई अम्यकरने कहा कि मेरा उनका एक मत नहीं है फिर भी उन्होंने चरखेके पक्षमें मत दे दिया। पण्डितजी कहते हैं कि जैसा मैं चरखेमें विश्वास करूँगा वैसा वह भी। लिख दिया है और वह लिखेको मानते हैं, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि उनका शक दूर होगा। एक बात जरूरी है कि “नो-चेजर” उनका और वे “नो-चेजर” का विश्वास करे, इसलिए दोनों विश्वास करे एक-दूसरेका, क्योंकि ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए राय ले लेना चाहता हूँ। जरूरी है कि एक-दूसरेको दोनों भाई समझे, और जैसा देशबन्धु दासने सुनाया एक चीजसे देशका भला है, हम ऐसा मानते हैं और दूसरी चीजसे भला होगा ऐसा [भी] मानते हैं। एक बात हम सब घरमें रहकर मानते हैं, एक उपमा भाई केलकरने दी थी। एक मैं दूँगा कि एक चक्का नहीं चल सकता। जब एक गाडीके दोनों चक्के ठीक हैं, दृढ़ हैं तो आगे गाडी चलती है, नहीं तो पतित हो [बैठ] जाती है। इसलिए हमारी राय है कि आप लोगोंको चाहिए कि हमारे दिलोको साफ करे। मौलाना शौकत अली आयेगे तो कहेंगे कि बहादुर बनो, दूसरे और बातें कहेंगे। तो दूसरेका शक रखना डरपोक आदमीका काम है, जो मनुष्य डरता नहीं वह अपने दुश्मनका भी भरोसा करता है। अगर आप इस प्रस्तावको मजूर करना चाहते हैं तो एक-दूसरेमें किसी तरहका अविश्वास न करे, खटका मिटा दे। इतना कहनेके बाद, मुझे शक है कि अग्रेजीमें सुनानेकी भी जरूरत है। अगर कोई भाई चाहे तो सुना दूँ। मगर मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं है। (“नहीं, नहीं” की आवाजे)।

अब मैं यह “रिजोल्यूशन” (प्रस्ताव) आपके सामने रखता हूँ और आपकी राय लेना चाहता हूँ, लेकिन राय लेते हुए यह समझना चाहता हूँ कि जो पहले शुरु किया था कि आप इसको प्रतिज्ञा समझे — अपनेको, मेरेको, खुदाको साक्षी रखे। यह बात भयकर होगी अगर [कोई] भाई चाहते हैं कि प्रतिज्ञा करके काम न करे। आप चरखा चलायेंगे। चरखा चलानेमें दिक्कत है, चरखा चलाना पसन्द नहीं है तो दूसरेसे लेकर सूत दे दे, अगर यह भी नहीं करते तो वोट न दे। और अगर आप चाहते हैं कि साथ-साथ काम करे तो इस “रिजोल्यूशन” (प्रस्तावको) मजूर करना जरूरी है। अगर आप यह नहीं चाहते — चरखेको “फ्रेचा-इज” (सदस्यताकी शर्त) में नहीं चाहते तो आप हर्गिज [पक्षमें] वोट न दे। इसमें मुझे किमीसे रज न होगा, जैसा दूसरी तरहसे [होगा], जब कहकर न करेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके दिलमें रहम है मेरे लिए, तो आप अपनी बातको पूरा करेंगे। जो वोट न देंगे, वह भी धोखा देंगे, ऐसा नहीं।

मैं इस "रिजोल्यूशन" (प्रस्तावको) पेश करता हूँ और मेरे भाई लोग एक मतसे खुदाको घोखा नहीं देगे। मैंने देशवन्दु दासको, पण्डित मोतीलाल नेहरूको जान लिया है, वह जो एक बात कह देते हैं फिर उससे नाही नहीं करते। आप इस "रिजोल्यूशन" को मजूर करे या न करे। अगर आप न करोगे तो मैं मानता हूँ कि अब भी चरखेसे सब-कुछ मिल जायेगा। चरखेकी बात आप समझ ले। यह अगर आप करना चाहते हैं तो इसको मजूर करे। अगर "नो-चेजरस" (अपरिवर्तनवादी) स्वराज्यवादीसे, स्वराज्यवादी "नो-चेजरस" से मुहब्बत करना चाहते हैं, भाई केलकरने कहा है कि दोनोको रिस्पान्सिव कोआपरेशन (पारस्परिक सहयोग) करना चाहिए। अगर आप इसको समझते हैं, मानते हैं तो हाथ ऊँचा करे, अगर नहीं मानते तो हाथ ऊँचा न करे। मैं कोई दूसरा उपाय सोचूंगा हिन्दुस्तानको आजाद करनेका। जो प्रस्तावके पक्षमे है, हाथ ऊँचा करे।<sup>१</sup>

[प्रस्तावपर मत लेनेसे पूर्व] अध्यक्षने अंग्रेजीमें बोलते हुए कहा

जो लोग प्रस्तावके पक्षमे हैं, वे मेरी इस चेतावनीको समझकर अपन हाथ ऊँचे करे कि उनके और देशके बीचमे ईश्वर साक्षी है और केवल तभी हाथ उठाये, जब सचमुच प्रस्तावको मजूर करना और यथाशक्ति उसपर अमल करना चाहते हो।

श्रीयुत गगाधरराव देशपाण्डेने अध्यक्षके इन शब्दोको कन्नड भाषामें दुहराया। अध्यक्षने हाथ उठानेका आदेश देते हुए कहा

केवल प्रतिनिधि ही हाथ उठाये। वे ही हाथ उठाये जिन्होंने प्रस्तावको समझ लिया हो।

उसके बाद उन्होने ऊँचे उठे हुए हाथ गिने और कहा •

मैं घोषित करता हूँ कि प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। (देर तक जोरकी तालियाँ)।

इसके बाद अधिवेशन दूसरे दिन ११ वजेतक के लिए स्थगित कर दिया गया।<sup>२</sup>

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

१ यहाँतक का अंश मूल हिन्दीसे है।

२ यह अन्तिम अंश अंग्रेजीसे अनूदित है।



## ३८६. भाषण : अ० भा० छात्र सम्मेलन, बेलगाँवमे

२७ दिसम्बर, १९२४

पण्डालमे प्रवेश करनेपर महात्मा गाधीका उत्साहके साथ स्वागत किया गया। अध्यक्ष और श्रोताओके आग्रहपर महात्माजी करीब १० मिनटतक बोले। उन्होने छात्रोसे कहा कि वे स्वदेशीका पालन करे और खदर ही पहनें। उन्होने बताया कि किस तरह देशकी मुक्तिका प्रश्न चरखेके प्रसारके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होने श्रोताओसे कहा, मैं समय न होनेका बहाना स्वीकार करनेको तैयार नहीं हूँ। यदि आप लोगोंमें काम करनेकी इच्छा होगी तो आप उसे कर सकते हैं। अन्तमें उन्होने कहा कि खदर किसीके प्रति घृणाका प्रतीक नहीं है बल्कि प्रेम और आत्म-निर्भरताका प्रतीक है। इसके बाद जोरदार तालियोकी गड़गडाहटके बीच महात्माजीको माला पहनाई गई। अध्यक्षने महात्माजीको सम्मेलनमें आकर अपना आशीर्वाद प्रदान करनेके लिए धन्यवाद दिया, इसके बाद महात्माजी पण्डालमे चले गये।

[अग्रेजीसे]

वाँम्बे क्रॉनिकल, २-१-१९२५

## ३८७. भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें शोक प्रस्तावपर

२७ दिसम्बर, १९२४

अध्यक्षने सवेरे ११ बजकर २० मिनटपर निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :

कांग्रेस श्री जी० एम० भर्गरीकी मृत्युपर गहरा दुःख अनुभव करती है और उनके शोक-सतात परिवारके प्रति सादर समवेदना व्यक्त करती है।

प्रस्तावपर मत लेनेसे पहले अध्यक्षने कहा :

भाइयो ओर वहनो,

मुझे कहते हुए शर्म आती है, मुझे लज्जा होती है कि जब हमने पहला प्रस्ताव पास किया, उस वक्त मैं एक बात भूल गया। आज एक सिन्ध-निवासी भाईने याद दिलिया कि जब हम हमारे नेता, जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके लिए अफसोस जाहिर कर रहे थे, एक नाम छूट गया था। वह मिस्टर भर्गरी [का नाम] है।

आपको यह मालूम होगा, आप मेरी बात मानेगे कि मैं जान-बूझकर छोड़ नहीं सकता था। लेकिन मेरा तो यह बुरा हाल है कि कोई बात, काममे व्यस्त रहनेपर भूल जाता हूँ। बडी तकलीफमे मुझे जो नाम लिखने थे, लिख लिये — वह मेरा एड्रेस

१. यहाँतक का अंश अग्रेजीसे अनूदित है।

था उसमे लिखे थे—मैं ही लिखता था, इसलिए मुझे मालूम न हुआ [कि कोई नाम छूट गया है]। मैं बड़े अदबसे मिस्टर भर्गरीका नाम लिखता। मैं मनमे भी उनका बड़ा अदब रखता हूँ। मैंने भूल की—मैं उनके रिश्तेदारोसे माफी माँगता हूँ। हकीकत तो यह है कि उनके लिए मेरे हृदयमे बड़ी जगह है। वह एक सिन्धी मुसलमान थे और हिन्दुओसे प्रेम करते थे। जब मैं सिन्धमे जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि मिस्टर भर्गरी हिन्दुस्तानके एक सच्चे सपूत थे। हम लोग उनके लिए अफसोस क्यो न जाहिर करे। मैं प्रार्थना करता हूँ, भाइयो और बहनोसे कि वे खडे हो जाये, अदबसे। एक मिनटतक खडे रहे। कोई बैठा न रहे, सब खडे हो जाये। अग्रे पुनरपि—अब सब भाई खामोश रहे और एक दूसरेसे वीचमे बात न करे। हमे अपना सारा प्रोग्राम खत्म करना है और हो सके तो पाँच बजेतक काम खत्म करना है। इसमे मैं आप सब प्रतिनिधि भाइयोकी मदद माँगता हूँ कि आप मदद करे। आज जो प्रस्ताव पहले रखना है, उसमे बहस करनेकी बात ही नहीं है इसलिए कि उसमे कुछ समझाना नहीं है। इसलिए सिर्फ पढ देता हूँ और यह भी कहना चाहता हूँ कि आज जितने प्रस्ताव हैं, उनकी नकल आपको वाँटी नहीं गई है। इसके लिए स्वागत-समिति मजबूर हुई है, क्योकि प्रेस बेलगाँवमे नहीं है कि जितने प्रस्ताव स्वागत समिति भेजे छप जाये। सबजेक्ट्स कमेटी (विषय-समिति) बैठ सकती है दो-तीन दिन, तो इसमे जितने प्रस्ताव वह पास करती वह छपनेको दे सके। लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि जिसकी नकल आपके पास भेजना इतना जरूरी हो। इसलिए आप क्षमा करे—स्वागत समितिको और मुझको भी। इसलिए जो पढा जाये उसको सुनकर स्वीकार करे।<sup>1</sup>

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट ।

## ३८८. प्रस्ताव : सरोजिनी नायडूकी सराहनाने

२७ दिसम्बर, १९२४

इसके बाद बेलगाँव कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्षने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया

विदेशोमे रहनेवाले उन भारतीयोके हितार्थ श्रीमती सरोजिनी नायडूकी सेवाओके प्रति कांग्रेस अपनी सराहना प्रकट करती है, जिन्होने अपनी कार्यशक्ति और लगनसे भारतीयोका प्रेम तो प्राप्त किया ही, अपने आकर्षक वक्तृत्वसे वहाँकी यूरोपीय जनताको भी अपनी बात सहानुभूतिपूर्वक सुननेके लिए बाध्य किया।

भारत सेवक समाज (सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) के श्री वझे और पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा केनियाके प्रवासियोकी सेवाओके प्रति भी कांग्रेस अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है।

१. सभी लोग थोड़ी देरतक मौन खड़े रहे और प्रस्ताव निर्विरोध पास हो गया।

इसके बाद उपर्युक्त प्रस्तावका हिन्दी और कन्नड़ अनुवाद क्रमशः पण्डित सुन्दरलाल और श्री के० मुदवेडकरने पढकर सुनाया।

श्रीमती सरोजिनी देवीके सिवा अन्य सभी प्रतिनिधियोने खडे होकर प्रस्तावको सर्व-सम्मतिसे पास कर दिया।

[ अग्रेजीसे ]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

## ३८९. भाषण : कोहाट और गुलबर्गके दंगोंसे सम्बन्धित प्रस्तावपर<sup>१</sup>

२७ दिसम्बर, १९२४

भाइयो और वहनो,

आप भाइयोने इस प्रस्तावके<sup>२</sup> बारेमे बहुत-से वयान सुन लिये। मेरे पास एक-दो और भी चिट्ठी आ गई है कि कुछ और भाई भी बहस करना चाहते हैं। लेकिन मैने उनको कह दिया है कि अब वह मुझे क्षमा दे दे। मै नही समझता कि इसपर किसी भाईको कुछ और ज्यादा जाननेकी जरूरत है।

एक भाईने लिखा है कि इस प्रस्तावमे पचायतके बारेमे लिखा है, उसमे नामके बारेमे जानना चाहते हैं। इसमे दो बातें रखी गई हैं। जो यूनिटी कमेटीने पचायत कायम की है, वह कुछ काम न करे तो और कोई दूसरी पचायत बना ले। यूनिटी कमेटीकी पचायतमे जितने नाम हैं, वह मै भूल गया हूँ। आप अखवारमे देख लेंगे। उसमे मै भी हूँ और शीकत अली और दूसरे मुसलमान भाई हैं। वह भी छोडना नही चाहता हूँ। मेरा खयाल है कि जो पचायत बन गई है वह जो करेगी, [वह यह कि] जो-कुछ कोहाटमे हुआ है, उसका वयान मालूम करेगी। रावल-पिंडीमे जाकर मालूम होगा कि क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नही। जो-कुछ किया जा सकता है, किया जायेगा। आप जो भाई इस प्रस्तावको पसन्द करते हैं, वदस्तूर हाथ ऊँचा करे।<sup>३</sup>

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

१. यह वेल्गांव कांग्रेसमें दिया गया था।

२. प० मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश किये गये इस प्रस्तावमें गुलबर्गके दंगो, हिन्दुओंके कोहाटसे निष्कासन तथा सरक्षण देनेमें स्थानीय अधिकारियोंकी असफलताकी निन्दा की गई थी। इसमें लोगोंको सलाह दी गई थी कि वे इस सम्बन्धमें भारत सरकारके निष्कर्षको स्वीकार न करें और तबतक अपना निर्णय स्थगित रखें जबतक कि एकता-सम्मेलन द्वारा नियुक्त या कोई और प्रतिनिधिक निकाय घटनाओकी जाँच-पड़ताल न कर ले और उनके बारेमें निर्णय न दे दे। प्रस्तावमें गुलबर्गके दंगोंमें पीडित लोगोंके प्रति सहानुभूति प्रकट की गई थी।

३. प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास हो गया।

## ३९०. भाषण : अस्पृश्यता-सम्बन्धी प्रस्तावपर<sup>१</sup>

२७ दिसम्बर, १९२४

अब श्री भोपटकरसे प्रार्थना है कि वे अस्पृश्यता-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करे।

किन्तु ऐसा करनेसे पहले मैं आपको वता देना चाहता हूँ कि कुछ तमिल मित्रोंने पत्र लिखकर मुझसे प्रस्तावोंको तमिलमें भी अनूदित करानेका अनुरोध किया है। मुझे अत्यन्त खेद है कि मेरे लिए ऐसा करना सम्भव नहीं है। जिन प्रान्तोंसे हमारा सम्बन्ध है, उनकी सख्या २१ है, और यदि हम प्रत्येक प्रस्तावको इतनी भाषाओंमें अनूदित करे तो वास्तवमें आगे बढ़ना असम्भव ही जायेगा। अबतक हम तीन भाषाओंको उपयोगमें लाते रहे हैं पहली हिन्दी, जिसे जाननेकी अपेक्षा प्रत्येक व्यक्तिसे की जाती है, दूसरी अग्रेजी और तीसरी सम्बन्धित प्रान्तकी भाषा। हम पारस्परिक सम्पर्कके उस सामान्य माध्यम, हिन्दुस्तानीको, जिसके जरिये हम एक-दूसरेको जान सकते हैं, अपना नहीं पाये हैं, क्योंकि दक्षिणने सदैव इसमें रोडा अटकाया है। इसीलिए हम इस प्रान्तकी भाषा तथा अग्रेजीका उपयोग कर रहे हैं। किन्तु मैं ऐसे मामलोंमें सुझाव देना चाहता हूँ कि जो लोग प्रान्तमें अग्रेजी या हिन्दी जानते हैं वे कष्ट उठाकर यहाँ पास किये गये प्रस्ताव अपने उन मित्रोंको समझा दे जो यहाँ बोली जानेवाली किसी भी भाषाको नहीं समझते ।<sup>१</sup>

भाइयो,

मुझे दर्द होता है कि पण्डितजी इस समय यहाँ नहीं हैं। मुझे कहा गया था, मैंने उनसे प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा कि मैं इस समय कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन फिर कहा गया कि पण्डितजी चन्द शब्द सुनायेंगे। लेकिन इस समय वह यहाँ नहीं हैं।

इस प्रस्तावपर राय लेनेसे पहले एक खत मेरे पास आया है, उसका उत्तर देना जरूरी है। एक भाई पूछते हैं कि अस्पृश्यता-निवारणके प्रस्तावका क्या यह मतलब है कि [अस्पृश्योंके साथ] रोटी-बेटीका व्यवहार करना चाहिए? इसमें [तो ऐसी] कोई बात नहीं कही गई। अगर मुझसे वह पूछना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं, तो मैंने तो 'नवजीवन' और 'यग इंडिया' में अपने विचार जाहिर कर दिये हैं— और जातियोंके लोगोंके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार उनके साथ [भी] करे, जिनको अस्पृश्य मानते हैं।<sup>१</sup>

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

१ यह बेलगाँव कांग्रेसमें दिया गया था।

२ कुछ वक्ताओंके प्रस्तावके पक्षमें बोलनेके बाद, अध्यक्षने ५० मदनमोहन मालवीयका नाम घोषित किया कि वे आकर बोलें, पर वे अनुपस्थित थे, इसलिए अध्यक्षने हिन्दीमें बोलते हुए प्रस्तावको मतदानके लिए पेश किया।

३. प्रस्तावके विरुद्ध सिर्फ एक व्यक्तिने हाथ उठाया और अध्यक्षने प्रस्तावको स्वीकृत घोषित कर दिया।

## ३९१. भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें<sup>१</sup>

२७ दिसम्बर, १९२४

भाइयो,

मैं दूसरा प्रस्ताव आपके आगे रखूँ, इससे पहले मुझे एक प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। जब यह अस्पृश्यता-निवारणका प्रस्ताव रखा गया था, उस वक्त मैं सोचता था कि मैं एक अस्पृश्य भाईको आपके सामने रखूँगा। मेरे पास एक चिट्ठी आई थी। उसमें लिखा था कि एक अस्पृश्य भाई — जो प्रतिनिधि नहीं है — एक-दो लपज वोलना चाहते हैं। मैं चाहता था कि प्रतिनिधि नहीं है तो भी अछूत भाईके नाते इजाजत देना अच्छा है। इसलिए मैं चाहता था कि उनको बुला लूँ, लेकिन मैं भूल गया। इसका प्रायश्चित्त यही है कि मैं माफी माँगता हूँ — लेकिन अच्छा हुआ कि समयपर याद आ गया है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

## ३९२. भाषण : एनी बेसेंटके वक्तव्यपर<sup>२</sup>

२७ दिसम्बर, १९२४

इसके पहले कि मैं अन्य प्रस्तावोंको लूँ, मुझे आपको सूचित करना है कि हमने जो प्रस्ताव<sup>३</sup> कल पास किया था उसके वारेमें श्रीमती बेसेंट इस सभाके सामने एक वक्तव्य देना जरूरी समझती हैं। यह यगस्वी महिला क्या कहेगी, इसके वारेमें मैं कोई पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहता। लेकिन मैं उन्हें इस पण्डालको अपनी उपस्थितिमें मुगोभित करनेके लिए ववाई देता हूँ और मानता हूँ कि मारी सभा इसमें मेरे नाय है। वे और उनके पक्के अनुयायी कांग्रेसमें रह सके या न रह सके, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हमे उनकी सहानुभूति और नैतिक समर्थन सदा प्राप्त रहेंगे। अब मैं डा० बेसेंटसे अनुरोध करूँगा कि वे अपना वक्तव्य दे।<sup>४</sup>

मित्रो, डा० बेनेटने जो वक्तव्य दिया उसे आपने सुना। आप मुझसे उस वक्तव्यपर कुछ कहनेकी अपेक्षा नहीं करोगे। मैं जानता हूँ कि डा० बेसेंटने यह वक्तव्य डम खयालसे नहीं दिया है कि इसका जवाब उन्हें इसी वक्त दिया जाये। उन्होंने यह वक्तव्य कर्त्तव्य-भावनासे प्रेरित होकर दिया है ताकि उनकी खामोशीका

१ इनसे पूर्व गांधीजीने एक पचम लड़केको दो मिनट बोलनेका मौका दिया था।

२ यह बेलगाँव कांग्रेसमें दिया गया था।

३ देखिए “प्रस्ताव कर्त्तव्य-समझौते तथा कताई-सदस्यताके वारेमें”, २६-१२-१९२४।

४ यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है।

अर्थ यह न लगाया जाये कि जो प्रस्ताव हमने कल पास किया है उसमे हमे उनकी सहमति प्राप्त थी। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इस कांग्रेसकी ओरसे मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूँ कि उन्होंने जो-कुछ कहा है उसपर हम सादर विचार करेगे और यह कांग्रेस या सभी कांग्रेसी — स्त्री और पुरुष — इस बातकी पूरी-पूरी कोशिश करेगे कि प्रत्येक दलके लिए जिसे भारतके हितकी चिन्ता है और जिसका लक्ष्य भारतके लिए स्वराज्य है, कांग्रेसमे प्रवेश करनेके दरवाजे यथासम्भव खुले रखे जाये। इन शब्दोंके साथ मैं इस घटनाको यही समाप्त करता हूँ और डा० वेसेटसे पुन यह निवेदन करता हूँ कि वे या अन्य दल कांग्रेसमे शामिल हो या न हो, लेकिन कांग्रेस उनसे और प्रत्येक दलसे यह आशा करेगी कि जिस किसी बातको वे उचित और ठीक माने, कांग्रेसको अपनी उन सभी बातोमे उनकी सहानुभूति और समर्थन प्राप्त होता रहेगा।

[ अंग्रेजीसे ]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट ।

### ३९३. प्रस्ताव : बेलगाँव कांग्रेसमे<sup>१</sup>

२७ दिसम्बर, १९२४

इसके बाद अध्यक्षने एक-एक करके निम्नलिखत प्रस्ताव पेश किये, प्रत्येकपर मत लिये और उन्हें पारित घोषित किया। ये प्रस्ताव अंग्रेजीमें पण्डित जवाहरलाल नेहरूने, कन्नडमें श्रीधुत मुदवेडकरने तथा हिन्दीमें पण्डित सुन्दरलालने पढे।

#### प्रस्ताव-सख्या १० राष्ट्रीय शिक्षा-सस्याएँ

कांग्रेसका यह दृढ मत है कि देशका भविष्य युवकोंके हाथोमे है और इसलिए वह विश्वास करती है कि प्रांतीय कमेटियाँ सभी राष्ट्रीय शैक्षणिक सस्थाओंको जीवित रखनेके लिए अभीतक जितना प्रयत्न किया गया हे उससे कहीं अधिक जोरदार प्रयास करेगी। लेकिन कांग्रेसका जहाँ यह मत है कि मौजूदा राष्ट्रीय शैक्षणिक सस्थाओंको कायम रखा जाये और नई सस्थाएँ खोली जाये वही कांग्रेसका यह मत भी है कि ऐसी कोई भी सस्था राष्ट्रीय नहीं मानी जायेगी, जिसमे शिक्षाका माध्यम कोई भारतीय भाषा नहीं है, जो हिन्दू-मुस्लिम एकताको और अस्पृश्योके बीच शिक्षा-प्रचार और अस्पृश्यता-निवारणको सक्रिय प्रोत्साहन नहीं देती, जिसमे हाथ-कताई, धुनाई, शारीरिक शिक्षा और आत्म-रक्षाके प्रशिक्षणको अनिवार्य नहीं बनाया जाता और जिसमे अध्यापक और १२ वर्षसे ऊपरकी आयुवाले विद्यार्थी, कामके दिनोमे प्रतिदिन कमसे-कम आधा घटा कताई नहीं करते और जिसमे अध्यापक और छात्र नियमत खट्टर नहीं पहनते।

१ ये प्रस्ताव कांग्रेसके अध्यक्ष गांधीजीकी ओरसे पेश किये गये थे।

### प्रस्ताव-संख्या ११ : सवैतनिक राष्ट्रीय सेवा

ऐसा देखा गया है कि बहुत-से योग्य व्यक्ति हैं, जिनकी सेवाएँ राष्ट्रीय कामोंके लिए इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाती क्योंकि वे सेवाके बदले पारिश्रमिक नहीं लेना चाहते। अतः कांग्रेस यह मत व्यक्त करती है कि राष्ट्रीय सेवाके बदले पारिश्रमिक लेनेमें न केवल असम्मानकी कोई बात नहीं है, बल्कि कांग्रेसको आशा है कि देश-भक्त युवक और युवतियाँ सच्ची लगनके साथ की गई सेवाके बदले गुजारेका खर्च स्वीकार करनेको गौरवकी बात मानेंगे और यह भी कि जिन्हें नौकरीकी जरूरत है या जो नौकरी करना चाहते हैं वे अन्य किसी कामकी अपेक्षा राष्ट्रीय सेवाको ही चुनना पसन्द करेंगे।

### प्रस्ताव-संख्या १२ : संविधानमें परिवर्तन

अनुच्छेद ११ में “६० १० को बदलकर ६० १ कर दिया जाये।”

अनुच्छेद १३ में प्रथम वाक्यके वाद निम्नलिखित और जोड़ दिया जाये—

“कोषाध्यक्ष कांग्रेसके कोषकी देख-रेख करेंगे और उसके लिए उत्तरदायी होंगे। वे उसका पूरा लेखा-जोखा भी रखेंगे। महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका कार्यालय चलायेंगे और उनपर स्वागत-समितिके सहयोगसे कांग्रेसके पूर्ववर्ती अधिवेशन और वर्षके दौरान होनेवाले किसी विशेष अधिवेशनकी कार्यवाहीके विवरणके प्रकाशनकी जिम्मेदारी होगी। यह रिपोर्ट जितनी जल्दी सम्भव हो उतनी जल्दी और अधिवेशनके वाद चार महीनेके भीतर-भीतर प्रकाशित की जायेगी और विकनेके लिए उपलब्ध की जायेगी।”

धारा २३ के अन्तमें जोड़िए “और अगली कांग्रेस-रिपोर्टके साथ प्रकाशित।”

### प्रस्ताव-संख्या १३ : मद्य और अफीमका व्यापार

कांग्रेस इस बातपर सन्तोष प्रकट करती है कि मादक पेय और दवाओंके विरुद्ध १९२१ में आरम्भ किये गये अभियानमें कुछ रुकावटोंके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंने देशके अनेक भागोंमें इस आन्दोलनको जोश और दृढताके साथ जारी रखा है। कांग्रेसको आशा है कि शराब या अफीमकी जिन लोगोंकी लत है, उन्हें इस बुराईसे मुक्त करनेके कार्यकर्त्ताओंके शान्तिपूर्ण प्रयासोंका आगे और अधिक शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

कांग्रेसका मत है कि शराब या मादक वस्तुएँ लेनेकी लोगोंकी लतका राजस्वके साधनके रूपमें प्रयोग करनेकी भारत सरकारकी नीति भारतकी जनताके नैतिक कल्याणके लिए हानिकारक है और इसलिए वह इस नीतिको समाप्त करनेका स्वागत करेगी।

कांग्रेसका यह भी मत है कि भारत सरकार अफीम-व्यापारका नियमन जिस तरह कर रही है वह न केवल भारतके बल्कि सारे ममारके नैतिक कल्याणके लिए हानिकारक है और भारतमें जितनी अफीमका उत्पादन होता है वह यहाँकी चिकित्सा

तथा वैज्ञानिक दृष्टिसे पडनेवालो जरूरतको देखते हुए बहुत ज्यादा है, अत उत्पादन इन आवश्यकताओंकी हदतक ही मर्यादित कर दिया जाना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

### ३९४. भाषण : पदाधिकारियोंसे सम्बन्धित प्रस्तावपर<sup>१</sup>

२७ दिसम्बर, १९२४

अब सिर्फ दो बातें रह गई हैं, जो हमेशा करनी पडती हैं—एक जनरल सेक्रेटरी [महामन्त्री] और ट्रेजरर [खजाची] का चुनाव करना रहा है और कांग्रेस आगे कहाँ मिलनी चाहिए। इसपर कि जहाँ मिलनी चाहिए, यही मुनासिब है कि इसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटीके सुपुर्द कर दिया जाये। ऐसा ही गत वर्ष हुआ था। खजाची वही है, और जनरल सेक्रेटरी एक पण्डित जवाहरलाल और दूसरे कुरैगी और तीसरे मिस्टर भरुचा। पहले एक थे डाक्टर किचलू, दूसरे [के लिए] वावू राजेन्द्रप्रसादको कहा गया। वावू राजेन्द्रप्रसाद जो हरेके काम करते हैं, वह सारा बक्त नहीं दे सकते कि सिर्फ हमारा काम करें। इसमें दो नये सेक्रेटरीकी बात है। कल सञ्जैक्ट्स-कमेटी (विषय-समिति) में इस वारेमें बड़ी बहस हुई थी, और जितने भाई थे, उनसे मेरी बात होती रही थी। और आखिरमें यह मुकर्रर हुआ कि डम वर्ष और आगामी वर्ष भी मैं प्रेसिडेंट रहूँगा तो मुझे काममें मदद देनेवाले ही मेरे मन्त्री नियुक्त किये गये। और कई भाई स्वराज्यवादी और नाफेरवादी [अपरिवर्तनवादी] भी मिल गये हैं। इन्हें वर्किंग कमेटी [कार्य समिति] में शामिल किया जाये तो क्या हो? यह मुझे भी अच्छा लगा और मैं डम एक क्या सभीके सभीको लेनेको तैयार हूँ। लेकिन इसमें एक बात होनी चाहिए। [वे साफ समझे] कि सारे नेशनका प्रोग्राम एक ही है, आप भी एक है। सारा नेशनल प्रोग्राम एक है। अस्पृश्यता निवारण, चरखा, मदिरा-निवारण—एक 'प्रोग्राम' है। इनको मैंने कहा कि कोई खट्टरमें [उतना ही] कट्टर विश्वास रखनेवाला हो जितना मैं हूँ, जैसा मेरा विश्वास है तो ऐसे स्वराज्यवादीको मैं [लेना] चाहता हूँ, क्योंकि उसकी मार्फत मैं जितने स्वराज्यवादी हैं उनको शुद्ध कर लूँगा। जहाँ [तक] वे मेरा साथ करेंगे, और हम मिलकर चलना चाहते हैं तो हम मिल जायेंगे।

डम तरह सब बातें होती रही। कोई [ऐसा] नजर नहीं आया।

यह दोनो नाफेरवादी (अपरिवर्तनवादी) हैं, यह जरूरी नहीं। कुछ मैं भी जानता हूँ, वह कहता हूँ। शुएव कुरैगीको मैं जानता हूँ। वह एक बड़े पक्के मुसलमान

१ बेलगाँव कांग्रेसमें प्रस्ताव पेश करते हुए यह भाषण दिया था। यह प्रस्ताव बादमें मत लेनेपर पास हो गया था।



है, पर वह मुसलमान है इसीलिए मैंने उनको नहीं ले लिया है। मैं चाहता हूँ सेक्रेटरीसे सारा वक्त इसी काममें लेना। इसलिए मैंने शोकत अली साहबसे पूछ लिया था कि अगर शुएब साहब पूरा वक्त दे तो मैं उनको [लेना] चाहता हूँ। उन्होंने कबूल कर लिया। वह ऐसे है कि एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो उसे [पूरी] करते हैं। उनको खद्दरसे मुहब्बत है, यह भी मैं जानता हूँ।

भरुचा पागल आदमी है। मैं भी पागल आदमी हूँ। मेरी इनसे ठीक बनेगी (हास्य ध्वनि)। भरुचासे मुझे वह काम सीखना पडेगा कि कन्वेपर खद्दर लादकर जाना और बेचना। इसमें वह स्पेग्लिस्ट बन गया है। हम तो सारे देशमें खद्दर पहुँचाना चाहते हैं। उसे बेचनेके लिए एक भरुचा नहीं, सैकड़ों भरुचा चाहिए। भरुचा लाला हरकिशन लालके पास गया, दूसरोके पास गया और [उन्हे] खद्दर दिया। लोग गाली दे, लेकिन वह बुरा नहीं मानता। आज ऐसे ही सेक्रेटरी चाहिए कि जो गाली देनेपर भी खद्दर बेचनेके लिए जाये, खद्दरके लिए हर तरहका अपमान बरदाश्त कर ले। इसलिए मैंने दोनोंको पसन्द कर लिया। लेकिन मैंने तो चुन लिया, अब अख्तियार आपको है, सबजेक्ट्स कमेटी [विषय समिति]ने तो मजूर कर लिया है। लेकिन कांग्रेस कास्टिट्यूशन [संविधान]के मुताबिक आपकी राय चाहिए। जो भाई इसको मजूर करते हैं, वह अपनी राय जाहिर करे। खजाचीके लिए कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है, आप पसन्द करते हैं तो कहे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

## ॥३९५. भाषण : कताई-प्रतियोगिताके सम्बन्धमें<sup>१</sup>

२७ दिसम्बर, १९२४

अच्छा एक बात और जाहिर कर देता हूँ। थोड़ी बात मुनानेकी आ गई है। आप जानते हैं कि स्पिनिंग कम्पोटीशन [कताई प्रतियोगिता] हो रही है। कई भाइयोंने स्वर्ण-पदक दिये थे, किसीने चादीका भी। इस तरह ११ पदक हैं। ये ११ पदक किनको मिले हैं, कौन दिये हैं — यही सुना देना चाहता हूँ। एक तो बिहारमें सत्यनारायण सिंह, उनको पहले दर्जेका [पदक] मिला है। ६ पदक गगार्जी मिडनीवासीने दिये हैं। सत्यनारायण सिंहने एक घटेमें ७६५ गज सूत काता है, बडे 'क्रेडिट' [श्रेय] की बात है (हर्ष-ध्वनि)।

आन्ध्रको दूसरा पदक गया है। वह कोरू कडावेकम्ब्राको मिला है। तीसरा भी आन्ध्रके श्रीनिवासचारीको, चौथा तामिलनाडकी माधु गुलाबी अम्ब्राको। मीनाक्षी मुन्दरम्को छठा मिला है।<sup>२</sup> सातवाँ श्रीमती तारामती अरुन्नसा, आठवाँ रामकृष्ण शास्त्री,

१. यह वेल्गोव कांग्रेसमें दिया गया था।

२. माधन-मूरुमें छठे नामका उल्लेख नहीं है।

नवाँ रामदेव ठाकुर, दसवाँ सुभान अली और ग्यारहवाँ भी आन्ध्रके लक्ष्मी भाई अन्ताको दिया गया।

मुझे यह देखकर अफसोस होता है कि एक ही मुसलमान भाईने पदक पाया है। एक जमाना था कि वारीक सूत कातनेवाली मुसलमान औरते ही थी। लेकिन इसमें हमने यह भी देखा कि ११ में से चार पदक वहनोंके हाथ गये हैं, बाकी भाइयोंके हाथ। एक भाईने लिखा है कि वे उस अस्पृश्य भाईसे हाथ मिलाना चाहते हैं जो अभी बोले थे। वे दिल्लीके प्रतिनिधि हैं। जो भेट करना चाहे, कर ले। ८ वजे स्टूडेंट सभा, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कल ११ वजे होगी। अब जिनका स्वर्गवास हो गया है, उसमें मौलाना सर साहबका भी जिक्र होना चाहिए। अभी मैंने मौलाना मुहम्मद अली साहबसे पूछा था। उनका स्वर्गवास हालमें ही नहीं हुआ था। वह तो कोकोनाडामें जब जलसा चल रहा था, तब जलसेके पहले दिन हुआ था। जितने भाई आये हैं, उनके लिए अफसोस जाहिर करना उनका काम है। अच्छा, अब यह सब हो गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्टें।

## ३९६. समापन-भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें

२७ दिसम्बर, १९२४

अधिवेशनकी कार्यवाही समाप्त करते हुए अध्यक्षने पहले हिन्दीमें और फिर अंग्रेजीमें अत्यन्त जोशीला भाषण दिया

अब मैं भाइयोंसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपका जितना अहसान मानूँ उतना कम है। मैं नहीं जानता कि कोई भी सभापति, कोई भी सदर, जो मुहब्बत आपने मुझे बताई है, उससे ज्यादाकी उम्मीद कर सकता है। जो काम मैं आपसे लेना चाहता था, वह तुरन्त आपने मुझे [करके] दे दिया। जब मैंने कहा कि आप खामोश रहे तो, आप खामोश रहे, जो व्याख्यान देना चाहा, सुन लिया — आपने कहा आप लिखा व्याख्यान चाहते हैं। मैंने कहा — क्षमा करे, तो आपने फिर-उसके लिए नहीं कहा। जिस तरह यहाँ आपने शान्तिसे, आवाज किये बिना काम किया है, राय दी है, उसी तरह सब्जेक्ट्स कमेटी [विषय समिति] में भी कोई भी हरकत [गडबड] नहीं हुई। हकीकत तो यह है कि हरकतकी बात तो तब हुई थी कि जब चरखेका बम्ब आपके बीचमें फेका था। आपने कोई एतराज यहाँ नहीं किया। सब्जेक्ट्स कमेटी (विषय समिति) में भी बड़े अदबसे बरताव किया। इसके लिए, मैं मानता हूँ कि कोई मेरा पूर्वजन्मका पुण्य होगा कि मेरे भाइयोंकी मेरे ऊपर यह दया है। मैं यह चाहता हूँ कि जो यह कृपा मेरेपर आपने बताई है, भारतवर्षपर बताये, क्योंकि मैं जिन्दा रहना चाहता हूँ तो भारतवर्षके लिए ओर मरना चाहता हूँ तो भारतवर्षके लिए ही। खुदाके हुक्मके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। परन्तु हरएक आदमीको अख्तियार है कि

वह खुदासे मांगे, जैसे एक बालक अपने पितासे मांग लेता है, वैसे खुदासे मांगे। मैंने तो यह भी देखा है कि वह मुझको जब मांगता हूँ दे भी देता है। जितना खुदाने निश्चित किया है, वह मिट नहीं सकता।

इसलिए मेरी आप भाइयोंसे प्रार्थना है कि आप भारतवर्षकी सेवाके लिए कटिबद्ध हो जाये और जो प्रतिज्ञा आपने ली है उसका पालन करे। मुझे मालूम है कि मैंने सभापतिका स्थान लिया और आप भाई-बहनोने मुझे मुह्वत दी। मैं भी चाहता हूँ कि सबके मुँहसे [अपनी] बडाई सुनूँ — लेकिन इससे उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। वह तब होगा जब आप जो प्रतिज्ञा करे उसके अनुसार काम करे। मैं यह नहीं मानता कि ये सब काम हमारी शक्तिसे बाहर है — तीसरा काम जो हम करना चाहते हैं या चौथा या पाँचवाँ काम — इनमें से कोई भी ऐसा नहीं।

जब मैं भाई भोपटकरका व्याख्यान सुन रहा था तो मुझे सानन्दाश्चर्य हुआ। जब उन्होंने कहा कि क्या आप हिन्दू धर्मका नाश करना चाहते हैं कि जो मनुष्य है उनको अस्पृश्य समझते हैं, तब मुझे बहुत आनन्द हुआ। और तीन शास्त्री महाशयोने अभी आपको सुना दिया कि हिन्दू धर्ममें हम जैसा मानते हैं वैसे अस्पृश्यताकी कोई बात नहीं। क्या यह वही बात है कि हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरेको दुश्मन न समझे, और भाई-भाई समझे? आपने नहीं सुना कि भाई शैकत अलीने क्या कहा है? लाला लाजपतरायने क्या कहा है? भाई जफर अली खाने एक एतराज किया था — मैं कोई एतराजकी बात नहीं समझता — लेकिन वह भी हिन्दुस्तानके दुश्मन नहीं है। आप किसीको दुश्मन न माने। आपके दिलमें यही होना चाहिए कि हम दुश्मनको भाई बना लेंगे।

लालाजीने एक सिद्धान्त सुना दिया कि सारा प्रश्न मानव जातिका है। किसी एक धर्मतक यह बात मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हिन्दू अगर पागल बना तो क्या कोई मुसलमान उसको गाली न दे? मुसलमान रामचन्द्र और कृष्णको गाली दे तो हिन्दू उसके पैगम्बरको गाली न दें? अगर आप इसका फैसला माफ करके नहीं करना चाहते तो अदालतमें, पचायतमें जाइये। मैं असहयोगी हूँ, मगर कोई मुसलमान कृष्णको गाली दे तो मैं कहूँगा अदालतमें जाओ, मगर लडो मत। डममें लडनेकी कोई बात नहीं है। इस सिद्धान्तकी स्वीकृतिके लिए बहुत समयकी जरूरत नहीं है। हम लोगोंको इस स्वराज्यके लिए इतना बुखार होना चाहिए, हमारे दिलमें बड़ी आग जलनी चाहिए। जब भोपटकर बोल रहे थे, तब मुझे लोकमान्यकी याद आ गयी। वे स्वराज्यकी प्रतिमा थे। उनके विषयमें एक बड़ी बात मुनी है। उनकी धर्म-पत्नीका स्वर्गवास हुआ तो उस वक्त भी वे अपनी स्वराज्य-मेवामें लगे हुए थे। अगर ऐसा ही ज्वालामुखी हमारे दिलमें प्रगट हो जाये तो क्या तीसरा और क्या चौथा, हम क्या नहीं कर सकते? कांग्रेसमें आनेपर खदर पहनें, यह क्या कोई बड़ी बात है? हम विदेशी कपडे छोड दे, यह भी कोई बड़ी बात है? आज मैं उनको जलानेकी बात नहीं करता। मैं वही आदमी हूँ कि जिसने सन् डक्कीमके शुल्में विदेशी कपडे जलवाये थे। लेकिन हमने शान्तिकी टेक छोड दी। अगर सम्पूर्ण शान्ति

आज भी हम पैदा कर सके तो मैं आज भी सन् इक्कीस-जैसी बात करने लूँ। विदेशी कपडेका नाम लेकर पत्यरके ढेर भरे थे।

यह बात मैं जानता हूँ कि दो काम हम साथ-साथ नहीं कर सकते कि सत्यका नाम ले और असत्य [का आचरण] करे। अगर हम सत्यका नाम ले तो असत्यका (आचरण) न करे, नहीं तो शरीर भी जल जायेगा। इससे मेरा दिल तो जल ही जाता है। कोई मेरे सामने झूठी प्रतिज्ञा करे, खुदाकी कसम खाये तो मैं इसे बरदाश्त नहीं कर सकता। मुझे गाली दो, मारो, बूटसे मारो, मेरे ऊपर थूको, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे गुस्सा कभी नहीं आयेगा। लेकिन प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करो तो गुस्सेकी अग्निसे मेरा शरीर जल उठेगा। एक स्त्री अपवित्र होकर मेरे सामने पवित्रताका दावा करे तो मेरे दिलमे होता हे कि मैं मर जाऊँ। एक मनुष्य पवित्रताका दावा करे और अपवित्र हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ उसे न देखूँ। आपने जो मुहन्वत बताई है, कृपा करके मुझे जिम्मेदारीकी जगहमे रखा है, उसको भग न करना चाहे तो इसे समझ ले। अगर आप उसमे मुझे रखना चाहते है तो मुझे इसी तरह रखे। इससे बढ़कर अच्छी बात यह है कि स्वराज्यवादी और नाफेरवादी [अपरिवर्तनवादी] ऐसे मिल जाये जैसा डाक्टर वेसेटने कहा है। एक-एक लकड़ी अलग रहे तो टूट जाती है, मगर एक गड्ढरमे मजबूत रहती है।

हम भूल जाये कि स्वराज्यवादी बुरे है। पवित्र आत्माके लिए सब आत्माएँ पवित्र है। आत्माका गुण क्या बताया गया है? आत्मा स्फटिक है। शकराचार्यने कहा कि आत्मा तो दोष-रूप नहीं है। दोष-रूप तो माया है। आपके दिलमे शक्ति आ गई तो द्वेष किये बिना आप दूसरोकी बुराई निकाल देगे। हम जब अविश्वास करते है, तभी दोष-रूप बनते है। अगर एतवारका बदला धोखा है तो एतवार करनेवालेका क्या बुरा होगा? धोखा देनेवालेका ही बुरा होगा। भाई जवाहरसे मैं कहूँ कि मैं तुमको बेटेसे ज्यादा मानता हूँ और ऐसा मैं सिर्फ उनसे काम लेनेके लिए ही कहूँ तो वह धोखा है। जवाहरलालकी पूजा मैं कौन करनेवाला हूँ? उसकी पूजा तो जगत् करेगा, उसपर पुष्प-वृष्टि करेगा।

इस वक्त मैं एकको नहीं, दूसरेको नहीं, दोनोंको कहना चाहता हूँ — आप एक सालमे इतना काम करे कि जिससे हमारी शक्ति बढ जाये और स्वराज्य नजदीक आया है, ऐसा हम सब महसूस करे।<sup>१</sup>

तदनन्तर अग्नेजीमें भाषण देते हुए अध्यक्षने कहा.

अभी मैंने अपने हिन्दी भाषणमे अपना हृदय आपके सामने खोलकर रख दिया है। जो-कुछ मैंने हिन्दीमे कहा है, उसे फिरसे यथावत् दुहरा जाना मेरे लिए असम्भव है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप प्रतिनिधियोंने जितना सीजन्य मेरे प्रति दिखाया हे, जितने ध्यानसे मेरी बात सुनी है, जितना प्रेम मेरे प्रति दर्शाया हे, मैं नहीं समझता कि उससे अधिकका दावा कोई अन्य अध्यक्ष, कोई अन्य सभापति कर सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ कांग्रेस-

अधिवेगन तथा विषय-समितिकी कार्रवाई अध्यक्षकी हैसियतसे संचालित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ। जो भी मैंने चाहा, आपसे प्रत्येकने वह तुरन्त कर दिया। मैं जानता हूँ कि अधिवेगनके दौरानमें आपपर कामका बहुत अधिक बोझ डाले रहा। मैं जानता हूँ कि मैंने आपपर बहुत बड़ा भार डाला है। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको चलाया नहीं, बल्कि दौड़ाया है। किन्तु मैं क्या कर सकता हूँ? आप अवीर हैं और मैं भी अवीर हूँ। हम स्वराज्यके पास पहुँचना चाहते हैं और हमें वहाँ घोषेकी चालसे नहीं, बल्कि अपनी साधारण चालकी भी दुगुनी चालसे दौडकर पहुँचना है। और यदि हम काम करना और आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपका और अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गँवा सकता। इसलिए मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तीव्र गतिसे कार्य किया है; और यह देखकर मुझे आश्चर्य एव सर्वाधिक सन्तोष हुआ है कि आपने मेरे कहनेपर तुरन्त और बहुत ही उत्तम ढंगसे अमल किया है। आपने ऐसा कृपणताके साथ नहीं, बल्कि अत्यन्त उदारताके साथ किया है। कोई भी व्यक्ति डमसे अधिकका दावा नहीं कर सकता था, इससे अधिककी माँग नहीं कर सकता था और इससे अधिक पा भी नहीं सकता था। मैं आपसे जो-कुछ माँग सकता था, आपने मुझे सब-कुछ दिया।

किन्तु अब मैं एक वस्तु ऐसी, जो इससे अधिक बड़ी, इससे अधिक उत्कृष्ट और जो इससे अधिक मूल्यवान् है, माँगना चाहता हूँ, वह यह है कि आप अपना यह उदात्त प्रेम और अपना यह सारा औदार्य, जो आपने मेरे प्रति दिखाया है, किसी उम वस्तुकी प्राप्तिमें लगा दे, जो आपको और मुझे दोनोंको प्रिय है और जो अकेली ही मुझे और आपको एक सूत्रमें बाँधे हुए है, और वह है स्वराज्य। यदि हम स्वराज्य चाहते हैं तो हमें उसकी गति भी जाननी चाहिए। आपने इन गतियोंकी पुष्टि प्रस्तावोंमें की है। इन गतियोंका ज्ञान हममें से प्रत्येकको है। आप इन गतियोंको यहाँ न भुला दे। आप उन्हें स्मरण रखे और उन्हें अक्षरग तथा भावत हर तरहमें पूरा करे और अन्य लोगोंमें भी उनको पूरा करनेका आग्रह करे। आप ऐसा बलपूर्वक नहीं, बल्कि प्रेम-भावमें करे। प्रेम जितना प्रभाव और जितना दबाव डाल सकता है, आप अपने आसामके लोगोंपर और अपने पड़ोसियोंपर उतना प्रभाव और दबाव अवश्य डालें। आप अपने पूरे जिलेमें दौरा करें और वहाँ खदर, हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा अस्पृश्यताका यह मन्देग पहुँचाये। आप देशके नवयुवकोंको साथ ले और उनको स्वराज्यके वास्तविक मैनिक बनाये।

किन्तु यदि स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी अब भी एक-दूसरेसे द्वेष रखेंगे, यदि उन्हें अब भी एक-दूसरेमें ईर्ष्या होगी तो आप यह कार्य नहीं कर पायेंगे। यह तो तभी सम्भव होगा जब आप घृणाको तिलांजलि दे दें, ईर्ष्या, क्रोध तथा अन्य गारे दुष्प्रभावोंको भूँट जायें। मैं आपसे कहता हूँ कि आप द्वेषको भूला दें। ईर्ष्याको जमीनमें दफन कर दें और जहाँ भी चाहें वहाँ ले जाकर उसकी अन्त्येष्टि कर दें। किन्तु पारित क्रिये गये पवित्र प्रस्तावको अपने मनमें, साथ ले जायें और कहें "चाहे क्यामन आ जायें, लेकिन जिस स्नेह-बधनमें हम आज बँधे हुए हैं और जिस

सूत्रसे स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी बँधकर एक हुए हैं वह कभी नहीं टूटेगा।” (जोरसे तालियाँ) मेरा काम समाप्त हो चुका है। (देर तक तालियाँ।)

अध्यक्ष अभी भाषण मचसे उतरे ही थे कि उन्हें कांग्रेसकी ओरसे स्वागत समितिके प्रति आभार प्रकट करनेके कर्त्तव्यकी याद दिलाई गई। उन्होंने पुन मचपर आकर कहा

यदि मैं डा० हार्डिकर द्वारा प्रशिक्षित कुशल और नेक स्वयसेवकोको और स्वागत समितिके सदस्योको धन्यवाद न देता तो मैं अपनेको कदापि क्षमा न करता। (हर्ष-ध्वनि) किन्तु स्वराज्यके लिए अत्यन्त जोशमे होनेके कारण मैं स्वयसेवकोको तथा स्वागत-समितिके सदस्योकी बात विलकुल भूल ही गया था।

मैं जानता हूँ कि उन्होंने धन्यवाद पानेके लिए सेवा नहीं की है। उन्होंने जो महान् सेवा की है, वह अपने आपमे ही पुरस्कार है। किन्तु धन्यवाद देना मेरा कर्त्तव्य था और यदि मैं आप सबको धन्यवाद न देता तो मैं अपने कर्त्तव्यसे च्युत हो जाता। ईश्वर सभी स्वयसेवकोका तथा स्वागत समितिके सदस्योका कल्याण करे। (हर्ष-ध्वनि)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

### ३९७. भाषण : बेलगाँवकी अस्पृश्यता-परिषद्मे

[ २७ दिसम्बर, १९२४ ]

बेलगाँवमें अस्पृश्यता-निवारण परिषद्मे मैंने जो भाषण किया था, उसकी रिपोर्ट श्री महादेवभाई देसाईने ली थी। उसमे मेरे विचार प्रायः पूरी तरह समाविष्ट हो गये हैं। इसलिए उसे यहाँ देता हूँ

मित्रो,

मेरे लिए अस्पृश्यताके विषयमे कुछ कहना फजूल है। मैं बार-बार कह चुका हूँ कि यदि इस जन्ममे मुझे मोक्ष न मिले तो मेरी आकाक्षा है कि अगले जन्ममे भगीके घर मेरा जन्म हो। मैं वर्णाश्रमको मानता हूँ और इसी लिए जन्म और कर्म दोनोको मानता हूँ। पर मैं इस बातको नहीं मानता कि भगी कोई पतित योनि है। मैंने ऐसे कितने ही भगी देखे हैं जो पूज्य हैं और ऐसे कितने ही ब्राह्मण भी देखे हैं, जिनकी पूजा करना मेरे लिए मुश्किल पडता है। ब्राह्मणके घरमे जन्म लेकर ब्राह्मणोकी या भगियोकी सेवा कर सकनेकी अपेक्षा, मैं भगीके घर पैदा होकर भगियोकी सेवा ज्यादा कर सकूंगा और दूसरी जातियोको भी समझा सकूंगा। मैं भगियोकी अनेक तरहसे सेवा करना चाहता हूँ। मैं उन्हें यह सीख देना नहीं चाहता कि वे ब्राह्मणोसे घृणा करे। घृणासे मुझे अत्यन्त दुःख होता है। भगियोका मैं उत्कर्ष चाहता हूँ, पर मैं अपना यह धर्म नहीं समझता कि उन्हें पश्चिमी तरीकोसे अपना हक प्राप्त करनेकी सीख दूँ। इस तरह कुछ भी हासिल करना हमारा धर्म नहीं, मार-

पीटसे प्राप्त की हुई चीज दुनियामे कायम नहीं रह सकती। मैं अपनी आँखोंके सामने उस जमानेको आता हुआ देखता हूँ, जब मार-पीटके बलपर कोई भी काम सिद्ध न हो सकेगा।

मैं हिन्दू-धर्मकी उन्नति चाहता हूँ और अस्पृश्यको अपना बनाना चाहता हूँ। इससे जब कोई भी अछूत अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्ममें जा मिलता है, तब मुझे भारी धक्का पहुँचता है। पर हम करे क्या? हम हिन्दू पतित हो गये हैं। हमारे दिलोंसे त्याग-भाव चला गया, प्रेम-भाव जाता रहा, सच्चा धर्म-भाव नष्ट हो गया। 'गीता'में तो कहा है कि ब्राह्मण और चाण्डालको समान समझो। समानके मानी क्या है? यह नहीं कि ब्राह्मण और भगीका धर्म एक हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हम दोनोंको समान न्याय दे—इस हदतक समानता होनी ही चाहिए। मैं भगियोकी जरूरते पूरी करूँगा। भगीकी तकलीफ तो यह है कि हम उनकी मामूलीसे-मामूली जरूरते भी पूरी नहीं करते। भगीको भी सोनेकी जगह तो चाहिए ही, साफ-मुथरी हवा और पानी तो चाहिए ही, भोजन तो चाहिए ही। इतनी बातोंमें तो वे ब्राह्मणके समान ही हैं। जिस भगीको सेवाकी जरूरत है, जैसे कि किसी भगीको साँपने काटा हो तो मैं जरूर उसकी सेवा करूँगा। भगीको यदि मैं अपनी जूठन खिलाऊँ तो मैं ही पतित बनूँगा। इसीसे मैं कहता हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मका महापाप है।

हाँ, अलवत्ता एक प्रकारकी अस्पृश्यताके लिए हिन्दू-धर्ममें स्थान जरूर है। कोई शस्त्र मँलेको छूकर जबतक स्नान न कर ले, तबतक उसे अस्पृश्य मानना ठीक ही है। मेरी माँ जब मल-मूत्र साफ करती तब नहाये बिना किसी चीजको छूती नहीं थी। मैं वैष्णव सम्प्रदायका अनुयायी हूँ, इसलिए इतनी अस्पृश्यता—कर्मकी क्षणिक अस्पृश्यताको मैं मानता हूँ। परन्तु जन्मकी अस्पृश्यताको मैं नहीं मानता। जब मैं किसी समय अपने मल-मूत्रको उठानेवाली अपनी माताकी मूर्तिका स्मरण करता हूँ, तब वे मुझे अधिक पूज्य मालूम होती हैं। उमी तरह जब भगीकी सेवाका विचार करता हूँ, तब मेरी दृष्टिमें वह पूज्य हो जाता है।

मैंने यह कभी नहीं कहा कि अन्त्यजोंके साथ रोटी-ब्रेटीका व्यवहार रखा जाये, हालाँकि मैं रोटी-व्यवहार तो रखता हूँ। ब्रेटी-व्यवहारके लिए मेरे पास गुजाइश नहीं। मैं वानप्रस्थ-आश्रमका पालन करता हूँ—सन्यासका पालन करता हूँ या नहीं, सो नहीं कह सकता, क्योंकि कलियुगमें मन्यास-धर्मका पालन करना महा कठिन है। मैं तो प्राकृत प्राणी हूँ। मैंने वेदाध्ययन नहीं किया और मैं मोक्षके लायक हूँ या नहीं, उस विषयमें मन्देह है, क्योंकि मैं राग-द्वेषका पूर्ण त्याग नहीं कर पाया हूँ। मैं 'वेद' का उच्चारण पण्डित मालवीयजीकी तरह नहीं कर सकता, उसके कारण मोक्ष न मिले, सो बात नहीं। पर जबतक मेरे अन्दर राग-द्वेष मौजूद है, तबतक मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। इससे मैं सन्यासी चाहे न होऊँ, पर इस बातमें कुछ भी दोष नहीं दिनाई देता कि मेरी स्थितिका हिन्दू मारे ससारके साथ रोटी-व्यवहार रहे। परन्तु जिम दोषके दूर होनेकी आवश्यकता है, वह है अस्पृश्यता। उसमें रोटी-व्यवहारका समावेश नहीं है।

अस्पृश्यता-निवारणको मैंने जो काग्रेसका एक कार्य माना है, वह केवल राज-नीतिक हेतु पूरा करनेके लिए नहीं है। वह हेतु तो तुच्छ है, स्थायी नहीं। स्थायी बात तो यह है कि हिन्दू धर्ममें — जिसे कि मैं सर्वोपरि मानता हूँ — अस्पृश्यता-जैसी भारी बुराई हो नहीं सकती। स्थूल स्वराज्यके लिए मैं अन्त्यजोको फुसलाना नहीं चाहता। मुझे जो लगता है कि हिन्दूओंने अस्पृश्यता बरतते रहकर भारी पाप किया है, इस लालचमें उन्हें फँसाना नहीं चाहता। उमका प्रायश्चित्त उन्हें करना चाहिए। मैं अस्पृश्योंकी 'शुद्धि' जैसी किसी चीजको नहीं मानता। मैं तो अपनी शुद्धिका कायल हूँ। जब मैं स्वय ही अशुद्ध हूँ तो दूसरेकी शुद्धि क्या करूँगा? मैंने अस्पृश्यताका पाप किया है तो शुद्ध भी मुझे ही होना चाहिए। इसलिए हम जो अस्पृश्यता-निवारणका कार्य कर रहे हैं वह केवल आत्म-शुद्धि है, अस्पृश्योंकी शुद्धि नहीं। मैं तो हिन्दू-धर्मकी इस गैतानियतको निर्मूल करनेकी बात कर रहा हूँ, अस्पृश्योंको फुमलानेकी बात मेरे पास नहीं है।

परन्तु हिन्दू-जातिके लिए खान-पानका सवाल जुदा है। मेरे कुटुम्बमें ऐसे लोग हैं, जो मर्यादा-धर्मका पालन करते हैं। वे और किसीके साथ भोजन नहीं करते। उनके लिए खाने-पीनेके बरतन और चूल्हा भी अलहदा चाहिए। मैं नहीं मानता कि इस मर्यादामें अज्ञान, अधकार या हिन्दू-धर्मका क्षय है। मैं खुद इन बाहरी आचारोका पालन नहीं करता। मुझसे यदि कोई कहे कि हिन्दू-संसारको इसका अनुकरण करनेकी मलाह दो, तो मैं वैसी मलाह नहीं दूँगा। मालवीयजी मेरे पूज्य हैं, मैं उनका पाद-प्रक्षालन भी करूँगा पर वे मेरे साथ खाना नहीं खाते। ऐसा करके वे मेरे साथ घृणा नहीं करते। हिन्दू-धर्ममें इस मर्यादाका अटल स्थान नहीं है, परन्तु एक खास स्थितिमें वह न्युत्य मानी गई है। रोटी-त्रेटी-व्यवहारका सम्बन्ध जिस दरजेतक सयमसे है, उस दरजेतक उमका सीमित रहना ठीक ही है। पर यह बात सब जगह सच नहीं है कि किसीके साथ भोजन करनेसे मनुष्यका पतन होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा लडका जहाँ चाहे और जो चाहे खाना खाता फिरे, क्योंकि आहारका असर आत्मापर पडता है। पर यदि सयम या सेवाकी सुविधाके लिए वह किसीके यहाँ कुछ खास चीजे खाये तो मैं नहीं समझता कि वह हिन्दू-धर्मका त्याग करता है। मैं नहीं चाहता कि खान-पानकी जो मर्यादा हिन्दू-धर्ममें है, उसका पूरा क्षय हो। सम्भव है कि इस मर्यादाको भी छोड़ देनेका युग आ जाये। ऐसा होनेमें हमारा विनाश नहीं हो जायेगा। आज तो मैं वहीतक जानेके लिए तैयार हूँ, जहाँतक मेरा दिल मानता है। मेरे विचारमें इस युगमें रोटी-त्रेटीके व्यवहारकी मर्यादाका लोप नहीं आ सकता। मेरी इस वृत्तिके कारण मेरे कितने ही मित्र मुझे दम्भी मानते हैं, पर इसमें किसी तरहका दम्भ नहीं है, स्वामी सत्यदेव और मैं अलीगढ जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, "आप यह क्या करते हैं? ख्वाजा साहबके यहाँ खायेगे?" मैंने कहा, "मैं खाऊँगा। आपके लिए यही मर्यादा है कि आप न खायें, लेकिन मेरे लिए ख्वाजा साहबके यहाँ खाद्य वस्तुएँ न खाना पतित होना है। पर यदि आप खायेगे तो आपका पतन होगा, क्योंकि आप मर्यादाका पालन करते हैं।" स्वामी सत्यदेवके लिए ब्राह्मण बुलाया गया, उसने उनके



लिए रसोई बनाई। मौलाना अब्दुल बारीके यहाँ भी ऐसा ही इन्तजाम होता है, यहाँ तक कि हम जब जाते हैं तब ब्राह्मण बुलाया जाता है और उसे हुक्म होता है कि तमाम चीजे भी बाहरसे लाये। मैंने मौलानासे पूछा कि इतनी एहतियातकी क्या जरूरत है तो कहते हैं कि मैं दूसरोको भी यह माननेका मौका नहीं देना चाहता कि मैं आपको भ्रष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिन्दू-धर्मके अनुसार बहुत-से लोगोको हमारे साथ खाना खानेसे परहेज होता है। मौलानाको मैं आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। वे सीधे-सादे, भोले आदमी हैं। कभी-कभी भूल कर डालते हैं। पर हैं खुदापरस्त और ईश्वरसे डरनेवाले।

वहुतेरे लोग मुझसे कहेंगे कि आप सनातनी कहाँसे हो गये? आप काशी-विश्वनाथके दर्शन तो करते नहीं, और फिर ढेडकी लडकीको गोद ले लिया है। मुझे इन सवाल पूछनेवालोपर रहम आता है।

अन्त्यज भाइयो, आपके साथ बहुत वाते करने नहीं आया था, फिर भी कर गया, क्योंकि आपके साथ मुझे प्रेम है। आपके साथ जो पाप किये गये हैं, उनके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। पर आपको अपनी उन्नतिकी शर्त भी समझ लेनी चाहिए। मैं जब पूना गया था तब एक अन्त्यज भाईने उठकर कहा था, “हिन्दू-जाति यदि हमारे साथ न्याय न करेगी तो हम मार-काटसे काम लेंगे।” यह सुनकर मुझे दुःख हुआ था। क्या इससे हिन्दू-जातिका या आपका उद्धार हो सकता है? क्या इससे अस्पृश्यता दूर हो सकती है? उपाय तो सिर्फ यही है कि धर्मान्धि हिन्दुओको समझाये-बुझाये और वे जो कष्ट दे, उन्हें सहन करे। आप मदरसेमें जानेका हक चाहे, मन्दिरमें जानेका हक माँगे, चारो वर्ण जहाँ-जहाँ जा सकते हो वहाँ जानेका हक चाहे, जो-जो स्थान और पद वे प्राप्त कर सकते हो उनको पानेका हक माँगे, यह विलकुल ठीक है। अस्पृश्यता-निवारणका अर्थ है कि आपके लिए कोई भी ऐहिक स्थिति अप्राप्य न हो। पर आप इन सब बातोंको पश्चिमी तरीकोसे नहीं, हिन्दू-धर्ममें जो विधि कल्याणकारिणी बताई गई है, उसीके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह मानें कि शरीर-बलके द्वारा कार्य सिद्ध होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि आमुरी भावनोंके द्वारा हम धर्म-कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि आपके अन्दर यह आमुरी भाव न पँठे और आप सच्चे भागवत-धर्मका पालन करे। ईश्वर हमें ऐसी सन्मति दे कि जिससे अस्पृश्यता-निवारण एक क्षणमें हो जाये।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ११-१-१९२५

## ३९८. भाषण : गोरक्षा-परिषद्में

[ २८ दिसम्बर, १९२४ ]

बेलगांवमें हुई गो-रक्षा-परिषद्में गांधीजीने अध्यक्षकी हैसियतसे नीचे लिखा भाषण दिया

मुझे दुःख है कि जो सभा ४ वजे शुरू होनी थी, वह ६ वजे शुरू की गई, और आज मेरे नामने ऐमा प्रमग आ गया है कि मुझे इसको सवा घटेमें ही पूरा कर देना होगा। ऐमा कोई दूसरा उपयुक्त समय है नहीं, जब यह कार्य किया जा सके, और उन परिषद्को परमांतक मुलतवी रखा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने चिकोडीने<sup>१</sup> कहा था कि ४ घटे काफी है और उसे ८ वजेतक पूरा कर देंगे। लेकिन यह नहीं हो सका।<sup>२</sup>

मेरे विचारने गो-रक्षाका प्रश्न स्वराज्यके प्रश्नसे छोटा नहीं है। कई बातोंमें मैं उने स्वराज्यके प्रश्नने भी बड़ा मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जिस तरह अस्पृश्यताके दोषने मुक्त हुए बिना, हिन्दू-मुस्लिम एकता माये बिना और खादीधारी बने बिना हम स्वराज्य नहीं ले सकते, उनी तरह मुझे कहना चाहिए कि जबतक हम यह न जान लें कि गो-रक्षा किम तरह करनी चाहिए तबतक स्वराज्य-जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि उनमें हिन्दू-धर्मकी सच्ची कमीटी है।<sup>३</sup>

मैं सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ, बहुत-से भाइयोंको हँसी आती होगी कि मुसलमानोंमें हिलने-मिलनेवाले, 'वाइविउ' की बातें करनेवाले, अंग्रेजोंके साथ पानी पीनेवाले, मुसलमानोंकी बनाई हुई रोटी खानेवाले और अछूतकी लडकीको गोद लेनेवालेको सनातनी हिन्दू कहना, भाषापर अत्याचार करना कहा जायेगा। फिर भी मैं सनातनी हिन्दू कहानेका दावा करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि एक समय ऐसा आयेगा जब मेरे मरनेके बाद सब यह स्वीकार करेंगे कि गांधी सनातनी हिन्दू था, क्योंकि गो-रक्षा मुझे बहुत प्रिय है।

बहुत समय हुआ, मैंने 'यग इंडिया' में 'हिन्दू-धर्म' पर एक लेख<sup>४</sup> लिखा था। वह मेरा अत्यन्त विचारपूर्वक लिखा हुआ लेख है। उसमें हिन्दुत्वके लक्षणोपर विचार

१. स्वागत-समितिके अध्यक्ष ।

२. यह पैरा महादेव देसाईकी टावरीसे लिया गया है।

३. यग इंडिया, २९-१-१९२५ म, प्रकाशित इस भाषणके अंग्रेजी विवरणके अनुसार यह वाक्य कुछ क्षम प्रकार है

मैं तो पक्षतक कहूँगा कि जिन प्रकार हिन्दू-मुसलमान एकता पैदा किये बिना, हिंदू धर्मको अस्पृश्यताके कल्कमे मुक्त किए बिना और हाथ कते तथा हाथ बुनेको पहनावा बनाये बिना स्वराज्य हासिल करना असम्भव होगा, उनी तरह गो-रक्षाका कोई सटी उपाय निकाले बिना स्वराज्य प्राप्त करना असम्भव और स्वराज्य शब्द बिल्कुल ही अर्थहीन होगा, क्योंकि यही एक कसौटी है जिसपर हिन्दू धर्मको परखा और प्रमाणित किया जा सकता है और तभी भारतमें वास्तविक स्वराज्य सम्भव हो सकता है।

४. देखिए पृष्ठ २१, पृष्ठ २५६-६१ ।

करते हुए वेदादिको मानना, पुनर्जन्ममें विश्वास रखना और 'गीता', गायत्री आदिमें श्रद्धा होना आदि लक्षण बताये गये हैं। फिर भी सामान्य हिन्दुओंके लिए तो मैंने गो-रक्षाका प्रेम ही हिन्दुत्वका मुख्य लक्षण ठहराया है। कोई पूछे कि दस हजार वर्ष पहले हिन्दू क्या करते थे? बड़े विद्वान् और पण्डित कहते हैं कि वेदादि ग्रथोंमें गो-भेदकी बात है। छठे दर्जेमें पढते हुए मैंने सस्कृत पाठशालामें 'पूर्व ब्राह्मण गवा माम भक्षयामामु' यह वाक्य पढा था और मैंने मनसे पूछा था कि क्या यह सच होगा? ऐसे वाक्योंके वावजूद मैं मानता आया हूँ कि वेदमें ऐसी बात लिखी हो तो शायद उसका अर्थ यह न रहा होगा जो हम करते हैं—दूसरी बात भी सम्भव है। मेरे अर्थके अनुसार अथवा मेरी आत्माकी प्रतीतिके अनुसार—मेरे पास पाण्डित्य अथवा शास्त्रीय ज्ञानका आधार नहीं है, आत्माकी प्रतीतिका ही आधार है—ऊपर कहे हुए वचनों-जैसे वचनोंका दूसरा अर्थ न हो तो ऐसा होना चाहिए कि वे ही ब्राह्मण गो-भक्षण करते थे, जो गायको मारकर उसे फिर जिला सकते थे। मगर ऐसे वाद-विवादके साथ हिन्दू जनताका कुछ भी सरोकार नहीं। मैंने वेदादिका अध्ययन नहीं किया और अधिकतर सस्कृत ग्रथोंको मैं अनुवादसे ही जानता हूँ, इसलिए मेरे-जैसा प्राकृत मनुष्य डम विषयमें क्या बात करे? मगर मुझे आत्म-विश्वास है और इसलिए मैं अपने अनुभवकी बात हर जगह किया करता हूँ। गो-रक्षाका अर्थ ढूँढने जायेंगे तो शायद हमें कहीं भी एक अर्थ न मिले, क्योंकि हमारे धर्ममें कलमें-जैसी सर्वमान्य कोई एक चीज नहीं है और पैगम्बर भी नहीं है। इससे शायद हमारा धर्म ममझनेमें कठिनाई पडती है। परन्तु उससे आसानी भी होती है, क्योंकि बहुत-सी बातें हिन्दू जनतामें स्वाभाविक रीतिसे प्रवेश कर गई हैं। बालक भी समझता है कि हमें गो-रक्षा करनी चाहिए और गो-रक्षा न करे तबतक हम हिन्दू कैसे?

मगर गो-रक्षा करनेकी आजकलकी रीति मुझे पसन्द नहीं। हमारा गो-रक्षाका मौजूदा तरीका देखकर मेरा दिल अकेलेमें रोता है। रोना मुझे पसन्द नहीं। कोई रोये तो मुझे दुःख होता है, क्योंकि हमें भारी बलिदान करने है और भारी बलिदान करनेवाले रोकर क्या हामिल करेंगे? फिर भी मेरा दिल गो-रक्षाके अर्थपर रोता है। कुछ वर्ष पहले मैंने 'हिन्द स्वराज्य' में लिखा था कि हमारे गो-रक्षक मण्डलोंको गो-भक्षक मण्डल कहा जा सकता है।<sup>१</sup> उसके बाद मन् १९१५ में हिन्दुस्तान आ जानेके बादसे आजतक मेरी यह राय पुन्ता ही होती गई है। ऐसे विचार होनेमें मुझे लगा कि गो-रक्षा-परिषद्का अध्यक्ष मैं क्या बनूँगा और लोगोंको अपने विचार कैसे समझाऊँगा? लेकिन गगाधररावजीने मुझे तार भेजा कि आप अपनी धर्मपर नभापति बनिये, भाई चिकोडीजी आपके विचार जानते हैं और उनसे बहुत-कुछ सहमत हैं। इसलिए मैंने आता मजूर किया। उतना तो मैंने प्रस्तावनाके तीर-पर रूहा।

१. दैनिष् पृष्ठ १०, पृष्ठ २८-३०।

२. अग्नेजी पाठके अनुसार, "अपनी नकाईके तीरपर रूहा।"

चम्पारनमें एक जगह गो-रक्षाके बारेमें अपने विचार सुनाते हुए मैंने कहा था कि जिसे गो-रक्षा करनी हो, वह यह बात भूल जाये कि हमें मुसलमानों या ईसाइयों-से गो-रक्षा कराना है। हम आज यह समझते मालूम होते हैं कि दूसरे धर्मके लोग गो-मांस या गो-वध छोड़े, इसीमें गो-रक्षाकी समाप्ति है। मुझे इस बातमें कोई अर्थ दिखाई नहीं देता।

मगर इससे कोई यह न समझे कि किसीका गो-वध करना मुझे पसन्द है या गो-वधको मैं सहन कर सकता हूँ। मैं यह दावा स्वीकार नहीं करता कि गो-वधसे मेरी अपेक्षा किसी दूसरेकी आत्माको अधिक दुःख होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी हिन्दूको गो-वधके कारण मुझसे ज्यादा सरत चाँट पहुँचती होगी। मगर मैं क्या करूँ? मैं अपना धर्म पालन करूँ या दूसरेसे कराऊँ? मैं दूसरेको ब्रह्मचर्यका उपदेश दूँ और खुद व्यभिचार करूँ, तो मेरे उपदेशका क्या अर्थ? मैं गो-मांस भक्षण करूँ और मुसलमानोंको रोकूँ, यह कैसे हो सकता है? मगर मैं गो-वध न करता होऊँ, तब भी मुसलमानोंको गो-वध करनेमें बलात् रोकना मेरा धर्म नहीं।<sup>१</sup> मुसलमानोंसे जबरदस्ती गो-वध बन्द कराना उन्हें जबरदस्ती हिन्दू बनाने-जैसा है। हिन्दुस्तानमें हिन्दू राज्य हो तो भी गो-वधको अवधर्म न माननेवालोंको गो-वधके लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए।<sup>२</sup>

मेरे मनमें गो-रक्षा कोई सीमित चीज नहीं है। मैं गो-रक्षाकी प्रतिज्ञा करता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि हिन्दुरतानकी ही गायोंको बचाऊँगा। मैं तो ससार-भरकी गायोंको बचानेका नियम रखूँगा। मेरा धर्म यह सिखाता है कि मुझे अपने आचरणसे जता देना चाहिए कि गो-वध या गो-भक्षण करना पाप है और उसे छोड़ देना चाहिए। मेरा मनोरथ तो इतना बड़ा है कि सारी पृथ्वीके लोग गायकी रक्षा करने लगे। मगर इसके लिए मुझे पहले अपना ही घर अच्छी तरह साफ करना चाहिए।

दूसरे प्रान्तोंकी बात जाने दूँ। गुजरातकी ही बात करूँ तो कहूँगा कि गुजरातमें भी हिन्दुओंके हाथों गो-वध होता है। गायद आप न माने। मगर आपको पता न होगा कि गुजरातमें बैलकी गाडीमें जोतकर, गाटीमें खूब बोझा भरकर उसे आर भोकी जाती है, जिससे उसके शरीरमें खूनकी धार चलती है। आप कहेंगे कि यह गो-वध नहीं कहा जा सकता, बैल-वध भले कहलाये। मैं तो इसे गो-वध ही कहूँगा, क्योंकि बैल गायकी सन्तान है। फिर गायद आप कहेंगे कि ताडनको वध नहीं कहा जा सकता। मगर हिंसाकी व्याख्या दूसरेको दुःख देना या सताना है। अगर बैलके जवान हो तो वह जरूर कहे कि रोज-रोज आर भोककर सतानेसे तो मैं ज्यादा पसन्द करूँगा कि एक दिन छूरी चलाकर मुझे कत्ल कर दो। इसलिए बैलपर इस तरह जुलम करनेको मैं गायकी हिंसा समझता हूँ। एक सिन्धी मुझे कलकत्तेमें मिला था। वह मुझसे वहाँ

१ यंग इंडियामें प्रकाशित अंग्रेजी विवरणमें एक वाक्य और जुड़ा है “मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम उनकी गो-वधकी अनुमति देता है।”

• २. अंग्रेजी विवरणमें यह वाक्य इस प्रकार है “मेरी रायमें तो भारतमें स्वराज्य हो जानेपर भी हिन्दू बहुमतके लिए यह अनुचित और अविवेकपूर्ण ही होगा कि वह एक कानून बनाकर मुसलमान अल्पसंख्यकोंको गो-वध बन्द करनेपर विवश करे।”

गायपर सदा जो हिंसा होती है उसकी वाते करता था। एक बार उसने मुझे ग्वालेके घर चलकर फूँके द्वारा गायका दूध निकालनेकी क्रिया देखनेको कहा। वह भयकर दृश्य मैंने खुद देखा। मुझे विश्वास है कि वह क्रिया आज भी जारी है। उसे करनेवाले हिन्दू हैं। दुनियामे कहीं भी गाय-बैल हमारे यहाँकी तरह बेहाल नहीं होंगे। हमारे बैलके गरीरपर हड्डी और चमडीके सिवा कुछ नहीं होता। फिर भी हम उनसे अपार दोजा उठवाते हैं। जबतक यह होता है तबतक हम किसीसे गो-वध वन्द करनेकी माँग नहीं कर सकते।

‘भागवत’ मे हम पढते हैं कि भारतवर्षका नाश कैसे हुआ। उसके अनेक कारणोमे एक कारण हमारा गो-रक्षा छोड देना भी बताया गया है। गो-रक्षा करनेकी अगवित्ताका हिन्दुस्तानकी गरीबोके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। आप और मैं भी गहरके रहनेवाले हैं। इसलिए हमे गरीबोकी स्थितिका अन्दाजा नहीं हो सकता। करोडोको एक जून भी पूरा खानेको नहीं मिलता। करोडो लोग सडे हुए चावल या आटा और नमक-मिर्च खाकर गुजर-बसर करते हैं। ऐसे लोग गायकी रक्षा कैसे करे ?

हिन्दुस्तानमे अनेक पिजरापोल जैनोंके हाथमे है। इन पिजरापोलोमे बीमार जानवरोको रखा जाता है। वहाँ जैसी चाहिए, वैसी व्यवस्था और सुविधा नहीं होती। हमारे पास पिजरापोल हीं नहीं, सुन्दर डेरियाँ भी होनी चाहिए। बडे-बडे शहरोमे वालकोंके लिए भी शुद्ध दूध नहीं मिल पाता। गरीब मजदूरोकी स्त्रियाँ वालकोको दूधके बजाय आटा और पानी घोलकर पिलाती हैं। २३ करोड हिन्दुओकी आवादी-वाले हिन्दुस्तानमे शुद्ध दूध न मिले, इसका इतना अर्थ तो है ही कि हमने गो-रक्षा छोड दी है।

गोरक्षाके विषयमे मुझसे पाठ लेना ही तो मेरा पहला पाठ यह है कि मुसलमानो और ईसाइयोको भूल जाओ और अपने धर्मका पालन करो। भाई शैकत अलीको मैं माफ कहता आया हूँ कि उनकी खिलाफतकी गायको बचाऊंगा तो ही मेरी गाय बचेगी। मैंने मुसलमानोके हाथमे अपनी गरदन क्यों दी है ? गायकी रक्षाके लिए। मुसलमानोमे मैं गायको बचाना चाहता हूँ, इसका अर्थ यह है कि उनके दिलपर असर करके गायको बचाना चाहता हूँ। जबतक उनमे इतनी समझ न आ जायेगी कि हिन्दू भाइयोके खातिर गो-वध नहीं करना चाहिए, तबतक मैं धीरज रखूंगा। अपने कृत्यमे, अपनी खुदकी गो-रक्षा और गो-भक्तिमे ही मैं उनका दिल बदल सकूंगा।

मेरी दृष्टिमें गो-वध और मनुष्य-वध एक ही चीज है। उन दोनोको रोकनेका उपाय यही है कि हम अहिंसा सीखें और मारनेवालेको प्रेममे अपना लें। प्रेमकी

१. यंग इंडिया, २९-१-१९२५ में प्रकाशित अंग्रेजी विवरणमें य शब्द ओर लुढ़े हैं: ‘अहमदाबाद-दैनिक मसूदा शहरमें भी कुत्ते . . .’।

२. यंग इंडियाके अंग्रेजी विवरणमें यह वाक्य इस प्रकार है: “पिजरापोलोकी इतनी विस्तृत व्यवस्थाके बावजूद हमारे देशमे गो-रक्षा कसे की जाती है, यह शकित जाहिर हो जाता है कि गरीब लोगोको अच्छा शुद्ध दूध मिल ही नहीं पाता। आशा है कि हमसे आपकी समझमें आ जायेगा कि गो-रक्षा न कर पानेके अनेक दुष्परिणामोमें से ही एक यह भी है कि लोग कगाली ओर भुजमरीके शिकार बनते जाते हैं।

परीक्षा तपश्चर्यामि है और तपश्चर्याका अर्थ है दुःख सहन करना। मैं मुसलमानोंके लिए यथाशक्ति दुःख सहनेको जो तैयार हुआ, उसका कारण स्वराज्य-प्राप्तिकी छोटी तो थी ही, लेकिन गायको बचानेकी बड़ी बात भी उसमें थी।

‘कुरानशरीफ’ में, मेरी समझसे, ऐसा लिखा है कि किसी भी प्राणीकी व्यर्थ जान लेना पाप है। मैं मुसलमानोंको यह समझानेकी शक्ति अपनेमें पैदा कर लेना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंके साथ रहकर गो-वध करना हिन्दुओंका खून करनेके बराबर है, क्योंकि ‘कुरान’ कहती है कि खुदाका हुक्म है कि बेगुनाह पड़ौसीका खून करनेवालेके लिए जन्नत नहीं है। अर्थात् आज जो मैं मुसलमानोंका साथ देता हूँ, उनके साथ ऐसा बरताव करता हूँ जिससे उन्हें दुःख न हो, उनकी खुशामद करता हूँ, यह केवल उनकी धर्मवृत्ति जाग्रत करनेके लिए है, न कि उनके साथ वनियान-पन या सौदेबाजी करनेके लिए। अपने कर्तव्य-पालनके फलके वारेमें मुसलमानोंके साथ बात नहीं करता। उस विषयमें तो ईश्वरसे ही बात करता हूँ। अपने ‘गीता’-पाठसे मैं समझता हूँ कि अच्छे कामका बुरा नतीजा कभी नहीं आ सकता। इससे मैंने निश्चय किया है कि मुसलमानोंके साथ शर्त किये बिना उनका साथ देना मेरा कर्तव्य है।

इसी तरह अंग्रेजोंके वारेमें। आज उनके लिए जितनी गायें कटती हैं, उतनी मुसलमानोंके लिए नहीं कटती। मगर मैं तो उनका भी हृदय ही हिलाना चाहता हूँ — उन्हें यह समझाकर कि पश्चिमकी सभ्यता जिस हदतक विरोधी हो उस हदतक वे उसे भूल जायें और जबतक यहाँ रहे तबतक यहाँकी सभ्यता सीख लें। यदि हम अपने स्वार्थके लिए भी अहिंसा सीख लेंगे और अहिंसाका पालन करेंगे तो गो-रक्षा हो सकेगी, अंग्रेज मित्र बन जायेंगे। अंग्रेज और मुसलमान दोनोंको मैं मरकर, यानी अपनी कुर्बानीसे खरीदना चाहता हूँ। अंग्रेज कर्मचारियोंमें आज बड़ा घमण्ड है। इसलिए जिस तरह मैं मुसलमानोंके सामने विनम्र बनता हूँ उस तरह उनके सामने नहीं बनता। मुसलमान तो आज हिन्दुओंकी तरह ही गुलाम हैं। इसलिए उनसे मित्र-भावसे बात कर सकता हूँ। अंग्रेज मेरे इस मित्र-भावको नहीं समझ सकते और मुझे लाचार जानकर सम्भव है, मेरा तिरस्कार करें। वे मेरी मदद नहीं चाहते। वे तो आश्रयदाता बनना चाहते हैं। इसलिए उनके प्रति मैं शान्त रहता हूँ। दान सुपात्रको और ज्ञान जिज्ञासुको ही देनेका शास्त्र-नियम है। अंग्रेज शासकोसे मैं इतना ही कहूँगा कि आपका कृपा-भाव मुझे नहीं चाहिए। आपके साथ मैं प्रेमपूर्ण असहयोग ही करता हूँ। चौरीचौराके और बम्बईके दंगोंके समय, और अहमदाबाद वीरभगाँवके हंगामेके समय, मैंने सत्याग्रह मुलतवी किया, उसका कारण यही था कि ऐसा करके मैं साबित करना चाहता था कि मैं हत्या करके नहीं, बल्कि अंग्रेजोंको बचाकर यानी प्रेमपूर्ण व्यवहारसे स्वराज्य लेना चाहता हूँ। आज यहाँसे अंग्रेजों और मुसलमानोंको मारकर या निकालकर मैं गायको बचाऊँ तो उससे मुझे क्या सन्तोष होगा? मुझे तो सन्तोष तभी होगा जब दुनिया-भरके लोग गायको बचाने लगे, यह शुद्ध अहिंसाके पालनसे ही हो सकता है।

अब गो-रक्षाका मेरा अर्थ आपकी समझमें आ गया होगा। गो-रक्षाका स्थूल अर्थ यह है कि हम स्थूल गायकी रक्षा करें। गो-रक्षाका सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ यह

है कि प्राणि-मात्रकी रक्षा की जाये। आज हम अहिंसा नीतिके परिणामो और उसकी शक्तिको नहीं जानते। मुसलमान, ईसाई और हिन्दू नहीं जानते कि उनके धर्म-ग्रन्थ अहिंसामे भरे हैं। हमारे ऋषियोने मन्त्रोके अर्थ करनेके लिए भारी तपस्या की थी। गायत्रीका जो अर्थ आज सनातनी करते हैं वह सच्चा है या आर्य-समाजी करते हैं वह सच्चा है, यह कौन कह सकता है? मेरा तो दृढ विश्वास है कि ईश्वरके भेजे हुए किसी भी सन्देशका अर्थ—किसी भी सूत्रका अर्थ—जैसे-जैसे हम सत्य और अहिंसाके प्रयोगमे आगे बढ़ते जायेंगे, वैसे-वैसे अधिक खुलता जायेगा। ऋषि कह गये हैं कि गो-रक्षा हिन्दूका परम कर्त्तव्य है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलता है। मैं नहीं मानता कि केवल स्थूल गायकी रक्षा करनेसे ही मोक्ष मिल जायेगा, क्योंकि मोक्ष पानेके लिए राग-द्वेष छोड़ना जरूरी है। इसलिए गो-रक्षाका जो सामान्य अर्थ हम करते हैं, उससे व्यापक अर्थ करना चाहिए। गो-रक्षासे मुक्ति मिलती हो तो गो-रक्षाका अर्थ सिर्फ गायकी ही रक्षा नहीं बल्कि प्राणि-मात्रकी रक्षा होना चाहिए, अर्थात् कोई भी हिंसा—कटु वाक्यमे स्त्री, भाई-बन्धु किसीका भी जो दुखाना, किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचाना—गो-रक्षाका उल्लंघन है, गो-भक्षण है। हिन्दू-धर्ममे गायकी रक्षाका उपदेश है तो क्या गायको न मारना और बकरीको मारना चाहिए? गायका सकुचित अर्थ करनेमे ऐसे बहुतसे अनर्थ हो सकते हैं। गो-रक्षा करनेवाले बहुत-से हिन्दू दूसरे जानवरोंका मान खाते हैं। मेरी तुच्छ रायमें वे गो-रक्षा करनेका दावा नहीं कर सकते।

लाला धनपतराय नामक मेरे जैसा एक पागल-सा आदमी लाहौरमे मुझे मिलने आया था। उसने मुझे कहा कि तू गो-रक्षा करना चाहता हो तो हिन्दू जो पाप कर रहे हैं उनसे उन्हें बचा। उसने कहा कोई हिन्दू अगर गायको न बचे तो कत्ल कौन करे? रुमाईको गाय कोई दे ही नहीं तो वह गाय लाये कहाँमे? इसमे आर्थिक प्रश्न है। हमारी गोचर-भूमि नरकारने ले ली। इस कारण गायका दूध देना बन्द करनेपर हिन्दू तुरन्त उसे बेच देते हैं। इसका उदाय धनपतरायने मुझे बताया। उसने कहा कि ऐसी गायको बेचनेकी जरूरत नहीं। गायसे बैलका काम क्यों न लिया जाय? हमारे धर्ममे ऐसा नहीं कहा गया है कि गायका भारवाहक जावनरके तौर पर उपयोग न किया जाये। हम अपनी मानाओपर जितना बोझ रखते हैं, उतना उमर भी डाले। गायको गिला-पिलाकर, प्रातःकाल उसकी पूजा करके थोड़ा काम उसमे ले रे, तो क्या बुराई है? ऐसा उन भाईने मुझमे पूछा। उसके पास बहुत-सी गायें हैं। वह उन गायोंको मोटी-नाजी करके गाड़ी और हठमे जोतता है। फिर वे फरती हैं और गो-ब्रज बटाती हैं। यह मैंने आँपने नहीं देखा। धनपतरायकी कही हुई बात है। मगर उसे न माननेका कोई कारण नहीं है। मैं मानता हूँ कि यह विचारने लायक बात है। छोटे उन तरह भी गायकी रक्षा करना हो तो उसकी निन्दा नहीं होनी चाहिए।

उन परिपदमें कुछ प्रस्ताव गृहानेकी मेरी उच्छा थी, मगर अब प्रस्तावना नमय नहीं है। और आज मैंने जो बाने कही, उनमें से आप कुछ बातें समझे न हो तो

भी प्रस्तावोंके वारेमें 'हाँ' करे, तो उसमें मेरा और आपका कल्याण कैसे होगा ? इसलिए मेरी सलाह यह है कि मेरा यह व्याख्यान सुनकर आप लोग एक कमेटी बनायें, उसमें कुछ साधु-चरित गो-रक्षा-भक्त हिन्दुओंको रखें और वे सभाका विधान बनाकर, मैंने जो बातें पेश की हैं उनमें से स्वीकार करने लायक बातें स्वीकार करके सभाको स्थायी रूप देनेके लिए अगली परिपद्मे सभाका विधान पेश करें।

[ गुजरातीमें ]

-नवजीवन, २५-१-१९२५

### ३९९. भाषण : अ० भा० देशी रियासत-परिषद्में<sup>१</sup>

[ ३० दिसम्बर, १९२४ ]

पण्डालमें प्रवेश करनेपर महात्मा गांधीका जोरकी हर्ष-ध्वनिके साथ स्वागत किया गया।

उन्होंने कहा

पिछले कुछ दिनोंमें सभी लोगोंने मेरे प्रति जो स्नेह प्रदर्शित किया है उससे मैं अभिभूत हो गया हूँ। आज आपके अव्यक्षित अपना भाषण बीच ही में स्थगित करके मुझे आपसे कुछ शब्द कहनेका अवसर देकर उस स्नेहका और प्रमाण दिया है। आपको मालूम होगा कि मैं भारतके एक गाँवमें पैदा हुआ था। मैं काठियावाड़की रियासतोंको जानता हूँ। उनके साथ मेरे सम्बन्ध सद्भावपूर्ण हैं। हालाँकि मैं कुछ कहता नहीं लेकिन देशी रियासतोंमें होनेवाली गति-विविधियोंको बराबर देखता रहता हूँ। अध्यक्ष-पदसे दिये गये अपने भाषणमें मैंने देशी रियासतोंका उल्लेख किया है। अभी हालमें बम्बईमें जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, उसने स्वराज्यकी एक योजना तैयार करनेके लिए एक समिति नियुक्त की है और अपने भाषणमें मैंने आनेवाले स्वराज्यकी अपनी रूपरेखा बतलाई है। अपने विचारोंको मुझे क्रमसे-क्रम वाक्योंमें बताना पडा और इसलिए मैं देशी रियासतोंके वारेमें चन्द वाक्य ही कह सका। मेरे कुछ बकील मित्रोंको, देशी रियासतोंके वारेमें मैंने जो कहा है, उसपर कुछ आपत्ति है। उनका कहना है कि मैंने भारतीय राजाओंके दर्जेके वारेमें तो कहा है लेकिन अपनी प्रजाके प्रति उनके दायित्वोंके वारेमें कुछ नहीं कहा है। लेकिन मुझे अपने इन मित्रोंको यह याद दिलानेकी जरूरत नहीं है कि अधिकारके साथ ही दायित्व भी हमेशा जुडा होता है। भारतीय स्वराज्यकी मेरी योजनामें देशी रियासतोंको समाप्त करनेका कोई विचार नहीं है। मैं अपना यह मत जनताके सामने बिलकुल स्पष्ट रूपमें रख देना चाहता था। लेकिन यदि किसी देशी नरेशके अत्याचारोंके कारण देशी रियासतोंकी प्रजा भागकर ब्रिटिश भारतीय सीमामें आ जाये तो स्वराज्य सरकार किसी भी कीमतपर इन लोगोंको

१. यह परिषद् बेलगाँवमें हुई थी तथा इसकी अध्यक्षता न० चि० केलकरने की थी।



सम्बन्धित नरेशके हवाले नहीं करेगी। प्रजाको दी गई गारटी और नरेशको उनके दर्जेके बारेमें दी गई गारटीके पीछे यह अभिधारणा है कि देशी रियासतोमे अच्छा शासन होगा।

रेखा-गणित (ज्यामिति) मे कुछ अभिधारणाएँ होती है। उसी प्रकार राजनीति-शास्त्रमे भी कुछ अभिधारणाएँ होती है। जब देशी नरेशको उनके दर्जेके बारेमे गारटी दी जाती हे तो ऐसा मान लिया जाता हे कि वे अपनी प्रजाके लिए प्रगतिशील और उदार शासनकी व्यवस्थाकी गारटी करेगे। मैं कुछ ही समय बाद भावनगरमे काठियावाड राज्य परिपद्की अध्यक्षता करनेवाला हूँ और देशी रियासतोके बारेमे मुझे जो-कुछ कहना हे, वह मैं उमी अवसरपर कहूँगा। इस परिपद्की अध्यक्षता करनेके लिए मुझे बहुत समय पहले निमन्त्रित किया गया था। लेकिन अपनी गिरफ्तारीसे पहले मैं सत्याग्रहका झण्डा फहरा चुका था और मुझे लगा कि इस वक्त मेरे ऐसे किसी सम्मेलनकी अध्यक्षता स्वीकार करनेसे देशी नरेशोकी स्थिति अटपटी हो जायेगी। मैं उन्हे किमी अटपटी स्थितिमे डालकर अपने और उनके बीचके सुन्दर सम्बन्धोको खराब नहीं करना चाहता था। आप जानते है कि मैं अहिंसामे कट्टर विश्वास रखता हूँ। देशी नरेशो और उनकी प्रजाके बीचके मधुर सम्बन्धोको कटु बनाना मेरे सिद्धान्तोके विरुद्ध होगा। लेकिन मुझे आपको यह विश्वास दिलानेकी जरूरत नहीं है कि मैं इन रियासतोकी जनताको और उनके वाजिब दावोको कभी नहीं भूल सकता। देशी रियासतोके प्रश्नको मुलज्ञानेमें मेरी इच्छा यही है कि ऐसा वातावरण रहे जिसमे लोग एक-दूसरेकी बात सद्भावमे मुनें और समझे और इस तरह इसे निपटा दिया जाये। मैं किमी पक्षके मनमे कोई दुराग्रह नहीं पैदा करना चाहता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि नरेशोके दर्जे और उनकी प्रजाके अधिकारोका आदर किया जाये। मेरी हार्दिक इच्छा है कि खादी और चरखेके प्रचार कार्यमे मैं देशी नरेशोकी सहानुभूति प्राप्त करूँ। मैंने अपना समूचा विश्वास चरखेपर केन्द्रित कर दिया है। मेरा विश्वास है कि उनीपर उम देशकी मुक्ति निर्भर करती है।

महात्माजीके चले जानेके बाद श्री केलकरने उनके भाषणका आशय मराठीमें नक्षेपमें बताया और इसके बाद अपना अग्रेजी भाषण पढा।

[अग्रेजीमे]

वॉम्बे क्रॉनिकल, २-१-१९२५

## ४००. पत्र : कुमारी मैडिलीन स्लेडको

गाडीमें

३१ दिसम्बर, १९२४

प्रिय वहन,

मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपको इससे पहले न लिख सका। मैं लगातार सफरमें रहा। आपने जो २० पीड भेजे, उनके लिए आपका आभारी हूँ। यह रकम चरखेके प्रचारमें इस्तेमाल की जायेगी।

मुझे सचमुच खुशी है कि आपने अपने प्रथम आवेगमें न वहकर, यहाँके जीवनकी तैयारी करनेके लिए समय लगानेका निश्चय किया है। अगर साल-भरके परीक्षणके बाद भी आपको यहाँ आनेकी प्रेरणा महसूस हो तो आपका हिन्दुस्तान आना शायद उचित रहेगा।

आपका,

मो० क० गाधी

कुमारी मैडिलीन स्लेड  
६३, वेडफोर्ड गार्डन्स  
कैम्पडेन हिल,  
लन्दन, इंग्लैंड ८

अग्नेजी पत्र (सी० इंग्लैंड ५१८१)से।

सौजन्य मीरावहन

## ४०१. भाषण : अ० भा० मुस्लिम लीग अधिवेशनमें<sup>१</sup>

बम्बई

३१ दिसम्बर, १९२४

श्रीमती नायडू दक्षिण आफ्रिका होकर आई हैं और वहाँके सम्बन्धमें उन्होंने आपको सब-कुछ बताया है। मुझे जितना-कुछ कहना था वह मैं कांग्रेसमें कह चुका हूँ। मैं कह नहीं सकती कि सरकारसे कहकर हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। मेरी समझमें, जबतक हम सशक्त नहीं होंगे तबतक केनियामे जो-कुछ हो रहा है, वह हमें सहना ही होगा। एक समय था जब दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रह चल रहा था और सरकार भी कहती थी कि भारतीय लोग सम्राट्के प्रति निष्ठावान नहीं रह

१ यह भाषण उस प्रस्तावका समर्थन करते हुए दिया गया था जिसमें नेटाल वरोज अध्यादेशकी निन्दा की गई थी, इस अध्यादेशके द्वारा नेटालवासी भारतीयोंका नगरपालिका मताधिकार छीन लिया गया था।

गये हैं, उसी समय लॉर्ड हार्डिंगने मद्रासमें एक घोषणा की और उससे भारतीयोंको काफी लाभ हुआ। इसका कारण यही था कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय लोग मत्वाग्रह कर रहे थे। यदि आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो अपनी सहायता आपको पहले करनी चाहिए।

मुझे यह सुनकर दुःख हुआ कि पूर्व आफ्रिकामें भारतीयोंने कौंसिलमें जानेका निश्चय किया है और वाहरका काम छोड़ दिया है। मैं कह नहीं सकता कि यह सही है या गलत क्योंकि इतनी दूरसे उसके वारेमें मैं कुछ धारणा नहीं बना सकता।

हमारे लिए समय है कि हम अपनी शक्ति बढ़ाये। तब आप देखेंगे कि लॉर्ड रीडिंग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे जो लॉर्ड हार्डिंगने किया था। हिन्दू-मुस्लिम एकता अत्यन्त आवश्यक है और इसके साथ ही खदर पहनना भी जरूरी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह बात मुझे यहाँ कहनी चाहिए या नहीं। मैं चाहता हूँ कि सभी सरकारी पद मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयोंको दिये जाये, क्योंकि उनकी मर्यादा कम है और यदि फिर भी कुछ बच रहे तो वे हिन्दुओंको दिये जाये।

मुझे बंगालमें खादी कार्यके वारेमें अपने एक साथी कार्यकर्ता श्री [सतीश वावू] रायसे पता चला है। वहाँ यह कार्य मुख्यतः मुसलमान औरतें कर रही हैं। वे अपनी आजीविका चरखेसे कमाती हैं। अतः यदि आप उन्हें लाभ पहुँचाना चाहते हैं तो खादी पहनिए। यदि आप मित्रकी सहायता करना चाहते हैं तो जैसा मैं मीलाना मुहम्मद अलीको बता चुका हूँ, इसका एकमात्र रास्ता यही है कि आप पहले स्वराज्य प्राप्त करें तब और केवल तभी आप सच्चे अर्थमें टर्की, मित्र और अरबकी मदद कर सकते हैं। हिन्दू और मुसलमान कागजी समझौते और प्रस्तावोंके जरिये ही नहीं, बल्कि दिलसे परस्पर एक होंगे तभी आप भारतमें और भारतसे वाहर उन्मामही रक्षा कर सकते हैं। आप कृपया ये चीजें एक सालतक करें और फिर उनके परिणाम आप मुद ही देखेंगे। (हृष-ध्वनि)

[अग्नेजीमें]

बॉम्बे क्रॉनिकल १-१-१९२५

## ४०२. वेलगाँवके संस्मरण [-१]

जब कि बहुतेरें अन्न मनमें उभर रहे हों और वे सभी अभिव्यक्तिके लिए तउप रहे हों तब उनकी त्रिपिबद्ध करनेवालेका काम मचमुच बड़ा ही कठिन हो जाता है। वेलगाँवके अपने संस्मरण लिखनेके लिए पेन्सिल हाथ लेते समय मेरी हालत ऐसी ही हो रही है। मैं कोशिश-भर कर सकता हूँ।

मगाधराज्य देखागटे और उनके माथियोंकी टोलीने अतीव दक्षता दिग्वाडे। उनके विजयनगरकी तो विजय ही समझिए—स्वराज्यकी तो नहीं, पर मगधनकी विजय तो जयजय ही थी। छोटीने-छोटी बातक वटे मुनियोजित टगमें की गई थी। डा० गर्जितरते स्वयंसेवक चुन्त और चौतन वे। मडके चौटी और साफ-मुथगी थी। वे

आसानीसे और भी चौड़ी की जा सकती थी, जिससे वहाँ लगाई गई अस्थायी दुकानोंकी ओर हजारों तमाशवीनोंकी भीड़को आमद-रफ्तमे सहूलियत होती। रोशनीका इन्तजाम पूरा-पूरा था। विंगाल-सभा-मण्डप और उसके सामने खड़ा सगमरमरी फव्वारा तमाम प्रवेश करनेवालोंको अपनी ओर आकर्षित करता हुआ लगता था। मण्डपमें कमसे-कम १७,००० आदमियोंकी गुजाइश की गई थी। सफाईका इन्तजाम बहुत अच्छा था, फिर भी उसमे इससे ज्यादा वाकायदगी दरकार थी। इस्तेमाल किये हुए पानीको बाहर निकालनेका तरीका बहुत पुराने जमानेका था। मैं कानपुरके लोगोंका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ। कांग्रेसका १९२५ का अधिवेशन उन्हें अपने यहाँ करनेका सौभाग्य प्राप्त होनेवाला है। उन्हें चाहिए कि वे ऐसे पडावोंमे सफाई रखनेके निहायत कारगर तरीकोपर अभीमे गौर करते रहे और इस बड़े जरूरी कामको ऐन वक्तके लिए न रत्न छोडे।

एक ओर जहाँ मैं वेलगाँव कांग्रेसके लगभग त्रुटिहीन प्रवन्धकी वेहिचक तारीफ करता हूँ, वहाँ दूसरी ओर मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि गगाधररावजी बाहरी ठाठ-त्राटपर खूब रूपया खर्च करने और शीर्षस्थ लोगोंको ऐंगो-आरामके साधन मुहैया करनेकी पुरानी परिपाटीके मोहसे अपनेको नहीं बचा सके। सभापतिकी 'झोपडी' को ही लीजिए। मैंने तो एक खादीकी झोपडीका ही सौदा किया था, पर खादीका एक खासा महल ही तैयार करके मेरा अपमान किया गया। सभापतिके लिए जितनी लम्बी-चौड़ी जमीन रखी गई, वह देशक जरूरी थी। उस 'महल' के चारों ओर जो बाड़ा तैयार किया गया था, वह भी विलकुल जरूरी था, क्योंकि उसकी बदौलत उन लोगोंकी भीड़से मेरी रक्षा होती थी, जो मेरे प्रति प्रेम और आदरके कारण मुझे बहुत दिक और परेशान कर सकते थे। लेकिन मैं निश्चयके साथ कहता हूँ कि अगर उसका ठेका मेरे जिम्मे रहता, तो इससे आवे खर्चमे सभापतिके लिए उतनी ही जगह और उतने ही आरामका इन्तजाम कर देता। ऐसी फजूलखर्चीकी मैं और भी मिसालें दे सकता हूँ। विषय समितिके सदस्यो तथा अन्य लोगोंके जलपानमे भी ऐसी ही फजूलखर्ची दिखाई देती थी। जो भी चीजे परोसी जाती थी, उनमे तादादकी कोई भी कैद या लिहाज नहीं रखा जाता था। मैं किसीपर दोपारोपण नहीं कर रहा हूँ। इस फजूलखर्चीकी जडमे दरियादिली ही थी। यह सब शुभ हेतुसे किया गया था। चालीम वरस पुरानी परिपाटी एक दिनमे नहीं टूट सकती—विशेषकर तब, जब कि ऐसा शरस जिमकी बात लोग सुन सके, उसपर लगातार टीका-टिप्पणी करते रहनेको तैयार न हो। मुझे याद है कि १९२१ मे जब मैंने बल्लभभाईसे कहा था कि इस दिशामे आप ही आगे कदम बढ़ाये तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं सादगी लाने और फजूलखर्ची न होने देनेकी कोशिश तो करूँगा, पर अपने प्रिय गुजरातको कजूम कहलानेका अवसर भी नहीं देना चाहूँगा। मैं उन्हें यह बात नहीं समझा सका कि यदि वे कई हजार रुपये खर्च करके अस्थायी फव्वारा न बनवायेगे तो कोई उन्हें कजूस न कहेगा। मैंने उनसे यह भी कहा था कि वे जो-कुछ करेगे उसका अनुकरण, आगे यह जिम्मेवारी जिनके सिर आयेगी, वे भी करेगे। पर वे

कजूम कहलानेका कलक अपने सिर लेनेको तैयार नही हुए। अब मैं कानपुरको सलाह देता हूँ कि वह इसमें आगे बढ़कर रास्ता दिखाये। हम तो मितव्ययिताकी दिशामें इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि सम्भव है, कानपुरकी आजकी कजूसी कल फिजूल-खर्ची-जैसी मालूम हो। वल्लभभाईने भी बहुत-सी चीजे छोड़ दी थी, किन्तु उन चीजोकी निस्वत, जिनकी कोई महसूस होने लायक जरूरत ही नही थी, किसी तरहकी गिकायत मेरे कानमें नही पडी।

हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि कांग्रेसका मन्ना उन लोगोका प्रतिनिधि बनना है जो गरीबसे-गरीब हैं, मेहनत-मशक्कत करते हैं और जो भारतके प्राण हैं। सो हमारा पैमाना ऐसा होना चाहिए जो उनको मुआफिक आ सके। इसलिए कम खर्चकी ओर अपना कदम दिन-ब-दिन आगे बढ़ाना होगा, पर इस तरह कि हमारे काममें न तो कोई खामी आये और न कजूसी ही टपके।

मेरी रायमें रहनेका और खानेका खर्च जो अभी देना पडता है, बहुत भारी है। हमें इस मामलेमें स्वामी श्रद्धानन्दजीसे नसीहत लेनी चाहिए। मुझे याद है कि उन्होंने अपने गुरुकुलके १९१६ के वार्षिकोत्सवमें आनेवाले मेहमानोके लिए किस तरहके छप्पर डलवाए थे। उन्होंने [मैं समझता हूँ] कोई दो हजार रुपए लगाकर फूसके छप्पर बनवा डाले थे। उन्होंने ठेकेदारोसे अहातेके भीतर जलपान-गृह आदि खोलनेको कहा था और दुकानोके लिए दी गई जगहोका कोई किराया नही लिया था। उस इन्तजामसे किसीको कोई गिकायत नही हो सकती थी। लोग जानते थे कि हमे किन-किन चीजोकी उम्मीद रखनी चाहिए। इस तरह कोई ४०,००० लोग गुरुकुलके अहातेमें बिना किसी तरहकी दिक्कत और प्राय बिना किसी प्रकारके खर्चके ठहराये गये थे और इसमें भी बडी बात यह कि वहाँ आनेवाला हर आदमी जैसी गुविधाएँ चाहता था, उसे मिल जाती थी और वह अपनी मर्जीके मुताबिक थोडा या ज्यादा खर्च करके रह सकता था।

मैं यह नही कहता कि स्वामीजीकी व्यवस्थाकी हरफ-ब-हरफ नकल की जाये। पर मैं यह जरूर कहता हूँ कि बेहतर और ज्यादा सस्ते इन्तजामकी निहायत जरूरत है। प्रतिनिधियोकी फीसके १० रुपयेमें घटाकर १ रुपया कर दिये जानेपर<sup>१</sup> सब लोग गुप्त हुए थे और मुझे यहीन है कि रहने और खानेके खर्चमें कमी करना लोगोको और भी पसन्द आयेगा।

तो फिर आमदनीकी तदवीर क्या हो? हरएक दर्यकके लिए थोडा-सा प्रवेश युक्त रखा जाये। कांग्रेस अधिवेशन एक तरहका मायाना भेला बन जाना चाहिए, जिनमें दर्शक लोग जाये और मनोरजनके माय-माय शिक्षाप्रद बातें सीसकर जाये। अधिवेशनके विचार-विमर्श या चर्चावाले हिस्सेको केन्द्रीय म्यान दिया जाना चाहिए, जो प्रदर्शनार्थक महत्त्वके साथ-सम उमीके आमपान गृये जाने चाहिए। इसलिए उस मायवी तरह, उनका आगोजन उयुक्त समयपर होना चाहिए और हर काममें समझती पत्रवदी निष्ठाके साथ बरती जानी चाहिए।

मुझे इस बातमें सन्देह है कि दूसरे तमाम सम्मेलनोंको एक ही सप्ताहमें जैसे-तैसे निवटा देनेसे किमी राष्ट्रीय अर्थकी सिद्धि होती है। मेरी रायमें सिर्फ उन्ही सम्मेलनोंको काग्रेस अधिवेशनवाले सप्ताहमें रखना चाहिए, जिनमें काग्रेसकी ताकत बढ़ती हो और उसे मदद मिलती हो। सभापति और उनके “मन्त्रिमण्डल” से यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वे काग्रेसके कामके अलावा और किसी बातपर ध्यान दे। मैं जानता हूँ कि अगर मुझे अपना वक्त और बातोंमें न लगाना पड़ता तो मैं अपने कामको ज्यादा अच्छी तरह कर पाता। सोचने-विचारनेके लिए मेरे पास थोड़ा भी वक्त नहीं बचता था। उन्हीमें मैं कताईपर आधारित सदस्यताको सफल बनानेके लिए जरूरी मिफारिशोंका मनविदा तैयार नहीं कर सका। बात यह है कि विभिन्न सम्मेलनोंके आयोजन अपने काममें मजिदगीके साथ नहीं जुटते। वे उनका आयोजन केवल इसलिए करते हैं कि यह एक फ़ैशन बन गया है। मैं विभिन्न क्षेत्रोंके कार्य-कर्ताओंमें आग्रह करूँगा कि वे हर साल अपनी शक्ति बरवाद करनेमें बचे।

देगी हुनर और उद्योगकी नुमाइश एक ऐसी चीज है जिसकी बढ़ती साल-दर-साल होनी चाहिए। सगौनके जलमेंने हजारों लोगोंका मनोरजन किया होगा। हमारे नवसे बड़े राष्ट्रीय उद्योगके विनाशके करुण उतिहास और उम उद्योगके पुनरुद्धारकी सम्भावनाओंपर दीप-चित्रों और भाषणोंके जरिए जिस टगसे प्रकाश डाला गया, वह बहुत उपयुक्त, शिक्षाप्रद और मनोरजक था। सतीश वावूने जिम तरह विचार-पूर्वक और मागोपाग ढगमें उन भाषणोंका आयोजन किया था, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। कताई प्रतियोगिता भी एक स्थायी चीज बन जानी चाहिए। प्रतियोगिता लोगोंको कितनी पसन्द आई, इसका पता उनमें शरीक होनेवाले लोगोंकी तादाद और उनके उम्दा नतीजों तथा उनके लिए अनुदान देनेवालोंकी संख्यासे भलीभाँति लग जाता है। इस चरमा-आन्दोलनकी वदौलत भारतकी स्त्रियाँ पर्दा छोडकर जिम तरह बाहर निकल रही हैं, उम तरह किसी और उपायमें न निकल पाती। ११ उनाम पानेवालोंमें से ४ स्त्रियाँ थी। इससे उन्हें जो गौरव और आत्मविश्वास मिला है, वह किमी भी विरवविद्यालयकी उपायसे न मिल पाता। वे इस बातको समझती जा रही हैं कि उनकी सक्रिय सहायता भी उतनी ही अपरिहार्य है जितनी कि पुरुषोंकी और उमसे भी बड़ी बात यह कि वे यह सहायता, यदि ज्यादा नहीं तो कमसे-कम पुरुषोंके बराबर तो आसानीसे दे सकती हैं।

उन सस्मरणोंको समाप्त करनेमें पहले मैं एक बातका जिक्र किये बिना नहीं रह सकता। काग्रेसकी छावनीमें सडास वगैरह साफ करनेके काममें कोई ७५ स्वय-सेवक लगे हुए थे, जिनमें ज्यादातर ब्राह्मण थे। हाँ, नगरपालिकाके भगी भी जरूर लिये गये थे, परन्तु इन स्वयसेवकोंका रहना भी जरूरी समझा गया। काका कालेलकर — जिनके जिम्मे यह काम था — कहते हैं कि यह काम उतनी अच्छी तरह न हो पाता, अगर यह स्वयसेवकोंकी टुकड़ी तैयार न की गई होती। उन्होंने यह भी बताया है कि स्वयसेवकोंने यह काम खुशी-खुशी किया। उस कामको करनेसे किसीने

१ देखिए “भाषण कताई-प्रतियोगिताके सम्बन्धमें”, २७ १२-१९२५।

भी जी नहीं चुराया, हालाँकि मामूली तीरपर उसके लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं और फिर एक लिहाजसे तो यह काम दूसरे तमाम कामोंसे कहीं ऊँचे दर्जेका है। इसमें कोई शक नहीं कि सफाई-सम्बन्धी काम स्वयंसेवकोंकी तमाम तालीमकी बुनियाद समझी जानी चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १-१-१९२५

### ४०३. कैसे करना चाहिए ?

कांग्रेसने एक बहुत ही अहम कदम आगे बढ़ाया है या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं उसने एक पागल आदमीके कहनेसे भारी वेवकूफी कर डाली है। कांग्रेसके सदस्योंको, चाहे वे इच्छापूर्वक काते या अनिच्छापूर्वक, कताई-सदस्यताको अजाम देकर उस कदमका अर्थित्य मिट्ट कराना होगा। जो काम अबतक कुछ ही लोग कर रहे थे, वह अब कांग्रेसके सदस्य बननेके इच्छुक तमाम लोगोंको करना होगा। कांग्रेस अपने हर सदस्यमें व्यवस्थित तीरपर श्रम करनेकी आशा रखती है। यदि वह उस श्रमको स्वयं करनेपर रजामन्द न हो तो उसे दूसरेका श्रम खरीदकर — दूसरेसे सूत कतवाकर — देना होगा।

काम स्पष्टतः बड़ा मुश्किल है। काम यदि आसान होता तो इसके सफल होनेपर जिन बड़े नतीजोंकी आशा रखी जाती है, उसकी आशा भी नहीं रखी जा सकती। और जब माउमें सिर्फ चार-चार आने इकट्ठे करने पड़ते थे, तब भी तो काम मुश्किल ही मालूम पड़ता था। आज भी कांग्रेसके रजिस्टरमें सब प्रान्तोंको मिलाकर ५०,००० भी ऐसे सदस्य दर्ज नहीं हैं। अब कांग्रेस अपने हर सदस्यमें उम्मीद रखती है कि वह माहवार २,००० गज सूत स्वयं काते या दूसरेसे कतवा कर उतना ही सूत दे। उस तरह कार्यकर्त्ताओंको कातनेवालोंके साथ लगातार सम्पर्क रखना होगा। मेरी रायमें सदस्यताकी इस नई शर्तका जो-कुछ भी महत्त्व है, वह इसीमें है। इससे लोगोंका बड़े ऊँचे स्तरकी राजनीतिक शिक्षा मिलती है।

जब हर एक प्रान्तके लिए निश्चित तीरपर सफाई प्राप्त करनेका रास्ता बंद है तो वह जितने मनदानाओंकी उम्मीद रखता हो उनकी कमसे-कम तादाद नगरे हर ले और जितने उतने मनदाना न मिले तबतक दम न ले। अब मारे हिन्दुस्तानमें कमसे-कम तादादमें गिननेपर भी कोई ५०,००,०००० चरणे तो चलते ही होंगे। ये सब कातनेवाले आसानीसे कांग्रेसके सदस्य भी बन सकते हैं। जो लोग उनमें काम ले रहे हैं वे अब उन्हें हर रोज आया बटा देयके लिए कनाई करनेका आमन्त्रित कर सकते हैं। उनके लिए किसी तरह मगठनकी जम्मत नहीं है। रुई, धूलियाँ आदि तो तैयार ही हैं। उन्तकाम करनेवालोंको निकट उतना ही करना होगा कि वे इच्छासे कातनेवाले या सदस्य बननेके लिए कातनेवालोंका जितनी पूर्णता चाहिये, उतनी पूर्णता कांग्रेसको भेट कर दें। कातनेवालोंको तो कांग्रेसको निकट २,००० गज

सूत कातनेका नि शुल्क श्रम ही देना है। फिर ऐसे लोग भी हैं जो सूत कातनेका पेशा तो नहीं करते पर अपनी खुशीसे सूत कातते हैं। जो लोग आज कात रहे हैं, उन्हें अपने मित्रों और पड़ोसियोंसे कातनेके लिए और कांग्रेसके सदस्य बननेके लिए कहना है। हरएक कार्यकर्ता २०-२० कातनेवालीकी मण्डलियाँ बनाकर यह काम बहुत अच्छी तरह कर सकता है। ये मण्डलियाँ छोटी और सुगठित होनी चाहिए, तभी वह अच्छा काम कर सकेगा। उसको शुरू करनेवाले सदस्यको धुनाई और कताई-में पूरा दक्ष होना चाहिए, क्योंकि रुई इकट्ठा करना, उसे धुनना, उसकी पूनियाँ बनाना और मण्डलीके सदस्योमें उन्हें बाँटना, इन कामोका सारा दायित्व प्रारम्भमें उसीपर रहेगा। तीसरे किस्मका काम है, उनके लिए इन्तजाम करना जो अनिच्छाके कारण नहीं कातते। कातनेके लिए अनिच्छुक व्यक्तियोंमें जो बहुत-ज्यादा ईमानदार होंगे वे तो अपनी एवजमें कातनेवाले लोग, स्वभावतः अपने परिवारोंमें ढूँढनेकी कोशिश करेंगे। इससे वे यकीनन अच्छा और सचमुच ही हाथसे कता सूत दे सकेंगे। कातनेके लिए अनिच्छुक लोगोंमें से इससे दूसरे दर्जेके होंगे, वे खुद किसी पेशेवर कातनेवाले को लगाकर अपनी एवजमें कतवायेंगे और कातनेकी इच्छा न रखनेवालोंमें से आखिरी दर्जेके लोग वे हैं जो बाजारसे सूत खरीदकर देगे और इस तरह हाथसे कते सूतके बजाय खोटा सूत खरीदनेकी जोखिम उठावेंगे। कांग्रेसके जो सदस्य स्वयं कातना नहीं चाहते, उन्हें मैं आगाह कर देता हूँ कि सामान्य उद्देश्यके हितकी दृष्टिसे वे इस आखिरी तरीकेसे दूर रहे। इम आखिरी दर्जेके लोगोंके लिए सदस्य बनना आसान है और यदि बहुतेरे लोग इससे फायदा उठावेंगे तो इससे दगावाजी सरेआम चल पड़ेगी और इससे उस कुटीर उद्योगको, जो इतनी मुश्किलोका सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है, नुकसान हो सकता है। मुझे तो आशा है कि ऐसे बहुत ही थोड़े लोग होंगे जो कांग्रेस और देशकी खातिर कातनेसे जी चुरावेंगे। सदस्यताकी इस शर्तमें 'अनिच्छुक' शब्दको सिर्फ इसलिए स्थान मिला है कि उनकी मुश्किलें हल हो जायें, जो कांग्रेसके पुराने सदस्य हैं और जो यदि कांग्रेसको छोड़ना चाहे तो भी वे उन्हें छोड़ने नहीं देना चाहेंगे। लेकिन मैं तो यह उम्मीद रखूँगा कि इस 'अनिच्छा'को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा। हाथ कते सूतका उत्पादन होनेसे ही तो आलसी और नये-भूखे काम नहीं करने लग जायेंगे। लाखों-करोड़ों लोगोंको फिरसे चरखेको अपनानेके लिए उत्साहित करनेके लिए शारीरिक श्रमका और विशेषकर हाथ-कताईके रूपमें शारीरिक श्रमका वातावरण होना चाहिए और ऐसा वातावरण तैयार करनेका उत्तम तरीका यही है कि कांग्रेसके सदस्य स्वयं कातनेमें अपनी इज्जत समझने लगे।

[ अग्रजीसे ]

यंग इंडिया, १-१-१९२५



## ४०४. टिप्पणियाँ

### दो वादे

एक तमिल प्रतिनिधिने यह वचन दिया है

वादा करता हूँ कि मैं ३० अप्रैल, १९२५ के पहले, मदुरई शहरमें दस हजार चरखे चलवा दूंगा।

आपका सदाका भक्त,  
एल० के० तुलसीराम

श्री तुलसीरामने तमिल प्रतिनिधियोंकी एक सभामे मुझे यह पुर्जा दिया था। दरअमल दस हजार चरखे चलवानेके मानी है, उतने सदस्य बनाना। यदि अकेले मदुरा शहरसे दस हजार सदस्य मिल सकते हैं तो सारे तमिलनाडसे कितने सदस्य मिल सकेंगे ?

दूसरा वादा, जो इससे भी अधिक महत्वका है, मीलाना जफर अली खाँकी तरफमे मिला है। उन्होंने नकल्प किया है कि मेरा कार्य-काल रात्म होनेतक वे २५,००० मुसलमान कातनेवालोंको सदस्य बना लेंगे। यदि मीलानाको इसमे सकलता मिली तो वे बड़ीसे-बड़ी बघाईके हकदार होंगे—इसलिए नहीं कि लोगोंमे सचमुच रचि जागनेपर पजावमे २५,००० मुसलमान सदस्योंकी सत्या कोई बहुत बड़ी सन्ध्या है, बल्कि उमल्लिए कि जब उतने सारे लोग कताई सदस्यताके फलस्वरूप एक बड़ी विउम्भनाकी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तब मीलाना माह्वका उस प्रकार सकल्प करना मेरी गवमे नचमुच अद्भुत है। मैंने मीलानामे कह दिया है कि यदि वे अपना वादा तोड़ेगे तो मुझे उनके खिलाफ उपवास करना होगा। उन्होंने तउमे उत्तर दिया था कि वेयह वे नहीं चाहते कि मैं मुदकुगी कर लूँ। उन्होंने यह भी कहा कि वे उमे पूरा करना न चाहते और उमको पूरा करना उन्हे नामुमकिन लगता तो वे यह वादा ही न करे। मैं चाहता हूँ कि हर प्रान्तमे ऐसे ही वादे मिले। लेकिन जाशमें आकर वचन देनेकी जम्रन नहीं। जबतक नाथमे अटल सकल्प न हो, तबतक वचन देनेका कुछ भी अर्थ नहीं होता। मैं जानता हूँ कि उदाईके दिनोंमे अधिकारियोंकी तरफमे प्रन्त प्रान्तके लिए एक निश्चित परिमाणमे धन-जनकी मदद देना तय कर दिया जाता था और हरैतको उतना धन-जन चुटाना पड़ता था। उममे उनको फिलाना देना होगा, यह मुरारंर रक्ता था और न देनेपर उमके नाथ दण्डकी व्यवस्था भी थी। परन्तु, तब उमल्लिए कि प्रान्तोंको मुद ही अपना कोटा आप मुरारंर करनेके लिए कहा गया है और उमल्लिए कि वादा तोड़नेपर कोई नया नाशोन नहीं की गई है, उन्हे तब ताम करना चाहिए ?

एक इनाम

मेरे अनुरोध करनेपर श्रीयुत रेवागरर जगजीवन झवेरीने चरखा और खादीके सन्देशके विषयपर सबसे बढ़िया निबन्ध लिखनेवालेको एक हजार रुपयेका पुरस्कार देना स्वीकार किया है। निबन्धमें उम उद्योगके विनाशका इतिहास शुरूमे देना होगा और उमके पुनरुद्धारकी क्या सम्भावना है, इसपर चर्चा करनी होगी। अन्य शर्तें जगजे अकमे प्रकाशित की जायेंगी।

[अग्नेजीसे]

यग इडिया, १-१-१९२५

४०५. वोल्गेविज्मका अर्थ

नीचे दिया गया लेख<sup>१</sup> श्री एम० एन० रायने वोल्गेविज्मपर लिखे मेरे लेखके<sup>२</sup> उत्तरमे भेजा है। मैं उमे खुशीमे प्रकाशित करता हूँ, लेकिन यह कहे बिना नहीं रह सकता कि अगर श्री रायके लेखमें वोल्गेविज्मका सही चित्रण हुआ है तो वोल्गेविज्म बहुत घटिया चीज है। जिन तरह मैं पूंजीवादका जुआ बरदास्त नहीं कर सकता, उमी तरह श्री राय द्वारा वर्णित वोल्गेविज्मका जुआ भी मैं बरदास्त नहीं कर सकता। मैं मनुष्य-जातिका हृदय परिवर्तन करनेमें विश्वास रखता हूँ, उसके विनाशमें नहीं। कारण बहुत स्पष्ट है। हम सब अत्यन्त अपूर्ण और कमजोर प्राणी हैं और यदि हम नव लोगोंको मारना शुरू कर दें, जिनकी रीति-नीति हमे पसन्द नहीं तो इन पृथ्वीपर एक भी आदमी जीता न बचेगा। भीडशाही किमी एक व्यक्तिके स्वेच्छा-चारी शासनका ही अत्यन्त बृहत्तर रूप है। लेकिन मैं आशा करता हूँ, बल्कि मुझे लगभग पूर्ण विश्वास है कि वोल्गेविज्मका सच्चा स्वरूप श्री एम० एन० राय द्वारा खोजे गये इस चित्रमे कहीं ज्यादा अच्छा है।

[अग्नेजीसे]

यग इडिया, १-१-१९२५

१ देखिए परिशिष्ट १

२. देखिए "वोल्गेविज्म या आत्म-सपन", २१-८-१९२४।

## ४०६. पत्र : न० चि० केलकरको

सावरमती जाते हुए  
२ जनवरी, १९२५

प्रिय श्री केलकर,

यह नद्रा मेरी इच्छा और नीति रही है कि हमरोकी भावनाओको ठेम पहुँचाने-के लिए कुछ न लिखूँ। लेकिन इस वर्ष, जबकि मैं आपको अपने पक्षमे लानेके लिए पूरी कोशिशमे लगा हुआ हूँ, तब तो मैं और भी अधिक सावधान रहना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि बिना चाहे भी मैं ऐसी चीजे लिख सकता हूँ जो आपको अर्थात् काग्रेसको, अच्छी न लगे। इसलिए यदि 'यंग इंडिया' या 'नवजीवन' मे कोई ऐसी चीज प्रकाशित हो, जो उचित न हो तो कृपया मेरा ध्यान उसकी ओर आकृष्ट कर दे। जहाँ भी सम्भव होगा, मैं उसका परिमार्जन करनेका प्रयत्न करूँगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गाधी

अगेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ३११५) की फोटो-नकलमे।  
मौजन्य काशीनाथ केलकर।

## ४०७. भाषण : दाहोदकी सार्वजनिक सभामें

२ जनवरी, १९२५

तुनाउंके प्रस्तावमे जाननेकी अनिच्छाके सम्बन्धमे जो गियायत दी गई है, मेरी उम्मा है कि उनमे कोई गुजराती शब्द न उठाये। मुझे उम्बरने यखदा जेउमे भयानक पीनारीके कारण लिखा करवाया, उनमे मुझे उम्बरका कोई बडा हेतु दिखाने देता है। मुझे लगता है, उनमे मुझे उनलिये लडवाया है कि मैं देशमे चारों ओर वृत्त-वदतार अन्तर्गामी -- चरमेकी -- चर्चा करूँ और उसका सार्वजिन प्रचार करूँ। यदि लिखितान अभी भी चरगा जाननेके उन सम्देशको नहीं गुनेगा तो देशमे भुगमरी और बडेगी। साहाद सम्बन्ध ही जाये, उनमे चार-छ लोग व्यपति ही जाये तो उनमे मुझे कोई शमी न हागी। सबही माने-पाने और रूपके पढनेका अधिहार है। लेकिन लिखितो वन उलट्टा करके पनमान वन जानेता एक नहीं है। दाहोदमे चार-छ लोग सार्वजनिक दों बड मे लगे जाइता। मेरी उम्मा तो यह है कि एक सारी पीपी सार्व जनार्थिके देन मे ही बड लिखितो वन प्रकृती लिखितोती तरह तरह चाहे एक मुभ ही जाये। तो लोग वन नहीं जान सकते थे हमरोमे सवकार सडर सड सडके है। मेरी धर्म नहीं गई है। लेकिन मैं चाहता ह कि उम्मा लाभ काई

भी गुजराती न लें। भाई गुरदेवने मुझे कहा है कि उन्होंने सूत कातना छोड़ दिया है। मुझे यह बात मायूस न थी। वे अन्य कार्य करते होंगे, लेकिन वे कातना छोड़ देंगे तो हमने हमारी भारी दुर्दशा होगी। और भाई मुपदेवको कातना अच्छा नहीं लगता तो प्रात नहीं है, किन्तु उन्हें काननेमे आलस्य महसूस होता है। मैं किसी गुजरातीमे उन रादाको गुनाह नहीं चाहता।

[ गुजरातीमे ]

नवजीवन, ११-१-१९२५

## ४०८. भाषण : अन्त्यज आश्रम गोधरामें

२ जनवरी, १९२५

आपने अनेक पत्राकरके ववाद और भजन गुने। कौन कह सकता है कि वे मवाद अन्त्यज वाग्तोमे वे अयसा भगवानकी भक्तिके उन भजनोको उन्होंने ही गाया। परिपदा परिणाम ऐसा होगा, यह कौन जानता था? मैंने तो अन्त्यजोमे मन्त्रन्धित प्रस्तावपर बोक्ते हुए गत्रको अन्त्यज वाउमे जानेका पुत्राव दिया था। मैंने समझा था कि परिपदमें गोधराके भाई-वहन हैं, लेकिन मुझे भूल हुई। उसमे अनेक ऐसे भाई-वहन वाये थे जो गोधरा निवासी नहीं थे। हाथाकि उनमें से अधिकतर लोग गुजरातके थे। उन समय हमे काफी धन मिला। हमने उसमे अन्त्यज-गाला खोली। परन्तु गोधराके भाउयो और वदोने उनका स्वागत नहीं किया, उतना ही नहीं वरिक्त उसके प्रति अपनी अगति बनाई। ऐसी ही स्थिति अन्त्यज भाउयोको भी थी। अन्त्यजोकी पाठगालामे अन्त्यज बालकाको ही लाना मुश्किल हो गया। एक समय ऐसा आया कि यहाँके काग्तो वन्द करनेके प्रस्तावपर गभीरतामे विचार करनेका मन हुआ, लेकिन वादमे वह विचार स्थगित कर दिया।

मामा<sup>१</sup> दक्षिणके हैं, लेकिन उन्होंने गुजराती पढ ली है। उन्हें अन्त्यजोका कार्य प्रिय है, यह बात मैंने आश्रममे देखी थी। उन्हें मैंने गोधरामे जमकर बैठनेकी मलाह दी। उनके वाद मैं जेल चला गया। मेरे वाद उमका दायित्व और असह्य वोन वन्दभभाउने उठाया। उमी वोन यह मकान बना। यह मुझे पसन्द नहीं है। यह अपूरा है, मो वात नहीं, लेकिन यह हमे शोभा नहीं देता। उमकी सुन्दरतामे कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन यह ऐसा होना चाहिए जो हमे शोभा दे। मामा शिल्पी नहीं है, लेकिन उनके मनमे प्रेम और भक्ति है। वे अन्त्यजोके प्रति अपने प्रेममे वह गत्रे और उनमे २०,००० रुपया खर्च कर दिया। वरलभभाईमे इतना रुपया इकट्ठा करनेकी शक्ति नहीं थी, लेकिन मौभाग्यमे पारसी रुस्तमजीने इस प्रकारके कार्यके लिए कुछ पन दिया था। उसमे से ही इस मकानके लिए पैसा लिया गया। लेकिन यह मकान ऐसा होना चाहिए था जो हमको, अन्त्यजोको, गरीबोको शोभा देता। हम लोग गरीब हैं और इसमें भी भवमे गरीब हैं हमारे अन्त्यज भाई। ये विना मालिकके

ढोरो-जैसे है। हिन्दुओंने उनका तिरस्कार करके एक पाप किया है। आप ऐसा रख रखे कि ऐसा आलीशान मकान बन गया है, इस कारण आप उनमें कोई ईर्ष्या न करें। यदि ऐसा मकान वणिक् छात्रावासका हो तो आप ईर्ष्या करें। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि एक भी ऐसा मकान नहीं होना चाहिए जो हिन्दुस्तानकी जनताको, उसकी गरीबीको शोभा न दे। इससे भी अधिक सुन्दर मकान अनेक हैं जो अन्य वर्णोंके बालकोंके उपयोगमें आते हैं। लेकिन अन्त्यजोंको ऐसे मकानोंको इस्तेमाल करनेका अधिकार नहीं है, ऐसा भाव आपके मनमें कदापि न आना चाहिए। तथापि हमें अन्त्यजोंको भी समझाना चाहिए। मैं तो डगकी चर्चा यहाँ कर ही रहा हूँ, लेकिन यदि गोधराका कोई धनी इस मकानको ले ले तो अच्छा हो और तब हम, जो गरीबोंको शोभा दे, ऐसे किसी अन्य मकानमें चले जायेंगे। तबतक मामा इससे काम लें।

आज मैं अन्त्यजोंके बाड़ेमें तीन जगह गया था। वहाँ मैंने मनुष्य नहीं बरन् पशु देखे। हम इनसे बात करने बैठे तो ये हमें अपनेसे भिन्न प्राणी लगे। परन्तु ये भी प्रेमको समझते हैं। इनकी इस दयनीय स्थितिके लिए हम लोग उत्तरदायी नहीं हैं तो और कौन है? मेरी दृष्टिमें स्वराज्य इन लोगोंकी सेवाकी तुलनामें तुच्छ वस्तु है। अन्त्यजोंकी सेवासे स्वराज्य मिलेगा, इस उद्देश्यसे मैंने यह सेवा आरम्भ नहीं की है। तीस वर्ष पहले जब मैं दक्षिण आफ्रिकामें था और जब स्वराज्यकी बात भी नहीं थी तबसे मैं अपने अन्त्यज-सेवा सम्बन्धी विचार प्रकट करता आ रहा हूँ। आजकल हम हिन्दू-धर्मकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, उसका नाग कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि उसे इस नाशसे बचानेके लिए आप यह सेवा-कार्य हाथमें लें। आप ऐसा समझें कि आप लोग जो यहाँ आये हैं, यहाँ आकर अपवित्र नहीं, बल्कि पवित्र हुए हैं। मुझे तो यह कहनेमें भी कोई मकोच नहीं कि जहाँ-जहाँ अन्त्यज-सेवा है, जहाँ-जहाँ अन्त्यज-पाठशाला है, जहाँ-जहाँ अन्त्यज आश्रम है, वहाँ-वहाँ तीर्थ है। कारण, तीर्थ वही होता है जहाँ हम अपने पापोंका परिमार्जन करके भवसागरसे तरनेके लिए तैयार होते हैं। माँ-बाप क्यों तीर्थ-रूप हैं? गुरु क्यों तीर्थ-रूप हैं? यदि हम हृदयसे सेवा करते हैं तो पवित्र बनते हैं। आप इनसे छू गये हैं, इसलिए आपको नहाना चाहिए, ऐसा आप न मानें। यदि आपको पहलेसे मालूम न होता तो क्या आप कह सकते थे कि ये सवाद सुनानेवाले बालक अन्त्यज हैं? यदि हम इन बालकोंपर पूरी मेहनत करें तो ये बालक हम लोगोंसे आगे बढ़ जायेंगे। भर्गीके बालकोंमें सद्विचार नहीं आ सकते, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं अनुभवसे कहता हूँ कि यदि हम प्रयास करें तो उनके हृदयमें सद्विचार अवश्य आयेगे। आप सब लोगोंसे, जो यहाँ आये हैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस अवसरको अन्तिम अवसर न मान लें, आप समय-समयपर यहाँ आकर सहायता देते रहें।

यहाँ अन्त्यज सेवा-मण्डल है, इसके अस्तित्वके लिए हम इन्दुलालके आभारी हैं। इन्होंने भारी सेवा की है। वे जेलमें भी इसीका विचार करते थे। यदि उन्होंने उत्साह-अतिरेकमें कुछ ऐसा काम किया हो जो सम्भव है हमको अच्छा न लगे, तो हमें

उत्तर ध्यान नहीं देना चाहिए। अमृतलाल<sup>१</sup> अपना प्रवास छोड़कर आज यहाँ आये हैं। अब वे उठो, भगियो और भौलोंके गुरु बन गये हैं। इन्दुलालने अन्त्यज सेवा-मण्डल छोड़नेका विचार किया तब मैंने उनसे कहा था, मैं उम्मे विद्यापीठको सीप दूंगा। अमृतलालने कहा कि यह गस्या तो रङ्गनी चाहिए। अब उम्मेका बोल उन्हींने न्यय उठा लिया है। लेकिन एक मनुष्य किनका बोल उठा सकता है? आप इनकी मदद भी करे। अन्त्यज-सेवा-मण्डलका काय बहुत बड़ा है। वह गुजरातके अन्त्यजोंका नरुणा तैयार कर रहा है। गोधराने एक भी पैसा दिया हो, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि आपके हृदयमे ईश्वर बसता है तो आप भाई अमृतलाल अथवा मामाको पैसा दे। ऐसा आप समझ-भूलकर करे।

[गुजरातीमे]

महादेवभाईनी डायरी, स० ७

## ४०९ भाषण : गोधराकी सार्वजनिक सभामें

२ जनवरी, १९२५

अन्त्यजोंको जन्ममे अस्पृश्य माननेमे धर्म नहीं, बल्कि जवर्म है। मेरी दृढ मान्यता है कि मुझे ननाननी न माननेवाले लोग अज्ञानी हैं। आप कहेंगे कि अनेक पण्डित भी अस्पृश्यताका समर्थन करते हैं। लेकिन उनपर अन्ना भगतकी यह उक्ति लागू होती है 'बिन विचार विद्या मिय्या'। हिन्दू धर्ममे एक ही तरहकी अस्पृश्यता है, असन्नोंसे दूर रहनेकी, दुष्ट, पागण्डी लम्पट और व्यभिचारीसे दूर रहनेकी। उन्हे आप अस्पृश्य मानकर उनसे दूर भागे, लेकिन जो व्यक्ति आपकी सेवा करे, आपका मैला माफ करे, आपके लिए चमड़ा तैयार करे और आपकी खेती [की मित्रार] के लिए चरमा तैयार करे, उसे क्या आप अस्पृश्य मानेंगे? यह तो हिन्दू धर्म नहीं, पागण्ड है। यदि हिन्दूधर्म यह कहता हो कि ये लोग अस्पृश्य हैं तो मैं हिन्दूधर्मका त्याग करनेकी मलाह दंगा। अस्पृश्यताकी यह प्रवृत्ति भ्रम-मात्र है, यदि आपमे दयाभाव हो तो आर भगीका अज्ञान देवकर रो उठे और आपके मनमें कर्तव्य पाठनकी भावना जाग्रत हो। आप मेरा त्याग करे, आप मुझे जगलमें भगा दे और मैं पागण्ड हो जाऊँ तो इसमे दोष मेरा है या आपका? उसी तरह वेचारे भगी और द्वेढ दीन-हीन और कगाल हो गये हैं, उनमें अज्ञानकी कोई हद नहीं है और वे व्यसनी हैं तो इसमें उनका दोष है या आपका दोष है? यह आपका ही दोष है और मैं चाहता हूँ कि आप इस दोषका त्यागकर शुद्ध बनें।

मुझे ईश्वरने यरवदा जेलमे भयकर बीमारीसे बचाकर आपकी सेवाके लिए मुक्त किया, इसमे मुझे तो उम्मेका कोई बहुत बड़ा हेतु दिखाई देता है और वह हेतु यह है कि मैं आपमे आत्म-विश्वासका सचार करूँ, जेलमे अपने गभीर चिन्तनके परिणाम स्वरूप बने अपने विचारको आपके समक्ष रखूँ कि तीन शतों—चरखा, हिन्दु-मुस्लिम

एकता और अस्पृश्यता-निवारण -- में ही स्वराज्य निहित है। मैंने चरखेकी बात सबसे पहले रखी है, उसका कारण यह है कि उपर्युक्त तीनों बातोंमें केवल चरखेकी बात ही ऐसी है जिसके सम्बन्धमें हममें अविश्वास है और दूसरा कारण यह है कि चरखा ही एक ऐसी वस्तु है जो हर रोज हमसे खरा काम मांगता है। यदि मैं रोज हिन्दू-मुस्लिम एकता अथवा अस्पृश्यता-निवारणके लिए आधा घटा काम करना चाहूँ तो मेरी समझमें नहीं आयेगा कि क्या करूँ। लेकिन आधा घटा चरखा चलानेमें प्रत्यक्ष काम होता है। यह जड़पदार्थ है, लेकिन इसमें निहित शक्ति अमोघ है। इसको चलानेके लिए आप सब तैयार हो जाये, ऐसी मेरी इच्छा है। खादीका कपडा आपको मोटा लगता है। आपका कहना है कि खादी तो चुभती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको यह देश चुभता है और जिसे देश चुभता है, वह स्वराज्य क्या प्राप्त करेगा? तिलक महाराज कहा करते थे कि जब लोग जलवायु-परिवर्तनके लिए विदेश जानेकी बात करते हैं तब मुझे तो दुःख होता है। ईश्वरने मुझे यहाँ उत्पन्न किया है तो क्या उसने मुझे मेरे लिए इसी जलवायुमें स्वस्थ बने रहनेकी बात न सोची होगी? इंग्लैंडमें अत्यधिक ठण्ड होनेके बावजूद क्या अंग्रेज इंग्लैंड छोड़कर भागते हैं? घरमें सिगडी सुलगाते हैं, गरम कपडे पहनते हैं और ठण्डसे बचनेके लिए अनेक उपाय करते हैं। लेकिन जिनके पास करोड़ों रुपये हैं, वे लोग करे तो क्या करे? वे जलवायु-परिवर्तनका विचार करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि यह उनका पाखण्ड है। उसी तरह हम यहाँकी बनी, महँगी-सस्ती, अच्छी-बुरी, मोटी-पतली खादी पहने, इसीमें हमारी स्वदेश-भक्ति है और नहीं तो स्वदेशका नाम लेना निरर्थक है। क्या कोई माँ अपने कुरूप पुत्रको छोड़ दूसरीके अच्छे बच्चेको गोदमें लेगी? बालकके प्रति माँके हृदयमें ईश्वरने जो प्रेम और ममत्व पैदा किया है, मेरी इच्छा है कि वही प्रेम और ममत्व आपके हृदयमें हिन्दुस्तानके लिए हो, हिन्दुस्तानमें पैदा होनेवाले अन्नके लिए हो, खादीके लिए हो। यदि गोधराका प्रत्येक व्यक्ति पाँच रुपये मूल्यकी खादी तैयार करे तो २५००० की आवादीमें कितने रुपयोकी बचत हो? यदि आप यह रुपया बचा लें तो गोधराके निवासी अधिक खुशहाल हो जाये। उससे आपका तेज बढेगा और आपका देश-प्रेम छलक उठेगा। चरखा चलाना ही एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें स्त्री-पुरुष और बालक, गरीब और अमीर सब ममान योग दे सकते हैं तथा जिससे भारी फलकी उपलब्धि हो सकती है। 'बूँद-बूँदसे सरोवर भरता है' इस कहावतपर आप विचार करे और प्रति व्यक्ति दो हजार गज सूत देकर स्वराज्य रूपी सरोवरको भरते रहे। वामनराव विधान-सभामें जाये और वहाँ जाकर सरकारको आँखें दिखाये तो क्या आप समझते हैं, इससे आपको स्वराज्य मिल जायेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप विधान-सभामें जाये तो वहाँ भी सूत और खादीकी ही पुकार करे। लेकिन यदि आप विदेशी कपडेका बहिष्कार न कर सके तो चाहे बल्लभभाई अथवा वामनराव-जैसे पाँच हजार लोग विधान सभामें जाये, पर इससे स्वराज्य नहीं मिलेगा।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ११-१-१९२५

## ४१०. काठियावाडियोंसे

परिचितियों मुझे काठियावाड के जा रही हैं। काठियावाडियोंके प्रेमको मैं समझता हूँ, परभावना हो। प्रीति मुझे तो काम चाहिए। मैं अपनी पत्रलिपि और आगत लिपि-लिपि कांती परामिसे भेद देना पसन्द हूँ। उन भेदके वास्तव मेरा अध्यक्ष ब्रह्माण्ड ही है। मैंने जिन प्रस्तावनाओं का विचार किया था वे यद्यपि कालक्रमेण परिचित हो चुके हैं तथापि अनेक लोग मुझे कहते हैं कि उन प्रस्तावोंपर ध्यान देना उचित रहेगा। मेरी अपरपर साक्षर मैं कभी विचार्य कर सकता हूँ।

मेरी बातें जिन बातों को सम्बन्ध रखते हैं उन्हें काठि नहीं माननी थी, उन्हीं बातों का विचार काठियावाडियोंके लिए भी न हो। मन्थ तो यह है कि मुझे ज्ञान-सुख दाना का क्या मत है वह क्या है। मुझे तो हर-फेरके साथ केवल उन्हीं बातोंका ध्यान है। मेरा मन तो तैयार करनेवाले ही रमा रहता है, मुझे तो भीषणों के लिए मन-दुरीके लिए स्वागत चाहिए। वे किस तरह मुसीबतें हैं, मैं हर पत्र में आपका विचार करता रहता हूँ। हम उनके लक्ष्योपर से कब उतरेंगे? हमें अपने अधिपतियोंकी पत्नी है, किन्तु मुझे तो तैयारोंके अधिपतियोंकी और अपने कर्तव्यकी बात पसन्दी है।

यदि मैं अपनी बात काठियावाडियोंको समझा सकूँ तो कितना अच्छा हो। क्या यह मेरी बात है जो सम्भव नहीं? मनुष्य आशापर जीता है। यही बात मेरे सम्बन्धमें भी है। किसी-न-किसी दिन हिन्दुस्तानको मेरी बात गुननी ही पड़ेगी। उनका आत्म काठियावाड ही क्यों न करे?

व्यवस्थापनाने मेरे लिए वातावरण तैयार करनेका बीडा उठाया है। वे मेरे लिए उतना ता रखते ही कि जहाँ देखूँ वहाँ यादी नजर आये। वे काठियावाडकी तारीखी ज्ञान का प्रदर्शनी भी अवश्य रखेगे। वेलावमे प्रदर्शनी कितनी सुंदर थी? काठियावाडमे क्या काम हुआ है? काठियावाडकी वनस्पतियोंमे क्या नहीं है? काठियावाडके गाय-बैठ किनने सुन्दर हैं? क्या उनके दर्शन होंगे? मैं पश्चिमकी महिमा देखने नहीं जानता, वह तो मैंने पश्चिममे ही बहुत देखी है। लेकिन मैं तो देशमे निर्वाणित देखी वस्तुओंका स्मरण करता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ।

काठियावाड अपनी शिष्टताके लिए तो प्रसिद्ध है ही। स्वागत समितिसे मेरी प्रार्थना है कि वह शिष्टताकी अतिमें समय नाट न करे। समयकी मर्यादा नहीं है, किन्तु मनुष्य-देहकी तो है। हमें उस क्षणभंगुर शरीरकी सहायतामे अनेक काम करने हैं, उनलिए हमें एक-एक क्षणका सदुपयोग करना उचित है।

उन कारण मैं चाहता हूँ कि कार्यवाहक उस बातकी सावधानी रखें कि अपना प्रत्येक काय हम समयपर कर सकें। जिन-जिन प्रस्तावोंको परिपक्वमे रखना आवश्यक लगता हो, यदि उनके समविदे पहलेमे तैयार कर लिये गये होंगे तो हम उनपर



पर्याप्त विचार कर सकेंगे। मेरी सलाह है कि विषय समितिकी बैठकके लिए पर्याप्त समय रखा जाये। प्रस्तावकी रचनामें अपने कर्तव्योपर विशेष जोर दिया जाये तो हम अधिक सफल होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रस्ताव इस बातको ध्यानमें रखकर ही तैयार किये जाये।

समय बचानेका एक मार्ग तो मैं सुझा दूँ। आप स्वागत हृदयसे करें। इससे आपकी समझमें आ जायेगा कि बाह्य स्वागतकी कोई आवश्यकता नहीं है।

जुलूस आदिमें समय लगाना तो हमें जो असली कार्य करना है उसमें चोरी करनेके समान होगा। दो दिनमें छव्वीस लाख लोगोंकी मेवाका कार्यक्रम बनाना है, आपको यह बात न भूलनी चाहिए। हजारों स्त्री-पुरुष इकट्ठे होंगे, उनको मतोष देनेके लिए कितनी ही बाह्य वस्तुओकी आवश्यकता होगी। इसके लिए तो प्रदर्शनी-जैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यह हम बेलगाँवमें देख चुके हैं।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ४-१-१९२५

## ४११. मनसे और बेमनसे

कांग्रेसका काम निर्विघ्न समाप्त हो गया। काम एक ही था, अगर ऐसा भी कहे तो गलत न होगा। वह काम यह स्वीकार करना था कि सूत कातना भारतीय-मात्रका धर्म है। यदि यह बात प्रामाणिकताके साथ स्वीकार की गई हो तो कांग्रेसका यह अधिवेशन हमारे इतिहासमें प्रसिद्ध हो जायेगा, और यदि यह कदम हमने अप्रामाणिकताके साथ उठाया होगा तो इतिहासकार कांग्रेसके इस अधिवेशनको निन्दनीय ठहरायेगे।

मेरे पास तो ऐसा माननेका एक भी कारण नहीं कि यह कदम अप्रामाणिकताके साथ मनमें मैल रखकर उठाया गया है। जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया, स्वयं उस प्रस्तावमें ही मनसे और बेमनसे स्वीकार करनेवाले दो पक्षोका उल्लेख किया गया है। बेमनसे स्वीकार करनेवालोंने भी कातनेकी आवश्यकताको तो मान लिया है, किन्तु यह स्वीकार नहीं किया कि वे स्वयं कातेगे। इन्होंने भी वर्षमें २४,००० गज सूत देनेकी बात मान ली है, किन्तु वे यह काम खुशीसे करें, इसे सम्भव बनाना उनका काम है, जिन्होंने प्रस्तावको पूरे मनसे स्वीकार किया है। यदि खुशी-खुशी कातनेवाले लोग नियमित रूपसे कातने लगे तो दूसरे पक्षवाले स्वयं कातनेके धर्मको मानने लगेंगे।

आशा करनी चाहिए कि गुजरातमें बेमनसे स्वीकार करनेवाला पक्ष है ही नहीं। मनसे स्वीकार करनेवालोंकी सख्या भले ही बहुत कम हो, हमें उसकी चिन्ता हरगिज नहीं करनी चाहिए। हम चिन्ता कामकी करें। कोई स्वयं न काते, फिर भी कांग्रेसमें आना चाहे तो उसे ऐसा करनेका पूरा-पूरा अधिकार है।

किन्तु गुजरातमे ऐसा कोई पक्ष देखनेमे नही आया है जो स्वयं कातनेके विषयमे उदासीन हो। कातनेवालोकी सख्या भले ही प्रारम्भमे छोटी हो, किन्तु यदि हमे वैसे चुस्त लोग मिल जायेगे तो हम उनकी मार्फत बहुत सारा काम करा सकते है, ऐसा मेरा दृढ विश्वास है।

यदि गुजरात चाहे तो वह इस मामलेमे अगुआ बन सकता है। सारे सावन गुजरातमे है। आवश्यकता सिर्फ इस बातकी है कि जनतामे उसके प्रति इच्छा हो। इच्छा उत्पन्न करना कार्यकर्त्ताओका काम है और इसीमे हमारी सगठन-शक्ति, देश-भक्ति, दृढता आदिकी कसीटी होनी है।

कातनेके प्रचारका अर्थ है खादी-प्रचार और खादी-प्रचारका अर्थ है विदेशी कपडेका परिपूर्ण वहिष्कार। इसलिए अभीतक खादी-प्रचारके लिए जितना किया है, उससे बहुत अधिक प्रयत्न हमे करना है। फिर, खादी-प्रचारका अर्थ है, गुजरातकी खादीका प्रचार। जबतक गुजरात स्वयं अपना कपडा तैयार करके उसीका उपयोग नही करता तबतक गुजरातमे खादीका चमत्कार दिखाई नही पड सकता। खादी-प्रचारके साथ-साथ गुजरातमे अन्य सभी कलाएँ अपने-आप आ जायेगी और गुजरातकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

गुजरातमे भुखमरी भले ही न हो, किन्तु उसमे तेज भी नही है। यहाँके वालकोको दूध नही मिलता और जब-कभी यहाँ अकाल पड जाता है तो यहाँके लोग भीख माँगने निकल पडते है। हिन्दुस्तानके बाहर कदाचित् ही कही ऐसा होता हो। विदेशी कपडेके सम्पूर्ण वहिष्कारके बाद ही गुजरात इस स्थितिसे छुटकारा पा सकता है।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ४-१-१९२५

## ४१२. पत्र : रेहाना तैयबजीको

५ जनवरी, १९२५

प्रिय रेहाना,

मुझे खुशी है कि तुम आ रही हो। तुम्हे शायद मालूम हो कि मेरे पिताके एक मित्र ईश्वरकी निरन्तर आराधना करके अपने रोगसे मुक्त हो गये थे। क्या तुम भी वसा नही कर सकती? अगर तुम चाहो तो ठीक हो सकती हो।

तुम्हारा,

मो० क० गाधी

अग्रेजी पत्र (एस० एन० ९५९९) की फोटो-नकलसे।

## ४१३. पत्र : फूलचन्द शाहको

पोप सुदी ११, १९८१ [५ जनवरी, १९२५]

भाईश्री फूलचन्द,

यदि किसी कार्यक्रमको हाथमे लेनेकी बात सोची तो भावनगर पहुँचनेके बाद ही लूंगा। अभीसे आप मुझे न बाँधिये। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे अभी भी अनेक योजनाओमे भाग लेना बाकी है।

बापूके आशीर्वाद

भाईश्री फूलचन्द कस्तूरचन्द  
केलवणी मण्डल कार्यालय,  
वढवान शहर

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८२४) से।  
सौजन्य . शारदावहन शाह

## ४१४. पत्र : अवन्तिकाबाई गोखलेको

पोप सुदी ११, १९८१ [५ जनवरी, १९२५]

प्रिय बहन,

चिरजीव छगनलालने मुझे आपकी आर्थिक स्थितिके बारेमे बताया है, सुनकर दुःख हुआ। आपने इस सम्बन्धमे मुझेसे आजतक कुछ क्यो नही कहा? खैर जो हुआ सो हुआ। आप दोनो जब चाहे तब यहाँ आकर रह सकते है। आप इसे अपना घर ही समझियेगा। डाक्टर मेहताका बगला फिलहाल खाली ही पडा है। उसके एक हिस्सेका उपयोग आप कर सकेगी। नया मकान बनानेका विचार हम बादमें करेगे। यह सुझाव आपके स्वास्थ्यको ध्यानमे रखकर मैंने पहले ही दिया था। आप सार्वजनिक कार्य यहाँ भी कर सकेगी। निर्णय करनेमे देर न लगाइये। वहाँ भला कैसे आ सकती हूँ—ऐसा व्यर्थका विचार मनमे हरगिज न लाइये।

अपने स्वास्थ्यका समाचार लिखियेगा। पत्रोत्तर भावनगर भेजिये। वहाँ ८ तारीखसे १३ तारीखतक रहनेका मेरा विचार है। पत्र सर प्रभाशकर पट्टणीके पतेपर लिखियेगा

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४८३८) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य बम्बई राज्य कमेटी, स गा वा।

## ४१५ पत्र : कपिल ठक्करको

आश्रम  
गायरमती

पोग मुसी ११, १९८१ [ ५ जनवरी, १९२५ ]<sup>१</sup>

भारतीय महिला,

भारत पद विद्या। मेरे ज्ञान कि मैं इस बार बोधद न जा सकूंगा। मुझे जग  
में नया ही विद्या।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम

भारतीय महिला,

भारत।

मुजगती पत्र (मी० एच० २८९६) में।

मोहनदास गांधीके

## ४१६. पत्र - प्रभाशकर पट्टणीको

पोग मुसी ११, १९८१ [ ५ जनवरी, १९२५ ]

मुजगती,

मैं यह पत्र देना उचित समझता हूँ कि मेरे साथ लक्ष्मी (अन्त्यज बालिका)  
भी होगी। उन दोनों यदि किसी भी आश्रम में उपस्थित आपत्तिजनक मानी  
जायें तो मुझे उन्माद-भ्रम कर दीजियेगा, मैं सपना जाऊँगा और वहाँ न जानेका  
कारण मैं स्वयं समझूँगा, ताकि किसीके विधि विषय न हो जाये। उन सबका भार  
आपका ही उद्योग है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मुजगती पत्र (मी० एच० ३१८८) में।

मोहनदासके पट्टणी

१. साधन-सूत्र। मागंधीपं द्वारा हुआ है।

२. लक्ष्मी मुहम्मद।

## ४१७. पत्र : लक्ष्मीनिवास विडलाको

पोप मुदी ११ १९८१ [५ जनवरी, १९२५]

चि० लक्ष्मीनिवास, '

तुमारा खत मिला। मुझे वहीत आनद हुआ।

सच्च है कि सबको चर्खा चलाना चाहिये। जैसे इस जगत्का चक्र एक क्षण भी बध नहि होता है ऐसे ही चर्खा किमी रोज कोई भारतवर्षके घरमे बध रहना न चाहिये। धनिकोके लीये मे चर्खाको ज्यादाह आवश्यक समझता हु। मेरी उमेद है कि सब चर्खा चलावेगे और मूत मुझे भेजेगे।

शुभेच्छक,

मोहनदास गाधीका आशीर्वाद

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१०१) से।

सीजन्य घनश्यामदास विडला

## ४१८. तार : प्रभाशंकर पट्टणीको

सावरमती

७ जनवरी, १९२५

सर प्रभाशंकर पट्टणी  
भावनगर

आपका तार पानेसे पहले मैं स्वागत समितिको जवाब दे चुका था। परिपदके<sup>१</sup> दौरान मैं उनकी मानूंगा। यही उचित और आवश्यक लगता है कि उन्हीका अतिथि रहूँ। मुझे आगेवालोके लिए अटपटा उदाहरण स्थापित नही करना चाहिए। देवचन्द भाई<sup>२</sup> सहमत है और ठीक ही आग्रह करते है कि मैं स्वागत समितिका अतिथि होऊँ। अत नौ तारीखतक कृपया क्षमा करे।

गाधी

अग्रेजी प्रति (जी० एन० ५८७५) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ३१८९ से।

१ तृतीय काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्।

२. देवचन्द पारेख, वकील, काठियावाड़के सामाजिक कार्यकर्ता।

## ४१९. कार्य समिति

अरिउ भास्वीर तारेन तनेदीने कार्य समितिने सदस्य चुननेका जिम्मा आखिर श्री देवप्रभु दास, पण्डित मातीलाल नेह्रू जीर मुझपर छाट दिया था। मुझपर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने स्वराज्यवादिशास्त्री हर गांग मानली है। यदि मैंने ऐसा किया हो तो मुझे जमाना फौरन है। पूर्ण समर्पण तो पूर्ण ही होना चाहिए। फिर भी हत्तीगत यह है कि किसी भी अपरिवर्तनवादीका नाम वापन लेनेके लिए मुझपर किसी प्रकारका दबाव नहीं जान गया। मैंने चतुर्थी राजगोपालाचारी, श्री कल्याणभारती पटेल और गणेशदास वैतरणे नाम जान-पूजकर निकाल दिये। समितिमें श्रीमती नगोजिनी देशी और नरदार मगरसहका होना एक सम्मानकी बात है। श्री कल्याण, श्री अजोरा रामे आर्या जगह चाली कर देनेका बहुत उत्सुक थे, लेकिन यह बात मुझे मन्जूर नहीं थी। दूसरी ओर श्री अजोरा नाम आते ही मुझको लगा कि उनको भी उनमें अवश्य होना चाहिए। पाठक विश्वास रखें कि यह सारा चुनाव मोल्हो आने मैत्रीता भावनासे किया गया है। मान लीजिए कि दोनों पक्षोंके लोग जो-मुट कह रहे थे, उमानदारीमें कह रहे थे (और ऐसा ही मानना भी चाहिए) तो यह बात आगामीने समझें आ जायेगी कि यह काम दोनोंके लिए कितना कठिन था। यद्यपि उनके विश्वासकी मात्राओंमें फर्क है और अभीलिए उनका जोर जुदा-जुदा बातोंपर है, फिर भी दोनोंको उन सामान्य कार्यक्रमको पूरा करनेके लिए एक सामान्य तरीका टंड निकालनेका प्रयत्न करना है। वेशक, अपरिवर्तनवादियोंके निश्चित बहुमतवाली कार्यसमितियों तादी सम्बन्धी कार्यके सिलसिलेमें जोरदार प्रस्ताव पास हो सकते हैं, लेकिन उन लोगोंके नजदीक उनका कुछ भी वजन न होगा जिन्होंने कि तादी-सदस्यताकी शर्तोंमें वेमनसे मन्जूर किया था। इसके विपरीत जिग समितिमें स्वराज्यवादियोंका बहुमत होगा उनके प्रस्ताव नरम ढंगके भले ही हों, किन्तु स्वराज्यवादी लोग उन्हें कहीं अधिक महत्त्व देंगे और मेरा काम तो यह है कि स्वराज्यवादियोंको तहे-दिलमें उस काममें अपना साथी बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना अमर उनपर डालूँ और वे अपना मुझपर डालें। इसलिए इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती कि स्वराज्यवादी दलके नेता और उनमें भी योग्यतम और कत्तई सदस्यताके कट्टरने-कट्टर विरोधी नेता और मैं मिलकर ऐसे वातावरणमें काम करे, जिनमें हमें एक-दूसरेके साथ मिलकर ही काम करना पड़े। लेकिन जिनको खुद ही इस बातका शक और विरोध उत्साह है, उनके साथ ऐसा सम्पर्क रखनेकी आवश्यकता मुझे नहीं है। वे तो अपने विश्वासके अनुरूप यथाशक्य काम करेंगे ही। उन्हें काम करनेका उत्साह दिलानेके लिए प्रस्तावों या हिदायतोंकी जरूरत नहीं। इसलिए यदि हम चाहते हों कि इस एक सालमें कांग्रेसके दोनों पक्षोंमें अटूट एकता स्थापित हो जाये तो मेरी रायमें कार्य समितिका चुनाव एक आदर्श चुनाव है। जो भी हो, इसके

परिणामस्वरूप ऐसा वातावरण तो तैयार होगा ही, जो इस उद्देश्यके लिए अधिकसे-अधिक अनुकूल होगा।

मैं लठ्यपर पहुँचनेके लिए अपनी तरफसे कुछ न उठा रखूंगा। इसलिए इस साल मैं ऐसा कोई भी प्रस्ताव पास नहीं कराना चाहता, जिसे इस या उस पक्षका कहा जा सके। यदि खुद कांग्रेसमें ही घोर विरोध चलता रहे तो न चरखा और न विदेशी कपड़ोके बहिष्कारका कार्यक्रम ही तेजीसे चल सकेगा। सच तो यह है कि हमें राष्ट्रीय रचनात्मक कार्यक्रमके लिए कांग्रेसके बाहरके लोगोका भी समर्थन प्राप्त करनेकी कोशिश करनी चाहिए। वे चाहे सदस्यताकी शर्तके तौरपर कताईको या खादी पहननेको पसन्द न करते हो, लेकिन लिबरलोमें भी जिन-जिनसे मैं मिला हूँ, उनमें से ऐसे बहुत लोग नहीं हैं जिनको कुटीर उद्योगके तौरपर कताईपर और सदस्यताकी शर्तके अलावा और किसी कारणसे खादी पहननेपर किसी भी प्रकारकी आपत्ति हो। हो सकता है कि कांग्रेसकी वर्तमान नीति और ध्येयको या सदस्यताकी इस नई शर्तको स्वीकार करके कांग्रेसमें शामिल होना सभी दलोके लिए अपने-अपने सविधानोकी दृष्टिमें सम्भव न हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कांग्रेसकी वर्तमान नीति और ध्येय तथा सदस्यताकी यह नई शर्त, जहाँ सम्भव हो वहाँ, हमारे एक साथ मिलकर काम करनेमें बाधक नहीं बनेगी।

[ अग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, ८-१-१९२५

## ४२०. बेलगाँवके संस्मरण [- २]

### नामधारी सिख

मुझे मुलाकात करनेके लिए सामूहिक रूपसे अथवा अकेले-अकेले आनेवाले सब लोगोसे मिलने और उनकी शकाओका समाधान करनेमें मुझे बड़ी मुश्किल पड़ी। नामधारी सिख कागजोका एक पुलिन्दा लेकर मेरे पास आये। वे चाहते थे कि अकालियोके खिलाफ उनकी शिकायतको मैं गौरसे सुनूँ। उनकी नम्रता और धीरज देखकर मेरी अनिच्छा भी जाती रही। लेकिन उनकी शिकायतको न सुननेकी वजह अनिच्छाकी वनिस्वत मेरी मजबूरी ही अधिक थी। उनकी नम्रता देखकर भी समय तो नहीं ठहर जाता। वे स्वयं भी समझ गये कि मैं बिलकुल मजबूर हूँ। मैं उनको सिर्फ यही तसल्ली दे सका कि जब मैं फिर कभी लाहौर आऊँगा तो उनके कागजात देखूँगा और इस बातका खयाल रखूँगा कि कांग्रेसकी तरफसे उनके साथ किसी प्रकारका अन्याय न होने पाये। मैंने उनसे कहा कि वहादुर अकालियोके ध्येयके प्रति मेरे मनमें विशेष सहानुभूति अवश्य है, पर मैं उनके द्वारा किये जानेवाले अन्याय या अत्याचारका कभी भी समर्थन नहीं करूँगा। सरदार मंगलसिंहने भी मेरे इस भावके अनुरूप उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि अकाली लोग यह सिद्ध करनेके लिए हमेशा

तैयार है कि वे एक सर्वथा नैतिक आधारपर गुरुद्वाराके गुधारके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते।

### बौद्धोकी शिकायत

उन्हाके श्री परेरा चाहते थे कि मैं कांग्रेसको बुद्ध-गयाके मन्दिरके सवालमे दिलचस्पी लेनेके लिए प्रेरित करूं। पाठकाको जायद याद होगा कि पिछले कुछ सालसे एक आन्दोलन चला आ रहा है कि गयाका विद्यालय ऐतिहासिक बुद्ध मन्दिर फिरसे बौद्धोंके हवाते कर दिया जाये। लेकिन मालूम होता है, अभी आन्दोलन कोई सास आगे नहीं बढ़ पाया है। होणोनाडा कांग्रेसने बाबू राजेन्द्रप्रसादको इस मामलेकी जांच करके रिपोर्ट पेश करनेके लिए मुकर्रर किया था। इस बैठकतक वे यह नहीं कर सके थे। कांग्रेस सप्ताहके दौरान लगभग बौद्धोंका एक शिष्टमण्डल कांग्रेसके सामने बौद्धोंका पक्ष स्वयं पेश करनेके लिए ब्रेलगांव आया था। श्री परेरा कुछ नेताओंसे मित्रर कर फिर मुझे मिले। वास्तवमे उनको मेर सामने वह सब पेश करनेकी जरूरत ही न थी। मैं तो पहलेसे उन्हीके मतका था। लेकिन यहाँ भी वहाँ समस्या थी। मैं करना क्या? मैंने जो काम पहले ही हाथमें ले रखा था, उमके सिवा और काम करनेकी मुझे फुरत ही न थी। लेकिन श्री परेराको टालना भी मुश्किल था। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी उनको बातमें उतना ही विश्वास है जितना कि उन्हें स्वयं है, लेकिन कांग्रेस जायद उनकी ज्यादा मदद न कर सकेगी। पर वे डटे रहे और आविर मुझे उस बातपर राजी होना ही पडा कि वे विषय समितिमे उपस्थित होकर अपनी बात कहे और फिर अगर समितिको उनकी बात अस्वीकार हो तो वे गोधे उन्हीके मुँहसे अस्वीकृति मुनें। श्री परेरामे आत्मविश्वास था। उनके मीठे बरताव और मक्षित लेकिन मुन्दर भाषणकी छाप समितिपर अच्छी पडी और उमने उमी बखत उमपर विचार करनेका निश्चय किया। लेकिन, अफसोस! वहमके वाद समिति इन निष्कार्यपर पहुँची कि वह श्री परेराको कोई खास मदद नहीं दे सकती, उमे अपने प्रतिनिधिकी रिपोर्ट तबतक नहीं मित्री थी। और पिछले साल इस विषयपर काफी विस्तारमे चर्चा हो चुकी थी, लेकिन तीव्र मतभेदके कारण उमे इस विषयको छोड देना पडा था। इसलिए समिति सिर्फ इतना ही कर सकी कि उमने राजेन्द्र-बाबूगे कहा कि जल्दीसे जांच करके चालू महीनेके आविरतक या उममे पहले अपनी रिपोर्ट वे कार्य समितिमें पेश कर दे। हाँ, इसमे तो शक नहीं कि मन्दिरका कब्जा बौद्धोंके ही हाथोंमे होना चाहिए। इसमें कुछ कानूनी अडचने पेश आ सकती हैं। उन्हें दूर करना होगा। यदि वह गवर सच है कि उस मन्दिरमें पशुओंकी बलि दी जाती है तो बेशक यह मन्दिरकी पवित्रता भग करना है और जैसा कि कहा जाता है, पूजा भी ऐसे तरीकोमे की जाती है जिनसे बौद्धोंका दिल दुखता है तो यह भी मन्दिरकी पवित्रताको भग करनेवाला काम है। मन्दिरके असल हकदारोंको मन्दिरका कब्जा दिलानेमे सहायता करना हमारे लिए गर्वकी बात होनी चाहिए। मुझे आशा है कि राजेन्द्रबाबू इस विषयसे सम्बन्धित सभी कागजात इकट्ठा करेगे और उनके आधारपर ऐसी परिपूर्ण रिपोर्ट तैयार करेगे, जिसमे कि इस मामलेमे बौद्धोंकी सहा-



यता करनेके इच्छुक सभी लोगोको मार्ग-दर्शन और सहायता मिले। मुझे यह भी आशा है कि श्री परेरा भारतमें ही रहकर राजेन्द्रवायूकी मदद करेंगे।

### शिक्षक-सम्मेलन

राष्ट्रीय शिक्षकोका भी एक अनीपचारिक सम्मेलन हुआ और उसमें वे कुछ निश्चित परिणामोपर पहुँचे। वहस खासी दिलचस्प रही। सारी वहसका केन्द्र चरखा ही था। अच्छे-अच्छे विद्वान् सम्मेलनमें आये थे। मुझे आशा है, शिक्षक लोग शिक्षकोके लिए ही पास किये गये उन प्रस्तावोपर ठीक-ठीक और शब्दशः अमल करेंगे। प्रस्तावोको पास करके उनपर कभी अमल न करना हमारे राष्ट्रीय जीवनका एक अभिशाप रहा है। यो ही वेमतलव वचन देना शिक्षकोके लिए तो सबसे ज्यादा अगोभनीय है। देशके युवकोको एक सही साँचेमें ढालनेका काम उन्हीके हाथोमें है। उन्हें यह वान अच्छी तरह समझनी चाहिए कि विद्यार्थी लोग इन प्रस्तावो और वचनोकी पवित्रताके सम्बन्धमें उनके लम्बे-चौड़े प्रवचनोसे प्रभावित होनेकी वजाय उनके वचन-भगके वुरे उदाहरणका अनुकरण कही अधिक तत्परतासे करेंगे। राष्ट्रके लिए यह साल एक आजमाइशका साल है। कांग्रेसने लगभग एक ही चीजके लिए अपना सर्वस्व दाँवपर लगा दिया है अर्थात् खादी पैदा करने और विदेशी कपडोका बहिष्कार करनेके लिए। राष्ट्रीय पाठशालाएँ तभी राष्ट्रीय कहलायेगी जब वे राष्ट्रीय कार्यमें मदद करेंगी। इसके लिए उनके शिक्षकोको, छात्र-छात्राओको वे तमाम काम सीखने होंगे जिनकी जरूरत खादी पैदा करनेमें पडती है। उन्हें स्वयं खादी पहननी होगी और जितना कात सके कातना होगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि वे अपनी दूसरी पढाईकी उपेक्षा करे, लेकिन उन्हें उन बातोकी उपेक्षा तो हरगिज नहीं करनी है, जो राष्ट्रके लिए अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षकोने बहुत बड़े बहुमतसे इस बातको स्वीकार किया है। मैं आशा करता हूँ कि वे अपने वचनके अनुसार कार्य करके इसको सफल बनायेगे।

### विद्यार्थी

विद्यार्थियोका भी एक सम्मेलन हुआ है। उनमें केवल राष्ट्रीय पाठशालाओ और विद्यालयोके ही विद्यार्थी नहीं, बल्कि अधिकांशतः सरकारी पाठशालाओके ही विद्यार्थी थे। विद्यार्थियोके छुट्टीके दिनो और दूसरे खाली समयका उपयोग करनेकी एक योजना सभापति श्री रेड्डीने तैयार की थी। उनकी योजना यह थी कि सभी विद्यार्थी (वे वकीलोको भी उनमें शामिल करना चाहेंगे) कमसे-कम एक सालमें २८ सायकाल राष्ट्रको देनेकी प्रतिज्ञा ले। प्रत्येक स्वयंसेवक विद्यार्थी अपने पडोसके चार गाँवोको अपने क्षेत्रीय कार्यके लिए चुन ले। श्री रेड्डीने भिन्न-भिन्न विषयोपर एक व्याख्यान-माला आयोजित करनेकी सलाह दी। मैं तो अभी इन स्वयंसेवकोके अवकाशके समयका उपयोग सिर्फ खादीके प्रचारमें ही कराना चाहता हूँ। लेकिन सेवाका यही एक मार्ग तो नहीं है जिसका अनुसरण करके विद्यार्थी और वकील लोग सहायता कर सकते हो। वेशक वे कमसे-कम इतना तो कर ही सकते हैं कि स्वयं खादी पहने और रोज

आधा घटा जाते। चकीलो और इक्कीस सालसे अधिक आयुके विद्यार्थियोंको कांग्रेसके सदस्य बन जाना चाहिए और जिनकी उम्र कम हो उन्हें अपना सूत भेटके तौरपर अपनी समितिको या अखिल भारतीय खादी बोर्डको भेजना चाहिए।

[अग्रजोगे]

यग इटिया, ८-१-१९२५

## ४२१. टिप्पणियाँ

प्रान्तीय कमेटियोंके लिए

मैं आगा लग्ना हूँ कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ नई शर्तके अनुसार सदस्य बनानेके कार्यमें तत्प्राप्त जुट जायेगी। मैं जानता हूँ कि कुछ कांग्रेस-जन नये सदस्य बनानेका काम शुरू करनेमें पहले कामके तरीकेके बारेमें कार्य समितिकी हिदायतकी राह देग रहे हैं। लेकिन उस तरह राह देखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। नई सदस्यता शर्तके अनुसार कार्य समितिको खुद कार्य नगठित करना नहीं है। सारा भार प्रान्तोंपर ही है और वे जितनी जल्दी काम शुरू करेंगे उतना ही अधिक लाभ उन उद्देश्योंको पहुँचेगा, जिनको दृष्टिमें रखकर सदस्यताकी यह नई शर्त लागू की गई है। कांग्रेस-जनको यह स्मरण रखना चाहिए कि वर्तमान सदस्योंकी सदस्यताकी अवधि फरवरीके अन्तमें पूरी हो जायेगी। यदि प्रान्तीय कमेटियाँ तबतक सदस्य बनानेका काम मुन्नवी रखें, तो वे पायेंगी कि उस वक्त उनके पास काम चलानेके लिए आवश्यक न्यूनतम सभ्यता भी नही होगी। इसलिए अभीसे सदस्य बनानेके लिए प्रचारका काम तत्परतामें शुरू कर देना चाहिए। इसका सगठन करनेके तरीकेके सम्बन्धमें श्री मतीशचन्द्र दाम गुप्तने कुछ उपयोगी जानकारी दी है। मुझे उम्मीद थी कि मैं उसको प्रकाशित कर सकूँगा। खादी-कार्यके सम्बन्धमें मतीश बाबू द्वारा लिखित और खादी प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित दो ज्ञानवर्धक पुस्तके भी मेरे पास आई हैं। प्रथम गण्डमें कनाई और तुनाईके कार्यको सगठित करनेके तरीके बयान किये गये हैं और दूसरेमें रुईसे सम्बन्धित जितनी उपयोगी जानकारी मिल सकती थी, दी गई है। ये दोनों पुस्तके समयोपयोगी हैं। इनके लेखकने परिश्रमपूर्वक जनताको जानकारी मुलभ कराई है, उसमें मे कुछको मैं सार-रूपमें प्रस्तुत करनेकी उम्मीद रखता हूँ।

जो लोग खरीद सकते हैं, उन्हें इन किताबोंको ही खरीद लेना चाहिए। वे इनके लिए खादी प्रतिष्ठान, १५ कॉलेज स्ववायर, कलकत्ताको लिखें। पहले खण्डकी कीमत दो रुपया और दूसरेकी एक रुपया है।

कर्तव्योसे

कई कर्तव्ये, जो अबतक अपना सूत अखिल भारतीय खादी बोर्डके या मेरे पास भेजा करते थे, पूछते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। दिसम्बर मासका

सूत तो उन्हें उसी तरह भोजना चाहिए जिस तरह भेजते आये हैं। सालके शुरू होनेके बाद वालिग लोग जितना भी काते, अपने ही पास रखे और सदस्यताके माह-वारी चन्देके तौरपर अपनी-अपनी प्रान्तीय समितियोंको भेज दे। अवतक कतैये जितना कातते, भेज देते थे, और बहुत-से लोगोंने तो २,००० गजसे भी कम सूत भेजा है। अब अपनी सक्रिय सदस्यता बनाये रखनेके लिए हर महीने कमसे-कम २,००० गज भोजना तो जरूरी है ही। यदि वे चाहे तो ज्यादा भेज सकते हैं। उन्हें इस बातका खयाल रखना चाहिए कि जितना सूत भेजे उतनेकी रमीद ले ले। २,००० गजसे जितना अधिक सूत भेजेंगे उतना दूसरे महीनेके हिसाबमे गिन लिया जायेगा। छोटी उम्रके लडके-लडकियाँ सूत दानके तौरपर प्रान्तीय कमेटियोंको भेजे। वे सदस्य नहीं बन सकते। मुझे बताया गया है कि फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो सिर्फ मुझको ही सूत भोजना चाहेगे। मैं उन्हें अपनी-अपनी कमेटियोंको सूत भेजनेकी सलाह दूँगा, लेकिन यदि वे ऐसा न करे तो मैं खुशीसे उनके सूतको स्वीकार करूँगा और सदाकी तरह उसका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करूँगा।

### पुरस्कार-निबन्ध

चरखे और खदरके सन्देशके सम्बन्धमे पुरस्कार-निबन्धकी<sup>१</sup> शर्तें ये हैं

१ निबन्ध अंग्रेजीमे और चार भागोमे विभक्त होना चाहिए, पहले भागमे भारतमे अंग्रेजोके आनेसे पहले हाथ-कताईका इतिहास और खदर (अर्थात् हाथ-कते सूतसे हाथ-बुने कपडे, जिसमे ढाकाकी प्रसिद्ध 'गवनम' भी शामिल है) के व्यापारकी कहानी दी जाये, दूसरे भागमे हाथ-कताई और खदरके व्यापारके विनागका क्रमबद्ध इतिहास दिया जाये, तीसरेमे हाथ-कताई और खदरकी सम्भावनाओकी जाँच-पडताल की जाये और भारतीय मिल उद्योग तथा हाथ-कताई और हाथ-बुनाईकी तुलना की जाये और चौथे भागमे चरखेके जरिये विदेशी कपडेका बहिष्कार कहाँतक सम्भव है, इसपर विचार किया जाये। निबन्धकी स्थापनाओकी पुष्टि प्रामाणिक आँकडोसे की जाये और एक परिशिष्ट भी दिया जाये, जिसमे सभी सन्दर्भ-पुस्तको और लेखक द्वारा अपने विचारोके समर्थनमे दिये गये अधिकारी लेखकोकी सूची दी जाये।

२ प्रतियोगितामे भाग लेनेवाले अपने निबन्धको जितना चाहे उतना सक्षिप्त बना सकते हैं, किन्तु उसमे तथ्यो और आँकडोका पूरा लेखा आ जाना चाहिए।

३ निबन्ध रजिस्टर्ड बुकपोस्ट द्वारा 'यग इंडिया' के दफतरमे भेजा जाये और उसके साथ एक अलग कागजपर लेखकका नाम भी भेजा जाये। निबन्ध अधिकसे-अधिक आगामी १५ मार्चतक 'यग इंडिया' के दफतरमे पहुँच जाना चाहिए। निबन्धके निर्णायको-मे श्री शकरलाल वैकर, श्री मगनलाल गांधी और स्वयं मैं रहूँगा। परिणामकी घोषणा अधिकसे-अधिक ३१ मार्च, १९२५ तक कर दी जायेगी। यदि निबन्ध एक निश्चित स्तरसे नीचेके होंगे तो निर्णायकोको अधिकार होगा कि वे चाहे तो सभी निबन्धोको रद्द कर दे। पुरस्कार परिणामकी घोषणाके बाद विजेताको दिया जायेगा।

१. देखिए "टिप्पणियाँ", १-१-१९२५ का उप-शोर्षक "एक इनाम"।

निबन्धके प्रकाशनका अधिकार धन-दाताकी इच्छाके अनुसार अखिल भारतीय खादी बोर्डको होगा।

मुझे आशा है कि महान् चरखा आन्दोलनमें जिन-जिन विद्वानोंकी रुचि हो और जिन्होंने इस विषयका अव्ययन किया हो, वे सभी इस प्रतियोगितामें भाग लेना उपयोगी मानेंगे।

### गरीबी एक कारण

एक बंगाली मित्रने एकताके सम्बन्धमें लिखा है

बंगालमें और कदाचित् दूसरे प्रान्तोंमें भी, शिक्षित मध्य वर्गोंकी आर्थिक कठिनाइयोंसे लोकसेवाकी भावना और देशभक्तिके विकासमें रुकावट पड़ती है। युवक सभाओंमें बड़ी संख्यामें आते हैं और भाषणोंपर तालियाँ बजाते हैं। जब वे स्कूलों और कालेजोंसे निकलते हैं तो उन्हें जीवन-निर्वाहके संघर्षका अनुभव होने लगता है। इससे उनकी युवकोचित स्फूर्ति और उनका उत्साह मन्द पड़ जाता है और राष्ट्रीय कार्यको आगे बढ़ानेमें उनकी कोई वास्तविक रुचि नहीं रह जाती।

लेखकने यह निष्कर्ष ठीक ही निकाला है कि यह बुराई न्यनाधिक सभी प्रान्तोंमें मिलती है। इसका उपाय स्पष्ट है। कोई भी सरकार छात्रोंकी साल-दर-साल बढ़ती हुई संख्याके लिए रोजगारकी व्यवस्था नहीं कर सकती। इस पेचीदा सवालको हल करनेका केवल एक ही तरीका है, वह यह कि शिक्षाके सम्बन्धमें प्रचलित इस आम धारणाको बदल दिया जाये कि शिक्षा एक अच्छी जीविका पानेका साधन है। शिक्षा मानसिक और नैतिक उन्नतिके लिए प्राप्त की जानी चाहिए। दूसरे, उसका यह फल होना चाहिए कि बेरोजगार युवकोंको श्रम गरिमाकी प्रतीति हो सके और वे अपने अन्दर चरखा-उद्योगका संगठन हाथमें लेनेकी योग्यता विकसित करें। यदि युवक आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और गाँवमें जाकर साधारण आयपर सन्तोष करनेके लिए तैयार हो तो उनकी बड़ीसे-बड़ी संख्या भी इस कार्यमें खप सकती है।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, ८-१-१९२५

## ४२२. भाषण : विषय सभितिकी बैठकमें<sup>१</sup>

८ जनवरी, १९२५

जनताका हृदय जीतनेका एक ही उपाय है—चरखा। जहाँ-तहाँ अधर्मकी पताका फहरा रही है। आज तो 'धर्म-संस्थापन' चरखेके माध्यमसे ही सम्भव है। आज तो हम सबकी दगा त्रिशकु-जैसी है। चरखेके सिवाय इस भयानक स्थितिसे छुटकारा पानेका और कोई उपाय नहीं है। जनताको इसीके माध्यमसे प्रभावित किया जा सकता है। सरकारमें भी धर्म-भावना इसीके बलपर जगाई जा सकेगी। एक सज्जन पूछते हैं कि "क्या मूँछेवाले लोग भी सूत कातने बैठेंगे?" उन्हें मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आज तो हमारी मूँछे मुडवा डालनेकी घड़ी आ गई है। लका-शायरमें जो लोग मर्गिने चला रहे हैं और इस तरह जो लोग साम्राज्य चला रहे हैं, वे मुछाडिए हैं या मूँछ-विहीन हैं? इस विषयपर जो साहित्य लिखा जा रहा है, वह भी पुरुषोंके द्वारा ही लिखा जा रहा है। परिवारकी रसोई स्त्री बनाती है, किन्तु जब समूची जाति भोजनके लिए बुलाई जाती है, तब रसोई बनाना मुछाडियोंके बिना नहीं चलता। कोई-कोई उच्च वर्णवाला होनेका, ब्राह्मण होनेका तर्क उठाते हैं। वर्णाश्रम यानी कार्य-विभाजन—यह बात मैं स्वीकार करता हूँ। किन्तु कार्यका अर्थ यहाँ प्रधान रूपसे करनेका कार्य ही है। उसके बाद करनेके कार्य सभीके लिए समान हो सकते हैं और आज तो वैसा होना ही चाहिए। भाई सतीशचन्द्र दास गुप्तने चरखेकी विद्याको शास्त्रका रूप दिया है। पालितानाके एक तहसीलदारका मुझे एक सुन्दर पत्र मिला है। उसमें वे कहते हैं कि मैं नियमित रूपसे कातता हूँ और दीवान साहब या ठाकुर साहब मुझे कातनेसे रोकते नहीं हैं। मैं जितना ही अधिक कातनेका अभ्यास करता जाता हूँ, उतनी ही मेरी शक्ति बढ़ती जाती है। मुझे तो यहाँतक लगता है कि मैं अपने घोडेकी पीठपर भी एक नन्हा-सा चरखा लेकर दौरेपर जा सकता हूँ। यदि ऐसा कोई हाकिम लोकप्रिय हो जाये तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात। जनता आपके किस गुणसे आकृष्ट होकर आपके पीछे चले? पहली बार जब किंग जॉर्ज काम सीखनेके लिए जहाजपर भेजे गये, तो उन्हें दूसरे मल्लाहोंकी तरह काली काफी, काली रोटी और पनीर मिलता था। उनके खाने या रहनेकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी—उनके लिए अपने अन्य सहयोगियों जैसी ही व्यवस्था थी। कपडेतक जैसे खलासियोंको पहननेके लिए दिये जाते हैं, वैसे ही दिये जाते। इस बातसे आप यह समझ जायेंगे कि अग्रेजी जनता क्यों अपने राजा जॉर्जके पीछे पागल है। राजा और प्रजा, कार्यकर्त्तागण और जनसाधारण चरखेके तारके द्वारा परस्पर बाँधे जा सकते हैं। मैं मोटी मारड गया था। यद्यपि वह गाँव रेलके स्टेशनसे दूर है, किन्तु मैंने देखा कि मलमलका कपडा वहाँ भी पहुँचा हुआ

१. बैठक भावनगरमें हुई थी।

है। हमारे देशमें सात लाख गांव हैं, यह बात हमें ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत आ जानेके बाद मालूम पड़ी। उन सात लाख गांवोंमें उसके पहले किसी सरकारने प्रवेश नहीं किया था, विन्तु आज वहाँ केलिको<sup>१</sup> और मॅजलीने<sup>२</sup> प्रवेश कर लिया है।

[ गुजरातीमें ]

नवजीवन, १८-१-१९२५

## ४२३ अध्यक्षीय भाषण : काठियावाड राजनीतिक परिषद्में<sup>३</sup>

८ जनवरी, १९२५

मित्रा,

काठियावाड राजनीतिक परिषद्का अध्यक्ष-पद मुझे आने जेल जानेसे पहले ही स्वीकार करनेको कहा गया था, लेकिन उन समय मैंने इस सम्मानजनक पदकी जिम्मेदारियाँ लेनेमें उत्सुकता कर दिया था। जिन कारणोंसे मैंने स्वीकार किया था, चीजें अब वे नहीं रह गये हैं, इसलिए इस सम्मानको मैंने अब स्वीकार कर लिया है, क्योंकि कुछ जिनसके साथ — जिनसके इसलिए कि राजनीतिक सवाल पर मेरे विचारोंमें और अन्य बहुत-से लोगोंके विचारोंमें बहुत गहरा अन्तर है। इनके अलावा, यह तथ्य कि मैं चालू वर्षके लिए कांग्रेसका अध्यक्ष हूँ, मेरी स्थितिको कुछ अटपटी बना देता है। वही एक भार इतना ज्यादा है कि मैं उसका समुचित निर्वाह नहीं कर सकता और उसके साथ इस वर्ष इस परिषद्की गतिविधियोंका भी निदोषन कर सकना मेरी सामर्थ्यमें लगभग बाहरकी बात होगी। इसलिए यदि आपकी आजकी कार्यवाहीकी अध्यक्षता करनेका मतलब ऐसा कोई दायित्व उठानेसे हो तो मैं कहूँ कि मैं उसके साथ न्याय करनेकी हालतमें विलकुल नहीं हूँ। उसके अलावा, मैं यहाँ अध्यक्षकी हैमियतसे जो विचार रखूँ, यदि उन्हें महज इसी कारण कांग्रेसके विचार माना जाये, क्योंकि मैं इस वर्ष कांग्रेसका भी नेतृत्व कर रहा हूँ, तो यह अनुचित होगा।

इसलिए मेरे लिए यह आरम्भमें ही स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि देशी रियासतोंके सम्बन्धमें मेरे विचारोंका कांग्रेसके सदस्योंके विचारोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरे विचार मेरे निर्जी विचार हैं। इनपर कांग्रेसके विचारोंकी कोई छाप नहीं है।

यदि मुझे इस परिषद्का अध्यक्ष होनेके योग्य समझा गया है तो उसका कारण मैं सोचता हूँ यही है कि मैं काठियावाडका निवासी हूँ और इस कारण भी कि मेरे इस परिषद्के कार्यकर्त्ताओंसे निकटके सम्बन्ध हैं। यह तो एक सयोगकी ही बात है कि मैं इस समय कांग्रेसका भी नेतृत्व कर रहा हूँ।

१ और २ महीन कपड़ेकी एक किस्म।

३ परिषद् भावनगरमें हुई थी।

मुख्य विषयपर आनेसे पहले मैं भाई मनसुखलालके निधनका उल्लेख करना चाहता हूँ। आप सब उनके साथ मेरे सम्बन्धसे अवगत हैं। आप सबको उनकी अनुपस्थिति आज खटके तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, लेकिन मैं यह बात छिपा नहीं सकता कि मुझे उनकी कमी बहुत ज्यादा खटक रही है। कविश्री मणिशंकर रतनजी भट्टका निधन भी आपके और मेरे लिए वैसा ही दुःखका विषय है। मुझे उन्हें निकटसे जाननेका सौभाग्य नहीं मिला था। अब उनका सहयोग हमें उपलब्ध नहीं होगा, यह कोई मामूली बात नहीं है। ईश्वर दोनों परिवारोंको ये क्षतियाँ सहन करनेकी शक्ति दे। हम उनके दुःखमें दुःखी हैं, इस जानकारीसे आशा है उनका दुःख हल्का होनेमें सहायता मिलेगी।

### महासभा और देशी-राज्य

मैंने अक्सर कहा है कि देशी रियासतोंसे सम्बन्धित प्रश्नोंपर कांग्रेसको सामान्यतः अ-हस्तक्षेपकी नीति अपनानी चाहिए। ब्रिटिश भारतकी जनता इस समय स्वयं अपनी आजादीके लिए संघर्ष कर रही है, ऐसे समयमें इसके लिए देशी रियासतोंके मामलोंमें टांग अडाना अपनी शक्ति-हीनताका ही परिचय देना होगा। जिस तरह देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकारके सम्बन्धमें कांग्रेसकी कोई प्रभावशाली आवाज नहीं हो सकती, उसी प्रकार देशी रियासतों और उनकी अपनी प्रजाके बीचके सम्बन्धमें भी कांग्रेसका हस्तक्षेप व्यर्थ सिद्ध होगा।

फिर भी ब्रिटिश भारतकी जनता और देशी रियासतोंकी जनता एक है, क्योंकि भारत एक है। उदाहरणके लिए, बडौदाके भारतीयोंकी आवश्यकताएँ और उनके रीति-रिवाज अहमदाबादके भारतीयोंसे भिन्न नहीं हैं। भावनगरके लोगोंका राजकोटके लोगोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। तथापि कृत्रिम परिस्थितियोंके परिणामस्वरूप राजकोटकी नीति भावनगरकी नीतिसे भिन्न हो सकती है। एक ही प्रकारके लोगोंके सम्बन्धमें विभिन्न नीतियोंका होना एक ऐसी चीज है जो बहुत दिनोंतक नहीं चल सकती। परिणामतः कांग्रेसके हस्तक्षेप किये बिना ही, परिस्थितियोंके अदृश्य दबावसे ही अलग राज्योंके अलग क्षेत्राधिकार होनेके वावजूद नीतियोंमें समानता आयेगी। विविधतामें भी एकता ला सकनेकी हमारी क्षमता ही हमारी सभ्यताकी खूबी और परीक्षा होगी।

लेकिन मेरा दृढ़ मत है कि जबतक ब्रिटिश भारत स्वतन्त्र नहीं होता, जबतक ब्रिटिश भारतके लोग वास्तविक शक्ति नहीं प्राप्त कर लेते अर्थात् जबतक ब्रिटिश भारतमें आत्माभिव्यक्ति करनेकी शक्ति नहीं आती—एक शब्दमें कहे तो जबतक ब्रिटिश भारत स्वराज्य नहीं प्राप्त कर लेता तबतक ब्रिटिश भारत और भारतकी देगी रियासतोंमें विश्रम और अस्थिरताकी यह दगा बनी ही रहेगी। तीसरी सत्ताका अस्तित्व ही इस दशाके चलते रहनेपर निर्भर है। हम अपने घरको तभी सुव्यवस्थित कर सकते हैं जब ब्रिटिश भारत स्वराज्य प्राप्त कर ले।

### स्वराज्यके अन्तर्गत देशी राज्योंकी स्थिति

स्वराज्य मिल जानेपर स्थिति क्या होगी? तब यहाँ पारस्परिक सहायता और सहयोगके सम्बन्ध होंगे और विनाशकारी संघर्ष भूतकालकी चीज बन जायेगी।

स्वराज्य पा चुकनेपर ब्रिटिश भारत देशी रियासतोंको नष्ट करनेकी इच्छा नहीं करेगा, बल्कि उनका सहायक सिद्ध होगा। और देशी रियासते भी ब्रिटिश भारतके प्रति ऐसा ही रवैया अपनायेगी।

देशी रियासतोंकी वर्तमान दशा मेरी रायमें कुछ दयनीय है, क्योंकि देशी नरेशोंको कोई स्वाधीनता नहीं है। प्रजाको मृत्यु-दण्ड दे सकनेकी शक्ति होना, सच्ची शक्ति होनेका द्योतक नहीं है। सच्ची शक्ति तो अपनी प्रजाको सारी दुनियाके मुकाबले भी सुरक्षित रखनेकी इच्छा और सामर्थ्यमें है। आज देशी रियासतोंमें ऐसी क्षमता नहीं है और परिणामत धीरे-धीरे वैसा करनेकी इच्छा भी समाप्त ही हो गई है। इसके विपरीत, प्रजापर अत्याचार करनेकी उनकी शक्ति, लगता है बढ़ गई है। चूँकि साम्राज्यमें ही अराजकता फैली हुई है इसलिए साम्राज्यके अधीन जो रियासते हैं उनमें भी अराजकता है। देशी रियासतोंमें अराजकता देशी नरेशोंके कारण उत्पन्न नहीं है जितनी कि भारतकी वर्तमान दशाके कारण है।

भारतकी वर्तमान दशा चूँकि प्राकृतिक नियमों, अर्थात् ईश्वरीय नियमोंके विरुद्ध है, इसलिए हम सारे देशमें अव्यवस्था और असन्तोष देखते हैं। मेरा निश्चित मत है कि यदि भारतका एक अग स्वशासित हो जाये तो सब-कुछ ठीक हो जायेगा।

### आगे कौन बढ़े ?

तो फिर पहला कदम कौन उठाये ? स्पष्ट है कि भारतको ही पथ-निर्देशन करना होगा। वहाँ लोगोंको अपनी वुरी दशाका भान है और है उससे मुक्ति पानेकी चाह, और चूँकि इच्छासे ही ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए जो लोग अपने सकटसे मुक्ति पाना चाहते हैं, वे ही उसके साधन ढूँढेंगे और उनका प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैंने अकसर कहा है कि ब्रिटिश भारतकी मुक्तिका अर्थ देशी रियासतोंकी मुक्ति भी है। जब ब्रिटिश भारतकी स्वतन्त्रताका शुभ दिन आयेगा तब देशी रियासतोंमें शासक और शासितका सम्बन्ध समाप्त नहीं होगा, किन्तु वह शुद्ध हो जायेगा। मेरी स्वराज्यकी जो कल्पना है उसका मतलब राजाशाहीका अन्त नहीं है। न उसका मतलब है पूँजीका अन्त। सचित पूँजीका मतलब है, शासनकी शक्ति। मैं पूँजी और श्रम आदिके बीच सही सम्बन्ध स्थापित करनेके पक्षमें हूँ। मैं एकके ऊपर दूसरेकी प्रभुता स्थापित नहीं करना चाहता। मैं ऐसा नहीं मानता कि इन दोनोंमें कोई स्वाभाविक त्रैर है। हमारे बीच अमीर और गरीब हमेशा रहेंगे। लेकिन उनके पारस्परिक सम्बन्धोंमें निरन्तर परिवर्तन होते रहेंगे। फ्रान्स एक गणतन्त्र है, लेकिन फ्रान्समें सभी वर्गोंके लोग हैं।

हमें आकर्षक शब्दोंसे भ्रममें नहीं पड़ना चाहिए। भारतमें जो भी भ्रष्टाचार हम देखते हैं वह हर भ्रष्टाचार पश्चिमके तथाकथित सभ्य देशोंमें भी उसी प्रमाणमें मौजूद है, भले ही उन्हें तरह-तरहके नामोंसे पुकारा जाता हो। दूरीके कारण ही चीजे आँखोंको मोहक लगती हैं, इसीलिए पश्चिमकी हर चीज हमारी आँखोंमें बड़ी चमक-दमकवाली लगती है। वास्तवमें पश्चिममें भी शासकों और शासितोंके बीच अनवरत संघर्ष चलता रहता है। वहाँ भी लोग सुख और खुशीकी तलाश करते हैं और बदलेमें दुःख भोगते हैं।



## देशी राज्योके वारेमें

बहुत-से काठियावाडी मुझसे इस सुन्दर देशके राजाओ और सामन्तोके विरुद्ध शिकायत करते हैं और मेरे रवैयेको मेरी उदासीनता समझकर मुझे आड़े हाथो लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं उदासीन नहीं हूँ, बल्कि मैं वर्तमान अव्यवस्थाओको दूर करनेके उपाय ढूँढता और उन्हें लागू करता रहा हूँ तो मेरे ये अधीर मित्र मेरी यह बात शायद समझ नहीं पायेगे। मैंने स्वराज्य आन्दोलनमें अपना सब-कुछ दाँवपर लगा दिया है, इस आशामे कि स्वराज्य ही सब रोगोकी अचूक दवा है। जिस प्रकार सूर्योदय होनेपर तिमिरका लोप हो जाता है उसी प्रकार जब स्वराज्यका सूर्य उदित होगा तब शासको और प्रजाओकी अराजकताका अँवैरा भी एक क्षणमें तिरोहित हो जायेगा।

## यूरोपके प्रवास

देशी रियासतोकी शासन-व्यवस्थाकी बराबर आलोचना होती रही है और उससे यह छोटा-सा प्रान्त भी बचा नहीं है। नरेगो और सामन्तोके विरुद्ध जो एक आम शिकायत है वह यह कि यूरोप-यात्रा करनेका उनका चाव दिनो-दिन बढ़ता जाता है। किसी कामसे या ज्ञानोपार्जनके लिए उनका यूरोप जाना तो समझा जा सकता है, किन्तु महज आनन्दकी खोजमें यूरोप जाना तो असहनीय लगेगा। यदि कोई नरेश अपना ज्यादातर समय अपने राज्यसे बाहर व्यतीत करता है तो उसके राज्यमें गड़बड़ी फैल जाती है। हमने देखा है कि लोकतन्त्र और ज्ञान-प्रसारके इस युगमें कोई ऐसा राज्य या सगठन जो लोकप्रिय या लोकोपकारी न हो, जिन्दा नहीं रह सकता। भारतकी देशी रियासते इस नियमके प्रभावसे मुक्त नहीं हैं। उनके प्रशासनकी तुलना इस समय ब्रिटिश सरकारके प्रशासनसे और जब स्वराज्य स्थापित हो जायेगा तब स्वराज्य सरकारके प्रशासनसे हमेशा की जायेगी। इंग्लैंडके राजा जार्ज अपने मन्त्रियोकी सहमतिके बिना इंग्लैंडसे बाहर नहीं जा सकते। और इसपर भी उनकी जिम्मेदारियाँ उतनी नहीं हैं जितनी कि भारतीय नरेगोकी हैं। भारतीय नरेश सारी ताकत अपने ही हाथोंमें रखते हैं। वे छोटे-छोटे पदोंपर नियुक्तियाँ भी खुद ही करते हैं। एक पुल बनानेके लिए भी उनकी अनुमति लेना जरूरी है। ऐसी हालतमें उनकी यूरोप-यात्राएँ उनकी प्रजाके लिए बहुत अरुचिकर होती हैं।

इन यात्राओपर होनेवाला खर्च भी असह्य होता है। यदि राजाशाहीका एक नैतिक आवार है तो नरेग लोग स्वतन्त्र मालिक नहीं हैं, बल्कि प्रजासे प्राप्त होनेवाले राजस्वके प्रजाकी ओरसे ट्रस्टी-मात्र हैं। इस धनको वे केवल न्यास-धनके रूपमें ही खर्च कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि ब्रिटिश संविधानमें इस सिद्धान्तको लगभग पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है। मेरी नभ्र रायमें हमारे नरेगो द्वारा यूरोपमें मुक्त-हस्तसे पैसा उड़ाया जाना किसी भी दृष्टिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।

कभी-कभी यूरोप जाकर इस तरह धन खर्च करनेको इस तर्कके आवारपर उचित ठहराया जाता है कि नरेश लोग वहाँ स्वास्थ्य-लाभके लिए जाते हैं। यह दलील विलकुल हास्यास्पद है। जिस देशमें पर्वतराज हिमालयका अखण्ड साम्राज्य हो

और जिस धरतीको गंगा, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र-जैसी प्रबल नदियाँ सींचती हो, उस देश-को छोडकर स्वास्थ्य-लाभके लिए वाहर जानेकी किसीको जरूरत नहीं है। जिस देशमें करोडो लोग पूर्ण स्वास्थ्यका मुख भोगते हो, वहाँ नरेशोके स्वास्थ्यकी आवश्यकताएँ भी पूरी हो सकती हैं।

### पश्चिमकी नकल

लेकिन इन विदेश-यात्राओकी सबसे बडी हानि तो नरेशो द्वारा पश्चिमकी नकल करनेमे हे। हमे पश्चिमसे बहुत-कुछ सीखना और पाना है, लेकिन वहाँ बहुत-कुछ ऐसा भी है जिसे अस्वीकार ही करना होगा। ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है कि जो चीज यूरोपकी जलवायुके अनुकूल है, वह सभी प्रकारकी जलवायुके अनुकूल पडेगी। अनुभव हमे बताता हे कि प्रत्येक विशिष्ट प्रकारकी जलवायुके लिए कुछ अलग प्रकारकी ही चीजे अनुकूल पडती हैं। पश्चिमके तौर-तरीके और रीति-रिवाज पूर्वको मुआफिक नहीं पडेगे ओर न पूर्वके पश्चिमको। ऐसा कहा जाता है कि पश्चिमी देशोमे स्त्री-पुरुष साथ मिलकर सयमके साथ नाचते हैं और जैसा कि बताया जाता है, कि यद्यपि वे नाचके बीच मादक द्रव्योका भी प्रयोग करते हैं, फिर भी वे शिष्टताकी सीमा नहीं लाँघते। मुझे वतानेकी जरूरत नहीं है कि अगर हम इस प्रथाकी नकल करे तो क्या होगा। उस भारतीय नरेशसे सम्बन्धित घटना हमारे लिए कितनी लज्जाजनक है जिसकी चर्चा आजकल अखबारोमे पूरे विस्तारके साथ की जा रही है।

### अनियत्रित खर्च

नरेशो और सामन्तोके विरुद्ध दूसरी शिकायत है, उनके अनियत्रित खर्च। इसमे बहुत-कुछ ऐसा होता है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। आनन्द और विलासपर एक सीमाके अन्दर खर्च करनेका नरेशोको अधिकार हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि खुद नरेश लोग भी इस मामलेमें अवाध स्वतन्त्रताकी इच्छा नहीं रखते।

### राजस्व-प्रणाली

रियासतोमे राजस्व प्रणाली भी दोष-रहित नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि देशी रियासतो द्वारा ब्रिटिश राजस्व-प्रणालीकी नकलने वहाँकी प्रजाका भारी अहित किया हे। अगर हम यह मान ले कि मुट्ठीभर अंग्रेजोके लिए हर दशामे हमारे देश-पर अपना आधिपत्य बनाये रखना नैतिक दृष्टिसे ठीक है तो ब्रिटिश राजस्व-प्रणाली-का थोडा-बहुत आचित्य हो सकता है। लेकिन भारतीय नरेशोके मामलेमे तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं हे। उनको अपनी प्रजासे डरनेकी कोई जरूरत नहीं हे क्योंकि उनका अस्तित्व कभी खतरेमे नहीं है। उन्हें एक बडी सेना रखनेकी जरूरत नहीं हे, किसी नरेशके पाम है भी नहीं और न अंग्रेज कभी उन्हें ऐसा करने ही देंगे। इसके वावजूद वे इतने भारी कर लगाते हैं, जिसे देना प्रजाकी मामथ्यसे वाहर हे। मुझे यह देखकर दु ख होता है कि हमारी इस प्राचीन परम्पराका कोई आदर नहीं रह गया है, जिसके अनुसार राजस्वका उद्देश्य केवल जन-कल्याण ही था।

## आवकारी

नरेशोने राजस्व बढ़ानेके लिए ब्रिटिश आवकारी विभागकी जो नकल की है वह तो विशेषरूपसे क्षोभजनक है। ऐसा कहा जाता है कि आवकारी भारतका एक प्राचीन अभिशाप है। जिस अर्थमे यह बात कही जाती है उस अर्थमे मैं इस कथनपर विश्वास नहीं करता। प्राचीन कालमे राजा लोग शराबके व्यापारसे शायद कुछ राजस्व प्राप्त करते थे, लेकिन उन्होंने लोगोको आजकी तरह शराबका गुलाम कभी नहीं बनाया। आवकारी अपने वर्तमान रूपमे बहुत पुराने जमानेसे नहीं चली आ रही है, मेरा यह खयाल गलत हो तो भी, मैं इस अन्धविश्वासको नहीं मानता कि कोई चीज प्राचीन कालसे चली आ रही है, इसलिए अच्छी ही है। मैं तो यह भी नहीं मानता कि कोई चीज भारतीय है इसलिए जरूर अच्छी है। बिना कोशिशके भी यह बात देखी जा सकती है कि अफीम और ऐसी ही मादक वस्तुएँ मनुष्यकी आत्माको मूर्च्छित कर देती हैं और उसे पशुओसे भी नीचे गिरा देती हैं। उनका व्यापार करना स्पष्ट ही पापपूर्ण है। भारतीय रियासतोको सभी शराबकी दुकाने बन्द करवा देनी चाहिए और इस प्रकार ब्रिटिश प्रशासकोके सामने अनुकरणके लिए एक अच्छा उदाहरण रखना चाहिए। काठियावाडकी जिन रियासतोने यह सुधार लागू करनेकी कोशिश की है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे इस प्रायद्वीपमे भी शराबकी दुकान नहीं होगी।

## कुछ खास मामले

मुझे कुछ रियासतोके विरुद्ध 'यग इंडिया' और 'नवजीवन' मे प्रकाशन और आलोचनाके लिए बराबर शिकायते मिलती रहती है। लेकिन मैं उनकी चर्चा इस समय नहीं करना चाहता और न मैंने उनका जिक्र इन पत्रोमे ही किया है। जबतक मेरे पास सारे तथ्य न आ जाये और जबतक इस बारेमे सम्बन्धित रियासतोका कथन मुझे नहीं मालूम हो जाता तबतक मैं चुप ही रहना पसन्द करूँगा। इन चीजोके बारेमे मुझे कुछ कहना या करना उचित होगा तो मैं अवश्य इस विषयमे कदम उठाऊँगा।

## खादी और चरखा

दो चीजे हैं जिनमे हम देशी राज्योंसे पूर्ण सहयोगकी अपेक्षा कर सकते हैं। एक जमानेमे हमारी अर्थ-व्यवस्था ऐसी थी कि जिस प्रकार हम अपना अन्न खुद पैदा करते और उसका उपभोग करते थे, उसी प्रकार हम अपने यहाँ रुई पैदा करते, अपने घरोमे उससे सूत कातते थे और अपने ही सूतसे अपने ही बुनकरो द्वारा बुना गया कपडा पहनते थे। इसमे से पहली बात तो आज भी होती है, लेकिन दूसरी बात लगभग समाप्त हो गई है। एक आदमी अपने खानेपर जितना खर्च करता है उसका दसवाँ हिस्सा कपडेपर करता है, अतः अपनी आयका दसवाँ हिस्सा अपने ही बीच वाँटनेके बजाय अब हम उसे इंग्लैंड भेज देते हैं या अपनी ही मिलोको। इसका मतलब यह हुआ कि हम इतना ही श्रम खो देते हैं और बदलेमे हम कपडेपर पैसा खर्च करते हैं और परिणामत दोहरा नुकसान उठाते हैं। इसका नतीजा यह

है कि हम अपने खानेमें कटौती करते हैं ताकि कपडेपर पैसा खर्च कर सके और इस प्रकार दिनोदिन ज्यादा दु खमें डूबते जाते हैं। अगर हमारे घरोंमें या हमारे गाँवोंमें कृषि और कताई-बुनाई, ये दो उद्योग समाप्त हो गये तो हमारा विनाश निश्चित है। अगर भावनगरके अधीन जितने गाँव हैं वे सब अपना खाना और कपडा भावनगरसे मँगवाने लगे तो क्या परिणाम होगा, इसकी कल्पना मैं इस परिपदके सदस्योंपर छोड़ता हूँ। तथापि यही अस्वाभाविक प्रक्रिया हमने अपने कपडेकी वादत अपना ली है। हम अपना कपडा या तो विदेशोंसे मँगवाते हैं या मिलोंसे प्राप्त करते हैं। दोनों ही हालतोंमें इसका ग्रामीण जनतापर क्षयकारी प्रभाव पड़ता है।

हमें उन देशोंके उदाहरणसे धोखेमें नहीं पड़ जाना चाहिए जो अपनी जरूरतका कपडा बाहरमें आयात करते हैं और फिर भी आर्थिक दृष्टिसे नुकसान नहीं उठाते। अन्य देशोंमें यदि लोग कताई या बुनाईका धन्धा छोड़ते हैं तो वे उसके बदले कोई और अधिक लाभदायक उद्योग अपना लेते हैं। दूसरी ओर हम हैं जिन्होंने कताई और कुछ हदतक बुनाईका धन्धा छोड़ दिया है और इससे बचे फालतु समयका उपयोग करनेके लिए हमारे पास कोई दूसरा उद्योग भी नहीं है।

काठियावाडके लिए आर्थिक सकटसे बचना बहुत आसान है। हमारे नरेश लोग स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके लोगोंको प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें अपने घरोंमें खादीकी पुन प्रतिष्ठा करनेके लिए प्रेरित कर सकते हैं और इस प्रकार काठियावाडकी दिनोदिन बढ़ती गरीबीको रोक सकते हैं। मेरे विचारमें काठियावाडमें मिले और रुई साफ करनेकी मशीनें लगानेसे लोगोंकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी नहीं, बल्कि वह तो एक बड़ी दुर्घटना होगी। मध्यमवर्गीय लोगोंको आजीविकाकी खोजमें यहाँसे बाहर जाना पड़े, यह एक स्वस्थ चिह्न नहीं है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कुछ उद्यमशील व्यक्ति धनोपार्जनके लिए काठियावाडसे बाहर जायें, लेकिन रियासतोंके लिए यह शर्मकी बात है कि उनकी प्रजा कगाल होकर लाचारीकी हालतमें बाहर जानेको बाध्य हो। जब भी मैं कुछ दिनों बाहर रहनेके बाद काठियावाड वापस लौटा हूँ, मैंने देखा है कि लोगोंकी हिम्मत बढ़नेके वजाय वे और पन्त-हिम्मत हो गये हैं।

सौभाग्यसे कताई और बुनाईकी कला दिनोदिन फिरसे जीवित होती जा रही है और खादीका महत्त्व समझा जा रहा है। क्या, नरेश और सामन्त लोग इस आन्दोलनकी सहायता नहीं करेंगे? यदि वे किसानोंको काठियावाडकी जरूरत-भरकी रुई जमा करके रखनेकी बात समझाये और स्वयं खादी पहनकर उसका प्रचलन करें तो उनके लिए यह कोई कम श्रेयकी बात नहीं होगी। मभी खादी मोटी हों, यह जरूरी नहीं है। नरेश लोग हाथ-कताई और हाथ बुनाईको प्रोत्साहन देकर बुनाईसे नम्बन्धित कई प्रकारकी कलाओं और शिल्पोंको पुन जीवित कर सकते हैं। राज महिल्याँ कलात्मक रूपसे रंगे हुए और चाँदीकी घटियोंमें सजे चरखोंपर महीन सूत काते, उन सूतसे बारीक कपडा बुनवाये और उसे ही धारण करें। मैंने काठियावाडमें बारीक और सूबसूत किम्मतान कपडा बुना जाते स्वयं देखा है। यह कला अब उगमन

मृत हो चुकी है। ऐसी कलाओको प्रोत्साहित करना क्या नरेशोका विशेष कर्तव्य नहीं है ?

### अस्पृश्यता

दूसरा बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल अस्पृश्यताका है। दलितवर्गके लोग बृहत्तर गुजरातमे अन्य किसी भी स्थानकी अपेक्षा शायद काठियावाडमे ज्यादा पीडित जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँतक कि रेलगाडियोमे भी उन्हें तग और परेशान किया जाता है। पीडित लोगोको राहत पहुँचाना नरेशोका विशेष कर्तव्य है। दुर्बलोके वे स्वाभाविक रक्षक हैं। क्या वे दलित वर्गोकी सहायताके लिए आगे नहीं आयेगे ? नरेश लोग अपनी प्रजाके आगीर्वादोसे जीवित रहते हैं। क्या वे दलितोकी दुआएँ अर्जित करके स्वयं अपना जीवन समृद्ध नहीं करेगे ? शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण और भगीमे कोई भेद नहीं है। आत्मा दोनोमे है, दोनोमे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। नरेश लोग यदि चाहे तो इन वर्गोके लोगोकी दशा सुधारनेके लिए बहुत-कुछ कर सकते हैं और धार्मिक भावनासे उनके साथ वे मिले-जुले तो अस्पृश्यता समाप्त कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि दलित वर्गोके लिए स्कूल स्थापित करे और कुएँ खुदवाये और इस तरह उनके हृदय-सिंहासनपर आसीन हो।

### मैंने आलोचना क्यों की ?

मैंने महज आलोचनाकी ही गरजसे रियासतोकी आलोचना नहीं की है। मैं जानता हूँ कि गांधी-परिवारका रियासतोसे तीन पीढीका सम्बन्ध रहा है। तीन राज्योमे दीवानी करते तो मैंने ही देखा है। मुझे याद है कि मेरे पिता और मेरे चाचाके सम्बन्ध अपने-अपने राजाओसे बहुत ही सद्भावपूर्ण थे। चूँकि मेरा विश्वास है कि मुझमे अच्छे-बुरेका भेद कर सकनेकी शक्ति है इसलिए मैं उत्सुक हूँ कि रियासतोकी अच्छी बातें ही मैं देखूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं उनकी समाप्ति नहीं चाहता। मेरा विश्वास है कि रियासते लोगोका बहुत भला कर सकती है। और यदि मैं आलोचना करता हूँ तो इसीलिए कि वह राजाओ और उनकी प्रजा, दोनोके ही हितमे है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसापर आधारित है। सत्य ही मेरा ईश्वर है। अहिंसा उसे प्राप्त करनेका साधन है। आलोचना करते समय मैंने सत्य ही बतानेकी कोशिश की है और अहिंसा या प्रेमकी भावनासे प्रेरित होकर ही मैंने वैसा किया है। मैं मानता हूँ कि राजा और सामन्त लोग मेरी बातोको उसी भावनासे समझे और स्वीकार करे।

### रामराज्य

देगी रियासतोके लिए मेरा आदर्श राम-राज्य है। रामने एक धोवीका उलाहना सुनकर और अपनी प्रजाको सन्तुष्ट करनेके लिए सीताको त्याग दिया था, जो कि उन्हें प्राणोसे प्यारी थी और पवित्रताकी साक्षात् अवतार थी। रामने कुत्तेतक के साथ न्याय किया था। सत्यकी रक्षाके लिए राज्य छोड़ जंगलमे रहकर रामने ससार-भरके राजाओको शुद्ध आचरणका वस्तु-पाठ पढाया। अपने कठोर और एक-पत्नी-

व्रतसे उन्होंने दिखा दिया कि एक राज-गृहस्थ भी पूर्ण आत्म-सयमका जीवन वित्त सकता है। अपने लोकप्रिय शासनसे उन्होंने अपने सिंहासनकी शोभा बढाई और सिद्ध कर दिया कि राम-राज्य स्वराज्यका चरमोत्कर्ष है। रामको जनमतका निश्चय करनेके लिए मत-गणना-जैसे निहायत अपूर्ण आधुनिक साधनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने जनताके हृदयको वशमे कर लिया था। उन्हें जनताकी रायका जैसे सहज ही ज्ञान हो जाता था। रामकी प्रजा अत्यन्त सुखी थी।

ऐसा राम-राज्य आज भी सम्भव है। रामका वश अभी समाप्त नहीं हुआ है। आधुनिक युगमे कहा जा सकता है कि आरम्भिक खलीफाओने राम-राज्यकी स्थापना की थी। अव्रूवकर और हजरत उमर करोडो रुपयेका राजस्व उगाहते थे, लेकिन व्यक्तिगत तौरपर वे फकीरोसे वेहतर नहीं थे। वे राजकोपसे एक पाई भी नहीं लेते थे। वे हमेशा सतर्क रहते थे कि जनताको न्याय प्राप्त हो। उनका सिद्धान्त था कि शत्रुके साथ भी कोई धोखेवाजी नहीं की जा सकती और उसके साथ भी न्यायपूर्ण बरताव होना चाहिए।

### जनतासे

मेरी नम्र रायमें नरेशोके प्रति कुछ शब्द कहकर मैंने उनके प्रति अपना कर्तव्य निवाहा है। अब कुछ शब्द जनतासे कहूँगा। लोकोक्ति है, "यथा राजा तथा प्रजा" यह उक्ति आवी ही सच है। कहनेका मतलब कि जितनी यह उक्ति सही है कि "यथा प्रजा तथा राजा" उतनी ही सही पहली उक्ति है, उससे अधिक नहीं। जहाँ प्रजा सदा सावधान और सजग है वहाँ राजा अपनी गद्दीके लिए हमेशा उसके ऊपर निर्भर रहता है। जहाँकी प्रजा तन्द्रामे पडकर उदासीन हो जाती है, वहाँ इस बातकी बहुत सम्भावना रहती है कि राजा रक्षककी जगह भक्षक बन जायेगा। जो प्रजा सदैव जागरूक नहीं रहती, उसे अपने राजापर दोष धरनेका कोई अधिकार नहीं है। राजा प्रजा दोनो ही ज्यादातर परिस्थितियोंके दास होते हैं। उद्यमशील राजा और प्रजा परिस्थितियोंको अपने अनुकूल मोड लेते हैं। परिस्थितियोंको अपना दास बना लेनेमे ही मर्दानगी है। जो अपनी मदद खुद नहीं करते वे नष्ट हो जायेंगे। इस सिद्धान्तको समझनेका मतलब है कि मनुष्य अधीर न हो, भाग्यको न कोसे और दूसरोको दोष न दे। जो मनुष्य आत्म-सहायताके सिद्धान्तको समझता है वह अपनी असफलताके लिए स्वयं अपनेको दोष देता है। यही वह सिद्धान्त है जिसके आधारपर मैं हिंसाका विरोध करता हूँ। जहाँ हमें स्वयं अपनेको दोष देना चाहिए, वहाँ यदि हम दूसरोको दोष दे और उनके नाशकी इच्छा करे या उनका नाश कर दें तो रोगका मूल कारण खतम नहीं हो जाता, उलटे रोगका ज्ञान न होनेके कारण उसकी जड और भी गहरी पैठ जाती है।

### सत्याग्रह

तो हम देखते हैं कि जिन दोषोका मैंने उल्लेख किया उनके लिए जनता उतनी ही जिम्मेदार है जितने कि राजा लोग, बल्कि उनसे ज्यादा जिम्मेदार है। यदि जनमत

किसी नीतिके विरुद्ध हो तो राजाके लिए उस नीतिको अपना सकना असम्भव है। विरोधसे यहाँ मतलब मन-ही-मन बुडबुडानेसे नहीं है। जनमत तभी प्रभावकारी होता है जब उसके पीछे शक्ति हो। जब किसी पुत्रको अपने पिताके किसी कार्यपर आपत्ति होती है तो वह क्या करता है? वह अपने पितासे उस आपत्तिजनक कार्यको न करनेकी प्रार्थना करता है अर्थात् आदरपूर्वक निवेदन करता है। यदि बार-बार प्रार्थना करनेपर भी पिता नहीं मानता तो बेटा उससे असहयोग करके अपने पिताका घर तक छोड़ देता है। यह शुद्ध न्याय है। यदि पिता और पुत्र असम्य हैं तो वे एक-दूसरेसे झगडते हैं, गाली-गलौज करते हैं और कभी-कभी तो मार-पीट भी करते हैं। आज्ञाकारी पुत्र सदा विनम्र-शान्त और पिताके प्रति प्रेमभाव रखनेवाला होता है। यह उसका प्रेम ही है जो उसे अवसर आनेपर असहयोग करनेके लिए बाध्य करता है। स्वयं पिता भी इस प्रेमपूर्ण असहयोगको समझता है। वह अपने पुत्रका इस तरह घर छोड़कर चला जाना या उससे अलग होना सह नहीं सकता, मनमें दुःखी होता है और पश्चात्ताप करता है। हमेशा यही होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन असहयोग करनेका पुत्रका कर्त्तव्य स्पष्ट है।

किसी राजा या उसकी प्रजाके बीच भी ऐसा असहयोग सम्भव है। परिस्थिति विशेषमें ऐसा करना जनताका कर्त्तव्य भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ वही सम्भव हैं जहाँकी प्रजाके लोग स्वभावसे निर्भय और स्वाधीनता-प्रेमी होते हैं। वे राज्यके कानूनोकी सामान्यतः कद्र करते हैं और दण्ड-भयके बिना ही उसका पालन करते हैं। समझ-बूझकर और इच्छापूर्वक राज्यके कानूनोका पालन, असहयोगका पहला पाठ है।

दूसरा पाठ है 'सहिष्णुता'। राज्यके बहुत-से कानून हैं जो असुविधाजनक हो तो भी उनका पालन हमें करना चाहिए। पुत्र अपने पिताकी कुछ आज्ञाओसे सहमत न होनेपर भी उनका पालन करता है। जब पिताकी आज्ञाएँ सहने योग्य न हो और अनैतिक हो तभी वह उनकी अवज्ञा करता है। पिता ऐसी सविनय अवज्ञाको तुरन्त समझ जायेगा। इसी तरह जब किसी राज्यके लोग राज्यके बहुत-से कानूनोका पालन करके अपनी सक्रिय निष्ठाको सिद्ध कर देते हैं, तभी वे सविनय अवज्ञा करनेके अधिकारी बनते हैं।

तीसरा पाठ कष्ट-सहनका है। जिसमें कष्ट-सहनकी क्षमता नहीं है वह असहयोग नहीं कर सकता। जिसने जरूरत पडनेपर अपनी सम्पत्ति, यहाँतक कि परिवारका त्याग करना नहीं सीखा है वह असहयोग नहीं कर सकता। ऐसा सम्भव है कि असहयोगसे चिढकर कोई राजा तरह-तरहके दण्ड दे। इसीमें प्रेम, धैर्य और शक्तिकी परीक्षा है। जो अग्नि-परीक्षा झेलनेके लिए तैयार नहीं है वह असहयोग नहीं कर सकता। केवल एक या दो व्यक्तियोने ही यदि ये तीन पाठ हृदयगम किये हो तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि सारी जनता असहयोगके लिए तैयार हो चुकी है। असहयोग कर सके, इससे पहले काफी बड़ी सख्यामें लोगोका इन तीन बातोको सीखना आवश्यक है। जल्दवाजीमें किये गये असहयोगका परिणाम हानिकारक ही होगा। कुछ राष्ट्र-प्रेमी नौजवान मेरे द्वारा बताई गई सीमाओको न समझ पानेके

कारण अधीर हो उठते हैं। सभी महत्त्वपूर्ण चीजोंकी तरह असहयोगके लिए भी पहलेसे तैयारी करना जरूरी है। इच्छा करने मात्रसे कोई व्यक्ति असहयोगी नहीं हो जाता। अनुशासन अनिवार्य है। मुझे नहीं मालूम कि काठियावाडके किसी हिस्सेमें लोगोंने आवश्यक अनुशासनका पाठ पढा है। आवश्यक अनुशासनकी शिक्षा पानेके बाद शायद असहयोग करनेकी जरूरत ही नहीं होगी।

हालत जैसी है, उसमें मैं काठियावाडमें और भारतके अन्य भागोंमें भी इस बातकी जरूरत देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनेको तैयार करे। प्रत्येक व्यक्तिको सेवा, त्याग, सत्य, अहिंसा, आत्म-सयम और वैय्य आदिकी भावना अपनेमें पैदा करनी चाहिए। इन गुणोंको विकसित करनेके बाद उन्हें रचनात्मक कार्योंमें लगना जरूरी है। यदि हम जनताके बीच शान्त ढंगसे काम करे तो बहुत-से सुधार अपने आप ही हो जायेंगे।

### राजनीतिक वर्ग

काठियावाड अपने राजनीतिक वर्गके लिए प्रसिद्ध है। यह वर्ग अतिशय विनम्रताका दिखावा करता है और परिणामस्वरूप इसमें ढोंग, भीरुता और जी-हुजूरीके दुर्गुण आ गये हैं। इस वर्गके लोग शिक्षित हैं और इसलिए उन्हें सुधारोंके मामलेमें सबसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर वे चाहे तो जनताके लिए बहुत-कुछ कर सकते हैं। जहाँ-जहाँ ये राजनीतिक अधिकारी चरित्रवान व्यक्ति हैं वहाँ हम लोगोंमें सुख-सन्तोष पाते हैं। यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि मेरी यह उक्ति राजनीतिक व्यक्तियोंके पूरे वर्गके लिए है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरा कथन उस वर्गके प्रत्येक सदस्यके बारेमें सच है। बल्कि इसके विपरीत, मैं जानता हूँ कि कुछ अच्छेसे-अच्छे कार्यकर्त्ता इसी वर्गसे आये हैं। अतः इस वर्गके प्रति मैं कभी निराश नहीं हुआ हूँ। यदि यह वर्ग राजस्व बढ़ानेके लिए नहीं बल्कि शुद्ध सेवा-भावसे राज्यकी सेवा करे तो बहुत भला हो सकता है।

### अन्य लोग

फिर, जिन लोगोंने राज्यकी नौकरी न करके कोई स्वतन्त्र पेशा अपनाया है उनके लिए रचनात्मक सेवा-कार्य करना बहुत सरल है। मैं उनमें उपयुक्त गुणोंका विकास देखना चाहता हूँ। हमें मौन कार्यकर्त्ताओं और शुद्ध लडाकोंकी जरूरत है जो जनताके बीच अपनेको घुला-मिला दे। इस प्रकारके कार्यकर्त्ता अँगुलियोंपर गिने जा सकते हैं। क्या काठियावाडके प्रत्येक गाँवमें एक-एक भी ऐसा कार्यकर्त्ता है? मैं जानता हूँ कि इसका उत्तर 'नहीं' में है। जिस वर्गके लोग मेरा यह भाषण पढेंगे उन्हें ग्रामीण-जीवनका शायद ही कोई अनुभव हो। जिन्हें कुछ है, वे उसे पसन्द नहीं करेंगे। तथापि भारत और इसीलिए काठियावाड भी, गाँवोंमें ही बसता है।

### चरखा

यह सेवा किस प्रकार की जा सकती है? यहाँ मैं पहला स्थान चरखेको देता हूँ। मैंने चरखेके विरुद्ध बहुत-कुछ सुना है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस चीजको आज गाली दी जा रही है उसीको सुदर्शन चक्रकी भाँति पूजा जायेगा और वह



समय करीब ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम स्वेच्छासे आज उसे स्वीकार नहीं करते तो परिस्थितियाँ हमें उसके लिए मजबूर कर देगी। भारतीय अर्थशास्त्रका अध्ययन चरखेका अध्ययन है। चरखा हमारे ह्लासोन्मुखी ग्रामोद्योगोंके पुनरुद्धारकी अपरिहार्य शर्त है। मैं हाथ-कताईको कोई धन्धा नहीं मानता, बल्कि सभी धार्मिक सम्प्रदायोंके अनुयायियोंके लिए उसे एक धार्मिक कर्त्तव्य मानता हूँ।

एक अमेरिकी लेखकका कहना है कि भविष्य उन राष्ट्रोंके हाथमें है जो शारीरिक श्रममें विश्वास करते हैं। दुनियाके देश उन निर्जीव मशीनोंकी पूजासे थक गये हैं, जो निरन्तर सख्यामें बढ़ती ही जा रही हैं। हम लोग अप्रतिम सजीव मशीनोंको अर्थात् अपने शरीरको निकम्मा बनाकर और उनकी जगह निर्जीव मशीनोंको देकर शरीरको नष्ट कर रहे हैं। यह एक ईश्वरीय नियम है कि शरीरसे पूरा काम लिया जाये और उसका उपयोग किया जाये। हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। चरखा शरीरका शुभ प्रतीक है। जो मनुष्य विना श्रमका भोग चढाये भोजन करता है वह चोरी करके खाता है। शरीर-श्रमसे बचना देश-द्रोह करने और ड्योढीपर खडी भाग्य-लक्ष्मीको ठुकरानेके समान है। भारतमें जीवित ककाल-जैसे शरीरवाले असख्य पुरुष और स्त्री इसके गवाह हैं। मेरे आदरणीय मित्र श्री [श्रीनिवास] शास्त्रियर कहते हैं कि मैं लोगोंके कपडेकी पसन्दमें भी हस्तक्षेप करता हूँ। यह बात बिलकुल सही है। देशके प्रत्येक सेवकका यह कर्त्तव्य है कि जब जरूरी हो जाये तो वह वैसा करे। यदि देशमें पतलून अपनाई जाने लगे तो मैं अवश्य उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाऊंगा। पतलून हमारे यहाँकी जलवायुकी दृष्टिसे बिलकुल अनुपयुक्त है। यह प्रत्येक भारतीयका कर्त्तव्य है कि वह अपने देशवासियोंके द्वारा विदेशी कपडेका उपयोग किये जानेके खिलाफ अपनी आवाज उठाये। विरोध वस्तुतः कपडेके विदेशी होनेसे नहीं है, बल्कि उस गरीबीसे है जो विदेशी कपडेके आयातके साथ-साथ इस देशमें आती है। अगर देश अपना ज्वार और बाजरा छोडकर स्काटलैंडसे ओट या रूससे राईका आयात करने लगे तो मैं निश्चय ही देशकी रसोईके मामलेमें भी हस्तक्षेप करूंगा, उसे जी भरकर फटकाऊंगा, यहाँतक कि धरना दूंगा और अपने हृदयकी व्यथाको सुनाकर मानूंगा। ऐसे हस्तक्षेपकी घटनाएँ हालके जमानेमें ही हुई हैं। यूरोपके पिछले नृगस युद्धके दौरान लोगोंको कुछ खास फसले उगानेपर मजबूर किया गया था और राज्योंने अपनी प्रजाके खाने-पीनेपर नियंत्रण लगा दिया था।

जो लोग गाँवोंमें सेवा-कार्य करना चाहते हैं उनके लिए चरखेका अध्ययन लाजिमी है। सैकड़ों-हजारों युवक और युवतियाँ चरखेके जरिये अपनी जीविका कमा सकते हैं और दूना लाभ पहुँचा सकते हैं। इस कामके लिए सगठनकी आवश्यकता है और प्रत्येक ग्रामवासीसे परिचय होना जरूरी है, ताकि कार्यकर्त्ता अर्थशास्त्र और राजनीतिकी बुनियादी बातोंका उसे आसानीसे ज्ञान करा सके। इस काममें ग्रामीण बालकोंकी सच्ची शिक्षा भी शामिल हो सकती है और वहाँ काम करनेसे गाँवकी जरूरतों और कमियोंका भी ठीक अन्दाज लगाया जा सकता है।

खादीके काममें राजा और उसकी प्रजाके बीच किसी प्रकारका सघर्ष सम्भव नहीं है। यही नहीं, बल्कि इससे उनके पारस्परिक सम्बन्ध सद्भावनापूर्ण होनेकी

आशा की जा सकती है। इस आशाकी पूर्ति कार्यकर्ताओंकी विनयशीलतापर निर्भर करती है। इसलिए इस राजनीतिक परिषद्से चरखेको प्रमुखता देनेको कहनेमें न मुझे कोई शर्म लग रही है और न कोई सकोच ही है।

### दलित वर्ग

दलित वर्गोंके बीच काम करना भी ऐसा ही है। सभी हिन्दुओंका यह परम कर्तव्य है कि वे अस्पृश्यताको समाप्त करें। इस काममें भी राजाओंकी ओरसे किसी हस्तक्षेपकी आशका नहीं है। मेरा पक्का विश्वास है कि दलितोंकी सेवा करते हुए और उनके हृदयमें निकलनेवाला आशीर्वाद पाते हुए हिन्दू लोग यदि आत्म-शुद्धिकी प्रक्रिया जारी रखेंगे तो वे अपना आत्म-बल फिरसे प्राप्त कर लेंगे। अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मपर एक बहुत बड़ा कलक है। इस कलकको मिटाना बहुत जरूरी है। दलितोंकी जो सेवा करेगा वह हिन्दू-धर्मका त्राता होगा और वह अपने दलित भाई और बहनोके हृदयमें स्थान पायेगा।

शक्ति दो प्रकारकी होती है। एक जो दण्डका भय दिखाकर प्राप्त की जाती है और दूसरी वह जो प्रेमके तरीकोसे प्राप्त की जाती है। प्रेमपर आधारित शक्ति भयके जरिये प्राप्त शक्तिके मुकाबले हजारगुना कारगर और स्थायी होती है। जब इस परिषद्के सदस्य प्रेमपूर्ण सेवाओंके जरिये अपनेको तैयार कर लेंगे तब वे जनताकी ओरसे बोलनेका अधिकार प्राप्त कर लेंगे और उस समय कोई राजा उनका विरोध नहीं कर सकेगा। यदि अमहयोग करनेकी कभी जरूरत पडी ही तो उसका ठीक वातावरण उसी समय होगा।

लेकिन मुझे राजाओंमें भरोसा है। वे ऐसे प्रबुद्ध और सशक्त जनमतकी शक्ति तत्काल पहचान लेंगे। आखिरकार राजा लोग भी भारतीय हैं। यह देश हमारी ही तरह उनके लिए भी सब-कुछ है। उनके हृदयको छू सकना सम्भव है। कमसे-कम मैं उनकी न्याय-बुद्धिसे अपील करके सही बात मनवा लेना कठिन नहीं मानता। हमने अभीतक कोई मन्चा प्रयास नहीं किया है। हम हडबडमें हैं। पूरी ईमानदारीसे सेवाके लिए अपनेको तैयार करनेमें ही हमारी विजय निहित है—नरेशोंकी विजय भी और जनताकी विजय भी।

### हिन्दू-मुस्लिम एकता

तीमरा सवाल हिन्दू-मुस्लिम एकताका है। मेरे पास काठियावाडसे भेजे गये एक-दो पत्र हैं, जिनसे पता चलता है कि इस सवालपर काठियावाडमें भी कुछ लोग चिन्तित हैं। यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि हिन्दू और मुसलमानोंमें एकता होना जरूरी है। कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रके किसी भी अंगकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

### मेरा कार्य-क्षेत्र

मैं जानता हूँ कि बहुतोंको मेरा भाषण अपूर्ण और नीरस लगेगा। लेकिन मैं अपनी परिधिसे बाहर जाकर कोई व्यावहारिक और उपयोगी सलाह नहीं दे सकता। मेरा कार्य-क्षेत्र सुस्पष्ट है और उसमें मुझे सुख मिलता है। मैं तो प्रेमके कानूनपर

मत्रमुग्ध हूँ। यह तो मेरे लिए पारसमणिके समान है। मैं जानता हूँ कि हमारी जो खराबियाँ हैं उनका एकमात्र इलाज अहिंसा है। मेरी दृष्टिमें अहिंसाका रास्ता भीरु या नामर्द लोगोका रास्ता नहीं है। अहिंसा धात्र-धर्मका चरमोत्कर्ष है, क्योंकि यह निर्भयताकी पराकाष्ठाका प्रतीक है। इसमें पीठ दिखाकर भागने या पराजयकी कोई गुजाइश नहीं है। अहिंसा आत्माका गुण है, अतः इसकी सिद्धि कठिन नहीं है। अपने अन्तरमें आत्माका अस्तित्व अनुभव करनेवालेको यह गुण सरलतासे सिद्ध हो जाता है। मेरा विश्वास है कि भारतको अहिंसाके सिवा कोई दूसरा रास्ता अनुकूल नहीं पड़ेगा। भारतके लिए अहिंसा धर्मका प्रतीक चरखा है, क्योंकि चरखा ही दुःखीजनोका साथी और गरीबोको समृद्धि प्रदान करनेवाला है। प्रेमका कानून दिशा और कालके बन्धनसे मुक्त है। इसीलिए मेरे स्वराज्यमें भगियो, ढेढो और ढूबलो<sup>१</sup> और दीनसे-दीन व्यक्तिका भी महत्त्व माना गया है और चरखेके सिवा मैं दूसरी किसी चीजको नहीं जानता जो इन सबको अपना मित्र बनाती हो।

मैंने आपकी स्थानीय समस्याओकी चर्चा नहीं की है, क्योंकि उनका मुझे समुचित ज्ञान नहीं है। देगी रियासतोके लिए आदर्श सविधानके बारेमें मैंने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि उसकी रचना केवल आप ही कर सकते हैं। मेरा कर्त्तव्य, तो उन साधनोकी खोज करना और उनका उपयोग करना है जिनके जरिये हमारा देश अपनी इच्छाको कार्यान्वित करनेकी शक्ति प्राप्त कर सके। एक बार देशको अपनी शक्तिका ज्ञान हो जाये, फिर तो वह अपना रास्ता स्वयं पा लेगा और रास्ता नहीं होगा तो बना लेगा। मुझे तो वही राजा स्वीकार्य है जो अपनी प्रजाके सेवकोमें सबसे श्रेष्ठ हो। प्रजा ही वास्तविक स्वामी है। लेकिन यह स्वामी ही सो जाये तो सेवक क्या कर सकता है? इसलिए सच्ची राष्ट्रीय जागृतिमें सभी चीजे शामिल हैं।

मेरा आदर्श यह है और इसीलिए मेरी कल्पनाके स्वराज्यमें भारतीय रियासतोके लिए स्थान है और उसमें प्रजाको उसके अधिकारोकी पूरी गारंटी होगी। अधिकारका सच्चा स्रोत कर्त्तव्य है। इसीलिए मैंने केवल राजाओ और प्रजाके कर्त्तव्योकी ही चर्चा की है। हम सब यदि अपने कर्त्तव्योको पूरा करें तो अधिकारोको ढूँढने दूर नहीं जाना होगा। यदि हम अपने कर्त्तव्योको अधूरा छोड़कर अधिकारोके पीछे दौड़ेंगे तो वे मृग-मरीचिकाकी तरह हमारे हाथसे निकल जायेंगे। हम जितना ही उनके पीछे दौड़ेंगे वे हमसे उतने ही दूर भागते जायेंगे। यही शिक्षा कृष्णके इन अमर शब्दोंमें निहित है “कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन।”<sup>२</sup> अर्थात् कर्म करना ही तेरा धर्म है, अतः फलकी आकांक्षा मत कर। कर्म कर्त्तव्य है, अधिकार फल है।

[अग्नेजीसे]

यग इडिया, ८-१-१९२५

१. गुजरातकी एक पिछड़ी हुई आदिवासी जाति।

२. भगवद्गीता अध्याय २, श्लोक ४७।

## ४२४. भाषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्, भावनगरमे

८ जनवरी, १९२५

इस परिषद्के अध्यक्ष-पदका भार ग्रहण करते हुए मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, यह बात मैंने अपने भाषणमें बतलाई है। लेकिन मनुष्य सोचता कुछ है तथा ईश्वर करता कुछ और ही है। ऐसे उदाहरण मैंने अपने जीवनमें अनेक बार देखे हैं और एक भी विचारशील स्त्री अथवा पुरुष ऐसा न होगा जिसे इसका अनुभव न हुआ हो।

मैंने यह भी माना था कि इस परिषद्में मुझे केवल एक ही वस्तुको प्रधानता देनी होगी, लेकिन सौभाग्यसे अब मुझे दो वस्तुओंको प्रधानता देनी होगी। पहली तो खादी, जिसके समान मुझे अन्य कोई वस्तु प्रिय नहीं है। कुछ लोग मुझे चरखेका — खादीका — दीवाना कहते हैं और यह बात सच है। कारण, आशिक ही माशूकको समझ सकता है। मुहब्बत, प्रेम, इश्क क्या है सो आशिक ही बता सकता है। मैं आशिक हूँ इसलिए अपने प्रेमकी बात मैं ही समझ सकता हूँ, मैं ही जानता हूँ कि मेरे हृदयमें कौन-सी ज्वाला धधक रही है। लेकिन इस ज्वालाके सम्बन्धमें मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता।

यह राजनीतिक परिषद् है और आप लोग राजनीतिक मामलोंकी चर्चाकी अपेक्षा करते होंगे। मेरा मन तो किसानका है, हालाँकि मैं जन्मसे बनिया हूँ तथा मेरे पिता और उनके भी पिता मुनीमगिरी करते थे। ऐसा होनेपर भी मुझमें मुनीमगिरीपन नहीं है अथवा अगर है तो इसलिए कि मैं लाचार हूँ। लेकिन मुझमें एक अन्य वस्तु भी है — जो विरासतमें नहीं मिली लेकिन, जिसे मैंने प्राप्त किया है — वह है किमानपन, भगीपन, ढेढपन, समाजमें जिमें नीचा माना गया है, ऐसा हर पेसा मैंने अपना माना है। ऐसा मेरा स्वभाव है अतः 'राजनीतिक' का आप लोग जो अर्थ करते हैं, वैसा मैं नहीं करता। आपकी तरह मैं उसे 'मुनीमगिरी' से कूटनीतिसे, नहीं जोड़ता। मेरे जैसे लोग 'राजनीतिक' विषयोंपर विचार करते समय केवल राजकाजकी बातोंका ही विचार नहीं करते, क्योंकि किसान खेतकी देखभाल भाषणोंसे नहीं कर सकता, केवल हलसे ही कर सकता है, चाहे कितनी ही गर्मी और सर्दी क्यों न हो वह हल नहीं छोड़ सकता। बुनाईका धन्धा करनेवाला व्यक्ति भी तभी अपने धन्धेको साध सकेगा, जब वह अपना काम करेगा। 'राजनीतिक' का सामान्य अर्थ भाषण करना, आन्दोलन करना, राजाकी त्रुटियोंको देखना है। लेकिन मैंने उसका इससे उलटा ही अर्थ किया है। हिन्दुस्तानके बाहर अपने २२ वर्षके कार्यकालमें भी मैंने इसका दूसरा ही अर्थ किया है। लेकिन दूरके ढोल सुहावने लगते हैं, उस तरह लोग मुझे भी राजनीतिक अर्थात् मुनीम मानते आये हैं। मुझे राजनीतिक काम

करना आता है लेकिन मेरी राजनीति दूसरी तरहकी है, उसमें विवेक और प्रेम निहित है। उसमें कूटनीतिको स्थान नहीं है। सच तो यह है कि कूटनीतिसे जितना काम होता है, विवेक और प्रेमसे उससे हजारगुना ज्यादा होता है और इसमें किसानका, भगीका, डेढका सबके हितका विचार आ जाता है। आप जानते हैं कि कांग्रेसमें भी मैंने 'राजनीति' की यही व्याख्या की थी और ऐसा करते हुए मैंने लज्जाका अनुभव नहीं किया था। इसी बातको ध्यानमें रखकर मैंने खादीको राजनीतिक कार्यक्रममें स्थान दिया है। मेरा दावा है कि मेरी बात समझदारीकी और ज्ञानकी है, तथा मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आयेगा जब आप कहेंगे, गांधीने चरखेकी जो बात की थी उसमें अत्यन्त चतुराई, ज्ञान और समझदारी भरी हुई थी। आज जब लोग मुझपर हँसते हैं और कहते हैं कि चरखा गांधीके मनोरजनकी वस्तु है तब मुझे उनपर दया आती है और वे अपने मनमें जितना चाहे उतना हँसे लेकिन मैं खादीकी बात छोड़नेवाला नहीं हूँ।

अब दूसरी बातपर आता हूँ। जबसे मेरे यहाँ आनेकी बात हुई है और जबसे मैंने 'नवजीवन' में लिखा है कि यदि सभामें डेढोको अलग स्थान दिया जायेगा तो मेरे लिए भी उनके बीच बैठनेकी व्यवस्था करनी होगी, तबसे भावनगरमें खलबली मच रही है। काठियावाडमें अस्पृश्यताका रूप क्या है, उसे मैंने अपनी आँखोंसे देखा है। मेरी पूजनीय माता भगीको छूनेमें पाप मानती थी, लेकिन इसके लिए मेरे मनमें अपनी माँके प्रति घृणाका भाव नहीं है। लेकिन मुझे अपने माँ-बापके कुँएमें डूबकर तो नहीं मरना है। मेरे माँ-बापने तो मुझे स्वतन्त्रताकी विरासत दी है और यद्यपि आज मैं उनके विचारोंसे विपरीत विचार रखता हूँ तथापि मुझे विश्वास है कि मेरी माताकी आत्मा कहेगी, "बेटा, तू धन्य है।" क्योंकि मैंने उससे जो प्रतिज्ञाएँ की थी, उनमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसीसे छू जानेमें पाप है। मुझे विलायत भेजते समय उसने मुझसे तीन प्रतिज्ञाएँ कराई थी, लेकिन उसने मुझसे ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं कराई थी कि विलायतमें जाकर अस्पृश्यताको धर्म समझना। मैं देखता हूँ कि इस बातको लेकर आज भावनगरमें थोड़ी (या ज्यादा — मैं ठीक नहीं जानता) खलबली मची हुई है तथा नागर, बनिये और अन्य लोग व्याकुल हो रहे हैं। उनमें से जो लोग उपस्थित हैं जो ऐसा मानते हैं कि गांधी भ्रष्ट हो गया है और सनातन धर्मकी जड़ काट रहा है उनसे मैं विनयपूर्वक, पर दृढतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि गांधी सनातन धर्मकी जड़ नहीं काट रहा है, अपितु गांधी जो कहता है उसीमें सनातन धर्मकी जड़ निहित है। आपमें भले ही कोई पण्डित हो, भले ही उन्होंने 'वेद' का हर शब्द-शब्द रटा हो तथापि मैं उनसे कहूँगा कि आपसे भारी भूल हो रही है, सनातन धर्मकी जड़ वे ही उखाड़ रहे हैं जो अस्पृश्यताको हिन्दू-धर्मका मूल मानते हैं। उनसे मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि इसमें विचार नहीं, विवेक नहीं, विनय नहीं और दया नहीं है। अपने विचारमें यदि मैं अकेला भी रह जाऊँ तो भी अन्ततक मैं यही कहूँगा कि अस्पृश्यताका हम आज जो अर्थ करते हैं उसे यदि हम हिन्दू-धर्ममें

स्थान दे तो हिन्दू-धर्मको क्षय रोग हो जायेगा और इसके परिणामस्वरूप यह नष्ट हो जायेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सबसे मैं कहता हूँ कि हिन्दुस्तानका उद्धार न तो मुसलमानोपर और न ईसाइयोपर उतना निर्भर करता है जितना कि इस बातपर कि हिन्दू अपने धर्मका किस तरह पालन करते हैं। क्योंकि मुसलमानोका काशी-विश्वनाथ यहाँ नहीं बल्कि मक्केमे है और ईसाइयोका जेरुसलममे हे। लेकिन आप तो हिन्दुस्तानमे रहकर ही मोक्ष प्राप्त कर सकेगे। यह युधिष्ठिरकी भूमि है, रामचन्द्रकी भूमि है, ऋषि-मुनियोने इस भूमिपर तपश्चर्या की और उन्होने ही यह सन्देश सुनाया कि यह कर्मभूमि हे, भोगभूमि नहीं। इस भूमिके वासियोमे मैं कहता हूँ कि आज हिन्दू-धर्मकी परीक्षा हे और जगतके सब धर्मोके साथ आज उसकी तुलना हो रही है। तथा जो वस्तु समझके बाहर होगी, दयाधर्मके बाहर होगी उस वस्तुका [यदि] हिन्दू-धर्ममे समावेश होगा तो उसका अवश्य नाश हो जायेगा। दया-धर्मका मुझे भान हे और इसीके कारण मैं देख रहा हूँ कि हिन्दू-धर्ममें कितना पाखण्ड, कितना अज्ञान चल रहा है। इस पाखण्ड और अज्ञानके विरुद्ध जरूरत पडनेपर मैं अकेले ही जूझूंगा, अकेला रहकर तपश्चर्या करूंगा और इमका नाम रटते हुए मरूंगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं पागल हो जाऊँ और अपने पागलपनमें मैं कहने लूँ कि अस्पृश्यता सम्बन्धी अपने विचारोके सम्बन्धमे मैंने भूल की थी, अस्पृश्यताको हिन्दू धर्मका पाप बतानेमे मैंने पाप किया था। जिस दिन ऐसा हो उस दिन आप समझ लेना कि मैं डर गया हूँ, परिणामोका सामना नहीं कर सका हूँ और घबरा कर खुद ही अपने विचारोसे पीछे हट रहा हूँ। उस समय आप यही समझना कि मूर्च्छावस्थामे ऐसी बात कर रहा हूँ।

मैं आज जो बात कह रहा हूँ उसमे मेरा स्वार्थ नहीं है। उससे मुझे कोई पदवी प्राप्त नहीं करनी है, पदवी तो मुझे भगीकी चाहिए। सफाई करनेका काम कितने पुण्यका काम है। यह काम या तो ब्राह्मण कर सकता है या भगी ही। ब्राह्मण ज्ञानपूर्वक करता हे और भगी अज्ञानपूर्वक। मुझे दोनो पूज्य है, आदरणीय है। दोनोमे से यदि एकका भी लोप हो जाये तो हिन्दूधर्म लुप्त हो जायेगा।

और मेवाद्वय मुझे प्रिय हे इसीसे भगी मुझे प्रिय है। मैं तो भगीके माय खाता भी हूँ लेकिन आप लोगोसे नहीं कहता कि आप भी उनके साथ खाये और रोटी-वेटीका व्यवहार करे। आपको कैसे कह सकता हूँ? मैं तो फकीरके समान हूँ—सच्चा फकीर हूँ या नहीं, इसकी मुझे खबर नहीं। सच्चा सन्यासी हूँ या नहीं, इसकी भी मुझे खबर नहीं हे। लेकिन सन्यास मुझे अच्छा लगता है। मुझे ब्रह्मचर्य प्रिय है लेकिन मैं सच्चा ब्रह्मचारी हूँ अथवा नहीं सो मुझे नहीं मालूम। क्योंकि यदि ब्रह्मचारीके मनमे द्वेषित विचार आते हो, यदि वह स्वप्नमें भी व्यभिचारका विचार करता है तो मैं मानूंगा कि वह ब्रह्मचारी नहीं है। मैं क्रोधमें एक भी वचन बोलूँ, द्वेषमे कोई भी कार्य करूँ, अपने कट्टरसे-कट्टर दुश्मनके विरुद्ध भी यदि मैं क्रोधमें कुछ कहूँ तो मैं अपने आपको सच्चा ब्रह्मचारी नहीं कह सकता। अतएव मैं सम्पूर्ण ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी हूँ अथवा नहीं सो मैं नहीं जानता, तथापि मैं इतना अवश्य कहूँगा कि मेरा जीवन उस दिशाकी ओर बह रहा है और चूकि मेरी दशा ऐसी है

अतः कोई भगीकी लडकी अथवा कोई कोठी यदि मेरी सेवा चाहते हो तो मैं उनसे यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता। यदि वे मुझे अपने हाथोंसे खिलाना चाहते हो तो मैं खानेसे इनकार नहीं कर सकता। फिर भले ईश्वरकी इच्छा हो तो मुझे बचाये अथवा मुझे मारे, लेकिन मुझे तो कोठीकी सेवा करनी ही है। हाँ, ऐसा करते हुए मैं यह दावा भी करूँगा कि ईश्वरको गरज होगी तो वह मुझे बचायेगा, क्योंकि भगी, कोठी और ढेढको खिलाकर खाना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। लेकिन, समाजने खाने-पीनेके सम्बन्धमें जो मर्यादा निश्चित की है, आप उसका उल्लंघन करे सो मैं नहीं कहता। आपसे तो मैं इतना ही चाहता हूँ, कि आप पाँचवाँ वर्ण न बनाये। ईश्वरने चार वर्ण बनाये हैं और उसका अर्थ मैं समझ सकता हूँ। पर आप अस्पृश्यताका यह पाँचवाँ वर्ण न बनाये। अस्पृश्यता मुझसे सहन ही नहीं होती। यह शब्द मुनकर मुझे आघात पहुँचता है। जो लोग मेरा विरोध करते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि आप विचार करे, मेरे पास आकर उसकी चर्चा करे तो आप समझ जायेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप विवेक और विचार छोड़कर बात कर रहे हैं, उसका असर नहीं होगा। आज मेरे पास एक तार आया है जिसपर दो पण्डितोंके हस्ताक्षर हैं। इन पण्डितोंको मैं नहीं जानता लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है कि हिन्दूधर्मका सहारा लेकर और पण्डितोंके नामपर आपपर जो आक्षेप किये जा रहे हैं, वे झूठे हैं तथा हम आपको अपने वर्गके लोगोंके हस्ताक्षरसे युक्त पत्र भेजेंगे, जिससे आपको विदित होगा कि अनेक गास्त्री आपके साथ हैं। हालाँकि आप जितने जोर-शोरसे काम कर रहे हैं, उतने जोर-शोरसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप निडर हैं और हमें बहुत-सी बातोंका विचार करना पड़ता है। द्रोणाचार्य और भीष्मके पास आकर श्रीकृष्णने पूछा कि क्या आप पाण्डवोंके विरुद्ध लड़ेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया, भाई हमें तो अपनी आजीविकाकी पड़ी है, इसलिए हम क्या करें? हमारे बीच भी अनेक द्रोणाचार्य और भीष्म पड़े हैं, जबतक उन्हें अपने पेटकी पड़ी है तबतक वे ब्रेचारे क्या कर सकते हैं? इनसे कुछ नहीं हो सकता, इसमें उनका दोष नहीं है अपितु विद्रिका दोष है, परिस्थितियोंका दोष है। लेकिन वे मनमें तो मानते हैं कि गांधी अच्छा काम कर रहा है और उनका हृदय मुझे दुआ दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक दूसरी बात भी कहता हूँ। मैं तो सत्याग्रही हूँ, मारना नहीं बल्कि मरना मेरा धर्म है, इसलिए मुझे तो अपने तरीकेसे ही काम लेना है। अतएव आपसे एक विनती करता हूँ। यदि आपको ऐसा लगे कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मकी जड़ है तो आप भले ही वैसा मानें, लेकिन मुझे भी अस्पृश्यताको हिन्दूधर्मका पाप माननेका अधिकार प्रदान करें। आपसे बन सके तो आप हिन्दू समाजके हृदयको जागृत करना और मुझे भी वैसा करनेका अवकाश देना। सत्याग्रही तो एक मार्गी है, उसे दूसरोंके साथ गुप्त मन्त्रणा नहीं करनी है, [सिद्धान्तहीन] समझौते नहीं करने हैं। इसलिए आपके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करनेका मैं बचन दूँगा। यदि मैं अकेला रह जाऊँगा तो दूर रहकर "मुझसे दूर रहो, दूर रहो" की पुकार करूँगा।

अस्पृश्यताके कार्यमें आज जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं उनमें मैं कहता हूँ — ढेढ, भगीऔ भी कहता हूँ — कि आपको जो गाली दे उसे सहन करना। तुलसी-

दास कह गये हैं कि दया धर्मका मूल है, इसलिए प्रेम छोड़ोगे तो वाजी हार जाओगे। आपमे से जो लोग अस्पृश्यताको पाप मानते हैं, वे अपने विरोधियोंका तिरस्कार करनेका पाप न करे। आप गाली देनेवालोके साथ हँसकर बोलना। आप यदि हृदयसे उनके साथ प्रेम करोगे और शुद्ध आचार व व्यवहार रखेंगे तो यह अस्पृश्यता-रूपी पाप चला जायेगा।

लेकिन यहाँ, काठियावाडमे, ऐसा विरोध होनेकी बात मेरे गले नहीं उतरती। काठियावाड तो सुदामार्जीकी, श्रीकृष्णकी वासभूमि है, यहाँ तो अनिर्द्ध रहे थे। जिस भूमिपर योद्धाओंने अपना खून बहाया उस भूमिमे अस्पृश्यताको स्थान मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? भगी मुझसे कहते हैं यहाँ उनकी दशा इतनी बुरी है कि काठियावाडसे बाहर गुजरातमे भी उतनी बुरी न होगी। यह मुनकर मेरा हृदय रोता है।

नारणदास सघाणी कौन है? वह तो मेरा बच्चा है। एक समय ऐसा था जब वह पूरी तरह मेरी आज्ञाके अधीन था, केवल मेरा सेवक बनकर रहता था। उसने अपनी सारी लाइब्रेरी मुझे दे दी। लेकिन भगवानने अब उसे कुमति दी है (मैं सचमुच मानता हूँ कि भगवानने इसकी मति भ्रष्ट कर दी है) तथापि मेरे लिए तो वह अभी भी बच्चेके समान है। मैं मानता हूँ कि उसका यह तूफान लम्बे समयतक नहीं चलेगा और उसने जो प्रतिज्ञा की है वह फलेगी नहीं। लेकिन यदि ईश्वर चाहे और फले और मेरे ऊपर वह हाथ उठाये तथा आक्रमण करे तो उस समय मैं कहूँगा, “तूने जो किया सो ठीक ही किया”, मैं तब भी उसे आशीर्वाद दूँगा। प्रह्लादने अपने पिताका कहना नहीं माना। उसने यही कहा कि मेरे पिता मुझसे अधर्म करवाना चाहते हैं, मुझे कुमार्गपर ले जाना चाहते हैं तब ऐसे समय पिताका अनादर करना धर्म है। नारणदास सघाणी यदि आज ऐसा मानता है कि वह मेरा प्रथम पुत्र है, परन्तु यदि उसे ऐसा लगे कि मैं पथभ्रष्ट हो गया हूँ और मेरा सहार करना चाहिए तो उमे जरूर मेरा सहार करना चाहिए। मेरा सहार करते हुए उमकी आँखोका पर्दा हट जायेगा और तब वह आप लोगोके पास आकर क्षमा माँगेगा और प्रायश्चित्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वह तो बालक है, जवान है और मैं अब बूढ़ा हो गया। मेरे ऊपर तो अनेक लोगोने हाथ उठाये हैं तथापि मैं बच गया हूँ। मुझे एपेन्डिसाइटिसका रोग हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करते समय दीपक बुझ गया। उस समय कर्नल मैडॉक भी घबरा गये थे। लेकिन ईश्वरको मुझे बचाना था, इसलिए क्या हो सकता था? उपनिषदोमे एक कहानी है—उसमे पवनसे कहा जाता है कि तू तिनका उडा दे, अग्निसे कहा जाता है कि तिनकेको जला डाल, लेकिन हमसे नहीं होता, यह कहकर अग्नि और वायु भाग खड़े होते हैं। ऐसी कहानी है। यदि ईश्वर नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ तो मुझे कौन मार सकता है? किन्तु मेरे दिन यदि पूरे हो गये होंगे तो भले ही मैं इस तरह बोल रहा होऊँ, चैनसे बैठे हुआ होऊँ, उस समय भी मेरे प्राण ऐसे चुपचाप निकल जायेगे कि किसीको खबर भी न होगी और कोई उन्हें रोक भी नहीं सकेगा। लेकिन मुझे कुछ व्यावहारिक पक्षका अनुभव है, मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बातको मानना और नारणदासपर दया करना। मैं आपसे



अपने लिए दयाकी भीख नहीं माँगता, दयाकी भीख तो मैं ईश्वरसे ही माँगता हूँ लेकिन आपसे मैं सच्चे सैनिककी प्रतिज्ञा माँगता हूँ और कहता हूँ कि यदि आप प्रतिज्ञा करेगे तो आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा। बिना विचारे प्रतिज्ञा करेगे तो मैं आपको बहुत भारी पड़ूँगा, क्योंकि मैं आपसे प्रतिज्ञाका पालन करवा कर रहूँगा। इसलिए कल यहाँ आप बहुत सोच-विचारकर और सावधान होकर आना।

मुझे तीस मिनट लेने थे, लेकिन मैंने ३५ मिनट ले लिये हैं। ये पाँच मिनट लेनेका मुझे अधिकार नहीं था लेकिन भगीके हितार्थ आपने मुझे यह छूट दी है और मैंने आपसे ली है।

[ गुजरानीसे ]

नवजीवन, परिशिष्ट, १८-१-१९२५

## ४२५. समापन भाषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्में

[ ९ जनवरी, १९२५ ]<sup>१</sup>

मैं जब-जब काठियावाड़ आया हूँ तब-तब मैंने अपने प्रति काठियावाड़के अपूर्व प्रेमका अनुभव किया है। इसी प्रेमका अनुभव मैंने इस बार भी किया है और इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। हिन्दुस्तानमें मैं जहाँ-जहाँ जाता हूँ वहाँ-वहाँ मुझे काठियावाड़ ही दिखाई देता है—मुझपर प्रेमकी ऐसी ही वर्षा की जाती है। लेकिन मैं तो आपसे [ इस प्रेमसे बड़ी ] एक दिव्य वस्तु माँगता हूँ। आपके प्रेमसे मैं घबरा जाता हूँ, कारण आप जिस बातको स्वीकार करे उसपर यदि अमल न करे तो मेरे लिए आपका प्रेम पोषक नहीं, बरन् घातक होगा। इस प्रेमसे मेरी उन्नति नहीं हो सकती बल्कि मुझे आलस्य घेरेगा। और यदि मैं जागृत न रहूँ तो मेरी अधोगति हो सकती है। प्रेमसे मैं फूल उठूँ ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन यदि वह प्रेम कार्यरूपमें परिणत न हो तो आपके और मेरे बीचके सम्बन्धका क्या होगा? यह सम्बन्ध सार्वजनिक है, व्यक्तिगत नहीं। आपकी सेवाके लिए आपसे मेरा सम्बन्ध है, आप मुझे निजी रूपसे निमन्त्रण दे तो कदाचित् मैं उसे स्वीकार न कर सकूँ, लेकिन आप मुझे सार्वजनिक सेवाके लिए जब चाहे तब बुला सकते हैं। इसलिए जबतक आपका प्रेम सार्वजनिक कार्यमें परिवर्तित नहीं होता, तबतक इस प्रेमकी कोई कीमत नहीं। इस प्रेमकी ईश्वरके दरवारमें भले ही कीमत हो लेकिन मैं तो कुछ करना चाहता हूँ और हमारी यह मित्रता उसी कार्यके लिए है। अतः मैं आपसे ऐसे प्रेमकी अपेक्षा करता हूँ जो उस कार्यमें सहायक हो। मैं तो प्राकृत मनुष्य ठहरा, मुझमें राग-द्वेष है, भावनाओंको दवाना मेरा धर्म है। हमेशा चित्तवृत्तिके निरोधका प्रयत्न करता रहता हूँ, इसलिए प्रेम भी ऐसा चाहता हूँ, उसे ऐसा रूप देनेका प्रयत्न करता हूँ, जिससे चित्तवृत्ति शान्त हो, जिससे कि मैं जलूँ नहीं। प्रेम अग्निके समान

है, उसका सदुपयोग हो तो वह पावक अग्निके समान शुद्ध करता है नहीं तो वह सामान्य अग्निकी भाँति जलाता है, मैं जलना नहीं चाहता इसलिए मेरे प्रति आपके प्रेमका उपयोग यदि देज-कार्यमें हो तो ही उसका परिवर्तन, शुद्ध परिवर्तन है। यदि आप इतना सब स्वीकार करनेके वावजूद कुछ काम नहीं करेंगे और मुझे निराश करेंगे तो काठियावाडका क्या होगा, इसपर खूब विचार करना।

कल रात (विषय समितिमें) अनेक बातें आपने मुझपर छोड़ दी। आप प्रस्तावोका एक बड़ा चिट्ठा तैयार करके लाये थे, इस आशासे कि जी-भरके अपने दुखोंका वर्णन करेंगे और उस वर्णन-मात्रसे अपने दुखोंको कम करेंगे। लेकिन मैंने आपको सलाह दी कि आप इस दुखोंके वर्णनकी इच्छा छोड़ दें और उसके वजाय अपनी शक्तिका विकास करें। तथा आपने मेरी सलाह मानी। यह सलाह आपने मानी इसका कारण यह नहीं कि मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ, अपितु उसका कारण यह है कि मैं काम करनेवाला व्यक्ति हूँ, अनुभवकी बात कहनेवाला व्यक्ति हूँ। मैंने आपको दूसरा एक भी प्रस्ताव नहीं रखने दिया, राजाओके विरुद्ध आपकी शिकायतोंकी मार्वाजनीक चर्चा नहीं होने दी, बल्कि आपके मुँहको बन्द किया है। इससे आप यह न समझना कि मैंने अपना मुँह भी बन्द किया है और अब मैं सो जाना चाहता हूँ। आपको चुप रखकर मैंने अपने ऊपर भारी बोझ ले लिया है। मैं सोना नहीं चाहता, मैं तो सारे साल काम करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा रास्ता भिन्न है। मैंने आपको जो सलाह दी है, उसके मूलमें मनुष्यके सम्बन्धमें और काठियावाडके राज्यकर्ताओंके सम्बन्धमें मेरा विश्वास निहित है, मेरी इस सलाहमें मेरे इस विश्वासका दर्शन है। अमृतसरमें मैंने मॉन्टेग्यु साहबकी निन्दा न करनेकी सलाह दी, उसमें भी उनका और राजा जाँजका अविश्वास न करनेकी बात निहित थी। मैंने उस समय कहा था कि आप सुधारोंको स्वीकार कर लें और उन सुधारोंके तहत जितनी शक्ति अर्जित कर सकते हैं, करें। कांग्रेसमें मेरी सलाहको कुछ हदतक स्वीकार किया। इसका क्या कारण था? उस समय तो लोकमान्य तिलक महाराज-जैसे योद्धा विद्यमान थे और वे मेरे विरुद्ध लड़नेकी शक्ति रखते थे। उन्होंने मेरे कथनको क्यों स्वीकार किया होगा? केवल इसीलिए कि उन्हें लगा, गाँधी जो कहता है, ठीक कहता है, उन्होंने एक शब्दको बदलकर मेरे कथनको स्वीकार कर लिया। मैंने उनसे कहा आज विश्वास रखकर आप सुधारोंको स्वीकार करें। आप और मैं जिस दिन निराश हो जायेंगे, जिस दिन ये सुधार, सुधार नहीं बल्कि भाररूप जान पड़ेंगे, उस दिन हम इनका त्याग करेंगे और उस समय हमें उनकी निन्दा करनेका अधिकार भी प्राप्त हो जायेगा। आज हमें यह अधिकार नहीं है, कारण आज तो मॉन्टेग्यु कहते हैं कि मैंने आपको जितना दिया जा सकता है उतना देनेका प्रयत्न किया है। लॉर्ड सिन्हा जो कि जानकार व्यक्ति है, पराक्रमी है और देशप्रेमी है, उनका भी कहना है कि सुधारोंको स्वीकार कर लो। इसके अतिरिक्त सम्राट्के सन्देशमें भी माधुर्य था। यह सब सोच-विचारकर मैंने सुधारोंको स्वीकार करनेकी सलाह दी

थी। इस विश्वासकी स्थितिमें से ही असहयोगकी उत्पत्ति हुई। आज भी मैं आपको विश्वासकी नीतिका प्रयोग करनेकी सलाह दे रहा हूँ। लेकिन आप १९१९ की उपमाको ठीक अन्ततक मत खींचियेगा। उसका आप इतना अर्थ करनेके अधिकारी है कि मैं सोनेवाला नहीं हूँ। आपने मेरे आगे जितनी बातें बताई हैं उनसे अधिक दुःखकी पुकार मैंने सुनी है। वे सब सच हैं अथवा झूठ सो मैं नहीं जानता। यदि ये सच साबित होगी तो मेरे पास जितना समय होगा, मुझमें जितनी चतुराई होगी वह सब मैं खर्च कर डालूँगा। मैं राज्यकर्त्ताओंसे मिलनेका प्रयत्न करूँगा। मुझे वे मिलनेकी अनुमति देगे तो उनसे मैं एक दीनकी तरह मिलूँगा और यदि उनकी अनुमति मिली तो उनके साथ मेरी क्या बातचीत हुई उसे सार्वजनिक रूपसे प्रकट करूँगा। धोराजीवाले मुसलमान भाई मेरे पास आये थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यह काठियावाड राजनीतिक परिपद कहलाती है तो क्या आप हमें धोराजीके सम्बन्धमें एक भी शब्द नहीं कहने देंगे? मैंने कहा, “नहीं”। कारण, उनकी शिकायतमें कितना सच और कितना झूठ है सो मैं जानता हूँ। गोडलके ठाकुर साहबको मैं जानता हूँ। मैं उनसे परिचित हूँ, उनके प्रति मेरे मनमें आदर है और मैं जानता हूँ कि वे सुयोग्य शासक हैं। उनके हाथों प्रजाका नुकसान हो यह विचार मेरे लिए असह्य है। एक, दो अथवा पचास व्यक्तियोंके कहनेपर मैं उनकी भर्त्सना कैसे कर सकता हूँ? मुझसे उनकी निन्दा कैसे हो सकती है? मैं जबतक उनसे मिल नहीं लेता उनके अधिकारियोंसे बातचीत नहीं कर लेता, तबतक किसी तरहकी सलाह देना मेरे स्वभावके विरुद्ध है। इसलिए मैंने धोराजीवालोसे कहा कि आप जो कहते हैं, मैं उसकी पूरी-पूरी जाँच करूँगा। अब तो मौलाना शीकत अली आ गये हैं इसलिए मुझमें अधिक बल आ गया है। मेरे लिए हिन्दू और मुसलमानके बीच कोई भेद नहीं लेकिन इन लोगोंको इस बातकी क्या खबर हो सकती है? इसलिए मैंने उनसे कहा कि मौलाना और मैं, दोनों मिलकर आपको सलाह देगे, और उन्होंने भी कहा कि आप जो सलाह देगे उसे हम स्वीकार करेगे।

जो बात गोंडलपर लागू होती है वही जामनगरपर भी लागू होती है। जामनगरके सम्बन्धमें भी मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आई हैं। यदि राजाको कोई प्रजा-जन मित्र कह सकता है तो मैं और जामसाहब वालमित्र थे। जामसाहबके नाम स्वर्गीय केवलराम भावजीका सिफारिशी पत्र लेकर ही मैं विलायत गया था। इस पत्रसे मुझे अपने कार्यमें बहुत सहायता मिली। वहाँ मैं उनसे अनेक बार मिला। उम्र समय हम सबके मनमें, जो उनके समकालीन थे, यह साध थी कि यदि उन्हें जामनगरकी गद्दी मिले तो कितना अच्छा हो। लेकिन आज तो मैं उनकी बहुत निन्दा मुन रहा हूँ। वह सब सच है अथवा झूठ, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरी इच्छा है कि एक भी बात सच न हो। मैं यह भी चाहता हूँ कि जाने-अनजाने, उनके हाथों अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे प्रजापर जो अत्याचार हुआ है, उसे वे अपने हाथोंसे धो डालें। उन्हें चिढ़ाना मेरा काम नहीं है। उन्हें नम्रतापूर्वक कहना मेरा काम है और मेरा काम इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। अपने दुश्मनोंको

भी, यदि कोई दुश्मन हो तो, उदाहरणके रूपमें, सर माइकेल ओ'डायर मुझे दुष्टसे भी दुष्ट मानते हैं, लेकिन यदि वे यहाँ मन्नाट्के प्रतिनिधि बनकर आये तो उनसे भी मैं नगे पाँवो जाकर मिलूँगा। फिर, जामसाहबके साथ अविनयकी बात तो स्वप्नमें भी नहीं सोच सकता।

इन दोनो राज्योंके सम्बन्धमें मेरे पास बहुत सारी शिकायते आई हैं, बहुत मारे कागज पडे हुए हैं, लेकिन मैं तबतक इस सामग्रीका उपयोग नहीं कर सकता जब तक पूरी जाँच करनेके लिए ठीक-ठीक उपाय नहीं कर लिए जाते। इसलिए मैं प्रकट रूपसे कदापि इनकी निन्दा नहीं कर सकता, लेकिन इन शिकायतोंको मैं भूलनेवाला नहीं हूँ। इस वर्ष इन शिकायतोंको दूर करवानेके लिए मुझसे जो-कुछ हो सकेगा सो मैं करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वर्षके अन्तमें अपने कामकी दैनन्दिनी आपके सम्मुख रखूँगा।

अब मेरी आपसे एक प्रार्थना है। आप सार्वजनिक अथवा खानगी रूपसे कडवी टीका करके अपने ही काममें विघ्न न डालना। सार्वजनिक रूपसे टीका करके आप शामकोको चिढाना नहीं, कारण, वे राजा हैं, अधिकारी हैं और अधिकार अन्धा होता है। रामचन्द्रजी क्या हर युगमें हुए हैं? उमर-जैसे खलीफा क्या हर युगमें होते हैं? इस्लामको वैभवके शिखरपर पहुँचानेवाले चार खलीफाओंका कार्यकाल ३० वर्षमें पूरा हो गया। उसके बाद जितने खलीफा हुए, उनमें से कोई भी उनके समकक्ष नहीं हुआ। यह जगतका न्याय है। रत्न तो दुर्लभ होते हैं। खानको गहरे खोदा जाता है तब कहीं किसी जगह वे मिलते हैं। इसलिए राजा जब चिढ उठे, क्रोध करे तब मैं ऐसा नहीं मानता कि वह वेवकूफ है। क्रोध तो मुझमें भी है और आपमें भी है। राजा कोई योगी नहीं है और हम भी योगी नहीं हैं। ऐसे योगीका उदाहरण— केवल जनक विदेहीका है। मैं कहता हूँ कि उनका ही उदाहरण है, क्योंकि वे प्राकृत मनुष्य होते हुए भी योगी हो गये। रामचन्द्र तो अवतार कहे जाते हैं। इतिहास हमें बताता है कि जनक विदेही-जैसा एक भी अन्य उदाहरण इस पृथ्वीपर नहीं मिलता। राजा अधिकारी तो हे ही और चूँकि वह अधिकारी है इसलिए उमकी कोई-न-कोई बात तो सहन करनी ही होगी। हमें जब लोकतान्त्रिक-राज्य मिलेगा तब भी कोई अधिकारी तो होगा ही, जिसकी थोड़ी-बहुत बात हमें सहनी ही पड़ेगी। मेरी ही कितनी बातें आपको सहन करनी पड़ी हैं। क्या मैंने अपने अधिकारका अन्धा उपयोग नहीं किया होगा? एक ग्रास्त्रीने मुझसे भाषण करनेकी अनुमति माँगी, मैंने उन्हें नहीं बोलने दिया। एक [जैन] मुनिकी भी बोलनेकी इच्छा थी, उनसे मैंने कहा कि मैं आपको बोलनेकी होडमें नहीं उतरने दूँगा। आप तो घर-घर जाकर लोगोंमें चरणा रूतवायें। ऐसा करनेमें मैंने विनयसे काम लिया कि अविनयमें, यह मैं कहाँ जानता हूँ? लेकिन इन दो दिनोतक तो, मैं जैमा भी था, था तो राजा। कोई व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों न हो, भले ही चीथे अथवा पाँचवे वर्गका हो तो भी वह राजा तो है और जहाँ पद होगा वहाँ राज्याधिकार होगा ही और जहाँ राज्याधिकार होगा वहाँ क्रोध एव अन्यायके लिए अवकाश रहता ही है। अब शामकोके गामनमें मिलने-वाले कडवे घूंट हमें पीने ही पडेगे।

आपके सामने मैंने दो पक्ष रखे हैं — राजपक्ष और प्रजापक्ष। काठियावाडके राजाओके हाथो अन्याय हो, यह मेरे लिए असह्य है। मैं उन्हें इतना ही कहूँगा कि आप किस भौतिक लाभके लिए यह अन्याय कर रहे हैं। प्रजामे इतना ही कहूँगा कि वह खामोशीसे सहन करना सीखे। प्रजाके हकके सम्बन्धमे मैंने अपने मुद्रित भाषणके अन्तिम अनुच्छेदमे कुछ कहा है। इस अनुच्छेदको आप अनेक बार पढ़िये और याद कर लीजिए। जिसने केवल अधिकारो को चाहा है, ऐसी कोई भी प्रजा उन्नति नहीं कर सकी है, केवल वही प्रजा उन्नति कर सकी है, जिसने कर्त्तव्यका धार्मिक रूपसे पालन किया है। कर्त्तव्योके पालनमे उन्हें अधिकारकी प्राप्ति हुई ही। कर्त्तव्यका पालन करते-करते ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इन अधिकारोकी प्राप्ति भी हो। हमारे शास्त्र मातृ-भक्ति और पितृ-भक्ति सिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है? मेरे पिता मुझे रुष्ट हो जाये, मुझे गाली दे, मारे तो भी मैं उनकी सेवा करूँ, ज्यादासे-ज्यादा उनसे इतना ही कहूँ कि, “पिताजी, इतना ज्यादा मत मारो।” इसका क्या कारण है? आपके सम्मुख गर्जना करनेवाले यह शौकत अली — अपनी माँका राक्षस-जैसा विशालकाय बेटा — अपनी माँके धमकानेपर चुपचाप बैठ जाते थे। इसका रहस्य क्या है? इसका कारण यह है कि माता-पिताके वाद उन्हें अधिकार मिलता है — विरासत मिलती है। इस आज्ञा-पालनके पीछे पिताकी विरासत मिलनेकी बात छिपी हुई है। किन्तु यदि इस विरासतकी आशा रखकर मैं आज्ञा-पालन करूँ तब तो मैं मर ही जाऊँ। इसलिए शास्त्र हमें यह भी सिखाते हैं कि ऐसी आशा रखे बिना ही हम आज्ञाका पालन करे। ऐसे कठिन है हमारे शास्त्र। हककी आगा न रखनेवाला हक प्राप्त करता है और हककी बात करनेवाला परास्त होता है, यह नियम है। और इसी नियमको मैं आपके सामने रखता हूँ। यदि आप इस नियमका पालन करेगे तो आप समझना कि आपने काठियावाडके स्वराज्यकी एक विनयी सेना तैयार की है। इस वर्ष आप ऐसे विनयी कार्यकर्त्ताओकी सेना तैयार करे तो फिर वादमें कोई राजा आपका तिरस्कार नहीं कर सकता। अभी आपको यह आगका होती है कि कोई राजा आपको अपने राज्यमे परिषद् बुलाने देगा अथवा नहीं। सोरठवालोने परिषद् अपने यहाँ करनेका आमन्त्रण दिया, सो डरते-डरते दिया। उनके मनमे भय था कि हमने परिषद् अमुक स्थानमे करनेका विचार किया और कही राजाने इनकार कर दिया तो क्या होगा? अतएव आप अपना वातावरण इतना स्वच्छ करे, अपने चारित्र्यवलका इतना विकास करे कि कोई राजा आपको इनकार कर ही न सके। मेरी सलाहका अर्थ यह न लगाना कि आपको न करने योग्य काम भी करना है, आपके आत्म-सम्मानको ठेस पहुँचे ऐसा काम करना है। बड़ेसे-बड़ा काम करते हुए भी आप अपने आग्रहको मत छोड़ना, सत्यको न छोड़ना और उमी तरह विनय तथा मृदुताको भी न छोड़ना। मैं स्वयं पत्रकार हूँ और वह भी एक प्रतिष्ठित पत्रकार। मैं १९०४ से यह काम करता आया हूँ तथा मैं मानता हूँ कि यह काम मुझे अच्छी तरहसे आता है। कारण, जब मेरा मैं विषयोपर लिखनेका इरादा होता है तब मैं एक विषयपर लिखता हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है। अब यदि मैं ‘यग इटिया’में परम्पर एक दूसरेकी, एक-दूसरेको दी गई, गालियाँ और जिस-तिसकी शिकायतोंको

छापने लगूँ तो इस समय उसकी जो प्रतिष्ठा है क्या वह रह सकती है? 'नवजीवन' मे मेरे पास जो-कुछ आता है, अगर वह सबका-सब प्रकाशित कर दूँ तो क्या उसका कोई पाठक रह जायेगा? इस नियमको लेकर ही मैंने इन दो पत्रोके लिए कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इस नियममे भी कभी-कभी भूल हो जाती है। इसलिए राजनीतिज्ञो और लेखकोसे मैं कहता हूँ कि आप कलमको बसमे रखे और आत्माका विकास करे। शब्दका नियन्त्रण कीजिये, आत्मोन्नतिका नहीं। खुशामद भी न करना और क्रोध भी न करना। समयमे खुशामद नहीं है, जबकि क्रोध — तीखा शब्द — खुशामदसे भी ज्यादा खराब है। खुशामद और क्रोध एक ही वस्तु है — दुर्बलताके दो पक्ष हैं। टेढा पक्ष क्रोध है। दुर्बल व्यक्ति खुशामद करता है अथवा अपनी दुर्बलता ढकनेके लिए क्रोध करता है। कोई भी क्रोधी पुरुष यह न माने कि उसने बल प्रदर्शित किया है। बल तो कर्ममे है और कर्मका अर्थ है धर्म-पालन। जगतके हृदय-साम्राज्यका उपभोग करनेवालोंने अपनी इन्द्रियोको समयकी अग्निमे भस्मीभूत किया है। आप भी यदि काठियावाडका उद्धार करना चाहते हैं तो याद रखिए कि आप शान्ति और समयसे ही उसे साव सकेगे। राजा अपना काम दण्डके द्वारा करता है। आप अपना काम सेवा और प्रेमसे करे, राजा तथा प्रजा दोनोपर अपनी सेवा और प्रेमकी ऐसी वर्षा करे कि उससे उत्पन्न काठियावाडकी सुवर्ण वाटिकाको सब लोग देखनेके लिए आये। यदि मुझे आशीर्वाद देनेका अधिकार है तो मेरा आशीर्वाद है और नहीं तो मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा [शुभ] दिन तुरन्त आये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, परिशिष्ट, १८-१-१९२५

## ४२६. भाषण : शामिलदास कालेज, भावनगरमें

९ जनवरी, १९२५

मुझे आज विद्यार्थी-वर्मपर बोलना है। यह आसान भी है और मुश्किल भी। विद्यार्थियोकी स्थितिको हिन्दू-वर्ममे ब्रह्मचर्यकी स्थिति कहा गया है। ब्रह्मचर्यका सामान्यत जो अर्थ किया जाता है, शास्त्रोमे उसका वह अर्थ नहीं है। सामान्य अर्थ सकुचित है। मूल अर्थमे तो ब्रह्मचर्य विद्यार्थीकी स्थितिका ही पर्याय है। ब्रह्मचर्यका अर्थ है हरएक इन्द्रियका समय। परन्तु उसके द्वारा विद्या प्राप्त करनेके सारे कालका समावेश ब्रह्मचर्य-आश्रममे हो जाता है। ब्रह्मचर्यके इस निर्दोष जीवनमे देनेकी वाते कम और लेनेकी ज्यादा है। इस दशामे वह माँ-वापसे, शिक्षकोसे, समाजसे ग्रहण ही करता है। पर यह किसलिए? इसीलिए कि मौका पडनेपर वह वापस दिया जाये — चक्रवृद्धि व्याजके साथ लौटाया जाये। इसीलिए तो समाज ब्रह्मचर्य-आश्रमको पोषण प्रदान करता है।

ब्रह्मचर्याश्रम और सन्यासाश्रम, दोनोके कार्य हिन्दू-वर्ममे एक-से बताये गये हैं। विद्यार्थीको सन्यासी होनेके लिए इच्छा नहीं करनी पडती, बल्कि वह स्वभावत ही

सन्यासी है। आज तो विद्यार्थियोंके मन भी खराब हो गये हैं। मेरी मति १२ सालकी उम्रमें ही भ्रष्ट हो गयी थी। मुझे विकारोका ज्ञान उस छोटी उम्रमें हो गया था। विद्यार्थीका जीवन स्वभावतः निर्विकार होना चाहिए। इतनी कच्ची उम्रमें विकारोका ज्ञान हो जाये, ऐसे पतनके हजारो उदाहरण मिलते हैं, लेकिन सत्यका दर्शन करानेके लिए मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। विद्यार्थी-जीवन स्वभावतः ही सन्यासी-जीवन है। पर सन्यासी उस दशाको अपनी इच्छा करके प्राप्त करता है। आज तो तमाम आश्रम छिन्न-भिन्न हो गये हैं, सिर्फ नाम ही बाकी रह गये हैं। आश्रमोंके लिए मेरे मनमें इतना ऊँचा स्थान है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। जो हो, उनका आन्तरिक सत्य तो यही है और उसमें हमें विद्यार्थी-धर्मका दर्शन हो जाता है।

विद्यार्थी-धर्मका ज्ञान आज कैसे हो सकता है? आज तो माता-पिता भी उलटा पाठ पढाते हैं। विद्याकी प्राप्तिके लिए नहीं, बल्कि इस गरजसे कि लडका पढ़-लिखकर धन कमाये, पद-प्रतिष्ठा प्राप्त करे, इसलिए वे उसे विद्या पढाते हैं। इस तरह हमारी स्थिति जैसी होनी चाहिए उससे उलटी बना दी गई है। जो हमारा धर्म होना चाहिए, उसे छोड़कर हम विद्याका दुरुपयोग कर रहे हैं। फलतः विद्यार्थी-जीवनमें जो परम शान्ति, जो सुख, जो शुद्धता होनी चाहिए वह हमें दिखाई नहीं देती। हमारे विद्यार्थी विद्यार्थी-अवस्थामें ही चिन्ताओंके बोझसे दबे नजर आते हैं। लेकिन इस अवस्थामें देनेकी तो बात ही नहीं है, केवल ग्रहण करना, लेते रहना और लेनेमें विवेक-बुद्धिसे काम लेना इतना ही काम विद्यार्थीका है। अनेक प्रयोगोंके द्वारा शिक्षक हमें इसी विवेक-बुद्धिकी शिक्षा देता है। वह बताता है कि कौन चीज ग्राह्य है, कौन त्याज्य है। यदि हमें यह विद्या ज्ञान न हो तो हम एक यन्त्र बन जाते हैं। लेकिन हम तो सजीव हैं, चेतन हैं और चेतनका स्वभाव है यह समझ लेना कि कौन वस्तु ग्राह्य है और कौन त्याज्य। इस कारण इस अवस्थामें हम सत्यका ग्रहण, असत्यका त्याग, मधुर-वाणीका ग्रहण, कठोर और दृक्कर वाणीका त्याग, आदि बातें सीखते हैं और उसके सीखनेसे जीवन सरल हो जाता है।

तुम्हें लगेगा कि यह तो हिन्दू धर्मपर व्याख्यान सुनाने आया है। लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने अपनी बात रखने आया हूँ— और मेरी बात इसके सिवा क्या हो सकती है? उमीको स्पष्ट करनेके लिए मैंने यह सारा विश्लेषण किया है। मैं कह चुका हूँ कि ब्रह्मचारीको ग्राह्य और त्याज्यका भेद करना सीखना चाहिए। पर आज तो हमने धर्मको मकर कर डाला है और हमें इस सकरके खिलाफ लडना है। यदि माता-पिताने दूसरे प्रकारकी शिक्षा दी होती और वायुमण्डल विगाडा न होता तो विद्यार्थियोंको इस वायुमण्डलका मुकाबला करनेकी जरूरत न रहती। प्राचीन कालमें विद्यार्थी-जीवन ऋषियोंके आश्रमोंमें व्यतीत होता था। पर आज हालत उलटी है। जहाँ समुद्रकी म्वच्छ हवा आती हो, वहाँ खूब गुलकर हवा खानी चाहिए। पर जहाँ बदबू आती हो वहाँ मुँह बन्द कर लेना चाहिए। यहाँका वायुमण्डल बदबूसे भरा हुआ है। उमीलिए उसके खिलाफ आवाज उठाये बिना मेरे लिए कोई चारा नहीं। इस कमीटीके अनुसार तुम देवोगे कि आज तुमको बहुतेरी चीजे त्याग देनी पडेगी। बहुत-सी बातें ऐसी होंगी जो महज नुकसान देह है। प्राचीनकालमें मौखिक शिक्षा दी जाती थी। मत्र

ही सिखाये जाते थे। मत्र क्या है? सक्षिप्त भापामे कहा हुआ सार-तत्त्व। इसके बाद उसपर टीकागँ हुई। आज तो पुस्तकोका ढेर लग गया है। मैं यदि अपने ही कालकी वान करूँ तो मुझे ऐसी अनेक चीजे याद आती हैं, जो त्याग करने लायक थी। छठी-सातवी श्रेणीके विद्यार्थियोंमे कौन रेनाँलड्सके उपन्यास नहीं पढता था, यह कहना कठिन है। पर मैं तो था मन्द-बुद्धि। मैं महज पास होनेका ही खयाल करता था। पिताकी सेवा करना और पास होनेके लायक किताबे पढ लेना, यही मेरा काम था। इससे मैं उन उपन्यासोंमे वच गया। औरोपर ऐसी पुस्तकोका क्या असर होता है, सो मैं नहीं जानता। पर विलायतमे मैंने देखा कि समाजके शिष्ट वर्गोंमे ये पुस्तके पढी नहीं जाती थी। उनका पढना अच्छा नहीं समझा जाता था। सो मैंने देखा कि उनके न पढनेमे मेरी कुछ हानि न हुई।

इसी प्रकार आज अनेक चीजे ऐसी हैं जिनसे मुँह मोडनेकी जरूरत है। हम बड़ी विपम स्थितिमे आ फँसे हैं। आज तो १२ सालकी उम्रमे आजीविकाका विचार करना पडता है। यह विद्यार्थी-आश्रमके साथ गृहस्थाश्रमका सकर हुआ। गगा-जमनाका सगम तो मुन्दर है, पर यह सगम नहीं, मकर है। अतएव विद्यार्थियोंको आज यह जान लेना चाहिए कि देगमे क्या हो रहा है। आज शायद ही कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जो अखवार न पढता हो। मैं किस तरह कहूँ कि आपको अखवार न पढना चाहिए? पर विद्यार्थियोंमे मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि अखवारोके क्षणिक साहित्यकी ओर आँख उठाकर न देखना। उसमे सच्चा साहित्य, शिष्ट भाषा नहीं मिलती। उनसे जो वाते मिलती हैं वे क्षणिक होती हैं। हमे जरूरत तो स्थायी भाषा ग्रहण करनेकी है। विद्यार्थी जीवन, जीवनकी वुनियाद है, जीवनकी तैयारी है। इस कालमे हम अपने लिए अखवारोसे विचार-सामग्री किस तरह ले सकते हैं। यदि तुम कहो कि हम अखवार नहीं पढेंगे तो तुम्हारा यह कहना स्वाभाविक नहीं होगा। क्योंकि तुम तो दाम या गाथीका भाषण पढकर कहो कि अमुक भाषण वढिया था और अमुक यो ही था—यह स्थिति दयाजनक है, भयकर है। इससे हमे बाहर निकलना ही होगा। यह बात मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैंने शिक्षाके अनेक प्रयोग किये हैं। अपने लडके-वच्चे और औरोके लडके-लडकी या जवान लडके-लडकियोंको साथ रखकर शिक्षा देनेकी भयकर जोखिम मैंने उठा देली है। पर मैं पार हो गया, क्योंकि जिस तरह माता-पिताकी आँख जवान लडकीकी गति-विधिका निरीक्षण करती रहती है उसी तरह मैं भी चारो ओर नजर रखता था। मैंने उन लडके-लडकियोंके माँ-बापका स्थान लिया था, उनपर डिटेक्टिवकी तरह नजर रखता था। राजा भी था और गुलाम भी था। इससे मुझे इस बातका अनुभव हुआ कि शिक्षा क्या चीज है? कैसी होनी चाहिए? और इसका विचार करते-करते मैंने सत्याग्रहको पाया, मुझे असहयोगका दर्शन हुआ। ओर इसलिए मुझे इन प्रयोगोका साहस हुआ। आप ऐसा न समझना कि मैंने ये प्रयोग केवल स्थूल स्वराज्यके लिए किये हैं। मैंने तो ससारके सामने एक चिरतन मनातन धार्मिक वस्तु रख दी है। इसकी जडे गहरी पहुँच गई है, इसलिए लडकोके सामने भी इसे पेश करते हुए मुझे सकोच नहीं होता। इसकी निर्दोषताको मैं किस प्रकार प्रकट करूँ? मैंने जब देखा कि मेरे शान्तिके प्रयोगसे अशान्ति फैली तो मैंने



तुरन्त अपने हथियार वापस खीच लिये और सिर्फ एक ही शान्तिका हथियार— चरखा— देशके सामने रख दिया। इसे देखकर पहले तो लोग हँसे, फिर तिरस्कार प्रकट करने लगे और अब उसका स्वागत करनेका समय आ रहा है। अब मैं विद्यार्थियोंसे कह रहा हूँ कि इसे अपनाओ। कांग्रेसमें भी चरखेका प्रस्ताव हुआ और यदि लॉर्ड रीडिंगसे मिलनेका अवसर आये तो अब मैं उनसे भी यही कहूँगा कि जनाव चरखा कातिए। यह सुनकर आपको हँसी आई, पर मैं गभीरताके साथ कह रहा हूँ। मैं उन्हे यह कहते हुए जरा भी न हिचकूँगा और यदि वे न माने तो नुकसान उनका है, मेरा विलकुल नहीं। जो भिक्षा माँगता हो उसका क्या नुकसान होगा? उसका तो वह धर्म ही है, पेशा ही है। मेरा यह धर्म है कि उनके सामने हाथ फैलाकर उन्हे पुण्य करनेका अवसर दूँ। अच्छीसे-अच्छी चीज ग्रहण करनेका मौका उनके सामने उपस्थित करूँ। अगर वे उसे न अपनावें तो हानि उनकी होगी। कलकत्तेके बड़े पादरी साहबसे मैंने अपनी भजन-मण्डलीमें बैठनेका अनुरोध किया। वे बैठे और उन्होंने भजन गाया। इससे उनके और मेरे बीच प्रेमकी गाँठ बँध गई। पर इतनेसे ही मुझे सन्तोष न हुआ। मैंने उनसे चरखेकी बात कही। कर्नल मैडॉकने मेरी जान बचानेके लिए मेरे पेटमें नश्वर लगाया। अनेक औजारोका प्रयोग किया। मैंने उनके मामने भी चरखेकी बात पेश की। श्रीमती मैडॉक जब विलायत जाने लगी तो मैंने उन्हे खादीका तौलिया देकर चरखेका सदेग वहाँ भेजा। उन्होंने उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण कर लिया और कह गई है कि मैं घर-घर इस तौलियेका सन्देश पहुँचाऊँगी।

यह चीज विलकुल निर्दोष है। इसमें स्वाद नहीं हो सकता। आरोग्यप्रद भोजन चटपटा और तेज नहीं होता। राजकोटमें एक हलवाई था, वह बहुत तेज भजिये बनाता था। उनमें बहुत तरहके मसाले डालता था और इन भजियोंके लिए सैकड़ों लोग उमी दुकानपर दौड़ते थे। लेकिन उनमें ऐसा कोई गुण तो था नहीं कि वे खानेवालेका आरोग्य-वर्धन कर सके। अनेक चीजे ऐसी होती हैं जो नीरस मालूम होती हैं पर दरअसल होती सरस हैं। इसी कारण 'गीता' का यह महावचन है, 'जो बात आरम्भमें कड़वी परन्तु परिणाममें अमृतमय हो' उसे ग्रहण करो। ऐसी अमृतप्राय वस्तु मृतका तार है। आत्माको शान्ति देनेके लिए, विद्यार्थी-कालमें जीवनको शान्ति देनेके लिए, जीवनमें धर्मको स्थान देनेके लिए, इसके सदृश सामर्थ्यवान् यज्ञ दूसरा नहीं है। हिन्दुस्तानके लिए मैं आज दूसरी चीज नहीं दे सकता— गायत्रीको भी सारे हिन्दुस्तानके सामने पेश नहीं कर सकता। क्योंकि यह युग व्यावहारिक युग है, तत्काल परिणाम देखना चाहता है। मैं गायत्री जरूर उपस्थित कर सकता हूँ, पर तत्काल परिणाम क्या दिखाऊँगा? पर चरखा ऐसी चीज है कि आप मृतका तार निकालते जाइए, रामका नाम लेते जाइए और आपको सब-कुछ मिल जायेगा।

ट्यूडर ओवन साहब यहाँ एक बड़े हाकिम थे। आज वे पचमहालमें हैं। उन्हे मैंने अपनी पाँतमें मिला लिया। उमका छुपा भेद मैं आज प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे लिखा है कि चरखा मुझे बड़ा प्रिय हो गया है। मेरी अंग्रेजी 'कॉमनसेंस' (व्यवहार-बुद्धि) कहती है कि वह मेरी बढिया 'हाँवी' (शिक) है। मैंने उनमें कहा कि आपके लिए यह 'हाँवी' होगी हमारे लिए तो यह कल्पद्रुम है। अंग्रेजी जीवन

मुझे पसन्द नहीं। पर उसके कितने ही रसका स्वाद मैं लेता हूँ—क्योंकि मधु-मक्खियोंकी तरह मैं तो मधुरताकी खोज करता रहता हूँ। इन लोगोकी 'हाँवी' में बहुत रहस्य भरा रहता है। कर्नल मैडॉक एक आँखसे अवे थे। नश्तर लगाते हुए ही एक आँख चली गई। उनकी उम्र भी कोई साठ सालकी होगी, फिर भी वे शल्य-क्रियामें निपुण थे। चाकूसे सीधा नश्तर लगाते, पर खबरतक न होती। वे चीवीसो घटे नश्तर नहीं लगाया करते थे। परन्तु दो घटे वे अपनी 'हाँवी' को—वर्गीचेमें काम करनेके लिए देते थे। और इससे उनका जीवन रसमय बना हुआ था।

मैं तुम्हारे सामने चरखा इसलिए रख रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन रसमय हो, तुम्हें धर्म मिले, कर्म मिले, गान्ति मिले, विवेक मिले। विद्यार्थी-जीवनमें श्रद्धा बड़ी जरूरी चीज है। किसी बातको वृद्धि स्वीकार न करती हो तो भी उसे मान लेना पडता है—मेरे पारसी मित्र स्वीकार करेगे, क्योंकि भूमितिमें वे मेरे ही जैसे शून्य होते हैं—कितनी ही बातें मान लेनी पडती हैं। भूमितिमें मेरी गति ही रुक जाती थी। २४ वाँ साध्य तो समझमें आता ही न था। पर मैं किसी तरह गाडी खींचता। आज वह विषय मुझे बड़ा आनन्दमय मालूम होता है। आज अगर भूमितिकी पुस्तक हाथमें आ जाय तो मैं उसमें डूब सकता हूँ। विद्यार्थी-जीवनमें चित्त श्रद्धामय होनेके कारण ही मैंने यह मान लिया था कि किसी-न-किसी दिन इसका मर्म समझमें आ जायेगा। तुममें भी यदि श्रद्धा होगी तो तुम्हें मालूम हो जायेगा कि एक व्यक्तिके जो बात कही थी, वह सच थी। चरखेपर खूब विचार करके ही एक शास्त्रीने 'गीता' का यह श्लोक चरखेपर घटाया है—

“नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥”<sup>१</sup>

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, १८-१-१९२५

## ४२७. स्वराज्यके व्यापारी

सदम्यताकी गर्तोंमें जो नवीन परिवर्तन हुए हैं, ऐमा लगता है, वे अब भी बहुतोको भयानक मालूम होते हैं। इसपर मुझे ताज्जुब नहीं होता। नई चीज बहुतोको कई बार दुविधामें डाल देती है, कितनी ही बार डर पैदा कर देती है। मुझे आशा है कि वक्तके साथ-साथ डर जाता रहेगा और लोग सदस्यताकी गर्तमें चरखेको स्थान मिलनेका महत्त्व समझ जायेगे। इसे समझनेमें मदद करनेके लिए इतना आवश्यक है कि जिन लोगोका चरखेपर विश्वास है, उसपर अटल रहकर अपना विश्वास साबित करे। प्रान्तीय कमेटियोंकी राह न देखकर जो पहलेसे कात रहे हैं वे ज्यादा नियम-पूर्वक काते और जो न कातते हो, वे कातना शुरू कर दे। जैसे-जैसे दो-दो हजार गजकी आँटियाँ तैयार हाती जाये, वैसे-वैसे वे उन्हें अपनी-अपनी प्रान्तीय कमेटियोंको

भेजते जाये और अपने नाम दर्ज कराते जाये। इसके लिए प्रान्तीय कमेटीके नोटिसकी राह देखनेकी जरूरत नहीं।

जो लोग कातते हैं, उन्हें ओरोको समझानेका भी काम गुरु कर देना चाहिए।

और जो बात कताईपर घटती है, वही खादीपर भी घटती है। अभी खादीका काफी प्रचार करनेकी जरूरत है। दाहोद और गोधराके सफरमे मैंने देखा कि अभी बहुत थोड़े लोग खादी पहनते हैं। यह भी सुनता हूँ कि बहुतेरे लोग सिर्फ सभा-सम्मेलनमे ही खादी पहनते हैं। इस तरह कहीं विदेशी कपडेका बहिष्कार हो सकता है? स्त्रियोमे तो मुझे खादीका बहुत कम प्रचलन देखनेको मिला। सो दाहोद और गोधराके स्वयसेवकोको मेरी खास मलाह है कि वे इन दोनो गहरोमे घर-घर जाकर लोगोको खादीके इस्तेमालकी जरूरत ओर कताईका कर्तव्य समझाये।

व्यापारी जिस तरह रात-दिन अपने व्यापारकी बढतीकी योजना ही बनाता रहता है, उसी तरह हमे भी करना चाहिए। हम स्वराज्यके व्यापारी हैं। हम जानते हैं कि विदेशी कपडेका बहिष्कार सम्पन्न होनेसे ही स्वराज्यका व्यापार बढ सकता है।

हरएक स्वयसेवकोको अपनी जिम्मेवारी समझ लेनी चाहिए। हर व्यक्ति डायरी रखे और रातको अपने मनसे नीचे लिखे सवाल पूछे और उनके जो जवाब मिले उन्हें उसमे लिख ले।

१ आज मैंने कितना गज सूत काता ?

२ आज मैंने कितनोको सूत कातनेके लिए समझाया ?

३ आज मैंने कितनोको खादी पहननेपर रजामन्द किया ?

जो व्यक्ति ईमानदारीके साथ इन सवालोकें जवाब हमेशा अपनी डायरीमे लिखता रहेगा, वह शीघ्र ही यह देखेगा कि उसकी काम करनेकी शक्ति बढ रही है। थोडा-बहुत पुरुषार्थ तो मनुष्य-मात्रमे है और हमेशा अपनी हारकी बातें लिखना उसे पसन्द नहीं आता। इसलिए ईमानदार आदमी उस हारको हरा देता है और फतह हासिल करता है। अच्छा व्यापारी अपने कामका रोजनामचा रखता है और उसका अमूल्य लाभ जानता है। जहाजके कप्तानके लिए ता रोजनामचा रखना लाजिमी होता है। फिर, स्वराज्यके व्यापारी क्यों न रोजनामचा रखे? हताश जनता यदि आगावान बनना चाहे तो उसके लिए कांग्रेसमे प्रशस्त राजमार्ग दिखा दिया है। हम यदि आलस्यको छोड देगे और उद्यम करेगे तो हमे तुरन्त उसका मीठा फल चखनेको मिलेगा। यह समय न तो टीका-टिप्पणीका है, न गका-मगयका है। यह मुंह बन्द करके चुपचाप सिर्फ काम करनेका, अर्थात् सूत कातनेका और कतवानेका, खादी पहननेका और दूसरोको उसे पहननेके लिए राजी करनेका समय है।

[ गुजरातीमे ]

नवजीवन, ११-१-१९२५

## ४२८. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

पोप बरी २ [ १२ जनवरी, १९२५ ]<sup>१</sup>

राठिशासकी यात्रामे तुम्हारी और जानन्दरी मद आती रही। तुम्हारी उप-  
स्थितिमे और जानन्दरीके स्वागतकी कामना की। आश्रम पहुँचकर तुम्हारे पत्रकी बात  
जोहोगी। आश्रममे रहना कि मैं रोज उमे याद करता हूँ।

[ पुरस्ताते ]

बापुनी प्रसादी

## ४२९. पत्र : देवचन्द पारेखको

गोमपार [ १० जनवरी, १९०५ ]<sup>२</sup>

भाईश्री देवचन्द भाई

मैं वहाँ पर मगरवारकी तीन बने पहुँचूंगा और सीधे बाबूसाहब यशवन्त  
प्रसाद सिंहके वहाँ जाऊँगा। वे पर वहाँ मुझसे मिले वे और उन्होंने मुझसे अपने  
यहाँ ठहरनेका आग्रह किया था। आप क्या मिले न?

यदि आप नाजिरा आयेगे? न आनेवाले हो तो कमसे-कम घांशतक अथवा  
उनके निरादरती किरी स्थानतक जम्मा आ जायें, ताकि हम भविष्यके कार्यक्रमके  
सम्बन्धमे कुछ महत्त्वमशविरा करना चाहें तो कर सकें।

जा रूँ उकट्टी की गई है, उसकी क्या व्यवस्था की गई है, सो जानना चाहता  
हूँ। यदि हम उठीने-उठी घान्तोके बारेमे समुचित व्यवस्था करेंगे तो हमें मुपरिणाम  
प्राप्त होगा। रूँ यहाँ भी उकट्टी की जा रही है।

पट्टीका नाहवरा गतना जारी है।

मुने मेरे भी नाम चाहिए। आपको उस वप और कोई काम नहीं करना है।  
आप तो अन्त्यजोंके लिए राज्योंमे, जहाँ कहींमे भी ला सके वहाँमे, यथासम्भव  
महायता आइयेगा।

शेष मिलनेपर।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (जी० एन० ५७१६) की फोटो-नकलमे।

१ माधन-सुरके अनुसार।

२ गांधीजी आपजसे अहमदाबादके लिए १२ तारीखको रवाना हुए थे और वहाँसे १६ तारीखको  
मोजिरा गये, पट्टीजीक कताबमे सम्बन्धित उल्लेखसे विदित होता है कि पर पत्र आपजसे लिखा गया था।

३ भावनगर।

## ४३०. भाषण : गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें

अहमदाबाद

१४ जनवरी, १९२५

आज शाम गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी एक बैठक कांग्रेसके नये संविधानके अनुसार एक योजना निर्धारित करनेके लिए हुई। श्री गांधीने, जो बैठकमें उपस्थित थे, सुझाव दिया कि उन्हें कांग्रेसके सदस्य बनानेका काम शुरू कर देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कौन स्वयं सूत कातेगा और कौन दूसरोका काता हुआ सूत देगा। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेसके लिए वे कितने सदस्य बनायेंगे। श्री गांधीने स्वयं सूत कातने और काठियावाडसे १०० सदस्य बनानेका वादा किया। किसीने कहा कि श्री गांधीको भारत-भरसे कांग्रेसके दो लाख सदस्य बनाने चाहिए। श्री गांधीने उत्तर दिया कि अतिरिक्त सदस्य मैं आपको दे दूंगा। कुल मिलाकर ७४ सदस्योंने स्वयं सूत कातनेका वादा किया, तीनने दूसरोका काता हुआ सूत देनेका वादा किया और सब मिलाकर १,७०० सदस्य बनानेके वादे किये गये। इसके बाद श्री गांधीने सुझाव दिया कि स्वयं सूत कातनेवालो और दूसरोका काता सूत देनेवालोके अलावा ऐसे सदस्य भी होंगे जिन्हे यदि रई दी जाये तो वे रोजाना आधा घटा सूत कातेंगे। उन्होने कहा कि मैं चाहता हूँ, रई इकट्ठी की जाये। श्री वल्लभभाई पटेलने ५०० मन रई इकट्ठी करनेका वादा किया और श्री अब्बास तैयबजीने २५ मन रई।

[अंग्रेजीसे]

वॉम्बे क्रॉनिकल, १५-१-१९२५

## ४३१. दीक्षान्त भाषण : गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबादमें

१४ जनवरी, १९२५

विद्यार्थीगण, भाइयो और वहनां,

आप विद्यार्थियोंने आज जो उपाधि प्राप्त की है, उसके लिए मैं आप लोगोंको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ली हुई प्रतिज्ञाको आप पूरा करेंगे। ऐसा प्रमग जब-जब आता है, तब-तब सामान्य मस्याओंकी रिपोर्टोंमें ऐसा कुछ उल्लेख होता है कि उस वर्ष विद्यार्थियों और शिक्षकोंकी संख्या बढ़ी, और मस्याकी विविध प्रवृत्तियोंमें भी हर तरहसे वृद्धि हुई। आज महामात्र [रजिस्ट्रार]ने जब रिपोर्ट पढ़ी तब हमने देखा कि उस विद्यापीठके चार वर्षके कार्य-कालमें मर्या घटती ही गई है। सामान्य रूपसे उसमें निराशा होगी। लेकिन मुझे निराशा नहीं हुई। इतना अवग्य स्वीकार करता हूँ कि अगर हम विद्यार्थियोंकी मस्यामें वृद्धि बताने अथवा दुनिया जिसे

प्रगति कहती है, कोई वैसी बात बता सकते तो मुझे खुशी होती। आजकी स्थितिमें मुझे प्रसन्नता होती है, ऐसा नहीं कह सकता, परन्तु मैं निराश भी नहीं हुआ हूँ। बहुत-से दूसरे लोग और मैं ऐसी उम्मीद रखते ही थे कि यह कार्य हमें एक ही वर्ष चलाना होगा और एक वर्ष (अर्थात् स्वराज्य-प्राप्ति)के बाद तो जिन मस्याओमें से आप निकले हैं, उन्हीं मस्याओमें आप फिरसे शिक्षा लेने लगेंगे। एकके बदले तो चार वर्ष हो गये, और आगे कितने वर्ष यह देश-निकाला भोगना पड़ेगा, सो नहीं कहा जा सकता। मैं तो अब ऐसा मानने लगा हूँ कि यह देश-निकाला है ही नहीं। कदाचित् स्वराज्य मिलनेपर भी ऐसी कितनी ही मस्याएँ सरकारसे स्वतन्त्र रहकर चलती रहेगी। उस समय सिर्फ इतना होगा कि इन मस्याओको सरकारी मस्याओसे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी, सरकारी मस्याएँ विरोधी नहीं मानी जायेगी, त्याज्य नहीं मानी जायेगी। तथापि उस समय भी अनेक प्रयोग तो होते ही रहेंगे और उनमें हमारी-जैसी मस्याओके लिए स्थान रहेगा। इसलिए जो विद्यार्थी विद्यापीठके आश्रयमें पढ़ने हैं वे किसी तरह निराश न हो और ऐसा न मानें कि हम जितने वर्ष यहाँ पढ़े हैं, वे सब निष्फल गये।

आज सवेरे मैं जब आश्रम पहुँचा तो एक पोस्टकार्ड आया हुआ था। इसमें महाविद्यालयपर आक्षेप किया गया था। पोस्टकार्डपर लिखनेवालेका नाम-पता कुछ नहीं था। मैं 'नवजीवन' में अनेक बार कह चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम-पता दिये बिना पत्र न लिखे। यह नामूसीकी बात है, इसमें एक प्रकारकी भीरुता है और हमें इसे छोड़ देना चाहिए। जिन विचारोको दुनियाके सामने रखनेकी हमारी हिम्मत न हो, उन्हें भूल जाना, दफना देना ही अच्छा है। तथापि यह प्रथा इस देशमें कितने ही वर्षोंसे चलती आ रही है और कदाचित् आगे भी चलती रहेगी। इसलिए पत्रको मैं पढ़ गया। इसमें लिखा है "आप महाविद्यालयको बन्द क्यों नहीं करते? आपकी आँखें क्यों नहीं खुलती? विद्यार्थी आपको भुलावेमें डालते हैं, यहाँसे निकलनेके बाद बहुत-से विद्यार्थी सरकारी मस्याओमें चले जाते हैं। आप चाहे जो मानें, लेकिन छात्रों और छात्राओको चरखेपर तनिक भी श्रद्धा नहीं है। इसलिए आप विद्यापीठ और उसकी सब मस्याओको बन्द कर दीजिए।" मुझे यह मशहूर मान्य नहीं है, और मैं चाहता हूँ, आपको भी मान्य न हो। दुनियामें किसी भी कामका महत्त्व इस बातसे नहीं आँका जा सकता कि उसमें कितने लोग लगे हुए हैं और उसपर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। इस तरह हिमाव करने बैठे तो भ्रममें पड़नेका भय रहता है। इस देशमें आत्म-शुद्धिकी प्रवृत्ति चल रही है — हमने असहयोगको दुनियाके सामने आत्म-शुद्धिके प्रयत्नके रूपमें ही पेश किया है — तो ऐसे समय हमारी मस्याओमें विद्यार्थियोंकी मस्या बढेगी, यह मोक्षार्थ ही भूल है। सख्या बढे तो अच्छा है, न बढे तो भी हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और जवतक हममें विश्वास है तवतक हमें इस प्रवृत्तिमें लगे रहना चाहिए।

अगर यह सच हो कि विद्यार्थियोंको चरखेपर श्रद्धा नहीं है तो दुखकी बात है। जिसे चरखेपर श्रद्धा न हो, उसे विद्यापीठका त्याग ही कर देना चाहिए। राष्ट्रीय स्कूलोंके सम्बन्धमें कांग्रेसका प्रस्ताव तो आपको याद ही होगा। उसकी याद मैं यहाँ फिर दिलाता हूँ। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाकी जो व्याख्या की गई है, वहाँ उपस्थित लोगोंको उससे कोई विरोध न था। विरोध मनमें था, परन्तु उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया, ऐसा मानना तो मेरे लिए, उनके लिए, उनके देशके लिए अप्रतिष्ठाकी बात है। इतने अधिक बुद्धिमान, स्वतन्त्रचेत। और प्रौढ व्यक्ति जो नम्रता दे, वह नम्र मनसे नहीं दी गयी है, हार्दिक नहीं है, ऐसा मैं कैसे मान सकता हूँ? इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस व्याख्यासे हजारों व्यक्ति सहमत थे। अब काठियावाड़ परिषद्ने भी यह व्याख्या स्वीकार कर ली है। यह व्याख्या क्या है? राष्ट्रीय विद्यामन्दिरकी गिनतीमें वही पाठशाला आ सकती है, जिसमें चरखेका काम चलता है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी आधा घटा चरखा चलाते हैं और दोनों हाथ-कंठे मूतमें वनी खादी ही पहनते हैं, जिसमें शिक्षाका माध्यम मातृभाषा अथवा हिन्दुस्तानी है, जिसमें व्यायामको पूरा-पूरा स्थान है, जिसमें आत्म-रक्षाकी भी शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानोंको एक-हृदय बनानेके लिए प्रयत्न किया जाता है और जिसमें अन्त्यजोंको किसी भी तरहसे बहिष्कार नहीं किया जाता है। कांग्रेसने राष्ट्रीय विद्यामन्दिरकी यह व्याख्या की है। इसलिए मैं जब कहता हूँ कि जिन्हें चरखेपर श्रद्धा न हो उन्हें विद्यापीठके अधीन चलनेवाली सभी संस्थाओंका त्याग कर देना चाहिए तो आप यह न मानें कि मैं कुछ बढ़ा-बढ़ाकर कह रहा हूँ। इसमें प्रगति निहित है। ऐसा करनेमें मालूम हो जायेगा कि हम किस दिशामें जा रहे हैं और कितने स्त्री-पुरुष तथा छात्र-छात्राएँ हमारे साथ हैं।

मेरा ध्यान 'सावरमती' में 'प्रकाशित एक लेखकी टीकाकी ओर आकर्षित किया गया था। उसमें उठाई गई कुछ शिकाएँ निराधार हैं, क्योंकि उनमें मुझपर जो विचार रखनेका आरोप है, वे मेरे हैं ही नहीं। चरखेको विद्यार्थी अपना मारा समय दे, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। मेरे विचार ऐसे हैं ही नहीं, सो बात नहीं। मैं यदि विद्यार्थियोंको और देशको समझा सकूँ कि यही बात देशके लिए उत्तम है तो अवश्य कहूँ कि आप मारा समय चरखा चलानेमें लगायें। लेकिन आज मैं यह बात देशको समझा नहीं सकता। आज मैं स्वयं ही यह नहीं कर सकता। मैं स्वयं सारा समय चरखा चलानेमें लगा सकूँ तो देशमें और विद्यार्थियोंमें भी कहूँ। मेरी आकांक्षा यह अवश्य है कि मैं हिन्दुस्तानको बता सकूँ कि चौबीस घंटे चरखा चलानेमें ही शुद्ध विद्या निहित है। वैसे तो यदि हम किसी भी स्वच्छ वस्तुको लेकर बैठ जायें और उसमें एकाग्रता प्राप्त करें तो उसमें भी शुद्ध विद्या है ही। कारण, इस तरह हम यागकी भावना करने हैं। लेकिन अभी मैं यह बात नहीं कहता। अभी तो मैं विद्यार्थियोंमें उतना ही कहता हूँ कि आप श्रद्धापूर्वक, आनन्दमें चरखा चलायें, अच्छी तरह जाने तथा चरखा चलानेकी सच्ची नीयत के साथ जितनी आतुरता व प्रेम आप

दूसरी किसी विद्याके सम्बन्धमे रखते हैं, उतनी ही उसके सम्बन्धमे भी रखे। वार्कीका सारा समय अन्य विषयको दे, इसके खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं तो आपसे सिर्फ उतना ही मांगता हूँ कि जो कीजिए, श्रद्धापूर्वक कीजिए, बेगार न टालिए।

दूसरा आक्षेप यह है कि मैंने एक समय कहा था कि विद्यापीठको ऐसा पाठ्य-क्रम गढ़ना चाहिए जिससे आपको आजीविका मिले और यहाँ उसीको चलाना चाहिए। यह बात मैं अभी भी कहता हूँ। लेकिन विद्यापीठके लिए और आपके लिए भी यह मुख्य उद्देश्य नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर विद्याको आप केवल आजीविकाका साधन मानने लगेंगे तो यह किसी समय आपकी अधोगतिका कारण सिद्ध होगा। विद्याकी जो व्याख्या विद्यापीठने स्वीकार की है, वह यह है कि जो मुक्ति दे, वही विद्या है। इसलिए ऐसे आदर्शवाली मस्थामे केवल आजीविकाको ध्यानमे रखकर विद्या ग्रहण करना उचित नहीं। आजीविकाके अनेक साधन हैं। विद्या तो तन, मन और आत्माकी उन्नतिके लिए है। जिसके अग मुघड है, शरीर मुख्यवस्थित और मजबूत है, जो सरत गरमी और सर्दी सहन कर सकता है, जिसमे ऐसी प्रबल सकल्प-शक्ति है कि वह निश्चित किया हुआ काम कर सकता है, जो सयमी है, जिसकी आत्मा स्वच्छ है—इतनी स्वच्छ कि वह कह सके कि मैं अपने हृदयका सूक्ष्म स्पन्दन भी मुन सकता हूँ और चूँकि आत्माका स्थान हृदय है इसलिए उसका हृदय भी स्वच्छ होना चाहिए—उमीने मच्छी विद्या मीखी है। ये तीन वस्तुएँ जिसने प्राप्त कर ली हैं उसे आजीविकाका पाठ सीखनेकी जरूरत क्यों होनी चाहिए, आजीविकाके लिए चिन्ता क्यों होनी चाहिए? ऐसे लोगोंको तो विश्वास होना चाहिए कि जिसने दाँत दिये हैं, वह चवानेको भी कुछ देगा ही। मुझसे कहा गया है कि विद्यार्थियोंको घर-ससार चलाना होता है, उन्हें दो-दो तीन-तीन जनोका पोषण करना होता है। पोषण करना होता ही तो ही, पोषण करना भी चाहिए और उसे करनेमे बहादुरी भी है, लेकिन उपर्युक्त वस्तुओंको माननेसे ही आजीविका मिल जाती है, आजीविका ढूँढनेसे नहीं मिलती। आजीविका मिल सके, ऐसी व्यवस्था तो विद्यापीठ आज भी कर रहा है। यदि विद्यापीठ ऐसा आश्वासन दे अथवा यह पत्र लिख दे कि विद्यार्थीको विद्यापीठसे निकलनेपर तुरन्त ही तीन सौ अथवा तीस रुपये वेतन मिलने लगेगा तो यह आपको अपग बनाना होगा। वादमे आप देश-सेवा नहीं कर सकते, तब आपसे पुरुषार्थ भी नहीं होगा। विद्यापीठ तो आपको केवल मुसीबतके आगे टिके रहनेकी, उससे निकल जानेकी शक्ति देता है। वस्तुतः देखा जाये तो विद्यापीठ आपको कुछ भी नहीं दे सकता, वह तो आपमे जो-कुछ होगा, उसीको विकसित कर सकेगा। इसलिए आप आजसे यह माने कि विद्यापीठमे आकर आपने कुछ खोया नहीं है, कुछ खोनेवाले भी नहीं है।

विद्यापीठका और महाविद्यालयका भविष्य क्या है और उन्हें किस मार्गपर ले जाया जाये, महामात्रने मुझसे इसके बारेमे सुझाव देनेके लिए कहा है। इसके बारेमे कुछ भी सुझाव देना मेरी शक्तिके बाहर है। इस वर्ष हिन्दुस्तानमे वातावरण क्या स्वरूप धारण करेगा, सो मैं नहीं जानता। मुझे आशाएँ तो बहुत हैं। मैं आशावादी हूँ और मरणपर्यन्त आशावादी रहूँगा। लेकिन इस समय मैं आपके सामने इन



आगाओको रखूँ, यह उचित नहीं है। आपसे तो इतना ही कहूँगा कि विद्यापीठका भविष्य क्या होगा, इसके प्रपचमें आप विद्यार्थी लोग न पडे। आप मान ले कि आप जो विद्यापीठमें हैं सो उचित ही है, सरकारी स्कूलोंमें जाना उचित नहीं है और सचमुच जो शिक्षा मिलनी चाहिए वह वर्तमान स्थितिमें वहाँ मिलनेवाली नहीं है। आपके मनमें जबतक यह बात है कि सरकारी स्कूलोंसे हिन्दुस्तानको जो चाहिए वह नहीं मिला है और न आगे मिलनेवाला है, तभीतक आप विद्यापीठमें रहे। यदि आपको लगे कि सरकारी सस्थाओंमें यह सब मिल जाता है तो आपका सरकारी सस्थाओंमें जाना ही ठीक है। उस हालतमें आपको इस झझटमें पडनेका कोई कारण नहीं कि विद्यापीठका भविष्य क्या होगा। सरकारी पाठशालाओंके सम्बन्धमें आपके मनमें दृढ़ विराग होना चाहिए। विराग होना अर्थात् उन पाठशालाओंके बारेमें आपमें त्यागवृत्ति हो, राग नहीं। जबतक राग होगा तबतक आप विद्यापीठकी सरकारी स्कूलोंके साथ तुलना करने ही रहेंगे। हर समय मनमें कहेंगे कि वहाँ इतनी सुविधाएँ हैं और यहाँ वे नहीं हैं। विद्यापीठमें सुविधाएँ नहीं हैं, यही इसकी विशेषता है। अगर यहाँ भी सुविधाएँ जुटा देंगे, तो फिर हम मुसीबतोंको लावना नहीं सीख सकेंगे। अथवा यो कहे कि यहाँ भिन्न प्रकारकी सुविधाएँ हैं अतः यहाँ कुछ विशेषता तो होनी ही चाहिए। सरकारी स्कूलोंके साथ इस विद्यापीठके स्कूलोंकी तुलना तो की ही नहीं जा सकती। इतनी ही बात यदि आपके मनमें घर कर जाये तो फिर विद्यापीठका भविष्य क्या होगा, इसकी आपको क्या चिन्ता? आप अपना कर्तव्य-पालन करके इतना कह सकें कि हमने स्वराज्यकी लड़ाईमें पूरी-पूरी मदद की, यही पर्याप्त है। इससे अधिक जाननेका आपको और मुझे अधिकार नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जबतक विद्यापीठ स्वराज्यकी लड़ाईमें सहायक होगा—तबतक वह चलेगा, जब स्वराज्यकी लड़ाईमें सहायक नहीं होगा, उम्मीदमय इसका नाश हो जायेगा। और तब अगर उसका नाश हो तो उसमें बुरा क्या है? बल्कि तब उसका नाश इष्ट ही है। हिन्दुस्तानके स्वराज्यका भविष्य ही विद्यापीठका भविष्य है।

हमें जो अच्छा लगता है, वही हमें हितकर नहीं होता। मैं बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी मुझे लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, वह सब मेरे लिए हितकर नहीं होता। अनएव, अनेक बातोंमें हमें बड़ोंकी सलाह लेनी पडती है। इसीमें हमारे यहाँ यह प्राचीन प्रथा चल रही है कि गुरुकी आज्ञा करके उसकी शरण लो, उसका आधार लो, उसकी गाँदमें सिर रखकर कहो कि आप अपनी इच्छानुसार मुझे चलाये, आपको जो अच्छा लगे सो हमारी बुद्धिमें भरे। आजकल तो वैसा गुरु कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए आज ऐसे स्वार्पणकी बात नहीं उठती। यहाँ तो मात्र ऐसी श्रद्धाकी ही जरूरत है कि शिक्षक हमें अच्छे मार्गकी ओर प्रेरित करते हैं, बुरे मार्गकी ओर नहीं। अनेक बन्नुएँ जारम्भमें कटवी होती हैं, लेकिन उनका फल अमृतमय होता है, ऐसी श्रद्धा रखकर आप कटवे घंट भी पी जाये। यही मेरी सलाह है और मेरी विनती है।

अब मैं फिर, आपने जो प्रतिज्ञा ली है, उसपर वापस आना चाहता हूँ। भाई जाठरलेने' जो प्रार्थना पडी है, उसकी ओर भी आपने ध्यान दिया होगा। दोनों

वस्तुएँ बहुत सामान्य थी। जो वस्तु सामान्य होती है, उसमें कितना जोर होता है, नो रम नहीं देग सकते। किसी चित्रकारने भले ही कोई बहुत मामूली चित्र बनाया ही, उसे देखकर हम वाह-वाह कर उठते हैं। कारण, हमे आदत ही ऐसी पडी हुई है। लेकिन हमारे निरके ऊपर जो भव्य चित्र है, उगकी कोई कद्र नहीं करता। यह विशाल आकाश और उसमें जगमगाते तारे व चन्द्र, मूर्योदय और सूर्यास्तके समय उभरनेवाले अनेक रग, यह नव तीन चितेग चित्रित कर सकता है? तथापि हम उम पर ध्यान नहीं देते। कारण, हमारी दृष्टि नीचे ही नीचे रहती है और मामूली चित्रों पर हम मुग्ध हो जाते हैं। यह दयनीय स्थिति है। इसलिए आपने आज जो प्रार्थना पुनी है और जो प्रतिज्ञा महामात्रने आपसे ङाई है, सम्भव है, उमके रहस्यको आप समझ नहें हो। उनपर आप बार-बार मनन कीजिएगा, प्रतिज्ञाका पालन कीजिएगा। उन प्रार्थनामें रहे गये भव्य मंत्रोंमे वह पोषण मिलता है, जा भाषणों और लेखोंसे नहीं मिलता। यह माताके दूध-जैनी स्वाभाविक गुगक है। यदि माता बच्चेको अपना दूध न दे और दूमरी स्त्री उमे तरह-तरहकी अन्य गुगके दे ता उमका क्या परिणाम होगा? कोई वाक्य जीवित न बचेगा। ये सामान्य वस्तुएँ ही अमृतके समान हैं। और यदि हम अपने पूर्वजोंकी उन विगसतपर मनन करें, उमे हृदयमे उतारें, उमके अनुनाग आचरण करें तो हमारा जीवन नार्थक है। आप मेरे भाषणको भूल जाये, और नव-कुछ भूल जाये, परन्तु डम प्रार्थनाके मंत्रोंको तथा अपनी प्रतिज्ञाको न भले तो माना जायेगा कि आपका और मेरा समय निरर्थक नहीं गया।

[गुजरातीमे]

नवजीवन, १८-१-१९२५

## ४३२. तार : सुरेन्द्रनाथ विश्वासको'

[१५ जनवरी, १९२५ या उमसे पूर्व]

सम्मेलनमें शामिल होनेको उत्सुक हूँ। कृपया फरवरीके अन्तमें याद दिग्रा दें।

गाधी

[अंग्रेजीसे]

अमृत बाजार पत्रिका १६-१-१९२५

## ४३३. मेरी आस्था

राजगोपालाचारीकी ओरसे यह अयाचित घोषणा<sup>१</sup> सुनकर मेरे हृदयको बड़ी राहत मिली है। पाठक जानते हैं कि उनकी विवेकशीलता और परखका मैं कितना सम्मान करता हूँ। उनको सन्देहो और आगकाओमे उलझा देखकर मेरा मन बड़ा दु खी था। चरखा-कार्यक्रममे 'सत्यके साथ खिलवाड करना' की कोई बात नहीं है, क्योंकि सत्याग्रह मुख्यतः सविनय अवज्ञा नहीं, बल्कि शान्त मनसे सत्यका अडिग अनुगमन है। सविनय अवज्ञाका रूप तो वह कभी-कभी ही<sup>२</sup> धारण करता है। लेकिन, जहाँ बहुत सारे कार्यकर्त्ताओ द्वारा सविनय अवज्ञा करनेका सवाल हो, वहाँ इस राहपर चलनेसे पूर्व उन्हें जान-बूझकर, अपनी इच्छासे आज्ञा-पालन करना सीखना चाहिए। चरखा स्वेच्छापूर्वक आज्ञापालन ओर शान्त प्रयत्नशीलताका मूर्त रूप है, इसलिए सविनय अवज्ञासे पहले उसे सफल कर दिखाना नितान्त आवश्यक है। जबतक इस बातका पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि सविनय अवज्ञाके लिए उपर्युक्त वातावरण तैयार हो गया है तबतक मनमे उसका कोई खयाल भी लानेमे मुझे ऐसा लगता है कि यह सत्यके साथ खिलवाड करना होगा। इसीलिए मुझे चरखेके कार्यक्रमपर और स्वराज्यवादियोंके सामने तो क्या, सभी सम्बन्धित लोगोंके सामने पूर्ण आत्म-समर्पण करनेका आग्रह रखना ही है, भले ही मेरे साथ फिर अँगुलियोपर गिनने लायक कार्यकर्त्ता ही रह जाये। हमे सविनय अवज्ञाकी आठमे हिंसापूर्ण अवज्ञाको पनपनेका मौका नहीं देना चाहिए। चीरी-चागकी मीस मेरे मनमे उतनी गहरी उतर चुकी है कि उमे आसानीसे भुलाया नहीं जा सकता। बारडोलीके निर्णयको लेकर मेरे मनमे कोई खेद होना तो दूर, मैं तो उमे देखके प्रति की गई अपनी मवसे बड़ी सेवाओमे से एक मानता हूँ।

[अग्रेजीमे]

यग इटिया, १५-१-१९२५

## ४३४. नोटिस ?

मुझे बेलगांवमे निम्नलिखित नोटिस दिया गया था

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले हम, महाराष्ट्र प्रान्तकी कोलावा जिला कांग्रेस कमेटीके प्रतिनिधिगण, अपने जिलेकी विशेष परिस्थितिकी ओर आपका ध्यान दिलानेकी अनुमति चाहते हैं। कोलावा जिलेमें न तो कपास ही पैदा होती है और न वह कपासके किमी केन्द्रके नजदीक ही है। इसलिए स्वभावतः कताईकी तरफ वहाँके लोगोंका झुकाव नहीं है। यहाँतक कि असहयोगके शुरूके दिनोंमें भी बड़ी मुश्किलमे वहाँ कुछ चरखे चलाये गये थे, सो भी कुछ ही महीने चल पाये।

१. देखिए परिशिष्ट २।

सो इन सब तथ्योंपर खूब अच्छी तरह विचार करके कोलावा जिला कांग्रेस कमेटीने पिछले सितम्बर माहमें एक प्रस्ताव पाम किया, जिसका आशय यह था कि इस जिलेमें कताई-सदस्यता सफल नहीं हो सकती और कांग्रेसके विधानमें उसका समावेश हो जानसे जिलेकी प्रायः तमाम समितियोंका अस्तित्व खतरेमें पड जायेगा, इसलिए कांग्रेस द्वारा कताई-सदस्यताके स्वीकृत होते ही हम आपको शीघ्रसे-शीघ्र सूचित करते हैं कि हममेंसे बहुतेरे लोगोंने, उन प्रस्तावके हकमें जो राय दी है या उसके खिलाफ राय देनेसे अपने-आपको रोका है, उसकी वजह यही थी कि एक तो स्वराज्य दलने इसे अपने दलका नवाल बना लिया था और दूसरे, कांग्रेसमें एकता बनाये रखनेके खयालसे ऐसा रज अपनाना लाजिमी हो गया था। लेकिन इसपर अमल करना हमारे लिए मुश्किल है। हम पहलेसे आपको खबर किये देते हैं, जिससे आपको हताश न होना पड़े।

इसपर २७ दिसम्बरकी तारीख पडी ह और १० मद्रम्योके दन्तवत है, जिनमे महापति और मंत्री भी शामिल हैं। मुझे आगा है कि ये महाग्य अपनी धमकीको कार्यरूपमे परिणत नहीं करना चाहेंगे। अगर इन मज्जनोंने अनुगामन या एकताके खयालसे ही कताईवाले प्रस्तावके पक्षमे राय न दी हो या उसके मन्वन्वमे तटस्थ रहे हो तो मैं उन्हें यह वताना चाहता हूँ कि खिलाफ राय न देने या तटस्थ रहनेसे ही अनुगामन या एकताकी शर्त पूरी नहीं हो जाती। अनुगामनका वास्तविक पालन तो तभी हो सकता है, जब प्रस्तावपर नच्चे मिपाहीकी तरह आज्ञा-पारनकी भावनासे अमल किया जाये, भले ही वह बुद्धिको ठीक न जँचता हो। 'ग्राइड त्रिगेड' ने — जिसकी अविस्मरणीय वीरताको टेनीसनने प्रशिक्ष कर दिया है — ऐसी ही भावनासे काम लिया था। वोअर-युद्धमें उन मिपाहियोंने भी उमी भावनाका परिचय दिया था, जो यह जानते हुए भी कि हम मीतके मुँहमे जा रहे हैं, बराबर अपने जनरलके पीछे-पीछे गये और वोअरकी गोलियाँ खाते हुए स्पिअनकांपकी पहाडियापर पेत रहे। जनरलके डम प्रस्तावपर कि पहाडीपर कन्जा कर लिया जाये, यदि वे कठ-पुतलियोंकी तरह 'हाँ' कह देते तो उसका कोई महत्त्व न होता, बल्कि यह चीज उनके लिए अप्रतिष्ठाका कारण बन जाती। वे उमीलिए यूरवीरोंकी श्रेणीमे प्रतिष्ठित हो गये कि उन्होंने मनमे हिचक होते हुए भी ऐसा साह्न दिखाया, जो प्रवचनमे विद्वानने ही सम्भव होता है। याद रखनेकी बात यह है कि उन्हें ऐसी शक्ति मिली थी, जिनमे पराजय विलकुल निश्चिन था। लेकिन यूरवीरोंका उदय ता पराजय नामने दिवने-पर ही होता है। किमीने ठीक ही कहा है 'गौरवपूर्ण पराजयके प्रथमो परिणति ही सक्रता है'। इसलिए अगर मायके जन्ममे मद्रम्यताकी यह नई शर्त विकृत साहित

१ रुम तथा मित्र देश तुर्की, इन्ड, फ्रान और म डिनिदात चीर (१८५३-५८) हुए क्रान्तिवादी लड़ाईमें लाउ मिनेउने नेतापतिके प्यारेसे अपने-आपको आा जगती शैविकि मुन्को गौर दिवा था। ऐसी घटनाको टेनीसनने अपनी कवितामें प्रशिक्षि प्रथम की।

हो जाये, तो भी हर्ज क्या ? यदि कांग्रेस-जन इस बातका खयाल किये बिना कि वे किस दलके हैं और इस बातसे सहमत हैं अथवा नहीं, इसे सफल बनानेके लिए जुटकर कार्य करे तो वह असफलता भी एक गौरवपूर्ण असफलता होगी।

अगर लोगोका इरादा प्रस्तावके अनुसार काम करनेका नहीं था तो यह कहना भी, जैसा कि हस्ताक्षर-कर्त्ता सज्जनोने कहा है, गैरमुनासिब है कि बहुत-से लोगोने सिर्फ एकताके खयालसे उस प्रस्तावके हकमे राय दी थी। एकता इतनी आसानीसे हासिल नहीं हो सकती। एकता कोई ऐसी चीज नहीं जो मात्र-दिखावेके लिए हो और जिसे कागजपर महज प्रस्तावके रूपमे लिख देनेसे काम चल सकता हो। एकता तो तभी कायम हो सकती है जब प्रस्तावके अनुसार ठोस काम करके दिखाया जाये। विधान सभाओपर मेरा विश्वास नहीं। पर मेरे दूसरे साथियोको उनपर विश्वास है, इसलिए मैंने उन्हें कांग्रेसके नामका इस्तेमाल करनेकी इजाजत दे दी है। पर अब अगर मैं दिलमे कुछ महमूस कहुँ और मुँहसे कुछ ओर कहुँ या कलमसे कुछ और लिखूँ तो मैं एकतामे सच्चा विश्वास रखनेवाला नहीं, बल्कि पाखण्डी साबित होऊँगा। कौंसिल-प्रवेशका अधिकार देनेवाले प्रस्तावके हकमे एक बार राय दे चुकनेके बाद मुझे चाहिए कि मैं स्वराज्यवादियोका भला मनाऊँ। मुझे अपने किसी भी कामसे उनके कार्यक्रमको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। यही नहीं, बल्कि जहाँ-कहीं मुझसे हो सके, अपनी पूरी शक्तके साथ उन्हें मदद भी पहुँचानी चाहिए, और यदि इतने पर भी उन्हें असफलता मिले तो उन्हें यह कह सकनेका मौका नहीं देना चाहिए कि वे इसलिए नाकामयाब हुए कि हमने पहलेसे परस्पर निर्धारित मर्यादाके अन्दर भी उन्हें मदद नहीं दी। फर्ज कीजिए कि अपरिवर्तनवादी किसी भी तरहसे स्वराज्य-वादियोका काम न बिगाड़े तो उस हालतमे यदि वे असफल भी हो तो वह असफलता — एक तरहकी सफलता ही होगी, क्योंकि तब हमे अपने ध्येयतक पहुँचनेका दूसरा रास्ता मिल जायेगा। ठीक इसी तरह, यदि देशके तमाम दल कताईकी शर्तको सफल बनानेमे अपनी पूरी शक्ति लगाकर देखे और फिर भी सफलता न मिले तो हम सब उमे स्पष्ट रूपमे महमूस कर सकेंगे, और अपनी हार कबूल करते हुए सब मिलकर नफरतके लिए कोई और मार्ग निकालनेकी कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि हम सचमुच तुले हुए हो तो हम अवश्य ही असफलताओके बीचमे अपनी मजिलतक पहुँचनेका मार्ग पा जायेंगे।

कोलावाके उन सज्जनोकी कठिनाई है क्या ? वह खुद उन्ही की पैदा की हुई तो है। अगर खुद उनके जिलेमे कपाम पैदा नहीं होती तो वे खरीद लें। कोलावा मैचेंटरकी अपेक्षा बम्बईमे कही नजदीक है। क्या उन्हें यह जानकर ताज्जुब न होगा कि मैचेंटरके आनपाम कपामका एक टेंट भी नहीं फटना, पर वहाँके लोगोको कपाम बाहरमे मँगाने, धुनने और कातनेमे जरा भी दिक्कत महमूस नहीं होती ? मैं कोलावाके उन मित्रोको यकीन दिलाता ह कि ऐसा करनेमे उन्हें मैचेंटरके लोगोके मनावले जायी परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। उनका दिल बढानेके लिए मैं यह भी कह देता हूँ कि यदि उन्हें कपाम मँगाने और धुनने तथा कातनेकी उच्छा न हो तो

कांग्रेसके प्रस्तावने उन्हें यह छुट्टी दे रानी है कि वे आवश्यक हाथ-कता सूत खरीद कर कांग्रेसको दे दे । क्या वे सूत खरीदना चाहते हैं ? यदि सूत हाथ-कता हो और एक-सा तथा मजसूत हो तो खरीदकर देना भी बुरा नहीं रहेगा ।

[अंग्रेजीमें]

यग इडिया, १५-१-१९२५

## ४३५. शाबाश !

देशबन्धुने लॉर्ड लिटनके पित्राफ हालमें जो हाथ दिखाया है, वह सचमुच कमालका है । उनकी बीमारी और फिर कॉमिल हॉलतक टोलीपर उनका पहुँचाया जाना — उन बातोंने उनकी शानदार जीतमें एक नाटकीयता पैदा कर दी है । बीमारीकी हालतमें उनकी वहाँ मीजदगी अपने-आपमें इतना कुछ-कह गई कि प्रभाव शालीसे-प्रभावशाली भाषण भी उतना कारगर नहीं हो सकता था । यदि लॉर्ड लिटनमें काफी सूझबूझ और खिलाडियोंके योग्य भावना हो तो उनको इतनी बार मात खानेके बाद अब अध्यादेश वापस ले लेना चाहिए, कँदियोंको रिहा कर देना चाहिए और वे जो ऐमा मानते हैं कि बंगालमें हत्याका पड्यत्र चल रहा है, उस पड्यन्त्रसे निवटनेकी जिम्मेदारी उन लोगोपर छोड़ देनी चाहिए जिन्होंने देशबन्धुके पक्षमें मतदान किया है । बंगाल-कौंसिलने उनके विरुद्ध मतदान किया है, इसपर उनको शिकायत नहीं करनी चाहिए । लोक-निर्वाचित विधान सभाओका सार-तत्त्व यही है कि उनका निर्माण करनेवाली सरकारको अपने अस्तित्वके लिए उनके विवेकशील समर्थनपर ही निर्भर रहना चाहिए । विधान-सभाएँ कभी-कभी हठधर्मी या मूढता कर सकती हैं या कभी-कभी सरकारके प्रति उनका भाव सन्देहका हो सकता है । वैसी हालतमें सरकारको तदवतक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए जबतक कि वे उसके दृष्टिकोणकी हामी न हो जायें और डम बीच कुशासन या उससे भी बुरी स्थिति पैदा होनेके खतरे उठा लेने चाहिए । हमें यह उम्मीद क्यों करनी चाहिए कि लोक-निर्वाचित विधान सभाएँ निरकुश शासनके दोषोसे मुक्त ही होगी ? लॉर्ड लिटन ऐसा कोई दावा नहीं करते कि उन्होंने जो-कुछ किया है उससे देश राजनीतिक अपराधोसे सर्वथा मुक्त हो जायेगा । लेकिन मुझे बहुत आशका है कि भारतीय पत्रकार आदि जो सुन्दर-सटीक तर्क पेग कर रहे हैं, उनसे लोकमतकी अवहेलना करनेकी आदी इस सरकारके कानोपर जूँ-तक नहीं रहेगी, हालाँकि उन सभीने लगभग एक स्वरसे लॉर्ड लिटनकी नीतिकी निन्दा की है । इसीलिए मैं भारतीय लोकसेवी जनोसे कहता हूँ कि यदि वे अपने तर्कोंमें बल पैदा करना चाहते हैं तो उनको चरखा चलाना चाहिए । राष्ट्रको यही एक रचनात्मक शक्ति सहज-सुलभ है । देशबन्धु दासने बंगाल-कौंसिलमें जो अनुशासन स्थापित कर दिया है, उसका बड़ा जवरदस्त प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तभी, जब चरखा घर-घरमें प्रतिष्ठापित हो जायेगा और उसके फलस्वरूप, विदेशी वस्त्रोका

वहिष्कार एक वास्तविकता बन जायेगा, उससे पहले नहीं। काश समूचा राष्ट्र इस एक रचनात्मक कार्यका श्रेय ले सकता।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-१-१९२५

## ४३६. काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्

काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्को मैंने यह सलाह यो ही नहीं दे दी थी कि वह ऐसी शिकायतको लेकर प्रस्तावपर-प्रस्ताव पास करने न बैठे, जिनको दूर करानेके तरीकेपर अमल करना प्रतिनिधियोंके वशके बाहर हो, भले ही उनके पास ऐसे प्रमाण हों, जिनसे जनताको उन शिकायतको सही होनेका विश्वास दिलाया जा सकता हो। मैंने उनसे कहा कि परिषद्में पहले सार्वजनिक सेवा और त्यागकी भावनाका विकास करे और फिर शिकायतको दूर करानेके लिए प्रयत्न प्रारम्भ करे। तब आप उन भिन्न-भिन्न मामलोसे, जो आपको बहुत खटकते हैं और जिनके बारेमें आपको शिकायत है, निवटनेमें कही अधिक समर्थ हो पायेंगे। शान्तिपूर्ण प्रतिरोधका यही तरीका है। विषय-समितिके इस सलाहको बिना किसी हिचकिचाहटके स्वीकार कर लिया। परन्तु परिषद्के मंचालको द्वारा तैयार किये गये कताई-सदस्यता सम्बन्धी प्रस्तावपर दिलचस्प बहस हुई। पर वह बहुत भारी बहुमतसे पास हो गया। यह प्रस्ताव कांग्रेसके प्रस्तावसे एक बातमें भिन्न है। इस प्रस्ताव द्वारा हर बुनियादी सदस्यके लिए विशेष राजनीतिक आयोजनोंके समय ही नहीं, बल्कि सदा-सर्वदा खादी पहनना लाजिमी बना दिया गया है। यहाँ सगठनके अनुशासनके खयालसे राय देनेकी कोई बात न थी। हर मंस अपनी मर्जीके मुताबिक राय देनेके लिए आजाद था।

अब यह देवना है कि इस प्रस्तावपर अमल किस तरह होता है। हर शस्स इस बातको तन्मयी करता हुआ दिखाई देता था कि इसकी सफलता उन मुख्य कार्यकर्ताओंके उत्साह, लगन और कार्य-क्षमतापर निर्भर है जो इस प्रस्तावको पास करानेके जिम्मेवार हैं।

### सर प्रभाशकर कातेगे

इस परिषद्में सबसे अधिक अद्भुत बात तो सर प्रभाशकर पट्टणीकी यह प्रतिज्ञा थी कि वे गाना खानेके पहले कमसे-कम आधा घटा रोजाना कातेगे — सिवा उम बच्चेके जब वे उतने बीमार हों कि चरना चला ही न सके। उन्होंने सफरमें भी इससे छूट न लेनेकी ठानी है। उनका कहना है और वह ठीक ही है कि वे पहले दर्जमें नफर करते हैं और उसलिये नफरमें चरवा साथ ले जानेमें और कातेनेमें भी उन्हें कोई दिग्गन पैश नहीं आनी चाहिए। सर प्रभाशकरके लिए यह एक बड़ा भारी बदल है। मुझे आशा है कि वे अपने निश्चयपर जल्द अमल कर पायेंगे। उनके उन उमाहरणमें काठियावाड़में नताई-आन्दोलनका बड़ा उन्नेजन मिलेगा। यह कहनेकी तां तांई आवश्यकता ही नहीं कि काठियावाड़-माममें शामिल होनेकी उनमें तांई आशा

नहीं करता। मैं यह खुलासा करनेके लिए उत्सुक था कि यद्यपि कातनेका एक राजनीतिक पहलू है तो भी हरएक कातनेवालेको उसके राजनीतिक पहलूसे सम्बन्ध रखनेकी जरूरत नहीं। यदि राजा लोग और उनके मंत्री मिसाल पेश करनेके लिए और प्रजाके साथ अपने तादात्म्यके चिन्ह-स्वरूप काते तो मैं उसे ही काफी मानूंगा। काठियावाडके किसानोको खूब फुरसत रहती है। लोग गरीब है। और यदि राजे-रजवाडो और उनके प्रतिनिधियोके द्वारा कातनेका रिवाज चलाया जाये तो आम लोग भी, जिनपर वे शासन करते हैं, उसे अपना लेंगे और इससे राष्ट्रीय सम्पदामे भरपूर वृद्धि होगी। व्यक्तियोपर चाहे इस वृद्धिका असर स्पष्ट मालूम न हो, लेकिन लोगोपर समष्टि-रूपसे उसका असर काफी बडा होगा।

पाठक यह जानना चाहेगे कि सर प्रभाशकरने यह प्रतिज्ञा क्यों और कैसे की थी। वे दर्शककी हैसियतसे विषय समितिमे आमन्त्रित होकर आये थे। कातनेका प्रस्ताव पास हो जानेपर, मैंने सदस्योको कातनेवालामे नाम लिखानेके लिए आमन्त्रित किया। मैंने उनसे कहा कि बेलगाँवमे दूसरे लोगोके साथ मैंने भी अपने सिर यह भार लिया था कि पहली मार्चके पहले-पहले, प्रतिमास २००० गज सूत कातनेवाले १०० सदस्य बनाऊंगा, मैंने यह भी कहा कि “अनिच्छुक” लोगोमें से दो कातनेवालोको तैयार करूंगा, मैंने श्रोताओसे यह भी कहा कि बेलगाँवमें जब मैंने यह बीडा उठाया, मुझे आशा थी कि ये १०० सदस्य मुझे काठियावाडसे मिल जायेंगे और इच्छा न होनेपर भी कातनेवाले दो सदस्योमे एक सर प्रभाशकर मेरे खयालमे थे। यह सुनते ही सर प्रभाशकर फौरन खडे हुए और हर्ष-ध्वनिके बीच बडे सकल्पके साथ उन्होने अपना पूर्वोक्त निश्चय प्रकट किया।

सर प्रभाशकरका शिक्षक मुझे ही बनना था। यह लिखते समयतक उन्हें सिर्फ तीन बार अभ्यास कराया गया है। तीसरे ही दिन वे २ घटेसे भी कम समयमें ८ नम्बरका एक-सा और अच्छा बटा हुआ ४८ गज सूत कात सके थे। सच बात तो यह है कि पहली बार ही आध घटेके अभ्याससे वे तार निकालने लगे थे। इसके बाद उन्होने कहा कि अब चरखेके साथ मुझे कुछ देर अकेले ही जूझने दीजिए। मुझे आशा है कि दूसरे राज्याधिकारी और मंत्री भी सर प्रभाशकरके इस सुन्दर सकल्पका अनुकरण करेगे, जो खुद उनके लिए भी और उनके अधीनस्थ प्रजाजनोके लिए भी लाभदायक है।

### रईका सग्रह

रईका केन्द्र होनेके कारण भावनगरमें उन गरीब कातनेवालोको, जो आध घटेकी मजदूरी देनेपर राजी हो सकते हैं, लेकिन जो रई नहीं दे सकते और न माँग ही सकते हैं, रई देनेके लिए कपास सग्रह करनेका भी निश्चय हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि २७५ मनसे ज्यादा रई इकट्ठी हो गई। दो दिनके माँगनेपर इतनी रई इकट्ठी हो जानेपर कोई बुरा नहीं। यदि जोश ऐसा ही रहा तो काठियावाडमें कताई आन्दोलन खूब चल पडेगा।

[ अग्रेजीसे ]

यग इडिया, १५-१-१९२५



## ४३७. घूमता चक्र

पाठक जानते हैं कि बडो दादा द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर मेरे प्रति बहुत स्नेह-भाव रखते हैं। मैं जो भी कहता या करता हूँ, लगभग सभीको वे पसन्द किये बिना नहीं रह पाते। इसलिए पाठकगण मेरे विचारों और मेरी योजनाओंके उनके अनुमोदनको यदि बहुत अधिक महत्त्व न दे तो उनको इसका पूरा-पूरा हक है। लेकिन पाठक देशके प्रति बडो दादाके उत्साह और उनकी निष्ठाकी सराहना किये बिना नहीं रह सकते। बडो दादा अपने इसी उत्साह और निष्ठाके कारण देशकी राजनीतिमें आनेवाले नये-नये विचारोसे अपना सम्पर्क बनाये रहते हैं। उधर हालमें उन्होंने चरखेके बारेमें मुझे यह लिखा है

सिद्धान्तमें तो नहीं, परन्तु व्यवहारमें अत्यन्त अहमन्य लोगोका एक मूढ विश्वास बन जाता है कि जो काम उनको असाध्य लगता है वह असम्भव है और जो उनको साध्य लगता है वही सम्भव है। नैपोलियनके शत्रु कभी खयाल करते थे कि किसी भी सेनाके लिए शीत ऋतुमें आल्प्स पर्वत पार करना उतना ही असम्भव है, जितना गुब्बारेके सहारे चन्द्रलोककी यात्रा करना; किन्तु नैपोलियनका खयाल इससे भिन्न था। उसकी पैंती दृष्टि देख रही थी कि आल्प्सको पार करना ही इटलीमें प्रवेशका एकमात्र सम्भव साधन है।

इसी तरह हमारे देशके अधिकांश लोग समझते हैं कि चरखा चलाना एक ऐसा सीधा-सादा काम है जिससे राजनीतिक तो दूर आर्थिक स्वतन्त्रताकी ओर भी हमारा एक कदमतक आगे बढ़ना बिलकुल असम्भव है; जबकि दूसरी ओर महात्माजी खयाल करते हैं कि हम जिस ध्येयकी प्राप्तिका प्रयत्न कर रहे हैं, उसे केवल इसी एक साधनसे प्राप्त करना सम्भव है।

बडो दादाने एक पाद-टिप्पणी देते हुए यह भी लिखा है कि शाब्दिक दृष्टिसे चरखा, चक्रका पर्याय है और लाक्षणिक दृष्टिसे घूमते हुए ससार-चक्रका। कवीरके एक भजनमें चरखेका वर्णन उसके इसी लाक्षणिक अर्थमें हुआ है। लेकिन बडो दादाके पत्रका सबसे महत्त्वपूर्ण भाग वह है जिसमें इस कठोर सत्यपर जोर दिया गया है कि सासारिक दृष्टिसे सयाने लोगोको चरखे द्वारा देशकी वास्तविक प्रगति चाहे जितनी असम्भव जान पड़े, किन्तु उसका केवल यही एक सम्भव उपाय है। देश जो कोई अहम राजनीतिक कदम उठा सकता है, उसको यह चरखा-कार्य ही ठोस आधार प्रदान कर सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-१-१९२५

## ४३८. अब्राह्मण

'कॉनिकल' ने ब्रेलगाँवमें हुए अब्राह्मण सम्मेलनके बारेमें मुझसे अपनी सक्रियता या निष्क्रियताका स्पष्टीकरण करनेको कहा है। इस सम्मेलनके सम्बन्धमें कांग्रेसी नेताओकी उपेक्षाकी शिकायतें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ है। अपने सम्बन्धमें तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं ब्रेलगाँवमें जिस कार्यके लिए गया था उसके उचित सम्पादनको ध्यानमें रखते हुए, मुझसे जहाँतक सम्भव था, सभी सम्मेलनमें जानेका प्रयत्न कर रहा था। मुझे बताया गया है कि वहाँ जो अब्राह्मण सम्मेलन किया गया, वह मौलाना मुहम्मद अलीके आमत्रणपर नहीं किया गया था। वह कांग्रेस अधिवेशनकी हदमें भी नहीं हुआ था। जहाँतक मैं जानता हूँ, उसके सम्बन्धमें किसी कांग्रेसीसे सलाह नहीं ली गई थी। सम्मेलनके समय और स्थानकी जानकारी मुझे एक प्रवेश-पत्रसे मिली थी, किन्तु उस तरहके तो, न जाने, कितने प्रवेश-पत्र मेरे पास आते रहते थे। फिर भी मैं उसमें जानेके लिए उत्सुक था और यह प्रयत्न कर रहा था कि अपने दूसरे कार्यक्रमोंको निभाते हुए उसमें जा सकूँ। दुर्भाग्यसे मैं उस समय काममें लगा हुआ था, सो जब सम्मेलन चल रहा था, तब मैं उस कामको छोड़कर उसमें नहीं जा सका। जब मेरा काम खत्म हुआ और मैंने पूछा, तब पता चला कि सम्मेलन तो खत्म हो चुका है। मैं ये बातें केवल यह दिखानेके लिए बतला रहा हूँ कि सम्मेलनके प्रति मैंने कोई अरुचि या अशिष्टता नहीं दिखाई। जो बात मुझपर लागू होती है वही अन्य अधिकांश नेताओपर भी लागू होती है। मेरी रायमें सम्मेलनके सगठनकर्त्ताओका यह कर्त्तव्य था कि वे सम्मेलनका समय मुझसे पूछकर ऐसा रखते जिससे मैं उसमें जा सकता। तब मैं दूसरे कांग्रेसी नेताओका भी वहाँ पहुँचना सम्भव बना देता। मौलाना मुहम्मद अलीके आमत्रणका प्रयोजन केवल इतना नहीं था कि बिना कुछ सोचे-विचारे सभी अन्य सम्मेलन कांग्रेस सप्ताहके दौरान ही आयोजित किये जायें। उसका उद्देश्य तो सब पक्षोंका हार्दिक सम्मिलन था। मैं अब्राह्मण सम्मेलनके सगठनकर्त्ताओपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह दिखानेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि कांग्रेसी नेता यदि सम्मेलनमें जा सकते और उनको उसका मौका दिया जाता तो वे खुशीसे जाते। इन पक्षियोंको लिखनेके बाद मैंने श्री गंगाधर रावका स्पष्टीकरण देख लिया है, इससे स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १५-१-१९२५

## ४३९. सदस्यताकी नई शर्त कार्यान्वित करनेकी विधि

मेरे अनुरोधपर खादी प्रतिष्ठानके श्रीयुत सतीश दामगुप्तने कांग्रेस कमेटियो और कायकर्त्ताओंके लाभार्थ कुछ सूचनाएँ तैयार की हैं। मैं नीचे उनका मक्षेप दे रहा हूँ। कांग्रेस कमेटियोके लिए यह आदर्श नमूनेके तौरपर काम दे सकता है।

सदस्योसे प्राप्त होनेवाले सूतके कोटेको एक जगह जमा करने और बाहर भेजनेके लिए ताल्लुका कमेटियो या सदस्य बनानेवाली अन्य कमेटियोको कई किताबे रखनी होगी (१) सदस्य सूची, (२) सूत प्राप्तिकी रसीदकी किताब, (३) सदस्योका सूतका रजिस्टर।

सदस्य सूची: नये सदस्यके लिए जब वह प्रतिज्ञा पत्रपर हस्ताक्षर कर दे, और पुराने सदस्यके लिए, जब उसका सूतका पहला कोटा प्राप्त हो जाये, तब उस सदस्यका नाम सदस्य-सूचीमे दर्ज किया जाना चाहिए।

### सदस्य-सूची, १९२५

ताल्लुका	जिला	प्रान्त
	प्राप्त सूतका कोटा	
क्रम सख्या	नाम व पता	प्राप्त सूतका कोटा
१	जे० एफ० अय्यर	क
२	के० आर० नाथन	ख

सदस्य-सूचीवाले रजिस्टरमें सदस्यकी क्रम-सख्या और उसका नाम-पता लिखा जाना चाहिए। नामके सामने सदस्यके सूतके कोटेका प्रकार लिखा जायेगा। सदस्योका वर्गीकरण करना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि सदस्यताकी नई शर्तका काम कैसा चलता है।

सदस्योका वर्गीकरण. वर्ग 'क' — वे लोग जो स्वयं सूत कातते हैं। वर्ग 'ख' — जो दूसरे साधनोसे सूत प्राप्त करते हैं।

रसीदें: सूत पानेवाला जिस सदस्यसे सूत प्राप्त करेगा, उसे नीचे लिखी रसीद देगा।

### सूतकी रसीद

तारीख	रसीद-सख्या	कांग्रेस कमेटी
देनेवालेका नाम		
क्रम सख्या		
वर्ग		
कितने तोला रुई दी गई		
सूतकी गुडियाँ, सूत	गज बताया गया है	
सूतका नम्बर		पानेवालेके हस्ताक्षर

रसीदोकी तीन-तीन प्रतियाँ छपवानी चाहिए। पहली प्रति सूत इकट्ठा करने-वाले कार्यालयमे रखी जानी चाहिए, दूसरी प्रति ताल्लुका कार्यालयको भेजी जानी चाहिए और तीसरी प्रति सदस्यको दी जानी चाहिए। चाहे सूत सदस्योके घर जाकर इकट्ठा किया जाये या सदस्य लोग कांग्रेस कार्यालयमे आकर सूत जमा करें, रसीद उसी फार्मपर दी जानी चाहिए। यदि बदलेमे रई दी जाये तो रईकी मात्रा रसीद पर दर्ज कर दी जानी चाहिए।

सूत इकट्ठा करनेवालेको प्राप्त होनेवाले सूतपर सदस्यकी सदस्यता-सख्या, और सदस्यका नाम तथा और कुछ अन्य विवरण नीचे बताये गये रूपमे एक पर्चीपर लिखकर लगाना चाहिए। पर्ची मजदूत कागजकी और दोहरी मुडी हुई हो जिसके बीचमें एक डोरा पडा हो और इस डोरेसे पर्चीको सूतके बण्डलपर बाँध दिया जाये।

### पर्ची

सदस्य-सख्या	नाम	वर्ग
गज	का० कमेटीका कोटा	
	इकट्ठा करनेवालेका नाम	तारीख

सूत इकट्ठा करनेवाला व्यक्ति सूतको ताल्लुका कांग्रेस कमेटीके कार्यालयमे जमा कर देगा।

यह माना जाता है कि गाँवकी या ताल्लुकाके अधीन आनेवाली अन्य सभी कमेटियाँ रसीदकी किताब केवल ताल्लुका कमेटीसे प्राप्त करेगी और सभी किताबे ताल्लुका कार्यालयमे रहेगी। जो अधीनस्थ कमेटियाँ अन्य किताबे अपने पास रखनेको तैयार हो, वे अपना काम और सुचारु रूपसे कर सकनेकी दृष्टिसे उन्हें रख सकती है।

रसीदकी किताबे प्रान्तीय कार्यालय छपवायेगा और इनपर एक ही क्रममे नम्बर पडेगे। प्रत्येक सदस्यके लिए प्रतिवर्ष १२ रसीदोकी आवश्यकता होगी।

रसीदकी किताबे अर्जी देकर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोसे प्राप्त की जा सकेंगी। जो रसीदकी किताबे जारी की जायेगी उन्हें प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ एक रजिस्टर-पर निम्न रूपमे दर्ज करेगी

### रसीदकी किताबोका रजिस्टर

तारीख	कांग्रेस कमेटीका नाम और जिला	जिस अधिका- रीको भेजी गई उसका नाम	वाँक्स न	रसीद न	
				इतनेसे	इतनेतक

सूत प्राप्त करनेवाली कमेटी इकट्ठा हुआ सूत सीधे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको या प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी जिस कार्यालयको कहे, उस कार्यालयको भेजेगी।

सदस्यताके कोट्टेके रूपमे एक वार प्राप्त हुआ सूत दुवारा उसी उद्देश्यमे इस्तेमाल नही किया जा सकता। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ एक "दैनिक पुस्तिका" रखेगी जिसमें वे प्राप्त होनेवाले सूत, बाहर दिये गये सूत और हाथमे बचे सूतका लेखा रखेगी।

### सूत सम्बन्धी दैनिक पुस्तिका

प्रान्त		वर्ष									
तारीख	जिससे सूत प्राप्त हुआ	मात्रा			दिया गया	मात्रा			जेष		
		६	८	६		६	८	६	६	६	
५-२	हरिपुर ता०का०क० को मधुवनी ग्राम का० क० के लिए										
१५-२			१०	५	पी०के०वी० को बुननेके लिए			८			२

### मूल्याकन

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी हर महीने प्राप्त होनेवाले कुल सूतका मूल्याकन करेगी और उसका १० प्रतिशत अ० भा० कांग्रेस कमेटीको भेजेगी।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी सदस्योंकी सूचीका पूरा व्यौरा निम्नलिखित रूपमे अ० भा० कांग्रेस कमेटीको भेजेगी

### सदस्योंका मासिक व्यौरा

प्रान्त			माह	
जिला	कांग्रेस कमेटी	रजिस्टरपर सदस्योंकी सख्या	सूतका कोटा भेजनेवाले सदस्योंकी सख्या	
			वर्ग 'क'	वर्ग 'ख'

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी सूत भेजनेवाली प्रत्येक कांग्रेस कमेटीका हिसाब रखेगी ताकि किसी भी समय इस बातका निश्चय किया जा सके कि उस कमेटीको दी जाने वाली रईपर जो खर्च आया उसके मुकाबले सूतकी विक्रीसे होनेवाली आय कितनी हुई है और अब उस कमेटीको कितना पैसा देना है?

सूत प्राप्त होनेपर उसका मूल्याकन किया जाना चाहिए और पहली अवस्थामे उसे कांग्रेस कमेटीके ही जमा खातेमे दर्ज किया जाना चाहिए। समय-समयपर सूतके मूल्यमे से अ भा कांग्रेस कमेटी, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटीके

हिस्सोकी रकम तय करके उतनी रकम सम्बन्धित कांग्रेस कमेटीके जमा खातेसे निकाल कर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके जमा खातेमे डाल दी जानी चाहिए।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके लिए खातेका फार्म

खाता		ताल्लुका कांग्रेस कमेटी			वर्ष			
तारीख	दी गई रई	देना		तारीख	प्राप्त किया गया सूत	पावना		
१०-१	३/४ मन प्रति मन ४०) की दरसे	२०	-	-	५-२ १० सेर ५ तोला २) प्रति सेरकी दरसे	२०	२	-
२०-१	१ मन, प्रति मन ४०)की दरसे	४०	-	-	२० सेर २।) प्रति सेरकी दरसे	४५	-	-
१०-३	जनवरी, फरवरी और मार्चका कोटा	१६	४	६				

यदि ऊपर बताया गये ढगसे 'कांग्रेस कमेटियो और अ भा कांग्रेस कमेटीके सम्बन्धमे कोई हिसाव रखा जाता है तो सभी पक्षोको सन्तुष्ट कर सकना सरल होगा। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी रईका वितरण करती है और सूतकी कीमत वसूल करती है और उस कीमतमे से अ भा कांग्रेस कमेटी तथा अन्य कमेटियोका हिस्सा निकालती है। यह काम बहुत जटिल है, और अगर उचित हिसाव नहीं रखा जाता तो इसमे विफलताकी सम्भावनाएँ बहुत हैं।

कताई-कार्य

जिन प्रान्तोमे स्वयं कताई करनेवालोकी सख्या काफी है और खादी सम्बन्धी गतिविधि महत्त्वपूर्ण है, वहाँ सूत-सदस्यताके आधारपर सदस्योको भरती करना और मौजूदा चरखोपर कताई कराना कठिन नहीं होगा। लेकिन जिन प्रान्तोमे कताईका काम बहुत नहीं बढ़ पाया है, वहाँ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको सदस्य भरती करनेके लिए विशेष प्रवन्ध करने होंगे।

अभीतर कांग्रेस कमेटियों पैसेका ही हिसाब-किताब रखती थी, लेकिन कताई-सदस्यताकी व्यवस्था लागू होनेके बाद उन्हें सूत और खादीका हिसाब रखना होगा। कांग्रेस कार्यालयमे एक सूत और खादी विभाग होगा। तौलनेके लिए तराजू और वाट तथा सूत और खादीको एक जगह रखने, पैकिंग करने, भेजने और सूत तथा खादीकी विक्रीका भी प्रवन्ध करना होगा। किताबोका एक पूरा सेट रखना होगा। प्रत्येक कांग्रेस कार्यालय आवश्यक रूपसे एक खादी-उत्पादन केन्द्र बन जायेगा।

सदस्योको चरखा आसानीसे उपलब्ध करनेकी भी व्यवस्था करनी होगी।

प्रत्येक कांग्रेस कमेटीसे सम्बद्ध प्रशिक्षण केन्द्र होना भी जरूरी होगा। कताई-विभागकी देखरेख करनेवाले कार्यकर्ताको रई धुनना सीखना जरूरी है और उसे धुनकी-

का एक कुशल धुनियेकी तरह उपयोग करना आना चाहिए तथा उसे एक अच्छा सूत कातनेवाला भी होना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यग इंडिया, १५-१-१९२५

## ४४०. भाषण : खेडूत परिषद्में<sup>१</sup>

१५ जनवरी, १९२५

अध्यक्ष महोदयने जो भिक्षा<sup>२</sup> मांगी है, वह अगर उन्हें नहीं दी जा सकती तो मैं मानूंगा कि यह परिषद् निरर्थक रही। उनकी मांग यदि बहुत ज्यादा होती और आपके वृत्तसे बाहर होती तो कुछ कहनेको नहीं रह जाता। इस परिषद्में से ४० स्वयसेवक भी न मिले तो आप सबके लिए यह शर्मकी बात कही जायेगी। और जितनी आपके लिए उतनी ही मेरे लिए भी। कारण, पाटीदारोके साथ मेरा निकटका सम्बन्ध रहा है—और सो यहाँ आकर जबसे मैं काममें जुटा हूँ तबसे नहीं, बल्कि दक्षिण आफ्रिकासे ही—और इस सम्बन्धका खयाल करते हुए मैं आगा रखता हूँ कि इतने लोगोके समुदायमें से ४० स्वयसेवक अवश्य मिलने चाहिए, और पुरुष स्वयसेवक ही नहीं, अपितु स्वयसेविकाएँ भी मिलनी चाहिए। इस लड़ाईमें यदि महिलाओका हिस्सा नहीं होगा तो हमसे केवल आधा ही काम होगा। ये स्वयसेवक वेतन लेनेवाले नहीं हो, एक तरहसे यह बात है। जो वेतनके मोहके कारण ही वेतन लेना चाहते हो, वे स्वयसेवक नहीं हैं। लेकिन स्वयसेवककी सेवा स्वीकार करनेवाली जनता उसके निर्वाहकी व्यवस्था करनेके लिए भी वैधी हुई है। ४० स्वयसेवक हमारे कामके लिए पर्याप्त नहीं है। हिन्दुस्तानमें तो ४० लाख स्वयसेवक चाहिए। हमने आज जो काम हाथमें ले रखा है उसके लिए पाँच-सात हजार स्वयसेवक तो अवश्य चाहिए और इस गरीब देशमें इतने स्वयसेवक निर्वाहके लिए कुछ भी लिये बिना काम कर सके, यह असम्भव है। यूरोप-जैसे देशोंमें भी ऐसे स्वयसेवक प्राप्त करना असम्भव है। ईश्वरने हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम खाये और काम न करे। प्रकृतिके सर्वसामान्य नियमको हमने भंग किया है। कुछ लोग हैं जो खाते तो हैं किन्तु उसके लिए काम नहीं करते, इसीका यह परिणाम है कि कुछ तो अपने ऊपर हजारों रुपये खर्च करते हैं और दूसरी ओर हजारों लोग भूखो मरते हैं। हिन्दुस्तानके अंग्रेज इतिहासकार हटरका कहना है कि यहाँ लगभग दस करोड़ व्यक्तियोंको मुश्किलसे एक जून ही खानेको मिलता है और वह भी रोटी तथा नमक। कांग्रेसने भी इस आशयका प्रस्ताव पास किया है कि सभी स्वयसेवक बिना पैसेके मिल जाये, ऐसी अपेक्षा न करनी चाहिए।

१ किसानोंका यह सम्मेलन सोजित्रामें हुआ था।

२. परिषद्के अध्यक्ष डा० सुमन्त मेहताने ४० स्वयसेवकोंकी माँग की थी।

लोगोंके सामने इसका उदाहरण प्रस्तुत करनेके लिए अग्रगण्य व्यक्तियोंको पहल करनी चाहिए । यदि जरूरत जान पड़े तो मुझे भी गुजारेके लायक पैसा लेना चाहिए । वल्लभभाईको भी लेना चाहिए । वैसे मैं तो मित्रोंसे असख्य वस्तुएँ प्राप्त करता ही रहता हूँ । आज कदाचित् मुझे और वल्लभभाईको इसकी जरूरत न हो, लेकिन ऐसा समय आयैगा तो वेतन लेनेवाले स्वयसेवकोंकी भरतीमें वल्लभभाई और मैं, दोनों दाखिल होंगे । तिलक महाराज और गोखलेजीके उदाहरण ले । जब फर्ग्युसन कॉलेज खुला तब दोनोंने उसमें ४० रुपयेके अल्प वेतनसे सन्तोष मानकर शिक्षाके लिए सेवा करनेकी दीक्षा ली थी । तिलक महाराजने बादमें अमुक कारणोंसे कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन वे जबतक वहाँ रहे तबतक उतना वेतन लेनेमें वे अपना मान समझते थे । गोखलेजीने तो २० वर्ष पूरे किये । इस बीच वे विधान परिषद्के सदस्य थे, अनेक समितियोंका कार्य करते थे, और इस सबसे भी उन्हें कुछ पैसा मिलता ही था, लेकिन फर्ग्युसन कॉलेजसे जो वेतन उन्हें मिलता था, उसे लेना उन्होंने बन्द नहीं किया । जब वे स्वयं "महान्" बन गये और जब १०,००० रुपयेका वेतन मिल सके, ऐसी स्थिति थी, तब भी उन्होंने पहलेके ७५ रुपयेके मासिक वेतनको जितना मान प्रदान किया था उतना इन मोटी रकमोंको भी नहीं दिया । अपनी पेन्शनकी छोटी-सी रकम भी उन्होंने बहुत कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार की ।

स्वयसेवकोंको लोकापवादकी परवाह नहीं करनी चाहिए । निठल्ला व्यक्ति घर घालता है, इसलिए निठल्ले लोग स्वयसेवकोंकी निन्दा करे तो इससे उन्हें घबरानेका कोई कारण नहीं है । स्वयसेवक निन्दाको अपनी खुराक मानें । जो जगतकी निन्दाको सहन नहीं कर सकता, वह स्वयसेवक नहीं हो सकता । उसकी चमड़ी तो भैसेकी होनी चाहिए । नीचा सिर करके काम करता जाये, आगे-पीछे न देखे, केवल अपनेमें और अपने काममें ही ध्यान हो — उसे ऐसा योगी होना चाहिए । जो स्वयसेवक मानता है कि वह जनताके हाथों विक चुका है, उसे दिन-रात अपने कामके ही सपने आने चाहिए, लेकिन आजीविका-भरको — अर्थात् खीर-पूरीके लायक नहीं बल्कि ज्वार-बाजराके लायक — लेनेमें उसे सकोच न करना चाहिए । ऐसे कसे हुए स्वयसेवकोंको ही इसमें आना चाहिए और अध्यक्ष महोदयको निश्चिन्त कर देना चाहिए । अव्यक्त महोदयको यही इसी काममें बाँध रखना चाहते हो तो सामने आइये ! इतने कमसे सन्तोष माननेवाला अध्यक्ष आपको दूसरा शायद ही मिले ।

हिन्दुस्तानमें आज जो सबसे बड़ी और प्रौढ प्रवृत्ति चल रही है, उसके सम्बन्धमें तो मुझे आपमें कुछ कहना ही होगा । यह प्रवृत्ति है खादीकी, चरखेकी । जैसे-जैसे चरखेका विरोध किया जाता है वैसे-वैसे उसके प्रति मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जाता है । इसका अर्थ यह नहीं कीजिएगा कि मैं मूर्ख और जिद्दी हूँ और न समझनेपर भी एक बन्तुके पीछे लगा हुआ हूँ । मैं जिस वस्तुकी बात कर रहा हूँ वह वस्तु तो मैंने हिन्दुस्तानके आगे सिर्फ चार-पाँच वर्ष पहले ही रखी थी, लेकिन



चरखेके पक्षमे दलील तो मैंने इससे बहुत पहले, जब उसके दर्शन भी न किये थे, तभी 'हिन्द-स्वराज्य' मे पेश की थी। और जैसे-जैसे उसका विरोध होता है, वैसे-वैसे मैं देखता हूँ कि इस विरोधके पीछे अनुभव और विचार नहीं है और मेरी दलीलोंमें गहरा विचार और अनुभव है। मैं अपनेको मीठा व्यक्ति मानता हूँ। भूल स्वीकार करना मैं अपना धर्म समझता हूँ, मलिनता मुझे पसन्द नहीं। शरीरमे, मनमे, हृदयमे मैल रखना रोग है, इसलिए भूल स्वीकार न करना भी रोग है। जो मनुष्य ईश्वरके आगे भूल स्वीकार नहीं करता — यद्यपि ईश्वर तो सब-कुछ देखनेवाला है, लेकिन साथ ही वह बड़ा कौतुकी भी है और मनुष्यको भुलावेमे डालनेवाला है — जो व्यक्ति ईश्वरके आगे अर्थात् जगतके आगे अपनी भूल स्वीकार नहीं करता, उसे क्षयरोग हो जाता है, उसका आध्यात्मिक क्षय होता है। यह क्षय शारीरिक क्षयकी अपेक्षा अधिक हानिकारक है। शारीरिक क्षयमे केवल शरीरका नाश है, लेकिन इसमे तो आत्माका नाश है। आत्मा तो अमर है, अक्षय है, इसलिए उसका नाश नहीं होता, पर नाशकी भ्रान्ति होती है। इसलिए अमर आत्माके नाशकी कल्पनामे दुहरा रोग होता है। अतएव मुझसे भूल हो तो उसे स्वीकार करनेमे मुझे तनिक भी सकोच नहीं होता। बादमे मेरे भूल स्वीकार करनेके फलस्वरूप सारे चरखे बन्द हो जाये और मैं पागल माना जाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी ऐसा समय नहीं आया है। मुझे चरखेमे इतना अधिक विश्वास है कि मेरी स्त्री, मेरे लडके और जो मेरे लिए मेरे लडकोसे भी बढकर है, ऐसे साथी अगर चरखेको छोड दे तो भी मैं अकेला इसका मत्र जपा कलूँगा और उसे चलाता चला जाऊँगा। हिन्दुस्तानमे आलस्यका महारोग है। यह स्वाभाविक नहीं है। किसानोके लिए तो यह स्वाभाविक हो ही नहीं सकता, यदि हो तो उनकी खेती बरबाद हो जाय। हमारे यहाँ चरखेका नाश हुआ, इसीसे आलस्य आया। करोडो लोग बेरोजगार हो गये। अब, कोई छोटी-मोटी चीज करोडोके लिए धन्धा नहीं बन सकती। कोई कहता है, हम टोकेरियाँ बनायेगे, कोई कहता है, ताले बनायेगे, कोई दियासलाई तो कोई सावुन। इन कामोमे करोडोका उपयोग नहीं हो सकता और अगर वे सब इनमे भी लग जाये तो इन सारी चीजोकी खपत नहीं हो सकती। इस तरहसे काम करनेमे सारी जनता एक नहीं हो सकती, वह अलग-अलग व्यक्तियोंके समूहमे बँटकर ही रह जायेगी। ऐसे काममे उद्धार नहीं है। इसीसे मैं कहता हूँ कि हिन्दुस्तानमे सहायक धन्धेकी आवश्यकता है। खेडामे बहुत थोडे-से गाँव होंगे, जहाँ मैं गया न होऊँ और थोडे ही लोग होंगे जिन्हे मैंने देखा नहीं होगा। इनमे से बहुत-से लोगोके पास काफी समय रहता है। इस समयका उपयोग करनेका साधन चरखा है, ऐसा कहूँ तो यह बात सबको पसन्द नहीं आती। परिणामत कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ ऋण लेते हैं, तो कुछ भूखो मरते हैं। ऐसी दयनीय स्थितिमे पडी हुई — मजबूरन आलसी हो गई — जनताका नाश ही सम्भव है। यदि वह स्वयं जागृत नहीं होती और दूसरोको जागृत नहीं

करती तो नाश ही होगा। यह समाज-शास्त्रका नियम है। व्यक्तिगत शास्त्रका नहीं, यह समाज-शास्त्रका नियम है। करोड़ों इससे आजीविका प्राप्त नहीं कर सकते और न इसे आजीविकाके साधनके रूपमें पेश ही किया गया है। इसका वर्णन तो अन्नपूर्णाके रूपमें किया गया है। अन्नपूर्णा अर्थात् घी-दूध। असख्य गरीबोंको आज घी-दूध नहीं मिल सकता। गेहूँकी लपसीमें दूधकी बूंद अथवा घीका छीटा भी डालनेको नहीं मिल सकता। यह भयानक स्थिति है। इसका एक ही इलाज है—चरखा। यदि एक-एक व्यक्ति एक-एक रुपयेका काम करे तो वह मालूम नहीं होगा, परन्तु यदि सात हजारकी आवादी वाला गाँव इस तरहसे सात हजार रुपया पैदा करे तो वह देखा जा सकता है। इस चरखेको साधनेसे दूसरे अनेक गुण खुद-ब-खुद आ जाते हैं। इसके साथ सादगी आती है, सरलता आती है, नियमितता आती है और एक बातमें नियमितता आ जानेका मतलब है सारे जीवनमें नियमितता आ जाना—ठीक उसी तरह जिस तरह टेढ़े हो गये चौखटेका जो एक कोना खराब हो गया हो उसे ठीक कर देनेमें बाकीके सारे कोने खुद-ब-खुद ठीक हो जाते हैं। यह भूमितिका नियम है। एक कामके नियमित होनेसे सब काम नियमित हो जाते हैं। आज यदि आप चरखेको स्वीकार न करेंगे तो कल मुझे याद करेंगे। जब पानी थोड़ा बरसता हो, तभी बाँध बाँधकर उसे इकट्ठा कर लीजिए। जब प्रवाह आता है, तब बाँध बाँधनेवाला उसे नहीं रोक सकता तथा बाँध और पानी दोनोंको खो बैठता है। इसलिए आज, जबकि समय है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप चेतें, जागें। वनिये-का हिसाब न करे, चरखेसे आपमें से एक व्यक्तिको कितनी आमदनी होती है, उसपर विचार न कर राष्ट्रको कितनी आय होगी, इसका विचार करे। त्रापज-जैसे छोटे गाँवमें जब लोगोंको हिसाब करके बताया, तब वे चकित रह गये। काठियावाड उपजाऊ नहीं है। उसमें तो लकड़ीकी फसल—पत्थरकी फसल—पकती है, और जमीनके उर्वर न होनेसे लोग छ महीने तो क्या, आठ महीने बरोठेपर बैठकर गर्प्पें मारते हैं, और न हुआ तो थोड़ी अफीम ही खा लेते हैं। मैंने त्रापजके लोगोंको समझाया कि वे किस तरहसे आसानीसे दो हजार बचा सकते हैं। एक सेर रुईके पीछे ज्यादा खर्च तो कताईका ही है, बुनाईका नहीं। अपने घरकी रुई आप घरमें ही साफ करे और काते तो केवल बुनाईका ही खर्च पड़े तथा यदि केवल बुनाईका ही खर्च पड़ता हो तो हम दुनियाकी मिलोके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कारण कि बुननेका खर्च तो मिलोको भी लगभग हाथ-करघे-जितना ही पड़ जाता है। इस चावीका महत्त्व हिन्दुस्तानकी जनता समझती थी, इसलिए उसने चूल्हेकी भाँति चरखेको भी साध रखा था। यह चावी उसके हाथसे गई, और बस हमारा जीवन अपवित्र हो गया, हम नास्तिक हो गये, हमें ईश्वरका भय नहीं रहा। आप आस्तिक बनना चाहते हो, पवित्र होना चाहते हो, अपनी बहनोके शीलकी रक्षा करना चाहते हो तो चरखेको अगीकार करे। चरखेमें ही देशकी जागृति है, हिन्दू-मुस्लिम एकता है,

देशकी गरीबीका निराकरण है, सारे देशके किसानोका उद्धार है, और हिन्दू समाज-शास्त्रके पालनका आधार भी इसीपर है।

आप पाटीदार लोग अन्त्यजोके साथ अच्छी तरहसे व्यवहार नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है। आप अपनेको क्षत्रिय मानते हो तो आप अन्त्यजोके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, उन्हें मार-पीट नहीं सकते, ज्यादा काम लेना और कम दाम देना, ऐसा राक्षसी न्याय नहीं कर सकते। 'गीता' देवताओको सन्तुष्ट रखनेको कहती है, "देवताओको सन्तुष्ट रखोगे तो देवता वर्षा देंगे।" देवता आकाशमे नहीं है। आपके देवता अन्त्यज हैं, आपके देवता आपके पीनी-पसारी हैं। हिन्दुस्तानका देवता हिन्दुस्तानकी गरीब जनता है। दया-धर्मसे विहीन धर्म पाखण्ड है। दया ही धर्मका मूल है और उसका त्याग करनेवाला ईश्वरका त्याग करता है, रकका त्याग करनेवाला सबका त्याग करता है। अन्त्यजो और रकोको यदि हम स्थान न देगे तो हमारा नाश निश्चित है।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, १-२-१९२५

## परिशिष्ट

### परिशिष्ट १

#### बोलशेविज्मपर मानवेन्द्रनाथ रायके विचार

महात्मा गांधीके कुछ अमेरिकी मित्रोंने उन्हें लिखा कि धमके नामपर आप भारतमें शायद बोलशेविज्मको दागिल कर रहे हैं। ये त्वामसाह "मित्र" बननेवाले लोग, स्पष्ट ही आरञ्च-सैवमन साम्राज्यवादके पक्षधरोमे (जो अकसर दुनियाके सामने अपने को शान्तिवादियोंके बानेमें पेश करते हैं) प्रेरणा लेकर, मुमञ्चमान जातियोंके विद्रोहको विश्वके लिए एक भारी खतरा बताते हैं, क्योंकि इस विद्रोहको बोलशेविक रुसका समर्थन प्राप्त है। महात्माजी चाहते तो बड़ी आसानीसे इस उद्वतनापूर्ण पत्रका मुनासिब जवाब दे सकते थे। वे अपने "जिम्मेदार (?) विदेशी मित्रों" से कह सकते थे कि मुसलमान जातियोंके पाम विद्रोह करनेके उचित कारण हैं, और इस विद्रोहका समर्थन करनेवाला कोई भी राजनीतिक निद्वान्त या मरकार स्वतन्त्रताके तमाम पक्षधरोकी दृष्टिमें सम्मानकी पात्र होनी चाहिए। इसके अलावा वे अपने अमेरिकी मित्रोंसे यह भी कह सकते हैं कि अगर मचमुच आपको इस विद्रोहमें विश्वके लिए कोई बहुत बड़ा खतरा दिखाई देता है तो कृपा कर अपने यहाँ उसका कुछ उपाय करिये। दुनियाको आज अमेरिकी साम्राज्यवादमे ज्यादा खतरा और किस चीजमे है? क्या मुसलमान जातियोंका विद्रोह 'कू-क्लक्स-क्लान' और 'अमेरिकन लीजन' से भी ज्यादा खतरनाक है? क्या बोलशेविकोंका अनौश्वरवाद अमेरिकी लोकतन्त्रकी एशिया-विरोधी भावनासे भी अधिक अचर्ममय है?

किन्तु, महात्माजीने ऐसा दो टूक जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने दृष्टिकोणका औचित्य सिद्ध करना उचित समझा। कोई उनपर बोलशेविक प्रवृत्तिका सन्देह न कर सके, उन्होंने इसकी पेशवन्दी कर डाली। किन्तु, विचित्र बात यह है कि यद्यपि स्वयं अपने कथनके अनुसार वे बोलशेविज्मके विषयमें कुछ नहीं जानते, फिर भी वे दुनियाके सामने यह सिद्ध करनेके लिए अत्यन्त उत्सुक थे कि इसके प्रति उनका कोई ख़ान नहीं है। उनकी सहज बोलशेविज्म-विरोधी भावना इतनी प्रबल है। 'यग इंडिया' मे अपने एक लेखमें वे कहते हैं कि "सबसे पहले तो मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे पता नहीं, बोलशेविज्मके मानी क्या है।" यह तो उनकी प्रतिष्ठाको बहुत आँच पहुँचानेवाली स्वीकारोक्ति है, क्योंकि यह स्वीकारोक्ति उस व्यक्तिकी है जो एक बहुत बड़े जन-आन्दोलनका नेतृत्व कर रहा है। उसी लेखमें महात्माजीने यह भी कहा कि वे जानते हैं कि इस मामलेमें दो परस्पर-विरोधी पक्ष हैं— "एक तो उसका बड़ा भद्दा और

काला चित्र खींचा करता है और दूसरा उसे ससारकी तमाम दलित-पतित और पीड़ित जातियोंके उद्धारका आन्दोलन बताता है।” लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे किसकी बातका विश्वास करें। यहाँ भी वे साधारण मानव-बुद्धिसे काम ले सकते थे। वे बड़ी आसानीसे यह बात देख सकते थे कि वे कौन हैं जो उसका काला और भद्दा चित्र खींचते हैं। ये वे ही लोग हैं जो खून और खजरकी नीतिके बलपर दुनियापर शासन कर रहे हैं। महात्माजीको अपनी निष्पक्षताका बड़ा ध्यान रहता है, सो उसका ध्यान रखते हुए भले ही वे बोलशेविज्मका उज्ज्वल चित्र पेश करनेवालोपर विश्वास न करे, किन्तु उन्हें इस बातकी प्रतीति करानेकी भी क्या कोई आवश्यकता है कि पहला पक्ष मानव-जातिका मित्र या उद्धारकर्ता नहीं है? इसलिए, जब इस पक्षवाले किसी चीजका बहुत काला चित्र पेश करते हैं तो मानव-जातिके दलित-शोषित वर्गको सहज ही उसमें किसी घोर अनिष्टकारी उद्देश्यका आभास मिल जाता है, इस दलित मानव-वर्गको लगता है कि यह कालेपनका मुलम्मा उसे छलनेके लिए लगाया गया है। युद्ध-कालमें जब रायटर मित्र-राष्ट्रोंकी एक विजयकी खबर देता था तब राष्ट्रवादी भारतीय लोग अन्तरकी इसी अचूक सहज प्रेरणाके कारण समझते थे कि जर्मनीने दो लडाइयाँ जीती होगी और इसी सहज बुद्धिकी प्रेरणाका अनुसरण करते हुए एक अदना मैक्सिकन चपरासी अपनेको गर्वके साथ बोलशेविक कहता है, क्योंकि वह देखता है कि अमेरिकी पूंजीपति बोलशेविज्मके इतने ज्यादा विरुद्ध हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, महात्माओकी मनोवृत्ति शायद इतनी जटिल होती है कि उसमें ऐसी किसी सीधी-सादी और सहज मानसिक प्रक्रियाकी गुंजाइश ही नहीं होती।

चूँकि बोलशेविज्मके प्रति इस दुःखद अज्ञानके शिकार सिर्फ महात्माजी ही नहीं, बल्कि और भी बहुतसे भारतीय हैं, और चूँकि इस अज्ञानके बावजूद वे उसके विषयमें कोई राय बनानेसे बाज नहीं आते, इसलिए इस भयकर सिद्धान्तके बारेमें दो शब्द कह देना अप्रासंगिक नहीं होगा। चूँकि बोलशेविज्म आजकी दुनियाका सबसे प्रमुख राजनीतिक तत्त्व है, इसलिए इसके सम्बन्धमें कुछ कहना और भी जरूरी हो जाता है। यहाँ प्रसंगवश मैं यह बता दूँ कि इस आम धारणाके विपरीत कि वह १९१७ की रूसी क्रान्तिका परिणाम है, वास्तवमें वह उसका बुनियादी सिद्धान्त है। जिस प्रकार १७८९ की महान् फ्रांसीसी क्रान्तिने अपने समयमें यूरोपके राजनीतिक-जीवन और विचारको प्रभावित किया, उसी प्रकार रूसी क्रान्ति भी हमारे युगमें वैसी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि रूसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है और रूसी क्रान्तिके सिद्धान्त ऐसे हैं कि उसका प्रभाव-क्षेत्र अधिक व्यापक होगा — उसमें एशिया और आफ्रिका भी आ जायेंगे। वस्तुस्थिति यही है। शान्तिवादी मनोवृत्तिकी जिन स्त्रियों और पुरुषोंकी सदाशयतामें गांधीजी सहज ही विश्वास करके चलते हैं, उसे दुनियाके अधिक व्यावहारिक लोग गम्भीर सन्देहकी दृष्टिसे देखते हैं। इन शान्तिवादीयोंकी आशकासे, जिसका कारण भली-भाँति समझा जा सकता है, और उनकी रोष-भावनासे उपरोक्त वस्तुस्थितिमें कोई अन्तर नहीं पड़ता।

अब, जहाँतक महात्माजीका सम्बन्ध है, बोलशेविज्मके मुख्य सिद्धान्त कुछ नये नहीं होंगे। वे खुद भी ऐसा ही मानेंगे। लेकिन अगर सिद्धान्तोंको कार्यान्वित न किया जाये



दार और निरकुश शासनका अन्त हो गया। (२) उस वुर्जुआ वर्गका भी सफाया हो गया जो जनतन्त्रकी आडमे, विदेशी सरकारोकी मददसे, रूसी जनताको क्रान्तिके लाभोसे वंचित करना चाहता था। (३) जमींदार वर्ग, जो जारकी निरकुश सत्ताका मूलाधार था, नष्ट कर दिया गया और जमीन पूरे राष्ट्रकी सम्पत्ति घोषित कर दी गई और किसानोमे बाँट दी गई। (४) बड़े-बड़े उद्योग राष्ट्रकी सम्पत्ति घोषित कर दिये गये। (५) विदेशी व्यापारपर राज्यका एकाधिकार हो गया। (६) विधान बनाने और प्रशासन चलानेकी सारी सत्ता जनताके उस हिस्सेको सौंप दी गई जिसका प्रबल बहुमत था, अर्थात् सत्ता मजदूरो, किसानो और संनिकोको सौंप दी गई। वे इस सत्ताका प्रयोग अपनी परिपदो (सोवियतो) द्वारा करते हैं। (७) निजी तौरपर सम्पत्ति रखनेका सारा अधिकार और उसकी रूसे मिलनेवाले सब विशेषाधिकार खत्म कर दिये गये। ये हैं बोलशेविज्मके सिद्धान्त, जिन्हे रूसमे क्रान्तिके फलस्वरूप व्यवहारमे उतारा गया है। तो अब चूँकि महात्माजी बोलशेविज्मका अर्थ जान गये इसलिए हम यह जानना चाहेगे कि उसके प्रति उनका क्या रुख है। इस प्रश्नके उत्तरमे न सिर्फ़ भारतको बल्कि सारी दुनियाको दिलचस्पी होगी।

अब हम ज्यादा नाजुक सवालपर आते हैं। महात्माजीको शायद इन सिद्धान्तोके खिलाफ कोई आपत्ति न हो, लेकिन उन्हे कार्यान्वित करनेकी रीतिके बारेमे वे निश्चय ही अनेक शर्तें रखेगे। उनके लिए तो हर चीजकी एक ही कसौटी है। अगर बोलशेविज्म अनीश्वरवादी है, तो वस, वे उसके खिलाफ हैं। खैर, हमने तो उन्हे सक्षेपमे बोलशेविज्मकी परिभाषा दे दी है। अब वे विचार करे और कहे कि बोलशेविज्म ईश्वरको नकारता है या क्या करता है। जबतक वे वैयक्तिक सम्पत्ति और निहित स्वार्थोको ईश्वरीय विधान न मान ले, तबतक उनके उन्मूलनको वे ईश्वरको नकारना नहीं कह सकते। कारण, इसमे शक नहीं कि बोलशेविज्म वैयक्तिक सम्पत्ति और स्थापित स्वार्थोको, जो इतिहासके आदिकालसे ही मनुष्य-समाजके लिए अभिशाप-रूप सिद्ध हुए हैं, अमान्य करता है। बोलशेविज्मके व्यावहारिक कार्यक्रममे ईश्वर या धर्मका कोई सवाल ही नहीं उठता। वह न ईश्वरवादी है और न अनीश्वरवादी है। उसका सम्बन्ध मनुष्यके ऐहिक जीवनसे है। ईश्वर या धर्मके साथ उमका झगडा यदि होता है तो तब होता है, जब ईश्वर और धर्म उसके आडे आते हैं। ऐसी हालतमे, साम्यवाद कल्पित सर्वशक्तिमानसे भी टक्कर लेनेमे नहीं हिचकिचाता और नास्तिक बन जाता है और इस तरह वह महात्मा गांधीके समर्थनको खो बैठनेका खतरा मोल लेता है। लेकिन ऐसा करके वह न केवल जनताके भौतिक अधिकारोका प्रबलतम समर्थक बन जाता है बल्कि शासित वर्गने सदियोसे जनताको जिस अज्ञान और अन्वविश्वासके अन्वकारमे रख छोडा है, उसे नष्ट करनेके लिए बौद्धिक और आत्मिक मुक्तिकी मशालको भी प्रज्वलित करता है।

महात्माजी यदि खुले तौरपर उच्च वर्गोका समर्थन नहीं करते हो तो वे इस बातसे इनकार नहीं कर सकते कि बोलशेविज्म एक मानव कल्याणकारी आन्दोलन है। लेकिन हाँ उसे सरलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। रूसमे क्रान्तिके

वाद निर्विवाद रूपमें जो आतंकका साम्राज्य रहा और विनाशकारी गृहयुद्ध छिडा उमका मूल कारण यह था कि इस कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेमें बहुत ज्यादा बाधा उपस्थित की गई थी और हिंसा बरती गई थी। न केवल रूसी अभिजात वर्ग और बुर्जुआ वर्गने, जिन्होंने स्वभावतः अपनी कोई हुई स्थितिको पुनः प्राप्त करनेकी भरसक चेष्टा की, बाधा उपस्थित की वरन् उसे अन्तर्राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्गका समर्थन भी प्राप्त था, जिसे रूसी क्रान्तिके रूपमें अपने गढकी दीवारोंमें दरार पडनेके प्रथम चिह्न दिखाई पडने लगे थे। इस अनवरत विरोधी कार्रवाई और प्रचारका एक अंग था — बोलशेविज्मको बहुत ही डरावने रूपमें चित्रित करना, और इस चित्रके प्रभावसे महात्माजी भी विलकुल अछूते नहीं रह पाये। किन्तु मवाल यह है कि उम परिस्थितिमें बोलशेविक लोग करते क्या? दो ही रास्ते थे — या तो रूसी श्रमिकों और किसानोंमें ईश्वरका भय रखते हुए चुपचाप फिर उन्हीं वेडियोंमें जकड जानेको कहा जाता, जिन्हें उन्होंने इतनी बहादुरीसे तोड डाला था, या फिर प्राप्त स्वतन्त्रताकी रक्षा करने और उसे स्थायी बनानेके लिए, ईश्वर और धर्म बाधक बने तो उनके खिलाफ भी, लडाईं जारी रखनेको कहा जाता। बोलशेविज्मको दूसरा विकल्प स्वीकार करना पडा, क्योंकि रूसी मजदूरों और किसानोंको फिरसे पूंजीवाद और अत्याचारी जारशाहीके अधीन होनेको मजबूर करनेके लिए न केवल सभी भौतिक शक्तियाँ एकजुट हो गई थी, बल्कि ईश्वर और धर्मकी भी तमाम ताकतें मोचेंपर लगा दी गई थी। बोलशेविज्म कोई ईश्वरमें सम्बन्धित सिद्धान्त नहीं है। बोलशेविक लोग फिरते नहीं हैं। किन्तु साथ ही बोलशेविज्मका मतलब अतानी प्रवृत्ति भी नहीं है। महात्माजी “जनमाधारणके हृदयको झकझोरकर, उसकी उच्चतर वृत्तियोंको जगाकर उसे अपनी बात समझाना चाहते हैं। यह योजना तो बहुत आकर्षक है और अगर यह जनसाधारणको वर्ग प्रभुत्व और साम्राज्यवादी अत्याचारसे मुक्त करानेमें व्यवहारतः कामके लायक साबित हुई होती तो बोलशेविज्मको इसपर कोई आपत्ति नहीं होती। उनका “सयम-विषयक सिद्धान्त भी बहुत शकाम्बद है। जनमाधारणके आध्यात्मिक विकासके लिए यह अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन निश्चय ही इससे अपनी स्वतन्त्रताके लिए लडनेका जनताका मनोबल कमजोर होता है। जो लोग (शायद अनजाने ही) वर्ग-प्रभुत्वके साधन मद्दग रहे हैं, वे न जाने कबसे “हृदय”, “उच्चतर वृत्तियों”, “सयम” आदिसे सम्बन्धित इन तमाम सिद्धान्तोंकी चर्चा करते आये हैं। कोई कर्तव्य चाहे कितना भी अप्रिय या कठिन हो, बोलशेविज्म उससे जी नहीं चुराता। यह ईश्वरके अस्तित्वको इसलिए अस्वीकार करता है और तज्जनित धार्मिक तथा नैतिक विधानोंकी भर्त्सना इसलिए करता है कि स्वातन्त्र्य संग्राममें ईश्वर, धर्म और नैतिकताके सिद्धान्त निरकुशता, दमन और अन्यायके दलमें खडे दिखाई देते हैं।

अगर ईश्वर और धरतीपर ईश्वरकी ध्वजा फहरानेवाले लोग भौतिक मामलोंमें हस्तक्षेप न करनेको राजी हो जाये तो बोलशेविज्म ईश्वरको अपनी जगहपर बने रहने देनेको तैयार है। लेकिन, अगर उन्हें अपनी लोकोत्तर स्थितिसे सन्तुष्ट रहना मजूर नहीं है और वे दुनियामें सकट और कठिनाई पैदा करना चाहते हैं तो बोलशेविज्म



जनसाधारणको धर्म द्वारा बुने अज्ञानके जालसे मुक्त करनेके लिए नास्तिकताका प्रचार अवश्य करेगा।

मानवेन्द्रनाथ राय

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-१-१९२५

## परिशिष्ट २

### चरखेके सम्बन्धमे च० राजगोपालाचारीकी टिप्पणीका अंश

अपरिवर्तनवादियोंको, जिन्हे लगता है कि देशकी मुक्तिका मार्ग, हमारी आशाका स्थायी आधार, चरखा ही है, इधर-उधरकी कोई चिन्ता किये बिना निष्ठापूर्वक अपना दायित्व निभाते चलना चाहिए। हमारे लिए न विश्रामका अवकाश है और न थककर बैठ जानेकी गुजाइश। चरखा ही हमारी आशा है, हमारा आनन्द है, हमारा मित्र और नेक रहनुमा है। जागते हुए हमे इसीके लिए काम करते रहना चाहिए, सोते हुए इसीका स्वप्न देखना चाहिए। पहले मुझे इन बातोंका मतलब पूरी तरहसे समझमे नहीं आया था। इसलिए मैं ऐसा समझता था कि महात्माजी ऐसी राह जा रहे हैं, जिसमे मुझे न कोई औचित्य दिखाई पडता था, न रोशनी। लेकिन, अब मैं चीजोंको विलकुल स्पष्ट देख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि जो लोग मेरी ही तरह अबतक शकाग्रस्त और दिग्भ्रमित रहे हैं वे भी इन चीजोंको साफ-साफ देखेंगे। कातो, कातो, कातो और दूसरोसे भी कतवाओ—यही हमारा एक-मात्र मत्र है, यही हमारा गायत्री-जाप है।

किन्तु, जहाँ मुझे वस्तुस्थितिका सही भान हुआ, वहाँ यह भी लगा कि इस सबमे एक प्रकारकी अवास्तविकता भी है, सत्यके साथ किसी प्रकारका कोई राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, जो सत्याग्रहकी योजनापर अपनी अशुभ काली छाया डाल रहा है। लेकिन, यहाँ मैं उस गुरुकी निर्णयबुद्धिपर निर्भर करता हूँ, जिसका सहज सत्यबोध मेरे सत्यबोधसे न जाने कितना बढ-चढकर है। अतः मैं पूर्णतः निश्चिन्त हूँ।

राजगोपालाचारी

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-१-१९२५

## सामग्रीके साधन-सूत्र

गाधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली गाधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३४९।

सावरमती संग्रहालय पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय जहाँ गाधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल और १९३३ तकके भारतीय कालमें सम्बन्धित कागजात सुरक्षित है, देखिए खण्ड, १, पृष्ठ ३४९।

‘अमृतवाजार पत्रिका’, कलकत्तामें प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

‘आज’, बनारसमें प्रकाशित हिन्दी दैनिक।

‘डडियन रिव्यू’, मद्रासमें प्रकाशित अंग्रेजी मासिक।

‘गुणमुन्दरी’ गुजराती मासिक।

‘ट्रिब्यून’, लाहौरमें प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। १९४८ से यह पत्र अम्बालामें प्रकाशित होने लगा है।

‘नवजीवन’ (१९१९-१९३२) गाधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

‘न्यू इंडिया, मद्रासमें प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

‘वॉम्बे क्रॉनिकल’ बम्बईमें प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

‘यंग इंडिया’ (१९१९-१९३२) अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक।

‘हिन्दी नवजीवन’ (१९२१-१९३२) गाधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक।

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ नई दिल्लीमें प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

‘हिन्दू’ मद्रासमें प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

वॉम्बे सीक्रेट एवम्प्रेवट्स, १९२४।

‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वे अधिवेशनकी रिपोर्ट’, १९२४।

‘ए वच ऑफ ओल्ड लेटर्स’ जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९५८।

‘द स्टोरी ऑफ माई लाइफ’ खण्ड २ मु० रा० जयकर, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९५९।

‘वापुना पत्रो २—सरदार वल्लभभाई पटेलने’ (गुजराती) मणिवहेन पटेल द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

‘वापुना पत्रो ४—मणिवहेन पटेलने’ (गुजराती) मणिवहेन पटेल द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

‘वापुना पत्रो ६—गगावहेनने’ (गुजराती) द० वा० कालेलकर द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

‘वापुनी प्रसादी’—(गुजराती) मथुरादास त्रिकमजी, द्वारा अनुवादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८।

‘महात्मा—लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गांधी’, खण्ड २ डी० जी० तेन्दुलकर, विट्ठलभाई के० जवेरी और डी० जी० तेन्दुलकर, बम्बई, १९५१।

‘महादेवभाईनी डायरी’ खण्ड ७ (गुजराती) चन्द्रलाल भगुभाई दलाल द्वारा सम्पादित, सावरमती आश्रम सुरक्षा और स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद—१३, १९६५।

‘लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण’, अद्वैत आश्रम, ४ विलिंग्डन लेन, कलकत्ता, १९५५।

‘लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री’ सम्पादक—टी० एन० जगदीशन, एगिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९६३।

## तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१६ अगस्त, १९२४ से १५ जनवरी, १९२५ तक)

- १६ अगस्त साम्प्रदायिक दंगोंको मुलझानेके लिए सम्बन्धित हिन्दू-मुस्लिम समझौतेके लिए गांधीजी अहमदावादमे दिल्लीके लिए रवाना हुए।
- १७ अगस्त दिल्ली पहुँचे।  
'नवजीवन' मे मलाबारके वाढ-पीडितोंकी महायताके लिए चन्देकी अपील।
- २२ अगस्त हिन्दू-मुस्लिम समझौतेके बारेमे एमोमिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिमे भेट।  
वम्बईके रास्ते दिल्लीमे अहमदावादके लिए रवाना।
- २३ अगस्त अहमदावादमे मजदूरोंकी सभामें भाषण।
- २६ अगस्त अहमदावाद नगरपालिकाके अभिनन्दनके उत्तरमे भाषण।
- २८ अगस्त 'यंग इंडिया' मे प्रकाशित अपने लेख "गुलबर्गाका पागलपन" मे हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए अपील की।
- २९ अगस्त वम्बई पहुँचे।  
वम्बई निगमके अभिनन्दनके उत्तरमे भाषण।
- ३० अगस्त मोतीलाल नेहरूकी लिखे अपने पत्रमे गांधीजीने 'पूर्ण समर्पण' की अपनी शर्तोंका उल्लेख किया तथा कांग्रेस-संगठनके मुद्दारके लिए मुझाव दिये।  
राष्ट्रीय महिला परिषद् द्वारा आयोजित दादाभाई नौरोजीके जयन्ती-समारोहमें भाग लिया।
- ३१ अगस्त राष्ट्रीय एकतापर वक्तव्य देते हुए मोतीलाल नेहरूके सम्मुख अपने 'पूर्ण समर्पण' के कारणोंपर प्रकाश डाला।  
एकमेतिमयर थियेटरमे मलाबार वाढ-महायता कोषके लिए आयोजित पाग्मी राजकीय मण्डलकी सभामे भाषण।  
वम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमे अहमदावादमे पास किये गये क्वार्टर-प्रस्तावकी आलोचनाका उत्तर दिया।
- २ सितम्बर प्रिसेस स्ट्रीटपर स्थित खादी भण्डार देखने गये।  
शामको नेशनल मैडिकल कालेजमे पारितोषिक वितरण किया।  
रातके ९ बजे वम्बई प्रान्तीय कांग्रेस समितिकी सभामे भाषण
- ३ सितम्बर वम्बईमे रातकी गाडी द्वारा पूनाके लिए रवाना हुए।
- ४ सितम्बर पूनामे मार्चजनिक सभामे भाषण।  
भारत सेवक समाज (सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) गये। तिरुक् महाविद्यालयके दीक्षांत-समारोहमे भाषण।  
कांग्रेसी कार्यकर्ताओंको पद-त्याग करने और जाननेकी मन्दाह दी।

- ५ सितम्बर अहमदाबादके रास्ते बम्बई वापिस आये।  
सूरत पहुँचे और गामको सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।
- ६ सितम्बर मोतीलाल नेहरूको एक पत्रमे कांग्रेसका विभाजन न होने देनेके निर्णय-पर जोर दिया।  
राजगोपालाचारीको लिखे अपने पत्रमे गांधीजीने इस बातपर जोर दिया कि  
“यदि हमे अपने उद्देश्योमे आस्था हे तो हमे पूर्णरूपसे सत्ताका परित्याग कर देना चाहिए।”
- ९, १० सितम्बर कोहाटमे दगे, हिन्दुओको निकाला गया।
- १३ सितम्बर हिन्दू-मुस्लिम दगोके सम्बन्धमे अहमदाबादसे दिल्लीके लिए रवाना हुए।
- १४ सितम्बर दिल्ली पहुँचे।
- १५ सितम्बर दिल्लीमे ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ का उद्घाटन किया।
- १७ सितम्बर मुहम्मद अलीके घरपर २१ दिनका उपवास गुरु किया।
- १८ सितम्बर प्रातः २ बजे दिये गये अपने वक्तव्यमे गांधीजीने बताया कि २१ दिनका यह उपवास प्रायश्चित्त और प्रार्थना दोनो ही है।
- २४ सितम्बर एकता सम्मेलनके सम्बन्धमे समाचारपत्रोको दिये एक वक्तव्यमे गांधीजीने ‘पैवन्द ओर थेगलीवाली कृत्रिम शान्ति’की अपेक्षा हृदयकी एकताके बढ़ानेपर जोर दिया।
- २६ सितम्बर दिल्ली एकता सम्मेलनमे एक प्रस्ताव पासकर गांधीजीसे उपवास समाप्त करनेकी प्रार्थना की गई।
- २७ सितम्बर गांधीजीने एकता सम्मेलनकी प्रार्थनाको माननेसे इनकार कर दिया।
- १ अक्टूबर बम्बईकी महिलाओका एक गिण्ट-मण्डल गांधीजीसे मिला और उनसे उपवास तोडनेका अनुरोध किया।  
बम्बईकी एक सार्वजनिक सभामे एनी बेसेटकी ७८ वी वर्षगांठपर गांधीजी द्वारा भेजा गया सदेश पढा गया।
- २ अक्टूबरसे पूर्व जेनेवा अन्तर्राष्ट्रीय अफीम-सम्मेलनसे रवीन्द्रनाथ ठाकुरके साथ गांधीजीने अपील की कि दवाओको छोडकर दूसरे सभी उद्देश्योके लिए अफीम-व्यापार बन्द किया जाये।
- ८ अक्टूबर हिन्दू-मुस्लिम एकतापर वक्तव्य देनेके बाद गांधीजीने १२ बजे दोपहर को अपना २१ दिनका उपवास तोडा।  
पिंजरापोलको भेजनेके लिए मुहम्मद अलीने कसाईसे एक गाय खरीदकर गांधीजीको भेट की।
- ९ अक्टूबर गांधीजीने अखवारोको एक सदेशमे कहा कि भारतके सभी भाई-बहन एकताके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करे और अपना पूरा सहयोग दे।
- १६ अक्टूबर ‘यंग इंडिया’ मे कताई सदस्यताकी आवश्यकतापर फिर जोर दिया।  
एक पत्र लिखकर वाइसरायसे कोहाट जानेकी अनुमति माँगी।
- २० अक्टूबर ट्रान्सवालके भारतीयोको एक सन्देशमे कहा कि वे अपने सम्मानपूर्ण अस्तित्वके लिए अन्ततक सघर्ष करे।

- २३ अक्तूबर 'यग इंडिया' में प्रकाशित 'प्रेमका विधान' में गांधीजीने अपरिवर्तन-वादीयोसे कहा कि वे अपने साथी स्वराज्यवादीयो एव लिवरलोके सामने गोभनीय ढंगसे झुक जाये।
- २८ अक्तूबर वाइसरायने गांधीजीको कोहाट जानेकी अनुमति देनेमें इनकार कर दिया।
- ३० अक्तूबर सयुक्त प्रान्त राजनीतिक परिपद्, गोरखपुरके लिए एक सन्देशमें गांधीजीने वगाल सरकारकी अनियमितताकी निन्दा की और लोगोसे शान्ति बनाये रखनेकी अपील की।
- २ नवम्बर दिल्लीसे कलकत्ताके लिए रवाना।
- ६ नवम्बर स्वराज्य दलके नेताओके साथ एक मयुक्त वक्तव्यमें सगठित ढंगसे कार्य करनेकी और असहयोग तथा कताई मदस्यताको स्थगित करनेकी घोषणा की। टाउन हालमें कलकत्ता निगम द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमें भाषण।
- ७ नवम्बर अपरिवर्तनवादीयोके साथ हुई बातचीतमें स्वराज्य दलके नेताओके साथ हुए समझौतेकी पेशीदगियोंका खुलासा किया। हावडा टाउन हालमें हावडा नगर-पालिका द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमें भाषण। स्वराज्य दलके नेताओसे हुए समझौतेपर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेट। दिल्लीके लिए रवाना हुए।
- १० नवम्बर दिल्लीमें, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे एक भेटमें बताया कि कलकत्ता समझौतेको अन्तिम निर्णयके लिए वम्बईके सर्वदलीय सम्मेलनमें रखा जायेगा।
- १३ नवम्बर 'यग इंडिया' में कलकत्ता-समझौतेके बारेमें सविस्तार लिखा। एक पत्रमें रोमाँ रोलाँको लिखा कि कुमारी मैडिलीन स्लेड (भीरावहन) भारत पहुँच गई है और मैं उनके पूर्व और पश्चिमके बीच एक लघु सेतु बन सकनेमें पूरी सहायता करूँगा। मार्टन स्कूल गये, रामजम कालिजके विद्यार्थियोंके बीच भाषण दिया। अली भाइयोकी माता, वी-अम्माँके कफन-दफनमें शामिल हुए।
- १४ नवम्बर न्यूयार्कके 'वर्ल्ड टुमारो'को एक सन्देशमें कहा कि 'अहिंसा सभारकी सबसे बड़ी शक्ति है।'
- १६ नवम्बर कोहाटके प्रग्नपर वक्तव्य।
- १७ नवम्बरमें पूर्व गांधीजीने तिरुवन्नामलईमें हुई तमिलनाड परिपद्को एक सन्देशमें बताया कि स्वराज्यवादीयोके साथ हुए समझौतेका आधार अहिंसकी भावना थी।
- १९ नवम्बर दिल्लीसे वम्बईके लिए रवाना हुए।
- २० नवम्बर वम्बई पहुँचे।
- २१ नवम्बर वम्बईमें कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठकमें भाषण। वम्बईमें, सर्वदलीय सम्मेलनमें गांधीजीने वगाल अधिनियमपर पहला प्रस्ताव पेश किया।

- गांधीजीने ऐसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे हुई एक भेटमें स्थानीय अखबारोमें प्रकाशित कताई-सदस्यता हटा लेनेकी खबरको गलत बताया।
- २२ नवम्बर सर्वदलीय सम्मेलनमें एकतापर भाषण।
- २३ नवम्बर अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी बैठकमें कलकत्ता समझौतेकी स्वीकृति का प्रस्ताव रखा।  
वी० अम्मांकी मृत्युपर शोक प्रकट करते हुए गांधीजीने चौपाटीकी सभामें भाषण दिया।
- २५ नवम्बर वम्बईसे अहमदावादके लिए रवाना हुए।
- २६ नवम्बर अहमदावाद पहुँचे।
- ३० नवम्बर अहमदावादमें गुजरात राष्ट्रीय विद्यालयके विद्यार्थियोंके समक्ष भाषण।
- ४ दिसम्बर लाहौर पहुँचे, श्री लाजपतरायके घरपर उनसे और ५० मदनमोहन मालवीयसे सलाह-मशविरा किया।
- ५ दिसम्बर अमृतसर पहुँचे।  
दोपहर बाद स्वर्ण-मन्दिरमें भाषण।  
ग्रामको जलियाँवाला बागमें आयोजित एक सार्वजनिक सभामें भाषण।
- ६ दिसम्बर पंजाब प्रान्तीय खिलाफत सम्मेलनमें हिन्दू नेताओपर जफरअली द्वारा लगाये गये आरोपोका उत्तर।  
लाहौरकी पंजाब कौमी विद्यापीठमें दीक्षान्त भाषण दिया।
- ७ दिसम्बर पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनमें अध्यक्ष पदसे भाषण दिया।
- ८ दिसम्बर गांधीजीके अनुरोधपर हिन्दू-मुस्लिम एकताको दृढ करनेके उपाय खोजनेके लिए खिलाफत सम्मेलनके प्रतिनिधि लाहौरमें मिले।
- ९ दिसम्बर रावलपिंडीमें भाषण करते हुए गांधीजीने हिन्दू शरणार्थियोंको सलाह दी कि वे सरकारके कहनेपर कोहाट वापस न जायें।
- ११ दिसम्बर प्रातः रावलपिंडीसे अहमदावादके लिए रवाना हुए, रास्तेमें लाहौर स्टेशनपर 'ट्रिब्यून' के प्रतिनिधिसे कोहाटके मामलेपर भेट।
- १३ दिसम्बर अहमदावाद पहुँचे।
- १४ दिसम्बर समाचारपत्रोंको दिये गये अपने वक्तव्यमें गांधीजीने लोगोंको चेतावनी दी कि मेरे द्वारा प्रमाणित न किये गये पंजाबके मेरे भाषणोंके विवरणोंपर वे विश्वास न करें।
- १८ दिसम्बर अहमदावादसे वेल्गाँवके लिए रवाना।
- २० दिसम्बर गांधीजी वेल्गाँव पहुँचे।
- २१ दिसम्बर वेल्गाँव नगरपालिका और जिला बोर्ड द्वारा दिये गये मानत्रपके उत्तरमें भाषण।
- २३ दिसम्बर वेल्गाँवमें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने कलकत्ताके समझौतेकी पुष्टि करनेके लिए एक प्रस्तावका मसविदा तैयार करनेके उद्देश्यसे गांधीजीकी अध्यक्षतामें सोलह सदस्योंकी एक विषय समितिका गठन किया।

- २४ दिसम्बर विषय समितिने कलकत्ता समझौता और कताई सदस्यताका समर्थन करनेवाले प्रस्तावको स्वीकृत किया।  
कांग्रेस पडालमे डा० किचलूकी अध्यक्षतामे खिलाफत सम्मेलन हुआ।
- २५ दिसम्बर वेलगाँवमे विषय समितिकी बैठकमे गाधीजीने अपरिवर्तनवादियोसे अपील की कि वे स्वराज्यवादियोमे विश्वास रखे।
- २६ दिसम्बर गाधीजीकी अध्यक्षतामे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका ३९ वाँ अधिवेशन शुरू हुआ। गाधीजीने अध्यक्षीय भाषण दिया तथा कलकत्ता समझौतेका समर्थन करनेवाले प्रस्तावपर अपने विचार व्यक्त किए।
- २७ दिसम्बर मुंबई पाँचवे अखिल भारतीय छात्र-सम्मेलनमे भाषण।  
कांग्रेस अधिवेशनमे विभिन्न प्रस्तावो और एनी बेसेंटेके वक्तव्यपर भाषण।  
गाधीजी द्वारा पहले हिन्दी तथा बादमे अंग्रेजीमे दिये गये प्रभावशाली भाषणके साथ कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ।  
अस्पृश्यता परिषद्मे भाषण।  
कांग्रेस पडालमे हुए हिन्दू महासभाके अधिवेशनमे शामिल हुए।
- २८ दिसम्बर गोरक्षा परिषद्मे अध्यक्षीय भाषण।
- ३० दिसम्बर अखिल भारतीय देशी रियासत-परिषद्मे भाषण।
- ३१ दिसम्बर वम्बईमे हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अधिवेशनमे गाधीजीने 'नेटाल-बरोज अध्यादेश'की निन्दा की।

१९२५

- १ जनवरी गाधीजीने अपने लेख "बोलनेविज्म या आत्मसयम" पर श्री एम० एन० रायकी आलोचनाका 'यंग इंडिया' मे उत्तर दिया।
- २ जनवरी दाहोद और गोधरामे भाषण।
- ८ जनवरी भावनगरमे हुई तीसरी काठियावाड राजनीतिक परिषद्मे अध्यक्षीय भाषण।
- ९ जनवरी काठियावाड राजनीतिक परिषद्मे समापन भाषण दिया।  
सामलदाम कालेजमे विद्यार्थियोके कर्तव्यपर भाषण।
- १४ जनवरी अहमदाबादमे, गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमे भाषण।  
गुजरात विद्यापीठमे दीक्षान्त भाषण।
- १५ जनवरी गाधीजीने कताई-सदस्यताको कार्यान्वित करने सम्बन्धी सूचनाएँ 'यंग इंडिया' मे सक्षेपमे दी।  
सोजिनामे हुई खेडूत-परिषद्मे भाषण।



## शीर्षक सांकेतिका

टिप्पणी, १०७-८, १५६-५७, २०१-२,  
२१६, २३७, ३००-१, ३०४-५,  
-[णियाँ] ५-११, १४-१९, ३६-३७,  
४४-४८, ८०-८४, ११९-२७, १५२-  
५४, १६१-६३, १७१-७७, १९८-९९,  
२२५-२७, ३३८-३९, ३५४-५७,  
३९१-९३, ३९६-९९, ४०९-१४,  
४६६-७०, ४९३-९७, ५६४-६५,  
५८१-८३

तार, १८९, -अनन्तरामको, ४९३,  
-अबुल कलाम आजादको, २६३, २७९,  
३२९, ३९६, -अब्दुल वारीको, १३९  
१५६, २८४, -'आउट लुक' को,  
१९८, -एन० एच० वेलगाँववालाको,  
१४, -एस० श्रीनिवास आय्यगारको,  
२१७, -कुम्भकोणम् काग्रेस कमेटीको,  
२२१, -कृष्णदासको, १३९, -कोण्डा  
वैकटप्पैयाको, २६४, -घनग्यामदास  
विडलाको, २२८, ३०१, -चक्रवर्ती  
राजगोपालाचारीको, १८९, २७७,  
-चित्तरजन दासको, २५९, ३०१,  
-जफर अली खाँको, ३०३, -जमना-  
दास द्वारकादासको, १६०, -जवाहर-  
लाल नेहरूको, ३९५, -डॉ० वी० एस०  
मुजेको, २५८, २६३, -डॉ० सत्य-  
पालको, ३९५, -पण्डित मदनमोहन  
मालवीयको, १०२, -पीलीभीत काग्रेस  
कमेटीके मन्त्रीको, २६२, २६४, -प्रभा-  
शकर पट्टणीको, ५७६, -बालमुकुन्द  
वाजपेयीको, १३९, -बी० सुब्रह्मण्यमको,  
३२३, -ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको, ३७९,

मथुरादास त्रिकमजीको, २४१, -मु०रा०  
जयकरको, २२०, -मुहम्मद अलीको,  
१०२, -मोतीलाल नेहरूको, ७१, २५७,  
२५९, २६२, २६३, वायडसरायके  
निजी सचिवको, २८२, २८५, -गाहजी  
अहमद अलीको, २५७, -सुरेन्द्रनाथ  
विश्वासको, ६२१, -हिन्दी साहित्य  
सम्मेलनको, ३०२

पत्र अजमेरके यातायात अधीक्षकको, १२-  
१३, -अब्दुल मजीदको, ४३, -अब्बास  
तैयबजीको, ३२, २१०, ४०८,  
अमीरचन्द सी० बम्बवालको, ३५१-  
५२, -अवन्तिकावाई गोखलेको,  
५७४, -आनन्दानन्दको, ११७, १५५,  
-आर० शर्माको, ३४४, -इन्द्र विद्या-  
वाचस्पतिको, १३८, -एक मित्रको,  
६९, १३७-३८, -एनी वेसेटको, १५४,  
१८५, २५८, -ए० वरदन्को, ४६०,  
-कनिकाके राजा साहवको, ११३,  
३५३, -कपिल ठक्करको, ५७५,  
-कर्नल मेलको, ३४०, ४२३, -काका  
कालेलकरको, ३४५, -कान्ति गाधीको,  
७०, -कुँवरजी विठ्ठलभाई मेहताको,  
४६२, -कुमारी मैडिलीन स्लेडको,  
५५७, -कृष्णोदासको, ३१९, -गगावहन  
वैद्यको, २११, २४६, २९०, -गोपबन्धु  
दासको, १०३, घनग्यामदास विडलाको,  
२९, ३०, ४१, २४४, -चक्रवर्ती  
राजगोपालाचारीको, १०५-६, १४०,  
१५८, ३४५-४६, -छगनलाल गाधीको,  
३९४, -जमनालाल वजाजको, ३१,

१०६-७, ११८, -जमनादास गाधीको, २३८, -जवाहरलाल नेहरूको, १०४-५, १५७, १९३, ३२४-२५, ३४८, -जी० ए० नटेशनको, ४६५, -जीवतराम वी० कृपलानीको, ३४६-४७, -डाह्याभाई एम० पटेलको, २७५, ४६५, -तारामती मथुरादासको, ११९, -तुलसी मेहरको, २११-१२, -देवचन्द पारेखको, ६१५, -देवदास गाधीको, २१०, २८४, २९०, -न० चि० केलकरको, ५६६, -नरहरि परीखको, २३२, -ना० मो० खरेको, २३९-४०, २७६, -प्रभाशकर पट्टणीको ४०८, ४६०, ४६२-६३, ४७६, ५७५, -फॉरवर्डको, ४६६, -फूलचन्द शाहको, १४०-४१, ३२२, ५७४, -वम्बईके यातायात महाप्रबन्धकको, ६८, -बाबू भगवानदासको, ३८४-८५, -ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको, ३८०, -भगवानजी अनूपचन्द मोदीको, ४६३, -भवानी दयालको, ३२, -मगनलाल गाधीको, ३४३, ४०५, ४०६-७, -मणिवहन पटेलको, २२८, २९१, -मथुरादाम त्रिकमजीको, ११८-१९, १६८, २७६, ४६१, ६१५, -मुहम्मद अलीको, ११३-१५, १६६, २४२, ३२१, -मोतीलाल नेहरूको, ५६-५८, ६८-६९, १०३-४, १६८, २३०-३१, २८८-८९, -रमा वाई पट्टणीको, ४०७, -राजगोपालाचारीको, ३७-३९, -राधा गाधीको, १, १४१, १८६, -रुक्मिणी गाधीको १६९, -रेहाना तैयबजीको, ५७३, -रोमाँ रोलाँको, ३४१, -लक्ष्मीको, १९३, ३२२-२३, -लक्ष्मीनिवास

विडलाको, ५७६, -लाला लाजपत-रायको, २८३, २८६, ३२६-२८, ३५१, -वल्लभभाई पटेलको, १६१, -वसु-मती पण्डितको, १, ११६, १६९, २००-१, २७४, २८६-८७, ३२८-२९, वाइसरायके निजी सचिवको, २५४-५५, २८०, वाइकोम सत्याग्रह आश्रम के मन्त्रीको, ६७, -वि० ल० फडकेको, ४७५, -वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको, २००, ३२३-२४, -शरद् कुमार घोषको, १४२, -शान्तिकुमार मोरारजीको, २४३-४४, ३२८, -शुएव कुरैशीको, ६७-६८, ३२५-२६, -श्रीमती हॉजकिन्सनको, २३३, -सतीशचन्द्र मुखर्जीको, ११५-१६, २२१, ३१८, ३५०, ३८३, -सन्तोक गाधीको, ७२, -सन्मुखरायको, १४२, -सरला देवी चौवरानीको, २१७, २२४, -सी० एफ० एन्ड्र्यूजको, ३९, ४०, १६७, १७०, १८५-८६, २६१, २८०, ३८३-८४, ४२५, ४७५, -स्वामीजीको, ३४७, -स्वामी श्रद्धा-नन्दको, २४५, -हरनामसिंहको, २०९, -हिन्दी साहित्य गम्मेलनको, ३०२

प्रस्ताव, कलकत्ता-समजोते तथा कतार्ई-सदस्यताके बारेमे, ५२६-२८, -ब्रेल-गाँव काग्रेसमे, ५३७-३९, -सरोजिनी नायडूकी मराहनामे, ५३३-३४

प्रस्तावना, -'श्री रामकृष्णकी जीवनी'की, ४५८ भाषण, -अ० भा० काग्रेस कमेटी, वम्बईमे ३७२-७७, -अ० भा० छात्र गम्मेलन, वेलगाँवमे, ५३२, -अ० भा० देगी रियासत-परिषद्मे, ५५५-५६, -अ० भा० मुस्लिम लीग अधिवेशनमे, ५५७-

५८, -अन्त्यज आश्रम गोधरामे, ५६७-६९, -अपरिवर्तनवादियोंके समक्ष, ४७९-८०, -अमृतसरकी सार्वजनिक सभामे, ४२७-२८, -अमृतसरके खिलाफत-सम्मेलनमे, ४२९-३०, -अमृतसरके स्वर्ण मन्दिरमे, ४२६-२७, -अस्पृश्यता सम्बन्धी प्रस्तावपर, ५३५, -अहमदावाद नगरपालिकाके अभिनन्दनके उत्तरमे, ४१-४३, -एक्सेलिसियर थियेटर, बम्बईमे, ५९-६६, -एनी बेसेटके वक्तव्यपर, ५३६-३७, -कताई प्रतियोगिताके सम्बन्धमे, ५४०-४१, -कलकत्ताके कताई-प्रदर्शनमे, ३१०, -कलकत्ता नगर निगम द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमे, ३०८-९, -कलकत्ता समझौतेपर, ५२९-३१, -कांग्रेस कमेटीकी बैठकमे, ७१, -कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठकमे, ३६१, -काठियावाड राजनीतिक परिषद्, भावनगरमे, ५९९-६०४, -कोहाट और गुलबर्गाके दगोसे सम्बन्धित प्रस्तावपर, ५३४, -खेडूत परिषद्मे, ६३४-३८, -गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमे, ६१६, -गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठ, अहमदावादमे, ४०४-५, -गोधराकी सार्वजनिक सभामे, ५६९-७०, -गोरक्षा-परिषद्मे, ५४९-५५, -तिलक महाविद्यालय पूनाके दीक्षान्त समारोहमे, ९६-९७, -दाहोदकी सार्वजनिक सभामे, ५६६-६७, -नेशनल मैडिकल कॉलेज, बम्बईमे, ७०, -पजाव प्रान्तीय सम्मेलनमे, ४४१-४२; -पदाधिकारियोंसे सम्बन्धित प्रस्तावपर, ५३९-४०, -पूनाकी

सार्वजनिक सभामे, ९४-९५, -बम्बई निगमके अभिनन्दनके उत्तरमे, ५५-५६, -बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमे, ६६, -ब्रेलगाँव कांग्रेसकी विषय समितिमे, ४८४-८५, ४८६-९२, -ब्रेलगाँव कांग्रेसमे, ५३६, -ब्रेलगाँव कांग्रेसमे शोक प्रस्तावपर, ५२५-२६, ५३२-३३, -ब्रेलगाँवकी अस्पृश्यता परिषद्मे, ५४५-४८, -मजदूरोकी सभा, अहमदावादमे, ३३, -मानपत्रके उत्तरमे, ४८१, -रामजस कालेज दिल्लीमे ३४१-४२, -रावलपिडीमे, ४४२-४४, -विषय समितिकी बैठकमे, ५८४-८५, -शामलदास, कालेज, भावनगरमे, ६०९-१३, -शोक सभामे, ३७८-७९, -सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमे, ३६२, ३६४, ३६५-६६, -सूरतकी सार्वजनिक सभामे, ९९-१०१, -सूरतके कांग्रेसी कार्यकर्ताओंके समक्ष, ९९, -हावडा नगरपालिका द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमे ३१४-१५, -'हिन्दुस्तान टाइम्स', दिल्लीके उद्घाटन समारोहके अवसरपर, १५९, -[अव्यक्षित] काठियावाड राजनीतिक परिषद्मे, ५८५-९८, -पजाव प्रान्तीय सम्मेलनमे, ४३८-४१, -ब्रेलगाँव कांग्रेसमे, ५०४-२५, -[उद्घाटन] ब्रेलगाँव कांग्रेसमे, ४९७-५०४, -[दीक्षान्त] गुजरात विद्यापीठ, अहमदावादमे, ६१६-२१, -पजाव कौमी विद्यापीठमे, ४३०-४३३, -[समापन] काठियावाड राजनीतिक परिषद्मे, ६०४-९, -ब्रेलगाँवमे, ५४१-४५

भेट, -एसोसिएटिड प्रेस ऑफ उडियाके पतिनिधिमे, ३१५-१६, ३१९-२०, ३६४, -'ट्रिव्यून' के प्रतिनिधिमे, ४५५-५७, -हिन्दू-मुस्लिम एकता-पर, ३१

वक्तव्य, -उपवास तोउनेके पूर्व, २४०-४१, -कोहाटके प्रश्नपर, ३४८-४९, -प्रेल-गांवमे जाग्रेमकी फिजूलखर्चीपर, ४८५-८६, -राष्ट्रीय एकताके बारे-मे, ५८-५९, -नमाचाग्रवांको, २२४ २५, ४६१-६२

नव्वेश, -अन्तर्गर्तीय अफीम-सम्मेलनको, २३६, -अगवारोको, २४३, -एनी वेमेटके जन्म-दिवसपर, २३४, -गुजराती पत्रकारोको, २९८-९९, -'गुण सुन्दरीको', २३३, -ट्रान्मवालके भागतीयोको, २६१, -नमिलनाड परिपद् तिरुवन्नामलईको, ३४९, -देवचन्द पारेखको, ४६३-६४, -'वगाली' को, ३०२, -'वाँम्बे कौनिकल' को ३६०, -आहीरके 'हिन्दू' को, १६०, -'वल्ड टुमारो'को, ३४३-४४, -सयुक्त प्रान्त राजनीतिक परिपद्, गोरखपुर-को, २८७-८८, -'साझ वर्तमान'को, १०१, -'स्टेट्समैन'को, २४२

सम्मति, -मॉडर्न स्कूलकी दर्शक-पुस्तिकामे, ३३९

### विविध

अन्त करणकी आडमे, २४-२५, अपरिवर्तनवादियोंकी दशा, ३८९-९१, अपरिवर्तनवादियोंके साथ वातचीत, ३१०-१४, अब क्या करे?, ४०२-३, अब्राह्मण, ६२९, अविस्मरणीय, ७३-६, असफलताके कारण, १४७-५२, असहयोगीका कर्तव्य,

२४५-४६, अमहयोगी विद्यार्थी, ४७६-७९, अहुमज्द और अहमन, ४८२-८३, आंकाउपर विचार, ५१-५२, आवे घटेका अम्याम, २०२-३, इलाहावाद और जवलपुर, २५४, ईश्वर एक है, १९०-९२, ईश्वर हम सबकी महायता करे, ३८०-८२, उनके प्रति हमारा कर्तव्य, २०४-५, उपवासकी कहानी, २१२-१६, एरु रास्ता, २५९-६१, एककी सो देशकी, ३६६-६७, एक चेतावनी, ४५१, एन्ड्र्यूजके साथ वातचीत २४७-५२, कर्ताई-सदस्यता, २५३, कपाम वचाओ, ४३७-३८, कला और राष्ट्रीय विकास, ४५४, कमीटीपर, ८५-८८, ३५७-६०, काठियावाड राजनीतिक परिपद्, ६२६-२७, काठियावाडियोंसे, ५७१-७२, काम नहीं तो राय नहीं, २१७-२०, कार्य समिति, ५७७-७८, किस आशामे, ४३५-३७, केनियाकी शिकायत, ३०५-६, केनियाके हेरी थुकू, ४२४, कैसे करना चाहिए, ५६२-६३, कोहाटका दुष्काण्ड, ४७०-७२, क्या असपृश्यताका वचाव हो सकता है, ४२३-२४, क्या गुजरात हार जायेगा, २३५, क्या हममे एकता होगी, ३८५-८८, क्षमा प्रार्थना, १२, खाजा हसन निजामीके साथ वातचीत, २५५-५७, गगावहन वैद्यके लिए पुस्तकोके सम्बन्धमे टिप्पणी, २५२-५३, गांधीजी और स्वराज्यवादियोंका सयुक्त वक्तव्य, ३०७-८, गांधीजीका खुलासा, १८४, गांधीजीके लिए या देशके लिए, ११-१२, गुजरातका बर्म, ३६८-६९, गुणकुल कागडी, २५४, गुलबर्गाका पागलपन, ४८-५१, घूमता चक्र, ६२८, जी० रामचन्द्रन्के साथ वातचीत, २६४-७४, तपकी महिमा,

२४१, तेरह आदेश, ४३४, दक्षिण भारतके बाढ-पीडितोको सहायता, ५५, दादाभाई नौरोजीकी जयन्ती, १०९-११, देश-भक्तिके आवेशमे पागलपन, ४७३-७४, दो दृश्य, २९१-९३, दो पहलू, ५२-५४, दो प्राचीन पुस्तके, ११२, धर्मके लिए 'अधर्म' २०६, ध्वजको झुकायातक नही, ४१४-१८, 'नवजीवन' के पाठकोसे, २०७, नोटिस?, ६२२-२५, पतितोके लिए, ७९-८०, पहली परीक्षा, ३३-३६, -प्रेमका नियम, २७७-७९, पाटीदार और अन्त्यज, ४५८-५९, पाठकोसे, २२२-२३, पूनाके कार्यकर्त्ताओके साथ चर्चा, ९७-९९, फीजीकी वह रिपोर्ट ४२२, बनारसमे कताई, ७७-७८, बम्बईका खादी भण्डार, ७७, बम्बईकी उदारता, १११-१२, बम्बईके महिला शिष्टमण्डलको उत्तर, २३५, बेलगाँवके सस्मरण [-१] ५५८-६१, [-२], ५७८-८१, बोलशेविज्मका अर्थ, ५६५, बोलशेविज्म या आत्मसयम १९-२१, भाई परमानन्दके सन्देशका उत्तर २३६, मनसे और बेमनसे, ५७२-७३, मलावार सकट निवारण, २-४, महादेव देसाईके साथ बातचीत १८७-८८, मार्गकी काठिनाइयाँ, २६-२८, मेरा अवलम्ब, २३८-३९, मेरा असन्तोष, २९९-३००,

मेरा पथ, ४५२-५३, मेरी आस्था, ६२२, मेरी पजाव यात्रा, ४४४-५१, मौन-दिवसकी टीप, १६६, राजद्रोहात्मक किसे कहे?, ४२०-२१, राष्ट्रवादके सम्बन्धमे सचार्ड, ३९३-९४, वास्तविकताएँ, १२७-३२, विद्यार्थी क्या करे?; ३७०-७२, विरोधी मित्र, ४००-१, विविध विषय, ४०३-४, शक्तिका अपव्यय, २१-२४, शावाश!, ६२५-२६, शिक्षक और चरखेकी शिक्षा, ५, शीकत अलीसे बातचीत, १९४-९७, श्रद्धाकी परीक्षा, २०७-९, सदस्यताकी नई शर्त कार्यान्वित करनेकी विधि, ६३०-३४, सफलताकी कुजी, २९६-९८, सबसे बड़ा प्रश्न, १७७-८१, समझौता, ३२९-३४, समझौतेपर टिप्पणियाँ, ३३४-३८, समयका मूल्य, ३१६-१८, समयकी पावन्दी, ३०३-४, सूतकी जाँच, १०८-९, स्थगित करे या त्याग दे?, ४१९-२०, स्पष्टीकरण, १८२-८३, स्वराज्यके व्यापारी, ६१३-१४, हबिसयोकी सहानुभूति, २८, हितोका सघर्ष, २९३-९६, -हिन्दू और मुसलमान २८१-८२, हिन्दू-मुस्लिम एकता, १४३-४७, हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी प्रस्तावका मसविदा, २२९-३०, हृदय-परिवर्तन, २३२

## साकेतिका

अ

अनन्द, ११७

अप्रेज, - और साम्राज्यवाद, १९-२०, - [ १ ]  
 ती मेरावृत्ति, ११०, - के प्रति गांधीजी-  
 के मनमें कोई दुर्भावना नहीं, ६५, ७५-  
 ७६, २३१, २७९, ४९२, ५२४

अप्रेजी, - का म्यान, ५१५

अप्रेजी ध्यानन, २०४

अकाली, ३८२, ५२३, ५७८

अन्ववाराता महत्त्व, ६११

अन्वा भगन, ५६९

अग्निव भारतीय देशी ग्यामन परिपद,  
 ब्रेलगावमे, ५५५-५६

अजमन्ता हकीम, ५०, १५६, १६६, १८२,  
 १८८, १९४, १९८, २००, २१४, २८०,  
 ३२५, ३६५, ३८८, ८०९, ८३८-९,  
 ४४०

अडाजानिया, मोंगवजी, ३९९

अणे, ५७७

अनन्तगाम, ६९३

अनिरुद्ध, ६०३

अन्नगतमाकी आवाज, २४-२५, ३६

अन्ता, लक्ष्मीभाई, ५४१

अन्त्यज, २, ८, ५६७-९, ६१५, - और  
 पाटीदार, ४५८-५९, देविए अम्बुय्य  
 अन्मारी, डॉ० मु० अ०, ५०, १६६, २१५,  
 २३१, २५८, ३१८-९, ३२६, ३५४,  
 ३६१, ३८५, ३९७, ४३९, ४४७,  
 - द्वारा कताई, २०३

अपरिवर्तनवादी, - [ दियो ] का अमहयोगके  
 म्यगनके वाद कर्तव्य, २७७-७९,

३८९-९०, ४१८-१५, ४६८-६९,

८८०, ४८२-८३, ४८८, ४९०-२

अपर्णादेवी, ८६, ८८

अफीम, - का व्यापार, २५०-५१, ५२०,  
 - पर कायमका प्रस्ताव, ५३८-३९,  
 - सम्बन्धनको मन्देश, २३६

अवृत्तगर, ५९३

अधुगु गनी, १३५

अत्राह्यण सम्मेलन, ६२९

अम्यकर, एम० वी०, ५२८, ५३०

अमीर अली, ९१, १९२

अमीरचन्द, ३५१

अय्यगर, एम० श्रीनिवास, २१७, ३६५,  
 ४८५

अय्यर, डा० नुन्नहाण्यम्, ५०४-५२५

अय्यर, नर पी० एम० शिवस्वामी, ३६५

अराजकनावादी, ४५३, - और स्वराज्यवादी  
 ३३१, - [ दियो ] के वारेमे गांधीजीके  
 विचार, ३०९, - मे गांधीजीकी अपील,  
 २९५, ८३२, ५२२

अरुन्मा, तारामती, ५४०

अर्जुन, ९३-९८, १००

अर्थशास्त्र, - और नैतिक मूल्य, ५०८-९

अर्ली जोरोस्ट्रियनिज्म, ९०

अल-कलाम, शिवली-कृत, ९१, १३५

अल फारुक, ९१

अलीवन्दु, २०, १००, १७४, २८३, ३७८,  
 ४२९, ४३९, ४४७, - द्वारा कताई,  
 १५, देखिए शीकत अली और मुहम्मद  
 • अली भी

अली सावरी, ५२९

अवारी, मचरगा, १२२

अवेस्ता, देखिए जेन्द-अवेस्ता

अशफाक, ११४

अश्वत्थाचार्यलु, के०, ८५

असहयोग, ५७, ७५, १४७-८, १५१, १७१-२, १८८, १९३, २७७, २९३, २९९, ३४४, ३४९, ३६०, ३८१, ३८६, ४३२, ४३९, -और अहिंसा, १२७-८, २१२-३, २३१, २७८, ३८९, ४०१, ५०५, -और राष्ट्रीय शिक्षण सस्याएँ, ३६८, ३७०-२, ४०४, -और वकील, ३७०, -और विद्यार्थी, ३७०-२, ४६८-७१, -और व्यापारमे मन्दी, ४००, -और सत्याग्रह, ४२७, ५२४, -और सविनय अवज्ञा, ५२४, -का अर्थ, ४६९, -का विवेचन, ३३०-१, ३६८-९, ५२४, -देगी राज्योमे, ५९४-५, -बुराईमे, ३४२, -व्यक्तिगत, ३११, ३६०, -स्थगित, २४५-६, २७८, ३०७, ३११, ३१३-४, ४१९-२०, ४९६

असहयोगियोंकी सराहना, ३६८-९, ५६०

अस्पृश्य, ५५, २०४, ३३५, ३४४, ३९०, ६१८, ६३८, -[ १ ] की अमृतलाल ठक्कर द्वारा सेवा, ४३४, -के प्रति व्यवहार, २६-२८, देखिए अन्त्यज भी अस्पृश्यता, २६, १०५, २२२, २५१, २९९, ५४४, -और हिन्दूधर्म, १२२, ४३६, ५४२, ५४५-८, ५६९, ५९७, ६००-३, -काठियावाडमे, ४३६-३७, ५९२, -का निवारण, २७, ५७, ६३, ७१, ७५, ८१, ९७, १३०, १४९, २७५, २८७-८, ३०७, ३६७, ३६९, ३८२, ४१७, ४४१, ४७९, ५१३, ५१८, -की परिभाषा, ५४८, -पर कांग्रेस प्रस्ताव, ५३५, -परिषद् बेलगाँवमे, ५४५-८

अहमद अली, शाहजी, २५७

अहरमन, ४८२-८३

अहिंसा, ६३, ७३, १३७, १४३, १४६, १४८, २०८, २११, २२६, २७५, ३१४, ३४५, ३४९, ३८१, ४१७, ४४०, ४५३, ५०८, ५११, ५२२, ५५४, -और असहयोग, १२७-८, २१२-३, २३१, २७७, ३९०, -और गुण्डोके विरुद्ध शक्ति-प्रयोग, १८०-१, -और धर्म, १८०, -और मोक्ष, २९, -और सत्य, ३४३-४, ५२२, ५५४, -और स्वराज्य, २१, -कायरता नहीं, ४६७-८, -के फलितार्थ, २२३, ४४२, ५९८, -धर्मके बावजूद हत्या कब उचित है, ४६७-८

अहुरमज्द ४८२-८३

आ

आउट लुक, १९८

आजाद, अबुल कलाम, २६३, २७९, २९६, ३२९, ३६५, ३९६, ४४४-४५  
आठवले, आर० वी०, ६२०  
आतकवादी, देखिए अराजकतावादी  
आनन्द, ११९, २७६, ४६१, ६१५  
आनन्दानन्द, स्वामी, ११२, ११७, १५५, ३२१, ३४५, ४०६  
आफ्रिकी, ४६  
ऑरिजिन ऐंड इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, ९१  
आर्म ऑफ गॉड, ८९  
आवरसेल्ज ऐंड द यूनिवर्स, ९०, १६४  
आवर हेलेनिक हेरोटेज, ९०

इ

इंजीनियर, जॉर्ज जर्विस, ११२  
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ८९  
इंडियन रिट्यू, ४६५  
इक्वलिटी, ९०  
इर्विन, वाशिंगटन, ९०-९१

इचोल्यूशन ऑफ मैन, ९१

इचोल्यूशन ऑफ सिटीज, ९०

इस्लाम, १७, १९, ४९, १००, १३३-३६,  
१४५, १८०, १९२, १९४, १९७,  
२२५, २९६-७, ३५४, ३६९, ३९६,  
५५०, ५५८, —और वोलशेविज्म, १९,  
—और हिन्दूधर्म, १९०-२, २३७,  
२४०, २५६, २९८

ई

ईशोपनिषद्, ९०

ईश्वर, —५४१-४२, —और प्रेम, २७९,  
—और सत्य, २०१, ५२४, —के प्रति  
विश्वास, १९१, २१२

ईसाई, ५५-५६, ६२, १३५, १४५, १९२,  
२०२, २४७, २९७, ३९७, ५४९,  
६०१, —और सरकारी पद, ५५८

ईसाई-धर्म, ९१-९२, १९२, २३७, ४३४

ईमा मसीह, ९१, १२३, १२३ पा० टि०,  
१७०, २४७, २४९, २७३

ईस्ट इंडिया कम्पनी, ५२, ४०२

उ

उत्तराध्ययन सूत्र ९०

उदारदलवाले, देखिए नरम दलवाले

उदेराम, १७७

उपनिषद्, ९०-३

उपनिषद्, भाष्य, ९०

उपवास, —और धर्म, १८८-८९, १९४-९७,  
—गांधीजी द्वारा, १६७-६८, १८४,  
२००, २०७, २२१-२४, २३३, २३६,  
—के कारण, १९४-७, २०१-२, २१०-  
६, २३०, —तौडना, २४०

उमर, हजरत, १३५, १९७, २९६, ५९३,  
६०७

उर्दू रीडर्स, ९०

उस्व-ए-सहाबा, १३३-३४

ऋ

ऋतुपर्ण, ७

ए

एकता सम्मेलन, २२४, २५४, २८१, ५१२,  
—का प्रस्ताव, २२९-३०, —की हसन  
निजामी द्वारा आलोचना, २५५-७

एथिक्स ऑफ इस्लाम ९०

एन्ड्र्यूज, मी० एफ०, ३९-४०, ४६, ११३,  
१६७, १७०, १८५, २०४, २१६,  
२४७, २६१, २६४-५, २७१, २८०,  
३३६, ३५३, ३८३, ३९८, ४२४-५,  
४७५

एपिक्टेटस, ९१

एवट, ९०

एम्हर्स्ट, १०

एलीमेंट्स आफ सोशयोलॉजी, ९०

ओ

ओ' डायर, सर माइकेल, ६०, ३५८, ६०७

ओरेलियस, मार्क्स, ९१

ओल्डहम, ४०

औ

औपनिवेशिक स्वराज्य, —और पूर्ण स्वराज्य,  
३६५

क

कडावेकम्वा, कारु, ५४०

कठवल्ली उपनिषद् ९०, २५३

कताई, ११, ४६, ५७, ७०, ९७, १०९,  
१११, ११९, १२९-३०, १५३, १६०,  
१९८, २३५, २९३, २९९-३००,  
३०७, ३३४, ४१७, ४४१, ४५१,  
४८४, ५६६, —अडचारमे, ४१०,  
—एक शीक, ६१२, —का गांधीजी द्वारा  
वचाव, २४७-५१, २७१-२, ३१०-१,



३३१-२, ३३७-८, ५०२-३, ६२३-५,  
 -का महत्व, ११, २१-४, ६३-४, ७९-  
 ८०, १२१, १५०, २४८, २७२, ३००,  
 ४००-१, ५१०-१, ६११-१३; -काठिया-  
 वाडमे, ४३५-६, -की कार्यप्रणाली,  
 ५६२-३, ५८१, ६३०-४, -की  
 प्रतियोगिताका परिणाम, ५४०-४१,  
 -के लिए रई एकत्र करना, ४३७-८,  
 ४५१, ६२७, -गुजरातमे, ३३-६,  
 ५७३, -तकली द्वारा, ६, -पर  
 कांग्रेसका प्रस्ताव, ५२, १०५, १२१,  
 १६२, ३०३, -पर बेलगाव कांग्रेसका  
 प्रस्ताव, ५२७-२८, -पुरीके अनाथा-  
 लयमे, २९१, -बच्चो द्वारा, ७७-८,  
 -मताधिकार, २५३, ३६४-५, ३७५-  
 ६, ३८६-८, ४०२, ४४१, ४८०, ५१०,  
 -महिलाओ द्वारा, २३३, -मुसलमानो  
 द्वारा, १२१, ५६४, -मुहम्मद अली  
 द्वारा, १५६-७, १९९, २०२-३,  
 -विद्यार्थियो द्वारा, ५, ५८०-१, ६१८,  
 -सिर्फ स्त्रियोका ही काम नही,  
 १६३, -स्वराज्य प्राप्तिके लिए,  
 ३१०, ३१७, ४३३

कनकम्मा, पी०, ८५

कनवेन्शनवादी, ६२, ८१

कर्निघम, ९०, १६४

कनिकाके राजा, ११३, ३५३

कन्फ्लुएन्स ऑफ रिलिजन्स, ९१

कन्हैयालाल, ५२५

कबीर, ९०, ६२८

करमचन्द, १६०

करेन्ट थॉट, ३४६

कर्जन, लॉर्ड, १८०

कर्नाटकका इतिहास, ४९७

कला, -के सम्बन्धमे विचार, २६५-६७

कल्याणजी, ४६२

कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस  
 काछलिया, अहमद मुहम्मद, ३९९

काठियावाड राजनीतिक परिपद्, ४०७-८,  
 ४३५, ४६३, ६०४, ६२६, -के  
 आयोजकोको सलाह, ५७१-२, -मे  
 अव्यक्षीय भाषण, ५८५-९८

कापडिया, ९०

कादर, अब्दुल, २५६

कावुली, -[लियो]के आक्रमणके भयकी  
 निन्दा, ४२८

कॉमरेड, ११४, ११७, १४१, २५८, ३५४,  
 ३९७

कायरता, -और अहिंसा, ४६८

कालापानीकी कथा, ९०

कालीचरण, १२२

कालेलकर, द० वा०, ३४५, ५६१

किचलू, डॉ० ३६५, ४२९, ४४२, ४५५,  
 ५३९

किड, ९०

किदवई, एम० एच० ३६५

किपलिंग, ९०, ५२३

किशोरलाल, ३४६

कीकीवहन, ३४७

कुरान, ७९, ९०, १७४, १९०-२, २७३,

४१६, ४२८, ४३१-२, ४९९, ५०३,

-और गो-रक्षा, ५५२-३

कुरैशी, गुएव, ६७, १०५, ११४-५, २९६,  
 ३२५, ५३९

कृपालानी, जे० वी०, ३

कृष्ण, (वैद्यकी गुजराती कृति), ९०

कृष्ण, भगवान, ८३, ९४-५, ११७, १९०-

२, ३४७, ४३६, ५१४, ५४२, ५४६,

५९८, ६०२-३

कृष्णचरित्र, (वकिमचन्द्रकी कृति), ९०

कृष्णदास (क्रिष्टोदास), ६७, १०५, ११४-

५, १३९, १४१, २२१, २८१, ३१९

३२५, ३५०, ३८३

पेदाग्ना, आ० सी० ३४१  
 रेडिया, -में भाग्यवी, १८  
 रेडिया, १० वि०, १५, ३६५, ४४१, ४८८,  
 १९०, ५००, ५०८, ५३०-१, ५६६,  
 ५८७  
 रेडिया-मार्ग, १४१  
 रेडिया, १  
 रेडिया-प्रयोग, २७१  
 रेडिया, श्रीमती, २३५  
 रेडिया हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, ८९  
 रेडिया, २६१, २८८  
 रेडिया २३८

रेडियाट, -में सम्बन्धित समाधानों प्रारंभ  
 वस्तु, ३४८-९, -में प्रणालियोंको  
 माला, ४४२-४, ४५५-६, ४७१-२,  
 -पर कायेन प्रस्ताव, ५३८, -पर  
 भाग्य न-कारण प्रस्ताव, ४५५-६,  
 ८८०-१, -में रेडिया, ५११-१३, -में  
 नान्प्रदायिक तनाव, २१३, २५४,  
 -में आये प्रणाली, २८५, ३५१-५२,  
 ४९३

रेडिया-प्रयोग, १८८, १५१, ३३०, ३५८,  
 ३८३-४, ४१२, ५०६, ६२४, -और  
 भाग्यवी राष्ट्रीय कांग्रेस, ५७

रेडिया, ए० वी०, ५२८

रेडिया, देविण अगजकनावादी  
 क्रिश्चियनिटी एंड द रिस प्रॉब्लेम, ४०  
 क्रिश्चियनिटी इन प्रैक्टिस, ८९  
 क्रिश्चियनिटी, देविण ईसाई  
 क्लब, ९७  
 [द] क्लेड्स, ९०  
 क्लेडिन्की, ८५२

ख

खरे, ना० मो०, २३९, ३७६  
 खांडवाला, रत्नलाल, १५३

खादी (गहर), ३, ११, ३३, ५५-८, ६९-  
 ७०, ८१, ८८, ९८-५, ९७, १०१,  
 १०७-८, १३०, १३७, १४९, १५१,  
 २१९, २४९-५३, २७५, २८७, २८९,  
 ३००, ३०८, ३११, ३१४-५, ३३२,  
 ३३५, ३४८, ३४९, ३५४, ३५७,  
 ३८२, ३९०, ३९८, ४००, ६०२-३,  
 ६१७, ६३३, ६६१, ६५०, ५१९,  
 ५२७, ५४८, ५६९, ५५८, ५६७,  
 ५७०, ५८०, ५९६, ५९९-६००, ६१४,  
 -और वरुण, ४०७, -का टिकाऊपन  
 ८९३, -काठियावाडमें, ६३५, -का  
 महत्व, ५०८, ६३४-८, -की शर्तें ५८१-  
 ३, -को कांग्रेसियों द्वारा पहनना,  
 ३३२-३, ३७४-५, ३८७, ४८७,  
 -देशी राज्योंमें, ५९५-६, -पर निबन्ध  
 और पुस्तक, ५६५, -पर बेलगाँव  
 कांग्रेस, ४६, ९४, -में कला, ४५४  
 खादी, १७९, ३५८, ५११, -अमृतसरमें,  
 ४२७ पा० टि० ४२८, ४४७, -और  
 खादी-रक्षा ५५१-५२, -परिषद्, ४०९  
 खादीजी, ४०६  
 खादीलभाई, २३८  
 खादी परिषद्, गेटलादमें, ३६६

ग

गंगाजी, ५४०  
 गरोडिया, (गाडोदिया), ३१८  
 गांधी, कस्तूरबा, ११४, २१०  
 गांधी, कान्ति, ७०  
 गांधी, उगनलाल, ३१, ३९४, ४०६-७, ५७४  
 गांधी, जमनादाम, ७२, २३८  
 गांधी, देवदास, १, ३१, ११४, १४१, २१०,  
 २५३, २८४, २९०, ४२५  
 गांधी, मगनलाल, २९०, ३४३, ४०५-६,  
 ५४८

गांधी, मणिलाल, २६१, २७४  
 गांधी, जमनादास, २३८  
 गांधी, राधा, १, १४१, १८६  
 गांधी, रामदास, १४१, २१०, २७४, २८७  
 गांधी, रुक्मिणि, १६९  
 गांधी, सन्तोक, ७२  
 [द] गॉस्पेल ऑफ बुद्ध, ९१  
 [द] गॉस्पेल ऐड द प्लाउ, ९०  
 गिडवानी, आ० टे०, १६, १२४-५, ३४१-२,  
 -के प्रति जेलमे व्यवहार, २२६-७  
 गिडवानी, गगावाई, १६, २२६-२७  
 गिडवानी, डॉ० चोइथराम, १६, २२६-७  
 गिवन, ९०, १३६  
 गिरि, दलवहादुर, ४०४, -की मृत्यु, ३३९,  
 ३४३  
 गिरघर, ९०  
 गीजो, ९१  
 गीत गोविन्द, ९०  
 गीता, -पर अरविन्दकी टीका ९०, -पर  
 नाथूराम शर्मा कृत गुजराती टीका,  
 ९०, देखिए 'भगवद्गीता' भी  
 गुजरात विद्यापीठ, -मे दीक्षान्त भाषण  
 ६१६-२१  
 गुणसुन्दरी, २३३  
 गुलनार, ५०३  
 गुलवर्गा, -मे दगो पर काग्रेस-प्रस्ताव, ५३४  
 गुलाबी अम्बा, माधु, ५४०  
 गेटे, ८२, १९० पा० टि०  
 गेडिस, ९०  
 गैलीलियन, ९०  
 गोकुलचन्द, ९०  
 गोखले, अवन्तिकावाई, १५५, ३४३, ५४०  
 गोखले, गोपालकृष्ण, २०४, ३१३, ३४१,  
 ३९८, -के लिए मान, ५९९-६००  
 गोखले, श्रीमती, २३५  
 गोपालदास दरवार साहब, १०८

गो-रक्षा, -और मुसलमान, ५५१-४, -और  
 हिन्दू धर्म, १९०, ४६८, ५५०-२,  
 -और हिन्दू-मुस्लिम एकता, १४४-५,  
 -पर गांधीजीके विचार, ५५०-५,  
 -सम्मेलन वेलगाँवमे, ५४९-५५  
 गोलटगी, जी० शकर, ८७  
 गोविन्दानन्द, स्वामी, ५२८  
 गौड, प्रोफेसर रामदास, ७७-७८, -की  
 पोथियोका विवरण, ४२०-२१.  
 ग्रन्थ साहब, १९१, ४९९

## घ

घोरखोद्द, जेरवाई, रुस्तमजी, ३९८  
 घोरखोद्द, रुस्तमजी जीवनजी, ३७९, ३८३,  
 ५३३, -की मृत्युपर टिप्पणी, ३५५-  
 ६, ३९८-९  
 घोष, अरविन्द, ९०  
 घोष, शरतकुमार, १४२

## च

चक्रवर्ती, कालीशकर, ४२३  
 चटर्जी, बकिमचन्द्र, ९०  
 चतुर्वेदी, बनारसीदास, ३९, ४२२, -के  
 प्रति कृतज्ञता, ५३३  
 चन्द्रकान्त, ९०  
 चरखा, ५, ११, २१, ३२-३, ५३-४, ५६-७,  
 ६१-२, ६६, ६९, ७४-५, ७८, ८१,  
 १०१, १०५, १५१, १७६, १९९,  
 २११, २५३, २६८, २७५, २८७-९,  
 ३४४, ३६९, ३७६, ४१२, ४१७,  
 ४३३-४, ४४१, ४८०, ४८४, ४९०,  
 ४९२, ५०२, ५०९-१०, ५३०, ५३२,  
 ५५७, ५६६, ५७६, ५८३, ५९९,  
 ६०९, -और विद्यार्थी, ४७८, -और  
 स्वराज्य, ३६०, ३६६, ४०२, ४६६,  
 ४९८-९, ५१०-२, -देशी राज्योमे,  
 ५९०-१, -[खे] का महत्व, २१-४,

६३-४, ७९-८०, १२१, १५०, २०५,  
२२२, २९३, ४०१, ५६९-७०, ५९५-  
८, ६११-३, ६२५, ६३५-८, -की  
द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा प्रशंगा, ६२८  
-पर निम्नवती धर्मे, ५८२-३, -पर  
पुरन्कारके लिए निम्नव, ५६५, -पर  
राजगोपालाचारीकी घोषणा, ६२२

चाशीवाला, ब्रजगुण, ३७९

निकोडी, भाई, ५५०

निनाशिया, कर्मनराम, ११२

निन्नामणि, मी० वाई०, ३६५

निपटूणकर गान्धी, १२१

चीवगनी, मग्लादेवी, ३८, २१७, २२४

चीवरी, गोपबन्धु, ८८

चीवरी, बुग्गा, ४५०

चीवरी, मर आधुनोप, ५२५

चीरी चींग, १८७, २१३, ६२२

चीहान, उमरावनिह, ८६

छ

छोटेलाल, ४०७

ज

जगल बुक, ९०

जगन्नाथ, २३८

जउभरत, ११७

जनक, राजा, ६०७

जन्म जी० मृत्यु, २७६, ३५५, ३८०, ३९७

जफर अली खा, मौलाना, ३०३, ४२९,

४४२, ८५५, ५४२, ५६४

जमनादाम द्वारकादाम, ५९-६०, ६३, ७३,

१६०

जमना बहन, २१०

जर्मीदार, ४६१

जया अने जयन्त, ९०

जयकर, मु० रा०, ५९, ६१, ६२-४, १०४,

२२०

जयरामदास दीलतराम, ३२९ पा० टि०

जरवानु प्यारेलाल, बहन, ४०४

जलियावाला बाग, ४७३, ५२२

जाम माहत्र, -के गिलाफ जिनायत, ६०६

जार्ज, फिग, ५५०, ५५४

जिता, मु० ज०, ३६३, ३६५

जिलानी, अब्दुल कादर, २५५

जीवनदाम, ४७०

जुगतगम, २३२

जेम्स, ९०

जेन्द अवेस्ता, ९०, १७४, १९१

जेराजाणी, विट्ठलभाई, ७७, १०७

जैन, चम्पारराय, ९१

जोजेफ, जॉर्ज, १७५

जोगी, डाह्यालाल हरिवल्लभ, ३

ज्ञानेश्वरी, ९०

झ

झवेरी, रेवाशकर, जगजीवन, ५६५

ट

टडन, पुरुषोत्तमदाम, ८८, १०८

टट्टिलियन, १६४

टाटा, -की मुलशीपेटाके लिए योजना,

४७३-७४

टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज, ८९-९०, १६४

टॉमस, १८

टॉल्टाय, काउटेस, ९०

टारस्टाय, लियो, ४१८, ४३१

टेनीसन, ६२३

ट्राइन, ९०

ट्रिप्स टु द मून, ८९, ९१

ट्रिब्यून, ४५५, ४६१

ठ

ठमकर, अमृतलाल विट्ठलदास, १०३, २०४,

२९२, ४६२, -का भीलोको उपदेश,

४३४, -की सराहना, ५६९

ठक्कर, कपिल, ५७४

ठाकुर, द्विजेन्द्रनाथ, ४०, -के विचार चरखे-  
पर, ६२८, -के विचार शिक्षापर,  
४१४

ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, ९०, १७०, २०५, २३६,  
५००

ठाकुर, श्रीमती, २३५

ठाकोर, ८९

### ड

डाइलॉग्स ऑफ प्लेटो, ९१

डायर, जनरल, ६०, ४७३

डार्विन, १७८

डिफेंस, ९०

डूवतुं बहाण, ९१

डेविस, राइस, ९१

डोडे, १११

ड्रॉपंड फ्रॉम द क्लाइड, ९०-९१

### त

तजीम, ४३८

तारामती, मथुरादास, ११८-९, १६८, २७६,  
४६१

तालमुद्द, १७४

तिलक, बालगंगाधर, ९०, ९५, ३९८, ४३५,  
५४२, ५७०, ६०५, -का ग्लोकार्थ  
४९८-९, -के लिए कार्य-शुल्क, ६३५

तुलसीदास, ८९, १९१, २३९, २४७, २५२,  
२७६, ४३२, ४७९, ५१४, ६०२

तुलसीराम, एल० के०, ५६४

तैयबजी, अब्बास, १४, ३२, ३४, १९५,  
२१०, ४०८, ६१६

तैयबजी, (श्रीमती) अब्बास, ३२

तैयबजी, रेहाना, २१०, ५७३

त्रावणकोरकी महारानी, १२२

त्रिवेदी, हरिगकर, ५

त्रिगकु, ५८४

### थ

थुकू, हैरी, ४२५, -का केनियासे निर्वासन,  
४२४

### द

दक्षिण आफ्रिका, -में भारतीय, १७

दमन, -के विरुद्ध सर्वदलीय सम्मेलनका  
प्रस्ताव, ३६१-३, -बगालमें, ३६६,  
५२०-३, -यदि गांधीजी वाइसराय  
होते तो, -के विकल्प-स्वरूप क्या करते,  
३९१-२

दमयन्ती, ७

दयाल, ४६२

दलाल, ११९

दवे, केवलराम, मावजी, ६०६

दादा चानजी, ९०

दाभोलकर, ३९४

दास, गोपबन्धु, १०३

दास, चि० र, -५८, १६८, २५७, २५९,  
२६२, २८६, २८९, २९५, २९९,  
३०१, ३०७, ३०८ पा० टि०, ३१५,  
३१९, ३२७, ३३३, ३६५-६, ३९१,  
४०९, ४११, ४८४, ४९१, ४९९-  
५०१, ५१०, ५२६, ५२८, ५३१,  
५७७, ६२५, -का बेलगाँवमें प्रस्ताव,  
४९८

दासगुप्ता, सतीशचन्द्र, ५८१, ५८४, ६३०

दास्ताने, ८७, १३७

दुर्योधन, ३८३

दूदाभाई, ३२२

देवघर, गो० कृ०, ६१, ७४, १०६, १३७

देवभाभी, २३८

देगपाण्डे, गगावरराव, ३२९ पा० टि०,

४०९, ४९७, ५००, ५१९, ५३१,

५५०, ५५८-९, ६२९

देगी राजा, -[ओ] की स्वराज्यके अन्तर्गत  
न्यति, ५८७-८, ५९८, -के विरुद्ध  
शिकायत, ५८७-९०

देगी राज्य, -[०] का स्वराज्यमें दर्जा,  
५८६-८७, -में कार्येनका काम, ५८६

देमार्ड, गोपात्रदाम, ८६

देमार्ड, जीवनलाल, ४२

देमार्ड, प्राणजी, के० ३६०, ४२३, -के प्रति  
जेरुमे व्यवहार, ४१२-३, ४६२

देमार्ड, भूलाभाई, ३६५

देमार्ड, महादेव, १, ३१, ३७, ११४-५,  
१३७, १८१, १६८, १७९, १९५,  
२१६, २३२, २५०, २७८, ३२१-२,  
३२४, ३८३, ४०६, ४२५, ४६१,  
-की उपवामरत गाधीजीमें घातचीत,  
१८७-८

देमार्ड, बा० गो०, ३८६

द्रोणाचार्य, ६०२

द्रौपदी, ६-७, ९४, १००, २०२

### घ

घनपतंगय, ५५४

घर्म, -और अहिंसा, १९-१०१, १८०-१,  
-और उपवाम, १८८, १९४-५, २२८,  
-और जीवन, ५०, -और दया,  
६३८, -और गजनीति, ५५-६, ३८१

### न

नकुल, ९४

नगरपालिकाओंका कार्य, ४८१

नगावी, भीमराव, ८७

नटराजन, १०४

नटेमन, जी० ए०, ३२३ पा० टि०, ४६५

नन्दा, गुलजारीलाल, ३३

नम्बूद्रीपाद, ४१३

नरमदलवाले (उदारदलवाले या लिवरल  
दलवाले), ८१, १३७, २७७, ३१३,

३६५, ३८०, ३८५, ३८७-८, ४१९,  
४४१, ५०३-४, ५२४, ५७८

नल, ७

नवजीवन, ३-४, ६१, १०७, ११३, ११५,

११७, १५५, १७६, १७९, २०७,

२१०, २१६, २२२-३, २७५, ३२१,

३६९, ४०६, ५९०, ६०९, ६१७

नवयुग, ४१२, ४६२

नवाकाल, १५५

नवीन, ३४३

नाग, हरदयाल, -के बलगाव कार्येमें  
मम्मिलित न होनेका कारण, ४९६  
पा० टि०

नागरिक मन्थाके कर्तव्य, ३०९

नायडू, पी० के०, ३९९, ५०४, ५२५, -की  
मृत्युपर टिप्पणी, २२५-६

नायडू, (श्रीमती), पी० के०, २२६

नायडू, श्रीमती मरोजिनी, १८, २९, ३७,  
४६, ५६, ५९, ६४, ६८, २१३, २६१,

३५४, ३६५, ३९७-८, ४८२, ५०२-४,

५५७, ५७७, -की सराहना, ५३३

नारग, गोकुलचन्द, १६५

नारायण, [भगवान], ३७२

निकलमन, ९०

निजामी, रत्नाजा, हमन, १९७, २५५, ५४७,  
-द्वारा एकता परिषद्की आलोचनाका

खण्डन, २५५-५७

निम्बकर, १३७

निरजन (बाबू), १०३

निर्वाचक-मण्डल और साम्प्रदायिक प्रतिनि-  
धित्व, ४४७-८

निपादराज, १७७

निष्कुलानन्द, ३७२

नीरो, ४७०

नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स, ८९

नेटाल, -में भारतीय, १७

नेहरू, कमला, ८८

नेहरू, जवाहरलाल, ६८, ८८, १०४, १०८,  
११३, १२४-५, १५७, १९३, २२७,  
२५७, २५९, ३२४, ३४८, ४४६,  
५०७, ५३७, ५३९, —की सराहना,  
५४३, —के पुत्रकी मृत्युपर शोक-  
सन्देश, ३९५

नेहरू, मोतीलाल, १४, ३१, ३८, ५६, ५८,  
६२, ६५, ६८, ७१, ७५, ९५, १०३,  
१४२, १६८, २३०, २५७, २५९,  
२६२-३, २८६, २८८, ३०७, ३१९,  
३२९ पा० टि०, ३३३, ३७८, ३९५,  
४०९, ४११, ४३८, ४४४, ४५०,  
४८४, ४९१, ४९९, ५००, ५१०,  
५२६, ५२८-३१, ५३५, ५७७, —के  
हिन्दू-मुस्लिम एकताको बढावा देनेके  
प्रयास, ४४५-६

नेपोलियन, २३८

नैयर, प्यारेलाल, १, ३१, ११५, १४१, ३२४  
नौरोजी, दादाभाई, ६४, ३५८, —की याद-  
गार, १०९-११

न्यू इडिया, ५८ पा० टि०

## प

पजाव प्रान्तीय परिषद्, ४४१, ४५७

पचोकरण, २५२

पटनायक, निरजन, ८८

पटेल डाह्याभाई, एम०, २७५, ४६५

पटेल, मणिवहन, १४१, १६१, २२८, २९१

पटेल, वल्लभभाई, ३, १४, ३५, १४१,  
१६१, ३२२, ३६१, ४०६, ४६२, ५६०,  
५६७, ५७०, ५७७, ६१६, ६३५

पटेल, विठ्ठलभाई, ४८४

पट्टणी, रमावहन, ४०७

पट्टणी, सर प्रभाशकर, ४०८, ४६०, ४६२-  
६४, ४७६, ५७४, ५७६, ६१५, —द्वारा  
कताई, ३२६-२७

पणिक्कर, के० एम०, १५९

पण्डित वसुमती, १, ११६, १६९, २००,  
२७४, २८६, ३२८-२९

पत्रकारिता, —के सिद्धान्त, ६०८, —लोक-  
सेवा, २९८-९९

परमानन्द भाई, २३६

पराजपे, आर० पी०, ३६५

परीख, नरहरि, २३२, ४०६

परीडा विश्वनाथ, ८८

परेरा, ५७९-८०

पाण्डव, ३८३, ४३९

पातंजल योगसूत्र, ९०, २५३

पादशा, पेस्तनजी, ४९५

पापाराव, एम०, ८५

पारसी, ५६, ६०, ६२, ८५, १०१, १२१,  
२०२ पा० टि०, २९८, ३९७, —और

सरकारी नौकरियाँ, ५५८, —[सियो]  
की परोपकारिता, १११

पारसी धर्म, १९२

पारेख देवचन्द्र, ४६३, ५७६, ६१५

पार्वती, १००, १७३, १८८, २४१

पार्वती, टी० वी०, ३६५

पाँल, के० टी०, ४०

पाल, विपिनचन्द्र, ३६५

पावरटी ऐंड अनब्रिटिश रूल इन इडिया,  
११० पा० टि०

पिक्थॉल, ६३

पिट, १३६

पियर्सन, , —की सेवाएँ, २०४-५

पिल्ले, षण्मुख सुन्दरम्, ८७

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर, ३६५

पुजारी, एस० जी०, ४९३

पूजी, —और श्रमके बीच सम्बन्ध ५८७

पूजीवाद, ५६५

पूअर, ४९५

पूर्व रंग, ९०

पेटिट, कुमारी, २३५  
 पेटिट, जे० वी० ३६५  
 पैगम्बर साहबकी जीवनी, ९१  
 पैगम्बर साहबकी स्वीकारोक्तियाँ, ९०  
 प्रमाद, डॉ० राजेन्द्र, ८६, ११३, १७६  
 ५३९, ५८९-८०  
 प्रसाद, यशवन्त, २१०, ६१५  
 प्रह्लाद, ६०३  
 प्रार्थना, -की प्रभावकारिता, ३४२  
 प्रीतम, ३७२  
 प्रेमभिन्न, ९०  
 प्रो क्रिस्टो एट एक्वोलिसिया, ९०  
 प्रोटैस्टैंट पथ, २७१

फ

फडके, वी० एल०, ४७५, -की सराहना,  
 ५६७-६८  
 फाइव एम्पायर्स, ९०  
 फाइव नेशन्स, ९०  
 फॉरवर्ड ४६६  
 फॉस्ट, ८२, ९०, १९० पा० टि०  
 फिलो क्रिस्ट्स, ९०  
 फीडियस, २६७  
 फीनो, एम०, २८  
 फील्ड, क्लॉड, १६४  
 फेरर, ८९, ८१  
 फेरवानी, ९०  
 फ्रीडम एंड ग्नोय, ९१

ब

बगाल, -के विरुद्ध सर्वदलीय सम्मेलन का  
 प्रस्ताव, ३६२-६३, -मे गिरफ्तारी  
 २८७, २८९, २९३-९४, २९९, ३०७-८  
 ३१५, ३३१, ३६७, ३९१  
 बगाली, ३०२  
 बकल, ९०

बजाज, जमनालाल, २९-३१, १०१, १०३,  
 १०६, ११८, १२१, १८१, २४४, ३२९  
 पा० टि०, ४०३  
 बटो दादा, देखिए ठाकुर, द्विजेन्द्रनाथ  
 बम्बवाल, अमीरचन्द सी०, ३५१  
 बर्न, जूल, ९०-९१  
 बर्ना, शिवप्रसाद, ८५  
 बसु, भूपेन्द्रनाथ, ५०४, ५२५  
 बहिष्कार, -अग्नेजी मालका, ५७, १२०,  
 -अदालतोका, ६५, -और कांग्रेस-  
 कोषके गवनपर मुकदमेका दायर किया  
 जाना, १२६, -और भारतीय राष्ट्रीय  
 कांग्रेस, २०७-९, -को मुलतवी करना,  
 १२९, १४०, १४९, १७२-७, -के  
 आवश्यक गुण, २०८-९, २५१, ५०७,  
 -पर बेलगाँव कांग्रेसका प्रस्ताव,  
 ५२६-२७, -विदेशी कपडेका, १६,  
 ४५, ५३, ९७, १२९-३०, १४९,  
 १५१ ३००-१, ३०७, ३६७, ४८०,  
 ४८६, ५०६-८, ५७०, ५८०, ५९६,  
 ६१४, ६२५-२६  
 बाइबिल, ८२, ८९, ९२, १७४, १९१,  
 २४७, ३८३, ४९९, ५४९  
 बाइबिल व्यू ऑफ द वर्ल्ड मारटियर्स, ८९  
 वापट, १३७  
 बॉम्बे क्रॉनिकल, १५५, ३६०, ६२९  
 वारी, अब्दुल, १००, १२१, १३९, १५६,  
 २८४, ५४८  
 बालकृष्ण, २३९  
 बिडला, घ० दा० २९-३१, ४१, २२८,  
 २४४, ३०१  
 बिडला, लक्ष्मीनिवास, ५७६  
 वी-अम्माँ, ३४१, ४२९, ५०४, ५२५, -की  
 मृत्युपर टिप्पणी, ३५४-५५, ३९६-  
 ९८, -को श्रद्धाजलि, ३७८-७९  
 बुद्ध, ४७६  
 बुद्ध और महावीर, ९०



बुहलर, ९०  
 वेकन, ९०  
 वेटी-व्यवहार, —और अस्पृश्यता, ५४६-४७  
 वेलगाँव, —की कांग्रेसमें गांधीजीके भाषण,  
 ४९७, ५२५  
 वेलगाँववाला, १४  
 वेलामी, एडवर्ड, ९०  
 वेसेट, डॉ० एनी, ६२, ६४, ६९, ७५, १०४,  
 १५४, १८५, २५८, ३६३, ३६५,  
 ३८५, ४१०, ५१७, ५२९, ५४३, —की  
 वेलगाँव कांग्रेसमें प्रशंसा, ५३६, —के  
 जन्म-दिवसपर सन्देश, २३४, —द्वारा  
 कताई, १७१  
 वैकर, गकरलाल, २०३, ३६१, ५७७,  
 ५८२  
 वैप्टिस्टा, जोसेफ, ३६५  
 वैरकरूम वैलेड्स, ९०  
 वोथा, जनरल, ९६  
 वोलगेविज्म, —और इस्लाम, १९, —और  
 गांधीवाद, १९-२१, ४५२-५३, ५६५  
 वोस, सत्यानन्द, ३२०  
 वोस, सुभाषचन्द्र, ३९१, —की गिरफ्तारी,  
 ३०९  
 वोहमेन, जेकब, ९०, १६३  
 वौद्ध, —[ १ ] का बुद्ध गया-मन्दिरपर दावा,  
 ५७९-८०  
 ब्रह्मचर्य, ३४२, —और ब्रह्मचर्य-जीवन, ६०९,  
 —के गुण, २७०-७१, —के पालनके  
 लिए आवश्यक बातें, १४२, —के लक्षण,  
 ६०१  
 ब्रह्मचारी, ३४३  
 ब्रिअर्ली, जे०, ९०, १६५  
 ब्रिटिश साम्राज्य, ४७३, ५८५, —और देशी  
 राज्य, ५८६-८७, —के कानून, २९४

भ

भगवती सूत्र, ९१

भगवद्गीता, ६४, ७२, ७४, ९०, १६५,  
 १७४, १९१, २५३, २६०, ४३१,  
 ४६८, ४९१, ५००, ५४६, ५४८,  
 ५५३, ६१२-१३, ६३८, देखिए,  
 'गीता' भी।  
 भगवानदास, वावू, ९०, १३१, ३६५, ३८४,  
 ५१४  
 भट्ट, मणिगकर रतनजी, ५८६  
 भरत, २४१  
 भरुचा, ७३, ३५१, ३५७, ५३९-४०  
 भर्गरी, जी० एम०, —की मृत्युपर शोक-  
 प्रस्ताव, ५३२-३३  
 भवभूति, ७  
 भवानीदयाल, ३२  
 भागवत्, ९०, ९३, २४७, २५२, ३४२,  
 ५००, ५५२  
 भानु, ९०  
 भारतका इतिहास, ९०  
 भारतीय प्रवासी, ५२३, —केनियामे, १८,  
 ४६, —ट्रान्सवालमे, २६१, —दक्षिण  
 आफ्रिकामे, १७, —नेटालमे, १७, ४१३,  
 —पूर्वी आफ्रिकामे, ५५८, —फिजीमे,  
 ४२२, —त्रामे, ४६, —[ सियो ] द्वारा  
 भारतके लिए दान, ३०५-६  
 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ११, ३४, ३८,  
 ५७, ६६, ६९, ७५, ८१, ८५, ९७-९८,  
 १४८, १७१-७२, १८५, ३०२, ३३४,  
 ३३५, ३८०, ४५७, ४६९, ४७८,  
 —और गांधीजीका स्वराज्यवादियोंके  
 साथ समझौता, ४०९, —और सोवियत  
 कांग्रेस, २१७-१८, —और स्वराज्यवादी,  
 ५८, १३०-३२, १५७-५८, २७८, २७९,  
 ३५७-६०, ३७२-७७, ३८६, ४८९-९२,  
 ५१६-१८, —का कलकत्ता समझौते और  
 कताई-सदस्यतापर प्रस्ताव, ५२६-२८,  
 —का देशी राज्योमे काम, ५८६,

—का बडा दायरा, १२८-३२, १४९-५१, ३२४, ३६५, ३७४, ४१९-२०, —का वेलगाँव अखिवेगन, ४०९, —का सविधान, ३०७, —की अखिल भारतीय कमेटी द्वारा पुष्टि, ३७२-७७, ४१०, —की कार्य समितिकी बैठक, ३६१, ५७७, —की फिजूलखर्ची, ५५९-६०, —को एक करनेका प्रयत्न, ३०७-८, —द्वारा अमहयोगिका स्थगन, २०७-९, ३०७, —पर प्रभाव, ५५८-६२, ५७८-८१, —पर भाषण, ५२९-३२, —महामण्डलके रूपमे, २४८-४९, ३७४, ४१२

भावे, वालकृष्ण, न०, ११८

भापा, —केन्द्र और राज्योमे सरकारी भापा, ५१५, —राष्ट्रीय, १३३

भीकाजी, दिनगा, ११२

भीडशाही, ५६५

भीम, ९३, १००

भीष्म, ६०२

भोपटकर, ४८७, ५३५, ५४२

भोर, जे० डब्ल्यू० ४२२

### म

मगलदत्त, ३८४

मजरअली, १, ६९, १३३, ३२४

मजीद अब्दुल, ४३

मणिरत्नमाला, २५२

मणिलाल, विश्वेश्वर, ३

मताधिकार, —स्वराज्यके अन्तर्गत, ५१४

मथुरादास, त्रिकमजी, ११८, १६८, २४१, २७६, ३९४, ४६१, ६१५

✓ मद्यपान, —अमेरिकामे, २४८, २५०, —का निषेध, १२५०-५१, २७५, ३३६-३७, ३४४, —पर कांग्रेसका प्रस्ताव, ५३८-३९

मनसुख लाल, ५८६

मनुस्मृति, ९०

मरे, कर्नल, ४२३

मलावार, —मे सहायता कार्य, २-४, ३८, २०६

मवन्त (क्रमवन्त), जगन्नाथ गाम्त्री, ११२

मशीन, —ओर मनुष्य, २६८-६९, २७३

महमूद, डॉ० सैयद, २५७, २६२, २७९

महाभारत, ९०, ९३, १०१, १३३, २६०, २९७, —क्या है, १६-१७, १३६

महाराष्ट्र धर्म, ९१

महावीर, (तीर्थकर), १७०

महिला, —[एँ] ओर कताई, २३३, —और खादी, ४०७, —[ओ]के गुण, ७

माई फिलासफी एंड रिलीजन, ९०

माॅडर्न प्रॉब्लम्स, ९१

माॅडर्न रिव्यू, ३३६

माधुरी, ३२८

मान्टेग्यू, ई० एम०, ४३५, ६०५

मार्मू, १९२

मार्कण्डेय पुराण, ९०

मार्क्सवाद, देखिए वोलगेविज्म

मार्गरेट, ८२

मालवीय, मदनमोहन, १०२, ३४९, ३५२,

३६५, ४१८, ४५५, ४७०, ४९२,

५००, ५०३, ५२६, ५४६, —के खिलाफ

लगाये गये आरोपोपर क्षोभ, ४२९

मातृकम, मेजर जनरल, सर, ११२

मावलकर, ४०५

[द] मास्टर एंड हिज टोचिंग, ८९

मिल जान स्टुअर्ट, २७२

मिलाप, २८३

मिल्टन, ४३२

मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, ९१

मिस्टिक्स एंड सेंट्स ऑफ इस्लाम, १६४

मिल्ल, कुमारी, ८९

मिल्ल, —मे दमन, ५२३

मीनाक्षी, मुन्दरम्, श्रीयुत, ८७, ५४०

म्रीर अली, (श्रीमती), २३५

- मीराबाई, ६४, ३७२  
मीराबहन, ३४१, ५५७  
मुजे, डॉ० वी० एस०, ८३, १७७, १८१,  
२५८, २६३  
मुक्तधारा, ९०  
मुखर्जी, सर आशुतोष, ५०४, ५२५  
मुखर्जी, सतीशचन्द्र, ११५, २२१, ३१८,  
३५०, ३८३  
मुदवेडकर, के०, ५३३, ५३७  
मुदालियर, टी० वी० गोपालस्वामी, ५२५  
मुदालियर, रामस्वामी, ३६४  
मुन्शीराम, देखिए स्वामी श्रद्धानन्द,  
मुन्शल्लिग, २५५  
मुलशीपेटा, —के सत्याग्रहियों द्वारा मारपीट-  
की भर्त्सना, ४७३-७४  
मुसलमान, ५, १६, १९-२०, ५५-५६, ६०,  
६२, ८४, ९२, १००-१, १०६, १११,  
१२५, १४७-४८, १८२, १८३-८४,  
१८७-८८, २०२, २२५, २३२, २५८,  
२६३, २६७-६९, ३३५, ३४८, ४९,  
३८२, ३९०, ३९६, ४२७, ५४९,  
६०१, —और कताई, १५-१६, —और  
गो-रक्षा, ५५२-५४, —और सरकारी  
पद, ५५८, —कोहाटमे, ४५५-५६,  
—[१] को हिन्दी पढनी चाहिए, १३३,  
—द्वारा गोडलके गासकके खिलाफ  
शिकायत, ६०६-७  
मुस्लिम लीग, —का वार्षिक अधिवेशन, ५५७-  
५८  
मुस्लिम लीगी, ५२४  
मुहम्मद अली, ३१, १०२, १०७, ११३,  
११७, १४१, १५३, १६६, १८२, १८७-  
८८, १९५, २१५, २३८, २४०, २४२,  
२६२, २७९, २८३, २९८, ३०५, ३२१,  
३२३, ३२५, ३५४, ३६१-६२, ३६५,  
३६९, ३८२, ३९७, ४२५, ४३९,  
४९८, ५००-१, ५२९, ५४१, ५५८,  
६२९, —द्वारा कताई, १५, १५६,  
१९९, २५०  
मुहम्मद अली, (वेगम), ४९८  
मुहम्मद अली, डा०, ९१  
मुहम्मद, पैगम्बर, (हजरत), १९०, १९५-  
९६, २५६, २७३, २९६-९७, ४१४-१५,  
४३२, —का व्यक्तित्व, १३४-३५  
मृत्यु और जन्म, २७६, ३५५, ३८०, ३९७,  
—पर रोना-धोना व्यर्थ, ३९७  
मेकॉलिफ, ९०, १६४  
मेसेज ऑफ क्राइस्ट, ९०  
मेसेज ऑफ मुहम्मद, ९०  
मेकाले, लार्ड, ४३१  
मेल, कर्नल, ३४०, ४२३  
मेहता, कुवरजी विठ्ठलभाई, ४६२  
मेहता, जयसुखलाल, ३८५  
मेहता, डॉ०, ३४३, ५७४  
मेहता, सर फिरोजशाह, ४६६  
मेहर, तुलसी, २११, ३४३  
मैजियरली, मैडम डी०,, —द्वारा हाथ कताई,  
४१० पा० टि०  
मैक्समूलर, ९०  
मैडॉक, कर्नल, ९५, ४२३, ४६७, ६०३,  
६१२  
मैडॉक, श्रीमती, ९५, ६१२  
मैन ऐंड सुपरमैन, ९०  
मोअज्जम, १०५, ११४  
मोक्ष, २६९, ५४८, —और अहिंसा, २९,  
—और सत्य, २९, —की प्राप्तिके साधन,  
५५४  
मोटले, ९१, १३६  
मोटी वा, १६९  
मोदी, भगवानजी अ०, ४६३  
मोरारजी, गान्धिकुमार, २४३, ३२८  
मोल्टन, ९०

मोहरिंग, वामन राव, ५२५  
मोहानी, हमन्त, १३३, १४४, १५७, २१७,  
३८६, ४८६, ४९२, ५२८-२९  
म्यूजिक्स ऑफ़ सेट टेरेसा, ९१

य

यग इंडिया, ९१, १०७, ११७-१८, १२७,  
१४०, १५४-५५ १५९, १६२, १७६-  
८९, १८७, २०५, २१६, २४८, २५५,  
२८५, २८४, २९९, ३१२, ३२३,  
३३९, ३४६, ३५३, ३९१, ३९६,  
४१४, ४२२, ४२५, ४३१, ४५६,  
४७५, ४८८, ४९३, ५३५, ५४९,  
५८७, ५९०, ६०८

यग क्रूसेडर, ८९

यहूदी, ५५-५६, ६२, २०२ पा० टि०,  
२९८, ३९७

यहूदी-धर्म, २३७

याकूब, मुहम्मद, ३६५

याज्ञिक, इन्दुलाल, ११६, -की मगहना,  
५६९

यालगी, गोविन्द वैकटेश, ५२५

युधिष्ठिर, ७, ९४, १००, ११७, ६०१

यूरोपीयन मॉरल्स, ९१

यूरोपीयन मिविलिजेशन, ९१

यूरोपीय, -[ १ ] का भाग्यके प्रति रूपा,  
३१६

योगदर्शन, ९०

योग वाशिष्ठ, २५२

योग सूत्र, २५३

र

रगाचारियर, टी०, ३६५

रत्नगी, ६३

रत्नचन्द, ४५०

रमिक, ७०, ३४५

रहमान, डाक्टर, अब्दुल, २१५, २३१

राइज ऑफ़ द डच रिपब्लिक, ९१

राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती, ३७, १०५, १४०,  
१५८, १८९, २७७, ३२९ पा० टि०,  
३३८, ३४५, ३६५, ५२९, ५७७, -का  
चरखेपर वक्तव्य, ६२२

राजचन्द्र, ९०

राजनीति, -और धर्म, ५५-५६, ३८१, -की  
पत्रिभाषा, ५९९-६००

राजमू अग्रवर, ९१

राजयोग, ९१

रानडे, न्यायमूर्ति, ३५८

राम, ७, ३६, १००, ११७, १९०-९१,  
१९६, २१५, २४१, ३४२, ३४७,  
३७८, ३९७, ४४३, ५४२, ५९२,  
६०१, ६०७, -और कृष्ण, ९०, -नाम-  
जपका प्रभाव, ११९

रामकृष्ण (परमहंस) ४५८

(श्री) रामकृष्णकी जीवनी (लाइफ ऑफ़  
श्री रामकृष्ण), ४५८

रामचन्द्रन, जी०, -के माथ वातचीत, २६४-  
७४

रामनारायण, ३८४

रामराज्य, ३६, ५९२

रामायण, ८९, ९३, १९२, २५२, २६०,  
२९७, ५००

राय, डॉ० प्र० च०, २१, ५२, १२१,  
४०१

राय, वावू सतीश, ५५८

राय, मा० ना०, १९ पा० टि०, -का  
बोलशेविज्मपर लेख, ५६५, -द्वारा चरखेकी

आलोचना, २१-२२

राय, साहब, १३८

रायचन्द भाईना लेखी, २५२

राव, एम० रामचन्द्र, ३६५

राष्ट्र-ऋण, - की देयतापर कांग्रेस प्रस्ताव,  
३३८, ३९२-९३

राष्ट्रभाषा, देखिए भाषा  
 राष्ट्रवाद, - यूरोपीय, ३९३, -हिंसक और  
 अहिंसक-, ३९४  
 राष्ट्रीय एकता, -को बढ़ावा देनेकी जरूरत,  
 ३६६-६७  
 राष्ट्रीय पाठशाला, ६, ५७, ९९, १३०,  
 १४९, ३३६, ३४४, ३६०, ५८०,  
 -[ओ]का असहयोग कार्यक्रम रद्द  
 किये जानेके बाद कार्य, ३६०, ३६८,  
 ३७०-७२, ४०४४ ४७७-७९, ५१८-  
 २०, ५३७-३८, -के लिए गर्ते, ६१८-  
 १९, -पर कांग्रेस प्रस्ताव, ५३७  
 राष्ट्रीय स्वयंसेवक सगठन, १२२-२३  
 राष्ट्रीयकरण, २६९  
 रीडिंग, लॉर्ड, ३९१, ४३३, ४७३, ५२१,  
 ५५८, ६१२  
 रुखी, ७२, १८६  
 रुद्र, ११७  
 रुस्तमजी, पारसी, देखिए घोरखोद्द रुस्तमजी  
 जीवनजी  
 रेड्डी, ५८०  
 रैनॉल्ड्स, ३४२, ६११  
 रोजवरी, लॉर्ड, ९०, १३६  
 रोटी-व्यवहार, -और अस्पृश्यता, ५४६-४७  
 रोम, ९०  
 रोलॉ, रोमाँ, ३४१, ३८३  
 रोसी क्रुसीयन मिस्ट्रीज, ९१

ल

लक्ष्मी, १९३, ३२२, ३४५, ५७५  
 लक्ष्मी नरसिंह, एम०, ८५  
 लखनऊ-ममझौना, -[ते]मे सगोधनकी  
 आवश्यकता, ४४७  
 लाइफ ऑफ कोलम्बस, ९०  
 लाइफ ऑफ जान हॉवर्ड, ९०  
 लाइफ ऑफ पिट, ९०, १३६  
 लाइफ ऑफ रामानुज, ९०

लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण, ४५८  
 लॉज, ९१  
 लाजपतराय, लाला, २८३, २८६, ३२६,  
 ३५१-५२, ३६५, ३८५, ४३१, ४३८,  
 ४४४, ४४७, ४५०, ५०१, ५४२, -के  
 खिलाफ लगाये गये आरोपोंपर क्षोभ,  
 ४३०, -के बारेमे गलत रिपोर्ट,  
 ४६६-६७  
 लावेल, १६४  
 लिटन, लॉर्ड, ४४, ३९१, ४७३, ५२१,  
 ६२५  
 लिवरल दलवाले, देखिए नरम दलवाले  
 लीलामणि, २६१  
 लूशियन, ८९, ९१  
 लेकी, ९१  
 लेक्चर्स ऑन बुद्धिज्म, ९१  
 लेज ऑफ एन्शेंट रोम, ९०

## व

वझे, एस० ए०, ३९, -की सराहना, ५३३  
 वरदन, ए०, ४६०  
 वर्ल्ड टुमारो, ३४३  
 वाइकोम सत्याग्रह, देखिए सत्याग्रह  
 वाइल्ड, आस्कर, २६६  
 वाचस्पति, इन्द्र, १३८  
 वाचा, सर दिनशा, ४९१  
 वाजपेयी, वालमुकुन्द, १३९  
 वाडिया, ९०  
 वामनराव, ५७०  
 वाल्मीकि, ९०  
 विज्डम ऑफ द एन्शेंट्स, ९०  
 विदुर, ४३६  
 विदेगी कपडे, -का बहिष्कार, देखिए  
 बहिष्कार  
 विद्यार्थी, -और असहयोगका स्यगन, ४७६-  
 ७९, -और शारीरिक श्रम, ४  
 विलवरफोर्स, ९०

विप्लववादी, देखिए अराजकतावादी  
 विलिग्डन लॉर्ड, ५११  
 विलियम द साइलेट, १३६  
 विवाह, -मोक्ष प्राप्तिमे वाधा, २७०-७१  
 विवेकानन्द, ९१  
 विश्वभारती, १०  
 विष्णुमित्र, २४१  
 विश्वास, सुरेन्द्रनाथ, ६२१  
 विष्णु, ११७  
 वुडरुफ, ९१  
 वे दू विगिन लाइफ, ८९  
 वेद, ९१  
 वेदान्त, ९१  
 वेराइटीज, ऑफ रोलोजियस एक्सपीरियन्स,  
 ९०-९१  
 वेल्स, एच० जी०, ९०  
 वेस्टकोट, विशप, २४९  
 वैद्य, ९०  
 वैद्य, गगावहन, २११, २४६, २५२, २९०  
 वैकटप्यय्या, कौड, २६४, ३२९ पा० टि०, ३६१  
 व्यास, बालकृष्ण, २५२  
 व्हाट क्रिश्चियनिटी मीन्स टु मी, ९०

श

शाकरलाल, लाला, ४६७  
 शम्भुनाथ, ८८  
 शर्मा, आर०, ३४४  
 शर्मा, नाथूराम, ९०  
 शाकरभाष्य, 'गीता' ९०, ९३, ५४३  
 शाक्त ऐंड शक्ति, ९१  
 शास्त्री, रामकृष्ण, ५४०  
 शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, ६२, ६४,  
 २००, ३२३, ३६५, ५९६  
 शाह, फूलचन्द कस्तूरचन्द, १४०, ३२२,  
 ४६२, ५७४  
 शाह, शाहमुल्ला, १६४  
 शाहजहाँ, १६४  
 शिक्षा, -आधुनिक, ४३१-३२, ५००, -का  
 उद्देश्य, ६०९-११, ६१८-१९, -प्राथ-

मिकमे मौखिक रूपसे सिखानेकी आव-  
 श्यकता, २६०-६१, ३४५, -राष्ट्रीय,  
 ४५०

शिल्पे, ३६५  
 शिवली, ९१, १३४, २९७  
 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक समिति, १२५  
 शिव, १७३, १८८, २१३, २४१  
 शिवम्, सी० वी० पी०, ५२५  
 शिवलालभाई, ७२, १४०, ३२२  
 शेक्सपीयर, ४३२  
 शौकत अली, ५, ४८, १६६, १८० पा० टि०,  
 १८७-८८, १९४, १९६-९७, ३५५,  
 ३६१, ३९७, ३९८, ४३९, ४४१-४३,  
 ४५५-५६, ४७२, ५००, ५०३, ५३०,  
 ५३४, ५४०, ५४२, ५५२, ६०६,  
 ६०८, -के विचार हिन्दू-मुस्लिम एकता-  
 पर, ५०३, ५११, -द्वारा कतार्ई, १५,  
 २०२

श्याम बाबू, १४०, ३१२  
 श्रद्धानन्द, स्वामी, ४, २४५, २५४, ५६०  
 श्रम, -का मानवीय पक्ष, २६८-६९, -शारी-  
 रिक, की महत्ता, ४३१, ५९५-९६  
 श्रीनिवासचारी, ५४०

स

सगीत, -का महत्व, २३९  
 सधाणी, नारणदास, ६०३  
 सतीश बाबू, ५६१  
 सत्य, २०, ३६, ६३, १०१, १३६, १९१,  
 २११, २३७, ४५२, -और अहिंसा,  
 ३४३, ५२४, -और ईश्वर, २०१,  
 ५२४, -और मोक्ष, २९, -और  
 सत्याग्रह, ६२२, -और सुन्दरता, २६६-  
 ६७, २७३-७४  
 सत्यदेव स्वामी, ५४७  
 सत्यपाल, डॉ०, ३२६, ३९५  
 सत्याग्रह, ६२, ६५, ७५-७६, १०६, २७७,  
 -और असहयोग, ८९, ४२७, ५२४,

- और सत्य, ६२२, —और सविनय अवज्ञा, ५२४, ६२२, —का स्थान, १२२, —राजनीतिक परिणाम, १३७; —देवी राज्योमे, ५९३-९४, —मुलगी-पेटामे, १३७, —वाडकोममे, ६७ पा० टि०, १६२, १७४-७५, ३८२, —के गुण, १७४-७५; —पर हमारा जन्मसिद्ध अविचार, ५२५
- सत्यार्थ प्रकाश, ९०
- सदस्यता, —के लिए स्वराज्यके अन्दर योग्यता, ५१४
- नन्तानम्, के०, १२४, २६३
- सन्मुखराय, १४२
- सप्रू, डॉ० तेजवहादुर, ३२३ पा० टि०, ३६५
- सन्ध्या, पाञ्चात्य—, ३४२, ४८१, ४९४, —भारतीय, ३४२
- ~~समाजवाद, २६६~~
- सर, साहिब मौलाना ५४१
- सरमन ऑन द माउण्ट, ९२
- सरस्वतीचन्द्र, ९०
- सर्वदलीय परिषद्, ३६५, ३८५, ५१२, ५२१, ५५५, —और स्वराज्यवादियो और गांधीजीमे समझौता, ४१०-११, —का वगाल-दमनके प्रतिरोधमे प्रस्ताव, ३६२-६३
- सविनय अवज्ञा, ६२, ७६, २९९, ३१६, ३७५, ३८१, ५११, ५२२, —और अमहयोग, ५२४, —और मत्याग्रह, ५२४, ६२२, —का अर्थ, ३९०, ४००-१
- सहदेव, ९४
- साँझ वर्तमान, १०१
- साइंस ऑफ पीस, ९०
- साठे, डा०, ७०
- नायन और नाव्य, ५१४
- साधना, ९०
- सावरमती, ६१८
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, —हिन्दू-मुस्लिम तनावको खान्न करनेके लिए, ४४७-४८
- साम्यवाद, देखिए वोलशेविज्म
- साम्राज्यवाद, २०, ३९४
- सावरकर, वी० डी० १२४
- सिंगर, २६९
- सिंह, मगल, १५९, ३६५, ४२६, ४४१, ५७७-७८
- सिंह, मनजीत, ३०२
- सिंह, माखन, ४५५, ४७०
- सिंह, रघुवीर, २८०
- [द] सिक्स सिस्टम्स, ९०
- सिख, ९०, १२५, १५९, १६५, २०२, ४२७, ४३९, ५७८
- सिख-धर्म, —और हिन्दूधर्म, १६५
- सिडेनहम, लॉर्ड, ३७९
- सिन्धी, १७७
- सिन्हा, गया प्रमाद, ४२२
- सिन्हा, लॉर्ड, ६०५
- सिन्हा, सत्यनारायण, ५४०
- सीकर्स आफ्तर गाँड, ८९, ९१
- सीता, ७, ५९२
- सीताहरण, ९०
- सुकरात, २६७
- सुकुमार, वावू, ३४२
- सुखदेव, डॉ०, ३८४, ५६७
- सुदामा, ११७, ४३६, ५१४, ६०३
- सुधन्वा, ३७२
- सुन्दरलाल, ३०, ४१, ५३४, ५३७
- सुपरसेन्सुअल लाइफ, ९०, १६३
- सुब्रह्मण्यम्, ४६०
- सुब्रह्मण्यम्, वी०, ३२३
- सुभद्रा कुमारी, ८६
- सुभान अली, ५४१
- सुहरावदी, २९
- सुरदास, २७६
- सूर्य नारायण, के०, ८५
- सैन्ट पॉल इन ग्रीस, ९०
- सेनेका, ९१
- सेन्ट्म ऑफ इस्लाम, ९०

सैलिसवरी, लॉड, ३३८  
 सोडम, ३८३  
 सोवानी, आजाद, ५२८  
 सोरावजी, ३९८  
 सोवियत कांग्रेस-का सचिवालय और भारतीय  
 राष्ट्रीय कांग्रेस, २१७-१८  
 सोशल इवोल्यूशन, ९०  
 सोशल एफिशिएन्सी, ९०  
 मौन्दर्य, -सत्य, २६६-६७, २७३-७४  
 स्टेट्समैन, २८२  
 स्टेट, उल्क्यू० टी०, ४१८  
 स्टैस टू क्रिश्चियनिटी, ९०  
 स्टोकन, -द्वारा अनिवार्य कतारिका विरोध,  
 ३३७, ४१७  
 स्टोरीज फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ रोम, ८९  
 [ द ] स्ट्रेंज केस ऑफ डॉ० जेकिल एंड मि०  
 हाइड, ९०  
 स्ट्रिपट ऑफ इस्लाम, ९१  
 स्येन्सर, ९०  
 स्मट्स, जनरल, १८, ९८, २२६  
 स्याद्वाद मजरी, ९१  
 म्लेड, कुमारी मेडिलिन, देखिए मीरावहन  
 न्वतन्त्रता, देखिए स्वराज्य  
 स्वदेशी, ३, ५३२, -की पेचीदगियाँ, ३९४  
 स्वयमेवक, -के गुण, ६३४-३५  
 स्वराज्य, १६, ६०, ६४, ७१, ७९, ९६, ९९,  
 ११७, १४५, १४७, १४९, १६०,  
 २१९, २३३, २५०, २७५, २८१, २९८,  
 ३०७, ३२७, ३३६, ३५४, ३७४, ३८३,  
 ३९६, ४३१, ४३३ ४७२, ४७६-७७,  
 ५४९, ५७१, ६१४, -औपनिवेशिक,  
 ३६४, और अस्पृश्यता, ५१३, ५४८,  
 -और अहिंसा, २१, -और कतारि, ३१०,  
 ३१७, ३६०, ४३२, -और  
 चरखा, ३६७, ४०३, ४६६, ४९८,  
 -और रामराज्य, ५९२ और हिन्दू-  
 मुस्लिम, एकता, २२२, ३६७, ३९७,  
 -की गांधीजीकी योजना, ५१४-१५,

-की शर्तें, ५४४, ५६९-७०, -के अन्त-  
 गंत देशी रज्योकी स्थिति, ५८६-८७,  
 ५९८, -के अन्तर्गत सम्भावित बुरा-  
 डियाँ, ६०७, -के लिए योजना, १३१,  
 १७१, ३६५, ५१४-१६, -समद, ४१२,  
 -माम्राज्यके अन्तर्गत, ३८६, ५१६,  
 -हमारा जन्मिद्ध अधिकार, ४९८  
 स्वराज्यवादी, २९, ६२, ८१, १०४-५, १३७,  
 १४०, १४८-४९, १५४, २७७, २८८,  
 ३१९, ३८०, ३८६-८७, ४०२, ४१८-  
 १९, ४६८, ८८२, ६२४, -और  
 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ५८, १२९-  
 ३१, १५७-५८, २७९, ३०७-८, ३१३  
 ३५८-५९, ३७३-७५, ३८६, ४८९-९२,  
 ५१६-१८, -और हिंसा, ३५८, -  
 [दियो] और गांधीजीके बीच समझौता,  
 ३०७-८, ३१०, ३१५, ३१९-२०, ३३४-  
 ३५, ३४९, ३८५, ४८४, -के विरुद्ध  
 बगालमे दमन, ३०७-८, ३१५, ३३१,  
 ५२०, -पर आक्षेपोंके उत्तर, ३२९-  
 ३०, ३५७-६०, -पर बेलगाँव कांग्रेसका  
 प्रस्ताव, ५२६-२८

स्वशामनवादी, ३८०, ३८५, ४१९, ५२४

## ह

हजरत उमरकी जीवनी, ९०  
 हनीफ, मोहम्मद, ८८  
 हन्टर, ६३४  
 हब्बी, २८  
 हमदर्द, ११४, ११७, २९८, ३६९, ३९७  
 हयात, १०५, ११४  
 हरकिसानलाल, ३५८, ३६५, ५४०  
 हरनामसिंह, २०९  
 हरनामसिंह (श्रीमती) २०९  
 हरिप्रसाद, डॉ० ४२  
 हरिश्चन्द्र, ९४, ४९८  
 हलाज, मन्सूरी, १६४  
 हसन, ९०  
 हस्वी, आरिफ, १५



हाजकिन्सन, श्रीमती, २३३  
 हार्डिंग, लॉर्ड, ५५८  
 हार्डिकर, डॉ०, १२२, ५४५, ५५८  
 हॉपकिन्स, ९१  
 हाऊ-अल-रशीद, १९२  
 हिंसा, १८८, २८१, २९४-९५, ३१३,  
 ३३५, ४०३, ४३९, -और बोल-  
 शेविज्म, ४५३, -और स्वराज्यवादी,  
 ३५७, -जरूरी है, २०८

हिन्द स्वराज्य, ५५०, ६३६

हिन्दी नवजीवन, १२

हिन्दुस्तान टाइम्स, १५९

हिन्दुस्तानी, -राज्यभाषा, ५१५

हिन्दुस्तानी शिक्षक, २९६

हिन्दू, ५, १६, ५५-५६, ६०, ६२-६३, ७५,  
 ८१, १००, १०५, १११, १४३-४८,  
 १८२-८३, १८७, १९४, २०२ पा० टि०,  
 २२५, २३२, २५५-५६, २५८, २९८,  
 ३३५, ३५५, ३८१, ३९०, ४२७, ५९७,  
 ६००, ६०९, -इलाहाबाद और जबल-  
 पुरमे, २५४, -और सरकारी पद,  
 ५५८, -की परिभाषा, ५४९-५०,  
 -कोहाटमे २१३, २५४, ४४२, ४५५-  
 ५६, ४७०-७२, -[ओ] और मुसल-  
 मानोके बीच तनाव, ४१, १०१, ११८,  
 १२१, १६०, २०८, २१३, २४५-४६,  
 २८७-८८, २९९, ४३२, -के कारण,  
 ४३८-३९, -के हलके लिए प्रस्ताव,  
 १४३-४६, १९०-९२, २१५, ४४७-  
 ४८, -कोहाटमे, २१३, २५४, ४४२,  
 ४७०-७२, --गुलवर्गामे, ४८-५०, -  
 दिल्लीमे, १८१, -नागपुरमे, ६५, ८३,  
 १७७, -पजावमे, ४३८-४१, -लख-  
 नऊमे, १३९, -[दुओ]को उर्दू पढनी  
 चाहिए, १३३

हिन्दू, (लाहौर), १६०

हिन्दू धर्म, १००, १३५, १४५, १८०, २१५,  
 २२०, ३५४, ३६९, ६०९, -और  
 अस्पृश्यता, १२२, ४३६, ५४२, ५४६-  
 ४८, ५६७-६९, ५९७, ६००-३, -और  
 इस्लाम, १९०-९२, २३७, २४०, २९८,  
 -और गोरक्षा, १९०, ४६७, ५४९-  
 ५२-और सिख धर्म, १६५, -की  
 परिभाषा, ५४९-५०

हिन्दू-मुस्लिम एकता, १६-१७, २०, ३१,  
 ४९, ५७, ७१, ९७, १००, १०५, ११७,  
 १३०, १४९, १७८, १९७, २२०,  
 २४०, २४२, २५१, २७५, ३०३,  
 ३०७, ३१२, ३४९, ३६९, ३८१, ३९६,  
 ४०५, ४२७-३०, ४३९, ४४१, ४४३,  
 ४५०, ४६७, ४७९, ४८३, ५००,  
 ५१८, ५४४, ५४९, ५५८, ५६९-७०,  
 ५९७, ६१८, ६३७, -और गोरक्षा,  
 १४४-४५, -और स्वराज्य, १४३,  
 २२२, ३६७, ३७८-७९, -का महत्व,  
 ५११-१३, -को उत्तेजन देनेके लिए  
 सम्मेलन, २२४, २८१, -को उत्तेजन  
 देनेके लिए मोतीलाल नेहरूके प्रयत्न,  
 ४४५-४६, -पर एकता सम्मेलनमे  
 प्रस्ताव, २२९-३०, -पर गौकत अलीके  
 विचार, ५०२, ५११

हिमालयनो प्रवास, ९०

हिस्ट्री ऑफ द सैरासिन्स, ९१ -

हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह इन साउथ आफ्रिका,  
 ३४६

हिस्ट्री ऑफ सिविलिजेशन, ९०

हुलियालकर, डॉ० डी० आर०, ८७

हेली, सर मैलकम, ४२७, ४३३

हैकेल, ९१

होता, विकनचरन, ८८

होमरूलवादी, देखिए स्वशासनवादी

होम्स, ९१

